مختصر صحيح مسلم

मुख़्तसर सहीह मुस्लिम 1

भाग
पहला

संपादक

इमाम अबुल् हुसैन मुस्लिम बिन अल्-हज्जाज
बिन मुस्लिम क़ुशैरी, नेशा पूरी रहिमहुल्लाह
(206 हि०-261 हि०)

M-9825696131

अनुवाद व तशरीह
ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी (फ़लाही)

प्रकाशक
अलहुदा पब्लिकेशन
दिल्ली-110006

नाम पुस्तक : मुख़्तसर सहीह मुस्लिम शरीफ़ (पहला भाग)
संपादक : इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज रह०
हिन्दी अनुवाद व तशरीह : ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी (फ़लाही)
कुल पेज : 670
कुल अहादीस की संख्या : 1042
प्रथम एडीशन : **पहला एडीशन : 2009 + दूसरा एडीशन : 2015**
मुद्रक : अलहुदा पब्लिकेशन 4158, उर्दू बाजार जामा मस्जिद, दिल्ली
कम्पोज़िंग : तय्यब अज़ीज़, सनम अज़ीज़, द बाइट पब्लिशिंग सिस्टम्स, दिल्ली
क़ीमत : 750/- (सेट)

मिलने का पता

अलहुदा पब्लिकेशन
4158, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-6
E-mail: info@alhudapublication.com
Website: www.alhudapublication.com

दारूल क़ुतुबिल इस्लामिया
उर्दू मार्किट, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006

मकतबा तर्जुमान
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006

अल किताब इन्टरनेशनल
बटला हाऊस, जामिआ नगर, नई दिल्ली-110025

अफ़ाफ़ पब्लिशर्स
मंडावली, दिल्ली

★★★

© इस पुस्तक के सर्वाधिकार अनुवादक के नाम सुरक्षित हैं। किसी और को इस पुस्तक के किसी भी अंश के छापने की अनुमति नहीं है। ख़िलाफ़ वर्ज़ी करने की सूरत में क़ानूनी कार्यवाही की जायेगी।

Published by : Khalid Haneef Siddiqi (Falahi)
for : **Al Huda Publications**
4158, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006
Printed & Bound in India, by : Salafi Book Services

मुख़्तसर

सहीह मुस्लिम शरीफ़

(पहला भाग)

किताब (शीर्षक) की सूची

न॰	किताब (शीर्षक)	पृष्ट न.
1	ईमान का बयान	39
2	वुज़ू के मसाइल का बयान	103
3.	स्नान के मसाइल का बयान	123
4	हैज़ के मसाइल का बयान	135
5	नमाज़ के मसाइल का बयान	144
6	मस्जिद का बयान	167
7	जुम्अः के मसाइल का बयान	256
8	अ़ीदैन के मसाइल का बयान	272
9	मुसाफ़िर की नमाज़ का बयान	279
10	जनाज़ा की नमाज़ का बयान	395
11	ज़कात के मसाइल का बयान	326
12	सदक़-ए-फ़ित्र के मसाइल का बयान	341
13	रोज़ा के मसाइल का बयान	368
14	एतिकाफ़ के मसाइल का बयान	398
15	हज्ज के मसाइल का बयान	404
16	निकाह के मसाइल का बयान	487
17	तलाक़ के मसाइल का बयान	564
18	अ़िद्दत के मसाइल का बयान	525
19	लिआ़न का बयान	531
20	दूध पीने-पिलाने के मसाइल का बयान	538
21	नफ़्क़ा के मसाइल का बयान	545

22	गुलाम आज़ाद करने का बयान	550
23	ख़रीद–फ़रोख़्त के मसाइल का बयान	559
24	खेती–बाड़ी के मसाइल का बयान	592
25	वसिय्यत का बयान	598
26	विरासत के मसाइल का बयान	605
27	वक़्फ़ के मसाइल का बयान	607
28	नज्र के मसाइल का बयान	609
29	क़सम के मसाइल का बयान	615
30	क़िसास के मसाइल का बयान	620
31	हद के मसाइल का बयान	634
32	ज़िना की हद का बयान	634

मुख़्तसर

सहीह मुस्लिम शरीफ़

(पहला भाग)

विषय सूची

न॰	विषय	पृष्ट न॰
	(ईमान का बयान)	
	ईमान का पहला रुक्न "लाइला-ह इल्लल्लाह है"	39
	जब तक लोग "लाइला-ह इल्लल्लाह" न पढ़ लें, उन से जिहाद किया जाये।	43
	जिस ने किसी काफ़िर को "लाइला-ह...... पढ़ने के बाद भी क़त्ल कर दिया, उस के बारे में क्या हुक्म है?	44
	जो व्यक्ति अल्लाह से इस हाल में मिला कि उसे तनिक भर भी शुब्हा नहीं था, वह जन्नत में दाख़िल होगा।	47
	ईमान किसे कहते हैं? और उस की ख़स्लतों का बयान।	51
	अल्लाह पर ईमान लाने और उस पर क़ाइम रहने का बयान।	54
	सन्देष्टा के चमत्कारों पर ईमान लाने का बयान।	55
	उन आ़दतों का बयान कि जिस के अन्दर पाई जायें, वही ईमान का अस्ल स्वाद पायेगा	56
	जिस ने अल्लाह को अपना पालनहार मान लिया, उस ने ईमान का स्वाद चख लिया।	57
	जिस के अन्दर चार आदतें पाई जायें वह पक्का मुनाफ़िक़ है।	57
	मोमिन की मिसाल फ़ली-फूली खेती के समान है।	58
	मोमिन की मिसाल खजूर के पेड़ की तरह है।	58
	हया भी ईमान में से है।	59
	पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करना भी ईमान में से है।	60
	बुराई को हाथ से, ज़बान से मिटाना, या (कम से कम) उसे दिल से बुरा जानना ईमान में से है	60

अ़ली रज़ि॰ से मोमिन प्रेम करेगा और उन से मुनाफ़िक़ ही दुश्मनी करेगा।	60
ईमान सिमट कर मदीना में आ जायेगा	60
जब तक ईमान न लाये, उस की नेकी किसी काम की नहीं।	63
ज़न्नत में न जाओगे, जब तक ईमान न ले आओ।	64
बलात्कारी बलात्कार करते समय मोमिन नहीं रहता है।	64
मोमिन एक ही बिल से दो मर्तबा नहीं डसा जाता।	65
ईमान में शक व शुब्हे का बयान।	65
अल्लाह पाक के साथ शिर्क करना महापाप है।	65
जो अपनी निस्बत अपने पिता की तरफ़ न करे उस ने कुफ़्र किया।	66
जो अपने भाई को काफ़िर कहे (वह स्वैंय काफ़िर हो जाता है)	67
जो इस हाल में मरा कि उस ने अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया, वह जन्नत में जायेगा।	68
जिस के दिल में राई के दाना बराबर भी तकब्बुर होगा, वह जन्नत में नहीं जायेगा।	69
किसी के हसब-नसब में ताना देना कुफ़्र का काम है।	69
जिस ने कहा कि वर्षा सितारों के प्रभाव से होती है, उस ने कुफ़्र किया।	70
अगर गुलाम अपने मालिक को छोड़ कर भाग जाये तो उस ने कुफ़्र किया।	70
मेरे दोस्त, अल्लाह और ईमानदार लोग हैं।	71
मोमिन को उस की नेकियों का बदला दुनिया-आख़िरत दोनों जगह मिलता है।	71
इस्लाम किसे कहते हैं? उस की ख़स्लतों का बयान	71
इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर आधारित है।	72
कौन सा इस्लाम सब से बेहतर है।	73
इस्लाम अपने से पहले के गुनाहों को मेट देता है।	73
मुसलमान को गाली देना पाप है और मार-पीट करना कुफ़्र है।	74
इस्लाम ले आने के बाद, कुफ़्र के समय के बुरे कामों पर पकड़ नहीं होगा।	74
सही मानों में मुसलमान कहलाने का हक़दार कौन है?	75
जिस ने कुफ़्र की भी हालत में नेक काम किया फिर इस्लाम ले आया।	76

आज़माइश से डरते रहने का बयान।	77
इस्लाम की इब्तिदा दबी-कुचली हालत में हुयी है और फिर	77
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ वह्यि आने का बयान।	78
आप के आसमान पर तशरीफ़ ले जाने का बयान।	80
अ़ीसा अ़लै॰ और दज्जाल का बयान।	84
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल्म का नबिय्यों की इमामत करने का बयान।	84
मेराज में "सिद्-रतुल् मुन्तहा" तक जाने का बयान।	85
सूरः नज्म की आयत न॰ 11, 12, 13 की तफ़सीर।	85
अल्लाह को एक मानने वालों को जहन्नम में निकाल लिया जायेगा।	90
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के उम्मती जन्नत में सब से अधिक होंगे।	96
जन्नत का दर्वाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खोलेंगे।	96
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के लिये-दुआ़ करने का बयान।	96
अल्लाह तआ़ला ने सूरः शू-अ़रा की आयत 214 में फ़रमाया	98
क्या आप अपने चचा अबू तालिब को कुछ लाभ पहुँचा सके?	99
मेरी उम्मत के सत्तर हज़ार लोग बिला हिसाब-किताब जन्नत में जायेंगे।	99
कुल जन्नतियों की आधी संख्या में मेरे उम्मती होंगे।	101

(पाकी के मसाइल का बयान)

अल्लाह तआ़ला कोई नमाज़ बिना वुज़ू के कुबूल नहीं करता।	103
नींद से जाग कर पहले हाथ धोने का बयान।	103
राह में और साया (छाँव) में पाख़ाना-पेशाब करना मना है।	103
क़िब्ला की तरफ़ मुँह कर के शौच करना मना है।	105
घर में बने शौचालय में क़िब्ला की तरफ़ मुँह करने की अनुमति है।	105
जिस पानी में स्नान करो, उस में पेशाब करना मना है।	105
पेशाब की छींटों से बचना अनिवार्य है।	106
दायें हाथ से इस्तिन्जा करना (पाकी हासिल करना) मना है।	107
शौच के बाद पानी से पाकी हासिल करने का बयान।	107
दिबाग़त देने के बाद चमड़ा पाक हो जाता है।	108

कुत्ता बर्तन में मुँह डाल दे तो उसे सात मर्तबा धोओ। 108
वुज़ू की फ़ज़ीलत का बयान। 109
वुज़ू करने से गुनाह झड़ जाते हैं। 110
वुज़ू और स्नान आदि दाहिनी तरफ़ से करना चाहिये। 110
वुज़ू करने के सहीह तरीक़ा का बयान। 111
वुज़ू करते समय नाक में पानी डाल कर झाड़ना चाहिये। 112
दिल न चाहता हुये भी वुज़ू करना फ़ज़ीलत का काम है। 114
जन्नत में ज़ेवर वहाँ तक पहुँचेगा, जहाँ तक वुज़ू का पानी पहुँचेगा। 115
वुज़ू और स्नान (गुस्ल) के लिये कितना पानी काफ़ी है। 116
मोज़ों पर मसह करने का बयान। 116
मोज़ों पर मसह करने के समय सीमा का बयान। 118
पेशानी के साथ अमामा पर भी मसह करना जाइज़ है। 118
पगड़ी, अमामा और दस्तार पर मसह करने का बयान। 119
एक ही वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ सकते हैं। 119
वुज़ू कर लेने के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाये? 120
मज़ी का धोना ज़रुरी है। इस के निकलने से वुज़ू टूट जाता है। 120
बैठे-बैठे सो जाने से वुज़ू नही टूटता है। 121
ऊँट का माँस खाने के बाद वुज़ू करना चाहिये। 121
आग से पकी हुयी चीज़ खाने से वुज़ू नहीं टूटता है। 122
नमाज़ में हवा निकलने का शुब्हा हो जाये तो वह क्या करे? 122

(स्नान के मसाइल का बयान)

मनी (वीर्य) निकलने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। 123
महिला भी मर्दों की तरह सपना देखे तो
उस पर भी गुस्ल वाजिब है। 124
जनाबत के स्नान के तरीक़ा का बयान। 125
कितने पानी से स्नान करना चाहिये। 126
स्नान करने वाले को कपड़े से पर्दा कर लेना चाहिये। 126
अकेले एकान्त में स्नान करे तो भी पर्दा करना चाहिये। 127
एक-दूसरे की शर्मगाह को देखना मना है। 127
शर्मगाह का छुपाना अनिवार्य है। 128
पति-पत्नी, एक ही बर्तन में से पानी लेकर स्नान कर सकते हैं। 128
जुनुबी का खाना खाने से पहले, या सोने से पहले
वुज़ू कर लेना चाहिये। 129

जुनुबी स्नान करने से पहले भी सो सकता है। 129
तयम्मुम् की आयत नाज़िल होने का बयान। 130
जुनुबी अगर पानी न पाये तो वह भी तयम्मुम करे। 131
मोमिन नापाक नहीं होता है। 133
बिना वुजू किये भी खाना-पीना दुरुस्त है। 134
अल्लाह को हर समय याद करते रहा करो। 134

(हैज़ के मसाइल का बयान)

सूरः बक़र की आयत न॰ 222 का बयान। 135
महिला, हैज़ और जनाबत का स्नान किस प्रकार करे। 136
हैज़ की हालत में महिला कपड़ा-मुसल्ला उठा कर दे सकती है। 137
हैज़ वाली महिला अपने पति का सर धो सकती है। 137
हैज़ वाली महिला गोद में सर रख कर कुरआन पढ़ सकते हैं। 137
हैज़ वाली महिला के साथ एक ही बर्तन में खाना-पीना जाइज़ है। 138
मुस्तहाज़ा महिला किस प्रकार स्नान करे? 138
हैज़ के दिनों की नमाज़ की क़ज़ा नहीं है। 139
पाँच चीज़ें फ़ितरत में दाख़िल हैं। 140
मूँछे कतराओ और दाढ़ी बढ़ाओ। 140
अगर बच्चा कपड़ा गीला कर दे (पेशाब कर दे) तो उस पर
पानी का छींटा देना काफी है। 141
कपड़े में मनी (वीर्य) लग जाये तो उसे धो डालना चाहिये। 142
कपड़े में हैज़ का खून लग जाये तो उसे धोना अनिवार्य है। 142

(नमाज़ के मसाइल का बयान)

अज़ान देने का आरंभ किस प्रकार हुआ। 144
अज़ान के लफ़्ज़ों का बयान। 144
अज़ान दोहरी कही जाये और इक़ामत इकहरी। 145
अज़ान के लिये मुअज़्ज़िन मुक़र्रर करना दुरुस्त है। 146
अंधा भी मुअज़्ज़िन बन सकता है। 146
अज़ान कहने की फ़ज़ीलत का बयान। 146
अज़ान में जो मुअज़्ज़िन कहे, सुनने वाला भी उसी को दोहराए। 147
शुरु में नमाज़ दो-दो रक्अ़त कर के फ़र्ज़ थी। 150
नमाज़ को छोड़ना कुफ़्र है। 151
नमाज़ के समय का बयान। 152

फ़ज्र की नमाज़ अँधेरे में पढ़ना अफ़ज़ल है।	153
फ़ज्र और अ़स्र की नमाज़ की पाबन्दी करनी चाहिये।	153
सूरज डूबते और निकलते समय नमाज़ पढ़ना मना है।	154
जुह् की नमाज़ अव्वल समय में पढ़नी अफ़ज़ल है।	154
सख़्त गर्मी में ठन्डा कर के पढ़ना चाहिये।	155
अ़स्र की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ नहीं है।	156
अ़स्र की नमाज़ छोड़ने वालों को धमकी (चेतावनी)।	157
बीच वाली नमाज़ की सख़्त ताकीद है।	157
तीन समय कोइ नमाज़ न पढ़ी जाये।	157
अ़स्र के बाद दो रक्अ़त पढ़ने का बयान।	158
अ़स्र की नमाज़ की क़ज़ा सूरज डूब जाने के बाद करे।	158
मग़रिब की नमाज़ से पहले दो सुन्नत पढ़नी चाहिये।	159
मग़रिब का समय सूरज डूबने के बाद आरंभ होता है।	159
अ़िशा की नमाज़ के समय का बयान।	159
अ़िशा की नमाज़ का दूसरा नाम क्या है।	159
नमाज़ को उस के समय से ताख़ीर (विलंब) कर के पढ़ना मना है।	160
जिस ने रक्अ़त पाली उस ने पूरी नमाज़ पाली।	161
अगर कोई सो जाये तो जब आँख खुले उसी समय पढ़ ले।	161
केवल एक कपड़े में भी नमाज़ दुरुस्त है।	164
फूल–बूटे वाले कपड़ों में नमाज़ मक्रुह है।	164
चटाई पर नमाज़ पढ़ने का बयान।	165
जूता पहन कर नमाज़ पढ़ सकते हैं।	166

(मस्जिदों का बयान)

ज़मीन पर सब से पहले मस्जिदे–हराम (बैतुल्लाह) बनाई गयी।	167
मस्जिदे–नबवी के निर्माण कार्य का बयान।	167
उस मस्जिद का बयान जिस की बुनियाद तक़्वा पर रखी जाये।	168
मक्का और मदीना की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत का बयान।	168
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का कुबा की मस्जिद में चल कर जाने का बयान।	169
जिस ने अल्लाह की राह में मस्जिद बनाई।	169
मस्जिदों की फ़ज़ीलत का बयान।	170

मस्जिद की तरफ़ अधिक से अधिक क़दम
चल कर जाना फ़ज़ीलत का काम है। 170
नमाज़ पढ़ने का निय्यत से चलने से गुनाह माफ़ होते हैं। 170
नमाज़ के लिये इतमिनान से चल कर आना चाहिये। 171
महिलायें नमाज़ पढ़ने के लिये मस्जिद जा सकती हैं। 171
मस्जिद में दाख़िल होने की दुआ। 172
मस्जिद में दाख़िल हों तो दो रक्अ़त नमाज़
(तहिय्यतुल-मस्जिद) पढ़ना ज़रुरी है। 172
अज़ान हो जाने के बाद अकारण मस्जिद से निकलना मना है। 172
मस्जिद में थूकने का कफ़्फ़ारा उसे साफ़ कर देना है। 173
लहसुन खाना मक्रुह और खा कर मस्जिद में आना भी मक्रुह है। 173
गन्दना, पियाज़ और लहसुन खा कर मस्जिद से अलग रहे। 173
जिस के मुँह से लहसुन-पियाज़ की बदबू आये उसे मस्जिद से निकाल
बाहर कर देना चाहिये। 174
खोई हुयी चीज़ के बारे में मस्जिद में एलान करना मना है। 175
क़ब्रों पर मस्जिद बनाना हराम है। 176
मेरे लिये पूरी ज़मीन पवित्र और मस्जिद बना दी गयी है। 176
नमाज़ी के सामने सुत्रा कितना बड़ा होना चाहिये। 177
नमाज़ी के आगे पहले ही से लेटा रहना (दुरुस्त है) 178
क़िब्ला की ओर मुँह कर के खड़े होने का हुक्म। 178
शाम की तरफ़ से क़िब्ला बदल कर काबा की तरफ़ होने का बयान। 179
फ़र्ज़ नमाज़ खड़ी हो जाये तो उस के अ़लावा और
दूसरी नमाज़ न पढ़ी जाये। 180
जब जमाअ़त के लिय तक्बीर पढ़ी जाये तो मुक़तदी कब खड़े हों। 180
नमाज़ के लिये इक़ामत उस समय कही जाये जब
इमाम मस्जिद में आ जाये। 180
जमाअ़त के लिये इक़ामत हो जाने के बाद इमाम नहाने के लिये मस्जिद से
बाहर जा सकता है। 181
सफ़ों को दुरुस्त करना अनिवार्य है। 181
पहली सफ़ में शामिल होकर नमाज़ पढ़ना अफ़ज़ल है। 182
हर नमाज़ के लिये दातून करना अफ़ज़ल है। 182
नमाज़ में दाख़िल होते समय अल्लाह को
याद करने की फ़ज़ीलत का बयान 183

नमाज़ में रफ़ा–यदैन करना अनिवार्य है।	184
नमाज़ किस शब्द से आरंभ और किस शब्द पर समाप्त होती है।	184
नमाज़ में "अल्लाहु अक्बर" कहने का बयान।	185
तक्बीर, इमाम के कहने से पहले कहना मना है।	186
मुक़्तदी के लिये इमाम की पैरवी अनिवार्य है।	186
नमाज़ की निय्यत बाँधने के लिये एक हाथ को दूसरे हाथ पर बाँधने का बयान।........	187
निय्यत बाँधने के बाद कौन सी दुआ़ पढ़नी चाहिये।	188
नमाज़ में "बिस्मिल्लार्हिरह मार्निरहीम" बुलन्द आवाज़ से न पढ़े।	189
"बिस्मिल्ला र्हिरहमा निर्रहीम" के बारे में क्या हुक्म है।	190
नमाज़ में सूरः फ़ातिहा का पढ़ना फ़र्ज़ है।	190
कुरआन में जिस हिस्सा का पढ़ना सरल हो उसे पढ़ो।	192
इमाम के पीछे (सूरः फ़ातिहा के अ़लावा) कुरआन में से कुछ पढ़ना दुरुस्त है।	192
इमाम के पीछे "आमीन" ऊँची आवाज़ से कहने का बयान।	193
फ़ज्र की नमाज़ में कौन सी सूरः पढ़ी जाये।	193
जुह्र और अ़स्र की नमाज़ में कौन सी सूरः पढ़ी जाये।	194
मग़रिब की नमाज़ में कौन सी सूरः पढ़ी जाये।	194
अ़िशा की नमाज़ में कौन सी सूरः पढ़ी जाये।	194
इमाम के रुकूअ़ और सज्दा करने से पहले करना हराम है।	195
इमाम के सर उठाने से पहले सर उठाना हराम है।	195
रुकूअ़ में दोनों हथेलियों को मिला कर घुटनों के बीच में रखना।	196
दोनों हाथों को घुटनों के बीच में रखना मन्सूख़ है।	197
रुकूअ़ और सज्दे में कुरआन की आयत पढ़ना मना है।	197
रुकूअ़ और सज्दे में यह दुआ़ पढ़नी चाहिये।	198
रुकूअ़ से सर उठाए तो यह दुआ़ पढ़े।	198
सज्दे की फ़ज़ीलत का बयान।	199
सात जोड़ों पर सज्दा करने का बयान।	199
सज्दा दर्मियाना दर्जे को हो और दोनों कोहनियाँ उठाए रखे।	200
सज्दा में दोनों बाज़ू को चिपकाना मना है।	200
नमाज़ के किस तरह बैठें? बैठने के तरीक़ा का बयान।	200
नमाज़ के तशह्हुद पढ़ने का बयान।	201
नमाज़ में और दूसरी दुआ़यें पढ़ने का बयान।	203

नमाज़ में शैतान पर लानत भेजना और अल्लाह से पनाह माँगना।	204
दुरुद शरीफ़ पढ़ने का बयान।	205
नमाज़ के अन्त में सलाम फेरने का बयान।	206
सलाम फेरते समय हाथ से इशारा करना मना है।	206
सलाम फेरने के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाये।	207
सलाम फेरने के बाद "अल्लाहु अक्बर" कहने का बयान।	208
इमाम सलाम फेरने के बाद किस तरफ़ मुँह कर के बैठे?	209
इमामत का हक़दार कौन है?	209
नमाज़ में इमाम की पैरवी करनी चाहिये।	209
इमाम को नमाज़ पूरी, मगर हल्की पढ़ानी चाहिये।	210
इमाम अपना नाइब बना सकता है।	210
अगर इमाम न हो तो दूसरा नमाज़ी इमामत कर सकता है।	210
अज़ान की आवाज़ सुनने के बाद मस्जिद में आना ज़रुरी है।	213
जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत का बयान।	213
मस्जिद में बैठ कर जमाअ़त का इन्तिज़ार करना फ़ज़ीलत का काम है।	214
इशा और फ़ज्र की नमाज़ की फ़ज़ीलत का बयान।	214
जमाअ़त के साथ नमाज़ न पढ़ने वालों को सख़्त चेतावनी।	215
किसी मजबूरी से जमाअ़त में न पहुँचने की इजाज़त है।	216
नमाज़ को अच्छे ढंग से अदा करना ज़रुरी है।	217
सब से अफ़ज़ल नमाज़ वह है जिस में क़ियाम लंबा हो	218
नमाज़ की हालत में सलाम का जवाब इशारों से देना चाहिये।	219
नमाज़ में बात-चीत करने की इजाज़त मन्सूख़ है।	220
नमाज़ की हालत में ज़रुरत पड़ने पर "सुब्हानल्लाह" कहना चाहिये।	221
नमाज़ में आसमान की तरफ़ देखना मना है।	222
नमाज़ी के आगे से गुज़रना महापाप है।	222
नमाज़ी अपने सामने से गुज़रने वाले को सख़्ती से मना करे।	223
नमाज़ी किस चीज़ का सुत्रा बनाए।	223
बर्छी-भाला की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ना।	224
सुत्रा के आगे से गुज़रने की इजाज़त है।	224
नमाज़ में कमर पर हाथ रखना मना है।	225
नमाज़ में सामने थूकना मना है।	225
नमाज़ में जुमाई आये तो उसे रोकना चाहिये।	226
नमाज़ की हालत में बच्चे को गोद में उठा लेना दुरुस्त है।	226

नमाज़ की हालत में कंकरी हटाना दुरुस्त है।	227
नमाज़ में थूक को जूते से मल देना चाहिये।	227
नमाज़ में सर के बालों को बाँधना मना है।	227
पहले खाना खाये, फिर नमाज़ पढ़ें।	228
नमाज़ में भूल जाने पर सह्व के सज्दे करने का हुक्म।	228
कुरआन में तिलावत के सज्दों का बयान।	230
सुब्ह की नमाज़ में कुनूत की दुआ पढ़ने का बयान।	231
मग़रिब की नमाज़ में कुनूत पढ़ने का बयान।	232
फ़ज्र की दो सुन्नतों का बयान।	233
फ़ज्र की सुन्नतों में कौन-कौन सी सूरत पढ़नी चाहिये।	234
फ़ज्र की सुन्नत के बाद लेटने का बयान।	234
फ़ज्र की नमाज़ के बाद सूरज निकलने तक वहीं बैठा रहे।	235
चाश्त की नमाज़ का बयान।	235
चाश्त की नमाज़ दो रक्अ़त है।	235
चाश्त की नमाज़ चार रक्अ़त भी है।	235
चाश्त की नमाज़ आठ रक्अ़त भी है।	235
अव्वाबीन की नमाज़ का बयान।	236
दिन-रात में बारह रक्अ़त सुन्नतें पढ़ने का बयान।	236
हर अज़ान और इक़ामत के दर्मियान नमाज़ है।	237
दिन-रात में नफ़ली नमाज़ें पढ़ने का बयान।	238
मस्जिद में नफ़ली नमाज़ का पढ़ना दुरुस्त है।	238
नफ़ली नमाज़ घर में पढ़ने का बयान।	239
अल्लाह को वह इबादत पसन्द है जो हमेशा पढ़ी जाये।	239
इबादत उतनी करो, जितनी करने की ताक़त हो।	240
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की रात की नमाज़ों और दुआओं का बयान।	241
तहज्जुद की नमाज़ के लिये उठते समय दुआ पढ़ने का बयान।	242
रात की नमाज़ कितनी और किस तरह पढ़ी जाये।	243
रात की नमाज़ दो-दो रक्अ़त कर के पढ़ी जाये।	244
रात की नमाज़ खड़े-बैठे दोनों तरह पढ़ सकते हैं।	244
जब नमाज़ में नींद आये तो सो जाना चाहिये।	245
शैतान दिमाग़ में कैसे गाँठ लगाता है पैर बदल दें	245
रात में एक समय ऐसा भी आता है जिस में दुआ़ कुबूल होती है।	246

रात के अन्तिम समय में अल्लाह को याद करने का बयान। 246
बीमार की नमाज़ का बयान। 247

(वित्र की नमाज़ और सुन्नतों का बयान)

वित्र की नमाज़ रात में कब पढ़ी जाये। 250
सुब्ह होने से पहले-पहले वित्र की नमाज़ पढ़ लेनी चाहिये। 250
दो सूरतों को एक साथ मिला कर पढ़ सकते हैं। 251
रमज़ान में तहज्जुद की नमाज़ का बयान। 252
नमाज़ में नफ़्ली नमाज़ पढ़ने का बयान। 253

(जुमा की नमाज़ का बयान)

जुमा के दिन की फ़ज़ीलत का बयान। 256
जुमा के दिन के बर्कत वाले समय का बयान। 256
जुमा के दिन स्नान करने का बयान। 257
जुमा के दिन सब से पहले पहुँचने का बयान। 258
जुमा की नमाज़ के समय का बयान। 259
लकड़ी के मिंबर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने का बयान। 259
खुत्बा में क्या हुक्म दिया जाये। 260
खुत्बा संक्षिप्त में होना चाहिये। 263
मिंबर पर खुत्बा में कुरआन पाक पढ़ना दुरुस्त है। 264
खुत्बा में केवल उंगली से इशारा करना चाहिये। 264
सूरः जुम्अः की आयतों का बयान। 265
जुमा की नमाज़ में कौन सी सूरत पढ़ी जाये। 265
खुत्बा के दौरान किसी को मस्अला बताना दुरुस्त है। 266
दोनों खुत्बों के दर्मियान बैठना चाहिये। 266
खुत्बा हल्का और नमाज़ हल्की होनी चाहिये। 267
जुमा के दिन मस्जिद में आये तो तहिय्यतुल् मस्जिद पढ़े। 267
खुत्बा के दौरान दूसरे को चुप करने के लिये बोलना मना है। 268
खुत्बा कान लगा कर ग़ौर से सुनना चाहिये। 268
नमाज़ के बाद मस्जिद ही में सुन्नत पढ़ने का बयान। 268
नमाज़ के बाद घर जा कर सुन्नत पढ़ने का बयान। 269
जुमा की नमाज़ जान-बूझ कर न पढ़ने वाले की सज़ा का बयान। 270

(दोनों ईदों का बयान)

ईदैन की नमाज़ में अज़ान और इक़ामत नहीं है। 272

अ़ीदैन की नमाज़ ख़ुत्बा से पहले पढ़ी जाये। 273
अ़ीदैन की नमाज़ से पहले और बाद में कोई नमाज़ नहीं। 274
महिलायें भी नमाज़ पढ़ने के लिये अ़ीदगाह जायें। 274
अ़ीदैन की नमाज़ में कौन–कौन सी सूरतें पढ़ी जायें। 274
अ़ीदैन के दिन बच्चियाँ तराने (गीत) गा सकती है। 276

(मुसाफ़िर की नमाज़ का बयान)

रास्ता में कोई डर न हो, फिर भी नमाज़ में क़स्र करना दुरुस्त है। 279
कितनी दूरी के सफ़र में क़स्र जाइज़ है। 280
हज्ज के लिये सफ़र में भी क़स्र जाइज़ है। 281
मिना के मैदान में नमाज़ क़स्र कर के पढ़ी जाये। 282
यात्रा में दो नमाज़ों को मिला कर पढ़ना दुरुस्त है। 282
घर पर भी दो नमाज़ों को मिला कर पढ़ना दुरुस्त है। 283
वर्षा में अपने घर ही में नमाज़ पढ़ लेना दुरुस्त है। 283
सफ़र में सुन्नतें न पढ़ने की रुख़्सत है। 284
सफ़र में सवारी पर नफ़्ली नमाज़ पढ़ने का बयान। 284

(ख़ौफ़ की नमाज़ का बयान)

ख़ौफ़ के समय किस प्रकार जमाअ़त से नमाज़ पढ़ी जाये। 286

(सूरज–चाँद ग्रहण की नमाज़)

सूरज ग्रहन के समय नमाज़ पढ़ने का बयान 288

(वर्षा के लिये नमाज़ पढ़ने का बयान)

पानी के लिये नमाज़ पढ़ने का बयान 291
वर्षा की बर्कत का बयान। 291
आँधी–तूफ़ान के समय अल्लाह की पनाह माँगने का बयान। 292
पुवा और पुछवा हवा का बयान। 294

(जनाज़ा की नमाज़ का बयान)

बीमार लोगों की बीमार पुर्सी का बयान। 295
बीमार के पास जाये तो क्या कहे। 296
बीमार के सामने "लाइला–ह इल्लल्लाह" पढ़ना चाहिये,

उसे पढ़ने पर मजबूर नहीं करना चाहिये।	297
जो अल्लाह से मिलना चाहता है, अल्लाह भी उस से मिलना चाहता है।	297
मौत के समय अल्लाह से नेक आशाएँ रखनी चाहिये।	298
मरने के बाद आँखें बन्द कर देनी चाहिये।	298
मय्यित के शव को कपड़े से ढक देना चाहिये।	299
मोमिनों और काफ़िरों की रुहों का बयान।	299
मुसीबत में सब्र करने का बयान।	300
संतान (औलाद) के मर जाने पर सब्र करने का सवाब मिलता है।	301
मुसीबत के समय क्या कहना चाहिये।	301
मय्यित पर रोना-चिल्लाना, मातम करना हराम है।	302
जो गरीबन फाड़ कर, मुँह नोच कर मातम करे वह हम से नहीं।	303
ज़िन्दा के रोने से मुर्दा को क़ब्र में अज़ाब होता है।	303
मय्यित को नहलाने का बयान।	304
मय्यित को अच्छे से अच्छा कफ़न देना चाहिये।	305
जनाज़ा जल्दी ले जाना चाहिये।	306
जनाज़ा के पीछे महिलाओं का जाना मना है।	307
जनाज़ा देख कर खड़ा हो जाना चाहिये।	308
जनाज़ा देख कर खड़े होने का हुक्म मन्सूख़ है।	308
जनाज़ा के सामने इमाम कहाँ खड़ा हो।	308
जनाज़ा की नमाज़ में कितनी तक्बीरें कहीं जायें।	308
नमाज़ में मय्यित के लिये कौन सी दुआ पढ़ी जायें।	309
जनाज़ा की नमाज़ मस्जिद में भी दुरुसत है।	310
क़ब्र पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़ने का बयान।	311
खुदकुशी (आत्महत्या) करने वाले की जनाज़ा का क्या हुक्म है।	312
जनाज़ा में 100 लोग हों तो उन की सिफ़ारिश कुबूल होती है।	314
जनाज़ा में 40 लोग हों तो उन की सिफ़ारिश कुबूल होती है।	314
मुर्दों की अच्छाई-बुराई बयान करने की अनुमति है।	314
जनाज़ा की नमाज़ पढ़ कर सवारी से लौटना जाइज़ है।	315
क़ब्र में चादर डालने का बयान।	315
क़ब्र में लहद कैसी बनाई जाये।	315
क़ब्रों को बराबर रखना चाहिये।	316
क़ब्रों पर कुब्बा (गुबन्द) आदि बनाना मना है।	316
क़ब्र में जन्नत या जहन्नम में उस का ठिकाना दिखाया जाता है।	316

क़ब्र में फ़रिश्तों के प्रश्न करने का बयान। 317
क़ब्र के अ़ज़ाब और उस से पनाह माँगने का बयान। 318
यहूदियों को उन की क़ब्र में अज़ाब होता है। 319
क़ब्रों की ज़ियारत करने का बयान। 320
क़ब्र वालों को सलाम करने और उन्हें दुआयें देने का बयान। 321
क़ब्रों पर बैठना और उधर मुँह कर के नमाज़ पढ़ना मना है। 322

(ज़कात के मसाइल का बयान)

खेती की पैदावार और जानवरों में ज़कात का बयान। 326
किस पैदावार में दस्वाँ हिस्सा ज़कात है। 327
जिहाद के घोड़े और गुलाम में ज़कात नहीं। 327
वर्ष पूरा होने से पहले भी ज़कात निकाली जा सकती है। 328
ज़कात न निकालने वाले का क्या हुक्म है? 329
काफ़िरों को सख़्त दन्ड दिये जाने का बयान। 331
ज़कात की वसूली करने वालों को खुश रखना चाहिये। 331
सदक़ा लाने वाले के लिये दुआ देने का बयान। 332
किसी के ईमान को मज़बूत करने के लिये
उसे ज़कात देने का बयान। 332
इस्लाम की तरफ़ माइल करने के लिये उन्हें ज़कात देने का बयान। 333
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और उन के
खान्दान वालों पर ज़कात हराम है। 335
नबी के ख़ान्दान वाले ज़कात की वसूली भी नहीं कर सकते। 336
किसी ग़रीब को ज़कात मिला, उस ने उसे किसी मालदार के
तोहफ़ा में दे दिया तो उस का खाना जाइज़ है। 337
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उपहार
लेते और सदक़ा कर देते थे। 338

(सदक़-ए-फ़ित्र का बयान)

जौ या खजूर सदक़-ए-फ़ित्र में देने का बयान। 341
सदक़ा में अन्गूर, पनीर और खाने की चीज़ें देने का बयान। 341
सदक़ा देने के लिये दूसरों को उत्साहित करना (उभारना) चाहिये। 343
पति और औलाद पर सदक़ा करने का बयान। 344
निकट रिश्तेदारों को सदक़ा-ख़ैरात कराने का बयान। 345
अपने मामूँ को सदक़ा देने का बयान। 346

मुश्रिक माता के साथ अच्छा व्यवहार करने का बयान।	346
मुर्दा की तरफ़ से सदक़ा-ख़ैरात करने का बयान।	347
ग़रीबों और मुहताजों को सदक़ा देने का बयान।	347
सदक़ा-ख़ैरात कर के दोज़ख से बचो अगर्चे खजूर के टुक्ड़े ही क्यों न खैरात करो।	347
दूध देने वाले जानवर का सदक़ा करना अफ़ज़ल है।	349
अल्लाह पाक हलाल कमाई का सदक़ा क़ुबूल करता है।	350
छोटी-मोटी चीज़ें ख़ैरात करने को मामूली नहीं समझना चाहिये।	351
सूरः तौबा की आयत न॰ 79 की तफ़्सीर।	352
हर नेकी का काम सदक़ा है।	353
शरीर के हर जोड़ के बदले सदक़ा करना वाजिब है।	354
अगर सदक़ा ग़लत आदमी को पहुँच जाये तो वह भी क़ुबूल होगा।	354
ख़ैरात करने और कन्जूसी करने वालों का बयान।	355
सदक़ा ख़ैरात को और गिन-गिन कर न दो।	355
पत्नी, घर के माल में से थोड़ा-बहुत ख़ैरात कर सकती है।	356
गुलाम भी मालिक की इजाज़त के बिना थोड़ा-बहुत ख़ैरात कर सकता है।	357
हाथ फैला कर माँगने से हर संभव बचना चाहिये।	358
लोगों के सामने हाथ फैला कर माँगना बहुत बुरा है।	359
ऊपर वाला हाथ, नीचे वाले हाथ से बेहतर है।	360
मालदार वह नहीं, जिस के पास माल हो।	362
बिना माँगे मिल जाये तो उसे क़ुबूल कर लेना चाहिये।	364
किस के लिये माँगना जाइज़ है? और किस के लिये नाजाइज़?	365
अगर कोई चिमट-लिपट कर माँगे तो उसे दे देना चाहिये।	365

(रोज़ा के मसाइल का बयान)

रोज़ा रखने की फ़ज़ीलत का बयान।	368
रमज़ान के महीने की फ़ज़ीलत का बयान।	368
रमज़ान से एक-दो दिन पहले रोज़ा रखना मना है।	369
चाँद देख कर रोज़ा रखना चाहिये।	369
रमज़ान का महीना 29 दिन का भी होता है।	370
हर मुल्क के लोगों के लिये उन का अपना चाँद होता है।	372
ईद के दोनों महीने 29 के नहीं होते हैं।	373
रोज़ा रखने के लिये सहरी खाने का बयान।	373

रोज़ा रखने के लिये सहरी खाने का बयान।	373
सहरी किताब (देर) से खानी चाहिये।	373
सूरः बक़र की आयत न॰ 187 का बयान।	374
बिलाल रज़ि॰ सहरी और तहज्जुद के लिये अज़ान कहते हैं।	375
फ़ज्र के बाद तक नापाकी की हालत में रहने से रोज़ा नहीं टूटता।	375
भूल कर खा–पी लेने से रोज़ा नहीं टूटता।	376
रोज़ादार को खाने पर बुलाया जाये तो कह दे मैं रोज़े से हूँ।	377
रोज़ा की हालत में संभोग करने पर कफ़्फ़ारा का बयान।	377
रोज़ा की हालत में बोसा लेने–देने का बयान।	378
सूरज डुबते ही तुरन्त इफतार कर लेना चाहिये।	379
इफ़्तार में जल्दी करनी चाहिये।	379
विसाल का रोज़ा रखना मना है।	380
सफ़र में रोज़ा रखने–न रखने का बयान।	381
सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी का काम नहीं है।	381
सफ़र में रोज़ा रखने–न रखने में एतराज़ नहीं करना चाहिये।	382
ताक़त जुटाने के लिये रोज़ा न रखना दुरूस्त है।	382
सफ़र में रोज़ा रखना, या न रखना दोनों का इख़्तियार है।	383
रमज़ान के छूटे हुये रोज़ों की क़ज़ा शाबान में करनी चाहिये।	383
मय्यित के छूटे हुये रोज़ों की क़ज़ा शाबान में करनी चाहिये।	384
सूरः बक़र की आयत 184 का बयान।	385
और दूसरे महीनों में रोज़ा रखने–न रखने का बयान।	386
आ़शूरा का रोज़ा रखने की फ़ज़ीलत का बयान।	387
शाबान के रोज़ों की फ़ज़ीलत का बयान।	388
शाबान के पहले दो दहे में रोज़ा रखने का बयान।	389
शव्वाल के छः रोज़ों कीर फ़ज़ीलत का बयान।	389
ज़िलहिज्जा की दस्वीं को रोज़ा न रखने का बयान।	390
अ़रफ़ात के दिन रोज़ा रखने का बयान।	390
अ़रफ़ात के दिन हाजियों को रोज़ा रखना मना है।	391
अ़ीदैन के दिन रोज़ा रखना मना है।	392
तशरीफ़ के दिनों में रोज़ा रखना मना है।	392
पीर (सोमवार) के दिन रोज़ा रखना कैसा है?	393
केवल जुम्अ़ः के दिन रोज़ा रखना मना है।	393
हर महीना में तीन रोज़ें रखने का बयान।	394

बिना नाग़ा रोज़ा रखना मना है। 394
दावूद अ़लै॰ का रोज़ा रखने का तरीक़ा सबसे अफ़ज़ल है। 396
नफ़ली रोज़ा रख कर चाहे तो तोड़ सकता है। 396

(एतिकाफ़ के मसाइल का बयान)

एतिकाफ़ के लिये मस्जिद में कब बैठना चाहिये। 398
पहले और दूसरे दहे में एतिकाफ़ करने का बयान। 399
अन्तिम दहे में एतिकाफ़ करने का बयान। 400
अन्तिम दहे में अधिक से अधिक इबादत करने का बयान। 400
क़द्र वाली रात को अन्तिम देह में तलाश करें। 400
क़द्र वाली रात 21 वें को भी हो सकती है। 400
क़द्र वाली रात 23 वीं को भी हो सकती है। 400
क़द्र वाली रात 25वीं को भी हो सकती है। 401

(हज्ज के मसाइल का बयान)

हज्ज पूरे जीवन में एक बार फ़र्ज़ है। 404
हज्ज और उम्रा के सवाब का बयान। 405
अन्तिम हज्ज के मौक़ा पर समस्त दुनिया वालों के नाम
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल्म का सन्देश। 406
अ़रफ़ात के दिन की फ़ज़ीलत का बयान। 406
सवारी पर सवार होते समय क्या पढ़ें? 407
महिला अपने महरम के साथ हज्ज करे। 408
बच्चे के हज्ज करनेऔर उसे कराने वाले के सवाब का बयान। 409
जो सवारी पर सवार न हो सके उस की तरफ़ से हज्ज करने का बयान। 409
हैज़-निफ़ास वाली महिलायें किस प्रकार एहराम बाँधे। 410
हज्ज और उम्रा का एहराम बाँधने के स्थान का बयान। 411
एहराम बाँधने से पहले खुश्बू लगाना जाइज़ है। 412
मुश्क (कस्तूरी) सब से अच्छा खुश्बू है। 413
ऊद और काफ़ूर का बयान। 413
'रैहान' एक खुश्बूदार घास का बयान। 413
मस्जिद जुल् हुलैफ़ा से एहराम बाँधने का बयान। 413
हज्ज के लिये लब्बैक मक्का से पुकारने का बयान। 414
तलबिया (लब्बैक) पुकारने का बयान। 415

हज्ज और उम्रा के तलबिया (लब्बैक) का बयान।	417
हज्जे-इफ़राद का बयान।	417
हज्जे-किरान का बयान।	418
हज्जे-तमत्तो का बयान।	419
जिस ने हज्ज के लिये एहराम बाँधा और उस के साथ जानवर भी हो।	419
हज्ज और उम्रा दोनों को पूरा करने का बयान।	420
हज्जे-किरान में कुर्बानी अनिवार्य है।	422
हज्जे-तमत्तो में कुर्बानी करने का बयान।	423
एहराम बाँधते समय शर्त करना दुरुस्त है।	425
खुश्बू लगा हुआ कपड़ा पहन कर एहराम बाँधने का क्या हुक्म है?	426
एहराम किस प्रकार के वस्त्र का हो और क्या न पहने?	427
क्या एहराम बाँधने वाला शिकार का माँस खा सकता है?	428
एहराम न बाँधने वाले ने शिकार किया तो मुहरिम उस शिकार का माँस खा सकता है।	429
एहराम की हालत में भी किन-किन जानवरों को मारना जाइज़ है?............	429
मोहरिम, एहराम की हालत में पोछना लगवा सकता है।	430
एहराम की हालत में आँख में दवा डालना जाइज़ है।	430
मोहरिम अपने सर को धो सकता है।	431
मुहरिम के हर्जाना (फ़िदया) देने का बयान।	432
मुहरिम हाजी के कफ़न-दफ़न का बयान।	432
"जी तुवा" में रात बिताना और मक्का में दाख़िल होने से पहले स्नान करने का बयान ।	433
मक्का-मदीना में एक रास्ता से दाख़िल होना और दूसरे रास्ते से निकलने का बयान।	433
हाजियों के मक्का में उतरने का बयान।	433
सफ़ा-मर्वा के दर्मियान दुल्की चाल चलने का बयान।	434
तवाफ़ के दौरान हजरे-अस्वद को बोसा लेने का बयान।	435
सवारी पर बैठ कर तवाफ़ करने का बयान।	436
मजबूरी में सवारी पर तवाफ़ करने का बयान।	437
सफ़ा-मर्वा के दर्मियान सअ़ी करने का बयान।	437
काबा के अन्दर होने और उस के अन्दर नमाज़ पढ़ने का बयान।	439
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अन्तिम हज्ज का बयान।	440
मिना से अ़रफ़ात को रवाना होते समय लब्बैक पुकारना।	446

अ़रफ़ात के मैदान में ठहरने का बयान।	447
सूर: बक़र: की आयत न॰ 199 की तशरीह।	447
अ़रफ़ात से लौट कर मुज़्दल्लिफ़ा में नमाज़ पढ़ने का बयान।	447
अ़रफ़ात से वापस हो तो किस प्रकार चले?	448
मुज़्दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ पढ़ने का बयान।	449
मुज़्दलिफ़ा में फ़ज्र की नमाज़ अँधेरे में पढ़ने का बयान।	450
बीमार और कमज़ोर लोग मिना के लिये रात ही में रवाना हो सकते हैं।	451
पहले जमुरा को कंकरियाँ मारने का बयान।	452
दूसरे जमुरा को कंकरियाँ मारने का बयान।	452
सवारी पर सवार होकर कंकरियाँ मारने का बयान।	453
कंकरियाँ कितनी बड़ी होनी चाहिये।	454
कंकरियाँ मारने का समय क्या है?	454
जमुरों को ताक़ मतर्बा कंकरियाँ मारनी चाहिये।	455
हज्ज के दौरान बाल मुँडाने का बयान।	455
पहले कंकरियाँ मारे, फिर बाल मुडाँए।	456
हज्ज में सर मुँडाने और बाल काटने का बयान।	456
जिस ने कुर्बानी करने से पहले ही सर मुँडा लिया।	456
क़ुर्बानी के जानवर के गले में हार डालने का बयान।	457
क़ुर्बानी के ऊँट पर सवारी करना जाइज़ है।	458
क़ुर्बानी के जानवर में साझी बना जा सकता है।	459
गाय की कुर्बानी का बयान।	460
ऊँट को खड़ा कर के नह्र करना चाहिये।	460
क़ुर्बानी का माँस और उस का झोल ख़ैरात कर देना चाहिये।	461
क़ुर्बानी के दिन वापसी का तवाफ़ करना दुरुस्त है।	461
जिस ने काबा का तवाफ़ कर लिया वह हलाल हो गया।	462
हज्ज और उम्रा का एहराम बाँधने वाला कब एहराम खोले।	463
बारहवीं तिथि को मुहस्सब की वादी में ठहरना।	463
ज़मज़म पिलाने वाले रात कहाँ बिताएँ।	464
हज्ज कर लेने के बाद मुहाजिर कितने दिन मक्का में रहे।	465
अन्तिम तवाफ़ से पहले कोई वापस न लौटे।	465
अन्तिम तवाफ़ से पहले महिला माहवारी से हो जाये तो क्या करे।	465
हज्ज के महीना में भी उम्रा करना जाइज़ है।	466
रमज़ान के महीना में उम्रा करना जाइज़ है।	467

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कितनी बार उम्रा किया?	467
हैज़ वाली महिला उम्रा की क़ज़ा करे?	468
जब हज्ज कर के वापस लौटे तो हाजी क्या कहे?	469
हज्ज-उम्रा के बाद लोटते समय ज़ुलहुलैफ़ा में रात गुज़ारे।	469
मक्का के जानवरों को न भड़काया जाये।	470
मक्का के पेड़-पौधों को काटना हराम है।	470
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़त्ह मक्का के दिन मक्का में बिना एहराम बाँधे दाख़िल हुये।	472
मदीना भी हराम है, इसलिये वहाँ के पेड़-पौधों को भी न उखाड़ा जाये।	475
मदीना में ठहरने और भूख-पियास पर सब्र करने का बयान।	478
मदीना में ताऊन (प्लेग) और दज्जाल नहीं घुस सकता।	478
मदीना, मैल-कुचैल को निकाल बाहर कर देता है।	478
मदीना की हालत का बयान, जब लोग उसे छोड़ देंगे।	480
क़ब्र और मिंबर के बीच वाली जगह का बयान।	480
केवल तीन मस्जिदों के लिये ही सफ़र का इरादा किया जाये।	481
मस्जिदे-नबवी और बैतुल्लाह शरीफ़ में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत का बयान।..........	481
उस मस्जिद का बयान जिस की बुनियाद तक़्वा पर रखी गयी है।	482
क़ुबा की मस्जिद की फ़ज़ीलत का बयान।	482

(निकाह के मसाइल का बयान)

निकाह करने का आदेश का बयान।	484
दुनिया की सब से अच्छी पूँजी नेक पत्नी है।	486
दीनदार महिला से निकाह करने का बयान।	486
कुँवारी महिला से निकाह करने का बयान।	486
कोई भाई अपने भाई के संदेश पर संदेश न भेजे।	487
निकाह से पहले महिला को देख लेना चाहिये।	487
बेवा और कुँवारी दोनों ही से अनुमति लेनी चाहिये।	488
निकाह की शर्तों का बयान।	490
छोटपने में ही निकाह कर देना दुरुस्त है।	490
लौंडी को आज़ाद कर के उस से निकाह कर लेना बेहतर है।	491
'शिग़ार' के निकाह का बयान।	493
मुत्अ़ा के निकाह का बयान।	493

मुत्अ़ा का निकाह अब हमेशा के लिये हराम है।	495
एहराम की हालत में निकाह का पैग़ाम भेजना हराम है।	496
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नियों के महर का बयान।	498
कुर्आन पढ़ाने की शर्त पर महिला से निहाह जाइज़ है।	498
सूरः अहज़ाब क एक आयत की तफ़सीर।	499
शव्वाल महीना में निकाह करने का बयान।	499
निकाह के बाद वलीमा का बयान।	500
वलीमा की दावत स्वीकार करना चाहिये।	502
संभोग के समय की दुअ़ा का बयान।	502
तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं।	503
जो महिला पति के बुलाने पर उस के पास न आये उस पर	504
पत्नी की बातों को दूसरों से बयान करना हराम है।	504
अ़ज़्ल करने का बयान।	505
दूध पिलाने वाली से संभोग करना जाइज़ है।	506
गर्भवती लौंडी से संभोग करना मना है।	507
पत्नियों के दर्मियान पारी मुक़र्रर करने का बयान।	508
एक महिला अपनी पारी अपनी सौकन को दे सकती है।	509
पत्नियों के साथ नर्मी का बर्ताव करने का बयान।	510
हव्वा न होती तो महिला अपने पति के साथ ख़ियानत न करती।	511
बीवी-बच्चों पर ख़र्च करने की फ़ज़ीलत का बयान।	511
पत्नी अपने पति के माल से उस के बच्चों पर ख़र्च कर सकती है।	512
एक गुलाम के दो मालिक हैं, एक मालिक अपना हिस्सा आज़ाद कर दे तो?	512
गुलाम आज़ाद करने में कुरा डालने का बयान।	512
आज़ाद करने वाले को गुलाम का तर्का मिलेगा।	512
आज़ाद लौंडी को अपने गुलाम पति के साथ रहने या न रहने का इख़्तियार है।	513
'वला' का बेचना या किसी को देना जाइज़ नहीं।	513
मालिक जब गुलाम को मारे तो बदले में उसे आज़ाद कर दे।	514
यात्रा से घर लौटे तो पत्नी को पहले से सूचित कर दे।	514

(तलाक़ के मसाइल का बयान)

अगर हैज़ की हालत में पत्नी को तलाक़ दे,
तो उस तलाक़ का क्या हुक्म है? 516
एक मज्लिस की तीन तलाक़ एक मानी जायेगी। 516
तीन तलाक़ देने के बाद पत्नी जब तक दूसरे से निकाह कर के
उस से हमबिस्तरी न कर ले, पहले पति से निकाह
नहीं कर सकती। 517
किसी हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लेना दुरुस्त नहीं। 517
सूरः तहरीम की आयत न॰ 1 की तशरीह। 518
पति चाहे तो अपनी पत्नी को तलाक़ का इख़्तियार दे सकता है। 519
सूरः तहरीम की आयत न॰ 4 की तशरीह। 521

(अिद्दत का बयान)

विधुवा गर्भवती महिला की अिद्दत बच्चा जन देते तक है। 525
अिद्दत के दर्मियान महिला अपने खजूर के पेड़ से
खजूर तोड़ने बाहर जा सकता है। 526
अिद्दत गुज़ारने वाला घर अगर ठीक न हो
तो उसे महिला छोड़ सकती है। 526
अिद्दत बिताने के बाद महिला जहाँ चाहे निकाह करने में आज़ाद है। 528
अिद्दत के दर्मियान सुर्मा–काजल लगाना मना है। 530
अिद्दत के दर्मियान खुश्बू लगाना और रंगीन कपड़ा पहनना मना है। 530

(लिआ़न के मसाइल का बयान)

पति अगर अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के पास देखे तो क्या करे? 531
अगर कोई अपना बच्चा होने का इन्कार करे। 535
बच्चा उस का माना जायेगा जिस के बिस्तर पर पैदा हो। 535
हाथ–पैर देख कर बताने वाले की बात मानी जायेगी। 536

(दूध पिलाने के मसाइल का बयान)

दूध पिलाने से बच्चा वैसे ही हराम हो जाता है जैसे
अपने पेट से पैदा करने से। 538
दूध की हुर्मत पति के मनी से होती है। 539
दूध शरीक भतीजी से निकाह हराम है। 539

पत्नी के पहले शौहर की लड़की से निकाह हराम है। 540
दो-बहनों को एक साथ जमा करना हराम है। 540
एक-दो मतर्बा दूध पिलाने का क्या हुक्म है? 541
पाँच मर्तबा दूध पिलाने का क्या हुक्म है? 541
जवान लड़के को दूध चुसाने से क्या हुर्मत साबित हो जायेगी? 542
अगर भूख के समय दूध पीये तो उसे पीना कहा जायेगा। 543
इस से संबन्धित चन्द और मसाइल का बयान। 544

(बीवी-बच्चों पर ख़र्च करने का बयान)

पहले अपने ऊपर, फिर बाल-बच्चों पर, फिर निकट के रिश्तेदारों पर ख़र्च करे।........ 545
तीन तलाक़ वाली महिला के खाना-ख़र्चा का ज़िम्मा पति के ऊपर नहीं है। 547

(गुलाम आज़ाद करने का बयान)

गुलाम आज़ाद करने की फ़ज़ीलत का बयान। 550
बेटे का बाप को आज़ाद करना कैसा है। 550
लौंडी-गुलाम पर ज़िना का आरोप लगाना पाप है। 555
गुलामों को वही खिलाओ जो स्वँय खाओ। 556
मालिक के मरने के बाद आज़ाद होने वाले गुलाम को बेचना जाइज़ है। 557
वह गुलाम जो मलिक की सेवा भी करे और अल्लाह की इबादत भी 557

(व्यापार के मसाइल का बयान)

गेहूँ का सौदा गेहूँ से बराबर-बराबर होना चाहिये। 559
क़ब्ज़ा लेने से पूर्व उस का बेचना दुरुस्त नहीं। 560
सामान ख़रीदने के बाद उसे उस स्थान से हटा देना ज़रुरी है। 561
पानी-तौली चीज़ को, बिना नापे-तौले, ढेर से बेचना दुरुस्त नहीं। 562
खजूर का सौदा खजूर से बराबर-बराबर हो। 562
खजूर के ढेर को मापी हुयी खजूर से बेचना दुरुस्त नहीं। 563
पकने से पहले माल को बेचना दुरुस्त नहीं। 563
माल को अधपका होने तक पेड़ में न बचा जाये। 563
'मुज़ाबना' की तिजारत का बयान। 564

केवल "अ़राया" में लेन-देन अनुमान से जाइज़ है।	565
ग़रीब आदमी कितनी यात्रा में "अ़राया" कर सकता है?	565
फल बेचने के बाद नष्ट हो जाये तो घाटा कौन सहेगा?	566
पेड़ में लगे फल झड़ जायें तो ख़रीदने वाला क्या करे?	566
किसी ने फलदार पेड़ ख़रीदा तो फल किस का होगा?	567
'मुख़ाबरा' और 'मुहाक़ला' का बयान।	567
कई वर्षों के लिये किसी पेड़ का सौदा कर लेना दुरुस्त नहीं।	568
दो गुलाम के बदले एक गुलाम को बेचना दुरुस्त है।	569
बकरी का दूध रोक कर बेचा, तो इस का क्या हुक्म है?	569
जिस का खाना हराम, उस का व्यापार भी हराम।	570
शराब का व्यापार हराम है।	570
मुर्दा जानवर और बुतों का व्यापार हराम है।	571
कुत्ते की क़ीमत और रन्डी की कमाई हराम है।	571
बिल्ली की तिजारत यह भी वाहियात है।	572
पोछना लगाने वाले की कमाई गन्दी है।	572
पोछना लगाने वाले की कमाई हलाल है।	572
'हबलुल् हबला' और 'मुनाबज़ा' का सौदा करना हराम है।	573
कंकर मार कर सामान लेना-देना हराम है।	574
व्यापार में "नजश" नाजाइज़ है।	574
अपने भाई के सौदा पर सौदा करना नाजाइज़ है।	575
मन्डी में माल आने से पहले ही ख़रीद लेना नाजाइज़ है।	575
शहर का आदमी, दीहाती का माल न बेचे।	576
ग़ल्ला जमा कर के रख लेना और न बेचना नाजाइज़ है।	576
सौदा का लेन-देनमन्सूख़ करने का हक़ कब तक है।	577
ईमानदारी से सौदा करना, इस से बर्कत है।	577
जो ख़रीदारी में अक्सर धोखा खा जाये वह क्या करे।	578
धोख़ेबाज़ का मेरे से कोई संबन्ध नहीं।	578
सोने को नक़द बेचना जाइज़ है।	579
सोना को सोने से बराबर-बराबर बेचा जाये।	580
सोना को चाँदी के बदले उधर बेचना नाजाइज़ है।	581
सूद खाने और खिलाने वाले पर लानत है।	583
लेन-देन में क़सम खाना मना है।	583
सवारी की शर्त पर ऊँट बेचना दुरुस्त है।	585

क़र्ज़ में थोड़ा–बहुत माफ़ कर देना अच्छी बात है।	586
क़र्ज़दार को और मोहलत देना नेकी का काम है।	587
सामान रहन (गिरवी) रखने का बयान।	588
पेड़ के फलों में "सलफ़" करने का बयान।	589
"शुफ़्आ" का बयान।	589
पड़ोसी की दीवार में खूँटी गाड़ना जाइज़ है।	590
किसी का भूमि हड़प लेना महापाप है।	591
रास्ता और गली के लिये कितनी जगह छोड़ी जाये।	591

(खेती–बाड़ी के मसाइल का बयान)

भूमि को किराया देना मना है।	592
अनाज के बदले खेती की भूमि किराया पर देना मना है।	592
सोने–चाँदी के बदले देना कैसा है?	593
भूमि को ठेका पर देने का बयान।	594
किसी को भूमि उपहार में दे देना सब से बेहतर है।	594
सींचाई और भूमि का मामलाा खेती और फल के बदले करना कैसा है?	595
ज़रुरत से अधिकम पानी को बेचना दुरुस्त नहीं है।	596

(वसिय्यत का बयान)

जिस के पास माल हो उस को वसिय्यत के लिये तवज्जोह दिलाना चाहिये।	598
एक तिहाई से अधिक की वसिय्यत दुरुस्त नहीं।	599
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम वसिय्यत यह थी कि कुरआन व हदीस पर अ़मल किया जाये।	600
मुश्रिकों को निकालने और दूतों के साथ अच्छा व्यवहार करने की वसिय्यत।	601
सदक़ा कर के उसे वापस लेना मना है।	602
एक पुत्र को जितना दें उतना ही सब को दिया जाये।	602
'उम्रा' (यानी किसी को उस के मरने तक के लिये कुछ देना) इस का क्या हुक्म है?	603
'रुक़्बा' यानी किसी को देने के बाद उस के मरने का इन्तिज़ार करना। इस का क्या हुक्म है?	603
विरासत का बयान वारिसों का उन का हिस्सा दो।	605

(वक़्फ़ का बयान)

भूमि को अपनी मिलकियत में रखना और पैदावार को वक़्फ़ कर देना जाइज़ है। 607

मरने के बाद भी वक़्फ़ की चीज़ों का सवाब मिलता है। 607

मरने वाले ने सदक़ा नहीं किया, लेकिन उस की ओर से सदक़ा किया गया तो उसे सवाब मिलेगा। 608

(नज़र के मसाइल का बयान)

केवल अल्लाह की आज्ञा के काम की नज़र माननी जाइज़ है। 609

नज़र को पूरी करना अनिवार्य है (अगर वह जाइज़ है) 610

काबा तक पैदल चलने की नज़र जाइज़ नहीं। 610

नज़र मानना ही दुरुस्त नहीं, क्योंकि नज़र तक़दीर का लिखा बदल नहीं सकती। 611

जिस चीज़ का मालिक न हो, उस की नज़र मान कर उसे पूरा नहीं किया जायेगा। 612

जाइज़ नज़र मान कर उसे पूरी न करने का कफ़्फ़ारा क्या है। 614

नज़र से संबन्धित और कुछ अहम मसाइल का बयान। 614

(क़सम के मसाइल का बयान)

बाप-दादा की क़सम खाना मना है। 615

बुतों और झुठे खुदाओं की क़सम खाना मना है। 616

झूठी क़सम खा कर किसी का हक़ मारने पर जहन्नम वाजिब हो जाती है। 617

क़सम खाने के बाद उस के ख़िलाफ़ कर के क़सम तोड़ दे तो उस का कफ़्फ़ाराअदा करे। 618

क़सम का कफ़्फ़ारा की क्या हैसिय्यत है। 619

क़सम से संबन्धित कुछ और अहम मसाइल का बयान। 619

(बदला लेने का बयान)

ख़ून, धन-माल और प्रतिष्ठा (इ़ज़्ज़त) के हराम होने का बयान। 620

क़ियामत के दिन सब से पहले हत्या के मामलात निबटाए जायेंगे। 621

मुसलमान के खून को कौन सी चीज़ हलाल करती है। 622

जो व्यक्ति इस्लाम से फिर जाये उस की सज़ा का बयान। 622
जिस ने सर्वप्रथम हत्या की बुनियाद डाली उस के गुनाह का बयान। 623
खुदकुशी (आत्महत्या) करने वाले के दन्ड का बयान। 624
जिस ने किसी की पत्थर मार कर हत्या की, उस की भी बदले में पत्थर मार कर हत्या की जायेगी। 625
किसी ने किसी को दाँत काटा और उस से अपना हाथ खींच लिया 626
घाव का भी बदला है, मगर यह कि वादी हर्जाना पर राज़ी हो जाये। 629
किसी ने अपनी हत्या स्वीकार कर ली लेकिन वादी ने माफ़ कर दिया। 629
किसी ने गर्भवती महिला के पेट के बच्चे को मार डाला और वह भी मर गयी तो इस का क्या हुक्म है? 630
वह घाव, अथवा नुक़सान जिस का कोई हर्जाना नहीं। 630

बाबुल् क़सा–मति

क़सम खिलाने के मसाइल का बयान
पहले क़सम कौन खाये। 631
जाहिलिय्यत के ज़माना के क़सम का बयान। 632
इस विषय पर चन्द अहम मसाइल की तफ़सील का बयान। 633

हद जारी करने का बयान

शादी–शुदा और कुँवारा ज़िना करने वाले की सज़ा का बयान। 634
शादी शुदा ज़िना करने वाले को रज्म किया जाये। 635
जो खुद ही ज़िना का इक़रार कर ले उस की सज़ा का बयान। 636
अगर कोई स्वँय ही चार बार ज़िना का इक़रार करे तो उसे रज्म किया जाये। 637
रज्म करते समय गड्ढा में कमर तक बाड़ दिया जाये। 637
ज़िम्मी यहूदी को भी रज्म किया जायेगा। 638
अगर लौंडी ज़िना करे तो उसे कोड़े मारे जायेंगे। 639
मालिक अपने गुलाम पर हद जारी करे। 640
हद से संबन्धित कुछ और अहम मसाइल का बयान। 640

समाप्त

★★★

बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम

अनुवादक की ओर से

अल–हम्दु लिल्ललाहि वस्सलातु वस्सलामु

अ़ला रसूलिल्लाहिः अम्मा बादु!

मुख़्तसर सहीह मुस्लिम पुस्तक की 2179 हदीसों का आसान, सहज और सरल हिन्दी में अनुवाद और तशरीह आपके हाथों में है। फ़ल्–हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आ़–लमीन्। "मुख़्तसर" शब्द पढ़ कर शायद कुछ लोगों को यह ख़याल गुज़रेगा कि इस पुस्तक में बहुत सारी हदीसें कम कर दी गयी हैं जो मुकम्मल सहीह मुस्लिम में हैं। हाँ, बेशक ऐसा ही है। मुकम्मल सहीह मुस्लिम में कुल हदीसों की संख्या 7563 है और इस पुस्तक में कुल संख्या 2179 है। अर्थात इस पुस्तक में 5384 हदीसें क़म हैं।

लेकिन याद रहे कि यह हदीसें ज़ाहिर में सनद की संख्या और कुल संख्या के एतिबार से देखने में बेशक कम हैं, लेकिन "किताब" (शीर्षक) "बाब" और मस्अले उतने ही बयान हैं जितने मुकम्मल सहीह मुस्लिम में हैं। न उन से कम, न ज़्यादा।

अस्ल में इमाम मुस्लिम रह० ने अपनी किताब "सहीह मुस्लिम शरीफ़" में हदीसों के एकत्र करने का यह तरीक़ा इख़्तियार किया है कि एक बाब और एक मस्अला (हुक्म) के तअ़ल्लुक़ से समस्त हदीसों को एक ही स्थान पर जमा कर दिया हैं। यहाँ तक कि अगर दो रावियों ने एक पूरी हदीस टूकापी बयान की, लेकिन एक रावी ने केवल एक शब्द बदल दिया (जबकि इस शब्द का अर्थ भी वही है जो पहले रावी ने बयान किया है) फिर भी इमाम साहब ने उस रावी के शब्द को अलग से नक़ल कर दिया है। उदाहरण के तौर पर एक रावी ने "हद्दसना" कहा है और दूसरे ने "अख़बरना", तो इमाम साहब ने "हद्दसना" और "अख़बरना" ही नक़ल किया (जबकि दोनों का अर्थ एक ही है) इस प्रकार एक ही मस्अला के तअ़ल्लुक़ से तमाम हदीसें, रावियों के अलग–अलग शब्दों के साथ आप को मुकम्मल सहीह मुस्लिम में एक ही स्थान पर मिल जायेंगी।

उदाहरण के तौर पर "वुज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत का बयान" एक बाब है। इस के नीचे नौ हदीसें नक़ल की हैं। उन तमाम हदीसों का अर्थ एक ही है। इसी प्रकार एक बाब है "हलाल मुर्दा जानवर की खाल दिबाग़त देने से पाक हो जाती है" इस मस्अला के तअ़ल्लुक़ से आठ अलग–अलग रावियों से आठ हदीसें नक़ल की हैं और समस्त

हदीसें एक जैसी हैं, सब का अर्थ एक है।

हाफ़िज़ ज़किय्युद्दीन इमाम अब्दुल अज़ीम मुन्ज़िरी रह० (वफ़ात 656 हि०) ने एक ही मस्अला के तअल्लुक़ से यकजा समस्त हदीसों में से एक दो हदीसों को लेकर बाकी हदीसों को छोड़ दिया है। इस प्रकार अगर देखा जाये तो बाब में भी कोई कमी नहीं हुया और न ही किसी मस्अला से मुतअल्लिक़ कोई हदीस छूटी है, इस प्रकार यह "मुख़्तसर सहीह मुस्लिम" भी बाब और अहकाम व मसाइल के एतिबार से "मुकम्मल सहीह मुस्लिम" ही है। फ़र्क़ केवल इतना है कि एक ही प्रकार की समस्त हदीसें नहीं हैं।

मैं ने भी इसी वजह से तर्जुमा के लिये इसी किताब को चुना ताकि कम से कम पन्नों में और कम से कम लागत पर मुख़्तसर होते हुये मुकम्मल मुस्लिम शरीफ़ अवाम तक पहुँच जाये और ग़रीब वर्ग के लोग भी ख़रीद कर लाभ उठा सकें।

हिन्दी अनुवाद करते समय मेरे सामने उर्दू के दो-तीन तर्जुमे थे। उन तर्जुमों को सामने रख कर इस प्रकार अनुवाद करने की कोशिश की है कि अनुवाद यकदम लफ़्ज़ी भी न हो, बल्कि ऐसा हो कि हदीस का हुक्म तर्जुमा ही से स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाये. (इसे तर्जूमानी कहना ज्यादा बेहतर है)

मैं ने इस बात की भी कोशिश की है कि हर हदीस के नीचे "फ़ाइदा" की शक्ल में उस हदीस से निकलने वाले हुक्म की ताईद (समर्थन) में और दीगर हदीसों का ज़िक्र कर दूँ। चुनान्चे इस सिलसिला में मौलाना दाऊद राज़ के तर्जुमा व तशरीह वाली बुख़ारी, अल्लोलो-वल् मरजान फ़ीमा रवाहुश्शैख़ान, फ़िक़हुस्सुन्नह, और अल्लामा इब्ने क़य्यम की "दु-ररुल् बहिय्या" का उर्दू एडिशन बनाम "फ़िक़हुल हदीस", फ़तावा उलमा-ए-अहले हदीस, फ़तावा नज़ीरीया, फ़तावा सनाइया, फ़तावा सलफ़िय्या, फ़तावा बरकातिय्या, मिनहाजुल् मुस्लिम, अहकाम व मसाइल आदि पुस्तकें हमेशा सामने रही हैं। इन के अतिरिक्त शैख़ इब्ने बाज़ और अरब के प्रसिद्ध उलमा के फ़तावा भी सामने रहे हैं।

उस माना व मफ़हूम की अगर हदीस बुख़ारी शरीफ़ में भी आई है वहाँ हदीस न० के साथ बुख़ारी का भी हवाला दे दिया है। हदीस न० का हवाला वही है जो बुख़ारी शरीफ़ के हिन्दी एडिशन में है, या मौलाना दावूद राज़ के उर्दू तर्जुमे वाले (नये एडिशन) में है।

बुख़ारी शरीफ़ के हिन्दी एडीशन में "फ़ाइदा" के तहत बहुत मुख़्तसर लिखा गया है और चन्द बहुत ही अहम स्थानों पर लिखागया है। इस सिलसिला में लोगों ने शिकायतें कीं। चुनान्चे इस किताब में इस पर विशेष ध्यान देते हुए बहुत तफ़्सील से लिखा गया है, और इस में पुस्तकों को हासिल कर के उन में तलाश कर नक़ल करने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी है। ऐसा भी हुआ है कि हदीस का फ़ाइदा लिखने में कई दिन लग गये हैं। अल्लह पाक हमारी इस मेहनत को क़बूल फ़रमाये और अधिक तौफ़ीक़ अता फ़रमायें।

बहरहाल "फ़ाइदा" के तहत जितनी बातें मैं ने लिखी हैं उन पर मुझे पूरा भरोसा है कि किताब व सुन्नत के मुताबिक़ हैं और उन पर उलमाए अहले हदीस का इत्तिफ़ाक़ है। फिर भी मैं इन्सान ही हूँ, हज़ार एहतियात के बावजूद ग़लतियों का होना संभव है और इस से मुझे इन्कार नहीं, इसलिये अगर मस्लक के ख़िलाफ़ कुछ नज़र आये तो इस पुस्तक की हदीस न० 1057 की रोशनी में तुरन्त सूचित करें, ताकि दूसरे एडिशन में उसे दुरुस्त कर दिया जाये। आप का बहुत आभारी हूँगा।

अहादीस के तर्जुमा व तश्रीह, विशेषकर "फ़ाइदा" के तअल्लुक़ से मुंबई में "जामिया मुहम्मदिया" माले गाँव और दिल्ली में "दारुद्दावा" ओखला के उलमा ने मेरा भरपूर सहयोगा किया। जब भी मैंने उन से इख़्तिलाफ़ी मसाइल में रहनुमाई चाही, मेरी तुरन्त रहनुमाई की। अल्लाह पाक उन्हें नेक बदला अ़ता फ़रमाये। और उन्हें दोनों दुनियाँ में ख़ुश रखे।

इस पुस्तक के तर्जुमा व तशरीह की तय्यारी में लगभग चार वर्ष लग गये। जहाँ भी रोज़ी-रोटी से जुड़ा रहा, ख़ाली समय (विशेषकर रातों में) बड़े आराम, इत्मिनान और ख़ामोशी से इस कार्य को करता रहा और कभी सिलसिला बन्द न होने दिया। अल्बत्ता मर्कज़ी जमीअ़त अहले हदीस हिन्द की डायरैक्ट्री "मदारिस अहले हदीस" "मसाजिद अहले हदीस" की तय्यारी और उस के दीगर प्रोग्रामों में अधि व्यस्त रहने के नाते इस कार्य को कुछ समय के लिये रोकना पड़ा।

इस बात की ओर विशेष तवज्जुह दिलाना चाहूँगा कि सहाबा, ताबाओ़ीन, इमामों और उलमा-ए-किराम के नामों के साथ "रज़ि" "रह०" लिखने पर अधिक ध्यान न दे सका। जहाँ लिख गया लिख गया, जहाँ रह गया रह गया। ऐसा मेरी भूल-चूक से हुआ है, इसीलिये निवेदन है कि उन स्थानों पर आप स्वँय बढ़ा लेंगे। अ़रबी पुस्तकों में इस की कोई अहमिय्यत नहीं दी जाती, लेकिन उर्दू, हिन्दी में अगर न हों तो अ़वाम इसे ऐब मानते हैं।

"फ़ाइदा लिखते समय लीपा-पोती और तकल्लुफ़ से बिल्कुल काम नहीं लिया है, जिसे हक़ समझा है दो टोक शब्दों में उसे तर्जीह दी है। हर लेखक के लिखने-पढ़ने और बोलने का अपना एक विशेष अन्दाज़ और अपनी एक शैली होती है, इस के लिए मुझे माफ़ फ़रमायेंगे। अल्लाह पाक हक़ बात को सोचने, समझने और लिखने-पढ़ने की तौफ़ीक़ दे-आमीन!

कुछ भाइयों का मश्वरा था कि इसे अ़र्बी मत्न के साथ छापा जाये। ऐसा करने से पुस्तक दोगुनी मोटी हो जायेगी और लागत भी दोगुनी बढ़ जायेगी और इस मंहगाई के ज़माना में ग़रीब वर्ग के लिये बहुत भारी होगा। फ़िलहाल इसी को ग़नीमत जान कर कुबूल फ़रमायें। अगर अल्लाह पाक को मन्ज़ूर हुआ और कहीं से किसी धनवान ने इस नेक कार्य में धन-साधन क़र्ज़ वापसी की शक्ल में पेश किया तो अ़र्बी मत्न के साथ दूसरा एडिशन भी

प्रकाशित किया जा सकता है। हमें आशा है कि इस प्रकार दीनी कामों में हिस्सा लेने वाले भाई विशेष तवज्जोह फ़रमायेंगे।

अल्लाह पाक से दुआ है कि मुझ गुनाहगार की इस एक आधी–अधोरी कोशिश को स्वीकार फ़रमाये और इसे आख़िरत में मेरी नजात का ज़रीआ बनाये–आमीन। पढ़ने वालों से निदेवन है कि इस पवित्र पुस्तक को पढ़ कर लाभ उठायें, वहीं मुझ अनुवादक और मेरे वालिदैन को भी दुआओं में याद रखें, बस केवल यही अनुरोध है, यही निवेदन है और यही इसकी उजरत और मज़दूरी है।

गुनाहगार
ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी
ऊँची मस्जिद अहले हदीस
मोरी गेट, पुरानी दिल्ली
यकुम अगस्त 2006 मन्गलवार, सुब्ह 6 बजे।

अहले सुन्नत ——— अलहे बिदअत

इमाम यहया अपने पिता अब्दुल्लाह रह० से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा

अली रज़ि० खुत्बा दे रहे थे कि एक आदमी खड़ा हो कर पूछने लगाः ऐ ख़लिफ़ा! मुझे बताइये कि अलहे सुन्नत कौन है और अहले बिदअत कौन है? अली रज़ि० ने फ़रमायाः तुम पर अफ़सोस है (अभी तक तुम्हें यही नही मालूम) "अहले सुन्नत वह लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुये तरीक़े को इख़्तियार करते हैं, अगर्चे उनकी संख्या कम हो। और अलहे बिदअत वह लोग हैं जो अल्लाह और उसके सन्देष्ता (की सुन्नत) के मुख़ालिफ़ हैं और अपनी राय और अपनी ख़्वाहिश पर अमल करने वाले हैं, अर्गचे वह संख्या में अधिक हों।

(मुन्तख़ब कन्ज़ुल उम्माल)

सुन्नत को ज़िन्दा करने का सवाब

कसीर बिन अब्दुल्लाह बिन औफ़ मुज़नी रज़ि० फ़रतमाते हैं कि मुझ से मेरे पिता ने और मेरे पिता से मेरे दादा ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया :

"जिसने मेरी सुन्नतों में से किसी एक सुन्नत को ज़िन्दा किया और लोगों ने उस पर अमल किया तो सुन्नत ज़िन्दा करने वाले को भी उतना ही सवाब मिले गा जितना उस सुन्नत पर अमल करने वाले तमाम लोगों को मिलेगा, जबकि लोगों के अपने सवाब में से कोई कमी नहीं की जायेगी।

और जिसनें कोई बिदअत जारी की, फिर लोगों ने उसपर अमल किया तो बिदअत जारी करने वाले पर उन तमाम लोगों का गुनाह होगा जो उस बिदअत पर अमल करेंगे, जबकि बिदअत पर अमल करने वाले लोगों के अपने गुनाहों की सज़ा से कोई चीज़ कम नही होगी।

(इब्ने माजा, किताबुस्सुन्नत)

संक्षिप्त जीवनी
इमाम अबुल् हुसैन मुस्लिम रह॰

नाम–नसब:– आप का पूरा नाम अबुल् हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज बिन मुस्लिम कुशैरी बिन दरवीन है। "अबुल् हुसैन" कुन्नियत और "अ़साकिरुद्दीन" लक़ब था। अ़रब के एक प्रसिद्व ख़ान्दान बनी कुशैर से संबन्ध था। खुरासान का प्रसिद्धनगर नेशापुर आप का वतन था जहाँ 204 हि॰ में आप पैदा हुये।

जिस समय काल में आप पैदा हुये हदीस का ज्ञान रखने वालों की बहुत बड़ी संख्या मौजूद थी। उन का वतन नेशापुर उन दिनों ज्ञान–विज्ञान का केन्द्र था, बग़दाद के बाद उस की कोई मिसाल न थी।

शिक्षा–प्रशिक्षण:– आप ने बचपन में अपने माता–पिता की निग्रानी में तालीम हासिल की, फिर इमाम इस्हाक़ बिन राहवैह (238 हि॰) से नेशापुर ही में हदीस की शिक्षा प्राप्त की। माता–पिता की बचपन की शिक्षा व तर्बियत का यह प्रभाव हुआ कि पूरी उम्र प्रहेज़गारी, दीनदारी और ईमानदारी की जिन्दगी गुज़ारी। चुनान्चे अपनी ज़बान से कभी भी किसी को बुरा–भला न कहा, न कभी किसी की ग़ीबत की और न अपने हाथ से किसी को मारा–पीटा।

अहादीस को एकत्र करने के लिये यात्रा:– अपने नगर नेशापुर में इमाम इस्हाक़ बिन राहवैह से हदीस का ज्ञान प्राप्त करने के बाद इमाम मुस्लिम ने अहादीस को एकत्र करने के लिये इराक़, हिजाज़, मिस्र, शाम, रै आदि नगरों की यात्रा की और वहाँ के उलमा से अहादीस को हासिल किया। उन उलमा में इमाम अहमद बिन हबल, इस्हाक़ बिन राहवैह, अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़ानबी, मुहम्मद बिन महरान जमाल, अबू ग़स्साल सअ़ाद बिन मन्सूर और अबू मुसैब के नाम उल्लेखनीय हैं। आप ने इस काम के लिये सब से अधिक बग़दाद की यात्रा की। चुनान्चे यहाँ की अन्तिम यात्रा सन 259 हि॰ में की, इस के दो वर्ष के बाद सन 261 हि॰ में आप देहान्त कर गये।

आप के उस्ताद:– आप के उस्तादों में इस्हाक़ बिन राहवैह, इमाम मुहम्मद बिन इस्माअ़ील बुख़ारी, इमाम अहमद बिन हंबल आदि जैसे इमाम शामिल हैं। आप के शर्गिदों की संख्या बहुत अधिक है। जिन में अबू अ़ीसा तिर्मिज़ी, इमाम इब्ने खुज़ैमा और इमाम अबू हातिम राज़ी जैसे इमाम हैं।

देहान्त:– आप के देहान्त की घटना बड़ी दिलचस्प है। एक मर्तबा हदीस की मज्लिस में इमाम साहब से किसी ने कोई हदीस पूछी। उस समय आप के ध्यान में वह हदीस न थी, चुनान्चे घर आ कर उसे अपनी किताबों में खोजने लगे। वहीं बग़ल में खजूरों से भरा

एक टोकरा रखा हुआ था। उस में से खजूरें निकाल कर खाते जाते और किताबों को उलटते-पलटते जाते। उस हदीस की तलाश में ऐसे गुम हो गये कि टोकरे की सारी खजूरें खा गये, और इस बात का एहसास उस समय हुआ जब हदीस मिल गयी। खजूरें अधिक खाने से बीमार हो गये और 24 रजब रविवार की शाम सन् 261 हि॰ में 55 वर्ष की आयु में देहान्त कर गये।

पुस्तक मुस्लिम शरीफ़:— आप की समस्त पुस्तकों में "सहीह मुस्लिम" को सब से बड़ा मर्तबा प्राप्त है। इमाम बुख़ारी रह॰ (256 हि॰) इस से पूर्व अपनी पुस्तक "सहीह बुख़ारी" को लिख चुके थे। चुनान्चे इमाम मुस्लिम ने भी अहादीस की एक पुस्तक तय्यार की और उस का नाम "सहीह मुस्लिम" रखा।

अहादीस की पुस्तकों में से छः को उलमा ने सब से अधिक मुस्तनद मान कर उन को "सहीह" का दर्जा दिया है (1) सहीह बुख़ारी (2) सहीह मुस्लिम (3) सहीह तिर्मिज़ी (4) सहीह अबू दावूद (5) सहीह नसई (6) सहीह इब्ने माजा।

इन छः में से सब से अधिक मुस्तनद दर्जा सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम को प्राप्त है। इन दोनों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? इस बारे में उलमा की दो राएँ हैं। कुछ खूबियाँ (विशेष्तायें) मुस्लिम में ऐसी हैं जो बुख़ारी में नहीं हैं। इसी प्रकार कुछ खूबियाँ बुख़ारी में ऐसी हैं जो मुस्लिम में नहीं है। इसलिये दोनों ही पुस्तकें एक पल्ले और टक्कर की हैं। फिर भी निचोड़ के तौर पर बुख़ारी को प्रथम स्थान प्राप्त है।

पुस्तक मुस्लिम की विशेष्तायें:— ★इस पुस्तक की सब से अव्वल नं॰ की वह हदीस है जिस में इमाम साहब से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तक चार वास्ते हों (जैसे इमाम मुस्लिम-ज़ैद-अ़म्र-बक्र-नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ★इमाम साहब ने इस हदीस के लिये एक स्थान तै कर के वहीं पर उस अर्थ की तमाम हदीसों को जमा कर दिया है। अगर रावी ने हदीस में अलग-अलग शब्द प्रयोग किये हैं तो शब्दों को भी वहीं जमा कर दिया है। ताकि पढ़ने और ढूँडने व तलाश करने वालों को आसानी हो।

★हदीस के ऊपर बाब इमाम साहब ने नहीं लिखे हैं, बल्कि बाद में उन के शर्गिदों ने बढ़ाये है।। चूँकि बहुत सारे शर्गिद थे इसलिये सभी ने अपनी-अपनी पसन्द के बाब बढ़ाये हैं। यही वजह है कि पुस्तक के अलग-अलग एड़िशनों में अलग-अलग बाब आप पायेंगे।

★इमाम साहब ने तीन लाख हदीसों को एकत्र किया, फिर उन में से चार हज़ार हदीसों का इन्तिख़ाब कर के मुस्लिम पुस्तक में जमा किया। इन चार हज़ार हदीसों में क़ियामत तक के लिये शक व शुब्हे की गुन्जाइश नहीं रही। इमाम साहब ने इस पुस्तक को अहादीस के अ़िल्म का ऐसा दरिया बना दिया जिस के पानी बहने का कोई रास्ता नहीं। (यानी सब पानी एक ही स्थान पर मौजूद है) अर्थात दीन इस्लाम के समस्त मस्अले इस में समाए हुये हैं।

पुस्तक मुस्लिम शरीफ़ की शर्हें:— इस पुस्तक की बहुत से उलमा ने शर्हें लिखी हैं, लेकिन सब से उत्तम शर्ह इमाम हाफ़िज़ अबू ज़करिया मुहिय्युद्दीन नौवी शाफ़अ़ी की है। यह शर्ह सब से अधिक प्रसिद्ध है। बाद के दीगर शारिहीन ने इसी से लाभ उठाया है।

बिस्मिल्ला-हिर्रहमानि-र्रहीम

कितबुल् ईमानि

(ईमान का बयान)

बाब {ईमान का पहला रुक्न "लाइला-ह इल्लल्लाहु" (अल्लाह के अतिरिक्त और कोई अल्लाह नहीं) कहना है।}

1:– अबू ज़मुरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैं इब्ने अब्बास रज़ि॰ के पास उन क और लोगों के दर्मियान अनुवादक का काम करता था (अर्थात लोगों के प्रश्न को अरबी भाषा में अनुवाद कर के उन्हें सुनाता था) इतने में एक महिला आई और घड़े में रख कर बनाई जाने वाली नबीज़ के बारे में पूछने लगी। (उस का प्रश्न सुन कर) इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने कहाः (इस के हराम-हलाल होने के बारे में विस्तार से एक हदीस सुनो) एक मर्तबा क़बीला अब्दुल् क़ैस का एक मन्डल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ तो आप ने प्रश्न कियाः आप लोग कौन हैं? या (यह पूछा कि) आप लोगों का किस गोत्र से संबन्ध है? इस पर सहाबा ने कहाः यह लोग बनी रबीआ के हैं। आप ने फ़रमायाः एसे गोत्र या ऐसे मन्डल के लोगों का स्वागत है जो न तो ज़लील हैं और न शर्मिन्दा हैं (बिना दबाव के ईमान लाने के लिये उपस्थित हुये हैं) अब उन लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! हम बहुत दूर से चल कर आप की सेवा में उपस्थित हुये हैं। और हमारे और आप के दर्मियान रास्ता में काफ़िरों का एक गोत्र "मुज़र" नामक पड़ता है (यह राह में लूट-मार करते हैं) इसलिये आप के पास केवल हराम महीनों ( ) ही में आ पाते हैं (जिन महीनों में यह लूट-पाट नहीं करते हैं) इसलिये आप हमें चन्द गिनी-चुनी विशेष बातें बता दें, ताकि हम (वापस जा कर) अपने लोगों को भी बता दें (ताकि उन पर अमल कर के) जन्नत के हक़दार बन जायें? चुनान्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चार कामों के करने और चार के न करने का आदेश दिया। आप ने उन्हें (1) अल्लाह पर ईमान लाने का आदेश देकर पूछाः जानते हो ईमान क्या है? उन्होंने कहाः अल्लह और उस के सन्देष्टा ही बेहतर जानते हैं। आप ने फ़रमायाः ईमान इस बात का नाम है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अतिरिक्त और कोई इबादत के योग्य नहीं और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह के सन्देष्टा हैं (2) नमाज़ क़ाइम करना (3) ज़कात देना (4) और रमज़ान के

रोज़े रखना (इन चार के अतिरिक्त पाँचवीं बात यह है कि जिहाद में प्राप्त हुये) माल ग़नीमत में से पाँचवा हिस्सा निकालना।

और आप ने उन्हें (1) हन्तम (2) दुब्बा (3) मु–ज़फ़्फ़त (4) नक़ीर+ मु–क़य्यिर के प्रयोग से मना फ़रमाया। और कहा कि इन आदेशों को अच्छी तरह समझ लो और उन्हें भी वापस जा कर समझा दो जो तुम्हारे साथ नहीं आ सके हैं।

इब्ने मआज़ रज़ि॰ ने अपने पिता मआज़ रज़ि॰ के हवाले से रिवायत में इतना और बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस मंडल के एक व्यक्ति अशज्ज से फ़रमया: तुम्हारे अन्दर दो आ़दतें (स्वभाव) ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत पसन्द हैं (1) बुद्धिमानी (2) खूब सोच–विचार करने के पश्चात कोई कार्य करना (और जल्द बाज़ी न करना)

फ़ाइदा:– चार प्रकार के बर्तनों को प्रयोग करने से मना फ़रमाया है उन की तफ़सील इस प्रकार है (1) 'दुब्बा' लौकी के अन्दर से गूदा और बीज आदि निकाल कर साफ़ कर लेते थे फिर उस में शराब रखते थे। इस प्रकार लौकी की लोटिया हमारे देश हिन्दुस्तान में भी साधु–संत बराबर इस्तेमाल करते हैं (2) 'हन्तम' मिस्र देश के बने हुये मटके हाते थे जिन पर लाल रंग की पालिश होती थी (3) 'मु–ज़फ़्फ़त+मुक़य्यिर' मिट्टी के घड़े हाते थे जिन पर तारकूल और राल लगा देते थे, फिर उस में शराब रखते थे जिस से उस में और अधिक नशा पैदा हो जाता था (4) 'नक़ीर' मोटी लकड़ी या पत्थर को खोद कर उस में गड्ढ़ा बना लेते थे फिर उस में शराब रखते थे। ज़ाहिर है अगर इन बर्तनों में शराब के स्थान पर पानी रखा जाये तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने शराब से नफ़रत दिलाने के लिये उन बर्तनों तक के इस्तेमाल से मना कर दिया। ज़ाहिर है उन बर्तनों को इस्तेमाल करेंगे तो शराब की याद ओयगी।

'अशज्ज' जिन की आप ने प्रशंसा की यह भी मन्डल के साथ थे। जब मन्डल मदीना पहुँचा तो उसी हालत में भाग कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पहुँच गया, लेकिन अशज्ज ने अपना सामान उतारा, आराम किया, हाथ–मुँह धोकर अच्छा कपड़ा पहना फिर बन–संवर कर इत्मिनान से मिलने गये। चुनान्चे आप ने उन्हें देखा तो बुला कर अपने बग़ल में बैठाया। हक़ीक़त यह है कि खूब सोच–विचार के बाद कोई कार्य करना और इत्मिनान से करना यह दो कार्य समस्त खूबियों की जड़ हैं। यही वजह है कि उलमा का कहना है: जो आदमी ख़याल और विचार आते ही वह कार्य करने लगता है उस में और जानवर में कोई अन्तर नहीं।

आप ने चार बातों के करने का आदेश दिया, फिर एक और बढ़ा कर बाद में पाँच कर दिया। हज्ज उस समय फ़र्ज़ नहीं हुआ था।

महिला ने अपने मिट्टी के मटके के बारे में प्रश्न किया था, लेकिन उसे कितने शंकाओं और मस्अलों का उत्तर मिल गया, कुर्बान जाइये इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के उत्तर पर,

रज़ियल्लाहु अन्हु।

इमाम नववी रह० ने इस एक हदीस से 15 मस्अले निकाले हैं जिन्हें यहाँ बयान करने की गुंज़ाइश नहीं।

2:– अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के दर्मियान बैठे हुये थे कि इसी बीच एक व्यक्ति आया और पूछाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! ईमान किसे कहते हैं? आप ने फ़रमायाः ईमान की परिभाषा यह है कि तुम अल्लाह, उस के फ़रिश्तों, उस की (नाज़िल की हुयी) पुस्तकों, उस से (क़ियामत के दिन) मिलने, उस के सन्देष्टाओं और क़ियामत के दिन जीवित किये जाने पर विश्वास और यक़ीन करो। उस ने फिर पूछाः ऐ अल्लह के सन्देष्टा! इस्लाम किसे कहते हैं? आप ने उत्तर दियाः इस्लाम की परिभाषा यह है कि तुम (केवल) अल्लाह की इबादत करो उस के साथ किसी को साझीदार न बनाओ, फ़र्ज़ नमाज़ों को उन के समय पर अदा करो, जितनी ज़कात फ़र्ज़ है उसे अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो। उस ने फिर प्रश्न कियाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! 'एहसान' किसे कहते हैं? आप ने फ़रमायाः एहसान की परिभाषा यह है कि अल्लाह की इस प्रकार इबादत करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम इस प्रकार तवज्जोह नहीं कर सकते तो यह ख़याल रहे कि वह तो तुम्हें देख ही रहा है। फिर उस ने (चौथा) प्रश्न कियाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! क़ियामत कब आयेगी? (इस के उत्तर में) आप ने फ़रमायाः जिस से पूछा जा रहा है वह पूछने वाले से अधिक इस बारे में नहीं जानता (अर्थात जितनी तुम्हें जानकारी है उतनी ही मुझे भी जानकारी है) लेकिन फिर भी क़ियामत आने के कुछ चिन्ह तुम्हें बताये देता हूँ (सुनो) जब लौंडी अपने मालिक को जनने लगे तो इसे क़ियामत के आने की निशानी समझो। और जब नन्गे शरीर और नन्गे पाँव फिरने वाले लोग क़ौम के सर्दार और मुख्या बनने लगें तो यह भी क़ियामत की एक निशानी है। और जब भेड़–बकरियाँ चराने वाले (जाहिल और अनपढ़, गये–गुज़रे लोग) ऊँचे–ऊँचे भवनों का निर्माण करने लगें तो यह भी क़ियामत की निशानी में से हैं। (इन के अतिरिक्त) क़ियामत की पाँच ऐसी निशानियाँ भी हैं जिन्हें अल्लाह के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता (कि कब आयेंगी) फिर आप ने (पारः21, सूरःलुक़मान, आयत 34 की) यह आयत तिलावत फ़रमायीः

> "निःसंदेह उस घड़ी का ज्ञान (केवल) अल्लाह ही के पास है। वही मेंह बरसाता है, और वही जानता है जो कुछ गर्भाशयों में है। कोई जीव नहीं जानता कि कल वह क्या कमायेगा, और न कोई जीव यह जानता है कि किस भू–भाग में वह मरेगा। निःसंदेह अल्लाह जानने वाला और सूचना रखने वाला है।" (सूरः लुक़मान 34)

इस के पश्चात वह व्यक्ति वापस चला गया तो आप नेफ़रमायाः उसे वापस बुला लाओ। चुनान्चे लोग उसे बुलाने के गये लेकिन उस का नाम–निशाना तक न मिला। इस पर आप ने फ़रमायाः वह जिब्रील अलै० थे जो (इस प्रकार प्रश्न कर के) तुम्हें दीन की बातें सिखाने आये थे।

फ़ाइदा:– 'जब लौंडी अपने मालिक को जनेगी' इस पर उलमा ने बहुत कुछलिखा है। एक समय ऐसा आयेगा कि महिलायें लौंडी बना ली जायेंगी, फिर उन से बच्चे पैदा होंगे, बाप के मरने के बाद वह बच्चे तर्का में अपनी लौंडी माँ को पायेंगे, इस प्रकार अपनी माँ के ही मालिक बन जायेंगे। या यह कि लोग माँ का आदर-सम्मान भूल जायेंगे और उन के साथ लौंडी का सा व्यवहार और बर्ताव करेंगे।

एक प्रश्न यह किया जा सकता है कि आजकल सोनोग्राफ़ी द्वारा पता लग जाता है कि गर्भाशय में नर है या मादा। तो इस का उत्तर यह है कि कुरआन में शब्द "मा" आया है, इस में बहुत सारी बातें शामिल है: जैसे, माँ के पेट में क्या है, उस का अख़्लाक़ कैसा होगा? आगे चल कर क्या करेगा? नेक होगा, अथवा बुरा होगा? अर्थात यह कि उस के पूरे जीवन का आचारण और अच्छी-बुरी विशेषताएँ शामिल हैं, और यह किसी भी यन्त्र से बता पाना क़ियामत तक असंभव है।

3:– सअ़ीद बिन मुसय्यिब अपने पिता मुसय्यिब के हवाले से बयान करते हैं कि मेरे पिता ने बयान किया: जब (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम केचचा) अबू तालिब के मरने का समय आ गया तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन के पास गये। उस समय वहाँ अबू जेहल और अ़ब्दुल्लह बिन अबूं उमय्या भी बैठे हुये थे। आप ने फ़रमाया: ऐ चचा! आप अगर एक मर्तबा कलिमा "लाइला-ह इल्लल्लाह" कह दें तो मैं क़ियमात के दिन अल्लाह के पास इस बात की गवाही दूँगा (कि आप ने तौहीद पर देहानत किया है) यह सुन कर अबू जेहल और अ़ब्दुल्लाह बिन अबू उमय्या ने कहा: ऐ अबू तालिब! अ़ब्दुल मुत्तलिब का दीन-धर्म छोड़ते हो? और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी उन से बराबर अपनी बात कहते रहे (यानी कलिम-ए-तौहीद पढ़ने की दावत देते रहे) अन्त में अबू तालिब ने जो बात कही वह यह कि मैं अ़ब्दुल् मुत्तलिब के दीन पर हूँ और लाइला-ह इल्लल्लाह पढ़ने से इन्कार किया। इस पर आप ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मैं आप के लिये बराबर (क्षमा की) दुआ़ करता रहूँगा जब तक मुझे इस से रोक न दिया जाये। इस के पश्चात अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमायी:

> "सन्देष्टा और दूसरे मुसलमानों के लिये जाइज़ नहीं कि वह मुश्रिक़ों के लिये क्षमादान की प्रार्थना करें अर्गचे वह उन के संबन्धी ही क्यों न हों, जबकि यह स्पष्ट हो चुका है कि वह जहन्नमी हैं।"
> (सूर: तौबा 113)

फिर अल्लाह तआ़ला ने अबूतालिब के बारे में (विशेष कर) यह आयत नाज़िल की:

> "(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम!) आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, हाँ, अल्लाह जिसे चाहे दे सकता है, और हिदायत पाने वालों के बारे में भी वही जानता है।" (सूर: क़सस 56)

फ़ाइदा:– आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सकरात (जान निकलने के समय) दावत

नहीं दी थी, क्योंकि उस समय की तौबा कुबूल नहीं होगी। आप ने जान निकलने से बहुत पहले दावत दी थी, चुनान्चे उन्होंने आप की और मुशिरकों की बात सुनी और उस पर अच्छी तरह सोच-विचार किया। इस हदीस से स्पष्ट है कि उन्होंने कुफ़्र की हालत में देहान्त किया। इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ ने भी अपनी पुस्तक "फ़िक़्ह अक्बर" में यही लिखा है। बुख़ारी शरीफ़ की एक रिवायत में है कि उन्हें जहन्नम में तलपट (छिछले) स्थान में डाला जायेगा, जहन्नम की आग उन के घुटनों तक होगी, उन्हें आग की दो जूतियाँ पहनाई जायेंगी जिन से उन की खोपड़ी हाँडी की तरह पकेगी। (बुख़ारी) कुछ पुस्तों में लिखा है कि अल्लाह ने उन्हें दोबारा जीवित कर दिया और उन्होंने कलिमा पढ़ लिया, फिर दोबारा देहान्त किया, यह सब बेसर-पैर के क़िस्से कहानियाँ हैं, जिन का हक़ीक़त से कोई संबन्ध नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पालन-पोषण करना, पूरे जीवन आप की सुरक्षा करना बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन अन्त तक ईमान न लाना यह दुर्भाग्य ही है। अन्त में अल्लाह तआला ने सूरः क़सस की आयत 56 नाज़िल फ़रमा कर सब कुछ स्पष्ट कर दिया। (देखें हदीस न॰ 99, 100)

बाब {मुझे लोगों से उस समय तक लड़ने का आदेश दिया गया है जब तलक लोग "लाइला–ह इल्लल्लाह" को स्वीकार न कर लें।"}

4:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देहान्त कर जाने के पश्चात् अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ख़लीफ़ा बनाए गये, और अरब वालों में जिन्हें काफ़िर होना था वह काफ़िर हो गये, तो उमर फ़ारूक़ रज़ि॰ ने उन से कहा: आप उन लोगों से कैसे लड़ाई लड़ेंगे? जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमा चुके हैं:

> "मुझे लोगों से उस समय तक लड़ने का आदेश दिया गया है जब तलक वह "लाइला–ह इल्लल्लाह" का इक़रार न कर लें। फिर जिस ने "लाइला–ह इल्लल्लाह" स्वीकार कर लिया तो उस ने अपनी जान–माल को सुरक्षित कर लिया मगर यह कि किसी पर अत्याचार किया हो (जैसे हत्या अथवा बलात्कार, ता इस का बदला उस से लिया जायेगा) और उस का हिसाब–किताब अल्लाह के ज़िम्मा है (कि डर के मारे इस्लाम लाया है या अपनी इच्छा से) .

यह सुन कर अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ बोले: अल्लाह की क़सम! मैं तो उस से भी लड़ाई लड़ूँगा जो नमाज़ और ज़कात में फ़र्क़ करेगा, क्योंकि ज़कात, माल के हक़ का नाम है। और अल्लाह की क़सम! अगर वह उस रस्सी को जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को (ज़कात में) दिया करते थे, रोक लेंगे, तो उस रस्सी के न देने पर भी मैं उन से लड़ाई लड़ूँगा। यह सुन कर उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने कहा: (यह सुन कर) मेरे दिल में जो कुछ संकोच था सब समाप्त हो गया और पूरा विश्वास हो गया कि जिहाद

के लिये अल्लाह पाक ने अबू बक्र का सीना खोल दिया है। और मुझे भी यक़ीन होगया कि यह हक़ है।

फ़ाइदाः– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के देहान्त के बाद लोग मुर्तद होकर कई गरोह में बट गये थे (1) एक गरोह अस्वद को सन्देष्टा मानने लगा था (2) एक मुसैलमा कज़्ज़ाब को (3) एक गरोह मुर्तद हो कर फिर कुफ़्र-शिर्क की राह पर चल पड़ा था (4) एक गरोह ऐसे भी लोगों का था जो नमाज़ पढ़ता था लेकिन ज़कात देने से दूर भागता था। इसी गरोह को लेकर उमर रज़ि॰ के दिल में शुब्हा पैदा हुआ था कि इस ने कलमा पढ़ा है तो ऊपर में दी गयी हदीस की रोशनी में कैसे उन से जिहाद करोगे? अबू बक्र रज़ि॰ ने कहाः कलिमा पढ़ने का अर्थ नमाज़ पढ़ना और ज़कात देना है, और जो किसी एक को छोड़ दे उस से जिहाद जाइज़ है। आज भी जो ज़कात न दे वह महापापी है और अगर इन्कार करे तो दीन से ख़ारिज है।

यह अल्लाह की कृपा थी कि उस ने सिद्दीक़ रज़ि॰ का सीना जिहाद के लिये खोल दिया था, वर्ना उमर रज़ि॰ की तरह तरद्दुद (संकोच) में रहते और ज़रा भी ढीलाई से काम लेते तो इस्लाम की चोलें हिल जातीं और इस्लाम तबाह-बर्बाद हो जाता।

5:– अ़ब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझे उस समय तक लोगों से जिहाद करनेका हुक्म दिया गया है जब तक लोग "लाइला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" की गवाही न दें, नमाज़ न पढ़ें और ज़कात न दें। फिर जब यह सब करने लगें तो उन्होंने अपने जान-माल को मुझ से सुरक्षित कर लिया, लेकिन अगर (किसी अपराध के नाते) उस के ऊपर किसी का हक़ बनता है (तो बदले में उस से बदला लिया जायेगा) और उन का हिसाब-किताब अल्लाह के ज़िम्मा है।

फ़ाइदाः– इमाम शौकनी रह॰ से प्रश्न किया गया कि जो लोग जन्गलों में रहते हैं और इस्लाम के अहकाम पर अमल नहीं करते, न नमाज़ पढ़ते हैं और न ही रोज़ा रखते और ज़कात देते हैं, केवल ज़बान से लाइलाह.....कहते हैं, तो इनके बारे में क्या हुक्म हैं? उन्होंने उत्तर दियाः अगर इस्लाम के अहकाम को छोड़ दे और केवल ज़बानी तौर पर कलिमा पढ़ता रहे तो ऐसा व्यक्ति काफ़िर है। दावत देने के बाद भी वह अ़मल न करें तो इस्लामी स्टेट में उस का जान-माल हलाल है।

बाब {जिस ने किसी काफ़िर की "लाइला-ह इल्लल्लाह" कहने के बाद भी हत्या कर दी (तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या हुक्म है?)}

6:– मिक़दाद बिन अस्वद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मैं एक काफ़िर से भिड़ गया तो उस ने लड़ाई के दर्मियान मेरा एक हाथ काट दिया, फिर किसी पेड़ की आड़ लेकर मुझ से बचने लगा और कहने लगाः

"अस्लम्तु लिल्लाहि" (मैं अल्लाह पर इस्लाम ले आया) तो क्या उस के यह वाक्य कह देने के बावजूद भी मैं उसे क़त्ल कर सकता हूँ? आप ने फ़रमायाः उसे मत क़त्ल करना। मैं ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! उस ने जो मेरा हाथ काट डाला, फिर (जान बचाने के लिये) ऐसा कहा, फिर भी न क़त्ल करूँ? आप ने फ़रमायाः फिर भी न क़त्ल करना, क्योंकि अगर तुम ने उसे क़त्ल कर डाला तो वह तुम जैसा हो जायेगा (जैसा तुम उस के क़त्ल से पहले मोमिन थे) और तुम उस जैसे हो जाओगे (जैसा वह कलिमा पढ़ने से पहले काफिर था)

फ़ाइदाः– हदीस का अर्थ स्पष्ट है। वह तुम जैसा मुसलमान होगा और तुम उस जैसे काफ़िर। यहाँ यह कहा जा सकता है कि उस ने क़त्ल के डर से कलिमा पढ़ लिया होगा? तो इस का उत्तर यह है कि शक-शुब्हे के आधार पर किसी पर कोई फ़त्वा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह पाक की तरह तुम ग़ैब का हाल जानने वाले नहीं कि उस के दिल में झाँक कर पढ़ लिया। उस को उस के ज़ाहिरी हालत पर छोड़ देना वाजिब है। अगर उस ने धोखा देने के लिये कलिमा पढ़ा तो वह गुनाहगार होगा और आप को नेकी मिलेगी, लेकिन अगर वास्तव में नेक निय्यती से कलिमा पढ़ा और तुम ने क़त्ल कर दिया तो तुम गुनहगार हुये, इसलिये हमेशा एहतियात के पहलू पर अ़मल करना चाहिये। आगे आने वाली हदीस में और अधिक तफ़सील है।

7:– उसामा बिन ज़ैद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें जिहाद पर रवाना किया (जिस में आप स्वँय नहीं शरीक थे) चुनान्चे सुब्ह होते ही क़बीला जुहैना की एक शाख़ हुरक़ात से हमारा मुक़ाबला होगया। जन्ग में एक व्यक्ति को मैं ने क़ाबू में कर लिया तो वह "लाइला-ह इल्लल्लाह" पढ़ने लगा, लेकिन फिर भी मैं ने उसे बर्छी मार कर हलाक कर दिया। बाद में उस की हत्या को लेकर मुझे तरद्दुद हुआ (कि कलिमा पढ़ लेने के बाद उस की हत्या दुरूस्त न थी) जब मैं ने यह घटना आप के सामने बयान की तो आप ने फ़रमायाः क्या उस के लाइला-ह इल्लल्लाह कहने के बावजूद उसे मार डाला? मैं ने कहाः ऐ अल्लह के रसूल! उस ने तो हत्या के डर से कलिमा पढ़ा था। आप ने फ़रमायाः क्या तुम ने उस का दिल चीर कर देख लिया था कि उस ने डर के मारे पढ़ा था? फिर आप बार-बार यही फ़रमाते रहे (कि उस के कलिमा पढ़ लेने के बावजूद भी उस की हत्या कर दी) यहाँ तक कि मैं अपने दिल में सोचने लगा कि काश मैं (उस के क़त्ल कर देने के बाद) उसी दिन मुसलमान हुआ होता (तो उस की हत्या के गुनाह से बच जाता, क्योंकि इस्लाम लाने के बाद पहले के गुनाह माफ़ हो जाते हैं)

हदीस के रावी उसामा कहते हैं कि स-अ़द बिन वक़्क़ास रज़ि॰ ने कहाः अल्लाह की क़सम! मैं किसी मुसलमान पर उस समय तक हाथ न उठाऊँगा जब तक उस पर "जुल बुतैन" यानी उसामा हाथ न उठायें। इस पर एक सहाबी बोलेः "अल्लाह तआ़ला ने

तो फ़रमा दिया है:

"तुम उन (काफ़िरों) से उस समय तक लड़ाई जारी रखो जब तक फ़ितना समाप्त न हो जाये और दीन अल्लाह का न हो जाये।"
(सूर: अनफ़ाल 39)

इस पर स-अद बिन वक़्क़ास रज़ि॰ बोले: हम तो (काफ़िरों से) इसलिये लड़ाई लड़े ताकि फ़ितना-फ़साद समाप्त हो और तुम और तुम्हारे साथी (आज) इस लिये (मुसलमानों से) लड़ते हैं कि फ़ितना-फ़साद भड़के।

8:– सफ़वान बिन मोहरिज़ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जुन्दुब बिन अ़ब्दुल्लाह बुजली रज़ि॰ ने एक मर्तबा अ़स्अ़स बिन सलामा को कहला भेजा कि तुम अपने साथियों को मेरे पास बुला लाओ ताकि मैं उन से (लड़ाई से मुतअ़ल्लिक़) कुछ बातें करूँ। यह उस समय की घटना है जब अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि॰ (ने ख़िलाफ़त का दावा कर दिया था और यज़ीद के हाथ पर बैअ़त से इन्कार कर दिया था, इस प्रकार उन) का फ़ितना खड़ा हो गया था। चुनान्चे जब वह इकट्ठा हो गये तो जुन्दुब रज़ि॰ उन के पास आये, वह उस समय पीले रंग की बुरनुस नाम की टोपी पहने हुये थे। उन्होंने कहा: उन के बारे में आप लोग जो कुछ कहना चाहते हैं पहले कह लें, बाद में मैं भी कुछ कहूँगा। फिर जब उन की बोलने की बारी आयी तो उन्होंने सर से टोपी उतार दी और कहने लगे: मैं आप लोगों के पास इस नाते उपस्थित हुआ हूँ कि आप लोगों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की एक हदीस बयान कर दूँ।

एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुश्रिकों पर चढ़ाई करने के लिये मुसलमानों का एक कुमक रवाना किया। जब दोनों के दर्मियान जंग छिड़ गयी तो (क्या देखा कि) एक मुश्रिक जिस मुसलमान पर चाहता है आर्कमण कर देता हैऔर उसे मार कर गिरा देता है। आख़िर एक मुसलमान को ग़फ़लत में उस पर हमला करने का मौक़ा मिल गया। बाद में लोगों ने मुझ से बताया कि वह व्यक्ति उसामा बिन ज़ैद रज़ि॰ थे। चुनान्चे जैसे ही उन्होंने उस पर वार करना चाहा उस ने लाइला-ह इल्लल्लाहु कलिमा पढ़ लिया। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे क़त्ल कर डाला। इस के बाद एक दूत (जंग में विजय की) शुभ सूचना लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पहुँचा और आप ने उस से जंग की तफ़सील मालूम की तो उस ने पूरी घटना की जानकारी दी और (लगे हाथों) उसामा रज़ि॰ की घटना को भी बयान कर दिया। इस पर आप ने उन्हें बुला कर पूछा: तुम ने उसे क्यों मार डाला? इस पर उसामा ने कहा: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! उस ने मुसलमानों को बहुत दु:ख दिया और कई एक सहाबा का नाम लेकर बताया कि फ़लाँ-फ़लाँ को क़त्ल भी कर दिया। फिर जब मैं उस पर वार करने चला तो वह मेरी तल्वार देख कर "लाइला-ह इल्लल्लाह" पढ़ने लग गया। आप ने पूछा: फिर भी तुम ने उसे क़त्ल कर दिया? उन्होंने कहा: हाँ। आप ने फ़रमाया: जब वह क़ियामत के दिन

लाइला-ह इल्लल्लाहु पढ़ता हुआ आयेगा तो तुम उस का क्या उत्तर दोगे? इस पर उसामा कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! आप मेरे लिये क्षमा की दुआ़ फ़रमा दीजिये (मुझ से बहुत बड़ी चूक होगयी) लेकिन आप बराबर यही कहते रहे: तुम्हारे पास उस का क्या उत्तर होगा जब वह क़ियामत के दिन लाइला-ह इल्लल्लाहु पढ़ता हुआ आयेगा। आप ने इस से अधिक और कुछ न कहा और बराबर यही कहते रहे: तुम्हारे पास उस का क्या उत्तर होगा जब वह क़ियामत के दिल लाइला-ह इल्लल्लाहु कलिमा पढ़ता हुआ आयेगा?

फ़ाइदा:- हदीस काअर्थ स्पष्ट है। अमीर मुआ़विया रज़ि॰ के देहान्त के बाद अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि॰ ने ख़िलाफ़त का दावा कर दिया था, दूसरी ओर यज़ीद रज़ि॰ ख़लीफ़ा थे। इन हालात में मुसलमान दो गुटों में बंट गये थे, एक गुट इब्ने जुबैर का हामी था और दूसरा यज़ीद का, और सभी एक-दूसरे से जंग करने पर आमादा थे। जुन्दुब रज़ि॰ ने उन्हें हदीस सुना कर यह समझाया कि उसामा ने शुब्हे की बुनियाद पर क़त्ल कर दिया था जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कितने नाराज़ हुये थे, और यहाँ तो दोनों गरोह स्पष्ट मुसलमान हैं फिर क्योंकर एक-दूसरे से जंग और जिहाद जाइज़ हो सकता है।

बाब {जो व्यक्ति अल्लाह पाक से ऐसे ईमान के साथ मिला जिस में तनिक भर भी शुक-शुब्हा नहीं था, वह जन्नत में दाख़िल होगा।}

9:- उस्मान रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस किसी का इस हाल में देहान्त हुआ कि उस को पूरा विश्वास था कि अल्लाह के अतिरिक्त और कोई इबादत के योग्य नहीं तो वह (निःसंदेह) जन्नत में दाख़िल होगा।

10:- अबू हुरैरा या अबू सईद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि तबूक की जंग के मौक़ा पर लोग भूख से बेहाल हो गये तो कहा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! अगर आप की ओर से अनुमति हो तो हम अपने उन ऊँटों को जिन्हें पानी ढोने में इस्तेमाल करते हैं ज़ब्ह कर डालें और उन से अपनी भूख मिटा लें। आप ने फ़रमाया: ठीक है, ज़ब्ह कर डालो। इतने में उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ आ गये और कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर उन्हें ज़ब्ह कर डालेंगे तो इस प्रकार सवारी के ऊँट कम हो जायेंगे (और एक दूसरी समस्या खड़ी हो जायेगी) इसलिये बेहतर यह है आप लोगों से कह दें कि सभी लोग अपना-अपना बचा हुआ खाना-पानी ले आयें, फिर आप उन में बर्कत की दुआ़ फ़रमा दें, इस प्रकार अल्लाह तआ़ला अवश्य ही (भूख का) मस्अला हल फ़रमा देगा। आप ने फ़रमाया: तुम्हारा मश्वरा सर आँखों पर। फिर आप ने एक चादर मँगवा कर बिछाया और सब का बचा हुआ तोशा मँगवा कर इकट्ठा कर लिया। रावी बयान करते हैं कि कोई मुट्ठी भर जुवार लाया तो कोई एक मुट्ठी खजूर

और कोई रोटी का टुक्ड़ा। इस प्रकार चादर पर थोड़ा-बहुत खाने की सामग्री जमा हो गयी। फिर आप ने उन में बर्कत की दुआ फ़रमायी और कहा कि: अब अपने-अपने बर्तनों में यह खाना (जितना भर सकते हो) भर लो। चुनान्चे सभी लोगों ने अपने-अपने बर्तन में (जितना भर सकते थे) भर लिया, यहाँ तक कि तमाम लश्कर वालों का बर्तन खाने से भर गया। तब आप ने फ़रमाया: अश्-हदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाहु वइन्नी रसूलुल्लाहि (मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त और कोइ माबूद नहीं, और मैं अल्लाह का (सच्चा) रसूल हूँ) और जो कोई बन्दा बिना शक-शुब्हा किये हुये इन दोनों बातों पर संपूर्ण रूप से विश्वास के साथ अल्लाह से मिलेगा तो निश्चित तौर पर वह जन्नत में दाख़िल होगा।

11:- अबू अ़ब्दुल्लाह अ़ब्दुर्रहमान सुनाबही (ताबअ़ी) बयान करते हैं कि मैं उबादा बिन सामित रज़ि॰ का हाल-चाल मालूम करने उन के पास गया, वह उस समय देहान्त के निकट थे। चुनान्चे उन्हें देख कर मैं रोने लगा, तो उन्होंने कहा: सुनों! इस में रोने की क्या बात है? अल्लाह की क़सम! अगर मुझे तुम्हारे बारे में गवाही देने के लिये कहा जायेगा तो मैं तुम्हारे बारे में (मोमिन होने की) गवाही दूँगा, और अगर मेरी सिफ़ारिश कुछ कारगर होगी तो तुम्हारे बारे में अवश्य ही सिफ़ारिश करूँगा, और जहाँ तक मुझ से संभव हो सकेगा तुम्हें फ़ाइदा पहुँचाने से नहीं चूकूँगा। फिर कहने लगे: अल्लाह की क़सम! मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से जो भी ऐसी हदीस सुनी जिस में तुम्हारे लिये भलाई थी उसे ज़रूर बयान कर दी थी, लेकिन एक हदीस मैं ने किसी से नहीं बयान की थी वह भी आज बयान किये देता हूँ क्योंकि मेरा अन्तिम समय है। मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना है कि जो व्यक्ति इस बात की गवाही दे कि अल्लाह को छोड़ कर और दूसरा कोई माबूद नहीं है, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अल्लाह के (पक्के-सच्चे) सन्देष्टा हैं, तो अल्लाह पाक उस पर जहन्नम को हराम कर देगा।

12:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बैठे हुये थे, हमारे साथ सहाबा में अबू बक्र व उमर फ़ारूक़ रज़ि॰ भी थे। कि इसी दर्मियान नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उठ कर कहीं चले गये और काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी नहीं लौटे, तो हम लोग सन्देह प्रकट करने लगे कि कहीं ऐसा न हो कोई दुश्मन आप को अकेला पा कर नुक़्सान पहुँचायें, इसलिये हम लोग घबरा कर उठ खड़े हुये। सब से पहले मैं घबराया और आप को ढूँड़ते हुये अन्सारी क़बीला बनी नज्जार के एक बाग़ के पास पहुँच गया। अब चारों तरफ़ से दवाज़ा ढूँड़ने लगा ताकि बाग़ के अन्दर जा सकूँ (क्योंकि आशा थी कि आप इसी बाग़ के अन्दर ही हैं) लेकिन अन्दर जाने के लिये कोई दवाज़ा ही नज़र न आया (सभवत: उन्हें घबराहट में न दिखाई दिया हो) इतने में क्या देखा कि बाहर एक कुँआ

है और वहाँ से पानी की एक नाली बाग़ के अन्दर गयी हुयी है, चुनान्चे मैं लोमड़ी की तरह सिमट कर उस नाली में से घुस कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पहुँच गया। आप ने मुझे देख कर फ़रमायाः अरे अबू हुरैरा तुम? मैं ने कहाः जी हाँ ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने पूछाः कैसे आना हुआ? मैं ने कहाः आप उठ का बाहर चले आये, जब काफ़ी समय बीत गया और नहीं लौटे तो हमें इस बात की शंका हुयी कि कोई दुश्मन आप को अकेला पा कर दुःख न पहुँचाये, इसलिये हम सभी घबरा गये। सब से पहले मैं घबराया और सीधे इस बाग़ में आया (लेकिन कोई दर्वाज़ाही नमिला) तो चारदीवारी की नाली में लोमड़ी की तरह अपने शरीर को सिकोड़ कर घुस आया, और बाक़ी लोग भी मेरे पीछे-पीछे आ रहे हैं। आप ने फ़रमायाः ऐ अबू हुरैरा! फिर अपने जूते (निशानी के तौर पर) देकर फ़रमायाः मेरे यह दोनों जूते साथ में ले जाओ और जो भी तुम्हें इस बाग़ के बाहर मिले और वह लाइला-ह इल्लल्लाह की गवाही देता हो, साथ ही उस पर संपूर्ण रूप से विश्वास भी रखता हो तो उसे जन्नत की शुभसुचना सुना दो। चुनान्चे सर्वप्रथम उमर फ़ारूक़ रज़ि॰ से भेंट हो गयी तो वह पूछने लगेः यह जूते किस के हैं? मैं ने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हैं, आप ने इन्हें (निशानी के तौर पर) देकर मुझे इस बात के लिये भेजा है कि जो भी मिले और वह लाइला-ह इल्लल्लाहु की गवाही देता हो और उस पर दिल से यक़ीन भी रखता हो तो उस को जन्नत की शुभसूचना सुना दूँ। इतना सुनना था कि उन्होंने मेरी छाती के बीच में हाथ मारा कि मैं चूतड़ के बल गिर गया और कहने लगेः ऐ अबू हुरैरा (चुप-चाप) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लौट जाओ। चुनान्चे मैं आप के पास वापस़ लौट गया और आप के सामने रोने ही वाला था कि इतने में उमर रज़ि॰ भी पहुँच गये। आप ने मुझ से पूछाः ऐ अबू हुरैरा! क्या बात है? (वापस क्यों लौट आये?) मैं ने कहाः जो सन्देश आप ने देकर मुझे भेजा था उसे उमर को सुनाया तो उन्होंने मेरी छाती के बीच में एक हाथ ऐसा मारा कि मैं चूतड़ के बल उलट गया और कहा कि वापस लौट जाओ (इसी में तुम्हारी भलाई है) आप ने उमर से पूछाः तुम ने ऐसी हर्कत क्यों की? उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मेरे माता-पिता आप पर निछावर। आप ने अबू हुरैरा को अपने जूते (निशानी के तौर पर) देकर भेजा था कि जो भी मिले और वह लाइला-ह इल्लल्लाह की गवाही देता हो और दिल से विश्वास भी रखता हो उसे जन्नत की शुभसूचना दे दो? आप ने फ़रमायाः हाँ। इस पर उमर बोलेः मेरे माता-पिता आप पर निछावर, ऐसा न करें, वर्ना मुझे डर है कि लोग उस पर भरोसा कर के बैठे रहेंगे। इसलिये उन्हें अ़मल करने दीजिये। यह सुन कर आप ने फ़रमायाः ठीक है उन्हें अ़मल करने दो।

13:- मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा मैं ऊँटनी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था, मेरे और आप के दर्मियान पालान की लकड़ी के अतिरिक्त और कुछ न था। आप ने फ़रमायाः ऐ

मुआज़! मैं ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मैं हाज़िर हूँ और आज्ञापालन के लिये तय्यार हूँ। फिर थोड़ी देर चलते रहने के बाद आप ने फ़रमायाः ऐ मुआज़ बिन जबल! मैं ने कहाः हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह के रसूल और आज्ञापालन के लिये तय्यार हूँ। फिर थोड़ी देर तक चलने के बाद आप ने फ़रमायाः ऐ मुआज़ बिन जबल! मैं ने कहाः हाज़िर हूँ मैं ऐ अल्लाह के रसूल और आज्ञापालन के लिये तय्यार हूँ। आप ने फ़रमायाः तुम्हें मालूम है कि अल्लह का बन्दों पर क्या हक़ है? मैं ने कहाः अल्लाह और उस के सन्देष्टा बेहतर जानते हैं। आप ने फ़रमायाः अल्लाह का बन्दों पर यह हक़ है कि केवल उसी की इबादत करें और उस के साथ किसी को शरीक न बनायें। फिर थोड़ी दूर तक चलने के बाद फ़रमायाः ऐ मुआज़ बिन जबल! मैं ने कहाः हाज़िर हूँ मैं ऐ अल्लाह के रसूल और आज्ञा पालन के लिये तय्यार हूँ। आप ने फ़रमायाः तुम्हें मालूम है बन्दों पर अल्लाह का क्या हक़ है? जब बन्दे यह काम करें (यानी उस की इबादत करें और उस के साथ किसी को शरीक न ठहरायें) मैं ने कहाः अल्लाह और उस के रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप ने फ़रमायाः (अल्लाह पर बन्दों का यह हक़ है) कि वह उन को दन्ड न दे।

फ़ाइदाः– हदीस न॰ 9 से 13 तक में यह बतलाया गया है कि "लाईला-ह इल्लल्लाहु" कहने वाला जन्नत में जायेगा। यह हदीस बड़ी संक्षिप्त और ठोस है। इस का अर्थ यह है कि दिल से अल्लाह को एक जाने और माने, ज़बान से भी इस का इक़रार करे और अल्लाह ने जिन बातों का आदेश और निर्देश दिया है उन पर अ़मल करे और जिन बातों से मना किया है उन से दूर रहे। चुनान्चे एक हदीस में इस की तशरीह यूँ है कि "लाइला-ह इल्लल्लाह कहने के बाद उस पर जम जाओ" अर्थात उस के आदेशों और निर्देशों पर पाबन्दी के साथ अ़मल करो। मालूम हुआ कि जो व्यक्ति दिल और ज़बान से तो इक़रार करता है लेकिन अ़मल नहीं करता है वह भी जन्नत में जायेगा, लेकिन अल्लाह के आदेशों का पान न करने की सज़ा जहन्नम में भुगत लेने के बाद। क्योंकि ईमान केवल ज़बानी जमा-ख़र्च का नाम नहीं है। हज़रत उमर रज़ि॰ ने इसलिये मना किया था कि लोग केवल ज़बानी जमा-ख़र्च पर भरोसा कर लेंगे और अ़मल से दूर हो जायेंगे।

14:– महमूद बिन रबीअ़ा रज़ि॰ रिवायत करते हैं कि जब मैं मदीना शरीफ़ आया तो अ़ितबान बिन मालिक से मुलाक़ात की और उन से कहा कि आप की बयान की हुयी एक हदीस मुझ तक पहुँची है (अगर मुझ से बयान कर देते तो अच्छा होता) यह सुन कर उन्होंने कहाः (मामला यह है) कि जब मेरी आखों की रेशनी कम हो गयी (और मस्जिद में पहुँचने से मजबूर हो गया) तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास संदेश भेजा कि अगर आप मेरे घर तशरीफ़ ला कर किसी स्थान पर नमाज़ पढ़ दें ताकि मैं उस स्थान पर नमाज़ पढ़ता रहूँ। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और आप के साथ कुछ दूसरे सहाबा भी जिन्हें अल्लाह ने चाहा आये। आप घर के अन्दर दाख़िल होकर नमाज़ पढ़ने लगे, लेकिन आप के सहाबा परस्पर बातों ही में लगे

रहे (बातों–बातों में मुनाफ़िक़ों का भी ज़िक्र छिड़ गया) तो उन्होंनें मुनाफ़िक़ मालिक बिन दुख़्शुम के बारे में चाहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस के लिए बद्दुआ फ़रमा दें ताकि वह मर जाये, या उस पर मुसीबत आ जाये। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो फ़रमायाः क्या मालिक बिन दुख़्शुम "लाइला–ह इल्लल्लाह" की गवाही नहीं देता और इस बात की भी कि मैं अल्लाह का सन्देष्टा हूँ? सहाबा ने कहाः वह ज़बान से तो कहता है, लेकिन दिल से नहीं कहता। आप ने फ़रमायाः जो सच्चे दिल से लाइला–ह इल्लल्लाह मु–हम्मदुर्रसूलुल्लाह कह देगा वह जहन्नम में नहीं जायेगा, या उसे जहन्नम की आग नहीं खायेगी। अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने कहा कि यह हदीस मुझे बड़ी भली मालूम हुयी तो मैं ने अपने बेटे से कहाः इसे नोट कर लो। चुनान्चे उन्होंने लिख लिया।

एक दूसरी रिवायत में अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि अ़ितबान बिन मालिक जो अन्धे हो गये थे मुझ से हदीस बयान की कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास संदेश भेजवाया कि आप मेरे घर तशरीफ़ ला कर मेरे नमाज़ पढ़ने के लिये कोई स्थान सुनिश्चित फ़रमा दीजिये, चुनान्चे आप और आप के साथ सहाबा भी तशरीफ़ लाये, लेकिन एक व्यक्ति जिसे लोग मालिक बिन दुख़ैशिम के नाम से जानते थे, वह नहीं आये। फिर उन्होंने ऊपर की हदीस की तरह पूरी हदीस बयान की।

फ़ाइदाः– इस हदीस से भी वही ऊपर की बात मालूम हुयी कि जो लाइला–ह इल्लल्लाह मु–हम्मदुर्रसूलुल्लाह की गवाही देगा वह जन्नत में जायेगा। गवाही देने का यह अर्थ है कि दिल से इक़रार करे, ज़बान से भी दावा करे और हाथ–पैर से भी आदेशों पर अ़मल कर के सिद्ध करे। केवल ज़बानी दावा करने से जन्नत नहीं मिलेगी।

सहाबा ने मालिक बिन दुख़ैशिम को मुनाफ़िक़ कहा, लेकिन जैसा कि बुख़ारी की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वह लाइला–ह इल्लल्लाह केवल अल्लाह के लिये कहता था, इसलिये वह मुनाफ़िक़ नहीं है, यह व्यक्ति बद्र की जंग में भी शरीक थे।

इमाम नववी रह॰ लिखते हैं कि इस हदीस से कई बातों का ज्ञान प्राप्त होता है (1) बुज़ुर्गों से बर्कत हासिल करना (2) पीर अपने मुरीद के घर जाये (3) नमाज़ पढ़ने वाले के बग़ल में बातें कर सकता है, मगर शर्त यह है कि उसे तक्लीफ़ न पहुँचे (4) हदीस का लिखना (5) इमाम या ज्ञानी अपने साथ और दो–चार को भी ले जा सकता है (6) मेहमान घर के मालिक की इजाज़त से इमामत कर सकता है (7) मुरीद अपने पीर से जाइज़ काम के लिये अनुरोध कर सकता है आदि।

बाब {ईमान किसे कहते हैं? और उस की ख़स्लतों (आदतों) का बयान।}

15:– अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि क़बीला अ़ब्दुल क़ैस के कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर अनुरोध

। किया: ऐ अल्लाह के संदेष्टा! हमारा संबन्ध रबीआ की एक शाखा (अ़ब्दुल क़ैस) से है। हमारे और आप के दर्मियान क़बीला मु-ज़र के लोग पड़ते हैं (जो यात्रियों को लूट लेते हैं) इसलिये हम आप की सेवा में केवल हराम महीनों (ज़ीक़ादा, ज़िल हिज्जा, मुहर्रम और रजब) में ही आ सकते हैं, इसलिये आप हमें कुछ ऐसे (अहम) कामों को बता दें (जिस पर हम स्वँय अ़मल करें और) जिसे हम उन लोगों को भी बतला दें जो हम से पीछे रह गये हैं और उन पर अ़मल करने के पश्चात् जन्नत में दाख़िल हो सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मैं तुम्हें चार कामों के करने का आदेश देता हूँ और चार ही चीज़ों से मना करता हूँ (जिन चार बातों का आदेश देता हूँ वह यह हैं) (1) केवल अल्लाह की इबादत करो और उस के साथ किसी को शरीक न करो (2) पाबन्दी के साथ नमाज़ पढ़ो (3) और ज़कात अदा करो (4) और रमज़ान के रोज़े रखो (इन के अ़लावा) माले ग़नीमत में से पाचवाँ हिस्सा अदा करो। और इन चार बातों के प्रयोग से तुम्हें मना करता हूँ (1) दुब्बा (2) हन्तम (3) मु-ज़फ़्फ़त (4) और नक़ीर से। उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! (शायद) आप "नक़ीर" के बारे में नहीं जानते हैं? आप ने फ़रमाया: मैं जानता हूँ। "नक़ीर" एक प्रकार की लक्ड़ी होती है जिस में खोद कर गंड्ढा बना लेते हो फिर उस में "क़तीआ" नामक खजूर को भिगोते हो। रावी सओद ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह कहा कि "जिस में तुम "तमर" (खजूर) भिगोते हो, फिर उस में पानी डालते हो, जब उस का जोश थम जाता है तो उसे पीते हो, फिर (नशा की हालत में) अपने चचा के बेटे ही की तल्वार से हत्या कर देते हो।

हदीस के रावी बयान करते हैं कि उस समय हम लोगों के दर्मियान (जोहम नामक) एक व्यक्ति उपस्थित था, जो नशा ही की वजह से घायल हो चुका था। उस ने कहा कि (उस समय) मैं मारे शर्म के अपने घाव के निशान को छुपा रहा था। मैं ने कहा: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! फिर किस बर्तन में पियें? आप ने फ़रमाया: चमड़े के बर्तन (यानी मश्क) में पियो जिन का मुँह (डोरी आदि से) बाँध दिया जाता है। इस पर लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! चूँकि हमारे देश में चूहों की भरमाड़ है इसलिये वहाँ चमड़े के बर्तन (सुरक्षित) नहीं रह सकते (वह उन्हें काट डालेंगे) आप ने फ़रमाया: पियो चमड़े ही के बर्तनों में चाहे चूहे उन्हें काट डालें, चाहे उन्हें काट डाले।

हदीस के रावी ने बयान किया कि इस के बाद आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ब्दुल् क़ैस के वफ़्द (मन्डल) के एक व्यक्ति अशज से फ़रमाया: तुम्हारे अन्दर दो बातें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह को बहुत पसन्द हैं। एक तो तुम्हारी बुद्धिमानी और दूसरी तुम्हारी संजीदगी और इतमिनान से कार्य करना।

फ़ाइदा:– जिन चार बर्तनों में पीने से मना किया उन की तफ़सील हदीस न॰ 1 के फ़ाइदा में पढ़ें। चूंकि इन बर्तनों में शराब पीते थे इसलिये इन बर्तनों से भी लगाव पैदा हो गया था, इसलिये ईमान लाने के बाद उन में पानी भी पीना मना कर दिया ताकि

उन बर्तनों से लगाव समाप्त हो जाये, न वह बर्तन देखेंगे और न शराब की याद सताएगी। लेकिन मुस्लिम ही की एक रिवायत के मुताबिक़ बाद में आप ने उन में पीने की अनुमति दे दी और फ़रमायाः "अब किसी भी बर्तन में नबीज़ बनाओं, लेकिन नशा लाने वाली चीज़ को मत पियो।"

अ़ब्दुल कैस का वफ़्द जब मदीना आया तो पहुँचते ही सभी लोग उसी हालत में अल्लाह के रसूल के पास पहुँच गये, लेकिन अशज ने रूक कर आराम किया, सामान को सुरक्षित किया, नहा-धो कर कपड़े बदले फिर इतमिनान से आप के पास हाज़िर हुये। आप ने उन्हें बुला कर अपने पास बैठाया और फ़रमायाः तुम्हारी बुद्धिमानी (अक़्लमंदी) और इत्मिनान से कार्य करना यह दोनों विशेषताएँ समस्त ख़ूबियों की जड़ हैं। और वास्तव में जल्द बाज़ी में बहुत सी ग़लतियाँ हो जाती हैं। मालूम हुआ कि किसी कार्य को करने से पूर्व पलानिंग और सोच-विचार करना चाहिये।

इमाम नववी रह॰ ने इस हदीस से 15 मस्अले निकाले हैं (1) अहम कार्य के लिये मन्डल की शक्ल में किसी के पास जाना चाहिये इस से वज़न बढ़ जाता है (2) अगर बिगड़ने का डर न हो तो मुँह पर उस की प्रशंसा कर सकते हैं। (3) बार-बार सवाल करने पर डाँटना नहीं चाहिये (4) कोई बात न समझ में आये तो पुनः पूछना चाहिये (5) किसी कार्य को अहम बताने केलिये बार-बार उसे दोहराना चाहिये आदि।

16:- अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! कौन सा कार्य सब से अफ़ज़ल (उत्तम) है? आप ने फ़रमायाः अल्लाह पर ईमान लाना और उस की राह में जिहाद करना। मैं ने फिर पूछाः कौन सा गुलाम स्वतन्त्र करना? आप ने फ़रमायाः जो गुलाम मालिक के नज़दीक सब से अच्छा मालूम हो और उस का मूल्य भी अधिक हो। मैं ने कहाः अगर मैं यह न कर सकूँ तो? आप ने फ़रमायाः तू किसी कारीगर की सहायता कर या किसी कम बुद्धि रखने वाले व्यक्ति के लिये मज़दूरी कर (जो कोई कार्य न कर सके और रोज़ी-रोटी का मुहताज हो) मैं ने कहाः अगर मैं स्वँय कमज़ोर हूँ और किसी के लिये सहायता न कर सकूँ तो? आप ने फ़रमायाः अपनी बुराई से लोगों को कष्ट न पहुँचा, यही तेरा अपने ऊपर सदक़ा है।

फ़ाइदाः- किसी कारीगर की सहायता कर, यानी जो हाथ से मेहनत-मज़दूरी करता हो, जैसे बढ़ई या लोहार या दर्ज़ी। इन में उस की सहायता करो जिस के बाल-बच्चे बहुत अधिक हों और आमदनी कम हो जिस से उन का पालन-पोषण कठिन हो रहा हो, इस स्थिति में उस की सहायता करना सवाब का कार्य है।

उस की भी सहायता कर जिस की बुद्धि कमज़ोर होने के नाते कोई व्यवसाय, पेशा और हुनर न आता हो। अपनी बुराई से दूसरों को कष्ट न पहुँचाना, यह अपने आप पर सदक़ा है। जिस प्रकार सदक़ा-ख़ैरात देने से दूसरों को लाभ पहुँचाता है, इसी प्रकार बुराई

न करने से स्वँय को लाभ पहुँचाता है। दुनियाँ में सुखी रहता है और आख़िरत में सवाब मिलता है।

बाब {ईमान का क्या तक़ाज़ा है? और शैतानी वस्वसा (शक–शुब्हा) के समय अल्लाह से पनाह माँगने का बयान।}

17:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः लोग तुम से ज्ञान की बातें पूछते रहेंगे, फिर यहाँ तक प्रश्न करने लगेंगे कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो फिर उस को किस ने पैदा किया है? हदीस के रावी ने बयान किया कि इस हदीस को जब अबू हुरैरा रज़ि॰ बयान कर रहे थे उस समय एक व्यक्ति का हाथ पकड़े हुये थे। उन्होंने कहाः अल्लाह और उस के सन्देष्टा ने सच कहा है। मुझ से दो व्यक्ति यही प्रश्न कर चुके हैं और यह (जिस का हाथ पकड़े हूँ) तीसरा है। या यूँ कहा कि यह दूसरा है।

18:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमायाः ऐ अबू हुरैरा! लोग तुम से दीन के बारे में मस्अले पूछते रहेंगे, यहाँ तक कि यह भी प्रश्न करेंगे कि अल्लाह पाक मौजूद है तो उसे किस ने पैदा किया? अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि एक मर्तबा हम लोग मस्जिद में बैठे हुये थे कि इतने में कुछ दीहाती आये और कहने लगेः ऐ अबू हुरैरा! अल्लाह पाक मौजूद है तो उसे किस ने पैदा किया है? यह सुनना था कि अबू हुरैरा ने एक मुट्ठी भर कन्करी उन के मुँह पर दैमारी और कहाः यहाँ से उठ कर चले जाओ, हमारे मित्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फ़रमाया था (कि तुम से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे)

फ़ाइदाः– इस प्रकार का कोई प्रश्न करे या दिल में ख़याल आये तो कहेः "आ–मन्तु बिल्लाहि" (मैं अल्लाह पर ईमान लाया) यह कह कर इस प्रकार के शक–शुब्हा को दिल से निकाल दे और अल्लाह से पनाह माँगे। इस प्रकार के प्रश्नों को दलील और तर्क से रद्द करने की कोशिश न करे, वर्ना स्वँय ही उलझता चला जायेगा और हैरानी–परेशानी बढ़ती जायेगी और अन्त में स्वँय ही गुमराह हो जायेगा।

बाब {अल्लाह पाक पर ईमान लाने और उस पर जमे रहने का बयान।}

18:– सुफ़यान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! इस्लाम के बारे में मुझे एक ऐसी बात बता दें ताकि आप के बाद (उस के बारे में) फिर किसी से प्रश्न न करूँ (अबू उसामा रज़ि॰ की रिवायत में है कि "आप के सिवा किसी से न पूछूँ") आप ने फ़रमायाः तुम यह कहो कि "मैं अल्लाह पर ईमान लाया" और फिर इस पर क़ायम रहो।

फ़ाइदाः– बिल्कुल इसी प्रकार का एक हुक्म पारः24, सूरःसज्दा, आयत 30 में मौजूद

है, तफ़सील वहाँ देखें। "मैं अल्लाह पर ईमान लाया" का अर्थ है उस के आदेशों पर अ़मल करे और जिन से मना किया है उन से दूर रहे। इस्लाम के तमाम अहकाम पर अ़मल करना शर्त है। "फिर उस पर क़ाइम रहो, जमे रहो, डटे रहो" यानी अल्लाह पाक के आदेशों पर मुस्तक़िल अ़मल करते रहो, और इस राह में जो परेशानियाँ आयें उन का डट कर मुकाबला करो। अ़ल्लामा इक़बाल ने इस की तशरीह (व्याख्या) अपनी कविता में यूँ की हैं:

यह शहादत गहे उल्फ़त में क़दम रखना है।
लोग आसान समझते हैं मुसलमाँ होना।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के चमत्कार और उन पर ईमान लाने का बयान।}

19:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर सन्देष्टा को वही चमत्कार मिले हैं जो उन से पर्व के सन्देष्टाओं को मिल चुके थे जिस की बुनियाद पर लोग ईमान लाते थे, लेकिन मुझे जो चमत्कार मिला है वह वह्यि द्वारा क़ुरआन की शक्ल में मिला है (ऐसा चमत्कार और किसी सन्देष्टा को नहीं मिला है) इसलिये मैं आशा करता हूँ कि मेरी पैरवी करने वाले क़ियामत के दिन सब से अधिक संख्या में होंगे।

20:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस अल्लाह की क़सम, जिस के हाथ में मुहम्मद की जान है मेरी उम्मत का कोइ भी यहूदी, या नसरानी (या किसी भी धर्म का मानने वाला) मुझे नबी जानते हुये भी जो कुछ भी मैं देकर भेजा गया हूँ, अगर उस पर ईमान लाये बिना मर गया तो वह सीधा जहन्नम में जायेगा।

फ़ाइदाः– हदीस न॰ 19 से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की उम्मत की संख्या सब से अधिक होगी। इस का कारण हदीस न॰ 20 में बताया कि मेरे दीन इस्लाम लाने के बाद पहले की शरीअ़तें मंसूख हो गयीं। क़ियामत तक के लिये अब कोई संदेष्टा नहीं आयेगा इसलिये सभी को मुझे नबी मानना और मेरी शरीअ़त पर अ़मल करना होगा, इसलिये मेरे मानने वालों की संख्या सब से अधिक होगी।

21:– इमाम शोबी ने बयान किया कि मुल्क खुरासान के रहने वाले एक व्यक्ति ने मुझ से कहाः हमारे देश के लोगों का कहना है कि जो कोई अपनी लौंडी को स्वतन्त्र कर के उस से निकाह कर ले, उस की मिसाल उस व्यक्ति की सी है जो अपनी कुर्बानी के जानवर पर सवारी करता है। हालाँकि मुझ से अबू बुर्दा ने अपने पिता अबू मूसा के हवाले से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें दोहरा सवाब मिलेगा (1) वह अहले-किताब (यहूदी या ईसाई) जो अपने

संदेष्टा पर ईमान लाया, फिर मेरा समयकाल पा कर मुझ पर भी ईमान लाया, मुझे सच्चा जाना और मेरी पैरवी की, तो ऐसे व्यक्ति को दोहरा सवाब मिलेगा। (2) वह गुलाम जो अपने मालिक का हक़ अदा करने के साथ अल्लाह पाक का भी हक़ अदा करे, तो इस को भी दोहरा सवाब मिलेगा। (3) इसी प्रकार वह व्यक्ति जो अपनी लौंडी को खिलाए-पिलाए और साथ ही उस की अच्छी तरह शिक्षा-प्रशिक्षण भी करे, फिर उसे स्वतन्त्र कर के उस से विवाह कर ले तो ऐसे व्यक्ति को भी दोहरा सवाब मिलेगा।

फिर इमाम शोबी ने उस खुरासानी से कहा: तुम यह हदीस मुफ़्त में मुझ से ले लो, वर्ना एक व्यक्ति एक छोटी सी हदीस की जानकारी के लिये मदीना तक की यात्रा करता था।

फ़ाइदा:- पहले के जाहिल कुर्बानी के जानवर पर सवारी करना बुरा समझते थे, इसी प्रकार लौंडी को स्वतन्त्र कर के उस से निकाह करना भी बुरा समझते थे। इसी पर इमाम शोबी ने उसे हदीस को सुना कर कहा कि बुरा नहीं है, बल्कि दोगुना सवाब है।

बाब {उन आदतों का बयान कि जिस के अन्दर यह आदतें पाई जायें वही ईमान का अस्ल स्वाद पायेगा।}

22:- अनस बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तीन आदतें जिस के अन्दर मौजूद होंगी वही ईमान का अस्ल मीठा स्वाद पायेगा। (1) वह व्यक्ति जो अल्लाह और उस के रसूल से दूसरे सब लोगों से अधिक मुहब्बत रखे। (2) वह व्यक्ति जो किसी से दोस्ती केवल अल्लाह के लिये रखे (यानी किसी लालच या डर से नहीं) (3) वह व्यक्ति जिस को अल्लाह ने कुफ़्र से नजात दी तो फिर दोबारा कुफ़्र को इख़्तियार करना इतना ही बुरा जाने जितना आग में कूद पड़ना।

फ़ाइदा:- 'ईमान की मिठास' का अर्थ यह है कि अल्लाह की इबादत की राह में जो तक्लीफ़ें आयें उन्हें बर्दाशत करे और अल्लाह और उस के रसूल के आदेश को सब से प्रथम जाने। और इसी नियम पर क़ाइम रहे, यही ईमान की मिठास है।

23:- अनस बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: कोई बन्दा उस समय तक (संपूर्ण रूप से) मोमिन नहीं हो सकता जब तलक मैं उस के नज़दीक उस के माता-पिता और समस्त लोगों से अधिक महबूब न हो जाऊँ।

24:- अनस बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: उस अल्लाह की क़सम जिस के हाथ में मेरी जान है कोई व्यक्ति उस समय तक (संपूर्ण रूप से) मोमिन नहीं हो सकता जब तलक अपने भाई और पड़ोसी के लिये भी वही पसन्द न करे जो अपने लिये पसन्द करता हो।

फ़ाइदा:- मतलब यह है कि अपने मुसलमान भाई केलिये भी इबादत, नेकियाँ और

दुनियाँ की वह तमाम चीज़ें पसन्द करे जो अपने लिये पसन्द करता है। लेकिन इस के लिये अपने दिल को कीना और हसद से पाक-साफ़ रखना पड़ेगा। अख़्लाक़ के बाब में इस्लाम का यह बड़ा अहम सिद्धान्त है। लोग इन बातों को मामूली समझते हैं, लेकिन इस्लाम इन बातों को बड़ी अहमिय्यत देता है। समाज में दोस्ती, भाई-चारा, मानवता उसी समय क़ाइम हो सकता है जब अपने मुसलमान भाई के लिये भी वही चाहे जो अपने लिये चाहता है, और अगर उस भाई को कोई लाभ पहुँचता है तो उसे प्रसन्नता होती है। एक इस्लामी समाज के लिये यह हदीस रीढ़ की हड्डी की हैसिय्यत रखती है।

बाब {जिस ने अल्लाह पाक को अपना पालनहार मान लिया उस ने ईमान की मिठास को चख लिया।

25:– अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के चचा) से रिवायत है उन्होंने कहा कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः उस ने ईमान का भरपूर मज़ा चख़ लिया जो अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सन्देष्टा होने पर राज़ी हो गया।

फ़ाइदाः– अल्लाह को माबूद मानना, इस्लाम को अपना दीन मानना, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अपना सन्देष्टा मानना और उन के बताए हुये आदेशों का पालन करना, इसी का नाम इस्लाम और इस पर अ़मल करने वाले का नाम मुसलमान है। यह हदीस पूरे दीन इस्लाम का खुलासा, सत और निचोड है। इस के बाद एक मुसलमान के लिये भला और बचा ही क्या है?

बाब {जिस व्यक्ति के अन्दर चार आ़दतें पाई जायें वह पक्का मुनाफ़िक़ है।}

26:– अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस किसी के अन्दर यह चार बातें पाई जायेंगी वह पक्का मुनाफ़िक़ है। और जिस के अन्दर इन चार आदतों में से कोई एक आ़दत पाई जायेगी तो उस के अन्दर निफ़ाक़ की एक आ़दत होगी, यहाँ तक कि वह उसे तर्क कह दे। (1) जब बात करे तो झूठ बोले (2) मुआ़हिदा (अनुबन्ध) करे तो उस की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे (3) वादा करे तो पूरा न करे (4) लड़ाई-झगड़ा करे तो गाली गुलूच पर उतर आये।

अबू सुफ़यान की रिवायत में इतना और इज़ाफ़ा है कि अगर किसी के अन्दर उन आदतों में से क़ोई एक आ़दत पाई जायेगी तो वह एक आ़दत रखने वाला मुनाफ़िक़ होगा।

फ़ाइदाः– कुछ उलमा ने इस हदीस की तावील की है, उन का कहना है कि वह मुसलमान ऐसा मुनाफ़िक़ नहीं होगा जो काफ़िर हो जायेगा और न मुनाफ़िक़ों की तरह हमेशा जहन्नम में जायेगा। इन उलमा के निकट निरा और पक्का मुनाफ़िक़ होने का अर्थ यह है कि उन आ़दतों के पाई जाने के नाते मुनाफ़िक़ के मुशाबह हो जायेगा।

लेकिन इस में तावील करने की कोई गुन्जाइश नहीं है। एक मुसलमान के अन्दर वह चारों आदतें जमा हो जायें, वह इन्हें अपनी फ़ितरत और ओढ़ना-बिछौना बना लें तो अगर्चे उस का दावा इस्लाम का है, लेकिन वह पक्का मुनाफ़िक़ है जो इस्लाम और मुसलमान के नाम पर कलंक है। समाज में ऐसे ही मुसलमानों ने दीन इस्लाम को बदनाम कर के रख दिया है। ऐसा धर्म किस काम का जिस को कुबूल करने के बाद उस के ख़िलाफ़ करे और धर्म से जुड़ा भी रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है और ऐसे मुसलमान को मुनाफ़िक़ कहा है।

27:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुनाफ़िक़ की तीन निशानियाँ हैं (1) जब बात करेतो झूठ बोले (2) वादा करे तो वादा ख़िलाफ़ी करे (3) जब उसे अमानत सौंपी जाये तो उस में ख़ियानत करे।

बाब {मोमिन की मिसाल (फली-फूली) खेती के समान है और काफ़िर की मिसाल (बेफल-फूल वाले) सनूबर पेड़ के समान है।}

28:– क-अ़ब बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मोमिन की मिसाल खेत के नर्म झाड़ की सी है, जिसे हवा उसे झोंके देती हैं, कभी उसे गिरा देती है तो कभी सीधा कर देती है, यहाँ तक कि वह सूख जाती है। और काफ़िर की मिसाल सनूबर के पेड़ की सी है जो अपनी जड़ के साथ सीधा खड़ा रहता है। उसे कोई भी नहीं झुका सकता, अल्बत्ता यकबारगी ही उखड़ कर गिर जाता है। एक दूसरी रिवायत में यूँ है कि (मोमिन की मिसाल) उस खेती की सी है जिसे हवा के झोंके गिरा देते हैं और फिर सीधी खड़ी कर देते हैं, यहाँ तक कि उस को मौत आ जाती है। और मुनाफ़िक़ की मिसाल सुनूबर के पेड़ की सी है जो सीधा खड़ा रहता है और उसे कोई चीज़ नहीं पहुँचती।

बाब {मोमिन की मिसाल खजूर के पेड़ की सी है।}

29:– अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है वह बयान करते हैं कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बैठे हुये थे कि आप ने फ़रमायाः उस पेड़ का मुझे नाम बताओ जो मुसलमान के समान है, या जो मुस्लिम व्यक्ति की तरह है, जिस के पत्ते भी नहीं झड़ते। अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ कहते हैं कि मेरे दिल में यह ख़याल आया कि वह खजूर का पेड़ है। लेकिन मैं ने देखा कि अबू बक्र व उमर (जैसे बुज़ुर्ग सहाबा) नहीं उत्तर दे रहे हैं इसलिये (दर्मियान में) बोलना या बताना मैं नेभी उचित न जाना। (अन्त में) सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! हमें बतायें कि वह कौन सा पेड़ हैं? आप ने फ़रमायाः वह खजूर है। जब मैं ने अपने पिता जी से इस बारे में ज़िक्र किया (कि मैं जानता था) तो उन्होंने कहाः अगर तुम उस समय बता देते तो मुझे इन-इन चीज़ों के मिलने से कहीं अधिक खुशी होती।

बाब {हया भी ईमान में से है।}

30:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ईमान की साठ या सत्तर से भी अधिक शाखें हैं, उन में से सब से अफ़ज़ल "ला इला–ह इल्लल्लाह" कहना है और सब से कम दर्जे का रास्ता में से तकलीफ़ देने वाली चीज़ों का हटा देना है, और हया भी ईमान की एक शाख़ है।

फ़ाइदा:– एक रिवायत में है कि हया भलाई का नाम है। दूसरी रिवायत में है कि हया मुकम्मल भलाई और नेकी है। हया का अर्थ है बुरी बात कहने और बुरे कार्य करने से रूक जाना। लेकिन कभी ऐसा होता है कि इन्सान हया और शर्म की वजह से हक़ बात कहने से भी रूक जाता है तो इस का नाम हया नहीं है, बल्कि यह तो दिल की कमज़ोरी है। हया उस आ़दत का नाम है जो बुरी बातों से रोकती और अच्छी बातों की तरफ़ दावत देती है। जिस इन्सान के अन्दर हया नहीं वह पागल की तरह है कि जो चाहे करता फिरे।

31:– अबू क़तादा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम आठ–दस लोग अ़िम्रान बिन हुसैन के पास बैठे हुये थे, हमारे साथ बशीर बिन कअ़ब भी थे। इतने में अ़िम्रान ने हदीस बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हया मुकम्मल भलाई है, या हया सरापा ख़ैर का नाम है। इस पर बशीर बिन कअ़ब बोल पड़ेः हम ने तो हिक्मत की किताबों में पढ़ा है कि हया की एक क़िस्म का नाम संजीदगी और बुर्दबारी है और एक का नाम दिल की कमज़ोरी है। यह सुन कर अ़िम्रान रज़ि॰ आगबगूला हो उठे और मारे गुस्सा के उन की आँखें लाल–तूल हो गयीं और कहने लगेः मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हदीस बयान करता हूँ और तुम हो कि उस का रद्द कर रहे हो।

हदीस के रावी अबू क़तादा रज़ि॰ ने बयान किया कि अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ ने पुनः वही हदीस बयान की तो बशीर ने भी वही अपनी बात दोहरा दी, चुनान्चे अ़िम्रान रज़ि॰ फिर नाराज़ हो गये (और बशीर को सज़ा देना चाहा) तो हम लोगों को कहना पड़ा– ऐ अबू नुजैद! (यह उन की कुन्नीयत है) बशीर भी हम लोगों में से (एक मुसलमान) हैं और उन के अन्दर कोई बुराई नहीं है (न वह मुनाफ़िक़ हैं और न ही बेदीन हैं)

फ़ाइदा:– इन्सान के अन्दर एक प्रकार की कमज़ोरी वास्तव में पाई जाती है जिस के होते हुये वह डरपोक और बोदा हो जाता है, हक़ बात नहीं कह पाता और न ही अपना हक़ माँग पाता है, जो मिल जाये उसी को ग़नीमत समझता है। बशीर ने बिल्कुल दुरूस्त कहा, लेकिन यह किया कि इसे हया की एक क़िस्म बता दिया। हालाँकि हया की एक ही क़िस्म है जो इन्सान को बुराई से रोकती और भलाई करने पर उभारती है जो सरासर ख़ैर और भलाई है।

इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के क़ौल के सामने किसी और की बात पेश करे तो उसकी बात को तुरन्त रद्द कर देना चाहिये, चाहे वह कितना बड़ा महान, सहाबी, पीर, वली और बुज़ुर्ग ही क्यों न हो।

बाब {पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार व बर्ताव और मेहमान की अच्छी तरह आव-भगत करना ईमान में से हैं।}

32:- अबू शुरैह ख़ज़ाअी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो व्यक्ति अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिये कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करे। इसी प्रकार जो अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखता है वह अपने मेहमान के साथ आव-भगत करे। और जो अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखता है वह अच्छी बात कहे वर्ना चुप-चाप रहे।

फ़ाइदाः- नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करने के सिलसिले में जिब्रील अलै॰ इतनी बार याददिहानी कराते रहे कि मुझे शुब्हा होने लगा कि ऐसा न हो वह तर्का में भी हक़दार बन जाये। इस हदीस से अनुमान लगाया जा सकता है कि पड़ोसी का कितना हक़ है। इस हदीस में इस बात की ओर भी संकेत है कि इन्सान कोई बात कहने से पहले खूब सोच-विचार कर ले अगर उस से लोगों को फ़ाइदा पहुँचने वाला हो तो कहे, वर्ना चुप-चाप रहे।

बाब {जिस व्यक्ति का पड़ोसी उस की बुराइयों से सुरक्षित न हो वह जन्नत में नहीं दाखिल हो सकेगा।}

33:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वह व्यक्ति जन्नत में नहीं दाख़िल होगा जिस का पड़ोसी उस की बुराइयों से सुरक्षित नहीं है।

बाब {बुराई को हाथ से मिटाना, (या) ज़बान से रोकना (या) फिर दिल में बुरा जानना ईमान में से है।}

34:- तारिक़ बिन शिहाब ने बयान किया कि सब से पहले जिस ने अ़ीद के दिन नमाज़ दोगाना से पहले खुत्बा आरंभ किया वह (हकम का पुत्र) मर्वान था। चुनान्चे खुत्बा ही के दौरान एक व्यक्ति ने टोक दिया कि खुत्बा से पहले नमाज़ पढ़नी चाहिये। इस पर मर्वान ने कहाः लेकिन यह हुक्म अब ख़त्म हो चुका है। यह सुन कर अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ बोल उठेः उस ने (तुम्हें मना कर के) अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि तुम में से अगर कोई शरीअ़त के खिलाफ़ (मुन्कर) कार्य देखे तो उसे अपने हाथ से रोके (और न होने दे) अगर हाथ से रोकने की ताक़त न हो तो फिर ज़बान से मना करे, और इस की भी ताक़त न हो

तो दिल से उस काम को बुरा जाने, और यह (दिल में बुरा जानना) सब से कम दर्जे का ईमान है।

फ़ाइदा:– बुख़ारी–मुस्लिम की एक और रिवायत में है कि अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ ने स्वँय मर्वान का हाथ पकड़ कर खींच लिया और मिंबर पर जाने से रोका, लेकिन वह नहीं माना। बुराई को रोकने का काम अपनी–अपनी ताक़त और पहुँच के अनुसार सभी पर फ़र्ज़ है। और अगर कोई मुसलमान इतना गया गुज़रा हो जाये कि दिल से भी बुरा न जाने तो यह समझना चाहिये कि ईमान उस से समाप्त हो गया और कुफ़्र ने दिल में क़ब्ज़ा जमा लिया हैं। कुछ लोग यह सोच कर ख़ामोश हो जाते हैं कि हमारे मना करने से कुछ नहीं होगा, तो यह उन की भूल है। उस का काम मनवाना नहीं, बल्कि मना करना है। कुछ लोग यह सोच कर चुप हो जाते हैं कि हम स्वँय गुनहगार हैं, शरीअ़त पर नहीं चलते हैं इसलिये हमारा मना करने का हक़ नहीं बनता है, यह भी भारी भूल है। यह कोई शर्त नहीं है कि शरीअ़त की मुकम्मल पाबन्दी करने वाला ही मना करे। कुछ लोग इस काम को हाकिम, क़ाज़ी, पंच–प्रधान और प्रमुख के ज़िम्मा डालते हैं, यह भी दुरूस्त नहीं है। अपनी–अपनी पहुँच के अनुसार हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। शर्त यह है कि मना करते समय निय्यत उसे ज़लील करने की न हो, बल्कि इस्लाह हो। आजकल मुल्क में, समाज में, दीन इस्लाम में बुराइयों के फ़ैलने, उन के फलने–फूलने और पनपने का कारण यही है कि मना करने की ज़िम्मेदारी हर व्यक्ति एक–दूसरे के कन्धे पर डाल कर स्वँय बचने की कोशिश कर रहा है।

35:– अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह तआ़ला ने मुझ से पहले कोई सन्देष्टा ऐसा नहीं भेजा जिस के उस की उम्मत में से हवारी (साथी–सहयोगी) न रहे हों, और जो उनके तौर–तरीक़े पर चलते और उन के आदेशों का पालन न करते रहे हों। फिर धीरे–धीरे उन में से नालायक़ पैदा हो गये जो ज़बान से दावा तोकरते थे लेकिन अ़मल करते नहीं थे, वह ऐसे कार्य करने लगे जिन के करने का हुक्म ही नहीं दिया गया। तो जो ऐसे लोगों से (बुरे कामों के लिये) हाथ–पैर से लड़ाई लड़े वह मोमिन है, और जो केवल ज़बान से लड़े (यानी उन की बातों का रद्द करे) वह भी मोमिन है, और जो कोई उन से दिल से लड़े (यानी दिल से बुरा जाने) वह भी मोमिन है। लेकिन इस के बाद राई के दाने के बराबर भी ईमान (का दर्जा) नहीं (यानी जो दिल से भी बुरा न जाने उस के अन्दर कुछ भी ईमान नहीं)

अबू राफ़े रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने यह हदीस अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से बयान की तो उन्होंने मानने से इन्कार किया। इत्तिफ़ाक़ से अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ आ गये और क़तात की वादी में ठहरे, तो इब्ने उमर रज़ि॰ मुझे अपने साथ लेकर उन का हाल–चाल मालूम करने के लिये उन के पास गये, चुनान्चे मैं भी साथ गया। जब

सब लोग आराम से बैठ गये तो तमैं ने इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने भी इस हदीस को उसी प्रकार बयान किया जिस प्रकार मैं ने अ़ब्दुल्लह बिन उमर रज़ि॰ के सामने बयान किया था।

फ़ाइदाः– इब्ने उमर रज़ि॰ को यह हदीस नहीं पहुँची थी इसलिये इन्कार किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पहले के सन्देष्टाओं के उम्मतियों का हाल बयान कर के अपनी उम्मत की ओर इशारा किया है कि हमारी उम्मत में भी ऐसे नालायक़ लोग पैदा होंगे, उन हालात में हाथ–पैर से, ज़बान से, और दिल से तब्लीग़ करना हर शख़्स पर फ़र्ज़ है। इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ से एक रिवायत में है कि "ऐसे मौक़ा पर सब्र से काम लो यहाँ तक कि अल्लाह से मिलो" यह बात उन्होंने उस मौक़े के लिये फ़रमायी है जहाँ मना करने से फ़ितना, फ़साद, और लड़ाई, दंगा, फ़साद के पैदा हो जाने का डर हो। और ज़ाहिर है ऐसे मौक़ा पर सब्र ही बेहतर है।

इस हदीस से मालूम हुआ कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना यह दोनों दीन इस्लाम के अहम स्तंभ हैं जो हर मुसलमान पर अपनी–अपनी पहुँच और समय के हालात के लिहाज़ से नर्मी, और सख़्ती हर दो एतबार से फ़र्ज़ है। यानी हर व्यक्ति अपनी–अपनी पहुँच के अनुसार तब्लीग़ के तीनों तरीक़ों में से किसी एक को अपनाए। अपनाए अवश्य, बिना अपनाए चारा और नजात नहीं।

बाब {अ़ली रज़ि॰ से केवल मोमिन मुहब्बत करेगा और उन से केवल मुनाफ़िक़ हसद करेगा।}

36:– ज़र्र बिन हुबैश रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अ़ली रज़ि॰ ने कहाः उस अल्लाह की क़सम! जिस ने दाना चीरा (और उस से हरियाली पैदा की) और जान बनाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मझ से वादा लिया था कि मुझ से केवल मोमिन ही मुहब्बत करेगा और केवल मुनाफ़िक़ ही दुश्मनी रखेगा। तो जो अल्लाह से मुहब्बत करेगा अल्लाह भी उस से प्रेम करेगा, और जो उन से दुश्मनी रखेगा अल्लाह भी उस से दुश्मनी रखेगा।

बाब {अन्सार से मुहब्बत ईमान की निशानी है और उन से दुश्मनी निफ़ाक़ की निशानी है}

37:– बरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्सार के बारे में फ़रमायाः उन का दोस्त मोमिन है और उन का दुश्मन मुनाफ़िक़ है। जिस ने अन्सार से मुहब्बत की उस से अल्लाह मोहब्बत करेगा और जिस ने उन से दुश्मनी की, उस से अल्लाह भी दुश्मनी करेगा।

बाब {ईमान सिमट कर मदीना में आ जायेगा।}

38:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने

फ़रमायाः ईमान, मदीना में इस प्रकार सिमट कर आ जायेगा, जिस प्रकार साँप अपने बिल में सिमट कर चला जाता है।

बाब {ईमान तो बस यमन वालों का है, और हिक्मत भी यमन वालों ही के पास है।}

39:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः यमन के लोग (स्वैंय ही इस्लाम लाने के उद्देश्य से) आये, वह बड़े नर्म दिल और नर्म स्वभाव वाले हैं। ईमान तो बस यमन वालों का है और हिक्मत भी बस उन्ही के पास है, शान्ति और सुख भी उन्ही के पास है। बड़े बोल पन, तकब्बुर और शेख़ी घोड़े और ऊँट वालों में है, जो केवल चीख़ते-चिल्लाते हैं और वबर वाले हैं, जो सूरज के निकलने की तरफ़ (यानी मदीना से पूरब की ओर) के रहने वाले हैं।

40:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सख़्त दिली और अख़्खड़ पन पूरब वालों में है और ईमान हिजाज़ वालों के अन्दर है।

फ़ाइदाः– "फ़द्दाद" खेती-किसानी करने वालों को कहते हैं जो हल चलाते समय जानवरों पर चीख़ते-चिल्लाते और शोर मचाते हैं। या जो ऊँट चराते हैं। यह लोग बड़े सख़्त दिल और बुरे स्वभाव व आचरण के होते हैं।

मदीना से पूरब क़बीला मु-ज़र था जो बड़े सड़े हुये काफ़िर और इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। मदीना के पूरब में नज्द, चीन और हिन्दुस्तान भी आते हैं। चुनान्चे फ़ितना-फ़साद यहीं से फैला, वहशी तुर्कों ने हमला किया, हलाकू का फ़ितना, तैमूर का फ़ितना इसे सभी जानते हैं

बाब {जब तक कोई ईमान न लाये, उस की नेकी उस के किसी काम की नहीं।}

41:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ बयान करती हैं कि मैं ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! जाहिलिय्यत के समयकाल में जदआ़न का पुत्र रिश्ते-नाते जतोड़ता और ग़रीबों को खाना खिलाता था, तो क्या उस के यह नेक कार्य उस को (क़ियामत के दिन) कुछ लाभ पहुँचायेंगे? आप ने फ़रमायाः उस की यह नेकियाँ कुछ लाभ नहीं पहुँचायेंगी इसलिये कि उस ने यह कभी नहीं कहाः "ऐ मेरे मौला! मेरे गुनाहों को क़ियामत के दिन बख़्श दे।"

फ़ाइदाः– जदआ़न का बेटा अ़ब्दुल्लाह चूंकि आख़िरत पर यक़ीन नहीं रखता था। और क़ियामत पर ईमान न लाने वाला काफ़िर है। हाँ, दुनियाँ में नेकियाँ की हैं उस का बदला दुनियाँ ही में मिल जायेगा, आख़िरत में वह नेकियाँ उस के कुछ काम न आयेंगी। (देखें हदीस न॰ 60) लेकिन अगर ईमान ले आया तो कुफ़्र के ज़माने की भी नेकियों पर आख़िरत में सवाब मिलेगा (देखें हकीम बिन हिज़ाम की रिवायत न॰ 70) कुछ उलमा ने लिखा है कि ऐसा संभव है कि इन दुनियावी नेकियों की वजह से आख़िरत के अ़ज़ाब

में कुछ कमी कर दी जाये, लेकिन इस दावे की कोई दलील नहीं है। रही अबू तालिब की बात, तो जहन्नम में उन पर सख़्ती में कमी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़ास सिफ़ारिश के सबब है। (देखें हदीस न॰ 3 का फ़ाइदा)

बाब {जन्नत में उस समय तक न दाख़िल होगे जब तक ईमान न ले आओ।}

42:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जन्नत में उस समय तक दाख़िल न होंगे जब तक ईमान न ले आओ, और तुम उस समय तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक परस्पर मुहब्बत न करो। मैं तुम्हें एक ऐसा कार्य बताता हूँ कि अगर उस पर अ़मल करोगे तो आपस में एक-दूसरे से मुहब्बत करने लगोगे, तुम आपस में सलाम को आ़म करो।

फ़ाइदा:– 'सलाम' प्रेम, भाईचारा और मित्रता की कुंजी है, इससे दुश्मनी और कीना दूर हो जाता है, समाज में भाईचारा का वातावरण बनता है और यह सब ईमान की निशानियाँ हैं। बुख़ारी शरीफ़ में अ़म्मार बिन यासिर रज़ि॰ से रिवायत है कि जिस ने तीन बातों को हासिल कर लिया तो उस ने ईमान को पा लिया (1) अपने आप से न्याय करना (2) एक-दूसरे को सलाम करना (3) तन्गी और आर्थिक संकट व परेशानी में भी ख़र्च करना। परस्पर कीना और दुश्मनी को दूर करने का सलाम से बेहतर उपाय (विधि) और कोई नहीं।

बाब {बलात्कारी, बलात्कार करते समय मोमिन नहीं रहता है।}

43:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाःबलात्कारी, बलात्कार करने की हालत में ईमान की हालत में नहीं रहता। चोर, चोरी करनेकी हालत में ईमान की हालत में नहीं रहता। शराबी, शराब पीते समय ईमान की हालत में नहीं रहता। अबू हुरैरा रज़ि॰ इस हदीस में इतना और शामिल कर देते थे कि बहुमूल्य वस्तु लूटने वाला जिस की ओर लोग देखते हों, लूटते समय भी ईमान की हालत में नहीं रहता। और एक रिवायत में हैं कि ख़ियानत (ग़बन) करने वाला व्यक्ति भी ख़ियानत करने की हालत में ईमान की हालत में नहीं रहता। इसलिये (ऐ ईमान लाने वालों) तुम इन सब से बचो-बचो।

फ़ाइदा:– इस हदीस का अर्थ है कि चोरी और ज़िना करते समय, शरराब पीते और माल लूटते समय उस व्यक्ति के ऊपर से ईमान का साया हट जाता है और जब काम समाप्त कर लेता है तो ईमान पुनः लौट आता है, यानी केवल इन कामों के करते समय मोमिन नहीं रहता है। चुनान्चे अबू ज़र रज़ि॰ की रिवायत में है "जिस ने लाइला-ह इल्लल्लाह कहा वह जन्नत में जायेगा अर्गचे वह चोरी और ज़िना करे (देखें हदीस न॰ 53) इस से मालूम हुआ कि चोरी और ज़िना करने वाला भी जन्नत में जायेगा, और जन्नत में ज़ाहिर है मोमिन ही जायेगा। मालूम हुआ कि यह भी मोमिन हैं, मगर गुनाहगार मोमिन।

हदीस से मालूम हुआ कि बन्दा चोरी और ज़िना का कार्य करते समय ही केवल ईमान की हालत में नहीं रहता है, फिर ईमान लौट आता है

बाब {मोमिन, एक ही बिल से दो मर्तबा नहीं डसा जाता (अर्थात एक ही ग़लती दो मर्तबा नहीं दोहराता)}

44:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मोमिन एक ही बिल से दो मर्तबा नहीं डसा जाता।

फ़ाइदाः– हदीस का अर्थ स्पष्ट है कि मोमिन वह है जो केवल एक बार ग़लती करे, फिर जब ग़लती का एहसास हो जाये तो तौबा कर ले। मोमिन वह नहीं हो सकता जो बार-बार एक ही गुनाह को ढिठाई और लार्पवाही से करता चला जाये।

बाब {ईमान में शक व शुब्हे का बयान।}

45:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि कुछ सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर पूछाः हम लोगों के दिलों में ऐसा ख़याल भी पैदा होता है जिस को (करना तो दूर की बात) ज़बान पर लाना ही बहुत बुरा मालूम होता है। आप ने पूछाः क्या वास्तव में इस प्रकार का ख़याल आता है? सहाबा ने कहाः हाँ। आप ने फ़रमायाः फिर तो यह खुल्लम खुल्ला ईमान की निशानी है।

फ़ाइदाः– शैतान दिल में बुरा ख़याल डाले और एक व्यक्ति उसे करना तो दूर, ज़बान से बयान करना भी बुरा जाने और उस से बचने की कोशिश करे, इस से बढ़ कर उस के पक्के और सच्चे ईमान की निशानी और क्या हो सकती है। इस से यह भी मालूम हुआ कि केवल दिल में बुरा ख़याल आने से ही मुसलमान गुनहगार नहीं होता, जब तक उस बुरे कार्य को कर न डाले।

बाब {महापापों में सब से महापाप अल्लाह के साथ शिर्क करना है।}

46:– अ़ब्दुर्रहमान अपने पिता अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि उन्होंने बयान कियाः एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित थे कि आप ने फ़रमायः क्या मैं सब से बड़े गुनाहों के बारे में न बताऊँ? आप ने इस वाक्य को तीन मर्तबा दोहराया (फिर फ़रमायाः सुनों) (1) अल्लाह के साथ शरीक ठहराना (2) माता-पिता की अवज्ञा करना (3) झूठी गवाही देना, या झूठ बोलना। यह कहते हुये आप टेक लगाए हुये बैठे थे कि उस से उठ कर बैठ गये और बार-बार इसी को दोहराने लगे, यहाँ तक कि हम ने अपने दिल में सोचा कि काश आप अब रहने देते।

फ़ाइदाः– छोटे और बड़े गुनाह की पहचान क्या है? इमाम ग़ज़ाली रह॰ ने कहाः अगर इन्सान किसी पाप को हल्का जान कर करे और उस से डरे नहीं, और न ही उसे कुछ

रंज और अफ़सोस हो तो वह बड़ा गुनाह है। इब्ने सलाह ने कहाः बड़े गुनाह की पहचान यह है (1) उस के करने पर हद जारी हो (2) उस पर जहन्नम की सज़ा का हुक्म हो (3) उस के करने वाले को फ़ासिक़ कहा गया हो (4) उस पर अल्लाह ने लानत भेजी हो।

47:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ईमान का सत्यानास कर डालने वाले सात पापों से बचो। सहाबा ने पूछाः वह कौन-कौन से हैं ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमायाः (1) अल्लाह के साथ शिर्क करना (2) जादू-टोना करना (3) ऐसे आदमी की हत्या कर डालना जिस को मारना अल्लाह ने हराम ठहराया है (4) सूद खाना (5) यतीम का माल खाना (6) लड़ाई के समय दुश्मन से पीठ फेर कर भागना (7) शादी शुदा, नेक और भोली-भाली मोमिन महिलाओं पर ज़िना का आरोप लगाना।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इस आदेश का अर्थ "ख़बरदार! मेरे दुनिया से चले जाने के बाद तुम लोग परस्पर एक–दूसरे की गर्दनें मार कर (यानी हत्या कर के) काफ़िर न हो जाना।"}

48:– अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्तिम हज्ज के ख़ुत्बे में फ़रमाया थाः (ख़बरदार!) तुम मेरे दुनिया से चले जाने के बाद काफ़िर न हो जाना (इस प्रकार) कि एक–दूसरे की गर्दनें मारने लग जाना।

बाब {जो आदमी अपनी निस्बत अपने पिता की तरफ़ करना नापसन्द करे उस ने कुफ़्र का काम किया।}

49:– अबू उस्मान नहदी से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब ज़ियाद के बारे में दावा किया गया (किवह अबू सुफ़यान का बेटा है) तो मैं ने (ज़ियाद के माँ जाए भाई) अबू बकरा से मिल कर कहाः तुम्हारे खान्दान में यह सब क्या हो रहा है? मैं ने सअ़द बिन वक़्क़ास रज़ि॰ को बयान करते सुना है वह कहते थे कि मेरे इन दोनों कानों ने स्वँय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि जिस ने इस्लाम लाने के बाद अपने (अस्ली) बाप को जान-बूझ कर छोड़ कर किसी और को अपना बाप बनाया तो उस पर जन्नत हराम है। यह सुन कर अबू बकरा रज़ि॰ ने कहाः मैं ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इसी प्रकार सुना है।

फ़ाइदाः– अबू ज़ियाद, यह सवैद सक़फ़ी का बेटा था। अमीर मुआ़विया रज़ि॰ ने उस को अपने पिता अबू सुफ़यान के बीज (नुत्फ़ा) का बताया तो उस ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार मुआ़विया का सगा भाई बन गया।

शरीअ़त में हसब–नसब की बड़ी अहमियत है। ऐसा ही होने लगे तो हर कोई किसी को अपना बाप बना कर उस के तर्का का हक़दार बन जाये और उस की तमाम जायदाद

का मालिक बन बैठे, राजा का पुत्र बन कर युवराज कहलाये। इस से हसब-नसब गडमड हो जाता है, ख़ान्दान में भाइयों के दर्मियान नफ़रत पैदा होती है और क़त्ल व हत्या की नौबत आ जाती है। फिर यह कि वह व्यक्ति अपने खान्दान के ग़लत असरात, (प्रभाव) आदतें और ख़यालात दूसरे खान्दान में डाल देता है। फिर जानते-बूझते हुये अपने अस्ली पिता की कितनी बड़ी तौहीन और नाशुक्री है।

वर्ना प्रेम और मुहब्बत से अपने बड़े-बूढ़ों और बुजुर्गों को हर कोई अपना बाप, दादा और चाचा कहता है और इस में कोई बुराई नहीं।

बाब {जो शख़्स अपने भाई को काफ़िर कहे (वह खुद काफ़िर हो जाता है)}

50:- अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः जो व्यक्ति अपने आप को किसी और का बेटा कहे, हालाँकि वह जानता है कि वह उस का बेटाा नहीं है, तो वह काफ़िर हो गया। और जिस ने किसी ऐसी चीज़ का दावा किया जो उस की नहीं है तो वह हम में से नहीं है। वह अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। और जो शख़्स किसी को "ऐ काफ़िर" या "ऐ अल्लाह के दुश्मन" कह कर पुकारे, हालाँकि वह वैसा नहीं है तो वह स्वँय ही अल्लाह का दुश्मन और काफ़िर बन जाता है।

फ़ाइदाः- देखने में यह बातें बहुत मामूली लगती हैं और बिला झिझक लोग एक-दूसरे को कहते-सुनते हैं, लेकिन यह दीन इस्लाम में बड़े फ़ितना-फ़साद और गुमराही की जड़ हैं, यही कारण है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इन चीज़ों में से एक-एक का नाम लेकर उन्हें कहने से मना फ़रमाया।

बाब {सब से बड़ा गुनाह कौन सा है?}

51:- अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक सहाबी ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! सब से बड़ा गुनाह कौन सा है? आप ने फ़रमायाः तू अल्लाह के साथ शरीक ठहराए हालाँकि उसी ही ने तुझे पैदा किया है। उस ने कहाः इस के बाद? आप ने फ़रमायाः तू अपनी औलाद को इस डर से क़त्ल करे कि वह तेरे साथ खायेगी। उस ने पूछाः इस के बाद? आप ने फ़रमायाः तू अपने पड़ोसी की लड़की के साथ बलात्कार करे। फिर अल्लाह पाक ने इस हदीस की तस्दीक़ करते हुये यह आयत नाज़िल फ़रमायी।

> "(अल्लाह के नेक बन्दे वह हैं) जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराते हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति की जिस की हत्या अल्लाह ने हराम कर दी हो, उस की हत्या नहीं करते हैं (मगर यह कि उस ने किसी की नाहक़ हत्या की हो) और न ही वह बलात्कार के निकट जाते हैं। जो इन कामों को करेगा

वह स्वँय ही गुनाह ढोएगा।" (पारः 18, सूरः फुर्क़ान 68)

फ़ाइदा:– यानी जिस ने तुम्हें पैदा किया है उस से अपनी आवश्यक्ताएँ न माँगों बल्कि दूसरों से माँगो, यह बहुत बड़ी शरारत और गंभीर जुर्म है। दूसरे तुम इस डर से क़त्ल करो कि वह तुम्हारा खायेगा। उसे इतना भी भरोसा नहीं कि जो तुझे खिला रहा है वह उसे भी ख़िलाएगा। अल्लाह के बारे में यह कितना बुरा अ़क़ीदा है। एक व्यक्ति को इस बात की आशा होती है कि पड़ोसी हमारी सहायता करेगा, मेरे बाल–बच्चों की सुरक्षा करेगा, मुसीबत और दुःख–सुख में काम आयेगा, लेकिन उस की पत्नी की सुरक्षा के स्थान पर उस से बलात्कार करे, यह कितनी बड़ी बेहयाई और कितना बड़ा पाप है, आप अनुमान लगा सकते हैं।

बाब {जो व्यक्ति इस हाल में देहान्त करे कि उस ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया हो, वह (निःसंदेह) जन्नत में दाख़िल होगा।}

52:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! (जन्नत और जहन्नम को) वाजिब कर देने वाली दो चीज़ें क्या हैं? आप ने फ़रमायाः जिस ने मरते समय तक अल्लाह के साथ शरीक न किया होगा वह जन्नत में जायेगा, और जिस ने शिर्क किया होगा वह जहन्नम में जायेगा।

53:– अबू अस्वद दुवैली रिवायत करते हैं कि मुझ से अबू ज़र रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास मुलाक़ात के लिये गया तो उस समय आप सो रहे थे और उस समय आप सफ़ेद चादर ओढ़े हुये थे (चुनान्चे मैं वापस लौट गया) फिर दोबारा हाज़िर हुआ तो उस समय भी सो रहे थे (चुनान्चे फिर लौट गया) और जब तीसरी मर्तबा हाज़िर हुआ तो उस समय आप जाग चुके थे। चुनान्चे मैं आप के पास बैठ गया। उस समय आप ने फ़रमायाः जो व्यक्ति लाइला–ह इल्लल्लाह कहे (और उसी के अनुसार अ़क़ीदा और अ़मल भी हो) और उसी हालत में देहान्त कर जाये तो वह जन्नत में दाख़िल होगा। मैं ने कहाः अगर्चे उस ने चोरी और ज़िना भी किया हो? आप ने फ़रमायाः हाँ, हाँ अगर्चे उस ने चोरी और ज़िना भी किया हो। मैं ने तीन बार इसी प्रकार प्रश्न किया और आप ने तीनों बार इसी प्रकार उत्तर दिया, फिर चौथी मर्तबा फ़रमायाः हाँ, हाँ वह जन्नत में जायेगा, अगर्चे अबू ज़र की नाक मिट्टी में मिल जाये।

फ़ाइदा:– "लाइला–ह इल्लल्लाह" का अर्थ यह है कि वह दिल और ज़बान से इक़रार करे कि मैं अल्लाह को एक मानता हूँ और उस ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उसे करूँगा, और जिन कामों से मना किया है उन्हें नहीं करूँगा, और फिर अपने हाथों–पैरों से अ़मल कर के भी दिखाये। अगर इसी प्रकार पूरी जिन्दगी गुज़ारी तो मरने के तुरन्त बाद ही जन्नत में जायेगा। लेकिन अगर बीच में उस ने चोरी और ज़िना किया

तो यह अल्लाह के ऊपर है, चाहे माफ़ कर के जन्त में दाख़िल कर दे, और चाहे सज़ा देने के बाद जन्नत में दाख़िल करे। अगर जहन्नम में डाला जायेगा तो सज़ा के तौर पर चन्द दिनों के लिये, फिर बहरहाल जन्नत में दाख़िल होगा। (केवल ज़बान से दावा ही करते रहने का नहीं नाम है- देखें हदीस न॰ 9, 10, 11, 12)

अबू ज़र की नाक मिट्टी में मिले, यानी अबू ज़र को इस पर चाहे जितना आश्चर्य हो, लेकिन अल्लाह का यही हुक्म है कि चोरी और ज़िना करने वाला भी (सज़ा भुगत लेने के बाद) जन्नत में जायेगा।

बाब {जिस के दिल में राई के दाना के बराबर भी तकब्बुर होगा वह जन्नत में नहीं जायेगा।}

54:– अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस के दिल में राई के दाना के बराबर भी घमन्ड होगा वह जन्नत में नहीं जायेगा। यह सुन कर एक व्यक्ति बोला: हर व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि उस का कपड़ा अच्छा हो, उस का जूता नया हो (तो क्या यह भी घमन्ड में शामिल है?) आप ने फ़रमाया: नहीं, बल्कि अल्लाह पाक सुन्दर है और सुन्दरता को पसन्द करता है। गुरूर और घमन्ड इस का नाम है कि इन्सान हक़ को नाहक़ (और नाहक़ को हक़) करने में लग जाये (और अपने आगे किसी की न माने) और लोगों को ज़लील और नीचा समझने लगे।

फ़ाइदा:– यानी अल्लाह जिन चीज़ों को पसन्द करता है उसे अपनाना बेहतर है। अच्छा वस्त्र पहनना, साफ़-सुथरा रहना, खुश्बू और सुर्मा लगाना, देखने में भला लगना, शीशा-कंघी करना जैसी चीज़ें तो सुन्नत और सवाब के कार्य हैं, इन से शरीअत ने नहीं मना किया है। मना किया है घमन्ड से, यानी अपने सामने किसी को कुछ न समझना, मनमानी क़रना, सब को अपने पैर की जूती समझना, अपनी बात को ऊपर रखना, ऐसे शख़्स का ठिकाना बिला शुब्हा जहन्नम है, दुनिया में भी अल्लाह उसे ज़लील करे तो यह अलग है।

बाब {किसी के हसब–नसब में ताना देना और मुर्दा के ऊपर चीख़–चिल्ला कर बैन और मातम करना कुफ़्र के काम हैं।}

55:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: लोगों के अन्दर दो ऐसी बातें पाई जाती हैं जो कुफ़्र पर मबनी (आधारित) हैं (1) किसी के हसब–नसब में ताना देना (2) मय्यित पर चिल्ला-चिल्ला कर रोना।

फ़ाइदा:– हसब-नसब में ताना देने की एक मिसाल यह है कि एक सहाबी की हज़रत बिलाल से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी तो उन्होंने कह दिया "ओ हब्शी महिला की औलाद" यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना नाराज़ हुये कि आप का चेहरा लाल हो गया। मय्यित पर रोना और आसूँ बहाना प्राकृतिक (फ़ितरी) बात

है इस पर किसी का इख़्तियार नहीं, चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पुत्र का देहान्त हुआ तो आप की आँखों से आसूँ जारी थे, लेकिन आवाज़ से चिल्लाना, मातम करना, मुँह पीटना आदि हराम है। आप ने विधुवा महिला को चार माह दस दिन और दूसरों को केवल तीन दिन तक सोग मनाने का हुक्म दिया है।

बाब {जो व्यक्ति यह कहे कि वर्षा नक्षत्रों के प्रभाव से हुयी है, तो उस ने कुफ़्र किया।}

56:– ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हम लोगों को फ़ज्र की नमाज़ (मक्का के निकट) हुदैबिय्या के स्थान पर पढ़ाई (इत्तिफ़ाक़ से) उसी रात वर्षा भी हुयी थी। चुनान्चे जब आप नमाज़ पढ़ा चुके तो लोगों की ओर मुँह कर के फ़रमायाः तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पर्वरदिगार ने क्या फ़रमाया है? सहाबा ने कहाः अल्लाह और उस के रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ने यह फ़रमाया है कि मेरे बन्दों में से कुछ ने ईमान की हालत में सुब्ह की और कुछ ने कुफ़्र की हालत में। जिस ने यह कहा कि वर्षा अल्लाह की मेहरबानी और उस की रहमत से हुयी है तो उस ने नक्षत्रों के प्रभाव का इन्कार किया और मुझ पर ईमान लाया। लेकिन जिस ने यह कहा कि वर्षा नक्षत्रों के प्रभाव (अ़मल–दख़ल) से हुयी है तो उस ने मेरा इन्कार किया और नक्षत्रों पर ईमान लाया।

फ़ाइदाः– जाहिलिय्यत के समय काल में लोगों का यह अ़कीदा और विश्वास था कि वर्षा, वातावरण में बदलाव, मनुष्य के कारोबार में लाभ–हानि और शरीर को दुःख–सुख आदि नक्षत्रों के प्रभाव से होता है, इसलिये लोगों ने इन की पूजा कर के इन्हें प्रसन्न करना आरंभ कर दिया। और आजकल तो ज्योतिष्यों ने इस का कारोबार खोल रखा है जो व्यक्ति का राशिफल देख कर उस समय के नक्षत्र के प्रभाव को जोड़ते हैं। यह सरासर जिहालत है। लाभ और हानि पहुँचाने वाला केवल अल्लाह पाक है। यह और बात है कि अल्लाह पाक ने कुछ वस्तुओं के अन्दर कुछ प्रभाव रख दिया है और वह उसी के अनुसार अपने कार्य में लगी हों। जैसे सूरज का काम रोशनी देना और गर्मी पहुँचाना, चाँद का काम रात में रास्ता दिखाना आदि। लेकिन फिर भी इस में अ़क़ीदा यही होना चाहिये कि यह सब चीज़ें अल्लाह के हुक्म से कर रही है, इन के अन्दर स्वैंय कुछ ताक़त नहीं। इसलिये अ़क़ीदा यह होना चाहिये कि इन सब को हुक्म देने वाली ताक़त अल्लाह है और उसी की इच्छा से सब कुछ होता है। न कि नक्षत्रों की अपनी इच्छा से।

बाब {अगर गुलाम (अपने मालिक को छोड़ कर) भाग जाये तो उस ने कुफ़्र का कार्य किया।}

57:– जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने बयान किया कि जो गुलाम अपने मालिक को छोड़ कर भाग जाये तो उस ने कुफ़्र का काम किया, यहाँ तक कि वह वापस लौट आये।

मन्सूर ने कहा कि अल्लाह की क़सम! यह हदीस तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मरफ़ूअ़न रिवायत है (लेकिन मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हवाले से यह हदीस नहीं बयान की, बल्कि जरीर रज़ि॰ का क़ौल बताया) इसलिये कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि यह हदीस मुझ से यहाँ बसरा नगर में बयान की जाये।

58:– इमाम शोबी ने बयान किया कि जरीर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब गुलाम (अपने मालिक को छोड़ कर) भाग जाये तो उस की नमाज़ कुबूल नहीं होती (जब तक वापस न लोट आये)

फ़ाइदा:– मन्सूर से बसरा नगर में जान बूझ कर यह हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से नहीं रिवायत की कि उस समय बसरा में ख़ारिजी लोगों का ज़ोर था, वह लोग बड़े गुनाह करने वाले को इस्लाम से ख़ारिज समझते और उसे हमेशा के लिये जहन्नमी मानते थे। इसलिये मन्सूर डर गये कि यह सुन कर लोग गुलाम को दीन से ख़रिज कर देंगे और उसे जहन्नमी क़रार दे देंगे। हालाँकि उन का अ़क़ीदा ग़लत है। कबीरा गुनाह करने वाला बेशक गुनाहगार और जहन्नम में जायेगा लेकिन दीन इस्लाम से ख़ारिज नहीं होगा।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरे दोस्त अल्लाह और ईमानदार मोमिन लोग हैं।}

59:– अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को चुपके-चुपके नहीं, बल्कि पुकार कर ऐलान करते सुना कि फ़लाँ की औलाद मेरे दोस्त नहीं हैं, मेरा दोस्त तो बस अल्लाह और नेक मोमिन बन्दे हैं।

बाब {मोमिन को उस की नेकियों का बदला दुनिया और आख़िरत दोनों में मिलता है और काफ़िर को उस की नेकियों का बदला दुनिया ही में दे दिया जाता है।}

60:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह तआ़ला मोमिन बन्दे की नेकी का बदला दुनिया में भी देगा और आख़िरत में भी, लेकिन काफ़िर को उस की नेकी का बदला केवल दुनिया ही में दे दिया जायेगा, और आख़िरत के दिन बदला देने के लिये उस के पास कोई नेकी ही न होगी।

फ़ाइदा:– मालूम हुआ कि काफ़िर जो दुनिया में नेक काम करता है उस का बदला दुनिया ही में मिल जायेगा (देखें हदीस न॰ 41) लेकिन अगर ईमान ले आये तो उन नेकियों का भी बदला आख़िरत में मिलेगा। (देखें हदीस न॰70)

बाब {इस्लाम किसे कहते हैं? और उस की ख़स्लतों का बयान।}

61:– तल्हा बिन उबैदुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि (अ़रब के क्षेत्र) नज्द के लोगों में से एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास इस हाल में आया कि उस के सर के बाल बिखरे हुये थे, उस की आवाज़ में भन्नाहट थी जिस के कारण समझना कठिन था कि वह इस्लाम के बारे में क्या पूछ रहा है। चुनान्चे आप ने फ़रमायाः (इस्लाम यह है कि) दिन–रात में पाँच समय की फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ना। उस ने पूछाः इन के अ़लावा भी और कोई नमाज़ तो फ़र्ज़ नहीं? आप ने फ़रमायाः नहीं, मगर तुम नफ़्ली नमाज़ें पढ़ना चाहो (तो पढ़ सकते हो) रमज़ान के रोज़े रखना। उस ने फिर पूछाः रमज़ान के अ़लावा भी और कोई रोज़ा तो फ़र्ज़ नहीं? आप ने फ़रमायाः नहीं, मगर तुम नफ़ली रोज़े रखना चाहो (तो रख सकते हो) फिर आप ने ज़कात का ज़िक्र फ़रमाया तो उस ने पूछाः ज़कात के अ़लावा कुछ और तो फ़र्ज़ नहीं है? आप ने फ़रमायाः नहीं, मगर तुम सदक़ा–ख़ैरात देना चाहो (तो दे सकते हो)

हदीस के रावी बयान करते हैं कि वह व्यक्ति पीठ फेर कर चला जा रहा था और यह कहता जा रहा थाः "अल्लाह की क़सम! मैं न इस से अधिक करूँगा और न कम।" यह सुन कर आप ने फ़रमायाः अगर वह अपने कहने में सच्चा है तो कामियाब हो गया। एक दूसरी रिवायत में है कि आप ने फ़रमायाः उस के बाप की क़सम! अगर वह सच्चा है तो कामियाब हो गया (या आप ने यह फ़रमाया) उस के बाप की क़सम! अगर वह अपने क़ौल–क़रार में सच्चा है तो जन्नती है।

फ़ाइदाः– इस हदीस में हज्ज का ज़िक्र नहीं, किसी में रोज़ा का ज़िक्र नहीं और किसी में ज़कात का ज़िक्र नहीं, किसी में माले ग़नीमत का पाचवाँ देने का ज़िक्र है और किसी में रिश्ता–नाता जोड़ने का ज़िक्र है। तो इस का अर्थ है कि पूछने वाले को सामने रख कर जो अहकाम जिस के लिये ज़रूरी थे और जिन पर अ़मल करने में सुस्ती करते थे उन को बयान कर दिया, वर्ना ज्ञात रहे कि इस्लाम के समस्त अर्कान समस्त लोगों पर फ़र्ज़ हैं किसी के भी लिये तनिक भर छूट नहीं है।

आप ने बाप की क़सम खाई है, हालाँकि बाप–दादों की क़सम खाने से आप ने स्वँय मना फ़रमाया है, तो हो सकता है यह उस समय की बात हो जब किसी ग़ैर की क़सम खाना मना न था। यह भी हो सकता है कि आप ने तकिया कलाम के तौर पर खाई हो जिस का कोई अर्थ नहीं लिया जाता।

बाब {इस्लाम की बुनियाद पाँच कामों पर आधारित है।}

62:– उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इस्लास का भवन पाँच खंबों पर स्थित है (1) अल्लाह के एक होने (की गवाही देना) (2) नमाज़ पढ़ना (3) ज़कात देना (4) रमज़ान के रोज़े रखना (5) हज्ज करना।

इस पर किसी सहाबी ने कहाः हज्ज करना और रोज़े रखना (यानी पहले हज्ज का

ज़िक्र है फिर रोज़े का) इस पर उमर रज़ि० ने कहाः मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऐसे ही सुना है कि "रमज़ान के रोज़े रखना और हज्ज करना।"

फ़ाइदाः– बाज़ रिवायतों में उमर रज़ि० से पहले हज्ज का ज़िक्र है और यहाँ रोज़े का। लेकिन रिवायतों में इस प्रकार के इख़्तिलाफ़ की कोई अहमिय्यत नहीं है। रोज़ा सन 2 हि० में फ़र्ज़ हुआ है और हज्ज सन 6 या 9 हि० में। इसलिये रोज़ा का ज़िक्र पहले करना उचित है। लेकिन अगर तर्तीब का ख़याल न कर के केवल टोटल और जोड़ 5 बताना हो तो तर्तीब आगे-पीछे भी हो सकती है।

बाब {कौन सा इस्लाम सब से बेहतर है?}

63:– अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि० से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछाः कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप ने फ़रमायाः खाना खिलाना और परिचित-अपरिचित सभी को सलाम करना।

बाब {इस्लाम, अपने से पहले के गुनाहों को मेट देता है, इसी प्रकार हज्ज और हिजरत से पहले के पाप समाप्त हो जाते हैं।}

64:– अ़ब्दुर्रहमान बिन शिमास महरी ने बयान किया कि हम लोग अ़म्र बिन आ़स रज़ि० की ज़ियारत के लिये गये तो वह उस समय देहान्त के निकट थे (हम लोगों को देख कर) बड़ी देर तक रोते रहे और अपना मुँह दीवार की तरफ़ फेर लिया। यह देख कर उन के पुत्र ने पूछाः पिता जी, आप क्यों रो रहे हैं? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने आप को यह शुभ सूचना नहीं दी है? यह सुन कर उन्होंने अपना मुँह सामने कर लिया और कहाः मेरे नज़दीक सब से अफ़ज़ल "लाइला-ह इल्लल्लाहु मु-हम्मदुर्रसूलुल्लाह" की गवाही देना है, और मेरे ऊपर तीन समय बीत चुका है। मुझे अपना वह समय भी याद है कि मेरे नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बुरा और कोई न था, मेरी हर समय यही इच्छा रहती थी कि किसी प्रकार उन्हें अपने क़ाबू में लेकर क़त्ल कर दूँ, फिर अगर मैं उसी हालत में मर जाता तो जहन्नमी होता। फिर (दूसरा समय वह आया कि) अल्लाह पाक ने मेरे दिल में इस्लाम की मुहब्बत डाल दी, चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में हाज़िर हो कर कहाः आप अपना हाथ बढ़ायें ताकि आप से इस्लाम पर बैअ़त करूँ। लेकिन जब आप ने हाथ बढ़ाया तो मैं ने आप हाथ खींच लिया। इस पर आप ने फ़रमायाः ऐ अ़म्र! क्या बात है? मैं ने कहाः मैं एक शर्त करना चाहता हूँ। आप ने पूछाः कौन सी शर्त? मैं ने कहाः मेरे वह समस्त गुनाह (जो अब तक किये हैं) माफ़ कर दिये जायें। इस पर आप ने फ़रमायाः ऐ अ़म्र! क्या तुम्हें नहीं मालूम, इस्लाम पहले के समस्त गुनाहों को मेट देता है और इसी प्रकार हज्ज और हिजरत भी पहले के समस्त पापों को मेट देते हैं। इस के पश्चात फिर मैं आप से सब से अधिक प्रेम करने लगा। मेरी नज़र में आप के दर्जे और मर्तबे से बुलन्द किसी का

दर्जा न था। चुनान्चे आप के जलाल और रोब के नाते मैं ने आप को आँख भर कर कभी नहीं देखा। आज अगर कोई मुझ से आप की सूरत के बारे में पूछे तो मैं कुछ भी नहीं बयान कर सकता, क्योंकि मैं ने आप को आँख भर कर कभी देखा ही नहीं। अब अगर इस हालत में मैं मर जाता तो मेरे जन्नती होने की आशा थी। लेकिन इस के बाद हमें चन्द और चीज़ों में फंसना पड़ा, यही कारण है कि मुझे नहीं मालूम कि उस की वजह से मेरा क्या बनेगा? तो जब मैं मर जाऊँ तो मेरे जनाज़ा पर कोई रोने-चिल्लाने वाली न हो और न आग हो, और जब दफ़न करना तो अच्छी तरह मिट्टी डाल देना और मेरी क़ब्र पर इतनी देर तक खड़े रहना जितनी देर में ऊँट काटा जाता और उस का माँस बाँटा जाता है ताकि तुम से मेरा दिल बहले (और एकान्त में न घबराऊँ) और देख लूँ कि पर्वरदिगार के वकीलों (मुनकिर नकीर) को क्या उत्तर दूँगा।

फ़ाइदा:– इस हदीस से बहुत से मस्अले मालूम हुये (1) क़ब्र में मन्किर-नकीर के प्रश्नों का उत्तर देना होगा (2) मरने वाले को आश्वासन और तसल्ली देना (3) जनाज़े के साथ रोना और आग ले जाना मना है (4) क़ब्र पर तमाम लोग मिट्टी डालें (5) क़ब्र पर न बैठें (6) दफ़नाने के बाद थोड़ी देर तक क़ब्र पर ठहरना चाहिये वग़ैरह।

बाब {मुसलमान को गाली देना पाप है और उस से मार–पीट करना कुफ़्र है।}

65:– अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मुसलमान को गाली देना (या उस के अन्दर ऐब निकालना) गुनाह है और उस से लड़ना कुफ़्र है।

फ़ाइदा:– आज कल लोग मामूली–मामूली बातों पर मार पीट करते हैं, मुक़दमे बाज़ी करते हैं, मामूली मस्अले को लेकर उलमा कुफ़्र के फ़तवे जड़ते हैं, इस हदीस की रोशनी में वह सब अपना अन्जाम सोच लें। अगर मुसलमानों का इस हदीस पर अ़मल हो जाये तो मुस्लिम समाज फितना–फ़साद से पवित्र हो जाये।

बाब {भले तरीक़ा पर इस्लाम ले आने के बाद जाहिलिय्यत (कुफ़्र के ज़माना) के बुरे कामों पर पकड़ नहीं होगी।}

66:– अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! हम ने (इस्लाम लाने से पूर्व) कुफ़्र के समय में जो बुरे कार्य किये हैं क्या उन पर हमारी पकड़ होगी? आप ने फ़रमाया: तुम में जिस ने भले तरीक़े से इस्लाम क़ुबूल किया (यानी सच्चे दिल से ईमान लाया) तो उस पर कुफ़्र के समय के बुरे कामों में कोई पूछ–ताछ नहीं होगी। और जो यूँ हीं इस्लाम ले आया (और कुफ़्र उस के दिल में बाक़ी रहा) तो ऐसे व्यक्ति से जाहिलिय्यत के समय के कामों और इस्लाम लाने के बाद के ज़माने के किये हुये कार्यों के बारे में पूछ–ताछ होगी।

फ़ाइदा:— सच्चे दिल से इस्लाम लाना, कुफ़्र के समय के बुरे कामों को मेट देता है (देखें हदीस न॰ 64, 66) इस मस्अले पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है, लेकिन उस समय जब पक्के और सच्चे दिल के साथ इस्लाम ले आये। लेकिन जब केवल दिखावे के लिये ईमान लाया और उस के दिल में अभी-भी कुफ़्र की गन्दगी भरी है तो उस से अवश्य ही पूछ-ताछ होगी।

बाब {तुम में से जिस का इस्लाम जितना ही अच्छा (पक्का-सच्चा) होगा, तो उसे हर नेकी के बदले दस गुना सवाब मिलेगा।}

67:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह पाक का फ़रमान है कि मेरा बन्दा जब नेक काम करनेका इरादा करता है तो (उस के इरादा करने पर ही) उस के लिये एक नेकी लिख लेता हूँ। फिर अगर वह नेक काम कर डालता है तो उस एक नेकी के बदले दस नेकियाँ लिख लेता हूँ। लेकिन अगर वह किसी बुरे काम के करने की निय्यत करता है, तो जब तक वह उसे कर नहीं डालता है कोई बुराई नहीं लिखता हूँ। फिर जब वह बुराई कर डालता है तो उस एक बुराई के बदले एक ही बुराई लिखता हूँ।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: फ़रिश्ते अल्लाह पाक से कहते हैं कि ऐ पर्वरदिगार! तेरा यह बन्दा करने का इरादा रखता है तो अल्लाह पाक जो फ़रिश्ते से अधिक उस बन्दे के बारे में जानता है, कहता है: तुम देखते रहो। अगर वह बुराई कर डालता है तो वैसी ही एक बुराई (गुनाह) लिख लो। और अगर बुराई न करे तो एक नेकी लिख लो, क्योंकि मेरे डर से उस ने बुराई नहीं की है (इसलिये एक नेकी का हक़दार है) चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अगर तुम्हारा ईमान (पक्का, सच्चा और) बेहतर है तो वह जो भी नेकी करता है उस के हर नेकी के बदले दस से लेकर सात सौ तक नेकियाँ लिखी जाती हैं। लेकिन अगर बुराई करता है तो एक ही बुराई लिखी जाती है, यहाँ तक कि वह अल्लाह से जा मिलता है।

फ़ाइदा:— नेकियों का सवाब उतना ही बढ़ेगा जितना इस्लाम और ईमान पक्का-सच्चा होगा। लेकिन सात से कम और सात सौ से अधिक नहीं होगा।

68:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह पाक ने उन बुरे ख़यालों को माफ़ कर दिया है जो मेरी उम्मत के लोगों के दिलों में पैदा हाते हैं, जब तक उन्हें ज़बान पर न लायें, अथवा उन्हें कर न डालें।

फ़ाइदा:— यह अल्लाह का उम्मत पर एहसान है कि नेक ख़याल आने पर एक नेकी देता है और बुरा ख़याल आने पर कोई पकड़ नहीं करता, जब तक उसे कर न डाले।

बाब {सही मानों में मुसलमान कहलाने का हक़दार वह है जिस (की बुराईयों) से

मुसलमान सुरक्षित हों (उन को उस की ज़ात से कोई दुख न पहुँचे)}

69:– अ़ब्दुल्लह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ से रिवायत है कि किसी व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछाः मुसलमानों में सब से बेहतर मुसलमान कौन है? आप ने फ़रमायाः वह मुसलमान जिस की ज़बान और हाथ–पैर से मुसलमान सुरक्षित रहें।

फ़ाइदा:– एक हदीस में है कि सब से अच्छा मुसलमान वह है जो खाना खिलाये और हर परिचित और अपरिचित को सलाम करे। इस का अर्थ यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जहाँ जिस समय और जिस स्थान पर जिस बात की कमी देखी उस पर अ़मल करने का हुक्म दिया। 'मुसलमान' शब्द "अम्न, सुख, चैन और शान्ति" से बना है। यह चीज़ें उस समय पाई जायेंगी जब एक दूसरे को खाना खिलाये, सलाम करें, उन से प्यार–प्रेम करें, उन को दुःख–तक़्लीफ़ न पहुँचायें, उन के दुःख–दर्द में सहयोग करें, ज़बान से और हाथ–पैर से, रूपये–पैसे से उन की सहायता करें। यह सब खूबियाँ जिस के अन्दर होंगी वह है पक्का–सच्चा और सही मानों में "मुसलमान" कहलाने का हक़दार। इस्लामी वातावरण इन्ही से बनता है, इस्लामी समाज इन्ही पर अ़मल करने से वजूद में आता है। यह चीज़ें मुसलमान होने की पहचान और इस्लाम का टरेडमार्क (संबल) हैं।

बाब {जिस ने जाहिलिय्यत (कुफ़्र) की हालत में भी नेक कार्य किया, फिर इस्लाम ले आया (तो उसे कुफ़्र की हालत में किये गये नेक कार्य पर भी सवाब मिलेगा।}

70:– उर्वा बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि मुझ से हकीम बिन हिज़ाम रज़ि॰ ने बताया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं ने कुफ़्र के समय काल में भी कुछ नेक कार्य किये हैं (जैसे गुलाम स्वतन्त्र करना, ख़ैरात करना, रिश्ता–नाता जोड़ना आदि) तो इन कामों के बारें में आप का क्या ख़याल है? क्या इन पर भी सवाब मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम जिस नेक हालत में पहले से थे उसी हालत में इस्लाम लाये हो।

फ़ाइदा:– यानी कुफ़्र के समय में तुम ने जो नेकियाँ की थीं उन्हीं की वजह से तुम्हारे अन्दर नेक काम करने की आ़दत पैदा हुयी है और उसी वजह से इस्लाम लाने की तौफ़ीक़ मिली है, इस वजह से उन नेकियों पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा (कुफ़्र के ज़माना के किये गये नेक कार्य बर्बाद नहीं जायेंगे) हदीस में एक शब्द "त–हन्नस" आया है जिस का अर्थ "त–अ़ब्बुद" (नेक कार्य, नेकी) है।

दारूकुतनी में अबू सओ़द खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि जब काफ़िर अच्छी तरह से इस्लाम ले आता है तो अल्लाह पाक उस की हर वह नेकी भी लिख लेता है जो पहले (यानी कुफ़्र की हालत में) कर चुका है, इसी प्रकार उन तमाम बुराइयों को भी

मिटा देता है जो (कुफ़्र की हालत में) पहले कर चुका है।

बाब {आज़माइश (परीक्षा) से डरते रहने का बयान।}

71:– हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बैठे हुये थे कि आप ने कहाः ज़रा उन लोगों की गिनती करो जो इस्लाम लाने का दावा करते हैं? हम ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप हमारे बारे में कुछ भय (ख़तरा) महसूस करते हैं (कि संभवतः दुश्मन हम पर आर्कमण कर देंगे) हमारी संख्या छः–सात सौ है। आप ने फ़रमायाः क्या मालूम तुम परीक्षा और संकट में पड़ जाओ। हुज़ैफ़ा रज़ि॰ ने कहा कि फिर ऐसा ही हुआ कि हम संकट में पड़ गये, यहाँ तक कि हम में से कुछ लोग नमाज़ भी छुप–छुपा कर पढ़ने लगे।

फ़ाइदा:– बुख़ारी की रिवायत में संख्या 1500 बताई गई है। हो सकता है बच्चों और महिलाओं को भी जोड़ लिया हो। मुस्लिम के एक–दूसरे नुस्ख़े में यह बाब बाँधा गया है "अपनी अिज़्ज़त या जान जाने के डर से अपनें ईमान को छुपाना जाइज़ है" फिर नीचे यह हदीस न॰ 71 ज़िक्र है।

बाब {इस्लाम का आरंभ दबी–कुचली हालत से हुआ था और फिर उस की दबी–कुचली हालत हो जायेगी, यहाँ तक कि वह दोनों मस्जिदों (बैतुल्लाह और मस्जिदे–नबवी) में सिमट कर रह जायेगा।}

72:– अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इस्लाम का आरंभ दयनीय, अपेक्षय, असहाय और दबी–कुचली स्थिति में हुआ था और फिर उस की वही स्थिति हो जायेगी जो पहले थी (यहाँ तक कि) वह (मक्का–मदीना की) दोनों मस्जिदों के अन्दर सिमट जायेगा, जैसे साँप अपने बिल में सिमट कर समा जाता है।

फ़ाइदा:– एक हदीस में है कि दीन इस्लाम हिजाज़ में सिमट कर चला आयेगा। एक–दूसरी हदीस में मदीना का ज़िक्र है (देखें हदीस न॰ 38) 'हिजाज़', मक्का–मदीना और उन की दोनों मस्जिदें सब का अर्थ लग–भग एक ही है, क्योंकि सब एक ही क्षेत्र में आते हैं। आरंभ में इस्लाम और उस के मानने वाले सहाबा की हालत मक्का में क्या थी? इस पर कुछ लिखने की आवश्यक्ता नहीं। केवल हज़रत बिलाल, मुस्अ़ब बिन उमैर, अबू ज़रऔर सुवैबा रज़ि॰ की ज़िन्दगी के हालात ही काफ़ी कुछ गवाह हैं। कहाँ–कहाँ छुप–छुप कर नमाज़ें पढ़ते थे, किन–किन घाटियों में इकट्ठा होकर राजनीति तय्यार करते थे, किस घाटी में चमड़े चूसते और बबूल की पत्तियाँ खाते थे? किस प्रकार गले में फंदा डाल की घसीटे जाते थे? इन्ही हालात से इस्लाम और मुसलमानों को आरंभ में गुज़रना पड़ा। और क़ियामत के निकट भी यही कुछ हालात होंगे। क़ियामत तो दूर की बात आज कल अफ़गानिस्तान, इराक़, बर्मा, थाईलैंड, चीन, चेचनिया, बूसनिया, कोसोवा, फ़लस्तीन, सूमालिया

आदि देशों में मुसलमानों की यही हालत है। तफ़सील में जाने की गुन्जाइश नहीं है।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ वह्यि के आरंभ का बयान।}

73:– उर्वा बिन जुबैर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मुझ से आ़इशा रज़ि॰ ने बयान कियाः बह्यि का आरंभ इस प्रकार हुआ कि सच्चे सपने देखने लगे, चुनान्चे आप जो भी सपना देखते वह सुब्ह की रोशनी की तरह ज़ाहिर हो जाता। फिर आप तन्हाई (एकान्त) पसन्द करने लगे, चुनान्चे हिरा के खोह में अकेले चले जाते और कई–कई रातें वहाँ इबादत में बिता देते, खाने–पीने का सामान साथ ले जाते थे इसलिये घर न लौटते थे। (जब खाने–पीने का सामान समाप्त हो जाता) फिर ख़दीजा रज़ि॰ के पास लौट कर आते और वह दोबारा सामान तय्यार कर देतीं, यहाँ तक कि अचानक आप पर वह्यि का सिलसिला आरंभ हो गया। आप उसी हिरा पर्वत के खोह में थे कि एक फ़रिश्तें ने आ कर कहाः पढ़ो। आप ने कहाः मैं पढ़ा–लिखा तो नहीं हूँ। आप ने कहाः (यह सुन कर) उस ने मुझे पकड़ कर दबोच दिया कि में थक कर चूर हो गया, उस ने मुझे छोड़ दिया और फिर कहाः पढ़ो। मैं ने फिर उत्तर दियाः मैं पढ़ा–लिखा नहीं हूँ। यह सुन कर उस ने फिर पकड़ कर दूसरी बार दबोच दिया कि मैं थक कर चूर हो गया। चुनान्चे उस ने फिर छोड़ दिया और कहाः पढ़ो। मैं ने फ़िर कहाः मैं तो पढ़ा–लिखा नहीं हूँ (इसलिये क्या और कैसे पढ़ूँ) यह सुन कर उस ने फिर मुझे पकड़ कर तीसरी मर्तबा भी दबोच दिया कि मैं थक–हार कर चूर हो गया, फिर उस ने छोड़ दिया और कहाः "पढ़ो! अपने पर्वदिगार के नाम से जिस ने पैदा किया, जिस ने पैदा किया इन्सान को खून के लोथड़े से। आप पढ़िये। आप का पर्वरदिगार बड़ा दयालु है, उस ने क़लम के ज़रीआ़ (ज्ञान) सिखाया, उस ने मनुष्य को वह ज्ञान सिखाया जिसे वह नहीं जानता था।" (पारः30, सूरःअलक़ 1 ता5) इन आयतों को सुनने और पढ़ने के बाद जब घर को लौटे तो (मारे डर के) कंधे और गर्दन के बीच का गोश्त फड़क रहा था। इस हालत में पत्नी ख़दीजा के पास पहुँच कर कहाः मुझे कपड़े से ढापँ दो–मुझे कपड़े से ढाँप दो। चुनान्चे उन्होंने आप को कपड़ा ओढ़ा दिया, इस प्रकार (थोड़े समय के बाद) आप का भय और डर समाप्त हो गया। फिर आप ने खदीजा से कहाः ऐ खदीजा! मुझे क्या हो गया है, और पूरा हाल बयान कर के कहाः मुझे अपनी जान की शंका है। ख़दीजा रज़ि॰ ने कहाः (ऐसी कोई बात नहीं) आप निश्चित रहें, अल्लाह की क़सम! अल्लह पाक आप को कभी रूस्वा न करेगा (क्योंकि) अल्लाह की क़सम! आप रिश्ता–नाता जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, ग़रीबों का बोझ उठाते हैं, मुहताजों के लिये कमाई करते हैं, मेहमानों की सेवा करते हैं, अकाल स्थिति में लोगों की सहायता करते हैं (ऐसे व्यक्ति को अल्लाह क्योंकर बर्बाद करेगा) इस के पश्चात ख़दीजा रज़ि॰ आप को अपने चचा जाये भाई वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास लेकर गयीं, इन्होंने जाहिलिय्यत के समय में ई़साई धर्म स्वीकार कर लिया था और (अच्छी–ख़ासी) अ़रबी लिखना–पढ़ना जानते थे। चुनान्चे अल्लाह के हुक्म से इन्जील का ~~अरबी भाषा में अनुवाद भी कर रहे थे, बहुत अधिक आयु के हो जाने के नाते नेत्रहीन~~

(नाबीना) हो गये थे। ख़दीजा रज़ि॰ ने कहाः ऐ चचा! ज़रा अपने भतीजे की सुनिये। उन्होंने कहाः ऐ भतीजे! आप ने क्या देखा। चुनान्चे आप ने जो कुछ देखा-भाला था सब बयान कर दिया तो उन्होंने कहाः (अरे भाई) यह तो वही फ़रिश्ता है जो मूसा बिन अिम्रान के पास आता था।काश मैं उस समय युवा स्थिति में होता, और काश में उस समय जीवित होता जब आप की क़ौम आप को मुल्कबदर कर देगी। आप ने पूछाः क्या मेरी क़ौम मुझे निकाल देगी? उन्होंने कहाः हाँ, निकाल देगी, इसलिये कि जब भी कोई सन्देष्टा वह लेकर आया है जो आप लाये हैं, तो क़ौम के लोग उस के दुश्मन हो गये हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं उन दिनों जीवित रहा तो आप की भरपूर सहायता करूँगा।

74:– यहया ने बयान किया कि मैं ने अबू सलमा से पूछाः सर्वप्रथम कुरआन पाक की कौन सी आयत नाज़िल हुयी? उन्होंने कहाः "या अय्यु-हल् मुद्दस्सिरू।" मैं ने कहाः "इक़रा बिस्मि....." (नाज़िल हुयी है) इस पर उन्होंने कहाः मैं आप को वह हदीस सुनाता हूँ जिसे मैं ने स्वँय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ज़बानी सुनी है। आप ने फ़रमायाः मैं हिरा पर्वत के खोह में एक माह तक रहा, जब समय पूरा हो गया तो नीचे आ कर वादी में चलने लगा, इतने में किसी ने मुझे पुकारा तो मैं ने दायें-बायें, आगे-पीछे देखा लेकिन कोई नज़र न आया। फिर दोबारा पुकारा तो मैं ने दोबारा इधर-उधर देखा मगर किसी को भी न पाया। फिर (तीसरी मर्तबा) पुकारा तो मैं ने ऊपर की ओर सर उठा कर देखा (तो क्या देखा) कि जिब्रील अ़लै॰ हवा में अर्श पर बैठे हुये हैं। यह दृष्य देख कर मैं मारे डर के काँपने लगा, और ख़दीजा के पास आ कर कहाः मुझे कपड़ा ओढ़ा दो, मुझे कपड़ा ओढ़ा दो। चुनान्चे उन्होंने मुझे कपड़ा ओढ़ा दिया और मेरे ऊपर पानी डाल दिया, इस के बाद अल्लाह पाक ने यह आयतें नाज़िल फ़रमार्यीः "ऐ कपड़ा ओढ़ने वाले! (डरने की कोई आवश्यक्ता नहीं) आप खड़े हो जाइये और लोगों को डराइये, और पर्वरदिगार की बड़ाई बयान कीजिये, और अपने कपड़ों को पाक रखिये।" (पारः30, सूरः मुद्दस्सिर 1 ता 4)

फ़ाइदाः– उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि सर्वप्रथम सूरः "अ़लक़" की शुरू की 5 आयतें नाज़िल हुयीं। फिर कुछ समय तक वह्यि का सिलसिला बन्द रहने के पश्चात् सूरः मुद्दस्सिर की आयतें नाज़िल हुयीं। एक-आध लोगों का कहना है कि सब से पहले सूरः मुद्दस्सिर की आयतें नाज़िल हुयीं, या सूरः "फ़ातिहा" नाज़िल हुसयी, तो इन की बातों का कोई एतिबार नहीं। हिरा एक छोटे से पर्वत का नाम है जो मक्का से तीन मील की दूरी पर स्थित है। मक्का से मिना जाते हुये बाएँ हाथ पर पड़ता है, आज कल उस पर्वत को "जबले-नूर" कहते हैं, अब वहाँ एक गुंबद बना दिया गया है। आप को दबोचने का उद्देश्य यह था कि आप को सुकून प्राप्त हो जाये और दिल मुतवज्जेह हो जाये।

बाब {वह्यि के लगातार नाज़िल होने और अधिकांश रूप से नाज़िल होने का बयान।}

75:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अल्लाह पाक

ने पूछाः आप कौन हैं? उत्तर दियाः मैं जिब्रील हूँ। फिर पूछाः आप के साथ और कोन हैं? कहाः मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हैं। पूछाः क्या उन्हें आने की दावत दी गयी है? जिब्रील ने कहाः जी हाँ, उन्हें भी अनुमति दी गयी है। चुनान्चे दर्वाज़ा खुला तो मैं ने वहाँ इदरीस अ़लै॰ को पाया। उन्होंने हमारा स्वागत किया और बड़ी दुआ़यें दीं। इन्हीं के बारे में अल्लाह तआ़ला ने कुरआन पाक में फ़रमाया है "हम ने उन्हें ऊँचे स्थान पर उठा लिया" फिर जिब्रील ने चौथे आकाश का दर्वाज़ा खटखटाया तो फ़रिश्तों ने पूछाः आप कौन? उत्तर दियाः मैं जिब्रील हूँ। पूछाः आप के साथ कौन है? उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हैं। फ़रिश्तों ने पूछाः क्या उन्हें भी आने की दावत दी गयी है? उत्तर दियाः जी हाँ, उन्हें भी दावत दी गयी है। चुनान्चे दर्वाज़ा खोला तो हारून अ़लै॰ नज़र आये। उन्होंने हमारा स्वागत किया और बड़ी दुआ़यें दीं। फिर इस के बाद जिब्रील हमें लेकर छठे आकाश पर पहुँचे और दर्वाज़ा खटखटाया। फ़रिश्तों ने पूछाः आप कौन हैं? उन्होंने कहाः जिब्रील हूँ। फिर पूछाः आप के साथ कौन हैं? उन्होंने उत्तर दियाः मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम। उन्होंने पूछाः क्या उनहें भी आने की दावत दी गयी है? जिब्रील ने कहाः जी हाँ, उन्हें भी दावत दी गयी है। चुनान्चे दर्वाज़ा खोला गया तो मैं ने वहाँ मूसा अ़लै॰ को पाया। उन्होंने हमारा स्वागत किया और बहुत-बहुत दुआ़यें दीं। फिर जिब्रील मुझे लेकर सातवें आकाश पर पहुँचे और दर्वाज़ा खटखटाया तो फ़रिश्तों ने पूछाः आप कौन हैं? उत्तर दियाः मैं जिब्रील हूँ। पूछाः आप के साथ कौन हैं? जिब्रील ने कहाः मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हैं। पूछाः क्या उन्हें भी आने की दावत दी गयी है? जिब्रील ने कहाः जी हाँ, उन्हें भी दावत दी गयी है। चुनान्चे दर्वाज़ा खुला तो मुझे हज़रत इब्राहीम अ़लै॰ नज़र आये जो "बैतुल् मामूर" की तरफ़ पीठ कर के तकिया लगाए बैठे हुये हैं। "बैतुल मामूर" में रोज़ाना सत्तर हज़ार फ़रिश्ते दाख़िल होते हैं, जो एक बार दाख़िल होता है, दोबारा उस के दाख़िल होने की बारी नहीं आती। फिर जिब्रील मुझे लेकर सिदरतुल मुन्तहा के पास पहुँचे, उस पेड़ के पत्ते हाथी के कान जैसे बड़े थे, उन के बैर (फल) बड़े मिट्टी के घड़े के बराबर थे। फिर अल्लाह पाक ने उस पेड़ को ढाँक दिया है, चुनान्चे अब कोई उस की सुन्दरता नहीं बयान कर सकता। फिर अल्लाह तआ़ला ने मेरे दिल में कुछ बातें डाली और पचास नमाज़ें दिन-रात में फ़र्ज़ की। फिर जब मैं वहाँ से वापस लौटा तो मूसा अ़लै॰ से मुलाक़ात हो गयी। उन्होंने पूछाः अल्लाह तआ़ला ने आप पर क्या चीज़ फ़र्ज़ की है? मैं ने कहाः पचास नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। उन्होंने कहाः आप वापस जा कर अल्लाह पाक से कमी की प्रार्थना करें, क्योंकि आप की उम्मत इसे नहीं निभा सकेगी, क्योंकि मैं बनी इस्राईल को जाँच-परख चुका हूँ। चुनान्चे अल्लाह पाक के पास वापस जाकर मैं ने कमी करने की प्रार्थना की तो अल्लाह तआ़ला ने पाँच नमाज़ें कम कर दीं। फिर मैं वापस लौट कर मूसा अ़लै॰ के पास गया और कहा कि अल्लाह पाक ने पाँच नमाज़ें कम कर दी हैं। उन्होंने कहाः आप की उम्मत अभी भी इस बोझ को नहीं उठा पायेगी, इसलिये आप पुनः वापस जाकर कमी करवाइये। आप

ने आप के देहान्त से पर्वू आप पर मुसलसल और लगातार वह्यि नाज़िल फ़रमायी, और सब से अधिक वह्यि आप के देहान्त के दिन नाज़िल हुयी।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के आकाशों पर तशरीफ़ ले जाने और उस मौक़े पर नमाज़ों के फ़र्ज़ होने का बयान।}

76:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सवारी के लिये मेरे पास बुराक़ जानवर लाया गया, जो सफ़ेद रंग का गधे से ऊँचा और ख़च्चर से ज़रा छोटे क़द का था। वह अपना एक क़दम वहाँ तक रखता था जहाँ तक उस की निगाह जाती थी। चुनान्चे मैं उस पर सवार होकर बैतुल–मुक़द्दस तक गया। वहाँ उतर कर उसे ज़न्जीर से बाँध दिया गया जहाँ और दूसरे सन्देष्टा अपनी सवारी के जानवरों को बाँध दिया करते थे। (यह स्थान मस्जिद के दवाज़े के पास था) आप ने फ़रमायाः फिर मस्जिद के अन्दर जा कर दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ी और बाहर आ गया, इतने में जिब्रील अ़लै॰ शराब और दूध का दो प्याला लेकर आये तो मैं ने दूध को पसन्द किया (और उसे लेकर पी गया) फिर जिब्रील अ़लै॰ हमें लेकर आसमान की ओर रवाना हुये और दर्वाज़ा खोलने को कहा। पूछा गयाः आप कौन? जिब्रील ने उत्तर दियाः मैं जिब्रील हूँ। पूछा गयाः आप के साथ और कौन है? उन्होंने कहाः- मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! फ़रिश्ते ने पूछाः क्या उन्हें भी आने की दावत दी गयी है? जिब्रील ने कहाः जी हाँ, उन्हें भी दावत दी गयी है। चुनान्चे दर्वाज़ा खोल दिया गया (जब अन्दर दाख़िल हुये) तो क्या देखा कि आदम अ़लै॰ मौजूद हैं। चुनान्चे उन्होंने हमारा स्वागत किया और भलाई की दुआ़ दी। फिर जिब्रील मुझे लेकर दूसरे आकाश पर चढ़े और दर्वाज़ा खटखटाया। वहाँ के फ़रिश्तों ने पूछाः कौन? जिब्रील ने उत्तर दियाः मैं जिब्रील हूँ। उन्होंने पूछाः आप के साथ दूसरा कौन है? उन्होंने बतायाः मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! उन्होंने पूछाः क्या उन्हें भी दौरे की दावत दी गयी है? जिब्रील नेकहाः जी हाँ, उन्हें भी दावत दी गयी है। चुनान्चे दर्वाज़ा खोलदिया गया तो मैं ने क्या देखा कि दोनों ख़ालाजाये भाई अ़ीसा बिन म्रयम और यहया बिन ज़करिया मौजूद हैं। चुनान्चे उन्होंने हमारा स्वागत किया और हमारे लिये बेहतरी की दुआ़ फ़रमायी। फिर हमें लेकर जिब्रील तीसरे आकाश की ओर रवाना हुये और पहुँच कर दर्वाज़ा खटखटायाः वहाँ के फ़रिश्तों ने पूछाः आप कौन? उन्होंने उत्तर दियाः मैं जिब्रील हूँ। फ़रिश्ते ने पूछाः आप के साथ कौन हैं? जिब्रील ने कहाः मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हैं। उन्होंने पूछाः क्या उन्हें आने की दावत दी गयी हैं? जिब्रील ने कहाः जी हाँ, उन्हें अनुमति दी गयी है। चुनान्चे दर्वाज़ा खोला गया, तो मैं ने यूसुफ़ अ़लै॰ को देखा (वह इतने सुन्दर थे कि ऐसा मालूम होता था) आधी सुन्दरता केवल उन्हीं को दे दी गयी है। चुनान्चे उन्होंने भी हमारा स्वागत किया और दुआ़यें दीं।

फिर जिब्रील हमें लेकर चौथे आसमान पर पहुँचे और दर्वाज़ा खटखटाया तो फ़रिश्ते

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः चुनान्चे मैं इस प्रकार अल्लाह पाक और मूसा अलै॰ के दर्मियान आता-जाता रहा तो अन्त में अल्लाह पाक ने फ़रमायाः ऐ मुहम्मद! अब केवल पाँच नमाज़ें दिन-रात में फ़र्ज़ हैं, लेकिन हर नमाज़ के बदले दस नमाज़ का सवाब मिलेगा, इस प्रकार सवाब में यह पाँच नमाज़ें पचास नमाज़ों ही के बराबर ठहरीं। और अगर कोई बन्दा किसी नेक काम को करने की निय्यत करे लेकिन उसे न करे, फिर भी उसे एक नेकी का सवाब मिलेगा। और अगर वह नेक काम कर डाले तो उसे दस नेकी का सवाब मिलेगा। और अगर कोई बुराई करने का इरादा करे तो उस के लिये कोई गुनाह नहीं लिखा जायेगा, और अगर वह बुराई कर डाली तो बदले में केवल एक ही बुराई लिखी जायेगी।

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः फिर में वापस मूसा अलै॰ के पास आया (और पूरी जानकारी दी) तो उन्होंने फिर यही कहा कि दोबारा वापस जाओ और अल्लाह पाक से और कुछ कमी करवाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं अल्लाह पाक के पास कई मर्तबा जा-आ चुका हूँ, अब मुझे फिर जाते हुये शर्म आती है।

फ़ाइदाः— यह हदीस इतनी स्पष्ट है कि इस पर कुछ लिखने की आवश्यक्ता नहीं, फिर भी चन्द बातों की वज़ाहत ज़रूरी है। (1) 'बुराक़' यह बर्क़ से बना है जिस का अर्थ है जिबुजिली। यही कारण है कि उस की स्पीड "बिजुली" की सी थी। इस पर लगभग सभी संदेष्टाओं ने सवारी की है। (2) 'सिद्रतुल मुन्तहा' यह अन्तिम सीमा है, इस से आगे कोई फ़रिश्ता नहीं जा सकता, उस से आगे का हाल अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं। (3) कोई अन्दर से पूछेः कौन? तो साफ़-साफ़ नाम बताना चाहिये, इस में शर्म करने और बुरा मानने की कोई बात नहीं (4) जिस प्रकार बैतुल मुक़द्दस, ज़मीन वालों का क़िब्ला है, इसी प्रकार ठीक उसी के ऊपर आसमान में "बैतुल मामूर" है जो आसमान वालों का क़िब्ला है। (5) फ़रिश्तों की कितनी संख्या है? इस का अनुमान इस से लगा सकते हैं कि वहाँ रोज़ाना सत्तर हज़ार फ़रिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं, जो एक बार अन्दर जाता है, फिर दोबारा उस की बारी ही नहीं आती है। (6) अल्लाह पाक सात आसमान के ऊपर अर्श पर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाकर फिर वापस लौटे हैं। इस में तनिक भर तावील करने की आवश्यक्ता नहीं है। अल्लाह अर्श पर है, किस प्रकार है? उस का मुँह किस ओर है? किस प्रकार बैठा है? अर्श कैसा है? किस स्थान पर है? इन बातों पर अधिक सोच-विचार न करके केवल उन पर ईमान लाने की आवश्यक्ता है, अहले हदीस का यही मज़हब है (7) हदीस से स्पष्ट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लह पाक से बात-चीत की और अल्लाह पाक ने उत्तर भी दिया। किस प्रकार बात-चीत हुयीऔर किस प्रकार उत्तर दिया? इस के पीछे पड़ने की कोई आवश्यक्ता नहीं। (8) पचास समय की नमाज़ें बन्दे कैसे अदा करते? जब फ़र्ज़ ही नहीं रही तो इस में सर खपाने की क्या ज़रूरत। जब फ़र्ज़ होती तो अल्लाह पाक अदा करने

का तरीक़ा भी बता देता (9) फ़ाइदा के अन्तर्गत बस इतना ही बहुत है–ख़ालिद।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सन्देष्टाओं का ज़िक्र करने का बयान।}

77:– अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ मक्का और मदीना के दर्मियान घाटी में सफ़र कर रहे थे कि आप ने पूछाः यह कौन सा स्थान है? सहाबा ने बतायाः यह "अज़रक़" घाटी है। इस पर आप ने फ़रमायाः गोया मैं इस समय मूसा अ़लै॰ को देख रहा हूँ। फिर आप ने उन के रंग और उन के बालों का ज़िक्र किया (जिसे हदीस के रावी को याद न रहा) आप ने यह भी फ़रमायाः कि गोया वह अपने कानों को उंगलियों से बंद कर के ज़ो–ज़ोर से "लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक" कह कर अल्लाह पाक को पुकारते हुये इस घाटी से गुज़र रहे हैं।

अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि फिर हम लोग आगे बढ़े और एक टीला के पास पहुँचे तो आप ने पूछाः यह कौन सा स्थान है? लोगों ने कहाः "हरशा" या "लिफ़त" का स्थान है। आप ने फ़रमायाः गोया मैं यूनुस अ़लै॰ को अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि वह ऊन का जुब्बा पहने हुये ऊँटनी पर सवार हैं, उन की ऊँटनी की नकेल खजूर के छाल की है और लब्बैक पुकारते हुये चले जा रहे हैं।

फ़ाइदाः– जब आप ने उन को इस ज़मीन पर चलते नहीं देखा, फिर कैसे फ़रमाया? इस का उत्तर यह है कि अल्लाह ने वह्यि के ज़रीआ़ बता दिया होगा और उन के चलने और लब्बैक पुकारने का नक़्शा आप के सामने पेश कर दिया होगा और आप ने उस को देख कर कैफ़ियत (स्थिति) दोहरा दी होगी। एक नबी का कनक्शन जब वह्यि से हर समय जुड़ा रहता है तो इस में आश्चर्य किस बात का। अल्लाह पाक ने मुश्रिकों के प्रश्न पर काबा शरीफ़ को आप के सामने हाज़िर कर दिया था (देखें हदीस न॰ 80)

78:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब मैं मेराज को गया तो वहाँ (छठे आसमान पर) मूसा अ़लै॰ से मुलाक़ात की, फिर आप ने उन की शक्ल–सूरत बयान करते हुये फ़रमायाः मेरे ख़याल से वह लंबे और छरेरे क़द–काठी के थे, उन के सर के बाल शनूआ़ क़ौम के लोगों की तरह सीधे थे। आप ने आगे फ़रमायाः फिर मैं (दूसरे आसमान पर) ईसा अ़लै॰ से मिला। फिर आप ने उन की शक्ल–सूरत बयान करते हुये फ़रमायाः वह लाल रंग के दमिर्याना क़द के थे (इतने हश्शाश–बश्शास थे) जैसे अभी स्नानघर से स्नान कर के निकले हों। फिर आप ने फ़रमायाः मैं इब्राहीम अ़लै॰ से (सातवें आसमान पर) मिला तो मैं ने अपने–आप को सब से अधिक उन के मुशाबह (समान) पाया। आप ने फ़रमायाः फिर मेरे सामने दो बर्तन लाये गये, एक में दूध था और दूसरे में शराब, फिर मुझ से कहा गयाः दोनों में से जिसे चाहो पसन्द कर लो, चुनान्चे मैं ने दूध वाला बर्तन लेकर उसे पी लिया। इस पर बर्तन पेश करने वाले फ़रिश्ते ने कहाः आप ने अपनी फ़ितरत के अनुसार

दूध को पसन्द फ़रमाया, अगर कहीं शराब को पसन्द करते तो आप की उम्मत गुमराह हो जाती।

फ़ाइदा:– बुख़ारी में इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि अ़ीसा अ़लै॰ गन्दुमी (साँवले) रंग के थे, तो हो सकता है यहाँ रावी ने "अहमर" का अर्थ लाल लिया हो, और इब्ने उमर ने गन्दुमी।

बाब {अ़ीसा अ़लै॰ और दज्जाल का बयान।}

79:– अ़ब्दुल्लह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हम लोगों के दर्मियान दज्जाल का ज़िक्र किया तो फ़रमाया: अल्लह पाक काना नहीं है और मसीह दज्जाल दायीं आँख का काना है। उस की कानी आँख ऐसी है जैसे फूला हुआ अंगूर। फिर आप ने फ़रमाया: एक रात मैं ने सपने में अपने आप को काबा शरीफ़ के पास देखा (और यह भी देखा) कि गन्दुमी रंग के लोगों में सब से अच्छे गन्दुमी रंग का एक आदमी, जिस के बाल कन्धों तक लटक रहे थे, बालों में कंघी किये हुये थे, उस के सर से पानी टपक रहा था, अपने दोनों हाथों को दो आदमियों के कन्धे पर रखे हुये (उन्ही के सहारे) काबा शरीफ़ का तवाफ़ कर रहा है। मैं ने पूछा: यह कौन साहब हैं? लोगों ने कहा: यह म्रयम अ़लै॰ के पुत्र अ़ीसा अ़लै॰ हैं। उन के पीछे-पीछे मैं ने एक और व्यक्ति को देखा जिस के बाल बहुत अधिक घुँघराले थे और दाहिनी आँख का काना भी था। मैं ने अब तक जितने भी लोगों को देखा है उन सब में इब्ने ख़तल उस से सब से अधिक मुशाबह है। चुनान्चे वह भी अपने दोनों हाथों को दो आदमियों के कन्धों पर रखे हुये तवाफ़ कर रहा है। मैं ने उसे देख कर पूछा: यह कौन है? लोगों ने कहा: यह मसीह दज्जाल है।

फ़ाइदा:– हज़रत अ़ीसा अ़लै॰ को "मसीह" इसलिये कहते हैं कि इस का अर्थ है "सिद्दीक़" (सच्चा) चुनान्चे जब वह किसी बीमार पर हाथ फेर देते तो वह चंगा हो जाता था, या वह माँ के पेट से तेल लगे हुये पैदा हुये थे। और दज्जाल को भी "मसीह" इसलिये कहते हैं कि इस का एक अर्थ यह है कि जो काना हो, जिस की आँख मेट दी गयी हो।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का नबिय्यों को नमाज़ पढ़ाने का बयान।}

80:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मैं ने (सपने में) देखा कि हतीम के पास हूँ और कुरैश के लोग मुझ से मेराज के बारे में पूछ रहे हैं। चुनान्चे उन्होंने बैतुल मुक़द्दस के बारे में भी कुछ प्रश्न किये जिन का मैं उत्तर न दे सका, इसलिये मुझे इतना दुःख हुआ कि उतना दुःख मुझे कभी नहीं हुआ था। लेकिन अल्लाह पाक ने बैतुल मुक़द्दस को ला कर मेरे सामने कर दिया, चुनान्चे वह उस के बारे में जो भी प्रश्न करते मैं उसे देख कर बता देता। उसी दर्मियान मैं ने

अपने आप को सन्देष्टाओं की जमाअ़त में पाया, तो क्या देखा कि मूसा अ़लै॰ खड़े नमाज़ पढ़ रहे हैं, उन का क़द दर्मियाना दर्जे का है और शरीर माँस से गठा हुआ है जैसे शनूअ़ा क़बीला के लोग आ़म तौर पर होते हैं। अ़ीसा अ़लै॰ को भी खड़े नमाज़ पढ़ते देखा, उन से सब से अधिक मुशाबह उर्वा बिन मस्ऊद सक़फ़ी को पाता हूँ। और इब्राहीम अ़लै॰ को भी नमाज़ पढ़ते हुये देखा, उन से सब से अधिक मुशाबह मैं अपने आप को पाता हूँ, उन को भी नमाज़ पढ़ते हुये देखा, फिर जब नमाज़ का समय हुआ तो मैंने सभीं की इमामत की और सभी ने मेरे पीछे नमाज़ पढ़ी। जब नमाज़ पढ़ चुका तो किसी ने कहाः ऐ मुहम्मद! यह जहन्नम का दारोग़ा मालिक हैं उन्हें सलाम करो। चुनान्चे मैं ने उनकी तरफ़ देखा तो उन्होंने ही सब से पहले सलाम कर लिया।

बाब {मेराज के मौक़ा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का सिद्–रतुल् मुन्तहा तक पहुँचने का बयान।}

81:– अ़ब्दुल्लह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेराज के लिये गये तो सिद्–रतुल् मुन्तहा पहुँचे जो छठे आसमान पर है। जो भी ज़मीन से ऊपर की ओर चढ़ता है वह यहीं आ कर रूक जाता है। इस के बाद यहाँ से ऊपर ले लिया जाता है। और जो ऊपर से उतरता है (जैसे अल्लाह का हुक्म) वह भी यहीं रूक जाता है, फिर यहाँ से (फ़रिश्तों द्वारा) ले लिया जाता है। चुनान्चे अल्लाह तआ़ला ने (सूरः नज्म, पारः 27 में) फ़रमाया हैः "जबकि सिदरा को छुपाये लेती थी वह चीज़ जो उस पर छा रही थी" (अ़ब्दुल्लह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने कहा कि वह सोने के पतिंगे थे जो उसे छा रहे थे) फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को वहाँ तीन चीज़ें दी गयीं (1) पाँच वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ (2) सूरः बक़रः की अन्तिम आयतें (3) अल्लाह पाक ने आप की उम्मत में से उस को बख़्श दिया जो उस के साथ किसी को शरीक न ठहराए (यह संदेश)

फ़ाइदाः– इस हदीस से मालूम हुआ कि वह बैरी का पेड़ छठे आसमान पर है, लेकिन ऊपर हदीस न॰ 75 में है कि सातवें आसमान में है और यही सब से दुरूस्त है। अगर छठे को मानें तो अर्थ यह होगा कि उस की जड़ें तो छठे आसमान में हैं और शाखें (डालियाँ) सातवें आसमान में हैं, इसलिये कि वह बहुत अधिक लंबा–चौड़ा पेड़ है। "जो शिर्क न करे उसे बख़्श दिया जायेगा" का यह अर्थ है कि महापापों पर दन्ड देकर जन्नत में दाख़िल किया जायेगा, लेकिन मुश्रिक कभी जन्नत में न जायेगा। यह मुराद लेना कि महापाप को भी अल्लाह तआ़ला बख़्श देगा अल्लाह के फ़र्मान के विपरीत होगा।

बाब {अल्लाह तआ़ला ने (पारः27, सूरःनज्म में) फ़रमायाः "फिर वह फ़रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के निकट आ गया, फिर और निकट आ गया, यहाँ तक किदो कानों के बराबर फ़ासला रह गया।" की तफ़सीर।}

82:– इमाम शैबानी ने बयान किया कि मैं ने ज़िर्र बिन हुबैश रज़ि॰ से सूरः नज्म की (ऊपर बाब में ज़िक्र) आयत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः मुझ से अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जिब्रील अ़लै॰ को (उन की अस्ली हालत में) देखा था, उन के छः सौ पर थे।

83:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने सूरः नज्म की आयत (न॰ 11, 12, 13) की तफ़सीर बयान करते हुये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक को दिल की आँखों से दो मर्तबा देखा है।

84:– मस्रूक़ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ के पास तकिया लगाए बैठा हुआ था, कि इसी दर्मियान उन्होंने कहाः ऐ अबू आ़इशा (यह मस्रूक़ की कुन्नियत है) तीन बातों पर जिस ने यक़ीन किया उस ने अल्लाह पाक पर आरोप लगाया। मैं ने पूछाः वह कौन सी हैं? उन्होंने कहाः (1) जिस का ख़याल है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है तो उस ने अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाया। मस्रूक़ कहते है कि मैं टेक लगाए हुये था लेकिन यह सुन कर (मारे घबराहट के) उठ बैठा और कहाः ऐ मुसलमानों की माँ! इस बारे में जल्दबाज़ी से न काम लें और मुझे भी कुछ कहने का मौक़ा दें। क्या अल्लाह तआ़ला ने (सूरः तक्वीर की आयत 23 में) यह नहीं फ़रमाया है "उन्होंने उसे आकाश के कनारे पर देखा है।" (अल्लाह ने इसी प्रकार सूरः नज्म की आयत 13 में) फ़रमाया हैः "उसे एक मर्तबा और भी देखा था।" इस पर आ़इशा रज़ि॰ने कहाः इस उम्मत में सर्वप्रथम मैं ने इन आयतों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से प्रश्न किया तो आप ने फ़रमाया थाः इन आयतों में देखने से मुराद जिब्रील अ़लै॰ हैं। मैं ने उन्हें उन को अस्ली रूप में केवल दो बार देखा है और उन्ही का ज़िक्र इन आयतों में है। एक बार उस समय देखा था जब वह आकाश से उतर रहे थे उस समय उन का शरीर आकाश से ज़मीन तक भरा हुआ था।

फिर आ़इशा रज़ि॰ ने कहाः क्या आप को नहीं मालूम कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया हैः "उस को कोई भी आँख नहीं देख सकती और वह सब को देखता है।" (सूरः अन्आ़म 103) और क्या यह आयत आप ने नहीं पढ़ी हैः "किसी इन्सान के लिये यह संभव नहीं है कि अल्लाह पाक उस से कलाम करे मगर (तीन तरीक़े से) या तो उस के दिल में बात डाल दे, या पर्दे के पीछे से, या किसी फ़रिश्ता को भेज कर कि वह अल्लाह के हुक्म से जो उसे मन्जूर होता है सन्देश पहुँचा दे।" (सूरःशूरा 51) (पहली चीज़ तो समाप्त हुयी, दूसरी चीज़ यह है कि) जो कोई यह ख़याल करे कि अल्लाह के सन्देष्टा ने अल्लाह की पुस्तक में से कुछ छुपा लिया है तो उस ने अल्लाह पाक पर आरोप लगाया। क्योंकि अल्लाह पाक ने फ़रमा दिया हैः "ऐ सन्देष्टा! आप के पर्वरदिगार की तरफ़ से जो कुछ भी आप की तरफ़ भेजा जा रहा है उसे पहुँचा दीजिये। अगर आप ने इस में कोताही की तो आप ने सन्देश पहुँचाने का हक़ नही अदा किया।" (सूरः माइदा

67) आ़इशा रज़ि॰ ने कहाः (तीसरी बात यह है कि) जो कोइ यह कहे कि रसूल आने वाले कल की बात जानते थे तो उस ने भी अल्लाह पर बहुत बड़ा आरोप लगाया, क्योंकि अल्लाह ने स्वँय फ़रमा दिया हैः "ऐ मुहम्मद! आप कह दीजिये कि आकाश और ज़मीन में अल्लाह के सिवा कोई ग़ैब की बात नहीं जानता।" (सूःनम्ल 65)

रावी दावूद की रिवायत में इतना और अधिक बयान है कि आ़इशा रज़ि॰ ने कहाः अगर रसूल को कुरआन में से कुछ छुपाना ही होता तो वह सब से पहले इस आयत को छुपातेः "जब आप उस से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने भी उपकार किया और आप ने भी किया कि अपनी पत्नी (ज़ैनब) को अपने निकाह में रहने दे और अल्लाह से डर। और आप अपने दिल में वह (बात भी) छुपाए हुये थे जिस को अल्लाह (अन्त में) ज़ाहिर करने वाला था, और आप डरते थे कि लोग ताना देंगे। हालाँकि उचित यह है कि अल्लाह ही से केवल डरा जाये.......।" (सूरः अहज़ाब पारः22, आयत 37)

फ़ाइदाः– ऊपर की तीन–चार हदीसें बहुत मुश्किल हदीसों में से हैं जो बुख़ारी–मुस्लिम ने रिवायत की हैं। सन्द के एतबार से इन में किसी शक व शुब्हे की गुन्जाइश नहीं है। इन में पहला मस्अला अल्लाह पाक को दुनिया में देखने का है। उलमा की एक जमाअ़त का कहना है कि यह संभव है, तभी तो मूसा अ़लै॰ ने देखने की इच्छा प्रकट की थी। वर्ना एक नबी असंभव काम के लिये क्योंकर कहेगा। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ का कहना है कि आप ने अल्लाह को देखा है, लेकिन आ़इशा इन्कार करती हैं। तो दोनों में कोई टक्राव नहीं है, इसलिये कि आ़इशा ने अपना ख़याल ज़ाहिर किया है, उन्होंने हदीस नहीं बयान की है, और उन का ख़याल इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ की हदीस (जो अगर्चे मौक़ूफ़ है) के सामने कमज़ोर है। आ़इशा ने अपने ख़याल के सबूत में कुरआन की जो आयत पेश की है उस से भी देखने का इन्कार नहीं होता है। इस आयत से इतना साबित है कि अल्लाह पाक आमने–सामने कलाम नहीं करता, यह नहीं साबित होता है कि कोई बिना बात किये देख नहीं सकता। अन्त में उलमा की राय यह है कि इस सिलसिले में ख़ामोशी बेहतर है।

जब अल्लाह पाक को देखना संभव है तो जिब्रील को उन की अस्ली हालत में देखना यह कोई मस्अला ही नहीं रहा कि इस पर बहस की जाये। इसी प्रकार जब सहाबा सर की दोनों आँखों से देखना संभव मानते हैंतो दिल की आँखो से देखना यह तो और अधिक संभव है जिस में शक–शुब्हे की तनिक भर गुंजाइश नहीं।

85:– अबू मूसा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खड़े होकर हमें पाँच बातें बतायीं। आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक सोता नहीं है और न ही सोना उस के लिये उचित है। वही तराज़ू को झुकाता और ऊँचा करता है। उसी के पास रात का अ़मल, दिन के अ़मल से पहले, और दिन का अ़मल, रात के अ़मल से पहले पहुँचाया जाता है। उस का पर्दा नूर है। एक रिवायत में है कि अल्लाह का पर्दा आग है, अगर वह पर्दे को खोल दे तो उस के मुँह की लपट उन सबस

मख़्लूक़ को जहाँ तक उस की नज़र पहुँचती है जला कर राख कर दे।

फ़ाइदा:– अल्लाह पाक एक ज़ात है, नूर उस को ढके हुये है, उस के हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक हैं, जिन से वह पकड़ता, चलता, देखता, सुनता और सूँघता है। उस के पास तराज़ू है जिस में बन्दों की रोज़ी और उन के अच्छे-बुरे अ़मल तौलता है, वह अर्श पर बैठा है, बैठा है तो उस का रूख़ भी किसी तरफ़ होगा। इन सब में तावील करना और घुमा-फिरा कर बातें बनाना जाइज़ नहीं। जैसी अल्लाह की ज़ात है, वैसे ही उस के हाथ-पाँव, आँख-कान हैं, वैसा ही उस का तराज़ू है। जिस प्रकार अल्लह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है वैसे ही ईमान लाना हमारा काम है, तावील करना और मिसाल से साबित करना हराम है। अहले हदीस का यही अ़क़ीदा और मज़हब है।

86:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या क़ियामत के दिन हम अपने अल्लाह को देखेंगे? आप ने फ़रमायाः यह बताओ! क्या तुम्हें चौदहवीं का चाँद देखने में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस होती है? लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! नहीं तो। आप ने फिर पूछाः जब आसमान में बादल आदि न हो उस समय सूरज को देखने में कोई कठिनाई होती है? लोगों ने उत्तर दियाः नहीं। आप ने फ़रमायाः फिर तुम अपने रब को इसी प्रकार देखोगे।

अल्लाह पाक क़ियामत के दिन लोगों को जमा कर के फ़रमायेगाः जो जिस की पूजा करता था उसी के साथ हो जाये। चुनान्चे जो सरूज की पूजा करता था वह सूरज के साथ, जो चाँद की पूजा करता था वह चाँद के साथ और जो बूतों की पूजा करता था वह बूतों के साथ हो जायेगा, केवल हमारी उम्मत के लोग बचेंगे (जो किसी के साथ नहीं होंगे) लेकिन उस में मुनाफ़िक़ होंगे। फिर अल्लाह तआ़ला उन के सामने आ कर कहेगाः देखो, मैं तुम्हारा रब हूँ। वह लोग न पहचान कर इन्कार कर देंगे और कहेंगेः हम तुम से अल्लाह की पनाह माँगते हैं, हम इसी स्थान पर ठहरे रहेंगे, फिर जब हमारा रब आयेगा तो उसे पहचान लेंगे। फिर अल्लाह तआ़ला उन के सामने उस सूरत में आयेगा जिस को वह पहचानते होंगे, और कहेगाः मैं तुम्हारा रब हूँ। इस पर वह कहेंगेः बेशक तू हमारा रब है और वह उस के साथ हो जायेंगे।

इस के पश्चात दोज़ख़ के ऊपर पुल रखा जायेगा तो मैं और मेरी उम्मत के लोग सब से पहले उस पर से पार होंगे। उस दिन अल्लाह पाक से सन्देष्टाओं के अतिरिक्त और कोई बात न कर सकेगा। और वह भी उस समय केवल इतना ही कहेंगेः ऐ अल्लाह! इन्हें बचा ले। और दोज़ख़ में सादान झाड़ी के काँटों की तरह काँटेदार कड़े होंगे। वह कड़े कितने बड़े-बड़े होंगे? अल्लाह के अ़लावा और कोई नहीं जानता। आप ने सहाबा से पूछाः तुम लोगों ने सादान को देखा है? उत्तर दियाः जी हाँ, देखा है। आप ने फ़रमायाः जहन्नम के कड़े उन्हीं काँटों के समान होंगे, वह लोगों को फंसा कर जहन्नम के अन्दर

इधर-उधर घसीटेंगे।

अब जबकि अल्लाह तआ़ला बन्दों के मामलात को निमटा लेगा और अपनी रहमत से जहन्नम में से जिसे निकालना चाहेगा तो फ़रिश्तों को आदेश देगा कि जिस ने मेरे साथ किसी को शरीक न किया हो उसे बाहर निकालें। अल्लाह पाक जिन पर अपना रहम करना चाहेगा वह उस समय जहन्नम में लाइला-ह इल्लल्लाह पढ़ रहे होंगे, चुनान्चे फ़रिश्ते उन को उन के सज्दों के निशान से पहचान कर निकाल लेंगे। जहन्नम की आग सज्दों के निशान को छोड़ कर तमाम शरीर को जला कर राख कर देगी, इसलिये कि अल्लाह तआ़ला ने सज्दों के निशान पर आग को हराम ठहरा दिया है। चुनान्चे जब वह आग से निकाले जायेंगे तो कोयले के समान जले-भुने हुये होंगे। जब उन पर आबे-हयात छिड़का जायेगा तो वह इस प्रकार जम उठेंगे जैसे अनाज का दाना कूड़ा-कर्कट के ढेर के नीचे जम जाता है। फिर अल्लाह तआ़ला एक व्यक्ति को छोड़ कर बाक़ी तमाम बन्दों के फ़ैसले से फ़ारिग़ हो जायेगा। उस बन्दे का मुँह जहन्नम की तरफ़ होगा, तो वह बन्दा जन्नत वालों की तरफ़ मुँह कर के कहेगाः ऐ मेरे पर्वरदिगार! मेरा मुँह जहन्नम की तरफ़ से फेर दे, क्योंकि उस की गर्मी मुझे जलाए डालती है। वह बन्दा जब तक अल्लह पाक चाहेगा इसी प्रकार प्रार्थना करता रहेगा। फिर अल्लाह फ़रमायेगाः अगर मैं तेरी इस इच्छा को पूरी कर दूँ तो और दूसरी इच्छा तो नहीं करेगा? वह कहेगाः नहीं, मैं और कोई दूसरी इच्छा नहीं करूँगा। चुनान्चे अल्लाह उस का मुँह दोज़ख़ की तरफ़ से (जन्नत की तरफ़) फेर देगा। फिर जब उस का मुँह जन्नत की तरफ़ हो जायेगा, तो जब तक अल्लाह चाहेगा चुप रहेगा, फिर कहेगाः ऐ मेरे पर्वरदिगार! मुझे जन्नत के दर्वाज़े तक पहुँचा दे। इस पर अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगाः तू ने तो वादा किया था कि मैं दूसरा प्रश्न न करूँगा? तेरा बुरा हो, तू तो बड़ा दग़ाबाज़ है। लेकिन वह बन्दा कहेगाः ऐ मेरे पर्वदिगार! और इसी प्रकार दुआ़ करता रहेगा, तब अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगाः अच्छा अगर मैं तेरा यह प्रश्न भी पूरा कर दूँ तो फिर दूसरा प्रश्न तो नहीं करेगा? वह कहेगाः तेरी अ़िज़्ज़त की क़सम, नहीं करूँगा और जिस प्रकार अल्लाह चाहेगा वह तरह-तरह के वादे करेगा। आख़िर अल्लाह तआ़ला उसे जन्नत के दर्वाज़े तक भी पहुँचा देगा। जब बन्दा जन्न्त के दर्वाज़े पर खड़ा होकर देखेगा तो उसे जन्नत और उस के अन्दर की सुख, चैन और शान्ति की समस्त वस्तुएँ दिखाई देंगी, लेकिन वह जब तक अल्लाह चाहेगा चुप रहेगा और कोई प्रश्न न करेगा, फिर कुछ समय के बाद कहेगाः ऐ मेरे पर्वरदिगार! मुझे जन्नत के अन्दर दाख़िल कर दे। इस पर अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगाः तू ने तो वादा किया था कि अब में कोई और प्रश्न नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारा बुरा हो तू तो बड़ा धोखेबाज़ है। वह कहेगाः ऐ मेरे मौला! मैं तेरी मख़्लूक़ में ऐसा बदनसीब नहीं हूँ (कि मुझे जन्नत न मिले) और बराबर अल्लाह पाक से दुआ़यें करता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला को हँसी आ जायेगी, फिर हँसते हुये फ़रमायेगाः जा, जन्नत में दाख़िल हो जा। जब वह जन्न्त में दाख़िल हो जायेगा तो अल्लाह तआ़ला उस से फ़रमायेगाः और कोई इच्छा हो तो उसे पेश कर। चुनान्चे वह

अपनी इच्छायें बयान करने लगेगा, यहाँ तक कि अल्लाह पाक स्वँय उसे याद दिलायेगा कि फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ें भी माँग। यहाँ तक कि जब उस की समस्त ख़ाहिशें समाप्त हो जायेंगी तो अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगाः हम ने तेरी तमाम ख़ाहिशों को पूरा कर दिया और अपनी तरफ़ से उतना ही और भी दे दिया।

हदीस के रावी अ़ता बिन यज़ीद ने बयान किया कि जिस प्रकार अबू हुरैरा रज़ि॰ ने ऊपर की हदीस बयान की है उसी प्रकार अबू सईद खुदरी रज़ि॰ ने भी की है, दोनों की रिवायतों में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन जब अबू हुरैरा रज़ि॰ ने यह बयान किया कि अल्लाह तआ़ला उस से कहेगाः "हम ने यह सब चीज़ें तुझे दे दीं और उतनी ही और भी दीं" तो अबू सईद खुदरी ने कहाः "उस का दस गुना और भी दिया" इस पर अबू हुरैरा रज़ि॰ ने कहाः मुझे तो यही याद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यही फ़रमाया थाः "हम ने यह सब चीज़ें तुझे दे दीं और उतनी ही और भी दीं।" इस पर अबू सईद खुदरी रज़ि॰ ने कहाः मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यूँ फ़रमाया थाः "उस का दस गुना और भी दिया।"

अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि यह वह व्यक्ति होगा जो सब से अन्त में जन्नत में जायेगा।

87:— अबू सईद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वह लोग जो जहन्नम वाले हैं, वह न तो मरेंगे और न ही जियेंगे। लेकिन कुछ लोगों को जहन्नम कोयला बना देगी, फिर निक़ाल कर उन पर जन्नत का पानी डाल दिया जायेगा तो वह इस प्रकार उगेंगे जैसे दाना उस मिट्टी में उगता है जिसे सैलाब बहा कर•कनारे ले आता है। यह सुन कर एक सहाबी ने कहाः ऐसा मालूम होता है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल्म जन्गल में रहे हैं (जभी तो आप को मालूम है कि सैलाब के लाये हुये मिट्टी में दाना खूब उगता है)

फ़ाइदा जहन्नमी दो प्रकार के होंगे (1) वह जो हमेशा उस में जलेंगे, वहाँ से कभी भी न निकलेंगे, जैसे मुशिरक लोग (2) गुनाहगार और पापी लोग। चुनान्चे यह लोग अपने पापों का दन्ड भोग कर निकल आयेंगे और जन्नत में जायेंगे। लेकिन पहली क़िस्म के लोगों का ठिकाना, हमेशा-हमेशा के लिये जहन्नम है।

बाब {अल्लाह को एक जानने और मानने वालों को जहन्नम से निकालने का बयान।}

88:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जन्नत में सब से अन्त में जाने वाला वह व्यक्ति होगा जो चलते-चलते औंधा गिर पड़ेगा और जहन्नम की आग उसे जलाती जायेगी। जब वह जहन्नम को पार कर लेगा तो उसे घूम कर देखेगा और कहेगाः अल्लाह की ज़ात बड़ी बर्कत वाली है जिस ने मुझे तुम से बचा लिया। अल्लाह पाक ने मुझे इतना कुछ दिया है कि

उतना किसी को नहीं दिया, न अगलों में से किसी को और न ही पिछलों में से किसी को दिया है। इसी बीच उसे एक पेड़ दिखाई देगा, उसे देख कर बन्दा कहेगाः ऐ मेरे पर्वरदिगार! मुझे उस पेड़ के निकट पहुँचा दे ताकि मैं उस के नीचे साया में रहूँ और उस का पानी पियूँ। इस पर अल्लाह पाक कहेगाः ऐ आदम की संतान! अगर मैं तेरी यह इच्छा पूरी कर दूँ तो फिर दूसरी कोई इच्छा तो नहीं करेगा? वह उत्तर देगाः ऐ मेरे पर्वरदिगार! नहीं करूँगा, और वादा करेगा कि पुनः अब कोई और प्रश्न नहीं करूँगा। चुनान्चे अल्लह पाक उस को उस पेड़ के नीचे कर देगा जिस के साया में वह रहेगा और वहाँ का पानी पियेगा। फिर उस को एक और पेड़ दिखाई देगा जो पहले वाले से भी अच्छा होगा। उसे देख कर बन्दा कहेगाः ऐ मेरे पर्वरदिगार! मुझे उस पेड़ के पास पहुँचा दे ताकि मैं उस का पानी पियूँ, और इस के बाद अब कोई और ख़ाहिश का इज़हार न करूँगा। अल्लाह पाक उस से पूछेगाः ऐ आदम की सन्तान! क्या तूने वादा नही किया था कि अब कोई दूसरा प्रश्न न करूँगा? और अगर मैं तुझे उस पेड़ के पास पहुँचा दूँ तो फिर कोई और ख़ाहिश तो नहीं करोगे? वह वादा करेगा कि नहीं करूँगा। तब अल्लाह पाक उसे उस पेड़ के पास कर देगा और वह बन्दा उसी के साये में रहेगा और वहाँ का पानी पियेगा। लेकिन फिर उस को एक पेड़ दिखाई देगा जो जन्नत के दर्वाज़े पर होगा और पहले दो पेड़ों से कहीं अधिक बेहतर होगा। उसे देख कर बन्दा बोल उठेगाः ऐ मेरे पर्वरदिगार! मुझे उस पेड़ के निकट पहुँचा दे ताकि मैं उसी के साया के नीचे रहूँ और वहाँ का पानी पियूँ। अब मैं फिर और कोई ख़ाहिश न करूँगा। अल्लाह पाक पूछेगाः ऐ आदम की संतान! क्या तू ने इस बात का इक़रार नहीं किया था कि अब मैं कोई और प्रश्न न करूँगा? वह कहेगाः हाँ, मैं ने इस प्रकार का वादा किया था लेकिन तू मेरी यह खाहिश पूरी कर दे तो फिर अब और कोई प्रश्न न करूँगा? लेकिन अल्लाह पाक उस बन्दे को माज़ूर (स्मर्थ) समझेगा, क्योंकि जब बन्दा जन्नत की नेमतों को देखेगा तो वह सब्र कर ही न सकेगा। आख़िर अल्लाह पाक उसे उस पेड़ के निकट पहुँचा देगा। फिर बन्दा जब वहाँ पहुँच जायेगा तो जन्नतियों के हँसने–बोलने की आवाज़ सुन कर कहेगाः ऐ मेरे पर्वरदिगार! मुझे जन्नत के अन्दर दाख़िल फ़रमा। अल्लाह पाक पूछेगाः ऐ आदम के पूत! तेरी इच्छा कब और कैसे पूरी होगी? क्या तू इस बात पर राज़ी है कि मैं तुझे पूरी दुनिया के बराबर दे दूँ और उतना ही और ऊपर से दे दूँ? वह कहेगाः ऐ मेरे पर्वरदिगार! तू समस्त संसार का पालनहार होकर भी मुझ से मज़ाक़ करता है। यह बयान कर के हदीस के रावी अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ हसँने लगे, फिर लोगों से कहाः तुम लोग मुझ से पूछते क्यों नहीं कि क्यों हसँ रहे हो। चुनान्चे लोगों ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी इस हदीस को बयान करते समय इसी प्रकार हँसे थे। लोगों ने पूछा था कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! आप क्यों हँस रहे है? आप ने फ़रमायाः अल्लह के हसँने से मैं भी

हसँता हूँ। जब बन्दा कहेगाः तू समस्त संसार का मालिक होकर भी मुझ से मज़ाक़ करता है, तो यह सुन कर अल्लाह पाक हँस देगा, और फ़रमायेगाः मैं मज़ाक़ नहीं कर रहा (मज़ाक़ करना तो बन्दों का काम है) मैं तो जो चाहता हूँ कर सकता हूँ।

फ़ाइदाः– इस हदीस में अल्लाह पाक के हसँने का ज़िक्र है, फिर हसँने के लिये मुँह भी चाहिये। तो इस का उत्तर यह है कि अल्लाह हसँता है और वह शरीर का मालिक भी है। वह उसी प्रकार हसँता है जिस प्रकार उसे हसंने का हक़ है। इस में तावील करना हराम है, अहले हदीस का यही अ़क़ीदा और मज़हब है।

89:– अबू ज़ुबैर ने बयान किया कि एक मर्तबा लोगों ने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से क़ियामत के दिन लोगों के आने के हाल के बारे मे पूछा गया तो उन्होंने कहाः हम क़ियामत के दिन लोगों के ऊपर-तले होकर आयेंगे। फिर तमाम उम्मतें अपने-अपने बुतों और माबूदों के साथ पुकारी जायेंगी। तो पहले एक उम्मत आयेगी फिर दूसरी, फिर तीसरी......। इस के पश्चात अल्लाह तआ़ला उन से पूछेगाः किस का इन्तिज़ार है? वह कहेंगेः हम अपने पर्वरदिगार के आने का इन्तिज़ार कर रहे हैं। यह सुन कर अल्लाह पाक फ़रमायेगाः मैं तुम्हारा मालिक हूँ। इसपरउम्मती कहेंगे हम तुम्हें पहले देखेंगे। इस पर अल्लाह पाक उन्हें हसँता हुआ दिखाई देगा और वह आगे-आगे चलेगा और तमाम लोग उसके पीछे-पीछे होंगे। फिर हर व्यक्ति को चाहे वह मुनाफ़िक़ हो या मोमिन, उसे एक नूर मिलेगा और हर कोई अपने-अपने नूर के साथ होगा। और जहन्नम के पुल पर आँकड़े होंगे वह अल्लाह के हुक्म से जिसे चाहेंगे पकड़ लेंगे, फिर मुनाफ़िक़ों का नूर बुझ जायेगा और मोमिन नजात पा जायेंगे। चुनान्चे मोमिनों का सर्वप्रथम गरोह जो होगा उन के मुँह चौदहवीं के चाँद की तरह चमक रहे होंगे, इन की संख्या सत्तर हज़ार के लगभग होगी, इन से हिसाब-किताब कुछ नहीं लिया जायेगा। दूसरे गरोह का हाल यह होगा कि उन का चेहरा चमकते हुये सितारों के समान होगा। इसी प्रकार दर्जावार तमाम गरोहों का हाल होगा।

फिर शफ़ाअ़त करने का समय आ जायेगा और लोग इस नेक काम में शफ़ाअ़त करना शुरू कर देंगे। चुनान्चे जहन्नम से वह बन्दा भी निकाल लिया जायेगा जिस ने लाइला-ह इल्लल्लाह कहा था और उस के कर्मपत्र में राई के दाना के बराबर केवल एक ही नेकी होगी। यह लोग जहन्नम से निकाल कर जन्नत के आँगन में डाल दिये जायेंगे, फिर जन्नती लोग इन के ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे तो वह इस प्रकार हरे-भरे हो जायेंगे जैसे झाड़ पानी के बहाव में उगता है। और उन की जलन और तपिश (गर्मी) समाप्त हो जायेगी। फिर वह अल्लाह पाक से अपनी इच्छा प्रकट करेंगे, तो अल्लाह पाक उन्हें पूरी दुनिया के बराबर, बल्कि उस दुनिया जैसी दस दुनिया के बराबर अ़ता करेगा।

90:– यज़ीद बिन सुहैब फ़क़ीर से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मेरे दिल में ख़ारिजी लोगों की एक बात बैठ गयी थी (कि जो जहन्नम में गया वह फिर कभी नहीं

निकलेगा) उस दर्मियान हम लोगों ने हज्ज का प्रोग्राम बना कर उस के लिये निकल पड़े कि हज्ज भी करेंगे और ख़ारिजी मज़हब का प्रचार भी करेंगे। फिर जब हम लोग मदीना शरीफ़ पहुँचे तो क्या देखा कि जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ एक खंबे से टेक लगा कर अल्लाह के रसूल की हदीसें सुना रहे हैं। उसी दौरान उन्होंने जहन्नम वालों का भी ज़िक्र कर दिया, तो मैं ने उन से कहाः ऐ अल्लह के रसूल के सहाबी! आप किस प्रकार की हदीसें बयान कर रहे हैं? अल्लाह पाक तो कुरआन में यूँ बयान फ़रमाता हैं: "ऐ हमारे पर्वरदिगार! जिसे तू ने जहन्नम में डाला तो उसे तू ने ज़लील किया।" (आले अ़िम्रान 192) "और जब भी उस से निकलने का प्रयास करेंगे तो उस के अन्दर दोबारा ढ़केल दिये जायेंगे" (सूरः सज्दा 20) इस पर उन्होंने मुझ से प्रश्न कियाः क्या तुम ने कुरआन पाक पढ़ा है? मैं ने उत्तर दियाः जी हाँ। उन्होंने पुनः प्रश्न कियाः क्या तुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मुक़ाम (स्थान) के बारे में भी कुछ सुना है? मैं ने उत्तर दियाः जी हाँ, मैं ने उस स्थान के बारे में नहीं सुना है। उन्होंने कहाः वह वही "मुक़ामे-महमूद" है जिस की वजह से अल्लाह पाक जिसे चाहेगा जहन्नम से निकाल लेगा। फिर उन्होंने पुल सिरात और उस पर से गुज़रने का हाल बयान किया। हो सकता है मुझे सही तौर पर हदीस न याद रही हो मगर उन्होंने इस प्रकार बयान किया कि कुछ लोग जहन्नम में जलने के पश्चात उस में से निकाले जायेंगे तो वह इस हाल में निकलेंगे जैसे आबनूस की लकड़ियाँ (जल-भुन कर काली पड़ जाती हैं) फिर जन्नत की एक नहर में दाख़िल होकर स्नान करेंगे, चुनान्चे काग़ज़ के समान सफ़ेद चन्गे होकर निकलेंगे। यह हदीस सुन कर हम लौटे तो कहाः तुम्हारी ख़राबी हो, क्या यह बूढ़ा व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर झूठा आरोप लगा रहा है? (यानी हर्गिज़ झूठा आरोप नहीं लगा रहा है) फिर तुम्हारा मज़हब ग़लत है। इस के बाद सभी लोग ख़ारिजी लोगों के मज़हब से अलग हो गये, मगर अल्लाह की क़सम एक व्यक्ति ख़ारिजी लोगों के दीन पर ही अ़ड़ा रहा।

फ़ाइदाः– ख़ारिजी मज़हब मानने वालों का अ़क़ीदा है कि जहन्नम में दाख़िल होने के बाद कोई वहाँ से न निकलेगा। यह लोग सूरः आले अ़िम्रान 192 और सूरः सज्दा की आयत 20 से दलील पकड़ते हैं, हालाँकि वह दोनों आयतें मुश्रिकों और काफ़िरों के बारे में नाज़िल हुयी हैं, जो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। पापी-गुनाहगार लोग भी जहन्नम में जायेगे, लेकिन अपनी सज़ा भुगत लेने के बाद निकाल कर जन्नत में दाख़िल कर दिये जायेंगे।

91:– अनस बिन मालिक रज़ि से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः चार व्यक्ति जहन्नम से निकाल कर अल्लाह पाक के सामने हाज़िर किये जायेंगे तो उन में से एक जहन्नम की तरफ़ देख कर कहेगाः ऐ मेरे मौला! अब जबकि तू ने मुझे निकाल लिया है तो दोबारा जहन्नम में मत डालयो, चुनान्चे अल्लाह

तआ़ला उस को जहन्नम से नजात दे देगा।

92:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास माँस लाया गया, तो उस में से आप को दस्त खाने के लिये दिया गया, क्योंकि दस्त आप को बहुत पसन्द था, चुनान्चे आप ने दस्त को दाँतों से नोच–नोच कर खाया और फ़रमायाः मैं क़ियामत के दिन सब का सर्दार हूँगा। और जानते हो किस वजह से? बात यह है कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला अगलों और पिछलों सभी को एक ही मैदान में जमा करेगा (उस मैदान में इस प्रकार सभी सिमट कर बैठेंगे कि) अगर कोई पुकार लगाये तो उस की पुकार उस मैदान के सभी लोग सुन लेंगे, देखने वाला एक ही निगाह में उन सब को देख लेगा, सूरज बिल्कुल नीचे आ जायेगा, उस की वजह से लोग परेशानी में मुब्तिला होंगे, और परस्पर एक–दूसरे से कहेंगे कि देखो तो ज़रा हम लोग कितनी परेशानी में घिरे हुये हैं। क्या हम लोगों के पास कोई सिफ़ारिश करने वाला नहीं है जो अल्लाह के दर्बार में सिफ़ारिश कर दे? इस पर कुछ लोग कहेंगे कि हमें आदम अ़लै॰ के पास चलना चाहिये। चुनान्चे सभी लोग उठ कर आदम अ़लै॰ के पास जायेंगे और कहेंगेः आप सभी के पिता हैं, अल्लाह ने आप को अपने हाथों से बनाया, फिर उस में रूह फूँक कर फ़रिश्तों से सज्दा कराया, इसलिये आप अल्लाह पाक से हमारे बारे में सिफ़ारिश कर दीजिये, हम किस हाल में हैं वह आप स्वँय देख ही रहे हैं। यह सुन कर वह कहेंगेः आज पर्वरदिगार गुस्सा में है और इतने गुस्सा में है कि इतने गुस्सा में इस से पहले वह कभी नहीं था, और न ही कभी होगा। उस ने मुझे उस पेड़ का फल खाने से मना कर दिया था, लेकिन मैं ने खालिया था, इसलिये मैं स्वँय ही अपने को लेकर चिन्ता में हूँ, ऐसा है कि आप लोग किसी और के पास जायें और नूह के पास जायें (तो ज़्यादा बेहतर होगा) चुनान्चे सब लोग नूह अ़लै॰ के पास पहुँचेंगे और पहुँच कर कहेंगेः ऐ नूह! आप समस्त सन्देष्टाओं से पूर्व ज़मीन पर आये हैं, अल्लाह ने आप का नाम “अब–दन् शकूरा” (आज्ञाकारी बन्दा) रखा है, आप अपने पर्वरदिगार के पास जाकर हमारे बारे में सिफ़ारिश कर दें, हम लोग किस हालत में हैं आप स्वँय ही देख रहे हैं। चुनान्चे वह भी यही उत्तर देंगे कि आज अल्लाह पाक इतने गुस्से में है कि इतना न पहले कभी हुआ था और न ही होगा। मैं ने अपनी उम्मत की तबाही–बर्बादी के लिये दुआ़ की थी जिस के कारण उम्मत सत्तियानास हो गयी, इसलिये अब मुझे अपने बारे में स्वँय ही संदेह है, ऐसा है कि आप लोग इब्राहीम अ़लै॰ के पास जायें। चुनान्चे सब लोग उन के पास जा कर कहेंगेः आप अल्लाह के सन्देष्टा हैं, उस के मित्र हैं, आप अपने पर्वरदिगार के पास जा कर हमारी सिफ़ारिश फ़रमा दें, हम लोग जिस हालत में हैं वह आप से ढकी–छुपी नहीं है। इस पर वह उत्तर देंगेः मेरा पर्वरदिगार आज बहुत गुस्सा में है, इतना गुस्सा में है कि इतना गुस्सा पहले न कभी हुआ था और न कभी होगा, फिर वह अपने झूठ को याद कर के कहेंगेः आज तो हमें अपने बारे में फ़िक्र है (कि देखिये क्या होता है) आप किसी और के पास जायें, ऐसा है कि आप मूसा अ़लै॰ के पास जायें।

चुनान्चे सब लोग मूसा के पास जायेंगे और कहेंगेः ऐ मूसा! आप अल्लाह के सन्देष्टा हैं, अल्लाह पाक ने आप को नबी बना कर और आप से बात-चीत कर के दूसरों पर बड़ाई अ़ता की है, इसलिये आप अपने पर्वरदिगार से हमारे बारे में सिफ़ारिश फ़रमा दें, हम लोग इस समय जिस स्थिति में हैं वह आप देख ही रहे हैं। मूसा अ़लै॰ यह सुन कर उत्तर देंगेः आज मेरा पर्वरदिगार इतने गुस्सा में है कि उतने गुस्सा में वह कभी नहीं था और न कभी होगा। और फिर मैं ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, हालाँकि हत्या की अनुमति नहीं थी, इसलिये आज तो मुझे अपनी चिन्ता है। ऐसा है आप लोग अ़ीसा अ़लै॰ के पास जायें। चुनान्चे सब लोग अ़ीसा अ़लै॰ के पास जायेंगे और कहेंगेः ऐ अ़ीसा! आप अल्लह के सन्देष्टा हैं, आप ने बचपन ही में कलाम किया है और अल्लाह का वह कलिमा हैं जिस को उस ने म्रयम की तरफ़ डाला था और उस की रूह हैं, इसलिये आप अपने पर्वरदिगार से हमारी सिफ़ारिश कर दें, हम लोग जिस हाल में हैं वह आप देख ही रहे हैं। अ़ीसा अ़लै॰ उत्तर देंगेः आज हमारा पर्वरदिगार बड़े गुस्से में है इतने गुस्से में न पहले कभी था और न कभी होगा, मुझे तो आज अपनी चिन्ता सता रही है, आप लोग और किसी के पास जाइये, मेरे ख़याल से मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जाइये। इस पर लोग मेरे पास आयेंगे और अनुरोध करेंगेः ऐ मुहम्मद! आप अल्लाह के सन्देष्टा और अन्तिम सन्देष्टा हैं, अल्लाह पाक ने आप के अलगे-पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिये हैं, आप अपने पर्वरदिगार से हम लोगों के बारे में सिफ़ारिश फ़रमा दें, हम लोग जिस हालत में हैं उसे आप देख ही रहे हैं। (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया) चुनान्चे मैं इतना सुनते ही (हश्र के मैदान से चल कर) अ़र्श के नीचे पहुँच कर अपने रब को सज्दा करूँगा, फिर अल्लाह पाक मेरा सीना खोल देगा, और अपनी वह-वह प्रशंसा और ख़ूबियाँ बयान करेगा, जो मुझ से पहले किसी को नहीं बतलाया (मैं भी उस की भलीभाँत प्रशंसा करूँगा) इतने में अल्लाह पाक कहेगाः ऐ मुहम्मद! अपना सर उठाओ और माँगो, जो भी माँगोगे उसे दिया जायेगा। सिफ़ारिश करें, आप की सिफ़ारिश क़ुबूल होगी। चुनान्चे मैं सर उठा कर अनुरोध करूँगाः ऐ मेरे मौला! मेरी उम्मत पर रहम फ़रमा, ऐ मेरे मौला! मेरी उम्मत पर रहम फ़रमा। इस पर अल्लाह पाक फ़रमायेगाः ऐ मुहम्मद! अपनी उम्मत में से जिन का हिसाब-किताब नहीं लिया जायेगा, उन को जन्नत के दाहिने दर्वाज़े से दाख़िल करो, और वह चाहें तो किसी भी दरवाज़े से दाख़िल हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़सम है उस ज़ात की जिस के हाथ में मुहम्मद की जान है, जन्नत के दर्वाज़े की चौड़ाई इतनी है, जितनी दूरी मक्का और बहरैन के नगर "हजर" के दर्मियान है, या जितनी दूरी मक्का और मुल्क शाम के बुस्रा नगर के दर्मियान है।

फ़ाइदाः– 'हजर' बहरैन मुल्क के एक नगर का नाम है और 'बुस्रा' शाम के एक नगर का।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "मैं जन्नत के लिये सर्वप्रथम सिफ़ारिश करने वाला हूँगा, और मेरे उम्मती दीगर सन्देष्टाओं के अनुपात अधिक होंगे।}

93:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम· ने फ़रमायाः मैं सर्वप्रथम जन्नत के लिये सिफ़ारिश करने वाला हूँगा और किसी सन्देष्टा को इतने अधिक लोगों ने स्वीकार नहीं किया जितना अधिक मुझे स्वीकार किया (और मेरी पैरवी की) और बहुत से सन्देष्टा तो ऐसे भी हुये हैं जिन को मानने वाला केवल एक ही व्यक्ति था।

बाब {जन्नत का दर्वाज़ा (सर्वप्रथम) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खोलेंगे।}

94:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं क़ियामत के दिन जन्नत के दर्वाज़े पर आ कर उसे खोलूँगा। जब दर्बान पूछेगाः आप कौन हैं? मैं कहूँगाः मुहम्मद हूँ। वह कहेगाः मुझे यही आदेश मिला था कि आप से पहले और किसी के लिये दर्वाज़ा न खोलूँगा।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "हर सन्देष्टा की एक दुआ़ (अवश्य ही) कुबूल की गयी है।"}

95:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर सन्देष्टा की एक दुआ़ अवश्य ही कुबूल होती है, इसलिये हर सन्देष्टा ने वह दुआ़ जल्दी से माँग ली। लेकिन मैं ने अपनी (कुबूल होने वाली) दुआ़ को अपनी उम्मत के शफ़ाअ़त हेतु क़ियामत के दिन के लिये संभाल कर रख छोड़ी है। और अल्लाह ने चाहा तो मेरी सिफ़ारिश हर उम्मती के लिये कुबूल होगी, मगर शर्त यह है कि वह शिर्क की हालत में न मरा हो।

फ़ाइदा:– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितना प्रेम था आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर शिर्क नहीं किया है और कितने ही बड़े-बड़े पाप किये हैं तो यह अल्लाह के ऊपर है वह चाहे तो माफ़ कर के जन्नत में दाख़िल कर दे, या पाप के अनुसार उतने दिनों तक जहन्नम का दन्ड देकर उसे पाक कर के जन्नत में दाख़िल करे। बहरहाल मुश्रिक के अ़लावा हर महा से महा पापी दन्ड भुगत कर जन्नत में अवश्य जायेगा।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के लिये दुआ़ फ़रमाना।}

96:– अ़ब्दुल्लह बिन अ़म्र बिन अ़ास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इब्राहीम अ़लै॰ के बारे में अल्लाह तआ़ला के इस क़ौल की तिलावत

फ़रमायीः

> "ऐ मेरे मौला! इन्होंने अधिकांश लोगों को सीधी राह से भटका दिया है, इसलिये जिस ने मेरे आज्ञा का पालन किया वह मेरे साथ है, और जिस ने अवज्ञा की तो तू बहुत अधिक माफ़ करने वाला और दया करने वाला है (तू चाहे तो माफ़ करे और चाहे तो दन्ड दे) (सूरः इब्राहीम 36)

और हज़रत ओ़ीसा अ़लै॰ का यह क़ौल नक़ल फ़रमायाः

> "अगर तू उन्हें दन्ड दे तो यह तेरे बन्दे हैं। और अगर तू माफ़ कर दे तो तू अ़िज़्ज़त और हिक्मत वाला है (जैसा उचित जाने करे) (सूरः माइदा 118)

फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को उठा कर यह दुआ़ कीः "ऐ मेरे मौला! मेरी उम्मत, मेरी उम्मत! (इन्हें माफ़ कर दे) और आप रोने लगे। यह हालत देख कर अल्लाह पाक ने जिब्रील से कहाः ऐ जिब्रील! मुहम्मद के पास जा कर पूछो (हालाँकि अल्लाह तआ़ला जानता है) यह पूछो कि आप क्यों रो रहे हैं? चुनान्चे जिब्रील ने आ कर पूछा तो आप ने पूरी बात बता दी।जिब्रील ने वापस जा कर अल्लाह को पूरी जानकारी दी (हालाँकि वह पहले ही से जानता है) अल्लाह ने जिब्रील से कहाः तुम मुहम्मद से जा कर कह दो कि हम तुम्हारी उम्मत के बारे में तुम्हें खुश कर देंगे, नाराज़ नहीं होने देंगे।

फ़ाइदाः– इस हदीस से कई बातें मालूम हुयी। (1) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिये कितने मेहरबान थे। (2) इस प्रकार की दुआ़ में हाथ उठाना मुस्तहब है (नमाज़ के बाद की दुआ़ में नहीं) (3) उम्मत के लिये मग़्फ़िरत की सूचना है। (4) अल्लाह ने जिब्रील को इसलिये भेजा ताकि आप का मर्तबा और बुलन्द हो जाये। (5) "आप को नाराज़ नहीं करेंगे" से स्पष्ट है कि आप की उम्मत के गुनाहों को माफ़ कर दिया जायेगा।

97:– जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि तुफ़ैल बिन अ़म्र दौसी रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और अनुरोध कियाः क्या आप को एक मज़बूत क़िला और लश्कर की आवश्यक्ता है? (तो दौस क़बीला का क़िला और उस का लश्कर हाज़िर है) लेकिन आप ने उन की पेशकश को इसलिये अस्वीकार किया कि यह ख़िदमत अल्लाह ने अन्सार के हिस्से में लिख दी थी (कि वह आप की सुरक्षा और सहायता करेंगे) जब आप ने मदीना की तरफ़ हिजरत की तो तुफ़ैल बिन अ़म्र और उन के एक साथी ने भी हिजरत की। लेकिन मदीना का वातावरण उन के प्रतिकूल (नामुवाफ़िक़) हो गया (और पेट की बीमारी लग गयी) जो व्यक्ति तुफ़ैल रज़ि॰ के साथ आया था वह इतना अधिक बीमार हो गया कि तक्लीफ़ को न सह सका और छुरी से अपनी उंगलियों के

पोर काट डाले, जिस से दोनों हाथों से ख़ून बहने लगा और मर गया। तुफ़ैल ने उसे सपने में देखा तो उस की हालत अच्छी थी, मगर वह अपने दोनों हाथों को छुपाए हुये था। हज़रत तुफ़ैल ने उस से पूछा: अल्लाह पाक ने तेरे साथ क्या मामला किया? उस ने कहा: मुझे बख़्श दिया, क्योंकि मैं ने उस के सन्देष्टा के संघ हिजरत की थी। तुफ़ैल ने कहा: मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने हाथों को छुपाये हुये हो, इस का क्या कारण है? उस ने कहा: अल्लाह तआला ने कह दिया है कि हम उसे नहीं दुरूस्त करेंगे जिसे तुम ने स्वँय ही बिगाड़ा है। तुफ़ैल रज़ि॰ ने जब इस सपने को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान किया तो आप ने फ़रमाया: ऐ मेरे मौला! उस के दोनों हाथों को भी बख़्श दे, जिस प्रकार तू ने उस के समस्त शरीर पर कृपा कर के उस के दोनों हाथों को भी ठीक कर दे।

फ़ाइदा:- इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई अपने आप को मार डाले या महापाप कर डाले और बग़ैर तौबा के मर जाये तो वह काफ़िर (दीन इस्लाम से ख़ारिज) नहीं होता है। और पाप करने की वजह से चन्द दिनों के लिये जहन्नम में जाना अल्लाह की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन उस ने जान-बूझ कर अपने को हलाक करने की कोशिश नहीं की थी, घबराहट और बेचैनी में यह क़दम उठाया था, वर्ना वह निःसंदेह हराम मौत मरता, जैसा कि दूसरी हदीसों से आत्महत्या करने वाले के बारे में साबित है। आप की दुआ से उस के हाथ अल्लाह पाक ने निःसंदेह ठीक कर दिये होंगे-सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम।

बाब {अल्लाह तआला ने फरमाया: "ऐ मुहम्मद! आप अपने निकट संबन्धियों को अल्लाह से डराइये।" (सूर: शु-अ़रा 214)}

98:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि जब यह आयत नाज़िल हुयी:

"आप अपने निकट संबन्धियों को डराइये।" (सूर:शु-अ़रा 214)

तो आप ने क़ुरैश के लोगों को बुलाया, जब सब आ गये तो पहले आप ने सब को डराया, फिर ख़ास-ख़ास लोगों को डराते हुये कहा: ऐ कअ़ब बिन लुवा के बेटो! अपने आप को जहन्नम से बचाओ। ऐ हाशिम के बेटो! अपने आप को जहन्म से बचाओ। ऐ अ़ब्दुल मुत्तलिब के बेटो! अपने आप को जहन्नम से बचाओ। ऐ फ़ातिमा! अपने को जहन्म से बचा लो, इसलिये कि अल्लाह के सामने मेरा कोई बस नहीं चलेगा। हाँ, हमारा-तुम्हारा जो रिश्ता और संबन्ध है उसे मैं हमेशा जोड़ता रहूँगा (यानी तुम्हारे संघ उपकार करता रहूँगा)

फ़ाइदा:- इस हदीस से मालूम हुआ कि जहाँ नेक काम करना अनिवार्य है वहीं इस के करने का हुक्म देना और तब्लीग़ करना भी अनिवार्य है। तब्लीग़ पहले अपने घर के लोगों और रिश्तेदारों में की जाये। आजकल के उलमा का तरीक़ा निहायत ग़लत है कि

झोला उठाए हुये पूरे देश में तब्लीग़ करते फिरते है और घर के लोग कुफ़्र और शिर्क करते हैं। लोगों को नमाज़ें पढ़वाते हैं और घर के बीवी-बच्चे नमाज़ रोज़ा, जानते ही नहीं।

बाब {क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब को कुछ लाभ पहुँचा सके?}

99:- अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब (आप के सगे चचा) से रिवायत है उन्होंने कहाः ऐ अल्लह के रसूल! क्या आप ने (अपने चचा) अबू तालिब को भी कुछ फ़ाइदा पहुँचाया? क्योंकि वह आप की सुरक्षा के लिये कमर कस कर तय्यार रहते थे और आप की ख़ातिर (क़ौम के लोगों को) डाँट-डपट करते रहते थे। आप ने फ़रमायाः हाँ (क्यों नहीं फाइदा पहुँचाया) वह (इस समय) जहन्नम के तलपट और छीछिल स्थान पर हैं। अगर मैं न होता (यानी उन के लिये दुआ़ न करता) तो वह जहन्नम के सब से निचले दर्जे में होते।

100:- इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सब से हल्का दन्ड अबू तालिब को होगा, वह (आग की) दो जूतियाँ पहने होंगे जिन से उन का दिमाग़ खौलेगा (जैसे हाँडी में पानी खौलता है)

फ़ाइदा:- तफ़सील के लिये देखे हदीस न॰ 3 का फ़ाइदा। तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि जो कुफ़्र और शिर्क की हालत में मरे वह जहन्नमी है, चाहे नबी का बाप हो या बेटा, चचा हो या भतीजा। अ़ल्लामा सुयूती ने एक बात यह लिख दी है कि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की दुआ़ कुबूल कर ली, और आप के माता-पिता दोबारा जीवित किये और इस्लाम लाये, फिर देहान्त कर गये। इस प्रकार की हदीसें मौज़ूअ़ और मनघड़त हैं। मुस्लिम ने अबू तालिब और आप के माता-पिता के तअ़ल्लुक़ से 10 रिवायतें नक़ल की हैं, जिन में इन सब के जहन्नमी होने का स्पष्ट सबूत मौजूद है। इस्लाम की तो यही शान है कि इस धर्म में भाई और भतीजा वाद नहीं चलता है, केवल ईमान और इस्लाम काम आता है।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "मेरी उम्मत के सत्तर हज़ार लोग जन्नत में बिला हिसाब-किताब जायेंगे" (मेरे मौला! मुझ अनुवादक को भी उन्ही लोगों में शामिल फ़रमा ले)}

101:- हुसैन बिन अ़ब्दुर्रहमान रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं सअ़ीद बिन जुबैर बिन मुतइम रज़ि॰ के पास बैठा हुआ था कि उन्होंने कहाः तुम में से किस ने उस सितारा को देखा जो क़ल रात को टूटा था? मैं ने कहाः मैं ने भी देखा था (और देखने की वजह यह नहीं थी कि) मैं उस समय नमाज़ पढ़ने के लिये जाग रहा था, बल्कि बिच्छु ने डंक मार दिया था (इस कारण जाग रहा था और उस तारे पर निगाह पड़ गयी थी) सअ़ीद रज़ि॰ ने पूछाः फिर आप ने क्या किया, मैं ने कहाः झाड़-फूँक (दम) करवाया।

उन्होंने फिर पूछाः क्यों झाड़-फूँक करवाया? मैं ने कहाः इमाम शोबी ने एक हदीस मुझ से बयान की है उस की रोशनी में दम करवाया। उन्होंने पूछाः कौन सी हदीस बयान की है? मैं ने कहाः बुरैदा बिन हसीब अस्लमी रज़ि॰ की हदीस बयान की कि दम फ़ाइदा नहीं करता मगर नज़र में या डंक मारने पर। यह सुन कर उन्होंने कहाः जिस ने सुना और उस पर अमल किया तो अच्छा ही किया। लेकिन मुझ से इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने इस प्रकार हदीस बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरे सामने और दूसरे सन्देष्टाओं की उम्मतें (यानी उन के मानने वाले) पेश किये गये (तो मैं ने देखा कि) कुछ सन्देष्टा ऐसे थे जिन के मानने वाले दस व्यक्ति से भी कम थे, कुछ के साथ एक-दो थे, और कुछ सन्देष्टा के साथ तो एक भी व्यक्ति नहीं था। इतने में एक बहुत बड़ी उम्मत मेरे सामने पेश की गयी, मैं समझा कि यह मेरी उम्मत ही के लोग हैं, लेकिन कहा गयाः यह मूसा की उम्मत के लोग हैं। फिर मुझ से कहा गयाः ज़रा आकाश के कनारे की ओर देखो। मैं ने देखा तो एक बहुत बड़ा गरोह जमा है। फिर कहा गयाः अब ज़रा दूसरे छोर की ओर भी देखो। चुनान्चे जब मैं ने देखा तो वह भी बुहत बड़ा गरोह था। इस पर मुझे बताया गया कि यह आप के उम्मती है, इन में से सत्तर हज़ार लोग ऐसे हैं जो बिला हिसाब और दन्ड के सीधे जन्नत में चले जायेंगे। इतना कह कर आप खड़े हुये और अपने घर में चले गये। अब इस पर लोगों ने अनुमान लगाया कि यह वह लोग होंगे जो आप के संघ उठे-बैठे होंगे। किसी ने कहाः यह वह लोग हो सकते हैं जो इस्लाम की हालत में पैदा हुये और अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक नहीं किया। मतलब यह कि किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर निकल कर आ गये और फ़रमायाः तुम लोग किस मुद्दे पर बहस कर रहे हो? लोगों ने आप को सूचित किया तो आप ने फ़रमायाः वह, वह लोग होंगे जो न दम करते हैं, न दम पर विश्वास रखते हैं, न दम कराते हैं, और न बुरा शगून लेते हैं, बस केवल अपने रब पर भरोसा करते हैं।

यह सुनना था कि उकाशा बिन मुहसिन रज़ि॰ (से नहीं रहा गया और) खड़े होकर कहने लगेः आप अल्लाह पाक से दुआ कर दें कि वह मुझे भी उन्हीं लोगों में कर दें। आप ने फ़रमायाः तुम भी उन्हीं लोगों में से हो। इतने में एक और सहाबी ने खड़े होकर कहाः मेरे लिये भी दुआ फ़रमा दीजिये। आप ने फ़रमायाः उकाशा तुम से बाज़ी ले गया।

फ़ाइदाः– "वह अपने पर्वरदगार पर भरोसा रखते हैं" यहाँ पर भरोसा और वतक्कुल का अर्थ जानना ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ को पैदा कर के उस का सबब भी बनाया। इंसान को चाहिये कि उस सबब को अपनाए और यह अक़ीदा रखे कि उस में असर पैदा करना अल्लह के इख़्तियार में है, इसी का नाम "भरोसा" और "तवक्कुल" है। यानी दवा का प्रयोग करे, हर प्रकार के उपचार करे, लेकिन अक़ीदा यह हो कि उन गोलियों, दवाओं और जड़ी-बूटियों में कोई तासीर और ताक़त नहीं जब तक अल्लाह का हुक्म उस में शामिल न हो। दवा-दारू करना यह तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि

तवक्कुल का एक हिस्सा है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बहुत सी दवाओं के नाम और उन के फ़ाइदे गिनाए हैं, आप ने स्वँय (सूरःफ़लक़ और सूरः नास का) दम किया और कराया भी है, सहाबा ने सूरः फ़ातिहा पढ़ कर बिच्छू काटे का उपचार किया (बुख़ारी) आप ने एक लड़के पर दम कर के शैतान को भगाया। (बुख़ारी) मालूम हुआ कि बीमारी में बचाव के तरीक़े अपनाना, दवा खाना, दम करना-कराना जाइज़ है, मगर, निय्यत यह हो कि इन चीज़ों में कोई तासीर नहीं है, बल्कि तासीर अल्लाह पैदा करने वाला है। यानी दवा खाये, लेकिन भरोसा दवा पर न हो, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर हो। दवा से फ़ाइदा हो जाये तो यह कहे कि दवा ने अल्लाह के हुक्म से फ़ाइदा किया। एक सहाबी ने पूछाः मैं अपनी सवारी बाँध कर अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल करूँ या छोड़ कर? आप ने फ़रमायाः "सवारी को बाँध दो फिर भरोसा करो" मतलब यह हुआ कि बाँधने का नाम ही तवक्कुल है। यानी पहले बाँध दो, फिर कहोः अल्लाह ने चाहा तो अब यह नहीं भागेगी। यहाँ हदीस में इसी प्रकार भरोसा करने वाले लोग मुराद हैं।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "आशा करता हूँ कि कुल जन्ती लोगों में आधे तुम होगें (यानी मेरे उम्मती)}

102:- अ़ब्दुल्लह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम चालीस लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ एक ख़ेमा में बैठे हुये थे कि आप ने फ़रमायाः क्या तुम्हें इस बात से खुशी है कि कुल जन्नती लोगों में चौथाई तुम लोग होंगे? हम लोगों ने कहाः जी हाँ (थोड़ी देर बाद) आप ने फिर फ़रमायाः तुम्हें इस बात को लेकर खुशी है कि तुम्हारी संख्या एक तिहाई होगी? हम लोगों ने कहाः जी हाँ। आप ने फ़रमायाः उस अल्लाह की क़सम जिस के हाथ में मुहम्मद की जान है, मुझे आशा है कि तुम्हारी संख्या कुल जन्नती लोगों की आधी होगी, और यह इसलिये कि जन्नत में वही जायेगा जो मुसलमान है, और मुसलमान की संख्या मुश्रिकों के मुक़ाबला (अनुपात) इतनी है जैसे काले बैल की खाल में एक सफ़ेद बाल, या लाल बैल की खाल में एक काला बाल।

फ़ाइदाः- आप के एक ही बार में कुल संख्या की सूचना न देकर बारी-बारी देने में यह हिक्मत है कि सुनने वालों को बार-बार खुशी हो और बार-बार अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक रिवायत के अनुसार जन्नती लोगों की 120 सफ़ें होंगी उन में 80 सफ़ें केवल हमारी उम्मत की होंगी। इस से मालूम हुआ कि दो तिहाई जन्नती मुहम्मदी उम्मत के होंगे। पहले अल्लाह तआ़ला ने आधी की सूचना दी, बाद में संख्या बढ़ा कर दो तिहाई कर दी-अल्हम्दु लिल्लाह।

बाब {आदम अ़लै॰ से अल्लह पाक का फ़रमानाः "हर हज़ार में से नौ सौ निन्नानवे

(999) लोगों को जहन्नम से निकाल लो।"}

103:– अबू सओद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह तआला फ़रमायेगा: ऐ आदम! वह उत्तर देंगे: मैं हाज़िर हूँ और तेरी आज्ञा के लिये तय्यार हूँ और हर प्रकार की भलाई तेरे हाथ में है। अल्लाह पाक कहेगा: जहन्नमी लोगों के गरोह को निकाल लो। वह कहेंगे: कैसा गरोह? अल्लाह कहेगा: हर हज़ार लोगों में से 999 को जहन्नम के लिये निकाल लो (यानी एक हज़ार में केवल एक जन्नत में जायेगा) आप ने फ़रमाया: यही वह समय होगा जब (डर के मारे) बच्चा भी बूढ़ा दिखेगा और गर्भवती महिला अपने गर्भ पात कर देगी, लोगों को तू मस्त (बेसुध) देखेगा हालाँकि वह (पी कर) मस्ती में नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अज़ाब ही बहुत कठोर होगा।

यह सुन कर सहाबा परेशान हो उठे और कहने लगे: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! देखिये दस हज़ार में एक जन्नती कौन निकलता है? यह सुन कर आप ने फ़रमाया: (घबराने की कोई बात नहीं) खुश हो जाओ, इसलिये कि याजूज-माजूज में काफ़िरों की इतनी अधिक संख्या है कि अगर उन को जोड़ो-घटाओ (हिसाब लगाओ) गे तो तुम्हारे एक के मुक़ाबले (अनुपात) में उन की संख्या हज़ार होगी। फिर आप. ने फ़रमाया: क़सम है उस ज़ात की जिस के हाथ में मेरी जान है, मुझे पूरा यक़ीन है कि जन्नत में एक चौथाई संख्या में तुम होगे। यह सुन कर हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाहु अक्बर का नारा बुलन्द किया। यह सुन कर आप ने फ़रमाया: उस ज़ात की क़सम, जिस के हाथ में मेरी जान है, मुझे पूरा विश्वास है कि जन्नत में आधी संख्या तुम्हारी होगी। और उम्मतियों के मुक़ाबले में तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे काले बैल की खाल में एक सफ़ेद बाल, या किसी गधे के पैर में एक निशान।

फ़ाइदा:– याजूज-माजूज कौन हैं? कहाँ हैं? इन की संख्या कितनी है? विस्तार से जानकारी के लिये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रह॰ की तफ़सीर "तर्जुमानुल क़ुरान" में सूरः कहफ़ आयत न॰ 94 और सूरः अम्बिया आयत 98 का अवश्य मुताला करें।

अल्लाह पाक आदम से कब बात करेगा? कुछ उलमा ने कहा कि हश्र के दिन और कुछ ने कहा: क़ियामत आते समय और दुनिया के समाप्त होने से पूर्व।

आज 25 रमज़ान रात 1 बजे, 9 नवंबर 2004 मंगल की रात किताबुल ईमान का अनुवाद और संक्षिप्त तशरीह संपन्न हुआ।

ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी, अद्दारूस्सलफ़िय्या, भाई खल्ला, मुंबई

❀❀❀

किताबुत्तहारति
(पाकी के मसाइल का बयान)

बाब {अल्लाह तआ़ला कोई भी नमाज़ वुज़ू के बग़ैर कुबूल नहीं करता।}

104:– मुस्-अ़ब बिन स-अ़द से रिवायत है उन्होंने बयान किया अ़ली बिन आ़मिर रज़ि॰ बीमार हुये तो ख़ैरियत मालूम करने के लिये अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ उन के पास गये तो उन्होंने कहा: ऐ इब्ने उमर! आप मेरे लिये दुआ़ नहीं करेंगे? उन्होंने कहा: मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि अल्लाह तआ़ला बिना पाकी हासिल किये नमाज़ को कुबूल नहीं करता और उस माल ग़नीमत में से दिये गये सदक़ा को भी कुबूल नहीं करता जो तक़्सीम से पहले हथिया लिया गया हो, और आप तो बसरा नगर के हाकिम रह चुके हैं (ज़रूर ही माले ग़नीमत में लार्पवाही की होगी)

फ़ाइदा:– नमाज़ के कुबूल होने के लिये पूरे शरीर का पवित्र होना और बा वुज़ू होना शर्त है। अगर शरीर पाक है लेकिन वज़ू नहीं है, या वूज़ू से है लेकिन शरीर पाक नहीं है तो नमाज़ कुबूल नहीं होगी। अगर पाकी हासिल करने और वज़ू के लिये पानी न मिले तो पाकी और वज़ू की निय्यत से तयम्मुम करे। लेकिन अगर मिट्टी भी न मिले तब क्या करे? कुछ उलमा ने कहा: बिना पाकी हासिल किये ही समय पर नमाज़ पढ़ ले। और कुछ ने कहा: मिट्टी मिलने का इन्तिज़ार करे। मेरे ख़याल से अगर एक-आध घन्टा के बाद मिलने की संभावना हो तो इन्तिज़ार करे, लेकिन ऐसे स्थान पर हो जहाँ एक-आध घंटा तक न मिलने की संभावना हो तो तयम्मुम की निय्यत से यूँ ही हाथ मुँह पर मसह कर ले और नापाकी की हालत ही में नमाज़ अदा करे। मिट्टी के इन्तिज़ार में अधिक विलंब ठीक नहीं।

आप बसरा के गवर्नर रहे हैं, माले ग़नीमत और बैतुल माल में ज़रूर ही हेराफेरी की होगी, या अल्लाह और बन्दों के हक़ अदा करने में कोताही और लार्पवाही की होगी, ऐसे व्यक्ति के लिये दुआ़ करने से क्या फ़ाइदा। इब्ने उमर ने चेतावनी देते हुये कहा होगा, वर्ना हर बड़े से बड़े पापी के लिये दुआ़ करना जाइज़ है।

बाब {नींद से जागने के बाद, पानी के बर्तन में हाथ डालने से पूर्व हाथों को धो लेना चाहिये।}

105:– अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब कोई तुम में से नींद से जागे तो पानी के बर्तन में हाथ डालने से पूर्व उसे तीन बार (मल-मल कर) धो ले, इसलिये कि क्या पता (सोने की हालत में) हाथ कहाँ-कहाँ गया होगा।

फ़ाइदाः– तीन बार की शर्त इसलिये है कि इस से इतमिनान हो जाता है, लेकिन अगर एक या दो बार जम कर धोने से नापाकी दूर हो जाये तो उत्तनी बार भी काफ़ी है। अगर जागने की हालत में भी हाथ में नजासत लगने का गुमान हो तो भी पहले हाथ धोए। यह भी मालूम हुआ कि अगर कहीं भी नापाकी लगने का शुब्हा हो तो उसे धो कर शुब्हा मिटा लेना चाहिये।

बाब {राह में और छांव में पखाना (शौच) करना मना है।}

106:– अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः लानत के दो कामों से बचो (यानी ऐसा काम न करो कि लोग लानत भेजें) लोगों ने पूछाः लानत के वह कार्य कौन से हैं ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमायाः लोगों के आने-जाने के रास्तें में और सायादार स्थानों पर (जहाँ लोग बैठ कर आरम करते हों) पाख़ाना करना।

फ़ाइदाः– यह दो स्थान ऐसे हैं जिसे लोग बैठने हेतु बराबर प्रयोग में लाते हैं। ज़ाहिर हैं जिस को उस से तक्लीफ़ पहुँचेगी वह गाली देगा और लानत भेजेगा। ऐसा कार्य कर के लोगों की लानत लेना यह बुद्विमानी तो नहीं है।

बाब {पाख़ाना-पेशाब करते समय शर्मगाह (सतर) को छुपाना आवश्यक है।}

107:– अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे अपनी सवारी पर बेठा लिया फिर मेरे कान में चुपके से एक ऐसी बात कही जिसे मैं किसी सेभी नहीं बयान करूँगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी हाजत पूरी करने के लिये किसी ऊँचे टीले या खजूर के पेड़ों की आड़ लेना पसन्द करते थे (ताकि सतर पर किसी की नज़र न पड़े)

फ़ाइदाः– हदीस का अर्थ स्पष्ट है नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बेहयाई से बचने की शिक्षा दी है और हया को आधा ईमान कहा है। वह राज़ की बात क्या थी अल्लाह ही बेहतर जाने, सहाबी ने बताया नहीं, इसलिये जानने की आवश्यक्ता भी नहीं।

बाब {जब पाख़ाना के लिये बैठे तो क्या पढ़े?}

108:– अनस बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के सन्देष्टा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब शौचालय में दाख़िल होते तो यह दुआ

पढ़तेः

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि–क मि–नल् खुब्सि वल्–ख़बाइसि
"ऐ मेरे मौला! मैं तेरी पनाह माँगता हूँ नर–मादा शैतानों से (या पलीदी और नापाकी से। या शैतानों से और पाप से)"

बाब {पाख़ाना–पेशाब करते समय क़िब्ला की ओर मुँह करना मना है।}

109:– अबू अय्यूब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम पाख़ाना के लिये जाओ तो पाख़ाना–पेशाब करने के लिये क़िब्ला की तरफ़ मुँह कर के न बैठो, बल्कि पूरब या पश्चिम की तरफ़ मुँह कर के बैठो। अबू अय्यूब रज़ि॰ ने बयान किया कि जब हम मुल्क शाम गये ता देखा कि वहाँ शौचालय क़िब्ला रूख़ बने हुये हैं, (तो उन्हें इस्तेमाल करते समय) अपना रूख़ फेर लेते थे और अल्लाह की पनाह माँगते थे।

फ़ाइदाः– पूरब या पश्चिम की तरफ़ मुँह कर के बैठने का हुक्म उन लोगों के लिये हैं जिन का क़िब्ला उत्तर–दक्षिण है। बाद में घरों में बने शौचालय में क़िब्ला की तरफ़ बैठने की गुन्जाइश मिल गयी थी, जैसा कि नीचे हदीस न॰ 110 आ रही है।

बाब {घरों में बने शौचालय में {क़िब्ला की तरफ़ मुँह या पीठ कर के बैठने की} अनुमति है।}

110:– वासे बिन हिब्बान ने बयान किया कि मैं मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ रहा था और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ अपनी पीठ क़िब्ला की तरफ़ टेक लगाए हुये बैठे थे जब मैं नमाज़ पढ़ चुका और उन के बग़ल से निकल कर बाहर जाने लगा तो उन्होंने कहाः लोग कहते हैं कि पाख़ाना–पैशाब के लिये क़िब्ला और बैतुलमुकद्दस की तरफ़ मुँह कर के न बैठो। हालाँकि (एक मर्तबा) मैं (अपने घरे के) छत पर चढ़ा तो क्या देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुलमुकद्दस की तरफ़ मुँह किये हुये दो ईटों पर बैठ कर पाख़ाना कर रहे हैं।

फ़ाइदाः– यानी जब बैतुलमुक़द्दस की तरफ़ मुँह होगा तो लामहाला क़िब्ला की तरफ़ पीठ होगी। चुनान्चे उलमा ने कहा कि मैदान और खेत या खुले मैदान में दुरूस्त नहीं, क्योंकि वहाँ रुख़ बदलने में कोई कठिनाई नहीं। लेकिन घर के अन्दर बने हुयें शौचालय में अगर रुख़ बदलने में कठिनाई हो तो अनुमति है। फिर भी अगर कोई एहतियात करता है तो इस से अच्छी बात और क्या होगी। यह रिवायत बुख़ारी शरीफ़ में भी है।

बाब {जिस पानी में स्नान करना है उसी में पेशाब भी करना मना है।}

111:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः रूके हुये पानी में हर्गिज़ पेशाब न करो, इसी प्रकार रूके हुये पानी में पेशाब

कर के उस में स्नान करो। एक दूसरी रिवायत में है कि ऐसा न करो कि थमे हुये पानी में जो बहता न हो पेशाब करोऔर फिर उसी में स्नान भी करो।

फ़ाइदा:— थमे हुये पानी में अगर लोग पेशाब करें और स्नान भी करें तो एक समय ऐसा आयेगा कि वह पानी आधा पेशाब हो जायेगा, फिर उस में स्नान करनेसे नापाक बदन पाक होना तो दूर, पाक बदन भी नापाक हो जायेगा। यह दुरूस्त है कि एक-आध के करने से नापाक नहीं होगा, लेकिन हर कोई एक-आध में अपने को शुमार कर के पेशाब करने लगे तो सभी पेशाब करनें लगेंगे, इसलिये किसी को करने की अनुमति नहीं है। फिर उसी में पेशाब कर के उसी में स्नान करने से तबीअ़त में नफ़रत पैदा होती है और यह "सफ़ाई-सुथराई आधा ईमान है" के ख़िलाफ़ है।

फुक़हा और इमामों ने पानी के कम और अधिक को बुनियाद बना कर जाइज़, मक्रूह तन्ज़ीही और मक्रूह तहरीमी की वाहियात और ग़ैरज़रूरी बहस छेड़ कर ख़ाह-मख़ाह पानी में पेशाब करने की गुन्जाइश निकाली है। आख़िर पहले बाहर पेशाब कर लेने के बाद पानी में स्नान करने में उस को क्या नुक़्सान हो रहा है। संक्षिप्त में यह कि पानी थोड़ा हो या अधिक अगर थमा हुआ है तो उस में पेशाब करना मना है। हम ने गाय-भेंस को तो देखा है कि पानी में खड़े होकर पानी भी पीते हैं और पेशाब भी करते रहते हैं, लेकिन इन्सान को नहीं।

बाब { पेशाब के छींटों से बचना और पेशाब करते समय पर्दा करना अनिवार्य है।}

112:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दो क़ब्रों के पास से गुज़रे तो फ़रमाया: इन दोनों क़ब्र वालों पर अ़ज़ाब हो रहा है और अ़ज़ाब कोई महापाप करने की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि उन में से एक तो इधर-उधर लगाई-बुझाई (ग़ीबत, चुग़ली) करता रहता था और दूसरा अपने पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। फिर आप ने खजूर की एक हरी डाल मँगवाई और उसे फाड़ कर दो टुक्ड़ों में कर के हर एक पर एक-एक डाली को गाड़ दिया और फ़रमाया: (ऐसा मैं ने इसलिये किया है कि) हो सकता है जब तलक यह न सूखेंगी उस समय तक उन का अ़ज़ाब हल्का हो जाये।

फ़ाइदा:— "बड़े गुनाह की वजह से नहीं" इस का अर्थ यह है कि उस गुनाह से बचना कोई कठिन और मुश्किल नहीं था, बल्कि थोड़ी सी एहतियात से बड़ी आसानी से बचा जा सकता था।

इसी हदीस को सनद बना कर आजकल जाहिल लोग क़ब्र के बीच में पौधा आदि बो देते हैं और हरा भरा रखने के लिये रोज़ाना खाद-पानी डालते रहते हैं कि जब तक यह हरे भरे रहेंगे अ़ज़ाब नहीं होगा। क़ब्र के अ़ज़ाब से इतनी आसानी से छूट नहीं मिल जायेगी। यह अ़मल केवल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये ख़ास था। अब तो पौधा लगाने के स्थान पर क़ब्र ही के पास कुरआन बैठ कर पढ़ा जा रहा है कि हरी

टहनी से अ़ज़ाब कम हो सकता है तो कुरआन पढ़ने की बर्कत से अवश्य कमी होगी। यह सब बिदअ़त और खुराफ़ात है।

बाब {दायें हाथ से इस्तिन्जा करना (पाकी हासिल करना) मना है।}

113:– अ़ब्दुल्लाह बिन क़तादा रज़ि॰ अपने पिता क़तादा रज़ि॰ से रिवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पेशाब करते समय अपनी शर्मगाह को दाहिने हाथ से न थामे रहो और न पाख़ाना करने के बाद दाँये हाथ से पाकी हासिल करो, इसी प्रकार (पानी पीते समय) बर्तन में फूँक न मारो।

फ़ाइदाः– शर्मगाह छूना, पाकी हासिल करना, इन सब के लिये बाँया हाथ है। दाँया हाथ को इन कामों के लिये प्रयोग करना स्वँय फ़ितरी तौर पर बुरा महसूस होता है। पानी में फूँक मारना यानी उसी में सांस लेना, ऐसा जानवर करता है कि पीता जाता है और साँस भी लेता जाता है। इसलिये तीन साँस में पानी पीने का हुक्म है।

बाब {पाख़ाना–पेशाब से फ़ारिग़ होकर पानी से पाकी हासिल करने का बयान।}

114:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक बाग़ के अन्दर गये, आप के पीछे हम सब में आयु में एक छोटा लड़का भी एक लोटे में पानी लेकर गया, उस ने पानी का लोटा एक बैरी के पेड़ के पास रख दिया। जब आप आवश्यक्ता से फ़ारिग़ हुये तो पानी से इस्तिंजा किया और फिर बाहर निकले।

बाब {ताक़ ढेले से पाकी हासिल करने का बयान।}

115:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम पाकी के लिये ढेला इस्तेमाल करो तो ताक़ ढेले इस्तेमाल करो। और जब वुज़ू करो तो नाक में पानी डाल कर नाक को झाड़ लो।

फ़ाइदाः– जहाँ पानी की कमी है वहाँ लोग ढेला प्रयोग करना आदि इस्तेमाल करते हैं। सुन्नत यह है कि 3 या 5 या 7 ढेले हों। कम से कम तीन तो होने ही चाहिये। अगर तीन के इस्तेमाल से इतिमनान नहीं है तो और इस्तेमाल करे। ताक़ ढेला प्रयोग करना सुन्नत है कोई वाजिब और ज़रूरी नहीं है। अगर वह ढेला इतना बड़ा है कि घुमा–फिरा का तीन बार प्रयोग किया जा सकता है तो वही काफ़ी है।

बाब {पत्थर से पाकी हासिल करें, गोबर और हड्डी से पाकी हासिल करना मना है।}

116:– सलमान फ़ारसी रज़ि॰ ने बयान किया कि मुझ से कहा गयाः आप के संदेष्टा ने तो हर एक बात की शिक्षा दी है, यहाँ तक कि पाख़ाना और पेशाब तक के बारे में भी। मैं ने उत्तर दियाः जी हाँ, आप ने हमें क़िब्ला की तरफ़ मुँह कर के पाख़ाना–पेशाब से मना किया और दायें हाथ से पाकी हासिल करने से भी मना किया, इसी प्रकार तीन

से कम पत्थर इस्तेमाल करने से और हड्डी और गोबर से पाकी हासिल करने से मना किया।

फ़ाइदा:– गोबर और लीद से मुराद हर प्रकार की नापाक चीज़ है। और हड्डी से इसलिये मना किया कि वह जिन्नों का आहार है, इसी प्रकार हर खाने की चीज़ से मना किया। क़िब्ला की तरफ़ कहीं भी मुँह या पीठ कर के न बैठे (मगर यह कि मजबूरी हो जैसा कि हदीस न० 110 में बयान हुआ) दायें हाथ से शर्मगाह न पकड़े, छीटें पड़ने के डर से सामने की ज़मीन किसी नोकदार चीज़ से नर्म कर ले, (बुख़ारी) आड़ लेकर पेशाब करे। पाख़ाना-पेशाब के तअ़ल्लुक़ से शरीअ़त ने इन तमाम बातों में हमारी रहनुमाई की है।

बाब {मुर्दा जानवर के चमड़े से फ़ाइदा हासिल करना दुरूस्त है।}

117:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैमूना रज़ि० की किसी लौंडी को एक बकरी सदक़ा में मिली थी जो मर गयी। आप ने उस के शव को पड़ा हुआ देखा तो फ़रमाया: तुम ने उस की खाल क्यों न उतार ली, उसे दिबाग़त देकर काम में लाना चाहिये। लोगों ने कहा: वह तो मर गयी थी। आप ने फ़रमाया: केवल उस का खाना हराम है।

बाब {दिबग़त दे देने के बाद चमड़ा पाक हो जाता है।}

118:– यज़ीद बिन अबू हबीब से रिवायत है कि मुझ से अबुल ख़ैर ने बताया कि मैं ने वअ़ला को एक पोस्तीन पहने देखा तो उसे छू कर देखने लगा। इस पर उन्होंने कहा: छूने का क्या मक़सद है? (क्या इसे नापाक समझते हो?) मैं ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि० से कहा कि हम पश्चिम के देश में रहते हैं, वहाँ बराबर के काफ़िर और आग की पूजा करने वाले लोग रहते हैं, वह लोग मेंढा ज़ब्ह कर के लाते हैं, लेकिन हम उन का ज़ब्ह किया हुआ नहीं खाते। इसी प्रकार चर्बी लगा कर मशक भी बेचने लाते हैं। (इस के बारे में क्या हुक्म है?) इब्ने अ़ब्बास रज़ि० ने कहा: इस बारे में हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा तो आप ने फ़रमाया: चमड़ा दिबाग़त देने से पाक हो जाता है (चाहे जो दिबाग़त दे)

फ़ाइदा:– वह जानवर जो हलाल है अगर ज़ब्ह कर दिया जाये तो गोश्त के साथ उस का चमड़ा भी पाक हो जाता है। लेकिन अगर मर जाये तब उस का चमड़ा दिबाग़त से पाक होता है। लेकिन जो जानवर हराम है उस का चमड़ा न तो ज़ब्ह करने से पाक होता है और न ही दिबाग़त देने से। 'दिबाग़त' उस तरीक़े का नाम है जो चमड़े को सुखा दे और उस की बदबू को दूर कर दे, चाहे पका कर या मसाला (केमिकल) आदि लगा कर। पकाने वाला काफ़िर हो या मुसलमान इस से कोई अन्तर नहीं पड़ता।

बाब {अगर कुत्ता बर्तन में मुँह डाल कर चाट ले तो उसे सात मर्तबा धोना होगा।}

119:– अ़ब्दुल्लह बिन मु-ग़फ़्फ़ल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुत्तों को मार डालने का हुक्म दिया, फिर पूछा कि कुत्तों को और उन के पालने वालों का क्या हाल है? फिर बाद में शिकार और जानवरों की निगरानी के लिये उन्हें पालने की अनुमति दे दी। और यह भी फ़रमायाः जब कुत्ता बर्तन में मुँह डाल कर चाट ले तो उसे सात मर्तबा धुलो और आठवीं बार मिट्टी से माँझ कर धुलो।

यहया बिन सअ़ीद की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने शिकार करने और बकरियों और खेती-बारी की देखभाल करने के उद्देश्य से पालने की अनुमति दे दी थी।

फ़ाइदाः– कुत्ता नापाक है और उस का जूठा भी नापाक है। बर्तन सात बार पानी से और आठवीं बार मिट्टी लगा कर धोए। उलमा का कहना है कि अगर उस का ख़ून-पसीना, पाख़ाना-पेशाब और थूक कपड़े वग़ैरह में लग जाये तो उसे भी बर्तन ही की तरह धोना पड़ेगा (अल्लाह बेहतर जाने) सात-आठ मर्तबा धोने की क़ैद केवल कुत्ते के लिये है। आज की नई तहक़ीक़ से यह भी साबित हो गया है कि इस के थूक और लार में ऐसे जरासीन पाये जाते हैं जो इतनी मर्तबा ही धोने के बाद दूर होते हैं (देखें "इस्लाम में हलाल और हराम" पुस्तक) इसीलिये इस का पालना हराम है। केवल तीन कामों के लिये और वह भी बड़े एहतियात के साथ पालने की अनुमति है (1) शिकार के लिये (2) जानवरों की निग्रानी के लिये (3) खेत की रखवाली के लिये, इस में घर की सुरक्षा भी शामिल है। वह भी इस शर्त पर कि उन से दूर रहें और उन्हें घर से दूर रखें। (बुख़ारी) आजकल शौक़िया पालने का चलन आ़म है, यह सरासर हराम है।

बाब {वुज़ू की फ़ज़ीलत का बयान।}

120:– अबू मालिक अश-अ़री रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पाकी आधा ईमान है, और "अल्हम्दुलिल्लाह" तराज़ू को (सवाब से) भर देगा, और "सुब्हानल्लाह" "अल्हम्दु लिल्लाह" यह दोनों ज़मीन-आसमान के बीच की जगह को (सवाब से) भर देंगे। नमाज़, नूर है। सदक़ा, दलील है और सब्र रोशनी है। और क़ुरआन पाक तुम्हारे ख़िलाफ़ अथवा तुम्हारे लिये दलील होगा। हर व्यक्ति सुब्ह को उठता है तो वह अपने आप को (नेक कार्य कर के) अपने को आज़ाद करता है या फिर (बुरे कार्य कर के) अपने को तबाह-बर्बाद कर लेता है।

फ़ाइदाः– इस वज़ीफ़ा के पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है, क़ियामत के दिन आमालनामा का तराज़ू सवाब से भर जायेगा, ज़मीन-आसमान के बीच की जगहें सवाब से भर जायेंगी। क़ुरआन के मुताबिक़ अ़मल करेंगे तो यह क़ियामत के दिन सिफ़ारिश करेगा, अगर ख़िलाफ़ करेंगे तो शिकायत करेगा। (सूरः फ़ुर्क़ान) इसी प्रकार सदक़ा देने वाले के नजात के लिये

सदक़ा हुज्जत बनेगा और जन्नत में दाख़िले का सबब भी।

बाब {वुज़ू करने से (शरीर से) गुनाह निकल जाते हैं।}

121:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब मुसलमान या मोमिन बन्दा वज़ू करते हुये अपना मुँह धोता है तो पानी के साथ, या पानी के अन्तिम क़तरे के साथ उस के चेहरे से वह सब गुनाह निकल जाते हैं जो उस ने आँखों से किये हाते हैं। इसी प्रकार जब हाथ धोता है तो उस के हाथों के किये हुये गुनाह पानी के साथ, या अन्तिम बूँद के साथ निकल जाते हैं। फिर जब पाँव धोता है तो उस ने चल कर जो गुनाह किया था पानी के साथ, या पानी के अन्तिम क़तरे के साथ निकल जाता है, और वह तमाम गुनाहों से पाक–साफ़ हो जाता है।

बाब {वुज़ू के समय दातून करने का बयान।}

122:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सूरः आले अ़िम्रान की आयत न॰191, 192 तिलावत की, फिर घर के अन्दर दाख़िल हुये और दातून किया, वज़ू किया फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ी, फिर लेट गये, फिर उठ का बाहर निकले और आसमान की तरफ़ देख कर वही (सूरःआले अ़िम्रान की) आयत तिलावत फ़रमायी, फिर अन्दर आये, दातून किया, फिर वुज़ू किया और खड़े होकर नमाज़ पढ़ी।

123:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का घर में दाख़िल होने के साथ पहला काम मिस्वाक करना था।

फ़ाइदाः– मिस्वाक के तअ़ल्लुक़ से सब से अहम वह हदीस है जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर मुझे उम्मत पर बोझ का एहसास न होता तो हर नमाज़ के लिये इसे आवश्यक कर देता (बुख़ारी) दूसरे यह कि देहान्त से चन्द मिनट पूर्व आप ने मिस्वाक किया। (बुख़ारी) इन अहादीस की रोशनी में मिस्वाक सुन्नत और मुस्तहब नहीं, बल्कि वाजिब और आवश्यक है। मिस्वाक में, कालगेट, मन्जन और इस प्रकार वह समस्त वस्तुएँ जो दाँतों को साफ़ करती हैं, सभी आ जाती है। फिर मिस्वाक में केवल दाँत की ही सफ़ाई नहीं है, बल्कि ज़बान, ऊपर नीचे के तलुवे और हल्क़ सब शामिल हैं, क्योंकि जब आप मिस्वाक करते तो हल्क़ साफ़ करने से "ओ, ओ" की आवाज़ निकालते थे (बुख़ारी) यही कारण है जो दातून पाबन्दी से करता है वह दाँत और मुँह की बीमारियों से सुरक्षित रहता है।

बाब {स्नान, वुज़ू और दीगर कार्यों में दाँयें तरफ़ से आरंभ करना चाहिये।}

124:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम स्नान करने, वुज़ू करने, कंघी करने और जूता (आदि) पहनने में दाहिनी तरफ़ से आरंभ

करते थे।

फ़ाइदा:– मालूम हुआ कि समस्त दीनी–दुनियावी कामों जैसे, कपड़ा पहनना, मोज़ा पहनना, मस्जिद जाना, मिस्वाक करना, सुर्मा लगाना, नाखून काटना, मूँछ काटना, कंघी करना, नहाना–धोना, पाख़ाना–पेशाब से निकलना, खाना–पीना, मुसाफ़ा करना आदि कार्यों को दायें हाथ से करना सुन्नत है, क्योंकि दाहिनी तरफ़ को बुज़ुर्गी, मर्तबा हासिल है। यही वजह है कि वुज़ू में अगर बायें हाथ–पैर को धोयेगा (तो अर्गचे वुज़ू हो जायेगा) लेकिन ख़ैर–बर्कत, बुज़ुर्गी समाप्त हो जायेगी, या दूसरे शब्दों में रूहानियत और बर्कत चली जायेगी। इन हदीसों को लोग मामूली समझ कर नज़र अंदाज़ कर देते हैं, हालाँकि इन के अन्दर बड़े ख़ैर–बर्कत पोशीदा हैं जो हमारी मामूली लार्पवाही ही से छिन जाते हैं।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के वुज़ू करने के तरीक़ा का बयान।}

125:– अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आ़सिम अन्सारी रज़ि॰ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं बयान किया कि लोगों ने मुझ से तक़ाज़ा किया कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के वुज़ू करने की तरह वुज़ू करने का तरीक़ा बता दीजिये। चुनान्चे मैं ने पानी का एक बर्तन मँगवाया और उसे झुका कर दोनों हाथों पर डाल कर तीन मर्तबा धोया, फिर (दाँया) हाथ बर्तन में डाल कर (एक चुल्लू) पानी निकाला और तीन मर्तबा इसी प्रकार किया (यानी कुल्ली भी की और नाक में पानी भी डाला) फिर दोबारा हाथ डाल कर चुल्लू से पानी निकाला और मुँह को तीन बार धोया (बुख़ारी की रिवायत में है कि दोनों चुल्लू से पानी निकाला और तीन बार मुँह धोया) फिर बर्तन में हाथ डाल कर एक चुल्लू पानी निकाला और उस से दोनों हाथों को कोहनियों तक दो–दो बार धोया। फिर बर्तन में हाथ डाल कर बाहर निकाला और (उस भीगे हुये हाथ से) सर का मसह किया (और इस तरह किया कि) पहले दोनों हाथों को सामने से पीछे ले गये, फिर पीछे से आगे पेशानी की तरफ़ लाये। फिर दोनों पाँव टख़नों तक धोए। इस के बाद कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इसी प्रकार वुज़ू किया करते थे।

फ़ाइदा:– एक रिवायत में एक हाथ से पानी निकालने का ज़िक्र है और दूसरी रिवायत में दोनों हाथ डाल कर, और एक रिवायत में एक हाथ के साथ दूसरे हाथ को मिला कर पानी निकालने का ज़िक्र है। इस प्रकार पानी निकालने की तीन सूरतें हुयीं। अपने–अपने मौक़े पर पानी की कमी और ज़्यादती को सामने रख कर तीनों शक्लों पर अ़मल किया जा सकता है। बुख़ारी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने वुज़ू के हिस्सों को कभी एक बार, कभी दो बार और कभी तीन बार धोया है, तो इन तीनों शक़्लों पर भी मौसम, समय और पानी को सामने रख कर अ़मल करना चाहिये।

इस में केवल सर के मसह का ज़िक्र है, लिहाज़ा गर्दन पर मसह करना सुन्न्त नहीं

है। इसे बाद में लोगों ने शामिल किया है जो कि बिद्अ़त है।

बाब {वुज़ू करते समय नाक में पानी डाल कर झाड़ना चाहिये।}

126:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से जो कोई वुज़ू करे तो नाक में पानी डाल कर उसे झाड़े। अबू हुरैरा रज़ि॰ ही से एक दूसरी रिवायत में है कि आप ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई नींद से जागे तो तीन बार नाक झाड़े, क्योंकि शैतान नाक के नथुनों में रात बिताता है।

फ़ाइदाः– बुख़ारी की रिवायत में है कि शैतान आदमी के सर के पीछे रात में सोते समय तीन गाँठें लगा देता है और हर गाँठ पर यह पढ़ कर फूँक मार देता है "सो जा, अभी रात बहुत बाक़ी है" जब आदमी जाग कर अल्लाह का नाम लेता है तो पहली गाँठ खुल जाती है। जब वुज़ू करता है तो दूसरी गाँठ खुल जाती है और जब (फ़र्ज़ या नफ़्ल की) नमाज़ पढ़ता है तो तीसरी गाँठ खुल जाती है। इस प्रकार आदमी दिन भर चुस्त रहता है, वर्ना दिन भर सुस्त और काहिल बना बैठा रहता है। (बुख़ारी 1142) आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो जागने के बाद दुआ नहीं पढ़ते, न ही वुज़ू करते और न ही नमाज़ पढ़ते हैं और तीनों गाँठें नहीं खुलती हैं वह कितने मनहूस हैं

बाब {पेशानी और हाथ–पाँव में चमक भरपूर वुज़ू करने से प्राप्त होगी।}

127:– नुऐम बिन अ़ब्दुल्लाह मुजमिर ने बयान किया कि मैं ने अबू हुरैरा रज़ि॰ को वुज़ू करते देखा (तो इस प्रकार देखा) कि उन्होंने मुँह धोया तो उसे पूरा–पूरा भरपूर धोया, फिर दाहिना हाथ धोया तो हाथ के साथ बाज़ू का कुछ हिस्सा (कोहनी से ऊपर) भी धोया, फिर सर का मसह किया, फिर दाँया पावँ धोया तो (टख़ने से ऊपर) पिंडली का भी कुछ हिस्सा धोया, फिर फ़रमायाः मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इसी प्रकार वुज़ू करते देखा है। और यह भी कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि क़ियामत के दिन भरपूर वुज़ू करने की वजह से तुम्हारी पेशानी और हाथ–पाँव पँचकल्लियानी घोड़े की तरह चमक रहे होंगे, इसलिये तुम अपनी चमक बढ़ाना चाहते हो तो (भरपूर वुज़ू कर के) बढ़ा लो।

128:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक मर्तबा एक क़ब्रस्तान में गये तो फ़रमायाः "तुम पर सलमाती हो ऐ मोमिन क़ौम के घर वालों, अल्लाह ने चाहा तो हम भी तुम से मिलने वाले हैं, मेरी इच्छा है कि हम अपने भाइयों को देखें" यह सुन कर सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के संदेष्टा! क्या हम आप के भाई नहीं हैं? आप ने फ़रमायाः तुम लोग तो मेरे सहाबा (और साथी) हो, और भाई वह लोग हैं जो अभी पैदा नहीं हुये हैं। सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप अपनी उम्मत के उन लोगों को कैसे पहचानेंगे जिन्हें आप ने देखा ही नहीं है? आप ने

फ़रमायाः अगर पँचकल्लियानी घोड़ा और दूसरे घोड़ों में मिल जाये तो क्या उस घोड़े का मालिक उसे पहचान नहीं लेगा? इसी प्रकार क़ियामत के दिन भरपूर वुज़ू करने की वजह से मेरी उम्मत के लोगों के हाथ-पाँव और चेहरे चमक रहे होंगे (जिन से उन्हें पहचान लूँगा) और हौज़े-कौसर पर उन का स्वागत करने के लिये तय्यार रहूँगा।

(लेकिन इस के साथ-साथ यह भी सुन लो कि) कुछ लोगों को हौज़े-कौसर से हटाया भी जायेगा जैसे भटका हुआ ऊँट भगा दिया जाता है। जब मैं उन लोगों से कहूँगाः आओ, आओ (तुम्हारा स्वागत है) तो उसी समय कहा जायेगा (यह लोग तो वह है) जिन्होंने आप के चले जाने के बाद अपना दीन बदल डाला था। तब मैं कहूँगाः परे हो जाओ, दूर हो जाओ।

फ़ाइदाः- "पंचकल्लियानी" उस घोड़े को कहते हैं जिस की चारों टाँगें सफ़ेद हों और माथे पर सफ़ेद टीका हो। प्रश्न यह है कि वुज़ू में कहाँ तक धोया जाये? इस की कोई सीमा नहीं है, टख़नों और कोहनियों से कुछ ऊपर धोया जाये (देखें-हदीस न॰ 133) बहुत अधिक ऊपर धोना भी दुरूस्त नहीं जिस में ख़ाह-मख़ाह परेशानी और तकल्लुफ़ हो। ज़ाहिर है नमाज़ के लिये पाकी और वुज़ू हर उम्मत पर फ़र्ज़ रहा होगा, लेकिन चमक केवल उम्मते-मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये शेष है।

इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि बेदीन, बिदअ़ती और कुफ़्र-शिर्क के पुजारी हौज़े-कसर से प्यासे ही धुतकार दिये जायेंगे। "सहाबी" "साथी" और "भाई" में फ़र्क़ है। जो आप के हाथ पर ईमान लाया, आप की सोहबत में रहा, आप को देखा और आप का प्रभाव कुबूल किया, इन की बराबरी बाद के पैदा होने वाले लोग कैसे कर सकते हैं? चाहे वह कितना बड़ा मुत्तक़ी, प्रहेज़गार और बुज़ुर्ग ही क्यों न हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर लोग उहुद पर्वत के बराबर सोना ख़र्च करें तो भी वह सहाबा के आधे मुद के सदक़ा के सवाब के बराबर भी नहीं हो सकता।

बाब {जिसने निहायत बेहतर और अच्छे तरीक़े से वुज़ू किया (और दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ी, उस के अगले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे)}

129:- उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि॰ के आज़ाद किये हुये ग़ुलाम हुमरान से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक दिन उस्मान रज़ि॰ ने वुज़ू करने के लिये पानी मँगवाया और वुज़ू किया तो दोनों हाथों को कलाइयों तक तीन मर्तबा धोया, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर तीन मर्तबा मुँह धोया, फिर दायाँ हाथ कोहनी तक तीन मर्तबा धोया और इसी प्रकार बायाँ हाथ भी धोया, फिर सर का मसह किया, फिर दायाँ पाँव तीन बार धोया और इसी प्रकार बायाँ पाँव भी तीन बार धोया। फिर कहाः मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इसी प्रकार वुज़ू करते देखा है जिस प्रकार मैं ने किया है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर कोई व्यक्ति मेरे वुज़ू करने की तरह वुज़ू कर के दो रक्अ़त नमाज़ पढ़े और नमाज़ में इधर-उधर की न सोचे

तो उस के पिछले किये हुये गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।

इब्ने शिहाब जुहरी का कहना है कि उलमा कहते थेः नमाज़ के लिये किये जाने वाले वुज़ू में यह वुज़ू सब से अधिक संपूर्ण है।

फ़ाइदाः— कुल्ली करने और नाक में पानी डालने के दो तरीक़े हैं (1) एक बार पानी लेकर कुल्ली करे, फिर दूसरी बार दूसरा पानी लेकर नाक में डाले और झाड़े (2) एक ही बार पानी लेकर कुल्ली भी करे और नाक में भी डाले। दोनों ही पर अ़मल जाइज़ है। पहली शक्ल को बुख़ारी–मुस्लिम ने रिवायत किया है। इमाम शाफ़अ़ी के नज़दीक सर का मसह भी तीन बार है, लेकिन यह दुरूस्त नहीं, सुन्नत केवल एक ही बार है। तीन बार मस्ह करने से इतना भीग जायेगा कि वह धोने के हुक्म में हो जायेगा। राफ़ज़ी और शिया फ़िर्क़ा के लोग पैरों पर भी मसह करते हैं, लेकिन उन का दावा बेबुनियाद है, किसी भी हदीस से या सहाबी के क़ौल और अ़मल से मसह साबित नहीं है। इस हदीस में वुज़ू के हिस्सों को तीन बार धोना आया है, लेकिन अगर कोई ठन्डे मौसम, तबीअ़त की ख़राबी या पानी की कमी की वजह से एक बार ही धोये तो भी काफ़ी है। जैसा कि बुख़ारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से एक बार भी धोना साबित है।

130:— हुमरान से रिवायत है कि उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस प्रकार अल्लाह ने वुज़ू करने का हुक्म दिया है उस प्रकार संपूर्ण रूप से अगर किसी ने वुज़ू किया (और फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ीं) तो वह फ़र्ज़ नमाज़ें एक–दूसरी नमाज़ के दर्मियान के गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन जायेंगी।

131:— उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो व्यक्ति मुकम्मल तौर पर वुज़ू कर के फ़र्ज़ नमाज़ अदा करने के लिये निकले और लोगों के साथ (या जमाअ़त से, या मस्जिद में) नमाज़ अदा करे तो अल्लाह तआ़ला उस के गुनाहों को बख़्श देता है।

फ़ाइदाः— मुकम्मल तौर पर (संपूर्ण रूप से) का वही अर्थ है जो ऊपर बयान हुआ कि ख़ूब इतमिनान के साथ, दिल लगा कर, तवज्जोह के साथ वुज़ू के हर हिस्सा को अच्छी तरह समझ कर जल्द बाज़ी न कर के, किसी मजबूरी की न पर्वा करे और इन बातों को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का आदेश मान कर अच्छी तरह धोए और मस्जिद के लिये निकले।

बाब {दिल न चाहते हुये भी (मजबूरी की हालत में भी) मुकम्मल तौर पर वुज़ू करना फ़ज़ीलत का काम है।}

132:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क्या मैं तुम्हें ऐसी बातें न बताऊँ जिन के करने से गुनाह मिट जाते हैं और मतर्बा बुलन्द हो जाता है? सहाबा ने कहाः जी हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! अवश्य ही

बताइये। आप ने फ़रमायाः (1) मजबूरी और सख़्ती में भी मुकम्मल तौर पर वुज़ू करना (2) मस्जिद के लिये अधिक से अधिक क़दम रखना (3) एक नमाज़ पढ़ लेने के बाद दूसरी नमाज़ का (मस्जिद में बैठ कर) इन्तिज़ार करना, यही तीन चीज़ें साधन और सूत्र हैं।

फ़ाइदाः– जितना दूर से चल कर मस्जिद जायेगा उतना ही अधिक क़दम रखेगा। मतलब यह है कि सर्दी-गर्मी और किसी मजबूरी को आड़े न आने दे और मुकम्मल तौर पर वुज़ू करे, जल्द बाज़ी से बिल्कुल काम न ले। एक नमाज़ पढ़ लेने के बाद दूसरी नमाज़ में दिल का लगा रहना बहुत बड़ी फ़ज़ीलत की बात है।

बाब {जन्नत में ज़ेवर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक वुज़ू का पानी पहुँचेगा।}

133:– अबू हाज़िम से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अबू हुरैरा रज़ि॰ जब वुज़ू कर रहे थे तो मैं उन के पीछे खड़ा हुआ था। वह नमाज़ के लिये वुज़ू कर रहे थे तो अपना हाथ लंबा कर के धो रहे थे, यहाँ तक कि बग़ल तक धोया। इस पर मैं ने कहाः ऐ अबू हुरैरा! यह कौन सा वुज़ू है? उन्होंने कहाः ऐ फ़र्रूख़ की संतान! तुम यहीं मौजूद हो? अगर मैं जानता कि आप यहीं खड़े हैं तो में इस प्रकार वुज़ू नहीं करता। मैं ने अपने मित्र (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को फ़रमाते सुनाः क़ियामत के दिन मोमिन बन्दे को वहाँ तक ज़ेवर पहनाया जायेगा जहाँ तक वह वुज़ू करता होगा।

फ़ाइदाः– 'फ़र्रूख़ की संतान' यह नाम इब्राहीम अलै के पुत्र का था जिस की संतान में अरब के अतिरिक्त के लोग आबाद हैं, अबू हाज़िम भी अजमी थे और उन्ही की संतान में से थे। "तो मैं इस प्रकार वुज़ू न करता" इसीलिये कि कहीं तुम लोग इसे फ़र्ज़ न समझ लो। मालूम हुआ कि क़ौम के सर्दार को रूख़्सत की इन चीज़ों पर सर्तक्ता से अमल करना चाहिये ताकि जाहिलों के लिये मुसीबत न बन जाये, या फिर अमल ही न करना बेहतर है। ज़ाहिर है जन्नत में मर्द के लिये भी सोने-चाँदी का ज़ेवर पहनना जाइज़ है।

बाब {जो कोई वुज़ू करते समय थोड़ा स्थान (सूखा) छोड़ दे तो उसे फिर से धोये और नमाज़ को लौटाए।}

134:– जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने मुझे बतायाः एक व्यक्ति ने वुज़ू के दौरान अपने पाँव में नाखून के बराबर स्थान को सूखा छोड़ दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर नज़र पड़ी तो फ़रमायाः जाओ और दोबारा अच्छी तरह वुज़ू कर के आओ, चुनान्चे उस ने जा कर पुनः वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ी।

फ़ाइदाः– 'दोबारा धोये' यानी केवल उसी सूखे हिस्से को ही भिगो लेना काफ़ी है, नए सिरे से वुज़ू करने की आवश्यक्ता नहीं। उसके वुज़ू का हिस्सा अभी सुखा नहीं था जभी तो आप ने देख लिया। "अच्छी तरह वुज़ू कर लो" का यही अर्थ है कि सूखे स्थान को

धो लो तो वुज़ू मुकम्मल हो जायेगा। कुछ उलमा ने नए सिरे से वुज़ू करने का हुक्म बताया है, लेकिन यह तर्क कमज़ोर है। यही हाल तयम्मुम का भी है, हाथ को पूरे मुँह पर फिराना आवश्यक है, कोई स्थान छूटना नहीं चाहिये।

बाब {वुज़ू और स्नान के लिये कितना पानी काफ़ी है?}

135:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक मुद बराबर पानी से वुज़ू करते थे और एक साअ़ा से पाँच मुद के बराबर पानी से स्नान करते थे।

फ़ाइदा:– एक साअ़ा अढ़ाई किलोग्राम का होता है। और एक मुद, साअ़ा के चौथाई (यानी 625 ग्राम) के बराबर होता है। आप एक साअ़ा, यानी अढ़ाई किलो पानी से स्नान करते थे, और कभी पाँच मुद यानी तीन किलो 125 ग्राम पानी से। जहाँ जैसी पानी की मात्रा देखी उसी हिसाब से कम और अधिक प्रयोग किया। यह भी हो सकता है कि आ़म स्नान में ढाई किलो (एक साअ़ा) और जनाबत के स्नान में पाँच मुद (तीन किलो ग्राम 125 ग्राम) पानी इस्तेमाल करते थे। और वुज़ू के लिऐ एक मुद (यानी 625 ग्राम) पानी इस्तेमाल करते थे।

बाब {मोज़ों पर मसह करने का बयान।}

136:– हम्मा से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा जरीर रज़ि॰ ने पेशाब किया, फिर वुज़ू किया और मोज़ों पर मसह किया। यह देख कर लोगों ने कहाः आप ऐसा भी करते हैं? उन्होंने कहाः जी हाँः मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को भी इसी प्रकार करते देखा है। आप ने भी पेशाब किया, फिर वुज़ू किया और फिर दोनों मोज़ों पर मसह किया था।

आमशा ने इब्राहीम के हवाले से बयान किया कि सहाबा इस हदीस को बहुत पसन्द करते थे, क्योंकि जरीर रज़ि॰ सूरः माइदा के नाज़िल होने के बाद मुसलमान हुये थे।

फ़ाइदा:– सूरः माइदा की आयत न॰ 6 में वुज़ू करने का ज़िक्र है जिस में पाँव धोने का ज़िक्र है। अगर जरीर इस आयत के नाज़िल होने से पहले मुसलमान होते तो यह शुब्हा किया जा सकता था कि उन की (ऊपर बयान की गयी) हदीस सूरः माइदा वाली आयत से मन्सूख़ हो गयी होगी। लेकिन चूँकि वह इस आयत के नाज़िल होने के बाद ईमान लाये हैं इसलिये हदीस के मन्सूख़ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब यह है क़ुरआन में पैर धोने का ज़िक्र है और हदीस में मोज़े के ऊपर मसह का हुक्म है, और दोनों अपने स्थान पर दुरूस्त हैं।

137:– अबू वाइल रज़ि॰ ने बयान किया कि अबू मूसा अश्-अ़री रज़ि॰ पेशाब के मामले में बहुत सख़्त एहतियात से काम लेते थे, चुनान्चे वह एक शीशी में पेशाब करते थे (ताकि छींटें न पड़ें) वह कहते थे कि बनी इस्राईल में जब किसी के शरीर पर पेशाब

लग जाता तो वह (कैंची से) खाल काट देता था। हुज़ैफ़ा रज़ि॰ ने कहाः मैं चाहता था कि अबू मूसा रज़ि॰ इतनी सख़्ती न करते तो बेहतर था, क्योंकि एक मर्तबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ चल रहा था कि आप एक क़ौम के घूर (कूड़ा दान) पर आये, और जिस प्रकार हम-आप खड़े हैं, उसी प्रकार आप ने भी खड़े होकर पेशाब किया। मैं आप से परे हटने लगा तो आप ने इशारे से मुझे अपने निकट बुला लिया, चुनान्चे जब तक पेशाब से फ़ारिग़ नहीं हो गये मैं आप के पैर की एड़ियों के पास ही खड़ा रहा।

एक दूसरी हदीस में इतना और रिवायत है कि पेशाब से फ़ारिग़ होकर आप ने वुज़ू किया और दोनों मोज़ों पर मसह भी किया।

फ़ाइदा:- हुज़ैफ़ा रज़ि॰ के इस हदीस के बयान करने का उद्देश्य यह था कि पेशाब या और दीगर कामों में आवश्यक्ता से अधिक एहतियात और सख़्ती करना सुन्नत के ख़िलाफ़ है और अकारण अपने आप को हलकान करना है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अधिक एहतियात कौन करेगा, इस के बावजूद आप ने (हमें नर्मी की शिक्षा देने के लिये) घूर जैसे नापाक स्थान पर पेशाब किया।

आप ने उस स्थान पर पेशाब क्यों किया? इस पर उलमा ने बहुत कुछ लिखा है और बहुत अधिक लिखा है। मुख़्तसर तौर पर इतना समझें कि ज़रूरत पड़ने पर दूर जाने का मौक़ा न हो तो खड़े होकर घूर पर भी एहतियात से काम लेकर पेशाब किया जा सकता है। हमारे दीन इस्लाम में यहूदी क़ौम की तरह सख़्ती नहीं है।

इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि अगर नंगे पैर है तो वुज़ू में उसे धोया जाये और अगर वज़ू के बाद मोज़ा पहना है तो उस पर मसह कर लेना काफ़ी है। (देखें-हदीस न॰ 138)

इमाम नौवी रह॰ ने इस हदीस से बहुत से मस्अले निकाले हैं (1) मौज़ों पर मसह करना (2) घर पर रहते हुये भी मसह करना (3) खड़े होकर पेशाब करना (4) पेशाब करने वाले के निकट खड़ा होना (5) पेशाब करने की हालत में इशारा से बुलाना (6) पेशाब के लिये आड़ और ओट करना। कूड़ा दान पर पेशाब कर के नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उम्मत को कम से कम 6 बातों की शिक्षा दी है। आप भी ग़ौर करके और भी दो चार मस्अले निकाल सकते हैं।

138:- मोग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने का बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था, (यह सफ़र जन्ग तबूक का था) आप ने पूछाः तुम्हारे पास पानी हैं? मैं ने कहाः जी है। यह सुन कर आप सवारी से उतर कर पैदल चले यहाँ तक कि रात की तारीकी में आँखों से ओझल गये, फिर (आवश्यक्ता पूरी कर के) वापस आये तो मैं ने डोल से पानी डाला जिस से आप ने मुँह धोया। उस समय आप ने ऊपर का जुब्बा पहन रखा था इसलिये आस्तीन से हाथ

बाहर न निकाल सके तो नीचे से ही बाहर निकाल लिया और उसे धोया, फिर सर पर मसह किया। फिर मैं आप के मोज़े उतारने के लिये झुका तो आप ने फ़रमायाः रहने दो (मत उतारो) क्योंकि मैं ने वुज़ू कर के पहना हुआ है, चुनान्चे आप ने उन दोनों पर मसह किया।

फ़ाइदाः– मोज़े पर मसह करने का तरीक़ा जानना अनिवार्य है। आप पहले वुज़ू मुकम्मल करें, फिर मोज़ा पहन लें (इस प्रकार आप ने वुज़ू के बाद पहना) अब आप का वुज़ू टूट गया तो वुज़ू कीजिये और मौज़ा पर मसह कीजिये (मोज़ा उतार कर पैर धोने की आवश्यक्ता नहीं) अगर आप घर पर (मुक़ीम) हैं तो एक दिन–रात, और अगर सफ़र में (मुसाफ़िर) हैं तो तीन दिन–रात तक मसह कर सकते हैं। समय सीमा पूरी होने के बाद उतार कर वुज़ू में पैर धोयें और फिर मोज़ा पहन लें, और फिर एक दिन–रात, या तीन दिन–रात तक मसह करें (देखें–नीचे की हदीस न॰ 139) अगर समय सीमा के अन्दर ही मोज़ा उतार दिया तो वुज़ू टूट जायेगा, दोबारा वुज़ू में पैर धो कर पहनना पड़ेगा। (यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है) इसी प्रकार अगर वुज़ू में एक पैर धोकर मोज़ा पहन लिया, फिर दूसरा धोकर पहना (यानी बारी–बारी धोकर) तो यह तरीक़ा भी गलत है। पहले दोनों पैर धोयें, फिर बाद में दोनों में मोज़ा पहनें।

बाब {मोज़ों पर मसह करने की समय सीमा कितनी है?}

139:– शुरैह बिन हानी ने बयान किया कि मैं मोज़ों पर मसह करने का मस्अला पूछने के उद्देश्य से आइशा रज़ि॰ के पास गया तो उन्होंने कहाः अबू तालिब के बेटे (यानी अ़ली रज़ि॰) से जा कर पोछो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ वह यात्रा किया करते थे। चुनान्चे हम ने जा कर उन से पूछा तो उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यात्री के लिये मसह की समय सीमा तीन दिन–रात और मुक़ीम के लिये एक दिन–रात सुनिश्चित की है।

फ़ाइदाः– इस का बयान ऊपर के फ़ाइदा में आ गया है, वहाँ देखें।

बाब {पेशानी और अ़मामा (पगड़ी) पर मसह करना जाइज़ है।}

140:– मुग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक यात्रा में (आवश्यक्ता पूरी करने के उद्देश्य से) लोगों से पीछे रह गये और मैं भी आप के साथ था इसलिये पीछे रह गया। जब आप आवश्यक्ता से फ़ारिग़ हुये तो पूछाः तुम्हारे पास कुछ पानी है? चुनान्चे मैं पानी का एक लोटा ले आया, उस से आप ने हाथ मुँह धोया, फिर जुब्बे की आस्तीन से हाथ निकालने लगे लेकिन आस्तीन तन्ग थी (इसलिये हाथ न निकाल सके) इसलिये आप ने नीचे से ही हाथ निकाल लिया और जुब्बा को अपने मोढ़े के ऊपर डाल लिया, फिर दोनों हाथों को धोया और पेशानी, अ़मामा (पगड़ी) और मोज़ों पर मसह किया। फिर आप सवार हुये और मैं भी

सवार हुआ। जब हम अपने साथियों के पास पहुँचे उस समय वह (फ़ज्र की) नमाज़ पढ़ रहे थे, अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि॰ इमामत कर रहे थे और एक रक्अ़त पढ़ा भी चुके थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि आप आ चुके हैं तो वह पीछे हटने लगे, लेकिन आप ने उन्हें अपने स्थान ही पर रहने का इशारा किया (और आप मुक़तदियों के साथ शामिल हो गये) जब अ़ब्दुर्रहमान ने नमाज़ मुकम्मल कर के सलाम फेरा, तो आप (पहली रक्अत मुकम्मल करने के लिये) खड़े हुये, मैं भी खड़ा हुआ, और जो पहली रक्अ़त छूट गयी थी उसे पूरी की।

फ़ाइदा:– यह घटना जन्ग तबूक के सफ़र के मौक़ा की है। इस हदीस से मालूम हुआ कि पेशानी और पगड़ी दोनों पर एक साथ मसह करना चाहिये। पगड़ी पर अलग सेऔर पेशानी पर अलग से, या पगड़ी उतार कर मसह करना आवश्यक नहीं। इस हदीस से और भी बहुत से मस्अले मालूम हुये (1) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने पूरे जीवन में केवल इन्ही सहाबी के पीछे नमाज़ पढ़ी है, या जिब्रील के पीछे। बीमारी की हालत में आप अबू बक्र की इमामत करते थे और अबू बक्र दूसरे पीछे खड़े मुक़तदियों की करते थे। इसलिये आप ने अबू बक्र के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी है (2) नबी अपने उम्मती के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है (3) ऊँचे मर्तबे वाला, कम मर्तबा वाले के पीछे नमाज़ पढ़ ले (4) नमाज़ अव्वल समय में पढ़ने की कोशिश करे (5) अगर इमाम मौजूद न हो और मुक़्तदी राज़ी हों तो दूसरे को इमाम बना ले (6) बाद में आने वाला सलाम के बाद छूटी हुयी रक्अ़त पूरी करे (7) बाद में शामिल होने वाला इमाम की पैरवी करते हुये वही करे जो इमाम कर रहा है। मुक़्तदी, इमाम के सलाम फेरने के बाद ही बाक़ी रक्अ़तें पूरी करे। इमाम नववी रह॰ ने इन के अ़लावा और भी बहुत से मस्अले बयान किये हैं, लेकिन यहाँ तफ़सील की गुंजाइश नहीं।

बाब {'ख़िमार' (पगड़ी, अमामा, दस्तार) पर भी मसह करना जाइज है।}

141:– बिलाल रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मोज़ों और अ़मामा पर मसह किया।

बाब {एक ही वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ सकते हैं।}

142:– बुरैदा अस्लामी रज़ि॰ से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जिस दिन मक्का फ़तह हुआ, एक वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ी और मोज़ों पर मसह भी किया। उमर फ़ारूक़ रज़ि॰ ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने आज ऐसा काम किया जो कभी नहीं किया था। आप ने फ़रमाया: मैं ने जान-बूझ कर ऐसा किया था।

फ़ाइदा:– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जान-बूझ कर ऐसा किया था कि लोगों को मालूम हो जाये कि एक वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ सकते हैं और मोज़ों पर मसह

भी। बुख़ारी की रिवायत में है कि आप ने अस्र की नमाज़ पढ़ कर सत्तू खया फिर मग़रिब की नमाज़ पढ़ी और वुज़ू नहीं किया। अरफ़ह और मुज़दलिफ़ा में दो नमाज़ें एक साथ क़स्र कर के पढ़ते हैं, ज़ाहिर हैं एक ही वुज़ू से पढ़ते हैं। खुलासा यह कि बिना किसी कारण के भी एक वुज़ू से दो या इस से अधिक नमाज़ें पढ़ सकते हैं

बाब {वुज़ू मुकम्मल कर लेने के बाद क्या पढ़ा जाये?}

143:– उक़्बा बिन आमिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोगों के ज़िम्मा (बैतुल माल के) ऊँट चराना था। चुनान्चे जब हमारी पारी आयी तो ऊँटों को चरा कर शाम को उन के रहने के स्थान पर लेकर गया तो क्या देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खड़े लोगों को उपदेश दे रहे हैं, और यह फ़रमा रहे हैं कि जो मुसलमान अच्छी तरह वुज़ू कर के दो रक्अ़त नमाज़ दिल लगा कर यकसूई के साथ पढ़े, तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। यह सुन कर मैं ने कहाः आप ने बड़ी अच्छी बात बयान फ़रमायी (इस में मेहनत कम और सवाब अधिक है) इस पर एक दूसरा व्यक्ति बोलाः पहली बात तो इस से भी अच्छी थी। मैं ने उन्हें ग़ौर से देखा तो वह उमर फ़ारूक़ रज़ि॰ थे। उमर फ़ारूक़ रज़ि॰ ने मुझ से कहाः शायद आप अभी आये हैं (इसलिये वह पहली बात आप भी सुन लें) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से जो कोई अच्छी तरह, मुकम्मल वुज़ू करे फिर यह दुआ पढ़ेः

अश्-हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व-अन्न मु-हम्म-दन् अ़ब्दुल्लाहि व-रसूलुहू

"मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अ़लावा और कोई इबादत के लाइक़ नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस के बन्दे और रसूल हैं"

तो उस के लिये जन्नत के आठों दर्वाज़े खोल दिये जाते हैं वह जिस दर्वाज़े से चाहेगा जन्नत में दाख़िल हो जायेगा।

फ़ाइदा:– आ़म तौर लोग "अ़ब्दुहू" पढ़ते हैं लेकिन इस में "अ़ब्दुल्लाहि" है। अल्लाह पाक के पास सवाब की कमी नहीं, बस उस को प्राप्त करने का बन्दे को गुर और हुनर चाहिये।

बाब {मज़ी का धोना आवश्यक है और उस के निकलने की वजह से वुज़ू करना भी आवश्यक है।}

144:– अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया मुझे मज़ी बहुत आती थी। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पुत्री (फ़ातिमा) मेरे निकाह में थीं इसलिये आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इस बारे में मस्अला पूछते हुये शर्म आती थी। इसलिये मिक़्दाद बिन अस्वद रज़ि॰ से कहा कि इस बारे में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम से मस्अला मालूम करें। चुनान्चे उन्होंने पूछा तो आप ने फ़रमायाः जिस को मज़ी निकलती हो वह शर्मगाह को धो ले और वुज़ू कर ले।

फ़ाइदाः– 'मज़ी' एक प्रकार का सफ़ेद पानी जो नशा और शहवत के समय ज़कर (शर्मगाह) से निकलता है। यह जितना ही निकलता रहता है इच्छा और लालसा बढ़ता जाता है। उसे धोने का हुक्म है। इस से मालूम हुआ कि मज़ी नापाक है, इस के निकलने से केवल उसे धोने और वुज़ू करने की आवश्यक्ता पड़ती है। पाख़ाना-पेशाब के रास्ते से जो भी चीज़ निकले उस से वज़ू टूट जाता है।

बाब {बैठे–बैठे सो लेने से वुज़ू नहीं टूटता।}

145:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है जब जमाअत खड़ी हुयी उस समय आप किसी सहाबी से राज़ की बातें करने लगे, फिर मज़ीद उन से बातें करते रहे, यहाँ तक कि सहाबा सो गये, फिर आप तशरीफ़ लाये और उन के साथ नमाज़ पढ़ी।

फ़ाइदाः– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जान बूझ कर कुछ कार्य ऐसे किया करते थे जिस से लोगों को शरीअ़त की बातें मालूम हों। इस हदीस में आप ने यह शिक्षा दी कि आवश्यक्ता पड़ने पर इमाम जमाअ़त को रोक कर बातें करे, यह भी मालूम हुआ कि अ़िशा की नमाज़ विलंब से पढ़नी चाहिये। चूंकि मस्जिद में जमाअ़त के इन्तिज़ार में बैठे–बैठे सोना और चारपाई पर लेट कर सोना दोनों में अन्तर है। यहाँ सोने के लिये नहीं बैठा है, लेकिन वहाँ चारपाई पर सोने के लिये लेटा है। इसलिये बैठे–बैठे सोने से वुज़ू नहीं टूटना चाहिये। हाँ, टेक लगा कर बैठ कर सोने से टूट जायेगा।

बाब {ऊँट का माँस खाने के बाद वुज़ू करना चाहिये (या नहीं?)}

146:– जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछाः क्या बकरी का माँस खाने के पश्चात् भी वुज़ू करूँ? आप ने फ़रमायाः तुम्हारी इच्छा, करो या न करो। फिर उस ने पूछाः ऊँट का माँस खाने के बाद? आप ने फ़रमायाः ऊँट का माँस खाने से वुज़ू करो। उस ने फिर पूछाः क्या बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ूँ? आप ने फ़रमायाः हाँ (पढ़ सकते हो) उस ने फिर पूछाः क्या ऊँट के बाड़े में नमाज़ पढ़ूँ? आप ने फ़रमायाः नहीं।

फ़ाइदाः– ऊँट का माँस खाने से वुज़ू टूट जाता है जैसा कि इस हदीस से साबित है, और इस को रद्द करने वाली अथवा मन्सूख़ करने वाली और दूसरी हदीस भी नहीं है। अहले हदीसे उलमा का यही मस्लक है। कुछ लोग वुज़ू से मुराद कुल्ली करना लेते हैं, इसकी भी तावील की आवश्यक्ता नहीं।

ऊँट के बाड़े में इसलिये नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया कि ऊँट शरीर और उजड जानवर है। नमाज़ की हालत में अगर शरारत पर उतर आया तो कुचल कर रख देगा, इसलिये एहतयात के तौर पर न पढ़ना बेहतर है। जानवर पालने वाले अपने अपने जानवर की आ़दतों से अवगत

होते हैं, इसलिये वह अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारा जानवर किस स्वभाव का है।

बाब {हर उस चीज को खाने से वुज़ू करना जिस को आग ने छुवा हो।}

147:– उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ि॰ से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम बिन क़ारिज़ ने उन्हें इस बात की सूचना दी कि उन्होंने अबू हुरैरा रज़ि॰ को मस्जिद में वुज़ू करते हुये देखा। उन्होंने कहा कि मैं ने पनीर के टुक्ड़े खाये हैं इसलिये वुज़ू कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है: जो चीज़ आग पर पकी हो उस को खाने से वुज़ू करो।

फ़ाइदा:– आग से पकी हुयी चीज़ खाने से वुज़ू का हुक्म मन्सूख़ है, जैसा कि नीचे के बाब से स्पष्ट है।

बाब {आग से पकी हुयी चीज़ खाने से वुज़ू का हुक्म मन्सूख़ है।}

148:– जाफ़र बिन अम्र बिन ज़मुरी अपने पिता अम्र बिन उमय्या ज़मुरी रज़ि॰ के हवाले से रिवायत करते हैं कि मेरे पिता जी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का शाना छुरी से काट-काट कर खाते देखा, इसी दर्मियान आप को नमाज़ की सूचना दी गयी तो आप ने छुरी रख कर नमाज पढ़ी, लेकिन वुज़ू नहीं किया।

फ़ाइदा:– इस हदीस से मालूम हुआ कि वुज़ू करने की आवश्यक्ता नहीं हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का शाना जो ज़ाहिर है आग में भुना हुआ था खा कर नमाज पढ़ाई और वुज़ू नहीं किया। कुछ हदीसों में खा कर वुज़ू करने का हुक्म है, वहाँ वुज़ू से मुराद कुल्ली कर लेना, हाथ-मुँह साफ़ कर लेना है, ताकि मुँह में जो चिकनाहट हो वह समाप्त हो जाये। वुज़ू करना मुराद नहीं है। मालूम हुआ कि आग से पकी हुयी चीज़ खाने से वुज़ू नहीं टूटता और जिन हदीसों में वुज़ू करने का हुक्म है, वहाँ वुज़ू से मुराद कुल्ली कर लेना और मुँह-हाथ साफ़ कर लेना है, जैसा कि नीचे की हदीस न॰ 149 से स्पष्ट है।

149:– इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, फिर पानी मँगवा कर कुल्ली की और फ़रमाया कि दूध पीने से मुँह चिकना हो जाता है।

बाब {जिसे नमाज़ की हालत में हवा निकलने का शुब्हा हो (वह क्या करे?)}

150:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम अपने पेट में भारीपन महसूस करो और शुब्हा पैदा हो जाये कि हवा भी निकली है या नहीं, तो उस समय तक मस्जिद से बाहर न निकलो, जब तक हवा निकलने की आवाज़ या बदबू न सूँघ लो।

फ़ाइदा:– यानी जब तक पूरा विश्वास न हो जाये, केवल शुब्हे की बुनियाद पर न नमाज़ तोड़े और न मस्जिद से बाहर निकले। इमाम मालिक रह॰ ने बड़ी अच्छी बात कह दी है कि अगर नमाज़ पढ़ने की हालत में हवा निकलने का शुब्हा हो तो नमाज़ न तोड़े अपनी नमाज़ जारी रखे। लेकिन अगर नमाज़ से बाहर शक हो तो एहतियातन् वुज़ू कर ले।

❀ ❀ ❀

किताबुल् गुस्लि
(स्नान के मसाइल का बयान)

बाब {"स्नान, वीर्य के निकलने से वाजिब होता है" यह हुक्म उस व्यक्ति के बारे में है जो संभोग करे मगर इन्ज़ाल (स्खलन) न हो।}

151:– अ़ब्दुर्रहमान, अपने पिता अबू सअ़ीद ख़ुदरी के हवाले से रिवायत करते हैं कि मेरे पिता जी ने कहाः मैं पीर (सोमवार) के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ कुबा की मस्जिद के लिये रवाना हुआ। जब हम लोगों ने क़बीला बनी सालिम के मोहल्ले में पहुँच कर इतबान बिन मालिक रज़ि॰ के दर्वाज़े पर पहुँच कर उन्हें आवाज़ दी तो वह अपना तहबन्द घसीटते हुये बाहर निकले। उन्हें (इस हालत में) देख कर आप ने फ़रमायाः (अफ़सोस!) हम ने उन्हें जल्दी करने पर मजबूर कर दिया (यानी हमारी वजह से वह संभोग न कर सके) फिर इतबान रज़ि॰ ने (मस्अला) पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! अगर कोई व्यक्ति जल्दी में अपनी पत्नी से अलग हो जाये और मनी (वीर्य) न निकला हो, तो इस बारे में क्या आदेश है? (स्नान वाजिब है या नहीं) आप ने फ़रमायाः पानी निकलने से पानी वाजिब होता है (वीर्य के निकलने से स्नान वाजिब हो जाता है)

फ़ाइदाः– वीर्य स्खल (वीर्यपात) होने के बाद स्नान वाजिब है। संभोग करते समय मनी न निकले। वीर्यपात न हो और पत्नी से अलग होजाये, तो उन दोनों पर स्नान वाजिब नहीं। लेकिन यह हुक्म इस्लाम के आरंभ में था, अब यह हुक्म मन्सूख़ हो गया। अब हुक्म यह है कि मनी स्खलन हो या न हो केवल मर्द की शर्मगाह, महिला की शर्मगाह से मिलने से ही स्नान वाजिब हो जायेगा। देखें नीचे की हदीस न॰152

बाब {"मनी के निकलने के बाद स्नान वाजिब होता है" यह हदीस मन्सूख़ है। अब केवल महिला–पुरूष के शर्मगाह के परस्पर मिल जाने ही से स्नान वाजिब हो जाता है।}

152:– अबू मूसा अश–अ़री रज़ि॰ से रिवायत है कि इस मस्अला में मुहाजिर और अन्सारी सहाबा के दर्मियान इख़्तिलाफ़ है। अन्सारी सहाबा का कहना है कि वीर्य (मनी) के कूद कर निकलने से स्नान वाजिब होता है, और मुहाजिर सहाबा का कहना है कि केवल संभोग ही से स्नान वाजिब हो जाता है (वीर्य निकले या न निकले) अबू मूसा अश-अ़री रज़ि॰ ने कहाः (मैं इस मस्अले में) आप को (एक हदीस बयान कर के) तसल्ली किये देता हूँ। मैं उठा और आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ के घर पहुँच कर उन से अनुमति

माँगी, तो उन्होंने पूछने की अनुमति दे दी। मैं ने उन से कहा: मैं आप से एक ऐसा मस्अला पूछना चाहता हूँ कि मुझे शर्म आती है। उन्होंने कहा: पूछने में काहे की शर्म? जब तुम अपनी माँ से पूछ सकते हो जिस के पेट से पैदा हुये हो, तो मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ (क्योंकि नबी की पत्नी मुसलमानों की माँ होती है) मैं ने पूछा: स्नान कब वाजिब होता है? उन्होंने कहा: आप ने बड़े अच्छे जानकार से मस्अला पूछा है। इस मस्अले में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब मर्द, महिला के चारों कोनों (दोनों हाथों, दोनों पैरों) पर **बैठ** जाये और **शर्मगाह से शर्मगाह** मिल जाये तो स्नान वाजिब हो गया।

153:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ ने उम्मे कुलसूम के वास्ते से आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत किया कि आ़इशा रज़ि॰ ने कहा: एक व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा: अगर कोई पुरूष अपनी पत्नी से संभोग करे फिर वीर्य पतन (यानी मनी निकलने) से पहले ही लिंग को बाहर निकाल ले, तो क्या दोनों पर स्नान वाजिब है? आप ने उत्तर में फ़रमाया: मैं और यह (यानी आ़इशा) ऐसा करते हैं तो स्नान करते हैं।

फ़ाइदा:– ऊपर की हदीस न॰ 152, 153 ने हदीस न॰ 151 को मन्सूख़ कर दिया है। आरंभ में सहाबा के दर्मियान इस मस्अले में इख़्तिलाफ़ था, लेकिन बाद में सभी का इत्तिफ़ाक़ हो गया कि स्नान वाजिब हो जायेगा, मनी निकले या न निकले। इसी प्रकार समस्त इमामों का भी इत्तिफ़ाक़ है। आज 13 नवंबर सन 2004 को जबकि यह पक्तियाँ लिख रहा हूँ हर मज़हब के मानने वाले उलमा का भी इत्तिफ़ाक़ है।

इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने हदीस "पानी वाजिब है पानी निकलने से" की बड़ी अ़जीब तशरीह की है। उन का कहना है कि यह हदीस मन्सूख़ नहीं है, बल्कि यह सपना देखने वाले के लिये है। यानी अगर किसी ने सपने में संभोग किया और आँख खुलने के बाद कपड़े पर पानी (मनी) देखा तो उस पर पानी (स्नान) वाजिब हो गया। और अगर कपड़े पर पानी (मनी) नहीं देखा तो पानी (स्नान) नहीं वाजिब है। सहाबी की इस तावील ने तो मन्सूख़ का झगड़ा ही समाप्त कर दिया और दोनों हदीसों पर अ़मल को बाक़ी रखा।

हदीस में आया है कि "अपनी पत्नी के चारों कोनों पर बैठे" इस में उलमा का बड़ा इख़्तिलाफ़ है, लेकिन सहीह बात यह है कि चारों कोनों से मुराद महिला के दोनों हाथ और दोनों पैर हैं। खुलासा यह कि कोई व्यक्ति जाड़े आदि के मौसम में स्नान से बचने के लिये मन्सूख़ हदीस पर अ़मल करने की कोशिश न करे। हदीस न॰ 153 में स्पष्ट रूप से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि मैं और आ़इशा स्नान करते थे।

बाब {अगर महिला भी सपने में वह कुछ देखे जो एक पुरूष देखता है, ता उस पर भी स्नान वाजिब है।}

154:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि (मेरी माता जी) उम्मे सुलैम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयीं उस समय आ़इशा रज़ि॰ भी बैठी हुयी थीं। उन्होंने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! एक महिला भी सपने में वह कुछ देखती है जो एक पुरूष देखता है? (यानी कपड़े पर मनी) यह सुन कर आ़इशा रज़ि॰ ने कहाः ऐ उम्मे सुलैम! आप ने तो (इस प्रकार का मस्अला पूछ कर) महिलाओं का अपमान कर दिया, अल्लाह आप का भला करे। यह सुन कर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ आ़इशा! अल्लाह आप का भला करे, और ऐ उम्मे सुलैम! अगर महिला इस प्रकार का सपना देखे (यानी कपड़े में मर्द की तरह तरी और मनी देखे) तो स्नान करे।

फ़ाइदाः– जिस प्रकार मर्द सपने में संभोग करता है तो उस के कपड़े पर मनी लग जाती है, इस प्रकार मामला महिला के साथ भी पेश आता है। लेकिन वही महिला अपने कपड़े पर तरी देखती है जो तन्दुरूस्त और तगड़ी (Healthy) हो। चूँकि उम्मे सुलैम कमज़ोर थीं कभी सपने में तरी नहीं देखी थी, और न ही यह सोच सकती थीं कि महिला का भी कपड़ा सपने में ख़राब होता है, इसलिये उन्होंने यह मस्अला पूछा। इस हदीस से यह मालूम हुआ कि अगर महिला संभोग का सपना देखने के बाद में अपना कपड़ा ख़राब देखे तो उस पर भी स्नान वाजिब है।

बाब {जनाबत के स्नान का तरीक़ा इस प्रकार है।}

155:– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी मैमूना रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने कहा कि मैं ने जनाबत के स्नान के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये पानी रखा, आप ने पहले दो या तीन बार दोनों हाथों को पहुँचों तक धोया, फिर बर्तन में हाथ डाल कर पानी लिया और शर्मगाह पर डाल कर बायें हाथ से धोया। इस के बाद बाँये हाथ को ज़मीन पर रगड़-रगड़ कर अच्छी तरह धोया, फिर जिस प्रकार नमाज़ के लिये वुज़ू किया जाता है उसी प्रकार वुज़ू किया, फिर सर पर तीन बार चुल्लू भर-भर पानी डाला, फिर पूरे शरीर को धोया। इस के बाद स्नान करने के स्थान से हट गये और पाँव को धोया। (मैंमूना रज़ि॰ कहती हैं कि) फिर बदन को पोछने के लिये रूमाल (तौलिया) लेकर आयी, लेकिन आप ने नहीं लिया।

फ़ाइदाः– स्नान करने के बाद उस स्थान से हट कर पाँव धोया। इस का कारण यह था कि जहाँ स्नान किया था वहाँ स्नान का पानी था। आजकल स्नान घर पक्के बने हैं, पानी बह जाता है इसलिये जगह से हटना अनिवार्य नहीं।

आप ने बदन से पानी पोछने के लिये रूमाल नहीं लिया, इस में उलमा के पाँच-छः क़ौल हैं। कुछ लोग ने पोछने को जाइज़ कहा है, कुछ लोगों का कहना है कि पोछने और न पोछने दोनों ही में कोई हरज नहीं। लेकिन पोछनें के तअ़ल्लुक़ से एक भी हदीस साबित

नहीं है। न पोछने के तअ़ल्लुक से एक और हदीस है जिसे बुख़ारी-मुस्लिम दोनों ही ने रिवायत किया है और आगे हदीस न॰ 266 में भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम स्नान कर के फ़ज्र की इमामत करने आये उस समय आप के सर के बालों से पानी टपक रहा था (बुख़ारी, मुस्लिम) इस से मालूम हुआ कि सुन्नत पर अ़मल करते हुये तौलिया न इस्तेमाल किया जाना ही बेहतर है, और अगर कोई कर भी ले तो इस में कोई गुनाह की बात नहीं।

बाब {पानी की कितनी मात्रा से जनाबत का स्नान किया जाये?}

156:– अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ के दूध शरीक भाई (अ़ब्दुल्लह बिन यज़ीद) उन के पास गये और जनाबत के स्नान के बारे में मस्अला पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किस प्रकार स्नान करते थे? इस पर उन्होंने बर्तन में एक साअ़ (ढाई किलो ग्राम) बराबर पानी मँगवाया और स्नान करने लगीं। उस समय हमारे उन के दर्मियान एक पर्दा था। फिर उन्होंने सर पर तीन बार पानी डाला। अबू सलमा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नियाँ अपने बाल कटा कर कानों के बराबर तक रखती थीं।

फ़ाइदाः– अ़रब की महिलायें लंबे बाल रखतीं और चूटियाँ निकाला करती थीं। हो सकता है आपके देहान्त के बाद बनाव-सिंगार से बचने के लिये बाल छोटे कर लिये हों। "वफ़रा" उन बालों को कहते हैं जो कानों तक हों और "लिम्मा" उन्हें कहते हैं जो मोंढों तक हों। कुछ लोगों ने इस के उलट अर्थ बताया है। इस रिवायत में स्नान के तअ़ल्लुक़ से तफ़सील नहीं है, लेकिन इन्ही रावी से मुस्लिम ही की दूसरी रिवायत में आ़इशा ने तफ़सील से स्नान करने का तरीक़ा बयान किया है। चूँकि यह पुस्तक मुस्लिम की संक्षिप्त है इसलिये उस रिवायत का ज़िक्र नहीं क़िया।

बाब {स्नान करने वाले को कपड़े (आदि) से पहले पर्दा कर लेना चाहिये।}

157:– अबू तालिब की पुत्री (और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की फूफी) उम्मे हानी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जिस वर्ष मक्का फ़त्ह हुआ मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयी, आप उस समय मक्का के ऊँचाई वाले क्षेत्र में ठहरे हुये थे (उन्होंने कहा) जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम स्नान के लिये उठे तो फ़ातिमा रज़ि॰ ने आप पर एक कपड़ा तान कर आड़ कर दिया, फिर (स्नान करने के बाद) आप ने अपना कपड़ा लेकर बदन पर लपेट लिया और चाश्त की आठ रकअ़त नमाज़ पढ़ी।

फ़ाइदाः– बुख़ारी में आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को चाश्त (दिन चढ़े) की नमाज़ पढ़ते नहीं देखा, लेकिन मैं स्वँय पढ़ती हूँ। (इसी पुस्तक में हदीस न॰363) कुछ उलमा का कहना है कि आप ने मक्का पर विजय

के शुक्राने में पढ़ी थी, लेकिन उम्मे हानी कहती हैं वह चाश्त की नमाज़ थी। आइशा रज़ि॰ ने केवल इतना कहा है कि मैं ने नहीं देखा, पढ़ने का इन्कार नहीं किया है। हाँ रकअतों में इख़्तिलाफ़ है। मालूम हुआ कि चाश्त की नमाज़ सुन्नत है, समय और स्वास्थ को सामने रख कर आठ से कम भी पढ़ सकता है। हदीस का बाब से संबन्ध स्पष्ट है।

बाब {अगर एकान्त (अकेले) में स्नान करे, फिर भी पर्दा करे।}

158:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बनी इस्राईल के लोग नंगे ही स्नान किया करते थे और एक–दूसरे की शर्मगाह को देखते थे लेकिन हज़रत मूसा अलै॰ अकेले स्नान करते थे। इस पर लोगों ने कहाः मूसा हम लोगों के साथ मिल कर नहीं स्नान करते हैं इस का अर्थ है कि उन का फ़ोता बढ़ गया है। फिर एक मर्तबा मूसा अलै॰ स्नान करने के लिये गये और कपड़ा उतार कर एक पत्थर पर रख दिया कि वह पत्थर (अल्लाह के हुक्म से) उन के कपड़े लेकर भागा। मूसा अलै॰ भी उस के पीछे दौड़े और वह कहते जाते थेः ऐ पत्थर! मुझे मेरे कपड़े वापस कर दे, यहाँ तक कि बनी इस्राईल ने उन का सतर (शर्मगाह) देख लिया और कहना पड़ाः इन्हें तो कोई बीमारी नहीं है। उस समय पत्थर खड़ा हो गया और उन्हें अच्छी तरह देख लिया गया। फिर उन्होंने अपना कपड़ा लेकर (मारे गुस्सा के) पत्थर को मारना आरंभ कर दिया। अबू हुरैरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि अल्लाह की क़सम! उस पत्थर के ऊपर मूसा अलै॰ की मार के छः या सात निशान पड़ गये थे।

फ़ाइदा:– चाँद, सूर्य, नक्षत्र बेजान होकर भी अल्लाह के हुक्म से आकाश में चलते हैं तो एक पत्थर भी अल्लाह के हुक्म से कपड़ा लेकर भाग सकता है, इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं।

इस हदीस से मालूम हुआ कि एकान्त में नंगे स्नान किया जा सकता है, इस में कोई शक और संदेह नहीं, लेकिन फिर भी कपड़ा लपेट कर नहाना अफ़ज़ल है। एकान्त में नन्गे होकर स्नान करना जाइज़ है इसीलिये मूसा अलै॰ अकेले में नन्गे नहा रहे थे।

बाब {महिला और पुरूष के लिये एक–दूसरे की शर्मगाह देखना मना है।}

159:– अबू सअीद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मर्द, मर्द की शर्मगाह को न देखे, इसी प्रकार महिला भी महिला की शर्मगाह को न देखे। और दो मर्द एक ही कपड़ें में लिपट कर न सोयें, इसी प्रकार दो महिलायें भी एक चादर में लिपट कर न सोयें।

फ़ाइदा:– जिस प्रकार पुरूष के लिये पुरूष की शर्मगाह, और महिला के लिये महिला की शर्मगाह देखना मना है, इसी प्रकार पुरूष के लिये महिला की और महिला के लिये पुरूष की शर्मगाह देखना और अधिक सख़्ती से मना है। हाँ, पति पत्नी की और इसी

प्रकार मालिक लौंडी को देख सकते हैं क्योंकि पति-पत्नी होने के नाते जाइज़ है। लेकिन इन लोगों के लिये भी बिला ज़रूरत देखना बुरी बात है।

महिला की शर्मगाह (सतर) हाथ-मुँह को छोड़ कर बाक़ी सब कुछ है और मर्द की नाफ़ (नाभि) से लेकर घुटने तक है। वह महिलाएँ जो महरम हैं(यानी जिन से निकाह हराम है) उन का वह हिस्सा देखना जाइज़ है जो काम-काज करते समय आ़मतौर पर खुला रहता है।

और एक-साथ सोने से मना किया है इस में बहुत बड़ी हिक्मत पोशीदा है। एक साथ सोना यह ज़िना, बलात्कार, लौंडेबाज़ी (कुकर्म) आदि की जड़ और बुनियाद है। इस प्रकार एक साथ सोने से मानसिक रूप से उत्तेजित हो जाना स्वभाविक है।

बाब {शर्मगाह को छुपाना अनिवार्य है, किसी व्यक्ति को नन्गा नही दिखना चाहिये।}

160:- जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम लोगों के साथ काबा के निर्माण के लिये तहबन्द बाँध कर पत्थर ढो रहे थे। यह देख कर आप के चचा अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहाः ऐ भतीजे! अगर अपना तहबन्द उतार कर मोंढे पर रख लेते तो अच्छा होता (मोढ़ों को तक्लीफ़ नहीं पहुँचेगी) चुनान्चे आप ने तहबन्द खोल कर मोंढे पर डाल ली, इतने में बेहोश हो कर गिर गये। फिर उस दिन के बाद से आप को नंगा नहीं देखा गया।

फ़ाइदाः- किसी को बहुत भारी पदभार (मर्तबा) सौंपना होता है तो उस की बचपन ही से उसी प्रकार शिक्षा-प्रशिक्षण होती है। दीनी, दुनियावी, सामाजिक, रूहानी हर एतबार से उस व्यक्ति का कोर-कनारा दुरूस्त किया जाता है। रिवायत में है कि फ़रिश्ता ने आ कर आप को तहबन्द पहनाया। अगर अपनी संतान पर बचपन ही से इन बातों की ओर (जिसे लोग मामूली समझते हैं) तवज्जुह दी जाये तो आगे चल कर बच्चे के ऊपर मांसिक रूप से बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। बचपन की आदतें पत्थर की लकीर होती हैं। आप के हक़ीक़ी चचा अ़ब्बास रज़ि॰ थे जो आयु में चार-छः वर्ष आप से बड़े थे। काबा के निर्माण के समय आप की आयु 30 वर्ष की थी। उस समय आप कैसे नन्गे हो सकते हैं? मौलाना अ़ब्दुल मुबीन मन्ज़र रह॰ अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हो सकता है आप के बपचन में भी कोई छोटा-मोटा मरम्मत का काम हुआ हो। अगर वहीं निर्माण माना जाये तो अ़रब के लोग, लंबा जुब्बा पहनते थे कि तहबन्द न भी पहनें तो सतर ढका रहे। आप ने जुब्बा पहने हुये तहबन्द खोल दिया हो (पैंगबरे-आ़लम)

बाब {पति-पत्नी एक ही बर्तन में से पानी लेकर एक साथ जनाबत का स्नान कर सकते हैं (इस में कोई हरज नहीं)}

161:- मआ़ज़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने कहाः मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक ही बर्तन से पानी लेकर स्नान

करते थे जो हमारे और उन के बीच में **रखा** होता था। आप जब कभी जल्दी-जल्दी पानी लेने लगते तो मुझे कहना पड़ता कि **थोड़ा** सा पानी मेरे लिये बचा दीजिये। उस समय हम दोनों जनाबत का स्नान करते **होते** थे।

फ़ाइदाः– एक रिवायत **में है कि** पानी लेते समय दोनों का लोटा कभी टकरा भी जाता था। मालूम हुआ कि स्नान में महिला, पुरूष का पानी और पुरूष, महिला का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस से स्नान में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। जाहिल लोग इसे बहुत बुरा **मानते** हैं, महिला के स्नान का बचा हुआ पानी नहीं प्रयोग करते हैं। यह उन का **भ्रम** है। पति-पत्नी होने के नाते सारा काम एक साथ कर सकते हैं, तो एक साथ स्नान करने, एक दूसरे का बदन मल देने और एक-दूसरे का बचा हुआ पानी इस्तेमाल कर लेने में क्या बुराई है।

बाब {खाना खाने या सोने से पूर्व जुनुबी व्यक्ति को (इसी प्रकार महिला जुनुबी को भी) वुज़ू कर लेना चाहिये।}

162:– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुनुबी हालत में होते और खाना खाना चाहते या सोने का इरादा करते तो जिस प्रकार नमाज़ के लिये वुज़ू किया जाता है उसी **प्रकार** वुज़ू कर लेते थे।

फ़ाइदाः– मुस्लिम के दूसरे एडिशन में इस प्रकार बाब बाँधा गया है: "जुनुबी आदमी (स्नान **करने** से पहले) सो सकता है, लेकिन वुज़ू कर ले और शर्मगाह को धो ले इसी प्रकार **खाना** खाने-पीने, सोने और (दोबारा) संभोग से पहले भी वुज़ू कर ले" इस में शर्मगाह धोने और **दोबारा** संभोग से पहले भी वुज़ू कर लेने का बयान है, और यही बाब दुरूस्त है।

संभोग के तुरन्त बाद स्नान बिल्कुल अनिवार्य नहीं, बल्कि जब नमाज़ के लिये उठे उस समय कर ले। इस में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं है। वुज़ू करने से पहले भी खाना-पीना जाइज़ है, लेकिन बेहतर यह है कि वुज़ू कर ले। यह वुज़ू कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। संभोग करने से पहले वुज़ू कर लेने से यह फ़ाइदा है कि बदन में चुस्ती-फुर्ती और नई शक्ति पैदा हो जाती है। शर्मगाह धो लेने से यह लाभ है कि बीमारी आदि से सुरक्षित रहेगा।

बाब {जुनुबी, स्नान करने से पहले भी सो सकता है।}

163:– अ़ब्दुल्लाह बिन अबू **क़ैस** रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से नबी **करीम** सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के वित्र पढ़ने के बारे में पूछा तो उन्होंने हदीस बयान की। मैं ने फिर पूछाः आप जनाबत की नापाकी की हालत में क्या करते थे? आप सोने से पूर्व स्नान कर लेते थे, या सो जाते थे? उन्होंने कहाः

आप कभी स्नान कर लेते थे और कभी केवल वुज़ू कर के सो जाते थे। यह सुन कर मैं बोल पड़ाः अल्लाह का शुक्र है जिस ने इस मामले में गुन्जाइश बाक़ी रखी (यानी स्नान अनिवार्य नहीं किया)

फ़ाइदाः– इस हदीस से मालूम हुआ कि कुछ समय तक नापाकी की हालत में भी रहा जा सकता है। स्नान तुरन्त फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि जब नमाज़ के लिये उठे उस समय फ़र्ज़ है। अल्लाह का शुक्र है कि उस ने गुंजाइश बाक़ी रखी है।

बाब {एक बार संभोग करने के बाद दोबारा संभोग करना चाहे तो पहले वुज़ू कर ले।}

164:– अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से कोई अपनी पत्नी से संभोग कर ले और फिर दोबारा करना चाहे तो पहले वुज़ू कर ले (फिर संभोग करे)

फ़ाइदाः– देखें हदीस न॰ 162 का फ़ाइदा। इस में बहुत बड़ी हिक्मत पोशीदा है।

बाब {तयम्मुम का हुक्म नाज़िल होने के बारे में तफ़सील से बयान।}

165:– अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ की पुत्री (और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी) आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में निकले। जब "बैदा" अथवा "ज़ातुल् जैश" के स्थान पर पहुँचे तो मेरे गले का हार कहीं टूट कर गिर गया, चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उसे तलाश करने के उद्देश्य से रूक गये, इसलिये सहाबा भी ठहर गये। उस मौक़े पर न तो वहाँ पानी था और न ही लोगों के पास पानी था। इसलिये लोग (परेशान होकर) अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ के पास गये और (शिकायत के लहजे में) कहने लगेः आप को कुछ ख़बर भी है कि आ़इशा ने क्या कर डाला? उन्होंने (ख़ाह–मख़ाह) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को रोक रखा है और वह भी ऐसे स्थान पर, जहाँ न पानी है और न ही लोगों के पास पानी है। यह सुन की अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ (गुस्से में) मेरे पास आये (उस समय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरी रान पर सर रख कर सो रहे थे) और कहने लगेः तुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और समस्त सहाबा को (अपनी बेवकूफ़ी से) रोक रखा है और ऐसे स्थान पर रोक रखा है जहाँ न तो पानी है और न ही लोगों के पास पानी है। वह बहुत नाराज़ थे, चुनान्चे उसी हालत में जो कुछ अल्लाह को मन्जूर था उन्होंने कह डाला और मेरी कोख में कचोके मारने लगे। लेकिन चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का सर मेरी रान पर था इसलिये मैं (मारे डर के) हिल नहीं रही थी (ताकि आप जाग न जायें) चुनान्चे आप (मेरी रान पर ही सर रख कर) साते रहे यहाँ तक कि सुब्ह हो गयी और पानी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तब अल्लाह तआ़ला ने (सूरःमाइदा की आयत न॰ 6 में) तयम्मुम की हुक्म नाज़िल फ़रमाया। यह देख कर उसैद बिन हुज़ैर रज़ि॰ जो नक़ीबों ( ) में से

थे कहने लगेः ऐ अबू बक्र की बेटी! (तयम्मुम की आयत नाज़िल होकर जो रूख़्सत हमें मिली है) तुम्हारी वजह से यह कोई पहली बर्कत नहीं है। आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने कहाः जब रवाना होने के लिये हम ने ऊँट उठाया तो जिस ऊँट पर सवार थी वह हार उस ऊँट के नीचे ही से मिल गया।

फ़ाइदा:– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मुस्तलिक़ की लड़ाई के लिये सन 6 हिजरी में निकले और बैदा के स्थान पर हार गुम होने की घटना घटी। हार का गुम होना तयम्मुम की आयत नाज़िल होने का एक बहाना थी। न हार गुम होता और न आयत नाज़िल होती, इसीलिये उसैद रज़ि॰ ने प्रसन्न होकर आइशा रज़ि॰ को बड़ी दुआएँ दीं। 'बैदा' ख़ैबर और मदीना के दर्मियान एक स्थान का नाम है। इस हदीस में तयम्मुम की आयत नाज़िल होने का कारण और समय बताया गया है। तयम्मुम करने का तरीक़ा आगे आयेगा।

बाब {जुनुबी भी (अगर पानी न पाये तो) तयम्मुम करे।}

166:– हदीस के रावी शक़ीक़ बयान करते हैं कि मैं अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद और अबू मूसा अश-अ़री रज़ि॰ के पास बैठा हुआ था कि इसी दर्मियान अबू मूसा रज़ि॰ ने कहाः ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान (इब्ने मस्ऊद) अगर कोई जुनुबी हो जाये और एक माह तक पानी न पाये तो कैसे नमाज़ पढ़े? उन्होंने कहाः ऐसा कैसे? सूरः माइदा में जो यह आयत उतरी है "पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो।" इब्ने मस्ऊद ने कहाः (ठीक है) लेकिन अगर इस आयत की रोशनी में जनाबत की हालत में तयम्मुम की अनुमति दे दी जाये तो धीरे-धीरे (एक समय ऐसा भी आयेगा कि) लोग पानी ठन्डा होने की सूरत में भी तयम्मुम करने लग जायेंगे। इस पर अबू मूसा बोलेः शायद आप ने अ़म्मार बिन यासिर रज़ि॰ की हदीस नहीं सुनी? उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे एक काम से बाहर भेजा, वहाँ मैं रात में जुनुबी हो गया। चुनान्चे पानी न मिला तो मैं धूल-मिट्टी में इस तरह लोटा जैसे जानवर धूल-मिट्टी में लोटता है। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास वापस लौट कर पूरी घटना बयान की तो आप ने फ़रमायाः तुम अगर अपने दोनों हाथों से इस प्रकार कर लेते तो काफ़ी था। फिर आप ने दोनों हाथों को एक बार ज़मीन पर मारा, और बायीं हथेली को दायीं हथेली पर मल कर के मुँह पर मसह किया। यह सुन कर इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने कहाः शाद आप को नहीं मालूम कि उमर फ़ारूक़ रज़ि॰ को अम्मार वाली हदीस पर तसल्ली नही हुयी थी।

फ़ाइदा:– रिवायत पूरी इस प्रकार है कि किसी ने उमर रज़ि॰ से मस्अला पूछाः तो उन्होंने कहाः अगर पानी न मिले तो नमाज़ न पढ़ो। इस पर अ़म्मार रज़ि॰ ने कहाः आप को शायद याद नहीं रहा कि एक बार हम और आप दोनों जुनुबी हो गये और पानी नहीं था इसलिये आप ने नमाज़ नहीं पढ़ी, लेकिन मैं ने मिट्टी में लोट कर नमाज़ पढ़ ली थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को घटना की सूचना दी तो आप ने

फ़रमायाः लोटने की क्या ज़रूरत थी, तयम्मुम कर लेते। इस पर उमर ने कहाः अल्लाह से डरो (ग़लत हदीस न बयान करो)......पूरी हदीस (मुस्लिम) अस्ल में उमर रज़ि॰भूल गये थे, इसीलिये अम्मार की हदीस पर विश्वास नहीं किया। बाद में उन्होंने हदीस को स्वीकार किया और तयम्मुम करने के क़ाइल हो गये। चुनान्चे पूरी उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है कि अगर पानी न मिले तो तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़े।

इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने इस शुब्हे की बुनियाद पर इजाज़त नहीं दी कि कल के दिन पानी ठन्डा होने पर कमज़ोर ईमान वाले तयम्मुम करने लगेंगे, उन की यह दलील दुरूस्त नहीं, क्योंकि अगर पानी इतना ठन्डा है कि कमज़ोर आदमी अगर इस्तेमाल करेगा तो वास्तव में बीमार पड़ जायेगा, तो इस सूरत में शरीअ़त अपने को हलाकत में डालने की अनुमति नहीं देती है। इस सूरत में बीमार और कमज़ोर के लिये तयम्मुम जाइज़ है। और अगर कोई काहिली और सुस्ती से करेगा तो वह स्वँय गुनहगार होगा। ठन्डे पानी का पानी न मिलने से कोई संबन्ध नहीं। (ख़ालिद)

लेकिन यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि अगर तयम्मुम के लिये मिट्टी भी न मिले तो क्या करे? इस मस्अले में बड़ा इख़्तिलाफ़ है, जिन्हें यहाँ नक़ल करने की गुन्जाइश नहीं। सहीह मस्अला यह है कि नमाज़ के अन्तिम समय तक मिट्टी का इन्तिज़ार करे फिर यूँ ही तयम्मुम की निय्ययत से हाथ को मुँह पर फेर कर नमाज़ पढ़ ले। नमाज़ का समय बीत जाने के बाद पानी या मिट्टी मिल जाने की सूरत में नमाज़ लौटाने की कोई आवश्यक्ता नहीं। जिन लोगों ने लौटाने का हुक्म दिया है ग़लत दिया है, इसलिये कि जब लौटाना ही है तो फिर उस समय पढ़ने से क्या फ़ाइदा? जहाँ इन्सान मजबूर हो जाये और शरीअ़त के अनुसार अ़म्ल असंभव हो जाये, ऐसे मौक़े पर नेक निय्यती के साथ जो भी क़दम उठाए जाइज़ है। और निय्यतों का हाल अल्लाह जानने वाला और कुबूल करने वाला है-(ख़ालिद) बहरहाल वुज़ू के लिये पानी और तयम्मुम के लिये मिट्टी न मिलने की सूरत में भी नमाज़ माफ़ नहीं है।

बाब {(अगर कोई बेवज़ू हो तो) सलाम का जवाब देने के लिये तयम्मुम कर ले।}

167:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के आज़ाद किये हुये गुलाम उमैर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं और अ़ब्दुर्रहमान बिन यसार, (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी के आज़ाद किये हुये गुलाम) अबू जहम बिन हारिस के पास गये, तो उन्होंने बतायाः एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (मदीना के निकट के एक स्थान) बीरे-जमल की तरफ़ से आ रहे थे कि राह में एक व्यक्ति ने आप को सलाम किया, लेकिन आप ने कोई उत्तर न दिया, फिर एक दीवार के पास पहुँच कर दोनों हाथों और मुँह पर मसह किया फिर सलाम का उत्तर दिया।

फ़ाइदाः– एक रिवायत में है कि आप ने वुज़ू किया फिर सलाम का जवाब दिया। बहरहाल जैसा मौक़ा हो उस के अनुसार अमल करे। वुज़ू या तयम्मुम कोई फ़र्ज़ या वाजिब

नहीं है, अगर ऐसा कर के सलाम का उत्तर देगा तो सुन्नत के अनुसार अमल करने का सवाब पाएगा। और अगर बिना वुज़ू और तयम्मुम के उत्तर दे दें तो इस में भी कोई हरज नहीं है। इसी प्रकार तिलावत या शुक्र के सज्दे के लिये भी तयम्मुम काफ़ी है।

बाब {मोमिन नापाक नहीं होता है।}

168:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं मदीना के रास्ते में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मिला उस समय जनाबत की हालत में था, इसलिये चुपके से खिसक कर स्नान करने चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे ढूँड़ा तो नहीं पाया, थोड़ी देर के बाद जब मैं (स्नान कर के) वापस आ गया तो आप ने पूछाः अबू हुरैरा! कहाँ चले गये थे? मैं ने कहाः ऐ अल्लह के रसूल! जब मैं आप से मिला था उस समय जुनुबी था, और मुझे अच्छा नहीं मालूम हुआ कि बिना स्नान के आप के साथ रहूँ (इसलिये स्नान करने चला गया था) यह सुन कर आप ने फ़रमायाः सुब्हानल्लाह! मोमिन नापाक रहना पसन्द नहीं करता।

फ़ाइदाः– नमाज़ का समय आने तक आदमी जनाबत की नापाकी की हालत में रह सकता है इस में कोई हरज नहीं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुनुबी हालत में फ़ज्र तक सोते रहते थे (देखें हदीस न॰163) लेकिन फिर भी अगर कोई नापाकी की हालत में अधिक समय तक रहना न पसन्द करे और तुरन्त स्नान कर लेना चाहे तो यह बड़ी अच्छी बात और फ़ज़ीलत का काम है। मौलाना वहीदुज़्ज़मा ने यूँ तर्जुमा किया है "मोमिन कहीं नजिस होता है?" तो इस तर्जुमे का यह अर्थ होता है कि स्नान करने की इतनी जल्दी क्या थी, मोमिन नापाक नहीं होता है। यह नापाकी हुक्मी है।

बाब {अल्लाह तआ़ला को हर समय याद करते रहा करो।}

169:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हर समय अल्लाह की याद में लगे रहते थे।

फ़ाइदाः– हर समय का अर्थ हुआ कि जनाबत की नापाकी की हालत में भी। इसी से यह अर्थ निकला कि तस्बीह, दुआ़, इस्तिग़फ़ार, तक्बीर आदि नापाकी की हालत में भी पढ़ सकते हैं। इस मस्अले में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं। जहाँ तक कुरआन ज़बानी पढ़ने का तअ़ल्लुक़ है तो अ़ल्लामा इब्ने बाज़ रह॰ ने अपने फ़तवे में केवल हैज़ वाली महिला को अनुमति दी है, क्योंकि आठ-दस दिन तक नापाक रहना उन की मजबूरी है इसलिये गुन्जाइश है। लेकिन मर्द नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वह स्नान कर के तुरन्त पाक हो सकता है, उस के लिये कोई मजबूरी नहीं। जहाँ तक क़ुरआन को देख कर पढ़ने का संबन्ध है तो इस की किसी के यहाँ और किसी के लिये इजाज़त नहीं।

शैख़ इब्ने बाज़ रह॰ लिखते हैंः "हैज़ व निफ़ास वाली महिलाएँ हज्ज के दौरान दुआ की किताबें पढ़ सकती हैं। और सच्ची बात यह है कि ऐसी महिलायें कुरआन को हाथ

लगाए बिना उस की तिलावत भी कर सकती हैं। कोई सहीह और स्पष्ट तर्क ऐसा नहीं है जो इस प्रकार की महिलाओं की तिलावत से रोकता हो। इस बारे में जो हदीस हज़रत अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है वह केवल जुनुबी (महिला व पुरुष) के बारे में है। एक हदीस इब्ने उमर रज़ि॰ की आती है, लेकिन वह भी ज़ओ़फ़ है।

हैज़ व निफ़ास वाली महिला कुरआन को बिना हाथ लगाए ज़बानी तौर पर पढ़ सकती है। लेकिन जुनुबी के लिये जाइज़ नहीं। इसलिये कि यह तुरन्त स्नान कर सकता है, मगर हैज़ व निफ़ास वाली महिला के खून आने की मुद्दत लंबी होती है। इन के लिये कुरआन पाक की तिलावत इसलिये भी जाइज़ किया गया है ताकि वह उसे भूल न जायें और (उतने दिनों तक) सवाब से महरुम न रहें। (सारांश) (पुस्तक फ़तवा ख़वातीन, उर्दू एडिशन)

बाब {बेवुज़ू आदमी, बिना वुज़ू किये भी खा–पी सकता है (इस में कोई हरज नहीं)}

170:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पाख़ाना–पेशाब से फ़ारिग़ होकर निकले तो (तुरन्त ही) खाना पेश कर दिया गया। लोगों ने आप से वुज़ू का ज़िक्र किया तो फ़रमायाः क्या मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ जो वुज़ू करूँ?

फ़ाइदाः– मालूम हुआ कि बेवुज़ू हालत में खाना–पीना, कुरआन की ज़बानी तिलावत करना, तस्बीह, इस्तिग़फ़ार करना आदि बिला शुब्हा जाइज़ हैं। लेकिन जनाबत की नापाकी की हालत में वुज़ू कर के खाना–पीना चाहिये लेकिन यह भी अनिवार्य नहीं है। (देखें हदीस न॰ 162)

❀❀❀

किताबुल् हैज़
(माहवारी के मसाइल का बयान)

नोटः– हैज़, (माहवारी, मासिक धर्म) उस रक्त को कहते है जो हर महिला के युवा अवस्था में हर माह चन्द दिनों तक आता है। किसी युवती के बालिग़ होने की पहचान इस रक्त का आना है। महीने में कितने दिन तक आता है? इस की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। हर महिला की अलग-अलग आ़दत होती है। किसी को महीना में 5 दिन, किसी को छः दिन किसी को 3 दिन आता है। हाँ अधिक से अधिक मुद्दत इमाम शाफ़ई़ के निकट 10 दिन है। अगर इस से भी अधिक दिन तक आये तो वह मुस्तहाज़ा (एक बीमारी) कहलायेगा। जब महिला गर्भवती हो जाती है तो इस ख़ून का आना बन्द हो जाता है, इस ख़ून से गर्भ में पल रहे बच्चे (शिशु) की पर्वरिश हाने लगती है। यह रक्त नापाक होता है और उस का रंग भी अलग ही होता है। इस के आने से महिला नापाक हो जाती है और रक्त चाप बन्द होने तक लगातार कई दिनों तक नापाक रहती है।

बाब {अल्लाह तआ़ला ने (सूरःबक़रः, आयत 222 में) फ़रमायाः "ऐ सन्देष्टा! लोग आप से हैज़ के बारे में मस्अला पूछते हैं तो आप कह दीजियेः वह नापाक और गन्दी वस्तु है, इसलिये हैज़ में अपनी पत्नियों से अलग रहा करो........।"}

171:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि यहूदी क़ौम में कोई महिला माहवारी से हो जाती तो न तो उस को अपने साथ खिलाते-पिलाते और न ही उस के साथ उठते-बैठते। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इस के बारे में मस्अ़ला पूछा तब अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमायीः "ऐ सन्देष्टा! लोग आप से माहवारी के बारे में मस्अला पूछते हैं, आप उन से कह दीजियेः वह नापाक और पलीद वस्तु है......(सूरः बक़रः222) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उन से हर प्रकार का संबन्ध रखो मगर संभोग न करो। जब यहूदियों को इस बात की सूचना मिली तो कहने लगेः हमारे हर कार्य में मुख़ालिफ़त करना इन की आ़दत बन गयी है। उसैद बिन हुज़ैर और अ़ब्बाद बिन बिश्र रज़ि॰ ने जब उन की बात सुनी तो आ कर कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल! यहूदी लोग (आप के ख़िलाफ़) इस-इस प्रकार की बातें कहते हैं, तो फिर हम हैज़ वाली महिलाओं से संभोग भी क्यों न करें (इसलिये कि यहूदी नहीं करते हैं) इतना सुनना था कि आप के चेहरे का रंग बदल गया। हम समझ गये

कि आप को उन दोनों पर गुस्सा आया है, चुनान्चे वह दोनों उठ कर चले गये। इतने में किसी ने तुहफ़ें में दूध नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को भेज दिया तो आप ने उन दोनों सहाबा को बुला कर वह दूध पिलाया तब उन्हें मालूम हुआ कि आप हमारे ऊपर नाराज़ नहीं थे।

फ़ाइदाः- आप उन पर नहीं नाराज़ हुये थे, बल्कि उन की बात पर नाराज़ हुये थे। उन्होंने भी इस्लामी जज़्बे में यहूदियों से जल कर वह बात कह दी जो क़ुरआन के खिलाफ़ थी। हैज़ की हालत में **महिला से संभोग** हराम है, यह हुक्म क़ुरआन पाक से साबित है और पूरी उम्मत का इस पर **इत्तिफ़ाक़** है। अगर कोई संभोग करता है तो महापाप करता है और दन्ड के तौर पर एक दिंहम दीनार देने का हुक्म है।

इस हदीस से मालूम हुआ कि ऐसी महिलाओं के साथ खाना-पीना, उठना-बैठना, सोना-जागना, लेटना-बैठना, चूमना-चाटना, इनके हाथ का खाना-पीना सब कुछ हलाल है, केवल संभोग हराम है।

बाब {महिला, हैज़ और जनाबत का स्नान किस प्रकार करे?}

172:- आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि (यज़ीद बिन सकन की पुत्री) अस्मा ने हैज़ और जनाबत के स्नान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मस्अ़ला पूछा तो आप ने फ़रमायाः पहले बैरी के पत्ते मिले पानी से नापाकी दूर करे, फिर सर पर पानी डाल कर अच्छी तरह मले, यहाँ तक कि पानी माँग (यानी बाल के जड़ों) में पहुँच जाये, फिर पूरे शरीर पर पानी डाले, फिर मुश्क लगा हुआ (रूई या कपड़े का) फाहा लेकर (उसे शर्मगाह में रख कर) उस से पाकी हासिल करे। अस्मा ने पूछाः मैं उस से कैसे पाकी हासिल करूँ? आप ने फ़रमायाः सुब्हानल्लाह! (यह भी कोई पूछने की चीज़ है) उस से पाकी हासिल कर लोगी। इस पर आइशा रज़ि॰ ने चुपके से उसे बताया कि खून बहने के स्थान पर उसे रख लो।

फिर उन्होंने जनाबत के स्नान के बारे में पूछा तो आप ने फ़रमायाः पानी लेकर पहले गंदगी को अच्छी तरह दूर करो, फिर सर पर पानी डाल कर अच्छी तरह मलो ताकि पानी माँगों (बाल की जड़ों) में पहुँच जाये, फिर पूरे शरीर पर पानी डालो। आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने कहाः अन्सार की महिलाएँ बड़ी भोली-भाली होती हैं, वह दीन की बातें पूछने में नहीं शर्मातीं हैं।

फ़ाइदाः- स्नान करने का बाक़ी तरीक़ा वही है कि शरीर के हर हिस्सा पर तीन बार पानी बहाए (देखें हदीस न॰ 155) अगर बाल की जड़ों तक पानी पहुँच जाये तो चोटी खोलना कोई आवश्यक नहीं। इस बारे में बुख़ारी और मुस्लिम दोनों ही में उम्मे सलमा और आइशा रज़ि॰ की रिवायतें मौजूद हैं। शर्मगाह में मुश्क अथवा कोई और खुश्बू रख लेने से बदबू दूर हो जाती है और मुकम्मल पाकी का इतमिनान हो जाता है। बाक़ी मर्द और औरत के स्नान करने का तरीक़ा एक है।

बाब {हैज़ वाली महिला (नापाकी की हालत में भी) कपड़ा या मुसल्ला आदि उठा कर दे सकती है।}

173:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मस्जिदे नबवी में थे कि आप ने फ़रमायाः ऐ आ़इशा! मेरे कपड़े उठा दो। उन्होंने कहाः मैं हैज़ की नापाकी से हूँ। आप ने फ़रमायाः हैज़ तुम्हारे हाथों में नहीं लगा हुआ है। चुनान्चे उन्होंने उठा कर दे दिया।

फ़ाइदाः– इस हदीस से यहूद के ख़याल की नफ़ी (रद्द) होता है जो समझते थे कि हैज़ आने से पूरा शरीर नापाक हो जाता है। और आजकल भी जाहिल लोग यहीं ख़याल करते हैं। लेकिन इस हदीस से मालूम हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। आ़इशा रज़ि॰ फ़रमाती हैं। कि अल्लाह के रसूल मेरी गोद में सर रख कर कुरआन की तिलावत करते और मैं हैज़ से होती भी (मुस्लिम) मैं हैज़ की हालत में पानी पीती फिर वही बर्तन आप को दे देती, आप भी वहीं मुँह लगा कर पीते जहाँ मैं ने मुँह लगा कर पिया होता(मुस्लिम) मैं हैज़ की हालत में होती और आप के सर को धोती और कंघा करती थी (बुख़ारी) मैमूना रज़ि॰ कहती हैं कि मैं हैज़ की हालत में होती और एक ही चादर में हम दोनों लिपट कर सोते (बुख़ारी)

बाब {हैज़ वाली महिला अपने पति के सर को धो सकती है और कंघी कर सकती है।}

174:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ बयान करती हैं कि मैं (जब एतिकाफ़ में होती तो) घर के अन्दर भी चली जाती, चलते-फिरते कोई बीमार होता तो उस का हाल-चाल भी मालूम कर लेती (और जब हैज़ की हालत में होती) तो आप अपना सर मस्जिद में रह कर मेरी तरफ़ बढ़ा देते और मैं उस में कंघी कर देती। और आप जब एतिकाफ़ की हालत में होते तो बिला ज़रूरत घर में न जाते थे।

बाब {हैज़ वाली पत्नी की गोद में तकिया लगा कर कुरआन मजीद पढ़ना जाइज़ है।}

175:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है वह बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरी गोद में तकिया लगा कर कुरआन मजीद की तिलावत करते होते, हालाँकि उस समय मैं हैज़ की हालत में होती।

बाब {पति, अपनी हैज़ वाली पत्नी के साथ एक ही चादर में सो सकता है।}

176:– उम्मे सलमा रज़ि॰ बयान करती हैं कि एक मर्तबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ चादर में सोई हुयी थी कि मुझे माहवारी आ गयी, इसलिये मैं आप के पास से खिसक कर हैज़ के कपड़े पहनने लगी। आप ने पूछाः क्या हैज़ आ गया? मैं ने कहाः जी हाँ। फिर आप ने मुझे बुला लिया और मैं उसी चादर में जा कर दोबारा लेट गयी। उम्मे सलमा रज़ि॰ यह भी बयान करती हैं कि मैं और नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक ही बर्तन में (रखे हुये पानी) से जनाबत का स्नान कर लिया करते थे।

बाब {हैज़ वाली महिला के इज़ार (पेटी कोट) के ऊपर सो सकते हैं।}

177:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ बयान करती हैं कि हम पत्नियों में से किसी को हैज़ आता और हैज़ अपने पूरे जोश में होता उस समय आप इज़ार (तहबन्द) पहनने का हुक्म देते फिर चिमट कर सो जाते। आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ कहती हैं कि तुम में से कोई भी अपनी ख़ाहिश और शहवत पर इतना कंट्रोल नहीं रख सकता जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को था।

फ़ाइदाः– इस हदीस से मालूम हुआ कि पत्नी की शर्मगाह को छोड़ कर बाक़ी किसी भी स्थान से अपनी ख़ाहिश पूरी करना चाहे तो कर सकता है। शर्मगाह में संभोग करना बिला शुब्हा हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने स्वँय अ़मल कर के उम्मत की रहनुमाई की है और इस प्रकार अनुमति दे कर दूसरों को बुराई से सुरक्षित रखा है। हदीस में "युबाशिरू" का शब्द आया है जिस का तर्जुमा "एक साथ सोना किया है" यह सहीह नहीं है। इस का सहीह तर्जुमा यह है कि इस प्रकार सोना, चिमटना, बोसा देना आदि कि पति की इच्छा पूरी हो जाये।

बाब {हैज़ वाली महिला के साथ एक ही बर्तन में खाना–पीना जाइज़ है।}

178:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ बयान करती हैं कि मैं पानी पी कर वही बर्तन आप को दे देती, फिर आप भी उसी स्थान पर मुँह रख कर पीते जिस स्थान पर मैं ने पिया होता, हालाँकि मैं उस समय हैज़ की नापाकी की हालत में होती थी। और मैं हड्डी नोचती फिर आप को दे देती, फिर आप भी उस जगह मुँह लगा कर नोचते जहाँ मैं ने मुँह लगा कर नोचा होता।

फ़ाइदाः– ऊपर की अहादीस से यह बताना उद्देश्य है कि हैज़ वाली महिला के साथ खाना–पीना, सोना–जागना, उठना–बैठना कपड़ें के ऊपर से अपनी शहवत, लालसा और इच्छा पूरी करना सब कुछ जाइज़ है, केवल शर्मगाह में संभोग नाजाइज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने स्वँय एक–एक कार्य पर अ़मल कर के उम्मत की रहनुमाई फ़रमा दी है।

बाब {मुस्तहाज़ा महिला किस प्रकार स्नान करे और नमाज़ पढ़े?}

नोटः– 'इस्तिहाज़ा' हर महिला को हर माह सुनिश्चित दिन तक खून आता है उस का नाम "हैज़" और "माहवारी" है। लेकिन अगर वह खून सुनिश्चित दिनों से अधिक दिन तक आने लगे तो वह अधिक दिनों तक आने वाला खून "इस्तिहाज़ा" और महिला "मुस्तहाज़ा" कहलायेगी। उदाहरण के तौर पर एक महिला को हर माह 5 दिन तक हैज़ का खून आता

है, लेकिन अब दस दिन आने लगा तो अन्तिम पाँच दिन का खून "इस्तिहाज़ा" कहलायेगा। महिला को चाहिये कि पाँच दिन के बाद नहा धो कर पाक हो जाये और नमाज़-रोज़ा आरंभ कर दे। अब वह आम महिलाओं की तरह पाक हो गयी। पति उसके साथ संभोग भी कर सकता है (अबू दावूद, बैहक़ी) अब वह, वह तमाम इबादतें कर सकती है जो एक पाक महिला करती है। लेकिन इस्तिहाज़ा बीमारी का जो खून बहता रहता है, नमाज़ पढ़ते समय उस के बचाव का तरीक़ा है जो आगे बयान हो रहा है। (ख़ालिद)

179:- आइशा सिद्दीक़ा रज़ि० ने बयान किया कि जहश की पुत्री उम्मे हबीबा रज़ि० ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा: मुझे इस्तिहाज़ा की बीमारी है। आप ने फ़रमाया: हाँ, वह खून एक नस से आता है (तुम उस की चिन्ता न करो) स्नान कर के नमाज़ पढ़ लिया करो, चुनान्चे वह नमाज़ के लिये स्नान किया करती थीं।

इब्ने शिहाब ने यह नहीं बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हर नमाज़ के लिये स्नान का आदेश दिया था, या वह स्वँय अपनी इच्छा से स्नान करती थीं।

फ़ाइदा:- नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा यह है कि हर नमाज़ के समय शर्मगाह को धो डाले और रूई या साफ़ कपड़ा रख कर लंगोट बाँध ले, फिर वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े। हर नमाज़ के लिये ऐसा ही करे और नया वुज़ू करे। उम्मे हबीबा हर नमाज़ के लिये अपनी इच्छा से स्नान करती रहती होंगी, वर्ना हर महिला के लिये संभव नहीं है। बहुत सी कमज़ोर महिलायें तो बीमार हो जायेंगी और जान के लाले पड़ जायेंगे।

बाब {हैज वाली महिला (माहवारी के दिनों की छूटी हुयी) नमाज़ की क़ज़ा नहीं करेगी (क्योंकि माफ़ है) लेकिन रोज़े की क़ज़ा करेगी।}

180:- मुआज़ा रज़ि० बयान करती हैं कि मैं ने आइशा सिद्दीक़ा रज़ि० से पूछा: इसका क्या कारण है कि हैज़ वाली महिला रोज़ों की क़ज़ा तो करती है, लेकिन नमाज़ की नहीं? यह प्रश्न सुन कर आइशा ने कहा: तुम "हुरूरिय्या" तो नहीं हो? मैं ने कहा: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो एक मस्अला पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा: हम लोगों को जब माहवारी आती थी (उस दर्मियान के छूटे हुये) रोज़ों की क़ज़ा का और नमाज़ के न क़ज़ा करने का हुक्म दिया जाता था।

फ़ाइदा:- 'हरूरी' कूफ़ा से चन्द मील की दूरी पर स्थिति एक नगर का नाम था जहाँ ख़ारिजी लोग रहते थे जो इस्लाम से ख़ारिज थे। उन का कहना था कि रोज़ों की तरह नमाज़ की भी क़ज़ा करनी चाहिये। यह अल्लाह की बड़ी कृपा है जो नमाज़ माफ़ कर दी, वर्ना हर माह के पाँच-छः दिन की 30-35 नमाज़ों की क़ज़ा करते-करते महिला बेहाल हो जाती। और चूंकि रोज़ा साल भर में एक मर्तबा फ़र्ज़ है और पूरे वर्ष में पाँच-छः रोज़ों की क़ज़ा करना कोई मुश्किल नहीं है। शरीअत में अल्लाह पाक का हर आदेश

हिक्मत पर आधारित है।

बाब {पाँच वस्तुएँ फ़ितरत में से हैं।}

181:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः फ़ितरत पाँच हैं, या पाँच चीज़ें फ़ितरत में से हैं (1) ख़तना करना (2) नाफ़ (नाभि) के नीचे के बाल मूँडना (3) नाखून काटना (4) बग़ल के बाल उखाड़ना (5) मूँछें कतरना।

फ़ाइदा:– ख़तना जिस प्रकार बच्चों का होता है, बच्चियों का भी होता है। आज भी अ़रब मुल्कों विशेष कर मिस्र में आ़म है। नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ करना। सेफ़्टी रेज़र से या उस्तरे से, या उखाड़ कर, या आज कल के पाउडर और लोशन आदि लगा कर। चालीस दिन के अन्दर कम से कम एक बार ज़रूर सफ़ाई कर लेनी चाहिये। (देखें हदीस न॰ 185) कम से कम समय की कोई सीमा नहीं, अपनी पहुँच के ऊपर है। बग़ल के बाल उखाड़ना सुन्नत है, फिर भी और दूसरे तरीक़े भी अपनाना जाइज़ है। मूँछें कुछ लोग छिलवा लेते हैं, या कैंची से इतनी बारीक कर लेते हैं कि छिली हुयी लगती है, इस से चेहरा बदसूरत और भद्दा हो जाता है। बारीक करने का अर्थ यह है कि होंट का कनारा खुल जाये। आ़म तौर पर यह बहुत मशहूर है कि मूँछ में अगर पीते समय पानी लग जाये तो हराम होता है, यह एक अफ़वाह है, इस प्रकार की कोई हदीस नहीं है।

बाब {दस चीज़ें फ़ितरत हैं।}

182:– आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दस बातें फ़ितरत हैं। (1) मूँछे कतरना (2) दाढ़ी को छोड़ना (3) मिस्वाक करना (4) नाक में पानी डालना (5) नाखून काटना (6) पोरों को धोना (7) बग़ल के बाल उखेड़ना (8) नाफ़ के नीचे बाल साफ़ करना (9) पानी से पाकी हासिल करना (10) कुल्ली करना। वकीअ़ ने कहा कि "इन्तिास" से मुराद इस्तिन्जा करना है।

बाब {मिस्वाक (दातून) दो में से बड़े को देना चाहिये।}

183:– अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा सपने में स्वँय को दातून करते देखा, फिर उसे दो व्यक्तियों ने माँगा, उन में से एक आयु में बड़ा था। चुनान्चे मैं ने छोटे को दे दी, इस पर हुक्म हुआ कि बड़े को दें, तो मैं ने बड़े व्यक्ति को दे दी।

बाब {मूँछें कतरवाओ और दाढ़ी बढ़ाओ।}

184:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुश्रिकों की मुख़ालिफ़त करो, मूँछों को कतराओ और दाढ़ियों को बढ़ाओ।

फ़ाइदाः— दाढ़ी के बाल किसी भी तौर पर काटना-छाँटना हराम है। दाढ़ी की लंबाई की कोई सीमा नहीं, जितनी भी बढ़ जाये। इब्ने उमर रज़ि॰ के बारे में रिवायत है वह हज्ज और उम्रा के मौक़ा पर एक मुट्ठी से बढ़ी हुयी को काट देते थे। लेकिन यह उन का अपना अ़मल है और ख़ास हज्ज के मौक़े का है जिस पर अ़मल करने के हम पाबन्द नहीं, जबकि हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का स्पष्ट आदेश मौजूद है। हैरत है कि यही इब्ने उमर रज़ि॰ ऊपर की हदीस (जिस में बढ़ाने का ज़िक्र है) भी बयान करते हैं।

185:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने कहाः मूँछें कतरने, नाख़ून काटने, बग़ल के बाल उखाड़ने और नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ करने की समय सीमा सुनिश्चित कर दी गयी थी कि इन्हें चालीस दिन से अधिक तक न छोड़ें।

फ़ाइदाः— यहाँ बग़ल के बाल नोचने और हाथ से उखाड़ने का हुक्म है और यही सुन्नत है। लेकिन अगर और दूसरे तरीक़ों से साफ़ करें तो भी दुरूस्त है। कम से कम कितने दिन में सफ़ाई करें इस की कोई सीमा नहीं है, लेकिन अधिक से अधि 40 दिन की सीमा है, इस से अधिक दिन तक छोड़ना दुरूस्त नहीं।

बाब {(मस्जिद में कोई पेशाब कर दे तो उसे धो डालना चाहिये।}

186:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठे हुये थे कि इसी दर्मियान एक आराबी (बुद्दू) आया और खड़ा हो कर मस्जिद में पेशाब करने लगा। यह देख कर सहाबा (डाँटते हुये) उसे कहने लगेः अरे यह क्या कर रहा है? यह क्या कर रहा है? इस पर आप ने फ़रमायाः उस का पेशाब मत रोको (और उसे कर लेने दो) चुनान्चे सहाबा ने उसे छोड़ दिया। जब वह पेशाब कर चुका तो आप ने उसे बुला कर फ़रमायाः यह मस्जिदें पेशाब करने और गन्दगी डालने के लिये नहीं होती हैं, यह तो अल्लाह को याद करने, नमाज़ पढ़ने और कुरआन की तिलावत करने के लिये हैं, या इसी प्रकार की और कोई नसीहत की। फिर एक सहाबी को पानी लाने का हुक्म दिया। चुनान्चे उन्होंने एक डोल पानी ला कर उस पर बहा दिया।

फ़ाइदाः— उस समय मस्जिद की ज़मीन कच्ची थी चुनान्चे पानी के साथ पेशाब भी ज़मीन के नीचे चला गया। आजकल पक्की फ़र्श होती है इसलिये पानी डाल कर साफ़ कर के उस पानी को नाली में डालना ज़रूरी है। यही हुक्म थूकने का है उस समय आप ने मस्जिद में पैर के नीचे थूकने का हुक्म दिया था, क्योंकि ज़मीन कच्ची थी, आजकल दुरूस्त नहीं, बल्कि रूमाल में थूक लेना होगा।

बाब {अगर बच्चा पेशाब कर दे तो कपडे पर छींटा मार लेना ही काफ़ी है।}

187:— उम्मे क़ैस रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया मैं नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम के पास एक बच्चे को लेकर आयी जो अभी खाना नहीं खाता था। उस ने आप की गोद में पेशाब कर दिया, तो आप ने पानी मँगवा कर कपड़े पर छिड़क दिया और उसे धोया नहीं।

फ़ाइदाः– तिर्मिज़ी शरीफ़ की हदीस में है कि बच्ची के पेशाब को धोया जाये और बच्चे के पेशाब पर पानी का छींटा दिया जाये। बच्ची और बच्चे के पेशाब में फ़र्क़ किया गया है, इस की हिक्मत अल्लाह ही बेहतर जाने। उलमा ने इस पर बहुत कुछ लिखा है। बच्चे के पेशाब पर छींटा उसी समय तक दिया जायेगा जबकि वह केवल दूध पीता हो, अन्न न खाता हो, वर्ना उस को भी धोना पड़ेगा।

बाब {कपड़े में मनी (वीर्य) लग जाये तो उसे धोना चाहिये।}

188:– अ़ब्दुल्लाह बिन शिहाब ख़ौलानी बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि० के यहाँ मेहमान की हैसिय्यत से ठहरा तो रात में एहतलाम (स्वप्न दोष) हो गया, चुनान्चे कपड़े को पानी में भिगो दिया। आ़इशा रज़ि० की लौंडी ने भिगोते हुये देख लिया तो उस ने जाकर उन्हें सूचित कर दिया। इस पर उन्होंने पुछवाया कि आप ने ऐसा क्यों किया? मैं ने उत्तर दिया कि मैं ने सपने में वह कुछ देखा है जो एक सोने वाला देखता है (यानी एहतलाम (स्वप्न दोष) हो गया) इस पर उन्होंने पूछाः कपड़ों पर भी कुछ निशान पाया? मैं ने कहाः नहीं। उन्होंने फ़रमायाः अगर कपड़े पर निशान देखते तब उसे धोते। मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के कपड़े पर लगी सूखी मनी को नाखून से खुरच दिया करती थी।

फ़ाइदाः– इस हदीस से मालूम हुआ कि रात में सपना देखे और उठ कर कपड़े पर मनी का निशान देखे तब स्नान करे और कपड़ा धोये, वर्ना नहीं। यह भी मालूम हुआ कि अगर मनी सूखी है तो उसे केवल खुरच देना ही काफ़ी है और अगर गीली है तो उसे धोना चाहिये। धोने के बाद भी अगर मनी का दाग़ न जाये तो इस में कोई हर्ज़ नहीं। आ़इशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि मैं उसे धोती लेकिन धब्बा (निशान) बाक़ी रहता और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उसी हालत में नमाज़ पढ़ते (बुख़ारी) इस से मालूम हुआ कि मनी पाक है वर्ना खुरचना काफ़ी नहीं है।

बाब {कपड़ें में लगे हैज़ के खून को धोना चाहिये।}

189:– अबू बक्र की पुत्री अस्मा रज़ि० ने बयान किया कि एक महिला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछाः हम में से किसी के कपड़े में हैज़ का खून लग जाये तो वह क्या करे? आप ने फ़रमायाः पहले उसे नाखून से खुरच डाले, फिर पानी से मल-मल कर धोए, फिर उसी कपड़े में नमाज़ पढ़े।

फ़ाइदाः– खून हराम और नापाक है, इस में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं, इसीलिये इसे अगर सूखा है तो खुरच कर धोना और गीला है तो धोना अनिवार्य है। फिर माहवारी का

खून हराम तो है ही, साथ ही दुर्गन्ध और बदबूदार भी होता है, इसलिये इस को अधिक तवज्जोह और सफ़ाई से धोना आवश्यक है। यह उस समय की बात है जब कपड़ों की कमी थी, बड़ी मुश्किल से एक जोड़ा होता था उसे धो डाले तो दूसरा पहनने के लिये नहीं होता था। पानी की भी कमी थी, इसलिये उस स्थान को धो कर उसी वस्त्र में नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी गयी। आज जबकि किसी वस्तु की कमी नहीं तो उस कपड़े को बदल देना और उसे पूरा धोना ही बेहतर और उचित है।

❀❀❀

किताबुस्सलाति
(नमाज़ के मसाइल का बयान)

बाब {अज़ान देने का आरंभ किस प्रकार हुआ? इस का बयान।}

190:– अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब मुसलमान (हिजरत कर के) मदीना आये तो इकट्ठा होकर सुनिश्चित समय पर नमाज़ अदा कर लिया करते थे, उस समय कोई अज़ान नहीं देता था। चुनान्चे उन्होंने एक दिन परस्पर मश्वरा किया कि नमाज़ की सूचना देने के लिये ईसाइयों की तरह नाक़ूस (संख) बजाया करें, या यहूदियों की तरह नरसंघा बजाया करें। इस पर उमर फ़ारूक़ रज़ि॰ ने मश्वरा दिया कि एक व्यक्ति को मुक़र्रर कर दिया जाये जो लोगों को नमाज़ की सूचना दे दिया करे, इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ बिलाल उठो और नमाज़ के लिये एलान करो।

फ़ाइदा:– उमर फ़ारूक़ रज़ि॰ के मश्वरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुबूल फ़रमाया और उन के मश्वरा के अनुसार बिलाल को नमाज़ के लिये पुकारने का हुक्म दिया, लेकिन यह उस समय की बात है जब तक अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ि॰ ने सपने में अज़ान का तरीक़ा नहीं देखा था। जब उन्होंने सपना देखा तो उमर रज़ि॰ के मश्वरा पर अ़मल मन्सूख़ हो गया और सपने के मुताबिक़ अज़ान देने का हुक्म दिया।

इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि अज़ान खड़ा होकर देना चाहिये। खड़े होकर और कान में उंगली डाल कर देने से आवाज़ ऊँची हो जाती है और दूर तक जाती है। लेकिन लाउडस्पीकर आदि में अगर कोई बैठ कर और कान में उंगली न डाल कर दे, तो अज़ान देने का मक़्सद पूरा हो जायेगा, लेकिन है यह तरीक़ा सुन्नत के ख़िलाफ़। अगर खड़े होकर दे सकता है तो सुन्नत के मुताबिक ही देना चाहिये।

बाब {अज़ान के शब्दों का बयान।}

191:– अबू महज़ूरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे इस प्रकार अज़ान के शब्द सिखाए

"अल्लाहु अक्बरू, अल्लाहु अक्बर+अश्–हदु अल्ला इला–ह इल्लल्लाहु,
अश्–हदु अल्लाइला–ह इल्लल्लाह+ अश्–हदु अन्न मु–हम्म–दर्रसूलुल्लाहि,
अश्–हदु अन्न मु–हम्म–दर्रसूलुल्लाह+(फिर एक मर्तबा इसी को और

कहे) अश्-हदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाहु, अश्-हदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाह+अश्-हदु अन्न मु-हम्म दर्रसूलुल्लाहि, अश्-हदु अन्न मु-हम्म-दर्रसूलुल्लाह+ हय्या अ़-लस्सलाति, हय्या अ़-लस्साह+ हय्या अ़-लल् फ़लाहि, हय्या अ़-लल् फ़लाह+ (इब्ने इस्हाक़ ने बयान किया कि इस के बाद कहे) अल्लाहु अक्बरू अल्लाहु अक्बर+ लाइला-ह इल्लल्लाह+

फ़ाइदा:- शहादत के दोनों कलिमों (अश-हदु अल्ला अला-ह इल्लल्लाह+अश-हदु अन्न मु-हम्म-दर्रसू लुल्लाह) को पहले दो-दो मर्तबा धीमी आवाज़ से कहे, फिर दो-दो मर्तबा बुलन्द आवाज़ से कहे (और बाक़ी वैसे जैसे लिखा है) इस प्रकार अज़ान देने को "तर्जीअ़" कहा जाता है। इमाम अबू हनीफ़ा रह० का कहना है कि अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ि० ने सपने में अज़ान का जो तरीक़ा सीखा था उस में "तर्जीअ़" यानी शहादत के दोनों कलिमों को दो-दो बार अहिस्ता और फिर दो-दो बार बुलन्द आवाज़ से कहने का ज़िक्र नहीं है। लेकिन मालूम हो कि अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद को बिल्कुल आरंभ में तरीक़ा सिखया गया था और अबू महज़ूरा रज़ि० को सन 8 हिज्री में अज़ान कहने का तरीक़ा सिखाया गया है, इसलिये बाद वाला तरीक़ा, पहले तरीक़े को मन्सूख़ कर देता है। और दूसरे तरीक़े को र्तजीह दी जाती है।

हमारे हिन्दुस्तान में बहुत ही कम मस्जिदों में तर्जीअ़ की आज़ान दी जाती है, जबकि यही तरीक़ा अफ़ज़ल है (जैसा कि ऊपर बताया) इस पर तवज्जोह देने की आवश्यक्ता है। जो हदीस मन्सूख़ हो गयी है उस पर तो अ़मल कर रहे हैं, लेकिन जो मन्सूख़ करने वाली है उस पर अ़मल ही नहीं है। बहुत से लोग तो इसे जानते तक नहीं हैं। इस पर तवज्जोह देने और इस सुन्नत की ज़िन्दा करने की आवश्यकता है।

बाब {अज़ान दोहरी कही जाये और इक़ामत एकहरी।}

192:- अनस बिन मालिक रज़ि० बयान करते हैं कि बिलाल रज़ि० को हुक्म दिया गया कि वह अज़ान के शब्दों (कलिमों) को दो-दो बार कहें और इक़ामत के कलिमों को एक-एक बार। हदीस के रावी यहया ने बयान किया कि मुझ से इब्ने उलय्या ने कहा. कि मैं ने अय्यूब से पूछा तो उन्होंने बताया कि "क़द् का-मतिस्सलातु" को दो बार कहा जाये।

फ़ाइदा:- इस हदीस से मालूम हुआ कि तक्बीर के कलिमे एक-एक बार कहे जायें, केवल क़द् का-मतिस्सलात" को दो बार कहा जाये। लेकिन हनफ़ी मज़हब में अज़ान ही की तरह दो-दो बार कहना चाहिये। शैखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह मुबारक पूरी रह० लिखते हैं "मेरे नज़दीक दोनों तरह से तक्बीर कहना सुन्नत है" इसलिये कि दो-दो बार कहने वाली हदीस भी सहीह है।

चूंकि अज़ान कह कर लोगों को दूर-दूर से बुला कर जमाअ़त के लिये इकट्ठा

किया जाता है इसलिये दो-दो हुक्म है। और चूंकि तक्बीर, मस्जिद में इधर-उधर मौजूद नमाज़ियों के लिये है इसलिये एक-एक बार ही उचित है। इमाम बुख़ारी ने भी एक ही का बाब बाँधकर एक ही वाली हदीस लाये हैं। और यही सुन्नत है। लेकिन दो-दो बार कहने पर हँगामा नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह भी सुन्नत है, जैसा कि शैखुल हदीस मौलाना मुबरक पुरी ने लिखा है। विस्तृत जानकारी के लिये "मिरआत" देखें।

बाब {अज़ान के लिये दो मुअज़्ज़िन मुक़र्रर करने का बयान।}

193:- इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मुअज़्ज़िन थे। पहले हज़रत बिलाल और दूसरे अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम जो नेत्रहीन (अंधे) थे।

फ़ाइदा:- मालूम हुआ कि एक मस्जिद में अलग-अलग नमाज़ों की अज़ान के लिये दो मुअज़्ज़िन रखे जा सकते हैं। जैसे बिलाल रज़ि॰ सहरी के लिये अज़ान देते थे और इब्ने उम्मे मक्तूम फ़ज्र के लिये। और कभी इस के उल्टा कहते थे (बुख़ारी) इसी प्रकार दो से अधिक भी रखे जा सकते हैं जिस प्रकार उस्मान ग़नी रज़ि॰ के समयकाल में चार मुअज़्ज़िन थे।

बाब {अंधा व्यक्ति भी मुअज़्ज़िन हो सकता है।}

194:- आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ि॰ अल्लाह के रसूल के ज़माना में अज़ान दिया करते थे और वह अंधे थे।

फ़ाइदा:- मुसिलम शरीफ़ के दूसरे एडिशन में इस प्रकार बाब है "अंधे का अज़ान देना जाइज़ है अगर उस के साथ अंखियारा हो" और यही बाब दुरूस्त है। क्योंकि आँख वाला उसे सहीह समय बताएगा। जैसे इब्ने मक्तूम के साथ बिलाल रज़ि॰ रहा करते थे। अंधे को मुअज़्ज़िन बनाना जाइज़ की हद तक और उस को अिज़्ज़त देने की हद तक है, वर्ना परेशानी से बचने के लिये नहीं भी बनाया जा सकता है। इसीलिये कुछ उलमा का कहना है कि अगर इस की रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है तो अंधे का अज़ान देना मक्रूह है, क्योंकि अनुमान से ग़लत समय पर अज़ान दे सकता है।

बाब {अज़ान की फ़ज़ीलत (और बर्कत) का बयान।}

195:- अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन पर आर्कमण सुब्ह-सवेरे ही करते थे। आप (फ़ज्र की) अज़ान पर कान लगाए रखते थे, अगर दुश्मन के क़बीला से अज़ान की आवाज़ सुनाई देती तो उस पर आक्रमण नहीं करते थे। चुनान्चे एक मर्तबा एक व्यक्ति को "अश्-हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु" कहते सुना तो आप ने फ़रमाया: वह व्यक्ति दोज़ख़ से आज़ाद हो गया, बाद में लोगों कोमालूम हुआ वह अज़ान देने वाला बकरियाँ चराने वाला था।

फ़ाइदाः– अज़ान की बर्कत यह है कि वह क़बीला आक्रमण से बच गया और फ़ज़ीलत यह कि उसे जहन्नम से मुक्ति मिल गयी। अज़ान देने की फ़ज़ीलत के बारे में बुख़ारी की रिवायत में है कि अगर लोगों को इस की फ़ज़ीलत मालूम हो जाये तो अज़ान के लिये गोटी डालने की नौबत आ जाये। एक रिवायत में है कि क़ियामत के दिन मुअज़्ज़िन की गर्दन ऊँट के समान लंबी होगी। यानी मर्तबा बुलन्द होगा। (देखें हदीस न॰ 197)

196:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब अज़ान होने लगती है तो शैतान पीठ फेर कर पादता हुआ भाग जाता है और इतनी दूर चला जाता है कि अज़ान की आवाज़ न सुनाई दे। फिर वापस आता है और जब तक्बीर होने लगती है तो फिर दोबारा भाग खड़ा होता है और फिर इस के बाद वापस आ जाता है और नमाज़ में लोगों के दिलों में शक-शुब्हे डालने लगता है, और ऐसी-ऐसी बातें याद दिलाता है जिन के बारे में उस ने कभी सोचा भी न था, चुनान्चे इसी सोच-विचार में नमाज़ी भूल जाता है कि मैं ने कितनी रक्अ़तें पढ़ीं?

फ़ाइदाः– मुस्लिम ही की रिवायत में है कि शैतान अज़ान की आवाज़ सुन कर 35-36 मील तक अज़ान की बड़ाई व बर्कत और अपनी निराशा व नाकामी को सोच कर भाग जाता है। नमाज़ में इधर-उधर का ख़याल आने से नमाज़ बातिल नहीं होती है। रक्अ़त में शुब्हा पैदा हो तो सह्व के सज्दे करे, जिस का बयान आगे आयेगा। अज़ान की आवाज़ सुन कर इतना डर जाता और बदहवास व भयभीत हो जाता है कि उस की हवा निकल जाती है।

बाब {अज़ान कहने वालों की फ़ज़ीलत का बयान।}

197:– ईसा बिन तल्हा ने बयान किया कि मैं मुआ़विया बिन अबू सुफ़यान रज़ि॰ के पास मौजूद था कि इसी दर्मियान मुअज़्ज़िन उन्हें नमाज़ के लिये बुलाने आया तो मुआ़विया रज़ि॰ ने कहाः मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि क़ियामत के दिन अज़ान देने वालों की गर्दनें सब से अधिक लंबी होंगी।

फ़ाइदाः– उलमा ने "गर्दन लंबी होगी" पर बहुत कुछ लिखा है। इस का अर्थ यह होगा कि वह सब से अधिक मान-मरियादा वाले और प्रतिष्ठावान होंगे। "गर्दन लंबबी होना" क़ौम का सर्दार होना यह परिभाषा है। अर्थ यह है कि अज़ान कहने वाले का मर्तबा बहुत बड़ा है। आजकल जो लोग अज़ान देने वालों को ज़लील समझते हैं वह स्वैंय ज़लील हैं।

बाब {अज़ान में मुअज़्ज़िन जो कलिमा कहे वही कहना चाहिये (आगे-पीछे नहीं)}

198:– अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना आप ने फ़रमायाः जब तुम मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनो तो वही कहो जो वह कहता है, फिर मुझ पर दुरूद भेजो, क्योंकि जो मुझ

पर दुरूद भेजता है अल्लाह पाक उस पर दस रहमतें नाज़िल करता हैं, इस के बाद अल्लाह पाक से मेरे लिये वसीला माँगो। और वसीला वास्तव में जन्नत में एक स्थान है जो अल्लाह के बन्दों में से केवल एक ही को दिया जायेगा और आशा है कि वह बन्दा मैं ही हूँ। और जो कोई मेरे लिये वसीला माँगेगा (यानी मुक़ामे-महमूद) तो उस के हक़ में मेरी शफ़ाअ़त वाजिब हो जायेगी।

फ़ाइदाः- यह हदीस संक्षिप्त है। मुस्लिम ही की एक दूसरी रिवायत में है कि जब मुअज़्ज़िन "हय्या अ़-लस्सलाह, हय्या अ-लल् फ़लाह" कहे तो उत्तर में "लाहौ-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि" कहो। (देखें हदीस न॰ 199) यानी मुअज़्ज़िन के कहने के साथ ही सुनने वाला उसी कलिमा को स्वँय कह कर उत्तर दे, दोहराने के लिये अज़ान के समाप्त होने का इन्तिज़ार न करे। अज़ान का उत्तर देना अनिवार्य है। नापाकी की हालत में भी उत्तर दे सकता है, कोई हरज की बात नहीं। हाँ, जो नमाज़ पढ़ रहा हो और अज़ान की आवाज़ भी सुन रहा हो वह उत्तर हर्गिज़ न दे। इस हदीस से मालूम हुआ कि अज़ान की दुआ़ पढ़ने से पहले दुरूद शरीफ़ पढ़ी जाये, फिर दुआ़ पढ़ी जाये। इसी अज़ान ही की दुआ़ में "वसीला और "मुक़ामे-महमूद" का ज़िक्र आया है।

बाब {उस व्यक्ति की फ़ज़ीलत का बयान जो अज़ान का कलिमा मुअज़्ज़िन कहता है, वही वह भी दोहराए।}

199:- उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब मुअज़्ज़िन "अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर" कहे तो सुनने वाला भी वही शब्द दोहराए। और जब वह "अश्-हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाह, अश-हदु अन्न मु-हम्म-दर्रसूलुल्लाह" कहे तो सुनने वाला भी वही कहे। और जब वह "हय्या अ़-लस्सलाह, हय्या अ़-लल् फ़लाह" कहे तो सुनने वाला "लाहौ-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाह" कहे। और जब वह "अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, लाइला-ह इल्लल्लाह" कहे तो सुनने वाला भी वही कहे। इस प्रकार अगर सुनने वाले ने दिल के यक़ीन के साथ कहा तो वह (निःसंदेह) जन्नत में जायेगा।

फ़ाइदाः- "दिल से अज़ान का उत्तर देना" का अर्थ यह कि आप ने "अल्लाहु अक्बर" कहा तो केवल उसी को बड़ा मानो, उस के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, उस ने जो आदेश दिया है उस का पालन करो। इस प्रकार "अश-हदु अन्न मु-हम्म-दर्रसूलुल्लाह" कहने का अर्थ यह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को संदेष्टा मानो उन्होंने जो आदेश दिया है उस पर अ़मल करो और जिस चीज़ से रोका है उस से दूर रहो। ख़ाली-खूली ज़बान से इक़रार कर लेना काफ़ी नहीं, इस के साथ अ़मल कर के दिखाना भी अनिवार्य है। यह हुआ सच्चे दिल से अज़ान का उत्तर देने का अर्थ। बरैलवी फ़िर्क़ा के लोग "अश्-हदु अन्न मु-हम्म-दर्रसूलुल्लाह" के जवाब में "सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम" पढ़ते हैं, जो इस हदीस की रोशनी में ग़लत है और सुन्नत के ख़िलाफ़ है और

अगूठा चूमना फिर उसे आँखों से लगाना जिहालत है। इस प्रकार की हदीसें मौज़ूअ़ और जाली हैं।

200:— सअ़द बिन अबू वक़्क़ास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने मुअज़्ज़िन की अज़ान सुन कर यह कहा तो उस के पाप माफ़ कर दिये जाते हैं।

> **अश्-हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु वह-दहू ला शरी-क लहू व-अन्न मु-हम्म-दन् अ़ब्दुहू व-रसूलुहू-रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन् वबिमु-हम्मदिन् रसू-लन् वबिल् इस्लामि दी-नन्।**
>
> (तर्जुमा) मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त और कोई दूसरा अल्लाह नहीं, वह अकेला है, उस का कोई साझीदार नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अल्लाह के बन्दे और संदेष्टा हैं। मैं अल्लाह के रब होने पर अल्लाह से खुश हूँ और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के संदेष्टा होने पर इस बात से प्रसन्न हूँ और दीन इस्लाम को दीन मान कर इस से भी खुश हूँ"

फ़ाइदाः— देखें ऊपर का फ़ाइदा। इस का भी अर्थ यह है कि दुआ़ में जिन तीन बातों का दावा कर रहे हैं उस को सिद्व करने के लिये अ़मल कर के दिखाना अनिवार्य है, वर्ना दावा बिला दलील होगा। आप अल्लाह को रब, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सन्देष्टा और इस्लाम को अपना दीन मानने का दावा करते रहें, और करते हैं अल्लाह, रसूल और इस्लाम के ख़िलाफ़, तो इस प्रकार तो गुनाह नहीं माफ़ होते हैं और न ही जन्नत के हक़दार बनते हैं। दावा के साथ दलील ज़रूरी है और दलील नाम है अ़मल कर के दिखाने और सिद्व करने का।

201:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हमें इस बात से मना कर दिया गया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कुछ पूछें। तो हम लोग यह चाहते कि दीहती क्षेत्रों से कोई बद्दू आ कर आप से मस्अ़ला मालूम करे ताकि हम लोग भी सनें। चुनान्चे एक बार दीहात का रहने वाला एक बद्दू आया और कहने लगाः ऐ मुहम्मद! आप का हरकारा (एल्ची) हमारे पास गाया था उस ने बताया कि आप का कहना है मैं अल्लाह का सन्देष्टा हूँ। आप ने फ़रमायाः उस ने सच कहा। इस पर वह बोलाः तो फिर यह बताइये कि आकाश को किस ने पैदा किया? आप ने फ़रमायाः अल्लाह तआ़ला ने। उस ने पूछाः यह ज़मीन किस ने बनाई है? आप ने फ़रमायाः अल्लाह तआ़ला ने। उस ने फिर पूछाः इन पर्वतों को किस ने खड़ा किया और इन में मौजूद वस्तुओं को किस ने पैदा किया? आप ने उत्तर दियाः अल्लाह तआ़ला ने। (अपने प्रश्नों के उत्तर सुन कर) उस ने कहाः उस अल्लाह की क़सम! जिस ने आकाश बनाए,

पृथ्वी को पैदा किया और पर्वतों को खड़ा किया, क्या वास्तव में उसी अल्लाह ने आप को सन्देष्टा बना कर भेजा है? आप ने फ़रमायाः जी हाँ। फिर उस ने कहाः आप के एल्ची ने बताया है कि हमारे ऊपर दिन-रात में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? आप ने कहाः उस ने सच कहा। उस ने कहाः आप के एल्ची ने यह भी बताया कि हमारे मालों में ज़कात फ़र्ज़ हैं? आप ने फ़रमायाः उस ने सच कहा। यह सुन कर उस ने कहाः उस ज़ात की क़सम जिस ने आप को सन्देष्टा बना कर भेजा है, क्या उस अल्लाह ने आप को ज़कात का आदेश दिया है? आप ने फ़रमायाः हाँ। उस ने फिर कहाः आप के एल्ची ने बताया है कि हमारे ऊपर साल में एक माह के रोज़े फ़र्ज़ हैं? आप ने कहाः उस ने सच कहा है। उस ने कहाः उस ज़ात की क़सम! जिस ने आप को सन्देष्टा बना कर भेजा है, क्या उस अल्लाह ने आप को उन रोज़ों का आदेश दिया है? आप ने फ़रमायाः जी हाँ। फिर उस ने कहाः आप के एल्ची ने बताया है कि हम में राह चलने की ताक़त रखने वाले पर बैतुल्लाह का हज्ज फ़र्ज़ है? आप ने उत्तर दियाः उस ने सच कहा। यह सुन कर वह पीठ फेर कर वापस चला और कहता जाता थाः क़सम है उस अल्लाह की जिस ने आप को सच्चा सन्देष्टा बना कर भेजा है (जिन बातों का आप ने हुक्म दिया है) उन बातों से न अधिक करूँगा और न कम। आप ने फ़रमायाः अगर यह अपने कहने में सच्चा है तो जन्नत में जायेगा।

फ़ाइदाः– प्रश्न करने से मना कर दिया गया था इस का कारण यह था कि कभी ऐसा भी होता था कि एक चीज़ वाजिब नहीं होती थी लेकिन पोछने पर वह वाजिब हो जाती थी और उस पर अ़मल करना बोझ बन जाता था। लोग एक हलाल चीज़ के बारे में बार-बार पूछते, यहाँ तक कि वह हराम हो जाती, जब वह हराम हो जाती तो उस को करने लगते और गुनहगार होते। इसीलिये हुक्म दिया गया कि जिन का हुक्म दिया गया उन पर अ़मल करो और जिन के बारे कुछ नहीं कहा गया उन्हें माफ़ जानो ताकि दीन आसान रहे, वर्ना बाल के खाल निकाल-निकाल कर यहूद की तरह प्रश्न करोगे तो फंसते चले जाओगे। जैसे एक बार आप ने खुत्बा में फ़रमायाः तुम पर अल्लाह ने हज्ज फ़र्ज़ किया है। इस पर एक सहाबी ने पूछाः क्या हर वर्ष फ़र्ज़ है? उस ने तीन मर्तबा यही प्रश्न किया। आप ने फ़रमायाः अगर मैं हाँ कह देता तो हर वर्ष फ़र्ज़ हो जाता और तुम अदा न कर सकते, इसीलिये जो बात मैं न बयान करूँ तुम भी उस केबारे में न पूछो, इसलिये कि तुम से पहले के लोग इसी बार-बार पूछने और इख़्तिलाफ़ करने की वजह से तबाह-बर्बाद हुये थे (इब्ने हिब्बान) उस दीहाती बद्दू प्रश्न कर्ता का नाम ज़िमाम बिन सालबा था। यह हदीस बुख़ारी में भी आ चुकी है।

बाब {आरंभ में दो-दो रकअ़त नमाज़ फ़र्ज़ थी।}

202:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि (आरंभ में) नमाज़, घर में और सफ़र में भी दो-दो रकअ़त फ़र्ज़ की गयी थी, फिर बाद में हज़र (घर) की

नमाज़ की रक्अ़तें तो बढ़ा दी गयीं, लेकिन सफ़र की नमाज़ दो ही रक्अ़त रही। हदीस के रावी इमाम ज़हरी ने कहा कि मैं ने उर्वा से पूछाः फिर आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ सफ़र में पूरी नमाज़ क्यों पढ़ती थीं (यानी उन के नज़दीक तो दो ही रक्अ़त फ़र्ज़ थीं) इस पर उन्होंने कहाः आ़इशा ने भी वही तावील की है जिस प्रकार उस्मान रज़ि॰ ने तावील की थी (कि हम पर सफ़र में चार रक्अ़त अदा करना कठिन नहीं है)

फ़ाइदाः– मालूम हुआ कि आरंभ में हर नमाज़ दो रक्अ़त की थी, बाद में मग़्रिब में एक और ज़ुह्, अ़स्र और अ़िशा में दो-दो रक्अ़तें बढ़ी दी गयीं, और सफ़र में दो ही रखीं। सफ़र में क़स्र करने के बारे में यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की उपस्थिति में कुछ सहाबा क़स्र करते और कुछ नहीं भी करते थे। इसी प्रकार कुछ रोज़ा से रहते और कुछ नहीं भी रखते थे। और एक-दूसरे पर कोई एतराज़ न करता था। यही कारण है कि आइशा और उस्मान रज़ि॰ भी क़स्र नहीं करते थे (जैसा कि ऊपर रिवायत में है) इस में दो राय नहीं कि सफ़र में दोनों ही पर अ़मल करना जाइज़ है, लेकिन अफ़ज़ल कौन सा है? मेरे ख़याल से अल्लाह की रहमत मेहरबानी और उस की छूट से बन्दे को बेनियाज़ नहीं होनाचाहिये, उस से लाभ उठाना चाहिये, अर्थात क़स्र करना चाहिये। और अगर क़स्र नहीं करता है तो उसे बुरा भी नहीं कहना चाहिये।

बाब {पाँचों नमाज़ बीच के गुनाहों का कफ़्फ़ारा हैं।}

203:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पाँचो नमाज़ें और जुमा की नमाज़, (अगले) जुमा तक के गुनाहों का कफ़्फ़ारा, जब तक कबीरा गुनाह न करे। एक दूसरी रिवायत में है कि एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक के गुनाहों का कफ़्फ़ारा है, मगर शर्त यह कि महापाप न करे।

बाब {नमाज़ छोड़ना कुफ़्र है।}

204:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः आदमी और कुफ़्र व शिर्क के दर्मियान, केवल नमाज़ छोड़ देने का फ़र्क़ है।

फ़ाइदाः– सऊदी अ़रब के सब से प्रसिद्ध मुफ़ती शैख़ इब्ने बाज़ रह॰ एक प्रश्न के उत्तर में लिखते हैं "जो व्यक्ति जानबूझ कर नमाज़ छोड़ता है वह काफ़िर है। उलमा के दो क़ौल में सब से सहीह क़ौल के मुताबिक़ उस का कुफ़्र अक्बर है, जबकि वह नमाज़ के वाजिब होने का इक़रारी भी हो। और जो नमाज़ के वाजिब होने का इन्कारी हो, तो वह सब के नज़दीक काफ़िर है। नमाज़ न पढ़ने वाला इसलिये भी काफ़िर है कि वह अल्लाह, उस के रसूल और समस्त मुसलमानों के ईमान को झुठलाने वाला है, इसलिये उस का कुफ़्र बहुत बड़ा है।

बहरहाल, नमाज़ न पढ़ने वालों से तौबा कराया जाये, अगर न करेंगे तो हाकिम

उन्हें क़त्ल कर दे।.......(फ़तवा इब्ने बाज़ (उर्दू एडिशन पृष्ठ 100)

बाब {नमाज़ के वक़्तों का बयान।}

205:– अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जुह् का समय सूरज़ ढल जाने के समय से आरंभ होता है और आदमी का साया उस की लंबाई के बराबर हो जाने और अस्र का समय आरंभ होने तक रहता है। और अस्र का समय उस समय तक रहता है जब तक सूरज पीला न पड़ जाये। और मग़रिब की नमाज़ का समय उस वक़्त तक रहता है जब तक शफ़क़ (यानी पश्चिम की ओर की लाली) ग़ाइब न हो जाये। और अिशा का समय आधी रात (मध्य रात्र) तक रहता है। और फ़ज्र की नमाज़ का समय फ़ज्र के प्रकट होने से लेकर सूरज निकलने तलक रहता है। और जब सूरज निकलने लगे तो उस समय नमाज़ न पढ़े, क्योंकि वह शैतान के दोनों सींगों के दर्मियान से निकलता है।

206:– अबू मूसा अश्-अरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में एक प्रश्नकर्ता उपस्थिति होकर नमाज़ के समय के बारे में प्रश्न करने लगा, लेकिन आप ने उसे कोई उत्तर न दिया (क्योंकि उसे समय पर पढ़ कर बताना चाहते थे) चुनान्चे आप ने फ़ज्र की नमाज़ उस समय अदा की जब फ़ज्र का समय प्रकट हो गया (और इतना अँधेरा बाक़ी था कि) लोग एक-दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। फिर उसे हुक्म दिया। और जुह् की नमाज़ उस समय अदा की जब सूरज ढल गया और कहने वाले कहने लगेः दोपहर हो गया (हालाँकि अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समय के बारे में सब से बेहतर जानने वाले थे) फिर उसे हुक्म दिया। और अस्र की नमाज़ उस समय पढ़ी जबकि अभी सूरज ऊँचा ही था। फिर उसे हुक्म दिया (कि इसी समय पढ़ा करो) और मग़रिब की नमाज़ उस समय अदा की जब सूरज स्त हो गया। फिर उसे हुक्म दिया। और इशा की नमाज़ उस समय अदा की जब शफ़क़ (पश्चिम की ओर की लाली) समाप्त हो गयी।

फिर इसी प्रकार दूसरे दिन फ़ज्र की नमाज़ इतनी देरी से अदा की हकने वाला कहने लगाः सूरज निकल आया, या अब निकला कि तब निकला। फिर जुह् की नमाज़ इतनी देरी से पढ़ी कि कल के अस्र का समय हो गया। फिर अस्र की नमाज़ इतनी देरी से पढ़ी कि जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो कहने लगाः सूरज लाल हो गया (डूबने के निकट हो गया) फिर मग़रिब की नमाज़ में इतनी देरी की कि शफ़क़ (लाली) समाप्त होने लगी। फिर अिशा की नमाज़ इतनी देरी से पढ़ी कि एक तिहाई रात बीत गयी। फिर सुब्ह को प्रश्नकर्ता को बुला कर कहाः नमाज़ का समय इन दोनों वक़्तों के मध्य में है।

फ़ाइदाः– हदीस का अर्थ स्पष्ट है। इस हदीस से हर नमाज़ का प्रथम और अन्तिम समय मालूम हो गया, फिर आप ने फ़रमा दिया कि इस के मध्य में नमाज़ पढ़ लिया करो। मालूम हुआ कि मग़रिब की नमाज़ का समय इतना तंग नहीं है जितना आम लोगों

ने समझ रखा है, बल्कि लग-भग एक घन्टा का समय रहता है। अ़स्र का समय साया एक गुना लंबा होने के बाद शुरू हो जाता है (इमाम अबू हनीफ़ा रह० दोगुना के बाद मानते हैं, जो दुरूस्त नहीं है) शैतान का सींग निकलता है का यह अर्थ है कि सूरज निकलते समय शैतान अपना सर सूरज के सामने कर देता है और जो उस समय नमाज़ पढ़ते हैं तो शैतान समझता है मुझे सज्दा करते हैं और वह खुश होता है।

इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी चीज़ को समझाने के मुक़ाबले में अ़मल कर के दिखा देने में अधिक फ़ाइदा है, इस प्रकार शक-शुब्हा दूर हो जाता है।

बाब {फ़ज्र की नमाज़ अंधेरे में पढ़ना अफ़ज़ल है।}

207:— मुहम्मद बिन अ़म्र से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब हज्जाज बिन यूसुफ़ मदीना में आया (और नमाज़ में विलंब करने लगा) तो मैं ने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि० से (नमाज़ के समय के बारे में) पूछा तो उन्होंने बताया: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुह्र की नमाज़ (दोपहर के समय) गर्मी में पढ़ा करते थे। और अ़स्र की नमाज़ ऐसे समय पढ़ा करते थे जबकि सूरज अभी चमकदार होता था। और मग़्रिब की जब सूरज डूब जाता और अ़िशा में कभी देरी करते और कभी अव्वल समय में ही पढ़ लेते थे (यानी) जब आप देखते कि लोग इकट्ठा हो गये हैं तो अव्वल समय में पढ़ लेते, और जब देखते कि लोग आने में देरी कर रहे हैं तो देरी से पढ़ते, और सुब्ह की नमाज़ अँधेरे में पढ़ा करते थे।

फ़ाइदा:— हज्जाज बिन यूसुफ़ उस समय मदीना का गवर्नर था और नमाज़ को समय पर अदा करने में लार्पवाही करता था। मालूम हुआ कि फ़ज्र की नमाज़ अव्वल समय यानी अंधेरे में पढ़नी चाहिये। चुनान्चे आ़इशा रज़ि० फ़रमाती है कि हम फ़ज्र की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ कर घरों को लौटतीं और अँधेरा होने के कारण कोई हमें पहचान नहीं पाता था कि हम कौन हैं और किस की बहन-बेटी हैं। (मुस्लिम) हाँ, एक मर्तबा आप ने ज़रा उजाले (इस्फ़ार) में पढ़ाई है ताकि लोगों को फ़ज्र का अन्तिम समय मालूम हो जाये (अबू दावूद) हनफ़ी मज़हब में केवल इस्फ़र (उजाले) में पढ़ना बेहतर है और यह अहादीस की रोशनी में दुरूस्त नहीं है। चुनान्चे कुछ लोगों का कहना है कि अंधेरे में नमाज़ शुरू की जाए और इतनी लंबी क़िरात की जाये कि उजाला हो जाये। बहरहाल फ़ज्र की नमाज़ अँधेरे ही में पढ़ना अफ़ज़ल है और उजाले में केवल जाइज़ है।

बाब {फ़ज्र और अ़स्र की नमाज़ की पाबन्दी करनी चाहिये।}

208:— अबू बक्र अपने पिता अ़म्मारा रज़ि० से रिवायत करते हैं कि मेरे पिता जी ने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना: वह व्यक्ति में कभी दोज़ख़ में न दाख़िल होगा जिस ने सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले वाली नमाज़ (यानी फ़ज्र और अ़स्र) की नमाज़ पढ़ी। यह हदीस सुन कर बसरा नगर के एक व्यक्ति ने पूछा: क्या आप ने इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम से सुनी है? अ़म्मारा ने कहाः जी हाँ। यह सुन कर उस ने भी कहाः मैं भी गवाही देता हूँ कि मैं ने भी यह हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है, स्वँय मेरे इन कानों ने सुनी और मेरे दिल ने याद रखा है।

209:– अबू बक्र अपने पिता अबू मूसा अश–अ़री रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि मेरे पिता जी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो व्यक्ति दो ठन्डी नमाज़ों को पाबन्दी से पढ़ेगा वह जन्नत में दाख़िल होगा।

फ़ाइदा:– इन दो नमाज़ों को विशेष कर पाबन्दी से पढ़ने का इसलिये हुक्म दिया गया है कि फ़ज्र का समय सोने का और अ़स्र का कारोबार में व्यस्थ रहने का होता है। ज़ाहिर है जो इन दोनों मुश्किल समय की नमाज़ों को पाबन्दी से जमाअ़त के साथ पढ़ेगा, वह शेष नमाज़ों की अवश्य ही पाबन्दी करेगा।

बाब {सूरज डूबते और निकलते समय नमाज़ पढ़ना मना है।}

210:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़स्र के बाद की दो रक्अ़तें कभी नहीं छोड़ीं। उन्होंने यह भी कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः (फ़ज्र और अ़स्र की) नमाज़ों को सूरज के निकलते और डूबते समय पढ़ने की आ़दत मत डालो कि हमेशा उन्हीं समय में देरी से पढ़ा करो।

फ़ाइदा:– अ़स्र के बाद की दो रक्अ़तें क्या हैं? उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बताया कि अ़ब्दुल क़ैस के एक मन्डल से आप बात–चीत करने लगे जिस की वजह से जुह् के बाद की दो सुन्नतें नहीं पढ़ सके थे, बाद में आप ने उन्हें अपने घर में अ़स्र के बाद अदा किया (बुख़ारी हदीस न॰ 590) चूंकि आप हर चीज़ में पाबन्दी करते थे इसीलिये इस को भी पाबन्दी से जीवन भर अदा करते रहे। इस से मालूम हुआ कि कोई छूटी हुयी सुन्नत को भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। लेकिन अ़स्र के बाद पढ़ना यह आप के लिये केवल ख़ास था, उम्मत के लिये अ़स्र के बाद पढ़ना मना है।

बाब {जुह् की नमाज़ प्रथम समय (अव्वल वक़्त) में अदा करना अफ़ज़ल है।}

211:– ख़ब्बाब बिन अर्त रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थिति होकर सख़्त दोपहर की शिकायत की (ताकि जुह् की नमाज़ कुछ विलंब से पढ़ सकें) लेकिन आप ने अस्वीकार कर दिया। हदीस के रावी जुहैर ने बयान किया कि मैं ने अबू इस्हाक़ से पूछाः क्या लोगों ने जुह्र की नमाज़ की शिकायत की थी? उन्होंने कहाः जी हाँ। मैं ने पूछाः अव्वल समय में पढ़ने की? उन्होंने कहाः जी हाँ।

फ़ाइदा:– मुस्लिम पुस्तक के दूसरे नुस्खों में यूँ बाब बाँधा है "सख़्त गर्मी न हो तो जोहर की नमाज़ अव्वल समय में पढ़नी चाहिये" और यही बाब दुरूस्त है, क्योंकि नीचे

की हदीस न॰ 212 में स्वँय आ रहा है कि गर्मी में ठीक अव्वल समय पर न पढ़ों, बल्कि ज़रा सा मौसम ठन्डा हो जाने दो। ऊपर हदीस न॰ 211 में जो मिनाही है इसलिये कि सहाबा ने ठन्डक के दिनों में पूछा होगा, इसलिये आप ने विलंब (ताख़ीर) करने की अनुमति नहीं दी। एक तो ठन्डक और दूसरे सर्दियों में दिन छोटा होता है इसलिये विलंब करने की कोई आवश्यक्ता नहीं।

बाब {सख़्त गर्मी में ज़ुह्र की नमाज़ को ठन्डा कर के पढ़ना चाहिये।}

212:– अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा (सख़्त गर्मी के दिनों में) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन ने ज़ुह्र की अज़ान कहने का इरादा किया तो आप ने फ़रमायाः ज़रा ठन्डा होने दो, ज़रा थोड़ा ठन्डा होने दो (या यह फ़रमाया) थोड़ा सा इन्तिज़ार करो, थोड़ा सा इन्तिज़ार करो। फिर फ़रमायाः (सुनों) यह जो सख़्त गर्मी पड़ रही है, जहन्नम के भाप निकलने की वजह से है। इसलिये जब सख़्त गर्मी पड़ रही हो तो नमाज़ को ठन्डे समय में पढ़ा करो। (हदीस के रावी) अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ि॰ ने बयान किया कि उस दिन हम लोगों ने इतना इन्तिज़ार किया कि टीलों के साये हम ने देख लिये।

फ़ाइदाः– 'टीले के साये नज़र आने लगे' का अर्थ यह है कि सूरज ढलने के दस-पाँच मिनट के बाद नमाज़ पढ़ी, न यह कि साया एक मिस्ल के बराबर हो गया था। बुख़ारी की हदीस में है कि कि जहन्नम साल में एक बार साँस लेती है और एक बार साँस बाहर निकालती है। जब साँस लेती है तो ज़मीन की सारी गर्मी खींच लेती है (और ठन्डक पड़ने लगती है) और जब साँस (भाप) बाहर निकालती है तो ज़मीन पर गर्मी बढ़ जाती है और मौसम गर्म हो जाता है। इस मस्अले में अधिक खोज-कुरेद और छान-बीन करने की आवश्यक्ता नहीं, केवल ईमान लाना काफ़ी है।

बाब {अ़स्र की नमाज़ के अ़व्व्ल समय का बयान।}

213:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़स्र की नमाज़ पढ़ते थे जबकि सूरज ऊँचा रहता था और (काफ़ी) गर्मी होती थी। यहाँ तक कि जाने वाला अ़स्र की नमाज़ पढ़ कर मदीना के आस-पास के गाँव में घूम लेता था फिर भी सूरज ऊँचा ही रहता था।

फ़ाइदाः– 'अ़वाली' अर्थात मदानी के आस-पास की आबादी। यह तीन-चार मील की दूरी पर था। कुबा गाँव तीन मील की दूरी पर था। अनस बिन मालिक रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हम अ़स्र की नमाज़ मस्जिदे-नबवी में पढ़ कर बनी अ़म्र बिन औ़फ़ की आबादी में जाते तो उन्हें अ़स्र की नमाज़ पढ़ते हुये पाते, जबकि वह मदीना से दो मील की दूरी पर थी (मुस्लिम) मालूम हुआ कि अ़स्र की नमाज़ अव्वल समय में पढ़नी चाहिये, इस को ठन्डा करने की आवश्यक्ता नहीं। विलंब से पढ़ना हदीस की मुख़ालिफ़त है।

214:– अ़ला बिन अ़ब्दुर्रहमान से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोगों ने बसरा नगर में अनस बिन मालिक रज़ि॰ के घर के बग़ल वाली मस्जिद में जुह् की नमाज़ अदा की, फिर उन से मिलने के लिये उन के घर गये तो उन्होंने पूछाः आप लोगों ने अ़स्र की नमाज़ पढ़ ली? हम लोगों ने कहाः अभी तो जुह् की नमाज़ पढ़ कर आ रहे हैं। इस पर उन्होंने कहाः चलो अ़स्र की नमाज़ पढ़ लो। फिर जब अ़स्र की नमाज़ पढ़ चुके तो फ़रमायाः कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि इस प्रकार की नमाज़ मुनाफ़िक़ की होती है कि वह बैठा सूरज को देखता रहता है, फिर जब सूरज शैतान के दोनों सींगों के बीच में हो जाता है तो उठ कर चार ठोंगें मार लेता है, और इस प्रकार की नमाज़ में अल्लाह को यहाँ–वहाँ याद कर लेता है (और बस)

फ़ाइदाः– राफ़े बिन ख़दीज रज़ि॰ ने बयान किया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ अ़स्र की नमाज़ पढ़ते, फिर ऊँट ज़ब्ह करते, और उस के दस हिस्से करते, फिर उस का माँस पकाते और सूरज डूबने से पहले–पहले पका हुआ माँस खा लेते (मुस्लिम) ऊँट ज़ब्ह करना, चमड़ा उतारना, बोटी बनाना, दस हिस्सों में बाँटना, चूल्हा जलाना, फिर माँस पकाना और सूरज डूबने से पहले खा लेना। अनुमान लगायें, इन में कितना अधिक समय लगेगा। और यह उसी समय संभव है जब अ़स्र की नमाज़ अव्वल समय में पढ़ी जाये।

बाब {अ़स्र की नमाज़ पाबन्दी के साथ अव्वल समय पर पढ़ना, फिर इस के पश्चात् किसी भी प्रकार की नमाज़ पढ़ना मना है।}

215:– अबू बसरा ग़िफ़ारी रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक मर्तबा "मु–ख़म्मस" के स्थान पर हम लोगों के साथ अ़स्र की नमाज़ पढ़ी, फिर फ़रमायाः यह नमाज़ तुम से पहली की उम्मतों के सामने भी पेश की गयी थी, लेकिन उन्होंने ने (समय पर न पढ़ कर के) इसे बर्बाद कर दिया। इसलिये जो इस नमाज़ की पाबन्दी करेगा उसे दोगुना सवाब मिलेगा। और इस नमाज़ के बाद तारों के निकलने तक कोई नमाज़ नहीं।

फ़ाइदाः– अ़स्र की नमाज़ का समय बड़ा अहम होता है। यात्री जल्द से जल्द सूरज डूबने से पहले घर पहुँचने के चक्कर में होता है, माल खरीदने वाला अपनी ख़रीदारी में लगा रहता है, बेचने वाला अपना माल समाप्त करने की फ़िक्र में होता है, अर्थात नफ़्सी–नफ़्सी का मामला होता है, और अ़स्र की नमाज़ की ओर किसी का ध्यान नहीं रहता है, इसलिये विशेषरूप से इस ओर तवज्जुह दिलाई गयी है।

अ़स्र की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ नहीं है, लेकिन आप जो दो सुन्नतें पढ़ते थे (देखें हदीस न॰210) यह आप ही के लिये ख़ास थी, उम्मत के लिये नहीं।

बाब {अ़स्र की नमाज़ तर्क करने वालों को सख़्त धमकी।}

216:- अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस की अ़स्र की नमाज़ छूट गयी गोया उस के बाल-बच्चे मर गये और उस का धन-माल बर्बाद हो गया।

फ़ाइदाः- इस हदीस से अनुमान लगाया जा सकता है कि अ़स्र की नमाज़ की कितनी अहमिय्यत नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के निकट थी। जितना बुरा हाल बाल-बच्चों के मरने और जान-माल के तबाह व बर्बाद होने पर होता है उस से अधिक बुरा हाल अ़स्र की नमाज़ छूट जाने पर होता है।

बाब {बीच वाली नमाज़ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का आदेश।}

217:- अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा मुश्रिकों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अ़स्र की नमाज़ पढ़ने से रोक दिया यहाँ तक कि सूरज लाल या पीला हो गया, तो आप ने फ़रमायाः उन्होंने हमें बीच वाली नमाज़ यानी अ़स्र की नमाज़ पढ़ने से रोक दिया, अल्लाह पाक उन के पेटों और क़ब्रों को आग से भर दे।

फ़ाइदाः- यह घटना सन चार या पाँच हिज्री में अहज़ाब (ख़ंदक) के जंग के मौक़े की है। सहाबा दुश्मन से बचाव और सुरक्षा में इतने व्यस्त थे कि अ़स्र की नमाज़ का समय निकल गया। (मुस्लिम) फिर आप ने सहाबा को जमा कर के अ़स्र और मग़्रिब की नमाज़ एक साथ पढ़ाई (मुस्लिम) मुअत्ता में है कि जुह् की नमाज़ छूट गयी थी। और दूसरी हदीस की पुस्तकों में है कि आप ने चारों नमाज़ें एक साथ पढ़ीं। तो इस में कोई टकराव नहीं है, क्योंकि लड़ाई कई दिनों तक चली थी और अलग-अलग दिनों में अलग-अलग नमाज़ें छूटी होंगी। याद रहे कि घटना ख़ौफ़ (डर) की नमाज़ पढ़ने का हुक्म नाज़िल होने से पहले की है। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि दो नमाज़ें छूट जायें तो उन्हें तर्तीबवार अदा करें, जैसा कि आप ने पहले अ़स्र की पढ़ी, फिर मग़्रिब की।

बाब {अ़स्र और फ़ज्र की नमाज़ के बाद और कोई नमाज़ पढ़नी मना है।}

218:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़स्र की नमाज़ के बाद से सूरज डूबने तलक, और फ़ज्र की नमाज़ के बाद से सूरज निकलने तलक कोई और नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है।

बाब {तीन समय में न तो कोई नमाज़ पढ़ी जाये और न ही मुर्दा दफ़नाया जाये।}

219:- अ़ली बिन रिबाह न बयान किया कि मैं ने उक़्बा बिन आ़मिर जोहनी रज़ि॰ को रिवायत करते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तीन समय नमाज़ पढ़ने और मुर्दों को दफ़नाने से हमें रोकते थे (1) सूरज निकलते समय से बुलन्द होते तक

(2) ठीक दोपहर के समय से उस के ढलने तक (3) सूरज डूबते समय से पूरी तरह डूब जाने तक़।

फ़ाइदा:– हदीस का अर्थ स्पष्ट है। तीनों समय मक्रूह हैं। लेकिन इमाम बुख़ारी रह॰ ने बाब बाँधा है "उस व्यक्ति की दलील जिस ने केवल अ़स्र और फ़ज्र केबाद नमाज़ को मक्रुह कहा है" फिर इस के नीचे इब्ने उमर रज़ि॰ की हदीस लाये है। कि "सूरज निकलने और डूबने के समय न पढ़ा करो" इस से मालूम हुआ कि मक्रुह समय दो हैं, न कि तीन। चुनान्चे बहुत से उलमा ठीक दोपहर के समय को मक्रुह समय में नहीं शुमार करते हैं। और यही दुरुस्त है। (बुख़ारी–589, 582)

एक रिवायत में है कि जुमा के दिन दोपहर में सुन्नत पढ़ सकते हैं (अबू दावूद–1083) लेकिन यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। कुछ लोग बैतुल्लाह शरीफ़ को भी अलग करते हैं लेकिन यह भी दुरुस्त नहीं (फिक़हुल हंदीस–उर्दू एडिशन पृष्ठ 320)

बाब {अ़स्र के बाद दो रक्अ़त पढ़ने का बयान।}

220:– अबू सलमा ने बयान किया कि मैं ने आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से उन दो रक्अ़तों के बारे में पूछा जो आप अ़स्र की नमाज़ के बाद पढ़ा करते थे तो उन्होंने बताया: आप अ़स्र के बाद भी उन दो रक्अ़तों को पढ़ा करते थे। आप या तो किसी काम में मस्रूफ़ हो गये थे, या फिर भूल गये थे इसलिये अ़स्र के बाद उन्हें पढ़ा। और चूंकि आप की आदत थी कि जब कोई नमाज़ पढ़ना आरंभ करते तो फिर उस को हमेशा ही पढ़ा करते थे।

फ़ाइदा:– बुख़ारी शरफ़ की रिवायत में है कि उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़स्र के बाद दो रक्अ़तें पढ़ी और फ़रमाया: बनी अ़ब्दुल् कैस के मन्डल से बात–चीत की वजह से जुह् की दो रक्अ़तें (सुन्नतें) नहीं पढ़ सका था, इसलिये उन्हें अ़स्र की नमाज़ के बाद (याद आने पर) पढ़ा (हदीस न॰ 590, 591) उलमा का कहना है कि यह केवल आप के लिये ख़ास था, उम्मत के लिये मना है। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि अगर कोई सुन्नत की भी क़ज़ा करना चाहे तो कर सकता है लेकिन अ़स्र के बाद नहीं। लेकिन इमाम बुख़ारी और दूसरे कुछ उलमा का कहना है कि अ़स्र के बाद भी पढ़ सकते हैं।

बाब {अगर किसी की अ़स्र की नमाज़ छूट जाये तो उस की क़ज़ा सूरज डूब जाने के बाद करे।}

221:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ख़न्दक़ की लड़ाई के दिन काफ़िरों को बुरा–भला कहते हुये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! अल्लाह की क़सम! मुझे नहीं मालूम हुआ कि मैं ने अ़स्र की नमाज़ पढ़ी है

या नहीं। और सूरज भी डूबने के निकट आ लगा है। यह सुन कर आप ने भी फ़रमायाः अल्लाह की क़सम! अभी मैं ने भी नहीं पढ़ी है। फिर हम लोग एक पथरीली भूमि पर गये, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने वुज़ू किया और हम सब ने भी वुज़ू किया, फिर सूरज डूब जाने के बाद आप ने पहले अ़स्र की नमाज़ पढ़ी, फिर मग़्रिब की।

फ़ाइदाः– खन्दक़ की लड़ाई में इतनी सख़्त निग्रानी, चौकसी, पहरादारी और देख-भाल की आवश्यक्ता थी कि किसी को भी अ़स्र की नमाज़ पढ़ने का मौक़ा न मिल सका था। तफ़सील के लिये देखें हदीस न॰ 217 का फ़ाइदा।

बाब {सूरज डूबने के बाद मग़्रिब की नमाज से पहले दो रक्अ़त सुन्नत की पढ़नी चाहिये।}

222:– मुख़्तार बिन फुलफुल ने बयान किया कि मैं ने अनस बिन मालिक रज़ि॰ से अ़स्र की नमाज़ के बाद पढ़ी जाने वाली सुन्नतों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः उमर रज़ि॰ उन के हाथों पर मारते थे जो लोग अ़स्र की नमाज़ के बाद पढ़ते थे। और हम लोग नबी करी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज डूबने के बाद मग़्रिब की नमाज़ से पहले दो रक्अ़त पढ़ते थे। मैं ने उन से पूछाः क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी यह दो रक्अ़तें पढ़ा करते थे? इस पर उन्होंने कहाः आप हमें पढ़ते देखा करते थे, लेकिन न तो पढ़ने का आदेश देते और न ही पढ़ने से मना करते थे।

फ़ाइदाः– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बड़े-बड़े सहाबा को देखा कि वह मग़्रिब की अज़ान के बाद मस्जिद के खंबों की तरफ़ (दो सुन्नतें पढ़ने के लिये) लपकते यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने घर से निकलते। (मुस्लिम) मालूम हुआ कि यह दो सुन्नतें पढ़नी चाहिये। हालाँकि आप ने इख़्तियार दिया है जो चाहे पढ़े और जो चाहे न पढ़े। जो पढ़ेगा वह सवाब ही पायेगा। अ़स्र के बाद कोई भी नमाज़ मना है। आप जो दो रक्अ़त पढ़ते थे यह आप के लिये ख़ास था, उम्मत के लिये इजाज़त नहीं है। (देखें हदीस न॰ 220 और 590 का फ़ाइदा)

बाब {मग़्रिब का समय सूरज डूबने के बाद शुरू होता है।}

223:– सल्मा बिन अकवा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मग़्रिब की नमाज़ उस समय पढ़ा करते थे जब सूरज डूब जाता और पर्दे में छुप जाता।

बाब {अ़िशा की नमाज़ का समय और इस में विलंब (देरी) भी करने का बयान।}

224:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़िशा की नमाज़ में देरी कर दी यहाँ तक कि रात

का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीत गया और (मस्जिद में नमाज़ के इन्तिज़ार में) बैठे हुये लोग सो गये, फिर आप अपने हुजरे से निकले और फ़रमाया: अगर मुझे अपनी उम्मत पर बोझ न मालूम होता तो अ़िशा की नमाज़ का समय यही है।

फ़ाइदा:- मालूम हुआ कि अ़िशा को आधी रात तक विलम्ब करना जाइज़ है, वर्ना अस्ल समय एक तिहाई रात बीतने के बाद तो है ही।

बाब {अ़िशा की नमाज़ का और क्या नाम है?}

225:- अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: दीहाती लोग अ़िशा के नाम पर तुम पर ग़ालिब न आ जायें (यानी अ़िशा का शब्द बदल दें) इसलिये कि अल्लाह की किताब में इस नमाज़ का नाम "अ़िशा" ही है। और दीहाती लोग अपनी ऊँटनियों को दूहने में देरी किया करते थे (इसलिये अ़िशा का नाम "अ़तमा" रखा था)

फ़ाइदा:- 'अ़तमा' का अर्थ है "देरी करना"। दीहाती लोग भी अपने ऊँटों को देर से दूहते थे इसलिये उस समय को वह लोग भी "अ़तमा" कहते थे। आप ने भी एक मर्तबा इशा की नमाज़ देर कर के पढ़ाई और उस नमाज़ को "अ़तमा" कहा। फिर आप ने फ़रमाया: इस नमाज़ का नाम कुरआन में भी "अ़िशा" आया है। (पार:18, सूर: नूर 58)इसलिये यह नाम बदल कर "अ़तमा" न कहा जाये, अ़िशा ही के नाम से जाना जाये। एक ही चीज़ के कई नाम रखना जिस से शुब्हा पैदा हो, उचित नहीं।

बाब {नमाज़ को उस के (अव्वल) समय से विलंब कर के पढ़ना मना है।}

226:- अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमाया: जब तुम्हारे ऊपर ऐसे अमीर (हाकिम) मुक़र्रर होंगे जो नमाज़ को उस के समय से विलंब कर के पढ़ेंगे (या यह फ़रमाया) नमाज़ को उस के समय से मार डालेंगे, उस समय तुम क्या करोगे? मैं ने अनुरोध किया: ऐसे समय आप मुझे क्या आदेश देते हैं? आप ने फ़रमाया: तुम नमाज़ को उस के समय पर ही पढ़ लेना, फिर अगर उन के साथ भी पढ़ने का मौक़ा मिल जाये तो पढ़ लेना, यह नमाज़ तुम्हारे लिये नफ़्ल हो जायेगी।

फ़ाइदा:- मुस्लिम ही की एक दूसरी रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अबू ज़र की रान पर हाथ मार कर फ़रमाया: जब ऐसे लोग रह जायेंगे जो नमाज़ को उस के समय से विलंब कर के पढ़ेंगे, तब तुम क्या करोगे?.... आप ने फ़रमाया: तुम अपने समय पर पढ़ कर अपने काम-काज पर चले जाना, और अगर मस्जिद ही में हो और तक्बीर हो तो उन के साथ भी पढ़ लेना। मालूम हुआ कि अगर तुम्हारी मौजूदगी ही में उन की भी जमाअ़त होने लगे तो उन के साथ भी पढ़ लो ताकि जमाअ़त में फूट न पड़े और लड़ाई-झगड़े की नौबत न आये। लेकिन मालूम रहे कि फ़ज्र और

अ़स्र की नमाज़ अकेले पढ़ लेने के बाद दोबारा उन के साथ न पढ़े, क्योंकि इन दो नमाज़ों के बाद नफ़्ल नमाज़ दुरूस्त नहीं (हदीस न॰ 18) (और दोबारा जो पढ़ोगें वह नफ़्ल होगी) मालूम हुआ फ़र्ज़ की नमाज़ वही है जो पहले अकेले पढ़ चुका है।

बाब {सब से उत्तम कार्य नमाज़ को उस के ठीक समय पर अदा करना है।}

227:– अ़ब्दुल्लह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछाः कौन सा कार्य सब से उत्तम है? (यानी सवाब में बढ़ कर है) आप ने फ़रमायाः नमाज़ को अपने समय पर पढ़ना। मैं ने पूछाः फिर कौन सा? आप ने फ़रमायाः माता-पिता के साथ नेक व्यवहार करना (उन को प्रसन्न रखना) मैं ने पूछाः फिर कौन सा? आप ने फ़रमायाः अल्लाह की राह में जिहाद करना। अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि फ़रमाते हैं कि फिर मैं ने आप से अदब व एहतराम के नाते और अधिक पूछना बन्द कर दिया (कि हो सकता है आप को बुरा लग जाये)

फ़ाइदाः– इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज़ को हमेशा उस के अव्वल समय पर पढ़ना चाहिये, चाहे अकेले ही पढ़नी पढ़े (जैसा कि हदीस में बयान हुआ) अव्वल समय की अहमियत के आगे बेसमय की जमाअ़त की कोई अहमियत नहीं है।

बाब {जिस ने किसी नमाज़ की एक रक्अ़त (जमाअ़त से) पाली उस ने पूरी नमाज़ पा ली।}

228:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने किसी नमाज़ की एक रक्अ़त (जमाअ़त से) पा ली उस ने पूरी नमाज़ पा ली (यानी जमाअ़त का सवाब मिल गया)

फ़ाइदाः– इस हदीस का यह अर्थ है कि अगर जमाअ़त के साथ एक रक्अ़त मिल गयी तो उसे जमाअ़त के साथ पूरी नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा। चुनान्चे एक दूसरी रिवायत में इमाम का शब्द आया है कि जिस ने इमाम के साथ एक रक्अ़त पढ़ ली उस को पूरी नमाज़ मिल गयी (मुस्लिम) यानी जमाअ़त के साथ पढ़ने का सवाब मिल गया। इमाम के सलाम फेरने के बाद छूटी हुयी जो रक्अ़तें पढ़ेगा वह भी जमाअ़त के साथ पढ़ने में शामिल मानी जायेगी। याद रहे, "उस ने पूरी नमाज़ पा ली" का यह अर्थ हर्गिज़ नहीं कि छूटी हुयी रक्अ़तें न पढ़े।

बाब {अगर कोई सो जाये, या नमाज़ भूल जाये तो जब याद आये उसी समय पढ़ ले।}

229:– अबू क़तादा अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें ख़ुत्बा देते हुये फ़रमायाः तुम लोग सूरज ढलने के बाद से चलना आरंभ करो और पूरी रात चलते रहो, अल्लाह ने चाहा तो कल सुब्ह पानी के स्थान पर पहुँच जाओगे। चुनान्चे लोगों ने यात्रा आरंभ कर दी और इस प्रकार चले

कि कोई किसी की ओर देखता तक न था। अबू क़तादा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी चले जा रहे थे। मैं आप के बग़ल में चल रहा था। आधी रात बीत चुकी थी कि आप सवारी पर ही ऊँघने लगे, यहाँ तक कि आप सवारी पर (नींद की वजह से) झुक गये तो मैं ने आ कर आप को टेका दे दिया (ताकि गिर न पड़ें) लेकिन मैं ने आप को जगाया नहीं, फिर आप सीधे होकर बैठ गये और आगे रवाना हुये, फिर जब कुछ रात और बीत गयी तो आप फिर (नींद की वजह से) झुके, तो मैं ने फिर आप को टेका दे दिया और आप को जगाया नहीं, फिर आप सीधे होकर (संभल कर) बैठ गये और आगे रवाना हुये यहाँ तक कि रात का पिछला पहर आ गया कि इतने में आप (नींद की वजह से) फिर झुके। और अब की बार पहलेके मुक़ाबला में कहीं अधिक ज़्यादा झुक गये और क़रीब था कि आप गिर पड़ते कि इतने में मैं ने आ कर आप को संभाल लिया। आप ने सर उठा कर पूछाः कौन? मैं ने कहाः अबू क़तादा। आप ने पूछाः तुम कब से मेरे साथ चल रहे हो? मैं ने कहाः मैं रात ही से आप के साथ-साथ चल रहा हूँ। आप ने फ़रमायाः अल्लाह तुम्हारी भी सुरक्षा करे जिस प्रकार तुम ने अपने नबी की सुरक्षा की। फिर आप ने फ़रमायाः तुम हमें देख रहे हो कि तुम किसी और को भी देख रहे हो? मैं ने कहाः जी हाँ एक सवार को देख रहा हूँ। फिर कहाः यह एक और सवार भी देख रहा हूँ, यहाँ तक कि हम सात सवार इकट्ठा हो गये। फिर आप राह से हट कर एक तरफ़ हो गये और ज़मीन पर सर रख कर सो गये, लेकिन आप ने यह ताकीद फ़रमा दी कि हमारी नमाज़ का ख़याल रखना (यानी समय पर जगा देना, फिर सब सो गये) लेकिन सब से पहले जो जागे वह स्वँय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ही थे, धूप आप की पीठ पर आ गयी थी। बाद में हम लोग भी घबरा कर उठ बैठे। आप ने फ़रमायाः सवार होकर आगे चलो। चुनान्चे हम लोग आगे चले, और जब सूरज ऊपर चढ़ आया तो सवारी से उतर कर वुज़ू का लोटा माँगा जो मेरे ही पास था और उस में बहुत थोड़ा सा पानी बचा था। आप ने उस से बहुत ही हल्का-फुल्का वुज़ू किया जिस से थोड़ा सा पानी बच भी गया। फिर फ़रमायाः इस लोटे को संभाल कर रख लो इस से एक चमत्कार प्रकट होगा।

फिर बिलाल रज़ि॰ ने अज़ान कही और आप ने दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ी, फिर सुब्ह की नमाज़ अदा फ़रमायी जिस प्रकार आप रोज़ाना अदा फ़रमाते थे। फिर आप सवार हुये और हम भी आप के साथ सवार हुये। अब हम में का हर कोई चुपके-चुपके बातें करता था कि नमाज़ के तअ़ल्लुक़ से जो हम लोगों से कोताही हुयी है (यानी समय पर नहीं पढ़ी है) उस का क्या कफ़्फ़ारा होगा? इस पर आप ने फ़रमायाः क्या मैं तुम लोगों का पेश्वा नहीं हूँ? फिर फ़रमायाः अगर सो गये तो इस में किसी की क्या गलती है? ग़लती तो तब है कि (जागने के बाद) नमाज़ न क़ज़ा करो और दूसरी नमाज़ का समय आ जाये। तो जिस की नमाज़ क़ज़ा हो जाये वह जब बेदार हो उसे अदा कर ले। और अगर दूसरा दिन आ जाये तब भी उस नमाज़ को अपने समय पर ही अदा करे (यानी क़ज़ा

हो जाने से नमाज़ का समय नहीं बदलता) इस के बाद आप ने फ़रमायाः कुछ जानते भी हो लोगों ने क्या किया होगा? फिर स्वँय ही फ़रमायाः लोगों ने सुब्ह की तो अपने नबी को न पाया, इस पर अबू बक्र व उमर ने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अभी (हम लोगों से) पीछे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे कि तुम्हें पीछे छोड़ दें (और स्वँय आगे बढ़ जायें) लेकिन कुछ लोगों ने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हम लोगों से आगे जा चुके हैं। अगर वह अबू बक्र व उमर की बातों पर विश्वास कर लेते तो सीधी राह पा जाते (यह बातें आप ने चमत्कार के तौर पर कहीं, क्योंकि यह लोग आगे पड़ाव डाले हुये थे जिन्हें आप देख नहीं रहे थे, और आप सो जाने के नाते लश्कर से पीछे रह गये थे)

अबू क़तादा रज़ि॰ ने बयान किया कि बाद में हम लोग भी लश्कर से जा मिले, उस समय दिन चढ़ गया था और हर वस्तु गर्म हो गयी थी, और हम लोग कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हम लोग तो प्यास से मर जायेंगे। आप ने फ़रमायाः नहीं, प्यास से नहीं मरोगे। फिर आप ने फ़रमायाः अच्छा हमारा पानी का छोटा प्याला लाओ और वह लोटा मँगवाया (जो अबू क़तादा को वुज़ू कर के वापस कर दिया था) आप उस लोटे से पानी उँडेलने लगे और अबू क़तादा लोगों को पिलाने लगे। जब लोगों ने देखा कि लोटे में पानी थोड़ा है तो (पानी लेने के लिये) एक-दूसरे पर गिरने लगे। यह देख कर आप ने फ़रमायाः (जल्द बाज़ी न करो) आराम से पानी लेते जाओ। सभी को पानी मिल जायेगा। चुनान्चे सब लोग आराम से पानी लेने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पानी उडेल रहे थे और मैं पिला रहा था, यहाँ तक कि मेरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अ़लावा और कोई न बचा। अब आप ने पानी उँडेल कर मुझ से फ़रमायाः तुम भी पियो। मैं ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! जब तक आप न पी लेंगे मैं नहीं पियूँगा। आप ने फ़रमायाः लोगों को जो पिलाता है वह सब के अन्त में पीता है। चुनान्चे मैं ने भी पी लिया और अन्त में आप ने भी पिया। फिर आसूदा हो कर प्रसन्न मुद्रा में आगे चल कर पानी के चश्मे के पास पहुँच गये। (जिस चश्मे का आप ने आरंभ में ज़िक्र किया था)

हदीस के रावी ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन रिबाह रज़ि॰ ने मुझे बताया कि मैं ने यही हदीस जामा मस्जिद में लोगों के सामने बयान की तो अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ कहने लगेः ऐ नौजवान लड़के! क्या बयान कर रहे हो? ज़रा सोच-समझकर बयान करो, मैं भी उस रात सवारों में से एक सवार था। इस पर मैं ने कहाः फिर तो आप इस घटना को अच्छी तरह जानते होंगे। इस पर उन्होंने पूछाः तुम्हारा किस क़ौम से संबन्ध है? मैं ने कहाः अन्सार क़बीला से। उन्होंने कहाः फिर तुम हदीस बयान करो, क्योंकि तुम लोग हदीसों को अच्छी तरह जानते-समझते हो। चुनान्चे मैं ने लोगों के सामने पूरी हदीस बयान की। इस पर अ़िम्रान ने कहाः मैं भी उस रात मौजूद था, लेकिन जैसा तुम ने याद रखा वैसा और किसी ने याद भी रखा है, मैं नहीं जानता।

फ़ाइदा:– यह घटना ख़ैबर से मदीना लौटते हुये रास्ता में घटी। रास्ता में लश्कर दो हिस्सों में बट गया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और रात–आठ सहाबा रूक कर आराम करने लगे और बाक़ी लश्कर ने आगे जा कर सुब्ह को पड़ाव किया। चुनान्चे कुछ लोगों को मालूम ही था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पीछे हैं या हम से आगे निकल गये हैं। इस लंबी हदीस से बस यह मस्अला मालूम हुआ कि अगर कोई सो जाये या भूल जाये तो जब आँख खुले, या जब याद आये, नमाज़ अदा कर ले, क्योंकि अल्लाह की तरफ़ से उस के लिये नमाज़ पढ़ने का वही समय है। चुनान्चे वह नमाज़ अपने समय पर अदा कहलाएगी न कि क़ज़ा, क्योंकि अल्लाह ने वही समय अदा करने का लिखा था। यह भी मालूम हुआ कि क़ज़ा नमाज़ जमाअ़त से और अज़ान के साथ पढ़ी जाये।

इस में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कई चमत्कार प्रकट हुये (1) आप ने भविष्यवाणी की कि वुज़ू के लोटे से चमत्कार प्रकट होगा और वैसा ही हुआ कि सैंकड़ों लोगों ने पानी पिया और पानी बच भी गया (2) थोड़ा पानी सब के लियेकाफ़ी हो गया (3) आप लश्कर से बहुत पीछे हैं फिर भी बता दिया कि उमर और बक्र यह कह रहें हैं और दूसरे सहाबा कुछ और बातें मेरे बारे में कर रहे हैं (4) आप ने दूसरे दिन पानी पर पहुँचने की सूचना दी थी और दूसरे दिन पानी मिल गया। यह सब आप के चमत्कार (मोजिज़ा) में शामिल हैं।

बाब {केवल एक कपड़े में भी नमाज़ दुरूस्त है।}

230:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछाः क्या केवल एक कपड़े में भी नमाज़ दुरूस्त है? आप ने फ़रमायाः क्या तुम में से हर व्यक्ति के पास दो–दो कपड़े हैं?

231:– उमर बिन अबू सलमा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी पत्नी उम्मे सलमा रज़ि॰ के घर में एक कपड़ा लपेटे हुये नमाज़ पढ़ रहे थे और उस कपड़ा के दोनों कनारे कन्धों के ऊपर थे।

फ़ाइदा:– अगर किसी के पास एक ही कपड़ा है तो उसी में नमाज़ अदा हो जायेगी। इस मस्अले में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं। कन्धे पर कपड़ा डालने से यह फ़ाइदा है कि वह नीचे नहीं खिसकेगा और बेपर्दा नहीं होगा। फिर भी अगर कोई कन्धे पर कुछ न डाले और कन्धा नंगा हो फिर भी नमाज़ हो जायेगी, लेकिन कुछ उलमा ने मक्रूह कहा है। नमाज़ के लिये शर्मगाह ढकना ज़रूरी है, और शर्मगाह नाम है घुटने से ऊपर और नाफ़े से नीचे के हिस्से का। हैरत है कि लोग टोपी को लेकर जन्ग कर रहे हैं।

बाब {फूल–बूटे वाले कपड़ें में नमाज़ पढ़ना मक्रूह है।}

232:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक फूल–बूटे

वाली चादर ओढ़ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने के इरादे से खड़े हुये तो आप उस के बूटों को देखने लगे। जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो फ़रमायाः इस चादर को ले जाकर अबू जोहम बिन हुज़ैफ़ा को लोटा दो और उन का कंबल ले आओ, इस चादर ने अभी मुझे नमाज़ में ग़ाफ़िल कर दिया।

फ़ाइदाः– अबू जोहम ने चादर आप को उपहार में दी थी उस को वापस कर के सादा कंबल मँगवा लिया, ताकि वापस करने पर उन्हें रंज न हो। मालूम हुआ कि जिस चीज़ से नमाज़ के खुशू-खुजू और यकसूई में रूकावट आये उसे इस्तेमाल करने से प्रहेज़ करना चाहिये। इस से यह भी मालूम हुआ कि मस्जिद के मेहराब आदि को बेल-बूटों से सजाना-संवारना, बूटेदार टाइलें लगाना दुरूस्त नहीं, इन से नमाज़ में ख़याल बटता है।

बाब {चटाई पर नमाज़ पढ़ना।}

233:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि मेरी दादी मुलैका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को खाने की दावत दी जो उन्होंने पकाया था, चुनान्चे आप ने (पहुँच कर) खाना खाया, फिर फ़रमायाः खड़े हो जाओ ताकि मैं आप लोगों (की बर्कत) के लिये नमाज़ पढ़ दूँ। अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं एक चटाई ले कर खड़ा हो गया, वह चटाई अधिक प्रयोग में लाने की वजह से काली पड़ गयी थी, फिर उस पर पानी छिड़क दिया (और सफ़ाई कर दी) अब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस पर खड़े हो गये और मैं और एक अनाथ बच्चा आप के पीछे सफ़ बाँध कर खड़ा हुआ और बुढ़िया (दादी) हमारे पीछे (अकेली) खड़ी हुयी, फिर आप ने दो रकअ़त नमाज़ पढ़ा कर सलाम फेरा।

फ़ाइदाः– इस हदीस से कई मस्अले मालूम हुये (1) दावत को कुबूल करना चाहिये (2) नफ़ली नमाज़ भी जमाअ़त के साथ पढ़ी जा सकती है (3) अपने घर में किसी बुर्जुग से नमाज़ पढ़वा कर बर्कत हासिल कर सकते हैं। (4) चटाई, बोरी आदि जो दूसरे काम में लाई जाती हो, अगर पाक हो तो उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। महिला अगर अकेली है, तो अकेली ही पीछे खड़ी हो, वह बच्चे के साथ भी सफ़ में नहीं खड़ी हो सकती। चटाई पर पानी इसलिये छिड़क ताकि वह नर्म हो जाये।

प्रश्न यह है कि पत्नी, अपने पति के सथ नमाज़ पढ़ सकती है? तो इस का उत्तर यह है कि महिला का अपने पति के साथ बराबर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की दो शक्लें हैं (1) मुसल्ला एक हो और दोनों अलग-अलग नमाज़ पढ़ रहे हों, तो यह शक्ल जाइज़ है। (2) पति-पत्नी जमाअ़त से पढ़ रहे हों। पति इमाम हो और पत्नी दाँयें तरफ़ मुक़्तदी हो, तो इस प्रकार नमाज़ जाइज़ नहीं। पत्नी को भी पति के पीछे अकेले खड़ी होकर पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि मुलैका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे पढ़ी। हदीस से तो यहाँ तक साबित है कि महिला बच्चों के साथ सफ़ में नहीं खड़ी हो सकती है

(देखें साप्ताहिक पत्रिका "अहले हदीस" (पाकिस्तान) 28 अक्तूबर 2005, पृष्ठ 8)

मैं कहता हूँ कि एक साथ खड़े होकर अलग-अलग भी नमाज़ नहीं पढ़ सकती है, क्योंकि साथ खड़े होने से ज़ेहन में बुरा ख़याल पैदा होगा। यही कारण है कि मर्द की पिछली सफ़ को और महिलाओं की पहली सफ़ को बुरा कहा गया है (हदीस 268) क्योंकि एक दूसरे से क़रीब होने के नाते बुरा ख़याल पैदा होगा। हदीस में है कि रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नफ़्ल की नमाज़ पढ़ते थे और आ़इशा का पैर सामने होता। जब आप सज्दा में जाते तो उन का पैर दबा देते और वह समेट लेतीं, फिर आप सज्दा करते। लेकिन यह रात के अंधेरे में ऐसा करते थे (न कि दिन में) यह हदीस बुख़ारी की है-ख़ालिद। विस्तार से जानकारी के लिये देखें हदीस न॰ 260, 268 का फ़ाइदा।

बाब {जूता पहन कर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं।}

234:- सओ़द बिन यज़ीद ने बयान किया कि मैं ने अनस बिन मालिक रज़ि॰से पूछाः क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जूते पहन कर नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने कहाः जी हाँ।

फ़ाइदाः- अगर जूता पाक-साफ़ है और उस में पलीदी आदि नहीं लगी हुयी है, तो निःसंदेह उस को पहन कर नमाज़ पढ़ने में कोई आपत्ति की बात नहीं। अबू दावूद और हाकिम की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यहूद के ख़िलाफ़ काम करो वह जूता पहन कर नमाज़ नहीं पढ़ते हैं इसलिये तुम पढ़ा करो।

❀❀❀

किताबुल् मसाजिद
(मस्जिदों का बयान)

बाब {ज़मीन पर सब से पहले मस्जिदे–हराम (बैतुल्लाह) बनाई गयी।}

235:– अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! ज़मीन पर सब से पहले कौन सी मस्जिद बनाई गयी? आप ने फ़रमायाः मस्जिदे–हराम (बैतुल्लाह) मैं ने पूछाः इस के बाद? आप ने फ़रमायाः मस्जिदे–अक़सा (बैतुल मुक़द्दस) में ने पूछाः इन दोनों के दर्मियान कितना समय था? आप ने फ़रमायाः चालीस वर्ष का। और तुम्हें जहाँ भी नमाज़ का समय हो जाये वहीं अदा कर लो, वही स्थान तुम्हारे लिये मस्जिद है।

फ़ाइदाः– हदीस के अन्तिम टुक्ड़े से मालूम हुआ कि समस्त स्थानों पर नमाज़ दुरूस्त है उन स्थानों को छोड़ कर जहाँ पढ़ने से हदीस में मिनाही आई है। पहली उम्मतों पर ख़ास स्थान पर इबादत करने का आदेश था, यह अन्तिम उम्मत पर अल्लह का एहसान है कि समस्त पाक ज़मीन पर इबादत करने की छूट दे दी है (देखें हदीस न॰ 257)

बाब {मस्जिदे–नबवी के निर्माण कार्य का बयान।}

236:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (मक्का से हिजरत कर के) मदीना तश्रीफ़ लाये तो नगर के ऊँचे क्षेत्र में बनी अ़म्र बिन औ़फ़ के महल्ला में ठहरे। आप वहाँ 14 दिनों तक रहे। फिर आप ने क़बीला बनी नज्जार के लोगों को बुलाया तो वह अपनी–अपनी तल्वारें लटकाए हुये आये। अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि गोया इस समय भी मैं उस घटना को अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि आप ऊँटनी पर सवार हैं, अबू बक्र रज़ि॰ आप के पीछे बैठे हैं और क़बीला बनी नज्जार के लोग आप को घेरे में लिये हुये हैं। फिर आप अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि॰ के घर के आँगन में उतरे। उस समय जहाँ भी नमाज़ का समय आ जाता आप वहीं पढ़ लेते, यहाँ तक कि बकरियों के बाड़े में भी पढ़ लेते थे। फिर आप को मस्जिद के निर्माण का आदेश हुआ तो बनी नज्जार के लोगों को बुलवा भेजा, वह आये तो आप ने उन से कहाः आप लोग अपना बाग़ मेरे हाथ बेच दें। उन्होंने कहाः अल्लाह की क़सम! हम इस की क़ीमत आप से नहीं लेंगे, इस का बदला हम केवल अल्लाह से लेंगे। अनस रज़ि॰ ने बयान किया कि मेरें ख़याल से उस बाग़ में ख़ज़ूर के पेड़, मुश्रिकों की क़ब्रें

और कुछ खँडर थे, आप के हुक्म से पेड़ काट दिये गये, क़ब्रें खोद कर फेंक दी गयीं और खंडर बराबर कर दिये गये, खजूर के तनों को क़िब्ला की ओर रख दिया गया और दर्वाज़ां के दोनों तरफ़ पत्थर लगा दिये गये। जब निर्माण कार्य आरंभ हुआ तो सहाबा र-जज़ (कविता) पढ़ते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी उन के साथ पढ़ते थे। वह लोग यह शेर पढ़ते थे:

अल्लाहुम्म ला ख़ै-र इल्ला ख़ैरूल आख़ि-रह,
फ़न्सुरिल् अनसा-र वल् मुहाजि-रह्
(ऐ अल्लाह! अस्ल बेहतरी और भलाई तो आख़िरत की है (ऐ अल्लाह!) पस अन्सार और मुहाजिरों की सहायता फ़रमा)

फ़ाइदाः– मस्जिदे-नबवी की जगह अ़म्र के दो यतीम बच्चों सहल और सुहैल की थी, अ़म्र के देहान्त के बाद मआ़ज़ बिन अ़फ़रा की पर्वरिश में थे। इन्होंने क़ीमत लेने से इन्कार कर दिया, लेकिन आप ने दस दीनार में ख़रीद लिया और अबू बक्र रज़ि॰ ने क़ीमत अदा की (इब्ने हिशाम) इस स्थान पर लोग खजूर सुखाते थे। यह रिवायत चूंकि संक्षिप्त है इसलिये क़ीमत देने का जिक्र नहीं है।

बाब {उस मस्जिद का बयान जिस की बुनियाद तक़वा पर रखी गयी थी।}

237:– अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया कि एक मर्तबा अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू सअ़ीद रज़ि॰ मेरे पास से गुज़रे तो मैं ने उन से पूछाः आप के पिता जी क्या बयान करते थे कि वह कौन सी मस्जिद है जिस की बुनियाद तक़वा पर रखी गयी है? इस पर उन्होंने कहाः एक मर्तबा मैं आप की ख़िदमत में आप की पत्नियों में से किसी पत्नी के घर हाज़िर हुआ तो मैं ने आप से पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! किस मस्जिद की बुनियाद तक़वा पर रखी गयी है? यह सुन कर आप ने एक मुट्ठी भर कर कंकरी ली और ज़मीन पर मार कर फ़रमायाः वह तुम्हारी यही मस्जिद है, यानी मदीना की। पिता अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ को ऐसे ही बयान करते सुना है।

फ़ाइदाः– अल्लाह तआ़ला ने सूरःतौबा की आयत 108 में फ़रमायाः “जिस मस्जिद की बुनियाद प्रथम दिन से तक़वा पर रखी गयी है वह वास्तव में इस योग्य है कि आप उस में (नमाज़ के लिये) खड़े हों।” कुछ उलमा ने इस से कुबा की मस्जिद मुराद ली है, लेकिन इस हदीस की रोशनी में मस्जिदे-नबवी मुराद है। तो इस में कोई टकराव नहीं है, क्योंकि अगर कुबा की मस्जिद की बुनियाद तक़वा पर है तो मस्जिदे-नबवी की उस से कहीं अधिक तक़वा पर बुनियाद है, इस में संकोच की गुंजाइश ही नहीं है।

बाब {मक्का और मदीना की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत का बयान।}

238:– अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि एक महिला बीमार पड़ गयी तो उस ने कहाः अगर अल्लाह पाक ने मुझे स्वास्थ दे दी तो बैतुल मुक़द्दस जा कर वहाँ

नमाज़ पढ़ूँगी। जब वह स्वस्थ हो गयी और जाने की तैयारी कर ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी मैमूना रज़ि॰ के पास गयीं और उन्हें सलाम कर के अपने इरादे की सूचना दी। यह सुन कर मैमूना रज़ि॰ ने कहाः कहीं मत जाओ, राह के लिये जो तय्यार किया है उसे खाओ-पियो और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज़ पढ़ों, क्योंकि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि मस्जिदे-नबवी में नमाज़ पढ़ना और दूसरी मस्जिदों में हज़ार नमाज़ें अदा करने से अफ़ज़ल है।

फ़ाइदा:– हदीस में आया है कि बैतुल्लाह शरीफ़ में एक नमाज़ पढ़ने का सवाब और दीगर मस्जिदों के मुक़ाबले में दस हज़ार गुना अधिक है, और मस्जिदे-नबवी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम में पढ़ने का सवाब एक हज़ार गुना अधिक है।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का क़ुबा की मस्जिद में चल कर जाना और दो रक्अ़त नमाज़ पढना।}

239:– अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम क़ुबा की मस्जिद के लिये सवारी पर, अथवा पैदल चल कर जाते और उस में दो रक्अ़त नमाज़ अदा करते थे।

फ़ाइदा:– मक्का से हिजरत करने के बाद आप क़ुबा पहुँचे और वहाँ 14 दिनों तक ठहरे, उसी दौरान इस मस्जिद की आप ने बुनियाद डाली थी और सब से पहला जुमा आप ने इसी में पढ़ाया था। इस मस्जिद से आप को बड़ी मुहब्बत थी, इसीलिये गाहे-बगाहे जाया करते थे। मालूम हुआ कि अपनी मस्जिद के अ़लावा और दूसरी मस्जिदों में नमाज़ के लिये जाया जा सकता है।

बाब {जिस ने अल्लाह की राह में मस्जिद बनाई, उस ने बड़ी फ़ज़ीलत का कार्य किया।}

240:– महमूद बिन लबीद से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि उस्मान ग़नी रज़ि॰ ने मस्जिद नबवी (को पुनः) बनाने का इरादा किया तो लोगों ने बुरा जाना और यही पसन्द किया कि मस्जिदे-नबवी जिस हालत में है उसी हालत में रहने दें (उस में कमी-बेशी न करें) इस पर उस्मान रज़ि॰ ने कहाः मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि जो अल्लाह के लिये मस्जिद बनाएगा, अल्लाह पाक भी उस के लिये जन्नत में वैसा ही घर बनाएगा।

फ़ाइदा:– मालूम हुआ कि नई मस्जिद बनाना, पुरानी में कमी-बेशी करना, उस के किसी हिस्से का बनवा देना, उस में माली सहायता व सहयोग देना बड़े सवाब का कार्य है। जो अल्लाह मस्जिद बनाने पर जन्नत में घर दे सकता है, वह मामूली सहायता करने पर भी जन्नत में घर दे सकता है, बस निय्यत दुरूस्त होनी शर्त है। मस्जिदे-बनवी तंग हो गयी थी इसीलिये उसे बढ़ाने का ख़याल था। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

के समय के निर्माण में पहला इज़ाफ़ा उस्मान ग़नी रज़ि॰ ही ने किया। यह घटना सन 30 हिज्री की है जब उस्मान रज़ि॰ ख़लीफ़ा थे।

बाब {मस्जिदों की फ़ज़ीलत का बयान।}

241:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आबादी में सब से प्यारी जगह अल्लाह के निकट मस्जिदें हैं और सब से बुरे स्थान बाज़ार हैं।

बाब {मस्जिद की तरफ़ अधिक से अधिक क़दम चल कर जाना फ़ज़ीलत का कार्य है।}

242:– उबय्यि बिन कअ़ब अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक अन्सारी सहाबी का घर मदीना के तमाम घरों में मस्जिदे–नबवी से दूर था। लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ उन की जमाअ़त की नमाज़ छूटने नहीं पाती थी। उन की हालत पर मुझे बड़ा रहम आता था, इसलिये उन्हें एक गधा (सवारी के लिये) ख़रीद लेने का मश्वरा दिया ताकि (दिन में) धूप से और (रात में) कीड़ों–मकोड़ों से सुरक्षित रहें। इस पर उन्होंने कहाः अल्लह की क़सम! मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा घर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के घर के निकट हो। इस पर मुझे बहुत बुरा लगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आकर इस का ज़िक्र किया तो आप ने उन्हें बुलवा भेजा। चुनान्चे उन्होंने आ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से भी वही कहा जो मुझ से कहा था, लेकिन यह भी कहा (ऐसा मैं ने इसलिये कहा है) ताकि पैरों से चल का आने का सवाब मुझे मिले। यह सुन कर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बेशक तुम्हें इस प्रकार चल कर आने पर सवाब मिलेगा।

फ़ाइदाः– हदीस का अर्थ स्पष्ट है। मस्जिद में जितनी दूर से चल कर जायेगा, उसे हर–हर क़दम पर नेकी मिलेगी, इसीलिये सहाबा सवारी पर सवार होकर जाने के बजाए पैदल चल कर जाना पसन्द करते थे।

बाब {नमाज़ पढ़ने की निय्यत से चलने से गुनाह माफ़ और दर्जे बुलन्द होते हैं।}

243:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो व्यक्ति अपने घर वुज़ू कर के किसी मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज़ अदा करने के उद्देश्य से जाये तो उस के एक क़दम रखने से बुराई झड़ेगी और दूसरा क़दम रखने से मर्तबा बुलन्द होगा।

फ़ाइदाः– इस हदीस से मालूम हुआ कि फ़र्ज़ नमाज़ मस्जिद में जमाअ़त से अदा करना कितना अहम है। जो लोग घरों में अकेले पढ़ते हैं वह जमाअ़त के 25 गुना सवाब से और मस्जिद चल कर जाने वाले हर क़दम की नेकी से हाथ धो बैठते हैं। बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत में है जो व्यक्ति मस्जिद में सुब्ह–शाम नमाज़ के लिये हाज़िरी देता है, अल्लाह पाक उस की मेहमानी के लिये जन्नत में इन्तिज़ाम करता है (हदीस न॰ 662)

बाब {नमाज़ के लिये इत्मिनान से चल कर आना चाहिये, दौड़–भाग से बचना चाहिये।}

244:– अबू क़तादा रज़ि॰ ने बयान किया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ अदा कर रहे थे कि इसी बीच आप ने लोगों के क़दमों की आवाज़ सुनी तो (नमाज़ के बाद) फ़रमायाः लोगों ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहाः नमाज़ में शामिल होने के लिये जल्दी की थी। आप ने फ़रमायाः ऐसा न करो, जब तुम नमाज़ पढ़ने आओ तो आराम से चल कर आओ, जितनी मिले उसे पढ़ लो और जो छूट जाये उसे बाद में पूरी कर लो।

फ़ाइदाः– यह हुक्म पाँचों समय की नमाज़, जुमा आदि सब के लिये है। दौड़ना, कूदना-फाँदना सख़्त मना है। इस से बेअदबी और गुस्ताख़ी तो होती ही है, मस्जिद के नमाज़ियों की यकसूई और सुकून ख़त्म हो जाता है। इत्मिनान से आये, जो रकअ़त इमाम के साथ मिले उसे अ़दा कर ले, बाकी को सलाम फेरने के बाद पूरी कर ले।

बाब {महिलाएँ नमाज पढ़ने के लिये मस्जिद में जा सकती हैं।}

245:– (क़बीला सक़ीफ़ की) ज़ैनब बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से जो महिला आना चाहे वह खुश्बू को हाथ तक न लगाए।

बाब {महिलाओं का नमाज़ के लिये मस्जिद में जाना मना है।}

246:– अ़ब्दुर्रहमान की पुत्री अ़म्रा रज़ि॰ ने बयान किया कि आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ फ़रमाती थीं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मौजूद होते और आजकल की महिलाओं का बनाव-सिंगार देखते तो उन्हें मस्जिद में आने से रोक देते, जिस प्रकार बनी इस्राईल की महिलाओं को रोक दिया गया था। हदीस के रावी यहया बिन सअ़ीद ने पूछाः ऐ अ़म्रा! क्या बनी इस्राईल की महिलाओं को मस्जिद में जाने से मना कर दिया गया था? उन्होंने कहाः जी हाँ।

फ़ाइदाः– हनफ़ी लोग इसी हदीस को दलील बना कर महिलाओं को मस्जिदों और अ़ीदगाह में नहीं जाने देते हैं। महिलाओं का मस्जिद में जाना मना नहीं है, बल्कि खुश्बू और बनाव-सिंगार की वजह से जाना मना है। यानी जो जाना चाहे वह खुश्बू न लगाये और बनाव-सिंगार न करे। वर्ना बुराई और फ़ितना फैलने का ख़तरा है। मतलब यह हुआ कि जो महिला बनाव-सिंगार न करे, खुश्बू न लगाए उसे मस्जिद में जाने से रोकना दुरूस्त नहीं। आ़इशा रज़ि॰ की हदीस चन्द ख़ास महिलाओं के लिये है, सभी के लिये नहीं।

जो लोग मस्जिद में जाने से मना करते हैं कि फ़ितना-बुराई का डर है उन से प्रश्न है कि आप की बहन-बेटियाँ बाज़ारों में मैकप कर के निकलें, शादी-बियाह के समारोहों में उपस्थित हों, बसों और रेल गाड़ियों में अकेले यात्रा करें, कालेज में युवा छात्रों के साथ संयुक्त रूप से पढ़ें, सनीमा और थेटरों में जायें, हर स्थान पर अकेले ही बेधड़क

यात्रा करें तब ईमान ख़तरे में नहीं पड़ता, तब अ़िज़्ज़त नहीं लुटती है, तब ग़ैर की निगाह उन पर नहीं पड़ती है, केवल बेचारी ग़रीब नमाज़ को अदा करने के लिये मस्जिद में जाने और साल में दो मर्तबा अपने परिवार के साथ अ़ीदगाह में जाने से पूरा ईमान सत्यानास हो जा रहा है। मना करने वाले हनफ़ी उलमा ज़रा अपने फ़तवे पर पुनः विचार करें कि आइशा रज़ि॰ के क़ौल पर अ़मल करेंगे या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के आदेश पर। बेशक बनाव-सिंगार करने वाली को जाने से रोकें, लेकिन बनाव-सिंगार न करने वाली को जाने से क्यों रोकें?

बाब {मस्जिद में दाख़िल होते समय यह दुआ पढ़ें।}

247:– अबू हुमैद (या अबू उसैद) रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब कोई मस्जिद में दाख़िल हो तो यह दुआ पढ़ेः

अल्ला हुम्मफ़्-तह् ली अबवा-ब रह्-मति-क
(ऐ मेरे मौला! मेरे लिये अपनी रहमत के दर्वाज़े खोल दे)

और जब मस्जिद से निकले तो पढ़ेः

अल्ला हुम्म इन्नी अस्-अलु-क मिन् फ़ज़्लि-क
(मेरे मौला! मैं तुझ से तेरा फ़ज़्ल माँगता हूँ)

बाब {जब मस्जिद में दाख़िल हो तो दो रक्अ़त (अवश्य नफ़ल) पढ़े।}

248:– अबू क़तादा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं मस्जिद में दाख़िल हुआ तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम लोगों के दर्मियान बैठे हुये हैं तो मैं भी बैठ गया, लेकिन आप ने फ़रमायाः तुम्हें बैठने से पहले दो रक्अ़तें पढ़ने से किस ने मना किया है? मैं ने कहाः ऐ अल्लह के रसूल! आप को और दूसरे लोगों को बैठे देखा (तो मैं भी बैठ गया) आप ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई मस्जिद में आये तो दो रक्अ़त पढ़ने से पहले न बैठे।

फ़ाइदाः– यह मस्जिद में दाख़िल होने का हक़ है, इस का नाम "तहिय्यतुल् मस्जिद" है, और यह वाजिब है। यह सबबी नमाज़ है, जब भी और जिस समय भी दाख़िल हो अदा करे। यही कारण है कि मक्रूह समय में भी पढ़ना दुरुस्त है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "जब दाख़िल हो" यानी अगर कभी सूरज निकलते समय भी दाख़िल हो तो उस समय भी पढ़े। यही हाल सूरज ग्रहण की नमाज़ का भी है। यही फ़तवा सऊदी अरब के सब से बड़े मुफ़्ती अ़ल्लामा इब्ने बाज़ रह॰ का भी है (देखें: "फ़तावा इब्ने बाज़, प्रथम भाग)

बाब {अज़ान हो जाने के बाद मस्जिद से निकलना मना है।}

249:– अबू शासा ने बयान किया कि हम लोग अबू हुरैरा रज़ि॰ के साथ मस्जिद में बैठे हुये थे इतने में मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी कि एक व्यक्ति उठ कर मस्जिद से जाने

लगा, अबू हुरैरा रज़ि॰ उसे बाहर जाते हुये देखते रहे, जब वह बाहर चला गया तो कहने लगेः उस ने अबुल् क़ासिम (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की अवज्ञा की।

फ़ाइदाः– इस हदीस की तश्रीह करते हुये अ़ल्लामा शौकनी रह॰ लिखते हैं कि अज़ान सुनने के बाद मस्जिद से निकलना हराम है, क्योंकि जब अज़ान सुन ली तो उस नमाज़ के लिये वही मस्जिद तै हो चुकी, अब उसी मस्जिद में नमाज़ अदा करना अनिवार्य है। मगर वुज़ू, या पाख़ाना-पेशाब, या कोई दूसरा अहम काम पेश आ जाये तो जा सकता है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाने के लिये मस्जिद में आये फिर तुरन्त चले गये, फिर वापस आ कर नमाज़ पढ़ाई (266 बुख़ारी शरीफ़ हदीस न॰ 639) बिला वजह मस्जिद से निकल कर जाने से सब से बड़ा नुक़्सान यह है कि-हो सकता है शैतान गुमराह कर दे और कहीं वह नमाज़ न पढ़ें।

बाब {मस्जिद में अगर कोई थूक दे तो उस का कफ़्फ़ारा उसे साफ़ कर देना है।}

250:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मस्जिद में थूकना बुरी बात है और उस का कफ़्फ़ारा यह है कि उसे मिट्टी में दबा दो।

फ़ाइदाः– यानी पैर से रगड़ दे कि मिट्टी में मिल जाये। लेकिन जहाँ ज़मीन पक्की हो वहाँ हाथ से साफ़ करे। अगर नमाज़ की हालत में थूकने की आवश्यक्ता पेश आये तो अपने रूमाल में थूक कर उसे मल दे (देखें बुख़ारी हदीस न॰ 417) मुस्लिम ही की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़िब्ला की तरफ़ मुँह कर के थूकने से मना फ़रमाया है (क्योंकि यह बेअदबी और गुस्ताख़ी है)

बाब {लहसुन खाना मकरूह है, और खा कर मस्जिद में जाना भी मकरूह है।}

251:– अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि ख़ैबर की लड़ाई के मौक़ा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो व्यक्ति इस पौधे (यानी लहसुन) को खाये वह मस्जिद में न आये।

बाब {कुर्रास (गन्दना) प्याज़ और लहसुन खाने के बाद मस्जिद से अलग रहे।}

252:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो व्यक्ति प्याज़ या लहसुन खाये वह हम से दूर रहे (या यह फ़रमाया कि) हमारी मस्जिद से दूर रहे और अपने घर ही बैठ रहे। एक मर्तबा आप के पास एक हंडिया लायी गयी जिस में कई एक सब्जियाँ मिला कर तर्कारी बनाई गयी थी। आप ने उस में बदबू महसूस की तो वजह मालूम की, जब आप को मालूम हुआ तो फ़रमायाः इसे फ़लाँ सहाबी को दे दो। जब आप ने देखा कि वह भी खाना पसन्द नहीं कर रहे हैं तो फ़रमायाः तुम ही खा लो (मैं इसलिये नहीं खा रहा हूँ कि) मैं उन से बात-चीत करता हूँ जिन से तुम नहीं करते (यानी फ़रिश्तों से)

फ़ाइदा:– इस हदीस से मालूम हुआ कि प्याज़–लहसुन खाना तो दुरूस्त है, लेकिन खा कर मस्जिद में जाना दुरूस्त नहीं है। खाने का हुक्म इस से निकला कि सहाबी को खाने के लिये दिया, लेकिन मस्जिद में जाने से रोका। इस से मालूम हुआ कि दीनी मज्लिसों में भी एहतियात करना चाहिये। यह मिनाही कच्ची प्याज़ आदि खा कर जाने पर है। अगर पका कर उस की बू दूर कर दी जाये तो फिर कोई हर्ज़ नहीं। यही हुक्म पान, बीड़ी, सिगरेट और हुक़्क़ा का भी है कि किसी प्रकार इन सब की बदबू मुँह से दूर कर के मस्जिद में आये। मिनाही इसलिये है कि नमाज़ियों को उस की बदबू से तक्लीफ़ पहुँचेगी और जो फ़रिश्ते हैं उन्हें भी। यह भी मालूम हुआ कि किसी भी प्रकार की बदबूदार चीज़ खा कर मस्जिद में जाना जिस से लोगों को तक्लीफ़ पहुँचे दुरूस्त नहीं।

बाब {जिस के मुँह से प्याज़ और लहसुन की बदबू आये उसे मस्जिद से निकाल बाहर कर देना चाहिये।}

253:– मादान बिन अबू तल्हा से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने जुमा के दिन खुत्बा दिया जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ का ज़िक्र करते हुये कहा: में ने सपने में देखा है कि एक मुर्गा ने मुझे तीन ठोंगें मारी हैं, इस का अर्थ मैं ने यह लिया है कि मेरी मौत निकट है। कुछ लोग मुझे मश्वरा दे रहे हैं कि किसी को अपने बाद होने वाला ख़लीफ़ा सुनिश्चित कर दूँ। लेकिन अल्लाह तअ़ाला अपने दीन को यूँही बर्बाद नहीं कर देगा, और न ही ख़िलाफ़त को, और न ही जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देकर भेजा उसे भी। अगर मेरा देहान्त हो जाये तो राय–मश्वरा के बाद ख़िलाफ़त छः आदमियों के दर्मियान रहेगी जिन से अन्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम राज़ी रहे। और मुझे मालूम है कि कुछ लोग मुझे उस काम में ताना देते हैं जिन को मैं ने स्वँय इस्लाम पर मारा है। अगर उन्हें ताना देना दुरूस्त समझा तो वह अल्लाह के दुश्मन हैं और काफ़िर और गुमराह हैं। और सब से कठिन चीज़ जो मैं छोड़ कर जा रहा हूँ वह 'कलाला' है। मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से किसी मस्अले के बारे में इतनी बार नहीं पूछा जितनी बार कलाला के बारे में पूछा। अैर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी मुझ पर किसी मस्अले में इतनी सख़्ती नहीं की जितनी इस मस्अले में की, यहाँ तक कि आप ने उंगली से मेरे सीना में कचोका मार कर कहा: ऐ उमर! क्या तुम्हारे लिये वह आयत काफ़ी नहीं है जो सूर: निसा के अन्त में है और जो गर्मी के मौसम में नाज़िल हुयी थी (यानी सूर: निसा की आयत 176) और अगर मैं जीवित रहा तो कलाला के मस्अले में ऐसा फ़ैसला सुनाऊँगा जिन पर सभी को अ़मल करना होगा, चाहे वह पढ़ा–लिखा हो या अनपढ़ हो।

इस के बाद उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह मैं तुझे गवाह बनाता हूँ उन लोगों पर जिन को मैं ने सूबों (यानी मुल्कों के प्रान्तों) की ज़िम्मेदारी सौंपी है (यानी गर्वनरों और दीन

के आलिमों पर) मैं ने उन्हें इसीलिये उन स्थानों पर भेजा है ताकि वह लोग न्याय करें बतायें और लोगों को दीन इस्लाम की बातें और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का तरीक़ा सिखायें, और जो कुछ माले-ग़नीमत हाथ आये उसे तक़्सीम कर दें, और जिस समस्या का उन से समाधान न हो सके उस के बारे में मुझ से मालूमात करें। फिर कहाः ऐ लोगों! मैं देखता हूँ कि तुम लोग दो पौधों को खाते हो हालाँकि मैं उसे नापाक समझता हूँ, यानी प्याज़ और लहसुन। हालाँकि मैं ने देखा है कि जब उन दोनों में से किसी की बदबू आती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हुक्म से उसे मस्जिद से निकाल कर 'बक़ीअ़' की तरफ़ भेज दिया जाता था। इसलिये अगर कोई उन्हें खाना चाहे तो अच्छी तरह पका कर खाये (ताकि उस की बदबू समाप्त हो जाये)

फ़ाइदाः- ख़िलाफ़त के लिये जिन छः को चुना था वह यह थे (1) उस्मान ग़नी (2) अ़ली (3) तल्हा (4) ज़ुबैर (5) सअ़द बिन अबू वक़्क़ास (6) अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि०। 'कलाला' उस व्यक्ति को कहते हैं कि इस हाल में मरे कि उस के न औलाद हों और न ही माता-पिता, तो इस का तर्का किस प्रकार तक़्सीम होगा? तफ़सील के लिये पारः6, सूरः निसा की आयत 176 देखें। 'बक़ीअ़' मदीना के क़ब्रिस्तान का नाम है जो मस्जिद से थोड़ी दूर पर था, यानी मस्जिद से निकाल कर थोड़ी दूर कर देते थे, ताकि मुँह की बदबू दूर कर के फिर वापस आओ। इस हदीस से मालूम हुआ कि उस समय इस मामले में बड़ी सख़्ती से अ़मल होता था, यही वजह है कि कुछ उलमा ने कहा है कि नमाज़ के समय खाना जाइज़ नहीं क्योंकि खा कर जमाअ़त से नमाज़ नहीं पढ़ सकता और जमाअ़त के सवाब से वंचित रह जायेगा, जबकि जमाअ़त से पढ़ना वाजिब और अनिवार्य है। इस हदीस की रोशनी में मस्जिद के साथ-साथ हर दीनी मज्लिस में भी इस पर अ़मल होना चाहिये।

बाब {खोई हुयी वस्तु के बारे में मस्जिद में एलान करना मना है।}

254:- अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो व्यक्ति किसी को अपनी खोई हुयी वस्तु के बारे में एलान करते हुये सुने तो कहेः अल्लाह करे तेरी चीज़ न मिले, इसलिये कि मस्जिदें इसलिये तो नहीं बनाई गयी हैं।

फ़ाइदाः- मुस्लिम शरीफ़ ही की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़ज्र की नमाज़ पढ़ चुके तो एक दीहाती ने अपने लाल ऊँट के बारे में पुकारा तो आप ने उत्तर दियाः तेरा ऊँट न मिले। मालूम हुआ कि मस्जिद इसलिये नहीं है कि लोग उस में अपनी खोई हुयी चीज़ ढूँढें और दुनिया भर की लेन-देन की बातें और खुराफ़ात करें। यह अल्लाह पाक को याद करने का स्थान है, दूसरे कामों के लिये दूसरे बहुत से स्थान हैं। मस्जिद का मर्तबा, उस की पवित्रता और एहतराम का ख़याल रखना तो हर हाल में अनिवार्य है।

बाब {क़ब्रों को सज्दा करने का स्थान बनाना हराम है।}

255:– आइशा सिद्दीक़ा और अ़ब्दुल्लह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के देहान्त का समय निकट आ लगा तो आप अपनी चादर को अपने मुँह पर डालने लगते। फिर जब घबरा जाते तो चादर को मुँह पर से हटा देते और फ़रमातेः यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने संदेष्टाओं की समाधियों (क़ब्रों) को मस्जिद बना लिया। आप इस बात से डरा रहे थे कि कहीं अपने लोग भी वैसा ही न करने लग जायें।

फ़ाइदा:– आप ने अपनी क़ब्र और किसी की भी क़ब्र को मस्जिद बनाने से इस लिये मना किया कि कहीं लोग क़ब्र का एहतराम करते-करते उसे पूजने न लग जायें। यहूद-नसारा ने मस्जिद बना लिया था यानी मस्जिद की तरह वहाँ भी रोशनी करते, नज़र-नियाज़ चढ़ाते, उन की अ़िबादत करते और दुआएँ माँगते थे। और यही सब कुछ आजकल मुसलमानों का एक फ़िर्क़ा खुल्लम-खुल्ला, चिल्ला-चिल्ला कर रहा है और अपने को अहले सुन्नत वल् जमाअ़त होने का दावा भी कर रहा है, इन्ना लिल्लाह।

बाब {क़ब्रों पर मस्जिद बनाना हराम है।}

256:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि उम्मे हबीबा और उम्मे सलामा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से एक गिरजा (चर्च) का ज़िक्र किया जिसे उन दोनों ने हबश में देखा था। उस में चित्र लगे हुये थे। आप ने फ़रमायाः उन लोगों का यह हाल था कि जब कोई नेक व्यक्ति देहान्त कर जाता तो वह उस की समाधि पर मस्जिद बना देते और वहाँ उस का चित्र बना देते थे, यह लोग क़ियामत के दिन सब से बुरे लोगों में से होंगे।

फ़ाइदा:– यहूद-नसारा ने आरंभ में अपने बुज़ुर्गों और पूर्वजों के बुत बनाए ताकि उन्हें देख कर उन के नेक कामों को याद कर के स्वँय भी नेक कार्य करेंगे। लेकिन धीरे-धीरे उन की पूजा-पाट करने लगे। नूह अ़लै॰ की कौम ने भी "वद्द, सुआ़अ़, यग़ूस, यऊक़, नस्" नाम के अपने पूर्वजों की मूर्ति बना कर उन की पूजा पाट आरंभ कर दी थी (देखें पारः 29, सूरः नूह, आयत 6) लात, उज़्ज़ा और मुनाफ़ बुत, यह मुश्रिकों के पूवज और बाप-दादे ही थे जिन की बाद में मूर्तियाँ बना कर पूजा करने लगे थे। आप ने अपनी उम्मत को इस बात से देहान्त के समय बिल्कुल अन्तिम क्षणों में डराया था कि किसी की भी क़ब्र पर मस्जिद बनाना और वहाँ पूजा-पाट करना हराम है। आज के कुछ जाहिल लोग क़ब्रों को सज्दा करते हैं, इन में और यहूद-नसारा के अ़मल में कोई अन्तर नहीं है। अल्लाह इन्हें हिदायत दे।

बाब {मेरे लिये समस्त ज़मीन पवित्र और मस्जिद (सज्दा करने का स्थान) बना दी गयी है।}

257:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझे छः बातों में और दूसरे संदेष्टाओं पर फ़ज़ीलत दी गयी है (1) मुझे ऐसा कलाम दिया गया है जिस में शब्द कम हैं लेकिन उस के अर्थ बहुत अधिक हैं (2) रोब, दबदबा से मेरी सहायता की गयी (3) माले-ग़नीमत को मेरे लिये हलाल कर दिया गया है (4) समस्त ज़मीन मेरे लिये पवित्र और मस्जिद (सज्दा करने की जगह) बना दी गयी है (5) तमाम मख़्लूक़ के लिये नबी बना कर भेजा गया हूँ (6) मुझ पर नबुव्वत समाप्त कर दी गयी है।

फ़ाइदाः- कुरआ़न मजीद को देखें कि एक छोटी से छोटी आयत में कितने अर्थ पोशीदा हैं कि उन की तश्रीह करने में उलमा ने सैकड़ों पन्ने लिख डाले, फिर भी कहते हैं कि अभी भी पूरा अर्थ नहीं बयान हुआ। यह कुरआन पाक का चमत्कार है। मुसलमानों का लश्कर अगर 100 किलो मीटर की दूरी पर है जभी से दुश्मन उन का नाम ही सुन कर मारे डर और भय के काँपने लगता है और हथियार डाल देता है (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के समय में यही हाल था, आज भी हो सकता है अगर हम अपने ईमान व अ़मल को दुरूस्त कर लें) पहले माले-ग़नीमत को जला डालने का हुक्म था, उसे खा-पी नहीं सकते थे। पहले के लोगों के लिये नियम था कि केवल पूजा-पाट के लिये बनाये गये घरों ही में इबादत करें उस से बाहर नहीं। आप इन्सानों के साथ-साथ जिन्नों के भी संदेष्टा थे (देखें पारः29, सूरःजिन्न की आयतें) आप के बाद कोई और संदेष्टा नहीं आयेगा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी झूठा है और अंग्रेजों का एजन्ट है। उस ने अंग्रेज़ों के इशारे पर नबुव्वत का दावा किया है।

बाब {नमाज़ी के सामने सुतरा कितना बड़ा होना चाहिये?}

258:- अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ि॰ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब कोई नमाज़ पढ़ने के लिये खड़ा हो और अपने सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज़ खड़ी कर ले तो वह सुतरा के लिये काफ़ी है। और अगर उतनी ऊँची चीज़ उस के सामने न हो और गधा, महिला या काला कुत्ता उस के सामने से गुज़र जाये तो उस की नमाज़ टूट जायेगी।

हदीस के रिवायत करने वाले बयान करते हैं कि मैं ने पूछाः ऐ अबू ज़र! काले कुत्ते ही की क्यों शर्त है? अगर कुत्ता लाल या पीलें रंग का हो तो? उन्होंने कहाः मेरे भतीजे! मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऐसे ही प्रश्न किया था जैसे आप कर रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया थाः काला कुत्ता शैतान होता है।

फ़ाइदाः- पालान की लकड़ी लगभग एक फुट लंबी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बर्छी और भाला गाड़ कर नमाज़ पढ़ी है (बुख़ारी, मुस्लिम) इमाम का सुतरा मुक़तदियों के लिये भी काफ़ी है (बुख़ारीहदीस न॰ 493, मुस्लिम) जानवर को सामने

खड़ा कर के भी नमाज़ पढ़ सकते हैं (मुस्लिम) जमहूर उलमा का कहना है कि नमाज़ टूट जाने का अर्थ यह है कि नमाज़ में ख़लल और कमी आ जायेगी, न कि यकदम टूट जायेगी (तोहफ़तुल अहवज़ी) नमाज़ी और सुतरा के बीच इतनी दूरी हो कि एक बक्री आराम से गुज़र जाये (बुख़ारी 497, मुस्लिम) अगर कोई आगे से गुज़रने की कोशिश करे तो उसे रोकना चाहिये (बुख़ारी 509) न माने तो ज़बर्दस्ती कर के रोका जाये (बुख़ारी 509) सुतरे के तअ़ल्लुक़ से और तफ़सील हदीस की पुस्तकों में पढ़ी जा सकती है। सुतरा मैदान के लिये है न कि मस्जिद में भी।

बाब {नमाज़ी सुतरा के निकट खड़ा हो।}

259:– सहल बिन सअ़द साअ़दी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जिस स्थान पर नमाज़ पढ़ने के लिये खड़े हाते थे उस में और क़िब्ला की दीवार में इतनी दूरी होती थी कि बकरी का बच्चा उस बीच से निकल जाये।

फ़ाइदाः– मस्जिदे–नबवी में उस समय मेहराब (इमाम घर) नहीं था इसलिये आप मिंबर की बायीं ओर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते थे, इसलिये मिंबर और दीवार के दर्मियान इतनी दूरी थी कि बकरी का बच्चा निकल जाये (बुख़ारी 496, 497) बिलाल रज़ि॰ से रिवायत है कि आप ने काबा में नमाज़ पढ़ाई उस समय आप के और क़िब्ला की दीवार के दर्मियान तीन हाथ की दूरी थी। (बुख़ारी 506) इस से मालूम हुआ कि कम से कम दूरी इतनी हो कि बकरी का बच्चा निकल जाये और अधिक से अधिक दूरी तीन हाथ। मालूम हुआ कि तीन चार हाथ की दूरी से सामने गुज़र जाने से नमाज़ में कोई ख़लल नहीं पड़नी चाहिये।

बाब {नमाज़ी के आगे (पहले ही से) लेटा रहना।}

260:– आ़इशा रज़ि॰ के सामने यह हदीस बयान की गयी कि कुत्ते, गधे और महिला के सामने से गुज़र जाने से नमाज़ टूट जाती है तो उन्होंने कहाः आप लोगों ने तो हम महिलाओं को गधों और कुत्तों के बराबर बना दिया। अल्लाह की क़सम! मैं ने सुब्ह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इस हालत में नमाज़ पढ़ते देखा है कि मैं आप के सामने तख़्त पर क़िब्ला की तरफ़ लेटी हुयी होती थी। मुझे जब (उठने–बैठने की) ज़रूरत पड़ती तो आप के सामने बैठना और आप को तक्लीफ़ देना मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिये तख़्त (चौकी) के पायों की तरफ खिसक जाती थी।

फ़ाइदाः– मुस्लिम ही की दुसरी रिवायत है कि मेरे पाँव आप के सामने क़िब्ला की तरफ़ होते। जब आप सज्दा करने लगते तो मेरा पाँव दबा देते तो मैं समेट लेती और जब खड़े हो जाते तो फिर फैला लेती, यह उन दिनों की बात है जब घरों में चराग़ नहीं जलता था। ऊपर की हदीस में लेटने का ज़िक्र है, और इस हदीस में नमाज़ी का महिला

को छूने का भी ज़िक्र है, लेकिन रात के अँधेरे में जब वह न दिखे। दिन के उजाले में तो बहर हाल दुरूस्त नहीं कि नमाज़ में उसी पर ही नज़र रहेगी और संभोग का बुरा ख़याल पैदा होगा। ऊपर की हदीस में केवल गुज़र जाने से ही नमाज़ नाक़िस हो जाती है तो हर समय नमाज़ में सामने ही रहने पर नमाज़ के न होने में कोई शुब्हा नहीं। रात के अँधेरे में और वह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम। इसलिये कुछ उलमा ने कहा कि यह आप के लिये ख़ास है। या फिर जिन्हें अपने नफ़्स पर भरोसा है उन के लिये इजाज़त है

बाब {क़िब्ला की ओर मुँह कर के खड़े होने का हुक्म।}

261:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने मस्जिद में दाख़िल होकर नमाज़ पढ़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस समय मस्जिद ही के एक कोने में बैठे हुये थे (फिर रावी ने पूरी हदीस बयान फ़रमायी कि अन्त में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया) जब तुम नमाज़ पढ़ने चलो तो पहले अच्छी तरह वुज़ू कर लो, फिर क़िब्ला की तरफ़ मुँह कर के खड़े हो और तक्बीर कहो।

फ़ाइदा:– नमाज़ के दुरूस्त होने के लिये जिस प्रकार पाक होना, वुज़ू से होना, स्थान का पाक होना आदि अनिवार्य हैं, इसी प्रकार क़िब्ला की तरफ़ मुँह होना भी शर्त और अनिवार्य है, वर्ना नमाज़ ही नहीं होगी। बुख़ारी की रिवायत में है कि पाँव की उंगलियाँ भी क़िब्ला की तरफ़ रखे (बुख़ारी 391)

बाब {शाम से काबा की तरफ़ क़िब्ला के तबदील होने का बयान।}

262:– बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ सोलह महीने तक नमाज़ पढ़ी यहाँ तक कि सूरः बक़रः की) यह आयत नाज़िल हुयीः "तुम जहाँ हो वहीं अपना मुँह काबा की तरफ़ फेर लो" (सूरः बक़रः144) यह आयत उस समय नाज़िल हुयी जब आप नमाज़ पढ़ चुके थे। एक सहाबी ने भी सुन लिया, वह राह पकड़ कर जा रहे थे कि अन्सार के कुछ लोगों को (बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ मुँह कर के) नमाज़ पढ़ते हुये देखा तो उन से (क़िब्ला के बदल जाने का) ज़िक्र किया, चुनान्चे वह लोग भी नमाज़ ही की हालत में काबा की तरफ़ फिर गये।

फ़ाइदा:– सूचना देने वाले सहाबी अ़ब्बाद बिन बिश्र रज़ि॰ थे और अन्सार लोग बनी हारिसा की मस्जिद में अ़स्र की नमाज़ पढ़ रहे थे जिसे आजकल मस्जिद क़िबलतैन (दो क़िब्लों वाली मस्जिद) के नाम से जाना जाता है। क़ुबा वालों को दूसरे दिन उस समय सूचना मिली जब वह फ़ज्र की नमाज़ पढ़ रहे थे। चुनान्चे वह लोग भी नमाज़ ही की हालत में काबा की तरफ़ घूम गये। एक क़ियामत तक के लिये समस्त संसार के मुसलमानों का यही क़िब्ला है। इस हदीस से एक मस्अला यह भी मालूम हुआ कि

आवश्यक्ता पड़ने पर नमाज़ की हालत में आगे-पीछे होने में कोई हरज नहीं।

बाब {जब (फ़र्ज़) नमाज़ खड़ी हो जाये तो फ़र्ज़ नमाज़ के अ़लावा और कोइ दूसरी नमाज़ (सुन्नत, नफ़ल) न पढ़ी जाये।}

263:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी जा रही हो तो उस फ़र्ज़ नमाज़ के अ़लावा और कोई नमाज़ पढ़ना दुरूस्त नहीं।

फ़ाइदा:– हनफ़ी लोगों का हाल यह है कि फ़ज्र की नमाज़ हो रही होती है और पीछे आ कर सुन्नतें पढ़ने लगते हैं, यह तरीक़ा नाजाइज़ है। अव्वल फ़र्ज़ को अहमिय्यत न देना, दूसरे जमाअ़त की तौहीन करना और उस में रख़ना और रोड़ा डालना है। इमाम की अवज्ञा और एक जमाअ़त से हट कर अलग तन्हा जमाअ़त बनाना आर यकजुटता व इत्तिफ़ाक़-इत्तिहाद को समाप्त करना है। और यह बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसे लोगों की सुन्नत भी नहीं कुबूल होती और गुनहगार अलग होते है। सुन्नत पढ़ने का यह तरीक़ा है कि या तो घर से पढ़ कर आये, या फिर जमाअ़त से पहले चहुँच कर मस्जिद में पढ़े, या फ़िर जमाअ़त के बाद उसे पढ़ सकता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जुह् की दो सुन्नतें क़ज़ा की हैं। फ़ज्र की नमाज़ के तुरन्त बाद भी फ़ज्र की सुन्नत क़ज़ा कर लेने में कोई हरज नहीं।

बाब {जब जमाअ़त के लिये तक्बीर कही जाये तो मुक़तदी कब खड़े हों?}

264:– अबू क़तादा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब फ़र्ज़ नमाज़ के लिये तक्बीर होने लगे तो उस समय तक न खड़े हो जब तक मुझे देख न लो।

फ़ाइदा:– यानी इमाम के आने से पहले न खड़े हो। और नीचे की हदीस न॰ 265 में है कि जब तक इमाम को न देख लो, तक्बीर न कहो। ऐसा हुक्म इसलिये दिया गया कि तक्बीर कहने के बाद सभी सफ़ लगा कर खड़े हो जायें और इमाम आने में देरी करे तो खड़े रहने से कमज़ोर नमाज़ियों को तक्लीफ़ पहुँचेगी। इसी कारण हुक्म दिया गया कि इमाम को आता देख कर मुअ़ज़्ज़िन तक्बीर कहे और इमाम को आता देख कर लोग नमाज़ के लिये खड़े हों। यहाँ केवल कमज़ोर नमाज़ियों को कष्ट और तक्लीफ़ से बचाना उद्देश्य है। हनफ़ी और सुन्नी मज़हब में "क़दक़ामतिस्सलात" कहने के बाद खड़े होते हैं, इस का मुझे हदीस में सबूत नहीं मिला, इसलिये यह तरीक़ा भी दुरुस्त नहीं है।

बाब {नमाज़ के लिये इक़ामत उस समय कही जाये जब इमाम मस्जिद में आ जाये।}

265:– जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ ने बयान किया कि बिलाल रज़ि॰ सूरज ढल जाने के पश्चात अज़ान देते, लेकिन इक़ामत उस समय तक न कहते जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आ न जाते। जब आप बाहर आ जाते और बिलाल आप

को देख लेते तब तक्बीर कहते।

फ़ाइदाः— इस हदीस को समझने के लिये ऊपर का फ़ाइदा पढ़ें।

बाब {जमाअ़त के लिये इक़ामत हो जाने के बाद इमाम स्नान के लिये मस्जिद से बाहर जा सकता है।}

266:— अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने बयान किया कि मैं ने अबू हुरैरा रज़ि॰ को बयान करते सुना कि एक बार इक़ामत कह दी गयी और हम लोगों ने आप के निकलने से पहले ही सफ़ें भी लगा लीं, इस के बाद आप (अपने कमरे से) निकल कर इमामत के स्थान पर खड़े हो गये, और अभी तक्बीर तहरीमा नहीं कही थी कि कुछ याद आ गयाऔर दोबारा घर में चले गये, और हम लोगों से कह दिया अपने-अपने स्थान पर खड़े रहो। चुनान्चे हम सब आप के इन्तिज़ार में खड़े रहे। फिर आप स्नान कर के वापस आये तो सर से पानी टपक रहा था, फिर आप ने तक्बीर कही और हमारे साथ नमाज़ पढ़ी।

फ़ाइदाः— इस हदीस से कई मस्अले मालूम हुये। आवश्यकता पड़ने पर नमाज़ी मस्जिद से बाहर जा सकता है (हदीस न॰ 249) स्नान के बाद कपड़े से बदन न पोंछें तभी तो आप के सर से पानी टपक रहा था (हदीस 155) इमाम को आता देख कर सफ़ दुरूस्त करें (हदीस 264) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुनुबी थे आप को याद नहीं रहा, इसलिये ख़याल आते ही स्नान करने चले गये (बुख़ारी 639 अबू हुरैरा) एक बार तक्बीर कह देने के बाद दोबारा तक्बीर कहने की आवश्यकता नहीं। नबी से भी भूल-चूक हो जाती है (हदीस 352) जभी तो आप संभोग के बाद नापाकी ही की हालत मेंइमामत करने चले आये।

बाब {सफ़ों को दुरूस्त करना अनिवार्य है।}

267:— अबू मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे कंधों पर हाथ फेर कर कहतेः बराबर-बराबर रहो, आगे-पीछे होकर न खड़े हो, वर्ना तुम्हारे दिलों में फूट पड़ जायेगी (आप यह भी फ़रमाते) मेरे पीछे समझदार और बुद्विमान लोग खड़े हों, फिर वह जो (मर्तबे में) उन के बाद हों, फिर वह खड़े हों जो उन के बाद हों। इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ (हदीस के रावी) ने कहाः लेकिन आज हम लोगों के अन्दर बड़ा इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया है।

फ़ाइदाः— बुख़ारी शरीफ़ में है कि "अपनी सफ़ों को बराबर कर लो, वर्ना अल्लाह पाक तुम्हारे मुँह उलट देगा (हदीस 717-नोमान बिन बशीर) नोमान बिन बशीर रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हम अपना टख़्ना, अपने बग़ल वाले के टख़्ना से मिला कर खड़े होते थे (बुख़ारी 725) अबू दावूद और मुस्नद अहमद में है कि हर नमाज़ी अपने साथी के

क॰ ६१ से

कंधा, क़दम से क़दम और टख़्ने से टख़्ना मिला कर खड़ा होता था (अहमद, अबू दावूद) हनफ़ी उलमा का कहना है कि "दो नमाज़ियों के दर्मियान चार उंगुल की दूरी रहनी चाहिये" क्यों? क्या पाँव मिला लेने से कोई बीमारी लग जायेगी? क्या बग़ल का नमाज़ी अछूत है? हनफ़ी उलमा का इस प्रकार का फ़तवा हदीस की मौजूदगी में बड़ा बचकाना और मूर्खता भरा है।

बाब {पहली सफ़ में शामिल होकर नमाज़ पढ़ना अफ़्ज़ल है।}

268:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अज़ान देने और पहली सफ़ में शामिल होने का सवाब अगर लोगों को मालूम हो जाये तो वह पहली सफ़ में शामिल होने के लिये गोटी डालते (सभी करने को तय्ययार हो जाते) इस प्रकार अगर अव्वल समय पर नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत लोगों को मालूम हो जाये तो एक-दूसरे से पहले पहुँचने की कोशिश करें। इसी प्रकार अगर अ़िशा और फ़ज्र की नमाज़ की फ़ज़ीलत मालूम हो जाए तो इन दोनों नमाज़ों को अदा करने के लिये चूतड़ के बल चल कर आते। (और हर हालत में पहुँचने का संभव प्रयास करते)

फ़ाइदाः– अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मर्दों की सफ़ में सब से अफ़्ज़ल पहली सफ़ है और सब से बुरी अन्तिम सफ़ है। और महिलाओं की सब से बुरी सफ़ पहली सफ़ है और सब से अफ़्ज़ल सफ़ अन्तिम सफ़ है। मर्दों की अन्तिम सफ़ वह है जो महिलाओं की पहली सफ़ से निकट हो। इसी प्रकार महिलाओं की पहली सफ़ वह है जो मर्दों की अन्तिम सफ़ से निकट हो (हदीस न॰ 269) मर्दों की अन्तिम और महिलाओं की प्रथम सफ़ इसलिये अफ़्ज़ल नहीं है कि महिलाएँ मर्दों से और मर्द महिलाओं से सब से निकट होंगे और इस प्रकार शैतान एक-दूसरे के प्रति दिल मेंबूरे ख़याल डालेगा और नमाज़ में कमी पैदा होगी। और अगर मुक़तदी मर्द नहीं, केवल एक महिला या महिलायें हैं तो दोनों ही सूरतों में इमाम के पीछे ही खड़ी होंगी, यहाँ तक कि पत्नी भी अकेली मुक़तदी है तो वह भी अपने इमाम पति की दाहिनी तरफ़ मर्द मुक़तदी की तरह नहीं खड़ी हो सकती है। यहाँ तक कि बच्चों की सफ़ में भी नहीं खड़ी हो सकती है। (बुख़ारी 727 अनस बिन मालिक)

269:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मर्दों की सफ़ों में सब से बेहतर पहली सफ़ और महिलाओं की सफ़ों में सबस से बेहतर अन्तिम सफ़ है।

फ़ाइदाः– कुछ उलमा ने फ़तवा दिया है कि पत्नी अपने पति के दाहिनी तरफ़ खड़ी होकर पति की इमामत में नमाज़ पढ़ सकती है। यह फ़तवा ग़लत है। अनस बिन मालिक रज़ि॰ होकर पति की इमामत में नमाज़ पढ़ सकती है। यह फ़तवा ग़लत है। अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मेरे घर में

नमाज़ पढ़ाई तो आप के पीछे हम दो बच्चे खड़े हुये और हमारे पीछे हमारी माता जी अकेली खड़ी हुयीं (हदीस न॰ 232) यहाँ आप ने अपने कोख से जन्में छोटे लड़के के बग़ल में माँको नहीं खड़ा होने दिया, तो भला पति के बग़ल में पत्नी कैसे खड़ी होकर पढ़ सकती है। क्यों? इसलिये कि एक दूसरे के दिल में लालसा, ख़ाहिश और संभोग का बुरा ख़याल पैदा होगा।

बाब {हर नमाज़ के लिये दातून करना अफ़ज़ल है।}

270:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर मोमिनों पर कठिन न होता (और जुहेर की रिवायत में यूँ है) अगर मेरी उम्मत के लोगों पर कठिन न होता तो मैं उन्हें हर नमाज़ के लिये दातून करने का हुक्म देता।

फ़ाइदा:– दस चीज़ें संदेष्टाओं की सुन्नत हैं उन में से एक दातून करना है (हदीस न॰ 182) हदीस में है कि जो नमाज़ दातून कर के पढ़ी जाये वह बिना दातून वाली नमाज़ के 27 गुना अधिक फ़ज़ीलत और बर्कत वाली है। इस में केवल दाँत ही की सफ़ाई नहीं शामिल है बल्कि मुँह, जीभ, हलक़, तालू आदि सब की सफ़ाई शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब दातून करते तो "ओ, ओं" करते थे। यानी जब गले की सफ़ाई की जाये तो इसी प्रकार की आवाज़ निकलती है (बुख़ारी 244) हकीमों का कहना है कि बराबर दातून करते रहने से आँख की ज्योति (रोशनी) कम नहीं होती और याद रखने की क्षमता (याददाशत) कभी कम न ही होती है। मिस्वाक करना कितना अहम और ज़रूरी है इस का अनुमान इस से लगाएँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने देहान्त से चन्द मिनट पहले आ़इशा रज़ि॰ के भाई अ़ब्दुर्रहमान रज़ि॰ से उन का दातून माँगकर किया (बुख़ारी हदीस न॰.....) मिस्वाक (दातून) में हरी लकड़ी, मंजन, कालगेट आदि सब शामिल हैं। लेकिन दातून की कुछ और ही बात है।

बाब {नमाज़ में दाख़िल होते समय अल्लाह को याद करने की फ़ज़ीलत का बयान।}

271:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक शख़्स (तेज़ी से चल कर) आया उस समय उस का साँस फूल रहा था और उसी हालत में सफ़ में शामिल हा कर दुआ़ माँगने लगा :

अल्–हमदु लिल्लाहि हम्–दन् कसी–रन् तय्यि–बन्
मुबा–र–कन् फ़ीहि

(हर प्रकार की पवित्र और बर्कत वाली प्रशंसा
केवल अल्लाह पाक के लिये है)

जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ चुके तो फ़रमायाः दुआ़ओं के यह शब्द कहने वाला कौन है? यह सुन कर लोग चुप हो गये। लेकिन आप ने पुनः पूछाः

यह शब्द किस ने कहे है? जिस ने भी कहे हैं कोई बुरे शब्द नहीं कहे हैं। इस पर एक सहाबी बोले: मैं आया तो उस समय मेरा साँस फूल रहा था और उसी हालत में यह शब्द कहे (इसलिये स्वर बुलन्द हो गया और आप ने सुन लिया) यह सुन कर आप ने फ़रमाया: मैं ने 12 फ़रिश्तों को देखा जो इस शुक्र के शब्द को अल्लाह पाक के दर्बार में सब से पहले पहुँचाने के लिये एक-दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश कर रहे थे।

फ़ाइदा:— अल्लाहु अक्बर! कितना छोटा सा वाक्य है लेकिन अल्लाह पाक के निकट कितना प्यारा और मर्तबे वाला है। उस वाक्य को ऊपर रोमन हिन्दी में लिख दिया गया है उसे अवश्य याद कर के दिन-रात में दो-बार अवश्य ही पढ़ा करें। यह दुआ केवल नमाज़ में पढ़ना आवश्यक नहीं। बुख़ारी की रिवायत में इस प्रकार है "जब आप रूकूअ़ से सर उठाते तो समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह कहते (जब आपने कहा तो) एक व्यक्ति ने पीछे से कहा "रब्बना ल-कल् हम्दु हम्-दन् कसी-रन् तय्यिय-बन् मुबा-र-कन् फ़ीहि" आप ने नमाज़ के बाद पूछा: किस ने यह शब्द पढ़ा है? एक व्यक्ति ने कहा: मैं ने। आप ने फ़रमाया: मैं ने देखा कि 30 फ़रिश्ते इस वाक्य को लिखने में एक-दूसरे से आगे बढ़ जाने में लगे थे। (बुख़ारी 799-रिफ़ाअ़ा बिन राफ़े रज़ि॰)

बाब {नमाज़ में रफ़उल्-यदैन (दोनों हाथों को कन्धों तक उठाना) अनिवार्य है।}

272:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़ के लिये खड़े होते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों मोंढों तक उठा कर "अल्लाहु अक्बर" कहते। और जब रूकूअ़ करने का इरादा करते तब भी ऐसा ही करते (यानी कंधों तक हाथ उठाते) और जब सज्दा से सर उठाते तो ऐसा न करते, यानी दोनों सज्दों के दर्मियान हाथ नहीं उठाते थे।

फ़ाइदा:— 'रफ़ा यदैन' चार मौक़ों पर किया जाता है (1) तक्बीर तहरीमा के समय (2) रूकूअ़ में जाते समय (3) रूकूअ़ से सर उठाने के बाद (4) तीसरी रक्अ़त के लिये उठने के बाद। तक्बीर तहरीमा के समय हाथ उठाने पर पूरी उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है, और बाक़ी में इख़्तिलाफ़ है। कुछ हनफ़ी उलमा मन्सूख़ कहते हैं, कुछ के निकट न उठाना अफ़ज़ल हैं। बहुत से हनफ़ी उलमा ऐसे हैं जो दिल से मानते हैं लेकिन ज़बान से एलान नहीं करते हैं, इसीलिये कि इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ के फ़तवे की लाज रखनी है चाहे हदीस की मुख़ालिफ़त ही क्यों न होती हो। इस विषय पर बहुत अधिक पुस्तकों और पत्रिकाओं में लिखा जा चुका हैं, इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिये उन का मुताला करें। शाह व लिय्युल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह॰ अपनी पुस्तक में लिखते हैं: "रफ़ा यदैन करने वाला मुझको न करने वाले से अधिक प्यारा है" इसलिये कि न करने से एक सुन्नत छूटती है। तफ़सील अन्य दूसरी पुस्तकों में पढ़ें।

बाब {नमाज़ किस शब्द से आरंभ होती है और किस शब्द पर समाप्त होती है?}

273:- आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम "अल्लाहु अक्बर" कह कर नमाज़ आरंभ करते, फिर सूरः फ़ातिहा पढ़ते, फिर रूकूअ़ करते तो सर को न बहुत ऊँचा रखते और न नीचा (बल्कि पीठ के बराबर रखते) और जब रूकूअ़ से सर उठाते तो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते फिर सज्दा में जाते, जब सज्दा से सर उठाते तो सीधा बैठ जाते फिर दूसरा सज्दा करते, और दो रक्अ़त के बाद (क़ादा में) अत्तहिय्यात पढ़ते और बायाँ पाँव बिछा कर दायाँ पाँव खड़ा करते और शैतान के बैठने की तरह बैठने से मना फ़रमाते थे, और इस से भी मना करते थे कि आदमी अपने दोनों हाथ ज़मीन पर दरिन्दे जानवर (जैसे शेर, कुत्ता) के पैर फैला कर बैठने की तरह न बिछाए, और नमाज़ को सलाम पर संपन्न करते थे।

फ़ाइदा:- रूकूअ़, सज्दा, क़ादा आदि के अन्दर कौन-कौन सी दुआएँ पढ़ी जायें? इन का बयान तफ़सील से बुख़ारी और मुस्लिम की रिवायतों में मौजूद हैं, विस्तार से जानकारी के लिये हिन्दी में लिखी गयी नमाज़ की पुस्तकों को पढ़ें, यहाँ विस्तार की गुंजाइश नहीं। इस हदीस से यह मालूम हुआ कि "अल्लाहु अक्बर" से नमाज़ का आरंभ होता है और "अस्सलामु अ़लैकुम् व-रहमतुल्लाहि" पर समापन। इमाम मालिक रह॰ का कहना है कि एक ही सलाम करना सुन्नत है, लेकिन इन का तर्क ज़ओ़फ़ है, दो सलाम वाली हदीसें सहीह रिवायत से साबित हैं। पहला सलाम दाहिनी और मुँह कर के और दूसरा सलाम बाँयी ओर मुँह कर के। एक रिवायत में "व-ब-रकातुहू" भी आया है। मालूम हुआ कि दोनों तरह कहना दुरूस्त है। नमाज़ से बाहर आने के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सलाम फेरने का तरीक़ा बताया है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ का कहना है कि नमाज़ के ख़िलाफ़ कोई भी काम कर के जैसे बात कर के, या हवा ख़ारिज कर के, या खड़े होकर नमाज़ से अलग हो सकता है। इन बुरे तरीक़ों को अपना कर नमाज़ से अलग होना बड़ी बुरी बात है और यह मश्वरा भी बुरा है।

बाब {नमाज़ में "अल्लाहु अक्बर" कहना चाहिये।}

274:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ने के लिये खड़े हाते तो तक्बीर (अल्लाहु अक्बर) कहते, फिर रूकूअ़ करते समय अल्लाहु अक्बर कहते। और जब रूकूअ़ से सर उठाते हुये "समि-अ़ल्लाहु लि-मन् हमि-दह् कहते, तो खड़े-खड़े "रब्बना व-ल-कल् हम्दु" पढ़ते, फिर जब सज्दा करते तो अल्लाहु अक्बर कहते, और जब सज्दा से सर उठाते तो "अल्लाहु अक्बर" कहते। इस प्रकार नमाज़ के समापन तक हर उठते-बैठते समय "अल्लाहु अक्बर" कहते। फिर जब दो रक्अ़त के बाद तीसरी रक्अ़त के लिये खड़े होते तो भी "अल्लाहु अक्बर" कहते। तीसरी रक्अ़त के लिये खड़े होते तो भी "अल्लाहु अक्बर" कहते। यह बयान करने के बाद अबू हुरैरा रज़ि॰ ने कहा। आप लोगों के मुक़ाबले में मैं अधिक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के नमाज़ पढ़ने की तरह नमाज़ पढ़ता हूँ।

फ़ाइदा:– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कहाँ–कहाँ और किस–किस स्थान पर "अल्लाहु अक्बर" और दुआएँ पढ़ते कहते थे, वह स्थान और दुआएँ सभी जानते हैं। इस में किसी प्रकार का इख़्तिलाफ़ भी नहीं है। यहाँ रूकूअ़ से सर उठाने के बाद "रब्बना व–ल–कल् हम्दु" पढ़ने का ज़िक्र है, लेकिन हदीस न॰ 271 में "हम–दन् कसी–रन तय्यि–बन् मुबा–र–कन् फ़ीहि" का भी ज़िक्र है और इसी प्रकार बुख़ारी शरीफ़ में भी है (बुख़ारी 799 रिफ़ाआ़ ,बिन राफ़े रज़ि॰) मालूम हुआ कि दोनों तरह से पढ़ सकते हैं।

बाब {तक्बीर आदि इमाम के कहने से पहले कहना मना है।}

275:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हम लोगों को शिक्षा देते हुये फ़रमातेः इमाम से पहले कोई काम न करो। जब वह "अल्लाहु अक्बर" कहे तब तुम भी कहो। जब वह "व–लज़्ज़ाल्लीन" कहे उस के बाद तुम "आमीन" कहो, जब वह रूकूअ़ करे तो तुम भी बाद में रूकूअ़ करो, जब वह "समि–अ़ल्लाहु" कहे तो तुम बाद में "रब्बना व–ल–कल् हम्दु" कहो।

फ़ाइदा:– इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बड़ी सख़्त ताकीद फ़रमायी है, चुनान्चे एक रिवायत में आप ने फ़रमायाः "जो व्यक्ति (रूकूअ़ या सज्दे में) इमाम से पहले अपना सर उठा लेता है क्या वह इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उस का सर गधे के सर की तरह और उस का मुँह गधे के मुँह की तरह बना दे (बुख़ारी 691–अबू हुरैरा रज़ि॰) क्योंकि इस में इमामत की तौहीन तो है ही, जमाअ़त का भी मज़ाक़ उड़ाना और इमाम की इताअ़त से अवज्ञा करना है। चुनान्चे हदीस की रोशनी में ऐसा करने वाले की नमाज़ दुरूस्त न होगी। मुल्ला अ़ली क़ारी रह॰ ने मिश्कात शरीफ़ के हाशिया में लिखा है कि एक व्यक्ति जानबूझ कर ऐसा करता रहा तो उस का मुँह वास्तव में गधे की तरह हो गया। और अल्लाह पाक के लिये ऐसा दन्ड देना कोई कठिन नहीं।

बाब {मुक़्तदी के लिये इमाम की पैरवी अनिवार्य है।}

276:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि घोड़े पर से गिरने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की दाहिनी तरफ़ का शरीर छिल गया तो हम लोग आप की ख़ैरियत मालूम करने के लिये गये। इसी दर्मियान नमाज़ का समय हो गया तो आप ने बैठे–बैठे नमाज़ पढ़ाई, जब हम लोग नमाज़ पढ़ चुके तो आप ने फ़रमायाः इमांम इसीलिये बनाया जाता है कि उस की पैरवी की जाये। इसलिये जब वह तक्बीर कह चुके तो तुम भी कहो, जब वह सज्दा करे तो तुम भी करो, जब वह सर उठाये तो तुम भी उठाओ, जब वह "समि–अ़ल्लाह" कहे तो तुम "रब्बना ल–कल् हमदु" कहो और जब वह बैठ कर नमाज़ पढ़ाए तो तुम भी बैठ कर ही कर पढ़ो।

फ़ाइदा:– यह हुक्म कि इमाम बैठ कर नमाज़ पढ़ाए तो मुक़्तदी भी बैठ कर पढ़ें, मन्सूख़ है। अब अगर इमाम बैठ कर पढ़ाए तो मुक़्तदी खड़े होकर पढ़ें, क्योंकि नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने अन्तिम समय में ऐसे ही नमाज़ पढ़ाई है (देखें बुख़ारी-हदीस न॰ 686, 687-आइशा रज़ि॰+ मुस्लिम-किताबुस्सलात) इमाम मुस्लिम रह॰ ने इस प्रकार बाब बाँधा है "इमाम अगर बीमारी या सफ़र आदि की वजह से नमाज़ पढ़ाने के लिये किसी को अपना नाइब बनाए तो यह जाइज़ है। इसी प्रकार अगर इमाम बैठ कर नमाज़ पढ़ाए और मुक़तदी खड़ा हो कर पढ़ सकता है तो वह खड़ा होकर ही पढ़े, क्योंकि मुक़तदी के भी बैठ कर नमाज़ पढ़ने का हुक्म मन्सूख़ है।" याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अबू बक्र के बग़ल में बायीं तरफ़ बैठ कर उन की इमामत की और अबू बक्र ने पीछे मुक्तदियों की इमामत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अबू बक्र के पीछे कभी नमाज़ नहीं पढ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने केवल एक सहाबी अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि॰ के पीछे फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी है, जबकि आप और अबू मूसा अश-अ़री रज़ि॰ लश्कर से पीछे रह गये थे और लोगों ने औफ़ रज़ि॰ को इमाम बना दिया था। आप की एक रक्अ़त छूट भी गयी थी जिसे इमाम के सलाम फेरने के बाद आप ने पूरी की। यह घटना जंग तबूक के मौक़ा की है। (मुस्लिम-किताबुस्सलात)

बाब {नमाज़ की निय्यत बाँधने के लिये एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखना चाहिये।}

277:- वाइल बिन हुज्र रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखाः आप ने नमाज़ आरंभ करते समय अपने दोनों हाथों को उठा कर अल्लाहु अक्बर कहा (इस हदीस के रावी हम्माम का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाया) फिर चादर ओढ़ ली, इस के बाद दायें हाथ को बाएँ हाथ पर रखा। (और सना, फ़ातिहा और कोई सूरत पढ़ने के बाद) फिर चादर से दोनों हाथों को निकाल कर कानों तक उठा कर अल्लाहु अक्बर कहा और रूकूअ़ में चले गये। फिर खड़े होकर "समि-अ़ल्लाहु लि-मन् हमि-दह" कह कर रफ़ा यदैन किया (फिर रब्बना.....पढ़ कर सज्दे में चले गये) और दोनों हथेलियों के बीच में सज्दा किया।

फ़ाइदा:- इस से कई मस्अले मसलूम हुये (1) तक्बीर तहरीमा के समय हाथ को कन्धों तक या कान के लौ तक उठाए। दोनों का सबूत है और दोनों पर अमल करना जाइज़ है। (2) दायां हाथ बाएँ हाथ पर रख कर निय्यत बाँधे। तमाम इमामों में केवल इमाम मालिक का कहना है कि चाहे तो हाथ बाँधे और चाहे तो न बाँधे, लटकाए रखे। लेकिन बुख़ारी और मुस्लिम की इस रिवायत और दीगर रिवायतों की रोशनी में इमाम मालिक के फ़तवे पर अ़मल दुरूस्त नहीं (3) रूकूअ़ में जाते हुये भी हाथ कंधों तक उठाए। (4) रूकूअ़ से खड़े हाते समय भी हाथ उठाए (रफ़ा यदैन करे) लेकिन हनफ़ी उलमा इस रफ़ा यदैन को मन्सूख़ कहते हैं। इन की तहक़ीक़ ग़लत है। हैरत है कि तक्बीर तहरीमा के समय और रूकूअ़ में जाते समय और तीसरी रक्अ़त के लिये खड़े हाते समय

में रफ़ा यदैन को नहीं मन्सूख़ किया गया, केवल रूकूअ़ से सर उठाते समय रफ़ा यदैन करने को क्यों मन्सूख़ माना जाये? इस बेचारे ने क्या गुनाह किया था? अहले हदीस उलमा ने इस विषय पर इतना कुछ लिख दिया है कि इस से आगे लिखने की आवश्यक्ता नहीं, लेकिन हनफ़ी लोग "मैं न मानूँ" पर जान-बूझ कर अड़े हुये हैं। बहरहाल रफ़ायदैन न करना एक सुन्नत को छोड़ना है और रफ़ा यदैन करना, एक सुन्नत पर अ़मल करना है। इख़्तिलाफ़ की सूरत में छोड़ने से बेहतर उस पर अ़मल करना है। चुनान्चे शाह वलिय्युल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह॰ लिखते हैं कि मेरे नज़दीक रफ़ा यदैन करना, न करने से ज़्यादा बेहतर है। तफ़सील दूसरी पुस्तकों में देखें।

बाब {अल्लाहु अक्बर कह कर निय्यत् बाँधने और सूरः फ़ातिहा पढ़ने से पहले कौन सी दुआ़ पढ़ी जाये?}

278:— अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब अल्लाहु अक्बर कह कर निय्यत बाँध लेते तो (सूरः फ़ातिहा से पहले) यह दुआ़ पढ़तेः

> **वज्जहतु वज्हि-य लिल्लज़ी फ़-त रस्समावाति वल्-अर्-ज़ हनी-फ़न् वमा अना मि-नल् मुश्‌रिकी-न+इन्न सलाती वनुसुकी व-मह्‌या-य व-ममाती लिल्लाहि रब्बिल् आ़-लमी-न, ला-शरी-क लहू वबिज़लि-क उमिर्‌तु व-अना मि-नल् मुस्‌लिमी-न+ अल्लाहुम्म अन्-तल् मलिकु ला इला-ह इल्ला अन्-त रब्बी व-अना अ़ब्दु-क ज़ लम्‌तु नफ़्सी वा-त-रफ़्तु बि-ज़म्बी फ़ग़्फ़िर्-ली ज़ुनूबी जमी-अ़न् इन्नहू ला यग़्फ़िरूज़्ज़ुनू-ब इल्ला अन्-त वह्‌दिनी लि-अह्-सनिल् अख़्लाक़ि ला यह्‌दी लि-अह्-सनिहा इल्ला अन्-त वस्‌रिफ़् अ़न्नी सय्यि-अहा ला यस्‌रिफ़् अ़न्नी सय्यि-अहा इल्ला अन्-त लब्बे-क वसादै-क वल्ख़ैरू कुल्लुहू फ़ी यदै-क वश्शरू लै-स इलै-क अना बि-क वइलै-क, तबा-रक्-त व-तआ़लै-त अस्-तग़फ़िरू-क व-अतूबु इलै-क**

और जब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रूकूअ़ में जाते तो यह दुआ़ पढ़तेः

> **अल्लाहुम्म ल-क र-का-तु वबि-क आ-मन्‌तु व-ल-क अस्-लम्‌तु ख़-श-अ़ ल-क सम्‌अ़ी व-ब-सरी वमुख़्ख़ी व-अ़ज़्मी व-अ़स्‌बी**

और जब आप रूकूअ़ से सर उठाते तो यह दुआ़ पढ़तेः

> **अल्लाहुम्म रब्बना ल-कल् हम्‌दु मिल्-अस्समावाति वमिल्-अल् अर्‌ज़ि वमिल्‌उ मा-बै-नहुमा वमिल्‌उ मा शे-त मिन् शैइन् बादु**

और जब सज्दा में जाते तो यह दुआ़ पढ़तेः

> **अल्लाहुम्म ल-क स-जत्तु वबि-क आ-मन्‌तु व-ल-क**

अस्-लम्तु,स-ज-द वज्हि-य लिल्लज़ी ख़-ल-क़हू व-सव्व-रहू व-शक़्क़ सम्-अ़हू व-ब-स-रहू तबा-र-कल्लाहु अह्-सनुल् ख़ालिक़ी-न

फिर अन्त में तशह्हुद और सलाम के बीच में यह दुआ़ पढ़तेः

अल्लाहुम्मग़ फ़िर् ली मा क़द्दम्तु वमा अख़्ख़र्तु वमा अस्-रर्तु वमा आ-लन्तु वमा अस्-रफ़्तु वमा अन्-त आ-लमु बिही मिन्नी अन्-तल् मु-क़द्दिमु व-अन्-तल् मु-अख़्ख़िरू ला इला-ह इल्ला अन्-त

एक दूसरी रिवायत में यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़ शुरू करते तो "अल्लाहु अक्बर" कहते और फ़रमातेः "वज्जहतु वज्हि-य लिल्लज़ी फ़-त-रस्समावाति वल्-अर्-ज़...........।

फ़ाइदाः– इन दुआ़ओं के अ़लावा और भी दुसरी दुआ़यें हैं जो क़ियाम, रूकूअ़ और सज्दा में पढ़ी जाती हैं जैसे "अल्लाहुम्म बाअ़िद बैनी......" रब्बना ल-कल् हम्दु, सुबहा-न रब्बि-यल् अ़ज़ीमि, सुबहा-न रब्बि-यल आला आदि, यह सभी दुआ़एँ सहीह अहादीस से साबित हैं जो आसानी से पढ़ सके पढ़ ले। दुआ़ओं को रोमन लिपि में लिख दिया है ताकि इसे याद कर सकें। अल्लाह का शुक्र है कि इन दुआ़ओं में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं है।

बाब {नमाज़ में "बिस्मिल्ला र्हिरमा निर्रहीम" बुलन्द आवाज़ से नहीं पढ़ना चाहिये।}

279:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, अबू बक्र सिद्दीक़, उमर फ़ारूक़ और उस्मान ग़नी रज़ि॰ के साथ नमाज़ पढ़ी है लेकिन इन में से किसी को भी मैं ने "बिस्मिल्लाहिर्रहमा निर्रहीम" (बुलन्द आवाज़ से) पढ़ते हुये नहीं सुना।

फ़ाइदाः– कुरआन मजीद में कुल 114 सूरतें हैं जिन में सूरः तौबा को छोड़ कर सभी 113 सूरतों के आरंभ में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या यह बिस्मिल्लाह हर सूरः की एक आयत हैं? इमाम शफ़अ़ी रह॰ का कहना है कि केवल सूरः फ़ातिहा की एक आयत है (और बाक़ी सूरतों के आरंभ में तबर्रूक के तौर पर लिखा है) तो जब सूरः फ़ातिहा का जुज़ है तो उसे पढ़ना अनिवार्य है। जेहरी नमाज़ों (मग़िरब, अ़िशा, फ़ज्र) में बुलन्द आवाज़ से और सिर्री नमाज़ों (जुह्-अ़स्) में आहिस्ता पढ़े। अनस बिन मालिक और अ़ब्दुल्लाह आदि जिन लोगों ने बिस्मिल्लाह न सुनने का ज़िक्र किया है यह लोग उस समय कम आयु के थे, इसलिये हो सकता है अन्तिम सफ़ में रहते रहे होंगे इसलिये सुन नहीं पाए होंगे। बिस्मिल्लाह बुलन्द आवाज़ से पढ़ने के बारे में भी बहुत सी हदीसें आयी हैं। खुलासा यह कि पढ़ना ज़रूरी है, चाहे आहिस्ता पढ़े या बुलन्द आवाज़ से। यही बात नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ रह॰ ने भी अपनी पुस्तक में लिखी है (वहीदी)

बाब {बिस्मिल्ला हिंरहमा निंरहीम के बारे में क्या हुक्म है?।}

280:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हम लोगों के बीच में उपस्थित थे कि आप उँघने लगे, फिर (जाग कर) हँसने लगे और अपना सर ऊपर उठा लिया। हम ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप किस बात पर हँस रहे हैं? आप ने फ़रमायाः मुझ पर अभी-अभी कुरआन पाक की एक सूरः नाज़िल हुयी है, फिर आप ने "बिस्मिल्ला हिंरहमा निंरहीम" को पढ़ कर सूरः कौसर की तिलावत फ़रमायी। फिर पूछाः जानते हो कौसर क्या चीज़ है? हम ने कहा अल्लाह और उस के संदेष्टा ही बेहतर जानते हैं। आप ने फ़रमायाः कौसर एक नहर का नाम है जिसे मुझे देने का अल्लाह ने वादा फ़रमाया है, उस में बड़ी ख़ैर-बर्कत है। क़ियामत के दिन मेरे उम्मती उसी का पानी पीने के लिये मेरे पास आयेंगे। उस हौज़ पर इतने गिलास रखे हुये हैं जितने आकाश में तारे हैं (यानी बेशुमार) उस हौज़ से एक व्यक्ति को भगा दिया जायेगा तो मैं कहूँगाः ऐ मेरे मौला! वह भी मेरा ही उम्मती है। अल्लाह तआ़ला कहेगाः यह आप का उम्मती नहीं है, यह तो उन में से है जिन्होंने आप के दुनिया से चले जाने के बाद दीन में बिद्अ़तें ईजाद की थीं।

फ़ाइदाः– इसी हदीस को कुछ उलमा दलील बना कर कहते हैं कि बिस्मिल्लाह सूरः कौसर की एक आयत है (यानी सूरः कौसर में चार आयतें हैं) लेकिन हक़ीक़त यह है. के न तो सूरः कौसर की आयत है और न ही हर सूरः की आयत है, और न ही नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म दिया है। हाँ कुरआन पाक पढ़ते समय "अऊज़ु बिल्लाहि मि-नश्शैता निंरजीम" पढ़ने का हुक्म कुरआन से साबित है (पारः 14, सूरः नह्ल आयत 98) यही कारण है कि सऊदी अ़रब और मिस्र आदि से प्रकाशित कुरआन में बिस्मिल्लाह, रूकूअ़, आयतों के दर्मियान ठहरने के चिन्ह आदि सब कुछ नहीं होते हैं। यह सब बाद्द के उलमा ने जाहिल लोगों की आसानी के लिये बढ़ा दिये हैं। फिर भी तर्बरूक के तौर पर और हर कार्य को बिस्मिल्लाह से आरंभ करने का हुक्म है तो कुरआन की तिलावत भी बिस्मिल्लाह से आरंभ करें, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सूरः कौसर में पढ़ा।

बाब {नमाज़ में सूरः फ़ातिहा का पढ़ना फ़र्ज़ है।}

281:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने नमाज़ में सूरः फ़ातिहा नहीं पढ़ी तो उस की नमाज़ अधूरी रही, पूरी नहीं हुयी। यह वाक्य आप ने तीन मर्तबा बयान फ़रमायाः इस पर सहाबा ने पूछाः ऐ अबू हुरैरा! अगर हम इमाम के पीछे हों तो क्या करें? उन्होंने कहाः उस समय आहिस्ता से पढ़ लिया करो, क्योंकि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया हैः नमाज़, मेरे और बन्दे के दर्मियान आधी-आधी तक़्सीम हो चुकी है, और मेरा बन्दा जो माँगता है उसे पूरा किया जाता है। चुनान्चे जब बन्दा

"अल्-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आ-लमी-न" कहता है तो अल्लाह पाक फ़रमाता है: मेरे बन्दे ने मेरी प्रशंसा की। और जब "अर्रहमानिर्रहीम" कहता है तो फ़रमाता है: मेरे बन्दे ने मेरी खुबियाँ बयान की। जब "मालिकि यौमिद्दीन" कहता है तो फ़रमाता है: मेरे बन्दे ने मेरी बड़ाई बयान की (रावी ने यह भी कहा कि अल्लाह कहता है) मेरे बन्दे ने अपने समस्त कार्य मेरे हवाले कर दिये। और जब नमाज़ी "इय्या-क नाबुदु वइय्या-क नस्-तओ़ीनु" पढ़ता है तो अल्लाह फ़रमाता है: यह मेरे और मेरे बन्दे के दर्मियान का मामला है, मेरा बन्दा जो मुझ से माँगेगा वह उसे मिलेगा। फिर जब "इह्दि-नस्सिरा-तल् मुस्-तक़ीम.....पढ़ता है तो अल्लाह पाक उत्तर देता है: यह सब मेरे बन्दे के लिये है, वह जो कुछ भी माँगेगा उसे दिया जायेगा।

फ़ाइदा:– अगर नमाज़ी अकेला नमाज़ पढ़ रहा है तो उसके लिये सूरः फ़ातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है, इस में किसी का भी इख़्तिलाफ़ नहीं है। इख़्तिलाफ़ इमाम के पीछे पढ़ने में है। हक़ीक़त यह है कि इमाम के पीछे पढ़ने के तअ़ल्लुक़ से हदीसें भरी पड़ी हैं, लेकिन अगर हनफ़ी न मानें तो कोई क्या कर सकता है। सूरः फ़ातिहा इमाम के पीछे पढ़ना कैसा है? इस मुद्दे को इस प्रकार समझें। इमाम अबू हनीफ़ा रह० के नज़दीक इमाम के पीछे सूरः फ़ातिहा न पढ़ें। दूसरे इमामों के नज़दीक अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज़ नहीं होगी। लेकिन अगर एक हनफ़ी सूरः फ़ातिहा पढ़ ले, तो इस पर इमाम अबू हनीफ़ा रह० क्या कहते हैं? क्या उस की नमाज़ ख़राब हो जायेगी? इमाम साहब के शार्गिद इमाम मुहम्मद का कहना है कि सूरः फ़ातिहा इमाम के पीछे पढ़ लेना बेहतर है। फिर जब एक गरोह के निकट न पढ़ने से नमाज़ ही नहीं होगी और अबू हनीफ़ा के नज़दीक़ नमाज़ हो जायेगी, तो इस सूरत में एक बुद्विमान का यह काम है कि सूरः फ़ातिहा पढ़ ले, ताकि शुब्हा की गुंजाइश ही समाप्त हो जाये, जबकि इमाम मुहम्मद का कहना भी है कि पढ़ लेना बेहतर है। (मुअत्ता इमाम मुहम्मद)

हनफ़ी उलमा का कहना है कि इमाम का पढ़ लेना मुक़तदी के लिये काफ़ी है, तो फिर पूरी नमाज़ में इमाम समस्त दुआएँ भी पढ़ता है तो वह भी मुक़्तदी के लिये काफ़ी होनी चाहिये। फिर मुक़तदी इमाम के पीछे और बाक़ी अर्कान की दुआएँ क्यों पढ़ता है?

अ़ल्लामा शारानी कट्टर हनफ़ी लिखते हैं: "इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद के दो फ़तवे हैं। पहला फ़तवा यह है कि सूरः फ़ातिहा इमाम के पीछे पढ़ना न वाजिब है और न सुन्नत। दूसरा फ़तवा यह है कि सिर्री नमाज़ में एहतियात के तौर पर पढ़ना चाहिये। लेकिन इमाम साहब का दूसरा फ़तवा लोगों तक न पहुँच सका। मौलाना अ़ब्दुल्हई लखनवी रह० लिखते हैं: इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद ने सिर्री नमाज़ में इमाम के पीछे सूरः फ़ातिहा पढ़ना बेहतर बताया है (उम्-दर्तुरिआ़या-मौलाना अब्दुल् हई) तफ़सील से मालूमात के लिये देखें बुख़ारी हदीस न० 755 की तशरीह मौलाना दावूद राज़।

इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पूरी सूरः फ़ातिहा पढ़ कर तफ़सील बताई है, और बिस्मिल्लाह भी सूरः फ़ातिहा की एक आयत होती तो उस को भी पढ़ कर बतलाते, मालूम हुआ कि बिस्मिल्लाह सूरः फ़ातिहा का हिस्सा, और आयत नहीं है।

बाब {कुरआन में जिस हिस्सा का पढ़ना सरल हो उसे पढ़ना चाहिये।}

282:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मस्जिदे-नबवी में बैठे हुये थे कि इसी दर्मियान एक सहाबी आये और नमाज़ पढ़ी, फिर आप को सलाम किया, आप ने उन के सलाम का जवाब दिया और फ़रमायाः जाओ (दोबारा) नमाज़ पढ़ो इसलिये कि तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी है। चुनान्चे उन्होंने वापस जाकर दोबारा पहले ही की तरह नमाज़ पढ़ी और आ कर आप को सलाम किया। आप ने उत्तर दियाः व-अ़लै-कस्सलामु और फिर फ़रमायाः जा कर पुनः नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी है। चुनान्चे उन्होंने तीन मर्तबा नमाज़ पढ़ी, फिर कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! उस अल्लाह की क़सम, जिस ने आप को सच्चा सन्देष्टा बना कर भेजा है, मैं इस से अधिक अच्छे ढंग से नमाज़ पढ़ना नहीं जानता, इसलिये आप मुझे नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सिखा दीजिये। आप ने फ़रमायाः (सुनों!) जब नमाज़ के लिये खड़े हो तो पहले अल्लाहु अक्बर कहो और जितना कुछ कुरआन आसानी से पढ़ सकते हो पढ़ों। फिर रूकूअ़ में जाओ और इतमिनान से झुके रहो, फिर सर उठा कर इतमिनान से खड़े हो जाओ, फिर इसी प्रकार इतमिनान से सज्दा भी करो, फिर सर उठा कर इतमिनान से बैठ जाओ, इसी प्रकार इतमिनान से पूरी नमाज़ अदा करो।

फ़ाइदाः– यह हदीस संक्षिप्त है। इब्ने अबू शैबा और अबू दावूद में यूँ है कि “पहले फ़ातिहा पढ़ो, फिर कुरआन में से जो आसानी से पढ़ सकते हो उसे पढ़ो। इसलिये सूरः फ़ातिहा न पढ़ने का सबूत इस हदीस से नहीं साबित कर सकते। फिर चूंकि वह अकेले पढ़ रहा था और आप अकेले पढ़ने का तरीक़ा बता रहे हैं तो यह क्योंकर संभव है कि सूरः फ़ातिहा के बाद और कोई सूरः या आयत पढ़ें या न पढ़ें? जमहूर उलमा का कहना है कि अन्तिम दो रकअ़तों में अगर सूरः फ़ातिहा के बाद कोई सूरः पढ़ना चाहे तो इस में भी कोई हरज नहीं, ऐसा करना मुस्तहब है जैसा कि आगे की हदीस न॰ 283 में है। इस हदीस से मालूम हुआ कि रूकूअ़ सज्दा और नमाज़ के दूसरे अर्कान को इतमिनान से अदा करना अनिवार्य है, वर्ना नमाज़ नहीं होगी।

बाब {इमाम के पीछे (सूरः फ़ातिहा के अ़लावा) कुरआन में से पढ़ना जाइज़ है।}

283:– अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें जुह्र या अ़सर की नमाज़ पढ़ाई, फिर पूछाः मेरे पीछे कौन सूरः “आला” पढ़ रहा था? एक सहाबी ने कहाः मैं ने पढ़ी है और नेक निय्यती

से पढ़ी है। आप ने फ़रमायाः जभी तो मुझे मालूम हुआ कि कुछ लोग मुझे क़िरात में उलझा रहे हैं।

फ़ाइदाः– सिर्री नमाज़ में इमाम के पीछे सूरः फ़ातिहा पढ़ने के बाद चुप-चाप खड़ा रहे? इस हदीस से स्पष्ट है कि आप ने बुलन्द आवाज़ से पढ़ने पर टोका। लेकिन अगर कोई चुप-चाप पढ़े तो? सिर्री नमाज़ में बिला शुब्हा जाइज़ है और जेहरी में इमाम जो पढ़ता है उसे मन में तो पढ़ता ही है। कुछ उलमा का कहना है कि सिर्री नमाज़ में फ़ातिहा पढ़ने के बाद चुप-चाप न खड़ा रहे, क्योंकि इस प्रकार दिल-दिमाग़ पता नहीं कहाँ-कहाँ जायेगा और क्या-क्या ख़याल आयेगा, इसलिये और दूसरी सूरत भी पढ़ें, लेकिन चुप-चाप ताकि दाँए-बाँए किसी की नमाज़ में ख़लल न आये। और यह बात दिल को लगती मालूम होती है।

बाब {(इमाम के पीछे) अल्हम्दु लिल्लाह पढ़ना और आमीन कहना अनिवार्य है।}

284:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इमाम जब "आमीन" कहे तुम (मुक़तदी) भी आमीन कहो, अगर जिस की आमीन फ़रिश्तों की आमीन के साथ अदा हो गयी तो उस के पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। इब्ने शिहाब का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी (व-लज़्ज़ाल्लीन) के बाद "आमीन" कहा करते थे।

फ़ाइदाः– मालूम हुआ कि आमीन कहने की बड़ी फ़ज़ीलत है। बुख़ारी की रिवायत में है कि "इमाम जब आमीन कहे" (बुख़ारी 780) ज़ाहिर है कि इमाम ऊँचे स्वर में कहेगा जभी मुक़तदी सुन कर आमीन कहेगा। इस से मालूम हुआ कि आमीन बुलन्द आवाज़ से कहनी चाहिये। इस विषय पर मौना दावूद रज़ि॰ ने बुलन्द स्वर में आमीन कहने की समस्त हदीसों को जमा कर दिया है (देखें शरह बुख़ारी, हदीस न॰ 782 का फ़ाइदा) आप ग़ौर फ़रमायें इमाम पढ़ रहा है "ऐ अल्लाह! सीधी राह की मुझे हिदायत दे, उन लोगों की राह चला जिन पर तू ने इन्आम किया, यहूद-नसारा की राह न चला" इस दुआ को सन कर भला कौन मुक़तदी गूँगा रहेगा और उछल कर आमीन बुलन्द आवाज़ से न कहेगा?

बाब {फ़ज्र की नमाज़ में कौन सी सूरः पढ़ी जाये।}

285:– सिमाक बिन हर्ब ने बयान किया कि मैं ने जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ हल्की-फुल्की पढ़ा करते थे, उन लोगों की तरह (बड़ी-बड़ी सूरतें) नहीं पढ़ते थे। और फ़ज्र की नमाज़ में सूरः "क़ाफ़" या इसी के बराबर लंबी सूरतें पढ़ा करते थे।

फ़ाइदाः– मुस्लिम ही की एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम 60 से लेकर 100 आयतें तक पढ़ा करते थे। (मुस्लिम)

बाब {ज़ुह्र और अस्र की नमाज़ में कौन–कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिये।}

286:– अबू क़तादा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ज़ुह्र और अ़स्र की पहली दो रक्अ़तों में सूरः फ़ातिहा और एक और सूरः मिला कर पढ़ते थे। कभी–कभार (ऊँची आवाज़ हो जाने से) एक–आध आयतें हम लोगों को सुना भी देते थे। और अन्तिम दो रक्अ़तों में केवल सूरः फ़ातिहा पढ़ते थे।

287:– अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ज़ुह्र की पहली दो रक्अ़तों में से हर रक्अ़त में तीस आयतों के बराबर क़ुरआन पढ़ते थे और अन्तिम दो रक्अ़तों में 15 आयतों के बराबर (या यूँ कहा कि) 30 आयतों के आधे के बराबर। और इसी प्रकार अ़स्र की भी प्रथम दो रक्अ़तों में से हर रक्अ़त में 15 आयतों के बराबर और अन्तिम दो रक्अ़तों में पहली के आधी बराबर पढ़ते थे।

बाब {मग़्रिब की नमाज़ में कौन सी सूरः पढ़नी चाहिये।}

288:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मेरी माता जी (उम्मे फ़ज़्ल) ने (मग़्रिब की नमाज़ में) सूरः मुर्सलात (पारः29) को पढ़ते सुना तो कहने लगीं: बेटा! तुम ने यह सूरः पढ़ कर मेरी याद ताज़ा कर दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (की मुबारक ज़बान) से सब से अन्तिम सूरः मैं ने यही सुनी थी, आप ने इसे मग़्रिब की नमाज़ में पढ़ी थी।

बाब {इशा की नमाज़ में कौन–कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिये।}

289:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ ने बयान किया कि मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते फिर अपने मोहल्ले वालों के पास जा कर उन की भी इमामत करते थे। चुनान्चे एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज़ पढ़ कर अपने मोहल्ला वालों की भी इमामत की तो उस में सूरः बक़रः की क़िरात शुरू कर दी। इस पर एक सहाबी ने (थक–हार कर) सलाम फेर दिया और (उन की जमाअ़त से अलग होकर) अकेले ही नमाज़ पढ़ कर चले गये। इस पर लोगों ने उन से कहाः शायद तुम मुनाफ़िक़ हो गये हो। इस पर वह बोलेः अल्लाह की क़सम! मैं मुनाफ़िक़ नहीं हूँ, लेकिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जाकर इन की इमामत की शिकायत करूँगा। चुनान्चे उन्होंने जाकर कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! हम ऊँट रखने वाले हैं (जिन से दिनभर पानी निकालते हैं और थक जाते हैं) और मआ़ज़ का हाल यह है कि आप के साथ इशा की नमाज़ पढ़ कर (हम लोगों के पास) आये और सूरः बक़रः (इमामत में) शुरू कर दी। यह सुनते ही आप ने मुआ़ज़ बिन जबल की तरफ़ तवज्जुह कर के फ़रमायाः मआ़ज़! क्या तुम इस प्रकार की सूरतें पढ़ कर फ़ितना फैलाना चाहते हो?

हदीस के रावी सुफ़यान ने बयान किया कि मैं ने अ़म्र बिन दीनार से कहाः अबू जुबैर जो ज़ाबिर रज़ि॰ के हवाले से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया थाः सूरः "शम्स", सूरः "जुहा", सूरः "लैल" या सूरः "आला" पढ़ा करो। यह सुन कर अ़म्र ने कहा (हाँ) इन जैसी सूरतें पढ़ा करो।

फ़ाइदाः– इस हदीस में स्पष्ट रूप से बता दिया कि इशा की नमाज़ में कौन–कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिये। यह भी मालूम हुआ कि एक व्यक्ति किसी के पीछे फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर के वही नमाज़ दूसरे को पढ़ा सकता है (हालाँकि इमाम की यह नमाज़ नफ़्ल होगी और मुक़तदियों की फ़र्ज़) दूसरी रिवायतों में स्पष्ट है कि मआ़ज़ की नमाज़ इमामत के समय नफ़्ली होती थी (बुख़ारी) यह भी मालूम हुआ कि नमाज़ी किसी मजबूरी में नमाज़ तोड़ सकता है और अकेले पढ़ सकता है, लेकिन बहुत अहम ज़रूरत के मौक़ा पर। मुक़तदियों को देख कर नमाज़ हल्की पढ़ानी चाहिये। हाँ, अकेले हो तो चाहे जितनी लंबी पढ़ें। एक रिवायत में है कि लोगों को हलकी नमाज़ पढ़ाओं इसलिये कि जमाअ़त में बूढ़े, बच्चे और ज़रूरत मंद लोग भी होते हैं। एक और रिवायत में है कि नमाज़ में अगर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते तो आप नमाज़ को हल्की कर देते थे कि माँ को तक्लीफ़ न हो (बुख़ारी–किताबुल अज़ान–707–अबू क़तादा रज़ि॰)

बाब {इमाम के रूकूअ़ और सज्दा करने से पहले करना नाजाइज़ है।}

290:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक दिन हमें नमाज़ पढ़ाई, जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो हम लोगों की ओर मुँह कर के फ़रमायाः ऐ लोगों! मैं तुम्हारा इमाम हूँ इसलिये मुझ से पहले रूकूअ़, सज्दा, क़ौमा और सलाम न फेरो। मैं आगे और पीछे से तुम को देखता हूँ (कि तुम लोग क्या करते हो) उस अल्लाह की क़सम जिस के हाथ में मरी जान है जो चीज़ें मैं देखता हूँ अगर तुम भी देख लो तो तुम लोग कम हँसोंगे और अधिक रोने लगोगे। इस पर लोगों ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने क्या देखा है? फ़रमाया कि मैं ने जन्नत और जहन्नम को देखा है।

फ़ाइदाः– नमाज़ की हालत में पीछे के लोगों को भी देखना यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के चमत्कार में से है। और यह केवल नमाज़ की हद तक ही था और दूसरी चीज़ों में नहीं। नमाज़ में जन्नत और जहन्नम को देखने का ज़िक्र बुख़ारी में भी है। बुख़ारी शरीफ़ में है कि जन्नत में अंगूर के गुच्छों को नमाज़ की हालत में देखा तो उसे तोड़ने के लिये दो–चार क़दम नमाज़ ही की हालत में आगे बढ़े, लेकिन फिर लौट आये। (देखें बुख़ारी हदीस न॰ 29, 431, 748–इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰) मालूम हुआ कि इन बातों पर तवज्जोह न देने से नमाज़ में कमी आती है और पूरा सवाब नहीं मिलता है।

बाब {इमाम के सर उठाने से पहले सर उठाना नाजाइज़ है।}

291:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो मुक़्तदी के सर उठाने से पहले अपना सर उठा लेता है उसे इस बात से डरना चाहिये कि कहीं अल्लाह तआ़ला (नाराज़ होकर) उस की सूरत को बदल कर गधे की सूरत के समान न कर दे।

फ़ाइदा:— बुख़ारी शरीफ़ में रिवायत इस प्रकार हैं: "कहीं अल्लाह पाक उस का सर गधे, के सर की तरह, या उस की सूरत गधे की सूरत की तरह न बना दे।" (बुख़ारी-691-अबू हुरैरा) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जितनी सख़्ती से मना किया है, मुक़्तदी को भी उतनी सख़्ती से इस हदीस पर अ़मल करना चाहिये। देखें ऊपर की हदीस न॰ 275 का फ़ाइदा।

बाब {रूकूअ़ में दोनों हथेलियों को जोड़ कर दोनों रान के बीच में रखना।}

292:— अस्वद और अ़ल्क़मा दोनों से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम दोनों अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ के घर गये, तो उन्होंने पूछाः क्या उन लोगों (यानी मालदार लोगों और नवाबों) ने भी तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़ ली है? हम नें कहाः नहीं। उन्होंने कहाः फिर चलो नमाज़ पढ़ो समय हो गया है (और इन धन्ना सैठों और नवाबों का इन्तिज़ार न करो) फिर उन्होंने न तो हमें अज़ान कहने का आदेश दिया और न ही इक़ामत का। फिर जब हम दोनों खड़े (होकर सफ़ बनाने) लगे तो उन्होंने हम में से एक का हाथ पकड़ कर अपने दाहिनी तरफ़ और दूसरे को बायीं तरफ़ कर लिया (फिर नमाज़ पढ़ाने लगे) अब जब रूकूअ़ किया तो हम दोनों ने अपने-अपने हाथों को झुक कर घटनों पर रख लिया, इस पर उन्होंने हमारे हाथों पर मारा (और इस प्रकार इशारा किया) फिर अपने हाथ की हथेलियों को जोड़ कर दोनां रानों के बीच में कर लिया। फिर जब नमाज़ पढ़ चुके तो कहने लगेः अब ऐसे-ऐसे नवाब और धन्ना सेठ पैदा होने लगेंगे जो (अ़स्र की) नमाज़ को उस के समय से विलंब कर पढ़ेंगे जब सूरज डूबने लग जायेगा। जब आप लोग उन्हें इस प्रकार नमाज़ पढ़ते देखें तो अपनी नमाज़ अपने समय पर पढ़ लिया करें: फ़िर उन के साथ (उन के समय पर) दोबारा नफ़ल के तौर पर भी पढ़ लें। जब तीन जन एक साथ हों तो सब मिल कर एक साथ ही खड़े होकर नमाज़ पढ़ें (यानी मुक़्तदी दायें-बायें और इमाम बीच में हो) और जब नमाज़ी तीन से अधिक संख्या में हों तो एक इमाम बन कर सफ़ से आगे खड़ा हो (और तीनों मुक़तदी उस के पीछे खड़े हों) और जब रूकूअ़ करें तो अपने हाथों को रानों पर रखें और झुकें तो दोनों हथेलियाँ जोड़ कर दोनों रानों के बीच में कर लें। गोया मैं इस समय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की उंगलियों को देख रहा हूँ।

फ़ाइदा:— इस हदीस से बहुत से मस्अले मालूम हुये (1) अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ रूकूअ़ में दोनों हाथों की हथेलियाँ मिला कर दोनों रानों के बीच में कर लेते थे, लेकिन इस प्रकार करने का हुक्म मन्सूख़ है जैसा कि नीचे की रिवायत से साबित है (2) इब्न

मस्ऊद रज़ि॰ का ख़याल यह था कि अगर घर में (मस्जिद में नहीं) जमाअ़त से नमाज़ पढ़ी जाये तो अज़ान व इक़ामत न कही जाये। अज़ान न कहने की बात तो ठीक है, लेकिन इक़ामत तो बहरहाल अनिवार्य है, इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ का ख़याल दुरूस्त नहीं। (3) मुक़्तदी दो थे फिर भी इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ आगे नहीं बढ़े, हालाँकि यह तरीक़ा भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है। इन के नज़दीक तीन से अधिक नमाज़ी हों तब इमाम आगे बढ़ कर इमामत करे, यह तरीक़ा भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सुन्नत यह है कि अगर तीन हों तो एक आगे बढ़ कर इमामत करे। (4) मालूम हुआ कि घर पर भी ज़रूरत पड़ने पर (जैसे वर्षा की वजह से, या दुश्मन के डर से) जमाअ़त के साथ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ सकते हैं। (5) अगर मस्जिद में समय पर जमाअ़त नहीं होती है तो स्वँय अकेले ही समय पर पढ़ लेना आवश्यक है। लेकिन इस से इख़्तिलाफ़ और फ़साद का डर हो तो घर में पढ़ ले (मस्जिद में देरी से पढ़ने वालों लोगों के साथ न पढ़े) लेकिन अगर इन लोगों के साथ देर वाली नमाज़ न पढ़ने से भी फ़साद का डर हो या लोग एतराज़ करें कि यह नमाज़ ही नहीं पढ़ता है, तो अव्वल समय पर फ़र्ज़ घर में पढ़ें और मस्जिद में भी इन के समय पर आ कर भी पढ़ ले, यह नफ़ली नमाज़ हो जायेगी। (6) पहली बार पढ़ी गयी फ़र्ज़ होगी और दूसरी बार वाली नफ़ली मानी जायेगी, जैसे मआ़ज़ बिन जबल वाली अ़िशा की नमाज़ (देखें 289)

बाब {दोनों हाथों को (रूकूअ़ में) घुटनों के बीच में कर लेना मन्सूख़ है।}

293:– सअ़द बिन वक़्क़ास रज़ि॰ के पुत्र मुस्अ़ब से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने अपने पिता जी के साथ नमाज़ पढ़ी तो (रूकूअ़ में) अपने दोनों हाथों को घुटनों के बीच में रखा, इस पर पिता जी ने कहा: दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख लो। मुस्अ़ब ने बयान किया कि मैं ने फिर दोबारा घटनों के बीच में रख लिया तो उन्होंने ऐसा करने पर मेरे हाथ पर मारा और कहा: इस प्रकार करने से हमें मना किया गया है और (अब रूकूअ़ में) दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखने का हुक्म हुआ है।

फ़ाइदा:– रूकूअ़ में दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर मिला कर घुटनों के बीच में (या रानों के बीच में) कर लेना, इस का नाम "तत्बीक़" है। पहले इसी प्रकार नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन बाद में यह आदेश मन्सूख़ हो गया। अब रूकूअ़ का तरीक़ा यह है कि रूकूअ़ में दोनों हाथों की हथेलियों से घुटनों को जम कर पकड़ लिया जाये। संभव है कि इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ तक मन्सूख़ वाली हदीस नहीं पहुँची। बुख़ारी में भी मन्सूख़ वाली रिवायत है (देखें बुख़ारी, हदीस न॰ 790–मुस्अ़ब बिन सअ़द)

बाब {रूकूअ़ और सज्दे में कुरआन की आयत पढ़ना मना है।}

294:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (अपनी अन्तिम बीमारी में) दर्वाज़े का पर्दा उठा कर देखा

तो लोग अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ के पीछे सफ़ बाँध कर खड़े हुये हैं। यह देख कर आप ने फ़रमायाः ऐ लोगों! अब नबुव्वत की शुभसूचना देने वाली चीज़ों में से कुछ बाक़ी नहीं बची (क्योंकि मुझ पर नबुव्वत का सिलसिला समाप्त हो चुका है) लेकिन अच्छे सपने, जिसे एक मुसलमान देखता है, या उसे दिखाया जाता है (का सिलसिला जारी रहेगा) और तुम लोगों को मालूम होना चाहिये कि रूकूअ़ और सज्दा में मुझे कुरआन पढ़ने से मना कर दिया गया है। इसलिये रूकूअ़ में अपने रब की बुर्जुगी और बड़ाई बयान करो और सज्दा में खूब दुआ़यें माँगों (अल्लाह पाक ने चाहा तो) तुम्हारी दुआ़ अवश्य ही कुबूल होगी।

फ़ाइदाः– मुस्लिम ही में अबू हुरैरा रज़ि॰ से यह भी रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रूकूअ़ और सज्दा में यह दुआ़ पढ़ते:

अल्लाहुम्मग़् फ़िर्ली ज़म्बी कुल्लहू दिक़्क़हू वजिल्लहू व–अव्व–लहू वआख़ि–रहू व–अ़ला नि–य–तहू वर्सिरहू

आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि यह दुआ़ पढ़ते थेः बुख़ारी में भी यह दुआ़ है (देखें 817)

सुब्हा–न–कल्ला हुम्म रब्बना वबि–हम्दि–क अल्लाहुम्मग़् फ़िर ली

अहमद और मुस्लिम की एक रिवायत में यह भी पढ़ना साबित हैः

सुब्बूहुन् कुद्दसुन रब्बुल् मलाइ–कति वर्रूहि

और "सुब्हा–न रब्बि–यल् आ़ला" "सुब्हा–न रब्बि–यल् अ़ज़ीमि" का तो पढ़ना बहुत आ़म है। अहादीस से मालूम हुआ कि रूकूअ़ और सज्दा में कुरआन की आयतें हर्गिज़ न पढ़े, कुछ उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर जान–बूझ कर पढ़ी तो नमाज़ ही बातिल हो जायेगी, और अगर भूल–चूक से पढ़ ली तो सहव के सज्दे करेगा। अल्लाह बेहतर जाने।

बाब {रूकूअ़ और सज्दे में यह दुआ़ पढ़नी चाहिये।}

295:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने रूकूअ़ और सजदे में यह दुआ़ पढ़ा करते थेः

सुब्हा–न–कल्लाहुम्म रब्बना वबि–हम्दि–क अल्लाहुम्मग़् फ़िर् ली (ऐ मेरे मौला! तेरी ज़ात पवित्र और पाक है और (हर हाल में) तेरा शुक्र है, ऐ मेरे मौला! मुझे माफ़ कर दे)

बाब {जब रूकूअ़ से सर उठाए तो यह दुआ़ पढ़े।}

296:– अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब रूकूअ़ से सर उठाते तो यह दुआ़ पढ़ते थेः

रब्बना ल–कल् हम्दु मिल्उस्समावाति वल्–अर्ज़ि वमा बै–नहुमा

वमिल्उ मा शे-त मिन् शैइन् बादु अह्-लस्समाइ वल्-मज्दि अ-हक़्क़ु मा क़ा-लल् अ़ब्दु वकुल्लुना ल-क अ़ब्दुन् ला मानि-अ़ लिमा आते-त वला मोति-य लिमा म-ना-त वला यन्-फ़अु ज़ल्-जद्दि मिन्-कल्-जद्दु

फ़ाइदाः- बुख़ारी की रिवायत में "रब्बना ल-कल् हम्दु" और एक रिवायत में "हम्-दन् कसी-रन् तय्यि-बन् मुबा-र-कन् फ़ीहि" पढ़ते थे (देखें बुख़ारी 789, 795, 803) मालूम हुआ कि किसी एक ही दुआ़ को ख़ास न करे, बल्कि गाहे-बगाहे समस्त दुआ़ओं को पढ़नी चाहिये, ताकि तमाम हदीसों पर अ़मल हो जाये। यही सब से बेहतर तरीक़ा है।

बाब {सज्दे की फ़ज़ीलत और अधिक से अधिक सज्दा करने का हुक्म।}

297:- मादान बिन अबू तल्हा ने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के आज़ाद किये हुये गुलाम सौबान रज़ि॰ से कहाः मुझे कोई ऐसा कार्य बतलाइये जिस के करने से अल्लाह पाक मुझे जन्नत में दाख़िल फ़रमा दे (या यूँ कहा) मुझे ऐसा कार्य बता दें जो अल्लाह पाक को अधिक पसन्द है। यह सुन कर वह चुप रहे (और कोई उत्तर नहीं दिया) मैं ने दूसरी बार पूछाः फिर भी चुप रहे। फिर जब तीसरी मर्तबा पूछा तो उन्होंने उत्तर दियाः मैं ने भी यही प्रश्न नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से किया था तो आप ने फ़रमायाः अधिक से अधिक सज्दे किया करो, क्योंकि हर सज्दा के बदले अल्लाह पाक तुम्हारा एक दर्जा बुलन्द कर देता है और एक गुनाह माफ़ कर देता है।

हदीस के रावी मादान ने बयान किया कि फिर मैं ने अबू दर्दा से भी यही प्रश्न पूछा तो उन्होंने भी वही कहा जो सौबान रज़ि॰ ने बताया था।

बाब {सज्दे में अधिक से अधिक दुआ़ करनी चाहिये।}

298:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बन्दा (नमाज़ी) सज्दा में अपने रब से बहुत अधिक निकट होता है इसलिये सज्दा में अधिक से अधिक दुआ़ किया करो।

फ़ाइदाः- सज्दे में पढ़ने वाली दुआ़ का ज़िक्र ऊपर हदीस न॰ 295, 296 में बयान हो चुका है, वहाँ देखें। अधिक से अधिक का अर्थ यह है कि अगर एक ही दुआ़ याद है तो उसे ही बार-बार पढ़ें। और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से साबित कई दुआ़एँ याद हैं तो उन सब को पढ़ें और बार-बार पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ के अ़लावा भी चलते-फिरते, उठते-बैठते अधिक से अधिक दुआ़-इस्तिग़फ़ार किया करते थे जैसा कि रिवायतों से साबित है।

बाब {सात जोड़ों पर सज्दा करना चाहिये।}

299:- इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझे सात हड्डियों (जोड़ों) पर सज्दा करने का हुक्म दिया गया है (1) पेशानी पर, फिर आप ने अपने हाथ से नाक की तरफ़ भी इशारा किया (यानी पेशानी के साथ नाक भी शामिल है) (2+3) दोनों हाथों पर (4+5) दो घुटनों पर (6+7) दोनों पैरों की उंगलियों पर (और यह भी फ़रमाया कि) कपड़े और बालों को भी (नमाज़ की हालत में) न समेटने का हुक्म दिया गया है।

फ़ाइदा:– अस्ल में पेशानी ही ज़मीन पर रखना सज्दा कहलाता है और नाक भी इस में शामिल है, इसलिये पेशानी के साथ नाक भी ज़मीन से लगाना वाजिब है। फिर दोनों हाथों और दोनों घुटनों को ज़मीन पर टेकना और दोनों पैर की उंगलियों को क़िब्ला रूख़ कर के मोड़ना। यह कुल सात जोड़ हुये। बुख़ारी में भी यह हदीस इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ही से रिवायत है (देखें बुख़ारी 809, 810, 812, 815, 816) कुछ लोग सज्दा में पेशानी के साथ नाक नहीं लगाते हैं, ऐसा सज्दा दुरूस्त नहीं है।बाल और कपड़े समेटना यह एक फ़ाल्तू काम है इस से नमाज़ में यकसूई (एकार्गता) समाप्त हो जाती है और नमाज़ी का ख़याल बट जाता है इसलिये मना फ़रमाया।

बाब {सज्दा दर्मियाना (माध्यम) दर्जे का करना चाहिये, और सज्दा में दोनों कोहनियों को उठाए रखना चाहिये।}

300:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सज्दा में शरीर के हिस्सों को बराबर रखो (ऊँचा-नीचा ऊँट के कोहान के समान नहीं) और दोनों बाज़ू को कुत्ते की तरह ज़मीन पर न बिछाए रखो।

फ़ाइदा:– बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ की रिवायत में है कि सज्दा में कोहनियों को उठाए रखो (मुस्लिम) कोहनी ऊपर उठाने से बाज़ू स्वँय ही ऊपर उठ जायेगा। एक रिवायत में है सज्दा करते तो दोनों हाथों को बग़ल से दूर रखते, यहाँ तक की बग़ल की सफ़ेदी दिखाई देने लगती (बुख़ारी 807, 390) यानी बग़ल में चिपकाए नहीं रखते थे (मुस्लिम) मैमूना रज़ि॰ की रिवायत में है कि जब आप सज्दा में होते तो आप के नीचे से अगर बक्री का बच्चा निकलना चाहता तो आसानी से निकल जाता (मुस्लिम) सज्दे में पाँव और हाथ की उंगलियाँ भी क़िब्ला रूख़ होनी चाहिये (बुख़ारी 812-इब्ने अ़ब्बास)

बाब {सज्दा में दोनों बाज़ू को बग़ल में चपका कर नहीं रखना चाहिये।}

301:– अ़ब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बुहैना रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब सज्दा करते तो दोनों हाथों को दोनों बग़ल से इतना दूर रखते कि आप के बग़ल की सफ़ेदी दिखाई देने लगती।

फ़ाइदा:– ऊपर का फ़ाइदा देखें। इस की पूरी तश्रीह ऊपर के फ़ाइदा में आ गयी है।

बाब {नमाज़ में किस तरह बैठें? बैठने के तरीक़ा का बयान।}

302:– अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ अपने पिता जुबैर बिन अ़व्वाम रज़ि॰ के हवाले से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़ में बैठते तो बाएँ पाँव को रान और पिंडली के बीच में कर लेते, दायाँ पाँव ज़मीन पर बिछा लेते और बायाँ हाथ बाएँ घुटने पर रखते और दायाँ हाथ अपनी दाहिनी रान पर रखते और उगँली से इशारा करते।

बाब {दोनों पैरों पर "इक़आ" करने का बयान।}

303:– इमाम ताऊस ने बयान किया कि मैं ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से पूछाः "इक़आ" के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? उन्होंने कहाः यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं ने कहाः हम तो इस प्रकार बैठने को नमाज़ पर (या पैर पर) बोझ समझते हैं। उन्होंने कहाः (ऐसा नहीं है) बल्कि इस प्रकार बैठना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है।

फ़ाइदाः– इस की तशरीह में बड़ा इख़्तिलाफ़ है, सज्दा से सर उठा कर दोनों पैरों को पंजों के बल रखना और उस पर चूतड़ रख कर बैठना, इस का नाम "इक़आ" है। यह तरीक़ा ग़लत है। सुन्नत के अनुसार तरीक़ा यह है कि दायें पैर के पंजों को खड़ा रखे और पैर के पंजो को बिछा कर उस पर बैठे।

बाब {नमाज़ में तशह्दुद पढ़ने का बयान।}

304:– हत्तान बिन अ़ब्दुल्लाह रक़ाशी ने बयान किया कि एक मर्तबा मैं अबू मूसा अश–अ़री के साथ नमाज़ पढ़ रहा था, हम लोग अभी तशह्हुद में बैठे ही थे कि पीछे से किसी ने कहाः नमाज़ नेकी और ज़कात के साथ फ़र्ज़ की गयी है। इस पर अबू मूसा अशअ़री रज़ि॰ ने नमाज़ के बाद उस से पूछाः यह बात तुम में से किस ने कही है? लेकिन सभी मुक़तदी चुप रहे (किसी ने उत्तर न दिया) तो उन्होंने दोबारा पूछाः बताओ, तुम में से किस ने यह बात कही है? फिर भी सब ख़ामोश रहे। इस पर उन्होंने मुझ से पूछाः ऐ हत्तान! शायद तुम ने यह बात कही है? मैं ने कहाः मैं ने यह नहीं कही है, मैं तो डरा हुआ था कि कहीं वह नाराज़ न हो जायें। इतने में एक व्यक्ति ने कहाः यह बात मैं ने कही है और इस में मेरी निय्यत भलाई और नेकी की थी। अबू मूसा रज़ि॰ ने कहाः तुम लोगों को नहीं मालूम कि अपनी नमाज़ में क्या पढ़ना चाहिये, हालाँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमें खुत्बा में तमाम बातें बता चुके और नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सिखा चुके हैं। आप ने बताया है कि नमाज़ पढ़ने से पहले सफ़ें सीधी करो, फिर कोई इमाम बन जाये, जब वह "अल्लाहु अक्बर" कहे तो तुम भी कहो, और जब वह "व–लज़्ज़ाल्लीन" कह चुके तो तुम आमीन कहो, ताकि अल्लाह पाक तुम से प्रसन्न रहे। इमाम की तक्बीर और रूकूअ़ के बाद तुम भी तक्बीर कहो और रूकूअ़ करो, इमाम से पहले तक्बीर और रूकूअ़ हर्गिज़ न करो, क्योंकिनबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः तुम अगर इमाम के बाद तक्बीर कहोगे और रूकूअ़ करो

गे तो यह इमाम के बराबर ही माना जायेगा। फिर जब इमाम "समि-अ़ल्लाहुलिमन् हमिदह्" कहे तो तुम "रब्बना ल-कल् हम्दु" कहो, अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ़ओं को सुनता है, क्योंकि अल्लाह पाक अपने नबी को बता चुका है कि जो कोई अल्लाह की प्रशंसा करता है तो अल्लाह उस की सुनता है। फिर इमाम जब तक्बीर कहे और सज्दा करे तो तुम भी तक्बीर कहो और सज्दा करो। इमाम तुम से एक छड़ भर पहले तक्बीर कहता और रफ़ा यदैन करता है और तुम एक छड़ बाद कहते और करते हो, फिर भी इमाम के साथ ही माना जायेगा। फिर जब इमाम तशह्हुद में बैठे तो यह दुआ़ पढ़ा करो

अत्तहिय्या तुत्तय्यिबा तुस्स-लवातु लिल्लाहि अस्सलामु अ़लै-क अय्यु-हन्नबिय्यु व-रह्-मतुल्लाहिव-ब-रकातुहू अस्सलामु अ़लैना व-अ़ला अ़िबादिल्ला हिस्सा लिही-न; अश्-हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व-अंश्-हदु अन्न मु-हम्म-दन् अ़ब्दुहू व-रसूलुहू (हर प्रकार की बदनी (शारीरिक) माली और ज़बानी इबादतें सब की सब अल्लाह के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अ़लावा और कोई इबादत के योग्य नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) अल्लाह के बन्दे और सन्देष्टा हैं।)

305:- इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमें तशह्हुद की दुआ़ इस प्रकार सिखाया करते थे जिस प्रकार कुरआ़न पाक की सूरतें सिखाते थे। आप इस प्रकार पढ़ते थे:

अत्तहिय्यातु मुबा-रकातुस्स-लवा तुत्तय्यिबातु लिल्लाहि अस्सलामु अ़लै-क अय्यु-हन्नबिय्यु व-रह्-मतुल्लाहि व-ब-रकातुहू अस्सलामु अ़लैना व-अ़ला इबादिल्ला हिस्सालिही-न, अश्-हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व-अश्-हदु अन्न मु-हम्म-दर्रसूलुल्लाहि

इब्ने रुम्ह की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशह्हुद की दुआ़ कुरआन करीम की तरह सिखाया करते थे।

फ़ाइदा:- नमाज़ में दो तशह्हुद करते हैं। पहले में तशह्हुद की दुआ़ पढ़ कर तीसरी रकअ़त के लिये खड़े हो जाते हैं। और दूसरे में (जिस को अ़न्तिम तशह्हुद कहा जाता है) दुरूद शरीफ़ और दूसरी दुआ़यें पढ़ कर सलाम फेरते हैं। इन दोनों तशह्हुद में यह दुआ़ पढ़ना अनिवार्य और वाजिब है, बिना इस के पढ़े नमाज़ ही नहीं होगी। और अगर कोई भूल जाये तो सह्व के सज्दे करने होंगे। इमाम बुख़ारी रह॰ नज़दीक पहला तशह्हुद वाजिब नहीं है (देखें हदीस न॰ 829 का बाब) मुस्लिम ही में तशह्हुद की एक और दुआ़ का ज़िक्र है, यही प्रचलित है और इसे ही तक़रीबन सभी लोग पढ़ते हैं, यह इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है

अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्स-लवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अ़लै-क अय्यु-हन्नबिय्यु व-रह्-मतुल्लाहि व-ब-रकातुहू अस्सलामु अ़लैना व-अ़ला अ़िबादिल्ला हिस्सालिही-न अश्-हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व-अश्-हदु अन्न मु-हम्म-दन् अ़ब्दुहू व-रसूलुहू

बुख़ारी शरीफ़ में भी इस दुआ़ का ज़िक्र है जो थोड़ी सी मुख़्तलिफ़ है। बहरहाल कोई भी एक तशहहुद की दुआ़ याद कर लें और उसे पढ़ें, क्योंकि नमाज़ में इस का पढ़ना अनिवार्य और वाजिब है। कुछ उलमा के निकट बिन पढ़े नमाज़ ही नहीं होगी। फ़ाइदा लंबा हो जाने के डर से बुख़ारी की दुआ़ को नक़ल करना संभव नहीं है। (देखें बुख़ारी हदीस न॰ 835, 831-अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰) समस्त दुआओं को हिन्दी लिपि में लिखा गया है ताकि केवल हिन्दी भाषी भी याद कर लें।

बाब {नमाज़ में किन-किन चीज़ों से पनाह माँगी जाये?}

306:- (अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ की पुत्री और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी) आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ में निम्न की दुआ़ माँगा करते थे:

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि-क मिन् अ़ज़ाबिल् क़ब्रि व-अऊज़ुबि-क मिन् फ़ित्-नतिल् मसीहिद्दज्जालि व-अऊज़ुबि-क मिन् फ़ित्-नतिल् मह्या वल्-ममाति अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि-क मि-नल् मअ़्सिमि वल्-मग्-रमि

(ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह माँगता हूँ क़ब्र के दन्ड से और मैं तेरी पनाह माँगता हूँ दज्जाल के पाखंड से, और तेरी पनाह माँगता हूँ जीवन और मौत के फ़ितने से, और मैं तेरी पनाह माँगता हूँ पाप से और क़र्ज़ के बोझ से)

यह दुआ़ सुन कर एक सहाबी ने पूछा: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! आप क़र्ज़ के बोझ से बहुत अधिक पनाह माँगते हैं? आप ने फ़रमाया: (बात यह है कि) जब आदमी पर क़र्ज़ का बोझ हो जाता है (तो जान बचाने के लिये) झूठ बोलता है और झूठे वादे करता है।

फ़ाइदा:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तशहहुद की दुआ़ पढ़ने के बाद चार चीज़ों से अवश्य पनाह माँगे (1) जहन्नम के दन्ड से (2+3) ज़िन्दगी और मौत के फ़ितना से (4) दज्जाल की आफ़त व बुराई से (मुस्लिम शरीफ़, बुख़ारी शरीफ़ 832-आ़इशा) ऊपर की दुआ़ बुख़ारी शरीफ़ में भी है (देखें 832, 835-आ़इशा रज़ि॰)

बाब {नमाज़ में (और दूसरी) दुआयें माँगने का बयान।}

307:– अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अनुरोध किया: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मुझे आप कोई ऐसी दुआ़ सिखा दें जिसे मैं नमाज़ में पढ़ा करूँ। आप ने फ़रमाया: यह दुआ़ माँगा करो:

अल्लाहुम्म इन्नी ज़-लम्तु नफ़्सी जुल्-मन्कबी-रन् (कसी-रन्) वला यग़फ़िरूज़्ज़ुनू-ब इल्ला अन्-त फ़ग़फ़िर् ली मग़फ़ि-र-तम्मिन् अिन्दि-क **वर्-हम्नी इन्न-क अन्-तल् ग़फ़ूरूर्रहीमु**
(ऐ मेरे मौला! मैं ने अपने ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया है (बहुत अधिक अत्याचार किया है) और इन पापों को तेरे अतिरिक्त कोई माफ़ नहीं कर सकता, इसलिये तू अपनी कृपा और मेहरबानी से बख़्श दे और मुझ पर रहम फ़रमा दे, केवल तू ही बख़्शने वाला मेहरबान है)

फ़ाइदा:– यह हदीस बुख़ारी में भी आई है (834–अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰) ऊपर की दुआ़, या इस प्रकार की जो भी दुआ़ याद हो पढ़ सकता है, और दीन-दुनिया और आख़िरत के तअ़ल्लुक़ से जो भलाई और नेकी चाहे माँग सकता है। यह दुआ़ कोई नमाज़ में अनिवार्य नहीं है (देखें बुख़ारी, हदीस 835 का बाब) माग़ँना, फिर भी न माँगने से बेहतर और अफ़ज़ल है। न जाने कब और कौन सी दुआ़ अल्लाह पाक क़ुबूल फ़रमा ले। बहर हाल न माँगने से माँगना बेहतर है। नमाज़ के बाहर माँगी गयी दुआ़ के मुक़ाबले में नमाज़ के अन्दर माँगी गयी दुआ़ के क़ुबूल होने की संभावना अधिक होती है।

बाब {नमाज़ में शैतान पर लानत भेजने और उस से पनाह माँगने का बयान।}

308:– अबू दर्दा से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि (एक मर्तबा) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने के लिये खड़े हुये (तो नमांज़ की हालत में) मैंने आप को यह कहते सुना:

"अऊज़ु बिल्लाहि मिन्-क" (मैं तुझ से अल्लाह की पनाह माँगता हूँ)

फिर इस के बाद अप ने तीन मर्तबा इस प्रकार फ़रमाया: "अल्-अ़नु-क" और यह कहते हुये अपना हाथ (नमाज़ ही की हालत में) इस प्रकार बढ़ाया जैसे किसी को पकड़ना चाहते हैं। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो हम ने पूछा: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! आज हम ने नमाज़ में आप को ऐसा कुछ पढ़ते सुना जो पहले कभी नहीं सुना था, फिर यह भी देखा कि आप ने अपना हाथ भी बढ़ाया? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उत्तर दिया: अल्लाह का दुश्मन इब्लीस मेरा चेहरा जलाने के लिये आग की लपट ले कर आया था, इसीलिये मैं ने तीन मर्तबा कहा था: "मैं तुझ से अल्लाह

की पनाह माँगता हूँ" फिर मैं ने यह भी कहाः "मैं तुझ पर लानत भेजता हूँ जिस प्रकार अल्लाह ने तुझ पर लानत भेजी है।" तीन बार पढ़ने के बाद भी जब वह पीछे नहीं हटा तो मैंने चाहा कि उसे पकड़ लूँ (इसीलिये हाथ बढ़ाया था) लेकिन अल्लाह की क़सम! अगर हमारे भाई सुलैमान अ़लै॰ ने दुआ़ न की होती (ऐ मेरे मौला! मुझे बढ़ाया दे और ऐसी हुकूमत दे कि वैसी हुकूमत किसी को न मिले। चुनान्चे शैतान उन के क़ब्ज़े में थे) तो वह सुब्ह तक बँधा रहता और मदीना के बच्चे उस से खेलवाड़ करते।

फ़ाइदाः– हज़रत सुलैमान अ़लै॰ ने क्या दुआ़ की थी? (देखें सूरःस्वाद, आयत 35) अल्लाह ने उन की दुआ़ कुबूल फ़रमायी और जिन्नों को उन के क़ब्ज़े में दे दिया (सूरः स्वाद 36, 37, 38) अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उसे पकड़ कर बाँध देते तो आप को भी वह अधिकार प्राप्त हो जाता जो सुलैमान अ़लै॰ को प्राप्त था, और सुलैमान अ़लै॰ की दुआ़ के खिलाफ़ होता। इस हदीस से बहुत से मस्अले मालूम हुये (1) नमाज़ की हालत में लानत भेजना जाइज़ है (2) दुश्मन को धकेलने और धक्का देने से नमाज़ नहीं टूटती (3) क़ैदी को पकड़ कर मस्जिद में बाँधना जाइज़ है। उसामा बिन आसाल को आपने मस्जिदे नबवी में बाँधा था। अ़ल्लामा वहीदुज़्ज़माँ ने बुख़ारी की उर्दू शरह में लिखा है "इमाम इब्ने क़य्यिम जोज़ी रह॰ ने "किताबुस्सलात" में अहले हदीस का मज़हब क़रार दिया है कि नमाज़ में खन्कारना, कोई घर में न हो तो दर्वाज़ा खोल देना, साँप-बिच्छू निकले तो उस को मारना, सलाम का उत्तर हाथ के इशारे से देना, किसी ज़रूरत से आगे-पीछे सरक जाना, यह सब कार्य दुरूस्त हैं, इन से नमाज़ नहीं टूटती।"

इमाम बुख़ारी रह॰ ने भी इस हदीस को नक़ल किया है (बुख़ारी 1210, 3284, 3432, 4808, 461-अबू हुरैरा रज़ि॰)

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का बयान।}

309:– अबू मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि हम लोग सअ़द बिन उबादा रज़ि॰ के पास बैठे हुये थे कि इसी दर्मियान नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी आ गये। बशीर बिन सअ़द रज़ि॰ ने आप से पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह पाक ने हमें आप पर दरूद भेजने का आदेश दिया है इसलिये हमें आप बतायें कि आप पर किस प्रकार दरूद भेजें? यह सुन कर आप ने कोई उत्तर नहीं दिया और ख़ामोश रहे, इस पर हमें अफ़सोस हुआ कि आप से न पूछते तो अच्छा था। लेकिन थोड़े समय के पश्चात् आप ने फ़रमायाः इस प्रकार दरूद भेजा करोः

अल्लाहुम्म सल्लि अ़ला मु-हम्मदिव्व-अ़ला मु-हम्मदिन्
कमा-सल्लै-त अ़ला इब्राही-म व बारिक् अ़ला मु-हम्मदिन्
कमा बा-रक्-त अ़ला इबराही-म फ़िल् आ़-लमी-न इन्न-क
हमादुम्मजीदुन्

फ़ाइदाः– ऊपर के इस दरूद के अ़लावा और छः प्रकार के दरूद रिवायतों से साबित

हैं, जो आसानी से याद हों उन्हें पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा अल्लाह पाक उस पर दस मर्तबा दरूद (अपनी रहमतें) भेजता है (मुस्लिम) प्रश्न यह है कि नमाज़ी तीसरी रक्अ़त पढ़ने के लिये कब खड़ा हो? मशहूर तो यही है कि तशहहुद (अत्तहिय्यात) पढ़ने के बाद तीसरी रक्अ़त के लिये खड़ा हो। लेकिन मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ़ ने पार:22, सूर:अहज़ाब, आयत 56 के हाशिया में अबू दावूद के हवाला से लिखा है कि (अत्तहिय्यात के बाद नहीं बल्कि) दरूद शरीफ़ पढ़ने के बाद तीसरी रक्अ़त के लिये खड़ा हो (देखें-तफ़सीर अहसनुल् बयान) वह दरूद जिसे लगभग सभी लोग पढ़ते हैं और उर्दू की किताबों में भी लिखा है, उस का पढ़ना भी मुस्लिम ही की रिवायत से साबित है (मुस्लिम-किताबुस्सलात) तशहहुद की तरह, दरूद का पढ़ना भी वाजिब है, बिन पढ़े नमाज़ नहीं होगी।

बाब {नमाज़ मुकम्मल कर लेने के बाद सलाम फ़ेरने का बयान।}

310:– आ़मिर अपने पिता सअ़द रज़ि॰ के हवाले से रिवायत करते हैं कि मेरे पिता ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को दायें और बायें सलाम फेरते देखा करते थे (और गर्दन इतनी घुमाते थे) कि आप के गालों की सफ़ेदी मैं देख लेता था।

फ़ाइदा:– सलाम फेरने का तरीक़ा यह है कि "अस्सलामु अ़लैकुम वरहमतुल्लाहि" पढ़ते हुये दाहिनी ओर मुँह करे, और इसी प्रकार बायीं ओर। एक रिवायत में "व-ब-रकातुहू" भी पढ़ने का ज़िक्र है। इस के पढ़ने का अर्थ यह है कि अपने दायें-बायें नमाज़ियों और फ़रिश्तों पर भी सलामती की दुआ़ देकर नमाज़ से अलग होते हैं। इस हदीस के ख़िलाफ़ इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ का कहना है कि दरूद शरीफ़ और दुआ़ओं को पढ़ लेने के बाद अगर बात कर ले, या मुँह फेर ले, या हवा निकाल दे, या ऐसा काम कर डाले जिस से नमाज़ टूट जाती है तो भी नमाज़ से अलग होगया, सलाम फेरने की ज़रूरत नहीं। तअ़ज्जुब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तो नमाज़ से अलग होने के लिये सलाम फेरना बताते हैं और इमाम साहब पादना और हवा खोलना बताते हैं। इमाम मालिक के नज़दीक अकेले नमाज़ पढ़ने वाले के लिये केवल एक ही सलाम काफ़ी है और जब जमाअ़त से नमाज़ हो रही हो तो दो सलाम करे, इमाम भी और मुक़तदी भी। लेकिन अगर मुक़तदी इमाम के बिल्कुल पीछे है (न इमाम के दायें है, न बायें) तो वह तीन बार सलाम फेरे। एक दायीं ओर नमाज़ियों के लिये, दूसरा बायीं ओर के नमाज़ियों के लिये और तीसरा इमाम के लिये। गोया इस सलाम में भी उन्होंने मुलाक़ात के सलाम के आदाब का ख़याल रखा। लेकिन सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ दो ही सलाम फेरा है, न कि तीन या एक। इसलिये इमाम बुख़ारी ने भी तीन और एक सलाम का रद्द किया है (बुख़ारी, हदीस 839 का बाब)

बाब {सलाम फेरते हुये हाथ से इशारा करना मना है।}

311:– समुरा के बेटे जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते तो दाँये-बायें "अस्सलामु अ़लैकुम् व-रह्-मतुल्लाहि" कहते हुये हाथ से इशारा भी करते थे। यह देख कर आप ने फ़रमायाः तुम लोग अपने हाथों से इस प्रकार इशारा करते हो जैसे सर्कश घोड़ा पूँछ हिलाता हैं। तुम्हारे लिये बस इतना ही काफ़ी है कि (क़ादा में) अपनी रानों पर हाथ रखे हुये ही दायें-बायें मुँह फेर कर सलाम कहा करो (हाथ से इशारा करने की कोई आवश्यक्ता नहीं)

फ़ाइदाः– सहाबा उस समय दायें-बायें मुँह घुमाने के साथ हाथ से भी इशारा करते थे, जिस प्रकार आदमी बातें करते हुये हाथ उठा कर इशारा करता है। तअ़ज्जुब है कि इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ इस हदीस से रफ़ा यदैन की मिनाही मुराद लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रूकूअ़ के बाद रफ़ा यदैन करने से मना किया है, जबकि हदीस से स्पष्ट है कि हाथ उठाने का संबन्ध सलाम फेरने से है। इसी को कहते हैं "मारो घुटना, फूटे आँख"।

नोटः– सलाम फेरने के बाद इमाम क्या करे? मुड़ कर दायें ओर मुक़्तदियों की तरफ़ मुँह कर के बैठे, या बायें ओर मुड़ कर बैठे, दोनों ही तरह दुरुस्त है (देखें हदीस 315) केवल दायें ओर ही मुँह कर के बैठना दुरूस्त नहीं। यकदम पूरब की ओर मुँह कर के बैठने का सबूत नहीं (देखें-बुख़ारी शरीफ़, हदीस न॰ 852, किताबुल अज़ान) बड़े आश्चर्य की बात है कि एक देवबन्दी मुहद्दिस अपनी शरह "तफ़हीमुल् बुख़ारी" में लिखते हैं कि मुक़तदियों की और मुँह कर के बैठना सुन्नत नहीं है। इन के निकट बुख़ारी मुस्लिम की हदीसों की कोई वैलू नहीं है। इस पर हम इन्ना लिल्लाह ही पढ़ सकते हैं।

बाब {सलाम फेरने के बाद कौन सी दुआ़ पढ़ी जाये?}

312:– मुग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ के स्वतन्त्र किये हुये गुलाम वुर्राद ने बयान किया कि मुग़ीरा रज़ि॰ ने अमीर मुआ़विया को पत्र लिख कर बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़ पूरी कर के सलाम फेरते तो यह दुआ़ पढ़ते थेः

> लाइला-ह इल्लल्लाहु वह-दहू ला शरी-क लहू लहुल् मुल्कु व-लहुल् हम्दु वहु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर+अल्लाहुम्म ला मानि-अ़ लिमा आतै-त वला मोति-य लिमा म-ना-त वला यन्-फ़उ ज़ल्-जद्दि मिन्-कल् जद्दु
>
> (अल्लाह पाक के अतिरिक्त और कोई सच्चा माबूद नहीं, वह अकेला है, उस का कोई साझी नहीं, उसी के लिये बादशाहत है, और उसी के लिये हर प्रकार की प्रशंसा है, और वही हर वस्तु

पर कुदरत रखने वाला है+ ऐ मेरे मौला! जो कुछ तू दे दे उसे कोई रोक नहीं सकता, और अगर न दे तो कोई दे नहीं सकता, और तेरे आगे किसी की चेष्टा काम नहीं दे सकती।

फ़ाइदा:– बिल्कुल यही दुआ बुख़ारी शरीफ़ में भी मुग़ीरा बिन शोबा से रिवायत है (बुख़ारी किताबुल अज़ान, हदीस न॰ 844) इस दुआ के अलावा भी और जो दुआ चाहें माँग सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं।

बाब {सलाम फेरने के बाद "अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर" पढ़ना चाहिये।}

313:– इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ चुके (सलाम फेर चुके) यह हम लोग आप के (बुलन्द आवाज़ से) तक्बीर पढ़ने से जान जाते थे।

फ़ाइदा:– नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद "अल्लाहु अक्बर" कुछ ऊँची आवाज़ से ही पढ़ते थे जभी तो सहाबा सुन कर समझ जाते थे। अल्लाहु अक्बर कहने के बाद ऊपर की हदीस 312 की दुआ पढ़ी जायेगी, लेकिन धीमी आवाज़ में, क्योंकि ज़िक्र हमेशा चुप-चाप किया जाता है। हाँ, अगर मुक़तदियों को शिक्षा देनी हो तो दुरूस्त है। इस के बाद नीचे की हदीस न॰ 314 की तस्बीह पढ़ी जाये।

बाब {नमाज़ के बाद "सुब्हानल्लाह, अल्हम्दु लिल्लाह, अल्लाहु अक्बर" पढ़ना चाहिये।}

314:– अबू हुरैरा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप ने फ़रमायाः

जो नमाज़ी हर नमाज़ के बाद 33 बार "सुब्हानल्लाह" 33 बार "अल्हम्दु लिल्लाह" और 33 बार "अल्लाहु अक्बर" यानी 99 बार पढ़ ले, और एक बार "लाइला-ह इल्लल्लाहु वह्-दहू ला शरी-क लहू लहुल् मुल्कु व-लहुल् हम्दु वहु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर"

पढ़ कर 100 की संख्या पूरी कर ले तो उस के समस्त गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे, अर्गचे गुनाह समुद्र के झाग के बराबर (अनगिन्त) हों।

फ़ाइदा:– बुख़ारी-मुस्लिम की एक रिवायत में तीनों तस्बीहों को 33-33 बार पढ़ने का ज़िक्र है। एक रिवायत में "अल्लाहु अक्बर" 34 बार पढ़ना आया है, और ऊपर की रिवायत में एक बार "लाइला-ह इल्लल्लाहु......." पढ़ना आया है। तो इन इख़्तिलाफ़ की कोई गंभीरता नहीं है। सभी हदीसें बुख़ारी-मुस्लिम की हैं। सभी को पढ़े ताकि तमाम हदीसों पर अमल हो जाये। अमर अधिक संख्या में पढ़ लिया तो अल्लाह पाक नाराज़ नहीं हो जायेगा, वह दिलों का हाल जानने वाला है कि बन्दा तमाम हदीसों पर अमल करने के

उद्देश्य से ऐसा कर रहा है।

बाब {इमाम का सलाम फेरने के बाद दाँये या बायें तरफ़ मुँह कर के बैठना।}

315:– अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि कोई अपनी नमाज़ में से शैतान को हिस्सा न दे (यानी यह न समझे कि सलाम फेरने के बाद केवल दाहिनी ही तरफ़ मुँह फेर कर बैठना वाजिब है।) मैं ने तो अक्सर देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बायें तरफ़ फिर कर (मुँह कर के) बैठते थे।

फ़ाइदाः– इस विषय पर हदीस न॰ 311 के फ़ाइदा के नीचे के नोट में लिखा जा चुका है, वहाँ पढ़ें। "नमाज़ में शैतान को हिस्सा न दे" का अर्थ यह है कि किसी जाइज़ और मुस्तहब कार्य को अनिवार्य बना लेना, गोया शैतान के क़ब्ज़े में चला जाना और शैतान की बात मानना है। आज के समयकाल में यह महामारी बुरी तरह फैली हुयी है कि सर पर टोपी लगाना तो फ़र्ज़ समझते हैं और नमाज़ में, जुमा तक की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। कुछ इमाम केवल दाहिनी तरफ़ ही मुँह कर के बैठना ज़रूरी समझते रहे होंगे, इस पर इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने यह हदीस सुनाई। (देखें बुख़ारी–किताबुल् अज़ान, हदीस न॰ 852)

बाब {इमामत का हक़दार कौन है?}

316:– अबू मस्ऊद अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः लोगों की इमामत वह करे जो क़ुरआन (का माना, मतलब) अधिक जानता हो। और इस में सभी बराबर हों तो वह इमामत करे जो सुन्नत को अधिक जानने वाला हो। अगर इस में भी बराबर हों तो वह इमामत करे जिस ने हिजरत पहले की हो। अगर इस में भी सब बराबर हों तो जो इस्लाम पहले लाया हो (वह इमामत करे) और किसी की हुकूमत (जागीरदारी) में जा कर उस की इमामत न करे, और उस के घर उस के मस्नद (बैठ कर शिक्षा देने के स्थान) पर बिना उस की अनुमति के न बैठे।

फ़ाइदाः– प्रश्न यह है कि अगर कुरआन, सुन्नत, हिजरत और इस्लाम लाने में भी सभी बराबर हों तब कौन इमामत करे? बुख़ारी–मुस्लिम की रिवायत में है कि आप ने एक गरोह को हुक्म दिया कि जो आयु में सब से बड़ा हो वह इमामत करे (बुख़ारी 628, 630, 631, 658–किताबुल अज़ान) अब एक ही समय में इन पाँच शर्तों में कई एक बराबर हों, ऐसा लगभग असंभव है। इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ ख़ाह–मख़ाह शर्तें बढ़ाते–बढ़ाते यहाँ तक पहुँच गये कि फिर वह इमामत करे जिस की पत्नी सुन्दर हो फिर वह जिस के पास माल अधिक हो, फिर वह इमामत करे जिस का सर बड़ा हो और लिंग (शर्मगाह) छोटी हो। लाहौ–ल वला कुव्वत। इमामत के लिये इसे भी नापने की नौबत आयेगी? (देखें–दुर्रे मुख़्तार)

बाब {नमाज़ में इमाम की पैरवी करनी चाहिये, और हर काम इमाम के कर लेने के बाद

ही करना चाहिये।}

317:– बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते तो जब आप रूकूअ़ में चले जाते तब हम लोग जाते। और जब रूकूअ़ से सर उठा कर "समि–अ़ल्लाहु लि–मन् हमि–दह" कहते, तो हम उस समय तक खड़े रहते, और जब देखते कि आप की पेशानी ज़मीन पर लग गयी है तब हम लोग भी सज्दा में जाते।

फ़ाइदा:– अधिक जानकारी के लिये पीछे की हदीस न॰ 290, 291, 275 और उन का फ़ाइदा देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अगर अल्लाह पाक नाराज़ हो गया तो उस का सर गधे के सर की तरह बना देगा।

बाब {इमाम को नमाज़ पूरी मगर हल्की पढ़ानी चाहिये।}

318:– अबू मस्ऊद अन्सारी रज़ि॰ ने बयान किया कि एक व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर शिकायत की कि मैं फ़लाँ इमाम की इमामत की वजह से सुब्ह की नमाज़ जमाअ़त से नहीं पढ़ता, क्योंकि इमाम साहब क़िरात लंबी पढ़ते हैं। (अबू मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि) मैं ने आप को नसीहत करने में कभी इतने गुस्से में नहीं देखा जितना उस दिन देखा। आप ने फ़रमाया: ऐ लोगों! तुम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दीन से लोगों को नफ़रत दिलाते हैं। तुम में से जो भी इमामत करे तो मुख़्तसर करे, क्योंकि उस के पीछे बूढ़े, कमज़ोर और काम करने वाले (मज़दूर पेशा) भी होते हैं (जो थके–माँदे होते हैं)

फ़ाइदा:– इसी प्रकार की हदीस पहले गुज़र चुकी है देखें हदीस न॰ 289। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ को हल्की मगर पूरी पढ़ते थे (बुख़ारी 706) आप नमाज़ में बच्चे के रोने की आवाज़ को सुन कर हल्की कर देते थे ताकि उस की माँ (जो नमाज़ में शामिल हैं) को तक्लीफ़ न हो (बुख़ारी 707, 708–किताबुल् अज़ान) मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ को अ़िशा की नमाज़ लंबी पढ़ाने की वजह से सख़्त डाँट पिलाते हुये फ़रमाया: तुम नमाज़ लंबी कर के नमाज़ियों को फ़ित्ना में डालना चाहते हो। (यानी चाहते हो कि लोग जमाअ़त से नमाज़ पढ़ना छोड़ दें। (बुख़ारी शरीफ़, किताबुल–अज़ान हदीस न॰ 705)

बाब {इमाम, अपने स्थान पर नमाज़ पढ़ाने के लिये किसी को अपना नाइब बना सकता है और वह लोगों की इमामत कर सकता है।}

319:– उबैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया कि मैं ने आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से अनुरोध किया कि आप मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बीमारी के बारे में कुछ बतलायें। इस पर उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब बीमार हुये तो आप ने पूछा: क्या लोग नमाज़ पढ़ चुके? मैं ने कहा: नहीं, वह लोग आप का इन्तिज़ार कर रहे हैं। आप ने फ़रमाया: हमारे लिये बर्तन में पानी रखो। चुनान्चे

हम ने पानी रख दिया तो आप ने स्नान किया, फिर नमाज़ के लिये चल कर जाना चाहा लेकिन आप बेहोश हो गये। जब होश में आये तो फिर पूछाः क्या लोग नमाज़ पढ़ चुके? हम ने कहाः अभी नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! लोग आप का इन्तिज़ार कर रहे हैं। आप ने फ़रमायाः अच्छा, हमारे लिये किसी लगन में पानी रख दो। चुनान्चे हम ने पानी रख दिया और आप ने स्नान किया और फिर चलने के लिये तय्यार हुये लेकिन दोबारा बेहोश हो गये। फिर जब दोबारा होश में आये तो फिर पूछाः क्या लोग नमाज़ पढ़ चुके? हम ने कहाः नहीं, वह लोग अब भी आप का इन्तिज़ार कर रहे हैं। उधर (मस्जिदे नबवी में) लोग इशा की नमाज़ के लिये आप का इन्तिज़ार कर रहे थे। आप ने किसी को भेज कर कहला भेजा कि अबू बक्र को सूचित कर दो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने आप को इमामत करने का हुक्म दिया है। चूंकि अबू बक्र बड़े नर्म दिल थे (जल्द रोने लगते थे) इसलिये उन्होंने उमर से कहाः ऐ उमर! आप इमामत कर दें। उन्होंने कहाः नहीं, इस का हक़ आप ही को पहुँचता है। चुनान्चे अबू बक्र कई दिन तक लोगों की इमामत करते रहे। इस बीच जब आप की तबीअ़त ज़रा कुछ संभली तो दो सहाबा का सहारा लेकर एक दिन आप जुह्र की नमाज़ पढ़ने के लिये मस्जिद में तशरीफ़ ले गये। उन में से एक अ़ब्बास रज़ि॰ थे (जो आप के चचा थे और दूसरे अ़ली रज़ि॰ थे) जब आप मस्जिद में पहुँचे तो उस समय अबू बक्र सिद्दीक़ इमामत कर रहे थे। उन्हें जब आप के आने का एहसास हुआ तो पीछे हटना चाहा, लेकिन आप ने इशारे से उन्हें मना कर दिया और अपने साथ वालों से कहाः मुझे अबू बक्र के बराबर बैठा दो। चुनान्चे उन्होंने आप को अबू बक्र के (बायीं) बग़ल में बैठा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बैठे-बैठै इमामत करने लगे और अबू बक्र खड़े-खड़े ही आप की पैरवी करने लगे और सहाबा अबू बक्र की पैरवी कर रहे थे।

हदीस के रावी उबैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास बिन मुत्तलिब ने बयान किया कि मैं ने जा कर अ़ब्बास रज़ि॰ से कहाः मैं आज आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बीमारी के ज़माने में नमाज़ पढ़ाने के बारे में बयान करता हूँ जो आ़इशा रज़ि॰ ने मुझे बताई थी। उन्होंने कहाः ठीक हैं सुनाइये। चुनान्चे मैं ने पूरी हदीस सुनाई तो उन्होंने कहाः बिल्कुल सहीह है। फिर उन्होंने पूछाः जो दूसरे सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थे, क्या आ़इशा ने उन का भी नाम बताया था? मैं ने कहाः नहीं। उन्होंने कहाः वह अ़ली रज़ि॰ थे।

फ़ाइदाः– हदीस का बाब से संबन्ध स्पष्ट है। आप ने अपने स्थान पर अबू बक्र को इमामत के लिये मुक़र्रर किया। इस से मालूम हुआ कि इमाम अपने स्थान पर दूसरे को इमामत के लिये खड़ा कर सकता है। इस हदीस से बहुत सारे मस्अ़ले मालूम हुये (1) इमाम अपने स्थान पर ज़रूरत पड़ने पर किसी दूसरे को इमामत के लिये मुक़र्रर कर सकता है। (2) अगर पहला इमाम आ जाये तो उसे इख़्तियार है चाहे तो स्वँय इमामत करने लग जाये और दूसरा नाइब इमाम उस का मुक़तदी बन जाये (जैसे इस हदीस से ज़ाहिर

है) और मुक़तदी लोग नाइब इमाम की पैरवी करें (3) और अगर पहला इमाम चाहे ते अपने नाइब इमाम के पीछे ही मुक़तदी बन कर नमाज़ पढ़ ले, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तबूक की जंग के मौक़ा पर अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि॰ के पीछे फ़ज्र की नमाज़ अदा की थी (मुस्लिम–किताबुस्सलात–रावी मुग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ नीचे की हदीस न॰ 320) (4) पहला इमाम बैठ कर इमामत करे तो नाइब इमाम खड़े–खड़े ही उस की पैरवी करे (5) और मुक़तदी भी खड़े–खड़े अपने नाइब इमाम की पैरवी करें (6) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अबू बक्र के इमाम थे, और अबू बक्र पीछे मुक़तदी लोगों के इमाम थे। (7) पहले यह हुक्म था कि अगर इमाम बैठ कर इमामत करे तो मुक़्तदी भी बैठ कर नमाज़ पढ़ें, लेकिन यह हुक्म इस हदीस से मन्सूख़ हो गया। इस हदीस में आप ने बैठ कर इमामत की और अबू बक्र और दूसरे मुक़तदियों ने खड़े–खड़े आप की पैरवी की। (8) आप ने अबू बक्र के पीछे कभी नमाज़ नहीं पढ़ी है (9) आप ने केवल एक मर्तबा फ़ज्र की नमाज़ अपने उम्मती अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ के पीछे पढ़ी है (मुस्लिम–किताबुस्सलात इसी पुस्तक में नीचे की हदीस न॰ 320) (10) बुख़ार को कम करने के लिये आजकल बर्फ़ और भीगा हुआ कपड़ा डाक्टर प्रयोग में लाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने स्नान किया था। (11) यहाँ पर है कि आप अबू बक्र के बग़ल में बैठे, लेकिन बुख़ारी और मुस्लिम की हदीसों में स्पष्ट तौर पर है कि आप अबू बक्र की बायीं तरफ़ बैठे, इसका अर्थ हुआ कि आप इमाम थे और अबू बक्र मुक़्तदी। अगर आप दाँयीं और बैठते तो अबू बक्र इमाम होते और आप मुक़्तदी (बुख़ारी शरीफ़ हदीस न॰ 713, किताबुल अज़ान+मुस्लिम–किताबुस्सलात) इस के अ़लावा भी और बहुत से मस्अले निकलते हैं, लेकिन यहाँ तफ़सील की गुन्जाइश नहीं।

बाब {अगर इमाम पीछे रहे जाये (और फ़ितना–फ़साद का डर न हो) तो दूसरा नमाज़ी इमामत कर सकता है।}

320:– मोग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ तबूक की लड़ाई में शामिल था। एक रात आप फ़ज्र की नमाज़ से पहले आवश्यक्ता पूरी कने के लिये (मैदान की ओर) निकले तो मैं भी पानी का बर्तन लेकर आप के साथ चल पड़ा। आप जब आवश्यक्ता से फ़ारिग़ होकर आये तो मैं ने आप के हाथों पर पानी डाला, आप ने तीन मर्तबा धोया, फिर मुँह धोया, हाथ को धोने के लिये जुब्बा को ऊपर चढ़ाना चाहा लेकिन उस की आस्तीन तंग थी, इसलिये आप ने जुब्बा के नीचे से ही अपने दोनों हाथों को निकाल कर कोहनी तक धोया, फिर मोज़ों पर मसह किया। फिर मैं आप के साथ रवाना हुआ। जब लश्कर में पहुँचे तो देखा कि अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि॰ फ़ज्र की इमामत कर रहे हैं, चुनान्चे आप ने उन के पीछे एक रक्अ़त पढ़ी। अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि॰ ने दो रक्अ़तें पढ़ाने के बाद सलाम फेर कर देखा तो आप एक रक्अ़त पूरी करने के लिये खड़े हो चुके थे।

सहाबा यह देख कर घबरा गये और तस्बीह पढ़ने लगे। लेकिन आप जब नमाज़ पढ़ चुके तो फ़रमायाः आप लोगों ने अच्छा किया, गोया आप ने इस बात पर खुशी का इज़हार किया कि लोगों ने समय पर नमाज़ पढ़ी।

फ़ाइदाः— इमाम समय पर नहीं पहुँचा और नमाज़ का समय हो चुका है तो दूसरे को इमाम बनाया जा सकता है जैसा कि अबू बक्र सिद्दीक़ को सहाबा ने बनाया था (बुख़ारी 684) अस्ल इमाम आ जाये तो चाहे तो उस इमाम को पीछे कर के आप इमामत करे (देखें हदीस 319) या उस के पीछे ही नमाज़ पढ़ ले। बहरहाल नमाज़ समय पर ही पढ़नी चाहिये। यह केवल अकलौते सहाबी हैं जिन के पीछे आप ने नमाज़ पढ़ी है। और संभवतः यह पहला इत्तिफ़ाक़ है कि आप की जमाअ़त की रकअ़त छोटी है और आप ने इमाम के सलाम फेरने के बाद पढ़ी है। बिना इमाम की अनुमति के उसी समय कोई दूसरा इमामत कर सकता है जब लड़ाई-झगड़े और फ़ितना-फ़साद का डर न हो और इस बात का इत्मिनान हो कि इमाम नाराज़ न होगा।

बाब {आज़ान की आवाज़ (पुकार) सुनने के बाद मस्जिद में आना अनिवार्य है।}

321:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक नेत्रहीन (अन्धे) सहाबी आये और कहने लगेः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मेरी कोई मस्जिद तक रहनुमाई करने वाला नहीं है। इसीलिये उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अनुरोध किया ताकि घर ही में नमाज़ पढ़ने की अनुमति दे दें (चुनान्चे आप ने अनुमति दे दी) फिर जब वह वापस लौट कर जाने लगे तो आप ने उन से पूछाः अज़ान की पुकार सुनते हो? उन्होंने कहाः जी हाँ (सुनते हैं) आप ने फ़रमायाः फिर तो मस्जिद में आना पड़ेगा।

फ़ाइदाः— पूछने वाले सहाबी अ़ब्दुल्लह बिन उम्मे मक्तूम रज़ि॰ थे जैसा कि अबू दावूद में विस्तार से ज़िक्र है। अगर कोई बीमार है, या मजबूर है या अन्धा है तो घर ही पर पढ़ लेने की अनुमति है, जैसा कि अ़ितबान बिन मालिक रज़ि॰ को आप ने अनुमति दे दी थी और स्वँय उन के घर जा कर बर्कत के लिये नमाज़ पढ़ी थी (इसी पुस्तक में हदीस न॰ 14) शरीअ़त का क़ानून इतना कठोर नहीं है कि मजबूर को ऐसा कार्य करने पर मजबूर करे जिसे वह न कर सके। अस्ल मामला यह है कि इब्ने मक्तूम रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह पूछा होगा कि मैं घर ही पर नमाज़ पढ़ लिया करूँ और सवाब जमाअ़त का मिले, इस पर आप ने फ़रमायाः फिर तो जमाअ़त में शामिल होना पड़ेगा। बहरहल उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि मजबूर के लिये माफ़ हे।

बाब {जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत का बयान।}

322:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जमाअ़त की नमाज़ अकेले शख़्स की नमाज़ से पच्चीस दर्जा सवाब में बढ़

कर है।

फ़ाइदा:– बुख़ारी शरीफ़ की एक रिवायत में 25 और दूसरी में 27 दर्जा फ़ज़ीलत का ज़िक्र है (हदीस न॰ 646, अबू सअ़ीद खुदरी+645इब्ने उमर) एक रिवायत में है कि जमाअ़त से नमाज़ न पढ़ने वालों के घरों को आप ने जलाने का इरादा किया था (325, बुख़ारी 644) अ़ल्लामा शौकाना लिखते हैं कि जमाअ़त से नमाज़ अदा करना ताकीदी सुन्नत है। कुछ उलमा जलाने वाली रिवायत को आधार बना कर फ़र्ज़ कहते हैं। फ़र्ज़ न सही, लेकिन ताकीदी सुन्नत और वाजिब होने में कुछ संदेह नहीं, यहाँ तक कि ऊपर वाली हदीस में अन्धे को भी जमाअ़त के साथ पढ़ने का आदेश दिया, जबकि उस को राह बताने वाला भी कोई नहीं।

बाब {जमाअत के साथ नमाज़ अदा करना हिदायत के तरीक़ों में से है।}

323/1:– अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि हम केवल मुनाफ़िक़ को जमाअ़त से पीछे रह जाने वाला समझते थे, वह भी ऐसा मुनाफ़िक़ जिस का निफ़ाक़ खुला हुआ हो। वर्ना (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के समय में) एक बीमार व्यक्ति भी दो आदमियों के सहारे जमाअ़त से नमाज़ पढ़ने के लिये मस्जिद में आता था। अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें दीन और हिदायत की समस्त बातें सिखाई हैं, उन्हीं में से एक बात यह भी बतलाई है कि जिस मस्जिद में आज़ान की आवाज़ सुनों उस में जा कर जमाअ़त से नमाज़ पढ़ो।

बाब {नमाज़ का इन्तिज़ार करना और जमाअ़त से नमाज़ पढ़ना बड़ी फ़ज़ीलत और मर्तबे का काम है।}

323/2:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो नमाज़ी जमाअ़त से नमाज़ पढ़ता है उस की नमाज़, उस नमाज़ के मुक़ाबले में जो घर या बाज़ार में पढ़ी जाये, बीस दर्जा अधिक फ़ज़ीलत और मर्तबे वाली होती है। जो व्यक्ति खूब अच्छी तरह वुज़ू कर के मस्जिद में जाये, वह नमाज़ के लिये घर से निकले और दिल में भी नमाज़ ही का इरादा रखता हो, (राह में कोई दूसरा काम करने की निय्यत न हो) तो ऐसा व्यक्ति जो भी क़दम उठाऐगा उस के हर क़दम पर एक गुनाह माफ़ होगा और एक दर्जा बुलन्द होगा, यहाँ तक कि वह मस्जिद में दाख़िल हो जाये। मस्जिद में दाख़िल हो जाने के बाद जमाअ़त के इन्तिज़ार में जब तक बैठा रहता है, नमाज़ ही की हालत में माना जाता है। और जब तक बैठ कर जमाअ़त का इन्तिज़ार करता है उस समय तक फ़रिश्ते उस के लिये दुआ़ करते रहते हैं कि ऐ अल्लाह! इस बन्दे पर रहम फ़रमा और इसे माफ़ कर दे। फ़रिश्तें उस समय तक दुआ़ करते रहते हैं जब तक बन्दा फ़रिश्तों को तक्लीफ़ न पहुचाँयें, यानी बेवज़ू हो जाये।

बाब {अ़िशा और फ़ज्र की नमाज़ की जमाअ़त की फ़ज़ीलत का बयान।}

324:– अबू अ़म्रा के पुत्र अ़ब्दुर्रहमान से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ि॰ (तीसरे ख़लीफ़ा) मग़्रिब के बाद मस्जिद में आये और अकेले बैठ गये, तो मैं भी उन के पास जा कर बैठ गया। उन्होंने कहाः ऐ मेरे भतीजे! मैं ने अल्लाह के सन्देष्टा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बयान करते सुना है कि जिस ने अ़िशा की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ी तो गोया वह आधी रात तक नफ़्ल पढ़ता रहा (यानी उतना सवाब पायेगा) और जिस ने फ़ज्र की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ी, वह गोया पूरी रात नमाज़ पढ़ता रहा (यानी पूरी रात नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा)

बाब {अ़िशा और फ़ज्र की नमाज़ जमाअ़त के साथ अदा न करने पर सख़्त वॉर्निंग।}

325:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अ़िशा और फ़ज्र की नमाज़ मुनाफ़िक़ों पर बहुत भारी पड़ती है, लेकिन यह लोग अगर उस का सवाब जान लें तो चाहे घुटनों के बल चल कर जायें (लेकिन अवश्य जायें) और मैं ने तो यह इरादा कर लिया था कि लोगों को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दूँ, जब जमाअ़त खड़ी हो जाये तो किसी से कह दूँ वह नमाज़ पढ़ा दे, और मैं कुछ लोगों को साथ ले लूँ जो मेरे साथ लकड़ियों का गट्ठर लेकर चलें और उन के घरों को फूँक दूँ जो नमाज़ में नहीं शरीक हुये हैं।

एक दूसरी रिवायत में इतना और इज़ाफ़ा है कि अगर उन्हें मालूम हो कि (नमाज़ के बदले में) माँस से लदी हुयी हड्डी मिलेगी तो (सारा काम-धाम छोड़ कर) अवश्य पहुँचेंगे।

फ़ाइदाः– पाँचों समय की नमाज़, विशेष कर फ़ज्र और अ़िशा की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ना कितना गंभीर है इस का अनुमान आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नाराज़गी से स्पष्ट है। यही कारण है कि उलमा ने जमाअ़त के साथ नमाज़ को फ़र्ज़ क़रार दिया है। हालाँकि फ़र्ज़ नहीं है, वर्ना आप उन के घरों को जलाए बिना न छोड़ते, लेकिन वाजिब होने में कोई शुब्हा नहीं। फ़ज्र की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ने की फ़ज़ीलत के बारे में बुख़ारी की रिवायत में है कि इस नमाज़ में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और क़ुरआन मजीद सुनते हैं, फिर अल्लाह पाक के दरबार में हाज़िर हो कर नमाज़ में शामिल बन्दों की प्रशंसा करते हैं (बुख़ारी 648-अबू हुरैरा-किताबुल अज़ान)

326:– अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो लोग जुम्अः की नमाज़ में नहीं पहुँचते हैं उन के बारे में मेरा जी चाहता है कि किसी को जुम्अः की नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दूँ और जो जुम्अः की नमाज़ पढ़ने नहीं आते हैं उन के घरों को जा कर आग लगा दूँ।

फ़ाइदाः– जुमा की नमाज़ फ़र्ज़ है (सूरः जुम्अः-9) औरतें, बच्चे, गुलाम और मुसाफ़िर पर फ़र्ज़ नहीं है, चाहें तो उस के स्थान पर ज़ुह्र की नमाज़ पढ़ लें। दीहात-शहर हर स्थान

के लोगों पर फ़र्ज़ है। हनफ़ी उलमा ने बिला वजह दीहाती लोगों को मना कर दिया है। इन के पास कोई दलील नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में प्रथम जुमा 'जवासी' नाम के गाँव में क़बीला अ़ब्दुल् क़ैस की मस्जिद में पढ़ा गया जिस की आबादी गाँव के बराबर थी। जुमा का बयान आगे हदीस न॰ 399 से आरंभ हो रहा है, वहाँ देखें।

बाब {किसी मजबूरी के कारण जमाअ़त में शरीक न होने की रूख़्सत है।}

327/1:– इतबान बिन मालिक रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अन्सारी सहाबा में से हैं, आप के साथ बद्र की लड़ाई में भी शरीक थे, बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ और कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मेरी आँखों की रोशनी समाप्त हो गयी है। मैं अपने क़बीला के लोगों की इमामत करता हूँ, मेरे और उन के दर्मियान एक नाला है, वह वर्षा में भर जाता है इस कारण इमामत के लिये नहीं जा पाता हूँ, इसलिये ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर आ कर किसी स्थान पर नमाज़ पढ़ दें ताकि मैं उसे नमाज़ पढ़ने का स्थान बना लूँ (और वहीं नमाज़ पढ़ा करुँ) आप ने फ़रमायाः ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही करुँगा। इतबान रज़ि॰ ने बयान किया कि फिर सुब्ह को दिन चढ़े नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये, आप के साथ अबू बक्र भी थे। आप ने अन्दर आने की अनुमति माँगी तो मैं ने दे दी। चुनान्चे आप अन्दर आ कर बैठे भी नहीं कि फ़रमाने लगेः तुम्हारे घर में किस स्थान पर नमाज़ पढ़ूँ? मैं ने घर के एक कोने की तरफ़ इशारा किया, चुनान्चे आप ने खड़े होकर अल्लाहु अक्बर कहा, हम सब भी आप के पीछे नमाज़ में शरामिल हो गये। आप ने दो रक्अ़त पढ़ कर सलाम फेर दिया। (नमाज़ के बाद) मैं ने आप को माँस की कड़ी खिलाने के लिये रोक लिया, यह केवल आप ही के लिये पकाई गयी थी। इतने में मोहल्ले के लोग भी जमा होगये, यहाँ तक कि मेरे घर में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गयी।

इसी दौरान उन में से किसी ने पूछाः मालिक बिन दख़्शन कहाँ है? इस पर किसी ने कहाः वह तो मुनाफ़िक़ हो गया है, अल्लाह और उस के सन्देष्टा को दोस्त ही नहीं रखता है। यह सुन कर आप ने फ़रमायाः उस के बारे में इस प्रकार की बातें न कहो। तुम लोगों को मालूम नहीं कि वह लाइला-ह इल्लल्लाह कहता है और ऐसा कह कर वह अल्लाह को प्रसन्न रखना चाहता है। लोगों ने कहाः अल्लाहऔर उस के सन्देष्टा ही बेहतर जानते हैं। इस पर किसी ने कहाः हम तो उसे मुनाफ़िक़ों के साथ उठते-बैठते देखते हैं। आप ने फ़रमायाः जो व्यक्ति लाइलाह इल्लल्लाह पढ़ता है और उस से वह अल्लाह पाक की रज़ा चाहता है, ऐसे व्यक्ति पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है............ (पूरी हदीस)

फ़ाइदाः– इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई मजबूर है (यानी बीमार है, नेत्रहीन

है, चलने-फिरने से मजबूर है) तो उस के लिये जमाअ़त माफ़ है, वह अपने घर में ही नमाज़ पढ़ सकता है। अभी ऊपर हदीस न॰ 321 में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ब्दुल्लाह बिन उम्में मक्तूम नेत्रहीन से फ़रमाया: अगर तुम अज़ान की पुकार सुनते हो तो मस्जिद में आना पड़ेगा। यह हदीस बहुत मुख़्तसर है, रावी ने तफ़सील से ज़िक्र नहीं किया है। इब्ने हजर रह॰ लिखते हैं कि उम्मे मक्तूम ने यह पूछा होगा कि मैं घर में ही नमाज़ पढ़ूँ लेकिन मुझे जमाअ़त का भी सवाब मिले, क्या ऐसा संभव है? इस पर आप ने फ़रमाया: इस के लिये तुम्हें मस्जिद में आना होगा। वर्ना इस्लाम का नियम इतना कठोर नहीं है कि अन्धों और मजबूरों तक को न बख़्शे। दीन इदस्लाम बहुत आसान, सरल और सहज है।

इस हदीस से और कई मस्अ़ले मालूम हुये। (1) नफ़ली नमाज़ जमाअ़त से भी पढ़ सकते हैं। (2) अपने घर में नमाज़ के लिये कोई स्थान ख़ास कर सकते हैं। (3) ख़ैर-बर्कत के लिये बुजुर्ग सेकोई काम कराया जा सकता है। (4) नेक आदमी को अपने से छोटे की दावत कुबूल करनी चाहिये और उस के घर जाना चाहिये, आदि।

बाब {नमाज़ को अच्छे ढंग से अदा करना जरूरी है।}

327/2:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज़ पढ़ाई उस के बाद फ़रमाया: ओ फ़लाने! तुम अच्छे तरीक़े से नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते? क्या नमाज़ी को स्वँय पता नहीं चलता कि वह किस प्रकार नमाज़ पढ़ रहा है? वह नमाज़ पढ़ता है तो अपने फ़ाइदे ही के लिये पढ़ता है (तो फिर ठीक-ठाक ढंग से क्यों नहीं पढ़ता) अल्लाह की क़सम! मैं जिस प्रकार (नमाज़ में) आगे देखता हूँ उसी प्रकार पीछे भी देखता हूँ।

फ़ाइदा:– एक व्यक्ति अपने लाभ के लियेकाम करे लेकिन सही ढंग से न करे, उस से बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज़ को अच्छे और ठीक ढंग से पढ़ना चाहिये, अर्थात क़ियाम, रूकूअ़, सज्दा, तशह्हुद आदि सही तरीक़े से अदा करना चाहिये। रूकूअ़ में पीठ को बराबर रखना, सज्दा में दोनों बाज़ू उठाए रखना, पेशानी के साथ नाक भी ज़मीन पर रखना और सज्दा में पाँव की उंगलियाँ क़िब्ला की तरफ़ रखना चाहिये। रूकूअ़, सज्दे, क़ियाम आदि की लंबाई बराबर होनी चाहिये। इस का नाम है नमाज़ को अच्छे और सुन्दर ढंग से अदा करना। आप का पीछे की तरफ़ देखना यह केवल नमाज़ ही तक सीमित है, नमाज़ की हालत के अ़लावा आ़म हालत में आप पीछे की तरफ़ नहीं देख सकते थे, इस पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। यह हदीस ऊपर गुज़र चुकी है। और बुख़ारी शरीफ़ में भी है (देखें 741) मौलाना दावूद रज़ि॰ लिखते हैं: आप मुहरे-नुबुव्वत (यानी वह माँस जो दोनों कंधों के बीच अन्डे की तरह उभरा हुआ था) से देख लिया करते थे, और यह आप के चमत्कार में से है।

बाब {नमाज को आराम और इत्मिनान से संपूर्णरूप से पढ़ना चाहिये।}

328:– बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ को बड़े ग़ौर से देखा है, मैं ने पाया कि आप का क़ियाम, रूकूअ़, रूकूअ़ से खड़ा होना, सज्दा, दोनों सज्दों के पीच का जल्सा (बैठना) दूसरा सज्दा और सलाम के बीच का जल्सा, यह सब बराबर-बराबर होता था।

फ़ाइदाः– अर्थात सब में बराबर का समय देते थे और सब की लंबाई बराबर होती थी। ऐसा नहीं कि सज्दा दो मिनट तक किया और रूकूअ़ एक मिनट।

329:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने कहाः मैं तुम्हारे साथ वैसे ही नमाज़ पढूँगा जिस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हम लोगों के साथ पढ़ते थे (हदीस के रावी साबित ने कहा) अनस बिन मालिक रज़ि॰ एक काम करते थे जिसे मैं तुम्हें करते हुये नहीं देखता। वह जब रूकूअ़ से सर उठाते तो सीधे खड़े हो जातेथे, यहाँ तक कि लोग यह समझने लगते कि वह (शायद सज्दा में जाना) भूल गये। और जब सज्दा से सर उठाते तो (जल्सा में) इतनी देर तक बैठे रहते कि लोग यह समझते कि (दूसरा सज्दा करना शायद) भूल गये।

फ़ाइदाः– मुस्लिम शरीफ़ की इस हदीस की रोशनी में भी हनफ़ी लोग रूकूअ़ से आधा सर उठाते ही सज्दा में गिर पड़ते हैं और तहमीद (रब्बना ल-कल् हम्द....) पढ़ना तो दूर की बात। नमाज़ी अपने ज़ाती फ़ाइदा के लिये नमाज़ पढ़ता है, फिर अगर कोई अपने ज़ाती कार्य में इस प्रकार की लार्परवाही करे तो इस का कोई उपचार और उपाय नहीं।

बाब {सब से अफजल नमाज वह है जिस में क़ियाम लंबा हो।}

330:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा गयाः सब से अफ़ज़ल नमाज़ कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस में नमाज़ी देर तक क़ियाम करे (यानी खड़े होकर क़िरात करे)

बाब {नमाज़ को सुकून, चैन और शान्ति से पढ़ना चाहिये।}

331:– जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हम लोगों के पास तशरीफ़ लाये और फ़रमायाः मैं तुम लोगों को इस प्रकार हाथ उठाते देखता हूँ गोया शरीर (अड़ियल) घोड़ों की दुम। तुम लोग नमाज़ में कोई हर्कत न किया करो। फिर एक मर्तबा हम लोगों को अलग-अलग सर जोड़ कर बैठे हुये देख कर फ़रमायाः तुम लोग अलग-अलग क्यों डेरा जमाए हो। इसी प्रकार एक मर्तबा और फ़रमायाः तुम लोग इस प्रकार सफ़ क्यों नहीं लगाते जिस प्रकार अल्लाह के

दर्बार में फ़रिश्ते सफ़ बाँध कर खड़े होते हैं। इस पर हम लोगों ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! फ़रिश्तें अपने रब के दर्बार में किस प्रकार सफ़ बाँध कर खड़े होते हैं? आप ने फ़रमायाः वह पहली सफ़ को पहले पूरी करते हैं और खूब मिल कर खड़े होते हैं।

फ़ाइदाः– यह हदीस ऊपर हदीस न॰ 311 में गुज़र चुकी है। सहाबा जब नमाज़ की समाप्ति पर सलाम फेरते तो मुँह दायें-बायें घुमाने के साथ-साथ हाथ भी दायें-बायें ले जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसे फुज़ूल की हर्कत बता कर इस से मना फ़रमा दिया और कहा कि "अस्सलामु अ़लैकुम् वरहमतुल्लाह" कहना ही काफ़ी है, हाथ से इशारा की कोई आवश्यक्ता नहीं। आप हदीस 311 पुनः देखें, सहाबा सलाम फेरने के समय हाथ उठाते थे। बड़े आश्चर्य की बात है कि हनफ़ी उलमा इस हदीस को रफ़ायदैन से जोड़ते हैं और कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन करने से मना फ़रमाया है। नमाज़ी रफ़ायदैन तीन बार करता है (यानी हाथ कंधों तक, या कान के लौ तक उठाता है) (1) तक्बीर तहरीमा के समय (यानी जब अल्लाहु अक्बर कह कर नमाज़ शुरू करता है) (2) रूकूअ़ से सर उठाने के बाद (जिसे रफ़ायदैन कहा जाता है) (3) तीसरी रक्अ़त के लिये खड़े होते समय। पहले और तीसरे में तो तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पहली और तीसरी शक्ल में अड़ियल घोड़ों की तरह दुम हिलाने की अनुमति दे दी, तो दूसरी शक्ल में (रफ़ायदैन में) कंधों तक हाथ उठाने से क्यों मना कर दिया। आश्चर्य है हनफ़ी उलमा की बुद्दि पर। कहाँ की ईंट, कहाँ का रोड़ा, भानमति का खंबा जोड़ा।

इसी प्रकार आप ने फ़रिश्तों की तरह मिल कर खड़े होने का आदेश दिया है और हनफ़ी उलमा चार उंगुल पैर दूर कर के खड़े होते हैं, मालूम होता है बग़ल का नमाज़ी अछूत है। और शादी-विवाह की पार्टियों और समारोहों में इतनी निकटता पैदा करते हैं कि पैर की उंगलियाँ तक दब जाती हैं।

बाब {नमाज़ की हालत में सलाम का जवाब इशारों में देना चाहिये।}

332:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से बाहर (बनी मस्तलिक़ के क़बीला में) भेजा, फिर जब मैं वापस आया तो उस समय आप सवारी पर चल रहे थे (कुतैबा ने कहा कि आन नफ़ली नमाज़ पढ़ रहे थे) चुनान्चे मैं ने आप को सलाम किया तो आप ने हाथ के इशारे से जवाब दिया। फिर जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो मुझे बुला कर फ़रमायाः तुम ने अभी मुझे सलाम किया था, उस समय मैं नमाज़ की हालत में था (इसलिये मुँह से जवाब न दे सका) आप नमाज़ पढ़ रहे थे, हालाँकि आप का मुँह (क़िब्ला के बजाए) पूरब की तरफ़ था।

फ़ाइदाः– इस हदीस से बहुत से मस्अले मालूम हुये। (1) नफ़ली नमाज़ सवारी पर

पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीक़ा यह है कि नमाज़ शुरू करते समय रूख़ क़िब्ला की तरफ़ हो, फिर नमाज़ की हालत में अगर्चे रूख़ बदल जाये इस से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। हाँ फ़र्ज़ नमाज़ सवारी से उतर कर पढ़नी चाहिये (बुख़ारी 1099, 1097 मुस्लिम-सलातुल् मुसाफ़िरीन) इस मस्अले में तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। सवारी से मुराद जो अपने क़ब्ज़े में हो कि उसे जहाँ चाहे रोक दे, जैसे घोड़ा, ऊँट, अपने घर की मोटर गाड़ी, जिसे जहाँ चाहे रोक सकता है। हवाई जहाज़, रेंलगाड़ी अपने क़ब्ज़े में नहीं हैं इसलिये नमाज़ के समय पश्चिम की तरफ़ रूख़ कर के चलती हुयी गाड़ी ही में नमाज़ पढ़ ले, उस के रूकने का इन्तिज़ार न करे।

(2) इस्लाम के आरंभ में नमाज़ की हालत में सलाम का उत्तर मुँह से देना दुरूस्त था (बुख़ारी 1216, 1199) फिर मदीना में यह मन्सूख़ हो गया (देखें बुख़ारी, 1217, 1216, 1199-रावी इब्ने मस्ऊद रज़ि॰) अब हाथ के इशारे से उत्तर दे। नमाज़ में सलाम का जवाब मुँह से देने का हुक्म मन्सूख़ हो गया, जैसा के नीचे की हदीस न॰ 333 में है। मुँह से सलाम का उत्तर देना भी बात-चीत ही में शामिल है।

बाब {नमाज़ में बात-चीत करने का हुक्म मन्सूख़ है।}

333:- मुआविया बिन ह-कम रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ रहा था कि हम में से किसी ने छींका तो मैं ने (नमाज़ ही की हालत में) "यर्-हमु-कल्लाहु" कह कर उत्तर दे दिया, इस पर लोग मुझे घूर-घूर कर देखने लगे, चुनान्चे मुझे कहना पड़ा कि ऐ काश मेरी माँ मुझ पर रोती (यानी मैं मर गया होता तो अच्छा होता) आख़िर आप लोग मुझे घूर कर क्यों देख रहे हैं? मेरी गुफ़्तगू सुन कर लोग अपने हाथों को रानों पर मारने लगे। जब मुझे अन्दाज़ा हो गया कि यह लोग मुझे चुप कर रहे हैं तो मैं ख़ामोश हो गया। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो मेरे माता-पिता आप पर कुर्बान हों, मैं ने सब से बेहतर शिक्षा-प्रशिक्षण देने वाला न तो आप से पहले किसी को पाया और न आप के बाद। अल्लाह की क़सम! न तो आप ने मारा और न ही बुरा-भला कहा, बस केवल इतना फ़रमायाः नमाज़ में दुनियाँ की बातें करना दुरूस्त नहीं क्योंकि वह तो तस्बीह, तक्बीर और कुरआन पाक पढ़ने का समय होता है, या इसी प्रकार की कोई बात आप ने फ़रमायी।

मैं ने आप से पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मैं अभी नया-नया मुसलमान हुआ हूँ, अल्लाह पाक ने इस्लाम लाने की तौफ़ीक़ दी है, हम में से कुछ लोग काहिनों (ज्योतिष्यों, पंडितों) के पास जाते हैं (और उन से भविष्य के बारे में पूछते हैं) आप ने फ़रमायाः उन के पास मत जाओ। मैं ने कहाः हम में से कुछ लोग बुरा शगून भी लेते हैं। आप ने फ़रमायाः यह उन के दिल की बात है, तुम उन्हें किसी काम से न रोको (या तुम को न रोके) मैं ने कहाः हम में से कुछ लोग लकीर (रेखा)

खींच कर फ़ाल निकालते हैं। आप ने फ़रमायाः एक सन्देष्टा भी लकीर खींचा करते थे, अगर कोई उस प्रकार की लकीर खींचे तो यह दुरूस्त है।

हदीस के रावी मुआ़विया बिन ह-कम ने बयान किया कि मेरे पास एक लौंडी थी जो 'उहुद' और 'जव्वानिया' के स्थान पर बकरियाँ चराया करती थी। एक दिन मैं वहाँ गया तो क्या देखा कि एक भेड़िया एक बकरी ले कर भाग गया। इस पर मुझे बड़ा गुस्सा आया, आख़िर मैं भी मनुष्य ही हूँ, उसे मैंने एक तमाचा जड़ दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मैं ने इस का ज़िक्र किया तो आप ने इसे बहुत बुरा कार्य बताया। इस पर मैं ने आप से कहाः क्या मैं उसे स्वतन्त्र कर दूँ? आप ने फ़रमायाः उसे मेरे पास ले आओ। जब मैं उसे आप के पास ले कर आया तो आप ने उस से पूछाः अल्लाह कहाँ हैं? उस ने उत्तर दियाः आकाश पर। आप ने पूछाः मैं कोन हूँ? उस ने उत्तर दियाः आप अल्लाह के सन्देष्टा हैं। आप ने फ़रमायाः इसे स्वतन्त्र कर दो यह ईमान वाली महिला है।

फ़ाइदाः– ज़ैद बिन अ़र्कम ने बयान किया कि हम लोग नमाज़ की हालत में बात-चीत कर लिया करते थे, कोई भी व्यक्ति नमाज़ की हालत में अपने दूसरे भाई से आवश्यक्ता पड़ने पर बात कर लेता था, फिर सूरः बक़रः 238 नाज़िल हुयी............ (मुस्लिम-किताबुल मसाजिद) मालूम हुआ कि पहले बात-चीत कर लेने और सलाम का उत्तर देने की अनुमति थी, लेकिन अब मना है। यहाँ तक कि छींक का उत्तर देना भी बात-चरत में शामिल है। एक सन्देष्टा लकीरें खींच कर बातें बताते थे, अल्लाह पाक ने उन को यह ज्ञान दिया था। हमें उस का ज्ञान नहीं है, इसलिये हमारे लिये जाइज़ नहीं कि यह सब शक-शुब्हे के कार्य अटकल्-पच्चू करें। अल्लाह पाक ने इन कामों के करने, इन पर उजरत और मेहनताना लेने, पन्डितों और काहिनों की मिठाई खाने, इन सब को हराम कहा है। विस्तार से जानकारी के लिये देखें इसी पुस्तक में हदीस न॰ 1494, 1495, 1496।

334:– ज़ैद बिन अक़्र्म रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोग नमाज़ में बातें किया करते थे। हर व्यक्ति अपने बग़ल वाले नमाज़ी से नमाज़ ही की हालत में बात कर लिया करता था। जब यह आयत "क़ूमू लिल्लाहि क़ानिती-न" (अल्लाह के सामने (चुप-चाप) आज्ञाकार बन कर खड़े रहो) नाज़िल हुयी, तब हमें नमाज़ में चुप-चाप रहने का हुक्म हुआ और बात-चीत से मना कर दिया गया।

बाब {नमाज़ की हालत में आवश्यक्ता पड़ने पर "सुब्हानल्लाह" कहना चाहिये।}

335:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः (नमाज़ की हालत में इमाम को आगाह करने के लिये) पुरूषों को "सुब्हानल्लाह" कहना और महिलाओं को ताली बजानी चाहिये।

फ़ाइदाः– हदीस का अर्थ स्पष्ट है। मुक़्तदी मर्द "सुब्हानल्लाह" कह कर लुक़्मा दें और

मुक़तदी महिला हल्की ताली बजा कर। विस्तार से जानकारी के लिये देखें बुख़ारी शरीफ़ हदीस न॰ 684-सहल बिन सअ़द साअ़दी+1201, 1218, 1234, 2690, 2693, 7190।

बाब {नमाज की हालत में आकाश की ओर देखना मना है।}

336:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नमाज़ी लोग नमाज़ की हालत में दुआ़ करते समय आसमान की तरफ़ नज़र न उठाएँ, वर्ना उन की आँख की रोशनी छीन ली जायेगी।

फ़ाइदा:- मुस्लिम ही में यही हदीस जाबिर बिन समुरा से भी रिवायत है (देखें मुस्लिम-किताबुस्सलात) मौलाना वहीदुज़्ज़माँ लिखते हैं "अल्लाह तआ़ला सात आकाश के ऊपर अर्श पर है, इसलिये नमाज़ी के लिये आवश्यक है कि वह नमाज़ में अपनी नज़रें नीची रखे। नमाज़ की हालत में आसमान की तरफ़ देखना बिलाशुब्हा मना है, इस पर समस्त उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। अल्बत्ता आ़म हालत में हाथ उठा कर दुआ़ करते समय आसमान की तरफ़ देख सकता है। यह रिवायत बुख़ारी में भी है (हदीस 750-अनस बिन मालिक) और जो इधर-उधर (दायें-बायें) देखता है, उस के बारे में फ़रमायाः "यह तो डाका है जो शैतान बन्दे की नमाज़ पर डालता है" (बुख़ारी 751-आ़इशा रज़ि॰)

बाब {नमाजी के आगे से गुज़रना बहुत बडा पाप है।}

337:- बुस्र बिन सऔ़द ने बयान किया कि ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी रज़ि॰ ने मुझे अबू जुहम (यानी अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस बिन समा अन्सारी रज़ि॰) के पास यह पूछने के लिये भेजा के नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले के बारे में क्या फ़रमाया है? तो उन्होंने बतायाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर नमाज़ी के सामने से गुज़रने वाला वह वबाल (गुनाह, दन्ड) जान ले तो गुज़रने के मुक़ाबले में चालीस वर्ष तक खड़ा रहना बेहतर समझेगा। अबू नस्र (हदीस के रावी) ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि अबू जोहम ने चालीस वर्ष कहा था, या चालीस माह, या चालीस दिन।

फ़ाइदा:- अगर नमाज़ी बिना सुतरा खड़ा किये नमाज़ पढ़ रहा है तो उस के आगे से कितनी दूरी से गुज़रा जाये? इस का उत्तर यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ी और आप के और पश्चिम दीवार के दर्मियान एक बक्री के बच्चा के गुज़रने की जगह थी। (बुख़ारी 495, 496-सहल बिन सअ़द) मालूम हुआ कि बिना सुतरा वाले नमाज़ी के दो-तीन हाथ या लग-भग दो सफ़ के बराबर दूरी से, उस के आगे से गुज़रा जा सकता है। कुछ उलमा का कहना है कि नमाज़ी, सज्दा के स्थान पर देखें तो दायें-बायें और सामने दो-तीन हाथ दूर की भी चीज़ें नज़र आती हैं, इसलिये दो तीन हाथ आगे से गुज़र सकता है, ताकि उस की नज़र में उस का चेहरा न आये और नमाज़ में ख़लल न पैदा हो। हदीस में आगे से गुज़रने की मिनाही आई है

इस का यह हर्गिज़ अर्थ नहीं कि दस-बीस फुट के आगे से भी न गुज़रा जाये।

बाब {नमाज़ी, अपने सामने से गुज़रने वाले को सख़्ती से रोके।}

338:– अबू स्वालेह सम्मान ने बयान किया कि एक मर्तबा मैं अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ के पास मौजूद था और वह जुमा के दिन किसी चीज़ को आड़ बना कर लोगों से हट कर नमाज़ पढ़ रहे थे कि इसी बीच अबू मुअ़ीत के ख़ान्दान का एक युवक उन के सामने से गुज़रने लगा। इस पर अबू सअ़ीद रज़ि॰ ने उस के सीने पर मार कर धक्का दिया। उस ने इधर-उधर जाने का रास्ता देखा, जब न मिला तो पुनः उन के सामने से जाना चाहा, इस पर उन्होंने और ज़ोर से मारा। इस पर वह युवक खड़ा होकर उन से झगड़ने लगा, इतने में कुछ लोगों ने आ कर मामला रफ़ा-दफ़ा कर दिया, फिर उस ने (मदीना के गवर्नर) मर्वान के पास जा कर शिकायत की (स्वालेह सम्मान ने कहा) सअ़ीद रज़ि॰ भी मर्वान के पास पहुँच गये। मर्वान ने उन से पूछाः आप ने क्या कर डाला जो आप के भाई का बेटा शिकायत लेकर आया है? इस पर अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ ने कहाः मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को स्वँय फ़रमाते सुना हैः अगर कोई किसी चीज़ को आड़ बना कर नमाज़ पढ़ रहा हो और उस के सामने से कोई निकलने लगे तो उसे घूँसा मार कर रोके, फिर भी न माने तो उस से लड़ाई लड़े, क्योंकि वह शैतान है।

फ़ाइदाः– बुख़ारी की रिवायत में है "गुज़रने वाले को रोकना चाहिये, अगर अब भी न माने तो उस से लड़ना चाहिये, क्योंकि वह शैतान है।" (हदीस 509-अबू सअ़ीद ख़ुदरी) मालूम हुआ कि उसे रोकने की भरसक चेष्टा करे। इस का यह भी अर्थ नहीं कि रोकने में मामला इतना तूल पकड़ जाये कि मार-पीट और थाना-पोलिस की नौबत आ जाये, और लेने के देने पड़ जायें। उलमा ने लिखा है कि "उस से लड़े" का अर्थ यह है कि अपने तौर पर मना करने की कोशिश करे। अगर वह ज़बर्दस्त है और नमाज़ी को ही धक्का देकर चला जायेगा तो वह स्वँय गुनहगार होगा। और नमाज़ी को भी राह से हट कर घेरना चाहिये ताकि आने-जाने वालों को तक्लीफ़ न हो। प्रश्न यह उठता है कि बिना सुतरा वाले नमाज़ी के कितने आगे से गुज़र सकता है? जैसे एक व्यक्ति मैदान में बिना सुतरा के नमाज़ पढ़ रहा है और उस के सामने मीलों तक मैदान है तो उस के सामने से कितनी दूरी से गुज़रे? अबू दावूद की रिवायत में है कि अंगूठे पर कंकरी रख कर फेंकी जाये, जितनी दूर जागिरे उस के आगे से जा सकता है। यह दूरी दो-तीन सफ़ के बराबर होगी।

बाब {नमाज़ी किस चीज़ का सुतरा बनाए?}

339:– तल्हा बिन उबैदुल्लाह रज़ि॰ ने बयान किया कि हम लोग नमाज़ पढ़ते रहते और जानवर हमारे सामने से आते-जाते रहते थे, चुनान्चे हम लोगों ने इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ज़िक्र किया तो आप ने फ़रमायाः अगर पालान

(कजावा) की पिछली लकड़ी की लंबाई के बराबर कोई वस्तु सामने हो तो फिर किसी के भी सामने से गुज़रने से नमाज़ में कोई नुक़्सान नहीं पहुँचता।

फ़ाइदा:– पालान की लक्ड़ी लगभग एक फुट लंबी होती है। मालूम हुआ कि सुतरा लगभग एक फुट ऊँचा होना चाहिये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने छोटा नेज़ा (र्बछा) को सुतरा बनाया है (बुख़ारी 187, 494+नीचे हदीस न॰ 342) अ़न्ज़ा (वह डन्डा जिस के नीचे लोहे का फल लगा हो) का सुतरा बनाया (बुख़ारी 495, 187, 499) दीवार को सुतरा बनाया (बुख़ारी 496, 7334, 497) सुतून यानी खंबे का सुतरा बनाया (बुख़ारी–502, 625) ऊँटनी को सामने कर के नमाज़ पढ़ी है (नीचे की हदीस 341) चार पाई को सुतरा बना कर नमाज़ पढ़ी है (बुख़री–508–आ़इशा रज़ि॰) पेड़ को सुतरा बना कर नमाज़ पढ़ी (बुख़ारी–507 इब्ने उमर रज़ि॰) इस तफ़सील से बताना यह है कि कोई भी ठोस चीज़ जिस की ऊँचाई एक फुट हो, सुतरा का काम देगी। कुछ लोग ज़मीन पर लकीर खींच लेते हैं, लेकिन यह हदीस ज़ओ़फ़ है, इसलिये इस पर अ़मल नहीं होगा। सुतरा, सज्दा के स्थान से इतना आगे गाड़ा जाये कि उस दर्मियान से बकरी का बच्चा निकल जाये।

बाब {र्बछी (भाला) की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ना।}

340:– अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़ीद के दिन (नमाज़ पढ़ने के लिये) बाहर निकलते तो अपने सामने र्बछा गाड़ने का हुक्म देते, फिर उस को सामने कर के नमाज़ पढ़ते और लोग आप के पीछे होते। आप यह काम सफ़र में करते थे, यही वजह है कि अ़ाम लोगों ने इसे अपना लिया है (कि र्बछी अपने साथ रखते हैं)

फ़ाइदा:– 'लोग' यानी "मुक़तदी" आप के पीछे (दाँये–बाँये) यानी मुक़तदी लोगों के सामने सुतरा नहीं होता था। मालूम हुआ कि इमाम का सुतरा मुक़तदी के लिये भी काफ़ी है, मुक़तदी के लिये अलग से सुतरा की आवश्यक्ता नहीं।

बाब {सवारी की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ने का बयान।}

341:– अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ऊँटनी को क़िब्ला की तरफ़ कर के उस के सामने नमाज़ पढ़ते थे।

फ़ाइदा:– मालूम हुआ कि पाल्तू जानवर में ऊँटनी को भी सुतरा बनाया जा सकता है। तफ़सील के लिये देखें हदीस न॰ 339 का फ़ाइदा।

बाब {सुतरा से आगे होकर नमाज़ी के सामने से गुज़रने की इजाज़त है।}

342:– अ़ौन बिन अबू जुहैफ़ा ने बयान किया कि मेरे पिता जी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को चमड़े के लाल ख़ेमे में देखा, और मैं ने बिलाल रज़ि॰ को देखा कि जैसे ही उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के वुज़ू का बचा

हुआ पानी निकाला तो सहाबा उसे प्राप्त करने के लिये झपटने लगे, फिर जिस को वह पानी मिल गया, अपने शरीर पर मलने लगा, और जिस को न मिला उस ने अपने साथी के भीगे हुये हाथ से अपना हाथ मिला कर भिगो लिया। फिर मैं ने देखा कि बिलाल रज़ि॰ ने एक बर्छी निकाली और उसे ज़मीन में गाड़ दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम लाल रन्ग का जोड़ा पहने हुये और उस को (पिंडलियों तक) ऊपर उठाए हुये खेमे से बाहर आये और बर्छी की तरफ़ खड़े होकर लोगों को दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ाई, और मैं ने देखा कि आदमी और जानवर बर्छी के आगे से आ-जा रहे हैं।

फ़ाइदा:— 'अ़न्ज़ा' उस लाठी को कहते है जिस के नीचे लोहे का फल लगा हुआ हो। तफ़सील के लिये देखें हदीस न॰ 339 का फ़ाइदा।

बाब {नमाज़ में कमर पर हाथ रखना मना है।}

343:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कमर पर हाथ रख कर नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:— हदीस में "मुख़्तसिर" का शब्द आया है। इस के अर्थ में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। कुछ लोगों ने कहा कि लक्ड़ी के सहारे से टेक लगा कर नमाज़ पढ़ना। और कुछ उलमा ने कहा कि कमर पर हाथ रख कर पढ़ना। और यही तर्जुमा सहीह है। कमर पर हाथ रख कर नमाज़ पढ़ना इसलिये मना है कि यहूदी लोग इसी प्रकार नमाज़ पढ़ते थे। और इब्लीस इसी हालत में आकाश से धुतकारा गया था। लेकिन सब से बड़ी वजह यह है कि इस प्रकार तकब्बुर करने वाले घमन्डी लोग खड़े होते हैं, और नमाज़ तो मुकम्मल आ़जिज़ी और अपनी कमज़ोरी के ज़ाहिर करने का नाम है, न कि अल्लाह के सामने गुरूर, घमन्ड करने और अपना पड़प्पन दिखाने का।

बाब {नमाज़ की हालत में नमाज़ी अपने सामने न थूके।}

344:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िब्ला की तरफ़ थूक देखा तो नमाज़ियों से फ़रमाया: तुम्हारा क्या हाल है कि तुम में का कोई नमाज़ी अपने रब की तरफ़ मुँह कर के खड़ा होता है फिर उसी की तरफ़ थूकता भी है। क्या कोई इस बात को पसन्द करेगा कि जिस की तरफ़ मुँह कर के खड़ा हो उसी की तरफ़ थूके भी। अगर किसी को नमाज़ की हालत में थूकने की आवश्यक्ता पड़ जाये तो बायें पैर के नीचे थूक ले, और अगर जगह न हो तो (क़ासिम ने जो इस हदीस को रिवायत करते हैं) अपने कपड़े में थूक कर उसे मल दिया (और बताया कि इस प्रकार कर लिया करो)

फ़ाइदा:— बुख़ारी की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़िब्ला की तरफ़ दीवार पर बलग़म देखा तो उठ कर उसे खुरच दिया .... उस का रब उस के क़िब्ला के दर्मियान होता है, इसलिये बायें तरफ़ या अपने पैरों तले थूक सकता

है, फिर आप ने चादर का कनारा पकड़ कर उस पर थूका फिर उसे मल दिया और फ़रमायाः इस प्रकार कर लिया करो। (बुख़ारी 405) मालूम हुआ कि मस्जिद से बाहर भी क़िब्ला की तरफ़ नहीं थूकना चाहिये या मस्जिद के अन्दर रूमाल में थूक कर मल लेना चाहिये। बायें पैर के नीचे थूकना चाहिये। लेकिन आजकल मस्जिदों की ज़मीन पक्की होती है इसलिये केवल रूमाल में थूक कर मल लें। अ़ल्लामा नववी ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कहीं भी हो क़िब्ला की तरफ़ न थूके (बुख़ारी-410, 411)

बाब {नमाज़ में जुमाई आये तो उसे रोकना चाहिए।}

345:- अबू सअ़ीद खुंदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब किसी को नमाज़ की हालत में जुमाही आये तो हर संभव उसे रोकने की कोशिश करे इसलिये कि शैतान (वस्वसा, शक-शुब्हा और शंका डालने के लिये) अन्दर घुसने की चेष्टा करता है। एक दूसरी रिवायत में है कि इसलिये (जुमाई लेते समय) अपना हाथ मुँह पर रख लिया करो, क्योंकि शैतान अन्दर घुस जाता है (ताकि शक-शुब्हा डाले)

बाब {नमाज़ में बच्चों को उठा लेना (भी दुरुस्त है, लेकिन कभी कभार)।}

346:- अबू क़तादा अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इस हाल में इमामत करते देखा कि उबुल आ़स रज़ि॰ की पुत्री (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नवासी, ज़ैनब रज़ि॰ की बेटी) आप के कंधे पर बैठी थीं। जब आप रूकूअ़ करते तो उन्हें बैठा देते और जब सज्दा से खड़े होते तो फिर उन्हें कंधे पर बैठा लेते।

फ़ाइदाः- नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पुत्री ज़ैनब का निकाह अबुल आ़स बिन रबीअ़ से हुआ जिन से उमामा पैदा हुयीं। फ़ातिमा रज़ि॰ ने अ़ली रज़ि॰ को विसय्यत की थी कि मेरे मरने के बाद उमामा से निकाह कर लेना, चुनान्चे फ़ातिमा के देहान्त के बाद अ़ली ने उन से निकाह कर लिया। अ़ली रज़ि॰ के शहीद होने के बाद मुग़ीरा बिन नौफ़ल ने उन से निकाह किया, जो अ़ब्दुल मुत्तलिब के पोते थे।

मालूम हुआ कि अगर बच्चा नजिस नहीं है और उस का वस्त्र भी नजिस नहीं है तो कंधे पर बैठा लेने से नमाज़ में कोई कमी नहीं आती है। बच्चा हो या बच्ची, दोनों बराबर हैं। इमाम, मुक़्तदी, अकेला नमाज़ी सभी ऐसा कर सकते हैं। मुस्लिम की दूसरी रिवायत में स्पष्ट तौर पर है कि आप इमामत कर रहे थे (किताबुल् मसाजिद) इसलिये जो केवल नफ़्ली नमाज़ में जायज़ कहते हैं, उन का ख़याल ग़लत है। कुछ लोग इस हदीस को मन्सूख़ मानते हैं, लेकिन उन के पास मंसूख होने की कोई दलील नहीं है। इस्लाम के सिद्वान्त और नियम में इतनी गुंजाइश है कि किसी ख़ास मौक़ा पर नमाज़ी ने अपने किसी प्यारे, मासूम, जन्नत के फूल जैसे बेटे को प्रेम भावना से अपने कन्धे पर बैठा

लिया तो इस से नमाज़ ख़राब न होगी। लेकिन रोज़ का मामूल बना लेना बहरहाल उचित नहीं है। यह हदीस बुख़ारी में भी आयी है (बुख़ारी -516-किताबुस्सलात) ज़रुरत पड़ने पर इस से अधिक भारी काम भी कर सकते हैं, देखें ऊपर हदीस न॰ 308 का फ़ाइदा।

बाब {नमाज़ की हालत में कंकरियों का हटाना दुरूस्त है।}

347:- मुअ़ैक़िब बिन अबू तल्हा अन्सारी रज़ि॰ से रिबायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सज्दा के स्थान पर पड़ी कंकरियों के बराबर कर देने के बारे में फ़रमायाः अगर आवश्यक्ता पड़े तो नमाज़ी एक बार बराबर कर ले।

फ़ाइदाः- मुस्लिम ही की एक दूसरी रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक नमाज़ी को हर सज्दा करते समय कंकरियाँ बराबर करने पर फरमायाः केवल एक बार बराबर करो (क्योंकि बार-बार करने से नमाज़ की यकसूई समाप्त हो जायेगी और नमाज़ में ध्यान बट जायेगा) (मुस्लिम-किताबुल मसाजिद+बुख़ारी-1208) कुछ नमाज़ी सज्दा के स्थान को साफ़ करने के लिये मुँह से फूँकते है।, यह बिल्कुल ग़लत है। कुछ लोग कपड़ा रख लेते हैं यह हदीस से साबित है और दुरुस्त है। (बुख़ारी)

बाब {नमाज़ में थूक को जूते से मल देना चाहिये।}

348:- अ़ब्दुल्लाह बिन शिख़्ख़ीर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी तो क्या देखा कि आप ने थूका फिर उसे अपने जूते से मसल दिया।

फ़ाइदाः- यह हदीस इस से पूर्व भी आ चुकी है। देखें 344, 250 का फ़ाइदा। अगर नमाज़ की जगह कच्ची मिट्टी की है तो रगड़ देना दुरूस्त है। लेकिन अगर ज़मीन पक्की है तो रूमाल में थूक कर मल ले। तफ़सील हदीस 344 के फ़ाइदा में देखें।

इस हदीस से जूती पहन कर नमाज़ पढ़ने का सबूत है, मगर शर्त यह कि वह पाक हो (मुस्लिम-किताबुल मसाजिद+बुख़ारी-हदीस 386, किताबुस्सलात+ इसी पुस्तक में हदीस 324)

बाब {नमाज़ में सर के बालों का बाँधना मना है।}

349:- इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस को जूड़ा बाँध कर नमाज़ पढ़ते देखा तो मैं उन के बाल का जूड़ा खोलने लगा। जब वह नमाज़ पढ़ चुके तो मुझ से पूछाः आप मेरे सर में क्या कर रहे थे? मैं ने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि जो व्यक्ति बालों का जूड़ा बाँध कर नमाज़ पढ़ता है उस की मिसाल उस व्यक्ति की सी है जो अपनी सतर (शर्मगाह) खोल कर नमाज़ पढ़ता है।

फ़ाइदाः- बालों का जूड़ा न बाँधे, इस संदर्भ में उलमा ने लिखा है कि जब बालों

को न लपेटा जाये तो वह भी सर के साथ सज्दा करते हैं जैसा कि और दूसरी रिवायतों में है। अबू दावूद की रिवायत में हैं कि बाल के जूड़ों पर शैतान बैठ जाता है। (देखें बुख़ारी-हदीस 815 की तफ़सीर (उर्दू एडिशन) में अबू दावूद का हवाला)

बाब {पहले ख़ाना खाए, (अगर सामने हो) फिर नमाज़ पढ़े।}

350:- अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया:जब नमाज़ के समय रात का खाना सामने आ जाये तो मग़िरब की नमाज़ पढ़ने से पहले खाना खा लो, खाना छोड़ कर नमाज़ के लिये न भागो।

फ़ाइदा:- मुस्लिम की एक रिवायत में यूँ है "रात का खाना सामने रख दिया गया और उधर जमाअ़त के लिये तक्बीर हाने लगी तो पहले खाना खा लो।" (मुसिलम-किताबुल् मसाजिद+बुख़ारी-671, 672, 673) बुख़ारी में है कि "अगर तुम खाना खा रहे हो तो जल्दी न करो, अर्गचे नमाज़ खड़ी हो गयी हो" (हदीस न॰ 674)

खुलासा यह कि भूख भी लगी है और खाना भी तय्यार है तो पहले खाना खा ले, ताकि नमाज़ पूरे सुकून और इत्मिनान से अदा कर सके और दिल खाने में न लगा रहे। लेकिन अगर खाने की ख़ाहिश न हो तो खाना छोड़ कर नमाज़ पढ़ सकता है, ऐसा [illegible] ने [illegible] कोई हरज नहीं। नमाज़ से पहले खाने का हुक्म यह कोई वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है, [illegible]सीलिये अगर कोई खाना छोड़ कर पहले नमाज़ पढ़ ले तो गुनाहगार नहीं होगा।

बाब {नमाज़ में भूल जाने पर सह्व का सज्दा करने का हुक्म है।}

351:- अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब किसी को अपनी नमाज़ में शक हो जाये (कि कितनी रक्अ़त पढ़ी है) और इस बात का फ़ैसला न कर सके कि तीन पढ़ी है अथवा चार, तो शक दूर कर लेना ज़रूरी है, और जितनी रक्अ़त पढ़ने पर पूरा यक़ीन हो उस को हद मान ले (अगर कम रक्अ़त पर यक़ीन है तो बाक़ी रक्अ़त पूरी करे) फिर सलाम फेरने से पूर्व दो सज्दे कर ले। अब अगर उस ने पाँच रक्अ़तें पढ़ ली हैं तो सहव के दो सज्दे छठी रक्अ़त के स्थान पर हो जायेंगे। और अगर पूरी चार रक्अ़त पढ़ी है तो सहव के दोनों सज्दे शैतान के मुँह में मिट्टी डाल देंगे (कि शैतान शुब्हा डाल कर नमाज़ी का कुछ न बिगाड़ सका)

352:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें जुह् या अ़स्र की नमाज़ पढ़ाई तो केवल दो ही रक्अ़त पढ़ा कर सलाम फेर दिया, फिर मस्जिद में जो लक्ड़ी क़िब्ला की तरफ़ रखी हुयी थी उस से टेक लगा कर गुस्सा की हालत में खड़े हो गये। उस समय नमाज़ में अबू बक्र सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक़ रज़ि॰ जैसे (बुज़ुर्ग) सहाबा भी थे, लेकिन मारे डर के यह लोग भी कुछ न बोल सके। उधर जिन्हें जाने की जल्दी थी वह यह कहते हुये मस्जिद से चले गये कि (अ़स्र

की) नमाज़ (में रक्अतों की संख्या) कम कर दी गयी है। इतने में ज़ुल्-यदैन नामक सहाबी खड़े होकर कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! क्या नमाज़ में कमी कर दी गयी है, या आप भूल गये हैं? यह सुन कर आप ने अपने दायें-बायें वालों से पूछाः ज़ुल्-यदैन क्या कह रहे हैं? लोगों ने कहाः वह सच कह रहे हैं, आप ने दो ही रक्अतें पढ़ाई हैं। यह सुन कर आप ने दो रक्अतें और पढ़ीं फिर सलाम फेर दिया, फिर "अल्लाहु अक्बर" कह कर सज्दा किया, फिर "अल्लाहु अक्बर" कह कर सर उठाया, फिर "अल्लाहु अक्बर" कह कर सज्दा किया और फिर "अल्लाहु अक्बर" कह कर सर उठाया (यानी दो सज्दे किये)

मुहम्मद बिन सीरीन ने कहा कि मुझे इम्रान बिन हुसैन ने बयान किया कि आप ने अन्त में सलाम फेरा।

फ़ाइदा:– (1) मालूम हुआ कि अगर नमाज़ की हालत में शक हुआ तो उसे दूर कर के अन्त में सह्व के दो सज्दे कर के सलाम फेर दे। और अगर सलाम फेरने के बाद शक ज़ाहिर हुआ तो रक्अत की उस कमी को पूरा करे, फिर सह्व के दो सज्दे कर के सलाम फेर दे। मतलब यह है कि सलाम फेरने के बाद दो सज्दे न करे, बल्कि सलाम फेरने से पहले सज्दे करे। हनफ़ी लोग सलाम फेरने के बाद सहव के दो सज्दे कर के फिर सलाम फेरते हैं। लेकिन सलाम फेरने से पहले सहव के सज्दे करने से यह फ़ाइदा होगा कि वह भी नमाज़ का एक हिस्सा बन जायेंगे (सलाम फेरने के बाद जो दो सज्दे किये जायेंगे वह नमाज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि सलाम फेरने, यानी नमाज़ की समाप्ति के बाद किया) (2) सहव के दो सज्दे के तुरन्त बाद सलाम फेर दे, क्योंकि इस के बाद तशह्हुद नहीं है। इमाम बैहक़ी आदि ने जिस रिवायत में तशह्हुद का ज़िक्र किया है उसे ज़ओफ़ कहा है। (3) सलाम फेरनेके बाद खड़ा हो गया तब मालूम हुआ कि नमाज़ में कमी रह गयी, तो क्या वह पहले तक्बीर तहरीमा कहे, या सज्दे की तक्बीर ही काफ़ी है? जमहूर उलमा के नज़दीक केवल सज्दे की तक्बीर काफ़ी है। (4) जिस को शक की बीमारी हो और शुब्हा हर नमाज़ में होता हो, वह क्या करे? इमाम हसन बसरी आदि उलमा का कहना है कि ऐसा नमाज़ी हर नमाज़ के अन्त में सलाम फेरने से पहले सह्व के दो सज्दे का लिया करे (चाहे कमी के बारे में शुब्हा हो, या ज़्यादती के बारे में) लेकिन कुछ उलमा का कहना है कि अगर हर नमाज़ में कमी का शुब्हा हो तो उसे पूरा करे (यानी उतनी रक्अत पढ़े) फिर सहव के सज्दे कर के सलाम फेरे। लेकिन शुब्हे वाला नमाज़ी इस प्रकार परेशान हो जायेगा, इसलिये इमाम हसन बसरी का मसलक ही उचित है और इमाम बुख़ारी रह० का भी यही ख़याल है। (5) जिस प्रकार फ़र्ज़ नमाज़ में सहव के सज्दे है, इसी प्रकार नफ़ली नमाज़, वित्र की नमाज़, नज़्र की नमाज़, क़ज़ा की नमाज़ आदि सब में भी हैं। (6) कुछ लोगों का कहना है कि नमाज़ में अगर रक्अत या और अर्कान की कमी रह जाये तो (उसे पूरा करे फिर) सलाम फेरने से पहले सहव के सज्दे

करे, फिर सलाम फेरे। और अगर नमाज़ में रक्अत आदि ज़्यादा कर ले तो इस के लिये पहले सलाम फेरे, फिर सहव के सज्दे कर के दोबारा सलाम फेरे (जैसा कि हनफ़ी करते हैं) (7) सह्व के सज्दे अनिवार्य हैं, जानबूझ कर सुस्ती और लार्पवाही से न करने से नमाज़ मुकम्मल नहीं होगी। चुनान्चे हनफ़ी उलमा के नज़दीक वाजिब है और यही सहीह है। यह समस्त तफ़सील मौलाना दावूद रज़ि॰ की बुख़ारी (उर्दू एडिशन) के भाग 2 से प्राप्त है। फ़ाइदा अर्गचे लंबा हो गया, लेकिन इस की आवश्यक्ता थी। अधोरा फ़ाइदा लिखने से क्या फ़ाइदा-ख़ालिद। अद्दारूस्सलफ़िय्या, मुंबई। 10.12.2004, सनीचर वार

बाब {कुरआन मजीद में (तिलावत के) सज्दों का बयान।}

353:- अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कुरआन की तिलावत करते, जब सज्दा वाली आयत पर पहुँचते तो आप सज्दा करते और आप के साथ जो लोग होते वह भी सज्दा करते (और लोगों की इतनी भीड़ होती कि) हम में से कुछ लोगों को सज्दा करने के लिये जगह ही नहीं मिलती थी।

354:- अबू राफ़े रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा मैं ने अबू हुरैरा रज़ि॰ के साथ अ़िशा की नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने सूरः "इन्शिक़ाक़" पढ़ी और सज्दा किया। नमाज़ के बाद मैं ने उन से पूछाः आप ने इस में कहाँ से सज्दा किया? उन्होंने कहाः मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे भी इस सूरः में सज्दा किया है और बराबर करता रहूँगा यहाँ तक कि आप से मिलूँ।

फ़ाइदा:- (1) तिलावत का सज्दा सुन्नत है, इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ के नज़दीक वाजिब है और यही हक़ है। (2) अहले हदीस के नज़दीक सूरः "हज्ज" के दो सज्दे मिला कर कुल 15 सज्दे कुरआन में हैं। (3) कुरआन मजीद की तिलावत ज़बानी बिला वुज़ू जाइज़ है तो तिलावत का सज्दा भी जाइज़ है। इब्ने उमर रज़ि॰ बिला वज़ू सज्दा करते थे। आ़म मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ सूरः नज्म में सज्दा किया, वह सब बावज़ू नहीं रहे होंगे (बुख़ारी-1071) (4) आप ने सज्दा नहीं भी किया है। इस से मालूम हुआ कि तिलावत का सज्दा न करना भी जाइज़ है (बुख़ारी-1072, 1073) (5) यह सज्दा तिलावत के तुरन्त बाद करें, और बाद में भी कर सकते हैं। (6) जिस प्रकार पढ़ने वाले पर सज्दा है, इसी प्रकार सुनने वाले पर भी है (7) महिला, पुरूष, बालिग़ नाबालिग़ सब पर है (8) इमाम मालिक सज्दा वाली आयत नमाज़ में पढ़ना मक्रूह कहते हैं, लेकिन उन का ख़याल ग़लत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सूरः इन्शिक़ाक़ पढ़ी है जिस में सज्दा है। (बुख़ारी-1078) (8) सज्दा में यह दुआ पढ़नी मस्नून है:

स-ज-द वज्हि-य लिल्लज़ी ख़-ल-क़हू व-शक़्क़ सम्-अ़हू
व-ब-स-रहू बिहौलिही वक़ुव्वतिही (अबू दावूद)
फ़-तबा-र-कल्लाहु अह-सनुल् ख़ालिक़ी-न (तिर्मिज़ी)

बाब {सुब्ह की नमाज़ में कुनूत (की दुआ) पढ़ने का बयान।}

355:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़ज्र की क़िरात पढ़ लेते तो (दूसरी रक्अ़त में) रूकूअ़ से "समिअ़ल्लाहु लिमन हमि–दह" कह कर सर उठाने के बाद "रब्बना ल–कल् हम्दु" पढ़ते। फिर खड़े-खड़े यह दुआ पढ़ते:

> "ऐ अल्लाह! वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हिशाम और अयाश बिन रबीआ़ को नजात दे, और मोमिनों में से कमज़ोर, दबे–कुचले लोगों को भी नजात दे। और ऐ मेरे मौला! मुज़र क़बीला को सख़्ती के साथ पकड़ ले, और उन पर यूसुफ़ अ़लै॰ के समय काल की तरह अकाल भेज दे। ऐ मेरे मौला! क़बीला लहयान, र–अ़ल, ज़कवान और अ़सिय्या पर लानत भेज, क्योंकि इन्होंने अल्लाह और उस के सन्देष्टा की अवज्ञा की है।"

हदीस के रावी बयान करते हैं कि हमें सूचना मिली कि बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुरआन की इस आयत "ऐ नबी! तुम्हारा इस मामले में कोई अ़मल–दख़ल नहीं है। अल्लाह चाहे तो उन्हें माफ़ कर दे और चाहे तो दन्डित करे, क्योंकि वह लोग अत्याचारी हैं" (आले अ़िम्रान 128) के नाज़िल होने के बाद बद्दुआ़ करनी छोड़ दी थी।

फ़ाइदा:– हदीस में जिन क़बीलों का ज़िक्र है सब एक–दूसरे की शाखें हैं। इन्होंने मऊना नामक कुँए के पास 40 या 70 कुरआन के हाफ़िज़ सहाबा को तब्लीग़ करने के बहाना से बुला कर शहीद कर दिया था। यह सब कुरआन के हाफ़िज़ थे। आप इस घटना से बहुत आहत हुये और एक माह तक नमाज़ में बद्दुआ़ करते रहे। हदीस में जिन तीन–चार सहाबा के लिये दुआ़ का ज़िक्र है यह सहाबा काफ़िरों के चन्गुल में फंसे हुये थे और निकल नहीं पा रहे थे। वलीद बिन वलीद, यह ख़ालिद बिन वलीद रज़ि॰ के बड़े भाई हैं।

आप की बद्दुआ़ के नतीजा में ऐसा अकाल पड़ा कि लोग चमड़ा चूसने और मुर्दार खाने पर बाध्य हो गये, और अबू सुफ़यान को रहम की अपील करनी पड़ी (बुख़ारी, 1007–किताबुल् इस्तिस्क़ा)

इस हदीस से मालूम हुआ कि आज भी मुसलमानों पर कोई मुसीबत आये तो फ़ज्र की नमाज़ में दूसरी रक्अ़त के रूकूअ़ के बाद दुआ़ माँग सकते हैं। यह हदीस बुख़ारी शरीफ़ में भी आई है (देखें–804–किताबुल् अज़ान+ अबू दावूद–1443, अबवाबुल वित्र+अहमद–2/255)

नोट:– दुआ़–ए–कुनूत के तअ़ाल्लुक़ से मस्अ़लों का निचोड़ यह है कि (1) फ़ज्र की

नमाज़ में हमेशा पढ़ते रहना बिद्अत है (2) पाँचों नमाज़ों में पढ़ सकते हैं, चाहे जेहरी हो या सिरी। फ़ज्र में पढ़ना सब से अफ़ज़ल है (3) इसे रूकूअ़ से पहले और बाद, दोनों तरह पढ़ सकते हैं। अधिकांश हदीसों से मालूम होता है कि रूकूअ़ के बाद है। (4) जब तक मुसीबत रहे, पढ़ता रहे, मुसीबत चाहे जितनी लंबी हो पढ़ता रहे और दर्मियान में तर्क भी कर दे। (5) सिरी नमाज़ों में भी बुलन्द स्वर में पढ़े और मुक़्तदी आमीन कहें। (6) हाथों को उठा कर पढ़ें, लेकिन समाप्ति पर हाथों को मुँह पर न फेरे क्योंकि यह बिद्अ़त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने समय की हालत को सामने रख कर दुआ़ करते थे, आप भी समय के हालात (परिस्थितियों) को सामने रख कर उसी हिसाब से दुआ़ करें। (7) वित्र के कुनूत में "अल्लाहुम्मह दिनी......" पढ़ते हैं, लेकिन इस के अ़लावा भी दूसरी आ़म दुआ़यें पढ़ सकते हैं, इस में कोई हरज नहीं। (8) कुनूत शुरू करते समय "अल्लाहु अक्बर" कह कर दोनों हाथों को मोढ़ों तक ले जाने के बारे में और इसी प्रकार मुँह पर हाथ फेरने के बारे में कोई सबूत नहीं है, और यह बिद्अ़त है। (9) वित्र में कुनूत का पढ़ना वाजिब नहीं, केवल सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमेशा नहीं पढ़ा है, इसलिये कभी पढ़े और कभी छोड़ भी दे। (10) सहीह क़ौल यह है कि अगर अकेला नमाज़ पढ़े तो न दुरूद पढ़े और न ही हाथों को उठाए। लेकिन रमज़ान में जब जमाअ़त से वित्र की कुनूत पढ़े तो इस में हाथों को उठाए और दुरूद भी भेजे। यह सारे मस्अले "अहकामुल् कुनूत" (संपादक-अ़दनान अल-उरऊर) की पुस्तक से लिये गये हैं जो अ़रब के एक प्रसिद्ध सलफ़ी आ़लिम हैं। (प्रकाशक-अद्दारुस्सलफ़िया, मुंबई) विस्तार से बचने के लिये हवाले नहीं दिये गये हैं।

बाब {ज़ुह्र की नमाज़ में कुनूत पढ़ने का बयान।}

356:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया : अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ पेश करूँगा। फिर उन्होंने ज़ुह्र, इशा और फ़ज्र में कुनूत पढ़ी, उस में मुसलमानों के लिये दुआ़ की और काफ़िरों पर लानत भेजी।

बाब {मग़्रिब की नमाज़ में कुनूत पढ़ने का बयान।}

357:– बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सुब्ह और मग़्रिब की नमाज़ में कुनूत पढ़ते थे।

फ़ाइदा:–एक हदीस में ज़ुह्र और अ़िशा में भी कुनूत पढ़ने का सबूत है। मालूमहुआ कि अगर मुसीबत, महामारी और काफ़िरों का ज़ोर हो तो हर नमाज़ में दूसरी रक्अ़त के रूकूअ़ के बाद पढ़े, अगर हालात बेहतर हो जायें तो न पढ़े। इमाम शाफ़अ़ी रह॰ के निकट केवल फ़ज्र की नमाज़ में हमेशा पढ़ सकता है। कुनूत की दुआ़ बुलन्द आवाज़ में पढ़े (बुख़ारी-4559, 4560) और मुक़्तदी आमीन भी कहें (अबू दावूद-1443 अब वाबुल वित्र)

जुह् की नमाज़ में कुनूत पढ़ने का बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक माह तक पाँचों नमाज़ों में कुनूत पढ़ी है और सहाबा आप के पीछे आमीन कहते थे (अबू दावूद-1443) दुआ़ में हाथ उठाने का भी सबूत है (अहमद 2/255)

खुलासा यह कि अहले हदीस का मस्लक यह है कि आफ़त, मुसीबत और दुश्मन के आर्कमण के मौक़ा पर पाँचों नमाज़ों में पढ़े। नमाज़ में हमेशा पढ़ते रहना उचित नहीं, बल्कि यह ग़ैर ज़रूरी काम है। हाँ, कभी-कभार पढ़ सकता है। यह दुआ़ रूकूअ़ से पहले और रूकूअ़ के बाद, दोनों तरह पढ़ना जाइज़ है। बुलन्द आवाज़ से पढ़े, हाथ उठा कर दुआ़ माँगे, मुक़तदी आमीन कहें। इस मौक़ा पर उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ फ़ज्र की नमाज़ में रूकूअ़ के बाद यह दुआ़ पढ़ते थे:

अल्लाहुम्मग़् फ़िर्लना वलिल् मोमिनी-न वल्मोमिनाति वल् मुस्लिमी-न वल्मुस्लिमाति, व-अल्लिफ़ बै-नकुलूबिहिम, व-अस्लिह् ज़ा-त बैनिहिम् वन्सुर्हुम् अ़ला अ़दुव्वि-क व-अ़दुव्विहिम्+ अल्ला हुम्मल्-अ़न् क-फ़-र-त अह्लिल् किताबिल्लज़ी-न यसुद्दू-न-अ़न् सबीलि-क वयु-कज़्ज़िबू-नरूसु-ल-क वयुक़ातिलू-न औलिया-अ-क+अल्लाहुम्म ख़ालिफ़ बै-न कलि-मतिहिम् व-ज़ल्ज़िल् अक़दा-महुम् व-अन्ज़िल् बिहिम् बा-सकल्लज़ी ला तरूद्दुहू अ़निल् क़ौमिल् मुजरिमी-न+ (बैहक़ी 2/210, 211)

इस के अ़लावा और भी दुआ़एँ जो घटना और मुसीबत के तअ़ल्लुक़ से उचित हों उन्हें भी पढ़ सकते हैं। इस में कोई हरज की बात नहीं। मौलाना सादिक़ सियालकोटी रह॰ ने अपनी पुस्तक "सलातुर्रसूल" में लिखा है कि इस दुआ़ को वित्र के कुनूत में पढ़ें। हालाँकि किसी हदीस से पढ़ना साबित नहीं है, इसलिये वित्र की नमाज़ में वही आ़म दुआ़ (अल्लाहुम्मह् दिनी फ़ी-मन् हदै-त.........) ही पढ़ें।

नोट:- कुनूत से मुतअ़ल्लिक़ ऊपर की तफ़सील "शरह बुख़ारी" (मौलाना राज़) और "नमाज़े नबवी" (शफ़ीकुर्रहमान) पुस्तक से प्राप्त की है-ख़ालिद।

बाब {फ़ज्र की दो सुन्नतों का बयान।}

358:- (उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ की पुत्री और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी) हफ़सा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब फ़ज्र का समय हो जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दो हल्की रक्अ़तों के अ़लावा और कुछ न पढ़ते थे।

बाब {फ़ज्र की सुन्नतों की फ़ज़ीलत का बयान।}

359:- (अबू बक्र रज़ि॰ की पुत्री और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी) आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

ने फ़रमायाः फ़ज्र की दो रक्अ़तें (दो सुन्नतें) दुनिया और दुनिया की समस्त वस्तुओं से बेहतर हैं।

फ़ाइदाः– यह फ़ज्र की दो सुन्नतें हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम घर में और सफ़र में हर स्थान पर अवश्य ही पढ़ा करते थे। चुनान्चे आ़इशा रज़ि॰ फ़रमाती हैं: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किसी नफ़ली नमाज़ की फ़ज्र की दो रक्अ़त से अधिक पाबन्दी नहीं करते थे (मुस्लिम–सलातुल् मुसाफ़िरीन+बुख़ारी–1169) चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ज्र की सुन्नतें छूट जाने पर इन्हें क़ज़ा करने का हुक्म दिया है। सफ़र में फ़र्ज़ नमाज़ में क़स्र है, यहाँ सुन्नत का प्रश्न ही नहीं, फिर भी फ़ज्र की सुन्नत पढ़ते थे। अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सुन्नत की कितनी अहमिय्यत और फ़ज़ीलत है।

बाब {फ़ज्र की सुन्नतों में कौन सी सूरत पढ़नी चाहिये।}

360:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सुब्ह की सुन्नतों में सूरः “काफ़िरून” और सूरः “इख़्लास” पढ़ी है।

फ़ाइदाः– छोटी सूरतें पढ़ने की वजह से नमाज़ हल्की हो जाती थी, जैसा कि हदीस न॰358 में है। आप इतनी हल्की पढ़ते थे कि आ़इशा रज़ि॰ फ़रमाती है “मुझे शुब्हा होने लगता कि आप ने सूरः फ़ातिहा भी पढ़ी या नहीं पढ़ी (मुस्लिम–सलातुल् मुसाफ़िरीन)

बाब {फ़ज्र की सुन्नत पढ़ लेने के बाद लेटने का बयान।}

361:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि आप फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ लेने के बाद अगर मैं जागती होती तो मुझ से बातें करते, वर्ना सो जाते (लेट जाते)

फ़ाइदाः– आ़इशा रज़ि॰ ही से रिवायत है कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे देता तो आप खड़े होकर दो हल्की सुन्नतें पढ़ते, फिर दाहिनी कर्वट लेट जाते (मुस्लिम–सलातुल मुसाफ़िरीन+बुख़ारी–1160) रिवायत में “सो जाते” का अर्थ यही आराम करना है। (बुख़ारी;1161) शैखुल हदीस अ़ल्लामा अ़ब्दुर्रहमान मुबारक पूरी रह॰ तिर्मिज़ी की शरह “तोहफ़तुल् अहवज़ी” में लिखते हैं कि जिन लोगों ने लेटने का इन्कार किया है वह ग़लती पर हैं। लेटना बहरहाल मुस्तहब है, लेकिन वाजिब नहीं, क्योंकि आप से न लेटना भी साबित है। इसलिये अगर लेटने का मौक़ा न मिले तो इस में भी कोई हरज नहीं है। मौलाना सियाल कोटी ने अपनी पुस्तक “सलातुर्रसूल” में बाब बाँधा है “फ़ज्र की सुन्नतों के बाद लेट कर पढ़ने की दुआ” फिर अल्लाहुम्मज्–अ़ल् फ़ी क़ल्बी नू–रन्........” (देखें हदीस न॰ 379)पढ़ी जाये। इस दुआ का ज़िक्र बुख़ारी–6316 में हैं। लेट कर पढ़ने के तअ़ल्लुक़ से तमाम रिवायतें ज़ओ़फ़ हैं। सहीह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़ज्र की नमाज़ के लिये जाते हुये रास्ते में पढ़ते थे (मुस्लिम, अहमद, अबू दावूद)

बुख़ारी में यह दुआ़ है लेकिन लेटने के बाद पढ़ने का कोई ज़िक्र नहीं है। तफ़सील की गुन्जाइश नहीं है-ख़ालिद (तफ़सील से देखें-"तख़्रीज सलातुर्रसूल उर्दू एडिशन पृष्ठ 773) पूरी दुआ़ के लिये देखें बुख़ारी शरीफ़ हदीस न॰ 379।

बाब {फ़ज्र की नमाज़ पढ़ कर उसी जगह (सूरज निकल आने तक) बैठा रहना चाहिये।}

362:- सिमाक बिन हर्ब बयान करते हैं कि मैं ने जाबिर बिन सुमरा अन्सारी रज़ि॰ से पूछाः क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बैठते थे? उन्होंने कहाः जी हाँ, बहुत अधिक बैठते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जहाँ सुब्ह की नमाज़ पढ़ी है वहाँ से सूरज निकल आने तक नहीं उठते थे। जब सूरज निकल आता तब उठते। इस दर्मियान लोग अपने कुफ़्र के समय काल की पुरानी यादें दोहराते और हंसते-हसाँते इस पर आप भी सुन कर मुस्कुरा देते।

बाब {चाश्त (दिन चढ़े) की नमाज़ का बयान।}

363:- आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कभी चाश्त की नमाज़ पढ़ते नहीं देखा, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कुछ काम करना पसन्द करते थे लेकिन आप वह काम इसलिये नहीं करते थे कि अगर आ़म लोग वह काम करने लगें तो उन पर कहीं फ़र्ज़ न हो जाये।

बाब चाश्त (दिन चढे) की नमाज दो रक्अत है।}

364 अबू ज़र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब आदमी सुब्ह करता है तो उस के शरीर के हर जोड़ पर एक-एक सदक़ा वाजिब हो जाता है। "सुब्हानल्लाह" कहना सदक़ा है, "अल्हम्दु लिल्लाह" कहना भी सदक़ा है, अच्छी बात का हुक्म देना सदक़ा है, बुरी बात से मना करना भी सदक़ा हैं। और इस प्रकार के सदक़े चाश्त की दो रक्अ़त के बराबर सवाब में हो जाते हैं।

बाब {चाश्त (दिन चढ़े) की नमाज़ चार रक्अ़त है।}

365:- आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम चाश्त की नमाज़ चार रक्अ़तें पढ़ा करते थे, और अगर चाहते तो और अधिक भी पढ़ लिया करते थे।

बाब {चाश्त (दिन चढ़े) की नमाज़ आठ रक्अ़त है।}

366 अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस बिन नौफ़ल बयान करते हैं कि मेरी इच्छा चाश्त की नमाज़ पढ़ने की थी, चुनान्चे मैं लोगों से पूछता फिरता कि कोई मुझे बता दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चाश्त की नमाज़ पढ़ी है या नहीं? लेकिन मुझे किसी ने भी न बताया। हाँ, उम्मे हानी जो अबू तालिब की पुत्री हैं उन्होंने बयान किया कि

फ़त्ह मक्का के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सूरज चढ़े मेरे घर आये, तो मैं ने आप के (स्नान करने के) लिये एक पर्दा डाल दिया, फिर आप ने स्नान किया और आठ रक्अ़त नमाज़ पढ़ी। मैं नहीं बता सकती कि (इस नमाज़ में) आप ने क़ियाम लंबा किया, या रूकूअ़, या सज्दा। लगभग सभी बराबर थे। और मैं ने इस से पहलेऔर फिर बाद में कभी भी आप को चाश्त की नमाज़ पढ़ते नहीं देखा।

फ़ाइदा चाश्त की नमाज़ के बारे में हुक्म यह है कि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। यह नमाज़ कम से कम दो रक्अ़त, अधिक से अधिक आठ और औसत चार, छः रक्अ़त है। आप ने पढ़ी है और सफ़र में नहीं भी पढ़ी है। यही वजह है कि आ़इशा रज़ि॰ ने नहीं देखा इसलिये पढ़ने का इन्कार किया, लेकिन उन्होंने दूसरे सहाबा से सुना था इसलिये स्वँय पढ़ती थीं। आप ने इसे हमेशा नहीं पढ़ा कि कहीं मेरी देखा-देखी उम्मती पाबन्दी के साथ पढ़ने लग जायें और यह नमाज़ फ़र्ज़ हो जाये। अब अगर कोई हमेशा पढ़ना चाहे तो कोई हरज की बात नहीं।

इब्ने उमर रज़ि॰ ने इस नमाज़ को बिदअ़त कहा है, शायद इसलिये कि उन को चाश्त की हदीसें नहीं पहुँची हों। या इसलिये कहा हो कि इस नमाज़ को मस्जिद में दिखावे के लिये पढ़ना बिदअ़त है, जैसा कि आज कल लोग घर को छोड़ कर मस्जिद में आ कर पढ़ते हैं।

बाब {चाश्त (दिन चढ़े) की नमाज़ की वसिय्यत का बयान।}

367:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि मेरे मित्र (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने मुझे तीन चीज़ों पर अ़मल करते रहने की वसिय्यत फ़रमाई थी (1) हर माह तीन रोज़े रखना (2) चाश्त की दो रक्अ़तें पढ़ना (3) सोने से पूर्व वित्र की नमाज़ पढ़ लेना।

फ़ाइदा:– हर माह के तीन रोज़े रखना, यानी चाँद की तारिख़ के 13, 14, 15 को रखना, इसे "अय्यामे-बीज़" भी कहते हैं। और चाश्त की नमाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से भी साबित है। उम्मे हानी से आठ रक्अ़त और आ़इशा से चार रक्अ़त साबित है। मतलब यह है कि जब और जहाँ और जैसा समय मिले उतनी रक्अ़त पढ़ ले। सोने से पहले वित्र पढ़ ले कि कहीं रात को न उठे और छूट जाये। लेकिन अगर किसी को रात में उठ कर पिछले पहर पढ़ने की आ़दत है तो उस के लिये यह हुक्म नहीं है। चुनान्चे जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि आप ने फ़रमाया: जिस को डर हो कि रात के अन्तिम पहर में नहीं उठ पायेगा तो अ़िशा के बाद ही पढ़ ले, और जिस को विश्वास हो कि उठ जायेगा तो वह रात के अन्तिम पहर ही में पढ़े, क्योंकि वह समय ऐसा होता है जिस में फ़रिश्ते हाज़िरी देते हैं (मुस्लिम-सलातुल-मुसाफ़िरीन)

बाब {"अव्वाबीन" की नमाज़ का बयान।}

368:– क़ासिम शैबानी से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि ज़ैद बिन अर्क़म रज़ि॰ ने कुछ लोगों को चाश्त (दिन चढ़े) की नमाज़ पढ़ते देखा तो कहाः यह लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यह नमाज़ इस समय के अतिरिक्त किसी और समय में पढ़ना अफ़ज़ल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि "अव्वाबीन" की नमाज़ उस समय पढ़ी जाती है जब ऊँटनी के बच्चों के पाँव जलने लगें (यानी उस समय जब सूरज ऊँचा हो जाये और ज़मीन गर्म हो जाये)

फ़ाइदा:– वह सहाबी बहुत सवेरे ही इश्राक़ (चाश्त, दिन चढ़े) की नमाज़ पढ़ रहे थे। इस हदीस से मालूम हुआ कि चाश्त की नमाज़ का अस्ल समय वह है जब सूरज ऊपर चढ़ जाये और धूप से रेत गर्म हो जाये और ऊँट के बच्चों के पैर जलने लगें। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि ज़ुहा (इश्राक़, चाश्त) की नमाज़ को "अव्वाबीन" भी कहते हैं। हदीस में है कि मग़रिब और अ़िशा के दर्मियान पढ़ी जाने वाली नमाज़ को "अव्वाबीन" कहते हैं, लेकिन यह हदीस मुर्सल (यानी ज़ओ़फ़) है। (देखें–"नमाज़े नब्वी" उर्दू–एडिशन पृष्ठ 273)

बाब {जिस ने अल्लाह के लिये सज्दा किया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गयी।}

369:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब आदम की औलाद (क़ुरआन में) सज्दा की आयत पढ़ कर सज्दा करती है तो शैतान (मायूस होकर) रोता–चिल्लाता भाग कर एक कोने में दुबक जाता है और कहता हैः बर्बाद हो जाये वह (और कुरैब की रिवायत में है कि) बर्बाद हो जाऊँ मैं, उस को सज्दा करने का हुक्म हुआ तो उस ने सज्दा किया, अब उस को जन्नत में जगह मिलेगी। और मुझे सज्दा का आदेश दिया और मैं ने इन्कार किया तो अब मेरे लिये जहन्नम है।

बाब {उस शख़्स की फ़ज़ीलत का बयान जिस ने दिन–रात में बारह रक्अ़त सुन्नतें पढ़ीं।}

370:– (अबू सुफ़यान रज़ि॰ की पुत्री, अमीर मुआ़विया रज़ि॰ की बहन और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी) उम्मे हबीबा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि जब मुसलमान बन्दा हर दिन फ़र्ज़ के अ़लावा 12 रक्अ़त सुन्नतें पढ़ता है, तो अल्लाह पाक उस के लिये जन्नत में घर बनाता है (या यह फ़रमाया कि) उस के लिये जन्नत में एक घर बनाया जाता है। उम्मे हबीबा रज़ि॰ ने कहाः इस हदीस के सुनने के बाद से मैं हमेशा पढ़ती हूँ। उमर (यानी इब्ने औ़स) ने भी कहाः मैं भी उसी दिन से हमेशा पढ़ता हूँ। नोमान (यानी इब्ने सालिम) ने भी इसी प्रकार कहा। एक दूसरी रिवायत में है कि एक दिन और रात में अगर कोई बारह रक्अ़तें पढ़ता है तो..............।

बाब {हर दो अज़ानों (यानी अज़ान और इक़ामत) के दर्मियान नमाज़ है।}

371:– अ़ब्दुल्लह बिन मु-ग़फ़्फ़ल मुज़नी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर दो अज़ानों (यानी अ़ज़ान और तक्बीर) के दर्मियान नमाज़ है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह वाक्य तीन मर्तबा दोहराया, और तीसरी मतर्बा फ़रमायाः जितनी चाहे पढ़ ले।

फ़ाइदाः– यानी अज़ान और तक्बीर के दर्मियान कम से कम इतना समय देना चाहिये कि पढ़ने वाला दो रक्अ़त पढ़ सके। और दीगर नमाज़ों के दर्मियान 10, 15 मिनट का समय दिया जाता है लेकिन मग़िरब में बिल्कुल नहीं, यह सुन्नत के ख़िलाफ़ है। मग़िरब का समय इतना कम नहीं होता है कि दो रक्अ़त पढ़ने से समय निकल जायेगा। मग़िरब की अज़ान के बाद सहाबा दो रक्अ़त पढ़ने के लिये मस्जिद के सुतूनों की ओर लपकते थे ताकि उस की आड़ में सुन्नत पढ़ लें (बुख़ारी–503, 625, मुस्लिम) मालूम हुआ कि मग़िरब की इस सुन्नत को जीवित करना चाहिये और इमाम को उतने समय के बाद जमाअ़त खड़ी करनी चाहिये। अ़स्र की फ़र्ज़ से पहले भी लोग सुन्नत नहीं पढ़ते हैं, इस हदीस की रोशनी में पढ़ने का बड़ा सवाब है।

बाब {फ़र्ज़ नमाज़ से पहले और बाद में नफ़ली नमाज़ें पढ़ने का बयान।}

372:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ जुह्र से पहले दो रक्अ़तें और बाद में दो रक्अ़तें, मग़िरब के बाद दो रक्अ़तें, अ़िशा के बाद दो रक्अ़तें, जुम्अ़ा के बाद दो रक्अ़तें पढ़ीं। और मग़िरब, अ़िशा और जुम्अ़ा की दो रक्अ़तें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ घर में पढ़ीं।

बाब {रात और दिन के समय में नफ़ली नमाज़ें पढ़ना।}

373:– अ़ब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने आइशा सिद्दीक़ा से नबी कराम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नफ़ली नमाज़ों के बारे में पूछा तो उन्होंने बतायाः आप मेरे घर में जुह्र की फ़र्ज़ नमाज़ से पहले चार रक्अ़तें पढ़ते, फिर घर से निकल कर लोगों के साथ फ़र्ज़ नमाज़ अदा फ़रमाते, फिर घर वापस आ कर दो रक्अ़त पढ़ते। इसी प्रकार लोगों के साथ मग़िरब की नमाज़ पढ़ते, फिर घर आ कर दो रक्अ़त नफ़ल की पढ़ते, अ़िशा की नमाज़ लोगों के साथ पढ़ते, फिर घर आ कर दो रक्अ़त पढ़ते। और रात में कुल नौ रक्अ़तें पढ़ते जिस में (एक रक्अ़त) वित्र की भी शामिल होती। आप नमाज़ बड़ी देर तक खड़े होकर, इसी प्रकार बड़ी देर तक बैठ कर पढ़ते। और जब खड़े होकर क़िरात करते तो रूकूअ़ और सज्दा भी खड़े हो कर करते। और जब क़िरात बैठ कर करते तो रूकूअ़ और सज्दा भी बैठ कर करते। फिर जब फ़ज्र का समय हो जाता तो दो रक्अ़तें पढ़ते।

फ़ाइदा:– इस हदीस से जहाँ सुन्नत की रक्अतें मालूम हुयीं, वहीं यह भी मालूम हुआ कि नफ़ली नमाज़ें बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। यह भी मालूम हुआ कि सुन्नत और नफ़ल को घर में अदा करना चाहिये। अर्गचे मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं (हदीस 374) लेकिन घर में पढ़ना बहरहाल अफ़ज़ल है।

बाब {मस्जिद में नफ़ल की नमाज़ पढ़नी दुरूस्त है।}

374:– ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खजूर के पत्तों या टाट की बोरी को घेर कर एक हुजरा बनाया और आ कर उस में नमाज़ पढ़ने लगे, तो सहाबा भी आ कर आप के पीछे नमाज़ पढ़ने लगे। चुनान्चे एक रात सहाबा तो आ गये लेकिन आप ने पहुँचने में देरी की, इस पर सहाबा की (परस्पर गफ़्तगू में) आवाज़ें बुलन्द हो गयीं और (कुछ सहाबा ने) दवाज़ा पर कंकरियाँ भी मारीं। फिर (थोड़ी देर के बाद) आप गुस्सा की हालत में अपने हुजरे से निकले और फ़रमाया: तुम लोग अगर इसी प्रकार मेरे पीछे नमाज़ पढ़ते रहे तो मुझे यक़ीन हो गया था कि तुम लोगों पर भी यह नफ़ली नमाज़ फ़र्ज़ हो जायेगी। इसलिये तुम इस नमाज़ को अपने घरों में पढ़ लिया करो। सिवाए फ़र्ज़ नमाज़ के, नमाज़ी की बेहतर नमाज़ वह है जो अपने घर में पढ़े। एक दूसरी रिवायत में है कि आप ने बोरिया या चटाई (घेर कर उस) से मस्जिद में एक हुजरा बना लिया था।

फ़ाइदा:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ कहती है कि आप के पास एक चटाई थी जिसे आप दिन में बिछाते थे और रात में उस को मस्जिद में घेर कर पर्दा कर लेते थे (बुख़ारी–730) आप ने रमज़ान के महीना में तरावीह की नमाज़ पढ़ने के लिये पर्दा किया था (बुख़ारी–731) आप पर तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी, उम्मत के लिये नफ़ल है। आप डरे कि कहीं उम्मत पर भी फ़र्ज़ न हो जाये और इसे अदा न कर सकें। आप ने केवल तीन रात ही तरावीह की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ाई थी। (मुस्लिम–सलातुल मुसाफ़िरीन)

बाब {नफ़ली नमाज़ें घर में पढ़ने का बयान।}

375:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तुम अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ो, लेकिन थोड़ी सी नमाज़ अपने घर में पढ़ने के लिये भी बचा लिया करो, इसलिये कि अल्लाह पाक उस नमाज़ के पढ़ने की बदौलत घर में ख़ैर–बर्कत नाज़िल करता है।

फ़ाइदा:– मालूम हुआ कि सुन्न्त और नफ़ल की नमाज़ घर में अदा करनी चाहिये। चुनान्चे इमाम मालिक रह॰ का कहना है कि दिन की नफ़ल मस्जिद में पढ़े और रात की घर में। लेकिन यह दिन–रात का फ़र्क़ सही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुह्र और जुमा की सुन्नतें घर ही में पढ़ते थे (देखें इस पुस्तक की हदीस 372, 373) नफ़ली नमाज़ें और सुन्नतें घर में दिल लगा कर जितनी चाहे और जितनी देर तक चाहे अदा

करता रहे।

बाब {नफ़्ली नमाज़ें दिल लगा कर खुशी से पढ़ो, जब थक जाओ तो बैठ जाओ (आराम कर लो)}

376:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मस्जिद में दाख़िल हुये तो दो सुतूनों के दर्मियान एक रस्सी बंधी देखी तो पूछाः यह क्या है? लोगों ने बताया कि इसे ज़ैनब रज़ि॰ ने बाँध रखा है, वह नमाज़ पढ़ते-पढ़ते जब थक जाती हैं या ढीली पड़ जाती हैं तो उसे पकड़ (कर उस का सहारा) लेती हैं। आप ने फ़रमायाः इसे खोल दो। तुम में से हर एक दिल लगा कर नमाज़ पढ़े और जब सुस्त पड़ जाये, या थक जाये तो बैठ जाये (और आराम कर ले)

फ़ाइदा:– आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब नमाज़ में कोई सोने लगे तो चाहिये कि पहले सो ले, फिर बाद में नमाज़ पढ़े, ताकि वह समझे कि क्या पढ़ रहा है। बेदिली से और बेमन से न पढ़े, जब तलक दिल लगे, पढ़े वर्ना आराम करे।

बाब {अल्लाह को वह इबादत पसन्द है जो हमेशा की जाये।}

377:– अल्क़मा बयान करते हैं कि मैं ने आ़इशा रज़ि॰ से पूछाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किस प्रकार इबादत करते थे? क्या किसी दिन को भी इबादत के लिये ख़ास कर लेते थे? उन्होंने कहाः ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप (रोज़ाना) बराबर इबादत किया करते थे, तुम में से कोई भी आप की तरह इबादत नहीं कर सकता है।

फ़ाइदा:– यानी जो इबादत करे उसे मुस्तकिल (स्थाई रूप से) करे। किसी कार्य को मुस्तकिल करने ही से उस का प्रभाव प्रकट होता है और नतीजा निकलता है। यही कारण है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक मतर्बा अ़ब्दुल क़ैस क़बीला के आ जाने की वजह से जोहर की सुन्नतें अ़स्र की नमाज़ के बाद पढ़ीं, तो आप अन्तिम समय तक अ़स्र के बाद ही पढ़ते रहे। दो-चार दिन नमाज़ पढ़ ली, फिर दो-चार दिन नाग़ा कर दिया तो इस में कोई मज़ेदारी और लाभ नहीं। चुनान्चे आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि आप से पूछा गयाः सब से प्यारा काम कौन सा है? आप ने फ़रमायाः जो हमेशा किया जाये अर्गचे थोड़ा किया जाये (मुस्लिम-सलातुल मुसाफ़िरीन) अल्लाह को वह काम सब से अधिक पसन्द है जो हमेशा किया जाये जर्गचे थोड़ा ही किया जाये, और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के घर वालों का यही नियम था कि जब कोई इबादत करने लग जाते तो उसे हमेशा करते थे।

बाब {इबादत उतनी करो जितनी करने की क्षमता (साहस) हो।}

378:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि एक मर्तबा तुवैत की पुत्री हौला नामक महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास से गुज़रीं तो मैं ने आप

से कहाः यह हौला हैं जिन के बारे में लोगों का कहना है कि रात भर नहीं सोती हैं (पूरी रात इबादत करती हैं) इस पर आप ने फ़रमायाः (ग़लत बात है) काम उतना ही करो जितना करने की तुम्हारे अन्दर ताक़त हो। अल्लाह की क़सम! तुम काम करते-करते थक जाओगे लेकिन अल्लाह पाक (सवाब देते-देते) नहीं थकेगा।

फ़ाइदाः– इस्लाम में इतनी सख़्ती नहीं है कि जो तुम न कर सको उस का भी करना वाजिब हो। लेकिन अगर कोई अपनी इच्छा से इबादत का बोझ लाद ले तो यह मूर्खता है। चुनान्चे कुछ लोग एक टाँग पर खड़े होकर पूरी रात इबादत करते हैं, इशा के वुज़ू से फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते है।, एक हज़ार नवाफ़िल पढ़ते हैं, एक लाख तस्बीह पढ़ते हैं। इस प्रकार करना अपनी जान को हलकान करना है। इबादत भी करें, आराम भी करें। जब दिल कहे इबादत करें, जब दिल न लगे, न करें। इस्लाम में इतनी सख़्ती नहीं। अपने हाथ-पैर, आँख, कान, नाक और दिल का भी हक़ अदा करना ज़रूरी है। (देखें हदीस न॰ 386 का फ़ाइदा)

आज कल रमज़ानों में पूरी रात जाग कर इबादत की जाती है, तीन रात में क़ुरआन ख़त्म किया जाता है। जिस का नाम "शबीना" रखा हुआ है, इस के बाद पूरे माह इबादत से दूर रहते हैं। यह सब अनर्थ और बिद्अ़त के कार्य हैं।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की रात की नमाज़ें और उन में दुआयें पढ़ने का बयान।}

379:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि एक रात मैं अपनी ख़ाला (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी) मैमूना रज़ि॰ के यहाँ सोया (ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की रात की नमाज़ के बारे में मालूम कर सकूँ) चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बिस्तर से उठ कर शौच करने के लिये गये, फिर हाथ-मुँह धो कर लेट गये, फिर उठे और मशक के पास जाकर उस का बन्धन खोला, फिर दो वुज़ू के बीच का वुज़ू किया (यानी न बहुत समय तक किया और न ही बहुत हल्का किया) और पानी भी अधिक नहीं गिराया और पूरा वुज़ू कर लिया, फिर नमाज़ पढ़ने लगे। इधर मैं ने भी उठ कर अंगड़ाई ली कि कहीं आप यह न समझें कि मैं जाग रहा था, फिर वुज़ू किया और जा कर आप के बायें तरफ़ खड़ा हो गया, तो आप ने मेरा हाथ पकड़ा और घुमा कर अपनी दाहिनी तरफ़ खड़ा कर लिया। फिर आप ने 13 रकअ़तें पढ़ीं और लेट कर सो गये, यहाँ तक कि ख़र्राटे लेने लगे। आप की यह आ़दत थी कि जब सो जाते तो ख़र्राटें लेते थे। इस के बाद बिलाल रज़ि॰ आये और आप को सुब्ह की नमाज़ के लिये सूचित किया। चुनान्चे आप ने उठ कर फ़ज्र की नमाज़ अदा की और दोबारा वुज़ू नहीं किया। और आप की दुआ इस प्रकार की थीः

अल्लाहुम्मज्-अ़ल् फ़ी क़ल्बी नू-रन् वफ़ी ब-सरी नू-रन्,
वफ़ी सम्-अ़ी नू-रन्, व-अ़न् यमीनी नू-रन्, व-अ़न् यसारी

नू-रन्, वफ़ौक़ी नू-रन् व-तह्ती नू-रन्, व-अमामी नू-रन्, व-ख़ल्फ़ी नू-रन्, व-अज़िम् ली नू-रन

(ऐ मेरे मौला! मेरे दिल में नूर डाल दे, मेरी आँखों और कानों में नूर डाल दे, मेरे बायें और दाँये नूर डाल दे, मेरे ऊपर और नीचे नूर डाले दे, मेरे आगे और पीछे नूर डाल दे, और मुझे नूर ही नूर दे दे)

हदीस के रावी कुरैब ने बयान किया कि उन्होंने दुआ के साथ और भी वाक्य बयान किये थे जो दिल में हैं (लेकिन याद नहीं आ रहे हैं) कुरैब ने बयान किया कि फिर बाद में मैं ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के खान्दान वालों से मिल कर इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह वाक्य यह थे:

वफ़ी-अ़सबी नू-रन् व-लह्मी नू-रन् व-दमी नू-रन्, व-शारी नू-रन् व-ब-शरी नू-रन्

(मेरे पट्ठों में नूर भर दे, मेरे माँस में नूर भर दे, मेरे रक्त में नूर भर दे, मेरे बालों में नूर भर दे, मेरे चमड़े में नूर भर दे)

इन केअ़लावा दो और बातें बयान कीं (उन दोनों में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नूर माँगा)

फ़ाइदा:- इस दुआ के विषय में हदीस न॰ 361 के फ़ाइदा में संक्षिप्त में लिखा जा चुका है। कुछ उलमा ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़ज्र की दो सुन्तें पढ़ कर दाहिनी कर्वट लेट कर इस दुआ को पढ़ते थे, लेकिन यह बात दुरूस्त नहीं है। एक हदीस में है कि आप फ़र्ज़ की सुन्तों के बाद पढ़ते थे (कियामुल्लैल) फ़ज्र की नमाज़ में पढ़ते थे (तबरानी, अबू अ़वाना) वित्र के बाद की दो सुन्नतों में पढ़ते थे (तबरानी) फ़ज्र की नमाज़ के लिये जाते हुये राह में पढ़ते थे (अबू दावूद, अहमद, मुस्लिम) दाहिनी कर्वट लेट कर पढ़ने की तमाम हदीसें ज़ओ़फ़ हैं। मुसिलम की रिवायत का हिन्दी अनुवाद ऊपर है, इस में पता नहीं चलता है कि आप कब पढ़ते थे, यही हाल बुख़ारी का भी है। आप अगर पढ़ना चाहें तो फ़ज्र की नमाज़ के लिये जाते हुये रास्ते में पढ़ते जायें। विस्तार से जानकारी के लिये देखें "तख़रीज सलातुर्रसूल" (उर्दू एडिशन) पृष्ठ 735।

380:- आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब रात को नमाज़ शुरू करते तो पहले दो हल्की रकअ़तें पढ़ लेते।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिये उठते तो यह दुआ पढ़ते थे}

381:- इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद की नमाज़ के लिये उठते तो (तक्बीर तहरीमा के बाद) यह दुआ

पढ़तेः

अल्लाहुम्म ल-कल् हम्दु अन्-त नूरूस्समावाति वल्-अर्ज़ि व-ल-कल् हम्दु, अन्-त क़य्यामुस्समावाति वल--अर्ज़ि, व-ल-कल् हम्दु, अन्-त रब्बुस्समावाति वल-अर्ज़ि व-मन् फ़ीहिन्न, अन्-तल् हक़्क़ु व-वा-द-कल् हक़्क़ु, वक़ौलु-कल् हक़्क़ु, वलिक़ाउ-क हक़्क़ुन, वल्-जन्नतु हक़्क़ुन् वन्नारु हक़्क़ुन, वस्सा-अ़तु हक़्क़ुन् + अल्लाहुम्म ल-क अस्-लम्तु वबि-क आ-मन्तु व-अ़लै-क त-वक्कल्तु वइलै-क अ-नब्तु वबि-क ख़ा-सम्तु वइलै-क हा-कम्तु फग़्फिर् ली मा क़द्दम्तु व-अख़्ख़र्तु व-असर्-रर्तु व-आ-लन्तु, अन्-त इलाही ला इला-ह इल्ला अन्-त

(ऐ मेरे मौला! हर प्रकार की प्रशंसा केवल तेरे लिये ही है, तू आकाश और ज़मीन की रोशनी है, हर प्रकार की प्रशंसा केवल तेरे ही लिये है, तू ही आकाश और ज़मीन को थामने वाला है, हर प्रकार की प्रशंसा तेरे ही लिये है, तू ही आकाश और ज़मीन और इन दोनों के भीतर की तमाम चीज़ों का पालनहार है, तू सच्चा है और तेरा वादा सच्चा है, तेरी बात सच्ची है और तुझ से मिलना भी सच्चा है, जन्नत सच है और जहन्नम भी सच है और क़ियामत सच है। ऐ मेरे मौला! मैं तुझ पर इस्लाम लाता हूँ, तुझ पर ईमान लाता हूँ, तूझ पर भरोसा करता हूँ, तेरी तरफ़ झुकता हूँ, तेरे साथ होकर औरों से झगड़ता हूँ, और तुझ ही से न्याय चाहता हूँ (ऐ मेरे मौला!) इसलिये मेरे अगले-पिछले और खुले-छुपे पापों को माफ़ कर दे। ऐ मेरे मौला! तू ही मेरा माबूद है, तेरे अ़लावा और कोई माबूद नहीं)

बाब {रात की नमाज़ किस प्रकार पढ़ी जाये और कितनी रक्अ़त पढ़ी जाये?}

382:- आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात को 13 रक्अ़तें पढ़ते थे, उन में 5 रक्अ़तें वित्र की होती थीं, इन पाँच रक्अ़तों के अन्त ही में बैठते थे।

फ़ाइदाः- मालूम हुआ कि 8 रक्अ़त तहज्जुद की और 5 रक्अ़तें वित्र की पढ़ते थे। वित्र की पाँचों रक्अ़तों के दर्मियान तशहहुद के लिये कहीं नहीं बैठना चाहिये, बल्कि पाँचों रक्अ़तें पढ़ कर क़ादा में अत्तहिय्यात, दरूद शरीफ़ की दुआ़ पढ़ कर सलाम फेरना चाहियें। तहज्जुद की रक्अ़तों के बारे में आ़इशा रज़ि॰ यह भी फ़रमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इशा की नमाज़ से लेकर फ़ज्र तक 11 रक्अ़तें पढ़ते थे, हर

दो रक्अ़तों पर सलाम फेरते और एक वित्र पढ़ते (मुस्लिम–सलातुल् मुसाफ़िरीन) आ़इशा ही की एक दूसरी रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कभी सात, कभी नौ और कभी ग्यारह पढ़ते थे (बुख़ारी–1139) खुलासा यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रात की नमाज़ सात रक्अ़त से लेकर तेरह रक्अ़तें पढ़ी हैं। रात की नमाज़ सिर्री और जेहरी दोनों तरह पढ़ सकते हैं। (तिर्मिज़ी)

बाब {रात की नमाज़ दो–दो रक्अ़त कर के पढ़ी जाये, और रात के अन्तिम हिस्से में एक रक्अ़त वित्र की पढ़े।}

383:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो आप ने फ़रमायाः रात की नमाज़ दो–दो रक्अ़त कर के है, फिर जब फ़ज्र का समय होने को आये तो एक रक्अ़त पढ़ ले, यह एक रक्अ़त रात की नमाज़ को ताक़ बना देगी।

फ़ाइदाः– मालूम हुआ कि रात की नमाज़ (सुन्नत, नफ़्ल सभी) को दो–दो कर के पढ़ा जाये। चाहें तो ज़ुह्र और अ़स्र की तरह चार–चार भी पढ़ लें, लेकिन बेहतर वही तरीक़ा है जिस प्रकार आप ने पढ़ी है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस प्रकार पढ़ी हैः "पहले दो हल्की रक्अ़तें पढ़ी, फिर दो लंबी रक्अ़तें, फिर उन से हल्की दो लंबी रक्अ़तें, फिर उन से हल्की दो लंबी रक्अ़तें, फिर उन से हल्की दो लंबी रक्अ़तें, फिर उन से हल्की दो लंबी रक्अ़तें, फिर एक रक्अ़त वित्र। यह कुल 13 रक्अ़तें हुयीं (आप की हर दो रक्अ़तें, पहली वाली दो रक्अ़तों से हल्की होती थीं) (मुस्लिम–सलातुल् मुसाफ़िरीन)

बाब {रात की नमाज़ (तहज्जुद) खड़े–बैठे दोनों तरह से पढ़ सकते हैं।}

384:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को नमाज़ में बैठ कर क़िरात (सूरः फ़ातिहा और दूसरी सूरत) पढ़ते नहीं देखा। लेकिन जब आप बूढ़े हो गये तो बैठ कर भी क़िरात पढ़ने लगे। (आप बैठ कर क़िरात करते) और जब सूरत की 30 या 40 आयतें रह जातीं तो खड़े हो जाते फिर उन्हें पढ़ कर रूकूअ़ करते।

फ़ाइदाः– आ़इशा रज़ि॰ ही से यह भी रिवायत है कि "आप दूसरी रक्अ़त में भी इसी प्रकार करते थे " (मुस्लिम–सलातुल मुसाफ़िरीन) इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज़ में एक रक्अ़त का कुछ हिस्सा खड़े होकर और कुछ बैठ कर पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार पहले कुछ हिस्सा बैठ कर और कुछ खड़े होकर। यानी पहले खड़ा होकर फिर बाद में बैठ कर, या पहले बैठ कर फिर बाद में खड़ा होकर, दोनों तरह से जाइज़ है। कुछ उलमा ने दूसरे तरीक़े पर अ़मल करने से मना किया है, लेकिन उन का ख़याल ग़लत है। खड़े–खड़े पढ़ते हुये बैठ कर पढ़ने लगना और बैठ कर पढ़ते हुये खड़े होकर पढ़ना, दोनों

तरीक़े सहीह हदीसों से साबित हैं और दोनों रक्अ़तों में साबित हैं।

लेकिन अकारण और बिना किसी मजबूरी के बैठ कर नमाज़ पढ़ने से सवाब में कमी हो जाती है। इब्ने उमर रज़ि॰ ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा तो फ़रमायाः बैठ कर नमाज़ पढ़ना आधी नमाज़ के बराबर है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बैठ कर नमाज़ पढ़ने पर भी आप को पूरा सवाब मिलता है और यह केवल आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ही की विशेष्ता है (मुस्लिम-किताबुल मुसाफ़िरीन)

बाब {आदमी पूरी रात सोता रहे और कुछ भी (नफ़ली) नमाज़ न पढ़े, यह बहुत बुरा है।}

385:- अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से एक व्यक्ति के बारे में शिकायत की गयी कि वह फ़ज्र तक सोता रहता है (और तहज्जुद नहीं पढ़ता है) तो आप ने फ़रमायाः उस के कान में, या उस के दोनों कानों में शैतान मूत देता है।

फ़ाइदाः- अर्थ यह है कि रात में जाग कर एक-आध रक्अ़त पढ़ लेनी चाहिये, या कम से कम दुआ़, इस्तिग़फ़ार कर लेना चाहिये, क्योंकि अल्लाह पाक आधी रात को, या दो तिहाई रात बीत जाने के बाद सब से निचले आसमान पर आ कर कहता हैः जो कोई मुझ से माँगेगा इस समय मैं उसे देने के लिए हाज़िर हूँ, जो कोई दुआ़ करता है तो मैं कुबूल करने के लिये तय्यार हूँ, जो कोई इस समय तौबा करता है तो मैं कुबूल करने के लिये तय्यार बैठा हूँ। अल्लाह पाक फ़ज्र के समय तक यह पुकार लगाता रहता है। (मुस्लिम-सलातुल्-मुसाफ़िरीन) (देखें पुस्तक की हदीस न॰ 388)

बाब {जब नमाज़ में नींद आने लगे तो सो जाना चाहिये।}

386:- आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम्हें नमाज़ में नींद आने लगे तो सो जाओ यहाँ तक कि नींद पूरी हो जाये। क्योंकि जब नमाज़ में कोई सोने लगात है तो क्या पता कि वह माफ़ी माँगने का इरादा करे (लेकिन इस के उलट सोते में) अपने आप को गालियाँ देने लगे।

फ़ाइदाः- विस्तार से जानकारी के लिये हदीस न॰ 376 का फ़ाइदा पढ़ें। यह हदीस बुख़ारी शरीफ़ में भी है (बुख़ारी-1150, 1151)

बाब {शैतान की गाँठ कैसे लगती है।}

387:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः शैतान आदमी के सर के पीछे रात में सोते समय तीन गाँठें लगा देता है और हर गाँठ पर यह वाक्य पढ़ कर फूँक देता है "सोता रह, रात अभी बहुत बाक़ी है।" फिर अगर कोई जाग कर अल्लाह को याद करता है तो एक गाँठ खुल जाती है। फिर जब वुज़ू करता है तो दूसरी गाँठ भी खुल जाती है। फिर जब (फ़र्ज़ या नफ़ली)

नमाज़ पढ़ता है तो तीसरी गाँठ भी खुल जाती है। इस प्रकार आदमी सुब्ह के समय चुस्त और चाक़ चौबन्द हो जाता है, वर्ना सुस्त, ढीला-ढालाऔर गन्दे ख़्याल का बना रहता है।

फ़ाइदा:- वास्तव में शैतान गाँठ लगा देता है, यह गाँठ एक शैतानी धागे में होती है और वह धागा गुद्दी पर रहता है। अहमद की रिवायत में स्पष्ट है कि एक रस्सी से गाँठ लगाता है। आजकल जिस प्रकार जादू-टोना और टोटका करने वाले गाँठ लगाते हैं बिल्कुल वही सूत्र और साधन शैतान भी प्रयोग में लाता है, इसे मान लेने में कोई हरज नहीं है। उन अभागे मुसलमानों का दिन भर क्या हाल होता होगा जो जाग कर अल्लह को याद नहीं करते, वुज़ू नहीं करते, नमाज़ नहीं पढ़ते, इस प्रकार पूरे दिन शैतान की गाँठें उन की गुद्दी पर बँधी रहती हैं। अल्लाह तआ़ला हम सब को इस हदीस पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ दे और शैतान की बुराई से सुरक्षित रखे।

बाब {रात में एक समय ऐसा भी आता है जिसमें दुआ़ अवश्य ही क़ुबूल होती है।}

388 जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः रात में एक समय ऐसा भी आता है कि उस समय अगर एक मुसलमान अल्लाह पाक से दुनिया और आख़िरत की कोई भी भलाई माँगे तो अल्लाह पाक उसे ज़रूर ही देता है। और यह समय हर रात आता है।

फ़ाइदा:- वह समय कौन सा है? अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब शुरू की एक तिहाई रात बीत जाती है तो अल्लाह पाक पहले आसमान पर आ कर फ़रमाता हैः मैं बादशाह हूँ, कौन मुझ से दुआ़ माँगता है कि मैं उसे क़ुबूल करूँ, कौन मुझ से माँगता है कि मैं उसे दूँ, कौन है जो मुझ से माफ़ी माँगे और मैं उसे बख़्श दूँ। अल्लाह पाक फ़ज्र के समय तक इसी प्रकार पुकारता रहता है। (मुस्लिम-सलातुल् मुसाफ़िरीन) एक दूसरी रिवायत में आधी रात, या दो तिहाई रात बीत जाने के बाद अल्लाह पाक के आने का ज़िक्र है। एक रिवायत में आधी रात का ज़िक्र है (मुस्लिम-सलातुल मुसाफ़िरीन) दोनों रिवायतें नीचे आ रही हैं।

बाब {रात के अन्तिम हिस्से में अल्लाह की याद और दुआ़ करने और उस समय दुआ़ के क़ुबूल होने का बयान।}

389:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब रात का पहला तिहाई हिस्सा बीत जाता है तो उस समय अल्लाह पाक पहले आसमान पर आ कर फ़रमाता हैः मैं बादशाह हूँ। कौन मुझ से दुआ़ करता है कि मैं उस की दुआ़ क़ुबूल करूँ, कौन मुझ से माँगता है कि मैं उसे दूँ, कौन मुझ से माफ़ी चाहता है कि मैं उसे बख़्श दूँ। अल्लाह पाक फ़ज्र के समय तक यह घोषणा करता रहता

है।

बाब {जो नमाजी बीमार होने, अथवा सो जाने के कारण रात की नमाज़ न पढ़ सके, वह क्या करे?}

390:– इमाम क़तादा, जुरारा के वास्ते से रिवायत करते हैं कि सअ़द बिन हिशाम बिन आ़मिर की इच्छा थी कि वह अल्लाह की राह में जिहाद करें, चुनान्चे इसी उद्देश्य से वह मदीना शरीफ़ आये ताकि अपना बाग़ बैच कर उस की क़ीमत से हथियार और घोड़े ख़रीदें और मरते दम तक नसारा से जिहाद करें। जब उन्होंने मदीना पहुँच कर लोगों से मुलाक़ात की तो सभी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और उन छः सहाबा का उदाहरण दिया जिन्होंने भी इसी प्रकार की इच्छा प्रकट की थी लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसा करने से मना फ़रमा दिया था और कहा था: क्या तुम्हें हमारा तरीक़ा पसन्द नहीं है? जब लोगों ने सअ़द पर ज़ोर डाला तो उन्होंने अपनी पत्नी को लौटा लिया, क्योंकि उसे तलाक़ दे दी थी, और अपने लौटाने पर लोगों को गवाह बना लिया। इस के बाद इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के पास जा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के वित्र की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति का नाम बताता हूँ जो तमाम लोगों से अधिक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के वित्र के बारे में जानता है। पूछा: वह कौन हैं? उन्होंने बताया: वह आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ हैं, आप उन के पास जा कर उन से मालूमात करें फिर वापस आ कर मुझे भी सूचित करें। चुनान्चे मैं उन से मिलने के लिये चल पड़ा (पहले) हकीम बिन अफ़लह के पास आया और उन से अनुरोध किया कि मुझे आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ के पास ले चलें। सअ़द रज़ि॰ ने बयान किया कि वह आ़इशा रज़ि॰ के पास नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने (जन्ग जुमल के मौक़ा पर) आ़इशा रज़ि॰ को जाने से रोका था और कहा था कि आप अ़ली और मुआ़विया के बीच में कुछ न बोलें (और इस झगड़े में न पड़ें) लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और चली ही गयीं। सअ़द रज़ि॰ ने कहा कि मैं ने हकीम बिन अफ़लह को (चलने के लिये) क़सम दी तो वह भी तैयार हो गये और फिर हम दोनों आ़इशा रज़ि॰ के घर पहुँचे और उन्हें अपने इरादे से सूचित किया तो उन्होंने अन्दर आने की अनुमति दे दी । जब हम उन की सेवा में उपस्थिति हुये तो उन्होंने पूछा: क्या यह हकीम हैं? उन्होंने उत्तर दिया: जी हाँ। बहरहाल आ़इशा रज़ि॰ ने उन्हें (पर्दे की आड़ में, उन की आवाज़ से) पहचान लिया। उन्होनें पूछा: यह आप के साथ कौन हैं? मैं ने उत्तर दिया: स-अ़द बिन हिशाम। उन्होंने पूछा: कौन से हिशाम? हकीम ने उत्तर दिया: आ़मिर के बेटे। यह सुन उन्होंने उन की प्रशंसा की और दुआयें दीं। हदीस के रावी क़तादा ने कहा कि वह उहुद की जंग में शरीक हुये थे। फिर मैं ने उन से अनुरोध किया: ऐ मुसलमानों की माँ! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के आचरण (अख़्लाक़) के बारे में हमें कुछ बताएँ। उन्होंने कहा: क्या आप ने क़ुरआन नहीं पढ़ा है? मैं ने कहा: ज़रूर पढ़ा है। उन्होंने

कहाः आप का अख़्लाक़ वैसा ही था जैसे कुरआन में ज़िक्र है। (आप बड़े ऊँचे अख़्लाक़ के मालिक हैं"-सूरःक़लम-4)

उन्होंने बयान किया कि इस के बाद मैं ने उठने का इरादा किया और यह निय्यत कर ली थी कि अब मरते समय तक किसी से कुछ न पूछूँगाँ, लेकिन याद आया तो पूछ लियाः मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के समय उठने के बारे में कुछ बतायें? उन्होंने कहाः क्या आप ने सूरः मुज़्ज़म्मिल नहीं पढ़ी है? मैं ने उत्तर दियाः जी हाँ, पढ़ी है। आइशा रज़ि॰ ने कहाः अल्लाह पाक ने इस सूरः की शुरू की आयतों में तहज्जुद की नमाज़ को फ़र्ज़ क़रार दिया और इस की अन्तिम आयतों को बारह माह तक आसमान पर रोके रखा (यानी इसे नहीं उतारा) चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप के सहाबा रातों में इस नमाज़ को पढ़ते रहे। फिर अल्लाह पाक ने इस सूरः की अन्तिम आयतों को नाज़िल कर के नर्मी फ़रमा दी (और फ़र्ज़ से नफ़ल बना दिया) तो इस के बाद से यह नमाज़ पढ़नी अपनी खुशी की बात है।

इस के बाद मैं ने फिर प्रश्न कियाः ऐ मुसलमानों की माँ! मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वित्र की नमाज़ के बारे में कुछ बताइये। उन्होंने कहाः मैं आप के लिये दातून और पानी तय्यार रखती थी, फिर अल्लाह पाक आप को जब रात में उठाता, आप उठ कर दातून करते फिर वुज़ू फ़रमाते, फिर नौ रक्अतें इस प्रकार पढ़ते कि आठवीं रक्अत के बाद ही (तशह्हुद में) बैठते। और अल्लाह का ज़िक्र करते, उस की हम्द-सना करते और दुआयें माँगते (यानी तशह्हुद पढ़ते) फिर बिना सलाम फेरे नवीं रक्अत के लिये खड़े हो जाते, फिर उसे पढ़ कर (अन्तिम तशह्हुद में) बैठ जाते और इस में भी अल्लाह की हम्द व सना बयान करते और दुआयें करते, फिर सलाम फेरते, और इतनी ऊँची आवाज़ से सलाम फेरते कि हमें सुना देते (ताकि हम भी उठ कर वित्र की नमाज़ पढ़ लें) फिर सलाम फेरने के बाद दो रक्अत बैठे-बैठे पढ़ते। इस प्रकार ऐ मेरे बेटे! यह कुल 11 रक्अतें हुयीं। फिर जब आप की आयु बढ़ गयी, और शरीर पर माँस चढ़ गया (कुछ मोटे हो गये) तो वित्र की सात रक्अतें पढ़ने लगे, और दो रक्अतें वैसे ही पढ़ते जैसे कि ऊपर बयान कर चुकी हूँ। इस प्रकार यह कुल नौ रक्अतें हुयीं (यानी रक्अत वित्र और तहज्जुद की और दो रक्अत वित्र के बाद की) और आप की यह विशेष आदत थी कि जब कोई नमाज़ पढ़नी शुरू करते तो फिर उसे हमेशा पढ़ते रहते। और जब आप नींद या किसी तक्लीफ़ की वजह से रात को न उठ सकते तो दिन में बारह रक्अत पढ़ लेते (यानी वित्र न पढ़ते) और मैं नही जानती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा कुरआन पाक एक रात में पढ़ा हो, इसी प्रकार मैं नहीं जानती कि आप ने कभी पूरी रात इबादत की है (और ज़रा भी आराम नहीं किया है) और इसी प्रकार मैं यह भी नहीं जानती कि रमज़ान को छोड़ कर आप ने सारा महीना रोज़ा रखा है।

सअद बिन हिशाम ने बयान किया कि इस के बाद मैं ने इब्ने अब्बास रज़ि॰ के

पास जा कर पूरी हदीस बयान की तो उन्होंने कहाः बेशक, आइशा ने जो कुछ कहा बिल्कुल सच कहा। और (ऐ काश) अगर मैं भी उन के पास होता (या उन के पास जाता) तो मैं भी मुँह दर मुँह (आमने-सामने) बैठ कर सुनता। इस पर ज़रारा ने कहाः अगर मुझे पता होता कि आप उन के पास नहीं जाते हैं तो मैं कभी भी उन की बात आप को न बताता।

फ़ाइदाः– इस हदीस से बहुत सारे मस्अले मालूम हुये (1) तहज्जुद की नमाज़ पहले उम्मत पर फ़र्ज़ थी, फिर सूरः मुज़्ज़म्मिल की अन्तिम आयतें नाज़िल होने के बाद उम्मत के लिये नफ़ल होगयी, लेकिन आप पर फ़र्ज़ ही रही। (2) चूंकि आप पर फ़र्ज़ थी, इसलिये इस की क़ज़ा भी लाज़िम है, चुनान्चे रात में जब आप किसी कारण नहीं पढ़ सकते तो दिन में पढ़ते थे। (3) अगर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर भी नफ़ल थी (फ़र्ज़ नहीं) तो यह मालूम हुआ कि एक आदमी अगर कोई नमाज़ पाबन्दी से पढ़ता हो, अगर छूट जाये तो उस की भी क़ज़ा है, चाहे वह नफ़ली नमाज़ ही क्यों न हो (5) यह भी मालूम हुआ कि वित्र की क़ज़ा नहीं है, क्योंकि आप ने क़ज़ा नहीं की। (6) रात की नमाज़ दिन में भी क़ज़ा कर सकते हैं, इसी प्रकार दिन की नमाज़ रात में। (7) वित्र की नमाज़ के बाद दो रक्अ़तें आप ने बैठ कर पढ़ी हैं। ऐसा आप ने इसलिये किया ताकि लोगों को मालूम हो जाये कि वित्र के बाद भी जाइज़ है। मगर आप ने मुस्तक़िल तौर पर नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत सी रिवायतों में है कि आप की रात की अन्तिम नमाज़ वित्र होती थी। इसी से साबित हुआ कि आप ने एक-आध बार पढ़ी है केवल यह बताने के लिये कि वित्र के बाद भी अगर कोई नफ़ल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। आप के एक-आध बार के इस कार्य से मालूम हुआ कि अगर किसी ने इशा के बाद ही वित्र पढ़ ली और रात में उठ कर तहज्जुद पढ़ना चाहे तो वह पढ़ ले, क्योंकि वित्र के बाद भी नमाज़ है। लेकिन मुस्तक़िल तौर पर बैठ कर पढ़ना जिस प्रकार हनफ़ी लोग करते हैं दुरूस्त नहीं है।

बाब {वित्र की नमाज़ का बयान।}

391:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने वित्र की नमाज़ रात के पहले हिस्से में, दर्मियानी हिस्से में और अन्तिम हिस्से में यानी तीनों हिस्सों में पढ़ी है, यहाँ तक कि रात के बिल्कुल अन्तिम पहर (यानी फ़ज्र की अज़ान से थोड़ा पहले) भी।

फ़ाइदाः– मालूम हुआ कि वित्र की नमाज़, इशा की नमाज़ के बाद से फ़ज्र की अज़ान से कुछ पहले के दर्मियान किसी भी समय में पढ़ सकते हैं। लेकिन अन्तिम पहर में पढ़ना बहरहाल अफ़्ज़ल है जैसा कि अहादीस से साबित है (हदीस न॰ 383, 391)

बाब {वित्र की नमाज़ और फ़ज्र की दो सुन्नतों का बयान।}

392:– अनस बिन सीरीन रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने इब्ने उमर रज़ि॰ से कहाः आप मुझे सुब्ह की नमाज़ से पहले की दो रक्अतों के बारे में बताइये, क्या मैं उन में लंबी सूरतें पढ़ूँ? यह सुन कर उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज़ दो-दो रक्अत कर के पढ़ते थे, फिर वित्र एक रक्अत पढ़ते थे। इब्ने सीरीन ने कहाः मैं इस के बारे में नहीं पूछ रहा। इब्ने उमर रज़ि॰ ने कहाः तुम मोटी बुद्धि के मालूम होते हो (बीच ही में बोल पड़े और) मुझे पूरी हदीस बयान करने का मौक़ा ही नहीं दिया। (सुनो!) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज़ दो-दो रक्अत कर के पढ़ते थे, फिर इस के बाद एक रक्अत वित्र की पढ़ते थे, और सुब्ह की फ़र्ज़ नमाज़ से पूर्व दो रक्अत ऐसे समय पढ़ते थे कि तक्बीर आप के कान में होती (यानी इधर सुन्नत ख़त्म हुयी और उधर तक्बीर शुरू हो गयी। ज़ाहिर है ऐसे समय में हल्की से हल्की नमाज़ पढ़ी जायेगी)

फ़ाइदा:– फ़ज्र की सुन्नतों के बारे में विस्तार से जानकारी के लिये देखें हदीस न॰ 360 और उस का फ़ाइदा। आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ बयान फ़रमाती है कि आप फ़ज्र की सुन्नतें इतनी हल्की पढ़ते थे कि मुझे शुब्हा होने लगता कि आप ने सूरः फ़ातिहा पढ़ी भी है या नहीं। (मुस्लिम-सलातुल् मुसाफ़िरीन) आप फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ते और अज़ान की आवाज़ सुनते ही हल्की कर देते थे ( )

बाब {जिसे विश्वास न हो कि रात के अन्तिम पहर में उठ सकेगा, वह वित्र को रात के अव्वल हिस्से ही में पढ़ ले।}

393:– जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिसे इस बात का डर हो कि रात के अन्तिम पहर में नहीं उठ सकेगा तो वह रात के पहले हिस्से ही में (यानी इशा के बाद) पढ़ ले। और जिसे विश्वास हो कि अन्तिम पहर में उठ जायेगा तो वह अन्तिम पहर ही में पढ़े, इसलिये कि रात की नमाज़ ऐसी होती है जिस में फ़रिश्ते भी हाज़िरी देते हैं, और इस समय (अर्थात अतिम पहर) की नमाज़ सब से अफ़्ज़ल होती है।

फ़ाइदा:– फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं, उस की क़िरात सुनते हैं, उस के लिये दुआएँ करते हैं, अल्लाह के दर्बार में हाज़िर होकर उस की प्रशंसा करते हैं। उस के लिये ख़ैर-बर्कत की दुआएँ माँगते हैं।

बाब {सुब्ह होने से पूर्व वित्र की नमाज़ पढ़ ली जाये।}

394:– अबू सईद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वित्र की नमाज़, सुब्ह होने (यानी फ़ज्र) से पहले पढ़ लो।

फ़ाइदा:– देखें हदीस न॰ 391 का फ़ाइदा।

बाब {नमाज़ में कुरआन पाक पढ़ने की फ़ज़ीलत का बयान।}

395:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क्या तुम्हें यह पसन्द है कि जब तुम अपने घरों को लौटो तो तीन मोटी–ताज़ी ऊँटनियाँ पाओ। हम ने कहाः जी हाँ। आप ने फ़रमायाः तुम्हारा नमाज़. में कुरआन की तीन आयत का पढ़ना तीन मोटी–ताज़ी गर्भवती ऊँटनियों से बेहतर है।

फ़ाइदा:– यह उदाहरण दुनियावी है और लोगों को समझाने के लिये है। वर्ना कुरआन मजीद पढ़ने की ख़ैर–बर्कत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसी से मालूम हुआ कि नमाज़ में कम से कम तीन आयत या तीन आयत के बराबर की एक आयत क़िरात करनी चाहिये।

बाब {उन एक जैसी सूरतों का बयान, जिन में दो सूरतें एक रक्अ़त में पढ़ी जा सकती हैं।}

396 अबू वाइल रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम एक दिन फ़ज्र की नमाज़ पढ़ कर सुब्ह–सवेरे ही अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ के घर गये, और दर्वाज़े पर पहुँच कर सलाम किया तो हमें अन्दर जाने की अनुमति मिल गयी। अबू वाइल कहते हैं कि हम थोड़ी देर दर्वाज़े पर ठहरे रहे तो एक बच्ची ने निकल कर कहाः आप अन्दर क्यों नहीं आते? चुनान्चे हम अन्दर गये तो क्या देखा कि इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ बैठे हुये तस्बीह पढ़ रहे हैं। उन्होंने भी पूछाः जब आप को अन्दर आने की अनुमति मिल गयी थी तो फिर अन्दर क्यों नहीं आ रहे थे? हम ने कहाः कोई बात नहीं थी, हम ने यह समझा था कि आप के बच्चे अभी सो रहे होंगे। यह सुन कर इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने कहाः तुम यह समझते हो कि इब्ने उम्में अ़ब्द के बच्चे इतने काहिल और ग़ाफ़िल हैं (कि अभी सो रहे होंगे) यह कह कर वह दोबारा तस्बीह पढ़ने में लग गये। फिर जब उन्हें सूरज निकल आने की आशा हुयी तो बच्ची से पूछाः ज़रा देखना, क्या सूरज निकल आया है? अब वाइल रज़ि॰ ने बयान किया कि उसबच्ची ने देखा और सूचना दी कि अभी नहीं निकला है। चुनान्चे वह फिर तस्बीह में लग गये। थोड़ी देर बाद फिर उस बच्ची से कहाः देखो, सूरज निकल आया है? उस ने देख कर बतायाः जी हाँ, निकल आया है। इस पर उन्होंने यह दुआ़ पढ़ीः

> **अल्‌–हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अक़ा–लना यौ–मना हाज़ा व–लम् युह् लिक्‌ना बिज़ुनूबिना**
>
> (हर प्रकार की प्रशंसा सारे जहान् के उस पालनहार के लिये है जिस ने हमें पूरे दिन आराम दिया और हमारे गुनाहों पर हमें हलाक नहीं किया)

(हदीस के रावी) महदी कहते हैं कि मेरे ख़याल से इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने यह भी पढ़ा

"हमारे गुनाहों पर हमें हलाक नहीं किया"। इस पर किसी व्यक्ति ने कहाः मैं ने कल सारी की सारी "मु-फ़स्सल" की सूरतें (नमाज़ में) पढ़ी हैं। इस पर इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने कहाः इस प्रकार क़िरात करना शेर (कविता) पढ़ने की तरह अनर्थ है। हम ने उन जोड़ी सूरतों को सुना है और हमें मालूम है कि नबी करीम सल्लिल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किन-किन सूरतों को मिला कर पढ़ते थे, वह 18 सूरतें हैं, और दो सूरतें ऐसी है जिन का आरंभ "हामीम"से होता है।

फ़ाइदाः- 'मु-फ़स्सल' सूरःक़ाफ़ से लेकर अन्त तक की सूरतों को कहते हैं। फिर इस की भी तीन क़िस्में हैं (1) "तुवाले-मुफ़स्सल" सूरः क़ाफ़ से सूरः नाज़िआ़त तक की सूरतों को हकते हैं (2) "औसते-मुफ़स्सल" सूरः अ़बस से सूरः शम्स तक की सूरतों को कहते हैं (3) क़िसारे-मुफ़स्सल" सुरः जुहा से सूरः नास तक की सूरतों को कहते हैं।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक ही रक्अ़त में कभी दो सूरतें एक साथ मिला कर पढ़ते थे। चुनान्चे सूरः "रहमान" और "नज्म" एक रक्अत में पढ़ते थे। इसी प्रकार सूरः "क़-मर" और सूर-"हाक़्क़ा", सूरः"तूर" के साथ सूरःज़ारियात, सूरः वाक़िअ़ के साथ साथ सूरः नून, सूरः मआ़रिज के साथ सूरःनाज़िआ़त, सूरः मु-तफ़्फ़ीन के साथ सूरः अ़-बस, सूरःमुद्दस्सिर के साथ सूरः मुज़्ज़म्मिल, सूरःइनसान के साथ सूरः ब-लद, सूरःअ़म्मा य-तसा-अलून के साथ सूरः मुर-सलात, सूरःदुख़ान के साथ सूरःतकवीर आदि एक ही रक्अ़त में मिला कर एक साथ पढ़ा करते थे। (अबू दावूद)

चूंकि सूरःक़ाफ़ से पहले की 49 सूरतें लंबी-लंबी है इसलिये एक रक्अ़त में एक ही सूरः की क़िरात काफ़ी है। और सूरःक़ाफ़ से सूरःनास तक की 65 सूरतें छोटी हैं, इसलिये इन में से किसी भी दो सूरत को मिला कर क़िरात लंबी कर सकते हैं। हदीस से ऐसा ही साबित है। लेकिन अगर आप चाहें तो पूरी 114 सूरतों में से किन्ही दो को एक साथ मिला कर क़िरात लंबी कर सकते हैं, इस में कोई पाबन्दी नहीं है।

आप चाहें तो र्ततीब का ख़याल रखें और सूरःबक़र के साथ उस के बाद वाली सूरःआले अिम्रान को मिला कर पढ़ें, और चाहें तो र्ततीब का न भी ख़याल रखें और सूरः बक़रः के साथ सूरःनास मिला कर क़िरात करें, दोनों ही शक्लें दुरूस्त हैं।

बाब {रमज़ान में तहज्जुद की नमाज़ का बयान।}

397:- आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (रमज़ान में) हुजरे से निकल कर मस्जिद में (तहज्जुद की) नमाज़ पढ़ी आप के साथ चन्द सहाबा ने भी पढ़ी। सुब्ह को उन सहाबा ने लोगों से ज़िक्र किया तो दूसरी रात, पहली रात से अधिक लोग जमा हो गये। चुनान्चे आप ने फिर निकल कर मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और सहाबा ने भी पढ़ी। सहाबा ने फिर सुब्ह को रात की नमाज़ का ज़िक्र किया तो दूसरी रात, पहली रात से अधिक लोग जमा हो गये। चुनान्चे आप ने फिर निकल कर मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और सहाबा ने भी पढ़ी। सहाबा

ने फिर सुब्ह को रात की नमाज़ का ज़िक्र किया तो तीसरी रात और अधिक सहाबा नमाज़ पढ़ने के लिये जमा हो गये, आप फिर हुजरे से निकले और मस्जिद में उन्हें जमाअ़त से (तरावीह की) नमाज़ पढ़ाई। फिर जब चौथी रात आई तो मस्जिद नमाज़ियों से भर गयी, लेकिन आप मस्जिद में नहीं आये, तो सहाबा "अस्सलात" "अस्सलात" पुकारने लगे, लेकिन आप हुजरे से बाहर नहीं आये (और अपने घर में अकेले ही पढ़ी) फिर सुब्ह की नमाज़ के लिये आयेऔर नमाज़ से फ़ारिग़ होकर लोगों की ओर मुँह कर के तशह्हुद पढ़ा (यानी अल्लाह की हम्द-सना बयान की) और फ़रमायाः अम्मा बाद! आप लोगों को मालूम होना चाहिये कि आज की रात भी आप लोगों का हाल मुझे मालूम था (कि जमाअ़त से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिये आये हैं) लेकिन मैं डर गया कि इस प्रकार (जमाअ़त से पढ़ाने से) कहीं यह नमाज़ आप लोगों पर फ़र्ज़ न हो जाये और आप लोग इसे अदा न कर सकें।

फ़ाइदाः– इस हदीस से कई मस्अले मालूम हुये (1) तहज्जुद की नमाज़ 3 रात आप ने जमाअ़त से पढ़ाई है। इसलिये जो लोग कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ि॰ ने जमाअ़त का सिलसिला शुरू किया उन का कहना ग़लत है (2) मालूम हुआ कि जमाअ़त केडर से नहीं, बल्कि फ़र्ज़ होने के डर से तर्क किया था (3) आप पर तहज्जुद फ़र्ज़ है और उम्मत के लिये नफ़्ल है (देखें सूरःबनी इस्राईल में "नाफ़ि-ल-त-ल्लक" की तफ़सीर) (4) लेकिन रात में पिछले पहर अकेले में पढ़ना बहरहाल अफ़्ज़ल है (5) आप ने तरावीह की नमाज़ आठ रक्अ़त ही पढ़ाई थी जैसा कि मुस्लिम ही की रिवायत में है, लेकिन चूंकि यह नफ़्ल है और इस में रक्अ़त की कोई क़ैद नहीं होती, इसलिये 8 से कम भी पढ़ सकता है और अधिक भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी और फ़र्ज़ में कमी-बेशी नहीं होती उस की पहले ही से रक्अ़त तै होती है, इसलिये आप ने आठ से अधिक कभी नहीं पढ़ी। और अगर बीमारी या किसी कारण छूट गयी तो दिन में उस की क़ज़ा की (हदीस न॰393, मेरे नज़दीक यह दलील है कि आप पर फ़र्ज़ थी) उम्मत पर फ़र्ज़ नहीं है इसलिये जितनी चाहे पढ़ सकता है। (6) अहले हदीस का आठ को पकड़े रहना और हनफ़ियों का 20 को, यह सही नहीं है। जब दिल लगे तो आठ से अधिक भी पढ़े और अगर दिल न चाहे तो आठ से कम पढ़ सकता है। यही कारण है कि सहाबा से 8, 20, 30 और चालीस रक्अ़तें तक पढ़नी साबित हैं। मालूम हो कि सऊद अ़रब के मुफ़्ती अ़ल्लामा इब्ने बाज़ रह॰ का भी यही फ़तवा है। (फ़तावा इब्ने बाज़, भाग 1, उर्दू एडिशन)

बाब {रमज़ान में नफ़ली नमाज़ पढ़ना और उस की तरफ़ उभारना।}

398:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रमज़ान में क़ियाम करने (यानी तरावीह की नमाज़ पढ़ने) की ओर सहाबा को उभारते थे, लेकिन ताकीदी हुक्म नहीं देते थे। आप फ़रमाते थेः जिस ने ईमान को

दुरूस्त करने और सवाब हासिल करने के लिये तरावीह की नमाज़ पढ़ी तो उस के समस्त पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।

फ़ाइदाः– इस नमाज़ के कई नाम हैं (1) क़ियामे-रमज़ान (2) तरावीह (3) तहज्जुद (4) क़ियाम मे लैल। रमज़ान में इसे "तरावीह" और रमज़ान के अ़लावा दिनों में इसे तहज्जुद कहते हैं। यह नमाज़ फ़र्ज़ थी और अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ की पहले ही से सीमी तै कर दी है जिस में कमी–बेशी जाइज़ नहीं। जैसे जोहर, अ़स्र, मग़्रिब, अ़िशा और फ़ज्र की नमाज़ों की रक्अ़त में संख्या तै है जिस में कमी–बेशी जाइज़ नहीं। इसी प्रकार अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये तरावीह (तहज्जुद) की नमाज़ फ़र्ज़ होने के नाते रक्अ़त की सीमा तै कर दी है। जिस से अधिक पढ़ना आप के लिये जाइज़ न था। चूँकि उम्मत पर नफ़्ल है इसलिये उम्मत के लिये इस नमाज़ की रक्अ़त की कोई सीमा नहीं है, जो जितना अधिक पढ़ेगा, उतना सवाब पायेगा। कुछ उलमा का कहना है कि 8 रक्अ़त पढ़ना ही सुन्नत है, इसलिये इसी पर अ़मल होना चाहिये। मैं कहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का हमेशा पढ़ना सुन्नत है फिर इस सुन्नत पर क्यों अ़मल नहीं। एक सुन्नत के अ़मल पर इतनी ज़िद और एक सुन्नत से इतनी दूरी। मौलाना मुहम्मद इस्माअ़ील गोजराँ वाला अपनी पुस्तक में लिखते हैं: "तहज्जुद की तरह इस में संख्या की पाबन्दी फ़र्ज़ नहीं, 8 से अधिक और कम हो जायें तो भी दुरूस्त है" (रसूले अक्रम की नमाज़, उर्दू एडिशन) उलमा ने 8 और 20 को साबित करने में ख़ाह–मख़ाह पन्ने के पन्ने काले किये हैं।

आज 17 दिसंबर 2004, जुमा के दिन 8:30 बजे इस बाब का तजुर्मा और संक्षिप्त तशरीह संपन्न हुयी। अल–हम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आ़–लमीन–गुनाहगारः ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी, अद्दारूस्सलफ़िया, मुंबई।

❀ ❀ ❀

किताबुल् जुमु-अ़ति
(जुम्अ़ः के मसाइल का बयान)

नोटः– जुम्अः की नमाज़ हिजरत के दिनों में फ़र्ज़ हुयी। इस नाम की कुरआन पाक में ऐक सूरः भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मदीना आने से पूर्व सअ़द बिन ज़रारा रज़ि॰ ने प्रथम जुम्अ़ः की नमाज़ पढ़ाई। फिर आप ने मदीना पहुँच कर क़बीला बनू सालिम में पहला जुम्अ़ः पढ़ाया (अबू दावूद) यह नमाज़ हर बुद्विमान बालिग़ पुरूष पर फ़र्ज़ है। महिला, बीमार, यात्री, गुलाम, जुम्अः पढ़ लें तो फिर जुह् की नमाज़ पढ़ने की आवश्यक्ता नहीं, जुम्अः अदा हो जायेगा। इस नमाज़ का भी वही समय है जो जुह् का है। दिन की नमाज़ें सिर्री हैं, लेकिन जुम्अः में इमाम जेहरी नमाज़ पढ़ाएगा। जुम्अ़ः से पहले कोई सुन्नत नहीं है, केवल दो रक्अ़त तहिय्यतुल् मस्जिद है। (बुख़ारी-930) जुम्अ़ः के बाद सुन्नत है। अगर मस्जिद में पढ़े तो चार और अगर घर जा कर पढ़े तो दो रक्अ़त है। जुमा की नमाज़, गाँव, दीहात, शहर, क़स्बा हर स्थान के लिये है। यहाँ तक कि अगर तीन आदमी हों तो भी जुम्अः पढ़ें। अ़ीद और जुमा अगर एक ही दिन पड़ जायें, तो चाहे तो दोनों पढ़े, और चाहे तो जुमा न पढ़े, उस के स्थान पर जुहं् की चार रक्अ़तें पढ़े (अबू दावूद) वर्षा के दिन जुम्अ़ः के स्थान पर जुह् पढ़ लेनी जाइज़ है (अबू दावूद) महिलायें भी जुमा की नामाज़ पढ़ सकती है, अर्गचे उन पर फ़र्ज़ नहीं (अबू दावूद-बाबुल जुमा लिल्मुलूक) कुछ लोग जुम्अः की नमाज़ पढ़ने के बाद एहतियाती जुह् भी पढ़ते हैं, यह निरी जिहालत, बिदअ़त और पाप है।

बाब {जुम्अः के दिन के बारे में (अल्लाह पाक ने इस प्रकार) उम्मत की रहनुमाई की है ।}

399:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हम सब (दुनियावी एतबार से) पिछली उम्मत हैं, लेकिन क़ियामत के दिन सब से आगे रहने वाले होंगे, और जन्नेत में भी सर्वप्रथम दाख़िल होंगे। फ़र्क़ केवल इतना है कि उन लोगों को हम से पहले किताब मिली है और हमें उन के बाद मिली है। उन्होंने दीन की जितनी बातों में इख़्तिलाफ़ किया उन में अल्लाह पाक ने हमारी रहनुमाई फ़रमायी। उन्होंने जुम्अः के दिन में भी इख़्तिलाफ़ किया तो अल्लाह पाक ने इस में भी हमारी

रहनुमाई फ़रमायी (और हमें बतला दिया) अब यह जुम्अ़: का दिन हमारे लिये है और दूसरा दिन (यानी शनिवार) यहूद के लिये और तीसरा दिन (यानी रविवार) ईसाइयों के लिये है।

फ़ाइदा:– हज़रत मूसा अ़लै॰ ने एक ख़ास दिन अपनी उम्मत की इबादत के लिये चुना था, वह जुम्अ़: का दिन था, लेकिन यहूद ने शरारत कर के मनमानी सनीचर का दिन मुक़र्रर कर लिया, इसी प्रकार नसारा ने भी किया। इन्होंने इख़्तिलाफ़ कर के उस पवित्र दिन को गडमड कर दिया तो अल्लाह पाक ने अन्तिम उम्मत को बतला दिया कि जुम्अ़: का दिन ही बेहतर दिन है। मुसिलम शरीफ़ की एक दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह पाक ने उन लोगों से जो हम से पहले गुज़रे हैं जुम्अ़: की नमाज़ को भुला दिया तो यहूद के लिये सनीचर और नसारा के लिये रविार तै पाई और हमारे लिये जुम्अ़: (शुक्रवार) सुनिश्चित किया। इस प्रकार पहले जुम्अ़:, फिर सनीचर, फिर इतवार तर्तीब बनी। जिस प्रकार इस तर्तीब में हम पहले है, इसी प्रकार क़ियामत के दिन भी हम पहले होंगे। पहले हमारा हिसाब होगा और पहले जन्नत में जायेंगे (मुस्लिम–किताबुल जुमा)

बाब {जुम्अ़: के दिन की फ़ज़ीलत का बयान।}

400:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: दिनों में सब से पवित्र और बेहतर दिन जिस में सूरज निकलता है, जुम्अ़ का दिन है। इसी दिन आदम अ़लै॰ पैदा हुये और इसी दिन जन्नत में दाख़िल हुये, इसी दिन जन्नत से निकाले गये, और क़ियामत भी इसी ही दिन आयेगी।

फ़ाइदा:– मालूम हुआ कि बड़े–बड़े कार्य जुम्अ़: के दिन संपन्न हुये और होंगे भी। चाहे वह कार्य फ़ज़ीलत के हों या न हों। और यह इसलिये गिनाए ताकि बन्दा इस दिन नेकी के लिये तय्यार रहे।

बाब {जुम्अ़: के दिन के बर्कत वाले समय का बयान।}

401:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि अबुल क़ासिम (यानी नबी करीम) सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जुम्अ़: के दिन एक ऐसा समय आता है कि अगर कोई मुस्लिम बन्दा उस समय नमाज़ पढ़ कर अल्लाह से जो भी माँग ले, तो अल्लाह पाक उसे अवश्य ही वह चीज़ देगा। फिर आप ने अपने हाथ से इशारा कर के फ़रमाया कि वह समय बहुत संक्षिप्त होता है।

402:– अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ के पुत्र अबू बुर्दा रज़ि॰ ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ ने मुझ से पूछा: क्या तुम ने अपने पिता जी को जुम्अ़: के उस समयके बारे में कुछ बयान करते सुना है? मैं ने कहा: मैं ने उन्हें बयान करते सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: वह समय इमाम के (मिंबर पर) बैठने से लेकर नमाज़ की समाप्ति तक के दर्मियान आता है।

फ़ाइदा:– यह हदीस बुख़ारी शरीफ में भी है (हदीस 935) वह पवित्र और बर्कत वाला समय कौन सा है? इस में उलमा का बड़ा इख़्तिलाफ़ है। (1) अ़स्र से मग़रिब के दर्मियान (2) नमाज़ के आरंभ से समापन तक (3) इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज़ के समापन तक के बीच (4) पूरे दिन में किसी भी समय है (5) फ़ज्र के समय से सूरज निकलने तक। अर्थ यह है कि जितने मुँह उतनी बातें हैं। मौलाना वहीदुज़्ज़माँ साहब लिखते हैं "सहीह, बल्कि सच वह है जिसे अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ ने रिवायत किया है, यानी इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज़ के ख़त्म होने तक के दर्मियान। अ़ल्लामा शौकनी कहते हैं: "वह समय अ़स्र के बाद आता है, और जमहूर उलमा व सहाबा का भी यही ख़याल है।" हाफ़िज़ इब्ने हजर रह॰ लिखते हैं: "इस समय के ज़ाहिर न करने और इसी प्रकार क़द्र वाली रात को ज़ाहिर न करने में फ़ाइदा यह है कि उस को पाने के लिये अधिक से अधिक समय तक नमाज़ पढ़ें, दुआएँ करें, तो इस सूरत में अवश्य ही वह समय उस बन्दे को मिल जायेगा। अगर उस समय को बता दिया जाता तो लोग उसी समय केवल इबादत कर लेते और फिर बैठे रहते। आश्चर्य है उन लोगों पर जो अधिक से अधिक समय तक इबादत करने के बजाए उस सीमित समय को खोजने में सर खपा रहे हैं। (फ़त्हुल बारी)

बाब {जुम्अः के दिन के फ़ज्र की नमाज़ मैं कौन सी सूरत पढ़ी जाये?}

403:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुम्अः के दिन फ़ज्र की नमाज़ में सूरः "अलिफ़ लाम्मीम् सज्दा" और सूरः "इन्सान" (दह्र) पढ़ा करते थे। और जुम्अः की नमाज़ में सूरः "जुमुअ़:" और सूरः "मुनाफ़िकून।"

फ़ाइदा:– तबरानी की रिवायत में है "युदीमु बिज़ालि–क" आप हमेशा यही पढ़ते थे। क्यों? इस को लिखने का यहाँ समय नहीं है। कुछ उलमा का कहना है कि मदीना वालों ने इस पर अ़मल करना तर्क कर दिया था, लेकिन इब्ने हजर रह॰ ने इसे बातिल कहा है। बहरहाल अगर यह सूरतें याद हैं तो अवश्य ही पढ़ी जायें। इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद और अहले हदीस का यही मज़हब है। यह हदीस बुख़ारी शरीफ़ में भी है (हदीस न॰ 891)

बाब {जुम्अः के दिन स्नान करने का बयान।}

404:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा उमर फ़ारूक़ रज़ि॰ जुम्अः का खुत्बा दे रहे थे कि इसी दर्मियान उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि॰ आये तो उमर रज़ि॰ ने उन की ओर इशारा कर के फ़रमाया: क्या हो गया है लोगों को जो आज़ान सुनने के बावजूद देर से पहुँचते हैं? इस पर उस्मान रज़ि॰ बोले: ऐ ख़लीफ़ा! मैं ने अज़ान की आवाज़ सुनने के बाद कुछ भी नहीं किया है, केवल वुज़ू कर के चला आ रहा हूँ।

उमर रज़ि॰ ने पूछाः केवल वूज़ू ही किया? क्या आप को नहीं मालूम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है: जब कोई जुम्अ़ः के दिन आये तो अवश्य ही स्नान कर के आये।

फ़ाइदा:— इस दिन स्नान करना वाजिब तो नहीं है, अल्बत्ता अफ़्ज़ल अवश्य है। अगर वाजिब होता तो उमर रज़ि॰ उन्हें अवश्य ही हुक्म देते। और इसी प्रकार उस्मान रज़ि॰ भी अवश्य ही स्नान कर के आते। इस का अर्थ यह नहीं है कि स्नान की तरफ़ से लार्पवाही बरती जाये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खुश्बू लगा कर आने का हुक्म दिया है तो स्नान पर अ़मल कर लेना बेहतर है। बुख़ारी शरीफ़ में वाजिब का शब्द आया है (देखें 880) नीचे की हदीस से भी वाजिब होना साबित है।

बाब {जुम्अ़ः के दिन खुश्बू लगाने और दातून करने का बयान।}

405:— अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जुम्अ़ः के दिन स्नान करना और दातून करना हर बालिग़ पर वाजिब है, और अगर खुश्बू पास में हो तो उसे भी लगा लेना चाहिये।

फ़ाइदा:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि लोग ऊँट के बालों का कुर्ता पहनते, वही पहन कर काम करते थे, इसलिये वह धूल से अट जाता और बद्बू निकलने लगती। चुनान्चे इस हालत में एक व्यक्ति आया तो आप ने फ़रमायाः अगर आज तुम स्नान कर के आते तो अच्छा होता (मुस्लिम-किताबुल जुमा) मालूम हुआ कि स्नान कर के, खुश्बू लगा कर, दातून कर के आने से मस्जिद का वातावरण बेहतर होगा, नमाज़ में दिल लगेगा, मज्लिस में दूसरे नमाज़ियों को बुरा नहीं लगेगा, उन को बदबू से तक्लीफ़ नहीं पहुँचेगी। चुनान्चे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर संभव हो तो जुम्अ़ः के लिये रोज़ पहनने वाले कपड़ों के अ़लावा अलग से एक जोड़ा रखो (इब्ने माजा, इक़ामतिस्सलात) यह तमाम हदीसें वाजिब न सही, लेकिन लगभग वाजिब होने की तरफ़ संकेत करती हैं। और स्नान कर के न आने से सवाब में कमी होती है।

बाब {जुम्अ़ः केदिन प्रथम समय में पहुँचने की फ़ज़ीलत का बयान।}

406:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब जुम्अ़ः का दिन आता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के तमाम दर्वाज़ों पर खड़े होकर लिखते रहते हैं कि फलाँ पहले आया, इस के बाद फ़लाँ आया, इस के बाद वह आया। फिर जब इमाम (खुत्बा देने के लिये) मिंबर पर बैठ जाता है तो फ़रिश्ते अपना दस्तावेज़ लपेट कर खुत्बा सुनने लग जाते हैं। तो जो नमाज़ी अव्वल समय मस्जिद में आता है उस को उतना सवाब मिलता है जितना ऊँट कुर्बान करने का, इस के बाद जो आता है उसे उतना सवाब मिलता है जितना गाय कुर्बान करने का, इस के बाद आने वाले को मेंढा कुर्बान करने का, फिर इस के बाद आने वाले को मुर्ग़ी का, फिर अन्डे का।

फ़ाइदाः– इस हदीस में जुम्अ़ः के लिये अव्वल-अव्वल पहुँचने की फ़ज़ीलत का बयान है। ऊँट की कुर्बानी का सवाब पाने के लिये हज़ारों रूपये ख़र्च कर के ऊँट कुर्बान कर के उस का माँस ग़रीबों में बाँटना पड़ेगा और यहाँ केवल सर्वप्रथम पहुँचने में मिल रहा है, फिर भी लोग अन्तिम छड़ों में पहुँचते हैं। अल्लाह पाक हम सब को सर्वप्रथम पहुँचने की तौफ़ीक़ दे। (बुख़ारी–929, 3211) अव्वल समय में पहुँचने से बहुत से फ़ाइदे हैं (1) ऊँट कुर्बान करने का सवाब पायेगा (2) पहली सफ़ में स्थान पाएगा (3) नफ़ल पढ़ने का मौक़ा मिलेगा (4) इमाम का पूरा खुत्बा सुनेगा (5) गर्दन लाँघ कर आगे नहीं बढ़ेगा (6) दुआ़ की कुबूलियत वाली घड़ी को पाने की संभावना रहेगी। और दीगर बहुत से लाभ हैं।

बाब {जुम्अ़ः की नमाज़ का समय सूरज ढल जाने के बाद से आरंभ होता है।}

407:– सल्मा बिन अक्वा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ जुम्अ़ की नमाज़ उस समय पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता, फिर नमाज़ पढ़ कर लौटते तो साया तलाश करते थे (लेकिन दीवार का साया इतना लंबा नहीं होता था कि उस में आराम कर सकें)

फ़ाइदाः– मुस्लिम की दूसरी रिवायत इस से भी स्पष्ट है "नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ जुम्अ़ः की नमाज़ पढ़ते और जब पढ़ कर वापस लौटते तो दीवारों का साया न पाते जिस की आड़ में आते।" (मुस्लिम) यानी सूरज ढलते ही तुरन्त पढ़ लेते थे। जुम्अ़ः का समय भी सूरज ढलने के साथ आरंभ होता है क्योंकि वह भी जुह् की जगह पर पढ़ते हैं इसलिये जो जुह् का समय है वही जुम्अ़ः का भी समय है। लेकिन कुछ हदीसों में "तबकीर" का शब्द आया है जिस का अर्थ है "दोपहर का समय" इस से मालूम होता है कि सूरज ढलने से पहले भी पढ़ सकते हैं। यही कारण है कि सहाबा और उलमा सूरज ढलने से पहले भी पढ़ने के क़ाइल हैं। लेकिन इब्ने हजर रह॰ लिखते हैं: "तबकीर" का अर्थ है किसी कार्य को अव्वल-अव्वल समय पर करना। इसलिये जो उलमा सूरज ढलने से पहले भी पढ़ने को जाइज़ कहते हैं उन का ख़याल दुरुस्त नहीं है।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लकड़ी का मिंबर बनवाया फिर उस पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ी।}

408:– अबू हाज़िम रज़ि॰ ने बयान किया कि कुछ लोग सहल बिन सअ़द रज़ि॰ के पास आये और बहस करने लगे कि मिंबर किस लकड़ी से बनाया गया था? तो उन्होंने कहाः अल्लाह की क़सम! 'मुझे खूब मालूम है कि वह किस लकड़ी का था और किस ने बनाया था, और मैं यह भी जानता हूँ जब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस पर बैठे थे। मैं ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से इस मिंबर के बारे में पूछा तो उन्होंने बतायाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक महिला को संदेश भेजा कि तुम अपने बढ़ई

गुलाम को कुछ समय दे दो ताकि वह लकड़ियाँ जोड़ कर मेरे लिये मिंबर बना दे (अबू हाज़िम ने कहा कि सहल बिन सअ़द बयान करते समय उस महिला का नाम भी ले रहे थे) ताकि उस पर बैठ कर मैं लोगों को संबोधित कर सकूँ। चुनान्चे उस गुलाम ने तीन सीढ़ियों वाला मिंबर तय्यार कर दिया, फिर आप ने उसे मस्जिद में रखने का हुक्म दिया। उस की लक्ड़ी ग़ाबा के स्थान के झाऊ की थी। फिर मैं ने देखा कि आप ने उस पर खड़े होकर (नमाज़ पढ़ने के लिये) "अल्लाहु अक्बर" कहा, तो लोगों ने भी कहा (फिर आप ने रूकूअ़ भी किया) फिर रूकूअ़ से सर उठा कर उल्टे पाँव मिंबर से नीचे उतर आये और मिंबर की जड़ के पास सज्दा किया और इस प्रकार नमाज़ पूरी की। फिर लोगों को मुख़ातब कर के फ़रमायाः ऐ लोगों! मैं ने इस प्रकार नमाज़ इसलिये पढ़ी है ताकि आप लोग मेरी पैरवी करते हुये मेरे नमाज़ पढ़ने की तरह नमाज़ पढ़नी सीखो।

फ़ाइदाः– यह रिवायत बहुत संक्षिप्त है, बुख़ारी शरीफ़ के अल्फ़ाज़ इस प्रकार हैं: "जब मिंबर मस्जिद में रखा गया तो आप उस पर खड़े हुये और क़िब्ला की तरफ़ मुँह कर के तक्बीर तहरीमा कहीं। सहाबा भी आप के पीछे (ज़मीन पर सफ़ लगा कर) खड़े हो गये। फ़िर आप ने क़ुरआन की आयतें पढ़ीं और रूकूअ़ किया, आप के पीछे सहाबा ने भी रूकूअ़ किया, (और उतर कर ज़मीन पर रक्अ़त मुकम्मल की) फिर दोबारा मिंबर पर चढ़ गये और (दूसरी रक्अ़त के लिये) क़ुरआन पढ़ा, फिर मिंबर ही पर रूकूअ़ किया, फिर सर उठाया और क़िब्ला ही की तरफ़ मुँह किये हुये उल्टे पाँव मिंबर से उतर कर ज़मीन पर सज्दा किया और (नमाज़ मुकम्मल कर के) सलाम फेरा।" (बुख़ारी–377, 917) 'ग़ाबा' मदीना से थोड़ी दूरी पर एक स्थान का नाम था जहाँ झाऊँ के पेड़ बहुत अधिक संख्या में उगते थे। इस हदीस से बहुत से मस्अले मालूम हुये (1) मिंबर पर खड़े होकर ख़ुत्बा देना चाहिये (2) इमाम, मुक़तदियों से ऊँची जगह पर खड़ा हो सकता है (3) नमाज़ी अगर इतना ऊपर–नीचे चढ़े–अतरे तो उस की नमाज़ में कोई ख़राबी नहीं आती। अबू दावूद की रिवायत में है कि आप ने आ़इशा रज़ि॰ के लिये नमाज़ की हालत में दर्वाज़ा खोला था (4) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी नातिन उमामा को गर्दन पर बठा कर फ़र्ज़ नमाज़ की इमामत करते और रूकूअ़ के समय उतार देते थे। इस हदीस से और दीगर मस्अले साबित होते हैं। अन्सारी महिला का नाम "आ़इशा" या "फ़क़ीहा" और बढ़ई का नाम "मैमून" था– रज़ियल्लाहु अ़न्हुम।

बाब {ख़ुत्बा में क्या कहा जाये?}

409:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि ज़िमाद नामक एक व्यक्ति जो "अज़्द शनूआ" नामक क़बीला से था और जिन्न–आसेब का झाड़–फूँक का काम करता था, मक्का आया तो मक्का के मूर्खों की ज़बानी सुना कि मुहम्मद पर जिन्न सवार हैं। चुनान्चे उस ने सोचा कि मक्का चल कर लगे हाथों उन्हें भी देख लूगाँ, संभवतः अल्लाह पाक मेरे ही हाथ से उन्हें चंगा कर दे। चुनान्चे इस सिलसिला में उस ने आप

से भेंट की औ कहाः ऐ मुहम्मद! मैं जिन्न-आसेब को उतारने का काम करता हूँ और अल्लाह पाक मेरे हाथ से जिसे चाहता है चंगा भी कर देता है आप का क्या इरादा है? यह सुन कर आप ने फ़रमायाः

इन्नल्-हम-द् लिल्लाहि नह-मदुहू व-नस्तअ़ीनुहू मय्यह्दिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल-लहू व-मय्युज़लिल् फ़ला हादि-य लहू, व-अश्-हदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाहु वह्-दहू ला शरी-क लहू व-अन्न मु-हम्म-दन् अ़ब्दुहू व-रसूलुहू, अम्मबा बादु+

"हर प्रकार की प्रशंसा केवल अल्लाह पाक के लिये है, मैं उस की प्रशंसा करता हूँ और केवल उस ही से सहायता और सहयोग की विनिति करता हूँ। जिस को अल्लाह राह दिखाए उसे कोई पथ भ्रष्ट नहीं कर सकता, और जिसे वह पथभ्रष्ट कर दे, फिर उसे कोई राह पर नहीं ला सकता, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अ़लावा और कोई माबूद नहीं और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) उस के बन्दे और संदेष्टा हैं+ अल्लाह पाक की हम्द-सना के बाद (अब जो कहना हो कहो)

यह सुन कर ज़िमाद ने कहाः ज़रा इन शब्दों को पुनः पढ़ कर सुना दीजिये। चुनान्चे आप ने तीन मर्तबा उन्हें पढ़ कर सुनाया। इस पर ज़िमाद बोलाः मैं ने ज्योतिषियों की बाते सुनी हैं, कवियों की भी सुनी हैं, लेकिन इन शब्दों जैसे शब्द किसी की ज़बान से नहीं सुना। इन शब्दों में तो फ़साहत-बलाग़त का समुद्र ठाठें मार रहा है। और तुरन्त कह उठाः आप अपना हाथ बढ़ायें ताकि इस्लाम धर्म स्वीकार करूँ, चुनान्चे उन्होंने इस्लाम कुबूल कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं तुम से और तुम्हारी क़ौम की तरफ़ से भी (तुम से) बैअ़त लेता हूँ। उन्होंने कहाः ठीक है, मैं अपनी क़ौम वालों की तरफ़ से भी बैअ़त करने को तय्यार हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (कुछ समय के बाद) एक लश्कर भेजा जो ज़िमाद के क़बीला वालों के पास से होकर गुज़रा, तो लश्कर के कमान्डर ने अपने फ़ौजियों से पूछाः इस क़बीला के लोगों से तो कुछ नहीं छीना है? इस पर एक फ़ौज़ी ने कहाः मैं ने एक लोटा उन से लिया है। इस पर कमान्डर ने आदेश दिया कि वह सामान उन्हें लौटा दो इसलिये कि यह ज़िमाद के खान्दान के लोग हैं (और ज़िमाद के बैअ़त करने के नाते सब लोग अमान पा चुके हैं)

फ़ाइदाः- नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का वह मुबारक खुत्बा है जिस को आप हर वाज़, नसीहत के आरंभ में पढ़ा करते थे। यह हदीस इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ से भी रिवायत है जिसे अबू दावूद, तिर्मिज़ी, नसई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। आजकल कुछ उलमा बड़ी शान से

"नोमिनु बिही व-न-त वक्कलु अ़लैहि"

को भी खुत्बा में पढ़ते हैं। यह अल्फ़ाज़ "तारीख़े-बग़दाद" में हैं, मगर इस में एक रावी "कज़्ज़ाब" (झूठा) है इसलिये यह रिवायत सख़्त ज़ओफ़ है, इसलिये इन शब्दों को हर्गिज़ न पढ़ा जाये। कुछ लोग "नश्-हदु" (हम गवाही देते हैं) पढ़ते हैं, यह बिल्कुल ग़लत है, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने "अश्-हदु" (मैं गवाही देता हूँ) पढ़ा है, यानी एक वचन का सेग़ा प्रयोग किया है, क्योंकि आप अपनी गवाही दे सकते हैं, दूसरों की तरफ़ से नहीं (और लोगों के मन में क्या है? आप को क्या मालूम) इसी प्रकारः

"कुल्लु मुह्-द-सतिन् बिद्-अ़तुन् ज़ला-लतुन् वकुल्लु ज़ला-लतिन् फ़िन्नारि+

यह तीनों वाक्य नसई, इब्ने खुज़ैमा आदि से सही सनद से रिवायत हैं, इन्हें भी खुत्बा में शामिल कर सकते हैं। इस के बाद सूरःक़ाफ़ पढ़ें (हदीस आगे आ रही है हदीस न॰413)

410:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खुत्बा पढ़ते तो आप की आँखें लाल हो जातीं, आवाज़ ऊँची हो जाती और ग़ज़ब व गुस्सा बढ़ जाता, ऐसा मालूम होता कि आप ऐसे लश्कर से आगाह कर रहे हैं जो सुब्ह-शाम के अन्दर आक्रमण करने ही वाला है। और (खुत्बे के दौरान) फ़रमातेः मैं और क़ियामत एक साथ इस प्रकार भेजा गया हूँ, फिर अपनी शहादत (अनामिका) की उंगली और बीच वाली उंगली मिला कर फ़रमाते (कि यूँ) और यह फ़रमातेः

अम्मा बाद! फ़इन्न ख़ै-रल् हदीसि किताबुल्लाहि वख़ै-रल् हद्यि हुदा मु-हम्मदिन् व-शर्रल् उमूरि मुह्-दसातुहा वकुल्लु बिद्-अ़तिन् ज़ला-लतुन्

(हम्द सलात के बाद, यह बात अच्छी तरह जान लो कि हर बात से अच्छी बात अल्लाह की पुस्तक है, और हर चाल से अच्छी चाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की चाल है, सब कामों में बुरे काम वह हैं जो दीन इस्लाम में नये ईजाद किये गये हों, और हर नया काम गुमराही है)

फिर फ़रमातेः मैं हर मोमिन का उस की जान से भी अधिक दोस्त हूँ, तो जो देहान्त कर अपने पीछे माल छोड़ जाये वह उस के वारिसों का हक़ है (मुझे उस में से तनिक भर नहीं चाहिये) लेकिन अगर क़र्ज़ और नन्हें-मुन्ने बच्चे छोड़ कर मरे तो उस का क़र्ज़ अदा करना मेरे ज़िम्मा है और उस के बाल-बच्चों की शिक्षा-प्रशिक्षण का में ज़िम्मेदार हूँ (अल्लाहुम्म सल्लि अ़ला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम)

फ़ाइदाः– यह हदीस नसई और इब्ने माजा ने भी रिवायत किया है। इस से कई मस्अले मालूम हुये (1) खुत्बा गरजदार स्वर में देना चाहिये ताकि सुनने वालों के दिल दहल जायें और आगे की बात सुनने पर आमादा हो जायें (2) हर खुत्बे केअन्त में "अम्मा बाद"

अवश्य कहना चाहिये, इस का अर्थ है "अल्लाह की तारीफ़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर दरूद-सलाम के बाद" (3) बुरे कामों विशेषकर दीन में शामिल की गयी बिद्अ़तों से आगाह करना चाहिये, क्योंकि दीन इस्लाम की तबाही-बर्बादी की जड़-बुनियाद बिद्अ़त है। आजकल के धर्मगुरू लोगों ने "दे" का पाठ पढ़ा है, लेकिन कुर्बान जाइये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर कि आप ने "ले" का पाठ पढ़ाया। तर्का और मीरास मुझे मत दें, उल्टा बाल-बच्चों का ख़र्चा मुझ से लें। सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम।

बाब {ख़ुत्बा संक्षिप्त होना चाहिये।

411:- अबू वाइल रज़ि॰ ने बयान किया कि एक मर्तबा अ़म्मार बिन यासिर रज़ि॰ ने निहायत संक्षिप्त मगर ठोस और संपूर्ण खुत्बा दिया, फिर मिंबर से नीचे उतर आये। हम ने उन से कहाः ऐ अबू यक़ज़ान (यानी अ़म्मार) आप ने खुत्बा तो बहुत ठोस और गंभीर दिया मगर बहुत संक्षिप्त था, ज़रा और लंबा होता तो अच्छा था। इस पर अ़म्मार बिन यासिर रज़ि॰ ने कहाः मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि नमाज़ को लंबी करना और खुत्बा को संक्षिप्त (मुख़्तसर) देना यह बुद्विमानी की पहचान है, इसलिये तुम लोग भी नमाज़ों को लंबी पढ़ना और खुत्बा को संक्षिप्त में देना, कुछ संबोधन (बयान, खुत्बा) में जादू का सा प्रभाव होता है।

फ़ाइदा:- मालूम हुआ कि खुत्बा निहायत संक्षिप्त और किसी एक विषय पर होना चाहिये। क़व्वालों और भाँडों की तरह मिंबर पर हाथ चमका-चमका कर नाटक करना, झूठी और मनघड़त कहानियाँ सुनाना, मनघढ़त बनाये हुये खुत्बे पढ़ना, कवियों के दोहे अलापना, यह सब सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। हाथ चमका कर और सर मटका कर खुत्बा देना तो बहुत ही बुरा है। एक सहाबी ने मदीना के गर्वनर मर्वान के पुत्र को मिंबर पर दोनों हाथ उठाये देखा तो कहने लगेः अल्लाह इस के दोनों हाथों को बर्बाद कर दे, मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को केवल शहादत की उंगली से इशारा करते देखा है। (मुस्लिम-किताबुल् जुमा+आगे आ रही हदीस न॰ 414)

बाब {ख़ुत्बा में जिस चीज़ को छोड़ना जाइज़ नहीं।}

412:- अ़दी बिन हातिम रज़ि॰ ने बयान किया कि एक व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने खुत्बा पढ़ते हुये यूँ कहाः

मय्युति अिल्ला-ह व-रसू-लहू फ़-क़द् र-श-द, व-मन् यासिहिमा फ़-क़द् ग़वा

(जिस ने अल्लाह और उस के संदेष्टा की आज्ञा पालन की उस ने सीधी राह पा ली, और जिस ने उन दोनों की अवज्ञा की तो वह गुमराह हो गया)

यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः खुत्बा देने वाला बहुत बुरा व्यक्ति है, तू इस पर कहः

व-मन् यासिल्ला-ह व-रसू-लहू फ-क़द् ग़वा
(जिस ने अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा की वह गुमराह हो गया)

फ़ाइदाः— 'यासीहिमा' में "हिमा" सर्वनाम है जिस में अल्लाह और रसूल दोनों मुराद हैं, इस प्रकार रसूल को अल्लाह के बराबर कर दिया और दोनों को एक कर दिया। ऐसे मौक़े पर दोनों का नाम होना चाहिये ताकि ख़ालिक़-मख़्लूक़ अलग-अलग होजायें और कोई यह न समझे कि सर्वनाम में दोनों एक हैं तो दोनों का दर्जा और मर्तबा भी एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस मौक़े पर ज़र्बदस्त तौहीद की शिक्षा दी है। इस विषय में उलमा को विशेष रूप से तवज्जोह देने की आवश्यक्ता है।

बाब {मिंबर पर खुत्बा में कुरआन पाक पढ़ना दुरूस्त है।}

413:— हारिसा बिन नोमान की पुत्री उम्मे हिशाम ने बयान किया कि दो वर्ष, अथवा एक वर्ष और कुछ माह तक हमारा और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का तन्नूर (चूल्हा) एक ही था, इस मौक़े पर मैं ने सूरः "क़ाफ़" को आप की ज़बान मुबारक से सुन कर याद किया, आप जब लोगों को मिंबर पर खुत्बा देते तो हर जुम्अः को इसे ज़रूर पढ़ते थे।

फ़ाइदाः— सूरः क़ाफ़ ऐसी सूरत है जिस में तौहीद, रिसालत, आख़िरत, जन्नत, जहन्नम, पैदाइश, मौत, फ़रिश्तों, तक़्दीर और रसूलों आदि का ज़िक्र है, इसे पढ़ने से सारी चीज़ों की याद ताज़ा हो जाती है। उलमा ने इस विषय पर बहुत कुछ लिखा है, तफ़सील बयान करने का मौक़ा नहीं। चूल्हा एक था का अर्थ है कि मैं आप से बहुत निकट रही। यह अर्थ नहीं किक खाना एक में पकता था।

बाब {खुत्बा में उंगली से इशारा करना चाहिये।}

414:— हुसैन ने बयान किया कि एक मर्तबा उमारा बिन रूबैबा ने (मदीना के गवर्नर) मर्वान के बेटे बिश्र को देखा कि वह अपने दोनों हाथ (खुत्बा के दौरान इशारा के लिये) उठाए हुये है। यह देख कर उन्होंने कहाः अल्लाह उन दोनों हाथों को बर्बाद कर दे, मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को केवल शहादत की उंगली से इशारा करते देखा, फिर अपनी शहादत की उंगली से इशारा किया।

फ़ाइदाः— यह रिवायत अबू दावूद ने भी नक़ल की है (अबू दावूद-बाबु रफ़इल यदैनि अ-लल् मिंबर) मालूम हुआ कि हाथ उठाना बिद्अ़त है, केवल उँगली से इशारा करना चाहिये। हाँ, दुआ़ के लिये खुत्बा की हालत में हाथ उठाना और फैलाना दुरूस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक सहाबी के अनुरोध पर खुत्बा ही की हालत में खड़े-खड़े वर्षा के लिये हाथ उठा कर और फैला कर दुआ़ की थी (बुख़ारी-932, 933, 1013) चुनान्चे इमाम बुख़ारी ने बाब बाँधा है "खुत्बा की हालत में दोनों हाथों को उठा

कर दुआ माँगना दुरूस्त है।" जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अबू बक्र को नमाज़ में खड़े रहने का हक्म दिया तो उन्होंने नमाज़ ही की हालत में हाथ उठा कर दुआ की (बुख़ारी-684-किताबुल अज़ान) जब नमाज़ की हालत में जाइज़ है तो मिंबर पर हाथ उठा कर दुआ करने में क्या शुब्हा।

बाब {अल्लाह तआला ने सूरः जुमु-अः में फ़रमायाः "यह लोग जब खेल-तमाशा और तिजारत को देखते हैं तो उस की ओर दोड़ पड़ते हैं और आप को तन्हा (मिंबर पर) छोड़ देते हैं}

415:- जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुम्अः के दिन (मिंबर पर) खड़े होकर ख़ुत्बा दे रहे थे कि मुल्क शाम से एक तिजारती क़ाफ़िला ग़ल्ला लेकर आया, उसे देख कर सहाबा (ख़रीदने के लिये) उस की ओर भागे, औरं केवल बारह सहाबा ही आप के पास बैठे रहे, इस पर यह आयत नाज़िल हुयीः "यह लोग जब तिजारत का सामान अथवा खेल-तमाशा की चीज़ देखते हैं तो उस की और दौड़ पड़ते हैं और आप को तन्हा छोड़ देते हैं। आप इन से कह दें कि अल्लाह के पास जो कुछ है वह तिजारत के सामान और खेल-तमाशा से बेहतर है। और अल्लाह पाक बेहतरीन रोज़ी देने वाला है।" (सूरः जुम्अः 11)

फ़ाइदाः- इमाम बुख़ारी रह॰ ने यह बाब बाँधा है "अगर जुम्अः की नमाज़ में कुछ लोग इमाम को छोड़ कर चले जायें तो इमाम और बाक़ी बचे नमाज़ियों की नमाज़ सहीह हो जायेगी" मालूम हुआ कि लोगों के चले जाने के बाद भी इतनी संख्या में लोग रह जायें जिसे जमाअ़त कहा जाता है तो जमाअ़त से नमाज़ होजायेगी, उन के चले जाने से जमाअ़त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह मालवाहकं क़ाफ़िला दह्या कलबी रज़ि॰ का था जो खाने-पीने का सामान शाम से मदीना लाया था। उस समय मदीना में सख़्त अकाल था, खाने-पीने के सामान की तंगी थी, इसलिये लोग सब्र न कर सके थे। तफ़सील के लिये कुरआन में देखें इस आयत की तफ़सीर।

बाब {जुम्अः की नमाज़ में कौन सी सूरत पढ़ी जाये?}

416:- नोमांन बिन बशीर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुम्अः और अ़ीद की नमाज़ में सूरः "आला" और सूरः "ग़ाशियह" पढ़ा करते थे। और अगर जुम्अः और अ़ीद एक ही दिन पड़तीं तब भी इन्हीं दोनों सूरतों को ही पढ़ते थे।

फ़ाइदाः- मुस्लिम ही की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दोनों अ़ीदों में सूरः "क़ाफ़" और सूरः "क़मर" पढ़ते थे (मुस्लिम-सलातुल अ़ीदैन) एक रिवायत में है कि आप ने जुम्अः की नमाज़ में सूरः "जुम्अ़" और सूर "मुनाफ़िकून" पढ़ी है (मुस्लिम-किताबुल् जुम्-अ़ति) मालूम हुआ कि आप कभी यह दोनों सूरतें और कभी वह

दोनों सूरतें पढ़ते थे। इमाम को चाहिये कि नमाज़ में इन्हीं चारों सूरतों में से दो की क़िरात करे कि सुन्नत से साबित है। लेकिन अगर यह सूरतें नहीं याद हैं तो कोई दूसरी सूर: भी क़िरात कर सकता है, इस से नमाज़ में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है "नमाज़ में उन आयतों की तिलावत करो जो तुम्हें याद हों।"

बाब {ख़ुत्बा के दौरान किसी को दीन की बातें बताना दुरुस्त है।}

417:– अबू रिफ़ाआ रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा मैं आप के पास उस समय हाज़िर हुआ जबकि आप ख़ुत्बा दे रहे थे। मैं ने उसी हालत में आप से अनुरोध किया: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! एक अपरिचित व्यक्ति (मुसाफ़िर) दीन के बारे में कुछ जानना चाहता है। वह अपने दीन के बारे में कुछ नहीं जानता है। चुनान्चे आप ने मुझे देखा और ख़ुत्बा छोड़ कर मेरे पास आ गये, फिर (आप के बैठने के लिये) एक कुर्सी लाई गयी, मेरे ख़याल से जिस के पाये लोहे के थे, चुनान्चे आप उस पर बैठ गये और अल्लाह पाक ने आप को जो कुछ सिखाया था उस की मुझे शिक्षा देने लगे। फिर आप ने वापस जा कर ख़ुत्बा मुकम्मल किया।

फ़ाइदा:– मालूम होता है कि आप मिंबर के अ़लावा कहीं मज्लिस में ख़ुत्बा दे रहे थे। अगर मिंबर पर ही दे रहे थे तो वहाँ से नीचे उतर आने में कोई हरज नहीं, क्योंकि ख़ुत्बा की हैसियत नमाज़ की नहीं है। आप मिंबर से उतर कर ज़मीन पर सज्दा कर सकते हैं (हदीस न॰408) तो मिंबर से उतर कर मस्अ़ला बता कर दोबारा ख़ुत्बा देने में कोई हरज नहीं। नीचे की हदीस देखें उस में आप ने ख़ुत्बा की हालत में सवाल-जवाब किया है। ख़ुत्बा की हालत ही में एक दीहाती ने आप से पानी के लिये दुआ की प्रार्थना की (बुख़ारी-933) मतलब यह है कि ज़रूरत पड़ने पर मिंबर से उतरना और बात-चीत कर के फिर मिंबर पर जा कर ख़ुत्बा मुकम्मल करना, ख़ुत्बा की हालत में बात-चीत करना जाइज़ है।

बाब {जुम्अ: के दोनों ख़ुत्बों के दर्मियान बैठना चाहिये।}

418:– जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खड़े होकर ख़ुत्बा देते, फिर बैठ जाते, फिर खड़े होकर ख़ुत्बा देने लग जाते। जिस ने तुम से कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बैठ कर ख़ुत्बा देते थे, अल्लाह की क़सम! उस ने झूठ कहा, मैं ने आप के साथ दो हज़ार से अधिक नमाज़ें पढ़ी हैं।

फ़ाइदा:– मालूम हुआ कि ख़ुत्बा खड़े होकर पढ़ना चाहिये, बिना किसी मजबूरी के बैठ कर ख़ुत्बा देना जाइज़ नहीं। इब्ने उमर रज़ि॰ नेरिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुम्अ: के दिन खड़े होकर ख़ुत्बा देते थे, बैठ जाते जिस प्रकार आजकल

तुम लोग करते हो (मुस्लिम-किताबुल जुमा+बुख़ारी-928)

यह भी मालूम हुआ कि दो खुत्बों के दर्मियान थोड़ी देर के लिये बैठना चाहिये। यह भी मालूम हुआ कि जुम्अः में दो खुत्बा होना चाहिये। इमाम शफ़ई के नज़दीक बीच में बैठना फ़र्ज़ है। हसन बसरी रह॰ का कहना है कि बिला खुत्बा के भी जुम्अः की नमाज़ दुरूस्त है। लेकिन यह क़ौल दुरूस्त नहीं, बिना किसी मजबूरी के खुत्बा न देना और केवल दो रक्अत जुम्अः की पढ़ लेना दुरूस्त नहीं, क्योंकि खुत्बा न देने की वजह से दो रक्अत कम करने का मक़सद ही फ़ौत हो जाता है। वह तो ऐसा हुआ जैसे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेना।

बाब {नमाज़ हल्की पढ़ाना और खुत्बा हल्का देना चाहिये।}

419:- जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी है, आप की नमाज़ और खुत्बा बीच का होता था (न बहुत लंबा, न बहुत छोटा)

बाब {जुम्अ के दिन जब कोई मस्जिद मे आये और इमाम खुत्बा दे रहा हो, फिर भी दो रक्अत (तहिय्यतुल् मस्जिद की) पढ़ ले।}

420:- जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ ने बयान किया कि सुलैक ग़ितफ़ानी रज़ि॰ जुम्अः के दिन उस समय मस्जिद में दाख़िल हुये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे हुये थे, चुनान्चे सुलैक भी आ कर बैठ गये और नमाज़ नहीं पढ़ी। आप ने उन से पूछाः क्या आप ने दो रक्अ़त पढ़ ली? उन्होंने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः उठ कर उन्हें पढ़ो।

फ़ाइदाः- एक हदीस में है कि आप मिंबर पर बैठ हुये थे, लेकिन बुख़ारी में है "वन्नबिय्यु यख़तुबु (आप खुत्बा दे रहे थे) (हदीस न॰ 931) र्तिमिज़ी ने भी यह रिवायत नक़ल की है (बाबुल फ़िर्रकातैन..........) हनफ़ी लोगों का कहना है कि अभी आप ने खत्बा शुरू नहीं किया था। आप बुख़ारी की रिवायत देखें, साफ़ मौजूद है कि आप खुत्बा दे रहे थे। र्तिमिज़ी की रिवायत में है कि मर्वान (मदीना का गवर्नर) खुत्बा दे रहा था, इसी बीच अबू सओद खुदरी रज़ि॰ आ कर दो रक्अ़त तहिय्यतुल् मस्जिद पढ़ने लगे, पोलिस वालों ने रोका तो उन्होनें ने कहाः मैं ने स्वँय अपनी आँखों से देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खुत्बा दे रहे थे कि इतने में एक व्यक्ति आया तो आप ने उसे उसी हालत में दो रक्अ़त पढ़ने का हुक्म दिया और आप खुत्बा दे रहे थे (तिर्मिज़ी) तबरानी में जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि आप ने नोमान बिन नौफ़ल को भी खुत्बा ही की हालत में दो रक्अ़त पढ़ने का आदेश दिया था (तोहफ़तुल् अहवज़ी, भाग 2/तबरानी) अन्त में शाह वलिय्युल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह॰ का फ़तवा सुन लें "जब कोई खुत्बा की हालत में आये तो दो रक्अ़त हल्की पढ़ ले। और जो शोर मचाते हैं, लोगों को पढ़ने

से रोकते हैं, उन के धोके में बिल्कुल न आना, क्योंकि इस बारे में सहीह हदीसें मौजूद हैं" (हुज्जतुल्लाहिल् बालिग़ा, भाग 2) आप अनुमान लगा सकते हैं कि हनफ़ी उलमा का मना करना हदीस की मुख़ालिफ़त करना है और यह उन के हक़ में बुरा है। इस दो रक्अ़त तहिय्यतुल् मस्जिद की इतनी अहमिय्यत है कि जब भी मस्जिद में दाख़िल हों और जिस समय भी दाख़िल हों, इसे ज़रूर पढ़े, चुनान्चे अगर मक्रूह औक़ात (समय) में दाख़िल हो तो उस समय भी पढ़े, क्योंकि यह सबबी नमाज़ है। सऊदी अ़रब के मुफ़ती शैख़ इब्ने बाज़ रह० का भी यही फ़तवा है (देखें फ़तावा, उर्दू एडिशन)

बाब {ख़ुत्बा के दौरान दूसरे को चुप कराना दुरूस्त नहीं।}

421:– अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम जुम्अः के दिन ख़ुत्बा की हालत में अपने साथी से कहो "चुप रहो" तो तुम ने भी ग़लत बात कही।

फ़ाइदाः– क्योंकि एक व्यक्ति बोल ही रहा था तुम भी बोलने लगे। तो बजाए चुप करने के तुम भी बोलने में शामिल हो गये। अगर किसी को चुप कराना ही है तो इशारे से कर सकता है। कुछ उलमा का कहना है कि अगर इमाम से दूर हो और ख़ुत्बा की आवाज़ न आ रही हो तो इस हालत में बात कर सकता है, लेकिन यह फ़तवा भी लग़व, अनर्थ और वाहियात है, जैसे उस का ख़ुत्बा की हालत में बोलना। लेकिन अगर ख़ुत्बा के दौरान इमाम अपने सामने वालों से कोई बात पूछे तो उस का उत्तर दे सकता है। बहुत अहम काम के मौक़ा पर इमाम को याद दहानी करा सकता है, जैसे सहाबी ने ख़ुत्बा की हालत ही में वर्षा की दुआ़ के लिये कहा था। या आप ने किसी सहाबा से पूछा थाः क्या दो रक्अ़त (तहिय्यतुल् मस्जिद) पढ़ ली? तो उन्होंने कहाः नहीं।

बाब {ख़ुत्बा कान लगा कर (ग़ौर से) सुने और चुप–चाप रहे।}

422:– अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो स्नान कर के मस्जिद में आये और जितना भाग्य में लिखा है (नफ़्ली) नमाज़ें पढ़ें, और इमाम के ख़ुत्बा देने तक चुप-चाप रहे, फिर इमाम के साथ नमाज़ पढ़े तो उस के इस जुम्अ़ः से लेकर बीते जुम्अ़ः तक के अ़लावा तीन दिन और अधिक (यानी 11 दिन) के गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।

बाब {जुम्अ़ः की नमाज़ के पश्चात् मस्जिद ही में सुन्नत पढ़ने का बयान।}

423:– अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब जुम्अ़ः की नमाज़ पढ़ लो तो (उस के बाद) चार रक्अ़तें और भी (सुन्नत की) पढ़ लो। एक दूसरी रिवायत में है कि अगर जल्दी हो तो मस्जिद में दो रक्अ़त पढ़ लो और बाक़ी दो रक्अ़त घर जा कर पढ़ लो।

फ़ाइदा:– बुख़ारी शरीफ़ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ज़ुह् से पहले दो और बाद में दो, मग़्रिब के बाद दो घर में और अ़िशा के बाद दो रक्अ़तें (सुन्नत की) पढ़ते थे। इसी प्रकार जुम्अ़ः के बाद की दो सुन्नतें वापस घर लौट कर पढ़ते थे। (हदीस न॰ 937–किताबुल जुमा, 1165, 1172, 1180) चूंकि ज़ुह् के स्थान पर जुमा है इसलिये जो सुन्नतें ज़ुह् से पहले और बाद में हैं वही जुम्अ़ः से भी पहले और बाद में हैं। बुख़ारी की हदीसों में जुमा के बाद केवल दो रक्अ़त का ज़िक्र है जैसा कि ऊपर हवाला की हदीसों में है, और मुस्लिम की हदीस में चार का भी ज़िक्र है। मालूम हुआ कि आप ने चार भी पढ़ी है और दो भी। मस्जिद में भी पढ़ी है, और घर वापस लौट कर भी। मालूम हुआ कि दो तो पढ़ना ही है, लेकिन चार पढ़ लेना और अफ़्ज़ल है। कुछ उलमा का कहना है कि मस्जिद में पढ़े तो चार, और घर जा कर पढ़े तो दो रक्अ़त ही काफ़ी है।

बाब {जुम्अ़ः की नमाज़ के बाद की सुन्नत घर जा कर पढ़ने का बयान।}

424:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं जुम्अ़ः की नमाज़ के बाद की सुन्नतें घर लौट कर दो रक्अ़त पढ़ता था, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी इसी प्रकार करते थे।

फ़ाइदा:– बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत में है कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ ज़ुह् से पहले दो रक्अ़त, ज़ुह् के बाद दो रक्अ़त और जुम्अ़ः के बाद दो रक्अ़त और मग़्रिब के बाद दो रक्अ़त और इशा के बाद दो रक्अ़त (सुन्नत की) पढ़ी है। (बुख़ारी–937, 1165, 1172) मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जुम्अ़ः के बाद की सुन्नत घर में दो रक्अ़त पढ़ी है। ऊपर मुस्लिम की रिवायत में जो चार का हुक्म है वह कभी–कभार का है और मस्जिद में पढ़ने का है। शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया और अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम रह॰ का भी कहना है कि अगर घर जा कर पढ़े तो दो रक्अ़त पढ़े, और मस्जिद में पढ़े तो चार रक्अ़त। लेकिन "तख़रीज सलातुर्रसलू" के संपादक ने इस से इन्कार किया है कि उमर रज़ि॰ बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दो रक्अ़त पढ़ते थे, और अबू हुरैरा रज़ि॰ कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चार रक्अ़त पढ़ने का हुक्म दिया है। ज़ाहिर है दोनों में ज़मीन–आसमान का फ़र्क़ है। आप के अ़मल को न देख कर आप के हुक्म पर अ़मल किया जायेगा। संपादक लिखते हैं कि जुम्अ़ः के बाद की घर में या मस्जिद में चार रक्अ़त ही पढ़नी अफ़्ज़ल है। लेकिन ऊपर की हदीस में जैसा कि हम ने बयान किया इमाम बुख़ारी ज़ुह् से पहले और बाद की सुन्नतों को जुम्अ़ः के साथ जोड़ते हैं, इसलिये उन के नज़दीक दो ही हैं। लेकिन संपादक "तख़रीज" के दावा में दम है। तफ़सील के लिये देखें "तख़रीज़ सलातुर्रसूल" उर्दू एड़िशन, जुम्अ़ः का बयान।

बाब {जुम्अ़: के बाद बिना बात–चीत कर लिये, या बिना मस्जिद से निकले सुन्नतें न पढ़ें।}

425:– उमर बिन अ़ता ने बयान किया कि नाफ़े बिन जुबैर ने मुझे साइब रज़ि॰ के पास इस उद्देश्य से भेजा कि मैं उन से नमाज़ के बारे में वह मस्अला मालूम करूँजो अमीर मुआ़विया रज़ि॰ ने उन्हें बताया था (चुनान्चे जब मैं उन के पास गया और मालूम किया) तो उन्होंने बताया कि एक मर्तबा मैं ने अमीर मुआ़विया रज़ि॰ के साथ मक़सूरा के स्थान पर जुम्अ़: की नमाज़ पढ़ी, फिर जब इमाम ने सलाम फेरा (तो मैं ने भी सलाम फेरा) और तुरन्त ही उसी स्थान पर खड़े होकर सुनना पढ़ने लगा। चुनान्चे जब वह अन्दर गये तो मुझे बुला कर कहने लगे, जिस प्रकार आज तुम ने सन्नत पढ़ी है, इस प्रकार फिर कभी न पढ़ना, यानी जुम्अ़: की नमाज़ के बाद किसी से बात–चीत कर लेना, या उस स्थान से हट जाना (फिर सुन्नतें पढ़ना) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें इसी प्रकार सुन्नत पढ़ने का आदेश दिया है।

फ़ाइदा:– जहाँ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी है उस स्थान से हट कर, या आगे–पीछे होकर सुन्नत पढ़ने से एक फ़ाइदा तो यह है कि लोग समझ जायेंगे कि नमाज़ी (फ़र्ज नहीं बल्कि) सुन्नत पढ़ रहा है, दूसरा फ़ाइदा यह है कि सज्दा करने का स्थान बदल जायगा और यह दूसरा स्थान भी क़ियामत के दिन सज्दा की गवाही देगा। अगर जगह न छोड़ना चाहे और फ़र्ज़ के स्थान से हटने का मौक़ा भी न हो तो बात–चीत ही कर ले। इस के बाद सुन्नत पढ़ेगा तो लोग समझ जायेंगे कि फ़र्ज़ नहीं सुन्नत पढ़ रहा है। इब्ने उमर रज़ि॰ ने एक आदमी को देखा कि उसी स्थान पर खड़े होकर नफ़ल पढ़ रहा है, जहाँ जुम्अ़: की नमाज़ पढ़ी थी, तो उस को एक धक्का दिया और कहा: क्या तुम जुम्अ़: की नमाज़ चार रक्अ़त पढ़ रहे हो? (अबू दावूद, बैहक़ी) इसलिये मस्जिद से निकल कर घर में सुन्नत पढ़ना सब से अफ़ज़ल है।

बाब {जुम्अ़: को छोड़ने (न पढ़ने) पर सख़्त सज़ा की धमकी।}

426:– हकम बिन मीना ने बयान किया कि मुझ से अ़ब्दुल्लाह बिन उमर और अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मिंबर पर खुत्बा देते हुये फ़रमाया: लोग जुम्अ़: की नमाज़ तर्क करनेकी अपनी आदतों से बाज़ आ जायें, वर्ना अल्लाह तआ़ला उन के दिलों पर मोहर लगा देगा और वह लार्परवाह लोगों में से हो जायेंगे।

फ़ाइदा:– जुम्अ़: का अध्याय समाप्त हुआ। इस में आप को जुम्अ़: से संबन्धित बहुत सारे मस्अले मालूम हुये। फिर भी बहुत से गंभीर मस्अले बयान होने से रह गये हैं, जिन्हें संक्षिप्त में नीचे बयान कर देना उचित है (1) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मिंबर पर खुत्बा देते उस समय आप के हाथ में कमान या लक्ड़ी की छड़ी होती थी (अबू दावूद–1096) (2) जिसे जुम्अ़: की एक रक्अ़त मिली (तो उसे जुम्अ़: की नमाज़

मिल गयी) वह केवल छूटी हुयी एक रक्अ़त पढ़ ले। लेकिनअगर अन्तिम तशह्हुद में पहुँचा और इमाम के साथ उसे केवल तशह्हुद मिला, तो इमाम के सलाम फेरने के बाद चार रक्अ़त पढ़े (क्योंकि उसे जुम्अः नहीं मिला) (देखें-इरवाउल ग़लील 3188, दारूकुतनी, तिर्मिज़ी) (3) मस्जिदों में इमाम के मिंबर पर बैठने वाली अज़ान से भी पहले एक अज़ान दी जाती है, इस अज़ान का आदेश उस्मान ग़नी रज़ि॰ ने अपने ख़िलाफ़त के शासन काल में दिया था। जब मदीना की जनसंख्या बढ़ गयी, लोगों के कारोबार बढ़ गये, आबादी फैल गयी तो मस्जिद से बाहर "ज़ोरा" नामक स्थान पर जहाँ बाज़ार लगता था यह अज़ान दी जाती थी। इस अज़ान का हुक्म उन्होंने एक आवश्यक्ता की बुनियाद पर दिया था, जिसे सहाबा ने भी स्वीकार किया, इसलिये हम इसे बिदअ़त नहीं कह सकते। फिंर भी चूंकि आजकल अज़ान की आवाज़ दूर तक पहुँचाने के लिये लाउडस्पीकर हैं, मस्जिदों में नमाज़ की समय सारणी (Time Table) मौजूद हैं, लोगों के हाथों में घड़ियाँ मौजूद हैं, और बड़ी आसानी से समय पर स्वयँ मस्जिद में पहुँच यकते हैं, इसलिये सच्ची बात यह है कि इस अज़ान की बिल्कुल आवश्यक्ता नहीं है। यह सिलसिला बंद होना चाहिये। आश्चर्य की बात यह है कि उस्मान ग़नी रज़ि॰ अलग स्थान पर दिलवाते थे और आज लोगों ने मस्जिद ही के अन्दर इस अज़ान का सिलसिला शुरू कर रखा है जो दुरूस्त नहीं है, और न ही अब इस की आवश्यक्ता है। (4) बिला खुत्बा के जुम्अः की नमाज़ नहीं होती, इस का कोई सबूत नहीं है। बहरहाल खुत्बा, जुम्अः में दाख़िल नहीं है। लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, सहाबा, ताबअ़ीन आदि से यही साबित है कि उन्होंने हमेशा खुत्बा के साथ जुम्अः पढ़ा है, एक बार भी बिना खुत्बा के पढ़ने का सबूत नहीं। इससे मालूम हुआ कि बिना किसी अहम मजबूरी के बिना खुत्बा के केवल जुम्अः की नमाज़ पढ़ लेना ठीक नहीं। (5) खुत्बा का अर्थ है, नसीहत करना, समझाना, मस्अले बयान करना। इसलिये ज़रूरी है कि खुत्बा उस भाषा में दिया जाये जो सुनने वालों की समझ में आये और उस से लाभ पहुँचे। हिन्दुसतान में हनफ़ी लोग अ़रबी में खुत्बा देते हैं, इसे हम यही कह सकते हैं "देसी कौआ मराठी बोल" या "भैंस के आगे बेन बजायें, भैंस खड़ी पगुराए" हदीस की रोशनी में तो जाने दें, मामूली बुद्वि रखने वाला जाहिल, गवाँर और अनपढ़ भी इसे ग़लत कहेगा। (6) यही हाल दीहात में जुम्अः पढ़ने का भी है। हनीफ़ उलमा हज़रत अ़ली रज़ि॰ के क़ौल को सबूत में पेश करते हैं। लेकिन अव्वल तो उन का क़ौल ज़अ़ीफ़ है। दूसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हदीस के सामने उन के क़ौल की कोई हैसिय्यत नहीं। तफ़सील का यहाँ मौक़ा नहीं।

आज 21 दिसंबर 2004, मंगलवार की सुब्ह 8 बजे अद्दारूस्लफ़िय्या, भाई कल्ला मुंबई में इस अध्याय का तर्जुमा और संक्षिप्त तशरीह संपन्न हुयी+ अल्-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आ़-लमीन् व-सल्लल्लाहु अ़-लन्बी- ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी (21.12.04)

किताबुल अ़ीदैनि
(अ़ीदुल अज़हा–अ़ीदुल फ़ित्र के मसाइल का बयान)

नोटः– 'अ़ीद' का अर्थ है "लौटना"। चूंकि यह दोनों दिन हर वर्ष लौट कर आते हैं इसलिये इन का नाम "अ़ीद" पड़ा। यह नमाज़ फ़र्ज़ है या सुन्नत? इस में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। शैख़ुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह मुबारक पुरी रह॰ फ़रमाते हैंः "मेरे नज़दीक इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ के मज़हब को तर्जीह हासिल है। उन के नज़दीक बड़े-बूढ़ों और जवानों पर वाजिब है।" इस की दलील अल्लाह पाक का आदेश है "अपने रब के लिये नमाज़ पढ़ और क़ुर्बानी कर" (सूरः कौसर) यहाँ अल्लाह पाक ने आदेश दिया है। वाजिब होने की दूसरी दलील यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इन दोनों नमाज़ों को हमेशा पढ़ा है और अल्लाह पाक की निशानियों में से दो निशानी हैं।" (मिरआतुल् मफ़ातीह, भाग 3) इमाम अहमद बिन हंबल केनज़दीक फ़र्ज़ है, इमाम मालिक, इमाम शाफ़अ़ी के नज़दीक "सन्नते-मो-अक्कदा" है। इस का आरंभ सन एक या दो हिज्री से हुआ, फिर आप ने देहान्त तक पाबन्दी से पढ़ी और लोगों को पढ़ने की ताकीद फ़रमायी। अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मक्का से हिजरत कर के मदीना पहुँचे तो मालूम हुआ कि यहाँ के लोगों ने वर्ष में दो दिन ,खेल-कूद के लिये सुनिश्चित कर रखे हैं........ तो आप ने फ़रमायाः अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिये उन दोनों दिनों को उन से बेहतर दिनों से बदल दिया है। एक का नाम "अ़ीदुल् फ़ित्र" और दूसरे का नाम "अ़ीदुल् अज़हा" है। (अबू दावूद-किताबुल अ़ीदैन) चुनान्चे अ़ीद के दिन सहाबा भी खुशियाँमनाते थे, हब्शी लोग कर्तब दिखाते थे। (बुख़ारी-950-बाबुल् हिराब) छोटी-छोटी बालिकाएँ और बालाएँ दीनी गीत-गाने गाती थीं (बुख़ारी-945)

बाब {अ़ीदैन की नमाज़ में अज़ान और इक़ामत नहीं है।}

427:– जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ कई मर्तबा अ़ीद की नमाज़ पढ़ी है, लेकिन बिला अज़ान और इक़ामत के पढ़ी है।

फ़ाइदा:- यह हदीस बुख़ारी शरीफ़ में इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है (हदीसे 957) जाबिर रज़ि॰ और इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि अज़ान नहीं कही जाती थी (बुख़री, मुस्लिम) यह हदीस अबू दावूद, तिर्मिज़ी, अहमद में भी है। इस मस्अले में किसी इमाम का इख़्तिलाफ़ नहीं।

बाब {ओ़दैन की नमाज़ खुत्बा से पहले पढ़ी जायेगी।}

428:- इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ओ़द की नमाज़ पढ़ने के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, अबू बक्र, उमर और उस्मान ग़नी रज़ि॰ आदि सब के साथ गया हूँ, उन सब का ही यह नियम था कि नमाज़ खुत्बा से पूर्व पढ़ते और बाद में खुत्बा देते थे। उन्होंने बयान किया कि वह मन्ज़र (दृष्य, नज़ारा) आज भी मेरी आँखों में है जब आप ख़ुत्बा दे कर फ़ारिग़ हुये तो लोगों को हाथ के इशारे से बैठे रहने का हुक्म दिया, फिर सफ़ों को चीरते हुये महिलाओं की सफ़ों के पास गये, उस समय आप के साथ बिलाल रज़ि॰ भी थे, फिर आप ने (पार:28, सूर: मुम्तहिना की दस्वीं) आयत तिलावत फ़रमायी, जब आप पूरी आयत पढ़ चुके तो पूछा: तुम लोगों ने इस बात का इक़रार किया? इतने में एक महिला बोलीं: हाँ, ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया (अफ़सोस) मालूम नहीं हो सका वह महिला कौन थीं। फिर आप ने उन्हें सदक़ा करने का हुक्म दिया तो महिलाओं ने देना आरंभ कर दिया। बिलाल रज़ि॰ ने भी अपनी चादर फैला दी और कहने लगे: लाओ, लाओ, मेरे माता-पिता आप लोगों पर कुर्बान। चुनान्चे महिलायें अपने-अपने छल्ले और अगूँठियाँ उतार-उतार कर बिलाल रज़ि॰ के चादर में डालने लगीं।

फ़ाइदा:- इस मस्अले में सभी का इत्तिफ़ाक़ है कि खुत्बा नमाज़ के बाद देना चाहिये। लेकिन नमाज़ से पहले देने का सिलसिला मदीना के गवर्नर मर्वान ने आरंभ किया। अबू सओ़द खुदरी रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं और मर्वान हाथ में हाथ डाले हुये ओ़दगाह में आयें, वहाँ कसीर बिन सल्त ने ईटँ-गारे का मिंबर तय्यार कर रखा था। मर्वान मुझे मिंबर की तरफ़ खींचने लगा और मैं उसे नमाज़ के लिये खींचने लगा। मैं ने उस से कहा: नमाज़ से पहले खुत्बा देना कब से चालू हो गया? बहरहाल उस ने खुत्बा दिया (मुस्लिम-किताबुल ओ़दैन+बुख़री-956) मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के समय काल में मिंबर नहीं होता था, मर्वान ने खुत्बा के लिये मिंबर बनवाया। और नमाज़ से पहले यह कह कर खुत्बा दिया कि लोग नमाज़ के बाद नहीं बैठते हैं। अबू सओ़द खुदरी रज़ि॰ ने उस के साथ खुत्बा के बाद नमाज़ पढ़ी। मालूम हुआ कि इस प्रकार भी नमाज़ हो जायेगी, लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ करने के नाते इमाम गुनाहगार होगा। वह महिला जिन्होंने "हाँ" में उत्तर दिया था उन का नाम "अस्मा बिन्त यज़ीद" था, काफ़ी आयु की थीं, उन के गाल पिचके हुये थ, बड़ी बुद्विमान महिला थीं (मुस्लिम)

बाब {ई़दैन की नमाज़ में कौन–कौन सूरतें पढ़ी जायें?}

429:– उबैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने अबू वाकि़द लैसी रज़ि॰ से पूछाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दोनों ई़दों की नमाज़ में क्या पढ़ते थे? उन्होंने कहाः सूरः "क़ाफ़" और सूरः "क़मर" पढ़ते थे।

फ़ाइदा:– मुस्लिम, अबू दावूद, नसई, इब्ने माजा, आदि में है कि सूरः "आला" और सूरः "ग़ाशिया" पढ़ते थे। मालूम हुआ कि इन चारों सूरतों में से दो का पढ़ना सुन्नत है। समुरा बिन जुन्दुब से रिवायत है कि सूरः "आला" और "ग़ाशिया" पढ़ते थे (अहमद) ई़द की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा यह है कि तक्बीर तहरीमा के बाद सात तक्बीरें कहें (और हर तक्बीर में हाथ उठायें) फिर दुआए सना के बाद सूरः फ़ातिहा और कोई सूरः पढ़ें, फिर रूकूअ़–सज्दे के बाद दूसरी रक्अ़त में 5 तक्बीरें कहें, (हर तक्बीर में हाथ उठायें) फिर सूरः फ़ातिहा के बाद कोई सूरः पढ़ें। क़िरात बुलन्द आवाज़ से की जायेगी, हर तक्बीर पर रफ़ा यदैन करें और हाथ सीने पर बाँधे, बाक़ी नमाज़ और नमाज़ों की तरह पढ़ें। हर तक्बीर पर हाथ उठाना (रफ़ा यदैन करना) इस की दलील अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हर उस तक्बीर में हाथ उठाते जो रूकूअ़ में जाने से पहले कहते, यहाँ तक कि आप की नमाज़ मुकम्मल हो जाती (अबू दावूद–722, मुस्नद अहमद– 133, दारूकुत्नी 289)

बाब {ई़द से पहले और बाद में कोई (नफ़्ल और सुन्नत की) नमाज़ नहीं}

430:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दोनों ई़दों की नमाज़ पढ़ने के लिये मैदान में निकले फिर दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ी, न इस से पहले नमाज़ पढ़ी और न ही बाद में। फिर महिलाओं के पास गये, आप के साथ बिलाल रज़ि॰ भी थे। आप ने महिलाओं को सदक़ा करने का आदेश दिया तो कोई अपने छल्ले निकाल कर देने लगी और कोई गले का हार।

फ़ाइदा:– यह हदीस बुख़री, अबू दावूद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, दार्मी, बैहक़ी, इब्ने खुज़ैमा और अहमद में भी है। मालूम हुआ कि ई़द की नमाज़ से पहले या बाद में ई़दगाह में कोई और नमाज़ पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से साबित नहीं है। लेकिन ई़दगाह से लौट कर घर में दो रक्अ़त पढ़ना साबित है। चुनान्चे अबू सई़द खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ई़द की नमाज़ से पहले कोई नमाज़ न पढ़ते थे, (बैहक़ी–302/3, अहमद) हाफ़िज़ इब्ने हजर रह॰ ने भी तिर्मिज़ी के हवाले से लिखा है कि बहुत से सहाबा ई़द की नमाज़ से पहले और बाद में नफ़ली नमाज़ें पढ़ते थे (लेकिन ईदगाह में नहीं) इस तफ़सील से मालूम हुआ कि घर में पढ़ने की रूख़्सत है।

बाब {महिलायें भी ई़दगाह (नमाज़ पढ़ने के लिये) जायें।}

431:– उम्मे अ़तिय्या रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें आदेश दिया था कि अ़ीदुल-फ़ित्र और अ़ीदुल-अज़हा की नमाज़ के लिये हम कुमारी, घूघँट वाली (जवान) हैज़ वाली और पर्दा वाली महिलाओं को भी अ़ीदगाह ले जायें। जिन को हैज़ आता है वह नमाज़ न पढ़ें, अल्बत्ता नेक कामों और दुआ़ में मुसलमानों के साथ शामिल हो जायें। (उम्मे अ़तिय्या कहती हैं) इस पर मैं ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! हम में सभी महिलाओं के पास (शरीर ढकने के लिये) चादर नहीं होती है। आप ने फ़रमायाः उस की बहन उसे अपनी चादर में उढ़ा कर ले जाये।

फ़ाइदाः– इस हदीस को इमाम बुख़री रह॰ ने भी हदीस न॰ 324, 351, 971, 974 में+ अबू दावूद ने 1136, 1139 में, नसई ने 180, 181/3 में नक़ल किया हैं कि अनस रज़ि॰ की हदीस 18 सनदों से रिवायत है। इस से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह हदीस कितनी गंभीर है। इब्ने माजा की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़ीद के दिन अपनी पत्नियों और बेटियों को भी अ़ीदगाह ले जाया करते थे (इब्ने माजा)

इस के विपरीत आ़इशा रज़ि॰ ने फ़रमायाः "आज कल महिलाओं ने जो नए-नए काम करने आरंभ कर दिये हैं, अगर उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम देख लेते तो उन्हें मस्जिदों में जाने से मना कर देते, जैसा कि बनी इस्राईल की महिलाओं को मना कर दिया गया था" (तिर्मिज़ी) आ़इशा के इसी ख़याल को आधार (बुनियाद) बना कर हनफ़ी उलमा महिलाओं के अ़ीदगाह जाने को मन्सूख़ मानते हैं। लेकिन हनफ़ी उलमा का फ़तवा दुरूस्त नहीं। आ़इशा रज़ि॰ ने कोई हदीस नहीं बयान की है, उन्होंने अपना ख़याल बयान किया है, किसी के ख़याल से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़र्मान (आदेश) मन्सूख़ नहीं हो सकता। फिर दीन इस्लाम क़ियामत तक के लिये है, अगर ऐसी कोई बात होती तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम स्वँय ही फ़रमा देते "मेरे दुनिया से चले जाने के बाद अगर महिलायें इस प्रकार बनाव-सिंगार करने लगें तो वह अ़ीदगाह न जायेंगी"। फिर आ़इशा के क़ौल से यह साबित होता है कि इस प्रकार की महिलाओं से फ़ितना का डर है, लेकिन जो पर्दा के साथ अपने खान्दान वालों के साथ, भाई-बहनों और पतियों के साथ मिल कर जायें, उन्हें आ़इशा रज़ि॰ ने कहाँ मना किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जिन शर्तों के साथ मस्जिद में जाने की अनुमति दी है उन्ही शर्तों के साथ अीदगाह में शौक़ से जा सकती हैं।

हनफ़ी लोग ग़ौर करें, अपनी बहनों, बेटियों और पत्नियों को खुली छूट दे रखी है, वह अकेले बाज़ारों में जाती हैं, बसों और ट्रेनों में सफ़र करती हैं, शादी-विवाह के समारोहों में जाती हैं, कालेजों, स्कूलों, पाठ शालाओं में जाती हैं, मेलों-ठेलों औ मनोरंजन स्थलों में जाती हैं, सनीमा हालों और थेटरों में जाती हैं, लेकिन उन का ईमान ख़तरे में नहीं पड़ता है, लेकिन अगर अपने भाई-बहनों, माँ-बाप और दूसरे रिश्तेदारों के साथ मिल

कर ईदगाह में जाये तो उस का ईमान क्यों खतरे में पड़ जाता है?

महिलाओं ने भी रोज़ा रखा और कुर्बानी दी है, इस लिये मर्दों की तरह उन्हें भी हक़ है कि ईद गाह जा कर दोगाना पढ़ कर अल्लाह पाक से अपने रोज़ों और कुर्बानियों के सवाब की प्राप्ति के लिये प्रार्थना और दुआ करें और अपने रोज़ों का सवाब लेकर लौटें।

बाब {छोटी-छोटी बालिकाएँ (बच्चियाँ) ईद के दिन खुशी में क्या पढ़ें?}

432:- आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा (ईद क दिन) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे (पिता के) घर पधारे और बिछौना पर लेट गये, उस समय (अन्सार की) दो बालिकाएँ घर में बुग़ास की जन्ग के मौक़े के (बहादुरी के) गीत गा रही थीं। उस समय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुँह उन की तरफ़ से फेरे हुये थे। इसी दर्मियान (पिता जी) अबू बक्र सिद्दीक़ भी आ गये और मुझे डाँटने लगे कि यह शैतानी काम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हो रहा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बक्र की ओर देखा और फ़रमायाः इन्हें छोड़ दो (यानी गाने दो) फिर वह ग़ाफ़िल हो गये तो मैं ने चुपके से उन दोनों को इशारा किया और वह चली गयीं। वह दिन ईद का था और उस दिन सूडानी (हब्शी) अपने ढाल और नेज़ों के कर्तब दिखा रहे थे। मुझे यह याद नहीं कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्वँय कहा, या आप ने स्वँय फ़रमाया कि क्या तुम उन लोगों का खेल देखना चाहती हो? मैं ने कहाः हाँ। चुनान्चे आप ने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया और मैं ने अपना गाल आप के गाल पर रख लिया (और देखने लगी) आप फ़रमाते जाते थेः ऐ अरफ़िदा के ख़ान्दान वालो! खेलते जाओ, कर्तब दिखाते जाओ। यहाँ तक कि मैं देखते-देखते थक गयी तो आप ने पूछाः बस? मैं ने कहाः हाँ। आप ने फ़रमायाः तो फिर जाओ।

फ़ाइदाः- 'बुआस' एक क़िला का नाम था जिस पर क़बीला औस और ख़ज़रज ने 120 वर्ष तक जंग लड़ी थी, बाद में इस्लाम की बर्कत से दोनों क़बीला वाले ईमान ले आये और परस्पर सुलह-समझौता हो गया। इसी लड़ाई की रूदाद (कहानी) दोनों बालिकाएँ गा रही थीं। एक बालिका हस्सान बिन साबित की बेटी और दूसरी अब्दुल्लाह बिन सलाम की थी (फ़त्हुल बारी) बुख़री की रिवायत में है कि वह दफ़ बजा कर गा रही थीं। मालूम हुआ कि ईद (खुशी) के दिन इस प्रकार के गीत, इस आयु की बालिकाओं के गाने में कोई आपत्ति नहीं। ज़ाहिर है वह गाने किसी की प्रशंसा, वीरता और बड़ाई के रहें होंगे। यह भी मालूम हुआ कि खुशी के दिन बर्छी, भाले, नेज़े, बन्दूक, कुश्ती, कबड्डी आदि

खेलों से अपने फ़न का मुज़ाहरा (प्रदर्शन) करना, कर्तब दिखाना दुरूस्त है। यह भी मालूम हुआ कि अगर कोई महिला केवल खेल, देखने के उद्देश्य से देखे तो इस में भी कोई हरज की बात नहीं। पति की उपस्थिति में पिता अपनी पुत्री को अदब की शिक्षा देने हेतु डाँट-फटकार लगा सकता है।

नोटः- ईदैन का अध्याय समाप्त हुआ। इस संक्षिप्त मुस्लिम में ईदैन से संबन्धित समस्त मस्अले नहीं बयान हो सके, इसलिये उचित समझता हूँ कि उन्हें भी बयान कर दिया जाये (1) ईद के दिन स्नान कर के ईदगाह जाना चाहिये। (बैहक़ी 3/278, मुअत्ता इमाम मालिक 1/177) अल्लाह के रसूल ने जब छोटी ईद (जुम्अ़ः) के दिन स्नान का हुक्म दिया है, तो इस बड़ी ईद के मौक़ा पर प्रथम स्नान करना चाहिये। (2) नमाज़ के लिये निकलने से पूर्व सदक़-ए-फ़ित्र अदा करना चाहिये (बुख़री-1503, मुस्लिम-986) (3) अगर ईद जुम्अ़ः के दिन पड़े तो ईद की नमाज़ के बाद आप को इख़्तियार है, चाहे जुम्अ़ः पढ़े, चाहे जुह्र (इब्ने माजा-1310, अबू दावूद-1070, इब्ने खुज़ैमा-1464) (4) जिस राह से ईदगाह जायें, वापसी में रास्ता बदल दें (बुख़ारी-986) (5) ईद के दिन कुछ खजूर या मीठी चीज़ खा कर जायें (बुख़री-953) ईदुल् अज़हा के दिन वापसी में खायें (तिर्मिज़ी, इब्नेमाजा, अहमद) ईदैन की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा इस प्रकार है। तक्बीर तहरीमा के बाद सात तक्बीरें कहें, हर तक्बीर में हाथ उठाएँ और सीने पर बाँध लें, फिर इमाम सूरः फ़ातिहा और दूसरी सूरः पढ़ कर रूकूअ़-सज्दा कर के खड़ा हो जाये और पाँच बार तक्बीर कहे, हर तक्बीर में हाथ ऊपर उठा कर निय्यत बाँध लिया करे, फिर सूरः फ़ातिहा और दूसरी दूसरत पढ़ कर रूकूअ़ करे, और बाक़ी आ़म नमाज़ों की तरह पढ़ें। (7) हर तक्बीर के बाद हाथ उठाने की रिवायत के लिये देखें (मुस्नद अहमद-2/133, दारूकुतनी-1/289, बैहक़ी-2/83) (8) ईदगाह पैदल जाना चाहिये (इब्नेमाजा, तिर्मिज़ी) यह दोनों हदीसें ज़ईफ़ हैं लेकिन और दूसरी हदीसों से इन की ताईद होती है। (9) ईद के दिन एक ही खुत्बा है। जुम्अ़ः की तरह खुत्बा के बीच में नहीं बैठना चाहिये। जो लोग दो खुत्बा मानते हैं उन्होंने जुमा के खुत्बा की तरह समझ कर कहा, यह सरासर जिहालत है, दो खुत्बे का कहीं ज़िक्र तक नहीं है (सुबुलुस्सलाम, भाग 2) (10) ईद की नमाज़ शहर और गाँव से बाहर निकल कर पढ़नी चाहिये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ईदगाह मस्जिदे नबवी से एक हज़ार फुट (ज़िराअ़) की दूरी पर थी (फ़तहुल बारी, भाग 2) और बक़ीअ़ क़ब्रस्तान की तरफ़ थी। (11) लगभग हर स्थान पर ईदैन के दिन यह तक्बीर पढ़ी जाती है:

अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, लाइला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु

अक्बर अल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल् हम्दु (दारूकुतनी)

लेकिन इस रिवायत में दो रावी (1) अम्र बिन शमुर (2) जाबिर जोफ़ी, यह दोनों बहुत बड़े झूठे हैं, इसलिये अल्लामा ज़हबी रह॰ ने इस हदीस को सख़्त ज़ईफ़ बल्कि मौज़ू (मनघड़त) कहा है। इसलिये इसे हर्गिज़ न पढ़ें। हाफ़िज़ इब्ने हजर रह॰ लिखते हैं कि तक्बीर के बारे में सब से सहीह क़ौल सलमान फ़ासी रज़ि॰ का है जिसे अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने अपनी पुस्तक "मुस्नद अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़" में सहीह सनद से रिवायत किया है। इस तक्बीर के शब्द इस प्रकार हैं:

अल्लाहु अक्-बर अल्लाहु अक्-बर अल्लाहु अक्-बर कबी-रन्
(फ़त्हुले बारी 2/462)

इन मस्अलों पर विस्तार से जानकारी के लिये देखें "तख़रीज सलातुर्रसूल" उर्दू एडिशन, पृष्ठ 662, 663, 664।

❀ ❀ ❀

सलातुल् मुसाफ़िरीन
(मुसाफ़िर की नमाज़ का बयान)

यात्री, यात्रा की हालत में चार रक्अत वाली नमाज़ों को दो रक्अत पढ़ता है, इसलिये इसे "क़स्र की नमाज़" कहते हैं। नमाज़ में क़स्र का हुक्म सन 4 हिज्री में हुआ। कितने मील के सफ़र पर क़स्र करना चाहिये? इस में बड़ा इख़्तिलाफ़ है। शैख़ुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह मुबारक पूरी रह० 48 मील को तर्जीह देते हैं (मिरआत-2/256) मौलाना शफ़ीकुर्रहमान ने अपनी पुस्तक "नमाज़े-नबवी" (उर्दू एडिशन, पुष्ठ 243) में नौ मील लिखा है। यानी नौ मील तक यात्रा करने का इरादा हो तो अपने घर से निकलने के बाद ही से पहली नमाज़ से क़स्र आरंभ कर दे। लेकिन सऊदी अरब के सब से प्रसिद्ध मुफ़्ती शैख़ इब्ने बाज़ रह० का कहना है कि कुरआन-हदीस में सीमा का कोई ज़िक्र नहीं है इसलिये "सफ़र" का शब्द जिस मौक़े के लिये आम तौर पर बोला जाता है उतनी दूरी को स्वँय सीमा मान कर क़स्र कर सकता है (क़स्र की नमाज़ का बयान, उर्दू एडिशन, प्रकाशक अद्दारूस्सलफ़िय्या, मुंबई) लेकिन इमाम बुख़री रह० ने एक बाब बाँधा है और साबित किया है कि एक दिन-रात तक सफ़र की दूरी को "सफ़र" कहा जाता है, और इब्ने अब्बास रज़ि० ने 48 मील (4 बरीद) के सफ़र में क़स्र किया है (बुख़ारी-1086 का बाब) चाहे अपना गाँव दिखाई ही दे रहा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जुह्र की नमाज़ पढ़ कर मक्का के लिये रवाना हुये और "जुलहुलैफ़ा" में (जो मदीना से 4 मील की दूरी पर है) अस्र की नमाज़ क़स्र कर के पढ़ी (बुख़ारी-1089+ मुस्लिम, अबू दावूद) अली रज़ि० ने कूफ़ा से निकल कर क़स्र करना शुरू कर दिया जबकि कूफ़ा शहर के मकान दिखाई दे रहे थे (बुख़ारी-1089 का बाब) आप को जिस पर इतिमान हो शैक़ से अमल करें, लेकिन निय्यत में इख़्लास हो।

बाब {अम्न की हालत में भी यात्री नमाज़ में क़स्र कर सकता है।}

433:- याला बिन उमय्या रज़ि० ने बयान किया कि एक मर्तबा मैं ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० से कहाः अल्लाह पाक का तो कहना हैः "अगर तुम्हें इस बात का डर है कि काफिर लोग तुम्हें सताएँगें तो नमाज़ क़स्र कर लेने पर तुम पर कोई गुनाह नहीं है" (सूरः निसा 101) लेकिन अब तो लोग अम्न में हैं (तो क्या अम्न में भी क़स्र है?) इस पर उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० ने कहाः मुझे भी इसी प्रकार शुब्हा हुआ था जिस प्रकार तुम्हें हुआ

है, तो मैं ने भी इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा तो आप ने फ़रमायाः यह अल्लाह की तरफ़ से तुम्हारे लिये सदक़ा है, इसलिये उस का सदक़ा (उपकार, एहसान) स्वीकार करो (यानी अम्न की हालत में भी क़स्र करो)

फ़ाइदाः– अहादीस से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सफ़र में हमेशा क़स्र किया है, किसी भी रिवायत में पूरी पढ़ने का सबूत नहीं। क़स्र करना वाजिब है या सुन्नत? इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ के नज़दीक वाजिब है, और दलील ऊपर की रिवायत है। कुछ लोग कहते हैं कि वाजिब नहीं, और दलील में वह रिवायतें पेश करते हैं जिस में है कि एक ही सफ़र में कुछ सहाबा क़स्र करते और रोज़ा न रखते और कुछ क़स्र न करते और रोज़ा रखते, लेकिन कोई किसी पर एतराज़ न करता था (बुख़ारी) शैख़ुल हदीस मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी रह॰ ने इस विषय पर बड़ी प्यारी बात लिखी है, लिखते हैं "नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत पर अ़मल करने वाले आ़शिक़ों के लिये ज़रूरी है कि सफ़र में हमेशा क़स्र करें। अगर्चे यह वाजिब नहीं, मगर सुन्नत का तक़ाज़ा है कि सफ़र में क़स्र किया जाये, और किसी प्रकार की तावील करने की ज़रूरत नहीं (तोहफ़तुल् अहवज़ी, पृष्ठ 383) पूरी पढ़ने में कठिनाई नहीं होती इसलिये पढ़ते हैं (मुस्लिम–सलातुल मुसाफ़िरीन)

434:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे नबी की ज़बान पर अपने घर में चार रक्अ़तें सुनिश्चित कीं और सफ़र में दो और ख़ौफ़ की नमाज़ में एक रक्अ़त।

फ़ाइदाः– ख़ौफ़ की नमाज़ एक रक्अ़त नहीं दो है। मुक़्तदी एक रक्अ़त इमाम के पीछे पढ़ता है और एक रक्अ़त स्वँय तन्हा पढ़ता है, इस प्रकार दो रक्अ़त है। (देखें–बुख़ारी 942)

बाब {कितनी दूरी के सफ़र में क़स्र की जाये?}

435:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ मदीना में जुह्र की चार रक्अ़तें पढ़ीं (फिर मक्का के लिये रवाना हुये) और "जुलहुलैफ़ा" पहुँच कर अ़स्र की नमाज़ दो रक्अ़त (क़स्र से) पढ़ी।

फ़ाइदाः– इस बारे में ऊपर विस्तार से बयान गुज़र चुका वहाँ देखें। कितना लंबा सफ़र करने का इरादा हो तो उस में क़स्र करे? इस में बड़ा इख़्तिलाफ़ है। अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम जोज़ी रह॰ ने अपनी पुस्तक "ज़ादुल् मआ़दा" में 20 से अधिक क़ौल नक़ल किये हैं, इस से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस मस्अले में कितना इख़्तिलाफ़ है। स्वँय अहले हदीस उलमा भी किसी एक राय पर मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। मौलाना मुबारक पूरी 40 मील लिखते हैं, और दूसरे उलमा इस के विपरीत 3 मील, 9 मील। सहीह यही है कि इस की

सीमा का ज़िक्र न कुरआन में है और न ही हदीस में। हाँ, इतना केवल साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हर सफ़र में क़स्र किया है। किसी सफ़र में आप ने यह फ़रमाया हो कि "इस से कम सफ़र में क़स्र नहीं" इस का कहीं ज़िक्र नहीं। इसलिये सहीह बात यह है कि अब यह आप की तबीअ़त पर है कि कितनी दूरी के सफ़र को सफ़र कहें और उस पर क़स्र करें–ख़ालिद।

बाब {हज्ज के उद्देश्य से सफ़र में क़स्र करना जाइज़ है।}

436:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ मदीना से मक्का जाने के लिये रवाना हुये, तो इस दर्मियान आप ने दो–दो रक्अ़तें (क़स्र कर के) नमाज़ पढ़ी। मैं ने मालूम किया कि मक्का में कितने दिन तक ठेहरे थे? उन्होंने कहाः दस दिन। एक दूसरीरिवायत में है कि मदीना से मक्का हज्ज के इरादा से रवाना हुये थे।

फ़ाइदाः– मालूम हुआ कि हज्ज के लिये यात्रा करना भी उन यात्राओं के समान है जिन में क़स्र कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि कितने दिन ठहरने का इरादा हो तो क़स्र करे? इस हदीस से मालूम होता है कि चार दिन से कम (यानी तीन दिन) अगर ठहरने का इरादा हो तो क़स्र करे। आप 4 को मक्का पहुँचे, 5, 6, 7 को मक्का में रहे, 8 को मिना गये, 9 को अ़राफ़ात में ठहरे, 10 को मिना लौट आये, 11, 12, मिना में रहे, फिर 13 को मक्का गये, और 14 को मदीना के लिये रवाना हुये। इस प्रकार 10 दिन लगे, लेकिन मकका में कुल 3 दिन ठहरे। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम 19 दिन ठहरे और क़स्र करते रहे (बुख़री, हदीस 1080, 4298, 4299) कुछ उलमा ने 15 दिन लिखा है और कुछ ने तीन दिन। इस इख़्तलाफ़ से यह मालूम हुआ कि सफ़र में कम से कम ठहरने की मुद्दत तीन दिन और अधिक से अधिक 19 दिन है। आप चाहें तो तीन पर अ़मल करें और चाहे तो 19 पर। लेकिन मालूम रहे कि इख़्तिलाफ़ की सूरत में एहतियात पर अ़मल करते हुये तीन दिन पर अ़मल करें (इत्तिहाफुलकिराम, मौलाना सफ़िर्य्युरहमान मुबारक पूरी, उर्दू एडिशन, हदीस न॰ 344, 346) लेकिन 19 दिन से अधिक ठहरने का इरादा हो, तो फिर उस से आगे क़स्र करना जाइज़ नहीं, इस पर सभी का इत्तिफ़ाक़ है। रहा यह प्रश्न कि अगर कोई तरद्दुद में रहे और तै न कर सके कि कितने दिन ठहरना है, और इसी में महीनों बीत जायें, तो इस तरद्दुद् की हालत में चाहे महीनों ठहरा रहे, क़स्र करना उस के लिये जाइज़ है (ज़ादुल् मआ़द) अनस सबिन मालिक रज़ि॰ अ़ब्दुल् मलिक बिन मरवान के साथ मुल्क शाम में तरद्दु, की हालत (यानी आज वापस आऊँगा, कल जाऊँगा, फिर कल आया तो कल जाऊँगा) में दो महीना ठहरे रहे और क़स्र करते रहे (बैहक़ी–3/152)

एक प्रश्न और उठता है कि कहाँ से नमाज़ में क़स्र आरंभ करे? इस का उत्तर यह है कि अपने गाँव या शहर की आबादी से बाहर निकल जाने के बाद से यात्रा की

वापसी के बाद गाँव और शहर नज़र आने तक के दर्मियान क़स्र करता रहे। अ़ली रज़ि॰ कूफ़ा नगर से निकल कर क़स्र करने लगे, जबकि कूफ़ा के माकान अभी दिखाई दे रहे थे (बुख़री-हदीस न॰ 1089 का बाब)

बाब .{मिना में नमाज़ क़स्र कर के पढ़ना।}

437:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मिना में (हज्ज के मौक़ा पर) मुसाफ़िर की तरह नमाज़ क़स्र कर के पढ़ी। और इसी प्रकार अबू बक्र, उमर और उस्मान रज़ि॰ ने भी आठ वर्ष तक (या छः वर्ष तक) क़स्र के साथ पढ़ी। अबू हफ्स (यानी इब्ने आ़सिम) ने बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि॰ मिना में दो रक्अ़तें पढ़ कर बिछौने पर आ जाते। इस पर मैं ने उन से कहाः चचा जान! फ़र्ज़ के बाद दो सुन्नतें भी पढ़ लेते (तो अच्छा होता) इस पर उन्होंने कहाः अगर मुझे सुन्नत पढ़नी होती, तो फ़र्ज़ ही को (बिना क़स्र के) पूरा पढ़ लेता।

फ़ाइदाः– यह हदीस बुख़री में भी है (1082, 1083, 1084) मालूम हुआ कि हज्ज के इरादा से सफ़र किया तो मिना में मुसाफ़िर की हैसिय्यत से थे, इसलिये क़स्र किया करते थे। हज़रत उस्मान ने भी आरंभ में मिना में क़स्र किया है, लेकिन बाद में पूरी पढ़ने लगे, और कहाः ऐसा मैं ने इसलिये किया कि अधिक संख्या में लोग जमा होते हैं (उन में जाहिल भी होते हैं) तो वह कहीं यह न समझ लें कि नमाज़ की रक्अ़त कम कर दी गयी है (और अपने घरों को लौट कर भी दो ही रक्अ़त पढ़ने लग जायें।) आ़इशा रज़ि॰ ने भी पूरी पढ़ी है और कहा कि यह एक छूट है इस पर भी अ़मल होना चाहिये, लेकिन मैं तो पूरी पढ़ना पसन्द करती हूँ (ज़ाहिर है, फ़र्ज़ और वाजिब बहरहाल नहीं है) (देखें-बुख़री-1090)

बाब {यात्रा के दौरान दो नमाज़ें इकट्ठी कर के पढ़नी जाइज़ है।}

438:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब सफ़र की जल्दी होती तो जुह्र पढ़ने में इतनी देरी कर देते कि अ़स्र का अव्वल समय आ जाता, फिर दोनों नमाज़ों को एक साथ पढ़ लेते। इसी प्रकार मग़्रिब में भी इतना विलंब करते कि पश्चिम की ओर की लाली समाप्त हो जाती, फिर मग़्रिब और अ़िशा एक साथ पढ़ लेते।

फ़ाइदाः– (देखें बुखरी शरीफ़-हदीस न॰ 1106, 1107, 1108) इस नमाज़ को पढ़ने का दो तरीक़ा है (1) जुह्र को अ़स्र के समय में और मग़्रिब को अ़िशा के समय में पढ़ी जाये, इसे "जमा ताख़ीर" कहते हैं। (2) अ़स्र को जुह्र के समय में और अ़िशा को मग़्रिब के समय में पढ़ीं जाये, इसे "जमा तक़दीम" कहा जाता है। और यह दोनों शक्लें जाइज़ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दोनों तरह ही मिला कर नमाज़

पढ़ी है (अबू दावूद-1220, तिर्मिज़ी-552, बुख़ारी-1091, 1111, 1112) मालूम हो कि फ़ज्र की नमाज़ को मिला कर नहीं पढ़ना है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहा कि दो नमाज़ों को एक साथ मिला कर पढ़ने की अनुमति इसलिये दी गयी है ताकि उम्मत (जनता) तंगी व परेशानी और संकट में न पड़ जाये (मुस्लिम शरीफ़)

बाब {अपने वतन (हज़र) में भी दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ना दुरूस्त है।}

439:- इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ़ में बिना किसी (दुश्मन के) ख़ौफ़ और वर्षा आदि के भी जुह् को अ़स्र के साथ और मग़रिब को अ़िशा के साथ मिला कर पढ़ी। इमाम वकीअ़ की रिवायत में (इतना और इज़ाफ़ा) है कि मैं ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से पूछाः आप ने ऐसा क्यो किया? उन्होंने कहाः ताकि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की उम्मत परेशानी और संकट में न पड़ जाये। अबू मुआ़विया की हदीस में इस प्रकार है कि जब उन से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दियाः "ताकि आप की उम्मत तक्लीफ़ में न पड़ जाये।"

फ़ाइदा:- इस हदीस के संदर्भ में हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ लिखते हैं कि परेशानी से बचने के लिये गाँव और शहर में भी दो नमाज़ें जमा कर के पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन बिना किसी गंभीर आवश्यक्ता के ऐसा करना जाइज़ नहीं, जैसा कि कारोबारी लोगों ने यह नियम बना लिया है कि वह सुस्ती या कारोबार में व्यस्त होने की वजह से दो नमाज़ों को एक साथ जमा कर लेते हैं। यह तरीक़ा दुरूस्त नहीं है, बल्कि सख़्त गुनाह है।

इमाम मालिक और इमाम हंबल के नज़दीक बीमारी की वजह से भी दो नमाज़ों को जमा कर के पढ़ना जाइज़ है, क्योंकि बीमार को हर नमाज़ अपने समय पर पढ़ने में जो परेशानी होती है, वह वर्षा में हर नमाज़ कोअपने समय पर पढ़ने से कहीं अधिक है। इमाम नववी रह॰ भी इस की ताईद करते हैं (याद रहे, बीमारी में जमा करने का ज़िक्र हदीस में नहीं है)

बाब {वर्षा में अपने घर ही में नमाज़ पढ़ लेना दुरूस्त है।}

440:- इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि एक मर्तबा मैं ने सख़्त ठन्डक, सर्दी और वर्षा में नमाज़ के लिये अज़ान दी तो अन्त में कह दियाः

अला, सल्लू फ़ी रिहालिकुम+अला, सल्लू, फ़ी रिहालिकुम+

(अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो, अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो)

फिर मैं ने बताया कि सर्दी और वर्षा की रातों में, या सफ़र में ऐसा हो तो पुकार कर कह दोः "अला, सल्लू फ़ी रिहालिकुम्" (अपने ख़ेमों में ही नमाज़ पढ़ लो)

फ़ाइदा:- इसी प्रकार इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने भी जुम्अः के दिन वर्षा की हालत में अपने मुअज़्ज़िन से कहा कि अज़ान में "हय्या अ़-लस्सलाह, हय्या अ़-लल् फ़लाह" के स्थान पर "सल्लू फ़ी बुयूतिकुम" पढ़ दो (बुख़ारी-901) इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहाः मुझे मालूम है

जुम्अः की नमाज़ फ़र्ज़ है लेकिन वर्षा में रूख़्सत है ताकि कीचड़ में फिसलने और वर्षा में भीगने से बच जाओ।

बाब {सफ़र में सुन्नतें (और नफ़ली नमाज़ें) न पढ़ने की रूख़्सत है।}

441:– हफ़्स बिन आ़सिम ने बयान किया कि मैं मक्का की राह में अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ के साथ था, उन्होंने हमें ज़ुह्र की नमाज़ दो रक्अ़त पढ़ाई, फिर आकर अपने डेरे में बैठ गये, हम लोग भी उन के साथ बैठ गये। इसी दर्मियान उन्होंने देखा कि नमाज़ पढ़ने की जगह पर अभी भी कुछ लोग खड़े हैं तो पूछा कि वह लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ने कहाः सुन्नतें पढ़ रहे हैं। इस पर उन्होंने कहाः अगर मुझे सुन्नतें पढ़नी होती तो फ़र्ज़ नमाज़ ही पूरी पढ़ लेता (क़स्र ही न करता) फिर कहने लगेः ऐ मेरे भतीजे! मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ सफ़र में भी रहा हूँ, लेकिन आप ने दो रक्अ़त से अधिक कभी नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ने आप को बुला लिया। इसी प्रकार अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ के भी साथ रहा हूँ, उन्होंने भी दो से अधिक कभी नहीं पढ़ी यहाँ तक कि अल्लाह ने उन्हें वफ़ात दे दी। और उमर फ़ारूक़ रज़ि॰ के साथ भी सफ़र किया है, उन्होंने भी अपने देहान्त तक दो से अधिक नहीं पढ़ी है। उस्मान ग़नी रज़ि॰ के भी साथ रहा हूँ, उन्होंने भी सफ़र में दो से अधिक कभी नहीं पढ़ी है। और अल्लाह तआ़ला ने फ़रमा दिया हैः तुम्हारे लिये अल्लाह के रसूल के हर अ़मल में बेहतरीन नमूना मौजूद है (इसलिये तुम रसूल के हर-हर अ़मल की पैरवी करो)

फ़ाइदा:– अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम जौज़ी रह॰ लिखते हैंः किसी सहीह हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह साबित नहीं कि आप ने किसी सफ़र में फ़र्ज़ नमाज़ से पहले या बाद में कोई सुन्नत पढ़ी हो। हाँ, रात की वित्र और फ़ज्र की दो सुन्नतें आप सफ़र में भी पढ़ते थे और उन्हें कभी तर्क नहीं किया (ज़ादुल् मआ़द) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मुज़दलिफ़ा गये तो एक अज़ान और दो इक़ामत से मग़्रिब और अ़िशा की दोनों नमाज़ें एक साथ पढ़ीं और बीच में सुन्नतें नहीं पढ़ीं (मुस्लिम-किताबुलहज्ज, हदीस न॰ 1218) इस के बावजूद भी सहाबा सफ़र में सुन्नतें और नफ़ली नमाज़ें बहरहाल पढ़ा करते थे। इस से मालूम हुआ के सफ़र में इन्हें पढ़ना भी जाइज़ है और छोड़ना भी। न इन के छोड़ने में कोई गुनाह है और न ही पढ़ने में। अल्बत्ता सुब्ह की सुन्नतों और वित्र को छोड़ना दुरूस्त नहीं। सफ़र में पढ़ना, या न पढ़ना, यह कोई ऐसा मस्अला नहीं है जिसे बहस का मुद्दा बनाया जाये। अल्बत्ता उम्मे हानी रज़ि॰ की रिवायत में है कि फ़त्ह मक्का के मौक़ा पर आप उन के घर गये और स्नान कर के चाश्त नमाज़ की आठ रक्अ़तें पढ़ीं (बुख़ारी-तहज्जुद का बाब, हदीस 1178+मुस्लिम-719) आप उस समय सफ़र में थे और चाश्त की नमाज़ नफ़ली नमाज़ है।

बाब {सफ़र में सवारी पर नफ़ली नमाज़ पढ़ने का बयान।}

442:– उमर फ़ारूक़ रज़ि॰ के पुत्र अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी सवारी पर नफ़ली नमाज़ें पढ़ा करते, नमाज़ पढ़ते समय सवारी का रूख़ चाहे जिधर होता, और वित्र की नमाज़ भी सवारी ही पर पढ़ लेते थे, अल्बत्ता फ़र्ज़ की नमाज़ उस पर नहीं पढ़ते थे।

फ़ाइदा:– सवारी पर नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा यह है कि नमाज़ शुरु करते समय रूख़ क़िब्ला की तरफ़ होना शर्त है, फिर सवारी का जिधर भी रूख़ हो, आप को रूख़ बदलते रहने की कोई आवश्यक्ता नहीं। इस प्रकार की अनुमति केवल नफ़ली नमाज़ों में है। और फ़र्ज़ नमाज़ के लिये उन सवारियों को रोक कर और नीचे उतर कर पढ़ना आवश्यक है जो अपने क़ाबू में हैं, जैसे ऊँट, घोड़ा, गधा, साइकल अपनी प्राइवेटगाड़ी आदि। लेकिन जो अपने क़ाबू में नहीं हैं, जैसे रेलगाड़ी, बस आदि तो इस के लिये यह हुक्म है कि आरंभ में अपना रूख़ क़िब्ला की तरफ़ कर के तक्बीर तहरीमा के साथ नमाज़ आरंभ कर दे, फिर रूख़ चाहे जिधर रहे, क्योंकि मजबूरी है। इस सिलसिला में इब्ने उमर रज़ि॰ की सात रिवायमें मरवी हैं (मुस्लिम-सलातुल् मुसाफ़िरीन) अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ ही की रिवायत में है कि आप गधे पर (नफ़ली) नमाज़ पढ़ रहे थे और आप का मुँह ख़ैबर की तरफ़ (यानी उत्तर) था। अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने भी गधे पर नफ़ली नमाज़ पढ़ी है। (बुख़ारी-1100)

बाब {यात्रा से वापसी पर मस्जिद में दो रक्अ़त (शुकराना की) नमाज़ पढ़ने का बयान।}

443:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक जन्ग (यानी तबूक) में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ रवाना हुआ (वापसी में) मेरे ऊँट ने थक जाने की वजह से पहुँचने में समय अधिक ले लिया। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मुझ से पहले मदीना पहुँच गये और मैं दूसरे दिन पहुँचा, तो आप को मस्जिद के दर्वाज़े पर पाया। आप ने पूछा: क्या तुम अभी चले आ रहे हो? मैं नें उत्तर दिया: जी हाँ। आप ने फ़रमाया: ऊँट छोड़ दो और मस्जिद में जा कर पहले दो रक्अत नमाज़ अदा करो। चुनान्चे मैं ने जा कर दो रक्अ़त नमाज़ अदा की फिर वापस आ गया।

फ़ाइदा:– कअ़ब बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आदत थी कि जब आप सफ़र से वापस आते तो (शहर में) दिन चढ़े दाख़िल होते, फिर मस्जिद में जा कर दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ते, फिर मस्जिद में बैठते (मुस्लिम) यह नमाज़ मुस्तहब है और शुक्र के तौर पर है कि अल्लाह पाक ने ख़ैरियत के साथ अपने घर पहुँचा दिया।

❀❀❀

सलातुल् ख़ौफ़ि
(ख़ौफ़ की नमाज़ का बयान)

नोटः– ख़ौफ़ की नमाज़, उस नमाज़ को कहते हैं जो जन्ग के मैदान में, जन्ग की हालत में अदा की जाती है। जब मुसलमानों और इस्लाम दुश्मनों के दर्मियान जन्ग हो रही हो और इसी हालत में नमाज़ का भी समय हो जाये, और इस बात का डर हो कि अगर रूक कर नमाज़ पढ़ने लग जायें तो दुश्मन आक्रमण कर के मार डालेंगे। तो इस हालत में भी शरीअ़त ने नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बताया है। इस प्रकार नमाज़ पढ़ने का नाम "ख़ौफ़ की नमाज़" है। जो लोग अपने घरों में अम्न, चैन और शान्ति में रह कर भी नमाज़ नहीं पढ़ते हैं वह जान लें कि नमाज़ जन्ग की हालत में भी माफ़ नहीं है, और उस नमाज़ को उस के समय ही पर पढ़ने की चेष्टा करनी चाहिये। ख़ौफ़ की नमाज़ का बयान क़ुरआन में सूरःनिसा की आयत 101, 102 में भी आया है।

बाब {ख़ौफ़ के समय किस प्रकार नमाज़ पढ़ने का हुक्म है?}

444:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ ने बयान किया कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ मिल कर बनी जुहैना के एक क़बीले से जन्ग लड़ी और बड़ी घमासान की जन्ग लड़ी। जब हम लोग ज़ुह्र की नमाज़ पढ़ चुके तो मुश्रिकों ने कहाः अगर हम उन पर (नमाज़ ही की हालत में) एक साथ धावा बोल देते तो उन का सफ़ाया कर देते। इस की सूचना जिब्रील अ़लै॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को दी तो आप ने सहाबा के सामने इस का ज़िक्र किया। फिर काफ़िरों ने कहाः अभी उन की एक और नमाज़ (यानी अ़स्र) का समय आ रहा है, वह नमाज़ उन्हें अपनी औलद से भी प्यारी है (उस नमाज़ में हम आक्रमण करेंगे) फिर जब अ़स्र की नमाज़ का समय आ गया तो हम सहाबा ने (आगे-पीछे होकर) दो सफ़ बना ली। उस समय मुश्रिकों की सफ़ क़िब्ला की ओर थी। फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तक्बीर तहरीमा कही (और नमाज़ की इमामत शुरू कर दी) तो हम लोगों ने भी नमाज़ शुरू कर दी। आप ने रूकूअ़ किया तो हम सभी (दोनों सफ़ वालों) ने रूकूअ़ किया। फिर जब आप सज्दे में गये, तो केवल पहली सफ़ वालों ने सज्दा किया (और पीछे सफ़ वाले

खड़े निग्रानी करते रहे) फिर जब आप दूसरी रक्अ़त के लिये खड़े हुये और पहली सफ़ के लोग भी खड़े हो गये, तो दूसरी सफ़ वालों ने (अपने तौर पर) सज्दा किया, फिर अगली सफ़ वाले पीछे आ गयेऔर पिछली सफ़ वाले आगे चले गये तो आपने (दूसरी रक्अ़त के लिये) अल्लाहु अक्बर कहा, और हम सब ने भी कहा (और निय्यत बाँध ली, फिर सूरः फ़ातिहा और दूसरी सूरः पढ़ कर) आप ने रूकूअ़ किया, तो हम सभी (दोनों सफ़ वालों) ने भी रूकूअ़ किया। फिर जब आप ने सज्दा किया तो पिछली सफ़ वाले खड़े रहे (उन्होंने सज्दा नहीं किया और निग्रानी करते रहे) फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम वाले और पिछली सफ़ (जो खड़े थे) भी बैठ गये, फिर आप ने सब के साथ सलाम फेरा। इस रिवायत को बयान करने के बाद जाबिर रज़ि॰ ने इतनी बात और कही कि "जैसे आज-कल यह तम्हारे हाकिम नमाज़ पढ़ते हैं"

फ़ाइदाः- जब दुश्मन क़िब्ला की तरफ़ होतो इसी प्रकार नमाज़ पढ़ी जाये। इस रिवायत में सफ़ के आगे-पीछे होने का ज़िक्र है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ने पर आगे-पीछे न हों और अपने स्थान पर ही खड़े रहें, तो यह भी जाइज़ है, जैसा कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ की रिवायत में है।

अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम रह॰ ने अपनी पुस्तक "ज़ादु मआ़द" में लिखा है कि तमाम हदीसों को सामने रखने के बाद ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ने के छः तरीक़े साबित हाते हैं। जहाँ जिस प्रकार के हालात हों वहाँ उसी प्रकार नमाज़ पढ़ ली जाये। जिन लोगों ने इस नमाज़ को मन्सूख़ माना है वह ग़लती पर हैं।

शैखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह मुबारक पुरी रह॰ लिखते हैं: ख़ौफ़ की नमाज़ पर तमाम सहाबा का इत्तिफ़ाक़ है। अ़ली रज़ि॰ ने "लैलुतुल् हरीर" में ख़ौफ़ की नमाज़ अदा की। अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ ने अस्फ़हान की जन्ग में ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ी है। सईद बिन आ़स ने तबरिस्तान की जन्ग में हुज़ैफ़ा रज़ि॰ की इमामत में ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ी है। (मिरआतुल्-मफ़ातीह)

ख़ौफ़ की नमाज़ का एक तरीक़ा ऊपर की हदीस में बयान हो चुका है, बाक़ी पाँच तरीक़ों का भी अहादीस में ज़िक्र है। यहाँ विस्तार से बयान करने का मौक़ा नहीं,

सलातुल् कसूफ़ि
(सूर्य-चन्द्र ग्रहण के समय की नमाज़ का बयान)

नोटः– सूरज और चाँद ग्रहण हर वर्ष लगते हैं, इसलिये इसे छोटे-बड़े, महिला-पुरूष सभी जानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चाँद ग्रहण के लिये "ख़सूफ़" और सूर्य ग्रहण के लिये "कसूफ़" का शब्द बोला जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, दोनों ही शब्द दोनों के लिये प्रयोग किये जाते हैं। चाँद और सूरज ग्रहण के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह दोनों अल्लाह की निशानियों में से हैं, इन को दिखा कर अल्लाह पाक अपने बन्दों को यह दिखाना चाहता है कि यह चाँद और सूरज भी अल्लाह के क़ब्ज़े में हैं, और इबादत के योग्य केवल अल्लाह पाक की ज़ात है, जो लोग चाँद-सूरज की पूजा करते हैं वह जिहालत के कार्य करते हैं। एक मर्तबा जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पुत्र इब्राहीम का देहान्त हुआ तो इत्तिफ़ाक़ से उसी दिन सूरज ग्रहन भी लगा तो आप ने फ़रमायाः ग्रहन किसी के मरने और पैदा होने से नहीं लगता, यह अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं (बुख़री-1043, 1040)

बाब {सूरज ग्रहण के समय नमाज़ अदा करने का बयान।}

445:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के समय काल में सूरज को ग्रहन लगा तो आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे, उस नमाज़ में बड़ी देर तक क़ियाम किया, फिर रूकूअ़ किया तो वह भी अधिक लंबा किया, फिर सर उठाया और बड़ी देर तक खड़े रहे, लेकिन पहले क़ियाम (तकबीरे तहरीमा) के मुक़ाबले में हल्का था, फिर आप ने (दोबारा) लंबा रूकूअ़ किया, लेकिन यह रूकूअ़ पहले रूकूअ़ के मुक़ाबले में कुछ हल्का था, फिर सज्दा किया और दूसरी रक्अ़त के लिये खड़े हुये तो फिर लंबा क़ियाम किया, लेकिन यह क़ियाम पहली रक्अ़त के क़ियाम के रुकूअ़ के मुक़ाबला में हल्का था। फिर लंबा रूकूअ़ किया, लेकिन यह भी पहली रक्अ़त के मुक़ाबला में हल्का था। फिर रूकूअ़ से सर उठा कर खड़े हुये तो बड़ी देर तक खड़े रहे, लेकिन यह क़ियाम भी पहले के मुक़ाबले में कुछ हल्का था।

फिर (दोबारा) रूकूअ़ किया तो यह भी लंबा था, लेकिन पहले रूकूअ़ के मुक़ाबला में कुछ कम। फिर सज्दा किया और सलाम फेर कर नमाज़ समाप्त कर दी, इस दर्मियान सूरज साफ़ हो चुका था। फि आप ने खुत्बा दिया जिस में हम्द व सना के बाद फ़रमायाः सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से हैं, इन्हें ग्रहन किसी के मरने-जीने से नहीं लगता। इसलिये जब तुम ग्रहन देखो तो अल्लाह की बड़ाई बयान करो, उस से दुआ़ करो, नमाज़ पढ़ो और ख़ैरात वग़ैरह करो। ऐ मुहम्मद की उम्मत के लोगो! इस मामले में अल्लाह से बढ़ कर कोई ग़ैरत वाला नहीं कि उस का गुलाम या लौंडी ज़िना करे। ऐ मुहम्मद की उम्मत के लोगो! अल्लाह की क़सम! जो मैं जानता हूँ अगर तुम भी जानंते होते तो बहुत रोते और थोड़ा हँसते। कान खोल कर सुन लो! मैं ने अल्लाह का सन्देश तुम लोगों तक पहुँचा दिया।

446:- इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा सूरज ग्रहन लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (दो रक्अ़त में) आठ रूकूअ़ और चार सज्दे किये।

फ़ाइदाः- सूरज ग्रहन की नमाज़ में दो-दो तीन-तीन. चार-चार (मुस्लिम) यहाँ तक कि पाँच-पाँच रूकूअ़ करने का ज़िक्र है। (अबू दावूद) यह नमाज़ दो रक्अ़त है। हर रक्अ़त में आ़म नमाज़ों की तरह एक क़ियाम और एक रूकूअ़ भी जाइज़ है। मगर सुन्नत यह है कि हर रक्अ़त में (अपनी ताक़त के मुताबिक़) दो-दो, तीन-तीन, चार-चार क़ियाम रूकूअ़ करे। लेकिन अधिकांश उलमा हर रक्अ़त में दो क़ियाम और दो रूकूअ़ के क़ाइल हैं। यह नमाज़, सिर्री और जेहरी दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। (बुख़ारी-1065) अगर मक्रूह समय में लग जाये तो उस समय भी पढ़ना जाइज़ है, इसलिये कि आप ने फ़रमायाः जब ग्रहन लगे उसी समय पढ़ो। इस से मालूम हुआ अगर मक्रूह समय में लगे तो उस समय भी पढ़ो। सऊदी अ़रब के मुफ़्ती अ़ल्लामा इब्ने बाज़ रह॰ का भी सूरज ग्रहन और तहिय्यतुल् मस्जिद के बारे में यही फ़तवा है (फ़तावा इब्ने बाज़, उर्दू एडिशन पृष्ठ 124) अ़ल्लामा शौकानी का भी यही फ़तवा है (नैलुल औतार) इस नमाज़ के लिये अज़ान और तक्बीर (इक़ामत) नहीं है। आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के समय में सूरज ग्रहन लगा तो आप ने एक सहाबी को भेजा कि लोगों को "अस्सलातु जामि-अ़तुन" (नमाज़ जमा करने वाली है) कह कर बुला लायें। (बुख़ारी-1045, 1051, अबू दावूद, नसई, बैहक़ी) नमाज़ पढ़ने के बाद खुत्बा भी देना सुन्नत है। इसी प्रकार अल्लाह को याद करने, तौबा करने, माफ़ी माँगने, और सदक़ा-ख़ैरात करने का भी हुक्म है (ऊपर की हदीस+बुख़ारी-1044, 1046, 1047, 1050) खुलासा यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इस नमाज़ को बड़ी अहमिय्यत देते थे, आप स्वँय पढ़ते और पत्नियों को भी आदेश देते थे, आप के पीछे महिलायें भी जमाअ़त से इस नमाज़ को पढ़ती थीं। आज हम ने इस नमाज़ को बिल्कुल भुला दिया है। हमें चाहिये कि इस नमाज़

को जमाअ़त के साथ पढ़ें और अपनी महिलाओं को भी साथ ले जायें। सूरज ग्रहन की नमाज़ के मसाइल का अध्याय संपन्न हुआ।

नोटः– शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रह॰ फ़रमाते हैं: सहीह क़ौल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हर रक्अ़त में दो रूकूअ़ किये हैं, और केवल एक मर्तबा यह नमाज़ पढ़ी है (अत्त–वस्सुल वल वसीला) “तख़रीज सलातुर्रसूल” पुस्तक के संपादक, इब्ने हज़्म रह॰ के हवाला से लिखते हैं: “नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज ग्रहन केवल एक बार लगा है। यह घटना 29 शव्वाल सन 10 हिज्री/632 मीलादी/27 जनवरी, सोमवार के दिन सुब्ह 8 1/2 बजे घटी, जैसा कि सुप्रसिद्ध ज्योतिषि और अंतरिक्ष विज्ञान के विशेषज्ञ महमूद पाशा ने लिखा है।” (देखें पुस्तक “तख़रीजे–सलातुर्रसूल” दारुल कुतुब–दिल्ली पृष्ठ 678)

❀❀❀

सलातुल् इसतिस्क़ा
(वर्षा के लिये नमाज़ पढ़ने का बयान)

नोटः— इस का अर्थ है "पानी माँगना"। और शरीअ़त की परिभाषा में उस नमाज़ को कहते हैं जो अकाल पड़ने, या वर्षा न होने के समय पढ़ी जाये।

बाब {पानी माँगने केलिये नमाज़ पढ़ने का बयान।}

447:— अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ़ तशरीफ़ ले गये और पानी के लिये दुआ़ माँगी। जब दुआ़ माँगने का इरादा किया तो क़िब्ला की तरफ़ मुँह कर के चादर को उलट लिया। और एक दूसरी रिवायत में है कि आप क़िब्ला की तरफ़ मुँह और लोगों की तरफ़ पीठे कर के दुआ़ करने लगे, फिर चादर उल्टी और दो रक्अ़तें अदा की।

फ़ाइदाः— पानी माँगने के तीन तरीक़े हैं (1) केवल दुआ़ माँगी जाये। यह दुआ़ नमाज़ के बाद माँगी जा सकती है और नमाज़ के अ़लावा भी। अकेले माँगी जाये या सामूहिक हालत में। (अहमद, इब्ने माजा, हाकिम) (2) नफ़ली या फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, या जुम्अ़ः के खुत्बे में भी दुआ़ की जाये (बुख़ारी, मुस्लिम) (3) इमाम, मुसलमानों को लेकर मैदान में जाये और दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ कर दो खुत्बे दे कर दुआ़ करे। (बुख़ारी, मुस्लिम, अहमद, अबू दावूद, तिर्मिज़ी, नसई) अबू हुरैरा रज़ि॰ शहर से बाहर निकले और बिला अज़ान व इक़ामत के दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ाई, फिर खुत्बा दिया और खुत्बा ही की हालत में दुआ़ की, फिर दुआ़ ही की हालत में अपना मुँह क़िब्ला की तरफ़ कर लिया, फिर अपनी चादर के दायें किनारे को बायें तरफ़ और बायें किनारे को उलट कर दाँयें तरफ़ कर लिया। (अहमद, इब्ने माजा, बैहक़ी)

बाब {वर्षा की बर्कत का बयान।}

448:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि (दुआ़ माँगने के बाद) वर्षा होने लगी, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थे, चुनान्चे आप ने अपना कपड़ा ऊपर चढ़ा लिया, और वर्षा से आप का पूरा शरीर भीग गया। इस पर लोगों ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! आप ने

ऐसा क्यों किया? आप ने फ़रमायाः इसलिये कि यह पानी अभी-अभी अल्लाह पाक के हाँ से आया है।

फ़ाइदा:- (1) ईदगाह में यह नमाज़ पढ़ी जाये (अबू दावूद) (2) मिंबर पर खुत्बा दिया जाये (3) दुआ में हाथों को इतना ऊपर उठाए कि बग़लें दिखाई देने लगें। (बुख़ारी-1031+मुस्लिम-895, 896) (4) इतना ऊपर न उठायें कि सर से ऊपर हो जाये (अबू दावूद) दुआ में हाथों की पुश्त को आसमान की तरफ़ कर ली जाये (मुस्लिम-895) इस नमाज़ में क़िब्ला की तरफ़ मुँह कर के दुआ करते हुये चादर भी पल्टी जाये (बुख़ारी-1025+मुस्लिम-894) एक रिवायत में है कि आप के ऊपर काली चादर थी। आप ने उस का निचला हिस्सा ऊपर लाना चाहा तो न ला सके, इसलिये अपने कंधों पर ही उलट लिया। (अबू दावूद-1164+इब्ने खुज़ैमा-1416) (5) चादर पलटते समय उस का अन्दर का हिस्सा बाहर किया जाये, दायाँ कनारा बायें कन्धे पर और बायाँ कनारा दायें कन्धे पर डाल लिया जाये। इमाम के साथ नमाज़ी भी चादर पलटें (अहमद-4/41) (6) बुलन्द आवाज़ से नमाज़ पढ़ाई जाये। (बुख़ारी-1024, 1025, 1005) नमाज़ पढ़ा कर खुत्बा दे, जिस प्रकार ईदैन में देते हैं (मुस्लिम, अबू दावूद) आम तौर पर लोगों का इसी पर अमल है, लेकिन एक सहीह हदीस में नमाज़ से पहले भी खुत्बा की रिवायत है (इब्ने खुज़ैमा-1047) (7) इस मस्अले में उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि इस नमाज़ के लिये अज़ान और इक़ामत नहीं कही जायेगी। (8) अन्त में पढ़ी जाने वाली चन्द दुआओं को भी नक़ल कर देना उचित है

(1) अल्लाहुम्मस् क़िना, अल्लाहुम्मस् क़िना अल्लाहुम्मस् क़िना (ऐ मेरे मौला! हमें पानी पिला, ऐ मेरे मौला! हमें पानी पिला, ऐ मेरे मौला! हमें पानी पिला) (बुख़ारी-1013)

(2) अल्लाहुम्मस् क़िना ग़ै-सन् मुग़ी-सन् मरी-अन् मरी-अन्, नाफ़ि-अन्, ग़ै-र ज़ार्रिन्, आजि-लन् ग़ै-र आजिलिन् (ऐ मेरे मौला! हमें पानी पिला! हम पर वर्षा कर जो हमारी प्यास बुझा दे, वह वर्षा हल्की फुवार बनकर अन्न उगाने वाली हो, लाभ देने वाली हो, हानि पहुँचाने वाली और देर लगाने वाली न हो) (अबू दावूद-1168, इब्ने खुज़ैमा-1416)

(3) अल्लाहुम्मस्क़ि अिबा-द-क व-बहाइ-म-क वन्शुर् रह्-म-त-क व-अह्यि ब-ल-द-कल् मय्यि-त (ऐ मेरे मौला! अपने बन्दों और पशुओं को सैराब कर दे, अपनी रहमत को फेला दे और अपने मुर्दा नगरों को जीवित कर दे) (अबू दावूद-1676, इस की सनद हसन है)

बाब {आँधी और बादल देख कर अल्लाह की पनाह माँगना और वर्षा होने पर प्रसन्न होना चाहिये।}

449:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब आँधी और झक्कड़ आता तो यह दुआ पढ़तेः

> **अल्लाहुम्म इन्नी अस्-अलु-क ख़ै-रहा, वख़ै-र मा फ़ीहा, वख़ै-र माउर्सि-लत् बिही, व-अऊज़ुबि-क मिन् शर्रिहा व-शर्रि मा फ़ीहा, व-शर्रि मा उर्सि-लत् बिही** (ऐ मेरे मौला! इस हवा में मैं भलाई चाहता हूँ, और इस के अन्दर जो कुछ है उस में भी भाई चाहता हूँ और जो कुछ देकर भेजी गयी है उस में भी भलाई चाहता हूँ। और ऐ मेरे मौला! इस हवा की बुराई से मैं पनाह चाहता हूँ, और जो कुछ इस में बुराई है उस से तेरी पनाह चाहता हूँ, और जो कुछ बुराई देकर भेजी गयी है उस से भी तेरी पनाह चाहता हूँ)

आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि जब आकाश पर बादल कड़कता और बिजुली चमकती तो आप का रंग बदल जाता (और हालत यह हो जाती कि) कभी घर में से निकल कर बाहर आ जाते और कभी अन्दर आते, कभी आगे आते और कभी पीछे जाते। और जब वर्षा होने लगती तब कहीं जा कर घबराहट समाप्त होती और आप के चेहरा पर प्रसन्नता को मैं पहचान लेती। आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने आप से पूछा तो आप ने फ़रमायाः ऐ आइशा! (मुझे डर लगा रहता है कि) कहीं ऐसा न हो जैसे "आद की क़ौम के लोगों ने देखा कि एक बादल का टुकड़ा उन के सामने आया तो वह कहने लगेः यह बादल हम पर वर्षा करेगा" (लेकिन हुआ इस के उलट। तो मैं भी डरता हूँ कि मैं बादल देख कर खुश हो जाऊँ लेकिन कहीं उस के उलट न हो जाये)

फ़ाइदा:– अल्लाह तआला ने आद क़ौम की हिदायत के लिये हूद अलै॰ को भेजा, तो उन्होंने क़ौम वालों को डराया, लेकिन उन्होंने मज़ाक़ उड़ाया। इस पर अल्लाह तआला ने बादलों में अज़ाब भर कर भेजा। जब उन्होंने उन बादलों को अपनी वादियों के ऊपर आते देखा तो मारे प्रसन्नता के चिल्ला उठेः "यह तो पानी का बादल है जो हम पर वर्षा करेगा (लेकिन) नहीं, नहीं, (इस में वर्षा नहीं है) बल्कि आँधी-तूफ़ान है, जिस की तुम जल्दी मचा रहे थे। (पार:26, सूर:अहक़ाफ़, आयत 23, 24) इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल देख कर घबरा जाते कि कहीं आद क़ौम वालों के बादलों की तरह इस में अज़ाब न हो, और जब वर्षा होने लगती तब आप को इत्मिनान होता। आज जबकि 27 दिसंबर 2004, सोमवार 7 1/2 यह सतरें लिख रहा हूँ बी.बी.सी लन्दन से समाचार आ रहा है कि सुनामी लहरों, समुद्री चक्रवाद, तेज़ हवाओं और तूफ़ान ने मुल्क के तटर्वतीय नगर चेन्नई, तमिलनाडु, पान्डेचरी, कन्याकुमारी, कोडालोर, नाग पटनम, केराला और मालदीप, मलेशिया, लंका, एन्डोनेशिया, सुमात्रा, अन्डमान नकोबार आदि मुल्कों में

तबाही मचा दी है, लाखों लोगों को इस तूफान ने लील लिया है। अल्लाह पाक हम मुसलमानों को सुरक्षित रखे, आमीन-ख़ालिद।

बाब {पुर्वा और पछुवा हवाओं का बयान।}

450:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पुर्वा हवा भेज कर मेरी सहायता की गयी, और आ़द क़ौम के लोग पछुवा हवा से हलाक किये गये थे।

फ़ाइदाः– अल्लाह तआ़ला ने ख़न्दक़ की लड़ाई के मौक़े पर पुर्वा हवा भेज दी जिस ने मक्का के मुश्रिकों और उन के साथी दूसरे क़बीला वालों के ख़ेमों को उखाड़ कर फेंक दिया, यहाँ तक कि उन के चूल्हों की हाँड़िया उल्ट गयीं, उन की सवारियाँ रस्सी तोड़ा कर भाग गयीं, उन की आँखें रेत और बालू-धूल से अन्धी हो गयीं, चुनान्चे उसी हालत में सब कुछ छोड़-छाड़ अपने प्राण बचा कर भाग निकले। इस प्रकार मुसलमानों को लड़ने और जंग करने की नौबत ही नहीं आयी और मदीना और वहाँ के मुसलमानों के जान-माल सुरक्षित रहे। पारः 21, अहज़ाब, आयत 9 में इसी घटना की ओर संकेत है।

❀❀❀

सलातुल् जना-ज़ति
(जनाज़ा के मसाइल का बयान)

फ़ाइदाः- 'जनाज़ा' शब्द "जीम" के ज़ेर के साथ (जिनाज़ा) भी पढ़ा जाता है। मुर्दा को नहला कर, कफ़न दे कर चारपाई आदि पर क़ब्रस्तान ले जाने के लिये रख दिया जाता है, उस समय चारपाई को मुर्दा के साथ "जनाज़ा" बोलते हैं। यह नमाज़ हिजरत के पहले वर्ष मदीना में पढ़ी गयी, इसलिये जो लोग हिजरत से पूर्व देहान्त कर गये उन की नमाज़ नहीं पढ़ी गयी। जनाज़ा के लिये "सलात" का शब्द आया है, जिस का अर्थ है "नमाज़" इसीलिये लोगों ने इसे भी नमाज़ कहा है। लेकिन यह दुरूस्त नहीं। वह नमाज़, नमाज़ ही नहीं जिस में रूकूअ और सज्दा न हो। और इस में रूकूअ और सज्दा नही है। "सलात" का अर्थ दुआ के माना में भी आता है, और यही अर्थ दुरूस्त है, अगर्चे दुआ माँगने का तरीक़ा विशेष है और आम तरीक़ा से हट कर है, वर्ना मुर्दा को सामने रख नमाज़ पढ़ना कोई अर्थ नहीं रखता है।

बाब {बीमार लोगों का हाल-चाल पूछने का बयान।}

451:- अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुये थे कि इसी बीच एक अन्सारी सहाबी ने आ कर सलाम किया और वापस जाने लगे तो आप ने पूछाः ऐ अन्सार के भाई! मेरे भाई सअद बिन मआज़ का क्या हाल है? उन्होंने कहाः ठीक-ठाक है। आप ने फ़रमायाः आप लोगों में से कौन-कौन उन का हाल-चाल लेने चलेगा? (यह कहकर) आप खड़े हो गये, चुनान्चे हम लोग भी तय्यार हो गये। हम लोग दस की संख्या में थे। हम लोगों के पास न जूता-चप्पल था और न ही मोज़ा, न टोपी और न क़मीस। लेकिन फिर भी कंकरीली-पथरीली भूमि पर चले जा रहे थे। जब उन के पास पहुँचे तो जो उन के पास बैठे हुये थे वह हट गये, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप के साथ के सहाबा उन के पास गये।

फ़ाइदाः- बीमार की ख़ैरियत और हाल-चाल लेने और बीमार पुर्सी के लिये उस के घर जाना अनिवार्य है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुसलमान के मुसलमान पर पाँच हक़ हैं, उन में से एक बीमार की पुर्सी करना और जनाज़ा के साथ

जाना है। (बुख़ारी-मुस्लिम) जब एक मुसलमान अपने बीमार मुस्लिम भाई का हाल-चाल मालूम करने के लिये उस के पास जाता है तो उस समय तक जन्नत के फलों के बीच में रहता है। (मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अहमद) एक और रिवायत में है कि जब एक मुसलमान अपने बीमार भाई की ख़ैरियत मालूम करने सुब्ह के समय उस के पास जाता है, तो शाम तक सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उस के लिये रहमत की दुआ़ए करते हैं। (तिर्मिज़ी-970, अबू दावूद-3098)

बाब {बीमार या मौता (मुर्दा) के पास जाये तो क्या कहा जाये?}

452:- नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम बीमार या मय्यित के पास जाओ तो (उस के हक़ में) अच्छी बातें कहो, क्योंकि उस समय जो कुछ भी तुम कहते हो उस पर फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बयान किया कि जब (मेरे पति) अबू सलमा का देहान्त हो गया तो मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जा कर कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! (मेरे पति) अबू सलमा का देहान्त हो चुका है। आप ने फ़रमायाः यह दुआ़ करोः

> **अल्लाहुम्मग़् फ़िर्ली व-लहू, वआ़क़िब्नी मिन्हु उक़्-ब-तन् ह-स-न-तन्**
> (ऐ मेरे मौला! मुझे और उन को बख़्श दे, और मुझे उन से अच्छा बदल अ़ता फ़रमा)

उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने यह दुआ़ की तो अल्लाह पाक ने मुझे उन से भी अच्छा बदल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को (पति के रुप में) दिया।

फ़ाइदाः- इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक बीमार का हाल मालूम करने के लिये गये तो यह दुआ़ की

> **ला बा-स तहूरुन इन् शा-अल्लाहु**
> (कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो यह बीमारी तुम्हारे पाँवों को धो देगी (बुख़ारी-3616, 3656, 6552)

आ़इशा रज़ि॰ ने फ़रमायाः जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने घर वालों में से किसी बीमार का हाल-चाल लेने उस के घर जाते तो यह दुआ़ देतेः

> **अल्लाहुम्म रब्बन्नासि, अज़्हिबिल् बा-स, इश्फ़ि, व-अन्-तश्शाफ़ी, ला शिफ़ा-अ इल्ला शिफ़ाउ-क शिफ़ा-अन् ला यग़दिरु सुक़्-मन्**
> (ऐ लोगों के पर्वरदिगार! तक्लीफ़ को लेजा, तंन्दुरुस्ती अ़ता फ़रमा, तू ही स्वास्थ देने वाला है, तेरे स्वास्थ के अतिरिक्त और कोई स्वास्थ नहीं, तो इस प्रकार स्वास्थ दे जो बीमारी को बाक़ी न रहने दे) (बुख़ारी-5675, 5743, मुस्लिम-2191)

इस के अतिरिक्त और भी दुआएँ पढ़ने का हुक्म है। मैं ने दुआओं को हिन्दी लिपि में दे दिया है ताकि याद कर सकें।

बाब {जो बीमार मरने के निकट हो उसे "लाइला–ह इल्लल्लाह" पढ़ने का इशारा करना चाहिये।}

453:– अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपने उन बीमारों को जो मरने के कगार पर (निकट) हों उन्हें "ला इला–ह इल्लल्लाह पढ़ने की ओर ध्यान दिलाओ।

फ़ाइदाः– आप उसे पढ़ने का हुक्म हर्गिज़ न दें, हो सकता है वह तक्लीफ़ की वजह से नाराज़ हो कर इन्कार कर दे, और उस का इन्कार उस के लिये मुसीबत बन जाये। आप उस के पास बैठ कर पढ़ें और इस प्रकार के इशारे करें और बातें कहें कि उस की पढ़ने की ओर दिल्चस्पी पैदा हो। फिर उस की इच्छा होगी तो पढ़ेगा, या नहीं पढ़ेगा। बड़े दुःख की बात है कि आज–कल के मुसलमान बीमार के पास बैठ कर तो पढ़ते नहीं, अल्बत्ता चारपाई को कन्धा देते हुये "लाइला–ह इल्लल्लाहु मु–हम्मदुर्रसूलुल्लाहि" का गोहार लगाते हैं। किस ने यह इतनी बड़ी बिद्अ़त और खुराफ़ात ईजाद कर दी, अल्लाह जाने।

बाब {जो अल्लाह से मिलना चाहता है, तो अल्लाह भी उस से मिलने की इच्छा करता है।}

454:– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो अल्लाह से मिलना चाहता है तो अल्लाह भी उस से मिलना चाहता है। और जो अल्लाह से मिलने की इच्छा नहीं रखता तो अल्लाह भी उस से मिलना नहीं चाहता। इस पर आ़इशा रज़ि॰ ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मौत को तो हम सभी लोग नापसन्द करते हैं। आप ने फ़रमायाः मेरा यह कहने का अर्थ नहीं है बल्कि (यह है कि) जब मोमिन बन्दा को (अन्तिम समय में) अल्लाह की रहमत, उस की कृपा और जन्नत की सूचना दी जाती है तो वह अल्लाह से मिलने की इच्छा प्रकट करने लगता है (और उस बीमारी से जल्द छुटकारा पाना चाहता है) तो अल्लाह पाक भी उस से मिलना चाहता है (यानी जल्द बुला लेता है) और जब उसे (उस के अन्तिम समय) अल्लाह के दन्ड और प्रकोप की सूचना दी जाती है तो वह अल्लाह पाक से मिलने से भागता है तो अल्लाह पाक भी उस से मिलना नहीं चाहता।

एक दूसरी रिवायत में शुरैह बिन हानी से रिवायत है कि अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान कियाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो अल्लाह से मिलना चाहता है तो अल्लाह भी उस से मिलना चाहता है, और जो अल्लाह से मिलना पसन्द नहीं करता तो अल्लाह पाक भी ऐसे बन्दे से मिलना पसन्द नहीं करता। शुरैह बिन हानी बयान करते

हैं कि यह हदीस सुन कर मैं आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ के पास गया और उन से कहाः ऐ मुसलमानों की माता जी! हम से अबू हुरैरा ने इस प्रकार की हदीस बयान की है। अगर यह ठीक है तब तो हम सब बर्बाद हो गये। यह सुन कर उन्होंने कहाः अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जिस के बर्बाद होने के बारे में फ़रमा दिया है तो फिर उसे बर्बाद होना ही है (इस में किसी प्रकार का सन्देह नहीं) मगर वह हदीस तो बयान करो। मैं ने कहाः (अबू हुरैरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो अल्लाह से मिलना चाहता है तो अल्लाह भी उस से मिलना चाहता है, और जो उस से नहीं मिलना चाहता, तो वह भी उस से मिलना नहीं चाहता, और हम में से कोई ऐसा नहीं जो मौत को बुरा न जाने। यह सुन कर आइशा रज़ि॰ ने कहाः जी हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, लेकिन इस हदीस का वह अर्थ नहीं जो आप समझ रहे हैं, बल्कि इस का यह अर्थ है कि जब आँखें फिर जायें, दम सीना में घुटने लगे, शरीर के बाल खड़े हो जायें, उगँलियाँ टेढ़ी हो जायें (अर्थात प्राण त्यागने की स्तिथि में हो जाये) तो उस समय जो अल्लाह से मिलना पसन्द करेगा तो अल्लाह पाक भी उस से मिलना पसन्द करेगा, और जो उस समय अल्लाह से मिलना पसन्द नहीं करता तो फिर अल्लाह भी ऐसे व्यक्ति से मिलना पसन्द नहीं करता है।

बाब {मौत के समय अल्लाह पाक से नेक गुमान और आशाएँ रखने का बयान।}

455:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने देहान्त से तीन दिन पूर्व फ़रमायाः कोई आदमी न मरे मगर यह कि मरते समय उसे अल्लाह के बारे में नेक गुमान हो।

फ़ाइदाः– एक दूसरी हदीस में फ़रमायाः सुनो! तुम में से किसी को मौत न आये मगर इस हाल में कि वह अल्लाह से नेक आशाएँ रखने वाला हो (अहमद, इब्ने माजा, अबू दावूद, बैहक़ी) अल्लाह से नेक आशाएँ वही रखेगा जिस के दुनिया के कार्य नेक हों। मतलब यह है कि नेक कार्य करो, इस से अल्लाह पाक से मग़्फ़िरत की आशा दिल में पैदा होगी, और मरते समय घबराहट, डर और ख़ौफ़ नहीं होगा। एक सहाबी ने प्रश्न कियाः सब से बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? आप ने फ़रमायाः जो सब से अधिक मौत को याद करता है और उस के लिये सब से अधिक तय्यारी करता है (तबरानी–रिवायत हसन है)

बाब {मरने के बाद मय्यित की आँखें बन्द कर देनी चाहिये और उस के लिये दुआएँ करनी चाहिये।}

456:– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा रज़ि॰ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (मेरे पति) अबू सलमा की अ़यादत करने आये तो उन की आँखें खुली रह गयी थीं, चुनान्चे आप ने उन्हें बन्द कर दिया–

और फ़रमायाः जब जान निकलती है तो आँखें उस के पीछे टकटकी बाँध कर देखती रहती हैं (इसलिये खुली रहती हैं) फिर उन के घर वालों ने रोना-पीटना आरंभ कर दिया तो आप ने फ़रमायाः उन के लिये अच्छी दुआएँ करो, इसलिये कि फ़रिश्ते तुम्हारी ज़बान से निकलने वाली बातों पर आमीन कहते हैं, फिर आप ने अबू सलमा के लिये इस प्रकार दुआ कीः

> **अल्लाहुम्मग़ फ़िर् लि-अबी स-ल-म-त वर्फ़ा द-र-ज-तहू फ़िल् महदीयी-न वख़्लुफ़्हु फ़ी अक़िबिही फ़िल् ग़ाबिरी-न वग़्फ़िर् लना व-लहू या रब्बल् आ-लमी-न वफ़्-सह् लहू फ़ी क़ब्रिही व-नव्विर् लहू फ़ीहि**
> (ऐ मेरे मौला! अबू सलमा को बख़्श दे और उन का मतबा हिदायत पाने वालों से भी ऊचा कर दे, उन के पीछे ख़ान्दान वालों की रखवाली फ़रमा। (ऐ अल्लाह!) हमें भी बख़्श दे और उन्हें भी बख़्श दे। ऐ सारे जहान के पालनहार! उन की क़ब्र को कुशादा कर दे और उसे नूर से भर दे)

फ़ाइदाः- नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा के लिये दुआ फ़रमायी थी। आप भी दुआ को पढ़ें और अबू सलमा के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लें। मय्यित पर आँसू बहाना हक़ है और यह फ़ितरी बात है, लेकिन आवाज़ के साथ हराम है। यही हदीस बयान करने वाली उम्मे सलमा रज़ि॰ बयान करती हैं कि मेरे पति का हबशा में देहान्त हो गया तो मैं यह कह कर रोने लगीः "हाये-हाये, मेरे पति पर्देसी थे, पर्देस में देहान्त कर गये" तो आप ने फ़रमायाः क्या तुम चाहती हो कि जिस शैतान को (यानी जाहिलिय्यत के कामों को) घर से निकाल दिया था उसे दोबारा अपने घर में घुसेड़ लो। (मुस्लिम, अहमद, बैहक़ी) जब आप के पुत्र इब्राहीम को मरते समय आप के सामने पेश किया गया तो आप की आँखों से आँसू बहने लगे। यह देख कर अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि॰ ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! आप भी? आप ने फ़रमायाः यह अल्लाह की रहमत है। (बुख़ारी 1284)

बाब {मय्यित के शव को कपड़े से ढाँप देना चाहिये।}

457:- आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देहान्त हुआ तो आप को (हरे रन्ग की) एक यमनी चादर से ढक दिया गया।

बाब {मोमिनों और काफ़िरों की रुहों का बयान।}

458:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब मोमिन की जान शरीर से निकलती है तो दो फ़रिश्ते आ कर उसे आकाश की तरफ़ चढ़ा ले जाते

हैं। (हदीस के रावी हम्माद ने कहा कि अबू हुरैरा रज़ि॰ ने रिवायत बयान करते समय खुश्बू और मुश्क का भी ज़िक्र किया) और कहाः आसमान वाले फ़रिश्ते कहते फिरते हैं कि ज़मीन से यह जो रुह आई है पवित्र और पाक रुह है, अल्लाह पाक तुझ पर और तेरे शरीर पर रहम फ़रमाए। फिर उस रुह को अल्लाह पाक के पास लेकर जाते हैं, तो वह फ़रमाता हैः इसे ले जाओ (और अिल्लीयीन में, जहाँ मोमिनों की रुहें जमा होती हैं, वहाँ जमा कर दो) और जब काफ़िर लोगों की जान निकलती है तो (हम्माद रावी ने बयान किया कि अबू हुरैरा रज़ि॰ ने रिवायत बयान करते समय बदबू और उस पर लानत का ज़िक्र किया) कि आसमान के फ़रिश्ते उस के बारे में कहते फिरते हैंः ज़मीन से यह रुह जो आई है नापाक रुह है, फिर हुक्म होता है कि इसे यहाँ से ले जाओ (और सिज्जीन के स्थान पर जमा कर दो, जहाँ काफ़िरों की रुहें रहती हैं) अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कपड़ा ओढ़े हुये थे (जब आप ने काफ़िर की रुह का बयान किया) तो उसे अपनी नाक पर रख लिया।

फ़ाइदा:- 'अिल्लीयीन-सिज्जीन' का बयान पारः 30, सूरः मुतफ़्फ़िफ़ीन में आया है, वहाँ तफ़सील देखें। मालूम हुआ कि अच्छे-बुरे व्यक्ति की जानों के साथ, मरने के पश्चात ही उन के कर्मों के अनुसार कार्यवाही आरंभ हो जाती है और क़ियामत तक यह सिलसिला जारी रहता है।

बाब {मुसीबत पर सब्र करने का बयान।}

459:- अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महिला के पास से गुज़रे जो अपने बच्चे (के देहान्त) पर रो-पीट रही थी, उसे देख कर आप ने फ़रमायाः अल्लाह से डरो और सब्र से काम लो। यह सुन कर वह कहने लगीः आप को मेरी मुसीबत की क्या चिंता है (यह तो वही जाने जिस पर आती है) यह सुन कर आप उस महिला के पास से चले गये। लोगों ने उसे बतायाः वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। यह सुन कर (उस के होश उड़ गये और) मालूम होने लगा कि वह भी मौत के मुँह में (मारे अफ़सोस के) चली जायेगी। चुनान्चे आप के घर पर आयी तो वहाँ कोई चौकीदार न पा कर (दर्वाज़े के बाहर ही) कहने लगीः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं ने आप को नहीं पहचाना था (इसलिये मुझ से गुस्ताख़ी हो गयी थी) आप ने उत्तर दियाः (कोई बात नहीं, लेकिन) सब्र तो उसी का नाम है जो दुःख और परेशानी के प्रथम चरण में ही किया जाये।

फ़ाइदा:- बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत में है कि वह क़ब्र पर बैठी रो रही थी, आप ने उस से कहा तो वह बोलीः तुम यहाँ से जाओ, तुम पर इस प्रकार की विपदा पड़ती तो पता चल जाता.....(1252, 1283-अनस बिन मालिक) मालूम हुआ कि अचानक कोई मुसीबत आती है तो अचानक दिल को भी झटका लगता है और क़ाबू से बारहर हो जाता है। इसी अव्वल झटके और चोट पर क़ाबू पाना और कंट्रोल करना इसी का नाम

वास्तव में सब्र है। वर्ना एक व्यक्ति पेट भर रो-पीट कर बेहाल हो जाये, फिर ख़ामोश हो जाये, इस ख़ामोशी का नाम सब्र नहीं है।

बाब {संतान के मर जाने पर अगर कोई सवाब की निय्यत से सब्र करे तो उसे अवश्य ही सवाब मिलेगा।}

460:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्सारी महिलाओं से फ़रमायाः तुम में से जिस के तीन बच्चे देहान्त कर जायें और वह सब्र से काम ले तो जन्नत में जायेगी। यह सुन कर एक महिला बोलींः ऐ अल्लाह के रसूल! अगर दो मर जायें तो? आप ने फ़रमायाः दो के मरने पर भी जन्त मिलेगी।

एक दूसरी रिवायत में है कि आप ने फ़रमायाः जिस मुसलमान के तीन बच्चे मर जायें उस को जहन्नम की आग न छुएगी, मगर क़सम पूरी करने के लिये।

फ़ाइदाः- पारः16, सूरः म्रयम आयत 71 में अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया हैः "तुम में से कोई भी नहीं जिस का जहन्नम के ऊपर से गुज़र न हो, यह तुम्हारे रब की तरफ़ से लाज़िमी हुक्म है जो ज़रुर पूरा हो कर रहेगा।" अर्थात अच्छे और बुरे सभी लोगों को गुज़रना है। हदीस में "जहन्नम की आग नहीं छुएगी मगर क़सम उतारने के लिये" इसी आयत की ओर इशारा है, कि अगर अल्लाह ने इस आयत में जहन्नम के ऊपर से गुज़रना लाज़िमी न क़रार दिया होता तो वह महिला जिस ने तीन-बच्चों के मरने पर सब्र किया, जहन्नम के ऊपर से भी जन्नत में जाने के लिजये नहीं गुज़रती, जहन्नम से तक्लीफ़ पहुँचना तो दूर की बात। एक रिवायत में है कि एक बच्चे के मरने से अधिक तक्लीफ़ होती है, इस लिये जवान के मरने पर अगर सब्र किया तो इस पर भी जन्त की हक़दार होगी।

बाब {विपदा और मुसीबत के समय क्या कहना चाहिये।}

461:- नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः जब कोई बन्दा मुसीबत में कहेः

इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन्+ अल्लाहुम्म अजुर्नी फ़ी मुसी-बती व-अख़लिफ़ ली ख़ै-रम्मिन्हा

(हम अल्लाह के लिये हैं, और उसी की ओर लौट कर जाना भी है+ ऐ मेरे मौला! मेरी इस मुसीबत में मुझे इस पर नेक बदला दें और उस से अच्छी वस्तु अ़ता फ़रमा)

उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बयान किया कि जब (मेरे पति) अबू लमा का देहान्त हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के आदेश के अनुसार मैं ने (ऊपर की) दुआ पढ़ी तो (उस दुआ की बर्कत से) अल्लाह ने मुझे (पहले पति से) अच्छा पति (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की शक्ल में अ़ता फ़रमाया।

फ़ाइदा:— उम्मे सलमा रज़ि॰ के पूर्व पति अबू सलमा रज़ि॰ बड़े बहादुर थे। उहुद की जन्ग में दुश्मन का नेज़ा लगने से बाज़ू घायल हो गया था, बाद में घाव अच्छा हो गया। फिर कबीला बनी असद पर चढ़ाई की तो घाव पुनः हरा हो गया और इसी बीमारी में सन 3 हि॰ में देहान्त कर गये। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन की पत्नी उम्मे सलमा से निकाह कर लिया। उस समय उम्मे सलमा की आयु 20 वर्ष और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की 55 वर्ष थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में 7 वर्ष तक रहीं। आप ने उन के बच्चों अ़म्र, सलमा, ज़ैनब और दुर्रा की पर्वरिश की। उम्मे सलमा रज़ि॰ का देहान्त सन 59 हि॰ में 84 वर्ष में हुआ। इन से कुल 378 हदीसें रिवायत हैं जिन में मुस्लिम शरीफ़ में 13 रिवायतें हैं। (रहमतुल्लिल् आ़लमीन)

दुआ़ का यह असर हुआ कि अबू सलमा के देहान्त के पश्चात उन से अच्छा पति अल्लाह ने दिया। आप अनुमान लगाएँ ऐसे मौक़ा पर इस दुआ़ का पढ़ना बड़ा आवश्यक है। आवश्यक्ता के कारण दुआ़ को हिन्दी लिपि में लिख दिया है ताकि केवल हिन्दी भाषी भी याद कर लें।

बाब {मय्यित पर रोने—चिल्लाने का बयान।}

462:— उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ के पुत्र अ़ब्दुल्लाह से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि सअ़द बिन उबादा रज़ि॰ बीमार हुये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन का हाल—चाल लेने गये। आप के साथ अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़, सअ़द बिन अबू वक़्क़ास और अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ भी थे। आप उन के पास पहुँचे तो वह उस समय बेहोश (अचेत अवस्था में) थे। इस पर आप ने फ़रमाया: क्या इन का देहान्त हो गया? लोगों ने कहा: नहीं। आप रोने लगे, यह देख कर मौजूद सभी लोग रोने लगे। यह देख कर आप ने फ़रमाया: सुनों! अल्लाह पाक आँखों से आँसू निकलने और दिल के रन्जीदा होने पर अजाब नहीं देता है, वह अ़ज़ाब और सवाब इस पर देता है, फिर आप ने ज़बान की तरफ़ इशारा किया।

फ़ाइदा:— अर्थात ज़बान से अगर बुरी बातें निकालें, और चीख़—पुकार करें तो इस पर अ़ज़ाब होता है और अगर नेक बातें निकालें तो सवाब मिलता है। सअ़द बिन उबादा रज़ि॰ क़बीला ख़ज़रज के अन्सारी सर्दार थे, आप के साथ जन्गों में बड़ी बहादुरी से लड़ें। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को उन से बड़ी मुहब्बत थी, चुनान्चे आप उन की अ़यादत के लिये स्वयँ चल कर गये, स्वँय रोए और सहाबा को भी रोलाया। सन 15 हि॰ में उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ की ख़िलाफ़त के शासन काल में मुल्क शाम के एक स्थान "हौरान" में शहीद कर दिये गये। देहान्त के समय एक पत्नी और तीन बेटे छोड़े। रज़ियल्लाहु अ़न्हु।

इस हदीस से मालूम हुआ कि रोना—आँसू बहाना फ़ितरी बात है, इस पर इन्सान

का क़ाबू नहीं, लेकिन चीख़ना, चिल्लाना, बैन करना, नौहा करना, बाल नोचना, गाल पीटना आदि नाजाइज़ और हराम है। देखें नीचे की हदीस न॰ 463, 464, 465।

बाब {नौहा और मातम की कठोर आलोचना का बयान।}

463:– अबू मालिक अश-अ़री रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरी उम्मत के कुछ लोग जाहिलिय्यत के समय काल की चार चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे (1) अपने वंश और हसब-नसब पर अभिमान करना (2) एक-दूसरे को हसब-नसब में ताना देना (3) नक्षत्रों को देख कर उन से पानी की आशा करना (4) किसी के मरने पर चीख़-चिल्ला कर रोना-पीटना। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इस प्रकार नौहा और मातम करने वाली महिला ने मरने से पूर्व अगर तौबा नहीं किया तो क़ियामत के दिन उस के शरीर पर गंधक की क़मीस और खुजली वाला कुर्ता होगा।

फ़ाइदाः– ऊपर की हदीस में बयान चार बातों में पहली यह है कि मैं शेख़, सिद्दीक़ी, सय्यद और ख़ान की नस्ल से हूँ। दूसरी का यह अर्थ है कि तू जोलाहा, धुनिया और बढ़ई, लोहार जैसे नीचे गोत्र से है। तीसरी बात का यह अर्थ है कि बरसात के मौसम में लोग तारों को अक्सर देखते हैं, फिर अनुमान लगा कर कहते हैं कि उन के इशारे से पता चलता है कि आज वर्षा होगी। गोया उन का अ़क़ीदा हो जाता है कि वर्षा अल्लाह नहीं करता है, तारे करते हैं। दीहात में जाहिल लोग आज के समय काल में भी इसी प्रकार की बातें करते हैं। चौथी बात के बारे में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मय्यित पर नौहा, मातम करने वाली, गरीबान फाड़ने वाली, चीख़-चिल्ला कर रोने वाली, सर मुँड़ाने वाली, सीना पीटने वाली, बैन करने वाली, गाल पीटने वाली और बालों को नोचने वाली पर लानत फ़रमायी है (बुख़ारी-1296, 1297, 1298, 1294) चूँकि आ़म तौर पर यह हर्कतें महिलायें करती हैं इसलिये उन का ज़िक्र है, वर्ना पुरुष भी उन की तरह करेगा तो वह भी लानती होगा।

बाब {जो गरीबान फाड़े और अपने मुँह पर तमाचा मारे वह हम में से नहीं।}

464:– अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो गाल पीटे, गरीबान फाड़े और जाहिलिय्यत (कुफ़्र) की बातें बके वह हम में से नहीं।

बाब {ज़िन्दा के रोने से मुर्दा को अ़ज़ाब होता है।}

465:– अ़ब्दुर्रहमान की बेटी अ़म्रा रज़ि॰ ने बयान कियाः जब आ़इशा रज़ि॰ के सामने बयान किया गया कि उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ का कहना है ज़िन्दा के रोने की वजह से मुर्दा पर अ़ज़ाब होता है, तो उन्होनें कहाः अल्लाह पाक उन्हें माफ़ करे, उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं कहा, लेकिन ज़रा सी भूल-चूक हो गयी। मालूम रहे कि एक मर्तबा नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक यहूदी महिला के पास से गुज़रे जिस के मर जाने पर लोग रो रहे थे, यह देख कर आप ने फ़रमायाः यह लोग उस पर रो रहे हैं, लेकिन उस को क़ब्र में अ़ज़ाब दिया जा रहा है।

फ़ाइदाः– इस हदीस में बड़ा इख़्तिलाफ़ है। कुछ उलमा का कहना है कि उस मय्यित पर अ़ज़ाब होता है जो मातम करने की वसिय्यत कर जाये। आ़इशा रज़ि॰ का यह कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सूचना के तौर पर यह बात कही थी कि इन पागलों को देखो उस महिला को तो (दीन इस्लाम न स्वीकार करने के जुर्म में) अ़ज़ाब हो रहा है और यह मातम कर रहे हैं। सहीह बात वह है जिसे इब्ने तैमिया रह॰ ने कहा है कि अ़ज़ाब से मुराद तक्लीफ़ है। यानी घर वालों के ग़ैर इस्लामी हर्कतें करने की वजह से उस मुर्दा को तक्लीफ़ पहुँचती है और उसे दुःख और अफ़सोस होता है कि उन्होंने दुआ़ करनी चाहिये, लेकिन वह लोग अल्लाह और उस के रसूल के आदेश के ख़िलाफ़ अ़मल कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी उलमा हैं जिन का कहना है कि तावील करने की आवश्यक्ता नहीं, आप ने फ़रमा दिया कि अ़ज़ाब होता है इसे माना जाये–अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन "करे कोई भरे कोई" यानी मातम कोई करे और अ़ज़ाब मुर्दा को हो वाली बात समझ से परे है। यह हदीस बुख़ारी शरीफ़ में विस्तार से बयान हुयी है देखें–1284, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292)

बाब {आराम पाने वाले और जिस से लोगों को आराम मिले, इस बारे में बयान।}

466:– अबू क़तादा बिन रिब्अ़ी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो आप ने फ़रमायाः यह मय्यित स्वँय आराम पाने वाला है और इस के मर जाने से लोगों ने भी आराम पाया। इस पर सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! इस का क्या अर्थ है? आप ने उत्तर दियाः जो मोमिन होता है (मरने के बाद) दुनिया की तक्लीफ़ों से आराम पाता है, और जो बुरा होता है उस के मरने से इन्सान, नगर, पेड़–पौधे और जानवर सभी सुख–चैन की साँस लेते हैं।

फ़ाइदाः– नेक बन्दा जब मरता है तो वह दुनिया की तक्लीफ़ों और परेशानियों–कठिनाइयों से नजात पा जाता है। और जब बुरा बन्दा, जो जीते–जी लोगों पर अत्याचार करता है, जानवरों को मारता–पीटता है, इन्सानोंपर जुल्म ढाता है, पेड़–पोधों तक को काटता–तोड़ता है, नगर के लोग उस के आतंक से परेशान रहते हैं, ऐसा बन्दा जब मरता है तो सभी लोग सुख चैन की साँस लेते हैं।

बाब {मय्यित को नहलाने का बयान।}

467:– उम्मे अ़तिय्या रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब रज़ि॰ का देहान्त हो गया तो आप ने मुझ से

कहाः इन्हें ताक़ बार, तीन या पाँच बार नहलाना, अगर उचित समझो तो इस से अधिक बार भी नहला सकती हो। नहलाने वाले पानी में बैरी के पत्ते भी मिला लेना और अन्त में काफ़ूर (या आप ने फ़रमाया) थोड़ा सा काफ़ूर भी मिला लेना। और जब नहला लेना तो मुझे सूचित कर देना। चुनान्चे जब मैं नहला चुकी तो आप को इस की सूचना दी, तो आप ने चादर दी और फ़रमायाः यह अन्दर उन के बदन पर लपेट दो।

फ़ाइदाः– इस हदीस से नहलाने का पूरा तरीक़ा नहीं मालूम हुआ। उम्मे अ़तिय्या ही से रिवायत है कि मैं ने जब नहलाना आरंभ किया तो पहले दायें तरफ़ से आरंभ किया और वुज़ू के हिस्सों से शुरु किया (बुख़ारी– 1256, 1255) अन्त में कंघी कर के उन के बालों के तीन लट बना दिये (बुख़ारी–1254) एक रिवायत में है कि चोटियों को कमर के पीछे डाल दिया (बुख़ारी–1259+मुस्लिम) नहलाते समय बाल खोल कर धोना चाहिये (बुख़ारी–1260)

इन अहादीस की रोशनी में मय्यित को नहलाने का तरीक़ा इस प्रकार है। देहान्त के बाद उस की आँखें बन्द कर दी जायें, हाथ पाँव सीधे कर दिये जायें, क़मीस–पाजामा आदि उतार कर चादर से ढक दें। पानी में बैरी की पत्ती डाल कर उबाल लें। शरीर पर घाव हो और पट्टी बँधी हो तो उसे खोल कर धो दें। पेट को थोड़ा बहुत दबा दें ताकि जो कुछ निकलना हो निकल जाये। फिर जनाबत के स्नान की तरह स्नान दें। पहले वुज़ू कराएँ, फिर सर के बाल धोयें, फिर पूरे शरीर को तीन या पाँच या सात मतर्बा धोयें, साबुन को भी प्रयोग में ला सकते हैं, काफ़ूर और बैरी के पत्ते मिलाना सुन्नत है। महिला, अपने पति को और पति, अपनी पत्नी को स्नान दे सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने आइशा रज़ि॰ से कहा थाः अगर तुम मुझ से पहले मरोगी तो मैं तुम्हें स्नान दूँगा, जनाज़ा पढूगाँ और दफ़न करुँगा (अहमद, इब्ने माजा) अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ को उन की पत्नी अस्मा बिन्त उमैस ने स्नान दिया था (मुअत्ता इमाम मालिक–किताबुल् जनाइज़) मय्यित को नहलाने के बाद स्वँय नहाना ज़रुरी नहीं, हाथ-पैर धो लेना काफ़ी है। (तिर्मिज़ी) कफ़न में अ़मामा, पगड़ी, टोपी आदि का कहीं सबूत नहीं है।

बाब {मय्यित के कफ़न का बयान।}

468:– आइशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को 'सहूल' स्थान के बने हुये तीन सफ़ेद कपड़ों में कफ़नाया गया, उन में न क़मीस थी और न ही पगड़ी। हुल्ला का मामला यह है कि लोगों को शुब्हा हो गया है। हक़ीक़त यह है कि यह आप के लिये ख़रीदा तो गया था कि इसी में कफ़न दें, लेकिन ऐसा किया नहीं, बल्कि सहूल नगर की बनी हुयी तीन सूती चादरों में कफ़न दिया गया। और हुल्ला अबू बक्र के पुत्र अ़ब्दुल्लाह ने यह कह कर रख लिया कि इस से मेरा कफ़न होगा। आइशा रज़ि॰ ने कहा कि अगर अल्लाह पाक को हुल्ला में कफ़न

देना पसन्द होता तो वह आप के कफ़न ही में लगता, फिर उसे बेच डाला और उस की क़ीमत ख़ैरात कर दी।

फ़ाइदा:– मालूम हुआ कि ★महिला के कफ़न में पाँच और पुरुष के कफ़न में तीन कपड़े हों। ★सफ़ेद रंग का ज़रुरी नहीं, लेकिन बेहतर है ★मजबूरी में एक ही कपड़े में कफ़नाया जा सकता है। जन्ग उहुद के शहीदों में दो–दो, तीन–तीन को एक ही कपड़े में कफ़ना कर एक ही क़ब्र में दफ़न किया गया (अबू दावूद, तिर्मिज़ी) कफ़न का कपड़ा छोटा हो तो सर ढक दें और पैरों पर घास डाल दें। मुस्अ़ब बिन उमैर रज़ि॰ को इसी प्रकार कफ़न दिया गया था (बुख़ारी) कफ़न का कपड़ा पहले से ख़रीद कर रखा जा सकता है, इस में कोई हरज नहीं। अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तहबन्द (चादर) माँग कर कफ़न के लिये रख लिया था (बुख़ारी) कफ़न में पुराना कपड़ा भी दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़ैनब के कफ़न में अपना पहना हुआ तहबन्द ही दिया था (बुख़ारी, मुस्लिम) मर्द के लिये तीन कपड़ा होना चाहिये, कुर्ता तहबन्द और तीसरे में लपेटना। महिला के लिये पाँच। कुर्ता, तहबन्द, ओढ़नी (सरबन्द) चादर, लिफ़ाफ़ा जिस में लपेटी जाये (दावूद राज़) हसन बसरी रह॰ ने कहा कि महिला के लिये पाँचवा कपड़ा वही है जो क़मीस के नीचे रहता है जिस से महिला का सतर और रानें बाँधी जाती हैं (बुख़ारी–1261 का बाब) शहीद को बिना स्नान और कफ़न के उसी हालत में दफ़नाया जायेगा (अहमद, अबू दावूद, तिर्मिज़ी, बैहक़ी) हाजी को स्नान देकर एहराम का कपड़ा कफ़न में दिया जायेगा, लेकिन खुश्बू नहीं लगाई जायेगी और न ही सर ढका जायेगा। (बुख़ारी)

बाब {मय्यित को अच्छे से अच्छा कफ़न देना चाहिये।}

469:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक मर्तबा खुत्बा दिया, उस खुत्बा में एक ऐसे सहाबी का आप ने ज़िक्र किया जिन का देहान्त हो गया तो उन्हें ऐसे कपड़े में कफ़न दिया गया था जो छोटा था और रात में दफ़नाया गया था। फिर आप ने इस बात पर डाँट पिलाई कि उन्हें रात में दफ़न कर दिया गया और मैं ने जनाज़ा भी नहीं पढ़ी। आप ने फ़रमायाः ऐसा बहुत ही मजबूरी में किया जाना चाहिये। फिर फ़रमायाः जब तुम में से कोई अपने भाई को कफ़न दे तो अच्छा कफ़न दे।

फ़ाइदा:– इमाम तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने भी इसी प्रकार अबू क़तादा से रिवायत किया है। लेकिन अच्छे कफ़न का अर्थ यह नहीं कि वह बहुत ही बहुमूल्य हो, बल्कि नया हो, साफ़–सुथरा हो, अच्छा हो और कुशादा हो। चुनान्चे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कफ़न में हद से आगे न बढ़ो (यानी बहुत क़ीमती न दो) क्योंकि वह बहुत जल्दी सड़–गल जायेगा। (अबू दावूद) अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने देहान्त के समय अपने पहने हुये कपड़े की तरफ़ इशारा कर के कहाः इसे धो लेना, और दो नये ले लेना,

इन्ही नये और पुराने कपड़ों में कफ़न देना। मुर्दे से अधिक ज़िन्दा नए कपड़े का हक़दार है। (बुख़ारी)

रात को दफ़न करना इसलिये अच्छा नहीं कि जनाज़ा में कम लोग शामिल होंगे और कीड़े-मकोड़ों का भी ख़तरा है। अगर ऐसी बात नहीं है तो रात को दफ़न करने में कोई हरज नहीं। बहुत से सहाबा रात को दफ़न किये गये है। (मौलाना मुबारक पुरी)

बाब {जनाज़ा जल्दी ले जाने का बयान।}

470:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जनाज़ा ले जाने में जल्दी किया करो, इसलिये कि अगर वह नेक है तो उसे नेकी और भलाई की तरफ़ ले जा रहे हो, और अगर बुरा है तो उसे अपनी गर्दन से उतारते हो।

फ़ाइदाः– अगर वह नेक है तो क़ब्र में अपनी नेकियों का बदला आराम, शान्ति और चैन से सोने की शक्ल में पायेगा, इसलिये जल्दी से पहुचाओं ताकि अपना नेक बदला पा ले। और अगर बुरा है तो जल्दी से उसे अपने से परे ढकेलो ताकि उस से छुटकारा पाओ। हदीस में "गर्दन से उतारना" आया है, इस का अर्थ छुटकारा पाना है। (देखें हदीस न॰ 466) उस की बुराई और आतंक से इन्सान के साथ जानवर, पेड़-पोधे और घर-बार सभी पनाह पा जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब लोग जनाज़ा कन्धों पर उठाते हैं तो नेक व्यक्ति कहता हैः मुझे जल्दी ले चलो (ताकि मैं जल्दी से नेकी का बदला हासिल कर सकूँ) और जो बुरा होता है वह कहता हैः हाय, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उस की यह आवाज़ इन्सान के अ़लावा तमाम मख़्लूक़ सुनती है, अगर इन्सान सुन लें तो बेहोश हो जायें (बुख़ारी शरीफ़-1314)

इस हदीस में तो जल्दी ले जाने का ज़िक्र है, लेकिन जाहिल लोग रास्ता में तीन मर्तबा उतार कर उसे आराम देते हैं, इस का नाम उन्होंने "मन्ज़िल देना" रखा है। इस का सबूत कहीं भी कुरआन-हदीस में नहीं है। मन्ज़िल देना, रास्ता में जनाज़ा रख कर सुस्ताना और आराम देना, यह बिद्अ़त और निरी जिहालत है। हाँ, तीन मर्तबा कंधा देने का सबूत है। "जो जनाज़ा के साथ चलाऔर उसे तीन बार उठाया (यानी बार कंधा दिया) तो मय्यित का जो हक़ उस के ज़िम्मा था, वह उस ने अदा कर दिया (तिर्मिज़ी) इस का यह अर्थ नहीं कि ज़मीन पर तीन बार रख कर उठाओ, बल्कि चलते हुये बारी-बारी कन्धा बदलना मुराद है।

इसी प्रकार लोग ऊँची आवाज़ से कलिमा और दरुद आदि पढ़ते हुये चलते हैं, ख़ुश्बू और आग वग़ैरह भी ले लेते हैं। इन बातों का भी कहीं सबूत नहीं, यह सब बिद्अ़त के कार्य हैं।

बाब {जनाज़ा के पीछे महिलाओं का जाना मना है।}

471:– उम्मे अ़तिय्या रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हमें जनाज़ा के साथ चलने से रोका जाता था, मगर सख़्ती के साथ नहीं।

फ़ाइदा:– जनाज़ा के साथ मर्दों को जाना ज़रुरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर पाँच हक़ है, इन में एक उस के जनाज़ा के साथ चलना भी है। (बुख़ारी, मुस्लिम) जो जनाज़ा के साथ चला और जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी उसे एक क़ीरात सवाब मिलता है (बुख़ारी, मुस्लिम, अहमद) लेकिन महिलाओं का जाना दुरुस्त नहीं, इस का कारण यह है कि वह कमज़ोर दिल की होती है, वह रोना, चीख़ना, चिल्लाना आरंभ कर देंगी (बुखारी–313, 1278)

बाब {जनाज़ा देख कर खड़ा हो जाना चाहिये।}

472:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक जनाज़ा गुज़रा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खड़े हो गये, चुनान्चे हम सहाबा भी आप को खड़ा होते देख कर खड़े हो गये। फिर हम ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! यह तो एक यहूदीमहिला का जनाज़ा है। आप ने फ़रमाया: मौत, घबराहट की चीज़ होती है, इसलिये जब तुम जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाया करो।

फ़ाइदा:– एक रिवायत में है अगर तुम उस के साथ नहीं चल रहे हो तो खड़े हो जाया करो, यहाँ तक कि वह आगे गुज़र जाये, या उसे रख दिया जाये (बुख़ारी, मुस्लिम, अहमद, शाफ़अ़ी, बैहक़ी, अबू दावूद, तिर्मिज़ी, नसई, इब्ने माजा) लेकिन बाद में यह हुक्म मन्सूख़ हो गया जैसा कि नीचे की हदीस न॰ 473 से साबित है।

बाब {जनाज़ा देख कर खड़ा होने का हुक्म मन्सूख़ है।}

473:– अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को (जनाज़ा को देख कर) खड़े होते देखा, तो हम भी खड़े हुये, और जब आप बैठे (यानी जनाज़ा देख कर उठे नहीं) तो हम भी बैठे रहे (नहीं उठे)

फ़ाइदा:– मुस्नद इमाम अहमद के शब्द और स्पष्ट हैं "नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें जनाज़ा देख कर खड़े होने का आदेश दिया था, इस के बाद आप भी बैठने लगे और हमें भी बैठे रहने का हुक्म दिया (मुस्नद अहमद) लेकिन अगर कोई नसीहत हासिल करने और मौत याद करने के लिये खड़ा हो जाये तो इस में कोई गुनाह की भी बात नहीं। जनाज़ा चाहे मुसलमान का हो या ग़ैर मुस्लिम का, दोनों ही मौत को याद दिलाते हैं।

बाब {मय्यित पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़ने के लिये इमाम कहाँ खड़ा हो?}

474:– समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कअ़ब की माँ, जिन का बच्चा पैदा होने के बाद (ज़चगी की हालत में) देहान्त हो गया था, की जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी तो मैं ने भी आप के पीछे पढ़ी थी। उस समय आप उन के बीच में (कमर के पास) खड़े हुये थे।

फ़ाइदा:– मालूम हुआ कि जनाज़ा अगर महिला का है तो उस के बीच में (कमर के सामने) और अगर पुरुष का है तो उस के सर के सामने खड़ा हो। इमाम अहमद इमाम इस्हाक़, इमाम शाफ़ई और इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ और अहले हदीस उलमा का यही मज़हब है। इमाम बुख़ारी ने महिला और पुरुष का एक ही बाब बाँध कर ऊपर क–अ़ब की रिवायत लाये हैं। उन के नज़दीक महिला–पुरुष दोनों के बीच में खड़ा होना चाहिये (बुख़ारी–1332 का बाब) लेकिन इमासम साहब का ख़याल दुरुस्त नहीं है। अनस बिन मालिक ने भी महिला और पुरुष की जनाज़ा की नमाज़ पढ़ाई और दोनों में फ़र्क़ किया (तिर्मिज़ी, अहमद, इब्ने अबी शौबा) हाँ, अगर कई जनाज़े एक साथ हों उन में महिला–पुरुष दोनों के हों, तो पुरुष का जनाज़ा इमाम से क़रीब रखा जायेगा और इमाम सर के पास खड़ा होकर पढ़ायेगा। ऐसे मौक़े पर महिला का लिहाज़ कर के कमर के पास नहीं खड़ा होगा। इस में किसी का भी इख़्तिलाफ़ नहीं।

बाब {जनाज़ा की नमाज़ में तक्बीर कहने का बयान।}

475:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि जिस दिन नजाशी का देहान्त हुआ उसी दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस की सूचना दी, फिर ई़दगाह जा कर (उन की जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी और) चार तक्बीरें कहीं।

बाब {पाँच तक्बीरें भी कहने का बयान।}

476:– अबू लैला के पुत्र अ़ब्दुर्रहमान से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि ज़ैद रज़ि॰ जनाज़ा की नमाज़ में चार तक्बीरें पढ़ते थे, लेकिन एक मतबा पाँच तक्बीरें पढ़ीं। हम ने इस बारे में उन से पूछा तो उन्होंने कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी इसी प्रकार (कभी 4, कभी 5) तक्बीरें पढ़ा करते थे।

फ़ाइदा:– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से चार–पाँच दोनों तरह से साबित है। इतना ही नहीं, तबरानी की रिवायत में सात, और नौ का भी ज़िक्र है। चूंकि चार पर सभी का अ़मल है और इस में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं, इसलिये चार ही अफ़ज़ल है। अगर कोई पाँच कहना चाहे तो वह कह सकता है। लेकिन बहुत से उलमा और इमाम जैसे इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक और शाफ़ीई़ रह॰ चार से अधिक तक्बीरों को मन्सूख़ मानते हैं। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उहुद के शहीदों पर नौ तक्बीरों के साथ जनाज़ा पढ़ी, फिर आप पाँच कहने लगे, फिर चार कहने लगे यहाँ तक कि आप अपने मौला के पास पहुँच गये। इस से मालूम हुआ कि आप का अन्तिम अ़मल चार का था यही अफ़ज़ल है।

ऊपर की हदीस में नजाशी का ज़िक्र है। हब्शा के हर बादशाह का यही लक़ब है। इन का नाम "अस्हमा" था, इन की ग़इबाना जनाज़ा की नमाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। इन्होंने हिजरत कर के हब्शा जाने वाले मुसलमानों की बड़ी सहायता की थी।

शैखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह मुबारक पुरी रह० लिखते हैं "सब से बेहतर तो यह है कि चार तक्बीर से अधिक न हों। इख़्तिलाफ़ से बचने का यही एक रास्ता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अ़मल से अक्सर चार ही साबित है। फिर भी अगर कोई इमाम पाँच तक्बीरों से पढ़ाये तो उस की पैरवी करनी चाहिये, इसलिये कि पाँच का सबूत है और पाँच का इन्कार नहीं किया जा सकता।" (मिर्आत-भाग 2, पृष्ठ 477)

पहली तक्बीर में दुआए-सना के बाद सूरः फ़ातिहा और कोई सूरः (बुख़ारी-1335), दूसरी तक्बीर के बाद दरुद शरीफ़, तीसरी तक्बीर के बाद जनाज़ा की दुआ़, फिर चौथी तक्बीर कह कर सलाम फेर दे। (मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक-6428, इब्ने हजर ने इसे सहीह कहा है)

बाब {(जनाज़ा की नजाम़ में) मय्यित के लिये दुआ़ करने का बयान।}

477:— औ़फ़ बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी (तो उस में दुआ़ पढ़ी) और मैं ने भी उस दुआ़ को याद कर लिया। आप ने यह दुआ़ पढ़ीः

अल्लहुम्मग़ फ़िर् लहू वर्-हम्हु वआ़फ़िही वाफ़ु अ़न्हु व-अक्रिम् नुज़ु-लहू व-वस्से मद्-ख़-लहू वग़सिल्हु बिल् माइ वस्सल्जि वल्-ब-रदि+ व-नक़्क़िही मि-नल् ख़ता-य कमा नक़्क़ै-तस्सौ-बल् अब्-य-ज़ मि-नद्ध-नसि, व-अब्दिल्हु दा-रन् ख़ै-रन् मिन् दारिही व-अह्-लन् ख़ै-रन् मिन् अह्लिही वज़ौ-जन् ख़ै-रन् मिन् ज़ौजिही व-अद्ख़िल्हुल् जन्न-त व-अइज़्हु मिन् अ़ज़ाबिल् क़ब्रि वमिन् अ़ज़ाबिन्नारि+

(ऐ मेरे मौला! उसे बख़्श दे, उस पर रहम फ़रमा, उसे माफ़ कर दे, उसे अम्न-शान्ति में रख, उस की अच्छी मेहमानी कर, उस की क़ब्र को कुशादा कर दे। उसे पानी, बर्फ़ और ओलों से धो दे। उसे गुनाहों से इस प्रकार पाक कर दे जिस प्रकार तू कपड़े को मैल-कुचैल से पाक-साफ़ कर देता है। उस के लिये दुनिया के घर से बेहतर घर, दुनिया के रिश्तेदारों से बेहतर रिश्तेदार, और दुनिया की पत्नी से अच्छी पत्नी दे दे। उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमा ले

और आग से बचा ले, और क़ब्र के दन्ड से सुरक्षित रख ले।)

औफ़ बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि (मैं ने आप की मुबारक ज़बान से जब यह सुना तो) मैं तमन्ना करने लगाः काश यह मेरा जनाज़ा होता और आप की यह दुआ मुझे नसीब होती।

फ़ाइदाः– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से और भी दुआएँ साबित हैं। अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि आप ने यह दुआ भी पढ़ीः

अल्लाहुम्मग़ फ़िर् लि–हय्यिना व–मय्यितिना वशाहिदिना वग़ाइबिना व–सग़ीरिना व–कबीरिना व–ज़्–करिना वउन्साना, अल्लाहुम्म मन् अह्यै–तहू मिन्ना फ़–अह्यिही अ़–लल् इस्लामि, व–मन् त–वफ़्फ़ै–तहू मिन्ना फ़–त–वफ़्फ़हू अ़–लल् ईमानि

(मेरे मौला! हमारे ज़िन्दा–मुर्दा, हमारे ग़ाइब और मौजूद, हमारे छोटे–बड़े, हमारे महिला–पुरुष (सभी को) माफ़ फ़रमा दे। मेरे मौला! हम में से जिसे तू जीवित रख, इस्लाम पर जीवित रख, और जिसे मौत दे उसे ईमान पर मौत दे– (अबू दावूद, तिर्मिज़ी, नसई, इब्ने माजा, अहमद, इब्ने हिब्बान, हाकिम)

एक और दुआ हिन्दी लिपि में लिख देना उचित समझता हूँ ताकि याद करने में आसानी हो। अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है

अल्लाहुम्म अन्–त ख़–लक़्–तहा, व–अन्–त र–ज़क़्–तहा, व–अन्–त हदै–तहा लिल्इस्लामि, व–अन्–त क़–बज़्–त रु–हहा, ता–लमु सिर्रहा व–अ़लानि–य–तहा, नह्नु शु–फ़आ–अना फ़ग़्फ़िर् लहा

(मेरे मौला! तू ने ही इसे पैदा किया, तू ही ने इसे रोज़ी दी, तू ही ने इसे इस्लाम के रास्ते की हिदायत की, तू ही ने इस की जान निकाली, तू ही इस के भीतर–बाहर का जानने वाला है। हम तेरे पास इस की ओर से सिफ़ारिश करते हैं, इसलिये इस को माफ़ फ़रमा दें–(अबू दावूद, बैहक़ी, अहमद, नसई)

बाब {मय्यित की जनाज़ा की नमाज़ मस्जिद में भी दुरुस्त है।}

478:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब सअ़द बिन वक़्क़ास का देहान्त हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नियों ने सदेश दिया कि उन का जनाज़ा मस्जिद में लाया जाये ताकि हम सब भी पढ़ लें। चुनान्चे ऐसा ही किया गया, उन के कमरों के सामने रख दिया गया ताकि वह लोग भी पढ़ लें, फिर बाद में जनाज़ा बाहर ले जाया गया। कुछ सहाबा को जब इस की सूचना मिली तो उन्होंने

बुरा जाना और कहने लगेः जनाज़ा भी कहीं मस्जिद में लाते हैं? यह सुन कर आइशा रज़ि॰ बोलीं: लोगों का भी बुरा हाल है कि जिस के बारे में नहीं जानते उस बारे में भी बोल पड़ते हैं। उन्हें इस पर एतराज़ है कि जनाज़ा क्यों मस्जिद में लाया गया? हालाँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी बैज़ा रज़ि॰ के पुत्र सुहैल की जनाज़ा की नमाज़ मस्जिद के अन्दर ही पढ़ी थी।

फ़ाइदाः– मस्जिद में जनाज़ा रखना और जनाज़ा की नमाज़ पढ़ना निःसंदेह बिला कराहत जाइज़ है। अबू हुरैरा और उमर रज़ि॰ की जनाज़ा की नमाज़ मस्जिद में अदा की गयी। इमाम बुख़ारी ने भी मस्जिद में पढ़ने का बाब बाँधा है और हदीस नज्जाशी के जनाज़ा की लाये हैं जिसे ओ़दगाह में पढ़ा गया था। इमाम साहब यह कहना चाहते हैं कि ओ़दगाह की भी हैसिय्यत मस्जिद की है, जब वहाँ पढ़ना दुरुस्त है तो मस्जिद में भी जाइज़ है। (बुख़ारी–1327 का बाब) जो लोग मय्यित के शव को नापाक जानने के नाते मना करते हैं, उन की बुद्धि नापाक है। हदीस में आया है कि मोमिन बन्दा ज़िन्दा–मुर्दा नजिस नहीं होता। शैखुल् हदीस मौलाना उबैदुल्लाह मुबारक पुरी रह॰ लिखते हैं: "सच्ची बात यह है कि मस्जिद में जनाज़ा की नमाज़ बिला कराहत जाइज़ है, लेकिन अफ़ज़ल यह है कि मस्जिद से बाहर पढ़ी जाये, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अक्सर ओ़दगाह में पढ़ी है (मिर्आत, भाग 2 पृष्ठ 477) अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम और हाफ़िज़ इब्ने हजर रह॰ ने भी लिखा है कि मस्जिद में जनाज़ा की नमाज़ पढ़ना अगर्चे जाइज़ है, लेकिन बेहतर यह है कि इस के लिये मस्जिद से बाहर अलग जगह मुक़र्रर कर ली जाये, क्योंकि अहादीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अलग जगह मुक़र्रर की थी.........मस्जिद में कभी–कभार जो नमाज़ पढ़ी है वह किसी मजबूरी में या यहबताने के लिये कि मस्जिद में भी पढ़ना जाइज़ है।" (ज़ादुल मआ़द, भाग 1, पृष्ठ 291) मौलाना अ़ब्दुर्रहमान मुबारक पुरी रह॰ ने भी इसी प्रकार लिखा है (किताबुल जनाइज़–उर्दू एडिशन)

यह बात कहने में मुझे कोई ख़ौफ़ नहीं कि अहले हदीस लोग इस मामले में बड़े लापर्वाह हो रहे हैं, उन्होंने मस्जिद में पढ़ना मामूल बना लिया है, उन्हें इस मामले में एहतियात से काम लेना चाहिये........ख़ालिद

बाब {क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ने का बयान।}

479:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक काले रंग की महिला मस्जिदे–नबवी की देखभाल किया करती थी, या एक युवा पुरुष (रावी को शुब्हा है) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस केबारे में पूछा तो सहाबा ने बताया: उस का तो देहान्त हो गया। आप ने फ़रमायाः तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। सहाबा ने कहा: उसे मामूली जान कर आप को उस की जनाज़ा के लिये तक्लीफ़ देना उचित न जाना। आप ने फ़रमायाः मुझे उस की क़ब्र बताओ। चुनान्चे लोगों ने बताया तो आप

ने उस की क़ब्र पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी और फ़रमायाः यह क़ब्रें अंधियारी से भरी हैं और अल्लाह तआला उन्हें मेरे नमाज़ अदा करने से रोशन कर देता है। (मुस्लिम की रिवायत में दो बेटों सहल और सुहैल दोनों का ज़िक्र है)

फ़ाइदाः– इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर किसी ने जनाज़ा की नमाज़ नहीं पढ़ी है तो उसकी क़ब्र पर पढ़ सकता है, अगर्चे उस को जनाज़ा की नमाज़ पढ़ कर दफ़न किया हो। एक दूसरी रिवायत में है कि आप एक अलग क़ब्र के पास से गुज़रे तो सहाबा की जमाअत कराई और उन्होंने आप के पीछे सफ़ बनाई (और जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी) (बुख़ारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, बैहक़ी) जमहूर उलमा का कहना है कि क़ब्र पर भी जनाज़ा की नमाज़ पढ़ सकते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के निकट केवल उस की पढ़ सकते हैं जिसे बिना पढ़े ही दफ़न कर दिया गया हो। इन के निकट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मे महजन नामक महिला की क़ब्र पर पढ़ना यह केवल आपे के लिये मख़्सूस था, आप के अलावा और किसी के लिये जाइज़ नहीं और न ही किसी और के पढ़ने का सबूत है।

बाब {आत्महत्या करने वाले पर जनाज़ा की नमाज़ का क्या हुक्म है?}

480:– जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसे व्यक्ति का शव लाया गया जिस ने किसी तेज़ धार वाले हथियार से आत्महत्या कर ली थी तो आप ने उस की जनाज़ा की नमाज़ नहीं पढ़ी।

फ़ाइदाः– जमहूर उलमा के नज़दीक मुत्तक़ी, प्रहेज़गार, नेक और बुजुर्ग लोग न पढ़ें, और दूसरे आम लोग पढ़ कर दफ़न करें। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़र्ज़दार वाले की जनाज़ा नहीं पढ़ते थे, लेकिन सहाबा पढ़ कर दफ़न कर देते थे। इमाम, क़ाज़ी, आलिम इसलिये न पढ़ें ताकि लोग नसीहत हासिल करें, डरें और उन के लिये चेतावनी हो। चुनान्चे जिस पर हद जारी किया गया हो, या जिसे रज्म किया गया हो, या जिस ने आत्महत्या कर ली हो, या जो हरामी पैदा हुआ हो, सब पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी जायेगी। जैसा कि नसई की रिवायत में है कि आप ने आत्महत्या करने वाले की जनाज़ा नहीं पढ़ी थी लेकिन सहाबा ने पढ़ कर दफ़न कर दिया था (नसई) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़बीला जुहैना की महिला को ज़िना के आरोप में रज्म करने के बाद उस पर स्वयँ जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी है (मुस्लिम, अबू दावूद, तिर्मिज़ी, नसई, इब्ने माजा)

बाब {मय्यित पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़ने और उस के पीछे जाने की फ़ज़ीलत का बयान।

481:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

ने फ़रमायाः जो व्यक्ति जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी जाने तक जनाज़ा के पास मौजूद रहे तो उस को एक क़ीरात सवाब मिलेगा और जो (जनाज़ा की नमाज़ के बाद से) दफ़न किये जाने तक मौजूद रहा तो उसे दो क़ीरात सवाब मिलेगा। सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के संदेष्टा! क़ीरात का क्या अर्थ है? आप ने फ़रमायाः दो बड़े पर्वतों के बराबर सवाब।

फ़ाइदाः– मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत में है कि उन दोनों में छोटा पर्वत उहुद पर्वत के बराबर है, यानी उहुद पर्वत के वज़न के बराबर सवाब मिलेगा।

बाब {जिस पर सौ की संख्या में लोग जनाज़ा की नमाज़ पढ़ें तो उन की सिफ़ारिश कुबूल होती है (और मुर्दा बख़्श दिया जाता है)}

482:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी मय्यित की जनाज़ा पर सौ लोगों की संख्या में जनाज़ा की नमाज़ पढ़ कर उस के लिये सिफ़ारिश करें (यानी उस के लिये बख़्शिश की दुआ़ करें) तो उन की सिफ़ारिश ज़रुर कुबूल होगी।

बाब {जिस मय्यित पर चालीस लोग जनाज़ा की नमाज़ पढ़ें (और बख़्शिश की दुआ़ करें) तो उन की सिफ़ारिश कुबूल होती है।}

483:– अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मेरा एक पुत्र "कुदैद" या "अ़स्फ़ान" के स्थान पर देहान्त कर गया तो उन्होंने जनाज़ा के समय (अपने गुलाम) कुरैब से पूछाः देखो कितने लोग जनाज़ा पढ़ने के लिये इकट्ठा है? कुरैब ने कहा कि मैं ने जा कर देखा तो काफ़ी संख्या में लोग जमा थे। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने पूछाः तुम्हारे अनुमान से चालीस लोग होंगे? मैं ने कहाः जी हाँ। उन्होंने कहाः फिर जनाज़ा निकालो, मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि जिस मुसलमान के जनाज़े में चालीस ऐसे लोग शरीक हों जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया हो तो अल्लाह पाक उस मुर्दे के हक़ में उन की सिफ़ारिश कुबूल फ़रमाता है।

फ़ाइदाः– यानी उसे बख़्श देता है। एक रिवायत में है जिस मुर्दा पर तीन सफ़ के बराबर लोगों ने नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह ने उस की मग़्फ़िरत अपने ऊपर वाजिब कर ली (अहमद, अबू दावूद, इब्ने माजा, तिर्मिज़ी)

बाब {किन मुर्दों की अच्छाई और किन की बुराई बयान करने की अनुमति है।}

484:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास से) एक जनाज़ा गुज़रा तो लोगों ने उस की बड़ी प्रशंसा की। यह सुन कर आप ने तीन मर्तबा फ़रमायाः "वाजिब हो गयी" फिर दूसरा जनाज़ा गुज़रा तो लोगों ने उस की बुराईयाँ बयान कीं। इस पर भी आप ने तीन मर्तबा फ़रमायाः

"वाजिब हो गयी"। इस पर उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ ने पूछाः मेरे माता-पिता आप पर क़ुर्बान, पहला जनाज़ा, गुज़रा तो लोगों ने उस की प्रशंसा की, इस पर आप ने तीन मतर्बा फ़रमायाः "वाजिब हो गयी" इसी प्रकार जब दूसरा जनाज़ा गुज़रा तो लोगों ने उस की बुराइयाँ बयान कीं, तब भी आप ने तीन मतर्बा फ़रमायाः "वाजिब हो गयी" (इस का क्या अर्थ है?) आप ने फ़रमायाः जिस की लोगों ने प्रशंसा की थी उस पर जन्नत वाजिब हो गयी और जिस की बुराई बयान की उस पर जहन्नम वाजिब हो गयी। आप लोग ज़मीन में अल्लाह के गवाह हैं, आप लोग ज़मीन में अल्लाह के गवाह हैं, आप लोग ज़मीन में अल्लाह के गवाह हैं।

फ़ाइदाः- हाकिम की रिवायत में है कि पहले के बारे में लोगों ने कहाः बहुत नेक और पाकदामन मुसलमान था। और दूसरे के बारे में कहाः बहुत बुरा, बद अख़्लाक़ और बुरी तरह से पेश आने वाला था (हाकिम) मालूम हुआ कि किसी के बारे में आ़म जनता की राय की बड़ी अहमियत है, जनता जो भी कहेगी हक़ कहेगा। इसी को कहते हैं: "ज़बाने ख़ल्क़ को नक़्क़ा-र-ए खुदा समझो।"

बाब {जनाज़ा की नमाज पढ़ने के बाद सवार होकर लौटना दुरुस्त है।}

485:- जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इब्ने दहदाह के जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी, फिर आप के पास एक घोड़ा लाया गया जो नन्गी पीठ था (यानी बिना ज़ीन-काठी के) उस को एक व्यक्ति ने पकड़ लिया फिर आप उस पर सवार हुये तो वह कूदने लगा, और हम भी आप के साथ पैदल ही दोड़ने लगे। इसी दर्मियान किसी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इब्ने दहदाह के लिये जन्नत में कितने ही (फलों के) गुच्छे लटक रहे हैं।

फ़ाइदाः- मालूम हुआ कि कफ़न-दफ़न के बाद क़ब्रस्तान से सवारी पर सवार होकर लौटना दुरुस्त है। अगर किसी को जल्दी घर पहुँचना है तो सवारी से जा सकता है। इस में कोई ऐब की बात नहीं।

बाब {क़ब्र में चादर डालने का बयान।}

486:- अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र में लाल रंग की चादर बिछाई गयी थी।

बाब {लहद के विषय में जिक्र और कच्ची ईंटें खड़ी करने का बयान।}

487:- आ़मिर बिन सअ़द ने बयान किया कि सअ़द बिन वक़्क़ास रज़ि॰ ने अपनी देहान्त वाली बीमारी में कहा थाः मेरे लिये लहद वाली क़ब्र बनाना और उसे कच्ची ईंटों से जोड़ना, जिस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र बनाई गयी थी।

फ़ाइदाः– क़ब्र दो प्रकार की बनाई जाती है (1) 'लहद' (यानी बग़ली) जिस में पश्चिम की दीवार में एक हाथ लगभग बग़ली खोद कर बनाई जाती है (2) 'शक़्क़' (सन्दूक़ी) जिस में मुर्दा के रखने की जगह बीच में बनाई जाती है और ऊपर से तख़्ता बिछा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र खोदने के लिये दोनों प्रकार की क़ब्र खोदने वालों के पास आदमी भेजा गया, चूंकि बग़ली खोदने वाला पहले पहुँचा इसलिये आप की क़ब्र बग़ली बनाई गयी (अहमद, इब्ने माजा, इब्ने अबू शैबा) बग़ली खोदने वाला पहले आया इस में अवश्य ही अल्लह की हिक्मत थी, इसलिये लहद वाली क़ब्र में दफ़न करना अफ़ज़ल है। लेकिन जहाँ की भूमि नर्म हो और बग़ली खोदना असंभव हो, वहाँ सन्दूक़ी ही अफ़ज़ल है।

लहद के बन्द करने के लिये कच्ची ईंट का प्रयोग करना चाहिये। पकी हुयी ईंट न प्रयोग की जाये, क्योंकि उस ने आग को छुवा है और आग छुयी हुयी वस्तु प्रयोग करना उचित नहीं। इमाम नववी रह॰ ने मुस्लिम की शरह में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र में 9 की संख्या में कच्ची ईंटें लगाई गयी थीं। सअ़्द बिन अबू वक़्क़ास रज़ि॰ का इशारा इन्हीं बातों कीओर था।

बाब {क़ब्रों को बराबर रखने का हुक्म।}

488:– अबू हय्याज असदी ने बयान किया कि मुझ से अ़ली रज़ि॰ ने कहाः मैं तुम्हें उस कार्य के लिये भेजता हूँ जिस कार्य के लिये मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भेजा था (वह कार्य यह था) कि समस्त चित्रों को मिटा देना, समस्त क़ब्रों को बराबर कर देना।

फ़ाइदाः– इस बारे में समस्त उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि क़ब्र को ज़मीन से न बहुत ऊँचा रखना चाहिये और न ही ज़मीन के बिल्कुल बराबर, बल्कि ज़मीन से एक बीता ऊँची रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ब्र ऊँची करने से मना फ़रमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहीम की क़ब्र को एक बीता ऊँचा बनाया था। (बैहक़ी, सअ़ीद बिन मन्सूर) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र को ऊँट के कोहान की तरह बनाया गया था (बुख़ारी, इब्ने अबू शैबा) अबू बक्र व उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ की क़ब्र भी कोहान के समान थी (इब्ने अबू शैबा) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र कम व बेश एक बीता ऊँची थी (अबू दावूद)

क़ब्र ऊँची करने से सब से बड़ा नुक़्सान यह है कि ऊँची होते-होते, धीरे-धीरे मज़ार की शक्ल इख़्तियार कर लेगी और उस से प्रेमभावना बढ़ जायेगी, फिर धीरे-धीरे पुजाई आरंभ हो जायेगी।

बाब {क़ब्रों पर भवन निमार्ण करना या पक्की बनाना मना है।}

489:– जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम ने क़ब्रों को पक्की बनाने, उस पर बैठने और उस पर गुबंद बनाने से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदाः— अ़ल्लामा शौकानी रह॰ लिखते हैं "क़ब्र को शरीअ़त की बताई हुयी सीमा से अधिक ऊँचा नहीं बनाना चाहिये, चाहे वह किसी आ़लिम, सूफ़ी, पीर और मुल्ला की क्यों न हो। बुज़ुर्गों की क़ब्रों पर बनाए गये भवनों और गुबंदों का भी यही हाल है। आज इन मज़ारों के बारे में जाहिलों का वही अ़क़ीदा है जो काफ़िर लोग बुतों के बारे में रखते हैं, उन से अपनी मुरादें माँगते और उन्हें नफ़ा–नुक़्सान पहुँचाने वाला जानते हैं।" (नैलुल् औतार, भाग 4)

शाहवलिय्युल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह॰ लिखते हैं "क़ब्रों को पक्की बनाने, उस पर बैठने और उस की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ने से इस लिये मना फ़रमाया है कि लोग धीरे–धीरे उन्हें पूजना आरंभ कर देंगे, उन की ताज़ीम (आदर–सम्मान) करने लगेंगे।" (हुज्जतुल्लाह, भाग 2)

इसी प्रकार क़ब्रों पर बोर्ड और कतबा (तख़्ती) भी लगाना दुरुस्त नहीं है (तिर्मिज़ी) केवल इतनी गुंजाइश है कि कोई पत्थर निशान के तौर पर रख दें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ऊन रज़ि॰ की क़ब्र पर निच्ह के लिये अपने हाथों से एक पत्थर उठा कर रखा था (इब्ने माजा) इसी प्रकार लक्ड़ी, लोहे या पत्थर के ताबूत (सन्दूक़) में बन्द कर के क़ब्र में रखने का मस्अला है। हदीस में इस प्रकार का तो कोई ज़िक्र नहीं, लेकिन तमाम उलमा इसे मक्रुह कहते हैं। हाँ, अगर क़ब्र में पानी निकल आये तो इस प्रकार क़ब्र में रखना मजबूरी है। (रद्दे मुख़्तार, भाग 1, पृष्ठ 599)

बाब {जब आदमी मर जाता है तो सुब्ह–शाम उस को उस का जन्त या जहन्नम का ठिकाना दिखाया जाता है।}

490:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में जब किसी का देहान्त हो जाता है तो (रोज़ाना) सुब्ह–शाम उस को उस का ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वह जन्नत वालों में से होता है तो जन्नती ठिकाना और जहन्नम वालों में से होता है तो जहन्नमी ठिकाना दिखाया जाता है कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला इसी में तुम्हें भेजेगा।

फ़ाइदाः— उन का ठिकाना दिखाने का उद्देश्य यह है कि मोमिन की रुहों को शुभ सूचना देना है कि उन के दुनिया में नेक कार्यों का बदला जन्नत है। इसी प्रकार जन्नहमी लोगों के बुरे कामों का बदला जहन्नम है। हदीस में यह भी आया है कि मोमिन के लिये उस की क़ब्र में जन्नत की तरफ़ एक झाँकी खोल दी जाती है इसी प्रकार जहन्नमी के लिये जहन्नम की तरफ़। ताकि क़ब्र ही में सब को अपने–अपने अन्जाम का पता चल जाये।

बाब {बन्दा जब अपनी क़ब्र में रख दिया जाता है तो फ़रिश्ते उस से सवाल करते हैं।}

491:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि अल्लाह के सन्देष्टा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब बन्दा अपनी क़ब्र में रख दिया जाता है और उस के साथी पीठ फेर कर लौटने लगते हैं तो वह उन के जूतों की आवाज़ सुनता है। फिर उस के पास दो फ़रिश्ते आते हैं और उस से पूछते हैं कि उन के बारे में तू (दुनिया में) क्या कहता था? इस पर मोमिन बन्दा उत्तर देता हैः मैं गवाही देता हूँ कि वह अल्लाह के बन्दे और सन्देष्टा हैं, अल्लाह पाक उन पर अपनी रहमतें और सलाम भेजे। फ़िर उस से कहा जाता हैः तुम अपने जहन्नम के ठिकाने को भी देख लो (अगर ईमान न लाते तो यही ठिकाना मिलता) ईमान लाने ही के बदले में अल्लाह पाक ने तुम्हें जन्नत में ठिकाना दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः चुनान्चे वह अपने दोनों ठिकानों को देखता है।

हदीस के रावी क़तादा ने कहा कि मुझ से अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने यह भी बयान किया कि फिर उस मोमिन बन्दे की क़ब्र सत्तर हाथ चौड़ी हो जाती है और हरियाली से भर जाती है, और क़ियामत तक बन्दा इन्ही के बीच में रहेगा।

फ़ाइदाः– बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत में इतना और भी हैः "मुनाफ़िक़ और काफ़िर से पूछा जायेगाः तुम उन के बारे में (दुनिया में) क्या कहते थे? वह उत्तर देगाः मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं भी वही कहता था जो दूसरे लोग कहते थे। चुनान्चे उस से कहा जायेगाः तू ने न तो जानने की कोशिश की और न ही नेक लोगों की राह पर चला (तू महा झूठा है) फिर उसे लोहे के घन से इतने ज़ोर से मारा जायेगा कि उस की चीख़ निकल पड़ेगी और उस की चीख–पुकार को जिन्न और इन्सान को छोड़ कर आस–पास की समस्त मख़्लूक़ सुनेगी। (बुख़ारी–1338, 1374)

और दूसरी रिवायतों से साबित है कि क़ब्र में तीन प्रश्न होते हैं (1) तुम्हारा रब कौन है? (2) तुम्हारा दीन क्या था? (3) तुम्हारा नबी कौन है?

बाब {अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः "अल्लाह तआ़ला ईमान वालों को उस पक्की बात (यानी कलिमा की बर्कत) से दुनिया और आख़िरत में मज़बूत रखता है (पारः13, सूरःइब्राहीम–27) यह आयत क़ब्र के बारे में है।}

492:– बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सूरः इब्राहीम की आयत 27 क़ब्र के अ़जाब केबारे में उतरी है। क़ब्र में मुर्दा से प्रश्न किया जाता हैः तुम्हारा रब कौन है? वह उत्तर देता हैः मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हैं। कुरआन की आयत का यही अर्थ है।

बाब { क़ब्र के अ़ज़ाब और उस से पनाह माँगने का बयान।}

493:– ज़ैद बिन हारिस रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक ख़च्चर पर सवार होकर क़बीला बनी नज्जार के एक बाग़ में जा रहे थे, और ऐसा मालूम होता था कि वह ख़च्चर आप को गिरा देगा। उस स्थान पर पाँच-छः क़ब्रें थीं। आप ने पूछाः क्या कोई जानता है यह किन की क़ब्रें हैं? एक व्यक्ति ने कहाः मैं जानता हूँ। आप ने पूछाः इन का कब देहान्त हुआ है? उस ने बतायाः शिर्क के समय काल में। आप ने फ़रमायाः इन लोगों की क़ब्रों में परीक्षा होती है। मुझे डर है कि तुम लोग मुर्दों को दफ़न करना छोड़ दोगे, वर्ना मैं अल्लाह पाक से दुआ़ कर देता और वह तुम्हें भी मुर्दों के अ़ज़ाब को सुना देता जिसे मैं सुन रहा हूँ।

फिर आप ने हमारी ओर मुँह कर के फ़रमायाः जहन्नम के प्रकोप से अल्लाह की पनाह माँगा करो। इस पर लोगों ने कहाः हम जहन्नम के प्रकोप से अल्लाह की पनाह माँगते हैं। आप ने पुनः फ़रमायाः जहन्नम के प्रकोप से अल्लाह की पनाह माँगा करो। लोगों ने फिर कहाः हम जहन्नम के प्रकोप से अल्लाह की पनाह माँगते हैं। आप ने फ़रमायाः खुले और छुपे फ़ितनों से भी अल्लाह की पनाह पकड़ो। लोगों ने कहाः हम खुले और छुपे फ़ितनों से अल्लाह की पनाह पकड़ते हैं। आप ने फ़रमायाः दज्जाल के फ़ितना से भी अल्लाह की पनाह माँगो। लोगों ने कहाः हम दज्जाल के फ़ितने से अल्लाह की पनाह माँगते हैं।

फ़ाइदाः- इस हदीस से जो सब से अहम बात मालूम हुयी वह यह कि क़ब्र में बुरे मुर्दों को अ़ज़ाब होता है यह हक़ और सच है। इस पर ईमान लाना फ़र्ज़ है।

क़ब्र में अ़ज़ाब होने का ज़िक्र कुरआन पाक की आयतों से भी साबित है। (देखें-सूरः अन्आ़म 93, मोमिन-46, तूर-45, ताहा-124, सज्दा-21, तौबा-101, तकासुर-2) जो लोग बर्ज़ख़ और क़ब्र के अ़ज़ाब को नहीं मानते वह कुरआन व हदीस के मुन्किर हैं। मौलाना सलामतुल्लाह जैराज पूरी के पुत्र मौलाना अस्लम जैराज पूरी जो बहुत बड़े आ़लिम थे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली में प्रोफ़ेसर थे, बर्ज़ख़ के इन्कारी थे, और इस सिलसिला में उन्होंने किताब भी लिखी थी। यह और इन जैसे गुमराह लोगों के ख़याल का इस हदीस से रद्द होता है।

इब्ने क़य्यिम रह० ने बड़ी प्यारी बात लिखी हैः "मरने के पश्चात इन्सान का अन्तिम ठिकाना ज़मीन है, ज़मीन सब को जमा कर लेती है। इसलिये इन्सान चाहे डूब कर मरे या जल कर, उस का शव चाहे भेड़िया खा जाये या पानी में मछली, वह परिन्दों के पेट में जा कर हवा में उड़ रहा हो, मिट्टी हो कर मिट्टी में मिलना हैफिर मिट्टी के अन्दर जाना है और क़ब्र के हिसाब से दो चार होना है।" (किताबुर्रुह-इब्ने क़य्यिम)

बाब {यहूदियों को उन की क़ब्रों में अ़ज़ाब होता है।}

494:- अबू अय्यूब रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सूर्यास्त होने के पश्चात बाहर निकले तो एक आवाज़ सुनी, इस पर फ़रमायाः यहूदियों को उन की क़ब्रों में अ़ज़ाब हो रहा

है।

फ़ाइदा:– नबी का कुछ भी सुन लेना, देख लेना, जान लेना, बता देना, मतलब यह कि हर असंभव और अन्होनी संभव है, इसलिये कि उन का सिलसिला और राब्ता-संपर्क अल्लाह और फ़रिश्तों से जुड़ा रहता है जो हर-हर सिकन्ड और मिनट की अगर आवश्यक्ता हो तो जानकारी देते रहते हैं। यही अन्तर है नबी-संदेष्टा और आम इन्सान में।

बाब {क़ब्रों की ज़ियारत और वहाँ के मुर्दों के लिये दुआ करने का हुक्म।}

495:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी माता जी (आमिना) की समाधि की ज़ियारत की तो रोने लगे और आस-पास के लोगों को भी रोलाया। फिर आप ने फ़रमायाः मैं ने अपनी माता जी के लिये बख़्शिश की दुआ माँगने की अनुमति माँगी, लेकिन अल्लाह ने अनुमति नहीं दी। फिर जब क़ब्र की ज़ियारत करने की अनुमति माँगी तो इस की अनुमति मिल गयी। इसलिये तुम भी क़ब्रों की ज़ियारत करो, क्योंकि यह मौत को याद दिलाती है।

496:– बुरैदा अस्लामी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं ने क़ब्रों की ज़ियारत से तुम्हें मना कर दिया था लेकिन अब ज़ियारत करो। इसी प्रकार तीन दिन से अधिक कुर्बानी का माँस रखने से मना कर दिया था, लेकिन अब जब तक चाहो रखो। इसी प्रकार मैं ने तुम्हें मशक के अ़लावा और दूसरे बर्तनों में नबीज़ बनाने से मना किया था, लेकिन अब पीने के हर बर्तन में नबीज़ बना सकते हो, मगर नशा लाने वाली चीज़ न पियो।

फ़ाइदा:– इस हदीस से तीन बातें मालूम हुयीं। (1) आरंभ में क़ब्रों की ज़ियारत की मिनाही थी, लेकिन अब इस की अनुमति है। इस इजाज़त में महिलाएँ भी शामिल हैं। क्योंकि महिलाओं को भी हक़ है कि वह क़ब्रों को देख कर नसीहत हासिल करें, मौत और आख़िरत की याद ताज़ा करें, आख़िरत के लिये सामन की तय्यारी की चिन्ता करें। जिन हदीसों में इन्हें मना किया गया है, इस से वह महिलायें मुराद हैं जो क़ब्रों ही के चक्कर लगती रहें और किसी काम की तरफ़ तवज्जोह न दें। (इब्ने माजा-हदीस हसन है, तिर्मिज़ी 1057) आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछाः अगर मैं क़ब्रों की ज़ियारत करुँ तो क्या दुआ करुँ? आप ने फ़रमायाः यह दुआ पढ़ो.......... (मुसिलम, नसई, अहमद) अगर महिला के लिये ज़ियारत जायज़ न होती तो आप आ़इशा को दुआ बताने के बजाए तुरन्त टोकते। लेकिन वह महिलायें जो ज़ियारत करते समय अपने पर क़ाबू न पा कर रोने-पीटने लगें, चीख़ने-चिल्लाने लगें, नौहा-मातम करने लगें, या उन्हें दुआ देने के बजाए उन से माँगने लगें तो ऐसी महिलायें क्या, पुरुषों के लिये भी ज़ियारत की अनुमति नहीं है। जो उलमा महिलाओं के लिये ज़ियारत नाजाइज़ होने का फ़तवा देते हैं वह ग़लती पर है।

दूसरी बात यह मालूम हुयी कि कुर्बानी में अपने हिस्से का माँस जहाँ चाहे ले जायें

और जब तक चाहें रख कर खायें। आरंभ में ग़रीबी थी, लोग रख लेते थे तो फ़क़ीर नहीं पाते थे। लेकिन बाद में इस की अनुमति मिल गयी। देखें हदीस न॰ 1259।

तीसरी बात यह मालूम हुयी कि अब हर पीने के बर्तन में नबीज़ बना सकते हैं। इसी प्रकार आरंभ में शराब पीने के बर्तनों में पानी पीने से मना कर दिया था (ताकि उन बर्तनों को देख कर शराब की याद न सताए) मगर बाद में इस में भी पीने की अनुमति दे दी गयी (देखें-हदीस न॰ 15)

बाब {क़ब्र वालों को सलाम करना, उन पर रहम खाना और उन के लिये दुआएँ करना।}

497:- हदीस के रावी ने बयान किया कि एक दिन मुहम्मद बिन कै़स ने मुझ से कहाः आज मैं तुम्हें वह बात बताऊँगा जो मेरे और मेरी माता जी के दर्मियान हुयी थी। यह सुन कर मैं ने ख़याल किया कि माता जी से मुराद वह हैं जिन के पेट से पैदा हुये हैं। फिर उन्होंने कहाः कि आ़इशा रज़ि॰ ने एक दिन मुझ से कहाः क्या मैं तुम्हें अपनी और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बीच होने वाली एक घटना न बयान करुँ? मैं ने कहाः जी हाँ। इस पर आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मेरे घर सोने की बारी थी। चुनान्चे आप ने आ कर (कंधे से) चादर उतार कर रख दी और जूता भी उतार कर पाँव के सामने रख दिया, फिर चादर का एक कोना बिछा कर मेरे बग़ल में लेट गये। थोड़ी देर तक इसी प्रकार लेटे रहे और जब यक़ीन हो गया कि मैं सो गयी तो (चुपके से उठे) चादर उठाई, जूता पहना, धीरे से दर्वाज़ा खोला, बाहर निकल कर उसे धीरे से बन्द कर दिया (ताकि मैं जाग न जाऊँ) और बाहर निकल गये। इधर मैं भी (झट-पट) उठी, अपनी चादर को ओढ़ा मुँह छुपा कर (घूँघट मार कर) आप के पीछे-पीछे चल पड़ी। आप सीधे "बक़ीअ़" क़ब्रस्तान पहुँचे, वहाँ देर तक खड़े रहे, फिर दोनों हाथों को तीन बार ऊपर उठाया और वापसी के लिये पलट पड़े, तो मैं भी पलट पड़ी। आप ने जल्दी-जल्दी क़दम बढ़ाये तो मैं ने भी जल्दी-जल्दी बढ़ाए, आप तेज़ क़दम चलते तो मैं भी तेज़ क़दम चलने लगती, आप घर पहुँचे तो मैं भी आप से पहले घी पहुँच गयी और आते ही तुरन्त लेट गयी। जब आप मेरे पास आये तो पूछने लगेः ऐ आ़इशा! क्या बात है, तुम्हारी साँसें फूल रही हैं और पेट भी फूला हुआ है? मैं ने उत्तर दियाः कोई बात नहीं। आप ने फ़रमायाः बता दो, वर्ना बारीक चीज़ों को भी देखने वाला (यानी अल्लाह) तो मुझे बता ही देगा। मैं ने कहाः मेरे माता-पिता आप पर कुर्बान, फिर मैं ने पूरी घटना दोहरा दी। आप ने पूछाः वह जो काला-काला साया मेरे आगे-आगे दिखाई देता था वह तुम ही थीं? मैं ने कहाः जी हाँ। यह सुन कर आप ने (मोहब्बत से) मेरे सीने पर घूँसा मारा कि मुझे दर्द होने लगा, फिर फ़रमायाः तुम्हारा ख़याल था कि अल्लाह और उस के रसूल तुम्हारा हक़ दबा लेंगे (यानी मैं तुम्हारी बारी के दिन दूसरी पत्नी के पास चला जाऊँगा) इस पर मैं ने कहाः लाख

कोई किसी चीज़ को छुपाए लेकिन अल्लाह उसे जानता है (यानी अगर आप दूसरी पत्नी के पास जाते तो उसे भी अल्लाह जानता)

फिर आप ने फ़रमायाः (मामला यह है) कि मेरे पास जिब्रील अ़लै॰ आये थे जब तुम ने मुझे उठ कर बैठते देखा था। उन्होंने आवाज़ दी और तुम से छुपाना चाहा तो मैं ने भी (अपना जाना) तुम से छुपाया। वह अन्दर इसलिये नहीं आये कि तुम अपना कपड़ा उतारे हुयी थीं, और मैं ने समझा कि तुम सो रही हो इसलिये जगाना उचित न जाना, और इस बात का भी डर था कि तुम घबरा जाओगी कि कहाँ चले गये। फिर जिब्रील अ़लै॰ ने कहाः अल्लाह पाक ने आप को आदेश दिया है कि तुम बक़ीअ़ के क़ब्रिस्तान जाओ और वहाँ के मुर्दों के लिये दुआएँ माँगो। आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि यह सुन कर मैं ने आप से पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं उन के लिये किस प्रकार दुआ़ माँगू? आप ने फ़रमायाः इस प्रकार दुआ़ माँगोः

अस्सलामु अ़ला अह्लिद्दियारि मि-नल् मोमिनी-न वल् मुस्लिमी-न व-यर् हमुल्लाहुल् मुस्-तक़दिमी-न मिन्ना वल् मुस्ताख़िरी-न वइन्ना इन् शा-अल्लाहु बिकुम ल-लाहिकू-न

(ऐ इस बस्ती के मोमिन और मुस्लिम बासियों! आप लोगों को हमारा सलाम पहुँचे। अल्लाह ने चाहा तो हम भी आप लोगों से आ कर मिलने वाले हैं। आप लोग हम से पहले जा चुके और हम आप के बाद आ रहे हैं। हम अल्लाह पाक से अपने और आप सब के लिये अम्न, सुख, चैन और हर प्रकार की शान्ति का अनुरोध करते हैं।)

फ़ाइदाः– इस हदीस की व्याख्या करने की आवश्यक्ता नहीं, यह एक खुली पुस्तक है जिसे महिलाओं को विशेष रुप से पढ़ने और सबक़ सीखने की आवश्यक्ता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि महिलाएँ भी क़ब्रों की ज़ियारत कर के उन के लिए दुआ़एँ कर सकती हैं। मगर केवल वही महिलाएँ जिन्हें अपने ऊपर क़ाबू है। अगर अनुमति न होती तो आ़इशा के प्रश्न करने पर आप यह कहते कि महिलाओं के लिय ज़ियारत की अनुमति ही नहीं है, इसलिये दुआ़ पूछने का प्रश्न ही नहीं है। आरंभ में महिलाओं के लिये ज़ियारत की अनुमति नहीं थी, बाद में मिल गयी।

बाब {क़ब्रों पर बैठना और उन की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ना मना है।}

498:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर कोई आग के अन्गारा पर बैठ जाये जिस से उस के कपड़े जल जायें और चमड़ी भी प्रभावित हो जाये तो भी यह इस बात से कहीं बेहतर है कि वह क़ब्र पर बैठे।

499:– अबू मर्सद ग़नवी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम ने फ़रमायाः न तो क़ब्र पर बैठो और न उस की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ो।

फ़ाइदाः– क़ब्र की तरफ़ मुँह कर के और दूसरी नमाज़ें पढ़नी मना है। हाँ जिस किसी ने उस मुर्दा की जनाज़ा की नमाज़ नहीं पढ़ी है वह उस की क़ब्र की तरफ़ मुँह कर के उस की जनाज़ा की नमाज़ पढ़ सकता है (देखें–हदीस न॰ 479 का फ़ाइदा। और क़ब्र पर बैठना, तो हर प्रकार से इस का बुरा होना स्पष्ट है।

बाब {उस नेक व्यक्ति के बारे में जिस की प्रशंसा की गयी हो।}

500:– अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहा गया कि आप उस व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं जिस के नेक कार्य करने के नाते लोग उस की प्रशंसा करते हैं? आप ने फ़रमायाः यह उस बन्दे के संबन्ध में शुभसूचना है (कि अल्लाह ने चाहा तो आख़िरत में खुश रहेगा)

फ़ाइदाः– अधिकांश का किसी के बारे में एक राय होना इस बात की ओर संकेत है कि वह वास्तव में अच्छा अथवा बुरा है। ज़बाने ख़ल्क़ को नक़्क़ा–रए ख़ुदा समझो।

नोटः– जनाज़ा से संबन्धित अहकाम व मसाइल के अध्याय का तर्जुमा संपन्न हुआ। फिर भी इस अध्याय से संबन्धित बहुत से ऐसे मस्अलों की जानकारी आवश्यक है जिन का ज़िक्र इस अध्याय की अहादीस में नहीं है। यह बहुत ही उचित मौक़ा है कि लगे हाथों संक्षिप्त में उन का ज़िक्र कर दिया जायेः

★मौत की इच्छा प्रकट करना नाजाइज़ है (बुख़री–मुस्लिम) ★मय्यित का क़र्ज़ उस के रिश्तेदार जल्द से जल्द अदा करें, क्योंकि "मोमिन की जान उस के क़र्ज़ के साथ लटकी रहती है (अहमद, इब्ने माजा, तिर्मिज़ी) ★जनाज़ा केवल पुरुष उठाएँ। ★कोई बाद में पहुँचा तो इमाम के सलाम फेरने के बाद बाक़ी छूटी हुयी तक्बीरें पूरी कर के सलाम फेरे। ★तीन समय मुर्दा को न दफ़न किया जाए। (1) जब सूरज निकल रहा हो। (2) जब डूबने लगे (3) ठीक दोपहर के समय ★मय्यित को दाँए कर्वट लिटा कर मुँह क़िब्ला की तरफ़ कर दें ( ) ★क़ब्र पर तीन मुट्ठी मिट्टी डालना सुन्नत है (इब्ने माजा) ★क़ब्र पर पानी छिड़कना सुन्नत है। बिलाल बिन रिबाह रज़ि॰ ने एक मशक पानी लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र पर सर की तरफ़ से छिड़कना शुरू किया और पाँव तक छिड़का। (बैहक़ी, मिश्कात अल्बानी–1710) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहीम की क़ब्र पर पानी छिड़का (बैहक़ी, सऔद बिन मन्सूर) ★चिन्ह और पहचान के लिये क़ब्र के पास पत्थर गाड़ना दुरुस्त है (इब्ने माजा, अबू दावूद) ★मय्यित के घर वालों के लिये खाना पहुँचाना चाहिये। आप ने फ़रमायाः "जाफ़र के घर वालों के लिये खाना पका कर भेजो" (अबू दावूद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) ★मय्यित को दफ़न करने के लिये क़ब्र में वह उतरे जिस ने रात अपनी पत्नी से संभोग न किया हो (बुख़ारी–1342, 1285) ★मय्यित को बोसा लेना जाइज़ है। अबू बक्र ने नबी करीम

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा लिया (बुख़ारी-1241, 1240) ★जनाज़ा में पहली तक्बीर के बाद सूरः फ़ातिहा, फिर कोई सूरत पढ़ें, (नसई) दूसरी तक्बीर के बाद दरुद, तीसरी के बाद दुआ, चौथी के बाद सलाम फेर दे (अब्दुर्रज़्ज़ाक-6428-हदीस सहीह है)★मय्यित के फ़र्ज़ रोज़े बाक़ी हों और उस के वारिस रखें तो मय्यित की तरफ़ से फ़र्ज़ अदा हो जायेगा। (बुख़ारी, अबू दावूद) ★मय्यित ने कोई जाइज़ नज़्र मानी थी उसे उस के वारिस पूरी करें (मुस्लिम) ★मय्यित की तरफ़ से हज्ज-उम्रा किया जाये तो उस का सवाब मय्यित को मिलेगा। ★पति, अपनी पत्नी को, इसी प्रकार पत्नी, अपने पति को स्नान करा सकती है। अबू बक्र रज़ि॰ को उन की पत्नी अस्मा बिन्त उमैस ने गुस्ल दिया। जाबिर को उन की पत्नी ने, अबू मूसा को उन की पत्नी ने गुस्ल दिया। अली रज़ि॰ ने फ़ातिमा को गुस्ल दिया (बैहक़ी, मुस्नद शाफ़ई) ★जनाज़ा की नमाज़ में जिस ज़मीर (सर्वनाम) के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी है, बिल्कुल उसी प्रकार पढ़ी जाये चाहे जनाज़ा महिला का हो या पुरुष का। जूती आदि पहन कर भी नमाज़ पढ़ा सकते हैं, मगर शर्त यह है कि पलीदी न लगी हो ( ) ★मरने वाले पर तीन दिन से अधिक सोग मनाना हराम है। हाँ, पत्नी शौहर के देहान्त पर चार माह दस दिन तक सोग मनाएगी। (बुख़ारी, मुसिलम-रावी उम्मे हबीबा) ★जब तक जनाज़ा ज़मीन पर न रख दिया जाये, उस से पहले बैठना मना है (बुख़ारी, मुस्लिम) ★नमाज़ जनाज़ा ग़ाइबाना में बड़ा इख़्तिलाफ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केवल नजाशी की ग़ाइबाना जनाज़ा पढ़ी है और किसी की नहीं। मेरे नज़दीक न पढ़ना बेहतर है, और पढ़ लेने में भी कोई हरज नहीं (ख़ालिद) ★इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाज़ा की नमाज़ पढ़ने के लिये बारी-बारी हुजरे में दाख़िल होते रहे। जब तमाम पुरुष पढ़ चुके तो इसी प्रकार महिलाओं ने पढ़ी। ज़ब यहभी पढ़ चुकीं तो अन्त में बच्चों ने भी पढ़ी। सभी ने अकेले-अकेले पढ़ी, किसी ने भी इमामत नहीं कराई (इब्ने माजा, मुन्तक़ल् अख़बार-1810)

निम्न के कार्य सुन्नत से साबित नहीं

★मय्यित के दफ़न करने तक घर वालों को भूखा रखना ★दफ़न करते समय सर के नीचे तकिया रखना ★दफ़न करते समय गुलाब का पानी छिड़कना ★मय्यित के पास अहद नामा, कलिमा, या कुरआन की आयत लिख कर रखना ★मिट्टी देते समय "मिन्हा ख़-लक़नाकुम-पढ़ना ★दफ़न करने के बाद क़ब्र पर कुरआन ख़ानी कराना ★क़ब्र पर सदक़ा-ख़ैरात करना ★दफ़न के बाद क़ब्र पर अज़ान देना ★सोमवार और जुमेरात के दिन ज़ियारत के लिये जाना ★क़ब्र या मज़ार पर चराग़, रोशनी, अगर की बत्ती जलाना ★ज़ियारत के बाद उल्टे पाँव लौटना ★मरने से पहले ही अपनी क़ब्र खोदना ★सवाब पहुँचाने के लिये हर जुमेरात को खाना तक़सीम करना। आदि

आज प्रथम जनवरी सन 2005 सनीचर की रात 11 बजे अद्दारुस्सलफ़िय्या, मुंबई में इस बाब का तर्जुमा संपन्न हुआ। अलहमदु लिल्लाहि रब्बिल् आ-लमीन्-ख़ालिद

किताबुज़्ज़काति
(ज़कात के मसाइल का बयान)

नोटः– ज़कात, यह इस्लाम का एक रुक्न है। यह बिल्कुल ऐसे ही फ़र्ज़ है जिस प्रकार नमाज़। चुनान्चे कुरआन पाक में लग–भग 81 स्थान पर नमाज़ के साथ ही ज़कात का ज़िक्र है। इस का अर्थ है "पाक होना"। इसे ज़कात इसलिये कहते हैं कि इस के अदा कर देने से इन्सान का माल पाक हो जाता है और सवाब भी मिलता है। यह इस्लाम के पाँच अर्कान में का एक रुक्न है। यह सन 2 हिज्री में फ़र्ज़ हुयी। ज़कात, अ़रबी तारीख़ का (अंग्रेजी का नही) एक वर्ष बीत जाये, और माल का स्वामी आज़ाद और बालिग़ हो उस पर फ़र्ज़ है। इस के हक़दार आठ जन हैं जिन का ज़िक्र सरू: तौबा की आयत न॰ 60 में है। किसी माल पर ज़कात के फ़र्ज़ होने की दो शर्तें है (1) शरीअ़त ने मुख़्तलिफ़ चीज़ों में ज़कात के लिये जो मात्रा या संख्या सुनिश्चित की है उतनी मात्रा या संख्या में माल मौजूद हो (2) उस पर अ़रबी का एक वर्ष बीत चुका हो। हाँ, ज़मीन की पैदावार पर वर्ष बीतने की शर्त नहीं। उन पर ज़कात उन के काट कर और साफ़ कर के रख लेने के साथ ही निकालनी होगी।

बाब {ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है।}

501:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ ने बयान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे (यमन प्रांत का गर्वनर बना कर) भेजा तो फ़रमायाः तुम्हें कुछ अहले–किताब भी मिलेंगे तो तुम उन्हें लाइला–ह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह कलिमे की तरफ़ दावत देना। वह लोग इस कलिमे को स्वीकार कर लें तो उन से कहना कि अल्लाह ने दिन–रात में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। वह इस को भी मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह ने ज़कात भी उन पर फ़र्ज़ की है, जो उन के धनवानों से लेकर उन्ही के फ़क़ीरों और मुहताजों में बाँट दी जायेगी। जब वह इस की अदायगी करने लगें तो ख़बरदार! केवल अच्छा माल ही ज़कात में न लेना। और देखो मज़लूम की बद्दुआ़ से बच कर रहना, क्योंकि उस की बद्दुआ़ और अल्लाह के दर्मियान कोई रुकावट नहीं होती है।

फ़ाइदाः– मालूम हुआ कि ज़कात की वसूली इमाम करे या अपने नाइब से कराए, अगर कोई न दे तो ज़र्बदस्ती करे। जहाँ कोई ख़लीफ़ा और इमाम नहीं है, वहाँ के लोग

एक इस्लामी कमेटी बनायें और इस्लामी बैतुल् माल क़ाइम करें उस में मुसलमान ज़कात जमा कर सकते हैं। ज़कात को स्वयँ अपने हाथों जिस को चाहें थमा दें जैसा कि आजकल हिन्दुस्तान में हो रहा है, यह सब से बुरा तरीक़ा है और इस प्रकार बाँटने से ज़कात के अदा होने में शुब्हा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रह॰ ने इस विषय पर "हक़ीक़तुज़्ज़कात" नाम की एक छोटी सी पुस्तक लिखी है जो उन की एक तक़रीर है, उसे अवश्य ही पढ़ें।

इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि एक शहर की ज़कात दूसरे शहर के लोगों को न दी जाये। मौलाना अ़ब्दुर्रहमान मुबारक पुरी रह॰ लिखते हैं "ज़कात का माल दूसरे स्थान पर इसी शर्त पर भेजा जा सकता है जब वहाँ देने में अधिक फ़ाइदा नज़र आ रहा हो, या इस शहर में लेने वाले मौजूद न हों। (तोहफ़तुल् अहवज़ी) ज़कात में औसत दर्जे का माल लेना चाहिये, न तो बहुत अच्छा माल छाँट कर ले लें और न ही देने वाला घटिया माल दे।

बाब {नक़्दी, खेती और जानवरों आदि जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है, उन में ज़कात की मात्रा कितनी है?}

502:– अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पाँच वसक़ से कम ग़ल्ला और खजूर की पैदावार में ज़कात नहीं है। इसी प्रकार पाँच ऊँटों से कम में ज़कात नहीं और न पाँच ऊक़िया से कम चाँदी में ज़कात है।

फ़ाइदाः– पाँच ऊक़िया, साढ़े बावन तौला (52 1/2) का होता है। यानी अगर किसी के पास साढ़े बावन तौला चाँदी है और उस पर एक वर्ष बीत गया है तो उस पर चालीसवाँ हिस्सा (ढ़ाई फ़ीसद) ज़कात है। ग़ल्ले की पैदावार अगर पाँच वसक़ है तो उस में भी ज़कात है। पाँच वसक़ की मात्रा हिन्दुस्तानी माप में 52 मन (साढ़े सात कुन्टल) के बराबर है। यानी अगर पैदावार 52 मन है और वह वर्षा या ज़मीन की नमी से पैदा हुआ है (उस की सीचाँई नहीं की गयी है) तो ऐसी पैदावार में दस्वाँ हिस्सा ज़कात है। लेकिन अगर खेत की सींचाई की गयी है तो बीसवाँ हिस्सा ज़कात है (बुख़ारी, अबू दावूद, इब्ने माजा, तिर्मिज़ी) ऊँट में ज़कात का नियम यह है कि पाँच से नौ ऊँट में एक बक्री, दस से चौदह में दो बकरियाँ, पन्दरह से उन्नीस में तीन बकरियाँ, बीस से चौबीस में चार बकरियाँ ज़कात हैं, इसी प्रकार ऊपर तक। अगर किसी के पास साढ़े सात तोला सोना है और उस पर एक वर्ष बीत चुका है तो उस पर चालीसवाँ हिस्सा (ढाई प्रतिशत) ज़कात है।

फ़ाइदाः– एक बात विशेष रुप से ध्यान देने योग्य है ग़ल्ला की उस पैदावार में दसवाँ ज़कात है जिस की सींचाई न की गयी हो। कुछ लोग सींचाई नहीं करते हैं लेकिन खाद डाल देते हैं, मशीन द्वारा जोताई कराते है और मशीन से ही कटाई कराते हैं (इन पर खर्च करते हैं) और दसवाँ ज़कात निकालते हैं। इस बारे में हदीस में केवल सींचाई का

ज़िक्र है। आप के ज़माना में भी लोग मज्दूरों से काम लेते थे, खाद-भूसा डालते थे। अगर ऐसी बात होती तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इस का भी ज़िक्र करते। मालूम हुआ कि केवल सींचाई पर ख़र्च करने के नाते बीसवाँ हिस्साँ ज़कात है, खाद और मज़दूरी पर ख़र्च करने की वजह से नहीं है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में चार अहम पैदावार में ज़कात निकाली जाती थी (1) गेहूँ (2) जौ (3) खजूर (4) किशमिश। हमारे मुल्क हिन्दुस्तान की पैदावार में चावल, गेहूँ, चना, मकई, बाजरा आदि अहम पैदावार हैं इसलिये इन सब में ज़कात है। मुहम्मद आ़सिम हद्दाद लिखते हैं: "अ़ल्लामा शौकानी और "सुबुलुस्सलाम" पुस्तक के संपादक अमीर मुहम्मद बिन इस्माओ़ील के निकट ज़कात केवल उन्ही चार पैदावार पर है और दलील में अबू मूसा अशअ़री और मआ़ज़ बिन जबल की हदीस पेश करते हैं। लेकिन इमाम बुख़ारी और दूसरे उलमा ने इस दलील को सख़्त ज़ओ़फ़ कहा है-देखें नसई पर अ़ल्लामा हनीफ़ भोजयानी रह० का हाशिया।" (फ़िक़्हुस्सुन्नह, उर्दू एडिशन पुष्ट 308) और सच्ची बात है भी यही है कि ज़कात उन ही चार पैदावार (खजूर, गन्दुम, जौ, किशमिश) ही में केवल नहीं है, क्योंकि उन में ऐसी वजह पाई जाती है जो अगर दूसरी पैदावार में पाई जाये तो उन पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। अ़रब की ज़मीन उन्हीं पैदावार के लिये अच्छी थी, और हमारे यहाँ की ज़मीन दूसरी पैदावार के लिये अच्छी है। तो जिस प्रकार अच्छी पैदावार वाली फ़स्ल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़कात का हुक्म दिया, इसी प्रकार हमारे यहाँ भी अच्छी पैदावार और उपज वाली फ़स्ल पर ज़कात होगी। इस विषय पर यहाँ विस्तार से लिखने का मौक़ा नहीं।

बाब {जिस पैदावार में दस्वाँ हिस्सा ज़कात है उस का बयान।}

503:- जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि० से रिवायत है उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना: जिस खेत की सींचाई वर्षा और नदी-नालों के पानी से हो जाये उस में दस्वाँ हिस्सा, और जो रहट (या पंपसेट आदि) से सींची जाये उस पैदावार में बीसवाँ हिस्सा ज़कात है।

बाब {मुसलमान के घोड़े और गुलाम में ज़कात नहीं।}

504:- अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मुसलमान के गुलाम और घोड़े में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है।

फ़ाइदा:- मालूम हुआ कि प्रयोग में लाने वाली वस्तुओं में ज़कात नहीं है, उन की संख्या चाहे जितनी हो (मगर शर्त यह है तिजारत के लिये न हों) इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने इस हदीस के ख़िलाफ़ फ़तवा दिया है, लेकिन उन के पास कोई तर्क नहीं है और यही हदीस उन के फ़तवे को रद्द करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो माल तिजारत के लिये तय्यार किया जाये उस में ज़कात है।

महिला जो सोने-चाँदी के ज़ेवर (आभूषण) पहनती और प्रयोग में लाती है और तिजारत के लिये नहीं है, फिर भी उस में ज़कात वाजिब है, अगर उस पर एक वर्ष की मुद्दत बीत गयी हो। दलील वह हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक बालिका के हाथों में कंगन देख कर फ़रमायाः क्या इस की ज़कात निकालती हो?. .... (अबू दावूद, तिर्मिज़ी, नसई) आप देख रहे कि वह हाथों में पहने हुये है। अगर पहनने वाले ज़ेवर पर ज़कात न होती तो आप क्यों प्रश्न करते। उम्मे सलमा रज़ि॰ ने पूछा तो आप ने फ़रमायाः अगर तुम ने इस की ज़कात दे दी तो यह ख़ज़ाना नहीं (जिस के बारे में पूछ-ताछ होगी) (अबू दावूद, दारुकुतनी)

जिन लोगों ने ज़ेवर पर ज़कात के बारे में इख़्तिलाफ़ किया है उन का इख़्तिलाफ़ करना बेबुनियाद है। और इख़्तिलाफ़ की सूरत में शुब्हे से बचने के लिये तो पहली फ़ुर्सत में ज़कात निकालनी चाहिये। (देखें फ़तावा इब्ने बाज़ रह॰)

बाब {अगर वर्ष पूरा होने से पहले ही कोई ज़कात निकाल दे (तो इस का क्या हुक्म है?) और जो ज़कात नहीं निकालता है, उस के बारे में क्या हुक्म है?}

505:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ को ज़कात की वसूली के लिये भेजा। फिर आप से बताया गया कि इब्ने जमील, ख़ालिद बिन वलीद और इब्ने अ़ब्बास ने ज़कात देने से इन्कार कर दिया है। यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः रहा इब्ने जमील, तो वह अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता, हालाँकि कल तक फ़क़ीर था, लेकिन अल्लाह पाक ने (अपनी कृपा से) उसे धनवान बना दिया। रहा ख़ालिद के न देने का मामला तो (उन से ज़कात माँग कर) तुम लोग उन पर अत्याचार करते हो, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िरहें (और हथियार) अल्लाह की राह में वक़्फ़ कर दी हैं (इसलिये उन पर ज़कात है ही नहीं) रहा (मेरे चचा) अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब का मामला, तो उन की ज़कात और उतनी ही और मेरे ज़िम्मा है (मैं उन की ओर से दे दूँगा) फिर आप ने फ़रमायाः ऐ उमर! चचा बाप के बराबर होता है।

फ़ाइदाः- इब्ने जमील पर ज़कात वाजिब थी इसलिये आप ने डाँट पिलाई, लेकिन ख़ालिद बिन वलीद ने अपना सब कुछ जिहाद के लिये वक़्फ़ कर रखा है इसलिये ऐसे माल में ज़कात नहीं है। और मेरे चचा ने ज़कात न देकर ग़लती की हैं, चूंकि वह बाप के बराबर है इसलिये उन की तरफ़ से मैं दूँगा और दोगुना दूँगा।

तिजारत के माल में ज़कात है या नहीं, इस में उलमा का बड़ा इख़्तिलाफ़ है। अ़ल्लामा शौकनी और नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ ने लिखा है कि ऐसे माल तें ज़कात नहीं है। अबू दावूद, दारुकुत्नी और बज़्ज़ार की रिवायत से कुछ लोगों ने दलील पकड़ी है, लेकिन यह हदीसें बहुत अधिक ज़ओ़फ़ हैं और ऐसी हदीसों से तिजारत के माल में ज़कात के फ़र्ज़ होने से संबन्धित दलील नहीं पकड़ी जा सकती। कुछ उलमा ने हदीस में ख़ालिद

बिन वलीद के ज़कात न देने की घटना से तिजारत के माल में ज़कात के वाजिब न होने पर दलील पकड़ी है, उन की यह भी दलील सहीह नहीं है, क्योंकि यह कहीं से नहीं साबित होता है कि उन का हथियार तिजारत के लिये था। अ़ल्लामा वहीदुज़्ज़मा लिखते हैं: "तिजारत के माल में बिल्कुल ही ज़कात नहीं है, लेकिन अगर कोई जमहूर के ख़याल के मुताबिक़ अदा कर दे तो सवाब पायेगा। मगर इमाम का ज़ोर-ज़बर्दस्ती ज़कात लेने का हक़ नहीं पहुँचता।"

बाब {जो व्यक्ति ज़कात न दे उस के बारे में क्या हुक्म है?}

506:– अबू ज़र रज़ि॰ से रिवायत हैं उन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पहुँचा तो उस समय आप काबा शरीफ़ के साया में बैठे हुये थे। आप ने मुझे देख कर फ़रमायाः काबा के रब की क़सम! वही लोग हानि उठाने वाले हैं। अबू ज़र रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं आप के पास जा कर बैठ गया, लेकिन बैठे नहीं रहा गया इसलिये उठ कर खड़ा हो गया और पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मेरे माता-पिता आप पर कुर्बान, वह कौन लोग हैं? आप ने फ़रमायाः जो अधिक माल रखने वाले हैं (वही नुक़सान उठाने वाले हैं) मगर जिन लोगों ने इधर-उधर, दायें-बायें, आगे-पीछे अल्लाह की राह में ख़र्च किया, मगर ऐसे बहुत थोड़े होंगे। और ऊँट, गाय और बकरियाँ रखने वाला अगर उन में ज़कात नहीं निकालेगा तो उस के वही जानवर क़ियामत के दिन और अधिक मोटे-तगड़े होकर आयेंगे, और उसे अपने सींगों से मारेंगे, अपने खुरों से उसे रौंदेंगे। इसी प्रकार वह जानवर बराबर आते-जाते रहेंगे (और मारते-रौंदते जायेंगे)। और जब तक बन्दों के दर्मियान फ़ैसला न हो जाये उसे इसी प्रकार का अ़ज़ाब होता रहेगा।

507:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सोने-चाँदी का मालिक अगर उस में ज़कात नहीं निकालता है तो क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला सोने-चाँदी के तख़्त बनवा कर उसे गर्म करेगा, फिर उस से उस का माथा उस की बग़लें और पीठ दाग़ी जायेगी। जब वह तख़्त ठन्डे पड़ जायेंगे तो पुनः गर्म कर के फिर दाग़े जायेंगे। दाग़ने का यह सिलसिला पचास हज़ार वर्ष तक चलता रहेगा। फिर जब अल्लाह तआ़ला बन्दों के दर्मियान फ़ैसला फ़रमा देगा तो उस के लिये भी जन्नत अथवा जहन्नम का फ़ैसला हो जायेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा गयाः ऐ अ़ल्लाह के रसूल! ऊँट वालों का क्या होगा (जो ज़कात नहीं देते हैं?) आप ने फ़रमायाः ऊँट का मालिक अगर अपने ऊँटों की ज़कात नहीं निकालता है (उस के हक़ में से एक हक़ यह भी है कि जिस दिन पानी पिलाए उसी दिन उन का दूध भी दूहे (और भूखों को पिलाए) ऐसा व्यक्ति क़ियामत के दिन एक सपाट और बराबर ज़मीन पर औंधा कर के लिटा दिया जायेगा। फिर उस के दुनिया वाले ऊँट खूब मोटे-ताज़े होकर आएँगे और जवान-बच्चे सभी उसे अपने खुरों से रौंदेंगे और मुँह से काट खायेंगे।

इसी प्रकार बारी-बारीआते जायेंगे और उसे रौंदते जायेंगे। रौंदने का यह सिलसिला पचास हज़ार वर्ष तक जारी रहेगा, फिर अल्लाह पाक बन्दों के दर्मियान फ़ैसला भी फ़रमा देगा और उसके लिये भी जन्नत या जहन्नम का फ़ैसला हो जायेगा। फ़िर पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! गाय और बक्री के मालिकों का क्या हाल होगा (जिन्होंने दुनिया में ज़कात नहीं निकाली) आप ने फ़रमाया: जो उनकी ज़कात नहीं देगा क़ियामत के दिन उसे सपाट और बराबर ज़मीन पर औंधे मुँह लिटा दिया जायेगा, फिर उस की दुनिया की समस्त गायें और बकरियाँ, जिन की न तो सींगे मुँड़े होंगे, न टूटे होंगे और न ही बेसींग के होंगे, सभी उसे अपने सींगों से मारेंगे और पैरों से रौंदेगे। और मारने व रौंदने का सिलसिला यके बाद दीगरे पचास हज़ार वर्ष तक जारी रहेगा। फिर अल्लाह पाक बन्दों के दर्मियान फ़ैसला फ़रमायेगा और उस के भी हक में जन्नत या जहन्नम का फ़ैसला हो जायेगा।

फ़िर आप से पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! घोड़ों के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? आप ने फ़रमाया: घोड़े तीन प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का घोड़ा अपने मालिक के लिये बोझ होता है। दूसरे प्रकार का अपने मालिक का ऐब छुपाने वाला होता है। और तीसरा अपने मालिक के लिये सवाब और नेकी का सामान व साधन होता है। अब रहा वह घोड़ा जो अपने मालिक की जान का बवाल होता है, वह घोड़ा है जो लोगों को दिखाने और बढ़ी मारने के लिये बँधा रहता है, इस प्रकार का घोड़ा अपने मालिक के हक़ में बवाल होता है। और जो ऐब छुपाने वाला होता है वह घोड़ा है जो अल्लाह की राह में जिहाद के लिये बँधा रहता है। उस की सवारी में अल्लाह का हक़ नहीं भूलता है और न ही उस के चारे में कमी करता है, तो ऐसा घोड़ा अपने मालिक के दोष को छुपाने वाला होता है। और वह घोड़ा जो अपने मालिक के लिये सवाब और नेकी का सामान होता है उस के क्या कहने। वह, वह घोड़ा है जो अल्लाह की राह में मुसलमानों की सहायता के लिये अगर किसी चारगाह या बाग में बाँध दिया गया, और उस ने उस चरागाह या बाग़ से जितना कुछ खाया तो उतनी ही नेकियाँ उस के मालिक के नाम लिख दी जाती हैं, यहाँ तक कि उस का हगना-मूतना तक नेकियों में लिखा जाता है। और जब उस का मालिक किसी नदी-नाले की तरफ़ ले जाये और वह उस में से पानी पी ले अगर्चे मालिक के पिलाने का इरादा न भी रहा हो फिर भी उस ने जितना पानी पिया है उतनी ही नेकियाँ उसके मालिक के नाम लिख दी जाती हैं (फिर अगर पिलाने की निय्यत से ले जाये तब कितनी नेकियाँ मिलेंगी, आप अनुमान लगा सकते हैं)

फिर आप से पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! गधे के बारे में भी कुछ बतायें। आप ने फ़रमाया: गधे के बारे में हमारे ऊपर सिवाए इस आयत के और कोई वह्यि नहीं आयी है: "ज़िस ने दुनिया में राई के दाना के बराबर नेकी की होगी क़ियामत के दिन उस नेकी को अपनी आँखों से देख लेगा, और जिस ने

राई के दाना के बराबर बुराई की होगी वह भी अपनी आँखों से देख लेगा।" (पारः30, सूरः ज़िलज़ाल, आयत 6)

फ़ाइदाः— ऊपर की दोनों हदीसें इस बात की दलील हैं कि ज़कात न अदा करना महा पाप है। क़ियामत के दिन दुनिया का यही माल उस के लिये जान का फंदा बन जायेगा। एक रिवायत में है कि दुनिया का माल अजगर साँप बन कर क़ियामत के दिन मालिक को दोड़ाएगा, मालिक अपनी जान बचाने के लिये इधर-उधर भागता फिरेगा, जब उसे विश्वास हो जायेगा कि अब मेरी जान नहीं बचेगी तो वह उस के मुँह में हाथ डाल देगा तो वह अजगर उस के हाथ को चबा डालेगा। (मुस्लिम) इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि गाय-बैल और बक्री में भी ज़कात फ़र्ज़ है, अल्बत्ता घोड़ों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और घोड़ों को अल्लाह की राह में जिहाद के लिये पालना बहुत बड़े सवाब और नेकी का काम है। जिस प्रकार घोड़ों पर ज़कात नहीं इसी प्रकार गधों और ख़च्चर पर भी नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ घोड़े और गधों में भी ज़कात वाजिब मानते हैं, लेकिन उन का दावा बिला दलील है।

बाब {काफ़िरों और उन को दी जाने वाली सख़्त सज़ाओं का बयान।}

508:— अहनफ़ बिन क़ैस से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं क़ुरैश के कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था इतने में अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ि॰ भी आ गये और वह कहने लगेः माल-दौलत का ख़ज़ाना जमा करने वालों को ऐसे दाग़ों की शुभसूचना दो जो उन की पीठों पर दाग़े जायेंगे और उन की बग़लों के पार हो जायेंगे, जो उन की गुद्दियों में दाग़े जायेंगे और उन की पेशानी के पार हो जायेंगे। यह बयान कर के अबू ज़र रज़ि॰ एक तरफ़ चले गये तो मैं ने लोगों से पूछाः यह महाशय जी कौन हैं? लोगों ने कहाः अबू ज़र रज़ि॰ है। इस पर मैं ने उन के पास जा कर पूछाः अभी आप क्या सुना रहे थे? उन्होंने कहाः मैं वही सुना रहा था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है। फिर मैं ने पूछाः (जो मालदार लोग दिया करते हैं) उस के बारे में आप का क्या ख़्याल है? उन्होंने कहाः तुम लेते रहो ताकि तुम्हारी आवश्यक्ताएँ पूरी होती रहे। लेकिन जब तुम्हारे दीन की क़ीमत बन जायें तब लेना छोड़ दो।

फ़ाइदाः— यानी माल दे कर अपनी मर्ज़ी की कहलवाना चाहें तो लेना छोड़ दो, लेकिन हक़ बात कहने से न भागो, चाहे वह उन मालदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों न जाये। हदीस में "कन्ज़" की बुराई बयान की गयी है। 'कन्ज़' उस माल को कहते हैं जिस में ज़कात न निकाली गयी हो। अगर उस में से ज़कात निकाली गयी है तो उसे कन्ज़ नहीं कहेंगे, चाहे वह माल कितना ही अधिक क्यों न हो। इसी कन्ज़ का ज़िक्र अल्लाह पाक ने सूरः तौबा की आयत न॰ 34, 35 में फ़रमाया है।

बाब {ज़कात की वसूली करने वालों को खुश रखने का हुक्म।}

509:– जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह बुजली रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि दीहात के कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित होकर कहने लगेः कुछ तहसीलदार ऐसे भी आते हैं जो हम लोगों पर अत्याचार करते हैं (यानी ओसत माल लेने के स्थान पर अच्छा से अच्छा लेते हैं) यह सुन कर आप ने फ़रमायाः उन्हें खुश करने की कोशिश किया करो। जरीर रज़ि॰ ने बयान किया कि जब से मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह हदीस सुनी मेरे पास से कोई तहसीलदार नाराज़ होकर नहीं गया।

फ़ाइदाः– उन को हर हाल में प्रसन्न रखो का यह अर्थ है कि उन से तकरार न करो, जितना देना चाहिये उतना खुशी-खुशी अदा कर दो। यह अर्थ नहीं है कि अगर तहसीलदार नाजाइज़ काम करने का हुक्म दें तो उसे भी करो। कोइ ऐसा काम जो शरीअ़तके ख़िलाफ़ हो उस का करना किसी भी हाल में किसी को प्रसन्न रखने केलिये जाइज़ नहीं। इसी प्रकार ज़कात से अधिक माल देना भी दुरुस्त नहीं।

बाब {सदक़ा लाने वाले के लिये दुआ़ देने का बयान।}

510:– अबू औफ़ा के पुत्र अ़ब्दुल्लाह से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब लोग स्वयँ सदक़ा लाते तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आ़दत थी आप उन के लिये यह दुआ़ फ़रमातेः "अल्लाहुम्म सल्लि अ़लैहिम (मेरे मौला! उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमा) फिर जब मेरे पिता जी अबू औफ़ा रज़ि॰ सदक़ा का माल लेकर आये तो आप ने फ़रमायाः

अल्लाहुम्म सल्लि अ़ला आले अबी औफ़ा
(मेरे मौला! अबू औफ़ा के बाल-बच्चों पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमा)

बाब {ऐसे व्यक्ति को सदका व ख़ैरात का माल देना जिस के ईमान में कुछ कमी महसोस हो}

511:– सअ़द बिन अबू वक़्क़ास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुछ (सदक़ा-ख़ैरात का) माल तक़्सीम किया तो मैं ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! फ़ुलाँ व्यक्ति को भी दे दीजिये क्योंकि वह मोमिन है। आप ने फ़रमाया (वह मोमिन है) या मुसलमान है? मैं ने तीन बार कहाः "वह मोमिन है", और आप ने भी यही कहाः "अया वह मुसलमान है?" फिर आप ने फ़रमायाः मैं एक व्यक्ति को देता हूँ, हालाँकि दूसरे व्यक्ति क़ो उस से ज़्यादा चाहता हूँ, और उस को केवल इस डर से देता हूँ कि अल्लाह पाक उसे कहीं औंधे मुँह जहन्नम में न गिरा दे।

फ़ाइदाः– ईमान, दिल से यक़ीन व इक़रार करने का नाम है और 'इस्लाम' जबान से

दावा करने का। किसी को किसी के अन्दर का हाल नहीं मालूम, इसलिये दावा के साथ यह नहीं कह सकते कि वह मोमिन है, हाँ उसे मुसलमान कह सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सहाबी को इसी बात की शिक्षा दी है। आप ने उयैना और अक़रा दो व्यक्ति को सौ-सौ ऊँट दिये और जअ़ील बिन सुराक़ा को नहीं दिया, फिर फ़रमायाः मैं ने उयैना और अक़रा बिन हाबिस को इसलिये दिया कि उन का ईमान कमज़ोर है और जअ़ील बिन सुराक़ा पर मुझे भरोसा है (बुख़ारी-1478) मालूम हुआ कि सदक़ा-ख़ैरात ऐसे लोगों को पहले देना चाहिये जिन को दीन इस्लाम से अधिक क़रीब करना हो, ताकि वह मुर्तद न हो जायें। यही हदीस 513 में आगे आ रही है।

बाब {जिन को इस्लाम की तरफ़ झुकाना उद्देश्य हो उन्हें पहले देना चाहिये, चाहे मज़बूत ईमान वाले न भी पायें (तो इस में कोई हर्ज नहीं)।}

512:- अनस बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हुनैन की लड़ाई के दिन क़बीला हवाज़िन, ग़ितफ़ान और दूसरे क़बीला के लोग अपने बीवी-बच्चों और जानवरों को लेकर जन्ग के मैदान में लड़ाई लड़ने के लिये पहुँचे। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ दस हज़ार की संख्या में मुजाहिद थे, उन में मक्का के नवमुस्लिम भी थे। चुनान्चे यह लोग लड़ाई में दुश्मनों को पीठ दिखा कर भाग खड़े हुये और जन्ग के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अकेले रह गये। उस दिन आप ने दो मतबा पुकार लगाई और उन दोनों के दर्मियान और कुछ नहीं कहा। पहली मतबा दायें तरफ़ मुँह कर के पुकार लगाईः ऐ अन्सार के लोगों! यह सुन कर अन्सार ने उत्तर दियाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! आप प्रसन्न हो जायें कि हम हाज़िर हैं और आप के साथ हैं। फिर आप ने बाँयी और मुँह कर के पुकार लगाईः ऐ अन्सार के लोगों! यह सुन कर उन्होंने फिर उत्तर दियाः आप इत्मिनान रखें हम हाज़िर हैं, और ऐ अल्लाह के सन्देष्टा आप के साथ हैं। आप उस समय एक सफ़ेद रन्ग के ख़च्चर पर सवार थे, आप उस पर से उतर गये और फ़रमायाः मैं अल्लाह का बन्दा और सन्देष्टा हूँ। इस जन्ग में मुश्रिकों को पराजय का मुँह देखना पड़ा और मुसलमानों को बहुत अधिक माले ग़नीमत हासिल हुआ जिसे आप ने मुहाजिरों और मक्का के नवमुस्लिमों के दर्मियान बाँट दिया और अन्सार को कुछ नही दिया। इस पर अन्सार ने कहाः कठिन मौक़ों पर तो हमें पुकारा जाये और माले ग़नीमत दूसरों को दिया जाये। जब आप को इस बात की सूचना मिली तो उन्हें एक ख़ैमा में इकट्ठा कर के फ़रमायाः ऐ अन्सार के लोगों! आप लोगों की तरफ़ से कुछ शिकायती बातें मुझे पहुँची हैं। इस पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया तो आप ने फ़रमायाः ऐ अन्सार के लोगों! क्या तुम्हें इस बात से खुशी नहीं है कि दूसरे लोग तो दुनिया ले कर जायें और तुम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को अपने घरों में ले कर जाओ। इस पर उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! बेशक हम इस बात पर राज़ी और प्रसन्न हैं। फिर आप

ने फ़रमायाः अगर लोग राह चलें और अन्सार लोग उन के ख़िलाफ़ दूसरी राह चलें तो मैं अन्सार की राह पर चलूँगा।

हदीस के रवी हिशाम ने पूछाः ऐ अबू हम्ज़ा! क्या आप उस समय मौजूद थे? (जब दूसरे लोग आप को छोड़ का भाग खड़े हुये थे) उन्होंने कहाः मैं आप को छोड़ कर कहाँ जाता।

513:– राफ़े बिन ख़दीज रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक मर्तबा (माले ग़नीमत बाँटते हुये) अबू सुफ़यान, सफ़वान, उयैना और अक़रा बिन हाबिस को सौ–सौ ऊँट दिये और अ़ब्बास बिन मिरदास को उन से कम दिया तो अ़ब्बास ने कहाः आप ने मेरा और मेरे उबैद नामक घोड़े का हिस्सा उयैना और अक़रा बिन हाबिस को दे दिया, हालाँकि वह दोनों किसी भी मुक़ाबला में मुझ से आगे नहीं बढ़ सकते, और मैं उन दोनों से किसी भी मामले में कम नहीं हूँ, और आज जिस की बात नीचे हो गयी फिर ऊपर न होगी। हदीस के रावी राफ़े बिन ख़दीज़ रज़ि॰ ने बयान किया कि यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ब्बास बिन मिरदास को भी सौ ऊँट दिया।

फ़ाइदा:– अ़ब्बास रज़ि॰ ने जल्दबाज़ी दिखाई और शिकायत करने लगे, हालाँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कमज़ोर ईमान वालों को पहले देते थे ताकि वह दीन पर और अधिक जम जायें, उन का ईमान पक्का हो जाये। और जिस को नहीं देते थे उस के ईमान के बारे में आप को शुब्हा नहीं होता था। अ़ब्बास रज़ि॰ चूक गये जो शिकायत कर के 100 ऊँट ले लिया।

514:– अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अ़ली रज़ि॰ ने यमन नगर से कुछ सोना एक चमड़े के थैले में जो बबूल की छाल में रंगा हुआ था रख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास भेजा, वह सोना अभी मिट्टी से अलग नहीं किया गया था (यानी कच्चा था) उस सोने को आप ने चार आदमियों उयैना बिन बद्र, अक़रा बिन हाबिस, ज़ैद (यानी ख़ैल और अल्क़मा, या अ़ामिर बिन तुफ़ैल) के दर्मियान तक़्सीम कर दिया। इस पर आप के सहाबा में से किसी ने कहाः हम इस सोने के उन लोगों से अधिक हक़दार थे। जब आप को इस बात की सूचना मिली तो फ़रमायाः क्या तुम्हें मेरे अमानत दार होने में कुछ संकोच है? हालाँकि मैं उस ज़ात के नज़दीक अमानत दार हूँ जो आकाश के ऊपर है और सुब्ह–शाम मेरे पास वह्यि भेजता है। हदीस के रावी ने बयान किंया कि इतने में एक व्यक्ति जिस की आँखें धँसी हुयी, गाल की हड्डियाँ उभरी हुयी, उस की पेशानी उठी हुयी, दाढ़ी घनी, सर मुँडा हुआ, ऊँचा तहबन्द पहने हुये था खड़ा होकर कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह से ख़ौफ़ खाइये। आप ने फ़रमायाः तेरा नास जाये, क्या मैं पूरी ज़मीन वालों में सब से अधिक अल्लाह से डरने वाला नहीं हूँ? रावी ने बयान किया कि फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला

गया। ख़ालिद बिन वलीद रज़ि॰ ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मैं उस को मार दूँ? आप ने फ़रमायाः ऐसी कोई बात नहीं, हो सकता है वह नमाज़ पढ़ता हो। इस पर ख़ालिद बिन वलीद ने कहाः इस प्रकार के बहुत से ऐसे (मुनाफ़िक़) नमाज़ी मिल जायेंगे जो ज़बान से ऐसी बातें कहते हैं जो उन के दिल में नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ने मुझे यह हुक्म नहीं दिया है कि मैं हर एक का दिल चीर कर देखूँ (कि उस के दिल में क्या है) और न ही यह आदेश दिया है कि उस का पेट फाड़ का देखूँ (कि उस के पेट में क्या है) फिर जब वह पीठ फेर कर जाने लगा तो आप ने उसे जाते हुये देख कर फ़रमायाः इस व्यक्ति की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जो कुरआन को तो बड़ी आसानी से पढ़ेंगे, लेकिन वह उन के गले से नीचे नहीं उतरेगा। वह लोग दीन से ऐसे निकल जायेंगे जैसे तीर शिकार के शरीर को छेद कर के पार हो जाता है। हदीस़ के रावी ने बयान किया कि मेरे ख़्याल से आप ने यह भी कहा कि अगर वह क़ौम मुझे मिल जाये तो समूद की क़ौम की तरह मैं उन्हें क़त्ल कर दूँ।

फ़ाइदाः– कुरआन पाक में आठ लोगों पर ज़कात ख़र्च करनेका हुक्म है (पारः10, सूरःतौबा–60) इन में एक मद यह है कि ऐसे व्यक्ति को भी दिया जाये जिस का ईमान कमज़ोर हो, ताकि दीन से और अधिक क़रीब हो जाये, उस का ईमान पक्का हो जाये, दीन से उस का लगाव और दिलचस्पी बढ़ जाये। इसी उद्देश्य से आप ने इन चार लोगों को दिया था। जो सहाबा कम समझ और जल्द बाज़ थे वह यह समझ बैठे कि उन से अधिक मुहब्बत करते हैं इसलिये उन्हें पहले दिया। एक रिवायत में है कि उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ ने उस मुनाफिक़ को क़त्ल करने की अनुमति माँगी थी, तो हो सकता है दोनों ही ने माँगी हो और रावी ने अलग–अल मौक़े पर एक–एक ही का नाम लिया हो। आप ने उसे इस लिये क़त्ल नहीं कराया कि दुश्मनों को मौक़ा मिल जायेगा कि सन्देष्टा अपने ही लोगों को क़त्ल कराते हैं।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप के ख़ान्दान वालों पर सदक़ा हलाल नहीं।}

515:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया एक मतर्बा अ़ली रज़ि॰ के पुत्र हसन ने सदक़ा की एक खजूर लेकर अपने मुँह में डाल ली आप ने देखा तो फ़रमायाः उसे थूक दो, उसे थूक दो (यानी मत खाओ) आप को मालूम होना चाहिये कि हमारे लिये सदक़ा हलाल नहीं है।

फ़ाइदाः– ज़कात के साथ सदक़ा, ख़ैरात, मन्नत और नियाज़ इस प्रकार का खाना सब हराम है। आप के खान्दान में बनी हाशिम और बनी अ़ब्दुल मुत्तलिब दोनों ही शामिल हैं। चुनान्चे उलमा का कहना है कि आज भी अगर सय्यद और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के खान्दान का व्यक्ति है और वह मुहताज है तो मालदार लोगों का फ़र्ज़

है कि उस की सहायता करें और अपने अस्ल खाने के माल में से उसे दें, ताकि वह सदक़ा-ख़ैरात और ज़कात खाने पर मजबूर न हो।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ान्दान वालों को सदक़ा की वसूली पर रखना दुरुस्त नहीं।}

516:— अ़ब्दुल मुत्तलिब बिन रबीआ़ बिन हारिस ने बयान किया कि रबीआ़ बिन हारिस और अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब, इन दोनों ने मिल कर मश्वरा किया कि अल्लाह की क़सम हम इन दोनां लड़कों यानी मुझे और फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास भेज दिया जाये, और यह दोनों आप से कहें कि मुझे सदक़ा-ज़कात की वसूली के लिये मुहस्सिल बना दिया जाये। यह दोनों भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास ज़कात का माल ला कर जमा किया करेंगे जिस प्रकार और लाग जमा किया करते हैं। इस प्रकार इन दोनों को कुछ मेहनताना मिल जाया करेगा जिस प्रकार और दूसरे लोगों को मिलता है। अभी इस विषय में बात-चीत हो ही रही थी कि इतने में अ़ली बिन अबू तालिब आ कर उन दोनों के आगे खड़े हो गये। चुनान्चे उन्होंने अ़ली रज़ि॰ से भी अपने इरादे का ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा: इन्हें मत भेजो, अल्लाह की क़सम! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इन्हें हर्गिज़ इजाज़त नहीं देंगे। यह सुन कर रबीआ़ बिन हारिस भड़क उठे और अ़ली रज़ि॰ को कोसने लगे और कहने लगे: अल्लाह की क़सम! तुम हसद के कारण ऐसा कह रहे हो, हालाँकि नबी के दामाद होने के नाते तुम्हारा जो मतर्बा है इस पर हम लोग हसद नहीं करते हैं। यह सुनकर अ़ली रज़ि॰ बोले: अच्छा ठीक है आप इन दोनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास भेज दीजिये। चुनान्चे यह दोनों लड़के आप के पास गये और अ़ली रज़ि॰ वहीं लेटे रहे (वह नहीं गये) फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुह्र की नमाज़ पढ़ चुके तो यह दोनों लड़के जल्दी से जा कर आप के घर के दर्वाज़े पर खड़े हो गये। आप जब आये तो इन दोनों के कान पकड़ कर फ़रमाया: कहो, क्या कहना चाहते हो, दिल की बात ज़ाहिर करो। फिर आप घर में चले गये तो यह दोनों भी दाख़िल हो गये। उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बारी ज़ैनब रज़ि॰ के घर में थी। यह दोनों एक-दूसरे सेकहने लगे कि पहले तुम बयान करो। बहरहाल उन में से एक कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! आप सब से अधिक रिश्ते-नाते का ख़याल रखने वाले हैं, अपने निकट संबन्धियों पर एहसान व उपकार करने वाले हैं, हम निकाह की आयु को पहुँच गये हैं, इसलिये हम चाहते हैं कि आप हमें ज़कात की वसूली का पदभार सौंप दें, जिस प्रकार दूसरे लोग ला कर आप को देते हैं, हम भी ला कर दिया करेंगे, इस प्रकार जैसे दूसरों को मज़दूरी मिल जाती है, हमें भी मिल जायेगी (इस प्रकार हमारे निकाह का इन्तिज़ाम हो जायेगा)

यह सुन कर आप बड़ी देर तक ख़ामोश रहे। इस पर हम ने दोबारा कुछ कहना

चाहा कि ज़ैनब रज़ि॰ ने पर्दे की आड़ से इशारा कर के मना कर दिया। फिर आप ने फ़रमायाः ज़कात का माल मुहम्मद के ख़ान्दान वालों के लिये नहीं है, क्योंकि यह लोगों का मैल-कुचैल है। जाओ तुम (मेरे ख़ज़ान्ची) महमिया को बुला लाओ (यह माले ग़नीमत के निग्राँ थे) और नौफ़ल बिन हारिस बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब को भी बुला लाओ। हदीस के रावी अ़ब्दुल मुत्तलिब ने बयान किया कि जब दोनों बुज़ुर्ग आ गये तो आप ने फ़रमायाः ऐ महमिया! तुम अपनी लड़की फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास से बियाह दो और ऐ नौफ़ल! तुम अपनी लड़की को अ़ब्दुल् मुत्तलिब बिन रबीआ़ से बियाह दो। और महमिया से फ़रमायाः इन दोनों का महर माले-ग़नीमत से इतना-इतना दे दो।

फ़ाइदाः– मालूम हुआ कि ज़कात का माल सादात पर हराम है, चाहे मज़दूरी में दिया जाये या यूँ ही ख़ैरात किया जाये। अगर इन की हालत उन लोगों की तरह हो जाये जिन के लिये ज़कात और सदक़ा-ख़ैरात खाना जाइज़ है, फिर भी इन के लिये जाइज़ नहीं। अगर ऐसी हालत हो जाये तो मालदारों का फ़र्ज़ बनता है कि अपने अस्ल माल में से देकर उन के खाने-पीने का प्रबन्ध करें। बाज़ हदीसों से साबित है कि ज़कात की वसूली की मज़दूरी जाइज़ है, लेकिन यह मनघड़त रिवायत है। कुछ उलमा का यह भी कहना है कि केवल ज़कात लेना नाजाइज़ है, सदक़ा-ख़ैरात आदि लेना जाइज़ है। लेकिन दुरुस्त बात यही है कि हर प्रकार का मैल हराम है। यहाँ यह बात भी मालूम रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ख़ान्दान के स्वतन्त्र किये हुये गुलाम और उन की औलाद पर भी ज़कात, सदक़ा, ख़ैरात हराम है (अबू दावूद, तिर्मिज़ी, नसई, अहमद) लेकिन इमाम मालिक के निकट जाइज़ है, क्योंकि उन के अन्दर हराम होने का कारण, यानी बुज़ुर्गी-शराफ़त नहीं पाई जाती (नैलुल् औतार भाग 4) लेकिन इस दावे में कोई दम नहीं है- ख़ालिद। हाफ़िज़ इब्ने हजर रह॰ लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ख़ान्दान वालों पर ज़कात हराम है इसलिये उन का परस्पर एक-दूसरे का ज़कात लेना भी हराम है। (फ़त्हुल बारी)

"मुहम्मद की आल" से मुराद बनी हाशिम (यानी अ़ली, अ़क़ील, ज़ाफ़र, अ़ब्बास और हारिस की औलाद) और बनी मुत्तलिब की औलाद भी शामिल हैं।

बाब {किसी ने किसी को सदक़ा किया, उस ने उस सदक़ा को तोहफ़ा के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ख़ान्दान वालों को भेज दिया, तो इस का खाना जाइज़ है।}

517:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि लौंडी बरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कुछ माँस हदिया में भेजा जो उन्हें किसी ने सदक़ा किया था। चुनान्चे आप ने कुबूल फ़रमा लिया और फ़रमायाः बरीरा के लिये सदक़ा है, लेकिन हमारे लिये हदिया और तोहफ़ा है।

518:– उम्मे अ़तिय्या रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

ने सदक़ा में मुझे एक बक्री भेजी तो मैं ने उस में थोड़ा सा माँस आ़इशा के पास भेजवा दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन के पास आये तो पूछाः खाने के लिये कुछ है? उन्होंने कहाः नहीं, लेकिन नुसैबा (उम्मे अ़तिय्या) ने उसी बक्री के माँस में से कुछ मेरे पास भेज दिया है जो आप ने सदक़ा के तौर पर उन के पास भेजी थी। इस पर आप ने फ़रमायाः वह अपने हलाल होने के स्थान पर पहुँच गयी।

फ़ाइदाः— अर्थात मेरे पास आने के बाद उस का खाना मेरे लिये जाइज़ हो गया। क्योंकि मैं ने उन्हें सदक़ा किया था और उन्होंने मुझे हदिया और तोहफ़ा के तौर पर भेजा है, इसलिये नौइयत बदल गयी। मुस्लिम ही की रिवायत में है कि आप ने जुवैरिया रज़ि॰ से पूछाः खाने के लिये कुछ है? उन्होंने कहाः नहीं, अल्बत्ता बक्री की एक रान है जो मेरी आज़ाद की हुयी लौंडी को सदक़ा में दी गयी थी, और उन्होंने वही रान मुझे हदिया में पहुँचा दी है। आप ने फ़रमायाः फिर तो लाओ (उसे खायें) उस रान को जहाँ पहुँचना था पहुँच चुकी। (मुस्लिम, अहमद) यहाँ भी नौइयत बदल गयी, उस के लिये सदक़ा और हमोर लिये तोहफ़ा।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हदिया (उपहार) को स्वीकार फ़रमाते और सदक़ा—ख़ैरात को वापस कर देते थे।}

519:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आ़दत थी कि जब (आप के सामने) खाना आता तो उस बाबत पूछ लेते थे, अगर हदिया होता तो खाते और अगर सदक़ा होता तो न खाते थे।

फ़ाइदाः— क्योंकि मुहम्मद और उन के ख़ान्दान वालों पर सदक़ा—ख़ैरात हराम है। हदीस का अर्थ स्पष्ट है और अधिक तशरीह की आवश्यक्ता नहीं।

नोटः— ज़कात का अध्याय संपन्न हुआ। लेकिन यहाँ पर ज़कात ही से संबन्धित चन्द और मस्अलों की जानकारी दे देना उचित है। ★जो माल बैन्क में अमानत के तौर पर जमा कर देते है और इसी प्रकार प्रावीडेन्ट फन्ड (Provident Fund) की ज़कात के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है, लेकिन हक़ यह है रखी हुयी अमानत में से हर वर्ष ज़कात निकालना अनिवार्य है। चाहे वह बैंक में रहे या आप की जेब में। क्योंकि वह उसे जब चाहे निकाल सकता है, अगर नहीं निकालता है तो अपनी इच्छा से। इसी प्रकार प्रावीडेन्ट फन्ड पर भी रखे गये तमाम मालों की ज़कात है। और उस की ज़कात उस समय निकाले जब उस का लेना संभव हो जाये। ★अगर दो आदमी साझीदारी में मिल कर काम रहे हैं, तो दोनों का माल एक ही माना जायेगा। दोनों के माल को मिला कर ज़कात तै की जायेगी। उदाहरण के तौर पर यूँ समझें कि पाँच ऊँट पर एक बक्री ज़कात है। दो साझीदार हैं और दोनों के पास चार—चार ऊँट हैं। अगर दोनों को अलग—अलग जोड़ें गे तो किसी पर ज़कात नहीं, लेकिन दोनों का एक माल समझेंगे तो संख्या आठ हो गयी और एक बक्री ज़कात वाजिब हो गयी। ★कोई मर गया, काफ़ी माल छोड़ा, लेकिन ज़कात नहीं

निकाली थी। तो मय्यित के वारिस पहले उस में ज़कात अदा करें फिर तक़्सीम करें। क्योंकि जिस प्रकार क़र्ज़ का मय्यित के तर्का से अदा करना ज़रुरी है, इसी प्रकार ज़कात का भी अदा करना। चाहे उस ने ज़कात निकालने की वसिय्यत की हो या न की हो। ★किसी के सोना भी है और चाँदी भी, लेकिन कोई भी निसाब को नहीं पहुँचता। लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाये तो निसाब तक पहुँच जाता है। तो क्या दोनों को मिला कर ज़कात निकालना अनिवार्य है? इस में बड़ा इख़्तिलाफ़ है। आप अगर एहतियात पर अ़मल करें तो निकाल दें। और अगर इख़्तिलाफ़ से लाभ उठाना चाहें तो न निकालें। यहाँ आप की निय्यत की परीक्षा है। ★काग़ज़ के रुप्यों और धात के सिक्कों पर भी ज़कात है अगर उन पर एक वर्ष बीत जाये। अगर किसी के पास काग़ज़ या सिक्कों की इतनी संख्या है जिस से सोने-चाँदी का निसाब पूरा हो जाता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। उदाहरण के तौर पर यूँ समझें कि सोढ़ बावन तौला चाँदी पर ज़क़ात है। इस की क़ीमत रुपयों में साढ़े बावन सौ (521/2) हैं। अब अगर किसी के पास काग़ज़ या सिक्के साढ़े बावन सौ (51/2 हज़ार) रुपये हैं और उन पर एक वर्ष अ़रबी का बीत गया है तो उस पर ढाई प्रतिशत ज़क़ात फ़र्ज़ है। ★तिजारत के माल में ज़कात है या नहीं? इस में बड़ा इख़्तिलाफ़ है। जो तिजारत के माल में ज़कात मानते हैं उन के नज़दीक एक वर्ष बीत जाने के बाद ज़क़ात फ़र्ज़ हो जायेगी। उदाहरण के तौर पर आप के पास एक लाख रुपये का कपड़ा मौजूद है और उस पर एक वर्ष बीत चुका है तो एक वर्ष बीत जाने के बाद ढाई प्रतिशत (ढ़ाई हज़ार) ज़क़ात फ़र्ज़ है। अगर उस में से माल बिकता रहा और वर्ष के अन्त तक कुछ बच गया तो जो बचा है उस माल में ऊपर की तरह हिसाब लगा कर ज़क़ात निकाली जायेगी। उधर माल बिकने के बाद जो नक़द आमदनी हुयी है उस पर भी वर्ष बीत जाने के बाद (अगर निसाब तक पहुँचता है तो) ढाई फ़ीसद अलग ज़कात होगी। ★जो लोग तिजारत के माल में ज़कात नहीं मानते उन के निकट माल बिक कर होने वाली नक़द आम्दनी में ज़कात है। ★अगर किसी को गड़ा और दफ़न किया हुआ ख़ज़ाना मिल गया तो उस में बीस फ़ीसद (20 प्रतिशत) ज़क़ात है। (मिलने के तुरन्त बाद)-इस में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं। ★अगर कोई वर्ष पूरा होने से पहले ही ज़क़ात निकालना चाहे तो इस की अनुमति है (मुस्लिम, अबू दावूद, तिर्मिज़ी, अहमद) ★ज़क़ात के आठ मद हैं, लेकिन अगर कोई दो-चार मद ही में अपनी कुल ज़क़ात दे दे तो इस में कोई हरज नहीं। लेकिन अगर समस्त मदों में तक़्सीम संभव हो तो बड़ी अच्छी बात है। ★तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि माता-पिता को उन के माता-पिता (दादा-दादी) और अपनी औलाद (यानी बेटे-बेटियाँ) और उन की औलाद (नाती-पोते) को ज़क़ात देना जाइज़ नहीं, इसलिये कि इन सब का खाना-ख़र्चा देना उस पर फ़र्ज़ है। लेकिन इमाम मालिक के निकट नाती-पोते, दादा-दादी को देना जाइज़ है (नैलुल् औतार भाग 4) ★अगर कोई ग़लती से ऐसे आदमी को ज़क़ात दे दे जो उस का हक़दार नहीं था, तो अदा हो जानी चाहिये (नैलुल् औतार भाग 4) लेकिन इमाम बुख़ारी ने इस का बाब

बाँध कर सवालिया निशान लगा दिया है, और अपना कोई फ़ैसला नहीं सुनाया है (किताबुज़्ज़कात, बाब न॰ 15) मस्अले और भी बहुत से हैं लेकिन यहाँ बयान करने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि संक्षिप्त तशरीह है (ख़ालिद, 8 जनवरी 2005, जुमा का दिन, दारुस्सलफ़िय्या, मुंबई)

❀ ❀ ❀

बाबु स-द-क़तिल् फ़ित्रि
(सदक़-ए-फ़ित्र का बयान)

बाब {मुसलमान, जौ या खजूर से सदक़-ए-फ़ित्र अदा करें।}

520:- अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लोगों पर रमज़ान के बाद सदक़-ए-फ़ित्र एक साअ़ा जौ, या एक साअ़ा खजूर फ़र्ज़ किया है, हर आज़ाद और गुलाम महिला-पुरुष पर जो मुसलमान हो।

फ़ाइदाः- "साअ़ा" दो प्रकार का होता था। (1) साअ़ा हिजाज़ी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में मदीना शरीफ़ के लोग प्रयोग में लाते थे। इस साअ़ा में आज के माप के हिसाब से ढाइ किलो ग्राम गेहूँ आदि आता है। (2) साअ़ा अ़िराक़ी, या साअ़ा हज्जाजी, इसे हज्जाज बिन यूसुफ़ गवर्नर ने इराक़ में चलाया था और अबू हनीफ़ा के शर्गिद पहले अपने उस्ताद के फ़तवे के मुताबिक़ अ़मल करते थे। लेकिन जब मदीना में इमाम मालिक रह॰ से मिले तो उन्होंने अपने इराक़ी फ़तवे को वापस ले लिया। बहर हाल आज भी मुसलमानों को सदक़-ए-फ़ित्र, उश्र, ज़क़ात और अपने दूसरे नाप-तौल में किलो ग्राम को छोड़ कर मुद ही प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मदीना के मुद में बड़ी बर्कत की दुअ़ा दी है, काश अल्लाह पाक हम मुसलमानों को इस पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ दे। कुछ लोग इन बातों को दक़िया नूसी और पागल पन ख़याल करते हैं, लेकिन ऐसा ख़याल करने वाले स्वँय गुमराह और पागल हैं।

बाब {सदक़-ए-फ़ित्र खाने की चीज़ों, पनीर और अन्गूर से निकालना चाहिये।}

521:- अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में छोटे-बड़े, आज़ाद और गुलाम सभी की तरफ़ से सदक़-ए-फ़ित्र एक साअ़ा गेहूँ, या जौ, या खजूर, या अन्गूर निकाला करते थे। लेकिन एक मर्तबा जब अमीर मुअ़ाविया (मुल्क शाम से) हज्ज या उम्रा करने आये तो मिंबर पर खुत्बा देते हुये कहाः मैं जानता हूँ कि दो मुद (आधा-साअ़ा) शाम का गेहूँ (क़ीमत में) एक साअ़ा खजूर के बराबर होता है इसलिये लोग आधा साअ़ा ही निकालते हैं। यह सुन

कर अबू सओद खुदरी रज़ि० बोले: मैं तो जब तक जीवित रहूँगा उतना ही निकालूगाँ जितना आज तक निकालता रहा हूँ (यानी एक साआ)

फ़ाइदाः– गेहूँ को छोड़ कर और दूसरी खाने की चीज़ों के सदक़ए-फ़ित्र में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है, सभी में एक साआ निकालना है। इख़्तिलाफ़ केवल गेहूँ के सदक़-ए-फ़ित्र में है। अमीर मुआविया ने जब गेहूँ में आधा साआ का एलान किया तो बहुत से सहाबा ने भी सहमति जताई और इस पर अ़मल भी किया (केवल अबू सओद खुदरी रज़ि० ने इन्कार किया। इन केअ़लावा और भी सहाबा थे जो अबू सओद खुदरी रज़ि० के साथ थे) अब प्रश्न यह है कि गेहूँ में किस हिसाब से सदक़-ए-फ़ित्र निकालें? अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम जौज़ी, आप के शैख़ इब्ने तैमिया, अ़ल्लामा शौकनी, शैलुल हदीस अ़ब्दुरहमानमुबारक पुरी और मौलाना उबैदुल्लाह मुबारक पुरी रह० लिखते हैं "आधा साआ भी निकाल सकते हैं लेकिन एक साआ ही निकालना चाहिये, क्योंकि इस में एहतियात है (तोफ़तुल् अहवज़ी भाग 2) मेरे ख़याल से अगर सूखा काल होने के नाते गेहूँ की उपज कम हुयी हो, या आदमी बहुत ग़रीब है तो वह आधा साआ भी सदक़-ए-फ़ित्र निकाल सकता है, वर्ना अबू सओद खुदरी रज़ि० ही के क़ौल पर अ़मल होगा और सुन्नत के अनुसार एक साआ (ढाई किलोग्राम) गेहूँ ही निकाला जायेगा। अल्लाह पाक हम मुसलमानों को इख़्तिलाफ़ की सूरत में एहतियात पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ दे।

बाब {सदक़-ए-फ़ित्र ओद की नमाज़ से पहले-पहले निकाल देना चाहिये।}

522:– अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि अल्लाह के संदेष्टा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (ओद की) नमाज़ के लिये निकलने से पहले सदक़-ए-फ़ित्र अदा करने का आदेश दिया है।

फ़ाइदाः– मालूम हुआ कि सदक़-ए-फ़ित्र ओद की नमाज़ अदा करने के लिये ओदगाह जाने से पूर्व अदा करना चाहिये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने इसे ओद की नमाज़ से पहले अदा कर दिया वह एक स्वीकार होने वाली ज़कात है, और जिस ने नमाज़ के बाद अदा की तो उस की हैसिय्यत आ़म सदक़ों की सी है। (अबू दावूद, इब्ने माजा, हाकिम, दारुकुतनी) चुनान्चे क़ाज़ी शौकनी रह० का फ़तवा है कि ओद की नमाज़ से पूर्व अदा कर देना अनिवार्य है। (नैलुल् औतार, भाग 4) पहले अदा कर देने में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। इस की भी हैसियत ज़कात ही की तरह है इसलिये केवल मुसलमान फ़क़ीर ही को दिया जायेगा। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रह० के निकट ग़ैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है, लेकिन मक्रुह है।

सदक़-ए-फ़ित्र अदा करने का उद्देश्य यह है कि रोज़ों में जो कमी रह गयी है उस का कफ़्फ़ारा बन जाये, दूसरे यह कि ग़रीब, मुहताज लोग उस दिन भूखे न रहेंऔर ओद का दिन हँसी-ख़ुशी से बिताएँ।

बाब {सदका देने के लिए उभारना।}

523:– अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझे इतनी भी इच्छा नहीं है कि उहुद पर्वत मेरे लिये सोने का बन जाये और उस में से तीन दिन से अधिक मेरे पास एक दीनार भी बाक़ी रहे (और अगर बाक़ी रहा भी) तो किसी क़र्ज़दार को देने के लिये बचा रखा होगा।

524:– अ़ब्दुल्लह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि अल्लाह के संदेष्टा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ महिलाओं की जमाअ़त! तुम लोग अधिक से अधिक सदक़ा-ख़ैरात और तौबा-इस्तिग़फ़ार किया करो, क्योंकि मैं ने जहन्नम में तुम्हारी संख्या सब से अधिक देखी है। यह सुन कर एक बुद्विमान महिला बोलीः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! आख़िर ऐसा क्यों कि जहन्नम में इन की संख्या सब से अधिक है? आप ने फ़रमायाः महिलाएँ बहुत अधिक लानत-मलामत करती हैं और अपने पति की नाशुक्री करती हैं। अक़्ल (बुद्धि) और दीन दोनों एतिबार से आधी-अधोरी होती हैं, लेकिन बड़े-बड़े अक़्ल वालों का दिमाग़ चाट लेती हैं। इस पर उस महिला ने पूछाः हमारी अक़्ल और दीन में किस प्रकार कमी है? आप ने फ़रमायाः अक़्ल की कमी इस प्रकार है कि दो महिलाओं की गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर मानी जाती है। और दीन में कमी इस प्रकार है कि महिला (हर माह माहवारी में) कई दिनों तक नमाज़ नहीं पढ़ती और इसी प्रकार (माहवारी की वजह से) रमज़ान के कुछ रोज़े भी नहीं रखती है।

फ़ाइदाः– ऊपर की इन दानों हदीसों में नफ़ली सदक़ा-ख़ैरात करने का हुक्म है, विशेषकर महिलाओं को। अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर दिन दो फ़रिश्ते आकाश से उतरते हैं उन में से एक कहता हैः ऐ अल्लाह! कन्जूस को ऐसी औलद दे जो उस के माल को बर्बाद कर दे। (बुख़ारी-मुस्लिम)

सदक़ा-ख़ैरात, केवल रूपया-पैसा और ग़ल्ला ही देने का नाम नहीं हैं। इन के अ़लावा में से भी सदक़ा का सवाब हासिल किया जा सकता है। किसी को सहारा दे देना भी सदक़ा है, बुरे काम से रोकना भी सदक़ा है (बुख़ारी, अहमद) नर्म बात करना सदक़ा है, मस्जिद के लिये क़दम उठाना भी सदक़ा है (मुस्लिम, अहमद) अपने डोल का पानी दूसरे के डोल में डाल देना सदक़ा है। (अहमद, तिर्मिज़ी) रास्ता से काँटा हटा देना भी सदक़ा है (अहमद) मतलब यह कि सदक़ा-ख़ैरात का सवाब लेने केबहुत से सूत्र और साधन हैं।

बाब {अल्लाह की राह में ख़र्च करने पर उभारना।}

525:– अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

ने फ़रमायाः अल्लाह पाक फ़रमाते हैंः ऐ आदम की औलाद! तुम ख़र्च करो, ताकि मैं भी तुम्हारे ऊपर ख़र्च करुँ। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह का हाथ भरा हुआ है जो दिन-रात ख़र्च करने पर भी नहीं ख़ाली होता है।

बाब {सदक़ा-ख़ैरात कर लो इस से पूर्व कि उस को लेने वाला कोई न मिले।}

526:- हारिसा बिन वहब रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना आप ने फ़रमायाः सदक़ा-ख़ैरात कर डालो, वर्ना बहुत जल्द वह दिन आने वाला है कि एक व्यक्ति अपने सदक़ा का माल देने के लिये निकलेगा और जिस को देगा वह कहेगाः अगर आप कल लाते तो मैं ले लेता, आज तो मुझे इस की ज़रुरत ही नहीं है। और इस प्रकार उसे कोई नहीं मिलेगा जो उस का सदक़ा ले ले।

527:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः (क़ियामत के दिन) ज़मीन सोने-चाँदी के सुतून की तरह अपने कलेजे के टुक्ड़ों का क़ै कर देगी। इस के बाद एक हत्यारा आ कर कहेगाः इस के लालच में आ कर मैं ने हत्या की थी। फिर रिश्ता-नाता तोड़ने वाला आ कर कहेगाः इस के लिये मैं ने रिश्ता-नाता तोड़ा था। फिर एक चोर आ कर कहेगाः इसी के नाते मेरा हाथ काटा गया था। फिर सभी लोग उस सोने-चाँदी के क़ै (उल्टी) को छोड़ देंगे और कोई उसे हाथ तक नहीं लगाएगा।

फ़ाइदाः- कितने अल्लाह के बन्दे ऐसे हैं जो माल जमा करने के लालच में चोरी, डाका डालते और बेईमानी करते हैं। नाजाइज़ हथकन्डे अपनाते हैं और पूरी आयु इसी में लगा देते हैं, उन्हें ख़ैरात और सदक़ा करने का होश ही नहीं रहता है। हालाँकि यही सदक़ा-ख़ैरात क़ियामत के दिन गुनाहों का कफ़्फ़ारा बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई भी सदक़ा किसी के माल को कम नहीं करता, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने अल्लाह से माफ़ी माँगी हो और उस के सम्मान और प्रतिष्ठा में इज़ाफ़ा न कर दिया हो (मुस्लिम)

बाब {पति और औलाद पर सदक़ा करने का बयान।}

528:- अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ की पत्नी ज़ैनब रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ महिलाओं की ज़माअ़त! सदक़ा-ख़ैरात किया करो, चाहे अपने ज़ेवर निकाल कर करो। ज़ैनब रज़ि॰ ने बयान किया कि यह सुन कर मैं अपने पति अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ के पास आयी और उन से कहाः आप ग़रीब आदमी हैं, आप का हाथ ख़ाली है (सदक़ा के लिये कुछ नहीं है) और अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया है कि हम महिलाएँ सदक़ा-ख़ैरात दें। इसलिये आप जा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मालूम करें कि अगर मैं आप को अपना सदक़ा

दे दूँ तो क्या वह अदा हो जायेगा? वर्ना किसी और को दे दूँ। यह सुन कर इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने कहाः तुम ही जा कर पूछ लो। चुनान्चे मैं आप के पास दोबारा गयी। उस समय एक अन्सारी महिला भी आप के दर्वाज़े के पास खड़ी थी और उस का भी वही काम था जो मेरा था। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का रोब और जलाल था (इसलिये हम अन्दर नहीं जा रहे थे) इतने में बिलाल रज़ि॰ आप के पास से बाहर निकले तो हम दोनों ने कहाः आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सूचित कर दें कि दो महिलाएँ मस्अला पूछने के लिये खड़ी हैं कि अपना सदक़ा अगर हम अपने पति को दे दें तो क्या वह अदा हो जायेगा? या उन यतीमों को दे दें जिन की हम पर्विश कर रही हैं? और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को यह न बताएँगे कि हम कौन महिला हैं। ज़ैनब रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि बिलाल रज़ि॰ ने जा कर मस्अले को आप के सामने रखा तो आप ने पूछाः वह श्रीमति कौन-कौन हैं? बिलाल रज़ि॰ ने कहाः एक तो अन्सारी महिला हैं और दूसरी ज़ैनब हैं। आप ने पूछाः कौन ज़ैनब? उन्होंने बतायाः इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ की पत्नी। यह सुन कर आप ने फ़रमायाः उन को उन्हें देने पर दोगुना सवाब मिलेगा, एक तो निकट रिश्तेदारों से नेक व्यवहार करने का, और दूसरे सदक़ा करने का।

फ़ाइदाः- मालूम हुआ कि पत्नी, अपने पति देव को नफ़्ली सदक़ा-ख़ैरात दे सकती है और देने पर उसे दोगुना सवाब मिलेगा। इस मस्अले में किसी का इख़्तिलाफ़ नही है। क्या ज़कात भी दे सकती है? कुछ उलमा का कहना है कि नहीं। लेकिन कुछ उलमा का कहना है कि फ़र्ज़ ज़कात भी दे सकती है। दलील यह देते हैं कि वह व्यक्ति उसे ज़कात नहीं दे सकता जिस के ऊपर उस का ख़ाना-ख़र्च वाजिब है, जैसे, बाप के ऊपर बेटा का, पति के ऊपर पत्नी का। चूंकि पत्नी के ऊपर पति और बेटे के ख़र्च का ज़िम्मा नहीं है इसलिये पत्नी अपने पति को फ़र्ज़ ज़कात भी दे सकती है (नैलुल् औतार भाग 4) मेरे ख़याल से बेहतर यही है कि फ़र्ज़ ज़कात न दी जाये-ख़ालिद।

बाब {निकट संबन्धियों पर सदक़ा-ख़ैरात करने का बयान।}

529:- अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अबू तल्हा अन्सारी रज़ि॰ मदीना के लोगों में बहुत अधिक धनवान थे। उन्हें अपने माल में बीर बैरहा के खजूरों का बाग़ बहुत पसन्द था जो मस्जिदे-नबवी के बिल्कुल सामने था, आप उस बाग़ में जाया करते और उस के कुएँ का मीठा पानी पिया करते थे। अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि जब (सूरः आले अिम्रान की आयत) "तुम अस्ली नेकी उस समय तक नहीं पाओगे जब तक अपनी सब से अधिक मन पसन्द वस्तु को अल्लाह की राह में ख़र्च न कर दो" यह सुन कर अबू तल्हा रज़ि॰ ने जा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अनुरोध किया कि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है "तुम अस्ली नेकी उस समय तक नहीं पाओगे जब तलक अपनी सब से अधिक मनपसन्द वस्तु को अल्लाह की राह में ख़र्च न कर दो" और तमाम माल में मुझे सब से अधिक बैरहा का बाग़ पसन्द

है, इसलिये मैं उसे अल्लाह की राह में सदक़ा करता हूँ और मुझे आशा है कि इस का सवाब आख़िरत के दिन अल्लाह के पास से मुझे मिलेगा, इसलिये आप इस बाग़ को जिसे चाहें दें दें। आप ने फ़रमायाः यह तो बड़े लाभ का सौदा है, यह तो बड़े ही लाभ का सौदा है। जो तुम ने कहा है उसे मैं ने सुना है, मेरा ख़याल है कि तुम इस बाग़ को अपने रिश्तेदारों में बाँट दो। चुनान्चे तल्हा रज़ि॰ ने उस बाग़ को अपने रिश्तेदारों और चचा के भाइयों में बाँट दिया।

फ़ाइदाः– इस हदीस से मालूम हुआ कि अपने निकट संबन्धियों के दर्मियान सदक़ा-ख़ैरात करना सब से बेहतर है। एक दूसरी हदीस में है कि "सब से बेहतर सदक़ा वह है जो किसी मजबूर और लाचार संबन्धी को दिया जाये (अहमद) ऐसा भी होता है कि जो चीज़ आप ख़ैरात करें उस का सवाब आप को मिल जाये और वह आप को वापस भी मिल जाये। एक महिला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहाः मैं ने एक लौंडी माँ को सदक़ा की थी, अब मेरी माँ का देहान्त हो गया है और वह लौंडी छोड़ गयी हैं। आप ने फ़रमायाः सदक़ा करने का सवाब तो तुम्हें मिल गया है और यह लौंडी भी तर्का में मिल गयी है। (मुस्लिम, अहमद, अबू दावूद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) इस मस्अले में सब का इत्तिफ़ाक़ है।

बाब {अपने मामूँ को सदक़ा–ख़ैरात देने का बयान।}

530:– हारिस की पुत्री मैमूना रज़ि॰ नेबयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में एक लौंडी आज़ाद की। आप को जब मालूम हुआ तो फ़रमायाः अगर तुम उसे अपने मामूँ को दे देतीं तो बड़ा सवाब पातीं।

फ़ाइदाः– बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत में है "अगर तुम अपनी बहनों को देतीं।" दोनों ही रिवायतों में माँ केरिश्तेदारों के साथ नेक बर्ताव करने का हुक्म दिया, क्योंकि माँ का बहुत बड़ा हक़ है।

बाब {मुश्रिक माता के साथ अच्छा व्यवहार करने का बयान।}

531:– अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ की बड़ी पुत्री अस्मा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मेरी माता जी आयी हैं जिन्हें दीन इस्लाम में कोई दिलचस्पी नहीं है (यानी वह मुश्रिक हैं) तो क्या मैं उन के साथ भी अच्छा बर्ताव करूँ, आप ने फ़रमायाः हाँ (उन के साथ भी)

फ़ाइदाः– अस्मा की माता ईमान नहीं लाई थीं इसलिये अबू बक्र रज़ि॰ ने उन्हें छोड़ दिया, फिर उम्मे रुमान से निकाह किया जिन से आ़इशा रज़ि॰ पैदा हुयीं, इस प्रकार आ़इशा और अस्मा की माँ अलग-अलग हैं। वह आती-जाती थीं और अपनी बिटिया अस्मा के लिये उपहार भी लाती थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन का उपहार

स्वीकार करने, उन को उपहार देने, उन्हें खिलाने-पिलाने और उन का आदर-सम्मान करने का आदेश दिया। उन का नाम क़तीला बिन्त अ़ब्दुल् उज़्ज़ा था

बाब {अपनी मरी हुयी माँ की तरफ़ से सदक़ा-ख़ैरात करने का हुक्म।}

532:- आइशा सिद्दीक़ा रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मेरी माता जी देहान्त कर गयीं और वह कुछ वसिय्यत भी न कर सकीं, अगर वह बोलनै की स्थिति में होतीं तो सदक़ा-ख़ैरात करतीं, तो अगर मैं उन की तरफ़ से सदक़ा-ख़ैरात करुँ तो क्या उन्हें सवाब मिलेगा? आप ने फ़रमायाः हाँ।

फ़ाइदाः- उलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि मिय्यत की तरफ़ से सदक़ा-ख़ैरात, दान-पुन्न, दुआ़ आदि किया जाये तो उसे इस का सवाब पहुँचता है। इसी प्रकार उस का क़र्ज़ अदा कर दिया जाये, उस की तरफ़ से हज्ज किया जाये तो भी इन सब का उसे सवाब पहुँचता है। इन सब के तअ़ल्लुक़ से स्पष्ट हदीसें मौजूद हैं। लेकिन याद रहे कि क़ुरआन ख़ानी का सवाब जैसा कि हमारे मुल्क हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश में प्रचलित है, नहीं पहुँचता है, यह एक प्रकार की बिदअ़त है जिस से प्रहेज़ करना अनिवार्य है। हाँ, अगर मय्यित ने रोज़ा रखने की नज़्र मानी थी और रखने से पूर्व देहान्त कर गया तो उसे भी उस की तरफ़ से रखा जा सकता है उस का उस मय्यित को सवाब मिलेगा (बुख़ारी, मुस्लिम)

बाब {ग़रीबों और हाजत वालों पर सदक़ा-ख़ैरात करने का हुक्म।}

533:- जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि० ने बयान किया कि हम लोग सुब्ह के समय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बैठे हुये थे कि इसी बीच आप के पास कुछ लोग आये, जिन के पैर और शरीर नन्गे थे, गले में केवल चमड़े की चादरें थी और अपनी तल्वारें लटकाए हुये थे। उन में अधिकांश, बल्कि सब के सब क़बीला मुज़र के लोग थे। उन की भूख-प्यास को देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के चहरे का रन्ग बदल गया, आप अपने घर के अन्दर गये फिर बाहर आये (बेचैनी की वजह से) फिर बिलाल रज़ि० को अज़ान कहने का हुक्म दिया, आप ने नमाज़ पढ़ाई और बाद में खुत्बा दिया और यह आयत पढ़ीः "ऐ लोगों! तुम अपने उस पालनहार से डरो जिस ने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उस से उस का जोड़ा बनाया, फिर उस जोड़े से (पूरी दुनिया में) महिला और पुरुष बिखेर दिये। उस अल्लाह से डरो जिस के नाम से एक-दूसरे से सवाल करते हो, इसी प्रकार रिश्ते-नाते से भी डरो, अल्लाह पाक तुम्हारे सब कामों की ख़बर रखने वाला है (सूरः निसा, आयत 1) "ऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरते रहो, और हर व्यक्ति देख-भाल ले कि कल (यानी क़ियामत) के दिन के वास्ते उस ने क्या कुछ भेजा है। और अल्लाह से डरो, केवल अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की ख़बर

है।" (पारः28, सूरःहश्र-18) (इतने में सदक़ा-ख़ैरात करने का ताँता लग गया) किसी ने अशर्फ़ियाँ सदक़ा कीं, तो किसी ने दिरहम, किसी ने एक साअ़ा गेहूँदिया तो किसी ने एक साअ़ा खजूर, आप ने यहाँ तक फ़रमाया कि अगर खजूर का एक टुक्ड़ा भी हो (तो उसे भी ख़ैरात कर दो) इतने में एक अन्सारी (सदक़ा से भरा हुआ) एक थैला लटकाए हुये ले कर आये, वह इतना भारी था कि उस के वज़न से उन का हाथ थक कर चूर हो गया था, उन्हें देख कर सदक़ा-ख़ैरात लाने वालों का ताँता बँध गया, और देखते-देखते खाने-पीने के सामान और वस्त्रों के दो ढेर लग गये। यह देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का चेहरा सोने की तरह चमकने लगा, फिर आप ने फ़रमायाः जो कोई दीन में नेक कार्य की बुनियाद डालता है तो उस का उसे सवाब मिलता है और जो कोई उस पर अ़मल करता है उस का भी उसे एक सवाब मिलता है, और उन करने वालों के सवाब में कोई कमी नही होगी। और जिस ने दीन इस्लाम में किसी बुरे कार्य (यानी बिदअ़त) की बुनियाद डाली तो उसे इस बुरे कार्य की बुनियाद डालने का गुनाह मिलेगा और उन लोगों के भी कार्य का गुनाह मिलेगा जो उस की ईजाद की हुयी बिद्अ़त पर अ़मल करते हैं और उन के गुनाह में भी कोई कमी नहीं होगी।

फ़ाइदाः— यह हदीस बड़े महत्व की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस में पूरे दीन का खुलासा कर दिया है। जिन लोगों ने अपना पेट पालने के लिये तरह-तरह की बिद्अ़तें ईजाद की हैं उन के लिये ज़र्बदस्त चेतावनी है। उदाहरण के तौर पर यूँ समझें कि जिसने मज़ारों पर चढ़ावा चढ़ाने की बिद्अ़त ईजाद की उसे ईजाद करने का गुनाह तो मिलेगा ही, जितने ही लोग चढ़ावा चढ़ायेंगे उन का भी एक-एक गुनाह उस ईजाद करने वाले के खाते में जायेगा। और क़ियामत तक उस के खाते में गुनाहों का इज़ाफ़ा होता रहेगा। इसी प्रकार अगर किसी ने नेक कार्य करते हुये कुआँ खोद दिया ताकि लोग उस का पानी पियें तो उसे इस खोदने का सवाब मिलेगा और जितने लोग उस का पानी पियेंगे उन के पीने का भी सवाब इसे मिलेगा और जब तक कुआँ मौजूद रहेगा उस के खाते में नेकियाँ लिखी जाती रहेंगी।

बाब {ग़रीबों-मुहताजों और मुसाफ़िरों पर सदक़ा करने का बयान।}

534:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि उस ने बादल में एक आवाज़ सुनी। "फ़लाँ के बाग़ को सींच दे"। यह आदेश सुन कर वह बादल एक तरफ़ चल पड़ा और एक पथरीली भूमि पर वर्षा करने लगा, जिस से एक नाली लबालब भर गयी, वह किसान नाली के पानी के साथ-साथ चलने लगा, तो क्या देखता है कि एक व्यक्ति अपने बाग़ में खड़ा फावड़े से पानी को इधर-उधर चढ़ा रहा है। उस ने उस से पूछाः ऐ अल्लाह के बन्दे! तेरा क्या नाम हैं? उस ने बतायाः मेरा फ़लाँ नाम है। और वही नाम बताया जो बादल में सुना था। फिर बाग़ वाले ने उस से पूछाः ऐ

अल्लाह के बन्दे! तू ने मेरा नाम क्यों पूछा? उस ने कहा: मैं ने बादल में एक आवाज़ सुनी थी, कोई कह रहा था कि "जा कर फ़लाने के खेत को सींच दे" और उस आदेश देने वाले ने तुम्हारा नाम भी लिया था। तो आप यह बतलायें कि किस प्रकार इस बाग़ से अल्लाह के एहसान का शुक्र अदा करते हैं? यह सुन कर बाग़ वाले व्यक्ति ने कहा: अब जबकि तुम ने पूछ ही लिया है तो मैं बताये देता हूँ। बात यह है कि इस बाग़ की कुल आमदनी का एक तिहाई सदक़ा कर देता हूँ, एक तिहाई मेरे बाल-बच्चे खाते हैं, और एक तिहाई इस बाग़ की देख-रेख पर ख़र्च करता हूँ।

एक दूसरी रिवायत में इस प्रकार है कि एक तिहाई ग़रीबों, मुहताजों और मुसाफ़िरों पर ख़र्च कर देता हूँ।

फ़ाइदा:– इस लंबी हदीस में ग़रीबों, मुहताजों और मुसाफ़िरों पर ख़र्च करने की फ़ज़ीलत का बयान है। अबू बक्र रज़ि॰ की बड़ी पुत्री अस्मा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: खूब ख़र्च करो और गिन-गिन कर न रखो, वर्ना अल्लाह पाक भी तुम्हें गिन-गिन कर देगा। (मुस्लिम)

बाब {सदक़ा-ख़ैरात कर के दोज़ख़ की आग से बचो, अर्गचे खजूर का एक टुक्ड़ा ही ख़ैरात करो।}

535:– अदी बिन हातिम रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जहन्नम का ज़िक्र किया फिर मुँह दूसरी ओर फेर कर देखने लगे, इस पर हम लोगों ने समझा कि आप जहन्नम को देख रहे हैं। फिर आप ने फ़रमाया: (देखो!) जहन्नम से बचो, चाहे आधी खजूर के ज़रीआ़ ही सही, और अगर आधी खजूर भी न हो तो मीठी बानी बोल कर (जहन्नम से बचो)

फ़ाइदा:– अर्थ यह है हर समय सदक़ा-ख़ैरात का ख़याल रहना चाहिये, और कुछ न कुछ अवश्य ही ख़ैरात करते रहना चाहिये। अगर कुछ न हो तो आधी खजूर ही ख़ैरात कर दिया करो, अगर यह भी न हो तो लोगों से मीठी बोली बोला करो, इस से लोग खुश हो कर दुआ़यें देंगे जो जहन्नम के बचाव का ज़रीआ़ बनेंगी। मतलब यह है कि मौक़े पर जो कुछ भी मौजूद हो उसे सदक़ा करना चाहिये, यह कोई आवश्यक नहीं कि मोटी रक़म ही ख़र्च करें। और हर समय जहन्नम से बचने की फ़िक्र होनी चाहिये।

बाब {दूध देने वाला जानवर सदक़ा में देना अफ़ज़ल है।}

536:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अगर कोई किसी घर वाले को (यानी बाल-बच्चों वाले को) ऐसी ऊँटनी सदक़ा देता है जो सुब्ह-शाम एक प्याला दूध देती है तो इस सदक़े का बहुत बड़ा सवाब है।

बाब {छुपा कर सदक़ा करने की फ़ज़ीलत का बयान।}

537:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सात प्रकार के लोग ऐसे हैं जिन्हें (क़ियामत के दिन) अल्लाह पाक अपने (अ़र्श के साया के नीचे स्थान देगा जिस दिन वहाँके साया के अ़लावा और कहीं साया न होगा। (1) न्यायधीश (हाकिम जो किताब-सुन्न्त के अनुसार न्याय करे) (2) वह जवान जो अल्लाह पाक की अ़िबादत-इताअ़त में पला-बढ़ा। (3) वहव्यक्ति जो मस्जिद से (नमाज़ पढ़ कर) निकलने के बाद भी उस का दिल (दूसरी नमाज़ के लिये) मस्जिद में लगा रहें। (4) वह दो व्यक्ति जो परस्पर अल्लाह के लिये प्रेम करते हैं, अल्लाह ही के लिये मिलते हैं और अल्लाह ही के लिये जुदा होते हैं। (5) ऐसा व्यक्ति जिसे ऊँचे घराने की धनवान और सुन्दर महिला ज़िना के लिये बुलाए, लेकिन वह कह देः मैं अल्लाह से डरता हूँ (इसलिये यह कार्य नहीं कर सकता)। (6) वह व्यक्ति जो इस प्रकार छुपा कर सदक़ा करता है कि उस के दाँयें हाथ तक को ख़बर नहीं होती कि बायें हाथ ने क्या ख़र्च किया है। (7) वह व्यक्ति जो अल्लाह पाक को एकान्त में याद करे तो (मारे डर के) उस की आँखों से आँसू टपक पड़ें।

फ़ाइदा:– हदीस का अर्थ स्पष्ट है कि किसी व्याख्या की आवश्यक्ता नहीं। हदीस में सदक़ा वाला वाक्य इस प्रकार होना चाहियेः "बाँयें हाथ को ख़बर नहीं होती कि दायें हाथ ने क्या ख़र्च किया है"

बाब {एक व्यक्ति तन्दुरूस्त है और माल की उस को आवश्यक्ता भी है, फिर भी उसे सदक़ा कर दे तो यह बड़ी फ़ज़ीलत का कार्य है।}

538:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल! सब से अफ़ज़ल सदक़ा कौन सा है? आप ने फ़रमायाः तुम तन्दरुस्त हो, माल की भी तुम्हें आवश्यक्ता है, मुहताज हो जाने का भी डर है, मालदार भी बने रहना चाहते हो, फिर भी उस माल को सदक़ा कर दो (तो यह सदक़ा सब से अफ़ज़ल है) (और याद रखो!) सदक़ा-ख़ैरात करने में देरी न करो कि जब जान गले तक आ जाये तब कहने लगोः इसे फ़लाँ को दे दो, इसे फ़लाँ को दे दो, हालाँकि (तुम्हारी जान निकलते ही) वह उन लोगों का हो चुका।

फ़ाइदा:– जिस चीज़ की स्वयँ आवश्यक्ता हो, और जो चीज़ सब से अधिक पसन्द हो, ज़ाहिर है ऐसा सदक़ा सब से अफ़ज़ल कहलाएगा। जान निकलने की हालत में अल्लाह पाक कोई चीज़ क़ुबूल नहीं करता। उस समय की न तो तौबा क़ुबूल होती है न ईमान लाना, न सदक़ा-ख़ैरात करना आदि।

बाब {अल्लाह पाक हलाल कमाई का सदक़ा स्वीकार करता और उसे बढ़ाता है।}

539:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

ने फ़रमायाः अगर कोई व्यक्ति हलाल कमाई का एक खजूर भी सदक़ा-ख़ैरात करता है तो अल्लाह तआ़ला उसे अपने दायें हाथ में लेकर उसे बढ़ाता है, यहाँ तक कि वह (मामूली) सदक़ा पहाड़ के बराबर या उस से भी ऊँचा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जिस प्रकार तुम घोड़े के बच्चे या ऊँटनी (के बच्चे) को पालते हो (जो धीरे-धीरे बढ़ कर जवान हो जाते हैं)

540:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ लोगों! अल्लाह तआ़ला पाक है, इसीलिये केवल पाक ही चीज़ों को कुबूल करता हैं। अल्लाह ने जो आदेश मोमिनों को दिया है वही संदेष्टाओं को भी दिया है। चुनान्चे आदेश दिया हैः "ऐ संदेष्टाओं! पाक और हलाल चीजें ही खाओ और नेक कार्य करो, जो कुछ भी तुम करते हो उस की हमें जानकारी है" और एक दूसरे स्थान पर यूँ फ़रमायाः "ऐ ईमान वालों! हम ने जो पाक चीज़ें दी हैं उन्हें खाओ," फिर आप ने एक ऐसे व्यक्ति का ज़िक्र किया जो (नेकी के काम के लिये) लंबी-लंबी यात्राएँ करता है, हर समय धूल-मिट्टी में अटा रहता है, फिर आसमान की तरफ़ हाथ उठा कर दुआ़ करता है "ऐ मेरे मौला! ऐ मेरे मौला! ,हालाँकि उस का खाना-पानी हराम कमाई का होता है, उस का वस्त्र हराम का होता है, वह हराम में पलता-बढ़ता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की दुआ़ भला क्योंकर कुबूल होगी।

फ़ाइदाः- नमाज़, रोज़ा, हज्ज, ज़कात, अर्थात हर प्रकार की इबादत, नेकी और दुआ़ के कुबूल होने का दारोमदार हलाल रोज़ी है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर कोई दस दिंहम का वस्त्र ख़रीदे और उस में एक दिर्हम हराम कमाई का हो तो जब तक वह कपड़ा उस के बदन पर रहेगा, अल्लह पाक उस की नमाज़ को नहीं कुबूल करेगा (बैहक़ी-यह हदीस ज़ओ़फ़ है) आज हम मुसलमान रो-रो कर, चीख़-चीख़ कर हाथ बुलन्द कर के अल्लाह के दर्बार में दुआ़एँ करते हैं लेकिन कुबूल नहीं होती हैं, इस का कारण यही हराम की कमाई और हराम का खाना-पीना है।

बाब {छोटी-मोटी चीज़ें सदक़ा-ख़ैरात करने को हक़ीर (मामूली) न जानो।}

541:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाया करते थेः ऐ मुस्लिम महिलाओं! तुम में से कोई भी अपने पड़ोसी को हक़ीर और गिरा हुआ न समझे, उसे बकरी का एक खुर ही दे (लेकिन कुछ न कुछ दे)

फ़ाइदाः- बकरी का खुर और पाया सब से अधिक मामूली समझा जाता है, लोग आ़म तौर पर इसे प्रयोग में नहीं लाते। आप ने फ़रमायाः इस प्रकार की मामूली से मामूली चीज़ें ही सही, लेकिन अपने पड़ोसी के घर पहुँचा दिया करो, और पड़ोसी को भी चाहिये कि इसे स्वीकार करे। इस से परस्पर मुहब्बत और मेल-मिलाप पैदा होता है, प्रेम भावना जागती है, एक-दूसरे से हमर्ददी और सदभावना पैदा होती है और सदक़ा का सवाब अलग मिलता है।

बाब {अल्लाह तआ़ला ने "सूरः तौबा" में फ़रमायाः "जो लोग सदक़ा-ख़ैरात करने वालों को ताना देते हैं.........77}

542:- अबू मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें सदक़ा-ख़ैरात करने का हुक्म दिया, हम लोग हम्माली (बोझ ढोया) करते थे। चुनान्चे अ़क़ील ने आधा साअ़ (एक किलो) सदक़ा किया और एक व्यक्ति ने उस से अधिक सदक़ा किया। इस पर मुनाफ़िक़ लोग कहने लगेः अल्लाह को इस प्रकार के सदक़ा-ख़ैरात की कोई आवश्यक्ता नहीं, और उस दूसरे व्यक्ति ने तो केवल दिखाने के लिये सदक़ा किया है, इस पर अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमायीः "जो लोग सदक़ा-ख़ैरात करने वाले मुसलमानों को ताना देते हैं, विशेष कर उन मुसलमानों को जिन के पास मेहनत-मज़दूरी के अतिरिक्त और कोई आमदनी नहीं है इन का मज़ाक़ उड़ाते हैं (ऐसे लोग याद रखें) अल्लाह पाक इस प्रकार मज़ाक़ उड़ाने वालों को सज़ा देगा, और उन के लिये आख़िरत में दुःख दाई दन्ड होगा (पारः 10, सूरः तौबा-79)

बाब {जिस ने सदक़ा और दूसरे नेक कामों को एकत्र कर लिया................।"}

543/1:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्हेांने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने दुनिया में एक जोड़ा अल्लाह की राह में ख़र्च किया (सदक़ा-ख़ैरात किया) उसे जन्नत में पुकारा जायेगा कि ऐ अल्लाह के बन्दे! यह देख अपने सदक़ा-ख़ैरात का बदला। इसी प्रकार जिस ने दुनिया में नमाज़ की पाबन्दी की उसे जन्नत में नमाज़ के दर्वाज़े से पुकारा जायेगा। और जिस ने जिहाद किया होगा उसेजिहाद के दर्वाज़े से, जिस ने सदक़ा-ख़ैरात किया होगा वह सदक़ा-ख़ैरात के दर्वाज़े से, और जिस ने रोज़ा रखा होगा वह "रय्यान" के दर्वाज़े से पुकारा जायेगा (कि इस दर्वाज़े केअन्दर आ कर अपनी नेकी का बदला देख लो) यह सुन कर अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! किसी को तमाम दर्वाज़ों से पुकारा जाये इस की संभावना नहीं, क्या ऐसा भी कोई होगा जिसे तमाम दर्वाज़ों से पुकाया जायेगा? आप ने फ़रमायाः हाँ (ऐसा भी व्यक्ति होगा) और मुझे आशा है कि तुम भी उन्ही में से होगे (जिन्हें समस्त दर्वाज़ों से पुकारा जायेगा)

543/2:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से कौन आज रोज़े से है? अबू बक्र रज़ि॰ ने कहाः मैं। आप ने फिर पूछाः आज किसी के जनाज़ा में कौन शामिल हुआ है? अबू बक्र रज़ि॰ ने कहाः मैं। आप ने फिर पूछाः आज किस ने ग़रीब को खाना खिलाया है? अबू बक्र रज़ि॰ ने कहाः मैं। आप ने फिर पूछाः किस ने आज बीमार की अ़यादत की है? अबू बक्र ने कहाः मैं ने। यह सुन कर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस के अन्दर इस प्रकार के नेक कार्य जमा हो जायें वह अवश्य ही जन्नत में जायेगा।

बाब {हर नेकी सदक़ा है।}

544:– हुज़ैफ़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर नेकी सदक़ा है।

फ़ाइदाः– अर्थात जिस प्रकार सदक़ा करने पर सवाब मिलता है, इसी प्रकार हर प्रकार के नेक कार्य (चाहे ज़बान से, या हाथ-पैर से) करने पर सवाब मिलता है।

बाब {"सुब्हानल्लाह" "अल्हमदु लिल्लाह" कहना, और इसी प्रकार दूसरे नेकी के कार्य करना सदक़ा है।}

545:– अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि चन्द सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! जिन के पास धन-माल और रुपया -पैसा है वही लोग सवाब कमा रहे हैं, क्योंकि वह लोग भी हमारी तरह नमाज़ें पढ़ते और रोज़ा रखते हैं और अपने बचे हुये माल से सदक़ा-ख़ैरात भी करते हैं (इसलिये हम लोग मजबूर हैं) आप ने फ़रमायाः अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिये भी सदक़ा का सामान कर दिया है। हर "सुब्हानल्लाह" कहने पर सदक़ा का सवाब मिलता है, हर बार "अल्हम्दुलिल्लाह" कहने पर सदक़ा का सवाब है, इसी प्रकार हर बार "अल्लाहु अक्बर" कहने पर सदक़ा का सवाब है। इसी प्रकार अच्छे व्यक्ति के शरीर के अंग में भी सदक़ा है। इस पर सहाबा बोलेः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! हम में से जो कोई अपनी पत्नी से संभोग करता है क्या इस कार्य पर भी सदक़ा का सवाब मिलेगा? आप ने उत्तर दियाः हाँ, हाँ (इस पर सदक़ा का सवाब मिलेगा) देखो, अगर उसे हराम स्थान पर प्रयोग करो, तो क्या ऐसा करने पर गुनाह नहीं है? (तो जब ऐसा करने पर गुनाह है) तो जाइज़ स्थान पर करने पर निःसंदेह सवाब है।

फ़ाइदाः– हर कार्य पर सवाब निय्यत के आधार पर है। अगर उस की निय्यत नेक है तो उस पर सवाब मिलेगा। उदाहरण के तौर पर निकाह करने का उद्देश्य यह हो कि बुराइयों से सुरक्षित रहेगा, उस से जो सन्तान पैदा होगी उस से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की उम्मत में एक अंक का इज़ाफ़ा होगा और इस से इस्लाम का विस्तार होगा, तो इस निय्यत पर पत्नी से संभोग करने पर सवाब है, उसे और संतान को खिलाने-पिलाने, उन की देख-भाल, मतलब यह कि हर कार्य पर सदक़ा का सवाब लिखा जायेगा। "सुब्हानल्लाह, अल्हम्दु लिल्लाह, लाइला-ह इल्लल्लाह, अल्लाहु अक्बर" शब्द पढ़ते रहना कोई कठिन कार्य नहीं है। चलते-फिरते, उठते-बैठते कार्य करते हुये पढ़ते रहा करो, जितनी बार पढ़ेंगे उतने सदक़े का सवाब मिलेगा। इस प्रकार पढ़ते रहने से दिन-रात में हम कितनी नेकियाँ कमा सकते हैं? आप स्वँय अनुमान लगा सकते हैं। यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि इस पर अ़मल नहीं कर पा रहे हैं।

बाब {शरीर के हर जोड़ के बदले में सदक़ा करना वाजिब है।}

546:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर व्यक्ति के शरीर में 360 जोड़ होते हैं (और सभी जोड़ों की तरफ़ से सदक़ा अदा करना वाजिब है) तो जिस ने "सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लाइला-ह इल्लल्लाह, अस्तग़्फ़िरुल्लह, अल्लाहु अक्बर" पढ़ा ,रास्ता से पत्थर हटा दिया, काँटा या हड्डी हटा दी, या किसी को नेक कार्य करने का मश्वरा दे दिया, या बुराई करने से रोक दिया और 360 जोड़ों की तरफ़ से सदक़ा हो गया, और वह व्यक्ति वह दिन इस हाल में बिताएगा कि अपनी जान को जहन्नम से आज़ाद करा चुका होगा। अबू तौबा ने इस प्रकार रिवायत किया है कि वह रात भी इसी हालत में बिताता है (कि जहन्नम से आज़ाद हो चुका होता है)

फ़ाइदाः– मुस्लिम ही की एक दूसरी रिवायत में अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सूरज निकलते ही हर आदमी के एक-एक जोड़ पर सदक़ा वाजिब हो जाता है। और दो आदमियों के दर्मियान सुलह-समझौता करा देना सदक़ा है, किसी की सहायता कर देना भी सदक़ा है, किसी को सवारी पर चढ़ा देना, किसी का माल लाद देना यह भी सदक़ा है। मीठे बोल बोल देना यह भी सदक़ा है, मस्जिद जाने के लिये जो-जो क़दम उठता और रखता है उस के हर-हर क़दम पर सदक़ा है, तक्लीफ़ पहुँचने वाली चीज़ को राह में से हटा देना भी सदक़ा है। पूरे दिन में इस प्रकार के सरल और आसान कार्य कर के बड़े आराम से समस्त जोड़ों की तरफ़ से क़र्ज़ उतार सकते हैं। यह कोई कठिन कार्य नहीं, बस केवल ज़रा सी तवज्जोह देने की आवश्यक्ता है। यह हम लोगों का दुर्भाग्य है कि अपने शरीर के समस्त जोड़ों की तरफ़ से 360 सदक़ा नहीं कर सकते।

बाब {अगर सदक़ा ग़लत आदमी को दे दिया, तो क्या क़ुबूल होगा?}

547:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक व्यक्ति ने रात के समय कुछ ख़ैरात करने की निय्यत की, चुनान्चे रात को ले जाकर एक रन्डी को दे दिया। सुब्ह को लोगों में खूब चर्चा हुयी कि एक रन्डी को सदक़ा दे दिया। यह सुन कर उस ने कहाः ऐ मेरे मोला! हर प्रकार की प्रशंसा तेरे ही लिये है, (ग़लती से) मेरा सदक़ा एक रन्डी के हाथ में चला गया। फिर उस ने कहाः आज दोबारा सदक़ा करुँगा। चुनान्चे सदक़ा लेकर निकला तो एक मालदार को दे दिया। चुनान्चे इस की भी लोगों में खूब चर्च हुयी कि एक मालदार को दे दिया। चुनान्चे उस ने फिर कहाः ऐ मेरे मौला! हर प्रकार की प्रशंसा केवल तेरे लिये हैं, (ग़लती से) मेरा सदक़ा मालदार के हाथ जा पड़ा। फिर तीसरे दिन भी उस ने वादा किया कि आज फिर सदक़ा करुँगा। चुनान्चे ले कर निकला तो किसी चोर को दे दिया। सुब्ह को लोगों ने इस

की भी खूब चर्चा की कि उस ने ले जा कर चोर को दे दिया। इस पर उस ने कहाः ऐ मेरे मौला! हर प्रकार की प्रशंसा तेरे लिये है (ग़लती से) मेरा सदक़ा रन्डी, मालदार और चोर के हाथ में जा पड़ा (अब मैं क्या करूँ) इतने में एक व्यक्ति (फ़रिश्ता इन्सान के रुप में) आया और कहाः तेरे तमाम सदक़े कुबूल हो गये। रन्डी को दिया गया सदक़ा तो इस कारण कुबूल हो गया कि उस ने उस दिन ज़िना नहीं कराया (वह पेट पूजा के लिये ज़िना कराती थी और उसे खाने को मिल गया) मालदार को दिया गया सदक़ा इसलिये कुबूल हो गया, कि उस ने नसीहत हासिल की और वह भी सदक़ा देने पर तय्यार हो गया। और चोर को दिया गया सदक़ा भी इस कारण कुबूल हो गया कि उस ने उस रात चोरी नहीं की (क्योंकि खाने को मिल गया)

फ़ाइदाः– अ़मल का दोरामदार निय्यत पर है, जैसी निय्यत वैसी बर्कत। मअ़न बिन यज़ीद रज़ि॰ ने बयान किया कि मेरे पिता जी ने कुछ दीनार सदक़ा के लिये निकाला और उन्हें ले जा कर मस्जिद में बैठे एक व्यक्ति को थमा दिया। बाद में मैं ने उसे उस व्यक्ति से ले लिया और पिता जी के पास आया। उन्होंने कहाः मेरा इरादा तो तुम्हें देने का नहीं था। चुनान्चे इस मामले को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पहुँचा तो आप ने मेरे पिता जी से फ़रमायाः ऐ यज़ीद! तुम्हें उस का सवाब मिल गया जिस की तुम ने निय्यत की थी, और मुझ से फ़रमायाः तुम्हारे लिये वह है जिस की तुम ने निय्यत की थी। (बुख़ारी, अहमद) इमाम बुख़ारी रह॰ ने इन दोनों हदीसों के लिये जो बाब बाँधा है उस में सवालिया निशान लगा दिया है। इन दोनों का सदक़ा कुबूल हुआ या नहीं? ज़ाहिर है अगर नफ़ली सदक़ा था तो कुबूल होगा, लेकिन अगर ज़कात थी तो वह कुबूल नहीं होगी। ऊपर की हदीसों से ज़ाहिर होता है कि दोनों नफ़ली सदक़े थे।

बाब {ख़ैरात करने वाले का बयान और कंजूसी करने वाले का बयान।}

548:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सदक़ा-ख़ैरात करने वाले और कन्जूसी करने वाले की मिसाल उन दो आदमियों की तरह है जो लोहे की ज़िरह पहने हुये हैं। जब सख़ी ने ख़ैरात करने का इरादा किया तो उस की ज़िरह इतनी लंबी हो गयी कि ज़मीन से घिसटने लगी, और जब कन्जूस ने सद्का देने का इरादा किया तो वह इतनी तन्ग हो गयी कि उस के दोनों हाथ उस के गले में फंस गये और ज़िरह की हर कड़ी एक-दूसरे से चिपक गयी। हदीस को रिवायत करने वाले सहाबी ने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को आगे बयान फ़रमाते सुना कि वह लाख कोशिश करता है कि कुशादा हो जाये, मगर वह कुशादा नहीं होती।

फ़ाइदाः– अर्थात सदक़ा-ख़ैरात करने वाला व्यक्ति जब सदक़ा करने का इरादा करता है उस का दिल खुशी के मारे झूमने लगता है और उसे इस नेकी के कार्य करने के

इरादे पर प्रसन्नता होती है। रहा कंजूस, तो अव्वल तो यह सदक़ा-ख़ैरात ही नहीं करता, और अगर करने का इरादा भी करता है तो उस का दिल तन्ग होने लगता है और माल के हाथ से निकल जाने का अफ़सोस करने लगता है।

बाब {अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले और न ख़र्च करने वाले का बयान।}

549:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब बन्दे सुब्ह करते हैं तो फ़रिश्ते (आसमान से) उतरकर ज़मीन पर आते हैं। उन में से एक यह दुआ़ करता हैः ऐ अल्लाह! अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले को और दे। और दूसरा यह दुआ़ करता हैः एक अल्लाह! बख़ील और कंजूस को तबाह बर्बाद कर दे।

बाब {माल की निग्रानी करने वाले को भी सदक़ा करने का सवाब मिलता है।}

550:- अबू मूसा अश्-अ़री रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक मुस्लिम, ईमानदार ख़ज़ाना की निग्रानी करने वाला, उसे जितना ख़र्च करने (या देने) का आदेश दिया गया है अगर उतना देता है, और देने वाले को पूरा-पूरा देता है (उस में रिश्वत की कटौती नहीं काटता है) और खुशी-खुशी से देता है और जिस को देने का हुक्म दिया गया है उसे देता है, तो ऐसे निग्राँ का भी शुमार सदक़ा करने वालों में होता है।

फ़ाइदाः- एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, इस पर गवाह बनने वाले और लिखने वाले सभी पर लानत फ़रमाई है (अहमद, अबू दावूद, तिर्मिज़ी) और एक-दूसरी रिवायत में है कि जिस किसी ने चारी का माल ख़रीदा, यह जानते हुये भी कि यह चोरी का माल है तो वह भी चोरी करने वाले के साथ गुनाह में बराबर का शरीक है। तो जिस प्रकार बुरे काम में सहयोग करने वाले को गुनाह मिलता है, इसी प्रकार सदक़ा जैसे नेक माल की निग्रानी करने वाले, उस को तक्सीम करने वाले, उसे ग़रीब के घर तक पहुँचाने पर भी नेकी का (सदक़ा का) सवाब मिलेगा।

बाब {अल्लाह की राह में खूब सदक़ा-ख़ैरात करो, गिन्-गिन् कर न रखो, और न ही हर दम याद रखो (कि मेरे पास इतना-इतना माल है)}

551:- अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ की बड़ी पुत्री (और आ़इशा की बड़ी बहन) अस्मा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जा कर अनुरोध किया कि मेरे पल्ले बस उतना ही है जो (मेरे पति) ज़ुबैर बिन अ़व्वाम मुझे देते हैं, तो अगर मैं उस में से थोड़ा-बहुत अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया करूँ तो मुझ पर गुनाह तो नहीं है? आप ने फ़रमायाः जितना कुछ देने की गुन्जाइश हो दे दो और उसे हर समय याद न रखो (कि मैं ने इतना-इतना ख़ैरात किया, वर्ना अल्लाह पाक

भी तुम्हें गिन कर देगा।)

फ़ाइदाः– कहने का अर्थ यह है कि जो कुछ अपने पास थोड़ा–या ज़्यादा है उसी में से सदक़ा किया करो, सदक़ा करने के बाद यह न सोचा करो के उतना देने से उतना माल कम हो गया, या उतनी नेकी मेरे खाते में लिख ली गयी, अल्लाह पाक उसी थोड़े माल में बर्कत देता जायेगा और तुम्हारी आवश्यक्ता पूरी होती जायेगी। देने के बाद भूल जाओ तो अल्लाह पाक भी इसी प्रकार बिना नाप–तौल के तुम्हें देता जायेगा और तुम्हारे माल में कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह पाक हम सब को इस हदीस के अनुसार अ़मल करने की तौफ़ीक़ दे।

बाब {अगर पत्नी अपने पति के घर के माल में से थोड़ा–बहुत किसी को दे दे, तो इस में कोई हरज नहीं।}

552:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर कोई पत्नी अपने घर के माल में से बिना नुक़्सान पहुँचाये थोड़ा–बहुत (किसी फ़क़ीर या ज़रुरत मन्द को) दे देती है, तो उसे भी सदक़ा करने का सवाब मिलता है, और पति को कमाने का सवाब तो मिलता ही है। और इसी प्रकार ख़ज़ाना के निग्राँ को भी सदक़ा करने का सवाब मिलता है, और किसी के सवाब में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी।

फ़ाइदाः– पत्नी, अपने पति के व्यवहार और स्वभाव से अच्छी तरह अवगत होती है। वह जानती है कि पति को देना–लेना पसन्द है या नहीं, इसी हिसाब से पत्नी सदक़ा–ख़ैरात करे ताकि पति से बिगाड़ की नौबत न आये। और अगर दे भी तो इतना न दे कि घर ही ख़ाली हो जाये और पति के घर में कुछ न बचे।बहरहाल यह बहुत आवश्यक है कि पति के स्वभाव को सामने रख कर ही कार्य करे ताकि लड़ाई–झगड़े की नौबत न आये और लेने के देने न पड़ जायें।

बाब {अगर कोई गुलाम (या नौकर अपने मालिक की अनुमति के बिना) मालिक के माल में से थोड़ा–बहुत ख़ैरात कर देता है, तो उस को भी ख़ैरात करने का सवाब मिलता है।

553:– अबू लहम के आज़ाद किये हुये गुलाम उमैर ने बयान किया कि एक मतबा मेरे मालिक ने माँस सुखाने का हुक्म दिया। इतने में एक फ़क़ीर आ गया तो मैं ने उसे खाने भर का उसी माँस में से दे दिया। मेरे मालिक (अबू लहम) को पता चला तो उन्होंने मेरी पिटाई कर दी। इस पर मैं ने भी जा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से शिकायत कर दी तो आप ने उन्हें बुला कर पूछाः तुम ने उसे क्यों मारा? उन्होंने कहाः इस ने मेरा खाना मेरी अनुमति के बिना ही दे दिया। इस पर आप ने फ़रमायाः (अगर उस ने ख़ैरात कर दिया है तो) तुम दोनों को सवाब मिला है।

फ़ाइदाः– तुम्हें इसलिये सवाब मिला कि माल तुम्हारा था और उसे भी इसलिये मिला

कि उस ने फ़क़ीर को ख़ैरात किया, इसीलिये दोनों ही ख़ैरात के सवाब में शरीक हुये। इस हदीस से एक विशेष मस्अला यह मालूम हुआ कि घर के नौकर, गुलाम, पत्नी, बच्चों आदि को इतना हक़ है कि अगर दर्वाज़े पर कोई माँगने वाला आ जाये तो एक-आध मुट्ठी भीख दे दें, या एक-आध रोटी उसे खिला-पिला दें। अगर ऐसा नहीं होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उमैर को ज़रूर मना फ़रमाते।

554:- अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर पति घर पर मौजूद है तो पत्नी उस की अनुमति के बिना (नफ़्ली) रोज़ा न रखे, इसी प्रकार बिना उस की अनुमति के (अपने जान-पहचान वाले) किसी को भी घर में आने की अनुमति न दे। और उस की कमाई में से उस की अनुमति के बिना अगर थोड़ा-बहुत ख़र्च कर डालती है तो पति को भी आधा ख़ैरात करने का सवाब मिलता है।

फ़ाइदा:- अर्थात पति को कमाने का और पत्नी को देने का। रोज़ा रखने से इसलिये मना किया कि हो सकता है पति को दिन में संभोग करेन की इच्छा हो जाये। और ना मरहम (जिन से निकाह जाइज़ है यानी अपरिचित) को तो किसी हाल में घर में आने की अनुमति नहीं है, पति चाहे घर पर हो या न हो। और मरहम संबन्धी (जिन से निकाह हराम है) अगर पति को उन का आना-जाना भी पसन्द नहीं है, तो उन्हें भी घर में नहीं आने देना चाहिये, क्योंकि आने-जाने से जहाँ बहुत से फ़ाइदे हैं, वहीं बहुत बड़ा नुक्सान यह है कि इस से नाजाइज़ संबन्ध बनेत हैं और बुराइयाँ फैलती हैं। इसी प्रकार सदक़ा आदि के मामले में पहले पति के स्वभाव और मिज़ाज को जान ले फिर पत्नी ख़ैरात करे।

बाब {हाथ फैलाने से बचना चाहिये, और हर संभव सब्र से काम लेना चाहिये।}

555:- अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि चन्द अन्सारी सहाबा ने आप से कुछ माल माँगा तो आपने उन्हें दिया। उन्हेांने फिर माँगा तो आप ने भी फिर दोबारा दिया (और इतना दिया) कि जो कुछ आप के पास था वह सब समाप्त हो गया। फिर आप ने फ़रमायाः मेरे पास अगर माल होता है तो मैं देने में तनिक भर कोताही नही करता। (लेकिन याद रखो) जो कोई हाथ पसारने से बचता है तो अल्लाह पाक भी उसे बचा लेता है। और जो अपने आप को लोगों से बेर्पवाह कर लेता है, अल्लाह पाक भी उसे बेपर्वाह कर देता है। और जो कोई सब्र करेन की कोशिश करता है, तो अल्लाह पाक उस पर सब्र को आसान बना देता है। और अल्लाह पाक बन्दों को जो कुछ भी देता है उन में सब्र से बढ़ कर और कोई दौलत नहीं।

फ़ाइदा:- यह हदीस बहुत ही अहम है, इस पर बहुत अधिक ग़ौर करने और तवज्जोह देने की आवश्यक्ता है। इस्लाम ने यह शिक्षा दी है कि हर संभव तरीक़े से लोगों के सामने हाथ पसारने और भीख माँगने से मना किया है, और मेहनत-मज़दूरी कर के

तन्गी-परेशानी सह कर रोज़ी हासिल करने का आदेश दिया है। आजकल लोगों ने भीख माँगने का पेश बना लिया है। किसी क्षेत्र में सैलाब आ गया, या किसी क्षेत्र में अकाल फैल गया तो सैलाब और अकाल के नाम पर पूरे मुल्क में चन्दा करने और भीख माँगने निकल पड़ते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ने फ़रमाया कि अगर कोई सवाल से बचने की कोशिश करता है तो अल्लाह पाक भी इस कार्य में उस की सहायता करता है। ऐसे ही माँगने-खाने वालों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो अपना माल बढ़ाने के लिये लोगों से माँगता फिरता है वह आग की चिंगारियाँ जमा करता है। (मुस्लिम)

बाब {जिसे अल्लाह पाक ने ज़रुरत भर रोज़ी दे दी और उस ने उसी पर सब्र किया, वह कामियाब हुआ।}

556:- अ़ब्दुल्लाहह बिन अ़म्र बिन अ़ास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वह व्यक्ति कामियाब होगया जो इस्लाम लाया और ज़रुरत भर की उसे रोज़ी मिली, और जितना कुछ अल्लाह ने दिया उस पर सब्र करने की तौफ़ीक़ दी।

फ़ाइदाः- माल अधिक होने से समस्याएँ अधिक होती हैं, इच्छा और ख़ाहिश बढ़ जाती है, इसलिये उन्ही को पूरा करने में उम्र बीत जाती है। और जो थोड़ी पूँजी पर गुज़ारा करता है उस के मसले भी थोड़े होते हैं, उस की ख़ाहिश भी संक्षिप्त होती है, इसलिये आराम-चैन से जीवन यापन करता है, और अल्लाह पाक भी अपनी रहमत से उसे सब्र की तौफ़ीक़ देता है।

बाब {हाथ फैलाने से बचना आवश्यक है।}

557:- मुआ़विया रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बहुत अधिक लिपट कर और पीछे पड़ कर माँगने से बचो, इसलिये कि अल्लाह की क़सम!अगर किसी के इस प्रकार माँगने से मैं उसे दे देता हूँ और उसे बुरा जानता हूँ, फिर उस में भला कैसे बर्कत हो सकती है।

बाब {लोगों के सामने हाथ फैलाना बहुत बुरा कार्य है।}

558:- अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वह व्यक्ति जिस ने माँगना पेशा बना लिया है (मरने के बाद) अल्लाह से इस हाल में मिलगा कि उस के मुँह पर माँस का नाम-निशान तक न होगा।

फ़ाइदाः- अद्दारुस्सलफ़िय्या मुंबई की बिल्डिंग के सामने रोड के उस पार एक दर्जन बिहारी लोग बीवी-बच्चों के साथ फूट पाथ पर रहते हैं। लोगों ने बताया कि हम इन्हें बीस वर्ष से यहाँ देख रहे हैं। उन की महिला, पुरुष, बच्चे टोटल सब के सब दिन भर

केवल माँगने का काम करते हैं। बगल में चन्द मीटर की दूरी पर चर्च है जहाँ से रोज़ मफ़्त में खाना-कपड़ा मिलता है। यह भी आश्चर्य की बात है कि सब के सब मुसलमान हैं। इन की फ़ीकस औसत माहाना आमदनी पाँच हज़ार रूपये है। ऐसे ही लोगों के बारे में यह हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बयान फ़रमाई है।

559:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि कोई व्यक्ति सुबह उठ कर लक्ड़ी का बोझ पीठ पर लाद कर मज़दूरी करे, फिर उसी मज़दूरी में से ख़ैरात करे, उस से अपना काम चलाए और लोगों का मुहताज न बने, तो यह व्यक्ति उस से कहीं बेहतर है जो लोगों के सामने हाथ फैलाता फिरता है, फिर कुछ लोग दे भी देते हैं और कुछ नहीं देते है। (याद रखो) ऊपर वाला हाथ (यानी देने वाला) नीचे वाले हाथ (यानी लेने वाले) से कहीं अधिक बेहतर है। और अगर सदक़ा-ख़ैरात करो तो सब से पहले उन्हें दो जिस का ख़र्चा तुम्हारे ज़िम्मा है।

बाब {ऊपर वाला हाथ (यानी देने वाला) नीचे वाले हाथ (यानी लेने वाले) से बेहतर है।}

560:- अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह हदीस उस समय बयान फ़रमायी जब आप मिंबर पर थे कि ऊपर वाला हाथ (यानी देने वाला) नीचे वाले हाथ (यानी लेने वाले) से बेहतर है। ऊपर वाला हाथ ख़र्च करने (देने) वाला होता है और नीचे वाला हाथ माँगने वाला होता है।

फ़ाइदा:- क़बीसा बिन मुख़ारिक़ रज़ि॰ ने बयान किया कि मुझ पर क़र्ज़ का बहुत बड़ा बोझ लद गया था इसलिये मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने सवाल किया तो आप ने फ़रमायाः ज़रा सब्र से काम लो, कहीं से माल आ जाने दो। फिर आप ने फ़रमायाः केवल तीन आदमियों के लिये माँगना जाइज़ है (1) जो क़र्ज़दार हो जाये उस के लिये इतना माँगना जाइज़ है कि उस का क़र्ज़ अदा हो जाये और उस की हालत सुधार जाये। (2) वह व्यक्ति जिस का समस्त धन-माल किसी आपदा (आफ़त) में बर्बाद हो जाये, तो ऐसे व्यक्ति के लिये उतना माँगना जाइज़ है जितने में उस की हालत सुधर जाये। (3) वह व्यक्ति जो फ़ाक़ा कर रहा हो और तीन दाना-बीना लोग उस की गवाही दें, तो ऐसे व्यक्ति के लिये इतना माँगना जाइज़ है जितने में उस की हालत में सुधार आ जाये। इन तीन के अ़लावा अगर कोई माँगता है तो वह हराम खाता है। (मुस्लिम)

561:- हकीम बिन हिज़ाम (हज़रत ख़दीजा रज़ि॰ के भतीजे) बयान करते हैं कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कुछ माल माँगा तो आप ने दिया। मैं ने फिर माँगा तो आप ने दोबारा भी दिया। मैं ने तीसरी बार माँगा तो आप ने फिर दिया, और साथ ही यह भी फ़रमायाः यह माल बड़ा हरा-भरा और मीठा मालूम होता है। तो

जिस ने (बिना माँगे) देने वाले के ख़ुशी से देने से लिया तो ऐसे माल में बर्कत होती है। और जिस ने अपने आप को ज़लील कर के (खुद ही सवाल कर के) माँगा तो ऐसे माल में बर्कत नहीं होती है। ऐसे माल की तासीर बदल जाती है, वह खाता है लेकिन उस का पेट नहीं भरता है (और याद रखो!) ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है।

फ़ाइदा:- बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत में इतना और भी ज़िक्र है कि हकीम बिन हिज़ाम ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! उस ज़ात की क़सम, जिस ने आप को सच्चा संदेष्टा बना कर भेजा है आज केबाद मैं किसी के हाथ से कोई चीज़ न लूगाँ यहाँ तक कि इस दुनिया से चला जाऊँ। चुनान्चे अबू बक्र रज़ि॰ ने जब उन्हें अपना वज़ीफ़ा लेने केलिये बुलाया तो उन्होंने इन्कार कर दिया। फिर उमर रज़ि॰ ने अपने ख़िलाफ़त के ज़माना में उन्हें उन का हक़ देना चाहा तो उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया। इस पर उमर रज़ि॰ ने लोगों को जमा कर के एलान किया कि आप लोग गवाह रहें, मैं हकीम को उन का हक़ दे रहा हूँ लेकिन वह लेने से इन्कार कर रहे हैं। उमर रज़ि॰ माले ग़नीमत में हासिल माल में उन का हक़ दे रहे थे, यह उन का जन्ग में शरीक होने का मेहनताना था। बहर हाल हकीम रज़ि॰ देहान्त कर गये लेकिन कभी भी किसी से कोई चीज़ न ली (अपना हक़ तक न लिया, किसी को कुछ देकर उस से दोबारा नहीं लिया, मतलब यह कि कभी लिया ही नहीं) (बुख़ारी-1472 हकीम बिन हिज़ाम)

यह सहाबी ख़दीज़ा रज़ि॰ के भतीजे थे। 60 वर्ष कुफ़्र की हालत में रहे और 60 ही वर्ष इस्लाम की हालत में बिताए। 120 वर्ष की आयु पाई। बड़े नेक थे। कुफ़्र की हालत में भी 100 गुलाम आज़ाद किये (देखें-हदीस न॰ 70) "दारुन्नदवा" जहाँ काफ़िर लोग बैठक करते थे उसे एक लाख दिंहम में ख़रीद कर मुसलमानों को दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के देहान्त के बाद से मुआ़विया रज़ि॰ के ख़िलाफ़त तक 40 वर्ष ज़िन्दा रहे लेकिन कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया। सन 64 हिजरी में 120 वर्ष की आयु में मदीना में देहान्त किया-रज़ियल्लाहु अ़न्हु।

बाब {"मिस्कीन" उसे कहते हैं जिस के पास ज़रुरत भर की चीज़ न हो, लेकिन किसी से सवाल भी न करे।}

562:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मिस्कीन उस का नहीं नाम है जो लोगों से घूम-घूम कर माँगता फिरता है और दो लुक़्मा खाने की चीज़ या दो खजूरें लेकर घर लौट जाता है। सहाबा ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! फिर किसे कहते हैं? आप ने फ़रमाया: जिस के पास इतना माल न हो कि उस से उस की ज़रुरत पूरी हो सके, और न ही लोग उसे ग़रीब समझते हैं कि उसे सदक़ा करें, और न ही वह लोगों से कुछ माँगता भी है।

फ़ाइदा:— उलमा ने "फ़क़ीर" और "मिस्कीन" में फ़र्क़ किया है। 'मिसकीन' उसे कहते हैं कि वह किसी से कुछ न माँगे, लेकिन अगर कोई कुछ दे दे तो वह उसे कुबूल कर ले। और "फ़क़ीर" उसे कहते हैं जो दर-दर हाथ फैला कर माँगता फिरे।

बाब {मालदार उस का नाम नहीं, जिस के पास धन—माल ज़्यादा हो।}

563:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मालदारी बहुत अधिक धन-माल होने से नहीं आती, बल्कि अमीरी (मालदारी) दिल की बेनियाज़ी का नाम है।

फ़ाइदा:— अर्थात दिल में माल-दौलत की लालच नहीं, कोई इच्छा और ख़ाहिश नहीं, कोई तमन्ना और फ़िक्र नहीं, इस का नाम मालदारी और अमीरी है।

बाब {दुनिया की लालच और ख़ाहिश करना सब से बुरी चीज़ है।}

564:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आदम का बेटा अगरचे बूढ़ा हो जाता है लेकिन उस की दो चीज़ें हमेशा जवान रहती हैं (1) माल की लालच (2) लंबी आयु की लालच।

बाब {अगर इब्ने आदम को धन—दौलत की दो वादियाँ (घाटियाँ) मिल जायें तो तीसरी वादी की भी इच्छा करेगा।}

565:— अबू अस्वद ने बयान किया कि अबू मूसरा अश्-अ़री रज़ि॰ ने बसरा के क़ारी लोगों को बुलाया, चुनान्चे तीन सौ की संख्या में आये और कुरआन की तिलावत कर के सुनाया। इस पर अबू मूसा ने उन से कहाः आप लोग बसरा नगर में रहने वालों से सब से उत्तम हैं, आप लोग वहाँ के क़ारी हैं, इसलिये कुरआन पढ़ने का सिलसिला जारी रखेंगे। ऐसा न हो कि कुछ समय बीत जाने के बाद ढीले और सुस्त पड़ जायें, दिल सख़्त हो जायें जिस प्रकार पहले लोगों का हाल हो गया। हम लोग एक सूरः पढ़ा करते थे जिस में सख़्त चेतावनी दी गयी हैं, जो सूरः तौबा जितनी बड़ी थी, लेकिन उसे भूल गये, फिर भी इतना याद है कि उस में इस बात का ज़िक्र था कि अगर किसी के पास धन-दौलत की दो वादियाँ हों तो तीसरी वादी को भी पाने की फ़िक्र में लगा रहता है, और आदमी का पेट केवल मिट्टी ही से भरता है। इसी प्रकार एक और सूरः पढ़ा करते थे जो "मुसब्बिहात" की सूरतों के बराबर थी, उसे भी भूल गये। मगर इतना याद है उस में इस बात का बयान था कि ऐ ईमान वालों! ऐसी बातें क्यों कहते हो जिस पर स्वयँ अ़मल नहीं करते। फिर अगर ऐसी बातें कहोगे तो वह तुम्हारी गर्दनों में गवाही के तौर पर लटका दी जायेंगी और उस के बारे में क़ियामत के दिन तुम से पूछताछ होगी।

फ़ाइदा:— 'मुसब्बिहात' उन सूरतों को कहते हैं जिन का आरंभ "सब्ब-ह" और "यु-सब्बिहु" से होता है, जैसे सूरःसफ़, सूरः जुम्अः, सूरःहश्र और सूरः तग़ाबुन आदि। हदीस में अबू मूसा रज़ि॰ ने सूरः तौबा और सूरः सफ़्फ़ की ओर इशारा किया है। इन्सान का

हाल यह है कि मरते समय तक उस की ख़्वाहिश नहीं पूरी होती है चाहे उस का घर सोने से भरा हुआ हो। सूरः सफ़्फ़ में अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है "ऐ ईमान वालो! ऐसी बातें क्यों कहते हो जिन पर स्वयँ तुम्हारा अ़मल नहीं है। अल्लाह के नज़दीक यह बहुत नाराज़गी की बात है कि ऐसी बात को कहो जिसे करो नहीं" इस आयत में इस ओर इशारा है कि किसी को नेक काम करने का हुक्म अवश्य दो लेकिन स्वँय भी उस पर अ़मल करो, वर्ना क़ियामत के दिन वह सूरत बन्दे के ख़िलाफ़ गवाही देगी। (कि यह दूसरों को तो हुक्म देता था, लेकिन स्वँय ही उस पर अ़मल नहीं करता था)

बाब {दुनिया की चमक-दमक से निकलने की बयान}

566:- अबू सओ़द खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लोगों को खुत्बा देते हुये फ़रमायाः ऐ लोगो! अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हारे बारे में किसी और चीज़ से इतना नहीं डरता जितना उन चीज़ों के बारे में डरता हों जिन्हें अल्लाह तआ़ला ज़मीन से तुम्हारे खुशहाली ऐश और मौज मस्ती के लिये निकाल देगा (और तुम लोग उसी चकाचोंद में उलझ कर नेक कामों को भूल जाओगे) इस पर एक सहाबी ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! क्या ख़ैर का परिणाम बुरा भी होता है? यह प्रश्न सुन कर आप थोड़ी देर चुप रहे फिर फ़रमायाः तुम ने क्या प्रश्न किया है? सहाबी ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ख़ैर का परिणाम बुरा भी होता है? आप ने फ़रमायाः नहीं, ख़ैर का परिणाम भला ही होता है (मगर बे मौक़ा इस्तेमाल से बुराई पैदा होती है) जैसे बहार के मौसम में जो नई-नई घास उगती है (वह देखने में बड़ी अच्छी लगती है) लेकिन यह घास (ज़हरीली होने के नाते) जान ले लेती है, या बहुत अधिक हानिकारक सिद्ध होती है, उस के चरने से हैज़ा की बीमारी लग जाती है (और जानवर पतला गोबर हगने लगता है) जब जानवर उसे खूब पेट भर कर चर लेता है यहाँ तक कि उस की कोखें भर जाती है, फिर सूरज की तरफ़ मुँह कर के पाख़ाना-पेशाब कर देता है, फिर चरने लगता है (और फिर पतला पाख़ाना करता है, और इसी प्रकार चरते और पतला पाख़ाना करते हुये मर जाता है) यही हाल दुनिया के माल-दौलत का है जो उसे मतलब भर का हासिल करता है उस के धन माल में बर्कत होती है, और जो अधिक जमा कर लेता है (और उस में ज़कात, ख़ैरात नहीं निकलता है) उस की मिसाल ऐसे व्यक्ति की सी है जो खाता चला जाता है लेकिन उस का पेट भरने का नाम नहीं लेता (जैसे वह जानवर चरता जाता है, पतला पाख़ाना करता जाता है और पेट भरने का नाम नहीं लेता)

फ़ाइदा:- आप प्रश्न सुन कर थोड़ी देर ख़ामोश रहे इसलिये कि वह्यि आने लगी थी (बुख़ारी-1465) इस लंबी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह समझाया है कि दौलत अर्गचे अल्लाह की नेमत है लेकिन अगर इसी को ग़लत ख़र्च किया जाये तो मुसीबत बन जाती है। जैसे घास जानवरों के लिये चारा है, लेकिन अगर बहुत

अधिक चर ले तो पेट ख़राब हो जाता है, हैज़ा हो जाता है। स्वयँ इन्सान अपने ऊपर ग़ौर करे अगर एक-दो दिन भूखा रहा फिर एक ही बार में बहुत अधिक खा लिया तो इस का परिणाम यह होता है कि पेट फूल जाता है, दस्त लगने लगते हैं और हैज़ा की बीमारी पकड़ लेती है।

यही हाल दुनिया की दौलत का है अगर इन्सान कमाता है, उस से स्वयँ लाभ उठाता है और यतीमों, मुहताजों की सहायता करता है, ज़कात-ख़ैरात भी निकालता है, तो ऐसी दौलत उसे हानि नहीं पहुँचाती। लेकिन जो उस जानवर की तरह केवल अपना पेट भरना जानता है, ज़कात-ख़ैरात नहीं निकालता, उस का परिणाम बुरा होता है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जिस ज़माना की ओर इशारा कियां था वह यही ज़माना है। आज आप खाड़ी के देश वासियों को देख लें, उन के पास दौलत रखने के लिये जगह नहीं है, वह कौन सा मौज मस्ती का सामान है जो उन के पास मौजूद नहीं, वह उसी में अन्धे हो रहे हैं, उन्हें दीन के काम सुझाई नहीं देते। चुनान्चे आज अमेरिका का उन मुल्कों पर क़ब्ज़ा है, अपनी उंगली के इशारों पर उन्हें नचा रहा है उन्ही की ज़मीन से मुसलमानों पर बमबारी कर रहा है। इस्राईल जैसा यहूदी मुल्क जो मानचित्र में मक्खी के सर के बराबर है, फ़लस्तीन की भूमि पर ज़बर्दस्ती आबाद है, सारे इस्लामी देश उसे घेरे हुये हैं, लेकिन वह उस का बाल बेका नहीं कर पा रहे हैं, इसी हानि की ओर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हदीस में इशारा किया है।

बाब {बिना माँगे और लालच किये अगर मिल जाये तो उसे ले लेना जाइज़ है।}

567:– उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ के पुत्र अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पिताजी को कुछ माल दिया करते थे, इस पर मेरे पिता जी कहते थे: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मुझ से भी अधिक ज़रुरत वाले लोग मौजूद हैं उन्हें दे दें। इस पर आप ने फ़रमाया: इसे लेकर अपने पास रख लो फिर चाहो तो ख़ैरात कर दो (तुम्हारी मर्ज़ी) अगर बिना माँगे और सवाल किये इस प्रकार माल मिल जाये तो उसे ले लिया करो, और अगर कोई न दे तो उस की ख़ाहिश भी दिल में न करो। सालिम ने बयान किया कि इसी वजह से अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ किसी से न माँगते थे, लेकिन अगर कोई दे देता तो उसे ले लेते थे।

फ़ाइदा:– लोगों के सामने हाथ फैलाना, दर-दर जा कर भीख माँगना, यह ऐसी बीमारी है कि जिस को लग जाती है उस का पीछा नहीं छोड़ती। जब पानी उतर जाये, झिझक ख़त्म हो जाये तो इन्सान इसे पेशा बना लेता है और मरते दम तक माँगने से बाज़ नहीं आता। ऐसे ही लोगों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इन के चेहरे पर क़ियामत के दिन माँस नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी (बुख़ारी)। लेकिन अगर बिना माँगे-जाँचे, हाथ फैलाए, ख़ाहिश किये कोई अपनी खुशी से न मालूम क्या सोच कर कुछ दे दे तो उसे ले लेने में कोई हरज नहीं। लेकिन बेहतर यही है कि उसे

लेकर ख़ैरात कर दे (जैसा कि हदीस में इशारा है)

बाब {माँगना किस के लिये हलाल (जाइज़) है?}

568:– कबीसा बिन मख़ारिक़ हलाली रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं (किसी जाइज़ काम में) बहुत अधिक क़र्ज़दार हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जा कर सवाल किया तो आप ने फ़रमायाः ज़रा ठहरो, कहीं से सदक़ा का माल आ जायेगा तो उस में तुम्हें भी कुछ दिला देंगे। इस के बाद आप ने फ़रमायाः ऐ क़बीसा (सुनों!) केवल तीन आदमियों के लिये ही हाथ फैलाना जाइज़ है। पहला व्यक्ति वह है जो किसी (जाइज़ मामले में) क़र्ज़दार हो जाये तो उस के लिये उतना माल माँगना जाइज़ है जितने में उस की हालत सुधर जाये, फिर उस से अधिक के लिये सवाल न करे। दूसरे वह व्यक्ति है जिस का माँगना जाइज़ है वह व्यक्ति है कि जिस का माल तबाह हो जाये तो उस के लिये उतने का सवाल करना ज़ाइज़ है जितने में उस की आवश्यक्ता पूरी हो जाये। तीसरे वह व्यक्ति जो फ़ाक़ा कर रहा हो और उस के बारे में तीन नेक लोग गवाही दे दें कि वह फ़ाक़ा में गिरिफ़्तार है तो ऐसे व्यक्ति के लिये भी उतना माल माँगना जाइज़ है जितने में उस की हालत सुधर जाये। और ऐ क़बीसा! इन तीन के अ़लावा किसी के भी लिये सवाल करना हराम है। अगर कोई करता है तो वह हराम खाता है।

बाब {जो व्यक्ति सख़्ती से पीछे पड़ कर (यानी चिमट कर और लिपट कर) माँगे उसे दे देना चाहिये।}

569:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहा था, उस समय आप नजरान नगर की बनी हुयी चादर ओढ़े हुये थे जिस की किनारी मोटी थी। इतने में एक दीहाती मिल गया। उन ने आप की चादर को इतने ज़ोर से पकड़ कर खींचा कि आप की गर्दन पर चादर का निशान बन गया, आप की गर्दन पर चादर की किनारी रगड़ गयी। फिर कहने लगाः ऐ मुहम्मद! मेरे लिये भी उस माल में से कुछ देने का हुक्म दें, चुनान्चे आप ने फिर उसे कुछ देने का हुक्म दे दिया।

फ़ाइदाः– आप ने उस जाहिल की गुस्ताख़ी पर नाराज़गी नहीं फ़रमायी और न ही उसे डाँट-फटकार लगायी। मालूम हुआ कि इस प्रकार अगर कोई पीछे ही पड़ जाये तो उसे कुछ दे दिला कर पीछा छुड़ा लेना चाहिये। उस की गुस्ताख़ी के बदले में न देना यह भी मानवता के विपरीत है।

570:– मिस्वर बिन मख़्रमा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुछ चादरें तक़्सीम कीं लेकिन मेरे पिता मख़्रमा को नहीं मिला तो उन्होंने कहाः ऐ बेटों! मुझे आप के पास ले चलो। चुनान्चे मैं उन्हें लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गया। पिता जी ने कहाः तुम अन्दर

जा कर बुला लाओ। मैं ने आप को बुलाया तो आप एक चादर ओढ़ कर बाहर आये और कहने लगे: यह चादर मैं ने तुम्हारे लिये रख छोड़ी थी। फिर आप ने पिता जी की ओर देख कर फ़रमाया: अब तो मख़्रमा बहुत खुश नज़र आ रहे हैं।

फ़ाइदा:- मुस्लिम ही की एक दूसरी रिवायत में है कि मैं पिता जी को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के दर्वाज़े पर पहुँचा, तो पिता जी वहीं खड़े होकर मुझ से बातें करने लगे, आप ने अन्दर से उन की आवाज़ पहचान ली और एक चादर लेकर निकले। आप उस चादर के बेल-बूटों को देखते जाते थे और फ़रमाते जाते थे: इसे मैं ने तुम्हारे लिये छुपा कर रख ली थी, इसे मैं ने तुम्हारे लिये छुपा कर रख ली थी। (मुस्लिम)

★ ज़कात का अध्याय समाप्त हुआ। संपादक ने इस अध्याय में ज़कात, सदक़-ए-फ़ित्र और नफ़्ली सदक़ात-ख़ैरात सभी को एकत्र कर दिया है। मैं हिन्दी अनुवादक ने हर हदीस के अनुवाद के बाद "फ़ाइदा" में उस हदीस की संक्षिप्त व्याख्या क़र दी है और उस हदीस से निकलने वाले मस्अलों को ज़िक्र कर दिया है। ज़कात से संबन्धित हदीसें बहुत अहम हैं, ज़कात के मसाइल में बड़ा इख़्तिलाफ़ है। मैं ने इख़्तिलाफ़ से बचते हुये केवल वही मस्अले बयान किये हैं जिन्हें अहले हदीस उलमा ने तर्जीह दी है, और वही किताब व सुन्नत के अनुकूल हैं। बहुत से मस्अले ऐसे भी हैं जिन में स्वँय अहले हदीस उलमा का इख़्तिलाफ़ है, जैसे तिजारत के माल में ज़कात, पहनने वाले ज़ेवर में ज़कात, गन्ने में ज़कात आदि। ऐसे मौक़े पर मैं ने उसी मस्अले को बयान किया है जो मेरे निकट दुरुस्त है। जैसे मेरे निकट तिजारत केमाल में ज़कात नहीं है। पहनने वाले ज़ेवर में ज़कात है। गन्ने पर नहीं, बल्कि गुड़ और चीनी पर उश्र और ज़कात है आदि। आज 15 जनवरी सन 2005 को शनिवार रात 9 बजे इस अध्याय का हिन्दी अनुवाद संपन्न हुआ। अल्-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आ़-लमीन+व-सल्लल्लाहु अ़ला मु-हम्मद

(गुनहगार-ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी फ़लाही)

❀❀❀

किताबुस्सियामि
(रोज़ा के मसाइल का बयान)

नोटः– रमज़ान के रोज़े सन दो हि॰ में फ़र्ज़ किये गये। यह रोज़े पहली की उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे, केवल संख्या कम या अधिक थी। (सूरः बक़रः 184) आरंभ में यह हुक्म था कि रोज़ा इफ़तार कर लेने के बाद खाना-पीना, महिला से संभोग करना केवल इशा की नमाज़ तक जाइज़ है। अगर कोई इशा की नमाज़ पढ़ चुका, या इशा से पहले सो गया तो अब उस पर खाना-पीना और संभोग करना हराम हो गया। चुनान्चे एक मतर्बा क़ैस बिन सरमा रज़ि॰ दिन भर खेत में काम कर के आये और पत्नी से खाना माँगा, तो उत्तर दिया कि खाने को कुछ नहीं है, लेकिन जा कर कहीं से लाती हूँ। वह खाना लाने गयीं और क़ैस इधर सो गये। जब जागे तो बड़ा अफ़सोस हुआ कि अब तो सो जाने की वजह से खाना-पीना हराम हो चुका है, और पूरी रात और कल का पूरा दिन भूखे रहना पड़ेगा। चुनान्चे दूसरे दिन दोपहर के बाद रोज़े की हालत में भूख-प्यास से बेहोश हो गये, तब सूरः बक़रः की आयत न॰ 187) नाज़िल हुयी।

चुनान्चे अब हमेशा के लिये यह नियम बन गया कि सूरज डुबने के बाद से फ़ज्र तक खाना-पीना, सोना, संभोग करना सब जाइज़ हो गया। इस प्रकार रोज़े में तीन तबदीली की गयी। (1) जब आप मदीना आये तो हर महीना में तीन रोज़े रखते थे और अ़शूरा का रखते थे। फिर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुयेतो वह सब नफ़ली हो गये। (2) आरंभ में यह नियम था किजो चाहे रोज़ा रखे, और चाहे तो न रखे, उसके बदले में एक फ़क़ीर को रोज़ाना खाना खिला दिया करे। फिर यह हुक्म मन्सूख़ हो गया। (सूरः बक़रः 184, 185) (3) तीसरी तबदीली यह हुयी कि आरंभ में इफ़तार के बाद अगर कोई सो गया तो फिर जागने के बाद उस पर खाना-पीना हराम हो गया। गोया सोते ही रोज़ा शुरु हो गया। (गोया रात में रोज़ा शुरु होने के लिये सोना शर्त था) फिर आयत न॰ 187 नाज़िल कर यह हुक्म मन्सूख़ हो गया।

यह अ़रबी का आठवाँ महीना है। इसी पवित्र और बर्कत वाले महीने में समस्त आसमानी किताबें उतारी गयीं (मुस्नद अहमद) लगातार एक माह रोज़ा रखने से सब से बड़ा लाभ यह है कि शरीर में आवश्यक्ता से अधिक पानी समाप्त हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है, चर्बी कम हो जाती है, हाई ब्लेड प्रेशर कम हो जाता है। हार्ड अटेक

का डर समाप्त हो जाता है। यह लाभ डाक्टरों ने बताए हैं।

बाब {रोज़ा रखने की फ़ज़ीलत का बयान।}

571:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह तआला फ़रमाता हैः आदम की संतान का हर कार्य उस के अपने लिये होता है केवल रोज़ा को छोड़ कर, क्योंकि वह मेरे लिये है, इसलिये मैं ही उस काबदला दूँगा (फ़रिश्तों से नही दिलवाऊँगा) और रोज़ा (गुनाहों से बचने के लिये) ढाल है, इसलिये जब कोई रोज़ा से हो तो ओल–फ़ोल न बके, न शोर–शराबा और हन्गामा करे। अगर कोई गाली भी दे दे, या लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हो तो वह उस से कह दे "मैं रोज़ा से हूँ" (इसलिये कोई जवाब नहीं दूँगा) और क़सम है उस अल्लाह की जिस के हाथ में मुहम्मद की जान है रोज़ादार के मुख की बू क़ियामत के दिन अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुश्बू से भी अधिक पसन्द है। रोज़ादार के लिये दो खुशी के छड़ आते हैं। एकखुशी का समय वह होता है जब वह रोज़ा खोलता है, और दूसरा खुशी का समय वह होगा जब वह अपने पर्वदिगार से मिलेगा और वह उस के रोज़े से खुश होगा।

फ़ाइदाः– रोज़ा को छोड़ कर जितनी भी इबादतें हैं उन्हें करते हुये देखा जा सकता है, इसलिये उन में रिया और दिखावा का पहलू भी शामिल हो सकता है। केवल रोज़ा ही ऐसी इबादत है जिसे कोई नहीं देख सकता हैऔर न ही बता सकता है। इसलिये अगर किसी ने रोज़ा रखा है तो उस ने बिलाशुब्हा अल्लाह के लिये रखा है। इसीलिये अल्लाह पाक इस का सवाब स्वँय अपने हाथ से बन्दे को देगा, और दूसरी इबादतों का सवाब फ़रिश्तों से दिलवाएगा। रोज़ा की हालत में इधर–उधर की खुराफ़ती बातों और कामों से प्रहेज़ अनिवार्य है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "जो रोज़ादार रोज़ा की हालत में भी झूठ और अनाप–शनाप बकना नहीं छोड़ता तो अल्लाह तआला का ऐसे व्यक्ति के रोज़ा से कुछ लेना–देना नहीं (बुख़ारी, अबू दावद, तिर्मिज़ी) बुरा–भला कहना, गुस्सा करना, डाँटना–फटकारना आदि जाइज़ नहीं है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः रोज़ा, केवल खाना–पीना छोड़ देने का नहीं नाम है, बल्कि रोज़ा की हालत में गन्दी बातें भी छोड़ने होंगी। अगर रोज़ा की हालत में तुम्हें कोई गाली दे या लड़ाई–झगड़ा करे तो उस से कह दो "भई, मैं रोज़े से हूँ (हाकिम, इब्ने खुज़ैमा, इब्ने हिब्बान)

बाब {रमज़ान क़े महीने की फ़ज़ीलत का बयान।}

572:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दर्वाज़े खोल दिये जाते हैं जहन्नम के दर्वाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शैतान जकड़ दिये जाते हैं।

फ़ाइदाः– अहमद और नसई की रिवायत में है कि (एक मर्तबा रमज़ान का महीना

आया तो) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम्हारे ऊपर बर्कतों वाले महीना ने साया डाला है जिस के रोज़े अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज़ किये हैं, इस महीना में जन्नत के दर्वाज़े खोल दिये जाते हैं और जहन्नम के बन्द कर दिये जाते हैं, शैतान क़ैद कर दिये जाते हैं। इस महीना में एक रात है जो हज़ार महीनों की रात से बेहतर है। (अहमद, नसई, बैहक़ी) एक और रिवायत में है कि जिस ने अल्लाह पर ईमान और उसके सवाब की आशा रखते हुये रमज़ान के रोज़े रखे, उस के समस्त पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। (अहमद, अबू दावूद, इब्ने माजा)

बाब {रमज़ान से एक–दो दिन पूर्व ही (पेशगी) रोज़े रखना मना है।}

573:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः रमज़ान से एक या दो दिन पहले ही से रोज़ा रखना न शुरु कर दो। हाँ, केवल वह व्यक्ति रख सकता है जो हमेशा किसी विशेष दिन रोज़ा रखता चला आया है और वही दिन आ गया (तो ऐसा व्यक्ति अपने उन दिनों का रोज़ा रख ले)।

फ़ाइदाः– उदाहरण के तौर पर यूँ समझें कि एक आदमी जुमेरात और जुमा को बराबर रोज़ा रखता है और 29, 30 शाबान इन्हीं दोनों दिनों में पड़ गया तो वह रोज़ा रख ले, क्योंकि उस की नियत पेशगी रोज़ा रखने की नहीं है, बल्कि वह तो पहले ही से उन दोनों में रखते आने की वजह से रख रहा है। कुछ लोग एहतियाती तौर पर 30 शाबान का रोज़ा रखते हैं कि हो सकता है आज रमज़ान की पहली तारीख़ हो, तो इस प्रकार रोज़ा रखना मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने शक के दिन रोज़ा रखा उस ने मेरी अवज्ञा की। (अबू दावूद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) अगर किसी ने इस प्रकार शक की बुनियाद पर रोज़ा रखा और शाम को चाँद देख कर पता चला कि वास्तव में आज रमज़ान की पहली तारीख़ थी, फिर भी उस का रोज़ा रमज़ान का शक की वजह से नहीं कुबूल होगा, उसे बाद में क़ज़ा करनी होगी।

बाब {चाँद देख कर ही रोज़ा रखो।}

574:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चाँद का ज़िक्र करते हुये फ़रमायाः जब तुम चाँद देख लो तभी रोज़ा रखना शुरु करो और चाँद देख कर ही इफ़तार भी करो। अगर (आकाश में) बदली छाई हो तो 30 रोज़े पूरे कर लो (इस केबाद अ़ीद मनाओ)

फ़ाइदाः– कुछ उलमा का कहना है कि इस हदीस में हुक्म आ़म है, इसलिये कहीं के लोग भी अगर चाँद देख लें तो सभी लोग रोज़ा रखें। लेकिन इमाम शाफ़ई रह॰ का कहना है कि हर जगह के लोगों के लिये हुक्म अलग–अलग है, इसलिये दूसरी जगह के लोगों के चाँद देख लेने से हम पर रोज़ा तोड़ देना ज़रुरी नहीं। कुछ उलमा एक सुनिश्चित दूरी

के क़ाइल हैं और कुछ दूरी के नहीं क़ाइल हैं। चुनान्चे अप्रेल 2004 में मर्कज़ी जमीअ़त अहले हदीस हिन्द ने पाकोड़ (झाड खंड) के इतिहासिक तीन दिवसीय सभा में इस विषय पर एक समीनार करवाया था, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। उलमा किसी राय पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सके। सेमिनार में यह विषय था कि क्यों न मुल्क सऊदी अ़रब को हम अपना आर्दश मान लें। वह जब रोज़ा रखना शुरु करें, हम भी शुरु करें और जब वह ओ़द मनाएँ तो हम भी मनाएँ। इस प्रकार पूरी दुनिया में लोग एक ही दिन पर मुत्तफ़िक़ हो जायें। सच्ची बात यह है कि अगर पूरब के लोगों ने चाँद देखा है तो उन की गवाही मानी जायेगी और उन के देखने पर अ़मल होगा। क्योंकि जब हम से पूरब वालों ने देख लिया तो इस का यह अर्थ हुआ कि हमारे ऊपर भी चाँद निकला था किसी वजह से हम न देख सके। इस में तो किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं। रहा यह मस्अला कि पश्चिम में कितनी दूरी के लोगों का चाँद देखा हम अपने लिये स्वीकार करें? तो इस पर आज तक किसी का भी इत्तिफ़ाक़ नहीं हो सका। विस्तार से जानकारी के लिये दूसरी पुस्तकें देखें- ख़ालिद।

बाब {महीना 29 दिन का भी होता है।}

575:– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़सम खाई कि मैं एक महीना तक अपनी पत्नियों के पास नहीं जाऊँगा। लेकिन 29 दिन के बाद सुब्ह या शाम को जब अपनी पत्नियों के पास गये तो बताया गया कि ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! आप ने तो एक माह तक न जाने की क़सम खाई थी (और अभी तो एक दिन बाक़ी है) आप ने फ़रमायाः महीना 29 दिन का भी होता है।

फ़ाइदाः– आप ने क्यों न जाने की क़सम खाई थी? सन नौ हि॰ की घटना है। अन्सार और मुहाजिर की महिलाओं को अच्छा खाना-पीना, पहनना-औढ़ना देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नियों ने भी उसी प्रकार की माँग शुरु कर दी, इस पर आप नाराज़ हो कर एक माह तक किसी के पास न जाने की क़सम खा ली (पार:21, सूरः अहज़ाब, आयात 29 की तफ़सीर देखें) एक घटना सन पाँच हि॰ में भी घटी। आप घोड़े से गिर गये जिस से आप के पैर में मोच आ गयी, या आप का कंधा या पिंडली घायल हो गयी इसलिये एक माह के लिये बाला ख़ाना पर चले गये (बुख़ारी-378, 1911) बहरहाल यह दोनों घटनाएँ अलग-अलग की हैं और दोनों ही में आप एक माह तक अपनी पत्नियों से अलग रहे। इस हदीस से यह मालूम हुआ कि अ़रबी का महीना 29 का भी होता है। अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि आप ने अपने दोनों हाथों (यानी दस उंगलियों से) इशारा करते हुये फ़रमायाः महीना इतना होता है, इतना होता है और तीसरी बार कहते हुये एक अंगूठा बन्द कर लिया (यानी 10+10+9=29 दिन) (मुस्लिम) अ़रबी का महीना 30 और 29 दिन का होता है। इस के विपरीत अंग्रेज़ी के चार महीने

30 दिन के, सात महीने 31 दिन के, फ़रवरी का महीना 29 दिन का और हर चार वर्ष के बाद 28 दिन का होता है। इस प्रकार अंग्रेज़ी वर्ष 365 दिन का और अ़रबी का 354 या 355 दिन का होता है।

576:– उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ के पुत्र अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हम लोग पढ़े–लिखे तो हैं नहीं इसलिये न तो लिखते हैं और न ही हिसाब करते हैं। महीना इतने का, इतने का और इतने का होता है और तीसरी मतर्बा एक अंगूठा बन्द कर लिया (यानी 29 दिन का) और महीना इतने का, इतने का और इतने का होता है (यानी 30 दिन का)

फ़ाइदाः– हमारे राष्ट्र हिन्दुस्तान में अधिकांश जाहिल महिला और पुरुष ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि अ़रबी का महीना 29 का भी होता है। इसलिये चाँद देख कर रोज़ा रखते हैं और 29 को चाँद देख कर अ़ीद मनाते हैं, फिर 30 का महीना पूरा करने केलिये एक रोज़ा की क़ज़ा करते हैं।

बाब {अल्लाह तआ़ला ने देखने के लिये चाँद को लंबा कर दिया है।}

577:– अबूल् बुहतरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा हम लोग उम्रा करने के इरादे से मदीना से रवाना हुये। जब नख़्ला के स्थान पर पहुँचे तो लोग (दिन डूबने के बाद) चाँद देखने लगे, तो कुछ लोग कहने लगे कि यह तो तीन दिन पहले का मालूम होता है (क्योंकि काफ़ी बड़ा और मोटा है) कुछ लोगों ने कहा कि दो दिन पहले का लगता है। फिर हम लोग जब इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से मिले और उन को बताया कि हम लोगों ने चाँद देखा तो कुछ लोगों का कहना है कि यह तीन दिन पहले का है और कुछ ने कहा कि दो दिन पहले का है। उन्होंने पूछाः किस दिन देखा था? सहाबा ने कहाः फ़लाँ दिन। इस पर उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि अल्लह तआ़ला ने दिखाई देने के लिये उसे बड़ा कर दिया है। वह उसी रात का है जिस रात तुम लोगों ने उसे देखा था।

फ़ाइदाः– कभी ऐसा होता है कि पश्चिम की ओर मौसम बहुत साफ़ होता है तो चाँद बहुत चमकीला और मोटा दिखाई देता है, इस वजह से लोग शुब्हा करने लगते हैं कि संभवतः एक–दो दिन पहले का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः चाँद के छोटा–बड़ा होने का एतिबार नहीं किया जायेगा। जब चाँद नज़र आ जाये उसी दिन का माना जायेगा चाँद 29 वीं को दिखाई दे या 30 वीं को। आ़म तौर पर लोगों का अनुमान है कि पहली रात का चाँद 20 मिनट तक पश्चिम में दिखाई देगा उस के बाद डूब जायेगा। चाँद का मोटा और पतला दिखाई देना भी लोगों के दर्मियान इख़्तिलाफ़ का सबब बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसी शुब्हे और इख़्तिलाफ़ को समाप्त फ़रमा दिया।

बाब {हर मुल्क के लोगों के लिये उन का अलग चाँद देखना है।}

578:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के आज़ाद किये हुये गुलाम कुरैब रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हारिस रज़ि॰ की पुत्री उम्मे फ़ज़्ल ने मुझे मुआ़विया रज़ि॰ के पास मुल्क शाम (किसी काम से) भेजा। चुनान्चे मैं शाम गया और उन का काम कर दिया। इसी दर्मियान मैं ने जुमेरात की शाम को रमज़ान का चाँद भी देखा। फिर जब महीना के अन्त में मदीना वापस आया तो इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने चाँद के बारे में मुझ से पूछा कि तुम ने कब देखा था? मैं ने कहाः जुमेरात को। उन्होंने पूछाः तुम ने स्वँय देखा था? मैं ने कहाः हाँ, मैं ने देखा था और दूसरे लोगों ने भी देखा और रोज़ा रखा मुआ़विया और उन के साथ तमाम लोगों ने भी। इस पर इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ बोलेः हम लोगों ने सनीचर की रात को देखा था, इसलिये हम लोग तो पूरे (30 दिन के) रोज़े रखेंगे, या फिर चाँद देख लें (तो रोज़ा तोड़ देंगे) इस पर मैं ने कहाः क्या मुआ़विया रज़ि॰ का चाँद देखना और उन का रोज़ा रखना (शहादत के लिये) काफ़ी नहीं है? उन्होंने कहाः नहीं, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसी प्रकार का आदेश दिया है।

फ़ाइदाः– इस हदीस से मालूम हुआ कि शाम के लोगों के चाँद देखने पर मदीना वालों के लिये अ़मल करना दुरुस्त नहीं। इसीलिये कि इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "चाँद देख कर रोज़ा रखो," इसलिये हर शहर वालों के लिये स्वँय चाँद देखने पर अ़मल होगा। इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक, हंबल और कुछ शाफ़अ़ी उलमा का यही मज़हब है। लेकिन अगर दोनों शहर के दर्मियान की दूरी कम हो तो दोनों का हुक्म एक माना जायेगा। प्रश्न यह है कि वह कितनी दूरी है जिस के होते हुये अगर एक जगह चाँद नज़र आ जाये और दूसरी जगह नज़र न आये, तो उस दूसरी जगह वालों के लिये रोज़ा रखना या तोड़ना ज़रुरी नहीं। इस में उलमा का बड़ा इख़्तिलाफ़ है। कुछ उलमा के निकट अगर दोनां स्थानों के दर्मियान चाँद निकलने का समय अलग-अलग हो, तो पूरब वाले पश्चिम वालों के चाँद देखने पर अमल नही करेंगे। कुछ उलमा का यह कहना है कि एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के लोगों के चाँद देखने पर अ़मल नहीं करेंगे। कुछ उलमा का कहना है कि जितनी दूरी पर क़स्र किया जाता है (यानी 48 मील) से आगे के लोगों के चाँद देखने पर अ़मल नहीं होगा। बहर हाल साइन्स की तरक़्क़ी के युग में भी जबकि एक-एक सिकन्ड का हिसाब होता है, उलमा दूरी को नहीं बता सके जिस से आगे के लोगों के चाँद देखने पर उन के पीछे वाले अ़मल नहीं करेंगे। यही कारण है कि हमारे मुल्क हिन्दुस्तान ही में एक ही मुल्क में रहते हुये हर वर्ष इख़्तिलाफ़ की वजह से दो-दो ई़दें मनाते हैं। बहरहाल यह तमाम इस्लामी जमाअ़तों के अमीरों की ज़िम्मेदारी है. कि सब मिल बैठ कर एक सीमा रेखा तै कर लें और उसी केअनुसार सब अ़मल करें।

अप्रेल सन 2004 में मर्कज़ी जमीअ़त हदीस हिन्द ने पाकोड़ (झारखंड) के आल

इन्डिया सम्मेलन के एक सेमिनार में इस मुद्दे पर उलमा से तय्यारी कर के मक़ाला लिख कर लाने को कहा था। मक़ाला का विषय था "क्यों न हम पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अ़रब वालों के चाँद देखने पर अ़मल करें, और उसी मुल्क के रोज़ा रखने और अ़ीद करने के मुताबिक़ हम भी करें, ताकि इख़्तिलाफ़ समाप्त हो जाये" लेकिन सेमीनार का परिणाम नहीं निकला, ढाक के दो पात। इस मस्अले में हमारी राय यह है कि अगर दोनों स्थान इतनी दूरी पर स्तिथि हों कि दोनों स्थान के लोग अगर मौसम साफ़ हो, तो बयक वक़्त चाँद आ़म तौर पर देख लेते हों, तो दोनों स्थान के लोग एक-दूसरे के लोगों के चाँद देखने पर अ़मल करें। बहर हाल इस साइन्सी युग में मुस्लिम साइन्स दानों (वैज्ञानिकों) को इस ओर गंभीरता से तवज्जोह देने की आवश्यक्ता है ताकि आ़म मुसलमान इख़्तिलाफ़ की इस लानत से छुटकारा पा सकें।

बाब {अ़ीद के दोनों महीनें 29 के नहीं होते।}

579:- अबू बक्रा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अ़ीद के दोनों महीने कम नहीं होते, यानी रमज़ान और ज़िल् हिज्जा।

फ़ाइदा:- अर्थात दोनों महीने एक ही वर्ष में 29 दिनों के नहीं होते। अगर रमज़ान 29 का होगा तो ज़िल् हिज्जा 30 का, या रमज़ान 30 का होगा तो जिल्हिज्जा 29 का। दूसरा अर्थ यह है कि अगर 29 का हो गया तो सवाब पूरे महीना का ही मिलेगा। महीना के 29-30 होने से सवाब में कोई कमी नहीं होती है। और यही अर्थ सहीह है। पहला अर्थ इसलिये सही नहीं कि अक्सर दोनों महीने 29 के भी हुये हैं।

बाब {रोज़ा के लिये सहरी खाने का बयान।}

580:- अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी में बर्कत है।

फ़ाइदा:- सहरी खाना सुन्नत और फ़ज़ीलत का काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सहरी खाने में बर्कत है, इसलिये तुम इसे न छोड़ो, चाहे एक घूँट पानी ही पी लो, इसलिये कि अल्लाह और उस के फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर सलामती की दुआ़यें भेजते हैं (मुस्नद इमाम अहमद) एक दूसरी रिवायत में आप ने फ़रमायाः हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क़ सहरी खाना है (अबू दावूद, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, नसई) यानी यहूद नसारा सहरी नहीं खाते हैं। कुछ लोग सहरी न खा कर रोज़ा रख कर बहादुरी दिखाते हैं, हालाँकि यह सुन्नत के ख़िलाफ़ है और अल्लाह ने फ़ाइदा उठाने की जो अनुमति दी है, सहरी न खाना उस की नाशुक्री है।

बाब {सहरी ताख़ीर (विलंब) से खानी चाहिये।}

581:- ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ सहरी खाई और सुब्ह की नमाज़ के लिये तय्यार हो

गये। रावी ने पूछाः नमाज़ और सहरी के दर्मियान कितना समय होता था? उन्होंने कहाः इतना समय होता था कि कोई व्यक्ति पचास आयतें पढ़ ले।

फ़ाइदाः— इस मस्अले में सभी का इत्तिफ़ाक़ है कि सहरी अन्तिम छड़ों में खानी चाहिये। सहल बिन सअ्द साअ्दी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः लोग जब तलक इफ़तार में जल्दी और सहरी में देरी करेंगे, भलाई में रहेंगे। (बुख़ारी, मुस्लिम) अगर फ़ज्र के समय से पहले अज़ान हो जाये तो भी सहरी खाते रहिये, क्योंकि इस का संबन्ध समय के समाप्त होने पर है, न कि अज़ान पर। आज भी दीहातों में बहुत से ऐसे लोग है कि अगर मुअज़्ज़िन भूल कर समय से पहले अज़ान दे दे तो वह खाना-पीना छोड़ देते हैं।

बाब {फ़ज्र के समय का बयान जिस के आने पर खाना-पीना हराम हो जाता है।}

582:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम्हें बिलाल की अज़ान धोखे में न डाल दे और न ही आकाश की सफ़ेदी जब तक कि वह इस प्रकार चौड़ी न हो जाये।

फ़ाइदाः— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के दो मुअज़्ज़िन थे। बिलाल और इब्ने उम्मे मक्तूम। बिलाल सहरी खाने और तहज्जुद की नमाज़ के लिये अज़ान देते थे। फ़ज्र से पहले पूरब की तरफ़ नीचे से ऊपर की ओर लोमड़ी के दुम की तरह ऐ रोशनी ज़ाहिर होती है, इस का नाम "सुब्ह काज़िब" है। इस रोशनी में भी सहरी खाते रहना चाहिये। फिर यह रोशनी धीरे-धीरे चोड़ी हो जाती है और पूरब-पश्चिम, उत्तर-दखिखन आकाश में ज़ाहिर हो जाती है, इसी का नाम "सुब्ह सादिक़" और फ़ज्र का समय है। इस के प्रकट हो जाने के बाद खाना-पीना मना है। ऊपर हदीस में "जब तक चौड़ी न हो जाये" से इसी तरफ़ इशारा है।

बाब {अल्लाह तआला ने सूरः बक़रः आयत न॰. 187 में फ़रमायाः "खाओ, पियो जब तक सफ़ेद धागा काले धागे में ज़ाहिर न हो जाये.......।}

583:— सहल बिन सअ्द रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब (सूरः बक़रः की आयत) "उस समय तक खाने-पीने का सिलसिला जारी रखो जब तलक सफ़ेद धागा काले धागे से ज़ाहिर न हो जाये" नाज़िल हुयी, तो सहाबा जब रोज़ा रखने का इरादा करते तो काला और सफ़ेद धागा अपने पैरों में बाँध लेते और सफ़ेद और काले का फ़र्क़ ज़ाहिर होने तक सहरी खाते रहते। फिर जब अल्लाह तआ़ला ने "मि-नल् फ़ज्रि" का शब्द नाज़िल किया, तब लोगों को मालूम हुआ कि काले और सफ़ेद धागे से मुराद तारीकी और रोशनी है।

फ़ाइदाः— काले धागे में सफ़ेद धागा ज़ाहिर हो जाये, यानी रात की तारीकी में फ़ज्र की सफ़ेदी ज़ाहिर हो जाये। फ़ज्र की सफ़ेदी वह रोशनी होती है जो पूरब की तरफ़ रात

की तारीकी में चौतरफ़ा ज़ाहिर होती है।

बाब {बिलाल. रात को (सहरी खाने और तहज्जुद व वित्र आदि पढ़ने के लिये) अज़ान देते हैं, इसलिये (उन की अज़ान सुन कर भी) खाना–पीना जारी रखो।

584:– उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ के पुत्र अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के दो मुअज़्ज़िन थे (1) बिलाल (2) इब्ने उम्मे मक्तूम जो नेत्रहीन थे। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः चूँकि बिलाल रात को (सहरी खाने, वित्र आदि पढ़ने के लिये) अज़ान देते हैं इसलिये इब्ने उम्मे मक्तूम के अज़ान देने तक सहरी का खाना–पीना जारी रखो। हदीस के रावी ने बयान किया कि दोनों के अज़ान के दर्मियान बस इतनी ही देरी होती थी कि बिलाल अपनी अज़ान देकर उतरते और इब्ने उम्मे मक्तूम फ़ज्र की अज़ान देने के लिये चढ़ते।

फ़ाइदाः– बिलाल रज़ि॰ अज़ान देकर दुआऐं पढ़ते और थोड़ी देर ठहरते फिर नीचे उतरते, इस केबाद इब्ने उम्मे मक्तूम को बिलाल बुलाते और वह चढ़ कर फ़ज्र की अज़ान देते। इस प्रकार दोनों के अज़ान के दर्मियान लग–भग दस मिनट का अन्तर होता था जिस के दर्मियान कुरआन मजीद की पचास आयतें पढ़ी जा सकती थीं (देखें हदीस 581)

बाब {उस व्यक्ति के रोज़े का बयान जो फ़ज्र तक जनाबत (यानी संभोग की नापाकी) की हालत में रहा हो।}

585:– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आ़इशा और उम्मे सलमा रज़ि॰ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों से संभोग करते और नापाकी की हालत में सुब्ह हो जाती थी, फिर आप दिन में रोज़ा रखते थे।

फ़ाइदाः– दोनों पत्नियाँ यह बताना चाहती हैं कि जिस प्रकार फ़ज्र का समय होते ही सहरी खाना हराम हो जाता है इसी प्रकार पाक हो जाना कोई अनिवार्य नहीं। फ़ज्र की अज़ान हो जाने के बाद भी अगर कोई रोज़ादार दस–पाँच मिनट के बाद स्नान करे तो उस दर्मियान नापाकी की हालत में रहने से रोज़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार अगर रोज़ा की हालत में सोते समय किसी को दिन में एहतलाम (स्वप्न दोष) हो जाये तो इस से भी रोज़ा नहीं टूटता। जागने के बाद तुरन्त स्नान कर ले और रोज़ा से रहे। इस मस्अले में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं। इसी प्रकार फ़ज्र से पहले पत्नी से संभोग किया और फ़ज्र के बाद तक एक–आध घन्टा अगर कोई नापाकी की हालत में रहता है तो इस से भी उस का रोज़ा नापाक नहीं होता। लेकिन बेहतर यह है कि जितनी जल्दी हो सके स्नान कर ले, क्योंकि जितनी देर तक नापाकी की हालत में रहेगा उस के रोज़े की रुहानियत में कमी होती जायेगी।

586:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक व्यक्ति ने आ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मस्अला पूछा, उस समय मैं दर्वाज़े की ओट से सुन रही थी। उस ने पूछाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मेरे लिये (फ़ज्र की) नमाज़ का समय आ जाता है और मैं जनाबत की नापाकी की हालत में होता हूँ, तो क्या मैं रोज़ा रखूँ, आप ने उत्तर दियाः मुझे भी (फ़ज्र की) नमाज़ का समय आ जाता है आर मैं भी जुनुबी रहता हूँ और रोज़ा भी रखता हूँ। उस ने कहाः ऐ अल्लह के सन्देष्टा! आप, आ़म लोग जैसे थोड़े हैं, अल्लह ने तो आप के अगले-पिछले गुनाह माफ़ कर दिये हैं। (यह सुन कर) आप ने फ़रमायाः अल्लाह की क़सम! मेरा ख़याल है कि मैं तुम सब से अधिक अल्लाह से डरता हूँ, और तुम सब से अधिक उन बातों को जानता हूँ जिन से बचना अनिवार्य है।

फ़ाइदाः– इस हदीस से भी यह मालूम हुआ कि फ़ज्र के बाद रोज़ा शुरु हो जाने के बाद भी अगर कोई नापाकी की हालत में रहता है और किसी कारण स्नान नहीं कर सक है तो इस नापाकी में रहने से रोज़ा नहीं टूटेगा। अहमद और इब्ने हिब्बान की रिवायत में है कि अबू हुरैरा रज़ि॰ ने फ़रमायाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ऐसी हालत में रोज़ा तोड़ देने का हुक्म देते थे। लेकिन जब उन्होंने आ़इशा और उम्मे सलमा रज़ि॰ से हदीस सुनी तो अपने फ़तवे को वपस ले लिया। बुख़ारी हदीस न॰..................) अस्ल में प्रश्न कर्ता का यह ख़याल था कि रोज़े की हालत में नापाक रहना गोया रोज़े की हालत में खाना-पीना है, तो जब रोज़े की हालत में खाने-पीने से रोज़ा टूट जाता है इसलिये नापाक रहने से भी टूट जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, फ़ज्र के बाद उठ कर स्नान करे और रोज़ा रखे। हाँ, स्नान में बहर हाल जल्दी करनी चाहिये ताकि रोज़ा की रुहानियत में कमी न आये।

बाब {ऐसा रोज़ा दार जो भूल कर खा–पी ले (उस के बारे में क्या हुक्म है?}

587:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस रोज़ादार ने भूल कर खा–पी लिया (उस का रोज़ा नहीं टूटा) वह अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि उस को अल्लाह पाक ने खिलाया-पिलाया है।

फ़ाइदाः– इस मस्अले में तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। चाहे भूल कर थोड़ा खाये अथवा अधिक। रोज़ा चाहे नफ़ली हो अथवा फ़र्ज़ का। बुख़ारी शरीफ़ में अबू हुरैरा रज़ि॰ ही से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहाः मैं ने भूल कर रोज़ा की हालत में खा-पी लिया है। आप ने फ़रमायाः (कोई बात नहीं) अल्लाह पाक ने खिलाया-पिलाया है (तिर्मिज़ी, नसई) केवल इमाम मालिक रज़ि॰ ऐसे इमाम हैं जिन का कहना है कि फ़र्ज़ रोज़ा टूट जायेगा, अल्बत्ता नफ़ली रोज़ा नहीं टूटेगा। इन

के निकट ऊपर की हदीस में नफ़ली रोज़ा मुराद है। लेकिन जमहूर उलमा के फ़तवे के मुक़ाबला में इन का फ़तवा रद्द है (नैलुल् औतार, भाग 4)

बाब {रोज़ादार को जब खाने के लिये बुलाया जाये तो वह कह दे "मैं रोज़े से हूँ"}

588:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब किसी रोज़ादार को खाने के लिये बुलाया जाये तो वह कह दे "मैं रोज़े से हूँ"

फ़ाइदाः– यह हुक्म फ़र्ज़ रोज़ा के बारे में है। लेकिन अगर नफ़ली रोज़ा से हो और रोज़ा तोड़ना चाहे तो खा–पी सकता है। चूंकि यह फ़र्ज़ रोज़ा नहीं है इसलिये उसे इख़्तियार है, चाहे तो तोड़ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसा किया है (देखें मुस्लिम, अबू दावूद, तिर्मिज़ी–रिवायत आ़इशा)

बाब {जो व्यक्ति रोज़ा की हालत में अपनी पत्नी से संभोग कर ले उस के कफ़्फ़ारा का बयान।}

589:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मैं तो बर्बाद हो गया। आप ने पूछाः किस ने बर्बाद कर दिया? उस ने कहाः मैं ने रमज़ान के महीना में (रोज़ा की हालत में) अपनी पत्नी से संभोग कर लिया। आप ने फ़रमायाः क्या तुम (कफ़्फ़ारा में) एक गुलाम या लौंडी आज़ाद कर सकते हो? उस ने उत्तर दियाः नहीं। आप ने फ़रमायाः दो माह लगातार रोज़े रख सकते हो? उस ने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः साठ फ़क़ीरों को खाना खिला सकते हो? उस ने कहाः नहीं। फिर वह व्यक्ति आप के पास बैठा रहा, इतने में कहीं से आप के पास (सदक़े में) खजूरों से भरा एक टोकरा आ गया तो आप ने उस से कहाः इन खजूरों को ले जाकर फ़क़ीरों में सदक़ा कर दो (यह तुम्हारे गुनाह का कफ़्फ़ारा बन जाये गा) वह कहने लगाः मदीना के दोनों पथरीली ज़मीनों के दर्मियान (यानी पूरे क्षेत्र में) मुझ से अधिक कोई मुहताज नहीं है। यह सुन कर आप इतना हँसे कि आप के दाँत दिखने लगे। फिर फ़रमायाः तो फिर तुम ही ले जाकर अपने बाल–बच्चों को खिला दो।

590:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर कहने लगाः ऐ अल्लाह के संदेष्टा! मैं तो जल गया। आप ने पूछाः कैसे जल गये? कहने लगा कि मैंने रमज़ान के महीना में दिन में अपनी पत्नी से संभोग कर लिया। आप ने फ़रमायाः (कफ़्फ़ारा में) सदक़ा–ख़ैरात करो। उस ने कहाः मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप ने फ़रमायाः ठीक है, बैठे रहो। इतने में आप के पास खाने–पीने के सामान से भरा हुआ दो टोकरा लाया गया तो आप ने उस से कहाः इसे ही ले जा कर सदक़ा कर दो।

फ़ाइदा:— इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई रमाज़ान में दिन के समय रोज़ा की हालत में संभोग कर ले (या हाथ आदि से मनी निकाले जिसे हस्तमैथुन कहते हैं) तो उस का रोज़ा टूट जाता है। चुनान्चे उसे उस दिन के रोज़े की क़ज़ा करनी होगी और कफ़्फ़ारा देना होगा। कफ़्फ़ारा यह है कि (1) एक गुलाम या लौंडी आज़ाद करे। अगर यह न हो सके तो (2) दो माह के लगातार रोज़े रखे। अगर इस की भी ताक़त नहीं है तो (3) साठ फ़क़ीरो को खाना खिलाए। चूंकि आज-कल लौंडी-गुलाम्म का ज़माना नहीं है इसलिये बाक़ी दो पर र्ततीबवार अ़मल होगा। प्रश्न यह है कि महिला क्या करे? इस का उत्तर यह है कि अगर वह भी राज़ी थी तो वह भी कफ़्फ़ारा अदा करे और रोज़े की क़ज़ा करे। हदीस में इस का कोई विवरण नहीं है लेकिन अक़्ल यही कहती है। उदाहरण के तौर पर यूँ समझें कि अगर पति-पत्नी दोनों मिल कर चोरी करें तो दोनों के हाथ काटे जायेंगे। हाँ, अगर पति ने पत्नी से ज़र्बदस्ती संभोग पर मजबूर किया हो तो वह दोषी नहीं मानी जायेगी।

संभोग के अतिरिक्त और दूसरे तरीक़े से (जैसे कुकर्म कर के, या हस्तमैथुन यानी हाथ आदि से रगड़ कर मनी निकाल दे, या इन के अ़लावा और दूसरे तरीक़े से) अगर रोज़े की हालत में मनी ख़ारिज करता है तो उस का रोज़ा टूट जायेगा, उसे रोज़ा की क़ज़ा और कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा। यही क़ानून महिला पर भी लागू होगा।

संभोग के अ़लावा और दूसरे वह कार्य करने से जिस से रोज़ा टूट जाता है (जैसे, जान-बूझ का खा-पी लेना) क़ज़ा और कफ़्फ़ारा लाज़िम आयेगा। चूँकि जान-बूझ कर खाना-पीना भी संभोग की तरह जुर्म है, इयलिये इस जुर्म पर भी कफ़्फ़ारा है।

बाब {रोज़ा की हालत में बोसा लेने का बयान।}

591:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरा बोसा लेते हालाँकि आप रोज़े से होते, हालाँकि मेरे साथ लेटते-बैठते और आप रोज़ा से होते थे, लेकिन (यह बात जान लो कि) आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसलम तुम लोगों के मुक़ाबला में अपनी ख़ाहिश पर अधिक क़ाबू रखने वाले थे।

फ़ाइदा:— मुस्लिम और अहमद की रिवायत में स्पष्ट शब्दों में है कि "आप रमज़ान में रोज़ा की हालत में बोसा लिया करते थे।" एक दूसरी रिवायत में है कि आप ने एक जवान को बोसा लेने से मना कर दिया लेकिन एक बूढ़े को अनुमति दे दी। (अबू दावूद) बोसा, दो प्रकार का होता है (1) प्यार-मोहब्बत का, जैसे बच्चों का बोसा लेना (2) जिन्सी ख़ाहिश की वजह से महिला का बोसा लेना। दूसरे प्रकार का बोसा रमज़ान में लेने क आवश्यकता ही क्या है। ऐसा करना गोया "आ बैल मुझे मार" अपने को बुराई के क़रीब करना होगा। फिर ऐसा करने से ख़ाहिश का भड़कना अनिवाय है और रोज़ा मक्रुह होना भी। दूसरे अगर आप की ख़ाहिश नहीं भड़की, लेकिन पत्नी की तो भड़क सकती है। चुनान्चे हदीस में आइशा रज़ि॰ और उम्मे सलमा ने यह नहीं ज़िक्र किया कि हम दोने

भी रोज़ा से होती थीं। चुनान्चे इस बात की संभावना है कि वह हैज़ की हालत में होती थीं और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रोज़े से। खुलासा यह कि आ़इशा रज़ि॰ का अन्तिम वाक्य "नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तुम सब से अधिक अपनी ख़ाहिश को क़ाबू में रखने वाले थे" इस से मालूम हुआ कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बराबर अपनी ख़ाहिश को क़ाबू में नहीं रख सकते, इसलिये बोसा लेने से बचना अनिवार्य है।

बाब {जब रात आ जाये और सूर्यस्त हो जाये तो रोज़ादार को (तुरन्त) इफ़तार कर लेना चाहिये।}

592:– अबू औफ़ा के पुत्र अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम सहाबा रमज़ान के महीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। चुनान्चे जब सूरज डूब गया जो आप ने फ़रमायाः ऐ फ़लाने! सवारी से उतर कर मेरे लिये सत्तू घोलो। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अभी तो आप पर दिन है। लेकिन आप ने फिर फ़रमायाः सवारी से उतरो और मेरे लिये सत्तू घोलू (ताकि में इफ़तार करुँ) चुनान्चे उन्होंने सवारी से उतर कर सत्तू घोला और आप के सामने पेश किया। आप ने उस से इफ़तार किया फिर अपने हाथ से इशारा कर के फ़रमायाः जब सूरज इस ओर (यानी पश्चिम में) डूब जाये और इस ओर (यानी पूरब की तरफ़ से) रात आ जाये तो रोज़ादार को (तुरन्त) रोज़ा इफ़तार कर लेना चाहिये।

फ़ाइदाः– आप ने जिन्हें सत्तू घोलने का आदेश दिया था वह बिलाल रज़ि॰ थे। इन्होंने सूरज डूब जाने के बाद लाली को सूरज समझा था। इस हदीस से मालूम हुआ कि सूरज डूबते ही तुरन्त इफ़तार करना चाहिये। अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि आप ने फ़रमायाः यहूद –नसारा देर कर के इफ़तार करते हैं (अबू दावूद) हाकिम की रिवायत में है कि मेरी उम्मत हमेशा मेरी सुन्नत पर रहेगी, जब तलक रोज़ा इफ़तार करने में तारों के निकलने का इन्तिज़ार न करेंगी (हाकिम) नीचे के बाब में भी इसी ओर इशारा है।

बाब {इफ़तार में जल्दी करने का बयान।}

593:– सहल बिन सअ़द साअ़दी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः लोग उस समय तक हमेशा ख़ैरियत से रहेंगे जब तक इफ़तार करने में जल्दी करते रहेंगे।

594:– अबू अ़तिय्या से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं और मसरुक़ आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ के पास गये तो मसरुक़ ने उन से कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से दो जन ऐसे हैं कि उन में एक तो प्रथम समय पर इफ़तार करते हैं और प्रथम समय पर नमाज़ भी पढ़ते हैं और दूसरे इफ़तार और मग़रिब की नमाज़ में विलंब क़रते हैं। यह सुन कर आ़इशा रज़ि॰ ने पूछाः वह कौन सहाबी हैं जो इफ़तार

और मग़रिब की नमाज़ में जल्दी करते हैं? उन्होंने कहाः अ़दुल्लाह (बिन मस्ऊद) यह सुन कर आइशा ने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी इसी प्रकार (जल्दी) किया करते थे।

फ़ाइदाः– जल्दी करने का यह अर्थ हर्गिज़ नहीं कि सूरज संपूर्ण रुप से डूबने से पूर्व ही इफ़तार कर लिया जाये। अर्थ यह है कि सूरज डूब जाने के बाद भी ख़ाह–मख़ाह रुक कर इन्तिज़ार न किया जाये। एक दूसरी हदीस में अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दीन इस्लाम उस समय तक ग़ालिब रहेगा जब तलक लोग इफ़तारी में जल्दी करते रहेंगे, क्योंकि यहूद–नसारा इफ़तार करने में विलंब करते हैं (अहमद, अबू दावूद, नसई, हाकिम) इफ़तार में जल्दी करने का कितना सख़्त हुक्म है इसका अनुमान ऊपर की इस हदीस से लगाया जा सकता है। आज कल मामला इस हदीस के बिल्कुल उलट है, इफ़तार निहायत विलंब से किया जाता है और सहरी एक घंटा पहले ही खा कर जम कर ख़र्राटा ले कर सोते हैं। यह तरीक़ा सुन्नत के ख़िलाफ़ है।

बाब {विसाल के रोज़े रखने की मिनाही का बयान।}

595:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने विसाल के रोज़े रखने से मना फ़रमाया तो एक व्यक्ति ने कहाः ऐ अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! आप तो विसाल के रोज़े रखते हैं। यह सुन कर आप ने फ़रमायाः तुम में से कौन मेरे बराबर है, मैं तो इस हाल में रात बिताता हूँ कि मेरा रब मुझे खिलाता–पिलाता है। इस के बावजूद भी जब सहाबा विसाल के रोज़े रखने से बाज़ न आये तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन के साथ एक दिन विसाल का रोज़ा रखा, फिर दूसरे दिन भी, लेकिन (तीसरे दिन) चाँद देख लिया गया तो आप ने फ़रमायाः अगर चाँद न होता तो मैं अधिक दिनों तक विसाल के रोज़े रखता (और देखता कि तुम कितने दिन साथ देते) आप ने सहाबा को डाँट–फटकार लगाते हुये यह फ़रमाया था, क्योंकि वह लोग विसाल का रोज़ा रखने पर अड़े हुये थे।

फ़ाइदाः– दो–तीन दिन –रात लगातार रोज़े रखना, दर्मियान में सहरी और इफ़तार न करना, इसी का नाम "विसाल का रोज़ा" है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस प्रकार दो–दो, तीन–तीन, चार–चार दिन तक मुसलसल भूखा–प्यासा रहने से मना फ़रमाया है। रहा आप का विसाल करना, तो यह केवल आप के लिये था। जिस प्रकार चार से अधिक महिलाओं से निकाह केवल आप के लिये ख़ास था। जब सहाबा ने अधिक ज़िद किया तो आप ने फ़रमायाः "अगर तुम विसाल का रोज़ा रखना ही चाहते हो तो केवल सहरी तक रखो" (बुख़ारी–किताबुस्सौम, बाबुल विसालि इ–लस्सहरि) अर्थात सहरी खा कर रोज़ा आरंभ करो, बीच में इफ़तार न करो, फिर सहरी के समय सहरी खा कर इफ़तार करो। इस प्रकार गोया आप ने 24 घन्टे तक रोज़ा रखने की अनुमति फ़रमायी। इस से अधिक रखना नाजाइज़ है। अ़ल्लामा शौकनी रह॰ ने अपनी पुस्तक में विस्तार से

लिखा है (नैलुन् औतार, भाग 4, पृष्ठ 217)

बाब {सफ़र में रोज़ा रखने और न रखने (दोनों) की अनुमति है।}

596:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक सफ़र किया और उस में आप ने रोज़ा रखा, फिर जब यात्रा करते हुये अ़सफ़ान के स्थान पर पहुँचे तो पीने के लिये एक प्याला मँगवाया, उस में पीने की कोई चीज़ (पानी या दूध) था, आप ने उसे लोगों के सामने पिया ताकि लोग (रोज़ा तोड़ते हुये) अपनी आँखों से देख सकें, फिर आप मक्का पहुँचने तक सफ़र में बराबर इफ़तार करते रहे। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि सफ़र में आप ने रोज़ा रखा और नहीं भी रखा, इसलिये जिस का जी चाहे सफ़र में रोज़ा रखे और जिस का जी न चाहे न रखे (दोनों पर अ़मल करने का इख़्तियार है।)

597:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़तह के साल (उम्रा की निय्यत से) रमज़ान के महीना में मक्का के लिये सफ़र के इरादा से निकले, उस समय आप रोज़ा से थे और सहाबा भी रोज़ा से थे। जब आप कुराअ़ल्–ग़मीम के स्थान पर पहुँचे तो एक प्याला पानी मँगवाया फिर उसे इतना ऊँचा उठाया कि सभी लोग देख लें, फिर आप ने पी लिया (और रोज़ा तोड़ दिया) बाद में आप को बताया गया कि कुछ लोग (कठिनाई के बावजूद) अभी भी रोज़ा की हालत में हैं तो आप ने फ़रमायाः वह लोग नाफ़र्मानी करने वालों में से हैं, वह लोग नाफ़र्मानी करने वालों में से हैं।

फ़ाइदा:– सफ़र में रोज़ा रखने और न रखने दोनों की अनुमति है। इस मस्अले में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं। बहुत से सहाबा सफ़र में रोज़ा रखते थे और बहुत से नहीं भी रखते थे और दोनों एक साथ सफ़र करते थे। रोज़ा रखने वाले न तो न रखने वालों को बुरा जानते थे, इसी प्रकार न रखने वाले, रखने वालों को न बुरा समझते थे (मुस्लिम–किताबुस्सौम) इख़्तिलाफ़ केवल इस बारे में है कि सफ़र में रोज़ा रखना अफ़ज़ल है, या न रखना? इस बारे में अ़ल्लामा शौकनी रह॰ लिखते हैं जिसे रोज़ा की हालत में सफ़र करने में कठिनाई आती हो उस के लिये रोज़ा न रखना अफ़ज़ल है। इसी प्रकार उस के लिये भी न रखना अफ़ज़ल है जो इस रुख़्सत को पसन्द नहीं करता है, ताकि नाफ़र्मानी से बच जाये। और वह भी न रखे जिसे दिखावा में फ़ंस जाने की शंका हो (नैलुल् औतार, भाग 4) बहर हाल न रखने की अनुमति क़ुरआन मजीद में सूरः बक़रः की आयत न॰ 184 से साबित है। अगर कोई सफ़र में नहीं रखता है तो बाद में इस की क़ज़ा करनी है। जो इस बात से डरता हो कि बाद में उस के लिये क़ज़ा करना कठिन होगा वह रोज़ा रखे, लेकिन जिसे बाद में क़ज़ा करने पर भी भरोसा हो वह शौक़ से अल्लाह की दी हुयी इस छूट से लाभ उठाते हुये रोज़ा न रखे।

बाब {सफ़र में रोज़ा रखना यह कोई नेकी (और बहादुरी का काम) नहीं।}

598:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सफ़र में थे, उस मौक़ा पर देखा कि कुछ लोग इकट्ठा होकर एक व्यक्ति पर साया किये हैं। आप ने पूछाः उसे क्या हो गया है? लोगों ने बताया कि वह रोज़ा से है (और उस पर रोज़ा कठिन हो रहा है) आप ने फ़रमायाः सफ़र में रोज़ा रखना यह कोई अच्छा कम नहीं है।

फ़ाइदा:– ऐसी कठिनाई की हालत में रोज़ा न रखना ही अफ़ज़ल है। शरीअ़ते–इस्लाम किसी को कठिनाई में नहीं डालती, यही कारण है कि उस ने रोज़ा न रखने की अनुमति दी है। इस बारे में अ़ल्लामा शैकनी रह॰ ने बहुत अच्छा लिखा है, देखें ऊपर का फ़ाइदा।

बाब {सफ़र में रोज़ा रखने और न रखने पर एतराज़ नहीं करना चाहिये।}

599:– अबू सओ़द खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम ने 16 रमज़ान को जिहाद किया, उस समय हम में से कुछ सहाबा रोज़ा से थे और कुछ नहीं भी थे। लेकिन न तो रोज़ादार, रोज़ा न रखने वाले को बुरा समझते थे, और न ही रोज़ा न रखने वाले, रोज़ा रखने वाले को बुरा जानते थे।

फ़ाइदा:– सफ़र में रोज़ा रखना या न रखना जब इख़्तियारी मामला है तो ज़ाहिर है इस में किसी को बुरा–भला जानने का कोई अधिकार नहीं। रोज़ा न रखने वाला भी सुन्नत पर अ़मल कर रहा है और रखने वाला भी। स्वँय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सफ़र में रोज़ा रखा भी है और नहीं भी।

बाब {सफ़र में रोज़ा न रख कर (दीनी) कार्य करने वाले के सवाब का बयान।}

600:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ क़िसी सफ़र में थे। कुछ लोग रोज़ा से थे और कुछ बिना रोज़े के। उन्होंने बयान किया कि हम लोगों ने कड़ाके की धूप के कारण एक स्थान पर डेरा डाल दिया। उस समय सब से अधिक छाँव उन के ऊपर थी जिन के पास चादर थी। कितने लोग ऐसे भी थे जो सर पर हाथ रख कर धूप रोके हुये थे। (यानी आराम करने लगे) लेकिन जो रोज़े से नहीं थे उन्होंने तंबू ताने, ख़ेमे गाड़े और ऊँटों को पानी पिलाया (यह देख कर) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आज बेरोज़ेदार तो सवाब लूट ले गये।

बाब {दुश्मन से मुक़ाबला में शक्ति जुटाने केलिये रोज़ा न रखने का बयान।}

601:– क़ज़ाआ़ कहते हैं कि मैं अबू सओ़द खुदरी रज़ि॰ के पास आया उस समय लोगों ने उन्हें घेर रखा था। फिर जब भीड़ छँट गयी तो मैं ने उन से कहाः मैं आप से वह बात नहीं पूछ रहा जो यह लोग अभी पूछ रहे थे। फिर मैं ने उन से सफ़र में रोज़ा रखने (या न रखने) के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम के साथ मक्का का सफ़र किया उस समय हम लोग रोज़े से थे। फिर जब एक स्थाप पर पड़ाव डाला तो आप ने फ़रमायाः तुम लोग अब दुश्मन के निकट पहुँच गये हो इसलिये अगर रोज़ा इफ़तार कर लेते हो तो तुम्हारी शक्ति बढ़ जायेगी इसलिये रोज़ा न रखने की छूट है। चुनान्चे हम में से कुछ ने रोज़ा तोड़ दिया और कुछ रोज़ा ही से रह गये। फिर और आगे चल कर ठहरे तो फ़रमायाः तुम अब सुब्ह-सुब्ह अपने दुश्मनों से भिड़ने वाले हो और रोज़ा इफ़तार कर लेने से तुम्हारी ताक़त बढ़ जायेगी, इसलिये तुम सब रोज़ा इफ़तार कर डालो। आप का अबकी बार फ़रमाना आदेश के तौर पर था इसलिये हम सभी सहाबा ने रोज़ा तोड़ दिया। इस सफ़र के बाद भी हम ने लोगों को देखा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ सफ़र में होते तो भी रोज़ा रखते थे।

फ़ाइदा:- ऐसे मौके पर जबकि सफ़र में हो और दूसरे दुश्मन से मुक़ाबला के लिये अधिक ताक़त की आवश्यक्ता हो, रोज़ा न रखना ही अनिवार्य है। इस से दो प्रकार का लाभ है (1) अल्लाह की दी हुयी छूट पर अ़मल कर रहा है (2) जिहाद के लिये ताक़त जमा कर रहा है।

बाब {सफ़र में रोज़ा रखने और न रखने का इख़्तियार है।}

602:- अ़म्र अस्लमी के पुत्र हम्ज़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! में अपने अन्दर सफ़र में भी रोज़ा रखने की ताक़त पाता हूँ इसलिये अगर मैं सफ़र में रोज़ा रखूँ तो गुनहगार हूँगा? आप ने फ़रमायाः रोज़ा न रखना यह अल्लाह की तरफ़ से एक छूट है, तो जिस ने इस को अपनाया उस ने अच्छा किया और जो रोज़ा रखना ही चाहे उस पर भी कोई गुनाह नहीं।

603:- अबू दर्दा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ सख़्त गर्मी के दिनों में सफ़र पर निकले, गर्मी इतनी अधिक थी कि हम लोग अपना हाथ सरों पर रखे हुये थे, हम में से कोई भी रोज़ा से न था, बस केवल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ि॰ ही उस समय रोज़ा से थे।

फ़ाइदा:- मालूम हुआ कि सफ़र में रोज़ा रखना या न रखना एक इख़्तियारी कार्य है। अगर कोई रोज़ा रखते हुये भी आसानी से सफ़र कर सकता है तो रोज़ा रखने में कोई हर्ज की बात नहीं। हाँ, और दूसरे फ़र्ज़ की अदायगी में बाधा नहीं पड़ना चाहिये, वर्ना इफ़तार कर लेना ही बेहतर है। हर व्यक्ति अपने अन्दर का हाल स्वँय जानता है।

बाब {रमज़ान के छूटे हुये रोज़ों की क़ज़ा शाबान के महीने में।}

604:- अबू सलमा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने आइशा सिद्दीक़ा

रज़ि॰ को बयान करते सुना कि मेरे रमज़ान के जो रोज़े छूट जाते थे उन की क़ज़ा मैं शाबान के महीने में करती थी, क्योंकि (और महीनों मैं) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में लगी रहती थी।

फ़ाइदा:– जवान महिलाओं के कुछ रोज़े हैज़ आने की वजह से छूट जाते हैं जिन की क़ज़ा और दूसरे महीनों में फ़र्ज़ है। वह महिला जिस का पति नहीं है, या उस से दूर है वह जब चाहे तुरन्त दूसरे महीना में क़ज़ा करे। लेकिन जिस के साथ पति है वह अपने पति को ध्यान में रख कर क़ज़ा के रोज़े रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और महीनों के मुक़ाबला में सब से अधिक नफ़ली रोज़े शाबान में रखते थे, इसलिये आ़इशा रज़ि॰ को भी क़ज़ा के रोज़े रखने का अच्छा अवसर मिल जाता था। आ़इशा रज़ि॰ ही से रिवायत है कि मैं ने शाबान के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को किसी महीने में बहुत अधिक रोज़े रखते नहीं देखा (बुख़ारी–मुस्लिम) आ़इशा रज़ि॰ की ऊपर की हदीस और दीगर महिलाओं को अपने पतियों की सेवा करने का गुर और ढन्ग बतलाती है।

बाब {मय्यित के छूटे हुये रोज़ों के क़ज़ा करने का बयान।}

605:– आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो व्यक्ति मर जाये और उस के ज़िम्मा रोज़े (की क़ज़ा) बाक़ी हों तो उस का वारिस उस की तरफ़ से रोज़े रखे।

606:– बुरैदा अस्लमी रज़ि॰ से रिवायत हैं कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थिति थे कि इतने में एक महिला ने आ कर कहा: मैं नेअपनी माता जी को एक लौंडी ख़ैरात में दे दी थी, अब मेरी माँ मर चुकी हैं (तो उस लौंडी का क्या होगा) आप ने फ़रमाया: तुम्हें तो सवाब मिल चुका है, वह लौंडी भी तर्का में तुम्हें मिल गयी। इस पर वह बोली: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मेरी माँ के ऊपर (क़ज़ा या नज़र के) एक माह के रोज़े बाक़ी थे, तो क्या मैं उन की तरफ़ से वह रोज़े रख सकती हूँ? आप ने फ़रमाया: हाँ, उस की तरफ़ से रोज़े रखो। वह बोली! मेरी माता जी ने हज्ज भी नहीं किया हुआ था? आप ने फ़रमाया: उस की तरफ़ से हज्ज भी करो।

फ़ाइदा:– इस मस्अले में उलमा का बड़ा इख़्तिलाफ़ है। (1) अगर कोई मर जाये तो उस का वली उस के रोज़ों की क़ज़ा नहीं करेगा, अल्बत्ता उस की तरफ़ से फ़क़ीरों को खाना खिलाए। यह फ़तवा जमहूर उलमा का है जिस में इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक शामिल हैं। (2) मय्यित की तरफ़ से उस का वली उस के रोज़ों की क़ज़ा कर सकता है, चाहे वह रोज़े रमज़ान के हों अथवा नज़र के। केवल नज़र के रोज़ों की क़ज़ा की जायेगी, लेकिन रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों की नहीं, अल्बत्ता उस की तरफ़ से मोहताजों

को खाना खिलाया जायेगा। यह फ़तवा इमाम अहमद बिन हंबल और दूसरे उलमा जिन में अ़ल्लामा अल्बानी भी शामिल हैं का है। अहले हदीस उलमा जिन में सऊदी अ़रब के मुफ़्ती अ़ल्लामा इब्ने बाज़ रह॰ आदि के निकट मय्यित के रमज़ान के और नज़र के समस्त रोज़ों की क़ज़ा उस का वली कर सकता है। इसी प्रकार मय्यित की तरफ़ से छूटे हुये हज्ज और नमाज़ें भी। समस्त हदीसों को सामने रख कर देखा जाये तो यही मस्अला उभर कर सामने आता है और यही हक़ है। तीनों गरोहों केतर्क की तफ़सील जानने के लिये मौलाना मुबारक पुरी रह॰ की "तोहफ़तुल् अहवज़ी भाग 2, मौलाना डयानवी की "बज़लुल मजहूद, भाग 3 देखें। यहाँ तफ़सील से बयान करनेकी गुंजाइश नहीं।

बाब {अल्लाह तआ़ला ने कुरआन मजीद में फ़रमाया: "जो लोग रोज़ा रखने की ताक़त रखते हैं (और रोज़ा न रखना चाहें) वह हर रोज़ा के बदले एक फ़क़ीर को खाना खिला दिया करें......... (सूरः बक़रः 184)}

607:– अकवा के पुत्र सलमा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया क जब सूरःबक़रः की आयत 184 नाज़िल हुयी तो जो चाहता रमज़ान के रोज़े नहीं रखता और उस रोज़े के बदले एक मुहताज को खाना खिला देता। फिर इस के बाद वाली आयत नाज़िल हुयी जिस ने इस आयत को मन्सूख़ कर दिया (इसलिये अब ताक़त रखने वाले के लिये स्वँय रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, फ़िदया देना (हर रोज़ा के बदले खाना खिलाना) जाइज़ नहीं।

फ़ाइदा:– इस्लाम के आरंभ में यह नियम था कि जो रोज़ा रखने की ताक़त रखता हो और रोज़ा न रखना चाहे वह हर रोज़ा के बदले एक मुहताज को खाना खिला दे। फिर यह आयत बाद वाली आयत से मन्सूख़ हो गयी। अब हमेशा के लिये यह नियम बन गया कि ज़ो रोज़ा रखने की ताक़त रखता है उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ और दूसरे उलमा सूरः बक़रः की आयत न॰ 184 का इस प्रकार तजुर्मा करते हैं "जो लोग रोज़ा रखने की ताक़त नहीं रखते है।" इन के निकट यह आयत मन्सूख़ नहीं हैऔर इस का हुक्म आज भी बहुत अधिक खूसट और बूढ़े महिला–पुरुष के लिये बाक़ी है कि अगर वह रोज़ा न रख सकें (बहुत अधिक कमज़ोर हो जाने के नाते) तो रोज़ाना एक फ़क़ीर को खाना खिला दिया करें। इमाम अबू हनीफ़ा, शाफ़अ़ी, हंबल, इमाम बुख़ारी और अहले हदीस उलमा का यही फ़तवा है।

इसी प्रकार अगर दूध पिलाने वाली महिला, बच्चे के कमज़ोर हो जाने के डर से रमज़ान के रोज़े न रखे, तो क्या वह बाद में कज़ा करे, या हर रोज़े के बदले फ़िदया दे? हदीस में इस का कोई हुक्म नहीं है, लेकिन सच्ची बात यह है कि वह रोज़ों की क़ज़ा करे (खाना न खिलाए) इसी प्रकार अगर कोई बराबर–लगातार बीमार चल रहा है उस के स्वस्थ होने की कोई संभावना नहीं, ऐसा व्यक्ति हर रोज़ा के बदले खाना खिला दे।

बाब {रमज़ान के अ़लावा और दूसरे महीनों में भी रोजा रखने और न रखने का बयान।}

608:– अ़ब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से पूछाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किस माह के पूरे दिनों के रोज़े रखते थे? उन्होंने कहाः मैं नहीं जानती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रमज़ान के अ़लावा किसी महीना के पूरे रोज़े रखेहों, या पूरा महीना रोज़े न रखे हों। बल्कि आप अपने देहान्त तक हर महीना में कुछ न कुछ रोज़े अवश्य ही रखते रहे।

फ़ाइदाः– इस हदीस से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रमज़ान का पूरा महीना फ़र्ज़ होने के नाते रोज़ा रखते थे। इस के अ़लावा हर महीना में भी कुछ न कुछ रोज़े अवश्य ही रखते थे, कोई महीना बिना नफ़ली रोज़ा रखे ख़ाली नहीं जाता था। चुनान्चे आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हर महीने की 13, 14, 15 को रोज़ा रखा करते थे, जिसे "बीज़" के रोज़े कहा जाता है (मुस्लिम, अहमद, अबू दावूद) इस हदीस से पाठ लेते हुये हम मुसलमानों को भी हर माह कुछ नफ़ली रोज़े अवश्य ही रखने चाहिये।

बाब {अल्लाह की राह (जिहाद की हालत) में रोज़ा रखने की फ़ज़ीलत का बयान।}

609:– अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो व्यक्ति अल्लाह की राह (यानी जिहाद) में एक दिन रोज़ा रखता है तो अल्लाह पाक उस के मुँह को दोज़ख़ से सत्तर वर्ष की राह तक दूर कर देता है।

बाब {मोहर्रम महीने के रोज़े की फ़ज़ीलत का बयान।}

610:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः रमज़ान के बाद रोज़ों में सब से अफ़ज़ल रोज़े मुहर्रम के हैं जो अल्लाह तआ़ला का महीना है। और फ़र्ज़ नमाज़ों केबाद (सब से अफ़ज़ल) तहज्जुद की नमाज़ है।

बाब {आ़शूरा (10 मुहर्रम) के रोज़े का बयान।}

611:– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि कुरैश मक्का के लोग इस्लाम से पूर्व आ़शूरा (10 मुहर्रम) के रोज़े रखा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी उस दिन रोज़ा रखने का हुक्म फ़रमाया। फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुये तो आप ने फ़रमायाः अब जो चाहे आशूरा के रोज़े रखे और जो चाहे न रखे।

बाब {आशूरा को कौन से दिन रोज़ा रखा जाये?}

612:– इमाम आरज ने हकम से बयान किया कि एक मतर्बा मैं इब्ने अब्बास रज़ि॰ के पास गया तो क्या देखा कि वह ज़मज़म कुँए के पास अपनी चादर पर टेक लगाए बैठे हुये हैं। मैंने उन से कहाः आप मुझे मुहर्रम के रोज़ों के बारे में कुछ बतलायें। इस पर उन्होंने कहाः मुहर्रम का चाँद नज़र आ जाने के बाद दिन गिनते रहो। जब नवीं तारिख़ आ जाये तो उस दिन रोज़ा रखो। मैं ने उन से पूछाः क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी प्रकार रोज़ा रखते थे? उन्होंने कहाः जी हाँ।

फ़ाइदा:– जैसा कि ऊपर हदीस न॰ 611 में मालूम हुआ कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले आप आशूरा के रोज़े पाबन्दी से रखा करते थे। एक दूसरी रिवायत में हैं कि आप ने यहूदियों से 10 मुहर्रम के रोज़े के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अल्लाह तआला ने आज ही के दिन मूसा और बनी इसाईल को दुश्मन (फ़िर्औन) से नजात दी थी, चुनान्चे इस पर मूसा अलै॰ ने रोज़ा रखा था। यह सुन कर आप ने फरमायाः मूसा पर हमारा हक़ तुम से कहीं अधिक बनता है। फिर आप ने स्वयँ रोज़ा रखा और सहाबा को भी रखने का आदेश दिया (बुख़ारी-मुस्लिम) फिर आप ने फ़रमायाः 10 मुहर्रम का रोज़ा तो रखो लेकिन यहूदियों के रोज़ा रखने के तरीक़ा की मुख़ालिफ़त करो। 10 मुहरर्म से पहले (9 को भी) रोज़ा रखो, या 10 के बाद भी एक रखो (अहमद, बैहक़ी) यानी यहूद एक दिन रखते हैं और तुम दो दिन रखो, इस प्रकार उन की मुख़ालिफ़त हो जायेगी। इस हदीस से मालूम हुआ कि केवल 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखना सुन्नत है। इसी हदीस की रोशनी में कुछ उलमा का कहना है कि नौ मुहर्रम को "आशूरा" कहा जाता है, लेकिन जमहूर उलमा 10 मुहर्रम को ही आशूरा मानते हैं।

बाब {आशूरा के दिन के रोजे रखने की फ़ज़ीलत का बयान।}

613:– इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना (हिजरत कर के) आये तो देखा कि यहूदी लोग 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। इस पर आप ने उन लोगों से पूछाः आज के दिन क्यों रोज़ा रखते हो? उन्होंने उत्तर दियाः इसी दिन अल्लाह पाक ने मूसा और बनी इस्राईल को फ़िर्औन से नजात दी थी और उस को डुबो दिया था, इसलिये (इस दिन) मूसा ने शुक्र का रोज़ा रखा था और हम लोग भी इसीलिये रखते हैं। इस पर आप ने फ़रमायाः हम तुम लोगों से अधिक मूसा अलै॰ के निकट हैं और उन के मित्र हैं। फिर आप ने उस दिन रोज़ा रखा और सहाबा को भी रखने का आदेश दिया।

फ़ाइदा:– फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद की मुख़ालिफ़त में एक दिन पीछे या आगे एक और रोज़ा बढ़ा लेने का हुक्म दिया। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि आप ने फ़रमायाः हम नौ मुहर्रम का भी रोज़ा रखेंगे, लेकिन अगला वर्ष आने से पूर्व ही आप देहान्त कर गये (मुस्लिम, अबू दावूद) अहमद की रिवायत में है कि आप ने

फ़रमायाः अगर में अगले वर्ष तक जीवित रहा तो मुहर्रम की नवीं तारिख़ को अवश्य ही रोज़ा रखूँगा (अहमद) फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुये तो आप ने फ़रमायाः अब जो चाहे इस रोज़े को रखे और चाहे न रखे (हदीस न॰ 611)

614:– अबू यज़ीद के पुत्र उबैद ने बयान किया कि मैंने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ की ज़बानी सुना तो उन से आ़शूरा के रोज़े के बारे में पूछा तो उन्होंने बतायाः मैं नहीं जानता कि फ़ज़ीलत के कारण इस दिन के अ़लावा और किसी दिन रोज़ा रखा हो, और फ़ज़ीलत के कारण रमज़ान के अ़लावा और किसी महीने का रोज़ा रखा हो।

फ़ाइदाः– कहने का अर्थ यह है कि दिनों में सब से फ़ज़ीलत और बड़ाई वाला दिन 10 मुहर्रम का है, और महीनों में रमज़ान का महीना।

बाब {जिस ने आ़शूरा के दिन कुछ खा–पी लिया वह बाक़ी दिन कुछ न खाये।}

615:– मु-अ़व्वज़ बिन अ़फ़रा की पुत्री रुबय्यिय ने बयान किया कि एक मर्तबा 10 मुहर्रम (आ़शुरा) की सुब्ह को मदीना के आस-पास अन्सार लोगों की बस्ती में आप ने कहला भेजा कि आज के दिन जिस ने रोज़ा रखा है वह अपना रोज़ा पूरा करे, लेकिन जिसने सुब्ह दिन में कुछ खा–पी लिया है (और रोज़ा नहीं रखा है) वह अब दिन के बाक़ी बचे हिस्से को (कुछ न खा कर रोज़ा की तरह) पूरा करे। चुनान्चे हम स्वँय रोज़ा रखते और अपने छोटे बच्चों को भी अल्लाह के हुक्म से रखवाते और मस्जिद (नमाज़ अदा करने के लिये) जाते थे। (बच्चों को बहलाने के लिये) रुई की गुड़िया बना कर रख लेते, और जब कोई (प्यास आदि से) रोने लगता तो उसे वही गुड़िया खेलने के लिये दे देते (वह खेलने में लग जाता) इतने में इफ़तार करने का समय हो जाता।

फ़ाइदाः– यानी महिला, पुरुष, बच्चे सभी यह रोज़ा रखते थे। यानी इस दिन का रोज़ा रखंने का बड़ा ताकीदी हुक्म था, जो लगभग फ़र्ज़ के हुक्म में था। लेकिन यह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होनें से पहले की बात है। अब यह रोज़ा रखना केवल सुन्नत है। रखेगा तो सवाब पाएगा और नहीं रखेगा तो कोई हरज की भी बात नहीं। अगर कोई रखना चाहे तो हदीस न॰ 613 के "फ़ाइदा" की रोशनी में यहूद की मुख़ालिफ़त में नौ या ग्यारह को भी रखे। इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ का कहना है कि केवल 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना (और इस केआगे या पीछे का एक रोज़ा न रखना) मक्रूह है, और यही सहीह मस्अला है। मुस्लिम शरीफ़ की रिवायत में हैं कि इस दिन रोज़ा रखने से एक साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं (मुस्लिम–किताबुस्सियाम)

बाब {शाबान के रोज़े का बयान।}

616:– अबू सलमा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान है कि मैं ने आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के रोज़ों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कभी इतना रोज़ा रखते कि हम कहने लगते

आप ने बहुत दिनों तक रोज़ा रखा, और आप जब इफ़तार करते (रोज़ा नहीं रखते) तो हम कहने लगते आप ने बहुत दिनों तक रोज़ा नहीं रखा। मैं ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जितना अधिक रोज़ा शाबान के महीने में रखते देखा, उतना और किसी महीने में रखते नहीं देखा। गोया आप पूरा शाबान महीना रोज़ा रखते थे।

बाब {शबान महीना के पहले दो पखवाड़ों में रोज़ा रखने का बयान।}

617:– अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मुझ से (या किसी और सहाबी से) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पूछाः क्या तुम ने शाबान महीना के आरंभ के दिनों के रोज़े रखे हैं? उन्होंने कहाः नहीं। इस पर आप ने फ़रमायाः जब तुम इफ़तार कर लेना (यानी रमज़ान के रोज़े मुकम्मल कर लेना) तो दो दिन के रोज़े रख लेना।

फ़ाइदाः– उसामा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! (क्या बात है कि) मैं आप को शाबान के महीने में जितने अधिक दिन रोज़े रखते देखता हूँ उतना और किसी महिना में नहीं देखता। आप ने फ़रमायाः रजब और रमज़ान के दर्मियान यह एक ऐसा महीना है जिस की फ़ज़ीलत और बड़ाई से लोग ग़ाफ़िल हैं। यह महीना ऐसा है कि इस में लोगों के आमाल अल्लाह की तरफ़ उठाए जाते हैं, इसलिये मैं चाहता हूँ कि मेरा अ़मल उठाया जाये (यानी अल्लाह के सामने पेश हो) उस समय मैं रोज़े की हालत में रहूँ। (अबू दावूद नसई, इब्ने खुज़ैमा) शाबान के महीना में अधिक रोज़ा रखने का एक फ़ाइदा यह हो जाता है जिस से रमज़ान का रोज़ा रखने में कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जो कोई शाबान के रोज़े रखे वह शाबान के अन्त के दो–चार रोज़े न रखे ताकि शाबान और रमज़ान के रोज़े एक साथ मिल न जायें।

बाब {रमज़ान के बाद शव्वाल के छः रोज़े रखने का बयान।}

618:– अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो व्यक्ति रमज़ान के रोज़े रखे और उस के साथ शव्वाल के भी छः रोज़े रखे तो उस को हमेशा के रोज़े का सवाब मिलेगा।

फ़ाइदाः– अर्थात पूरेवर्ष के रोज़ों का सवाब मिलेगा। एक रिवायत में है कि जिस ने अ़ीद के बाद के छः रोज़े रखे उस ने साल भर के रोज़े रखे, इसलिये कि जो व्यक्ति एक नेकी करता है उसे दस गुना सवाब मिलता है (अहमद, नसई, इब्ने माजा)

इन रोज़ों को अ़ीद के अगले दिन (2 शव्वाल) से लगातार रखा जा सकता है और पूरे माह में अलग–अलग कर के भी। यह रोज़े किस प्रकार रखे जायें? हदीस में कोई तफ़सील नहीं है, लेकिन एक साथ लगातार रखने की जो अहमियत है वह स्पष्ट है। इसीलिये इमाम शाफ़अी का फ़तवा है कि लगातार रखना अफ़ज़ल है, और यही मुझे भी पसन्द है। लेकिन अगर कोई अलग–अलग क़िस्तों में रखना चाहे तो रख सकता है।

बहरहाल इस माह के रोज़े रखने से रमज़ान के रोज़ों में जो कमी रह गयी होगी, उस कमी की पूर्ति भी हो जाती है।

बाब {ज़िल हिज्जा माह की दस्वीं को रोज़ा न रखने का बयान।}

619:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जिल हिज्जा के दस दिनों में रोज़े से नहीं देखा।

फ़ाइदाः– यह आ़इशा रज़ि॰ की भूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रोज़े रखे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी हफ़सा रज़ि॰ से रिवायत है कि चार रोज़े आप कभी नहीं तर्क करते थे (1) दस मुहर्रम (आ़शूरा) का रोज़ा (2) ज़िल हिज्जा के पहले दहे के रोज़े (3) हर माह के तीन रोज़े (13, 14, 15 के, जिसे बीज़ के रोज़े कहा जाता है) (4) फ़ज्र की दो सुन्नतें (अहमद, नसई) बहर हाल ज़िल् हिज़्जा के पहले देह के नौ दिन के रोज़ों की बड़ी फ़ज़ीलत आयी है। 10 को तो रोज़ा रखना हराम है क्योंकि वह ई़द का दिन है, और अ़रफ़ा के दिन (यानी 9 ज़िल हिज्जा को) केवल हाजियों के लिये रोज़ा रखना मना है ताकि हज्ज के अर्कान अदा करने में कमज़ोरी न आ जाये। हाँ, जो हज्ज को नहीं गये हैं वह इस दिन अवश्य ही रखें, क्योंकि यह दिन बड़ी फ़ज़ीलत का है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः 9 ज़िल हिज्जा के दिन का रोज़ा दो वर्ष के गुनाहों का कफ़्फ़ारा है। एक बीते वर्ष का, दूसरे आने वाले वर्ष का (मुस्लिम, अबू दावूद, नसई, अहमद, इब्ने माजा–अबू क़तादा)

इस बाब का खुलासा यह है कि ज़िल् हिज्जा के पहले दहे के रोज़े रखने की बड़ी फ़ज़ीलत है। अल्बत्ता 10 को ई़द के दिन रोज़ा न रखे, और हाजी अ़रफ़ा के दिन (9 को) रोज़ा न रखे। हाँ और दूसरे ग़ैर हाजी अवश्य ही रखें।

बाब {अ़–र–फ़ात के दिन के रोज़े का बयान।}

620:– अबू क़तादा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगाः आप किस प्रकार रोज़ा रखते हैं? यह प्रश्न सुन कर आप नाराज़ हो गये। इसी दर्मियान जब उमर रज़ि॰ ने आप का गुस्सा देखा तो कहने लगेः हम अल्लाह पाक के माबूद होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के संदेष्टा होने पर राज़ी हैं, और हम अल्लाह और उस के सन्देष्टा की नाराज़गी से पनाह माँगते हैं। उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ बार–बार इस वाक्य को दोहराते रहे यहाँ तक कि आप का गुस्सा थम गया। फिर उन्होंने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! जो व्यक्ति हमेशा रोज़ा रखता है उस का रोज़ा कैसा है? आप ने फ़रमायाः (उस का रोज़ा ऐसा है कि) उस ने न रोज़ा रखा और न इफ़तार किया। फिर पूछाः जो दो दिन रोज़ा रखता है और एक दिन इफ़तार करता है (रोज़ा नहीं रहता है) उस का रोज़ा कैसा है? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने

फ़रमायाः इतनी ताक़त किस के पास है (और अगर है तो इस प्रकार रोज़ा रखना दुरुस्त है) फिर पूछाः अगर एक दिन रोज़ा रखता है और एक दिन नहीं रखता है उस का यह रोज़ा कैसा है? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरी भी यही इच्छा है (कि इस प्रकार रोज़े रखूँ) अगर मेरे अन्दर अतनी ताक़त हो। इस के बाद आप ने फ़रमायाः हर माह में तीन रोज़े रखना और रमज़ान के रोज़े, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक, यह हमेशा के रोज़े रखने के समान हैं (सवाब में) और अ़रफ़ा के दिन रोज़े रखना, अल्लाह की ज़ात से मुझे आशा है कि यह एक साल पहले और एक साल पिछले के गुनाहों का कफ़्फ़ारा हैं। और आ़शूरा (दस मुहर्रम) के दिन रोज़े रखने से मुझे अल्लाह की ज़ात से आशा है कि एक वर्ष के गुनाह माफ़ हो जायेंगे।

फ़ाइदाः– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम प्रश्न कर्ता पर इसलिये नाराज़ हुये कि उस ने उल्टा-सीधा प्रश्न किया। उसे यूँ प्रश्न करना चाहिये था कि मैं किस प्रकार रोज़े रखूँ? इस हदीस से अ़रफ़ः (यानी 9 ज़िल् हिज्जा) के दिन रोज़ा रखने की फ़ज़ीलत साबित हुयी। अबू क़तादा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अ़रफ़ह के दिन का रोज़ा अगले और पिछले (दो वर्षों) के गुनाहों का कफ़्फ़ारा होता है (अबू दावद, इब्ने माजा, अहमद) लेकिन यह हुक्म हाजियों को छोड़ कर हज्ज न करने वालों के लिये हैं, क्योंकि हाजी के लिये इस दिन रोज़ा रखना मना है।

इस मस्अले में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं हैं। स्वँय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज्ज के दिनों में अ़रफ़ः का रोज़ा नहीं रखा है। हारिस के पुत्री उम्मे फ़ज़्ल रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़रफ़ह दिन ऊँट पर सवार थे आर मैं ने दूध का प्याला दिया तो आप ने पी लिया (देखें नीचे हदीस न॰ 621) मैमूना रज़ि॰ ने भी अ़रफ़ह के दिन दूध दिया तो आप ने पी लिया। मालूम हुआ कि हाजी इस दिन रोज़ा न रखे, लेकिन जो लोग हज्ज नहीं कर रहे हैं, उन के लिये इस दिन रोज़ा रखना बहुत बड़े सवाब का काम है।

बाब {अ़रफ़ात के मैदान में हाजियों को अ़रफ़ह का रोज़ा नहीं रखना चाहिये।}

621:– हारिस की पुत्री उम्मे फ़ज़्ल रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मेरे पास आ कर कुछ लोग इस बात को लेकर परस्पर झगड़ने लगे कि क्या अ़रफ़ात के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रोज़े से हैं या नहीं हैं। किसी ने कहा कि आप रोज़े से हैं तो किसी ने इन्कार किया। चुनान्चे मैं ने दूध का एक प्याला आप की सेवा में भेजा। उस समय आप ऊँट पर बैठे हुये थे, और आप ने उसे पी लिया।

फ़ाइदाः– मालूम हुआ कि हाजी अ़रफ़ह के दिन नौ ज़िल हिज्जा का रोज़ा न रखे। मैमूना रज़ि॰ और उमैर रज़ि॰ जो उम्मे फ़ज़्ल के आज़ाद किये हुये गुलाम हैं से भी इसी प्रकार रिवायत है (मुस्लिम-किताबुस्सौम)

बाब {ओ़ीदुल फ़ित्र और ओ़ीदुल् अज़्हा के दिन भी रोज़ा रखना मना है।}

622:– अबू उबैद के गुलाम अबू अज़्हर से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि ओ़ीद के दिन मैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ के साथ (ओ़ीदगाह) आया, चुनान्चे आप ने आ कर ओ़ीद की नमाज़ पढ़ाई और खुत्बा देते हुये फ़रमायाः कि इन दो दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने से मना फ़रमाया है। आज का दिन तो रमज़ान के बीत जाने के बाद तुम्हारे इफ़्तार का दिन है, और दूसरा दिन वह है जिस में तुम अपनी कुर्बानी का माँस खाते हो। (यानी 10 ज़िल हिज्जा का दिन)

फ़ाइदा:– इस मस्अले में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं है। इन दो दिनों में रोज़ा रखना हराम है। चाहे वह रोज़ा नफ़्ली हो या नज्र और कफ़्फ़ारा का, या क़ज़ा का, या किसी और प्रकार का। इमाम नौवी रह॰ ने इस पर उलमा का इजमाअ़ कहा है। अबू सओ़ीद खुदरी रज़ि॰ से भी रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इन दिनों में रोज़ा रखने से मना फ़रमाया है (बुख़ारी, अबू दावूद, तिर्मिज़ी, बैहक़ी)

बाब {तश्रीक़ (यानी 11, 12, 13 ज़िल् हिज्जा) के दिनों में भी रोज़ा रखना मना है।}

623:– नुबैशा हुज़ल्ली रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तश्रीक़ के दिन खाने-पीने के दिन हैं (इसलिये इन दिनों में रोज़े न रखो)

फ़ाइदा:– इस मस्अ़ला में भी उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। चाहे वह नज़र का रोज़ा हो या नफ़्ली रोज़ा, या क़ज़ा का हो या कोई और। नज़र के रोज़े का अर्थ यह है कि किसी ने नज़र मानी कि ज़ैद जिस दिन घर आयेगा उस दिन मैं रोज़ा रखूँगा। इत्तिफ़ाक़ से ज़ैद, ओ़ीद के दिन आया, तो इस दिन नज़र का रोज़ा भी न रखा जाये।

ज़ियाद बिन जुबैर ने बयान किया कि एक व्यक्ति ने इब्ने उमर रज़ि॰ से फ़तवा पूछा कि मैं ने रोज़ा रखने की नज़र मानी थी, इत्तिफ़ाक़ से वह दिन ओ़ीद का पड़ गया तो क्या उस ओ़ीद के दिन मैं नज़र के रोज़े रखूँ? उन्होंने उत्तर दियाः अल्लाह तआ़ला ने नज़र को पूरा करने का हुक्म दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस दिन रोज़ा रखने से मना फ़रमाया है (मुस्लिम किताबुस्सौम) ज़ाहिर है कि अल्लाह के हुक्म में इजमाल है और नबी के हुक्म में तफ़सील है। इजमाल की तफ़सील नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बयान कर दी। अहमद और दारु क़ुतनी की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा रज़ि॰ को यह संदेश देकर भेजा कि वह मिना के मैदान में जा कर एलान कर दें कि इन दिनों में कोई रोज़ा न रखे, इसलिये कि यह दिन खाने-पीने और अल्लाह को याद करने के हैं (अहमद, दारुक़ुत्नी)

लेकिन बुख़री की रिवायत में आइशा और इब्ने उमर रज़ि० से रिवातय है कि जिन के कुर्बानी के जानवर नहीं हैं वह इन दिनों में रोज़ा रख सकते हैं। चुनान्चे आइशा रज़ि० और हिशाम के पिता उर्वा रज़ि० भी इन दिनों में रोज़ा रखा करते थे (बुख़ारी–सौम का बाब) चुनान्चे चन्द सहाबा और कुछ उलमा ने जाइज़ कहा है। हाफ़िज़ इब्ने हजर रह० "फ़तहुल् बारी" में लिखते हैं कि हदीसों में कोई टक्राव नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज्जे–तमत्तो करने वाला (जिस के पास कुर्बानी का जानवर न हो) तशरीक़ के रोज़े रख सकता है और दूसरे हाजी नहीं। इस प्रकार दोनों हदीसों में टकराव समाप्त हो गया। मौलाना मुबारक पूरी रह० ने भी "तोहफ़तुल् अहवज़ी" में यही लिखा है।

फिर 'तशरीक़' में भी इख़्तिलाफ़ है। इस का अर्थ है "धूप दिखाना, सुखाना" हाजी लोग कुर्बानी का माँस 11, 12, 13 को धूप में सुखाते थे, फिर अपने घरों को ले जाते थे। कुछ उलमा केवल 11, 12 मानते हैं। लेकिन सहीह यही है कि 3 दिन हैं और इन तीनों दिनों में कुर्बानी जाइज़ है।

बाब {पीर (सोमवार) के दिन रोज़ा रखना कैसा है?}

624:– अबू क़तादा अन्सारी रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पीर के दिन रोज़ा रखने के बारे में प्रश्न किया गया तो आप ने फ़रमायाः मैं इसी दिन पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर पहली वह्यि भी उतरी।

फ़ाइदाः– इस हदीस को अहमद और तिर्मिज़ी ने भी रिवायत किया है। आइशा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सोमवार और जुमेरात का इन्तिज़ार करते और उस दिन रोज़ा रखते (अहमद, नसई, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, अबू दावूद) अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सोमवार और जुमेरात के दिन कर्म पत्र (आमाल नामा) अल्लाह के सामने पेश किया जाता है, इसलिये मैं चाहता हूँ कि जब मेरा आमाल नामा पेश हो उस समय मैं रोज़े से रहूँ (अहमद, तिर्मिज़ी)

इस हदीस से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जिन–जिन दिनों में रोज़ा रखते थे उन दिनों में रखना बिला शुब्हा जाइज़ है। बाक़ी अपनी इच्छा से कोई दिन ख़ास कर के न रखे।

बाब {केवल जुम्अः के दिन रोज़ा रखना मना है।}

625:– अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई व्यक्ति केवल जुमा को ख़ास कर के उस दिन रोज़ा न रखे, मगर यह कि उस से पहले या उस के बाद भी रोज़ा रखे।

626:– अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई व्यक्ति जुमा की रात को और रातों के मुक़ाबले में इबादत के लिये

ख़ास न करे और न जुमा के दिन को और दिनों के मुक़ाबले में रोज़ा के लिये ख़ास करे, मगर यह कि बराबर रोज़ा रखने की वजह से उस में जुमा का दिन भी आ जाये।

फ़ाइदाः– इमाम बुख़ारी ने भी यही हदीस जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह, रज़ि॰ के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी जुवैरिया से रिवायत की है (देखें–किताबुस्सौम–जुमा के दिन रोज़ा रखने का बाब) जुवैरिया रज़ि॰ की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास जुमा के दिन आये तो मैं रोज़ा से थी। आप ने पूछाः जुमेरात को रखा था? मैं ने उत्तर दियाः नहीं। आप ने पूछाः सनीचर को रखने का इरादा है? मैं ने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः फिर तुम रोज़ा तोड़ दो। मालूम हुआ कि केवल जुमा ही के दिन रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं। कुछ उलमा इस मिंनाही को मक्रुह के माना में लेते हैं।

बाब {हर महीना तीन दिन रोज़े रखने का बयान।}

627:– मआ़ज़ा अ़दविय्या से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से पूछाः क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हर महीना में तीन रोज़े रखते थे? उन्होंने उत्तर दियाः दिन का कोई ख़याल नहीं करते थे, किसी भी दिन रख ले थे।

फ़ाइदाः– इस बारे में कुछ हदीसों में ख़ास दिनों का भी ज़िक्र है, और कुछ में 13, 14, 15 का ज़िक्र है। अबू ज़र रज़ि॰ की रिवायत में है "अगर तुम महीने में 3 रोज़े रखो तो 13, 14, 15 को रखो (अहमद, नसई, तिर्मिज़ी) आ़इशा रज़ि॰ की हदीस में है कि आप एक माह सनीचर, इतवार और सोमवार को रखते और अगले माह मंगल, बुध और जुमेरात को रखते (तिर्मिज़ी)

इन हदीसों के आधार पर हर महीना तीन रोज़े रखना इस पर सभी का इत्तिफ़ाक़ है, लेकिन दिन में इख़्तिलाफ़ है। हाफ़िज़ इब्ने हजर रह॰ ने उलमा के 10 क़ौल नक़ल किये हैं। इमाम शाफ़ई रह॰ हर माह की 13, 14, 15 मुराद लेते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ का फ़तवा है कि किन्ही तीन दिनों में रख सकते हैं, लेकिन 13, 14, 15 को रखना मुस्तहब है। अ़ल्लामा शौकन लिखते हैं कि हर माह की 13, 14, 15 को रोज़ा रखना सुन्नत है, इस के अ़लावा एक माह में सनीचर, इतवार और सोमवार को, और दूसरे माह में 13, 14, 15 के अ़लावा मंगल, बुध, जुमेरात को भी रखना सुन्नत है। गोया हर छः रोज़े रखने सुन्त हैं (नैलुल् औतार, भाग 4, पृष्ठ 216)

बाब {लगातार (बिला नागा) रोज़ा रखना मना है।}

628:– अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ के पुत्र अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को यह सूचना मिली कि मैं लगातार रोज़े रखता हूँ और समस्त रात्र नमाज़ें पढ़ता हूँ। फिर आप ने किसी को मेरे पास भेजा (या में स्वँय आप से मिला) तो आप ने मुझ से पूछाः मुझे सूचना मिली है कि तुम

लगातार रोज़े रखते हो और पूरी रात इबादत में बिताते हो? तो ऐसा न करो, क्योंकि तुम्हारी आँखों का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारी ज़ात का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारी पत्नी का भी तुम पर हक़ है। इसलिये तुम रोज़ा भी रखो, नमाज़ भी पढ़ो और न भी पढ़ो और सोओ भी। हर दिन में एक रोज़ा रख लिया करो, तुम्हें इस एक रोज़े के बदले नौ रोज़ों का सवाब मिलेगा।

यह सुन कर मैं ने कहाः मैं अपने अन्दर इस से भी अधिक की ताक़त पाता हूँ। आप ने फ़रमायाः फिर तुम दावूद अ़लै॰ के रोज़ों की तरह रोज़ा रखा करो। मैं ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! वह किस प्रकार रोज़ा रखते थे? आप ने फ़रमायाः वह एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे, और जब दुश्मन से मुडभीड़ हो जाती तो कभी (जिहाद से) नहीं भागते थे। इस पर मैं ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! दुश्मन से मुक़ाबला के समय न भागना मेरे भाग्य में कहाँ है (यह बड़ी हिम्मत की बात है) इस के बाद हदीस के रावी (अ़ता) ने कहाः मैं नहीं जानता कि हमेशा रोज़ों का ज़िक्र क्यों आया और आप ने फ़रमायाः जिस ने बिला नाग़ा (लगातार) रोज़े रखे उस ने रोज़ा रखा ही नहीं, जिस ने हमेशा रोज़ा रखा, उस ने रोज़ा रखा ही नहीं, जिस ने हमेशा रोज़ा रखा उस ने रोज़ा रखा ही नहीं।

फ़ाइदाः– इमाम बुख़ारी रह॰ की हदीस भी सुन लीजिये "अ़म्र बिन आ़स के पुत्र अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मेरे रोज़ों के बारे में मालूम हुआ तो आप स्वँय मेरे पास आये तो मैं ने खजूर का छाल भरा हुआ गद्दा आप के लिये बिछा दिया, लेकिन आप ज़मीन पर ही बैठ गये और गद्दा मेरे और आप के बीच में रखा रह गया। आप ने फ़रमायाः क्या हर माह के तीन रोज़े तुम्हारे लिये काफ़ी नहीं? मैं ने हाः ऐ अल्लाह के रसूल (मेरे अन्दर इस से अधिक रखने की ताक़त है) आप ने फ़रमायाः तो फिर हर माह पाँच रोज़े रख लिया करो। मैं मे कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! (और अधिक) आप ने फ़रमायाः तो फिर सात रोज़े। मैं ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल (और अधिक) आप ने फ़रमायाः तो फिर नौ रोज़े। मैं ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल (और अधिक) आप ने फ़रमायाः तो फिर ग्यारह। फिर आप ने फ़रमायाः (देखो!) दावूद अ़लै॰ के रोज़ों से बढ़ कर कोई रोज़ा नहीं है, इसलिये एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन न रखो" (बुख़ारी–बाबु सौमे दावूद) बुखारी ही की दूसरी रिवायत में हैः "तुम्हारी आँखें धँस जायेंगी, तुम कमज़ोर हो जाओगे, जिस ने हमेशा रोज़ा रखा उस ने रोज़ा ही नहीं रखा।" (बुख़ारी)

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को पै दर पै (लगातार) रोज़ा रखने की अनुमति दी है। इस से मुराद यह है कि दस–पन्द्रह दिन लगातार रोज़े रखो, फिर उतने ही दिन न रखो। पूरे वर्ष लगातार रखनेकी अनुमति नहीं दी है। इस फ़र्क़ को अच्छी तरह समझ लें। जिन लोगों ने इस फ़र्क़ को नहीं समझा है उन्होंने इसी हदीस को तर्क बना कर जाइज़ होने का फ़तवा दिया है। बहरहाल मालूम हुआ कि हमेशा–लगातार

रोज़े रखना जाइज़ नहीं। एक रिवायत में तो यहाँ तक है कि आप ने फ़रमायाः जिस ने हमेशा रोज़ा रखा उस पर जहन्नम इस प्रकार तन्ग कर दी गयी है, फिर आप ने अपनी दोनों हथेलियों को एक में मिला कर भेंचा (अहमद-रावी अबू मूसा अंश्अ़री रज़ि॰)

बाब {रोज़ों में सब से अफ़्ज़ल रोज़ा दावूद अ़लै॰ का है कि एक दिन रोज़ा से रहो और एक दिन बिला रोज़ा के।}

629:- अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ के पुत्र अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह के नज़्दीक हर प्रकार के रोज़ों में सब से प्यारा रोज़ा दावूद अ़लै॰ का है और नमाज़ों में भी अल्लाह के नज़्दीक सब से प्यारी नमाज़ दावूद अ़लै॰ की है। वह आधी रात तक सोते फिर उठ कर एक तिहाई रात तक इबादत करते और फिर रात के छठे हिस्से में (तहज्जुद पढ़ कर) सो जाते। और एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन बिला रोज़ा के रहते थे।

फ़ाइदा:- कुछ उलमा का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जिन दिनों में (जैसे ई़दैन, तश्रीक़ के दिन वग़ैरह) रोज़ा रखने से मना फ़रमाया है उन दिनों को छोड़ कर अगर कोई पूरे वर्ष लगातार (बिला नाग़ा किये) रोज़ा रखना चाहे तो रख सकता है। मगर यह भी शर्त है कि अपने, बीवी-बच्चों और दूसरे के हक़ अदा करने में कोई कमी न आये। इसी प्रकार रोज़ी-रोटी में भी कमी न आये। इमाम शाफ़अ़ी रह॰ का यही फ़तवा है। अर्गचे हदीस की रोशनी में इस की गुन्जाइश है, लेकिन सौमे-दावूद के होते हुये इन झमेलों में पड़ने की कोई आवश्यक्ता नहीं।

बाब {किसी ने नफ़्ली रोज़ा रखने की रात में निय्यत कर ली, सुब्ह को उठ कर इफ़्तार कर लिया (ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या हुक्म है?}

630:- आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास आये और पूछाः तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मैं ने उत्तर दियाः नहीं। आप ने फ़रमायाः तो फिर आज मैं रोज़े से हूँ। फिर किसी और दिन तश्रीफ़ लाये तो मैं ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आज मेरे पास "हीस" हदिया में आया है। आप ने फ़रमायाः लाओ देखूँ, मैं तो सुब्ह से रोज़े से था। फिर आप ने उसे खाया (और नफ़्ली रोज़ा तोड़ दिया)

फ़ाइदा:- इस हदीस से कई मस्अ़ले मालूम हुये। जिस प्रकार फ़र्ज़ रोज़ा के लिये निय्यत अनिवार्य है उसी प्रकार नफ़्ली रोज़े के लिये भी निय्यत ज़रुरी है। फ़र्ज़ रोज़े की निय्यत फ़ज्र से पहले होनी चाहिये, लेकिन नफ़्ली रोज़े की निय्यत दिन में भी की जा सकती है (सूरज ढलने से पहले तक) हालाँकि सूरज ढलने से पहले की शर्त हदीस में नहीं हैं, लेकिन जमहूर उलमा का यही कहना है। यह भी मालूम हुआ कि नफ़्ली रोज़ा तोड़ देना और कुछ खा लेना भी दुरुस्त है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

नफ़ली रोज़ा रखने वाले की मिसाल उस व्यक्ति की सी है जो अपने माल में से सदक़ा निकालता है। चाहे तो वह सदक़ा निकाले या न निकाले।" (इसलिये कि सदक़ा निकालना फ़र्ज़ नहीं है) (नसई) इसी प्रकार चाहे तो नफ़ली रोज़ा रखे और चाहे तो न रखे। रखेगा तो सवाब पायेगा और न रखेगा तो कोई गुनाह भी नहीं। जब नफ़ली रोज़ा तोड़ने पर गुनाह नहीं, तो ज़ाहिर है उस पर क़ज़ा और कफ़्फ़ारा भी नहीं।

'हीस' उस खाना को कहते हैं जो खजूर, पनीर और घी आदि डाल कर बनाया जाता है। यह खाने में बड़ा स्वादिष्ट (मज़ेदार) होता है।

रोज़ा से संबन्धित बाब संपन्न हुआ, लेकिन कुछ मसाइल अभी ऐसे रह गये हैं जिन्हें संक्षिप्त में बयान कर देना अनिवार्य है जैसे :-

★नया चाँद देख कर यह दुआ पढ़नी चाहियेः

अल्लाहुम्म अहिल्लहू अ़लैना बिल् युम्नि वल् ईमानि वस्सला-मति वल् इस्लामि रब्बी व-रब्बु-कल्लाहु (तिर्मिज़ी)

★रोज़ा खोलते समय यह दुआ पढ़नी चाहियेः

ज़-ह-बज़्ज़म-आओ वब्-तल्लतिल् उरुक़ु व-स-ब-तल् अज्रु इन् शा-अल्लाहु (अबू दावूद-इब्ने उमर, हदीस सहीह है)

★"अल्लाहुम्म ल-क सुम्तु" वाली हदीस जो अबू दावूद में हैं वह ज़ओ़फ़ है। ★किसी को इफ़तार करवा देने का सवाब एक रोज़ा रखने के बराबर है (तिर्मिज़ी-ख़ालिद जोहनी) ★हैज़-निफ़ास की हालत में रोज़ा रखना महिला के लिया मना है, पाक हो जाने के बाद उन की क़ज़ा करे, लेकिन नमाज़ की क़ज़ा माफ़ है (बुख़ारी-अबू सओ़द खुदरी, अबू ज़नाद) ★दूध पिलाने वाली भी बाद में क़ज़ा करे (अहमद, अबू दावद, नसई, इब्ने माजा-अनस बिन मालिक) ★बादल की वजह से इफ़तार कर लिया, लेकिन बाद में सूरज निकल आया तो उस दिन के रोज़ा की क़ज़ा करे (इब्ने माजा-अबू बक्र की पुत्री अस्मा) ★दातून करने से रोज़ा मक्रुह नहीं होता (बुख़ारी-आ़मिर बिन रबीआ़) ★सर में तेल लगाने, आँख में सुर्मा लगाने, कान में तेल डालने, दाल का नमक चख से रोज़ा नहीं टूटता। ★बीमारी की सूई बदन में रोज़े की हालत में लगवाना जाइज़ है, अल्बत्ता ताक़त की सूई नहीं (फ़तावा इब्ने बाज़) ★जानबूझ कर कै करने से रोज़ा टूट जाता है (अबू दावूद, इब्ने माजा-अबू हुरैरा) ★महिला बिना पति की अनुमति के नफ़ली रोज़े न रखे (बुख़ारी-अबू हुरैरा) ★केवल सनीचर के दिन रोज़ा रखना मना है (इब्ने खुज़ैमा-सम्मा रज़ि॰) सनीचर का दिन चूँकि यहूद-नसारा की ओ़द का दिन है इसलिये इस की मुख़ालिफ़त करनी चाहिये। अगर कोई रखना ही चाहे तो 10 मुहर्रम की तरह एक दिन पहले या बाद के भी रखे।★

आज 16 फ़रवरी 2005, बुधवार की रात इस बाब का तर्जुमा संपन्न हुआ -अल-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आ-लमीन। ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी-अद्दारुस्सलफ़िया, मुंबई।

❀ ❀ ❀

किताबुल् एतिकाफ़ि
(एतिकाफ़ के मसाइल का बयान)

नोटः— 'एतिकाफ़' का अर्थ है "अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ लेना और वहाँ से न हटना।" चूँकि एक व्यक्ति अपने-आप को मस्जिद में इबादत के लिये रोक लेता है, लोगों से संपर्क तोड़ लेता है इसलिये इसे "एतिकाफ़" कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रमज़ान के अन्तिम दहे में हर वर्ष एतिकाफ़ में बैठते थे। सहाबा और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नियाँ भी बैठती थीं, इसलिये महिला-पुरुष सभी के लिये यह कार्य सुन्नत है। पुरुष के लिये अनिवार्य है कि वह मस्जिद में बैठे। अगर रमज़ान में बैठ रहा है तो रोज़ा से होना अनिवार्य है। अगर और महीनों में बैठ रहा है तो इस के लिये रोज़ा शर्त नहीं। महिला भी मस्जिद में बैठ सकती है, लेकिन इस के लिये घर के कोने में भी बैठना जाइज़ है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः महिलाओं के घर नमाज़ पढ़ने के लिये मस्ज़िदों से बेहतर हैं (अबू दावूद) तो फिर एतिकाफ़ में भी बैठने के लिये बेहतर स्थान घर ही हैं।

बाब {जो व्यक्ति एतिकाफ़ करना चाहे वह कब बैठे?}

631:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब एतिकाफ़ में बैठने का इरादा करते तो सुब्ह (फ़ज्र) की नमाज़ पढ़ कर बैठने के स्थान पर पहुँच जाते। एक मर्तबा आप ने (मस्जिदे-नबवी) में तंबू तानने का हुक्म दिया। चुनान्चे वह तान दिया गया तो ज़ैनब रज़ि॰ ने भी अपने लिये लगाने को कहा। चुनान्चे उन के लिये भी लगा दिया गया। इस के बाद और दूसरी पत्नियों ने भी कहा तो उन सब के लिये भी स्थान घेर दिया गया। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ कर उन सब ख़ेमों को देखा तो फ़रमायाः क्या इन लोगों ने नेकी के इरादे से ख़ेमे लगवाए हैं? (यानी ज़ैनब की देखा-देखी किया है) फिर आप ने अपने ख़ेमे के बारे में फ़रमाया कि इसे खोल दिया जाये और उस रमज़ान में एतिकाफ़ करने का इरादा छोड़ दिया, फिर (रमज़ान के समाप्ति के बाद) शव्वाल के पहले देहे में एतिकाफ़ किया।

फ़ाइदाः— सौकनों के बीच परस्पर कुछ न कुछ चलता ही रहता है। ज़ैनब रज़ि॰ ने

ख़ेमा लगवाया तो उन की देखा-देखी और दूसरी सौकनों ने भी रीस में लगवा लिये। ज़ाहिर है इन की निय्यतें साफ़ नहीं थीं। मालूम हुआ कि आवश्यक्ता पड़ने पर एतिकाफ़ के इरादे को बदला जा सकता है। और रमज़ान के अतिरिक्त महीनों में भी रखा जा सकता है। कुछ उलमा एतिकाफ़ के लिये रोज़ा शर्त नहीं मानते। लेकिन दिल यही कहता है कि बिला रोज़े के एतिकाफ़ में रुहानियत और ख़ूबी नहीं पाई जायेगी, इसलिये एतिकाफ़ करने वाला रोज़ा भी रखे। अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम और इमाम इब्ने तैमिया रह॰ इसी को तर्जीह देते हैं। (ज़ादुल मआ़द, भाग प्रथम)

बाब {पहले और दूसरे देह में एतिकाफ़ करने का बयान।}

632:- अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रमज़ान के पहले देह तुर्की के बने एक तंबू में एतिकाफ़ किया, फिर दूसरे देह में भी एतिकाफ़ किया। उस कुब्बे से निकलने के दर्वाजे में एक चटाई (पर्दे और आड़ के लिये) लगी हुयी थी। चुनान्चे आप ने (एतिकाफ़ की हालत में) चटाई को हटा कर एक कोने में कर दिया फिर अपना सर बाहर निकाल कर मुझ से बात-चीत की। रावी कहते हैं कि मैं भी आप के निकट आ गया तब आप ने फ़रमायाः मैं ने पहले देह में एतिकाफ़ कर के उस रात (यानी क़द्र वाली रात) को ढूँढ़ा। फिर मैं ने बीच के देह का भी एतिकाफ़ किया, तो एक फ़रिश्ते ने आकर सूचित किया कि वह रात तो अन्तिम देहे में है, इसलिये जो अन्तिम दहे में एतिकाफ़ करना चाहे करे। इसलिये सहाबा ने भी आप के साथ अन्तिम दहे में एतिकाफ़ किया। फिर आप ने फ़रमायाः मुझे उस रात को ताक़ रात में दिखाया गया है और मैं उस रात की सुब्ह को पानी और कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ। चुनान्चे आप ने 21 वीं की पूरी रात इबादत में गुजारी। उसी रात वर्षा हुयी जिस से मस्जिद टपकने लगी और मस्जिद में पानी और कीचड़ मैं ने देखा। फिर जब आप सुब्ह को नमाज़ पढ़ कर निकले तो उस समय आप की पेशानी और नाक पर कीचड़ लगा हुआ था, यह रात रमज़ान के अन्तिम देह की 21वीं रात थी।

फ़ाइदा:- बुख़ारी की रिवायत, मुस्लिम की इस रिवायत से अधिक स्पष्ट है। अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बीच के देह में एतिकाफ़ फ़रमाया करते थे। चुनान्चे बीसवीं रात बीत कर 21 वीं आ जाती तो आप शाम को अपने घर चले जाते और दूसरे सहाबा भी जो आप के साथ एतिकाफ़ में होते वह भी (एतिकाफ़ समाप्त कर के) अपने-अपने घर चले जाते। लेकिन एक रमज़ान में ऐसा हुआ कि (बीच के देहे का एतिकाफ़ पूरा कर के) 21 वीं रात को जब घर लौटे तो उस रात भी एतिकाफ़ ही की हालत में रहे। और जो कुछ अल्लाह पाक ने चाहा लोगों को ख़ुत्बा में हुक्म दिया, फिर फ़रमायाः मैं ने बीच के दहे का एतिकाफ़ तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन मेरा जी चाहता है कि इस अन्तिम दहे में भी एतिकाफ़ करुँ। इसलिये मेरे साथ जितने लोग एतिकाफ़ में बैठे थे वह भी मेरे साथ एतिकाफ़ में रहें। मुझ को

क़द्र वाली रात दिखाई गयी थी लेकिन फिर भुला दी गयी, अब उसे अन्तिम दहे में ढूँड़ो और हर ताक़ रात में ढूँड़ो। और मैं ने यह भी देखा था कि उस (क़द्र वाली) रात में कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ। चुनान्चे उसी 21 वीं रात को वर्षा हुयी, जिस से जहाँ आप नमाज़ पढ़ा करते थे वहाँ छत टपकने लगी, चुनान्चे जब आप फ़ज्र की नमाज़ पढ़ कर लौटे तो मैंने देखा कि आप के चेहरे पर कीचड़ लगा हुआ है।

मुस्लिम और बुख़ारी की इस हदीस से मालूम हुआ कि उस रमज़ान में क़द्र वाली रात 21वीं रात को थी।

बाब {रमज़ान के अन्तिम देह में एतिकाफ़ करने का बयान।}

633:– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने देहानत तक अन्तिम दहे में एतिकाफ़ फ़रमाते रहे, फिर आप के बाद आप की पत्नियों ने भी एतिकाफ़ किया।

फ़ाइदा:– अभी ऊपर हदीस न॰ 632 में मालूम हुआ के आप ने पहले और दूसरे दहे में भी एतिकाफ़ किया। इस का अर्थ यह है आरंभ में आप ने हर दहे में एतिकाफ़ किया, लेकिन बाद में केवल अन्तिम दहे में एतिकाफ़ को मामूल बना लिया था। इस प्रकार हदीस में कोई टकराव नहीं।

बाब {अन्तिम दहे में अधिक इबादत और दुआ़यें करने का बयान।}

634:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की यह आ़दत थी कि जब रमज़ान का अन्तिम दहा आता तो पूरी रात जागते और घर वालों को भी जगाते और (पूरा दहा) भरपूर इबादत और (नेकी हासिल करने की) कोशिश में बिताते।

बाब {क़द्र वाली रात को अन्तिम दहे में तलाश करने का बयान।}

635:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: क़द्र की रात को रमज़ान के अन्तिम दहे में खोजो। और अगर इस में कमज़ोरी और कठिनाई महसूस हो तो अन्तिम सात रातों में (बिल्कुल) सुस्ती न करो।

फ़ाइदा:– आ़इशा रज़ि॰ से एक और रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रमज़ान के अन्तिम दहे में इतनी अधिक इबादत करते थे कि उतनी और दिनों में नहीं करते थे (मुस्लिम)

बाब {क़द्र वाली रात 21वीं रात को भी हो सकती है।}

नोट:– इस रात से संबन्धित हदीस जो अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है ऊपर गुज़र चुकी है–देखें हदीस न॰ 632

बाब {क़द्र वाली रात (अन्तिम दहे की) 23वीं रात को भी हो सकती है।}

636:– अ़ब्दुल्लाह बिन उनैस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझे (सपने में) क़द्र वाली रात दिखाई गयी, फिर मैं उसे भूल गया (लेकिन इतना याद है कि) यह देखा कि उस रात की सुब्ह को मैं कीचड़ और मिट्टी में सज्दा कर रहा हूँ। अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने बयान किया कि हमारे ऊपर 23वीं रात को वर्षा हुयी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (सुब्ह की) नमाज़ पढ़ा कर (हम लोगों की तरफ़) मुड़े तो आप की पेशानी और नाक पर कीचड़ लगा हुआ था। अ़ब्दुल्लाह बिन उनैस रज़ि॰ 23 वीं रात को क़द्र वाली रात मानते थे।

बाब {क़द्र वाली रात को 25वीं, 27वीं और 29वीं रातों में तलाश करो।}

637:– अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक मतर्बा रमज़ान के बीच के दहे में क़द्र वाली रात को तलाश करते हुये एतिकाफ़ किया (यह उस समय की बात है जब आप को सपने में नहीं दिखाई गयी थी) लेकिन जब बीच का दहा समाप्त हो गया तो एतिकाफ़ वाले ख़ेमे को खोल देने का हुक्म दिया। फिर आप के जी में आया कि वह रात अन्तिम दहे में हो सकती है इसलिये पुनः ख़ेमा लगाने का हुक्म दिया। चुनान्चे दोबारा लगा दिया गया (और एतिकाफ़ में बैठ गये) फिर ख़ेमे से बाहर निकल कर फ़रमायाः ऐ लोगों! मुझे क़द्र वाली रात दिखाई गयी तो तुम लोगों को सूचित करने के लिये बाहर निकला, लेकिन इसी दर्मियान दो व्यक्ति परस्पर झगड़ते हुये नज़र आये जिन के साथ शैतान भी था, इसलिये (उन को समझाने लगा और इसी दर्मियान) उस क़द्र वाली रात को भूल गया। तो अब उस रात को रमज़ान के अन्तिम दहे में तलाश करो और 9वीं, 7वीं और 5वीं रातों में ढूँढ़ो। हदीस के रावी ने बयान किया कि मैं ने अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से पूछाः क्या आप हम लोगों से अधिक गिन्ती जानते हैं? उन्होंने कहाः ज़रुर, हम लोगों से अधिक जानते हैं। तो मैं ने पूछाः यह 9वीं, 7वीं और 5वीं से क्या अर्थ है? उन्होंने कहाः 21वीं रात बीत जाने के बाद जो 22वीं रात आती है वही मुराद है 9वीं से। और 23वीं बीत जाने के बाद जो 24वीं रात आती है सातवीं से वही रात मुराद है। और 25वीं रात बीत जाने के बाद जो 26वीं रात आती है पाँचवी से वहीं मुराद है।

फ़ाइदा:– परस्पर झगड़ा करने वाले दोनों सहाबी का नाम क–अ़ब बिन मालिक अन्सारी रज़ि॰ और अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ज्रा रज़ि॰ था।

638:– ज़िर बिन हुबैश रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने उबय्यि बिन क–अ़ब अन्सारी रज़ि॰ से पूछाः कि आप के भाई अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ का कहना है कि क़द्र वाली रात को केवल वही व्यक्ति पाएगा जा पूरे वर्ष की रोतों में जागेगा। यह सुन की उबय्यि रज़ि॰ बोलेः अल्लाह पाक उन पर रहमत करे, इस प्रकार कहने का उन का उद्देश्य यह था कि लोग केवल एक ही रात पर भरोसा कर के न बैठ जायें

(बल्कि पूरे वर्ष की रातों में इबादत करें) और वह अच्छी तरह जानते थे कि क़द्र वाली रात रमज़ान के अन्तिम दहे की 27 वीं रात है। चुनान्चे (उन को इतना भरोसा था कि) वह बिना इन शा-अल्लाह कहे क़सम खा कर कहते थे कि क़द्र वाली रात 27वीं रमज़ान की है। इस पर मैं ने उन से पूछा भी कि ऐ इब्ने मुन्ज़ुर! आप ऐसा दावा क्यों करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि इस प्रकार यक़ीन के साथ दावा इसलिये करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें क़द्र वाली रात की एक निशानी बताई थी कि उस रात की सुब्ह को जब सूरज निकलता है तो उस में चमक नहीं होती है (लेकिन यह बात वह रात बीत जाने के बाद मालूम होती है)

फ़ाइदाः– क़द्र वाली रात का अध्याय संपन्न हुआ। क़द्र वाली रात का ज़िक्र कुरआन मजीद में भी आया है। उस नाम की एक सूरः भी नाज़िल हुयी है। आख़िर वह रात है कौन सी? और उस रात को किन रातों में तलाश किया जाये? इस बारे में सहाबा और इमामों के दर्मियान हमेशा से इख़्तिलाफ़ चला आ रहा है। ऊपर की अहादीस में भी सहाबा ने अपने-अपने तौर पर अलग-अलग रातों का ज़िक्र किया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर रह॰ ने अपनी पुस्तक बुख़ारी की शरह "फ़त्हुल बारी" में उलमा के 46 क़ौल नक़ल किये है। इस से मालूम हुआ कि क़द्र वाली रात हमेशा एक ही रात नहीं होती है, बल्कि हर वर्ष बदलती रहती है। लेकिन इस मस्अले में उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि रमज़ान के इन्तिम दहे की ताक़ रातों में से कोई रात होती है। अल्लाह तआ़ला ने इस रात के बारे में स्पष्ट इसलिये नहीं किया कि बन्दे उस की खोज में समस्त रातों में जाग कर इबादत करें। इस की मिसाल ऐसे हैं कि जुमा के दिन एक समय ऐसा आता है कि बन्दा उस समय जो भी अल्लाह से दुआ़ करेगा वह उसे स्वीकार करेगा (बुख़ारी, मुस्लिम) लेकिन उस घड़ी को भी अल्लाह पाक से स्पष्ट नहीं किया ताकि उस घड़ी की खोज में अधिक से अधिक समय इबादत में बिताए। इस प्रकार के और भी उदाहरण मिलेंगे। हनफ़ी लोग जो केवल 27वीं ही को जागते हैं, वह इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ की ऊपर बयान हदीस की रोशनी में ऐसा करते हैं। लेकिन यह केवल दिल बहलाने वाली बातें है। हक़ीक़त यह है कि यह रात हर वर्ष बदलती रहती है। अल्लाह बेहतर जाने।

★क़द्र वाली रात में यह दुआ़ पढ़नी सुन्नत हैं :

अल्लाहुम्म इन्न-क अ़फ़ुव्वुन् तुहिब्बुल् अ़फ़्-व फ़ाफ़ु अ़न्नी (ऐ मेरे मौला! तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करना पसन्द करता है, इसलिये मुझे माफ़ कर दे।) (बुख़ारी)।

एतिकाफ़ के लिये एक दहा शर्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्तिम दिनों में 20 दिन का एतिकाफ़ फ़रमाया (बुख़ारी, मुस्लिम)

★ एतिकाफ़ के लिये फ़ज्र की नमाज़ के बाद बैठना चाहिये (अबू दावूद, इब्ने माजा) ★

एतिकाफ करने वाले से बात-चीत की जा सकती है और वह मस्जिद से बाहर भी निकल सकता है। सफ़िय्या रज़ि॰ बयान करती हैं कि में एतिकाफ़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आयी और आप से बातें करती रही। फिर जब उठ कर जाने लगी तो मुझे छोड़ने के लिये मस्जिद से बाहर आ गये (बुख़ारी मुस्लिम) ★ एतिकाफ़ की हालत में पत्नी से संभोग हराम है (सूरः बक़रः187) पाख़ाना, पेशाब, स्नान और वुज़ू करने के लिये घर में जा सकता है। आइशा रज़ि॰ हैज़ से होती और आप अपने सर को हुजरे में कर देते फिर वह उसे धो देतीं और कंघी कर देतीं (बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दावूद) ★ एतिकाफ़ की हालत में इधर-उधर की दुनियावी और अनावश्यक बातें न करे (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) ★ बीमार को देखने, जनाज़ा में शरीक होने की अनुमति है। पत्नी बिना पति की अनुमति के एतिकाफ़ नहीं कर सकती है। हैज़ की हालत में भी नहीं कर सकती। अल्बत्ता 'इस्तहाज़ा' की हालत में कर सकती है जैसा कि ज़ैनब रज़ि॰ ने किया है। (बुख़ारी, अबू दावूद, नसई, इब्ने माजा) ★ एतिकाफ़ की हालत में लेन-देन और तिजारत से संबन्धित मामलात से भी दूर रहे और इस सिलसिले में बात-चीत न करे। ★ एतिकाफ़ की हालत में स्नान करने में कोई हरज नहीं। ★ एतिकाफ़ की हालत में केवल नमाज़ ही न पढ़े, बल्कि कुरआन की तिलावत, ज़िक्र, तस्बीह के साथ दीनी पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं, इस में कोई हरज की बात नहीं।

किताबुल् हज्जि
(हज्ज के मसाइल का बयान)

नोटः– हज्ज, इस्लाम का पाँचवाँ रूक्न (स्तंब) है। पूरे जीवन में एक बार उस की अदायगी फ़र्ज़ है। कुरआन पाक में अल्लाह पाक ने फ़रमायाः "जो अल्लाह के घर तक पहुँचने की ताक़त रखता हो उस पर अल्लाह का यह हक़ बनता है कि उस का हज्ज करे" (आले इम्रान–97) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर हैं, उन में एक बैतुल्लाह शरीफ़ का हज्ज भी करना है (बुख़ारी, मुस्लिम) यक केवल जीवन में एक बार फ़र्ज़ है, लेकिन अगर दोबारा हज्ज करने की नज़र मान ले तो उस के नज़र मानने की वजह से उस के लिये पुनः हज्ज करना अनिवार्य है (नैलुल् औतार) हज्ज ऐसे व्यक्ति पर फ़र्ज़ है जो मुसलमान हो, बालिग़ हो, पागल न हो, स्वतन्त्र हो, काबा तक पहुँचने की ताक़त रखता हो। महिला पर भी पुरुष की तरह हज्ज फ़र्ज़ है, लेकिन इस के लिये यह शर्त है कि उस के हज्ज के सफ़र में उस का पति या उस का ऐसा संबन्धी उस के साथ हो जिस से उस महिला का निकाह हराम है। जिसे शरीअत की परिभाषा में "महरम" कहा जाता हैं।

हज्ज के फ़र्ज़ करने का उद्देश्य यह है कि समस्त राष्ट्र के मुसलमान तौहीद के केन्द्र बैतुल्लाह के पास एकत्र होकर तौहीद का एलान व इक़रार करें और समस्त मुल्क के लोगों को दावत दें, तौहीद की तरफ़ बुलायें और स्वँय इब्राहीम व इस्माईल अलै॰ की तरह जीवन यापन करने का संकल्प लें और सौगंध खायें।

बाब {हज्ज पूरे जीवन में एक मर्तबा फ़र्ज़ है।}

639:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमे संबोधित करते हुये फ़रमायाः ऐ लोगों! तुम पर हज्ज फ़र्ज़ हो चुका है, इसलिये हज्ज करो। यह सुन कर किसी सहाबी ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! क्या हर वर्ष (हज्ज करना फ़र्ज़ है) आप उन का प्रश्न सुन कर ख़ामोश रहे, लेकिन उन्होंने तीन मतर्बा यही प्रश्न दोहराया, तो आप ने फ़रमायाः अगर मैं हाँ कह देता तो हर वर्ष करना फ़र्ज़ हो जाता और हर वर्ष तुम लोगों

के बस का था नहीं। इसलिये तुम लोग मुझे उतनी ही बात पर छोड़ दो जितनी कह कर मैं छोड़ दूँ (अधिक न कुरेदो) इसलिये कि पहले के लोग इसी कारण हलाक हुये कि उन्होंने अपने संदेष्टाओं से बहुत अधिक प्रश्न किये और उन की बातों पर अ़मल नहीं किया। इसलिये जब मैं तुम लोगों को किसी बात का आदेश दूँ तो भरसक उस पर अ़मल करो, और जब किसी बात से मना करुँ तो उसे न करो।

फ़ाइदा:– मालूम हुआ कि हज्ज पूरे जीवन में एक मर्तबा फ़र्ज़ है, लेकिन अगर कोई हज्ज करने की नज़र माने तो उस पर पुनः हज्ज अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि नज़र और मन्नत पूरी करना अनिवार्य है। आप ने सहाबी को प्रश्न करने से मना फ़रमाया। इस प्रकार अकारण प्रश्न करने की यहूदियों की आ़दत थी। मूसा अ़लै॰ ने उन्हें गाय ज़ब्ह करने का हुक्म दिया। इस का अर्थ यह हुआ कि कोई गाय जो आसानी से मिल जाये ज़ब्ह कर डालो। लेकिन यहूद ने प्रश्न पर प्रश्न करने आरंभ कर दिये। गाय कैसी हो? उस की आयु क्या हो? वह किस रंग की हो? उस से काम लिया गया हो या नहीं? उस की दुम कैसी हो? उस का सींग कैसा हो? आदि। इस प्रकार जैसे-जैसे प्रश्न करते गये स्वँय अपने ऊपर पाबन्दियाँ लगवाते गये। अन्ततः तबाह-बर्बाद हो गये। (सूरःबक़रः68 ता 72)

बाब {हज्ज और उम्रा करने के सवाब का बयान।}

640:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक उम्रा, दूसरे उम्रा करने तक के दर्मियान के गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन जाता है, और हज्जे-मबरुर का बदला जन्न्त के अ़लावा और कुछ नहीं।

फ़ाइदा:– 'हज्जे-मबरुर' उसे कहते हैं जो अल्लाह के दर्बार में कुबूल हो जाये। और जो हज्ज अल्लाह के दर्बार में कुबूल हो गया उस व्यक्ति के भाग्य में जन्नत है। इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हज्ज और उम्रा करते रहा करो (यानी इन्हें बार-बार करो) क्योंकि यह मुहताजी-ग़रीबी और गुनाहों को इस प्रकार दूर कर देते हैं जिस प्रकार आग की भट्ठी सोने-चाँदी और लोहे के मैल-कुचैल को दूर कर देती है (अहमद, अबू दावूद, तिर्मिज़ी)

641:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने बैतुल्लाह शरीफ़ आ कर बेहूदा कार्य और बातें न कीं और न कोई गुनाह का कार्य किया, वह (हज्ज के बाद) इस हाल में लौटेगा गोया उस की माँ ने उसे अभी जना है।

फ़ाइदा:– अर्थात जिस प्रकार बच्चा गुनाहों से पाक होता है इसी प्रकार हाजी भी पाक और पवित्र हो जाता है। (बुख़ारी-1521-अबू हुरैरा) अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः जिस पर हज्ज फ़र्ज़ हो चुका है उसे जान लेना चाहिये कि हज्ज के दौरान गाली-गुलूच, लड़ाई-झगड़ा और बुरी आ़दत व कार्य नहीं होना चाहिये" (सूरःबक़रः197) इसलिये इन सब कार्यों के

करने से हज्ज की रुहानियत और उस का उद्देश्य "तक़्वा" (अल्लाह का ख़ौफ़, डर) समाप्त हो जाता है और ऐसा हज्ज अल्लाह के दर्बार में स्वीकार नहीं होता है।

बाब {हज्जे अब्कर (सब से बड़े हज्ज) के मौक़े पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का आदेश}

642:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अन्तिम हज्ज से पहले वाले जिस हज्ज में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ को अमीर बना कर भेजा था, उस हज्ज में उन्होंने मुझे एक गरोह के साथ यह आदेश देकर भेजा कि नह्र (कुर्बानी) के दिन जा कर यह एलान कर दो कि इस वर्ष के बाद अब कोई मुश्रिक हज्ज करने नहीं आ सकता और न ही कोई नन्गा होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकता है।

फ़ाइदा:– यह आप के अन्तिम हज्ज से पहले वाले वर्ष के हज्ज के मौक़े की घटना है। उस हज्ज का अमीर अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ को बना कर भेजा था और कुर्बानी के दिन एलान करने का आदेश दिया था। इस के तुरन्त ही बाद हजरत अ़ली रज़ि॰ को सूरः तौबा की आरंभ की दस आयतें पढ़ कर सुनाने के लिये भेजा कि सुलह हुदैबिय्या में जो मुआ़हिदा हुआ था उसे तुम मुश्रिकों ने तोड़ डाला है इसलिये हमारे-तुम्हारे दर्मियान अब कोई अनुबंध बाक़ी नहीं रहा, अब इसे तोड़ने की सज़ा भुगतने के लिये तय्यार हो जाओ। विस्तार से जानकारी के लिये सूरः तौबा का शाने-नुज़ूल पढ़ें।

इस हदीस से मालूम हुआ कि उस पवित्र भूमि पर किसी मुश्रिक का गुज़र नहीं और न ही नन्गे होकर हज्ज करना जाइज़ है। मैं ने अपने बचपने में कहीं पढ़ा था कि भारत के प्रधान मन्त्री जवाहर लाल नेहरु ने एक मर्तबा शाह सऊद से अनुरोध किया था कि मुझे बैतुल्लाह को देखने का अवसर दिया जाये लेकिन शाह ने उन का अनुरोध ठुकरा दिया।

बाब {अ़रफ़ह के दिन की फ़ज़ीलत का बयान।}

643:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह तआ़ला अ़रफ़ह (यानी नौवीं ज़िल हिज्जा) के दिन इतना अधिक बन्दों को आग से नजात देता है जितना किसी और दिन नहीं देता। अल्लाह तआ़ला उस दिन बन्दों से निकट हो कर उन का हाल देखता है फिर बड़े फ़ख़ (गर्व) से फ़रिश्तों से पूछता है: मेरे यह बन्दे किस इरादे से एकत्र हुये हैं?

फ़ाइदा:– 9 ज़िल हिज्जा को अ़रफ़ा का दिन कहा जाता है, क्योंकि उस दिन हाजी मिना से अ़रफ़ा आते हैं और यहाँ ठहरते हैं। यह दिन हज्ज का बहुत अहम दिन है। जो हाजी यहाँ नहीं ठहरा उस का हज्ज ही नहीं हुआ। 9 तारीख़ को सूरज ढलने के बाद से 10 तारीख़ की सुब्ह तक यहाँ ठहरना फ़र्ज़ है। इस मस्अले में तमाम उम्मत का इत्तिफ़ाक़

है। यह दिन बड़ी बर्कतों वाला है। इस दिन बन्दा जो भी जाइज़ दुआ करता है अल्लाह पाक कुबूल फ़रमाता है। अबू तल्हा अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अरफ़ह के दिन से अधिक शैतान कभी गुस्सा के मारे लाल-पीला हो कर भागता नहीं देखा गया, क्योंकि इस दिन अल्लाह तआ़ला की रहमत नाज़िल होती है और वह अपने बन्दों के गुनाहों को माफ़ फ़रमाता है (तिर्मिज़ी-तल्हा अन्सारी रज़ि॰) चुनान्चे हाजी लोगों को छोड़ कर और लोगों के लिये इस दिन रोज़ा रखना बड़े सवाब का काम है। हाजी के लिये आज के दिम रोज़ा रखना जाइज़ नहीं।

बाब {हज्ज आदि की यात्रा के लिये जब सवारी पर सवार हो तो क्या पढ़े?}

644:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कहीं सफ़र में जाने के लिये अपने ऊँट पर सवार होते तो तीन मर्तबा "अल्लाहु अक्बर" कहते, फिर यह दुआ पढ़ते:

> **सुब्हा-नल्लज़ी सख़्ख़-र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनी-न, वइन्ना इला रब्बिना लमुन्-क़लिबू-न**
>
> (वह अल्लाह पाक है जिस ने इस जानवर को हमारे अधीन कर दिया (अगर वह ऐसा न करता तो) हम उस जानवर को क़ाबू में नहीं कर सकते थे। और हम अपने पर्वरदिगार के पास लौट जाने वाले हैं)
>
> **अल्लाहुम्म इन्ना नस्-अलु-क फ़ी स-फ़रिना हाज़ाल् बिर वत्तक़्वा वमि-नल् अ़-मलि मा तर्ज़ा+ अल्लहुम्म हव्विन् अ़लैना स-फ़-रना हाज़ा वत्वि अ़न्ना बो-दहू+ अल्लाहुम्म अन्-तस्साहिबु फ़िस्स-फ़रि वल्-ख़ली-फ़तु फ़िल्-अह्लि+अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि-क मिन् वासाइस्स-फ़रि व-क़आ-बतिल् मन्-ज़रि वसूइल् मुन्-क़-लबि फ़िल् मालि वल्-अह्लि**
>
> (ऐ अल्लाह! हम तुझ से अपनी यात्रा के दौरान नेकी और प्रहेज़गारी माँगते हैं और ऐसे काम का सवाल करते हैं जिसे तू पसन्द करे+ऐ अल्लाह! हम पर इस यात्रा को सरल बना दे उस की दूरी को हम पर समेट दे+ ऐ अल्लाह! तू ही हमारे सफ़र में हमारा साथी है और घर में हमारा ख़लीफ़ा है+ ऐ अल्लाह! हम सफ़र की तक्लीफ़ों और परेशानियों व कठिनाइयों से, अपने माल में और अपने घर वालों में बुरे हाल में लौट कर आने से तुझ से पनाह माँगते हैं)

और जब यात्रा कर के घर वापस लौटते तो भी यही (ऊपर की) दुआ पढ़ते, लेकिन इस में इतना और अधिक पढ़ते:

आबिदू-न लि-रब्बिना हामिदू-न
(हम लौटने वाले हैं और तौबा करने वाले हैं और ख़ास अपने रब की इबादत करने वाले और उसी की प्रशंसा करने वाले हैं)

बाब {महिला अगर हज्ज के लिये यात्रा करे तो अपने निकट संबन्धी के साथ करे।}

645:- अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो महिला अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखती है उस केलिये जाइज़ नहीं कि वह अपने पिता या बेटा या पति, या भाई या कोई ऐसा रिश्तेदार जिस से पर्दा न हो को साथ लिये बिना तीन दिन या इस से अधिक दिन की यात्रा (अकेले) करे।

646:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वह महिला जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखती है उस के लिये जाइज़ नहीं कि वह महरम (यानी जिस से निकाह हराम हो) को साथ लिये बिना एक दिन की यात्रा अकेले करे।

647:- नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के चचा अ़ब्बास रज़ि॰ के पुत्र अ़ब्दुल्लाह (इब्ने अ़ब्बास) रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को खुत्बा में फ़रमाते सुना कि कोई पुरुष, किसी महिला के साथ एकांत में न बैठे, और न कोई महिला बिना किसी महरम रिश्तेदार को साथ लिये (अकेली) यात्रा करे। यह सुन कर एक सहाबी खड़े होकर कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मेरी पत्नी हज्ज करना चाहती है और मेरा नाम फ़लाँ जिहाद के लिये लिखा जा चुका है (तो पत्नी क्या करे?) आप ने फ़रमायाः जाओ और अपनी पत्नी को लेकर हज्ज करो।

फ़ाइदा:- जिस प्रकार हज्ज पुरुष पर फ़र्ज़ है इसी प्रकार महिला पर भी फ़र्ज़ है। हज्ज के फ़र्ज़ होने के लिये जो शर्तें पुरुष के लिये हैं वही महिला के लिये भी हैं, लेकिन महिला की शर्तों में एक शर्त और अधिक है कि उस के साथ हज्ज के सफ़र में उस का अपना सगा संबन्धी हो जिस से पर्दा न हो और उस से निकाह भी हराम हो (जिसे शरीअ़त की परिभाषा में "मरहम" कहा जाता है) कितने दिन की यात्रा में मरहम का साथ होना अनिवार्य है? एक रिवायत में एक दिन और रात (24 घन्टा) की यात्रा का ज़िक्र है (बुख़ारी-अबू हुरैरा) एक रिवायत में केवल एक रात का ज़िक्र है (मुस्लिम, अहमद) तीसरी रिवायत में तीन दिन और तीन रात का ज़िक्र है (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) ऊपर इब्ने अ़ब्बास की रिवायत में केवल सफ़र का ज़िक्र है (हदीस 647)

इमाम मालिक और शाफ़अ़ी का कहना है कि ऊपर की हदीसें हज्ज के सफ़र के तअ़ल्लुक़ से नहीं हैं, बल्कि और दूसरे दुनियावी सफ़र के तअ़ल्लुक़ से हैं, इसलिये अगर रास्ता सुरक्षित है तो किसी भी शरीफ़ महिला के साथ हज्ज के लिये जा सकती है। लेकिन

जमहूर उलमा का कहना है कि हर प्रकार की यात्रा के लिये महिला के साथ उसका महरम रिश्तेदार होना शर्त है। वर्ना महिला के ऊपर से हज्ज साक़ित (माफ़) है। इमाम तैमिया रह॰ भी महिला के हज्ज के लिये सफ़र में महरम रिश्तेदार या पति की शर्त को नहीं मानते हैं। उन के निकट अगर महिला का कोई महरम संबन्धी नहीं है, या है लेकिन वह ले जाने को तय्यार नहीं है, तो ऐसी सूरत में वह महिला जिस पर हज्ज फ़र्ज़ है ईमानदारी, सुरक्षा, सावधानी और होशियारी के साथ यात्रा कर के हज्ज के फ़र्ज़ को अदा कर ले। लेकिन तमाम उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि हज्ज के अ़लावा और दीगर प्रकार की यात्रा जाइज़ नहीं। (सुबुलुस्सलाम भाग 12)

लेकिन सच्ची बात यह है कि मक्का के निकट के नगरों के लिये तो ऐसा माना जा सकता है, लेकिन भारत देश से एक महिला का तीन-चार हज़ार किलोमीटर अकेले जाना कई सप्ताह किरए के मकान में रहना, पचास लाख की भीड़ में घुस कर तवाफ़, व सई करना, अकेले कंकरियाँ मारना, वहाँ के नियमों को जानना और उन का पालन करना और सुरक्षित वापस आ जाना, क्या यह संभव है? विशेषरुप से आजकल के गंदे माहौल में। चाहे वह एक दिन रात की यात्रा हो या इस से अधिक की। बहरहाल यह मस्अला बहुत अहम है।

बाब {बच्चे के हज्ज के बारे में और जो उसे हज्ज कराए उस के सवाब के बारे में बयान।}

648:- इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि कुछ ऊँट सवार लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रौहा के स्थान पर मिले तो अप ने पूछाः तुम लोग कौन हो? उन्होंने उत्तर दियाः हम लोग मुसलमान हैं। फिर उन्होंने पूछाः आप कौन हैं? आप ने फ़रमायाः मैं अल्लाह का संदेष्टा हूँ। फिर एक महिला ने एक बच्चे को हाथों से ऊपर उठा कर कहने लगीः क्या इस का हज्ज सही है? आप ने फ़रमायाः हाँ, और उस (को हज्ज कराने) का सवाब तुम्हें भी मिलेगा।

फ़ाइदाः- इस मस्अले में सब का इत्तिफ़ाक़ है कि बच्चे पर हज्ज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर वह हज्ज करे तो उसे नफ़्ली हज्ज का सवाब मिलेगा, और जो उसे हज्ज करायेगा उसे हज्ज कराने का सवाब मिलेगा। जिस प्रकार कोई बच्चा नमाज़ पढ़ता है तो बिला शुब्हा उसे नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलता है। फिर उस के बालिग़ हो जाने केबाद उस पर हज्ज फ़र्ज़ हो जायेगा। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस बच्चे ने हज्ज किया और फिर वह बालिग़ हो गया तो उसे दोबारा हज्ज करना होगा (बचपन का हज्ज काफ़ी न होगा) (तबरानी) इस मस्अले में भी तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ ने बयान किया कि हम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ हज्ज किया उस समय हमारे साथ महिलाएँ और बच्चे भी थे, हम ने बच्चों की तरफ़ से स्वयँ लब्बैक पुकारा

और कंकरियाँ मारीं (अहमद, इब्ने माजा)

बाब {जो व्यक्ति इतना बूढ़ा हो कि हज्ज की यात्रा के लिये सवारी पर भी सवार हो कर बैठ न सकता हो उस की तरफ़ से हज्ज करना जाइज़ है।}

649:– अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के चचा अ़ब्बास रज़ि॰ के पुत्र फ़ज़्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठे हुये थे कि एक महिला आ कर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मस्अला पूछने लगी। फ़ज़्ल उस की तरफ़ देखने लगे और वह फ़ज़्ल को निहारने लगी। यह देख कर आप ने फ़ज़्ल का मुँह दूसरी ओर फेर दिया। उस महिला ने आप से यह मस्अला पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! जिस प्रकार अल्लाह ने हज्ज को अपने बन्दों पर फ़र्ज़ किया है, मेरे पिता जी पर भी फ़र्ज़ है, लेकिन वह इतने बूढ़े हो चुके हैं कि सवारी पर बैठ तक नहीं सकते, तो क्या मैं उन की तरफ़ से हज्ज कर सकती हूँ? आप ने फ़रमायाः हाँ। यह घटना अन्तिम हज्ज के समय की है।

फ़ाइदाः– इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई व्यक्ति धनवान हो, लेकिन इतना बूढ़ा और कमज़ारे हो कि स्वँय हज्ज के लिये यात्रा आदि नहीं कर सकता, तो उस की तरफ़ से उस का बेटा अथवा कोई हज्ज कर सकता है। इसी का नाम "हज्जे-बदल" है। इस के लिये यह शर्त है कि उस ने पहले अपनी तरफ़ से हज्ज कर लिया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक व्यक्ति को शिब्-रमा की तरफ़ से लब्बैक कहते सुना तो आप ने पूछाः यह कौन है? उस ने कहाः मेरा भाई है (जिस की तरफ़ से मैं हज्ज कर रहा हूँ) आप ने पूछाः क्या तूने अपनी तरफ़ से कर लिया है? उस ने कहाः नहीं। फ़रमायाः पहले तुम अपनी तरफ़ से करो, फिर शिबरुमा की तरफ़ से भी कर लेना। (अबू दावूद, नसई, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, इब्ने खुज़ैमा)

इमाम बुख़ारी रह॰ ने भी ऊपर की हदीस न॰ 649 को अपनी पुस्तक में ला कर यह मस्अ़ला निकाला है कि महिला, पुरुष की तरफ़ से और पुरुष, महिला की तरफ़ से हज्जे बदल कर सकता है (लिंग (जिन्स) के बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता) यह बात याद रहे कि किसी ने अपनी बीमारी से स्वास्थ पाने से निराश होकर किसी दूसरे से हज्ज करा लिया लेकिन बाद में स्वस्थ हो गया तो अब उस के लिये अपना हज्ज स्वँय करना अनिवार्य है। क्योंकि दूसरे से हज्ज उसी समय करा सकता है जबकि कभी भी स्वस्थ होने की संभावना न हो। इस की ओर विशेष ध्यान देने की ज़रुरत है।

बाब {हैज़ और निफ़ास वाली महिलायें एहराम किस प्रकार बाँधें?}

650:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि ज़ुल् हुलैफ़ा के स्थान पर (हज्ज की यात्राके दौरान) मुहम्मद बिन अबू बक्र के पैदा होने की वजह से अस्मा बिन्त उमैस (अबू बक्र की पत्नी) निफ़ास से हो गयीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम ने अबू बक्र से कहा कि उन से कह दो कि वह नहा-धो कर लब्बैक पुकारें।

फ़ाइदाः– 'एहराम' बाँधने का अर्थ है "हज्ज या उम्रा में दाख़िल होने की निय्यत करना।" यानी इस के बाद हज्ज की कार्यवाही आरंभ हो गयी। अब उस के लिये कुछ जाइज़ और हलाल कार्य हराम हो गये। हज्ज में दाख़िल होने की पहचान सफ़ेद चादर लपेट लेना होता है जो बिना सिला हुआ होता है। एहराम बाँधने से पहले स्नान करना ज़रुरी है। अगर हज्ज के इरादे से निकलने वाली महिला हैज़ या निफ़ास से भी हो और पाक न हुयी हो (उस का खून आना बन्द न हुआ हो) फिर भी वह एहराम बाँधने से पहले नहा ले।

यह घटना सुलह हुदैबिय्या के मौक़े की है। सन 9 हिज्री में आप हज्ज के लिये निकले थे कि रास्ता में रोक दिये गये थे। जुल् हुलैफ़ा, मदीना शरीफ़ से पाँच मील की दूरी पर एक स्थान का नाम है। वहीं पहुँच कर अबू बक्र की पत्नी के यहाँ मुहम्मद नामक बच्चा पैदा हुआ था और वह निफ़ास से हो गयीं थीं। वह भी हज्ज के इरादे से निकली थीं। अहमद, अबू दावूद, और इब्ने माजा की रिवायत में इतना और इज़ाफ़ा है कि आप ने उन से फ़रमायाः "स्नान कर लो, फिर शर्मगाह की जगह पर कपड़ा रख कर लंगोट बाँध लो।" बहरहाल सभी के लिये स्नान अनिवार्य है।

बाब {हज्ज और उम्रा का एहराम बाँधने के स्थान (मीक़ात) का बयान।}

651:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिये "जुल् हुलैफ़ा" और शाम मुल्क वालों के लिये "जोहफ़ा" नज्द वालों के लिये क़र्न" और यमन वालों के लिये "य-लमलम" मीक़ात (एहराम बाँधने का स्थान) सुनिश्चित फ़रमाया। यह मीक़ात उन लोगों के लिये तो हैं ही जो वहाँ रहते हैं, उन के लिये भी हैं जो हज्ज या उम्रा के इरादे से दूसरे मुल्कों से वहाँ पहुँचें। लेकिन जो उन मीक़ातों के अन्दर रहते हैं (जैसे स्वँय मक्का और उस के आस-पास रहने वाले) तो वह अपने-अपने घरों से एहराम बाँध लें, और मक्का वाले मक्का ही से (एहराम बाँध कर) लब्बैक पुकारें।

652:– अबू जुबैर ने बयान किया कि जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से एहराम बाँधने के स्थानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः मदीना वालों के लिये एहराम बाँधने का स्थान जुल् हुलैफ़ा है (जो मदीना से पाँच मील की दूरी पर है) और उन के लिये दूसरा रास्ता जोहफ़ा है। अ़िराक़ वालों के लिये "यलमलम" स्थान है।

फ़ाइदाः– (1) "जुल् हुलैफ़ा" इसे आजकल "अबयारे अ़ली" कहा जाता है। यह स्थान मदीना से पाँच मील और मक्का से लगभग 295 मील की दूरी पर है। (2) 'जोहफ़ा' यह

स्थान मक्का से 150 मील की दूरी पर है। (3) 'क़र्नुल मनाज़िल' इसे आजकल "सैल" भी कहा जाता है। यहस्थान मक्का से 50 मील की दूरी पर स्थिति है। (4) "इर्क़" जो इराक़ वालों के लिये है, यह "सैल" के उत्तर की ओर 77 मील की दूरी पर है। (5) 'यलमलम' इसे आजकल "सदायि" भी कहा जाता है। यह मक्का के ज़मीनी रास्ता से 60 मील की दूरी पर है। समुद्री रास्ता से आने वालों को यह "कामरान"दीप से 380 मील चलने के बाद मिलता है और जद्दा यहाँ से 75 मील रह जाता है।

यह मीक़ात न केवल ऊपर के मुल्कों के लिये हैं, बल्कि यह हर उस हाजी के लिये भी हैं जो इन रास्तों से होकर हज्ज और उम्रा के लिये मक्का आये। चुनान्चे मिस्र, लेबिया, अल् जज़ाइर, तूनिस, मराकश और पश्चिम की ओर से आने वालों के लिये मीक़ात "जोहफ़ा" है। और जावा, सुमात्रा, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान या दख़िखन की आरे के मुल्कों के लिये "यलमलम" मीक़ात है। अल्बत्ता जो लोग मीक़ात और मक्का के बीच में रहते हैं उन की मीक़ात उन का नगर ही है। वह लोग वहीं से एहराम बाँध कर निकलें।

हमारे मुल्क हिन्दुस्तान से हवाई जाहज़ से लोग हज्ज करने जाते हैं। इन के लिये एहराम बाँधने का स्थान 'यलमलम' है। चूँकि जहाज़ वहाँ रुकता नहीं और जहाज़ में उठ कर एहराम बाँधा नहीं जा सकता और न ही स्नान संभव है, इसी प्रकार इयरपोंट पर भी स्नान संभव नहीं है, इसलिये जहाँ ठहरे हैं वहीं से स्नान करके एयरपोर्ट पहुँचते हैं और वहीं पर एहराम बाँध कर जाहज़ पर बैठते हैं। फिर जहाज़ यलमलम के ऊपर से गुज़रता है तो लब्बैक पुकारते हैं। यह सब मजबूरी के नाते हैं।

बाब {एहराम बाँधने से पहले खुश्बू लगाना जाइज़ है (चाहे उस का प्रभाव स्नान के बाद भी बाक़ी रहे।)}

653:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एहराम बाँधा तो उन के एहराम पर खुश्बू मला, इसी प्रकार 'इफ़ाज़ा' के तवाफ़ से पहले आप के हलाल होने के लिये भी।

654:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि (जो मुश्क में ने आप के लगाई थी) गोया मैं उस की चमक (आज भी) आप की माँग में देख रही हूँ हालाँकि आप एहराम की हालत में थे।

फ़ाइदा:– एहराम की हालत में यह कार्य हराम हैं। (1) सर अथवा शरीर के किसी भी हिस्से के बाल काटना, मूँडना, नोचना, उखाड़ना (2) नाखून काटना (3) सिला हुआ कपड़ा पहनना (4) सर को ढकना (5) पाँव में मोज़ा, जुर्राब या ऐसा जूता पहनना जिस से टख़्ने ढक जायें (6) शरीर पर खुश्बू लगाना (7) दस्ताना पहनना (8) निकाह का संदेश देना (9) ज़ामीनी शिकार करना (10) संभोग करना (11) लड़ाई-झगड़ा करना आदि।

एहराम बाँधते समय खुश्बू लगाना जाइज़ है या नाजाइज़? इस मस्अले में इख़्तिलाफ़ है। कुछ उलमा ने नाजाइज़ कहा है और दलील में उमर रज़ि॰ की हदीस पेश करते हैं

कि आप ने खुश्बू लगे कपड़े को तीन मर्तबा धो कर पहनने का हुक्म दिया (बुख़ारी-1536, उमर बिन ख़त्ताब+1789) जमहूर उलमा जाइज़ मानते हैं अर्गचे खुश्बू का असर बाक़ी रहे। और दलील में आइशा रज़ि॰ की ऊपर की दोनों हदीसें पेश करते हैं (हदीस-653, 654) जमहूर का कहना है कि उमर रज़ि॰ की बुख़ारी वाली हदीस सन 8 हि॰ की है और आइशा रजि॰ की हदीस अन्तिम हज्ज के मौक़ा की सन 10 हि॰ की है, इसलिये यह हदीस उस को मन्सूख़ करती है। इब्ने उमर रज़ि॰ ने एहराम बाँधते समय खुश्बू न लगा कर सादा तेल लगाया तो इमाम नख़ई ने कहाः उन के खुश्बू से प्रहेज़ करने से हमें कुछ-लेना देना नहीं, जबकि हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की (ऊपर आइशा वाली) हदीस मौजूद है। मालूम हुआ कि एहराम बाँधते समय खुश्बू लगाना जाइज़ है, अर्गचे उस का असर (महक) कई दिन तक बाक़ी रहे।

बाब {मुश्क (कस्तूरी) सब से अच्छी खुश्बू है।}

655:- अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बनी इस्राईल की एक महिला का ज़िक्र किया जिस ने अपनी अन्गूठी में मुश्क भर रखा था। (आप ने फ़रमाया) मुश्क सब से बेहतरीन खुश्बू है।

बाब {ऊद और काफूर का बयान।}

656:- इमाम नाफ़े ने बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि॰ जब खुश्बू की धूनी लेते तो ऊद (लक्ड़ी) की लेते जिस में और कुछ नहीं मिलाते। या काफूर की धूनी लेते तो उस में ऊद (खुश्बूदार लक्ड़ी) डाल लेते, फिर कहते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी इसी प्रकार धूनी लेते थे।

बाब {रैहान (एक खुश्बूदार फूल) के बारे में बयान।}

657:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस को (उपहार में) खुश्बूदार घास दी जाये, या फूल दिया जाये तो उसे न लौटाए, क्योंकि उस को पास रखने में कोई बोझ नहीं पड़ता और उस की खुश्बू (महक) भी अच्छी होती है।

बाब {मस्जिद जुल्हुलैफ़ा से एहराम बाँधने का बयान।}

658:- सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने अपने पिता इब्ने उमर रज़ि॰ को बयान करते सुना वह कहते थे कि तुम्हारा "बैदा" यह वही स्थान है जिस के बारे में तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बारे में झूठ बाँधते हो (कि आप ने यहीं से एहराम बाँधा था, हालाँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मस्जिद जुल् हुलैफ़ा के निकट से (एहराम बाँध कर) लब्बैक पुकारा था।

फ़ाइदा:- बुख़ारी शरीफ़ की भी रिवायत में यही है (हदीस 1541-इब्ने उमर रज़ि॰) 'बैदा'

का अर्थ है "जन्गल और वीरान, उजाड़ स्थान।" यह स्थान मस्जिद के थोड़े फ़ासिले पर स्थिति है। इब्ने उमर रज़ि॰ यह कहना चाहते हैं कि आप ने मस्जिद के पास एहराम बाँधा और लब्बैक पुकारा। कुछ लोगों का कहना है कि आप ने बैदा के स्थान पर लब्बैक पुकारा, फिर या मस्जिद से निकल कर ऊँटनी पर सवार होकर पुकारा। इमाम बुख़ारी रह॰ का कहना है कि मीक़ात से पहले ही एहराम बाँधना दुरुस्त नहीं। लेकिन जमहूर उलमा के नज़दीक मीक़ात से पहले एहराम बाँधना दुरुस्त है, लेकिन हज्ज के महीना से पहले बाँधना दुरुस्त नहीं, और यही सहीह मज़हब है। लेकिन मीक़ात पर पहुँच कर बाँधना बहर हाल अफ़्ज़ल है।

बाब {सवारी पर सवार हों और वह खड़ी हो, वहीं से लब्बैक पुकारना आरंभ करें।}

659:– उबैद बिन जुरैज से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मतर्बा मैं ने अ़ब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ से पूछाः ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान। मैं ने आप को चार ऐसे कार्य करते देखा है जो आप के साथियों में और किसी को करते नहीं देखा है। उन्हेांने कहाः ऐ जुरैज के पुत्र! वह कौन-कौन से कार्य हैं? इस पर मैं ने कहाः (1) आप तवाफ़ के समय केवल रुकने यमानी के दोनों कोनों को तवाफ़ के समय हाथ लगाते हैं (2) आप सिबती जूते पहनते हैं (3) आप दाढ़ी रंगते हैं (4) जब आप मक्का में होते हैं तो 8 ज़िल् हिज्जा को लब्बैक पुकारते हैं, हालाँकि लोग चाँद देख कर ही पुकारना आरंभ कर देते हैं। यह (एतराज़) सुन कर इब्ने उमर रज़ि॰ ने उत्तर दियाः सुनों! मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को केवल यमन की तरफ़ वाले खंबों (रुकने यमानी) को देखा है। इसी प्रकार मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कोसिबती जूते भी पहने हुये देखा है जिस में बाल नहीं होते थे और उसी में आप वुज़ू भी कर लेते थे (यानी वुज़ू कर के तुरन्त गीले पैर उसे पहन लेते थे) इसलिये मैं भी इसी को पहनना पसन्द करता हूँ। रही दाढ़ी रंगने की बात, तो इसे में ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को रंगते देखा है, तो मैं भी पसन्द करता हूँ कि रंगूँ। और लब्बैक के बारे में यह कहना है कि आप ने लब्बैक नहीं पुकारा मगर जब ऊँटनी आप को लेकर उठ खड़ी हो जाती थी।

फ़ाइदाः– जिस कोने पर हजरे-अस्वद लगा है उसे और उस के बाद वाले कोने को (यानी दोनों को) रुकने यमानी कहते हैं। और हतीम दीवार की तरफ़ के दोनों कोनों को रुकने शामी कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तवाफ़ करते समय रुकने यमानी ही के दोनों कोनोंको छुवा है। इसलिये उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि केवल रुकने यमानी को छुवा जाये। 'सिबती' उस चमड़े को कहते हैं जिस को पानी में पका कर उस के बाल दूर कर दिये गये हों, जैसे आज-कल के साफ़-चिकने चमड़ों के देसी जूते। अबू दावूद की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी ज़ाफ़रान और वरस (घास) से धोते थे जो पीले रन्ग की होती थी। इब्ने उमर रज़ि॰ का ख़याल

था कि लोग आठवीं को मिना जाते हैं और इसी तारीख़ से हज्ज का आरंभ होता है इसलिये इसी तारीख़ से लब्बैक पुकारना चाहिये। और दूसरे लोग पहली तारीख़ से मानते हैं। उलमा का कहना है कि दोनों ही तरीक़े जाइज़ हैं। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रह० ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़ के बाद सवार होने से पहले ही मस्जिद में लब्बैक पुकारा है (ज़ादुल मआ़द)

बहर हाल लब्बैक को बुलन्द आवाज़ से पुकारना चाहिये। सहाबा इतनी ऊँची आवाज़ से पुकारते थे कि पहाड़ गूजँने लग जाते थे। (मुअत्ता इमाम मालिक) अल्बत्ता महिला धीमी आवाज़ से कहेगी। लब्बैक पुकारने का सिलसिला क़ुर्बानी के अन्तिम दिन दिन कंकरियाँ मारने तक है।

बाब {हज्ज के लिये लब्बैक, मक्का से पुकारने का बयान।}

660:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ मुफ़रिद हज्ज का एहराम बाँधा (लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज्जे क़िरान का बाँधा था) और आ़इशा रज़ि० उम्रा का एहराम बाँध कर आयीं। फिर जब सरिफ़ के स्थान पर पहुँचीं तो वह हैज़ से हो गयीं। फिर जब हम लोगों ने मक्का पहुँच कर काबा का तवाफ़ और सफ़ा-मर्वा के फेरे लगा लिये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जिस के पास क़ुर्बानी के जानवर न हों वह अपना एहराम उतार दे (और हलाल हो जाये) इस पर हम ने पूछाः यह कैसा हलाल होना है। चुनान्चे हम लोगों ने एहराम उतार दिया।

हदीस के रावी जाबिर रज़ि० ने बयान किया अब हम लोगों ने अपनी पत्नियों से संभोग किया, ख़ुश्बू लगाई और सिले हुये कपड़े भी पहने। हमारे और अरफ़ह के दर्मियान चार रातों का फ़र्क़ था। फिर 8 तारीख़ को हज्ज का एहराम बाँधा। इसी दर्मियान नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब आ़इशा रज़ि० के पास गये तो वह उस समय रो रही थीं। आप ने पूछाः क्या बात है? उन्होंने कहाः मुझे हैज़ आ गया है, लोगों ने एहराम खोल डाला है लेकिन मैं ने नहीं खोला है और न ही बैतुल्लाह का तवाफ़ किया है, हालाँकि लोग हज्ज के लिये रवाना होने लगे हैं। आप ने फ़रमायाः (इस में रोने की क्या बात है) हैज का आना यह ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह पाक ने आदम की लड़कियों पर लिख दिया है (तो यह तो अपने समय पर आ कर रहेगा) अब तुम एहराम के लिये स्नान कर डालो और हज्ज की निय्यत से एहराम बाँध लो। चुनान्चे उन्होंने स्नान कर के एहराम बाँधा और ठहरने वाले स्थानों पर ठहरीं। फिर जब हैज़ से पाक हो गयीं तो सफ़ा-मर्वा का तवाफ़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अब तुम्हारा हज्ज और उम्रा दोनों का एहराम पूरा हो गया। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे एक बात का खटका है कि मैं ने अभी तक काबा का तवाफ़ नही किया और हज्ज कर लिया। इस पर आप ने (उन के भाई) अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र से कहा कि तुम

अपनी बहन को "तनअ़ीम" के स्थान तक ले जा कर उम्रा करा लाओ। यह उस समय की बात है जब हाजी लोग मुहस्सब की वादी में ठहरे हुये थे।

बाब {तलबिया (लब्बैक) का बयान।}

661:– अ़ब्दुल्लह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब ऊँटनी पर सवार हुये और वह मस्जिद जुल् हुलैफ़ा के पास आप को लेकर सीधी खड़ी हो गयी तब आप ने लब्बैक पुकारते हुये कहा:

लब्बै–क अल्लहुम्म लब्बै–क, लब्बे–क ला शरी–क ल–क लब्बै–क, इन्नल् हम्–द वन्ने–म–त ल–क वल् मुल्–क, ला शरी–क ल–क

(मैं हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह! मैं हाज़िर हूँ, तेरी सेवा में हाज़िर हूँ। तेरा कोई साझी नहीं, मैं हाज़िर हूँ। हर प्रकार की तारीफ़ और नेमत तेरे ही लिये है, बादशाहत तेरे ही लिये है और तेरा कोई साझी नहीं।)

उन्होंने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ कहते थे कि यह लब्बैक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पुकारा है। इमाम नाफ़े ने कहा कि इब्ने उमर रज़ि॰ ऊपर के लब्बैक में इतना और बढ़ा कर पढ़ते थे:

लब्बै–क लब्बै–क वसादै–क वल् खैरु बि–यदै–क लब्बै–क वर्रग़बाउ इलै–क वल् अ़–मलु

(मैं हाज़िर हूँ तेरी सेवा में, मैं हाज़िर हूँ तेरी सेवा में, और नेक बख़्ती सब तेरी ही तरफ़ से है, और भलाई सब तेरे ही दोनों हाथों में हैं ,मैं तेरे आगे हाज़िर हूँ और मैं तेरी ही तरफ़ झुकता हूँ और अ़मल तेरे ही लिये है)

फ़ाइदाः– तलबिया पढ़ना अर्गचे हज्ज का रुक्न नहीं है, फिर भी ज़रुरी है, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर आया है उस का ज़बान से इज़हार और इक़रार है। और इस को पढ़ते रहना बड़ी फ़ज़ीलत और बड़ाई का काम है। हज़रत इब्राहीम अ़लै॰ ने जब काबा का निर्माण मुकम्मल कर लिया तो अल्लह तआ़ला ने फ़रमायाः लोगों को यहाँआने की दावत दो कि ऐ लोगों! घर बन गया है अब आओ। चुनान्चे हर हाजी लब्बैक कह कर गोया जवाब देता है कि मैं ने ऐ इब्राहीम अ़लै॰! आप की दावत स्वीकार कर ली है और मैं अल्लाह के दर्बार में आ रहा हूँ और इस बात का इक़रार कर रहा हूँ कि अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहरराऊँगा।

उलमा केवल इसी मस्अले में उलझ कर रह गये हैं कि यह सुन्नत है या मुस्तहब। लेकिन अगर गहराई में जायें तो पता चलेगा कि लब्बैक पुकारना कितना अहम है। कुछ उलमा का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लब्बैक में चाहे तो

इज़ाफ़ा जाइज़ है, जैसा कि इब्ने उमर रज़ि॰ ने अपनी ओर से बढ़ा कर पढ़ा। लेकिन बेहतर बहर हाल इज़ाफ़ा न करना है।

इब्ने उमर रज़ि॰ सवार होते, उतरते और लेटते-बैठते समय इसे हमेशा पढ़ा करते थे (इब्ने असाकिर) सहाबा चार स्थानों पर विशेष कर पढ़ा करते थे (1) हर नमाज़ के बाद (2+3) नीचे उतरते और ऊपर चढ़ते समय (4) क़ाफ़िला से मिलते समय (इब्ने अबी शौबा) फुज़ैल बिन अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन लब्बैक पुकारा और अन्तिम जमुरे पर कंकरी मारने केबाद बन्द कर दिया (बुख़ारी, मुस्लिम)

अबू दावूद, तिर्मिज़ी, नसई, अहमद ने इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा में हजरे अस्वद को चूमने के बाद लब्बैक पुकारना बन्द कर देते थे।

बाब {हज्ज और उम्रा के लब्बैक का बयान।}

662:- अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्ज और उम्रा का (एक साथ) एहराम बाँधा, फिर पुकारा:

लब्बै-क उम्-र-तन् व-हज्जन्+लब्बैक उम्-र-तन् व-हज्जन्
(ऐ अल्लाह! मैं हज्ज और उम्रा का एहराम बाँध कर तेरे दर्बार में हाज़िर हूँ)

663:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायः उस अल्लाह की क़सम! जिस के हाथ में मेरी जान है, इब्ने म्रयम (अीसा अलै॰) "रौहा" घाटी में जबकि वह हज्ज या उम्रा कर रहे होंगे, या फिर हज्ज और उम्रा एक साथ कर रहे होंगे, अवश्य ही लब्बैक पुकारेंगे।

फ़ाइदा:- यह उस समय की बात है जब वह पुनः दुनिया में क़ियामत के निकट उतारे जायेंगे। मालूम हुआ कि अगर एक की नियत कर के एहराम बाँधे तो एक का, और हज्ज-उम्रा दोनों की नियत कर के एहराम बाँधे तो दोनों का ज़िक्र कर के लब्बैक पुकारे

बाब {अकेले हज्ज (हज्जे इफ़राद) करेन का बयान।}

664:- इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ "हज्जे इफ़राद" का लब्बैक पुकारा। एक दूसरी रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जे इफ़राद का लब्बैक पुकारा।

665:- आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जे-इफ़राद किया था।

फ़ाइदा:- यानी हज्ज के साथ उम्रा की नियत नहीं की थी और हज्ज व उम्रा एक

साथ अदा किया था। ऐसे हज्ज को "हज्जे-इफ़राद" कहते हैं।

बाब {हज्जे-क़िरान का बयान।}

666:- बक्र बिन अ़ब्दुल्लाह से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने कहाः मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को हज्ज और उम्रा दोनों का लब्बैक पुकारते सुना है। बक्र कहते हैं कि फिर मैं ने यही हदीस इब्ने उमर रज़ि॰ से बयान की तो उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने केवल हज्ज का लब्बैक पुकारा था (यानी केवल हज्ज का एहराम बाँधा था) फिर मैं ने अनस रज़ि॰ से मिल कर जब उन्हें बताया कि इब्ने उमर तो इस प्रकार कहते हैं, तो उन्होंने कहाः आप लोग हमें बच्चा (नादान, कम समझ) समझते हैं, मैं ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को पुकारते सुना है:

लब्बै-क उम-र-तन् व-हज्जन्
(ऐ अल्लाह! मैं हज्ज और उम्रा का एहराम बाँध कर तेरे दर्बार में हाज़िर हूँ)

फ़ाइदाः- अनस बिन मालिक और इब्ने उमर रज़ि॰ के बयान में ज़ाहिर में टकराव है। इस का कारण यह है कि आरंभ में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने केवल हज्ज ही का एहराम बाँधा था और निय्यत की थी चुनान्चे आप ने पुकाराः

लब्बै-क हज्ज-तन+लब्बै-क हज्ज-तन्"
(ऐ अल्लाह! मैं हज्ज की निय्यत कर के तेरे पास हाज़िर हूँ)

फिर आगे चल कर आप ने हज्ज के साथ उम्रा को भी मिला लिया, इस प्रकार आप ने हज्ज क़िरान किया और लब्बैक इस कार पुकारने लगेः

"लब्बै-क हज्जन् व उम्-र-तन्+ लब्बै-क हज्जन् वउम्-र-तन्"
(ऐ अल्लाह! मैं हज्ज और उम्रा की निय्यत एक साथ कर के तेरे दर्बार में हाज़िर होता हूँ)

इस प्रकार इब्ने उमर ने शुरु की हालत बयान की और अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने आख़िर की हालत बयान की। इब्ने उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को शुरू में लब्बैक पुकारते सुना और अनस रज़ि॰ ने हज्ज के साथ उम्रा मिला लेने के बाद वाले लब्बैक को सुना, और दोनों ने अपना-अपना ख़याल ज़ाहिर कर दिया। हक़ीक़त यही है कि आप ने शुरु में केवल हज्ज का एहराम बाँधा था, बाद में उम्रा को भी शामिल कर लिया।

बाब {हज्जे-तमत्तो का बयान।}

667:- अिम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ हज्जे-तमत्तो किया और इस बारे में क़ुरआन नहीं नाज़िल हुआ (कि यह मना है) कहने वालों ने अपनी राय से जो चाहा कह दिया।

668:- अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज्जे-तमत्तो किया था और हम ने भी आप के साथ किया था।

669:- जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ हज्ज के लिये निकले थे, हम हज्ज का लब्बैक पुकारते थे, लेकिन आप ने हुक्म दिया कि हज्ज की निय्यत को उम्रा में बदल दो (और उम्रा का लब्बैक पुकारो)

फ़ाइदा:- 'हज्जे तमत्तो' उस हज्ज को कहते हैं जिस में उम्रा भी शामिल कर लिया जाये। पहले उम्रा कर के (यानी बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा-मर्वा की दौड़ लगा कर एहराम खोल दे और) हलाल हो जाये। फिर 8 ज़िल् हिज्जा को तरविया के दिन दोबारा हज्ज का एहराम बाँधे और हज्ज के अर्कान अदा करे। यह है "हज्जे-तमत्तो" की तफ़सील। हदीस न॰ 669 में जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह ने हज्ज का एहराम बाँधा था। आप ने उसे उम्रा में बदलवा दिया, फिर 8 तारीख़ को दोबारा हज्ज का एहराम बाँधा। इस प्रकार इन्होंने भी हज्जे तमत्तो किया।

कुछ लोग हज्जे तमत्तो को अच्छा नहीं जानते। उन्हीं के रद्द में अ़िम्रान बिन हुसैन ने कहा कि अगर बुरा होता तो कुरआन उस समय उतर रहा था, अल्लाह पाक कोई आयत नाज़िल कर के रोक देता। और फिर यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी हज्जे तमत्तो न करते। मालूम रहे कि आप ने अन्तिम हज्ज "तमत्तो" ही किया था।

बाब {जिस ने हज्ज की निय्यत से एहराम बाँधा और उस के साथ कुर्बानी का जानवर भी हो (वह क्या करे?)

670:- नाफ़े बिन मूसा ने बयान किया कि मैं मक्का हज्जे-तमत्तो करने की निय्यत से आया था, इसीलिये 8 जिल् हिज्जा से चार दिन पूर्व आ गया था। तो इस पर लोगों ने कहा: अब तो तुम्हारा मक्की हज्ज हो जायेगा। फिर मैं ने अ़ता के पास जा कर इस बारे में मस्अला पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझ से जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ उस साल हज्ज किया था जिस साल आप के साथ कुर्बानी के जानवर भी थे (यानी अन्तिम हज्ज के मौक़ा पर) और कुछ लोगों ने केवल "हज्जे इफ़राद" का एहराम बाँधा था। इस पर आप ने उन लोगों से कहा कि तुम लोग एहराम खोल दो, फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा-मर्वा के फेरे लगा कर सर के बाल कटवा लो और हलाल हो जाओ। फिर ज़िल हिज्जा की आठ तारीख़ (र्तविया के दिन) को हज्ज की निय्यत कर के लब्बैक पुकारा। और जो एहराम बाँध कर तुम आए थे उस को हज्जे-तमत्तो में बदल दो (यानी वह एहराम

हज्ज का था, मगर उम्रा कर के उतार दो और फिर 8 को हज्ज की निय्यत कर लो तो यह हज्जे तमत्तो कहलायेगा) जिन लोगों ने केवल हज्ज की निय्यत से एहराम बाँधा था उन्होंने पूछाः हम इसे हज्जे-तमत्तो में कैसे बदलें? हालाँकि एहराम बाँधते समय हज्ज की निय्यत कर चुके हैं। आप ने फ़रमायाः वैसे ही करो जिस प्रकार में बताता हूँ। और अगर मैं कुर्बानी के जानवर साथ न लाता तो मैं भी उसी प्रकार करता जिस प्रकार तुम लोगों को करने का हुक्म देता हूँ। मगर अब मैं उस समय तक एहराम नहीं खोल सकता जब तक कुर्बानी अपने ठिकाने न पहुँच जाये (जब तक ज़ब्ह न हो जाये) फिर लोगों ने उसी तरह अ़मल किया (जिस प्रकार आप ने उन्हें हुक्म दिया था)

फ़ाइदाः— जो शख़्स हज्ज का एहराम बाँधे और उस के साथ कुर्बानी का जानवर भी हो उस का हज्ज "हज्जे क़िरान" कहलाता है। और इस हज्ज में आरंभ से लेकर कुर्बानी करने तक एहराम नहीं खोल सकता। और जिन सहाबा के पास कुर्बानी के जानवर नहीं थे उन को हुक्म दिया कि तुम हज्ज के एहराम को उम्रा के एहराम में बदल दो और हज्ज के स्थान पर उम्रा की निय्यत कर लो। फिर उम्रा कर के हलाल हो जाओ, फिर 8 तारीख़ को तर्विया के दिन हज्ज के लिये नया एहराम बाँधो और हज्ज के अर्कान अदा करो। इस प्रकार यह लोग "हज्जे तमत्तो"(यानी हज्ज-उम्रा एक साथ) करने वाले हुये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज्जे क़िरान किया, क्योंकि आप के पास कुर्बानी का जानवर था। मालूम हुआ कि अन्तिम हज्ज के मौक़ा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा ने दो प्रकार के हज्ज किये (1) जिन के पास कुर्बानी के जानवर नहीं थे उन्होंने हज्ज-उम्रा एक साथ कर के हज्जे "तमत्तो" किया (2) जिन के पास जानवर थे उन्होंने एहराम नहीं उतारा, उन्होंने हज्जे "क़िरान" किया। अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम रह० ने बहुत सारे तर्क से साबित किया है कि आप ने हज्जे क़िरान किया था (देखें ज़ादुल् मआ़द) कुछ लोग उम्रा के साथ हज्ज को मिलाने को बुरा मानते हैं, उन के ख़याल का इस हदीस की रोशनी में रद्द होता हैं।

बाब {उम्रा का एहराम खोल देने का हुक्म मन्सूख़ है और हज्ज-उम्रा दोनों को पूरा क़रने का हुक्म है।}

671:— अबू मूसा अश्-अ़री रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं (यमन से हज्ज की निय्यत से मक्का) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास उस समय आया जब आप बतहा की वादी में अपने ऊँट ठहराए हुये थे (यानी डेरा डाले हुये थे) आप ने पूछाः किस निय्यत से एहराम बाँधा है? में ने कहाः जिस निय्यत से आप ने बाँधा है। आप ने पूछाः कुर्बानी का जानवर साथ है? मैं ने उत्तर दियाः नहीं। आप ने फ़रमायाः फिर तुम बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा-मर्वा की दौड़ लगा कर एहराम खोल डालो। चुनान्चे मैं ने आप के आदेश पर अ़मल किया और एहराम खोल कर अपने ख़ान्दान की एक महिला के पास चला गया, उस ने मेरे सर में कंघी कर दी और मेरा

सर धो दिया। और मैं अबू बक्र और उमर के ख़िलाफ़त के ज़माना तक इसी प्रकार फ़तवा देता रहा (कि जो बिना कुर्बानी के हज्ज की निय्यत कर ले वह उम्रा कर लेने के बाद एहराम खोल दे, फिर 8 ज़िल् हिज्जा को दोबारा हज्ज का एहराम बाँध ले, लेकिन) मैं हज्ज के मौक़ा पर आया तो एक व्यक्ति ने मुझ से कहाः (आप तो एहराम खोल कर हलाल हो जाने का फ़तवा देते है और) उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ख़लीफ़ा ने कुर्बानी से संबधित एक नया नियम चालू कर दिया है (कि उम्रा का एहराम खोलना नहीं चाहिये) यह सुन कर मैं ने कहाः फिर तो मैं ने जिन-जिन लोगों को फ़तवा दिया है उन्हें मेरे फ़तवे पर अ़मल नहीं करना चाहिये, क्योंकि ख़लीफ़ा आने वाले हैं और लोगों को उन की पैरवी करनी चाहिये। फिर जब उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ आ गये तो मैं ने उन से पूछाः आप ने कुर्बानी के बारे में यह क्या मस्अला बयान किया है? यह सुन कर उमर रज़ि॰ ने कहाः अगर आप कुरआन पर अ़मल करते हैं तो उस का यह कहना हैः "हज्ज और उम्रा को अल्लाह के लिये पूरा करो" (यानी उम्रा के बाद एहराम न खोलो) और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत पर अ़मल करते हैं तो आप का तरीक़ा यह था कि एहराम उस समय तक न खोलते थे जब तक कुर्बानी नहीं कर डालते थे।

फ़ाइदाः– मुस्लिम शरीफ़ के दूसरे एडिशन में इस हदीस के लिये यह बाब बाँधा गया है "एक शख़्स अपने एहराम में यह कहे कि जिस निय्यत से फ़लाँ ने एहराम बाँधा है उसी निय्यत से मेरा भी एहराम है, तो यह जाइज़ है" और यही बाब दुरुस्त है। हज़रत अ़ली रज़ि॰ ने भी इसी प्रकार की निय्यत की थी (बुख़ारी-1558 अनस बिन मालिक) हज़रत उमर का यह फ़तवा देना कि एहराम न खोला जाये, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हुक्म के सरासर ख़िलाफ़ है, इसलिये इन के फ़तवे पर हर्गिज़ अ़मल नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने स्वँय ही बता दिया कि चूंकि मेरे पास कुर्बानी का जानवर है इसलिये कुर्बानी तक मैं एहराम नहीं खोल सकता। और चूँकि तुम्हारे पास कुर्बानी का जानवर नहीं है इसलिये उम्रा कर के एहराम खोल दो, फिर 8 तारीख़ को पुनः हज्ज की निय्यत से एहराम बाँध कर हज्ज के अर्कान पर अ़मल करो। मालूम हुआ कि जिन के पास कुर्बानी का जानवर न हो वह उम्रा के बाद एहराम खोल कर हलाल हो जाये।

हज़रत उमर रज़ि॰ ने इस ख़याल से नही मना किया था कि एहराम खोलना हराम है। बल्कि इसलिये मना किया था कि लोग उम्रा के बाद हलाल हो जायेंगे फिर बीवियों से संभोग करेंगे, फिर नहा-धो कर हज्ज का एहराम बाँध कर हज्ज के लिये 9 को अ़रफ़ात जायेंगे। इसलिये ज़रा सब्र से काम लें और हज्ज के अर्कान अदा करने के बाद हलाल होकर संभोग करें। (देखें मुस्लिम-किताबुल हज्जि-रावी अबू मूसा अश्-अ़री रज़ि॰) बुख़ारी शरीफ़ में भी इस घटना का ज़िक्र है कि उस्मान रज़ि॰ हज्ज और उम्रा को एक साथ मिला कर हज्जे-तमत्तो से मना करते थे, लेकिन अ़ली रज़ि॰ ने उन की बात नहीं मानी और फ़रमायाः मैं तो तमत्ते करुँगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हुक्म को किसी

के मना करने से नही छोड़ूँगा। (बुख़ारी-1569, 1563-मर्वान बिन हकम) 'त-मत्तो' का अर्थ है "लाभ उठाना" चूंकि हाजी उम्रा कर के एहराम खोल देता है और 8 ज़िल् हिज्जा (यानी हज्ज का एहराम बाँधने) तक हलाल होकर बीवी से संभोग करता है और दीगर कार्य करता है जो एहराम की हालत में मना है, इसलिये इसे "हज्जे तमत्तो" कहा जाता है। और हलाल होकर चन्द दिन के लिये इन्ही दुनियावी कार्यों के करने के नाते कुछ लोग अपने ख़याल से इस हज्ज को पसन्द नहीं करते हैं। हालाँकि यह उन का अपना ख़याल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज्जे तमत्तो किया है, लेकिन एहराम इसलिये नहीं खोला कि आप के पास कुर्बानी का जानवर था (देखें 670) फिर दूसरे यह कि सूरः बक़रः की आयत 96 में तमत्तो करने का हुक्म मौजूद है।

672:- अबू ज़र रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हज्जे तमत्तो केवल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप के सहाबा के लिये ख़ास था।

फ़ाइदाः- यह अबू ज़र रज़ि॰ का अपना ख़याल है जो सही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सुराक़ा से फ़रमाया कि हज्जे-तमत्तो हमेशा के लिये जाइज़ है। अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम और शौकनी रह॰ ने जाइज़ होने पर 24 रिवायतें पेश की हैं (देखें ज़ादुल् मआ़द, नैलुल् औतार)

बाब {हज्जे क़िरान में कुरबानी अनिवार्य है।}

673:- इमाम नाफ़े ने बयान किया कि एक साल (यज़ीद और ज़ुबैर रज़ि॰ की ख़िलाफ़त के) झगड़े के ज़माना में इब्ने उमर रज़ि॰ उम्रा करने के इरादे से (मदीना से) मक्का के लिये यह कह कर निकले कि अगर मुझे बैतुल्लाह तक नहीं जाने दिया तो मैं भी उसी प्रकार करुँगा जिस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ (हुदैबिय्या के मौक़ा पर) किया था। फिर उम्रा का एहराम बाँध कर निकल खड़े हुये।

फिर जब "बैदा" के स्थान पर पहुँचे तो अपने साथ वालों से कहाः चूँकि हज्ज और उम्रा का हुक्म एक है कि दोनों का एक साथ एहराम बाँध सकते हैं इसलिये आप लोग इस बात के लिये गवाह रहें कि मैं ने उम्रा के साथ हज्ज भी अपने ऊपर वाजिब कर लिया है। फिर मक्का पहुँच कर बैतुल्लाह का सात बार तवाफ़ किया और सफ़ा-मर्वा के दर्मियान सात फेरे भी लगाए। इस से अधिक और कुछ नहीं किया और कुबानी की।

फ़ाइदाः- इब्ने उमर रज़ि॰ का यह कहना "हम वैसा ही करेंगे जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने किया था" यानी जब हुदैबिय्या के मौक़े पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को उम्रा करने से रोक दिया गया तो आप ने एहराम खोल दिया और कुर्बानी की, इसी तरह हम भी करेंगे। लेकिन इन्हें नहीं रोका गया और कुर्बानी का जानवर भी था इसलिये इन्होंने हज्जे क़िरान किया, यानी एक ही तवाफ़ और एक ही

बार सफ़ा-मर्वा का दोड़ हज्ज व उम्रा दोनों के लिये काफ़ी हुआ। इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ का फ़तवा है कि क़ारिन हज्ज व उम्रा के लिये अलग-अलग तवाफ़ और दौड़ लगाएगा। इन का फ़तवा इस हदीस के ख़िलाफ़ है इस लिये रद्द है।

बाब {हज्जे-तमत्तोमें कुर्बानी करने का बयान।}

674:- सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्तिम हज्ज में उम्रा के साथ हज्ज की भी निय्यत कर के एहराम बाँधा और हज्जे तमत्तो किया और कुर्बानी भी की थी। कुबार्नी का जानवर जुल् हुलैफ़ा से आप ने लिया था। शुरु से आप ने उम्रा का लब्बैक पुकारा फिर (जब उम्रा के साथ हज्ज की भी निय्यत कर ली तो) हज्ज और उम्रा दोनों का लब्बैक पुकारा, चुनान्चे सहाबा ने भी आप के साथ उम्रा और हज्ज का लब्बैक पुकारा। कुछ सहाबा के पास कुर्बानी के जानवर थे और कुछ लोगों के पास नहीं थे। फिर जब आप मक्का पहुँचे तो फ़रमाया: जिस के पास कुर्बानी के जावनर थे वह हलाल न हो और उन चीज़ों से दूर रहे जिन से एहराम की हालत में दूर रहता है, और जब तक हज्ज को पूरा न कर ले (इन चीज़ों से दूर रहे) लेकिन जिन के पास कुर्बानी के जानवर नहीं हैं वह बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा-मर्वा के दर्मियान दौड़ लगा कर अपने बाल कटा ले और एहराम खोल दे (हलाल हो जाये) फिर 8 ज़िल् हिज्जा यानी तरविया के दिन (एहराम बाँध कर) हज्ज का लब्बैक पुकारे और हज्ज के अर्कान अदा कर के कुर्बानी के जानवर कुर्बान करे। लेकिन जिस के पास कुर्बानी के जानवर न हों वह हज्ज में तीन रोज़े रखे और घर वापस जा कर सात रोज़े रखे (यानी कुर्बानी के बदले कुल सात रोज़े रखे)

जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मक्का शरीफ़ पहुँचे तो प्रथम यह कार्य किया कि हजरे-अस्वद को चूमा, फिर तीन मर्तबा दुल्की चाल चल कर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और 4 मर्तबा आ़म चाल चल कर (यानी कुल सात फेरे लगाए) फिर मुक़ामे-इब्राहीम के पास दो रक्अ़त नमाज़ अदा की और नमाज़ से फ़ारिग़ होकर सफ़ा-मर्वा जा कर उस के भी सात मर्तबा चक्कर लगाए (सअ़ी की) लेकिन एहराम ही की हालत में रहे और एहराम में होने की वजह से किसी चीज़ को अपने ऊपर हलाल नहीं किया। फिर हज्ज से फ़ारिग़ होकर 10 वीं तारिख़ को कुर्बानी कर के मक्का लौट आये। फिर बैतुल्लाह का अन्तिम तवाफ़ कर के एहराम उतार दिया और उन तमाम चीज़ों को अपने ऊपर हलाल कर लिया जिन को एहराम की हालत में हराम कर लिया था। और जो लोग कुर्बानी का जानवर अपने साथ लाये थे उन्होंने भी उसी प्रकार किया जिस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने किया था (यानी उम्रा करने के बाद हलाल नहीं हुये थे और दोबारा बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा-मर्वा के दर्मियान सअ़ी न की)

फ़ाइदा:- इस हदीस से भी यह मालूम हुआ कि जिन के पास कुर्बानी के जानवर न

हों और उस ने हज्ज और उम्रा दोनों की निय्यत की हो, वह उम्रा करने के बाद एहराम खोल दे और हलाल हो जाये। फिर 8 तारीख को दोबारा एहराम बाँध कर हज्ज के अर्कान अदा करे। कुर्बानी न करने के बदले 3 रोज़े हज्ज के दिनों में या सात रोज़े घर जा कर रखे।

लेकिन जिन के पास कुर्बानी के जानवर हों वह उम्रा के अर्कान अदा कर के (यानी तवाफ़ और सअ़ी कर के) एहराम ही की हालत में रहे फिर 9 ज़िल् हिज्जा से हज्ज के अर्कान अदा कर के कुर्बानी और अन्तिम तवाफ़ कर के एहराम उतार कर तब हलाल हो।

यहाँ यह बात याद रखने की है कि जिन के पास कुर्बानी नहीं है वह उम्रा के लिये तवाफ़-सअ़ी करने के बाद हलाल हो जाने के नाते हज्ज के लिये दोबारा तवाफ़ और सअ़ी करेगा। लेकिन जिन्होंने कुर्बानी होने के नाते उम्रा का तवाफ़-सअ़ी कर के एहराम नहीं खोला वह हज्ज के लिये दोबारा तवाफ़-सअ़ी नहीं करेगा। उस का उम्रा का ही तवाफ़-सअ़ी हज्ज के लिये भी माना जायेगा। अबू हनीफ़ा रह॰ इसे नहीं मानते हैं, लेकिन इन का फ़तवा इस हदीस की रोशनी में रद्द है।

बाब {उम्रा का एहराम बाँधने के बाद उस के स्थान पर हज्ज की निय्यत से एहराम बाँधना जाइज़ है।}

675:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ (मदीना से मक्का के लिये) अन्तिम हज्ज के इरादा से निकले। उस मौक़ा पर किसी ने उम्रा का, तो किसी ने हज्ज का एहराम बाँधा था। फिर जब मक्का पहुँच गये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस ने उम्रा की निय्यत से एहराम बाँधा हुआ है और उस के पास कुर्बानी के लिये जानवर साथ नहीं है वह (तवाफ़ और सअ़ी कर के) एहराम उतार दे (और हलाल हो जाये) लेकिन जिस के पास कुर्बानी के लिये जानवर हों वह एहराम न खोले जब तक 10 जिल हिज्जा को कुर्बानी न कर ले। और जिस ने हज्ज की निय्यत से एहराम बाँधा है (वह भी एहराम न खोले) अपना हज्ज मुकम्मल करे (फिर एहराम खोले)

आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि इसी दर्मियान मुझे हैज़ आ गया (और मैं नापाक हो गयी) और अ़रफ़ा के दिन (8 ज़िल् हिज्जा) तक नापाक रही। मैं ने उम्रा की निय्यत कर के एहराम बाँधा था इसलिये आप ने फ़रमाया: उम्रा का एहराम खोल दो, बालों को खोल कर चोटी-कंघी कर डालो (फिर नहा-धोकर) हज्ज की निय्यत का एहराम बाँध लो और उम्रा को छोड़ दो। चुनान्चे मैं ने ऐसा ही किया। फिर जब हज्ज कर चुके तो आप ने मेरे साथ (मेरे भाई) अ़ब्दुर्रहमान को भेजा कि मुझे 'तनअ़ीम' के स्थान तक ले जाओ, वहाँ से चल कर यह उम्रा पूरा कर लें जो इन्होंने छोड़ दिया था और उस के स्थान पर हज्ज का एहराम बाँध लिया था।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि हाजी उम्रा के एहराम को हज्ज में और हज्ज के एहराम को उम्रा में बदल सकता है। आ़इशा रज़ि॰ ने उम्रा का एहराम बाँधा था। इस का अर्थ यह हुआ कि 8 तारीख़ से पहले (यानी हज्ज शुरु होने से पहले-पहले उम्रा का तवाफ़ और सअ़ी क़र लेना था। जो हज्ज का एहराम बाँधते हैं उन्हें अरफ़ात के दिन से हज्ज के अर्कान अदा करने पड़ते हैं। आप ने उन के उम्रा को हज्ज में इसीलिये बदल दिया था कि अरफ़ात का दिन आने तक पाक हो जायेंगी और हज्ज पूरा करेंगी (और ऐसा ही हुआ भी) बाद में जो उन्हें तनअ़ीम से उम्रा कराया गया, यह केवल उन का दिल बहलाने के लिये था, या केवल उन्ही के लिये ख़ास था, वर्ना मदीना वालों के लिये एहराम बाँधने का स्थान जुल् हुलैफ़ा है न कि तन्अ़ीम।

जिन्होंने उम्रा का एहराम बाँधा था उन्होंने तवाफ़ और सअ़ी के बाद एहराम खोल दिया, फिर 8 ज़िल हिज्जा को हज्ज का दोबारा एहराम बाँधा और दोबारा हज्ज का तवाफ़ किया और सअ़ी की। लेकिन जो लोग क़ारिन थे (यानी जानवर साथ थां) उन्होंने उम्रा का तवाफ़ और सअ़ी करने के बाद एहराम नहीं खोला, फिर हज्ज किया। इन के लिये दोबारा हज्ज का तवाफ़ और सअ़ी नहीं है। वही उम्रा का ही तवाफ़ और सअ़ी काफ़ी है, क्योंकि एहराम नहीं खोला था। यह एहराम कुर्बानी के बाद खोलेंगे।

बाब {हज्ज और उम्रा का एहराम बाँधते समय शर्त करना जाइज़ है।}

676:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि ज़ुबैर की पुत्री ज़बाआ़ रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर कहा: (जैसा कि आप जानते हैं) मेरा शरीर बहुत भारी है (इसलिये चलने में कठिनाई होती है) और मैं ने हज्ज करने का इरादा कर लिया है तो आप इस बारे में क्या फ़रमाते हैं?

आप ने फ़रमाया: हज्ज को मशरुत कर दो और लब्बैक में यूँ कहो "ऐ अल्लाह! मेरा एहराम वहीं खुलेगा जहाँ तू मुझे रोक देगा" (यानी चलने से मजबूर हो जाऊँगी) ज़बाआ़ रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने (अल्लाह की कृपा से) हज्ज को मुकम्मल कर लिया (मैं न तो थक कर चलने से मजबूर हुई और न ही एहराम खोलने की नौबत आयी)

फ़ाइदा:— इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस को कोई बीमारी हो जैसे मिर्गी का दौरा पड़ना, या चलते-चलते अचानक पैर का सुन्न हो जाना, या अचानक दमा के बीमार का साँस चढ़ने लगना आदि। यह बीमारियाँ ऐसी हैं जो अचानक कभी भी हज्ज के दौरान आ सकती हैं तो ऐसे हाजी को चाहिये कि एहराम बाँधते समय यह शर्त कर ले कि अगर मैं हज्ज के दौरान अचानक बीमार हुआ तो एहराम खोल दूँगा। इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ शर्त करेन को जाइज़ नहीं मानते हैं, लेकिन ऊपर ज़बाआ़ की हदीस जिसे बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दावूद, तिर्मिज़ी और नसई ने रिवायत किया है, के होते हुये उन का फ़तवा रद्द माना जायेगा। आ़इशा रज़ि॰ भी ऊपर की हदीस रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु

अलैहि वसल्लम जुबैर की पुत्री ज़बाआ के पास आये और पूछाः क्या तुम ने हज्ज करने का इरादा किया है? उन्होंने कहाः हाँ, इरादा तो किया है लेकिन मैं अक्सर बीमार हो जाती हूँ। आप ने फ़रमायाः (कोई बात नहीं) हज्ज का इरादा कर लो लेकिन यह शर्त कर लो "ऐ अल्लाह! मैं वहीं एहराम खोल दूँगी जहाँ तू रोक देगा (यानी बीमार कर देगा) और वह मिक्दाद रज़ि॰ के निकाह में थीं (मुस्लिम-मुहरिम के शर्त के जाइज़ होने का बाब)

बाब {जो शख़्स जुब्बा पहने-पहने एहराम बाँध ले और जुब्बा से खुश्बू भी आ रही हो, उसे क्या करना चाहिये?}

677:- याला बिन उमय्या रज़ि॰ ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिईराना के स्थान पर ठहरे हुये थे कि इसी दर्मियान एक व्यकित आप के पास आया, जो जुब्बा पहने हुये था और उस के जुब्बे से खुश्बू भी आ रही थी (या उस के जुब्बे पर पीले रन्ग के खुश्बू का निशान था) वह आप से कहने लगाः उम्रा के बारे में आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? इसी बीच आप ने अपने ऊपर कपड़ा डाल लिया और आप पर वह्यि नाज़िल होने लगी। मेरी इच्छा थी कि आप को वह्यि आने की हालत में देखूँ। इसी बीच उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ ने मुझ से पूछाः क्या तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह्यि उतरने की हालत में देखना चाहते हो? फिर उन्होंने आप के कपड़े का कोना उठा दिया तो मैं ने देखा कि आप हाँप रह हैं और ख़र्राटे ले रहे हैं। हदीस के रावी ने कहाः शायद अबू याला ने यह कहा कि "जैसे कोई जवान ऊँट हाँप रहा हो।" फिर जब वह्यि का उतरना समाप्त हो गया तो आप ने फ़रमायाः उम्रा के बारे में मस्अला पूछने वाला कहाँ गया? फिर फ़रमायाः अपने जुब्बे से खुश्बू या पीला पन को धो डालो और अपना जुब्ब एतार दो और उम्रा में भी वही कुछ करो जो हज्ज में करते हो।

फ़ाइदाः- इस हदीस में खुश्बू के असर को तीन बार धोने का हुक्म है। जबकि आइशा रज़ि॰ कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बाँधने से पहले बेहतरीन खुश्बू लगाते थे। उस खुश्बू की चमक आप के सर और दाढ़ी में एहराम के बाद भी चमकती थी (मुस्लिम) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब्बैक पुकारते समय भी आप की माँग में खुश्बू (मुश्क) की चमक देखती थी (मुस्लिम) इस के अलावा मुस्लिम में इस विषय की और बहुत सी हदीसें मौजूद है। मामला यह है कि अबू याला वाली हदीस जिस में खुश्बू के असर को धोने का हुक्म है यह सन 8 हिजरी की है, और आइशा की हदीस अन्तिम हज्ज (सन 10 हिज्री) की है, इसलिये आइशा की हदीस से याला की हदीस मन्सूख़ है। एहराम में नहाने के बाद अगर खुश्बू का असर बाक़ी रहे तो इस में कोई हरज नहीं। हाफ़िज़ इब्ने हजर रह॰ ने यही ततबीक़ दी है। जहाँ तक कुर्ता उतारने का प्रश्न है तो चूँकि वह जुब्बा, या कुर्ता, या क़मीस, या चोग़ा सिला हुआ था इसलिये

उसे उतार देना ज़रुरी है। एहराम की हालत में सिला हुआ कपड़ा पहनना दुरुस्त नहीं। फिर चूँकि जुब्बे में केसर लगा था जो पीला होता है और शरीअ़त ने ज़ाफ़रान और वर्स से रंगा हुआ कपड़ा पहनने से मना किया है। इसलिये भी उसे उतारने का हुक्म दिया। (देखें नीचे की हदीस 678)

इब्ने उमर रज़ि॰ हमेशा सादा तेल प्रयोग करते थे (बुख़ारी-1537-सअ़ीद बिन जुबैर) यह उन का अपना अ़मल है, हमें उन से कुछ लेना-देना नहीं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। इमाम बुख़ारी रह॰ ने एक बाब बाँधा है जो नक़ल कर देने योग्य है "इब्ने अ़ब्बास ने कहाः मुहरिम खुश्बूदार फूल सूँघ सकता है। शीशा देख सकता है। अन्गूठी पहन सकता है, हम्माम में जा सकता हैं, दाढ़ के दाँत दर्द में उखाड़ सकता है" (किताबुल् हज्ज-बाब 18)

बाब {एहराम बाँधने वाला किस प्रकार के वस्त्र न पहने?}

678:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से आ कर पूछा कि मुहरिम किस प्रकार के कपड़े पहने? आप ने फ़रमायाः कुर्ता, अ़मामा (पगड़ी) पाजामा और कोट जिस में टोपी लगी हो न पहनो, इसी प्रकार मोज़े भी न पहनो, लेकिन अगर चप्पल नहीं है तो उसे टख़्नों तक काट कर पहनो, ज़ाफ़रान (केसर) लगा हुआ कपड़ा भी न पहनो और न ही वर्स (कोमल) में रंगा हुआ कपड़ा पहनो।

679:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को खुत्बा में फ़रमाते सुनाः पाजामा उस के लिये (पहनना जाइज़) है जिस के पास तहबन्द न हो और इसी प्रकार जो मुहरिम जूता न पाए वह मोज़ा पहन सकता है।

फ़ाइदा:– इस मस्अले में तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि हदीस में जिन चीज़ों से मना किया गया है एहराम की हालत में उन्हें प्रयोग करना नाजाइज़ है। क़मीस से मुराद हर सिला हुआ कपड़ा। पगड़ी या टोपी से मुराद हर वह चीज़ जिस से सर ढका जाता है। मोज़ा से मुराद हर वह जूता या जुर्राब जिस के पहनने से पैर के टख़्ने छुप जायें। आजकल महिलाएँ सिला हुआ कपड़ा पहनती हैं तो यह मजबूरी की हालत में जाइज़ है। अल्बत्ता चेहरे को ऐसे कपड़े से न ढके जो कपड़ा चिपका रहे। आ़इशा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि हज्ज के दर्मियान जब लोग हमारे सामने से गुज़रते तो हम झट सर से चहरे पर पर्दा डाल लेतीं, और जब वह गुज़र जाते तो चेहरा खोल लेतीं।

आ़म तौर पर महिलाएँ हरम में काले नक़ाब पहने दिखाई देती हैं, यह अच्छा नहीं है। रन्गीन कपड़ा पहनना अच्छा नहीं। हज्ज करने से पहले सफ़ेद नक़ाब सिलवा लें। और उसे पहनें। आज तक उलमा ने इस की तरफ़ तवज्जोह नहीं की है। यह आवाज़ उठनी चाहिये ताकि मर्द औरत सभी सफ़ेद लिब्बास में नज़र आयें। इसी प्रकार सफ़ेद छतरी का

ही केवल प्रयोग करें। जब सफ़ेद नक़ाब और छतुरी से भी आवश्यकता पूरी हो जाती है और एक रंग में नज़र आते हैं तो फिर इसी ही को प्रयोग करना चाहिये।

बाब {मुहरिम के लिये शिकार का माँस खाना कैसा है?}

680:– सअ़ब बिन जस्सामा लैसी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जन्गली गधे का माँस तोहफ़ा (उपहार) में पेश किया, उस समय आप "उद्दान" या "अबवा" के स्थान पर ठहरे हुये थे। लेकिन आपने उस माँस को वापस कर दिया। फिर जब आप ने मेरे चेहरे पर रन्ज का प्रभाव देखा तो फ़रमायाः मैं ने किसी और कारण से नहीं वापस किया है, बात यह है कि हम लोग एहराम की हालत में हैं।

681:– इमाम ताऊस ने बयान किया कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बतायाः जब ज़ैद बिन अ़र्कम रज़ि॰ आये तो मैं ने उन से पूछाः मुझे भी उस माँस के बारे में बतायें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को एहराम की हालत में हदिया किया गया था। इस पर ज़ैद रज़ि॰ ने कहाः आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को शिकार का एक हिस्सा हदिया में दिया गया था, लेकिन आप ने यह कह कर उसे लौटा दिया कि हम लोग एहराम की हालत में हैं।

फ़ाइदाः– इब्ने ख़ुज़ैमा और अबू अ़वाना की रिवायत में है कि जन्गली गधे का माँस भेजा। मुस्लिम की रिवायत में है कि रान या पट्ठा भेजा जिस से ख़ून टपक रहा था। बैहक़ी की रिवायत में है कि पट्ठा भेजा उस समय आप जोहफ़ा में थे, चुनान्चे आप ने खाया और दूसरों को भी खिलाया। इमाम बैहक़ी ने कहा कि हो सकता है शुरु में जीवित भेजा हो जिसे आप ने नहीं लिया, बाद में ज़ब्ह कर के भेजा तो आप ने ले लिया और खाया।

अगर ग़ैर मुहरिम, मुहरिम को खिलाने की निय्यत से शिकार करता है तो मुहरिम के लिये खाना दुरुस्त नहीं। और अगर अपने लिये करता है, लेकिन बाद में मुहरिम को भी देता है तो उस का खाना दुरुस्त है, जैसे क़तादा रज़ि॰ के शिकार हुये गधे का माँस (हदीस न॰ 682) जस्सामा का आप ने हो सकता है इसीलिये वापस कर दिया हो कि उन्होंने आप को खिलाने की निय्यत से शिकार किया हो, या जीवित शिकार भेजा हो। इन दोनों सूरतों में मुहरिम के लिये खाना दुरुस्त नहीं।

प्रश्न यह है कि क्या मुहरिम एहराम की हालत में पालतू जानवर ज़ब्ह कर के उस का माँस खा सकता है? अनस बिन मालिक और इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰, ऊँट, गाय, बक्री, मुर्गी, घोड़ा को ज़ब्ह करना जाइज़ समझते हैं, क्योंकि यह शिकार के जानवर नहीं हैं (बुख़ारी–किताब 28, बाब 2)

अगर किसी ने एहराम की हालत में शिकार किया तो उसे हर्जाना देना पड़ेगा।

तफ़सील के लिये देखें सूरः माइदा 95। संक्षिप्त में यह कि एहराम की हालत में शिकार करना हराम है। अगर कोई ग़ैर मुहरिम अपने लिये शिकार करता है (और मोहरिम ने शिकार करने में सहायता न की हो, यहाँ तक कि इशारा तक भी न किया हो) तो मोहरिम उसे खा सकता है। जैसा कि अबू क़तादा रज़ि० की रिवायत में है (देखें नीचे की ह़दीस 682)

बाब {अगर किसी नामुररिम शिकारी ने शिकार किया हो तो मुहरिम के लिये उस माँस का खाना जाइज़ है।}

682:– अबू क़तादा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हज्ज के इरादा से (मदीना से मक्का के लिये) रवाना हुये तो उस समय मैं आप के साथ था। क़तादा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक दूसरा रास्ता पकड़ कर चले और कुछ सहाबा से फ़रमाया कि तुम लोग समुन्दर की राह पकड़ कर चलो (ताकि दुश्मनों पर नज़र रहे) चुनान्चे मैं भी उन्हीं सहाबा के साथ था। बहर हाल उन्होंने समुन्दर का रास्ता पकड़ा और रवाना हुये (आगे चलकर) जब नबी करीम सल्लल्लाहु से अ़लैहि वसल्लम मिलने के लिये रास्ता बदला तो उस समय तमाम लोगों ने एहराम बाँध लिया, लेकिन मैं ने एहराम नहीं बाँधा। राह चतले उन्होंने कुछ जन्गली गधे देखे तो मैं ने उन पर हम्ला कर दिया और एक को पकड़ कर उस के पैर काट दिये। फिर समस्त साथियों ने रूक कर उस का माँस खाया। खाने के बाद कहने लगे कि हम ने माँस तो खा लिया, लेकिन एहराम की हालत में थे, इसलिये बाक़ी बचा हुआ माँस साथ ले लिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! हम लोगों ने तो एहराम बाँध लिया था लेकिन अबू क़तादा बिना एहराम के थे। इसी दर्मियान हम लोगों ने कुछ जन्गली गधे देखे, जिन पर अबू क़तादा ने आक्रमण कर दिया और एक को पकड़ कर उस के पैर काट दिये। फिर हम लोगों ने ठहर कर उस का माँस खाया। फिर ख़याल आया कि हम लोग एहराम की हालत में शिकार किया हुआ माँस खा रहे हैं, इसलिये बचा हुआ माँस भी साथ लेते आये हैं। आप ने पूछाः तुम में से किसी ने क़तादा को शिकार करने को कहा था, या इशारा किया था? सहाबा ने उत्तर दियाः नहीं। आप ने फ़रमायाः फिर जो बाक़ी बचा है उसे भी खाओ (और हमें भी खिलाओ)

फ़ाइदा:– अबू क़तादा एहराम की हालत में नहीं थे। उन्होंने केवल अपने लिये शिकार किया था। मोहरिम सहाबा ने उन की कोई सहायता नहीं की, शिकार की तरफ़ इशारा तक नहीं किया, यहाँ तक कि कोड़ा तक उठा कर नहीं दिया, इसलिये मुहरिम के लिये उस शिकार का खाना जाइज़ है। यह ह़दीस बुख़ारी शरीफ़ में भी आयी है (बुख़ारी–1821, 1822, 1823, 1824, 1825–अबू क़तादा रज़ि०) यह बात याद रहे के मुहरिम के लिये दरिया का

शिकार जाइज़ है, इस में किसी प्रकार का इख़्तिलाफ़ नहीं। इस की अनुमति कुरआन से भी साबित है (देखें: पार:7, सूर:माइदा 96)

बाब {एहराम की हालत में किन–किन जानवरों को मारना जाइज है?}

683:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया–पाँच जाति के जानवर ऐसे हैं कि उन्हें हरम के अन्दर भी मार डालने में कोई पाप नहीं (1) चूहा (2) बिच्छू (3) कौआ (4) चील (5) कटहा कुत्ता।

684:–इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: पाँच प्रकार के जानवर ऐसे हैं जिन्हें एहराम की हालत में भी मार डालने में कोई गुनाह नहीं (1) चूहा (2) बिच्छू (3) कौआ (4) चील (5) बावला कुत्ता।

फ़ाइदा:– यह पाँच जानवर इन्सान के लिये बड़े हानिकारक है, इस पर कुछ अधिक लिखने की आवश्यक्ता नहीं। इन से सभी का पाला पड़ता रहता है। (बुख़ारी–1826, 1827–अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰+1828, 1829–आइशा रज़ि॰) साँप का भी मारना जाइज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मिना के किसी खोह में थे और सूर:मुर्सलात नाज़िल हो रही थी कि ऊपर से एक साँप गिरा आप ने फ़रमाया: उसे मार डालो। इस्माईल की रिवायत में है कि यह घटना अरफ़ा की रात की है। ज़ाहिर है उस समय लोग एहराम की हालत में थे। (बुख़ारी–1830–अब्दुल्लाह) इब्ने बर्र ने कहा कि छिपकली को भी बिच्छू आदि पर क़ियास कर के मारना जाइज़ है। आइशा रज़ि॰ ने फ़रमाया: छिपकली को आप ने हानिकारक तो बताया है लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आप ने मारने का भी हुक्म दिया है (बुख़ारी–1831–आइशा) छिपकली का मारना यूँ भी दुरुस्त है कि यह नमरुद के आग में फूँक मार रही थी ताकि भड़क कर इब्राहीम अ़लै॰ को जला दे (बुख़ारी) लोग गिरगिट को मारते हैं, यह ग़लत है। हदीस में छिपकली का शब्द आया है।

बाब {मुहरिम, एहराम की हालत में पोछना लगवा सकता है।}

685:– इब्ने बुजैना रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मक्का के रास्ते में (हज्ज के लिये जाते हुये) एहराम की हाल में अपने सर के बीच में पोछना लगवाया।

फ़ाइदा:– मालूम हुआ कि एहराम की हालत में पोछना लगवाना जाइज़ है। इसी प्रकार अहम ज़रुरत पड़ने पर आपरेशन को भी शामिल किया जा सकता है। इस के विपरीत रोज़ा की हालत में पोछना लगाने और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट जाता था। आप ने रोज़ा की हालत में मना फ़रमाया था, लेकिन बाद में आप ने स्वँय रोज़ा की हालत में पोछना लगवाया (बुख़ारी) और अनुमति दे दी। इस प्रकर पहले की हदीस मन्सूख़ हो गयी।

बाब {मुहरिम, एहराम की हालत में अपनी आँखों में दवा डाल सकता है।}

686:– वहब के पुत्र नुबैह से रिवायत है उन्होंने बयान किया हम लोग उस्मान के पुत्र इबान के साथ (हज्ज के लिये) रवाना हुये। जब मलल् नामक स्थान पर पहुँचे तो उबैदुल्लाह के पुत्र उमर की आँखें दुखने लगीं (लेकिन यात्रा जारी रखी) मगर जब रौहा नामक स्थान पर पहुँचे तो बेहाल हो गये। चुनान्चे इबान को सूचित कर के उपचार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि एलवे (नामक कडुवे) फल का लेप कर लो (दर्द जाता रहेगा) क्योंकि उस्मान रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब एहराम की हालत में आँखें दुखने लगें तो उस पर एलवे का लेप कर लो।

फ़ाइदा:– इबान बिन उस्मान रज़ि॰ उस समय हज्ज के क़ाफ़िले के अमीर थे। मालूम हुआ कि दवा के तौर पर सुर्मा, एलवा और दूसरी वस्तुएँ प्रयोग करने में कोई हरज नहीं। लेकिन सुन्दरता और खूबसूरती के लिये प्रयोग करना ठीक नहीं है। इस हदीस को अहमद, बैहक़ी, अबू दावूद, तिर्मिज़ी और नसई नेभी रिवायत किया है।

बाब {मुहरिम (एहराम बाँधने वाला) अपने सर को धो सकता है।}

687:– अ़ब्दुल्लाह बिन हुनैन ने बयान किया कि एक मर्तबा इब्ने अ़ब्बास और मिस्वर बिन मख़्रमा रज़ि॰ के बीच अबवा के स्थान पर कहा-सुनी हो गयी। मामला यह था कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ का मानना था कि मुहरिम अपना सर धोये (इस में कोई हरज नहीं) लेकिन मिस्वर रज़ि॰ इस के ख़िलाफ़ थे। चुनान्चे इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने मुझे अबू अय्यूब रज़ि॰ के पास भेजा ताकि इस के बारे में उन से मालूमात करें। जब मैं उन से मिला तो वह उस समय कुँए की दो लकड़ियों के बीच बैठे स्नान कर रहे थे और कपड़े से आड़ किये हुये थे। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने पूछाः कौन? मैं ने कहाः अ़ब्दुल्लह बिन हुनैन, मुझे इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने आप के पास इस उद्देश्य से भेजा है कि आप से मालूम करूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एहराम की हालत में अपना सर किस प्रकार धोते थे? यह सुन कर अबू अय्यूब रज़ि॰ ने अपने दोनों हाथों को पर्दे के कपड़े के ऊपर रख दिया और अपना सर झुका लिया ताकि मैं देख सकूँ। फिर जो उन के ऊपर पानी डाल रहा था उस से कहा कि पानी डालो, और वह अपने सर को हिलाने और अपने हाथो से आगे-पीछे मलने लगे। फिर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इसी प्रकार अपना सर धोते थे।

फ़ाइदा:– बुख़ारी की रिवायत में आगे इतना और भी है कि है कि मिस्वर रज़ि॰ ने अ़ब्बास से कहाः भविष्य में मैं आप से कभी बहस नहीं करुँगा। इस मस्अले में लग-भग सभी उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि एहराम की हालत में सर धोना, उस में पानी डालना, उसे मलना जाइज़ है। इसी प्रकार गर्मी में ठन्ड पहुँचाने के लिये स्नान करने को भी जाइज़ कहा है। इख़्तिलाफ़ स्नान करने में नहीं, बल्कि स्नान में सर धोने को लेकर है। इमाम मालिक रह॰ का कहना है कि जनाबत के स्नान को छोड़ कर और हालत में स्नान के

समय सर धोना मक्रुह है। लेकिन जमहूर उलमा के नज़दीक दुरुस्त है। इसी प्रकार साबुन भी लगा कर नहाना जाइज़ है, लेकिन साबुन खुश्बूदार न हो।

बाब {मुहरिम के फ़िदया (हर्जाना) देने का बयान।}

688:– अ़ब्दुल्लाह बिन माकि़ल बयान करते हैं कि मैं कअ़ब बिन अ़ज्रा के पास मस्जिद में बैठा हुआ था। इसी दर्मियान मैं ने (सूरः बक़रः की आयत 196 में) फ़िदया के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः यह आयत तो मेरे बारे में नाज़िल हुयी थी। फिर घटना बयान करते हुये कहने लगे कि मेरे सर में (जूँ पड़ जाने की वजह से) बड़ी तकलीफ़ थी। चुनान्चे मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास ले जाया गया तो उस समय जूँ मेरे सर से चेहरे पर टपक रही थीं। आप ने फ़रमायाःमैं यह सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हें अतनी अधिक तक्लीफ़ और परेशानी होगी। अच्छा, यह बताओ–क्या तुम्हारे पास बक्री है? मैं ने कहाःनहीं। इस पर यह आयत नाज़िल हुयीः "अगर किसी के सर में तक्लीफ़ है तो सर मुँडा ले, लेकिन कफ़्फ़ारा अदा करे। वह यह कि या तो रोज़े रखे, या सदक़ा दे, या कुर्बानी करे" (सूरः बक़रः196) कअ़ब बिन अजरा ने बयान कियाःतीन रोज़े रखने होंगे, या छः मोहताजों को खाना खिलाना होगा, या आधा साअ़ा अनाज हर फ़क़ीर को देने होगे। आगे यह भी फ़रमाया कि यह आयत उतरने के लिहाज़ से तो मेरे साथ ख़ास है, लेकिन अ़मल के एतबार से लोगों के लिये आ़म है।

फ़ाइदाः– कुछ उलमा का कहना है कि गेहूँ आधा साअ़ा और खजूर एक साअ़ा दे, जैसे इमाम अबू हनीफ़ा और कूफ़ा वाले। लेकिन हदीस की मौजूदगीमें इन लोगों का फ़र्क़ करना दुरुस्त नहीं है। याद रहे कि सर में जूँ वग़ैरह की वजह से मजबूरी में सर मुँड़ाने पर कफ़्फ़ारा है तो फिर अगर कोई बिला वजह बाल कटवा ले यह कितना बड़ा गुनाह है इस का अनुमान आप लगा सकते हैं। तफ़्सील के लिये देखे बुख़ारी शरीफ़–1816, 1817, 1818। यह बात मालूम रहे के सर के बालों का जो हुक्म है वही शरीर के समस्त स्थानों के बालों का भी है।

बाब {जो हाजी एहराम की हालत ही में मर जाये उस का कफ़न–दफ़न किस प्रकार किया जाये?}

689:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक व्यक्ति (एहराम की हालत में) अपने ऊँट से गिर पड़ा जिस से उस की गर्दन टूट गयी और वह मर गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उसे बैरी के पत्ते मिले हुये पानी से नहला कर उसी के दो कपड़ों में कफ़ना दो और उस का सर न ढँको, इसलिये कि क़ियामत के दिन अल्लाह उस को लब्बैक पुकारता हुआ उठायेगा।

फ़ाइदाः– बुख़ारी की रिवायत में है कि एहराम ही के कपड़ों में कफ़ना दो, लेकिन न खुश्बू लगाना और न हनूत लगाना और न सर ढाँपना (बुख़ारी–1849, 1850, 1851

अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास)

बाब {"ज़ी तुवा" के स्थान पर रात बिताना और मक्का में दाख़िल होने से पहले स्नान करने का बयान।}

690:– इमाम नाफ़े ने बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि॰जब तलक "ज़ी तुवा" में रात न बिता लेते, मक्का में न दाख़िल होते। फिर सुब्ह को उठ कर स्नान करते और दाख़िल होते और कहते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही किया है।

फ़ाइदाः– 'ज़ी तुवा' मक्का के निकट एक स्थान का नाम है जिसे अब "आबारे-ज़ाहिद" कहा जाता है। आजकल यह शहरी आबादी में शामिल हो गया है। मक्का में दाख़िल होने से पहले स्नान करना सभी के निकट केवल मुस्तहब है। जो रास्ता मु-अ़ल्ला क़ब्रस्तान से होकर शहर में गया है उस रास्ते से अन्दर दाख़िल होते थे। जो इन बातों की पाबन्दी कर सकता है उस के लिये ऐसा करना मुस्तहब है, और जिस के लिये ऐसा करना कठिन और असंभव हो तो न करने में कोई गुनाह भी नहीं।

बाब {मक्का–मदीना में एक रास्ते से दाख़िल हो और दूसरे रास्ते से निकले।}

691:– इमाम नाफ़े से रिवायत है कि इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान कियाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मदीना से निकलते तो "शजरा" की राह से निकलते और जब मदीना में दाख़िल होते तो "मु-अ़र्रस की राह से दाख़िल होते। और जब मक्का में दाख़िल होते तो ऊँचे टीले से दाख़िल होते और जब निकलते तो नीचे के टीले की राह से निकलते।

फ़ाइदाः–'मु-अ़र्रस' मदीना से छः मील की दूरी पर एक स्थान का नाम है। हाजी जब वहाँ पहुँचे तो दाख़िल हो और निकलते समय इन मामूली बातों का भी ख़याल रखे, क्योंकि ऐसा करना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है और मुस्तहब है।

बाब {हाजियों के मक्का में उतरने का बयान।}

692:– उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछाः क्या आप मक्का में अपने घर ठहरेंगे? इस पर आप नेफ़रमायाः क्या अ़क़ील ने हमारे लिये कोई घर या मोहल्ला छोड़ा भी है (कि हम वहाँ टहरें) चूँकि अबू तालिब के देहान्त के बाद उन के तर्का के मालिक अ़क़ील और तालिब हुये थे (जो ईमान नहीं लाये थे) और अ़ली और जाफ़र रज़ि॰ वारिस नहीं हुये थे, क्योंकि (इन का जुर्म यह था कि) यह दोनों मुसलमान थे और वह दोनों काफ़िर थे।

फ़ाइदाः–"अक़ील ने हमारे ठहरने के लिये कोई घर छोड़ा भी है?" नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के चार बेटे और दो बेटियाँ थीं। तालिब

सब से बड़े थे जो कुफ़्र की हालत में मरे। अ़कील, यह तालिब से 10 वर्ष छोटे और जाफ़र से 10 वर्ष बड़े थे। बद्र की लड़ाई में दुश्मनों की तरफ़ से थे और बन्दी बनाये गये थे। हुदैबिया से पूर्व ईमान लाये और मूता की जन्ग में शरीक हुये। अमीर मुआ़विया के शासन काल में देहान्त किया। यह हसब-नसब के बहुत बड़े ज्ञानी थे। अबूतालिब का तर्का इन्हीं दोनों (अक़ील, तालिब) को मिला था। इन्होंने खा-पी कर, बेच-बाँच कर कुफ़्र की हालत में सब बराबर कर दिया था, यहाँ तक कि रहने का भी ठिकाना नहीं बचा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इशारा इन्ही अक़ील की तरफ़ था। वैसे भी अगर किसी मुहाजिर का मक्का में अपना पुराना घर बचा हो तो हज्ज के बाद उस में तीन दिन से अधिक नहीं ठहर सकता है। क्योंकि जिस चीज़ को अल्लाह की राह में छोड़ दिया अब उस से कोई तअ़ल्लुक़ नहीं रह गया। यह रिवायत मुस्लिम की है और इस के रावी अ़ला बिन हज़रमी रज़ि॰ हैं।

बाब {तवाफ़ और (सफ़ा-मर्वा के दर्मियान) सअ़ी करते समय दुल्की चाल चलने का बयान।}

693:- इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवाश्यत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब हज्ज या उम्रा में पहले पहल तवाफ़ करते तो शुरु के तीन चक्कर दुल्की चाल चल कर लगाते और बाक़ी चार चक्कर आ़म रफ़्तार से चल कर लगाते। फिर दो रक्अ़त नमाज़ अदा कर के सफ़ा-मर्वा के दर्मियान सअ़ी करते।

694:- जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हजरे-अस्वद से हजरे-अस्वद तक तीन चक्करों में दुल्की चाल चली।

695:- अबू तुफ़ैल रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से पूछाः आप का क्या ख़्याल है, क्या बैतुल्लाह का तवाफ़ तीन मर्तबा दुल्की चाल के साथ और चार मर्तबा आ़म रफ़्तार से चल कर करना सुन्नत है? आप की क़ौम के लोगों का कहना है कि इस प्रकार तवाफ़ करना सुन्नत है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहाः वह झूठ भी बाले रहे हैं और सच भी बोल रहे हैं। मैं ने पूछाः सच और झूठ का क्या अर्थ है? उन्होंने कहाः जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मक्का आये तो मुश्रिकों ने हसद की वजह से कहना शुरू कर दिया कि मुहम्मद और उन के सहयोगी लोग बैतुल्लाह का तवाफ़ कमज़ोरी के नाते नहीं कर पायेंगे। इस पर आप ने आदेश दिया कि तवाफ़ करते समय तीन बार दुल्की चाल चल कर और चार बार दर्मियानी चाल चल कर तवाफ़ करें (इसी को उन्होंने ज़रुरी और अनिवार्य समझ लिया यह उन का झूठ है)

फिर मैं ने पूछाः आप हमें सफ़ा-मर्वा के दर्मियान सवार होकर सअ़ी करने के बारे में बतायें, क्या इस प्रकार करना सुन्नत है? आप के साथी तो इसे सुन्नत बताते हैं। उन्होंने कहाः वह सच बोल रहे हैं और झूठ भी। मैं ने पूछाः इस का क्या अर्थ है? उन्होंने बतायाः

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मक्का में तशरीफ़ लाये तो लोगों की इतनी भीड़ जमा हो गयी यहाँ तक कि कुँवारी महिलायें भी बाहर निकल आयीं। लोग पुकार -पुकार कर कहने लगे- यह देखोः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आ गये, यह देखोः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आ गये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का हाल यह था कि आप के सामने से लोग हटाये नहीं जा सकते थे (जैसा कि आज कल लीडरों के आने पर होता है) इसलिये भीड़ से बचने के लिये आप सवार हो गये। इस प्रकार पैदल सअ़ी करना अफ़्ज़ल है (लोगों ने बिला वजह सुन्नत कह कर झूठ बोला। हाँ आप ने सवार होकर किया यह सच है)

फ़ाइदाः- सच यूँ है कि आप ने सवार होकर सअ़ी किया और तीन फेरा दुल्की चाल चल कर तवाफ़ किया। और झूठ यूँ बोला कि कभी आवश्यक्ता पड़ने पर आप ने ऐसा कर लिया तो लोगों ने उसे ज़रुरी समझ लिया और सुन्नत मान लिया।

'दुल्की चाल (रम्ल) चल कर तवाफ़ करने का आरंभ यूँ हुआ कि सन 7 हि॰ में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उम्रा के लिय मक्का आये तो मुश्रिकों ने कहना शुरु कर दिया कि मुहम्मद और उन के साथी लोगों को मदीना के बुख़ार (ज्वर) ने कमज़ोर कर दिया है। इस पर आप ने सहाबा को हुक्म दिया कि तवाफ़ के तीन फेरों में हजरे-असव्द और रुक्ने-यमानी के दर्मियान दुल्की चाल चलें। जब मुश्रिकों ने देखा तो कहने लगेः क्या यह वही लोग हैं जिन के बारे में ख़याल था कि बुख़ार ने इन्हें कमज़ोर कर दिया है? यह तो हम से अधिक शक्तिशाली हैं (बुख़री, अबू दावूद-इब्ने अ़ब्बास) इस के बाद यह सुन्नत हो गयी और सहाबा बराबर इस पर अ़मल करते रहे। उमर रज़ि॰ ने अपने ख़िलाफ़त के शासन काल में इसे बन्द कर देना चाहा और कहाः "अब इस की कोई आवश्यक्ता नहीं रह गयी। ऐसा कर के मुश्रिकों को अपनी शक्ति दिखानी थी और वह लोग हलाक हो चुके हैं" लेकिन बाद में फिर कहाः "चूंकि इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़मल किया है इसलिये इसे छोड़ना हम पसन्द नहीं करते" (बुख़ारी-1604, 1605, 1606 इब्ने उमर रज़ि॰)

चूँकि मुश्रिक लोग रुक्ने-यमानी और हजरे-अस्वद के पास जमा होते थे इसीलिये उस स्थान पर दुल्की चाल चलने का हुक्म हुआ ताकि वह देखें। यह सुन्नत आज भी ज़िन्दा रहनी चाहिये ताकि टी. वी वग़ैरह में मुश्रिक और काफ़िर लोग अपनी आँखों से देखें। इस से सामने वाले पर रोब पड़ता है। हाँ, महिला इस प्रकार तवाफ़ न करे, वह आ़म चाल चल कर ही तवाफ़ करे। इस पर सभी का इत्तिफ़ाक़ है।

बाब {तवाफ़ के दौरान हजरे-अस्वद का बोसा लेने का बयान।}

696:- अ़ब्दुल्लाह बिन सर्जस ने बयान किया कि मैं ने "अस्ला" यानी उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ को देखा कि वह हजरे अस्वद को बोसा लेते तो यह कहतेः "अल्लाह की क़सम! मैं तुझे चूम तो रहा हूँ लेकिन जानता हूँ कि तू बस एक पत्थर है जो न हानि

पहुँचा सकता है और न लाभ। और अगर मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बोसा लेते न देखा होता तो तुझे कभी न चूमता।"

फ़ाइदा:–'अस्ला' का अर्थ है "चन्डोल" जिस के सर के बाल उड़ गये हों। उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ के सर के बाल झड़ गये थे। इस पत्थर को या तो बोसा लें, या इस्तेलाम करें। 'इस्तेलाम' का अर्थ यह है कि हाथ या लक्ड़ी आदि से छू कर उस को चूमना। इब्ने उमर रज़ि॰ ने हजरे अस्वद को हाथों से छुवा फिर अपने हाथ को चूमा और फिर फ़रमाया: मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इसी प्रकार करते देखा (मुस्लिम,बुख़ारी) अगर चूमना संभव हो तो चूमे और उस पर अपना सर रखे और अपने गाल को रगड़े (अबू याला) यह संभव न हो तो हाथ से छू कर हाथ को चूमे (बुख़ारी, मुस्लिम) भीड़ की वजह से यह भी संभव न हो तो उस के सामने खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहते हुये उस की तरफ़ हाथ से इशारा कर लेना ही मुस्तहब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ को ऐसा ही करने का हुक्म दिया था (अहमद)। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने छड़ी से छू कर उस छड़ी को चूमा (मुस्लिम) महिला के लिये भीड़-भाड़ में चूँकि बोसा लेना संभव नहीं, इसलिये छड़ी से छू ले, या सामने खड़ी होकर अल्लाहुअकबर कह ले। आ़इशा रज़ि॰ की एक नौकरानी ने कहा: मैं ने दो या तीन मर्तबा हाथ से छू कर चूमा। उन्होंने कहा: अल्लाह तुम्हें सवाब न दे। तुम मर्दों से धींगा मुश्ती करती हो, बस बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अक्बर ही कह लेना काफ़ी था (मुस्नद इमाम शाफ़अ़ी)

बाब {हजरे–अस्वद और रुक्ने–यमानी को बोसा देना}

697:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि जब से मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को हजरे-अस्वद और रुक्ने-यमानी को बोसा लेते देखा उस के बाद से मैंने भी सख़्ती या नर्मी (भीड़-भाड़) में कभी भी बोसा लेना नहीं छोड़ा।

698:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने बयान किया कि मैं ने दोनो रुक्नों (जिन का बयान हुआ) के अ़लावा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को और किसी वस्तु को बोसा लेते नहीं देखा।

बाब {सवारी पर बैठ कर तवाफ़ करने का बयान।}

699:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवाय़त है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्तिम हज्ज के मौक़ा पर ऊँटनी पर सवार हो कर तवाफ़ किया और हजरे अस्वद पत्थर को छड़ी से छुवा ताकि लोग देखें (सवार होने का दूसरा उद्देश्य यह था) कि आप ऊँचे हो जायें और लोग मस्अले पूछ सकें, इसलिये कि उस समय लोगों ने आप को पूरी तरह से घेर रखा था।

फ़ाइदा:– इस हदीस से मालूम हुआ कि सवार होकर तवाफ़ करना दुरुस्त है। बीमारी

में आप ने अनुमति दी है उम्मे सलमा की पुत्री ज़ैनब रज़ि॰ को (बुख़ारी-1633 उम्मे सलमा रज़ि॰) आपे ने मजबूरी की वजह से सवारी पर तवाफ़ किया। मजबूरी क्या थी देखें हदीस न॰ 695, वैसे अफ़ज़ल बहरहाल पैदल तवाफ़ करना है अगंचे सवारी पर जाइज़ है।

बाब {किसी मजबूरी की वजह से सवार होकर तवाफ़ करने का बयान।}

700:- उम्मे सलमा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अपनी बीमारी की शिकायत की तो आप ने फ़रमायाः सब लोगों के पीछे सवारी पर तवाफ़ कर लो। चुनान्चे मैं तवाफ़ कर रही थी और आप बैतुल्लाह शरीफ़ के एक तरफ़ मुँह कर के नमाज़ में सूरःतूर पढ़ रहे थे. (जिसे मैं सुन रही थी)

फ़ाइदाः- मजबूरी में बिला शुब्हा जाइज़ है। इस में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी मजबूरी के नाते सवार होकर तवाफ़ किया था, देखें ऊपर की हदीस 695 बहरहाल अफ़ज़ल यही है कि पैदल किया जाये।

बाब {सफ़ा-मर्वा के बीच तवाफ़ करने का बयान। अल्लाह तआ़ला ने सूरःबक़र- की आयत 158 में फ़रमायाः "सफ़ा और मर्वा पर्वत अल्लाह की निशानियों में से हैं।}

701:- उर्वा बिन जुबैर ने बयान किया कि मैं ने आ़इशा रज़ि॰ से कहाः अगर कोई सफ़ा-मर्वा का तवाफ़ न करे तो मेरे ख़याल से इस में कोई हरज नहीं है। इस पर उन्होंने कहाःऐसा क्यों? मैं ने कहा-इसीलिये कि अल्लाह तआ़ला ने स्वँय फ़रमाया है "सफ़ा-मर्वा (केवल) अल्लाह की निशानियों में से हैं" (इसलिये मैं कोई हरज नहीं जानता) आ़इशा रज़ि॰ ने कहाः अगर यही बात होती तो अल्लाह यूँ फ़रमाताः "उस का तवाफ़ करने में कोई गुनाह नहीं" और यह आयत अन्सारी लोगों के बारे में नाज़िल हुयी है, क्योंकि जब वह लोग लब्बैक पुकारते तो जाहिलिय्यत के ज़माना में "मुनात" नामक बुत के नाम से पुकारते थे और कहते थे कि हमारे लिये सफ़ा-मर्वा के दर्मियान तवाफ़ करना दुरुस्त नहीं है।

फिर जब (इस्लाम लाने के बाद)नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ हज्ज करने के लिये गये और (अपने जाहिलिय्यत के ज़माने की बातों को) ज़िक्र किया तब अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमायी।

इसलिये मैं अपनी उम्र (आयु) की क़सम खा कर कहती हूँ कि उस हाजी का हज्ज ही मुकम्मल नहीं होगा जो सफ़ा-मर्वा का तवाफ़ नहीं करेगा। एक दूसरी रिवायत में यूँ है कि उन्होंने कहाः "उस हाजी का हज्ज और उम्रा ही पूरा न होगा जब तक सफ़ा-मर्वा का तवाफ़ (सअ़ी) न कर ले।

फ़ाइदाः- जब इब्राहीम अ़लै॰ हाजिराऔर पुत्र इस्माअ़ील को लाकर यहाँ छोड़ गये तो हाजिरा ने पानी की खोज में सफ़ा से मर्वा पर्वत तक सात चक्कर लगाये कि कोई मानव

जाति मिल जाये, या पानी ही नज़र आ जाये। दोनों वादी के बीच में दौड़ भी लगाई। इसी यादगार में सफ़ा-मर्वा की सअ़ी की जाती है (बुख़ारी-इब्ने अ़ब्बास) कुछ लोगों के नज़दीक यह रुक्न है, अगर छूट जाये तो हज्ज ही नहीं होगा। इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ के निकट वाजिब है, छूट जाये तो एक जानवर की कुर्बानी देनी होगी। आ़इशा और इमाम शाफ़अ़ी, इमाम हंबल आदि के निकट रुक्न है।

बाब {सफ़ा–मर्वा के दर्मियान सअ़ी करना (सात फेरे लगाना) केवल एक बार है।}

702:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप के सहाबा ने सफ़ा–मर्वा के दर्मियान (सात फेरे की) सअ़ी केवल एक बार की।

फ़ाइदाः– यानी यकबारगी और एक ही बार में सात चक्कर लगाना ज़रुरी है। कोई दो चक्कर लगा कर बैठ जाये फिर 2 घन्टा के बाद पाँच चक्कर लगाये यह जाइज़ नहीं। इसी ओर हदीस में इशारा है। यह भी मालूम हुआ कि सात चक्कर के बाद समाप्त कर दे। अगर कोई सात चक्कर लगाने के बाद फिर दूसरी बार सात चक्कर लगाये तो यह बिद्अ़त और गुनाह का काम है। पहला सात चक्कर ही उस के लिये काफ़ी हो गया।

बाब { जो व्यक्ति हज्ज का एहराम बाँधे और तवाफ़ और सअ़ी के लिये मक्का में दाख़िल हो वह क्या–क्या करे?}

703:– वबरा (यानी इब्ने अ़ब्दुर्रहमान) से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं इब्ने उमर रज़ि॰ के पास बैठा हुआ था इतने में उन के पास कोई आया और कहने लगाः क्या मुझे अ़रफ़ात जाने से पहले तवाफ़ करना दुरुस्त है? इब्ने उमर रज़ि॰ ने कहाः जी हाँ। वह बोला कि इब्ने अ़ब्बास का यह कहना है कि जब तक अ़रफ़ात न हो ले तवाफ़ ही न करे। यह सुन कर इब्ने उमर ने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज्ज के मौक़े पर अ़रफ़ात जाने से पहले तवाफ़ किया है, अगर तू (इब्ने अ़ब्बास के बारे में) सच कह रहा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बात मानेगा, या इब्ने अ़ब्बास की। एक दूसरी रिवायत में है कि इब्ने उमर रज़ि॰ नेकहाः हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप ने हज्ज का एहराम बाँधा, फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और फिर सफ़ा–मर्वा की सअ़ी की।

फ़ाइदाः– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ का मज़हब यह है कि जो कोई हज्जे–इफ़राद (यानी केवल हज्ज का, हज्ज के साथ उम्रा का नहीं) का एहराम बाँधे तो वह अ़रफ़ात पहले जाये फिर लौट कर तवाफ़ करे। अगर उस ने पहले तवाफ़ कर लिया तो वह हलाल हो जायेगा और हज्ज का एहराम टूट जायेगा। यह ख़याल गलत है और जमहूर उलमा के ख़िलाफ़ है। इमाम बुख़ारी रह॰ ने भी बाब बाँध कर इब्ने अ़ब्बास के मज़हब का रद्द किया है। बाब इस प्रकार बाँधा है "जो व्यक्ति हज्ज या उम्रा की निय्यत से मक्का में आये तो

अपने गाँव लोटने से पहले तवाफ़ करे, फिर दोगाना तवाफ़ करे, फिर सफ़ा पहाड़ पर जाये" (बुख़ारी–किताबुल हज्ज, बाब 63, हदीस 1614, 1615–आइशा रज़ि॰)

सफ़ा–मर्वा के दर्मियान सअ़ी के लिये यह शर्त है कि पहले काबा का तवाफ़ कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसी प्रकार हुक्म दिया है। मालूम हुआ कि कोई हज्ज के लिये आये और काबा का तवाफ़ करने से पहले अ़रफ़ात चला जाये और सफ़ा–मर्वा की सअ़ी कर ले, तो यह जाइज़ नहीं।

704:– अ़म्र बिन दीनार से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने इब्ने उमर रज़ि॰ से प्रश्न किया कि एक व्यक्ति उम्रा करने के उद्देश्य से मक्का आया, उस ने बैतुल्लाह का तवाफ़ तो किया लेकिन सफ़ा–मर्वा के दर्मियान सअ़ी नहीं की, तो क्या वह अपनी पत्नी से संभोग कर कसता है? इस पर उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लमजब मक्का आये तो बैतुल्लाह शरीफ़ का सात फेरा लगाया और मुक़ामे–इब्राहीम के पीछे दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ी, फिर सफ़ा–मर्वा के दर्मियान सअ़ी की। और तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिये।

फ़ाइदा:– उम्रा ममुकम्मल होने के लिये काबा का तवाफ़ और सफ़ा–मर्वा के दर्मियान सअ़ी अनिवार्य है। इस दर्मियान अगर कोई संभोग करेगा तो उस का उम्रा बातिल हो जायेगा। एहराम की हालत में संभोग करने से हज्ज या उम्रा दोनों ही बातिल होजाते हैं। फिर इस का कोई कफ़्फ़ारा भी नहीं है, मगर यह कि दूसरे वर्ष फिर उम्रा या हज्ज करे। इस पर तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ है।

इमाम अबू हनीफ़ा, सुफ़यान सौरी और हसन बसरी रह॰ के निकट सअ़ी करना वाजिब है (रुक्न नहीं) इसलिये अगर किसी वजह से रह जाये तो एक जानवर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन जमहूर उलमा का ऊपर को फ़तवा ही दुरुस्त है (तफ़सील के लिये देखें–"फ़िक़हुस्सुन्नह" मुहम्मद आ़सिम हद्दाद, उर्दू एडिशन पृष्ठ 469)

बाब {काबा के अन्दर दाख़िल होने, उस के अन्दर नमाज़ पढ़ने और दुआयें माँगने का बयान।}

705:–इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन आ कर काबा के आँगन में उतरे और (काबा के कलीद बर्दार) अबू तल्हा को बुलवाया, चुनान्चे उन्होंने चाबी ला कर दवाज़ा खोल दिया। इब्ने उमर ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, बिलाल, उसामा बिन ज़ैद और उस्मान बिन तल्हा रज़ि॰ अन्दर चले गये, आप के हुक्म से दर्वाज़ा अन्दर से बन्द कर दिया गया। आप अन्दर थोड़ी देर रहे फिर दर्वाज़ा खोल दिया गया। (दर्वाज़ा खुलते ही) सब से पहले मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से काबा के बाहर मिला उस समय बिलाल आप के पीछे थे। चुनान्चे मैं ने उन से पूछाः क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्दर नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने कहाः हाँ। मैं ने पूछा–किस

स्थान पर? कहा कि अपने मुँह के सामने दो सुतूनों के दर्मियान में। इब्ने उमर रज़ि॰ ने कहाः मैं यह पूछना तो भूल ही गया कि कितनी रक्अतें पढ़ी थीं।

706:– इब्ने जुरैज से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने अता से पूछाः क्या आप ने इब्ने अब्बास रज़ि॰ को यह कहते सुना है कि तुम्हें तवाफ़ करने का हुक्म है न कि काबा के अन्दर दाख़िल होने का। इस पर अता बिन रिबाह ने कहाः वह अन्दर जाने से मना नहीं करते थे, अल्बत्ता मैं ने उन्हें यह बयान करते सुना है कि उन्हें उसामा बिन ज़ैद ने बताया है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अन्दर दाख़िल हुये तो चारों तरफ़ दुआ की और फिर दो रक्अत नमाज़ पढ़ी। फिर जब निकले तो क़िब्ला के सामने खड़े होकर दो रक्अत और पढ़ी, फिर फ़रमाया कि क़िब्ला यही है। इस पर मैं ने उन से पूछा था कि उस के कनारों का क्या हुक्म है? और उस के कोनों में नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है? तो उन्होंने उत्तर दियाः बैतुल्लाह हर तरफ़ से क़िब्ला है (उस की तरफ़ मुँह कर के जिधर से चाहो नमाज़ पढ़ो)

फ़ाइदाः– हदीस 705 में बिलाल रज़ि॰ ने कहा कि आप ने अन्दर नमाज़ पढ़ी और हदीस न॰ 706 में उसामा बिन जैद ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ नहीं पढ़ी। तो हो सकता है बिलाल रज़ि॰ आप के पास ही खड़े रह गये हों और उसामा अन्दर जा कर अलग कोने में दुआ में लग गये हों और आप की हल्की दो रक्अत न देख सके हों। वैसे भी दर्वाज़ा बन्द होने के नाते अंधेरा था, इसलिये कह दिया कि आप ने अन्दर नमाज़ नहीं पढ़ी। वर्ना हक़ीक़त यह है कि आप ने नमाज़ पढ़ी है और बहुत हल्की पढ़ी है।

मालूम रहे कि अन्दर दाख़िल होना यह कोई अनिवार्य और ज़रुरी नहीं है और न ही हज्ज की कोई इबादत में दाख़िल है। इसलिये अगर कोई काबा के अन्दर न दाख़िल हो तो हरज नहीं। स्वँय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्तिम हज्ज में काबा के अन्दर नहीं गये। इसी प्रकार उम्-रतुल् क़ज़ा, उम्-रए जिईराना में आप नही दाख़िल हुये। अगर अन्दर जाना कोई अहम इबादत होती तो अन्तिम हज्ज में आप ज़रुर दाख़िल होते। और आप शायद इसीलिये नहीं दाख़िल हुये ताकि लोग अनिवार्य न समझ लें।

हाँ, अगर कोई अन्दर दाख़िल हो ही जाये तो नमाज़ पढ़े और हर प्रकार की दुआयें करे, जैसा कि बिलाल रज़ि॰ की हदीस में ज़िक्र है।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अन्तिम हज्ज का विस्तार से बयान।}

707:– जाफ़र बिन मुहम्मद ने बयान किया कि मेरे पिता मुहम्मद ने बताया कि (एक मर्तबा) हम लोग जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ के घर (उन से मिलने के लिये) गये, तो उन्होंने (बारी–बारी) सब का हाल पूछा। जब मेरी बारी आयी तो मैं ने बताया कि मैं मुहम्मद बिन अली हूँ, यानी इमाम हुसैन रज़ि॰ का पोता। यह सुन कर उन्होंने मेरी तरफ़ (मारे प्यार के) हाथ बढ़ाया, मेरे सर पर हाथ रखा, मेरे ऊपर का बटन खोला, फिर

नीचे का खोला, फिर अपनी हथेली को मेरे सीने और दोनों छातियों के दर्मियान रख कर कहाः शाबाश! खुश रहो, ऐ मेरे भतीजे! मुझ से जो भी पूछना चाहते हो पूछो। मैं उन दिनों युवा जवान था। चुनान्चे मैं ने उन से कुछ बातें पूछीं। वह नाबीना थे (उन्हें दिखाई न देना था) इतने में नमाज़ का समय हो गया तो वह नमाज़ के लिये उठ खड़े हुये। उन्होंने एक चादर ओढ़ रखी थी, जब उस के दोनों कनारों को कन्धों पर डालते तो छोटी होने की वजह से कन्धों से सरक पर गिर जाती थीं, हालाँकि उन की बड़ी चादर मेज़ पर रखी हुयी थी। फिर उन्होंने हम सब की इमामत की। फिर मैं ने उन से अनुरोध किया किआप मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के (अन्तिम) हज्ज केबारे में बतायें। यह सुन कर उन्होंने अपने हाथ से 9 (नौ) का इशारा कर के कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मदीना शरीफ़ में इतने वर्ष रहे लेकिन हज्ज नहीं किया, बाद में दस्वें वर्ष एलान हुआ कि आप इस वर्ष हज्ज के लिये जाने वाले हैं। यह सुन कर बहुत से सहाबा आ कर जमा हो गये कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पैरवी में हज्ज करेंगे और वही कुछ करेंगे जो आप (हज्ज में) करेंगे।

बहरहाल हम लोग आप के साथ हज्ज के लिये रवाना हुये, जब "जुल् हुलैफ़ा" के स्थान पर पहुँचे तो वहाँ (अबू बक्र की पत्नी जो गर्भवती थीं, अर्थात) अस्मा बिन्त उमैस ने मुहम्मद बिन अबू बक्र को जना। उन्होंने जब बच्चे की पैदाइश की सूचना दी तो आप ने उन से कहाः स्नान कर के कपड़े का लंगोट पहन लो (ताकि निफ़ास के खून से दूसरा कपड़ा न ख़राब हो) फिर एहराम बाँध लो। फिर आप ने जुल् हुलैफ़ा की मस्जिद में दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ी और अपनी ऊँटनी क़स्वा नामक पर सवार हो गये, जब वह "बैदा" के स्थान पर आप को लेकर सीधी खड़ी हो गयी तो मैं ने आप के आगे देखा तो यह देखा कि सवार और पैदल आदमी ही आदमी नज़र आ रहे हैं। उतनी ही भीड़ दाँयें-बाँयें थी और उतनी ही पीछे की ओर भी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस भीड़ के बीचों-बीच थे। उस समय आप पर कुरआन उतरता जाता था जिस काअ़र्थ आप ही बेहतर तौर पर समझते थे, हम लोग तो केवल उतना ही कर रहे थे जो आप को करता देखते थे। फिर आप ने लब्बैक पुकारा, तो लोगों ने भी पुकारा, वही लब्बैक जो आज कल पुकारते हैं। आप बराबर लब्बैक पुकारते जाते थे।

जाबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि हम लोगों का इरादा केवल हज्ज करने का था, उम्रा को तो हम लोग जानते ही नहीं थे। फिर जब बैतुल्लाह शरीफ़ पहुँचे गये तो आप ने हजरे अस्वद को (छड़ी से) छुवा और तीन बार उछल-उछल कर सीना उछाल कर दुल्की चाल चल कर काबा का तवाफ़ किया, फिर आ़म चाल चल कर चार बार तवाफ़ किया (यानी सात बार तवाफ़ किया) फिर "मुक़ामे-इब्राहीम" के पास पहुँच कर यह आयत पढ़ीः **वत्तख़िज़ू मिमक़ामे इब्राही-म मुसल्ला** (मुक़ामे इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह बना लो) फिर उस स्थान को अपने और बैतुल्लाह शरीफ़ के दर्मियान कर के दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ी और उन में सूरःइख़्लास और सूरःकाफ़िरुन की तिलावत की (यह बात मेरे

पिता जी बयान करते थे। मैं नहीं जानता कि उन्होंने कभी अपनी ओर से कुछ कहा है, जो भी कहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हवाल से ही कहा है) नमाज़ पढ़ कर फिर हजरे-अस्वद के पास जा कर उसे बोसा दिया और काबा के उस दर्वाज़े से बाहर निकल गये जो सफ़ा की तरफ़ खुलता है। जब "सफ़ा" के निकट पहुँचे (जो एक स्थान का नाम है और काबा के दर्वाज़े से 20-25 क़दम की दूरी पर है) तो यह आयत तिलावत फ़रमायी: **"इन्नस्सफ़ा वल् मर्-व-त मिन् श-आइरिल्लाहि"** (सफ़ा-मर्वा अल्लाह की निशानियों में से हैं) फिर फ़रमाया: हम शुरू करते हैं जिस से अल्लाह ने शुरु किया। फिर "सफ़ा" पर चढ़ कर बैतुल्लाह की तरफ़ देखा और क़िब्ला की तरफ़ देखा और अल्लाह की तौहीद बयान करते हुये यह दुआ़ पढ़ी:

लाइला-ह इल्लल्लाहु वह्-दहू ला शरी-क लहू लहुल् मुल्कु व-लहुल् हम्दु व-हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर+लाइला-ह इल्लल्लाहु वह-दहू अन्-ज-ज़ वा-दहू व-न-स-र अ़ब्-दहू व-ह-ज़्-मल् अह्ज़ा-ब वह्-दहू
(अल्लाह के अतिरिक्त और कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उस का कोई साझी नहीं, उसी के लिये बादशाहत है और उसी के लिये हर प्रकार की प्रशंसा है, और वह हर वस्तु पर कुदरत रखने वाला है+अल्लाह के अ़लावा और कोई दूसरा माबूद नहीं, वह अकेला है, उस ने (नबी की सहायता का) अपना वादा पूरा किया, अपने बन्दे (मुहम्मद) की सहायता की और अकले ही पूरे लश्कर को प्राजित कर दिया)

फिर इसी प्रकार तीन मर्तबा दुआ़ फ़रमाई। फिर उतर कर मर्वा पर्वत की तरफ़ चले, और जब बीच मैदान में पहुँचे तो दुल्की चाल चलने लगे और ऊँचाई पर चढ़ते समय आ़म चाल चले। इस प्रकार चल कर मर्वा पर्वत के ऊपर पहुँच गये। और वहाँ भी वही कुछ किया जैसा सफ़ा पर्वत पर किया था (यानी क़िब्ला की तरफ़ खड़े हो कर दुआ़यें की) इस प्रकार (सात फेरे तवाफ़ के) मर्वा पर मुकम्मल हो गये, तो आप ने फ़रमाया: अगर मुझे वह बात पहले मालूम हो जाती जो अब मालूम हुयी तो मैं कुर्बानी के जानवर साथ में न लाता (और मक्का में आ कर ख़रीद लेता) और अपने हज्ज के एहराम को उम्रा में बदल देता। तो अब जिस के पास कुर्बानी के जानवर नहीं हैं वह एहराम खोल डाले (उस का उम्रा का काम मुकम्मल हो गया)

यह सुन कर सुराक़ा बिन जोशम रज़ि॰ खड़े हो गये और पूछने लगे: ऐ अल्लाह के संदेष्टा! हज्ज को उम्रा में बदल डालना क्या यह इसी वर्ष के लिये है या हर वर्ष हमेशा के लिये इस की अनुमति है? इस पर आप ने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उँगलियों में डाल कर फ़रमाया: आइन्दा के लिये भी ऐसा करने की अनुमति है।

इधर अ़ली रज़ि० यमन से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये ऊँट लेकर पहुँच गये और फ़ातिमा को देखा कि वह भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अपने एहराम खोल दिये हैं, और रंगीन कपड़ा पहने हैं और सुर्मा-काजल भी लगाए हुये हैं, तो अ़ली रज़ि० ने इसे बुरा जाना, लेकिन फ़ातिमा रज़ि० ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (मेरे पिताजी) ने इसी प्रकार हुक्म दिया है। आगे हदीस के रावी ने बायन किया कि अ़ली रज़ि० ने मुल्क इराक़ में बयान किया कि मैं फ़ातिमा पर नाराज़ होकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गया और एहराम खोलने के बाद उन्होंने जो कुछ कर रखा था उस के बारे में पूछा। और मैं ने यह भी बता दिया कि उन के ऐसा करने पर मैं नाराज़ भी हो गया था, तो आप ने फ़रमायाः फ़ातिमा ने बिल्कुल सच कहा (मैं ही ने एहराम खोलने का हुक्म दिया था) फिर आप ने अ़ली रज़ि० से पूछाः जब तुम ने हज्ज का इरादा किया था तो क्या निय्यत की थी? अ़ली रज़ि० ने कहाः मैं ने यह कहा था "मैं उसी का एहराम बाँधता हूँ जिस का नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बाँधा है" इस पर आप ने फ़रमायाः चूँकि मेरे साथ क़ुर्बानी का जानवर है (इसलिये एहराम नहीं खोला) तुम भी एहराम मत खोलो।

जाबिर रज़ि० ने बयान किया कि फिर वह ऊँट जो अ़ली रज़ि० यमन से लाये थे और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने साथ लाये थे, यह सब मिला कर कुल सौ ऊँट हो गये। बहरहाल लोगों ने एहराम खोल दिये और सर के बाल कटवाए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और वह सहाबा जिन के पास क़ुर्बानी के जानवर थे (एहराम ही की हालत में रहे)।

फिर जब तरवियह (यानी 8 ज़िल हिज्जा) का दिन आया तो सभी लोग लब्बैक पुकारते हुये मिना के लिये रवाना हो गये, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सवारी पर सवार होकर रवाना हुये। वहाँ पहुँच कर जुहू, अ़स्र, मग़्रिब, इशा और फ़ज्र की नमाज़ें पढ़ीं, फिर थोड़ी देर आराम किया इतने में सूरज निकल आया तो आप ने हुक्म दिया कि बालों के बने हुये ख़ेमों को नमिरा के स्थान पर गाड़ दिया जाये। फिर आप मिना से रवाना हुये तो क़ुरैश के लोगों को यक़ीन था कि आप मश्-अ़रे हराम में ज़रुर ठहरेंगे, क्योंकि क़ुरैश के लोग जाहिलिय्यत के समयकाल में वहाँ रुका करते थे। लेकिन आप वहाँ से सीधे आगे चले गये और अ़रफ़ात में पहुँच कर अपना ख़ेमा नमिरा में गाड़ा और वहीं ठहरे। जब सूरज ढल गया तो आप ने अपनी ऊँटनी क़स्वा नामक को तय्यार करने का हुक्म दिया और उस पर सवार होकर अ़रफ़ात की वादी (मैदान) के बीच में पहुँच कर लोगों के दर्मियान खुत्बा दिया, जिस में फ़रमाया कि तुम्हारा खून और तुम्हारा धन-माल एक-दूसरे पर ऐसे ही हराम है जैसे आज का दिन इस महीने में और इस नगर मक्का में हराम (मोहतरम) है। इस्लाम से पूर्व की हर चीज़ मेरे पैरों के नीचे रख दी गयी है (यानी उन पर अब अ़मल नहीं होगा) इस्लाम से पहले के खून पर कोई मुलातबा नहीं होगा। अपने खान्दान के बदला के तअ़ल्लुक़ से पहला खून मैं माफ़ करता हूँ। वह खून

इब्ने रबीआ का है जो क़बीला बनी सअ़द में दूध पीता था, उसे क़बीला हुज़ैल के लोगों ने नाहक़ क़त्ल कर दिया था, (इस का बदला अब नहीं लिया जायेगा) इसी प्रकार इस्लाम से पहले के सब सूद-ब्याज समाप्त हो गये (अब कोई किसी से सूद न माँगे) और सब से पहले में अ़ब्बास बिन मुत्तलिब का सूद समाप्त घोषित करता हूँ, अब वह सब माफ़ है (किसी को देना-लेना नहीं है) तुम लोग अल्लाह से डरो, महिलाओं पर अत्याचार न करो इसलिये कि तुम ने उन्हें अल्लाह के अमान से अपने क़ब्ज़े में लिया है और अल्लाह के कलिमे की बुनियाद पर उन की शर्मगाहों को अपने लिये हलाल किया है। इसलिये तुम्हारा हक़ उन पर यह है कि तुम्हारे बिछौने पर (घर में) वह किसी को न आने दें जिन का आना तुम्हें पसन्द न हो। लेकिन अगर वह इस के ख़िलाफ़ करें तो उन्हें दन्ड दो लेकिन कड़ा दन्ड न दो (कि हड्डी टूट जाये) और उन का तुम्हारे ऊपर यह हक़ है कि उन का खाना-पीना और पहनना-ओढ़ना आ़म रिवाज के अनुसार तुम्हारे ज़िम्मा है। मैं तुम्हारे दर्मियान ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुम उसे मज़बूती के साथ थामे रहोगे तो कभी गुमराह न होगे, वह अल्लाह की किताब (कुरआन मजीद) है। तुम से क़ियामत के दिन सवाल होगा और मेरे बारे में पूछा जायेगा तो तुम क्या उत्तर दोगे? सभी ने कहा कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि आप ने अल्लाह का संदेश पहुँचा दिया और संदेश पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया और इस में कोई कमी नहीं की। यह सुन कर आप ने शहादत की उंगली को उठा कर ऊपर नीचे करते हुये फ़रमायाः ऐ अल्लाह तू इस बात पर गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू इस बात पर गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू इस बात पर गवाह रहना। आपने इस वाक्य को शहादत की उंगली ऊपर नीचे करते हुये तीन बार दोहराया। फिर अज़ान और इक़ामत कही गयी और आप ने जुहर की नमाज़ पढ़ाई। फिर (दोबारा) इक़ामत कही गयी और इस मर्तबा अ़स्र की नमाज़ पढ़ाई, और इन दोनों नमाज़ों के दर्मियान (सुन्नत या नफ़ल) कुछ नहीं पढ़ी। फिर आप ऊँटनी (क़सवा) पर सवार होकर "मौक़फ़" (यानी अ़रफ़ात में जबले-रहमत के निकट वह स्थान जहाँ आप ने अ़रफ़ह के दिन पड़ाव डाला था) के पास पहुँचे और पहाड़ी के नीचे चट्टानों पर अपनी ऊँटनी को खड़ा कर दिया, लेकिन आप उस पर सवार ही रहे (उतरे नहीं) आप के सामने पैदल वालों का जथा था और आप का मुँह क़िब्ला की तरफ़ था। आप बराबर उसी तरह खड़े रहे, यहाँ तक कि सूर्यस्त हो गया पीलापन भी कुछ कम हो गया, और सूरज का गोला छुप गया।

फिर उसामा बिन ज़ैद रज़ि॰ को अपने पीछे सवार कर के (मुज़दलिफ़ा के लिये) रवाना हुये। ऊँटनी की नकेल इतनी तान रखी थी कि उस का सर कजावा के सामने वाली लक्ड़ी से टकरा रहा था। इस दर्मियान आप अपने दाँये हाथ से इशारा करते जाते थे कि ऐ लोगों ! आराम से चलो (जल्दबाज़ी न मचाओ) राह में अगर कोई रेत का टीला आ जाता तो उस समय ऊँटनी की नकेल ढीली कर देते ताकि वह आराम से चढ़ सके। इस प्रकार आप मुज़दलिफ़ा पहुँच गये। वहाँ पहुँच कर आप ने एक अज़ान और दो इक़ामत

से मग़िरब और इशा की नमाज़ पढ़ी, दोनों नमाज़ों के दर्मियान किसी प्रकार की कोई नफ़्ली नमाज़ नहीं पढ़ी। फिर आप लेट कर आराम फ़रमाने लगे फिर जब सुब्ह हो गयी और अच्छी तरह रोशनी हो गयी तो एक अज़ान और इक़ामत के साथ फ़ज्र की नमाज़ अदा की, फिर क़स्वा ऊँटनी पर सवार होकर मश्अ़रे-हराम तशरीफ़ लाये, यहाँ क़िब्ला की ओर मुँह कर के अल्लाह पाक से दुआ़यें माँगी और अल्लाहु अक्बर-लाइला-ह-इल्लल्लाह जैसे ज़िक्र किये और उस की तौहीद बयान की, फिर इसी प्रकार ठहरे रहे यहाँ तक कि खूब उजाला हो गया तो सूरज निकलने से पहले ही रवाना हो गये।

(इस बार) चचा अब्बास रज़ि॰ के पुत्र फ़ज़्ल रज़ि॰ को अपनी सवारी पर पीछे बैठा लिया। वह युवा, गोरे-चिट्टे रंग के थे उन के बाल निहायत सुन्दर दिखते थे। राह में कुछ महिलायें मिलीं जो अपने-अपने ऊँटों पर सवार होकर चली जा रही थीं। फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास उन्हें ताकने लगे तो आप ने अपना हाथ उन के चेहरे पर रख दिया (ताकि न देख सकें) इस पर फ़ज़्ल अपना मुँह फेर कर दूसरी तरफ़ देखने लगे और दोबारा उन्हें देखने लगे।

जब आप मुहस्सर की वादी (जहाँ अबरहा का लश्कर हलाक हुआ था) पहुँचे तो वहाँ से ऊँटनी को तेज़ भगाने लगे और उस रास्ता पर चले जो जमु-रए-कुबरा (बड़ा जमुरा जो मक्का की तरफ़ है) की तरफ़ निकलता है, फिर उसी बड़े जमुरे (यानी जमु-रए-कुबरा या अक़बा) के निकट पेड़ के पास पहुँचे (जहाँ घाटी की पहली बैअ़त ली थी) तो उस जमुरे को सात कंकरियाँ मारीं। हर कंकरी मारते समय अल्लाहु अक्बर कहते। वह कंकरियाँ इतनी छोटी थीं कि चुटकी में लेकर मारी जा सकती थीं (यानी चने के दाने बराबर की थीं) कंकरियाँ मारते समय आप घाटी के बीच में नीचाई की तरफ़ खड़े थे। फिर वहाँ से वापस लौट कर क़ुर्बानी करने के स्थान पर आये। यहाँ आपने 63 ऊँट अपने हाथों से ज़ब्ह किये और बाक़ी अ़ली रज़ि॰ के हवाले कर दिया जिन्हें उन्होंने ज़ब्ह किया। आप ने उन्हें भी अपनी क़ुर्बानी में शरीक कर लिया। फिर आप ने हर ऊँट के माँस से एक-एक बोटी लेने का हुक्म दिया और हाँड़ी में डाल कर पकाया। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और अ़ली रज़ि॰ दोनों ने वह माँस खाया और शूर्बा (सोप) पिया। फिर बैतुल्लाह जा कर अन्तिम तवाफ़ किया और जुह्र की नमाज़ मक्का में अदा की। फिर बनी मुत्तलिब के ख़ान्दान वालों के पास आये, उस समय वह लोग ज़मज़म के कुँए पर हाजियों को पानी पिला रहे थे। आप ने उन से फ़रमायाः ऐ पानी भरने वाले अ़ब्दुल् मुत्तलिब के खान्दान के लोगों! मुझे इस बात का डर है कि लोग भीड़ कर के तुम्हें पानी नहीं भरने देंगे (और वह स्वैंय भरने लगेंगे) वर्ना मैं स्वैंय आप लोगों को पिलाता। फिर उन लोगों ने एक डोल भर कर पीने के लिये दिया आर आप ने पिया।

फ़ाइदाः— मुस्लिम की रिवायत समाप्त हो गयी लेकिन हज्ज के तअ़ल्लुक़ से आगे अभी और भी है। फिर वहाँ से मिना वापस आ गये और तशरीक़ (यानी 11, 12, और 13 ज़िल हिज्जा) की रातें वहीं गुज़ारीं। रोज़ाना सूरज ढलने के बाद आप हर जमुरा को सात

कंकरियाँ मारते, हर कंकरी मारते समय अल्लाहु अक्बर कहते। पहले-दूसरे जमुरे के पास काफ़ी देर तक ठहरते और अल्लाह से दुआयें करते। तीसरे जमुरे को कंकरियाँ मारने के बाद वहाँ न ठहरते (अहमद, अबू दावूद, इब्ने हिब्बान, हाकिम, बैहक़ी-रिवायत आइशा) मिना से वापस हो कर मु-हस्सब की वादी में (जो जबले-हिरा की राह में है) ठहरे, वहाँ जुह्र, अस्र और मग़िरब व इशा की नमाज़ें पढ़ीं। फिर थोड़ी देर के लिये सो गये। फिर रात के अन्तिम पहर में मक्का पहुँच कर जुदाई का अन्तिम तवाफ़ किया (मुस्लिम, अहमद, मालिक, बैहक़ी-रिवायत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि०) हज्ज के दौरान सहाबा ने मौक़े-मौक़े पर कई प्रकार के प्रश्न भी किये जिन का ज़िक्र इस हदीस में नहीं है। इस लंबी हदीस से हज्ज करने का मसनून तरीक़ा यह मालूम हुआ ★मीक़ात पर पहुँच कर स्नान कर के एहराम बाँधना। ★मक्का पहुँच कर प्रथम पहुँचने का तवाफ़ करना। ★सफ़ा मर्वा के दर्मियान साते फेरे लगाना। अब उम्रा मुकम्मल हो गया। जिस के पास क़ुर्बानी के जानवर न हों वह एहराम खोल दे ★अगर तमत्तो करने वाला हाजी है तो 8 ज़िल् हिज्जा को हज्ज की नियत से एहरांम बाँध कर मिना जायेगा, वहाँ 8,9 तारीख़ की दर्मियान की रात बिताये, पाँच नमाज़ें पढ़ें। ★9 को सूरज निकलने के बाद अरफ़ात जाये, सूरज डूबने तक वहीं रहे। ★फिर मग़िरब की नमाज़ के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना हो। रात वहीं बिताए। ★10 ज़िल् हिज्जा को फ़ज्र की नमाज़ पढ़ कर मिना जाना, बड़े जमुरे को कंकरी मारना। वापस आ कर क़ुर्बानी करना। ★फिर मक्का आ कर काबा का तवाफ़े-इफ़ाज़ा (ज़ियारत) करना। ★फिर मक्का से मिना वापस आ कर 12, 13 को दोपहर तक ठहरना। फिर 12, या 13 को मक्का वापस जाना और घर लौटने से पहले अन्तिम तवाफ़ करना।

नोटः- हज्जे-तमत्तो करने वाला काबा के तवाफ़ के बाद सफ़ा-मर्वा के फेरे पुनः नहीं लगायेगा और एहराम खोल देगा (इब्ने तैमिया और अल्लामा इब्ने क़य्यिम रह० का यही फ़तवा है) मैं ने ऊपर सअी को भी शामिल किया है (ख़ालिद) यह है हज्ज के संबन्ध में संक्षिप्त विवरण। तफ़सील की यहाँ गुन्जाइश नहीं।

बाब {मिना से अरफ़ात के लिये रवाना होते समय लब्बैक पुकारना चाहिये और अल्लाहु अक्बर पढ़ना चाहिये।}

708:- इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया जब हम सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिना से अरफ़ात के लिये चलने लगे तो कोई लब्बैक पुकार रहा था और कोई तक्बीर पढ़ रहा था।

709:- मुहम्मद बिन अबू बक्र ने बयान किया कि मैं ने मिना से अरफ़ात जाते हुये अनस बिन मालिक रज़ि० से पूछाः आप लोग आज के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या करते थे? उन्होंने कहाः कोई "लाइला-ह इल्लल्लाह" पढ़ता और कोई "अल्लाहु अक्बर" कहता था, लेकिन कोई किसी को मना नहीं करता था।

फ़ाइदाः- ऊपर की दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि मिना से अरफ़ात रवाना होते समय

लब्बैक पुकारना चाहिये और तक्बीर पढ़नी चाहिये। इन रिवायतों से उन लोगों का रद्द होता है जिन के निकट अ़रफ़ह के दिन से लब्बैक पुकारना बन्द कर देना चाहिये।

बाब {अ़रफ़ात के मैदान में ठहरने का बयान और सूरः बक़रः की आयत 199 की तश्रीह।}

710:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि क़ुरैश के लोग और उन के मामने वाले मुज़दलिफ़ा में ठहरा करते थे और वह इस हाल में अपने को "हुम्स" कहते थे। अ़रब के और दूसरे क़बीले के लोग भी (उन की देखा-देखी) वहाँ ठहरते थे। लेकिन जब दीन इस्लाम आया तो अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को आदेश दिया कि आप अ़रफ़ात में क़ियाम करें (न कि मुज़दलिफ़ा में) और फिर वहाँ से वापस लौटें। सूरः बक़रः की आयत "वहाँ से लौटो, जहाँ से लोग लौटते हैं" का यही अर्थ है।

711:– जुबैर बिन मुतइम (ख़दीज़ा रज़ि॰ के भतीजे) ने बयान किया कि मेरा ऊँट खो गया तो अ़रफ़ह के दिन उसे ढूँड़ने निकला तो क्या देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सहाबा के साथ अ़रफ़ात में खड़े हैं। यह देख कर मैं ने कहाः अल्लाह की क़सम! यह तो "हुम्स" के लोग हैं (यानी क़ुरैश के लोग जो मुज़दलिफ़ा से आगे नहीं जाते थे) यह लोग यहाँ (मुज़दलिफ़ा से आगे) अ़रफ़ात में कैसे आ गये? क़ुरैश के लोग "हुम्स" में गिने जाते थे।

फ़ाइदाः– 'हूम्स' का अर्थ है "किसी बात पर सख़्ती के साथ जम जाना।" अ़रब के क़ुरैश लोग अपने दीन-धर्म पर बड़ी पाबन्दी और सख़्ती से अ़मल करते थे इस लिये उन्हें "हुम्स" कहा जाने लगा। इस्लाम से पूर्व दूसरे गोत्र के समस्त लोग जब हज्ज के लिये आते तो अ़रफ़ात में ठहरते थे, लेकिन क़बीला क़ुरैश के लोगों का अक़ीदा था कि हम अल्लाह के सब से अधिक निकट हैं और उस के बाल-बच्चों की तरह हैं, इसलिये हरम से बाहर जा कर हम नहीं ठहरेंगे। अ़रफ़ात का मैदान हरम से बाहर आता है। जुबैर बिन मुतइ़म जो उस समय तक ईमान नहीं लाये थे इसीलिये आश्चर्य करने लगे कि क़ुरैश गोत्र के होकर यह लोग कैसे अ़रफ़ात में ठहर गये। मुज़दलिफ़ा चूँकि हरम के अन्दर है इसलिये वहाँ ठहरते थे। 'अ़रफ़ात' काबा शरीफ़ से लग-भग 15 मील की दूरी पर हरम से बाहर स्थिति है। यहाँ आ कर हाजी के लिये ठहरना फ़र्ज़ है। अगर कोई यहाँ नहीं ठहरा तो उस का हज्ज बातिल हो गया। अ़रफ़ात में ठहरने से मुराद उस दिन जुह्-अ़स् जमा कर के पढ़ लेने केबाद अ़रफ़ात के मैदान में जा कर शाम तक खड़े-बैठे दुआ़यें करना है और यही समय पूरे हज्ज की जान, निचोड़, खुलासा और सत है।

बाब {अ़रफ़ात से लौट कर मुज़दलिफ़ा में नमाज़ पढ़ने का बयान।}

712:–. इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के स्वतन्त्र किये हुये गुलाम कुरैब रज़ि॰ से रिवायत है

उन्होंने बयान किया कि मैं ने उसामा बिन ज़ैद रज़ि॰ से पूछाः जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे ऊँटनी पर सवार थे, अ़रफ़ात की शाम को आप लोगों ने क्या-क्या किया? उन्होंने कहाः हम उस घाटी तक पहुँचे जहाँ लोग अपने ऊँटों को बैठा कर मग़्रिब की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी उस स्थान पर पहुँच कर अपनी ऊँटनी को बैठा दिया और उतर कर पेशाब किया (यहाँ उसामा ने पानी माँग कर इस्तिन्जा (पाकी हासिल) करने का ज़िक्र नहीं किया) फिर वुज़ू के लिये पानी माँगा और हल्का वुज़ू किया (यानी वुज़ू के तमाम हिस्सों को एक ही एक ब ा र धोया) फिर मैं ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! नमाज़? (नहीं पढ़ेंगे?) आप ने फ़रमायाः नमाज़ तुम्हारे आगे है (यानी आगे चल कर पढ़ेंगे) फिर सवार होकर मुज़दलिफ़ा आये और मग़्रिब की नमाज़ अ़दा फ़रमायी। सहाबा ने भी अपने-अपने ऊँट रोक कर नमाज़ पढ़ी, लेकिन (कजावा वग़ैरह) खोला नहीं। फिर इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर (कजावे वग़ैरह) खोले। कुरैब रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने फिर पूछाः आप लोगों ने सुब्ह को क्या किया? उन्होंने कहाः फिर फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास रज़ि॰ आप के पीछे सवार हुये और मैं पैदल ही कुरैश की राह चल पड़ा।

फ़ाइदाः- आप ने पूरा वुज़ू नहीं किया का अर्थ यह है कि हल्का-फुल्का वुज़ू किया, तीन बार धोने के स्थान पर हाथ-पाँव एक ही बार धोया, अधिक समय वुज़ू में नहीं लगाया। मालूम हुआ कि मुज़दलिफ़ा में मग़्रिब और अ़िशा को जमा कर के पढ़ना चाहिये। हदीस से मालूम होता है कि मग़्रिब की नमाज़ पढ़ने के बाद कजावा वग़ैरह खोला, फिर अ़िशा की नमाज़ पढ़ी। तो इस प्रकार दो नमाज़ों के दर्मियान एक -आध काम कर लेने से भी दोनों नमाज़ों को जमा कर के पढ़ना कहा जायेगा। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के सुन्नत पर अ़मल करने का यह हाल था कि जब हज्ज को जाते तो जहाँ आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पेशाब किया था वह भी वहीं बैठ जाते और वुज़ू करते। हदीस से यह भी मालूम हुआ कि मग़्रिब और अ़िशा की नमाज़ से पहले, या बाद में, या बीच में कोई सुन्नत या नफ़्ल की नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिये। लेकिन दोनों नमाज़ों के दर्मियान थोड़ा विलंब जाइज़ है।

बाब {अरफ़ह से वापस हो तो किस प्रकार चले?}

713:- उर्वा बिन जुबैर ने बयान किया कि मेरे सामने किसी ने उसामा बिन ज़ैद रज़ि॰ से पूछा (या उर्वा ने कहा कि मैं ने स्वँय पूछा) जब आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी (क़स्वा) के पीछे सवार कर लिया था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किस चाल (रफ़तार) से चलते थे? (यानी ऊँटनी को किस रफ़तार से चलाते थे) इस पर उन्होंने कहसः मीठी चाल (यानी न बहुत धीमी और न बहुत तेज़) चलाते थे, लेकिन जब खुला रास्ता पाते (और भीड़-भाड़ कम होती) तो रफ़तार

तेज़ कर देते थे।

बाब {मुज़दलिफ़ा में मग़्रिब और अ़िशा की नमाज़ पढ़ने का बयान।}

714:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा में मग़्रिब और अ़िशा की नमाज़ें एक साथ जमा कर के पढ़ी, और दोनों नमाज़ों के बीच में कोई (सुन्नत या नफ़्ल की) नमाज़ नहीं पढ़ी, और मग़्रिब की तीन और अ़िशा की दो रक्अ़तें पढ़ीं (यानी क़स्र कर के पढ़ी) इब्ने उमर रज़ि॰ भी अपने देहान्त तक इसी प्रकार पढ़ते रहे।

बाब {मुज़दलिफ़ा में अ़िशा और मग़्रिब की नमाज़ एक ही तक्बीर से पढ़ने का बयान।}

715:– सअ़ीद बिन जुबैर रज़ि॰ से रिवातय है उन्होंने बयान किया कि हम लोग इब्ने उमर रज़ि॰ के साथ लौट कर मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो उन्होंने मग़्रिब की नमाज़ (जमा कर पढ़ाई और) एक ही तक्बीर से पढ़ाई, फिर कहाः इसी प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी पढ़ी थी।

फ़ाइदाः– मुस्लिम की तमाम रिवायतों में बिना अज़ान और इक़ामत से मग़्रिब और अ़िशा की नमाज़ जमा कर के पढ़ने का ज़िक्र है। लेकिन बुख़ारी की रिवायत में इस प्रकार है कि इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने अज़ान कहने का हुक्म दिया फिर अज़ान के बाद तक्बीर कही गयी और मग़्रिब की नमाज़ पढ़ाई फिर सुन्नत पढ़ी, फिर अज़ान दी गयी और अ़िशा के लिये तक्बीर कही गयी फिर अ़िशा की नमाज़ पढ़ाई (बुख़ारी–1675–अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद) इसीलिये उलमा ने इस मस्अले में इख़्तिलाफ़ किया है (1) दोनों नमाज़ों को एक अज़ान और दो इक़ामत के साथ अदा करना सुन्नत है, जैसा कि जाबिर रज़ि॰ की हदीस से साबित है (2) दोनों नमाज़ों में अ़िशा की नमाज़ में क़स्र करना (3) दोनों नमाज़ों के बीच में वक़्फ़ा किया जा सकता है (4) आगे–पीछे कोई सुन्नत न पढ़ी जाये। अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम रह॰ लिखते हैं कि जाबिर रज़ि॰ की रिवायत (जो मुस्लिमें है) में (जिसमें एक अज़ान और दो इक़ामत का ज़िक्र है) चूंकि यह हदीस सनद के एतबार से सहीह है, और इस में एक इक़ामत का इज़ाफ़ा है, और यह किसी से टकराती भी नहीं है इसलिये इसी हदीस को तर्जीह हासिल है। यानी एक अज़ान और दो तक्बीर के साथ मग़्रिब और इशा की नमाज़ जमा कर के और इशा की क़स्र कर के पढ़ी जायेगी। (मआ़लिमुस्सु–नन) मौलाना दावूद राज़॰ बुख़ारी की तफ़सीर में लिखते हैं "अगर कोई इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ की तरह नमाज़ पढ़ ले तो ग़ालिबन (संभवतः) गुनाहगार न होगा, अर्गचे यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ है"। मौलाना यह भी कह रहे हैं, कि यह सुन्नत के ख़िलाफ़ है और यह भी कह रहे हैं कि गुनाहगार न होगा। मौलाना की राय बिल्कुल अनर्थ है। रसूल की सुन्नत की मौजूदगी में (जो बुख़ारी–मुस्लिम से साबित है) सहाबा के तरीक़ा के मुताबिक अ़मल करना दुरुस्त नहीं है। आगे–पीछे या बीच में

कोई नफ़्ली नमाज़ न पढ़ने पर इजामअ़ और इत्तिफ़ाक़ है।

बाब {मुज़दलिफ़ा में फ़ज्र की नमाज़ अँधेरे में पढ़ने का बयान।}

716:– अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखा तो उन को उन के समय पर ही पढ़ते देखा, मगर दो नमाज़ें (अपने अपने समय पर नहीं पढ़ीं) उन में से एक नमाज़ तो मग़रिब और अ़िशा की है जिसे आप ने मुज़दलिफ़ा में जमा कर एक ही साथ पढ़ी, और दूसरी नमाज़ फ़ज्र की जिसे आप ने समय से कुछ पहले पढ़ी थी।

फ़ाइदाः– मुज़दलिफ़ा में आप ने जमा तक़दीम के साथ पढ़ी, यानी अ़िशा को मग़रिब के समय में पढ़ी और अ़िशा को क़स्र के साथ। इस प्रकार पढ़ने को "जमा तक़दीम" कहते हैं और सफ़र में इस प्रकार पढ़ लेना सुन्नत है। इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ का यह कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ज्र की नमाज़ को समय से पहले पढ़ी, दुरुस्त नहीं है। इस का यह अर्थ होगा कि सुब्ह सादिक़ होते ही तुरन्त पढ़ ली, और अंधेरा होने के नाते लोगों ने यह समझ लिया कि सुब्ह सादिक़ से पहले पढ़ ली। वर्ना फ़ज्र में जमा तक़दीम और ताख़ीर समय से पहले पढ़ना दुरुस्त नहीं।

बाब {भारी–भरकम (शरीर वाली) महिलायें रात ही को मुज़दलिफ़ा से (मिना के लिये) रवाना हो सकती हैं।

717:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी सौदा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मुज़दलिफ़ा की रात ही को (मिना लौट जाने की)अनुमति माँगी, ताकि लोगों की भीड़–भाड़ से बच कर पहले मिना पहुँच जाये। सौदा रज़ि॰ ज़रा भारी शरीर की थीं। चुनान्चे आप ने उन्हें अनुमति दे दी तो वह आप से पहले ही मिना के लिये चल पड़ीं। लेकिन हम लोग आप के साथ ही ठहरी रहीं और सुब्ह को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ लौटीं। लेकिन अगर मैं भी सौदा रज़ि॰ की तरह आप से अनुमति माँग कर मिना चली जाती तो मुझ को तमाम ख़ुशी की चीज़ों में यह बहुत ही पसन्द था।

फ़ाइदाः– मुज़दलिफ़ा में रात बितानी और दुआयें आदि करनी चाहिये। यह अनिवार्य है। सुब्ह की नमाज़ के बाद सूरज निकलने से पहले मिना के लिये रवाना होना चाहिये। लेकिन महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों के लिये सुब्ह की नमाज़ से पहले ही रात में रवाना होने की अनुमति है, ताकि लोगों के साथ चलने की भीड़ से बच जायें और धीरे–धीरे आराम से पहुँच जायें। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने ख़ान्दान के बाल–बच्चों के साथ पहले ही मिना भेज दिया था (बुख़ारी, मुस्लिम) इब्ने उमर रज़ि॰ अपने घर के कमज़ोर लोगों को पहले ही भेज दिया करते थे, वह लोग रात ही में मुज़दलिफ़ा में मश–अ़रे–हराम के पास आ कर रुक जाते।

कुछ लोग इमाम के ठहरने और रूकने से पूर्व ही मिना आ जाते, कुछ फ़ज्र के समय पहुँचते और कुछ फ़ज्र के बाद। और जब मिना पहुँचते तो कंकरियाँ मारते। इब्ने उमर फ़रमाया करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कमज़ोर लोगों को इस प्रकार करने की अनुमति दे दी थी (बुख़ारी-1676 सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह)।

बाब {समय से पहले ही महिलाओं को मुज़दलिफ़ा से (मिना के लिये) जाने की अनुमति का बयान।}

718:- अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ की बड़ी पुत्री (अस्मा) के हाथों आज़ाद किये हुये गुलाम अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया कि एक मर्तबा अस्मा रज़ि॰ ने जबकि वह रात ही में मुज़दलिफ़ा पहुँच गयी थीं, मुझ से कहा: क्या चाँद डूब गया? उस समय वह मुज़दलिफ़ा में ठहरी हुयी थीं। मैं ने उत्तर दिया: अभी नहीं। फिर उन्होंने थोड़ी देर नमाज़ पढ़ी और पूछा-अरे ओ बच्चे। क्या चाँद डूब गया? मैं ने कहा: जी हाँ। यह सुन कर उन्होंने कहा: मेरे साथ मिना को चलो। चुनान्चे हम दोनों (मिना) चले (और उन्होंने पहुँच कर) जमुरा को कंकरियाँ मार लीं, फिर ख़ेमे में (फ़ज्र की) नमाज़ पढ़ने लग गयीं। यह देख कर मैं ने कहा: हम लोग बहुत पहले यहाँ पहुँच गये। उन्होंने कहा: ऐ मेरे बेटे। कुछ हरज नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने महिलाओं को सुब्ह-सवेरे रवाना होने की अनुमति दी है।

फ़ाइदा:- इस से मालूम हुआ कि सूरज निकलने से पहले भी कंकरी मार लेना दुरुस्त है। और कंकरी मारने का अन्तिम समय सूरज डूबने तक है। इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ और इमाम मालिक व अहमद के निकट फ़ज्र की नमाज़ के बाद से कंकरी मारने का समय आरंभ होता है, लेकिन ऊपर अस्मा की हदीस में है कि उन्होंने कंकरी मारने के बाद फ़ज्र की नमज़ा पढ़ी।

बाब {कमज़ोर लोग मुज़दलिफ़ा से (मिना के लिये) समय से पूर्व ही रवाना हो सकते हैं।}

719:-इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे सामान देकर मुज़दलिफ़ा से रात ही को भेज दिया था, (या यूँ कहा कि मुझे कमज़ोर लोगों के साथ रवाना कर दिया था।)

720:- जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि मेरे पिता जी अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ कमज़ोर लोगों को आगे भेज देते थे कि वह मश-अ़रे हराम में (जो मुज़दलिफ़ा में है) रात को ठहर जायें और अल्लाह पाक को याद करें, फिर इमाम के ठहरने से पहले लौट जायें। चुनान्चे उन में से कोई फ़ज्र के समय मिना पहुँच जाता था और कोई फ़ज्र के बाद। इब्ने उमर रज़ि॰ बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कमज़ोर लोगों को इस की अनुमति दी थी।

फ़ाइदा:- ऊपर की चारों-पाँचों हदीसों का निचोड़ यह निकला कि फ़ज्र की नमाज़ पढ़

कर सूरज निकलने से पहले मिना के लिये रवाना होना चाहिये। अ़रब के लोग सूरज निकलने के बाद रवाना होते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सूरज निकलने से पहले रवाना होने को सुन्नत क़रार दिया है। (बुख़ारी–1684 उमर बिन ख़त्ताब) मगर कमज़ोर और बूढ़े–बच्चे लोग रात ही में पहले चल कर जा सकते हैं। और रात ही में कंकरी मार सकते हैं। कंकरी की संख्या सात होनी चाहिये, और चने के दाने बराबर होनी चाहिये। कंकरी मारने का समय फ़ज्र के बाद से सूरज डूबने तलक है। हर कंकरी मारते समय "अल्लाहु अक्बर" कहना चाहिये। कंकरी खड़े होकर मारनी चाहिये। सवारी पर भी कंकरी मारनी जाइज़ है। एक बार में एक कंकरी फेंकी जायेगी। कंकरी का घेरे के अंदर गिरना ज़रुरी है।

बाब {पहले जमुरा को कंकरी मारते समय हाजी लब्बैक पुकारे (उस के बाद सिलसिला बन्द कर दे)}

721:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास रज़ि॰ को मुज़दलिफ़ा से अपने पीछे ऊँटनी पर बैठा लिया। इब्ने अ़ब्बास ने बयान किया कि फ़ज़्ल ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अक़बा के जमुरे को कंकरियाँ मारने तक लब्बैक पुकारते रहे।

722:– अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद ने बयान किया कि इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ जब मुज़दलिफ़ा से लौटे तब भी लब्बैक पुकारते रहे। इस पर लोगों ने समझा कि यह कोई दीहाती (और जाहिल) व्यक्ति है (जो ग़लती से लब्बैक पुकार रहा है) इस पर इब्ने मस्ऊद ने कहाः क्या लोग (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत) भूल गये या गुमराह हो गये? मैं ने स्वँय उन की ज़बान से सुना है जिन पर सूरःबक़रः लनाज़िल हुयी है (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से) कि वह इस स्थान पर भी लब्बैक पुकारते थे।

फ़ाइदा:– लब्बैक पुकारने का समय सीमा हज्ज में कुर्बानी के दिन अ़क़बा के जमुरे पर कँकरियाँ मारने तलक है। सवारी पर सवार होते, उतरते, ऊँची जगह चढ़ते, नीची जगह उतरते, क़ाफ़िला से मिलते समय, हर नमाज़ के बाद और रात के अन्तिम हिस्सा में पढ़ना विशेष कर मुस्तहब है। (इब्ने अ़साकिर) इब्ने अबी शैबा की रिवायत में है कि सहाबा चार समय लब्बैक पुकारना बहुत पसन्द करते थे (1) नमाज़ों के बाद (2+3) घाटी में चढ़ते–उतरते समय (4) क़ाफ़िला से मुलाक़ात के समय (इब्ने अबी शैबा)

बाब {घाटी में जमु–रए–अ़क़बा को कँकरियाँ मारने और हर कंकरी के साथ तक्बीर पढ़ने का बयान।}

723:– आ़मश से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने हज्जाज बिन यूसुफ़ (मदीना के गवर्नर) को अपने खुत्बा (Address) में यह कहते सुना कि कुरआन की वही तर्तीब रखो जो जिब्रील अ़लै ने रखी है (यानी जिस तर्तीब से वह वह्यि लाये हैं) यानी पहले वह हो जिस में बक़रः का ज़िक्र है, फिर वह जिस में निसा का ज़िक्र है, फिर वह जिस

में आले अिम्रान का ज़िक्र है। आमश ने बयान किया कि इस का खुत्बा सुनने के बाद मैं ने इब्राहीम से मिल कर हज्जाज के खुत्बे का ज़िक्र किया तो उन्होंने उसे बहुत बुरा-भला कहा, फिर कहने लगेः मुझ से अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद ने बयान किया कि मैं हज्ज में इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ के साथ था, इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ घाटी वाले जमुरा के पास आये और नाले के बीच में खड़े होकर उस को सात कंकरियाँ मारीं और हर कंकरी मारते समय अल्लाहु अक्बर पुकारा। इस पर मैं ने उन से पूछाः ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान (यह उन की कुन्नियत है) लोग तो ऊपर खड़े होकर कंकरियाँ मारते हैं? उन्होंने कहाः उस अल्लाह की क़सम! जिस के अ़लावा और कोई माबूद नहीं, यह स्थान उस का है जिस पर सूरः बक़रः नाज़िल हुयी है (यानी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी इस स्थान से कंकरियाँ मारी हैं)

फ़ाइदाः– तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद मिना जाना और वहाँ दो या तीन रातें रुकना और हर रोज़ तीनों जमुरों को कंकरी मारना चाहिये। जैसा कि सूरःबक़रः की आयत न॰ 200 ता 203 में है। लेकिन अगर मजबूरी हो तो वह मक्का या दूसरी जगह भी रातें बिता सकता है। चुनान्चे इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने लोगों को पानी पिलाने के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मक्का से तश्रीक़ की रातें बिताने की अनुमति माँगी तो आप ने उन्हें अनुमति दे दी (बुख़ारी-मुस्लिम, अहमद, बैहक़ी) इसी प्रकार आप ने ऊँट के चराने वालों को भी मिना से बाहर रातबिताने की अनुमति दी है (मुस्लिम, अहमद, अबू दावूद) मिना में दो या तीन दिन ठहरने के दौरान हर रोज़ पहले जमुरो पर (जो मस्जिद खीफ़ के पास है) फिर दूसरे जमुरा पर, फिर जमुरए-अक़बा पर कंकरियाँ मारे। तीनों पर इसी र्ततीब से कंकरियाँ मारे, र्ततीब उलटने न पाये। पहले दो पर मारते समय "अल्लाहु अक्बर" कहे, फिर एक तरफ़ खड़े होकर मुँह क़िब्ला की तरफ़ कर के हाथ उठा कर दुआ़ माँगे। अन्तिम जमुरा पर कंकरी मारने के बाद खड़े होकर दुआ़ न माँगे।

कुर्आन में आयतों की र्ततीब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से दी है इसलिये क़ियामत तक आयतों की र्ततीब में उलट-फेर नामुमकिन है। अल्बत्ता सूरतों की र्ततीब, यह सहाबा की राय और मश्वरे से बाद में दी गयी है। हज्जाज बिन यूसुफ़ का कहना था कि सूरतों के नाम से पहले "सूरः" शब्द न कहो, केवल "बक़रः" "निसा" आदि कहो, इस पर इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने कहाः "उस ज़ात की क़सम जिस पर सूरः बक़रः नाज़िल हुयी" और यहाँ साबित किया कि सूरत के नामों से पहले सूरः का शब्द प्रयोग कर सकते हैं। यानी "बक़रः" के बजाए "सूरःबक़रः" कहने में कोई हरज नहीं।

बाब {सवारी पर सवार होकर कुर्बानी के दिन कंकरियाँ मारने का बयान।}

724:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कुर्बानी के दिन ऊँटनी पर सवार होकर घाटी के जमुरे को कंकरियाँ मारते देखा। उस समय आप फ़रमा रहे थेः मुझ से हज्ज

करने के तरीके सीख लो इसलिये कि मुझे नहीं मालूम इस वर्ष के पश्चात हज्ज कर सकूँगा। (या नहीं।)

फ़ाइदाः– मालूम हुआ कि अगर कोई सवार होकर मिना पहुँचे तो वह सवारी ही पर से कंकरी मार सकता है। और अगर उतर जाये तो यह भी दुरुस्त है। लेकिन जो मिना में पैदल चल कर आये वह पैदल ही कंकरियाँ मारे। बहरहाल चाहे सवार होकर, चाहे पैदल होकर, दोनों हालत में कंकरी मारना दुरुस्त है, लेकिन कंकरी घेरे के अंदर पड़नी चाहिये।

बाब {जमुरा पर मारने के लिये कंकरियाँ कितनी बड़ी हों?}

725:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ऐसी कंकरियाँ मारते देखा जो चुटकी से फेंकी जा सकती थीं (यानी चना के दाने के बराबर थीं)

बाब {कंकरियाँ मारने का समय क्या है?}

726:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (अन्तिम हज्ज के मौक़ा पर) क़ुर्बानी के दिन चाश्त के समय (दिन चढ़े) कंकरियाँ मारी थीं औरबाद के दिनों में उस समय मारीं जब सूरज ढल गया था।

फ़ाइदाः– हदीस न॰ 742 से मालूम हुआ कि कंकरी इतनी छोटी हो जो चुटकी में लेकर फेंकी जाये। यानी जो चने के दाने के बराबर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐसी कंकरी लो जिसे दो उंगलियों के दर्मियान रख कर फेंका जा सके (अहमद, अबू दावूद, इब्ने माजा) कंकरी कहीं से भी ले सकते हैं लेकिन मुज़दलिफ़ा के मैदान से लेना अफ़ज़ल है, क्योंकि अ़ब्बास रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये यहीं से जमा किया था (अहमद, नसई, इब्ने माजा) कुछ हाजी लोग जोश में आ कर अपने जूते-चप्पल फेंक कर मारते हैं, यह सब काम मूर्खता के हैं।

दूसरी हदीस न॰ 725 से मालूम हुआ कि रमी करने का समय दिन चढ़े (चाय का समय) है और सूरज ढलने के बाद भी है। लेकिन अगर कमज़ोर और बूढ़े व महिलायें जो पहले पहुँच चुकी हैं फ़ज्र के बाद सूरज निकलने से पहले ही कंकरी मार लें (ताकि भीड़-भाड़ और कठिनाई से बच जायें, धक्का-मुक्की न खानी पड़े) तो यह भी दुरुस्त है जैसा कि अस्मा रज़ि॰ ने किया है (हदीस न॰ 718) बहरहाल उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि सूरज डूबने से पहले-पहले तक कोई कंकरी मार ले तो सुन्नत अदा हो जायेगी, लेकिन अकारण विलंब करना ठीक नहीं है।

आजकल रमी करने के तीनों स्थानों पर चिन्ह के तौर पर खंबे (मिनारे) बना दिये गये हैं और चारों तरफ़ से एक घेरा (Circle) बना दिया गया है, उस घेरे के अन्दर कंकरी

गिरनी चाहिये अगर्चे खंबे को न लगे। यह इस बात का वादा है कि हम शैतान के बहकावे में नहीं आयेंगे और उस की बातों पर अ़मल नहीं करेंगे। मेरे मौला! मुझे भी तौफ़ीक़ दे दे ताकि मैं भी जा कर कंकरी मार कर वादा करूँ.......ख़ालीद। प्रथम मार्च 2005, मंगलवार, मुबंई, 8.A.M.

बाब {जुमरों को ताक़ मर्कबा कंकरी मारनी चाहिये।}

727:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः (पेशाब–पाख़ाना के बाद) पाकी हासिल करने के लिये ताक़ ढेले इस्तेमाल करें, इसी प्रकार जमुरों को ताक़ कंकरियाँ मारें, सफ़ा–मर्वा के दर्मियान ताक़ मर्तबा सअ़ीकरें, इसी प्रकार काबा का तवाफ़ भी ताक़ मर्तबा है। इसलिये पाकी हासिल करने के लिये ताक़ पत्थर प्रयोग करना अनिवार्य है।

फ़ाइदाः– मालूम हुआ कि ताक़ मर्तबा कंकरियाँ मारी जायें। कुछ उलमा के निकट ताक़ होना और सात होना वाजिब है, इस से कम मारना दुरुस्त नहीं। जो लोग सात से कम को भी जाइज़ मानते हैं उन की दलील सअ़द बिन वक्क़ास रज़ि॰ की रिवायत है जिसे अहमद और नसई ने रिवायत किया है, लेकिन यह हदीस कमज़ोर है जिस से दलील नहीं पकड़ी जा सकती।

इस्तिंजा के ढेलों के बारे में यह हुक्म है कि अगर वह इतना बड़ा हो कि उसे घुमा–फिरा कर कई बार प्रयोग किया जा सकता है तो वह उतनी संख्या का माना जायेगा, इस के लिये भी ताक़ बार होना चाहिये।

बाब {हज्ज के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाल मुँड़ाने का बयान।}

728:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्तिम हज्ज में अपना सर मुँड़ाया था।

बाब {हज्ज में सर मुँड़ाने और कटाने का बयान।}

729:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "ऐ अल्लाह! तू सर मुँड़ाने वालों को बख़्श दे। इस पर सहाबा ने पूछाः और कटाने वालों को? आप ने फ़रमायाः ऐ अल्लाह! सर मुड़ाँने वालों को बख़्श दे। सहाबा ने फिर पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! और कटाने वालों को भी? फ़रमायाः ऐ अल्लाह! सर मुँड़ाने वालों को बख़्श दे। सहाबा ने फिर पूछाः और कटाने वालों को भी? आप ने फ़रमायाः हाँ और कटाने वालों को भी (बख़्श दे)

फ़ाइदाः–बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत में है कि इमाम नाफ़े ने उबैदुल्लाह के हवाले से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चौथी मर्तबा कटाने और छोटा कराने वालों के बारे में दुआ़ फ़रमायी। (बुख़ारी–1727–इब्ने उमर रज़ि॰) हदीस से स्पष्ट है

कि मुँड़ाना, कटाने और छोटा करने से अफ़ज़ल है। महिलाओं के लिये मुडाँना दुरुस्त नहीं, सर के कहीं के भी चन्द बाल के कुछ हिस्से स्वँय काट लें। अमीर मुआविया रज़ि॰ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मैं ने स्वँय कैंची से छोटे किये थे (बुख़ारी–1730–इब्ने अब्बास) तो यह हदीस मुँडाने के ख़िलाफ़ नहीं है। ऐसा संभव है कि नाई मौक़े पर न रहा हो तो इन्होंने कैंची से काट कर छोटा कर दिया हो, लेकिन नाई के आ जाने केबाद आप ने उस से मुँड़ा लिया हो और मुआविया रज़ि॰ की नज़र न पड़ी हो (फ़तहुल बारी)

बाब {पहले कंकरियाँ मारें, फिर कुर्बानी करें, फिर बाल मुँड़ायें। और बाल मुँड़ाते समय दाहिनी ओर से मोंडना आरंभ करें।}

730:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़बा के जमुरे को कंकरियाँ मारीं, फिर आकर ऊँटों को ज़ब्ह किया। उस समय नाई भी बैठा हुआ था, चुनान्चे आप ने नाई को इशारा से समझा कर दाहिनी ओर का सर मुडाँया और उन बालों को अपने निकट उपस्थित सहाबा के दर्मियान बाँट दिया। फ़िर आप ने दूसरी ओर का मूँड़ने का हुक्म दिया और फ़रमायाः तल्हा कहाँ है? फिर वह बाल उन्हें दे दिये।

फ़ाइदाः– हदीस से मालूम हुआ कि पहले कंकरी मारे, फिर कुर्बानी करे, फिर सर मुँड़ाए या कतराये, फिर मक्का जा कर इफ़ाज़ा का तवाफ़ करे। इसी र्ततीब से काम होना चाहिये। लेकिन अगर आगे–पीछे कर ले तो भी जाइज़ है जैसा कि नीचे की हदीस से साबित है। हदीस से यह भी मालूम हुआ कि आप के बाल तबर्रुक हैं और उन्हें संभाल कर रखना चाहिये। आजकल जो बाल मज़ारों में आप के बाल कर की ज़ियारत कराये जाते हैं उन के बारे में वास्तव में कुछ अता–पता नहीं कि वह आप के हैं या किसी और के। इसलिये ज़ाहिर में ढोंग लगता है, हक़ीक़त अल्लाह बेहतर जाने।

बाब {जिस ने कुर्बानी से पहले ही सर मुँड़ा लिया, या कंकरी मारने से पहले ही कुर्बानी कर डाली (उस के बारे में क्या हुक्म है?)}

731:– अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (मिना में) अपनी ऊँटनी पर सवार थे और ऊँटनी खड़ी थी और लोग आप से मस्अले पूछ रहे थे। इसी दर्मियान किसी ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी जानकारी नहीं थी कि कुर्बानी से पहले–पहल कंकरी मारनी चाहिये, और मैं ने कंकरी मारने से पहले कुर्बानी कर दी (तो अब मैं क्या करुँ?) आप ने फ़रमायाः कोई बात नहीं, अब कंकरियाँ मार लो। एक दूसरे सहाबी ने पूछाः मैं नहीं जानता था कि सर मुँड़ाने से पहले कुर्बानी करनी चाहिये इसलिये कुर्बानी करनेसे पहले सर मुँड़ा लिया। आप ने फ़रमायाः कोई बात नहीं, सर मुँड़ाने के बाद र्कुबानी कर डालो। हदीस के रावी अब्दुल्लाह रज़ि॰ ने बयान

किया कि मैं ने अपने कानों से सुना उस दिन किसी ने भी ऐसे काम के बारे में पूछा जिसे इन्सान भूल जाता है और आगे-पीछे कर लेता है, उस के बारे में आप ने यही फ़रमाया कि "कोई बात नहीं, अब कर डालो।"

732:– अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना कुर्बानी के दिन आप के पास एक व्यक्ति आया उस समय आप घाटी वाले जमुरे के पास खड़े थे। उस ने पूछाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मैं ने रमी (कंकरियाँ मारने) से पहले सर मुँड़ा लिया। आप ने उत्तर दियाः कोई बात नहीं अब कंकरियाँ मार लो। इतने में दूसरे व्यक्ति ने आ कर पूछाः मैं ने कंकरियाँ मारने से पहले कुर्बानी कर डाली। आप ने फ़रमायाः कोई बात नहीं अब कंकरियाँ मार लो। फिर तीसरे ने आ कर पूछाः मैं ने कंकरियाँ मारने से पहले ही बैतुल्लाह का तवाफ़-इफ़ाज़ा कर लिया। आप ने फ़रमायाः कोई बात नहीं, अब कंकरियाँ मार लो। अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ ने कहाः उस दिन आगे-पीछे हो जाने के बारे में जो भी मस्अला पूछा गया उस के उत्तर में आप ने यही फ़रमायाः "कोई बात नहीं, अब कर डालो।"

फ़ाइदाः– 10 ज़िल् हिज्जा (कुर्बानी के दिन) मुज़दलिफ़ा से मिना आ कर चार काम किये जाते हैं (1) घाटी वाले जमुरे को कंकरियाँ मारना (2) फिर कुर्बानी करना (3) फिर सर मुँड़ाना या बाल कटाना (4) फिर तवाफ़-इफ़ाज़ा (जिसे तवाफ़-ज़ियारत भी कहा जाता है) करना। यह चारों काम गिनाए गये र्ततीब से ही करना सुन्नत हैं। लेकिन यह र्ततीब वाजिब नहीं। अगर कोई भूल कर जो काम पहले करने का है उसे बाद में, या जो बाद में करने का है उसे पहले का डाले तो उस पर कोई गुनाह और कफ़्फ़ारा नहीं। अक्सर उलमा के निकट जानबूझ कर करने पर कफ़्फ़ारा देना होगा।

बाब {कुर्बानी के जानवर के गले में (पहचान के लिये) हार डाल देना चाहिये और ऊँट की कोहान को (निशानी के तौर पर) चीर देना चाहिये}

733:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जुह्र की नमाज़ ज़ुलहुलैफ़ा में पढ़ी फिर आप ने अपनी कुर्बानी की ऊँटनी को मंगा कर उस के कोहान को दायें तरफ़ से चीर दिया (ताकि लोग जानें कि यह जानवर कुर्बानी के लिये ख़ास है) और जो ख़ून निकला उसे हाथ से मल दिया और गले में दो जूतियाँ पहना दीं (यह भी पहचान के लिये थीं) फिर अपनी ऊँटनी पर सवार हुये, जब वह आप को लेकर खड़ी हो गयी तो आप ने लब्बैक पुकारा।

बाब {एहराम की हालत में न होने के बावजूद कुर्बानी का जानवर भेजना और उस के गले में (पहचान के लिये) हार पहनाना दुरुस्त है।}

734:– अ़ब्दुर्रहमान की पुत्री अ़म्रा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि (मदीना के गवर्नर) इब्ने ज़ियाद ने एक मर्तबा आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ को पत्र लिखा कि इब्ने

अ़ब्बास रज़ि॰ का कहना है: जिस ने कुर्बानी का जानवर भेजा उस पर भी वह तमाम चीज़ें हराम हो जाती हैं जो एहराम बाँधने वाले हाजी पर हराम होती हैं और मैं ने भी कुर्बानी के जानवर भेजे हैं (जबकि मैं हलाल हूँ) तो इस बारे में आप अपना ख़याल ज़ाहिर फ़रमायें। आइशा रज़ि॰ ने फ़रमाया: इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने जिस प्रकार कहा है वह दुरुस्त नहीं है। मैं ने स्वँय कुर्बानी के जानवरों के लिये हार अपने हाथों से बनाये हैं (जबकि मैं एहराम की हालत में नहीं थी) फिर उस हार को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जानवर के गले में डाल कर मेरे पिता के साथ रवाना कर दिया, लेकिन आप पर कोई चीज़ हराम नहीं हुयी जो अल्लाह पाक ने आप पर हलाल की थी।

735:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक मर्तबा बकरियों के गले में हार डालकर उन्हें बैतुल्लाह रवाना किया (लेकिन आप पर कोई चीज़ हराम नहीं हुयी)

फ़ाइदा:– हदीस न॰ 734 में इब्ने ज़ियाद ने आइशा से मस्अला पूछा। यह सहीह नहीं है। इब्ने ज़ियाद ने तो आइशा रज़ि॰ का ज़माना ही नहीं पाया। सहीह ज़ियाद बिन अबू सुफ़ियान है जो मदीना के गर्वनर थे। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ का क़ौल दुरुस्त नहीं है। इस हदीस से और भी मस्अले मालूम हुये (1) हरम में कुर्बानी भेजना मुस्तहब है (2) अगर स्वँय न जा सके तो दूसरे के ही हाथ भेज दे (3) पहचान के लिये जानवर के गले में जूता-चप्पल या किसी और चीज़ का हार बना कर डाल देना बेहतर है। (4) हार बनाना भी अफ़ज़ल है। (5) कुर्बानी का जानवर भेजने से कोई मुहरिम नहीं हो जाता (6) इमाम मालिक और अबू हनीफ़ा रह॰ के निकट केवल गाय और ऊँट के हार डालना चाहिये। लेकिन ऊपर आइशा रज़ि॰ की रिवायत (735) की रोशनी में बकरी को भी हार पहनाना दुरुस्त है।

बाब {कुर्बानी के ऊँट पर सवारी करना जाइज़ है।}

736:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने देखा कि एक व्यक्ति कुर्बानी के ऊँट को खींच कर ले जा रहा है। आप ने फ़रमाया: उस पर सवार हो जा। उस ने कहा: यह कुर्बानी का जानवर है। आप ने फ़रमाया: (कोई बात नहीं) सवार हो जा। उस ने फिर यही कहा कि यह कुर्बानी का जानवर है। यह सुन कर आप ने दूसरी या तीसरी बार फ़रमाया: "तेरा नास जाये उस पर सवार हो जा"

737:– अबू जुबैर ने बयान किया किजाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से कुर्बानी के जानवर पर सवार होने के बारे में मस्अला पूछा गया तो मैं ने उन्हें उत्तर देते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मैं ने फ़रमाते सुना है कि उस पर इस प्रकार सवारी करो कि उसे तक्लीफ़ न पहुँचे। और जब तुम्हें सवार होने की ज़रुरत हो

और कोई दूसरी सवारी न मिले (तो उस पर सवार हो जाओ)

फ़ाइदा:— ज़रुरत पड़ने पर क़ुबानी के ऊँट पर सवार होने में कोई हरज नहीं इस पर सभी का इत्तिफ़ाक़ है, लेकिन इस प्रकार सवारी करे कि जानवर को तक्लीफ़ न पहुँचे। कुछ जाहिल अ़क़ीदत में पैदल चल कर तक्लीफ़ गवारा कर लेना पसन्द करते हैं लेकिन सवार होना नहीं, यह निरी जिहालत है। हाँ, अगर और दूसरे ऊँट भी साथ हैं, तो क़ुर्बानी वाले ऊँट पर न सवारी करे, बेहतर यही है।

बाब {मिना में पहुँचने से पहले अगर क़ुर्बानी का जानवर थक जाये (तो उसे क्या करे?)}

738:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि मुझ से ज़ुऐब रज़ि॰ नेबतायाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मेरे साथ क़ुर्बानी के ऊँट रवाना किये और फ़रमायाः अगर इन में से कोई थक-हार जाये और उस के मर जाने की शंका हो तो उसे ज़ब्ह कर देना और उस की जूतियाँ (जो उस के गले में क़ुबानी के पहचान के लिये लटक रही हैं) उस के ख़ून में डुबो कर उस के कोहान पर छाप देना (कि ख़ून से जूतियों का निशान बन जाये) और न तुम खाना और न अपने किसी साथी को खाने देना।

फ़ाइदा:— जब नज़र की क़ुर्बानी का जानवर थक जाये तो वही हुक्म है जो ऊपर हदीस में बयान हुआ। ख़ुद खाना हराम, साथ वालों का खाना हराम। इमाम शफ़ई रह॰ के निकट अगर वह क़ुर्बानी नफ़ल की है तो खाना-पीना बेचना सब दुरुस्त है। लेकिन अगर जानवर नज़र का है तो उस को भी ज़ब्ह कर के छोड़ देना चाहिये। और अगर ज़ब्ह न किया और यूँ ही मर गया तो उस के बदले दूसरा जानवर नज़र का ले जाना पड़ेगा। ऐसे जानवर का माँस केवल वह मुहताज खा सकते हैं जो उस गरोह के साथ न हों। जमहूर का भी यही फ़तवा है। हज्ज की क़ुर्बानी का माँस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने स्वँय खाया है (देखें 707) हज्ज की क़ुर्बानी, और नफ़ली क़ुबाना आदि का माँस खाने में कोई हरज नहीं, अल्बत्ता नज़र और दम व कफ़्फ़ारा की क़ुर्बानी का स्वँय नहीं खा सकता।

बाब {क़ुबानी के जानवर में साझीदार हुआ जा सकता है।}

739:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ एहराम बाँध कर निकले तो आप ने हम सब को हुक्म दिया कि हम लोग सात-सात आदमी ऊँट और गाय में साझी दार हो जायें।

फ़ाइदा:— क़ुर्बानी केवल चार जानवरों की जाइज़ है, चाहे नर हों या मादा। (1) ऊँट (2) गाय (3) भेड़ (4) बकरी। इन में ऊँट और गाय में सात आदमी शरीक हो कसते हैं और भेड़ और बकरी में केवल एक। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ की रिवायत में है कि क़ुबानी के मौक़ा पर हमने गाय को सात आदमियों की तरफ़ से और ऊँट को दस की तरफ़ से क़ुर्बान किया (तिर्मिज़ी, नसई, इब्ने माजा) लेकिन आ़म उलमा इसे आ़म क़ुर्बानी के लिये

मानते हैं हज्ज में कुर्बानी के लिये नहीं मानते, क्योंकि सात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का आदेश मौजूद है (हदीस 739) आ़म कुर्बानी का मतलब है जैसे लोग अपने गाँव में अ़ीद की नमाज़ पढ़ कर करते हैं। मुस्लिम शरीफ़ में सात के शरीक होने के तअ़ल्लुक़ से 8 रिवायतें हैं और सभी हज़रत जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है। मालूम हुआ कि ऊँट और गाय में सात आदमी शरीक हो सकते हैं चाहे कुर्बानी वाजिब हो या नफ़्ली, चाहे तमाम शरीक होने वालें (साझीदारों) का इरादा कुर्बान करने का हो या उन में से कुछ का इरादा महज़ माँस खाने का हो।

बाब {गाय की कुर्बानी का बयान।}

740:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन आ़इशा रज़ि॰ की तरफ़ से एक गाय ज़ब्ह की।

फ़ाइदा:—गाय में नर यानी बैल दोनों जिन्स शामिल हैं। लेकिन क्या भेंस भी गाय-बैल की जिन्स में शामिल है? इस में उलमा का बड़ा इख़्तिलाफ़ है। शैखुल हदीस मौलाना मुबारक पुरी रह॰ लिखते हैं कि अगर कोई एहतियात करे तो अच्छी बात है, लेकिन कोई उस की कुर्बानी करे तो उसे बुरा भी न जाने। लेकिन सच्ची बात यह है कि भेंस, गाय की जिन्स से नहीं है, जिस प्रकार कोयल, कौए की जिन्स से नहीं है। गाय-भैंस में किसी भी चीज़ में समानता नहीं पाई जाती। खान-पान, उठना-बैठना, चाल-चलन, सब कुछ ही एक-दूसरे से जुदा है। इसलिये इस की गिन्ती "अन्आ़म" (वह चार जोड़े जिन की कुर्बानी जाइज़ है) में नहीं होगी। और इस की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और दूसरे उलमा ने इस विषय पर बहुत विस्तार से लिखा है। विस्तार से जानकारी के लिये वहाँ देखें।

बाब {ऊँट को खड़ा कर हाथ-पैर बाँध कर नहर करना चाहिये।}

741:— ज़ियाद बिन जुबैर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि॰ एक ऐसे व्यक्ति के पास से गुज़रे जो ऊँट को बैठा कर नहर कर रहा था, तो उस से कहा: इसे उठा कर खड़ा करो फिर पैर बाँध कर नहर करो, यही तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है।

फ़ाइदा:— जितने भी हलाल जानवर है उन्हें ज़ब्ह करने का यही तरीक़ा है कि उन्हें ज़मीन पर कर्वट लिटा कर ज़ब्ह किया जाये, लेकिन ऊँट के लिये यह है कि उसे खड़ा कर उस के पैर मज़बूती से बाँध दिये जायें, फिर उस के गले में नेज़ा (बर्छी, बल्लम, भाला) या दूसरी नोकरदार चीज़ को घुसा दिया जाये। उस का ख़ून निकलने लगेगा और धीरे-धीरे कमज़ोर होकर गिर जायेगा, फिर गला आदि काटा जाये। इस का नाम "नहर" है और यह केवल ऊँट के लिये ख़ास है। इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ ने अपनी आ़दत के मुताबिक़ यहाँ भी इख़्तिलाफ़ किया है और वह व्यक्ति जिस प्रकार ज़ब्ह कर रहा था और जिस को सहाबी ने सुन्नत के खिलाफ़ कहा, उस को भी यह दुरुस्त कहते हैं। अल्लाह

तआला सुन्नत के मुताबिक़ कहने, सुनने और करने की तौफ़ीक़ दे-आमीन।

बाब {क़ुर्बानी का माँस, उस का झोल और उस का चमड़ा (सब कुछ) ख़ैरात कर देना चाहिये।}

742:– अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे आदेश दिया था कि मैं आप के क़ुर्बानी के ऊँटों की निग्रानी करुँ और (ज़ब्ह हो जाने के बाद) उन का माँस उन के झोल और चमड़े ख़ैरात कर दूँ। लेकिन क़साई को उस में से मज़दूरी न दूँ। उन्होंने कहा कि ज़ब्ह करने की मज़दूरी हम अपने पास से देते थे।

फ़ाइदा:– खुद भी खा सकते हैं, इस की मिनाही नहीं है। यह वही ऊँट हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अन्तिम हज्ज में ले गये थे। 63 को स्वैंय ज़ब्ह कर के तक़्सीम कराया और बाक़ी को अ़ली रज़ि॰ के हवाले फ़रमा कर ऊपर हदीस के अनुसार आदेश दिया था। उन्हें ज़ब्ह कर तमाम शवों से एक-एक बूटी निकाल कर पकाया और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और अ़ली रज़ि॰ ने उसे खाया और उस का सूप पिया था। (देखें-ऊपर की हदीस 707) चमड़े को भी स्वैंय प्रयोग में ला कर मुसल्ला आदि बना सकते हैं। वर्ना ख़ैरात कर दें। कुछ उलमा का कहना है कि बेच कर उस का पैसा फ़क़ीरों और मोहताजों को भी दे सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि उस के हवाले कर दिया जाये, वह जो चाहे करे। 'झोल' उस कपड़े को कहते हैं जो ऊँट के ऊपर डाला जाता है फिर उस के ऊपर कजावा रखते हैं, यह कपड़े बड़े सुन्दर होते हैं।

बाब {क़ुर्बानी के दिन वापसी (ज़ियारत) का तवाफ़ करना दुरुस्त है।}

743:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ुर्बानी के दिन वापसी (ज़ियारत) का तवाफ़ किया, फिर लौट कर मिना में जुह्र की नमाज़ अदा फ़रमाई। इमाम नाफ़े ने बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि॰ क़ुर्बानी ही के दिन ज़ियारत का तवाफ़ करते और फिर लौट कर मिना में जुह्र की नमाज़ अदा करते थे और कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी ऐसा ही किया करते थे।

फ़ाइदा:– 'इफ़ाज़ा' ज़ियारत और वापसी के तवाफ़ को कहा जाता है। यह हज्ज का अहम रूकन है, अगर इसे न अदा किया तो हज्ज ही न होगा। हज़रत सफ़िय्या रज़ि॰ हैज़ से हो गयीं तो आप ने फ़रमाया (ग़ज़ब हो गया) अब हमें इन्तिज़ार करना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि उन्होंने क़ुर्बानी के दिन ही ज़ियात का तवाफ़ कर लिया था। आप ने फ़रमाया फिर ठीक है, रवाना हो जाओ (बुख़ारी, मुस्लिम) इस हदीस से मालूम हुआ कि यह तवाफ़ इतना ज़रुरी है कि जब तक हाजी उसे अदा न कर ले वह मक्का से घर नहीं लौट सकता। इस तवाफ़ का मसनून समय क़ुर्बानी के दिन कंकरियाँ मारने और बाल मुँडाने के बाद है। यह सब कर के तवाफ़ करे और जुह्र की नमाज़ मक्का में पढ़ें। इस के

बाद एहराम खुल गया, हर प्रकार की पाबन्दी समाप्त हो गयी, यहाँ तक कि संभोग भी करे।

लेकिन याद रहे! हज्जे तमत्तो करने वाला हाजी मक्का पहुँच कर जो तवाफ़ और सअ़ी करता है यह उम्रा के लिये होता है। तवाफ़ इफ़ाज़ा (ज़ियारत) के बाद हज्ज की सअ़ी करना ज़रुरी है। मुफ़रिद और क़ारिन हाजी अगर तवाफ़ क़ुदूम के बाद सअ़ी कर चुके हों तो फिर उन्हें सअ़ी करने की आवश्यक्ता नहीं। और अगर नहीं किया है तो करना आवश्यक है।

बाब {जिस ने काबा का तवाफ़ कर लिया वह हलाल हो गया।}

744:– इब्ने जुरैज ने बयान किया कि मुझे अ़ता ने बताया कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ यह फ़तवा देते थे कि जिस ने बैतुल्लाह का तवाफ़ (मक्का में पहुँचते ही) कर लिया वह हलाल हो गया, चाहे वह हज्ज की निय्यत से आया हो या उम्रा की निय्यत से। इब्ने जुरैज ने कहा कि मैं ने अ़ता से पूछाः वह इस प्रकार का फ़तवा कहाँ से देते थे? उन्होंने कहाः कुरआन पाक में सूरःहज्ज की आयत न॰ 33 से। मैं ने कहाः यह तो अ़रफ़ात से आने के बाद है। उन्होंने कहाः इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ का यह कहना है कि उस का स्थान बैतुल्लाह ही है, चाहे अ़रफ़ात से लौटने के बाद हो या उस से पहले। वह यह अर्थ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इस आदेश से भी लेते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने आदेश दिया था कि लोग अन्तिम हज्ज में एहराम खोल डालें।

बाब {क़िरान का हज्ज करने वाले हाजी के लिये हज्ज और उम्रा का एक ही बार तवाफ़ कर लेना काफ़ी है।}

745:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं "सरिफ़" के स्थान पर पहुँच कर मांसिक धर्म से हो गयी और अरफ़ह के दिन पाक हुयी (और स्नान किया) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम अब सफ़ा और मर्वा का तवाफ़ कर लो, यह हज्ज और उम्रा दोनों के लिये काफ़ी है।

फ़ाइदाः– 'क़िरान' यानी हज्ज और उम्रा दोनों की निय्यत से एहराम बाँधा जाये, या एहराम तो केवल उम्रा की निय्यत से बाँधा जाये लेकिन बाद में हज्ज की भी निय्यत कर ली जाये और हज्ज के कार्य समाप्त होने तक एहराम न खोला जाये। जाबिर रज़ि॰ की एक रिवायत में है कि हम में से जिन्होंने हज्जे-क़िरान का एहराम बाँधा था नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ आये, फिर काबा का तवाफ़ और सफ़ा-मर्वा के दर्मियान सअ़ी की, फिर जब कुर्बानी का दिन (10 ज़िल् हिज्जा) आया तो हम लोग सफ़ा-मर्वा के निकट तक नहीं गये (मुस्नद अहमद) यानी पहली बार का तवाफ़ और सअ़ी हज्ज और उम्रा दोनों के लिये हो गया, इसलिये सफ़ा-मर्वा जाने की आवश्यक्ता नहीं। इसी प्रकार की हदीस तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में भी है। ऊपर हदीस में आ़इशा रज़ि॰ ने हज्ज के दिन सफ़ा-मर्वा का तवाफ़ कर लिया जो दोनों (हज्ज और उम्रा) के लिये काफ़ी हो

गया। इसी प्रकार अगर कोई आरंभ में उम्रा का तवाफ़ व सअ़ी कर ले तो वह हज्ज के लिये भी हो जायेगा। लेकिन याद रहे! यह केवल उसी हाजी केलिये है जिस ने क़िरान की नियत से एहराम बाँधा है।

बाब {हज्ज और उम्रा का एहराम बाँधने वाला कब एहराम खोले?}

746:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोग अन्तिम हजज के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ (मदीना से मक्का के लिये) निकले। हम में से कुछ लोगों ने केवल उम्रा का एहराम बाँधा था और क़ुछ ने हज्ज और उम्रा दोनों का। और जिस ने केवल उम्रा का एहराम बाँधा हुआ था वह कुर्बानी के दिन (10 ज़िल् हिज्जा) तक हलाल हुये (एहराम खोला)

फ़ाइदाः– यह केवल उन लोगों के लिये है जिन्होंने उम्रा का एहराम बाँधा, बाद में हज्ज को भी उम्रा में शामिल कर लिया और उन के पास हदी (कुर्बानी के जानवर) भी साथ थे। वर्ना जिस ने केवल उम्रा का एहराम बाँधा है, वह तवाफ़ व सअ़ी के बाद हलाल हो जायेगा, फिर 8 ज़िल् हिज्जा को हज्ज के लिये पुनः एहराम बाँधेगा (जिसे हज्जे तमत्तो कहा जाता है)

बाब {12वीं ज़िल् हिज्जा को मुहस्सब की वादी में ठहरने और नमाज़ पढ़ने का बयान।}

747:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, अबू बक्र व उमर रज़ि॰ अब्–तह में ठहरा करते थे।

748:– आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है उन का बयान है कि मु–हस्सब की वादी में ठहरना कोई वाजिब नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तो केवल इसलिये वहाँ ठहरते थे कि जब मक्का से निकले वहाँ से आगे (मदीना के लिये) जाना आसान था।

फ़ाइदाः– 'मु–हस्सब' मक्का और मिना के दर्मियान एक खुले मैदान का नाम है जिसे "अब्–तह" "बतहा" और ख़ीफ़ बनी कनाना" भी कहते हैं। अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि आप ने फ़रमाया थाः हम कल (मक्का लौट कर) बनू कनाना की वादी मु–हस्सब में ठहरेंगे। यही वह स्थान है जहाँ बनी कनाना और कुरैश के लोगों ने बनी हाशिम के बाइकाट पर समझौता किया था। (बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दावूद, नसई और नीचे की हदीस न॰ 749) ज़ाहिर है, मक्का से लौट कर यहाँ पर ठहरना और फिर यहाँ से मदीना के लिये रवाना होने में यह स्थान मन्ज़िल का काम करता है। इस से सफ़र में आसानी हो जाती है। यह अपने स्थान पर दुरुस्त है कि यहाँ ठहरना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और सहाबा के ठहरने के नाते यहाँ ठहरना सुन्नत और मुस्तहब हो गया।

749:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

ने हम से फ़रमायाः उस समय हम लोग मिना में थे कि कल हम लोग ख़ीफ़ बनी कनाना में ठहरेंगे, यही वह स्थान है जहाँ पर काफ़िरों ने कुफ़्र की क़सम खाई थी, यानी कुरैश मक्का और क़बीला बनी कनाना ने यह समझौता किया था कि बनी हाशिम और अ़ब्दुल् मुत्तलिब के खान्दान वालों से शादी-बियाह नहीं करेंगे और न ही उन से लेन-देन करेंगे, जब तलक वह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को उन के हवाले नहीं कर देते। "ख़ीफ़ बनी कनाना" से मु-हस्सब की वादी मुराद है।

बाब {ज़मज़म का पानी पिलाने वालों के लिये मिना की रातों में (मिना के बजाए) मक्का में रात बिताने की अनुमति है।}

750:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मिना की रातों में मक्का में रहने की अनुमति माँगी थी, इसलिये कि उन की डयूटी (मुसाफ़िरों को) ज़मज़म का पानी पिलाने की थी।

751:– बक्र बिन अ़ब्दुल्लाह मुज़नी ने बयान किया कि एक मतर्बा मैं इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के साथ काबा के पास बैठा हुआ था, इतने में एक दीहाती आकर कहने लगाः यह क्या मामला है कि तुम्हारे चचा की औलाद तो शहद और दूध का शर्बत पिलाते हैं और तुम केवल खजूर का शर्बत पिलाते हो? क्या ऐसा मुहताजी की वजह से करते हो या कंजूसी के नाते? यह सुनकर इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने उत्तर दियाः अल्लाह की कृपा से न हम मोहताजी की वजह से करते हैं और न कंजूसी के नाते? यह सुन कर इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने उत्तर दियाः अल्लाह की कृपा से न हम मोहजात और ग़रीब हैं और न ही कंजूस। मामला यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार होकर आये, उस समय आप के पीछे उसामा भी सवार थे। आप ने पीने केलिये पानी माँगा तो हम ने एक प्याला खूजर का शर्बत पेश किया और आप ने पी लिया, उस में से जो बचा उसे उसामा रज़ि॰ को पिला दिया। फिर आप ने फ़रमायाः तुम ने बहुत अच्छा कार्य किया और ऐसे ही करते रहो। चुनान्चे जिस काम के करने का हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आदेश दे चुके हैं उसे हम नहीं बदल सकते।

फ़ाइदाः– तवाफ़े-इफ़ाज़ा (ज़ियारत) के बाद मिना वापस जाना और वहाँ दो-तीन रातें बिताना और रोज़ाना तीनों खंबों को सात-सात कंकरियाँ मारना वाजिब है। लेकिन अगर किसी की कोई मजबूरी हो तो यह रातें कहीं भी बिता सकता है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ लोगों को पानी पिलाते थे इसलिये इस ज़रुरी काम के लिये आप ने उन्हें मक्का में रात बिताने की अनुमति दे दी। इसी प्रकार आप ने ऊँटों के चराने वालों को भी (मिना से बाहर) रात बिताने की अनुमति दी थी (मुस्लिम, अहमद-अ़दी बिन हातिम रज़ि॰) याद रहे कि केवल रात बिताने की अनुमति है, सुब्ह वापस आ कर रोज़ाना तीनों शैतान के खंबों पर सूरज ढल जाने के बाद कंकरियाँ मारना अनिवार्य है, इस से छुटकारा नहीं। इमाम शाफ़ई

और अहमद के निकट अगर कोई बिला वजह (लार्पवाही से) रात दूसरी जगह गुज़ारे तो उसे हर्जाना में एक जानवर की कुर्बानी देनी होगी। इमाम मालिक के निकट तो हर रात के बदले एक कुर्बानी है।

बाब {हज्ज और उम्रा कर लेने के बाद "मुहाजिर" मक्का में कितने दिन ठहर सकता है?}

752:– अ़ब्दुर्रहमान बिन हमीद से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ की ज़बानी सुना वह अपनी सभा में बैठे हुये लोगों से पूछ रहे थे कि आप लोगों ने मक्का में ठहरने के बारे में क्या सुना है? (ठहर सकता है या नहीं) यह सुन कर साइब बिन यज़ीद रज़ि॰ बोलेः मैं ने अ़ला (या अ़ला हज़रमी) को बयान करते सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुहाजिर हज्ज के अर्कान अदा करने के पश्चात् केवल तीन दिन मक्का में ठहरे (इस से अधिक नहीं)

फ़ाइदाः– जिस घर-दर, जमीन-जायदाद और बाग़ ख़ेती-बारी को अल्लाह की राह में छोड़ दिया और हिजरत कर के मदीना चले गये, मक्का फ़तह होने के बाद भले ही वह जायदादें मक्का में मौजूद क्यों न हों, उन्हें अपना घर समझ कर ठहरना दुरुस्त नहीं। जिसे अल्लाह की राह में छोड़ दिया उस से अब कोई नाता न रहा। तीन दिन कहीं रूकना यह मुसाफ़िर के रूकने और ठहरने की तरह है, इसी प्रकार मक्का में भी हज्ज से निबट कर मुसाफ़िर के समान तीन दिन ठहर कर अपने छोड़े हुये घरों-जायदाओं को देखकर पुरानी यादें ताज़ा कर सकता है। फिर तीन दिन के बाद बिना कुछ लिये-दिये वापस।

बाब {अन्तिम (विदाई का) तवाफ़ करने से पूर्व कोई वापस न जाये।}

753:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लोगों को इधर-उधर चलते-फिरते देख कर फ़रमायाः जब तक बैतुल्लाह का अन्तिम तवाफ़ न कर ले कोई कूच न करे।

फ़ाइदाः– अन्तिम तवाफ़ जिसे "तवाफ़े-विदाअ़ (जुदाई का तवाफ़) कहा जाता है इसे हाजी मक्का से वापसी के समय करता है। यह वाजिब है। लेकिन अगर महिला माहवारी से है तो इस तवाफ़ के बिना ही वापस अपने घर जा सकती है, यह उस के लिये ख़ास छूट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस महिला को जिस ने तवाफ़े-इफ़ाज़ा (ज़ियारत) कर लिया है उसे तवाफ़-विदाअ़ के बग़ैर ही (हैज़ की वजह से) जाने की अनुमति दी है (बुख़ारी, बैहक़ी-देखें नीचे की हदीस)

बाब {अन्तिम तवाफ़ करने से पहले अगर कोई महिला मांसिक धर्म से हो जाये तो उस पर तवाफ़ माफ़ है।}

754:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी) सफ़िय्या ज़ियारत के तवाफ़ के बाद (यानी तवाफ़-इफ़ाज़ा के बाद) हैज़ से हो गयीं। जब मैं ने आप से इस का ज़िक्र किया तो आप

ने फ़रमायाः (ग़ज़ब हो गया) हमें अभी मक्का में (इस के तवाफ़े-विदाअ़ न करने की वजह से) रूकना पड़ेगा। आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने कहाः उन्होंने इफ़ाज़ा (यानी ज़ियारत) का तवाफ़ कर लिया था इस के बाद हैज़ से हुयी हैं। आप ने फ़रमायाः (फिर तो ठीक है) हम लोगों के साथ ही (बिना तवाफ़-बिदाअ़ किये) चली चले।

755:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि लोगों को हुक्म दिया गया है कि हज्ज के अन्त में (घर लौटने से पहले) बैतुल्लाह के पास से होकर (यानी अन्तिम तवाफ़ कर के) जायें, लेकिन हैज़ वाली महिला को इस तवाफ़ सेछूट दे दी गयी।

फ़ाइदा:– इस हदीस में यह स्पष्ट नहीं है कि किस हैज़ वाली महिला को छूट है? तो जैसा कि ऊपर की हदीस न॰ 754 में बयान हुआ कि जिस महिला ने तवाफ़े-ज़ियारत क़ुर्बानी के दिन कर ली हो उस के लिये इस ज़ियारत के न करने की छूट है। इसलिये कि तवाफ़-ज़ियारत हज्ज का अहम रूकन है, अगर यह न होगा तो हज्ज ही न होगा।

बाब {हज्ज के महीनों में उम्रा करना जाइज़ है।}

756:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि इस्लाम के आने से पूर्व (मुशिरक) लोग हज्ज के दिनों में उम्रा करना ज़मीन पर महापाप जानते थे। इसी प्रकार मुर्हरम के महीने को सफ़र महीना में बदल देते थे। (उन के निकट) हाजियों के पैरों के निशान मिट जायें और सफ़र का महीना समाप्त हो जाये तब जा कर उम्रा करना दुरुस्त है।

लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप के सहाबा चार ज़िल हिज्जा को एहराम बाँध कर मक्का में दाख़िल हुये तो आप ने सहाबा को हुक्म दिया कि हज्ज के एहराम को उम्रा के एहराम में बदल लें। यह सुन कर सहाबा को आश्चर्य हुआ और कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! हम किस प्रकार हलाल होंगे? आप ने फ़रमायाः पूरे तौर पर हलाल हो जाओगे।

फ़ाइदा:– साल के 12 महीनों में चार महीने हराम के हैं। ज़ीक़ादा, जिल् हिज्जा, मुर्हरम, रजब (सूरःतौबा 36) अ़रब के मुश्रिक लोग भी इन चारों महीनों का आदर-सम्मान करते थे और इन महीनों में जन्ग-लड़ाई, चोरी-डाका और अत्याचार नहीं करते थे। लेकिन चूंकि तीन महीने लगातार हराम के हैं इस लिये चोरी और डाका डालने के लिये लगातार तीन महीने इन्तिज़ार करना पड़ता था इसलिये यह राह निकाली कि मुर्हरम के महीने को सफ़र महीना बना देते और फिर जम कर लूट-पाट करते, फिर सफ़र महीना को मुहर्रम का हराम महीना मान कर उस का आदर-सम्मान करते। इसी को क़ुर्आन ने (सूरः तौबा की आयत 36 में) "नसी" कहा है, और इस प्रकार किसी महीना को बदल कर हलाल को हराम और हराम को हलाल कर लेने को कुफ़्र और नाजाइज़ कहा है।

इसी प्रकार हज्ज के दिनों में उम्रा करने को भी बुरा मानते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन के इस ग़लत ख़याल को रद्द फ़रमाते हुये हज्ज के

महीना में उम्रा फ़रमाया और सहाबा को भी उम्रा करने का आदेश दिया। जिन के पास क़ुर्बानी का जानवर नहीं है वह उम्रा करने के बाद मुकम्मल तौर पर हलाल हो जायेगा, फिर 8 ज़िल् हिज्जा को हज्ज का एहराम बाँधेगा। उम्रा के बाद हलाल होने के दौरान पत्नी से संभोग भी जाइज़ है।

बाब {रमज़ान के महीना में उम्रा करना अफ़ज़ल है।}

757:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक अन्सारी महिला सनान नामक से फ़रमायाः तुम हमारे साथ हज्ज के लिये क्यों नहीं चल रही हो? उन्होंने कहाः मेरे पति महोदय के पास दो ही ऊँट हैं जिन में से एक पर सवार होकर पिता और पुत्र हज्ज करने गये हैं, और दूसरे ऊँट पर मेरा लड़का पानी लाद कर लाता है (चूंकि कोई तीसरा ऊँट है नहीं, इसलिये मजबूरी है) आप ने फ़रमायाः रमज़ान में उम्रा करने का सवाब हज्ज करने के बराबर है (या मेरे साथ हज्ज करने के बराबर है)

फ़ाइदाः– इस हदीस से रमज़ान में उम्रा करने की फ़ज़ीलत साबित हुयी। नसई की रिवायत में है कि क़बीला बनी असद की एक महिला ने हज्ज का इरादा किया लेकिन उस का ऊँट बीमार हो गया तो आप ने फ़रमायाः रमज़ान में उम्रा कर लेना, क्योंकि रमज़ान का उम्रा (सवाब में) हज्ज के बराबर है (नसई, इब्ने हिब्बान) यह बात ध्यान रहे कि हज्ज के बराबर सवाब मिलने का यह अर्थ नहीं है कि उस पर हज्ज फ़र्ज़ नहीं रहा। और जो हज्ज फ़र्ज़ था वह अदा हो गया। फ़र्ज़ हज्ज अदा करना अनिवार्य है भले ही रमज़ान में उम्रा कर के हज्ज का सवाब बटोर लिया हो। इसी प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरी मस्जिदे नबवी में एक समय नमाज़ पढ़ने का सवाब एक हज़ार गुना है। इस का यह हर्गिज़ अर्थ नहीं कि जिस ने एक हज़ार नमाज़ें नहीं पढ़ी हैं वह इस हज़ार के बदले बराबर हो गयीं अब उन्हें दोहराने और क़ज़ा करने की आवश्यक्ता नहीं। सवाब अपने स्थान पर है और क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी अपने स्थान पर।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुल कितनी बार हज्ज किये हैं?}

758:– अबू इस्हाक़ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने ज़ैद बिन अर्क़म रज़ि॰ से पूछाः आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ कितने जिहाद में शामिल रहे? उन्होंने कहाः सत्तरह लड़ाइयों में। फिर उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्नीस जिहाद किये और हिजरत के पश्चात केवल एक हज्ज किया जिसे "हज्जतुल विदाअ़" (अन्तिम हज्ज) कहते हैं। अबू इस्हाक़ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दूसरा हज्ज मक्का में (हिजरत से पहले) किया था।

फ़ाइदाः– इस विषय पर तफ़सील से जानकारी के लिये इसी पुस्तक में किताबुल् जिहाद की अन्तिम हदीस न॰ 1193 देखें।

759:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चार बार उम्रा किया और सभी ज़ीक़ादा महीना में किया, उस उम्रा को छोड़ कर जिसे हज्ज के साथ किया था। पहला उम्रा हुदैबिय्या के समय ज़ीक़ादा में किया, दूसरा अगले वर्ष ज़ीक़ादा में, तीसरा उम्रा जिइर्राना का जहाँ हुनैन की जन्ग का माले–ग़नीमत तक़्सीम किया था, यह उम्रा भी ज़ीक़ादा में हुआ था। और चौथा उम्रा वह है जो हज्ज के साथ अदा फ़रमाया था।

760:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अबू सुफ़यान के पुत्र अमीर मुआ़विया रज़ि॰ ने कहा कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाल मर्वा (पर्वत) पर तीर के फल से काटे (या यह कहा कि) मैं ने आप को मर्वा पर्वत पर तीर के फल से बाल कटवाते देखा।

फ़ाइदा:– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के उम्रों की संख्या में इख़्तिलाफ़ है। किसी ने चार कहा है और किसी ने दो। जिन्होंने चार की संख्या बताई है वह यह हैं (1) सुलह हुदैबिया के साल सन छः हिजरी में जब आप उम्रा के इरादा से निकले थे लेकिन रोक दिये गये थे (2) अगले वर्ष सन सात हिजरी में (कहा जाता है पर उम्रा हुदैबिय्या के स्थान पर उम्रा से रोक दिये जाने की क़ज़ा का था) (3) सन 8 हिजरी में जिस साल मक्का फ़तह हुआ (4) अन्तिम हज्ज में, हज्ज के साथ उम्रा किया था। जिन लोगों ने दो उम्रा बताया है वह पहले और अन्तिम उम्रा को नहीं शामिल करते हैं। इस प्रकार इख़्तिलाफ़ की कोई अहमिय्यत नहीं है केवल तावील का फ़र्क़ है।

इसी प्रकार जिहाद की संख्या को लेकर भी इख़्तिलाफ़ है। किसी ने 19, किसी ने 25 और किसी ने 27 बयान किया है। इस विषय पर जिहाद के अध्याय में हदीस न॰ 1193 के फ़ाइदा में बयान होगा–इन्शाअल्लाह। हदीस न॰ 760 से मालूम हुआ कि उम्रा में बाल मुडाँने या कटाने का काम मर्वा के पास होना चाहिये, क्योंकि उम्रा करने वाला मर्वा पर सात फेरे मुकम्मल कर के हलाल हो जाता है। उसी स्थान पर बाल कटाना, यह फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि मुस्तहब है। मुआ़विया रज़ि॰ ने आप के बाल काटे, तो यह घटना उम्र–ए–जिइर्राना के मौक़ा की है।

बाब {हैज़ वाली महिला उम्रा की क़ज़ा करे।}

761:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहा: ऐ अल्लह के संदेष्टा! लोग तो मक्का को दो इबादतों (हज्ज–उम्रा) के सवाब के साथ लौटेंगे और मैं केवल एक ही इबादत (हज्ज) के साथ। इस पर आप ने फ़रमाया: ज़रा सब्र से काम लो, जब तुम पाक होजाना तो तन्ई़म के स्थान पर जा कर (उम्रा का एहराम बाँध कर) लब्बैक पुकारना, फिर उम्रा कर के फ़लाँ–फ़लाँ स्थान पर आ मिलना। रावी ने कहा क मेरे ख़याल से आप ने फ़रमाया: कल

दूसरे दिन (आ मिलना)और तुम्हें इस उम्रा का सवाब तुम्हारी मेहनत (या) ख़र्च के अनुसार मिलेगा।

फ़ाइदा:— अन्तिम हज्ज के मौक़ा पर आइशा रज़ि॰ ने उम्रा का एहराम बाँधा था लेकिन इसी दर्मियान वह हैज़ से हो गयीं तो आप ने उम्रा तोड़ देने का हुक्म दिया, फिर पाक हो जाने के बाद 8 ज़िल हिज्जा को हज्ज का एहराम बाँधने का हुक्म दिया। इस प्रकार उम्रा बाक़ी रह गया था। देखें हदीस न॰ 660।

एहराम बाँधने के लिये तन्ईम का स्थान किसी के लिये नहीं। यह हुक्म केवल आइशा रज़ि॰ के लिये ख़ास था ताकि उन का दिल मान जाये और उम्रा की इच्छा पूरी होजाये। वर्ना हक़ीक़त यह है कि यह उम्रा नहीं था केवल आइशा का दिल बहलाने के लिये था। यही कारण है कि कभी भी किसी ने तन्ईम से उम्रा का एहराम नहीं बाँधा है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रह॰ ने अपनी पुस्तक "ज़ादुल्–मआद" में बहुत विस्तार से लिखा है। आजकल ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोग तन्ईम से उम्रा का एहराम बाँध कर रोज़ाना ही एक उम्रा करते हैं, यह जिहालत है, अल्लाह पाक हम सब को हिदायत दे।

बाब {जब यात्री हज्ज आदि के सफ़र में लौटे तो क्या कहे?}

762:— अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्गी लश्कर से या छोटे–मोटे क़ाफ़िले से मिलते, या हज्ज व उम्रा अदा कर के लौटते तो (चलते समय) किसी टीला या ऊँचाई और कंकरीली–पथरीली ज़मीन पर पहुँचते तो तीन मर्तबा "अल्लाहु अक्बर" कहते फिर यह दुआ पढ़ते:

ला इला–ह इल्लल्लाहु वह्–दहू ला शरी–क लहू लहुल् मुल्कु व–लहुल् हम्दु वहु–व अला कुल्लि शैइन् क़दीर+आइबू–न ताइबू–न सजिदू–न लि–रब्बिना हामिदू–न, स–द–क़ल्लाहु वा–दहू व–न–स–र अब्–दहू व–ह–ज़–मल् अह्ज़ा–ब वह्–दहू

(अल्लाह के अतिरिक्त और कोई पूजे जाने के लाइक़ नहीं, उस का कोई साझी नहीं, वह अकेला है, उसी के लिये बादशहत है, उसी के लिये तारीफ़ है, और वह हर वस्तु पर कुदरत रखने वाला है: हम लौटने वाले, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, सज्दा करने वाले और ख़ास अपने पर्वरदिगार की हम्द करने वाले हैं। अल्लाह तआला ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, अपने बन्दे की सहायता की और (काफ़िरों की) सेना को अकेले ही पराजित कर दिया)

बाब {हज्ज या उम्रा करने के बाद जब लौटने लगे तो ज़ुल् हुलैफ़ा के स्थान पर रात

गुज़ारे और नमाज़ पढ़ें।}

763:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जुल हुलैफ़ा की पथरीली ज़मीन पर अपनी ऊँटनी को बैठा कर नमाज़ अदा की थी। इब्ने उमर रज़ि॰ भी इसी प्रकार किया करते थे।

764:– इमाम नाफ़े ने बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि॰ जब हज्ज या उम्रा से वापस होते तो जुल् हुलैफ़ा की पथरीली ज़मीन पर अपनी ऊँटनी को उसी स्थान पर बैठाते जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी सवारी को बैठाते थे।

765:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात को अपने आराम करने की जगह पर आये जो कि जुल् हुलैफ़ा की वादी के निचले हिस्से में थी तो कहा गयाः आप बकर्त वाली कंकरीली ज़मीन में हैं। हदीस के रावी मूसा ने कहा कि सालिम बिन अ़ब्दुल्लह रज़ि॰ ने भी हमारी सवारी को उसी स्थान पर बैठाया था जहाँ इब्ने उमर रज़ि॰ अपनी सवारी को बैठाते थे, फिर उस स्थान को तलाश करते जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रात गुज़ारी थी। वहस्थान मस्जिद से नीचे है जो वादी के निचले हिस्से में है। और सवारी बैठाने का स्थान मस्जिद और क़िब्ला के दर्मियान है।

फ़ाइदा:–'जुल् हुलैफ़ा' यह स्थान मदीना से पाँच मील की दूरी पर है। मक्का से वापसी पर यहाँ से मदीना पाँच मील बाक़ी रह जाता है। वापसी में मदीना दाख़िल होने से पाँच मील पहले ठहर जाना, रात बिताना, फिर सुब्ह के समय मदीना पहुँच कर अपने घरों में जाना, इस में बड़ी हिक्मत है। वह यह है कि पत्नी या घर वाले घर को साफ़-सुथरा कर लें। स्वँय पत्नी नहा-धो कर कंघी-चोटी कर ले और दीगार सफ़ाई कर ले, ताकि पति उसे देख कर प्रसन्न हो जाये। आजकल सूचना के लिये संचार व्यवस्था है इसलिये पत्नी को पल-पल की जानकारी मिलती रहती है, इसलिये सीधे घर जाना चाहे तो जा सकता है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मदीना पहुँच कर मस्जिदे-नबवी में पहुँचते, वहाँ नमाज़ पढ़ते, लोगों से मुलाकातें करते, फिर घर में दाख़िल होते अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (सफ़र से) रात के समय घर आने से मना फ़रमाया है (बुख़ारी-1800, 1801, 1799)। आज भी इस पर अ़मल होना चाहिये। अगर कोई रात में घर पहुँचे तो पहले से पत्नी को सूचना दे देना चाहिये कि फ़लाँ दिन फ़लाँ समय घर पहुँच रहा हूँ। लोग इन मस्अ़लों की अनदेखी कर देते हैं, लेकिन इन की बड़ी अहमिय्यत है। आज भी इस पर अ़मल होना चाहिये।

बाब {मक्का शरीफ़, वहाँ के शिकारी जानवरों, वहाँ के पेड़-पौधों और गिरी-पड़ी चीज़ों के हराम होने का बयान।}

766:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब अल्लाह तआला ने अपने सन्देष्टा को मक्का की फ़तह दी तो आप ने खड़े होकर अल्लाह तआला की हम्द-सना की, फिर फ़रमायाः अल्लाह तआला ने हाथी वालों को मक्का पहुँचने से रोक दिया और अपने रसूल और मुसलमानों के क़ब्ज़े में दे दिया। मुझ से पहले किसी केलिये मक्का में लड़ाई करना हलाल नहीं था और मुझे भी जो लड़ाई करने की अनुमति मिली वह केवल चन्द छड़ों के लिये थी, अब मेरे बाद कभी भी किसी के लिये मक्का में लड़ाई हलाल नहीं है। फिर कहा कि वहाँ का शिकार भी न भगाया जाये, उस केठहरने के स्थान को न उजाड़ा जाये, वहाँ के (पेड़ों के) काँटे न तोड़े जायें। वहाँ की गिरी-पड़ी चीज़ को न उठाया जाये। हाँ, मगर उस को उठाने की अनुमति है जो देने के लिये उठाए और एलान करता फिरे। और जिस काकोई साथी मारा जाये तो उसे दो बातों का अधिकार है या तो फ़िदया (हर्जाना) ले ले, या बदले में उस को भी क़त्ल करवा दिया जाये। इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने अनुरोध किया-ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! इज़ख़िर घास को छोड़ कर (यानी उसे उखाड़ने की अनुमति दे दीजिये) क्योंकि हम लोग उसे क़ब्रों में बिछाते हैं और घरों में प्रयोग करते हैं। इस पर आप ने फ़रमायाः ठीक है, इज़ख़िर घास उखाड़ सकते हैं। फिर यमन के अबू शाह नामक एक व्यक्ति उठे और अनुरोध करने लगे- ऐ अल्लाह के सन्देष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! यह चीज़ें मुझे लिख कर दीजिये। आप ने फ़रमायाः अबू शाह को लिख कर दे दो। वलीद ने बयान किया कि मैं ने इमाम औज़ाओ से पूछाः "ऐ अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! मुझे लिख कर दीजिये" इस का क्या अर्थ है? उन्होंने कहाः इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खुत्बा है जो आप ने दिया था (जिस में बहुत सारे दीन के मस्अले बयान फ़रमाये थे)

767:— जाबिर बिन अब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः किसी के लिये जाइज़ नहीं कि वह मक्का में हथियार उठाये।

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि हरम की सीमा के अन्दर शिकार करना, उसे डराना, भगाना, उस का पीछा करना हर हालत में हराम है, चाहे एहराम की हालत में हो या न हो। इसी प्रकार स्वँय उगने वाले पेड़-पौधों और घास को उखाड़ना, काटना, तोड़ना भी नाजाइज़ है (इज़ख़िर को छोड़) हाँ, जिस पेड़ को अपने काम के लिये लगाया या बोया हो उसे काटा और प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे नीम या पीलू के पेड़, दातनू करेन के लिये, या सब्ज़ी-तरकारी खाने-पीने के लिये।

जहाँ से हरम की सीमा आरंभ होती है वहाँ-वहाँ सफ़ेद रन्ग के खंबे बना दिये गये हैं। उत्तर की ओर से 'तन्ओम' से सीमा आरंभ होती है जो मक्का से चार मील की दूरी पर है। पूरब में 'जिईराने' के स्थान से जो दस मील की दूरी पर है। उत्तर-पूर्व की ओर

'नख़्ला' की वादी है जो मक्का से नौ मील की दूरी पर है। पश्चिम में 'शुमैसी' है, इस का पुराना नाम हुदैबिय्या था, उस सड़क पर है जो जद्दा से मक्का को जाती है और मक्का से 8 मील की दूरी पर है। इन के अन्दर के क्षेत्र का नाम हरम है, जहाँ एहराम या ग़ैर एहराम किसी भी हालत में ऊपर के कार्य .हराम हैं। मक्का के एक लड़के ने काबा के एक कबूतर को मार डाला तो इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने फ़तवा दिया कि वह एकबक्री फ़िदया में र्कुबान करे (मुस्नद इमाम शाफ़अ़ी)

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़त्ह मक्का के दिन मक्का में बिना एहराम बाँधे दाख़िल हुये थे।}

768:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मक्का में दाख़िल हुये (इमाम कुतैबा ने कहा कि फ़त्ह मक्का के दिन दाख़िल हुये) उस समय आप के सर पर काला अ़मामा था और बिना एहराम के थे।

फ़ाइदा:— यही इस बात का सबूत है कि मक्का को तल्वार की शक्ति से फ़त्ह किया गया है। और फ़त्ह मक्का का शुमार उस ग़ज़्वा में होता है जिस में आप जिहाद के उद्देश्य से शामिल हुये। इमाम शाफ़अ़ी रह॰ का यह कहना कि मक्का समझौते की बुनियाद पर फ़तह हुआ दुरुस्त नहीं।

769:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़त्ह मक्का के साल मक्का में दाख़िल हुये उस समय आप के सर पर ख़ोद (लोहे की टोपी) थी, फिर आप ने उसे उतार दिया। इतने में किसी ने आ कर सूचना दी कि इब्ने ख़तल काबा का पर्दा पकड़ कर लटका हुआ है (ताकि उसे अमान मिल जाये) लेकिन आप ने फ़रमाया: उसे जान से मार दो।

फ़ाइदा:— हरम की सीमा के अन्दर बिना एहराम बाँधे दाख़िल होना जाइज़ है या नाजाइज़? इस में बड़ा इख़्तिलाफ़ है। सहीह यही है कि जिन का इरादा हज्ज या उम्रा का न हो, या जो ड्राइवर हैं, या जो तिजारत के लिये रोज़ आते जाते हैं, या चर्वाहे, इन सब के लिये ज़रुरी नहीं है। ऊपर की हदीस में है कि आप के सर पर काली पगड़ी थी और नीचे की रिवायत में लोहे की टोपी का ज़िक्र है। तो इस में कोई टकराव नहीं है। आप ने शुरु में खुद पहना हुआ था फिर वहाँ पहुँच कर उसे उतार कर अ़मामा बाँध लिया।

इब्ने ख़तल का नाम अ़ब्दुल्लाह था, यह पहले मुसलमान था। आप ने एक सहाबी को उस के पास ज़कात वसूल करने के लिये भेजा। उस के साथ एक गुलाम भी था। इब्ने ख़तल ने गुलाम को खाना पकाने का हुक्म दिया और सो गया। जब जागा तो खाना तय्यार न पा कर गुस्से में गुलाम को मार डाला और मुर्तद हो गया। इस ने दो नाचने-गाने वालियाँ रख छोड़ी थीं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बुराइयाँ बयान करती

फिरती थीं। यह अभागा इस्लाम और मुसलमानों का बड़ा दुश्मन था। अबू बर्ज़ा अस्लमी या जुबैर रज़ि॰ ने जहन्नम में पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सात आदमियों के बारे में फ़रमाया था कि इन्हें हराम में भी क़त्ल कर डालो। तफ़सील दूसरे स्थान पर पढ़ें।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एहराम नहीं बाँधे हुये थे क्योंकि आप का सर लोहे की टोपी और पगड़ी से ढका हुआ था। यही सबूत है कि मक्का को लड़ कर फ़त्ह किया गया न कि सुलह से।

बाब {काबा की हतीम और उस के दर्वाज़े की ऊँचाई आदि का बयान।}

770:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछाः क्या हतीम दीवार बैतुल्लाह में दाख़िल है? आप ने फ़रमायाः हाँ। मैं ने पूछाः फिर उस को बैतुल्लह में क्यों नहीं शामिल कर दिया गया? आप ने फ़रमायाः तुम्हारी क़ौम के लोगों के पास (निर्माण हेतु हलाल) धन कम पड़ गया था। मैं ने फिर पूछाः उस का दर्वाज़ा क्यों इतना ऊँचा है? आप ने फ़रमायाः यह भी तुम्हारी क़ौम के लोगों का ही किया धरा है ताकि जिसे चाहें अन्दर जाने दें और जिसे चाहें न जाने दें। और अगर तुम्हारी क़ौम के लोगों ने नई-नई जाहिलिय्यत न छोड़ी होती (नौ मुस्लिम न होते) और मुझे यह शुब्हा न होता कि उन के दिल बदल जायेंगे, तो मैं इरादा कर लेता कि हतीम की दीवारों को बैतुल्लाह में शामिल कर दूँ और उस का दर्वाज़ा भी ज़मीन से लगा देता (यानी नीचा कर देता)

771:– अ़ता बिन यज़ीद ने बयान किया कि जब यज़ीद बिन मुआ़विया के समय में शाम के लोगों ने मक्का में आ कर लड़ाई लड़ी जिस से काबा में आग लग गयी और वह जल गया तो इब्ने जुबैर रज़ि॰ ने काबा को उसी हालत में रहने दिया (और उस की मरम्मत नहीं कराई) और हज्ज के दिनों में लोग हज्ज केलिये इकट्ठा भी होने लगे। (मरम्मत न कराने का) उद्वेश्य यह था कि लोगों को काबा को (जली हुयी हालत में) दिखा कर शाम वालों के ख़िलाफ़ लड़ाई पर उभारें, या यह देखें कि उन (आने वाले हाजियों) के अन्दर कुछ दीनी ग़ैरत है या नहीं। जब लोग जमा हो गये तो इब्ने जुबैर रज़ि॰ ने कहाः ऐ लोगों! मुझे काबा के बारे में मश्वरा दो, मैं उसे तोड़ कर नये ढंग से निर्माण करुँ, या जहाँ ख़राबी आ गयी है केवल उसी को दुरुस्त कर दूँ? इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहाः मेरा अपना ख़याल यह है कि जहाँ (आग लगने से) ख़राब होगया है केवल उसकी मरम्मत कर दो और बाक़ी वैसे ही रहने दो जिस प्रकार लोगों के समय में था। और लोगों के ईमान लाने और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के नबी बनाये जाने के समय जो पत्थर जहाँ था उसे वहीं लगा रहने दो (उन्हें इधर-उधर करने की आवश्यक्ता नहीं) इस पर इब्ने जुबैर बोलेः अगर आप लोगों में से किसी का घर जल जाये तो वह नया बनाने ही के बारे में सोचेगा, और फिर यह तो अल्लाह का घर है

(जो कहीं अधिक अफ़ज़ल है) मैं तीन मर्तबा अल्लाह के सामने इस्तिख़ारा करूँगा फिर उसी के अनुसार कुछ करने के बारे में सोचूगाँ। चुनान्चे तीन बार के इस्तिख़ारा करने के बाद यह इरादा किया कि काबा को तोड़ कर नया निर्माण करें। इधर लोगों को डर था कि कहीं ऐसा न हो कि जो तोड़ने के इरादा से काबा के ऊपर चढ़े तो आसमान से उस पर कोई मुसीबत पहुँच जाये। लेकिन एक व्यक्ति ने चढ़ कर एक पत्थर गिरा दिया और लोगों ने देखा कि उस पर कोई बला नहीं आयी तो काबा को तोड़ने के लिये एक-दूसरे से बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और गिरा कर ज़मीन के बराबर कर दिया। इधर इब्ने जुबैर रज़ि० ने कुछ खंबे खड़े कर के उन पर पर्दा डलवा दिया (ताकि लोग उस की तरफ़ नमाज़ पढ़ते रहें) जब काबा की दीवारें ऊँची हो गयीं तो इब्ने जुबेर रज़ि० ने कहा: मैं ने आइशा रज़ि० को बयान करते सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अगर लोग नए-नए इस्लाम में न दाख़िल हुये होते और यह कि मेरे पास बनाने का इतना धन-साधन भी नहीं है, वर्ना मैं हतीम की दीवार से पाँच गज़ ज़मीन को काबा में शामिल कर लेता और एक दर्वाज़ा ऐसा बनाता जिस में से लोग दाख़िल होते और एक दूसरा बनाता जिस से बाहर निकलते। फिर इब्ने जुबैर रज़ि० ने कहा: आज हम लोगों के पास इतना धन भी है जिसे निर्माण कार्य पर ख़र्च कर सकते हैं और अब किसी का डर भी नहीं है (कि कोई मुख़ालिफ़त करेगा)

हदीस के रावी अ़ता ने बयान किया कि इब्ने जुबैर रज़ि० ने काबा की दीवारों को हतीम की तरफ़ पाँच हाथ बढ़ा दिया (जब वहाँ खोदाई की गयी) तो लोगों ने नीचे एक बुनियाद देखी (जो हज़रत इब्राहीम अ़लै० की डाली हुयी थी) चुनान्चे उसी बुनियाद पर काबा की दीवार उठाने का कार्य शुरु किया। काबा की लंबाई पहले 18 गज़ थी, लेकिन जब उस में (पाँच गज़) और शामिल कर दिया गया तो लंबाई कम दिखने लगी (क्योंकि चौड़ाई ज़्यादा हो गयी और लंबाई कम) इसलिये लंबाई में दस गज़ और बढ़ा दिया गया। उस में दो दर्वाज़े खोले गये ताकि एक से अन्दर जायें और दूसरे से बाहर निकलें। फिर जब अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि शहीद कर दियेगये तो हज्जाज बिन यूसुफ़ ने ख़लीफ़ा अ़ब्दुल मलिक बिन मर्वान को सूचना देते हुये पत्र लिखा कि इब्ने जुबैर रज़ि० ने काबा की जो बुनियाद रखी है वह उन्हीं बुनियादों पर स्थित है जिसे जानकार लोग देख चुके हैं (यानी इब्राहीम अ़लै० की रखी हुयी बुनियाद पर) इस के उत्तर में अ़ब्दुल मलिक ने लिखा कि हमें इब्ने जुबैर के काम से कुछ लेना-देना नहीं, तुम ऐसा करो कि उन्होंने जो लंबाई बढ़ाई है उसे रहने दो, लेकिन हतीम की तरफ़ से जितना बढ़ाया है उसे कम कर दो और बाक़ी को अपनी हालत पर रहने दो, और उस दर्वाज़ा को भी बन्द कर दो जो उन्होंने ज़्यादा खोल दिया है। चुनान्चे हज्जाज बिन यूसुफ़ ने उसे तोड़ कर पहली बुनियादों पर बना दिया।

772:— अबू क़ज़आ़ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा अ़ब्दुल् मलिक बिन मर्वान बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने कहा: अल्लाह तआ़ला

अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर को बर्बाद करे वह आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ पर झूठ आरोप लगाते थे और कहते थे कि मैं ने उन को बयान करते सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ आ़इशा! अगर तुम्हारी क़ौम के लोगों (यानी क़ुरैश मक्का) ने नया-नया कुफ़्र न छोड़ा होता (यानी नये-नये इस्लाम में दाख़िल न हुये होते) तो मैं काबा को तोड़ कर हजर (हतीम) तक बढ़ा देता, क्योंकि तुम्हारी क़ौम वालों ने काबा की बुनियाद कम कर दी है। यह सुन कर हारिस ने कहाः ऐ ख़लीफ़ा! ऐसा मत कहिये, क्योंकि मैं ने भी आ़इशा सिद्दीक़ा को इसी प्रकार बयान करते सुना है। इस पर अ़ब्दुल मलिक ने कहाः अगर यह हदीस काबा बनाने से पहले सुनता तो इब्ने जुबैर की ही डाली हुयी बुनियाद को बाक़ी रखता।

फ़ाइदाः- अ़ल्लामा नौवी ने मुस्लिम की शरह में लिखा है कि काबा शरीफ़ पाँच बार बनाया गया। प्रथम बार फ़रिश्तों ने निर्माण किया, फिर इब्राहीम अ़लै॰ ने, फिर क़ुरैश ने इस्लाम के आने से पूर्व और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सन्देष्टा बनाये जाने से पूर्व। इस में आप भी शरीक थे। इसी में आप ने तहबन्द खोल कर कंधे पर रखा था और बेहोश हो गये थे। चौथी बार इब्ने जुबैर रज़ि॰ ने और पाँचवीं बार हज्जाज बिन युसूफ़ ने।

एक बार हारुन रशीद ने इमाम मालिक रह॰ से पूछाः मैं काबा को तोड़ कर इब्ने जुबैर की बुनियाद पर बनवा दूँ? इस पर इमाम ने कहाः अल्लाह के वास्ते इसे बादशाहों का खिलौना न बनाइये, जिस हालत पर है रहने दीजिये।

बाब {मदीना भी हरम है, वहाँ भी शिकार करना हराम है और पेड़ उखाड़ना नाजाइज़ है। और आप ने मदीना के लिये दुआ फ़रमायी थी।}

773:- अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आ़सिम रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इब्राहीम अ़लै॰ ने मक्का को हरम क़रार दिया और वहाँ के लोगों के लिये दुआ फ़रमायी। और मैं मदीना शरीफ़ को हरम क़रार देता हूँ बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार इब्राहीम अ़लै॰ ने मक्का को क़रार दिया है। और मदीना के साआ़ और मुद के लिये दुआ़ करता हूँ, जिस प्रकार इब्राहीम अ़लै॰ ने मक्का वालों के लिये दुआ़ की थी।

इस हदीस से मालूम हुआ कि मदीना भी हरम है इसलिये वहाँ भी शिकार नहीं किया जायेगा, पेड़ नहीं काटे जायेंगे, जानवर नहीं भगाएँ जायेंगे। केवल इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ हरम होने को नहीं मानते हैं, लेकिन इन का फ़त्वा अहादीस की रोशनी में रद्द है। अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम ने मदीना के भी हरम होने के बड़े तगड़े तर्क पेश किये हैं।

आजकल मुसलमान नाप-तौल में किलोग्राम प्रयोग करते हैं, हालाँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने साआ़ और मुद में बर्कत होने की दुआ़ फ़रमाया है। आज मुसलमान इस माप को अपनाने के नाते मालामाल हो जोयं। लेकिन अफ़सोस कि नबी

के माप को छोड़ कर गोरों के माप को दिल से लगाए हुये हैं और उलमा भी चुप्पी साधे हैं। हैरत है कि सऊदी हुकूमत भी इस मामले में पीछे है।

774:– सअ़द बिन अबू वक़्क़ास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं ने दोनों काले पत्थरों के दर्मियान की जगह (क्षेत्र) को हरम क़रार दे दिया है (घोषित कर दिया है) इसलिये वहाँ के भी काँटेदार पेड़-पौधे न काटे जायें, न ही शिकार किया जाये। फिर फ़रमायाः मदीना की ज़मीन उन लोगों के लिये बेहतर है अगर वह थोड़ा ग़ौर करते (जो मदीना छोड़ कर दूसरे स्थानों पर आबाद हो गये हैं) और अगर कोई व्यक्ति मदीना छोड़ कर चला जाता है तो अल्लाह पाक उस से बेहतर व्यक्ति (रहने के लिये) मदीना में भेज देता है। और अगर कोई (मदीना में रह कर) भूख –पयास और कठिनाई-परेशानी पर सब्र से काम लेगा तो क़ियामत के दिन उस केलिये मैं शफ़ाअ़त करूँगा, या गवाही दूँगा (कि इसबन्दे ने सब्र से काम लिया था)

775:– आ़मिर बिन सअ़द से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि (मेरे पिता जी) सअ़द "अक़ीक़" के स्थान पर अपने घर जा रहे थे कि क्या देखा कि राह में एक गुलाम पेड़ काट रहा है या पत्ते तोड़ रहा है। चुनान्चे उन्होंने उस के कपड़े छीन लिये। फिर जब उस के घर वालों ने कपड़े वापस करने का अनुरोध किया तो उन्होंने कहा-अल्लाह की पनाह! मैं वह चीज़ कैसे फेर सकता हूँ जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इनाम के तौर पर दिया है और उन्होंने उस का कपड़ा वापस करने से इन्कार कर दिया।

फ़ाइदाः– मदीना शरीफ़ में जो इस प्रकार का कार्य करे तो जन्गी काफ़िर की तरह उस का सामान छीन लेना चाहिये। जिस प्रकार जो मुसलमान काफ़िर से लड़ता है उस का सामान उसी मुजाहिद को मिलता है। इसी प्रकार सअ़द रज़ि॰ ने भी उस का सामान अपने क़ब्ज़े में ले लिया और वापस करने से इन्कार कर दिया।

एक दूसरी हदीस में है कि आप ने दो काले पत्थरों के बीच के स्थान को हरम ठहराया (मुस्लिम) मदीना के चारों ओर बारह मील को हरम ठहराया। (मुस्लिम)

776:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ अल्लाह! मदीना में मक्का से दोगुनी बर्कत अ़ता फ़रमा।

777:– इब्राहीम तैमी ने अपने पिता के हवाले से बयान किया कि अ़ली बिन अ़बू तालिब रज़ि॰ ने हमें खुत्बा दिया और फ़रमायाः अगर कोई यह दावा करे कि हमारे पास (यानी अहले बैत के पास) अल्लाह की किताब और इस दस्तावेज़ के अ़लावा भी कोई और दस्तावेज़ है तो वह झूठा है। रावी ने बयान किया कि उस समय अ़ली रज़ि॰ की तल्वार के मियान में एक दस्तावेज़ लटक रहा था। उस में ऊँट की आयु और घाव (में क़िसास) का बयान था (यानी किस आयु के ऊँट पर क्या ज़कात है और किसी ने घायल कर दिया है तो उस पर क्या हर्जाना है) इस सौर पर्वत के दर्मियान का क्षेत्र मदीना के

लिये हरम है। पस जो शख़्स मदीना में कोई बिदअ़त निकाले या किसी बिद्अ़ती को ठहरने के लिये स्थान दे तो उस पर अल्लाह की और फ़रिश्तों की और समस्त लोगों की लानत है। अल्लाह तआ़ला ऐसे व्यक्ति का फ़र्ज़ और सुन्नत व नफ़्ल कुछ भी कुबूल नहीं करेगा। और हर मुसलमान को पनाह देना बराबर की हैसिय्यत रखता है, चाहे पनाह देने वाला कोई मामूली मुसलमान ही क्यों न हो। और जिस ने अपने आप को अपने पिता के अ़लावा किसी दूसरे का पुत्र बताया, गुलाम ने मालिक के अ़लावा किसी दूसरे को अपना मालिक बताया, तो ऐसे व्यक्ति पर भी अल्लाह, उस के फ़रिश्तों और समस्त इन्सानों की लानत हैं, ऐसे व्यक्ति का फ़र्ज़, सुन्नत, नफ़्ल अल्लाह पाक क़ियामत के दिन कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा।

फ़ाइदा:– इस हदीस से उन राफ़ज़ी और शिया लोगों का रद्द होता है जो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ली रज़ि॰ को चुपके से वसिय्यत की थी और अपने बाद उन्हें ख़लीफ़ा और वसी बनाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कोई राज़ की बात नहीं बताई थी और न ही कुछ वसिय्यत की थी।

यहाँ हदीस में "सौर" का शब्द है, यह रावी की भूल है "अ़ैर" होना चाहिये। यानी अ़ैर और उहुद के बीच की भूमि हरम है। सौर पर्वत तो मक्का के निकट है।

पनाह देने वाला चाहे अमीर हो या ग़रीब, सब बराबर हैं। कोई भी पनाह दे, सब के लिये अनिवार्य है कि जिस को पनाह दिया है उस की सुरक्षा करें।

जो लोग अपने को दूसरे की औलाद कहलवाना पसन्द करते हैं, इस हदीस की रोशनी में कितना बड़ा पाप है आप अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार जो अल्लाह का गुलाम है वह अपने को "गुलाम नबी, गुलाम हुसैन, गुलाम अ़ली" आदि कहलवाए वह भी महापापी है और मुश्रिक है। इस में तनिक भर सन्देह नहीं।

778:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जब (सीज़न का) पहला–पहला फ़ल आता तो आप यूँ दुआ़ फ़रमातेः

> **अल्लाहुम्म बारिक् लना फ़ी मदी–नतिना वफ़ी सिमारिना वफ़ी मुद्दिना वफ़ी साअ़िना ब–र–क–तन् म–अ़ ब–र–कतिन्**
>
> (ऐ मेरे मौला! हमारे नगर में, हमारे फलों में और हमारे मुद में और हमारे साआ़ में बर्कत पर बर्कत नाज़िल फ़रमा)

फिर उस फल को किसी छोटे बच्चे को जो उस समय (मज्लिस में) उपस्थित होता, खाने के लिये दे देते।

फ़ाइदा:– आज अगर मुसलमान अपने घर से दरिद्रपन और ग़रीबी दूर करना चाहते हैं तो साआ़ और मुद से मोल भाव और तौल–माप करें, क्योंकि इस माप में आप ने बर्कत की दुआ़ की। पहला फल बच्चों को खिलाना प्रेम और प्यार के नाते हैं।

बाब {मदीना शरीफ़ में ठहरने और उसकी भूख–प्यास पर सब्र करने का बयान।}

779:–महरी के आज़ाद किये हुये गुलाम अबू सअ़ीद ने बयान किया कि मैं हर्रा की रातों में अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से मश्वरा लेने आया कि मैं मदीना छोड़ कर कहीं और जाना चाहता हूँ, फिर उन से मदीना की मँहगाई और अधिक बाल–बच्चों (के नाते ग़रीबी) की शिकायत की और कहा कि मदीना की मेहनत और भूख–प्यास पर सब्र अपने बस का नहीं रहा। यह सुन कर अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ ने कहाः तुम्हारा भला हो, मैं तुम्हें यहाँ रहने पर थोड़े ही मजबूर कर रहा हूँ, वह तो मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बयान फ़रमाते सुना है किआप ने फ़रमायाः अगर कोई मदीना में रह कर तक्लीफ़ और परेशानी पर सब्र करता है और मर जाता है तो मैं ऐसे व्यक्ति के लिये क़ियामत के दिन शफ़ाअ़त करूँगा, या गवाही दूँगा, मगर शर्त यह है कि वह इस्लाम की हालत में मरा हो।

780:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया किहम मक्का से हिजरत कर के मदीना आये तो वहाँ बीमारी फैली हुयी थी, चुनान्चे अबू बक्र और बिलाल रज़ि॰ (आदि) बीमार हो गये। चुनान्चे आप ने जब अपने सहाबा की बीमारी देखी तो दुआ़ फ़रमायीः "ऐ मेरे मौला! तू मदीना को मेरे लिये महबूब बना दे जिस प्रकार तू ने मक्का को महबूब बना दिया था, या उस से भी अधिक महबूब बना दे, और यहाँ के वासियों को तन्दुरुस्ती अ़ता फ़रमा, और हमारे साअ़ और मुद में बर्कत अ़ता फ़रमा और यहाँ के बुख़ार को जोहफ़ा के क्षेत्र में भेज दे।

फ़ाइदा:– चुनान्चे आप की दुआ़ओं के प्रभाव से आज 2005 तक मदीना में कोई बीमारी नहीं फैली। और बीमारी जो जोहफ़ा की तरफ़ गयी तो आज भी वहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, जैसा कि वहाँ के लोगों का कहना है।

बाब {मदीना शरीफ़ में ताऊन और दज्जाल नही घुस सकता।}

781:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मदीना के नाकों पर फ़रिश्ते तैनात हैं, इसलिये ताऊन और दज्जाल नहीं घुस सकते हैं।

फ़ाइदा:– मुस्लिम ही की एक हदीस में है कि काना दज्जाल पूरब की तरफ़ से आ कर मदीना में घुसने का प्रयत्न करेगा और उहुद पर्वत पर चढ़ेगा लेकिन फ़रिश्ते उस का मुँह शाम की तरफ़ फेर देंगे और वह वहीं तबाह हो जायेगा। (मुस्लिम) इस अर्थ की हदीस बुख़ारी शरीफ़ में भी है।

बाब {मदीना शरीफ़ अपने "मैल–कुचैल" को निकाल बाहर करता है।}

782:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

ने फ़रमायाः लोगों पर एक समय ऐसा आयेगा कि एक आदमी अपने भाई-भतीजे और रिश्तेदारों को पुकार कर कहेगाः (मदीने को छोड़ कर) खुशहाली की तरफ़ आओ, खुशहाली की तरफ़ आओ। हालाँकि मदीना उन के लिये बेहतर होगा काश वह जानते होते। और उस अल्लाह की क़सम! जिस के हाथ में मेरी जान है, अगर कोई मदीना से बददिल हो जाता है तो अल्लाह पाक उस से बेहतर व्यक्ति को मदीना में भेज देता है। मालूम रहे कि मदीना की मिसाल लोहार की भट्ठी के समान है कि वह (तपा कर) मैल-कुचैल निकाल देती है। और उस वक़्त तक क़ियामत न आयेगी जब तलक मदीना अपने शरीर लोगों को बाहर न निकाल देगा जैसे भट्ठी लोहे के मैल-कुचैल को निकाल देती है।

फ़ाइदाः- क़ियामत के निकट दीन इस्लाम सिमट कर मदीना में आ जायेगा जिस प्रकार साँप सिमट कर अपने बिल में समा जाता है। इसलिये मदीना में मुनाफ़िक़ के रहने का प्रश्न नहीं उठता। अगर कोई रहने की भी कोशिश करेगा तो अल्लाह पाक उस के लिये ऐसे हालात पैदा करेगा कि वह निकल भागने पर मजबूर होगा। चुनान्चे एक बद्दू ने मदीना में आ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हाथ पर बैअ़त की और रहने लगा, लेकिन बीमार हो गया तो वह बैअ़त वापस कर के भाग गया, क्योंकि मुनाफ़िक़ था (मुस्लिम)

783:- जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि अल्लाह पाक ने मदीना का एक नाम "ताबा" भी रखा है।

फ़ाइदाः- 'ताबा' पाक होना, नेक होना, सच्चा होना, प्यारा होना। चुनान्चे यह तमाम विशेष्ताएँ मक्का वालों के मुक़ाबले में मदीना वालों के अन्दर आज भी अधिक पाई जाती हैं जो मदीना शरीफ़ की खूबियों का प्रभाव है।

बाब {जो व्यक्ति मदीना वासियों के सबंध में बुराई का इरादा करता है तो अल्लाह तआ़ला उसे घुला (पिघला) देता है।}

784:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो इस नगर के रहने वालों के बारे में बुराई का इरादा करता है, अल्लाह पाक उसे ऐसे घुला देता है जैसे नमक पानी में घुल जाता है।

बाब {नगरों (शहरों) की पराजय के समय भी मदीना ही में रहने की हिदायत का बयान।}

785:- सुफ़यान बिन अबू जुहैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब यमन पर (दुश्मन का) क़ब्ज़ा हो जायेगा तो कुछ लोग मदीना से अपने ऊँटों को हाँकते हुये घर वालों को लेकर निकल जायेंगे, हालाँकि मदीना में उन का ठहरे रहना ही उन के हक़ में बेहतर होगा, काश वह इस बात को जान लेते (और

पलायन न करते) फिर मुल्क शाम पर भी (दुश्मन का) क़ब्ज़ा हो जायेगा तो कुछ लोग अपने बाल-बच्चों को लेकर अपने ऊँटों के साथ मदीना से पलायन कर जायेंगे, हालाँकि मदीना में रहना ही उन के लिये बेहतर होगा, काश वह लोग जान लेते। इसी प्रकार फिर इराक़ फ़तह हो जायेगा (और दुश्मन के क़ब्जे में चला जायेगा) तो मदीना के कुछ लोग अपने घर वालों के साथ अपने ऊँटों को हाँकते हुये मदीना से निकल पड़ेंगे, हालाँकि मदीना ही उन के लिये बेहतर होगा, काश वह जानते।

फ़ाइदाः– इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भविष्यवाणी की है वह पूरी हुयी (1) आप ने शाम, इराक़ और यमन के पराजित होने की भविष्यवाणी की और सहाबा ने बाद में फ़त्ह किया (2) यहाँ के लोग दूसरे नगर पलायन कर जायेंगे और ऐसा ही हुआ (3) आप ने जिस नंबर से फ़त्ह होने की भविष्यवाणी की उसी हिसाब से हुये। पहले यमन, फिर शाम, फिर इराक़।

बाब {मदीना की हालत का बयान जब वहाँ के लोग उसे छोड़ देंगे।}

786:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना (एक समय ऐसा आयेगा) जब लोग मदीना को छोड़ देंगे (और पलायन कर जायेंगे) हालाँकि उसे न छोड़ना उन के हक़ में बेहतर होगा। और मदीना में दरिन्दों, परिन्दों के अ़लावा और कोई न होगा। फिर क़बीला मुज़ैना के दो चरवाहे अपनी बकरियों को हाँकते हुये मदीना जाने के इरादे से निकलेंगे, तो मदीना को उजाड़ पायेंगे और जब "सनिय्यतुल वदाअ़" के स्थान पर पहुँचेंगे तो मुँह के बल गिर पड़ेंगे।

फ़ाइदाः– यह सब कुछ क़ियामत के निकट होगा। जब 'सनिय्या' के स्थान पर पहुँचेंगे इतने में क़ियामत आ जायेगी और मुँह के बल गिर पड़ेंगे।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र और मिंबर के बीच वाली जगह जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है।}

787:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरे घर और मिंबर के दर्मियान जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है और मेरा मिंबर (क़ियामत के दिन) मेरे हौज़ पर होगा।

फ़ाइदाः– इस का दो अर्थ है। (1) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के घर और मिंबर के बीच का हिस्सा जन्नत में चला जायेगा क़ियामत के दिन। (2) दूसरा अर्थ यह है कि जो वहाँ इबादत करेगा वह जन्नत में जायेगा। और यही मिंबर क़ियामत के दिन उठ कर हौज़े कौसर पर चला जायेगा जिस पर खड़े होकर आप अपने नेक और जन्नती उम्मती लोगों पर पानी पिलायेंगे।

बाब {उहुद पर्वत मुझ से मुहब्बत करता है और हम उस से मुहब्बत करते हैं।}

788:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उहुद पर्वत की ओर देख कर फ़रमायाः यह पर्वत ऐसा है कि मुझे दोस्त रखता है और हम भी उस को दोस्त रखते हैं।

फ़ाइदाः— उहुद पर्वत आप से प्रेम करता है और आप उस से करते हैं। इस बारे में बहुत सोचने और कीड़े निकालने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस पर्वत से प्रेम करते हैं इसलिये हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उस से प्रेम करें। जिस वस्तु से आप घृणा करें, हम भी उस से करें। चुनान्चे इब्ने उमर रज़ि॰ का यह हाल था कि जिस स्थान पर आप कभी बैठे थे, वह उस राह पर जाते तो मारे प्रेम के अवश्य ही वहाँ बैठ जाते थे।

बाब {सवाब की निय्यत से केवल तीन मस्जिदों ही की तरफ़ सफ़र करने का इरादा किया जाये।}

789:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऊँट के कजावे न कसे जायें (यानी सफ़र का इरादा न किया जाये) मगर तीन मस्जिदों की तरफ़ (1) मेरी यह मस्जिद (यानी मस्जिदे-नबवी) (2) मस्जिदे हराम (3) मस्जिदे अक्सा (यानी बैतुल मुक़द्दस)।

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि जो लोग वलिय्यों, बुर्जुगों और ख़ाजाओं के मज़ारों की ज़ियारत के लिये जाते हैं वह कुफ़्र का कार्य करते हैं। क़ब्र की ज़ियारत कदापि जाइज़ नहीं चाहे वह नबी की क़ब्र ही क्यों न हो। लोग मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की समाधि की ज़ियारत के लिये नहीं जाते हैं, बल्कि मस्जिदे नबवी के लिये जाते हैं। और चूँकि समाधि भी वहीं है इसलिये वहाँ भी फ़ातिहा पढ़ लेते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि बरैलवी लोगों का कहना है कि जिस ने सात बार अजमेर जा कर ख़ाजा अजमेरी के मज़ार के दर्शन किये उसे एक हज्ज का सवाब मिला। चाहे वह हज्ज करने जाये या सात मर्तबा अजमेर जाये। इस से बड़ी गुमराही और स्पष्ट शिर्क और क्या हो सकता है। मक्का के मुश्रिकों का अक़ीदा इन से कहीं अच्छा था।

बाब {हरमैन—शरीफ़ैन (मस्जिदे—नबवी, बैतुल्लाह) में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत का बयान।}

790:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरी इस मस्जिद में (यानी मस्जिदे नबवी में) नमाज़ पढ़ना, दूसरी मस्जिदों में हज़ार नमाज़ें पढ़ने से अफ़ज़ल है, सिवाए मस्जिदे हराम के।

फ़ाइदाः— हदीस का अर्थ स्पष्ट है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि एक महिला ने मन्नत मानी कि अगर मैं अच्छी हो गई तो बैतुल मुक़द्दस में जा कर नमाज़ पढूँगी।

वह अच्छी हो गयी तो हज़रत मैमूना रज़ि० से बयान किया तो उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मस्जिद में जा कर नमाज़ पढ़ों और कहीं मत जाओ। क्योंकि काबा को छोड़ कर और मस्जिदों के मुक़ाबला में इस में नमाज़ पढ़ने से हज़ार गुना सवाब अधिक मिलता है। मस्जिदे हराम (काबा शरीफ़) में पढ़ने का सवाब संभवतः पचास हज़ार या दस हज़ार गुना अधिक है।

बाब {उस मस्जिद का बयान जिस की बुनियाद तक़्वा पर रखी गयी है।}

791:– अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया कि अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि० के बेटे अ़ब्दुर्रहमान मेरे पास आये तो मैं ने उन से पूछाः आप ने अपने पिता जी से क्या सुना है कि वह कौन सी मस्जिद है जिस की बुनियाद तक़्वा पर रखी गयी है? उन्होंने बयान किया कि मेरे पिता जी बयान करते थे कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मिलने के लिये आप की पत्नियों में से किसी पत्नी के घर गया और पूछाःऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! वह कौन सी मस्जिद है जिस के बारे में अल्लाह पाक ने फ़रमाया है कि उस की बुनियाद तक़्वा पर रखी गयी है? यह सुन कर आप ने एक मुट्ठी कंकरी ली और उसे ज़मीन पर दे मारा, फिर फ़रमायाः वह मस्जिद यही तुम्हारी मदीना की है। यह सुन कर मैं ने भी कहाः मैं भी इस बात की गवाही देता हूँ कि मैं ने भी आप के पिता जी से ऐसे ही बयान करते हुये सुना है।

फ़ाइदाः– जिस मदीना की बुनियाद तक़्वा पर रखी गयी है वह मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम है। जिन लोगों ने इस से मुराद कुबा की मस्जिद लिया है। उन का ख़याल इस हदीस की रोशनी में दुरुस्त नहीं है। आप ने जो कन्करी जमीन पर मारी थी वह ताकीद के लिये थी, ताकि सुनने वाले को तनिक भर शुब्हा न रहे।

बाब {कुबा की मस्जिद की फ़ज़ीलत का बयान।}

792:– अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मस्जिदे कुबा को कभी पैदल और कभी सवारी पर तशरीफ़ ले जाते थे और दो रक्अ़त नमाज़ अदा फ़रमाते थे।

फ़ाइदाः– इब्ने उमर रज़ि० भी सप्ताह में एक बार अवश्य जाया करते थे। यह वही मस्जिद है जिस में आप ने सर्वप्रथम जुमा की नमाज़ पढ़ाई है। और जब हिजरत कर के मदीना आ रहे थे तो यहाँ 14 दिन, या चार दिन, या दस दिन तक ठहरे थे और इस मस्जिद की बुनियाद डाली थी। जुमा की नमाज़ आप ने क़बीला बनी नज्जार में पढ़ी थीं। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुबा में कुलसूम बिन हदम के घर में क़ियाम किया था, और यहीं हज़रत अ़ली रज़ि० भी मक्का वालों की अमानतें वापस कर के आ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मिले थे। (अर्रहीकुल् मख़्तूम) मस्जिद की ज़ियारत का यह अर्थ है कि वहाँ जा कर नफ़्ली नमाज़ पढ़ें और दुआएँ करे और बस!

वहाँ की ईटँ, पत्थर की दीवारों और छतों से कुछ लेना देना नहीं।

793:– अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं हर सप्ताह कुबान की मस्जिद में आता था और कहता था कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि, वसल्लम कसे देखा है, वह भी हर सप्ताह इसी प्रकार आते थे।

❀ ❀ ❀

किताबुन्निकाह
(शादी-विवाह के मसाइल का बयान)

नोटः- महिला एवँ पुरुष का एक दूजे में बँध कर, एकत्र रह कर परस्पर जीवन यापन करने के अनुबन्ध का नाम "निकाह" है। हदीस शरीफ़ में इसे आधा ईमान कहा गया है। शादी-विवाह कर लेने से मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है, उस की लालसा और इच्छा ठन्डी पड़ जाती है, इसलिये दूसरों की ओर बुरी नज़र नहीं डालता और इस प्रकार ज़िना से सुरक्षित हो जाता है। यह नस्ल बढ़ान का भी सूत्र है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शादी-विवाह करने के पात्र हो, उस की क्षमता रखता हो, फिर भी निकाह न करे वह मेरी उम्मत में से नहीं है। यही कारण है कि इस्लाम ने वैराग और जोगीपन का जीवन बिताने से मना फ़रमाया है। मर्दाना शक्ति है और निकाह करने का धन-साधन भी है, लेकिन फिर भी शादी न करना और ब्रहमचार्य का जीवन बिताना इस्लाम में जाइज नहीं है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत के विपरीत है। बहरहाल निकाह, सन्देष्टाओं की सुन्नत है। नस्ल बाक़ी रखने का सूत्र और साधन है। बुराइयों से सुरक्षित रहने के लिये ढाल है। समाज को सुरक्षित रखने और धरती को फ़साद और बुराइयों से बचाने का तरीक़ा है। समाज में रिश्ता-नाता और संबध बढ़ाने का सब से अच्छा साधन है। और सब से बढ़ कर यह कि अल्लाह और उस के सन्देष्टा का आदेश और निर्देश है। निकाह की फ़ज़ीलत, बर्कत, अहमियत और फ़ज़ाइल-मसाइल से संबन्धित हदीसें निम्न में आ रही है।

बाब {निकाह करने के आदेश का बयान।}

794:- अल्क़मा रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं एक मतबा अ़ब्दुल्लाह रज़ि० के साथ मक्का की वादी की ओर जा रहा था कि रास्ता में उन्हें उस्मान रज़ि० मिल गये, चुनान्चे वह दोनो खड़े होकर परस्पर बातें करने लगे। इसी दर्मियान उस्मान रज़ि० ने उन से कहाः ऐ अबू अब्दुर्रहमान (अ़ब्दुल्लाह) मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा निकाह ऐसी महिला से कर दूँ जो तुम्हारी बीती हुयी उम्र में से तुम्हें कुछ याद दिला दे। यह सुन कर अ़ब्दुल्लाह रज़ि० बोलेः अगर आप मुझ से ऐसी बातें कहतें हैं (तो यह ग़लत नहीं है, क्योंकि मैंने

भी) तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते युना है आप ने हम से फ़रमायाः ऐ युवा वर्ग के लोगों! अगर तुम में कोई निकाह का भार उठा सकता है (अर्थात पत्नी का खर्चा सहन कर सकता है) तो वह अवश्य ही निकाह कर ले, इसलिये कि निकाह आँखों को नीचा कर देता है और शर्मगाह को ज़िना से बचाता है। लेकिन जो निकाह का ख़र्च नहीं बर्दाशत कर सकता (इस नाते निकाह नहीं कर पाता है) वह (गाहे-बगाहे) रोज़े रखा करे, क्योंकि रोज़ा रखने से लालसा और इच्छा समाप्त हो जाती है।

फ़ाइदाः- हदीस में "विजाउन" का शब्द आया है जिस का अर्थ है "ख़स्सी होना, निपुंसक होना" अर्थात रोज़ा रखने से शरीर कमज़ोर पड़ जातात है और बुरी इच्छा समाप्त हो जाती है। तो जिस प्रकार जानवर को ख़स्सी कर देने से उस की लालसा समाप्त हो जाती है इसी प्रकार रोज़ा रखने से भी यही हालत हो जाती है। इस हदीस से स्पष्ट है कि जो शादी-विवाह कर के महिला के रहन-सहन, खान-पान का भार बर्दाशत कर सकता है उस के लिये निकाह कर लेना अनिवार्य है। शादी न कर के अपने नफ़्स और इच्छा को ज़र्बदस्ती दबाना यह कोई वीर्ता और नेकी नहीं है।

795:- अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के कुछ सहाबा ने आप की पत्नियों के पास आ कर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के घर की तन्हाई की इबादत के बारे में पूछा (जब उन्हें पूरी जानकारी मिल गयी) तो उन में एक सहाबी ने कहाः मैं कभी निकाह ही न करुँगा। एक सहाबी बोलेः मैं कभी माँस ही नहीं खाऊँगा। एक ने कहाः मैं कभी बिस्तर पर ही न सोऊँगा। (जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इन सहाबा के बारे में मालूम हुआ) तो आप ने अल्लाह पाक की हम्द-सना बयान करने के बाद फ़रमायाः उन लोगों को क्या हो गया है जो ऐसी-ऐसी बातें कहते हैं। मेरा तो यह हाल है कि नमाज़ भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ और नहीं भी रखता हूँ, और महिलाओं से निकाह भी करता हूँ (याद रखो) जिस ने मेरे तरीक़े के विपरीत कार्य किया वह मेरी उम्मत से नही है।

फ़ाइदाः- बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत में तफ़सील है कि तीनों सहाबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की अ़िबादत के बारे में बताया गया तो उन्होंने अपनी अ़िबादत को बहुत कम आँका, और कहने लगे कि हमारा आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से क्या मुक़ाबला। आप के तो अगले-पिछले समस्त गुनाह माफ़ कर दिये गये हैं, हमें आप से अधिक इबादत करनी चाहिये (बुख़ारी-हदीस न॰ 5063, किताबुन्निकाह) यह तीनों सहाबी अ़ली बिन अबू तालिब, अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर बिन अ़ास और उस्मान बिन मज़ऊन रज़ि॰ थे। मालूम हुआ कि दुनिया से कट कर साधु और सन्यासी बन कर इबादत यह कोई वींता और नेकी का कार्य नहीं है, दुनिया से लग कर, बीवी-बच्चों के दर्मियान रह कर उन का भार उठाते हुये भी समय निकाल कर अल्लाह की इबादत करना यह अस्ल इबादत है। एक इबादत के लिये दूसरी इबादत को छोड़ देना दुरुस्त नहीं।

796:– सअ़द बिन अबू वक़्क़ास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि उस्मान बिन मज़ऊन रज़ि॰ ने पत्नी के बिना ही रहने की इच्छा प्रकट की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन की इच्छा को रद्द कर दिया (और उन्हें अनुमति नहीं दी) और अगर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन्हें (बिना पत्नी के ही रहने की) अनुमति देदेते तो हम लोग भी ख़स्सी हो जाते (यानी अपने आप को निपुंसक बना लेते कि पत्नी की इच्छा ही न बाक़ी रहे)

बाब {दुनिया की सब से अच्छी पूँजी नेक पत्नी है।}

797:– अ़म्र के पुत्र अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दुनियाँ चन्द दिन लाभ उठाने की चीज़ है। और दुनियाँ में सब से अधिक और अच्छा लाभ उठाने वाली चीज़ नेक महिला है।

बाब {दीनदार महिला से निकाह करने का बयान।}

798:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी महिला से चार कारणों से निकाह किया जाता है। उस के पास धन-माल होने के कारण, ऊँचे ख़ान्दान की होने के नाते, सुन्दर होने के नाते, या दीनदारी के कारण। सो जिस ने दीनदार महिला से निकाह किया वही कामियाब हुआ, ऐ भले आदमी।

फ़ाइदाः– आज भी लोग आ़मतौर पर इन्ही चार चीज़ों को देखते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दीनदार महिला से निकाह करने का आदेश दिया ताकि नेक के संघ रहने से नेकियों में इज़ाफ़ा हो, नेक माहौल में गुज़र-बसर हो और घर में इस्लामी वातावरण (माहौल) पैदा हो और दुनिया की बुराइयों से सुरक्षित और महफ़ूज़ रहे। जो लोग और दूसरी चीज़ों के लालच में निकाह करते हैं उस का अन्त बुरा होता है, घर बर्बाद हो जाता है, दिल का सुकून और चैन छिन जाता है।

बाब {कुँवारी महिला से निकाह करने का बयान।}

799:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि मेरे पिता (अ़ब्दुल्लाह) ने अपने देहान्त के समय नौ या सात बेटियाँ छोड़ी थीं। मैं ने (अपनी इन्हीं बहनों की वजह से) एक विधुवा महिला से निकाह कर लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से पूछाः ऐ जाबिर! तुम ने निकाह कर लिया? मैं ने कहाः जी हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! आप ने पूछाः कुँवारी से या विधुवा से? मैं ने कहाः विधुवा से। आप ने फ़रमायाः कुँवारी से क्यों नहीं किया कि वह तुम से खेलती और तुम उस से खेलते। या आप ने यह फ़रमायाः वह तुम से हँसी मज़ाक़ करती और तुम उस से करते। जाबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने उत्तर दियाः मेरे पिता जी देहान्त कर गये और सात या नौ बेटियाँ अपने पीछे छोड़ गये, इसलिये मैं ने उचित न समझा

कि अपनी बहनों की आयु की महिला बियाह लाऊँ। मैं ने यही उचित जाना कि ऐसी महिला से विवाह करूँ जो मेरी बहनों की देख-भाल करे और उन की तर्बियत भी करे। यह सुन कर आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक तुम्हारे लिये बकर्त दे, या इसी प्रकार की आप ने कोई दुआ फ़रमायी।

फ़ाइदाः– हदीस में "सय्यिबा" का शब्द है जिस का अर्थ है जो पहले किसी पति के निकाह में रह चुकी हो, फिर या तो उस का पति मर गया हो या उस ने तलाक़ दे दी हो। मैंने "विधुवा" अनुवाद किया है। जाबिर के पिता अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ उहुद की लड़ाई में ग़लती से मुसलमानों के ही हाथों शहीद कर दिये गये थे। उस के बाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इन से बड़ी मुहब्बत करते और देख-भाल फ़रमाते थे। जब सहाबी ने विधुवा से निकाह करने का कारण बताया तो आप ने खुशी को ज़ाहिर फ़रमाया और उन की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। मालूम हुआ कि कुँवारी से निकाह अफ़ज़ल है, लेकिन आवश्यक्ता पड़ने पर विधुवा से भी करना बेहतर है।

बाब {कोई भाई अपने भाई के निकाह के संदेश पर निकाह का संदेश न भेजे।}

800:– शमामा के पुत्र अ़ब्दुर्रहमान से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ को मिंबर पर खुत्बा देते हुये सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक मोमिन (इस्लामी रिश्ते से) दूसरे मोमिन का भाई है, इसलिय किसी मोमिन के लिये यह जाइज़ नहीं कि वह अपनेमोमिन भाई के लेन-देन पर लेन-देन करे। इसी प्रकार यह भी उस के लिये जाइज़ नहीं कि वह अपने किसी (इस्लामी) भाई के निकाह के संदेश पर (अपने लिये) निकाह का संदेश भेजे, जब तक वह छोड़ न दे।

फ़ाइदाः– मुस्लिम के दूसरे नुस्ख़ों में इस प्रकार बाब बाँधा गया है "किसी मुसलमान भई के शादी के संदेश पर शादी का संदेश भेजना जाइज़ नहीं, जब तक पहले भाई के बारे में "हाँ" या "नहीं" का फ़ैसला न हो जाये" और यही बाब दुरुस्त है। एक व्यक्ति ने किसी महिला के पास निकाह का संदेश भेजवाया, तो जब तक उस को महिला की तरफ़ से हाँ या ना में उत्तर न मिल जाये, कोई उस महिला के पास अपने लिये निकाह का संदेश न भेजे। इस प्रकार करना उस महिला को भड़काना और उस व्यक्ति को निकाह से वंचित करना हुआ, और यह शरीअ़त में हराम है। बुख़ारी शरीफ़ में भी यह रिवायत मौजूद है, (देखें न॰ 5142, 5143-इब्ने उमर) एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी के भाव पर भाव न लगाओ, किसी की निजी बातों को कान लगा कर न सुनो, अपने भाई के निकाह के पैग़ाम पर निकाह का पैग़ाम न भेजो, परस्पर दुश्मनी न पैदा करो, परस्पर भाई-भाई बन कर रहो (बुख़ारी 5142 इब्ने उमर) समाज के सुधार में इस हदीस को कलीदी हैसियत प्राप्त है।

बाब {जिस महिला से निकाह करने का इरादा हो उसे देख लेना चाहिये।}

801:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर बयान किया कि मैं ने एक महिला से निकाह कर लिया है, तो आप ने फ़रमायाः तुम ने (निकाह से पहले) उसे देख लिया था? इसलिये कि अन्सारी महिलाओं की आँखों में कुछ ऐब होता है। उन्होंने उत्तर दिया कि जी हाँ, देख लिया था। आप ने फिर पूछाः कितने महर पर निकाह किया? उन्होंने कहाः चार ऊक़िया चाँदी के बदले। आप ने (आश्चर्य करते हुये) फ़रमायाः चार ऊक़िया पर! मालूम होता है तुम लोग इस पहाड़ से चाँदी (मुफ़्त में) खोद लाते हो (जभी तो इतना अधिक महर बाँधते हो) इतनी चाँदी तो मेरे पास है नहीं कि मैं तुम्हें दे सकूँ, अल्बत्ता हम तुम्हें (जिहाद के लिये) लश्कर के साथ भेज देते हैं (हो सकता है) उस जंग में ग़नीमत के माल में तुम्हें हिस्सा मिल जाये। चुनान्चे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़बीला बनी अ़बस की तरफ़ लश्कर रवाना फ़रमाया तो उन्हें भी उस के साथ भेज दिया।

फ़ाइदाः– इस हदीस से दो तीन बड़ी अहम बातें मालूम हुयीं (1) निकाह से पहले अपनी होने वाली पत्नी को देख ले। महिला अपने को दिखाने पर राज़ी हो या न हो। अगर राज़ी होतो आमने-सामने होकर, और न राज़ी हो तो चोरी-छुपे, बहरहाल देख लेना चाहिये। या फिर अपनी माँ, बहन, ख़ाला आदि को भेज कर तहक़ीक़ करा ले, यह भी बेहतर शक्ल है। (2) दूसरी अहम बात यह मालूम हुयी कि महर को हैसियत के अनुसार बाँधना चाहिये और अदा करने की नियत होनी चाहिये। निकाह से पूर्व महिला को देखना यह महिला की तौहीन नहीं है। इमाम बुख़ारी रह॰ ने भी यही बाब बाँधा है और इस के संदर्भ में तीन हदीसें लाये हैं। (1) जिब्रील अ़लै॰ आ़इशा रज़ि॰ को कपड़े में लपेट कर लाये और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से फ़रमायाः यह तुम्हारी होने वाली पत्नी है। आप ने खोल कर देखा तो वह आ़इशा थीं (हदीस न॰ 5125–आ़इशा) (2) एक महिला ने आप के पास आ कर कहाः आप मुझ से निकाह कर लें। आप ने उसे देखा फिर नज़र नीचा कर ली और सर झुका लिया (हदीस न॰ 5126–सहल बिन सअ़द) देख लेने से इत्मिनान हो जाता है, रिश्ता मज़बूत हो जाता है और प्रेम भावना बढ़ जाती है, आगे चल कर रिश्ता और संबन्ध टूटने की संभावना समाप्त हो जाती है।

बाब {विधुवा और कुंवारी से निकाह में अनुमति लेनी चाहिये।}

802:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः विधुवा का विवाह उस की अनुमति (और इच्छा) केबिना न किया जाये, इसी प्रकार कुँवारी का भी निकाह उस की अनुमति के बिना न किया जाये। इस पर सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! कुँवारी से किस प्रकार अनुमति ली जाये? आप ने फ़रमायाः (उस की इच्छा मालूम करते समय) उस का चुप रहना उस की ओर से अनुमति है।

803:– अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम ने फ़रमायाः विधुवा महिला अपना निकाह (करने या न करने) के बारे में अपने वली से अधिक हक़ रखती है। और कुँवारी महिला से भी (उस का निकाह करते समय) उस से अनुमति ली जाये, और (पूछते समय) उस का चुप रहना उस की ओर सेअनुमति का संकेत है।

फ़ाइदाः– महिला जवान हो या कम आयु की, बालिग़ हो या नाबालिग़, अपने वली की अनुमति के बिना (अपनी इच्छा से) निकाह नहीं कर सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस महिला ने अपने वलीकी अनुमति (राय, इच्छा और मश्वरे) के बिना अपना निकाह स्वैंय अपनी इच्छा से कर लिया, उस का निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है (तिर्मिज़ी, हाकिम, इब्ने हिब्बान) अबू दावूद की हदीस में है "वली की इजाज़त के बिना निकाह दुरुस्त नहीं (हदीस न॰ 2085) जो महिला वली की इजाज़त के बिना अपना निकाह अपनी इच्छा और मर्ज़ी से कर लेती है वह ज़िनाकार है (इब्ने माजा–1882) लेकिन इस के साथ ही अल्लह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऊपर वाली हदीस भी बयान फ़रमा दी कि वली, महिला से भी अनुमति के बिना निकाह न करे। मालूम हुआ कि निकाह में महिला और उस के वली दोनों की रज़ामन्दी आवश्यक है। इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ का फ़तवा यह है कि अगर महिला बालिग़ है तो उस के लिये अपने वली से अनुमति लेना आवश्यक नहीं। लेकिन यह फ़तवा हदीस के विपरीत है और बालित है। इसलिये कि ऊपर की हदीस आ़म है और सभी के लिये है।

आजकल माता–पिता बिना पुत्री की अनुमति के ही अपनी इच्छा से निकाह कर देते हैं, ऐसा निकाह दुरुस्त नहीं। पुत्री को इख़्तियार है कि चाहे तो इस प्रकार के निकाह को रद्द कर दे। एक महिला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरे पिता जी ने मेरीअनुमति के बिना मेरा निकाह ऐसे व्यक्ति से कर दिया है जिसे में पसन्द नहीं करती, तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस को इख़्तियार दे दिया कि चाहे तो उस निकाह को रद्द कर दे (इब्ने माजा)

मालूम हुआ कि निकाह में दोनों की अनुमति अनिवार्य है, चाहे वह बालिग़ हो या नाबालिग़, विधुवा हो या कुँवारी। इस प्रकार दोनों के परस्र सहमति वाली शादी से निकाह मधुर और पायदार होता है। महिला अर्गचे बालिग़ हो उस को अपनी इच्छा सेनिकाह करने की अनुमति इसलिये नहीं दी गयी कि वह कम बुद्रि की होती है, बहकावे और चकमे में आ जरती है। हानि–लाभ पर ध्यान नहीं देती और जल्द बाज़ी में निर्णय ले लेती है। इसलिये अगर केवल उसी की इच्छा पर छोड़ दिया जाये तो आए दिन रिश्ते टूटते रहेंगे। और वली को अनुमति लेने का इसलिये हुक्म हुआ कि महिला मांसिक रुप से मानहीनता का शिकार न हो।

आजकल निकाह पढ़ाते समय लड़की से अनुमति लेने जाते हैं, यह तरीक़ा कुछ सही नहीं है। बारात घर पर आ गयी हो, पिता ने हज़ारों रुपये तैयारी पर ख़र्च कर दिये

हों, दूल्हा सामने मौजूद हो, तो फिर इन हालात में कौन लड़की इन्कार करने का साहस जुटा सकती है। इसलिये रिश्ता तै तमाम करते समय ही लड़की के कान में भनक डाल देनी चाहिये, अगर उसे पसन्द है तो चुप रहे गी, वर्ना अपनी सखियों-सहेलियों और अपनी बात-चीत से अपनी नापसन्दीदगी का इज़हार कर देगी।

बाब {निकाह (के जाइज़ होने) की शर्तों का बयान।}

804:- उक़्बा बिन आमिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः शर्तों में सब से अधिक पूरी करने की हक़दार वह शर्तें हैं ,जिन्हें लगा कर तुम ने (अपनी पत्नी की) शर्मगाहों को हलाल किया है।

फ़ाइदाः- अर्थात निकाह की शर्तें। निकाह करते समय पति कुछ शर्तें लगाता, अथवा वादे करता है। जैसे मैं तुम्हें अ़िज़्ज़त के साथ रखूगाँ, अच्छा व्यवहार और सुलूक करुँगा, खाना-पीना, कपड़ा-लत्ता पेट भर कर दूगाँ, तुम्हें कोई तक्लीफ़ न होने दूगाँ आदि। तो इन जाइज़ शर्तों को पूरी करना अनिवार्य है। इसी प्रकार महिला भी कुछ वादे करती है जैसे, मैं पत्नी बन कर रहूँगी, पति के घर-बार धन-माल की सुरक्षा करुँगी, पति के बिछौने पर ग़ैर को न आने दूँगी, बच्चों का पालन-पोषण करुँगी आदि। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जाइज़ शर्तों को पूरी करना अनिवार्य है, लेकिन जो शर्तें अल्लाह की पुस्तक में नहीं हैं वह बातिल हैं।

बाब {छोटी बालिका का निकाह (छोटपने ही में) करने का बयान।}

805:- आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से निकाह किया उस समय मेरी आयु सीमा छः वर्ष की थी, और जब मुझ से संभोग किया उस समय मैं नौ वर्ष की थी। आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि जब (हिजरत कर के) मैं मदीना आई तो वहाँ एक महीना तक मुझे बुख़ार रहा इस कारण मेरे सर के बाल (झड़ कर और छोटे होकर) कानों तक हो गये थे। एक दिन (मेरी माता जी) उम्मे रूमान मेरे पास आयीं, उस समय मैं अपनी सखियों के साथ झूला झूल रही थीं। उन्होंने मुझे बुलाया तो में उन के पास चली गयी। उस समय मैं यह नहीं जानती थी कि वह मुझे क्यों बुला रही है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर दर्वाज़ा पर खड़ा कर दिया उस समय (हाँपने की वजह से) मैं "हाँ, हाँ" कर रही थी। जब मेरा हाँपना बन्द हो गया तो मुझे घर के अन्दर ले गयीं। वहाँ क़बीला अन्सार की कुछ महिलायें बैठी हुयी थीं। वह मुझे देख कर कहने लगीं: "अल्लाह पाक भलाई और बर्कत दें" फिर मेरी माता जी ने मुझे उन के हवाले कर दिया तो उन्होंने मेरा सर धो कर बनाव-सिंगार किया। उस समय तलक भी मुझे कुछ नहीं एहसास हुआ (कि मुझे क्यों सजाया-संवारा जा रहा है) कि इसी बीच दिन चढ़े नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पधारे तो मुझे उन के हवाले कर दिया।

फ़ाइदा:– मुस्लिम ही की रिवायत में है कि जब आ़इशा का निकाह हुआ उस समय सात वर्ष की थीं, तो इस में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है। इसलिये कि छः वर्ष से ऊपर के महीनों को भी एक वर्ष मान लिया। जैसे किसी की आयु छः वर्ष नौ माह है, इसे किसी ने यूँ भी कह दिया कि सात वर्ष। इस हदीस से मालूम हुआ कि लड़की का निकाह उस के छोटपने में भी कर देना जाइज़ है और माता-पिता जब शौहर के पास भेजना उचित समझें तो भेज सकते हैं। नौ वर्ष की आयु में आ़इशा रज़ि॰ को पति के हवाले कर देने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिये क्योंकि उन के बालिग़ हो जाने के बारे में उन के माता-पिता से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। कुछ उलमा ने छोटपने में निकाह करने की अनुमति केवल अस्ल वली (बाप-दादा) को दी है, क्योंकि यह कभी भी अपनी बेटी और पोती का अनभला सोच ही नहीं सकते। इन के अतिरिक्त और दूसरे वलियों को अनुमति नहीं है, और यही बात दिल को लगती है। चुनान्चे उलमा का यह भी कहना है कि बाप-दादा के छोपटने में किये निकाह कोपुत्री बालिग़ होने के बाद रद्द नहीं कर सकती, लेकिन और दूसरे वलियों के निकाह को रद्द करने का उसे इख़्तियार है। इस हदीस से कुछ लोगों ने छोटपने से मुराद छः वर्ष की आयु सीमा लिया है, कि इस से कम आयु की लड़की का निकाह करना दुरुस्त नहीं। लेकिन इस ह़दीस से कम से कम आयु की क़ैद लगाना ठीक नहीं। छः वर्ष से कम आयु को भी छोटपना और लड़कपना कहा जाता है। खुलासा यह कि छोटपने में पुत्री का निकाह कर देना निःसंदेह जाइज़ है, इसी प्रकार बालिग़ होने के पश्चात जाइज़ कारणों से पुत्री का रद्द कर देना भी जाइज़ है। ऐसा होता है कि बचपन में लड़के के अन्दर कुछ विशेषतायें देख कर पिता ने अपनी लड़की का विवाह छोटपने में कर दिया, लेकिन बालिग़ होने के बाद वही लड़का चोर, डाकू और शराबी व बदकार निकल गया, तो इन हालात में पिता (वली) भी चाहेगा कि पुत्री विवाह अस्वीकार कर दे। आ़इशा रज़ि॰ से निकाह के समय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आयु 54 वर्ष की थी। नौ वर्ष तक आप की सेवा में रहीं। 63 वर्ष की आयु में 45 वर्ष तक विधुवा रह कर सन 57 हि॰ में मदीना में देहान्त किया। आप से 2210 हदीसें रिवायत हैं। बुख़ारी में 54, मुस्लिम में 67, बुख़ारी-मुस्लिम (मुत्तफ़क़ अ़लैह) 174 हैं। यह केवल आप को इस बात का गर्व प्राप्त है कि आप के खान्दान की चार पीढ़ी सहाबी हैं (दादा अ़फ़्फ़ान (2) पिता अबू बक्र (3) भाई अ़ब्दुर्रहमान (4) भाई के पुत्र। यह गर्व किसी और सहाबी को प्राप्त नहीं। मुझ अनुवादक ख़ालिद सिद्दीक़ी का भी इन्ही की नस्ल से संबन्ध है।

बाब {लौंडी को स्वतन्त्र कर के उस से विवाह कर लेने का बयान।}

806:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवातय है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर की जन्ग लड़ी, उस मौक़े पर ख़ैबर पहुँच कर हम लोगों ने सुब्ह की नमाज़ कुछ अँधेरे ही में पढ़ी। फिर आप सवार होकर रवाना हुये। अबू

तल्हा रज़ि॰ भी सवार हुये, उस समय मैं अबू तल्हा की सवारी पर पीछे सवार था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर नगर में (अपनी सवारी को) दाख़िल कर दिया, उस समय मेरा घुटना आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की रान से रगड़ रहा था, क्योंकि आप की रान से चादर हट गयी थी और मैं आपकी रान की चमक को देख रहा था। फिर जब आप ख़ैबर में प्रवेश कर गये तो (अल्लाह सब से बड़ा है और अब ख़ैबर को तबाह-बर्बाद होना है) का नारा लगाया। फिर आगे फ़रमायाः "जब भी हम किसी क़ौम के आँगन में उतरे तो जिस क़ौम को अल्लाह के दन्ड से डराया जातात है उस की सुब्ह बुरी हुयी है।"आप ने यह नारा तीन मर्तबा लगाया। फिर जब नगर के यहूदी अपने काम-काज हेतु बाहर निकले तो (लश्कर को देख कर) कहने लगेः "अल्लाह की क़सम! (वह देखो) मुहम्मद अपने लाव-लश्कर समेत आ धमके।

(हदीस के रावी) अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि हम लोगों ने ख़ैबर को बल प्रयोग कर के पराजित किया और समस्त बन्दियों को एकत्र किया। इसी दर्मियान दहया कल्बी रज़ि॰ ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अनुरोध कियाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! उन बन्दियों में से कोई लौंडी दे दीजिये। आप ने फ़रमायाः जाओ कोई भी एक लौंडी ले लो। चुनान्चे उन्होंने सफ़िय्या को पसन्द किया और उन्हें ले लिया। इसी दर्मियान एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर कहने लगेः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! आप ने हुय्यि की पुत्री सफ़िय्या को दहया के हवाले कर दिया, जबकि वह बनी कुरैज़ा और बनी नज़ीर गोत्र के सर्दार की पुत्री हैं, वह केवल आप के योग्य है। यह सुन कर आप ने फ़रमायाः दहया और सफ़िय्या को बुला लाओ। जब वह बुला कर लाये तो आप ने सफ़िय्या को देख कर दहया से फ़रमायाः इन के अ़लावा कोई और लौंडी ले लो। इस के पश्चात आप ने सफ़िय्या से निकाह कर लिया।

साबित रज़ि॰ ने अनस बिन मालिक रज़ि॰ से पूछाः ऐ अबू हमज़ा! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सफ़िय्या के लिये महर कितना दिया था? उन्होंने बतायाः महर, सफ़िय्या स्वँय थीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें स्वतन्त्र कर के निकाह किया था (इसलिये उन की स्वतन्त्रता ही उन की महर थी) फिर जब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अभी यात्रा ही में थे कि उम्मे सुलैम रज़ि॰ (-अनस रज़ि॰ की माता जी) ने सफ़िय्या को सजा-संवार कर आप के पास भेज दिया। सुब्ह को आप सफ़िय्या के दूल्हा थे। फिर आप ने फ़रमायाः जिन-जिन के पास खाने-पीने की वस्तुयें हों उन्हें ले आयें। अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि आप ने दस्तर ख़ान बिछा दिया, उस पर किसी ने पनीर, किसी ने खजूर तो किसी ने घी ला कर रख दिया। फिर उन सब को मिला कर "हसीस" (मालीदा) बनाया (और सभी ने खाया) यही नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का वलीमा था।

फ़ाइदाः– हनफ़ी और शाफ़ई उलमा का कहना है कि इस प्रकार का निकाह कर लेना

यह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की विशेषता थी और किसी के लिये इस प्रकार निकाह जाइज़ नहीं। लेकिन इन लोगों का तर्क दुरुस्त नहीं, बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत में स्पष्ट तौर पर मौजूद है कि अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान कियाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सफ़िय्या को स्वतन्त्र कर के उन से निकाह किया और उन की आज़ादी ही को उन का महर क़रार दिया। इस हदीस में हुक्म आ़म है और सभी के लिये हैं। इस हदीस से चन्द और बातें मालू हुयी (1) लौंडी को लौंडी ही बना कर उस से संभोग जाइज़ है जैसा कि दहया रज़ि॰ ने लौंडी की ही हैसियत से अपने पास रखा (2) लौंडी को स्वतन्त्र कर के भी उस से निकाह कर लें जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने किया (3) लौंडी की आज़ादी ही उस का महर हो सकती है (4) लौंडी होने के नाते लोग उस को ज़लील समझते थे लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने स्वैंय उन से निकाह कर के आ़म लोगों के ख़यालात का रद्द फ़रमाया और उस से निकाह करने को सवाब का कार्य फ़रमाया।

807:– अबू मूसा अश्–अ़री से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो व्यक्ति अपनी लौंडी स्वतन्त्र कर के उस से निकाह कर ले तो उस को दोहरा सवाब है। (एक तो स्वतन्त्र करने का, दूसरे निकाह करने का)

बाब {शिग़ार का निकाह करने का बयान।}

808:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने शिग़ार का निकाह करने से मना फ़रमाया है। शिग़ार का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति अपनी पुत्री का निकाह किसी के साथ इस शर्त पर कर दे कि वह भी अपनी पुत्री का निकाह उस के साथ कर दे, और दोनों के दर्मियान महर न मुक़र्रर हो।

फ़ाइदा:– इस प्रकार का निकाह अ़रब में आ़म था। मुस्लिम ही की रिवायत में अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवातय है कि एक व्यक्ति किसी से यह मामला तै कर लेता कि तुम मुझे अपनी लड़की बियाह दो और मैं तुम्हें अपनी लड़की बियाह दूँ, या तुम अपनी बहन बियाह दो और मैं अपनी बहन बियाह दूँ और महर नहीं रखा जाता था। गोया एक दूसरे से निकाह कर देना ही महर हुआ। उलमा का कहना है कि इस प्रकार का निकाह होगा ही नहीं। कुछ उलमा का कहना है कि निकाह हो जायेगा, लेकिन महर तै करें या न करें, उन दो लड़कियों के खान्दान की लड़कियों का जितना महर है, उतना उन दोनों पतियों को बहरहाल अदा करना होगा (इसे महरे–मिस्ल कहा जाता है) लेकिन हदीस के आदेश के अनुसार निकाह ही बातिल हो जायेगा इसलिये "महरे–मिस्ल" का प्रश्न ही नहीं उठता।

बाब {मुत्अ़ा के निकाह का बयान।}

809:– क़ैस से रिवायत है कि मैं ने अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ को बयान करते

सुना उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिये निकले उस समय हमारे साथ बीवियाँ नहीं थीं इसलिये हम लोगों ने कहाः लाओ हम लोग ख़स्सी (निपुंसक) क्यों न हो जायें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसा होने से मना फ़रमा दिया और इस बात की अनुमति दे दी कि अपने कपड़े-लत्ते के बदले किसी महिला से निश्चित समय तक के लिये विवाह कर लें। फिर उन्होंने (सूरःमाइदा की) यह आयत तिलावत फ़रमायीः "ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक ने जिन पवित्र वस्तुओं को तुम्हारे लिये हलाल ठहराया है उन्हें हराम न ठहराओ और सीमा से आगे बढ़ने की चेष्टा न करो। क्योंकि अल्लाह तआ़ला ऐसे लोगों को पसन्द नहीं करता है।" (सूरःमाइदा-87)

810:- जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और अबू बक्र रज़ि॰ के (ख़िलाफ़त के) समय काल में महिलाओं को एक मुट्ठी (यानी थोड़ा-बहुत) खजूर और आटा देकर कुछ दिनों के लिये उन से मुतआ़ किया करते थे। फिर उमर रज़ि॰ ने (अपने ख़िलाफ़त के समय काल में) अ़म्र बिन हुरैस की घटना के मौक़ा पर इस से मना कर दिया।

फ़ाइदाः- किसी महिला को कुछ दे दिला कर एक सुनिश्चित समय तक के लिये उस से निकाह कर लेने का नाम "मुत्आ़" है। समय समाप्त हो जाने के साथ ही निकाह स्वँय समाप्त हो जायेगा और महिला बिना तलाक़ दिये भी उस के निकाह से बाहर हो जायेगी। इस प्रकार किसी महिला से संभोग कर लेने का तरीक़ा इस्लाम के आरंभ में बेशक जाइज़ था, लेकिन बाद में हमेशा के लिये यह तरीक़ा हराम हो गया। शीआ़ मज़हब में भी एक जाहिल फ़िर्क़ा को छोड़ कर पूरे संसार के मुसलमानों का इस पर इत्तिफ़ाक़ है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से किसी ने पूछा तो उन्होंने मजबूरी में जाइज़ कहा (बुख़ारी-5116) लेकिन उन का यह फ़तवा हराम होने से पहले का है।

मुत्आ़ दो बार हलाल और हराम हुआ। (1) जन्ग ख़ैबर से पहले हलाल था, फिर ख़ैबर की जन्ग में इसे हराम कर दिया गया। (2) फिर औतास की जंग में तीन दिन के लिये हलाल कर दिया गया, फिर क़ियामत तक के लिये हराम कर दिया गया। अब अगर आज मुम्आ़ के हलाल होने का कोई कारण आ जाये, फिर भी हलाल नहीं हो सकता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसे क़ियामत तक के लिये हराम कर दिया है। ऊपर हदीस में सुबरा रज़ि॰ की घटना का ज़िक्र है। घटना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़त्ह मक्का के मौक़ा पर सहाबा को मुत्आ़ की अनुमति दे दी तो सबरा और उन के एक मित्र ने एक युवा, सुन्दर नैन-नक़्शें वाली, मोटी-तगड़ी महिला से अपनी-अपनी चादरों के बदले मुत्आ़ के लिये कहा, चुनान्चे उस ने सबरा को पसन्द किया और उन्होंने तीन दिन तक उस से संभोग किया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस से सदा के लिये मना कर दिया। (देखें नीचे हदीस न॰ 812)

मुत्अ़ा कब हराम हुआ? इस बारे में रिवायत में बड़ा इख़्तिलाफ़ है। सलमा बिन अक्वा की रिवायत में औतास के दिन, सबरा की रिवायत में फ़त्ह मक्का के दिन, अ़ली की रिवायत में ख़ैबर के दिन, एक रिवायत में तबूक के दिन। तो इस में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है, जिन सहाबा को जब जा़नकारी मिली उन्होंने उसी दिन को हराम होने का दिन समझ लिया।

इस विषय पर और अधिक जानकारी लिखने की गुंजाइश नहीं। मुख़्तसर यह कि ख़ैबर की जन्ग के मौक़ा पर पहली बार आप ने हराम किया, फिर फ़त्ह मक्का के मौक़ा पर जाइज़ कर दिया, फिर तीन दिन के बाद सदा के लिये हराम क़रार दे दिया। विस्तार से जानकारी के लिये तफ़सीर की पुस्तकें पढ़ें। "उमर रज़ि० ने मना कर दिया" ऊपर की हदीस में है, इस का अर्थ है कि उन्होंने अन्तिम हज्ज में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़ो सदा के लिये हराम ठहरा दिया था, उसी सन्देश को पहुँचा कर मना कर दिया। अब जिन को नहीं मालूम था उन्हें भी मालूम हो गया।

बाब {मुत्अ़ा के निकाह के मन्सूख़ होने और फिर उस के हराम होने का बयान।}

811:– अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर की जन्ग के मौक़ा पर महिलाओं से मुत्अ़ा करने से मना फ़रमायाः इसी प्रकार पाल्तू गधों का माँस खाने से भी।

फ़ाइदाः– यह पहली आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हराम फ़रमायाः फिर फ़त्ह मक्का के मौक़ा पर चन्द दिनों के लिये जाइज़ कर दिया (और पहला आदेश मन्सूख़ हो गया) जैसा कि नीचे हदीस आ रही है। अल्बत्ता गधे के हराम होने का हुक्म मन्सूख़ नहीं हुआ।

812:– रबीअ़ बिन समुरा रज़ि० ने बयान किया कि मेरे पिता जी (समुरा) ने फ़त्ह मक्का के मौक़ा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ जिहाद किया। उस मौक़ा पर हम लोग मक्का में 15 दिन, और दिन-रात मिला कर 30 दिन ठहरे। उस समय आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें महिलाओं से (चन्द दिन के लिये) मुत्अ़ा करने की अनुमति दे दी थी। चुनान्चे मैं और मेरे ही गोत्र का एक व्यक्ति दोनों मक्का में घूमने निकले। मैं अपने साथी से कहीं अधिक सुन्दर था और वह बहुत अधिक बुरी सूरत का था। हम दोनों में से हर एक के पास एक-एक चादर थी। लेकिन मेरी चादर मेरे साथी की चादर से पुरानी थी और उस की बिल्कुल नई थी। फिर जब हम दोनां मक्का के निचले या ऊँचाई वाले क्षेत्र में पहुँचे तो हमें एक महिला जो जवान ऊँटनी की तरह लंबी गर्दन वाली थी। हम ने उस से पूछाः क्या तुम हम दोनों में से किसी के साथ मुत्अ़ा करने पर राज़ी हो? उस ने पूछाः बदले में क्या दोगे? इस पर हम दोनों ने अपनी-अपनी चादर उस के सामन पसार दी। वह चादरों को देखने लगी और मेरा साथी उस को नीचे से ऊपर तक निहारने लगा। फिर उस ने कहाः उन की चादर पुरानी और मेरी नई है,

फिर बोलीः उन की चादर भी ठीक-ठाक है। उस ने दो या तीन बार यही कहा। फिर मैं ने उस से मुतआ़ किया, वहाँ से लौट आया, फिर इसी दर्मियान नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुतआ़ को हराम ठहरा दिया।

813:- सबरा जोहनी रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं (फ़त्ह मक्का के मौक़ा पर) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ था कि इसी दर्मियान एक दिन आप ने फ़रमायाः ऐ लोगों! सुनो, मैं ने आप लोगों को मुत्आ़ की जो अनुमति दी थी अब अल्लाह पाक ने क़ियामत तक के लिये उेस हराम क़रार दिया है, इसलिये जिस के पास मुत्आ़ वाली महिला हो वह उसे छोड़ दे और जो कुछ उसे दे चुका है उसे वापस न ले।

फ़ाइदाः- इस हदीस से मालूम हुआ कि ख़ैबर के मौक़ा पर हराम कर देने के बाद, फ़त्ह मक्का के मौक़ा पर फिर हलाल कर दिया था लेकिन चन्द दिन के बाद ही सदा के लिये हराम कर दिया।

ऊपर की हदीस न॰ 810 में है कि "लोग उमर रज़ि॰ के ख़िलाफ़त के शासन काल तक मुत्आ़ करते रहे, फिर उमर ने मना फ़रमाया" इस का यह अर्थ हुआ कि जिन को फ़त्ह मक्का के मौक़ा पर हराम होने की जानकारी नहीं थी, वह मुत्आ़ करते रहे, फिर उमर रज़ि॰ ने यह कह कर उन्हें मना कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़त्ह मक्का के मौक़ा पर हीइसे हराम ठहरा चुके हैं। उमर रज़ि॰ ने अपनी ओर से कोई आदेश नहीं जारी किया था। शीआ़ लोगों में से कुछ गन्दे लोग ही हैं जो इसे जाइज़ कहते हैं, वर्ना उम्मत का इस के क़ियामत तक के लिये हराम होने पर इत्तिफ़ाक़ है।

बाब {एहराम बाँधे हुये हालत में निकाह करना या निकाह का संदेश भेजना मना है।}

814:- वहब के पुत्र नुबैह ने बयान किया कि उमर बिन उबैदुल्लाह ने (अपने पुत्र) तल्हा का निकाह शैबह बिन जुबैर की पुत्री से करने का इरादा किया तो (इस कार्य के लिये) उन्होंने मुझे इबान बिन उस्मान के पास भेज दिया जो उस समय हाजियों (के अमीर की हैसियत से उन) की अगुवाई कर रहे थे। इस पर इबान ने कहाः मैंने उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि॰ को फ़रमाते हुये सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः (हज्ज या उम्रा का एहराम बाँधा हुआ) मुहरिम न तो अपना निकाह कर सकता है और न ही किसी का करा सकता है, इसी प्रकार न ही किसी महिला को निकाह का पैग़ाम भेज सकता है।

815:- इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लमने मैमूना से निकाह किया उस समय आप एहराम बाँधे हुये (हरम में) थे।

816:- यज़ीद बिन अ़सम रज़ि॰ ने बयान किया कि यह बात मैमूना रज़ि॰ ने मुझ से स्वँय बताई कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से निकाह किया

उस समय आप एहराम की हालत में नहीं थे। और मैमूना रज़ि॰ मेरी और इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ दोनों की ख़ाला हैं।

फ़ाइदा:– इस मस्अ़ले में इख़्तिलाफ़ है कि क्या एहराम की हालत में हाजी निकाह कर सकता है? इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के निकट जाइज़ है, क्योंकि आप ने मैमूना से एहराम की हालत में निकाह किया था। लेकिन यह इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ की भूल है, क्योंकि (1) स्वँय मैमूना रज़ि॰ कहती हैं कि आप एहराम की हालत में नहीं थे (देखें ऊपर हदीस 816) (2) अबू राफ़े रावी भी यही कहते हैं (ऊपर का हवाला) (3) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने स्पष्ट शब्दों में न करने का हुक्म दिया है (हदीस 814) (4) जमहूर उलमा के फ़तवे के ख़िलाफ़ है। उलमा का यहाँ तक कहना है कि अगर होने वाले पति-पत्नी एहराम से न हों, केवल वकील एहराम की हालत में हो, फिर भी निकाह बातिल है। इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ का फ़तवा भी इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के मुताबिक़ है, इसलिये इन का फ़तवा भी रद्द है। कुछ उलमा ने यूँ बात बनाई है कि निकाह तो कर सकता है लेकिन संभोग नहीं, लेकिन यह भी ग़लत है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने निकाह का संदेश भेजने तक से मना फ़रमाया है, फिर निकाह कैसे जाइज़ होगा।

बाब –{किसी महिला और उस की फूफी या ख़ाला को एक साथ निकाह में रखना हराम है।}

817:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस बात से मना फ़रमाया है कि कोई किसी महिला और उसी की फूफी को एक साथ निकाह में जमा करे, इसी प्रकार उस महिला के साथ उस की ख़ाला को भी जमा करे।

फ़ाइदा:– यानी जिस महिला से निकाह किया है उस के साथ उस की ख़ाला या फूफी से भी निकाह कर के एक साथ पत्नी बना कर रखना हराम है। इस मस्अले में समस्त उलमा एक राय हैं कि फूफी, ख़ाला, भतीजी और भान्जी इन चारों से एक साथ निकाह हराम है। फूफी सगी हो, जैसे पिता की बहन। इसी प्रकार ख़ाला सगी हो, जैसे माँ की बहन। या दूर के रिश्ता की फूफी या ख़ाला हो, जैसे महिला के दादा, या परदादा या लकड़दादा या सकड़ दादा की बहन, यह सब फूफियाँ हराम हैं, जबकि वह महिला निकाह में हो। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से एक रिवायत यह भी है कि दो फूफियों और दो ख़ालाओं को भी जमा करना मक्रुह है। फूफी में दादा की बहन, नाना की बहन, उन के बाप की बहन। इसी प्रकार ख़ाला में नानी की बहन और नानी की माँ सभी शामिल हैं।

उलमा ने हराम होने का एक अच्छा सिद्धान्त और नियम बनाया है, वह यह है कि उन दो महिलाओं से एक साथ निकाह करना जाइज़ नहीं कि अगर उन में से एक को मर्द मान लें तो दूसरी उस पर हराम हो। अल्बत्ता पत्नी के मामू की बेटी, या चचा की बेटी, या फूफी की बेटी से निकाह कर सकता है। इस्लाम का यह दस्तूर है जिस पर मुसलमानों को गर्व है।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नियों के महर का बयान।}

518:- अ़ब्दुर्रहमान के पुत्र अबू सलमा से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने आइशा रज़ि॰ से पूछाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बीवियों का महर कितना था? उन्होंने बताया कि 12 ऊक़िया चाँदी, या पाँच सौ दिंहम (121 हिन्दुस्तानी रुपये) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नियों का इतना ही महर था।

बाब {खजूर की गुठली के बराबर सोने के बदले निकाह करने का बयान।}

819:- अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ब्दुरहमान बिन औ़फ़ रज़ि॰ के ऊपर पीले रंग का निशान देखा तो फ़रमायाः यह क्या है? इस पर उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मैं ने एक महिला से खजूर की गुठली बराबर सोने के बदले निकाह कर लिया है। यह सुन कर आप ने फ़रमायाः "बा-र-कल्लाहु ल-क" (अल्लाह पाक तुम्हें बर्कत दे) जाओ वलीमा कर डालो, चाहे बक्री ही का क्यों न हो।

बाब {महिला को कुरआन पाक की शिक्षा देने की शर्त पर उस से निकाह कर देने का बयान।}

820:- सहल बिन सअ़द साअ़दी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में हाज़िर होकर कहने लगीः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मैं अपने आप को आप को सौंपने के उद्देश्य से आई हूँ। यह सुन कर आप ने उसे ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह देखा और अपना सर नीचे झुका लिया।उस महिला ने जब देखा कि आप ने कोई उत्तर नहीं दिया तो बैठ गयी। इतने में एक सहाबी उठ कर कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! आप को उस की आवश्यकता नहीं तो मुझ से उस का निकाह करा दीजिये। आप ने पूछाः तुम्हारे पास कुछ है भी? उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप ने फ़रमायाः अपने घर वालों के पास जा कर देख लो शायद कुछ मिल जाये। चुनान्चे वह सहाबी चले गये और फिर वापस आ कर कहने लगेः अल्लह की क़सम! मुझे कुछ नहीं मिला। आप ने फ़रमायाः अच्छा पुनः जा कर देखो, अगंचे लोहे का छल्ला मिल जाये उसे ही ले आओ। चुनानचे वह दोबारा गये और वापस आ कर कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! अल्लाह की क़सम! लोहे का छल्ला तकनहीं है। हाँ मेरे पास तहबन्द है (जो मेरे शरीर पर है) हदीस के रावी सहल रज़ि॰ ने बयान किया कि उन बेचारे सहाबी के पास चादर तक न थी इसलिये उन्होंने कहाः इस तहबन्द में आधी मैं उस महिला को दे दूँगा। आप ने फ़रमायाः वह तुम्हारी तहबन्द लेकर क्या करेगी? अगर तुम पहनोगे तो वह नंगी रहेगी, और अगर वह पहनेगी तो तुम नंगे रहोगे। यह सुन कर वह सहाबी (निराश

होकर) बैठ गये, और बड़ी देर तक बैठे रहे, फिर उठ कर जाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब उन्हें जाते देखा तो बुला लाने का हुक्म दिया। जब वह आ गये तो आप ने पूछाः तुम्हें कुछ कुरआन याद है? उन्होंने कहाः हाँ, फ़लाँ-फ़लाँ सूरतें याद हैं, फिर उन्होंने सूरतों के नाम भी गिनाए। आप ने फ़रमायाः तो फिर मैं ने तुम्हें उस का मालिक बना दिया (निकाह कर दिया) उन सूरतों के बदले जो तुम्हें याद हैं।

फ़ाइदाः– इस हदीस से बहुत से मस्अले मालूम हुये (1) अगर आदमी ग़रीब है तो कम से कम महर पर भी निकाह जाइज़ है, जैसे लोहे का छल्ला। बहरहाल महर की अधिक से अधिक और कम से कम की कोई सीमा हदीस से साबित नहीं है। इस लिये मालमू हुआ कि महर उचित और मुनासिब हो। (2) अगर पति, होने वाली पत्नी को कुरआन पाक याद करा दे तो यह भी महर के बदले में है। तो जब महर के बदले कुरआन पाक याद कराना जाइज़ है तो बच्चों को कुरआन पढ़ाने के बदले उजरत लेना भी जाइज़ है और इस में किसी शक-शुब्हे की गुंजाइश नहीं। सऊदी अ़रब के प्रसिद्ध ज्ञानी शैख़ इब्ने बाज़ का भी यही फ़तवा है (फ़तावा इब्ने बाज़ भाग1) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेफ़रमायाःउजरत लेने की सब से हक़दार अल्लाह की किताब है। (3) इमाम अबू हनीफ़ा रह० के निकट कुरआन पढ़ाने की उजरत जाइज़ नहीं, लेकिन इन का फ़तवा हदीस की रोशनी में रद्द है। (4) यह भी मालूम हुआ कि महर में नक़्दी ही आवश्यक नहीं, बल्कि पत्नी राज़ी हो तो ज़ेवर अथवा कोई भी वस्तु हो सकती है। जिन इमामों ने कम से कम चार दीनार, दस दिरहम, पाँच दिरहम आदि महर की कै़द लगाई है, उन का फ़तवा इस हदीस की रोशनी में रद्द है।

बाब {अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः "(ऐ नबी!) आप जिस पत्नी को चाहें अपने से दूर रखें और जिसे चाहें अपने निकट रखें" (सूरः अहज़ाब) इस आयत का अर्थ।}

821:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं उन महिलाओं पर बहुत ग़ैरत करती थी जो अपनी जानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हवाले कर देती थीं, और मैं सोचती थी कि (या खुदा) महिला अपनी जान को कैसे हवाले करती होगी। फिर जब यह आयत उतरीः "ऐ नबी! आप जिस को चाहें अपने से परे रखें और जिस को चाहें अपने निकट रखें" (सूरः अहज़ाब) तो मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहाः अल्लाह की क़सम! मैं देखती हूँ कि आप का रब आप की इच्छानुसार तुरन्त आदेश दे देता है।

बाब {शव्वाल के महीने में शादी-बियाह का बयान।}

822:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से शव्वाल के महीने में निकाह किया और शव्वाल ही के महीने में मुझ से संभोग

भी किया। और भला कौन सी महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये मुझ से अधिक प्यारी हो सकता थी। हदीस के रावी ने बयान किया कि आ़इशा रज़ि॰ इस बात की इच्छा प्रकट करती थीं कि मेरे ख़ान्दान कह महिलाओं से शव्वाल के महीने में संभोग किया जाये।

फ़ाइदा:— अ़रब के लोग कुछ महीनों को मंहूस (अशूभ) मानतेथे। चुनान्चे उस में शादी-बियाह और लेन-देन आदि नहीं करते थे, उस में एक महिना शव्वाल का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन के भ्रम, अन्धविश्वास को समाप्त करते हुये इसी महीना में आ़इशा रज़ि॰ से विवाह किया और इस महीना में संभोग भी किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इस्लाम में छूत-छात और बुरा शगुन कुछ नहीं है (बुख़ारी, मुस्लिम) इसलिये किसी भी महीना में, किसी भी दिन किसी भी तिथि को निकाह करना दुरुस्त है।

बाब {निकाह में वलीमा का बयान।}

823:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं नहीं जानता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पहली ज़ैनब रज़ि॰ के वलीमा से बढ़ कर अपनी किसी पत्नी का वलीमा किया हो।इस पर साबित बनानी ने पूछाः (ज़ैनब रज़ि॰ से निकाह के मौक़ा पर) आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जिस चीज़ का वलीमा किया था? उन्होंने बताया कि उस मौक़ा पर आप ने सब को गोश्त और रोटी खिलाई थी, लोगों ने ख़ूब डट कर खाया, फिर भी वलीमा का खाना बच गया था।

824:— अनस बिन मालिक रज़ि, से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब (ज़ैनब रज़ि॰) निकाह किया और उन के पास तशरीफ़ ले गये तो उस मौक़े पर मेरी माता जी उम्मे सुलैम ने मलीदा बनाया और उसे एक बर्तन में रख कर कहा कि ऐ अनस! इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास ले जाओ (और दे दो) और कहना कि मेरी माता जी ने (शादी की ख़ुशी में) आप के पास भेजवाया है और सलाम भी कहा है, और यह भी कहा है कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी तरफ़ से आप की सेवा में यह एक छोटा-मोटा तोहफ़ा (उपहीार) है (जिसे आप स्वीकार करें) अनस रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं उसे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पास गया और अनुरोध किया कि मेरी माता जी ने यह दे कर आप की सेवा में भेजा है, और उन्होंने आप को सलाम कहा है और यह भी कहा है कि मेरी तरफ़ से आप की सेवा में छोटा-मोटा उपहार है (जिसे आप स्वीकार फ़रमायें) आप नेफ़रमायाः (ठीक है) इसे रख दो और जा कर फ़लाँ-फ़लाँ (सहाबी) को बुला लाओ, और जो भी राह में मिल जाये। आप ने इस प्रकार और सहाबा का भी नाम लिया। चुनान्चे मैं उन को भी ले आया जिन का नाम लिया था अरै जो राह में मिल गया उसे भी ले आया। हदीस के रावी बयान करते हैं कि मैं ने पूछाः उन की कितनी संख्या थी?

मैं ने कहाः 300 के निकट थी। फिर आप ने मुझ से फ़रमायाः ऐ अनस! मलीदे का बर्तन ले आओ। सहाबा अन्दर आ गये जिससे सुफ़्फ़ा (यानी बाहर बैठने का स्थान-दीवान ख़ाना) और आप का हुजरा भर गया। फिर आप ने फ़रमायाः दस-दस आदमियों के खाने की पारी बना ली जाये (जब वह खा लें तब दूसरे आयें) और (यह ताकीद फ़रमा दी कि) हर व्यक्ति अपने सामने से खाये (इधर-उधर हाथ न मारे) चुनान्चे उन्होंने ख़ूब डट कर खाया। एक पारी के लोग खा कर चले गये, तो दूसरी पारी के लोग आ गये। इस प्रकार जब सब लोग खा चुके तो आप ने फ़रमायाः ऐ अनस! अब बर्तन उठा ले जाओ। चुनान्चे जब बर्तन को उठायाः तोमेरे लिये यह अनुमान लगाना कठिन होगया कि जब लाकर रखा था उस समय ज़्यादा-भारी था, या अब उठाते समय अधिक भारी है (यानी पहले से अधिक भरा हुआ मालूम होता था) कुछ लोग खा कर वहीं बैठे रहे चुनान्चे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी बैठे रहे। उधर अप की पत्नी (जैनब रज़ि॰) भी दीवार की तरफ़ मुँह कर के बैठी हुयी थीं। उन लोगों का बैठना आप को अच्छा नहीं लग रहा था (लेकिन आप कुछ कह भी नहीं पा रहे थे) इसी बीच आप ने अपनी समस्त पत्नियों के पास जा कर उन्हें सलाम किया (और हाल-चाल मालूम किया) फिर लोट आये। जब उन बैठे हुये सहाबा को एहसास हुआ कि हम लोग आप पर बोझ बने हुये हैं तो चट-पट दर्वाज़े से बाहर निकल गये। फिर आप घर के अन्दर दाख़िल हुये और पर्दा डाल दिया। जब आप अन्दर आये तो मैं हुजरे के अन्दर ही बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद आप मेरे पास आये उस मौके पर आप पर यह आयतें नाज़िल हुयीं, जिसे आप ने बाहर निकल कर लोगों को पढ़ कर सुनायाः "ऐ इमान वालों! जब तक तुम्हें खाने के लिये न बुलाया जाये, नबी (करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के घर न जाया करो कि बैठकर वहाँ खाना पकने का इन्तिज़ार करो। बल्कि जब बुलाया जाये उस समय जाओ और खा-पी कर तुरन्त निकल खड़े हो, (वहाँ बैठ कर गपें न मारने लगो) नबी (करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को तुम्हारी इन बातों से तक्लीफ़ पहुँची है लेकिन वह कह नहीं पाते हैं, लेकिन अल्लाह हक़ बात कहने में किसी का लिहाज़ नहीं करता....... (सूर.अहज़ाब-53, पारः22)

हदीस के रावी स-अ़द रज़ि॰ ने बयान किया कि अनस बिन मालिक रज़ि॰ कहने लगेः इन आयतों को सब से पहले मैं ने सुना, इस के बाद आप की पत्नियाँ पर्दा में रहने लगीं।

फ़ाइदाः- इस लंबी हदीसे से बहुतसे मस्अले मालूम हुये (1) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का चमत्कार था कि एक कटोरा में 300 सहाबा ने पेट भर कर खाया फिर भी सारा का सारा बच गया (2) मालूम हुआ कि वलीमा में माँस का होना कोई आवश्यक नहीं, जैसा कि आ़म तौर पर लोगों का ख़याल है। मौक़ा पर जो भी मिल जाये उसे खिला देना चाहिये। (3) वलीमा की दावत में शरीक होना चाहिये (हदीस न॰ 825) हाँ उस वलीमा की दावत में नहीं जाना चाहिये जहाँ केवल मालदार लोगों को ही

बुलाया गया हो। (4) खा-पी कर बैठना नहीं चाहिये कि इस से घर वालों को तक्लीफ़ हो (बुख़ारी) (5) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दावत को कुबूल करो और उस के घर जाओ, अगर रोज़े से हो तो न खाओ बल्कि उस को ख़ैर-बर्कत की दुआ़ दे दो (मुस्लिम) इब्ने उमर रज़ि॰ रोज़ा की हालत में भी दावत में जाते थे (और दुआ़ देते थे) (मुस्लिम) (6) यहाँ ज़ैनब रज़ि॰ के वलीमा में मलीदा था। इसी प्रकार सफ़िय्या रज़ि॰ के वलीमा में घी, पनीर, खजूर आदि का मलीदा था (देखें-हदीस न॰ 806) (7) सूरः अहज़ाब की पर्दे वाली आयतें इसी मौके पर नाज़िल हुयीं।

बाब {वलीमा की दावत को कुबूल करना आवश्यक है।}

825:– अ़ब्दुल्लह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब कोई अपने भाई को बुलाये तो उस की दावत कुबूल करनी चाहिये। वह दावत चाहे शादी की हो या कोई और दावत हो।

826:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब किसी को दावत दी जाये तो उसे कुबूल करे, फिर अगर रोज़ेसे नहीं है तो खाने में शामिल हो।

827:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सब से बुरा उस वलीमे का खाना है कि जो उस में (खाने) आता है उसे रोक दिया जाता है और जो नहीं आता उसे बुलाते फिरते हैं। और जिस ने दावत कुबूल नहीं की उस ने अल्लाह और रसलू की अवज्ञा की।

फ़ाइदाः– वलीमा की दावत अस्वीकार करना अनिवार्य है, अगर अकारण स्वीकार नहीं किया तो पापी होगा। चुनान्चे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दावत में अवश्य ही शरीक हों चाहे फ़र्ज़ रोज़ा से हों, और वहाँ पहुँच कर न खायें, केवल दुआ़एँ ही दे दें। आप ने यह भी फ़रमायाः अगर नफ़्ली रोज़ा से है तो उसे तोड़ दे (अबू दावूद, नसई, मुस्लिम) खाने के बाद इस प्रकार दुआ़ देः

> **अल्लाहुम्मग़् फ़िर् वर्-हम्हुम् वबारिक् लहुम् फ़ीमा र-ज़क़्-तहुम्**
>
> (ऐ अल्लाह! वलीमा की दावत करने वालों को माफ़ कर दे, उन पर रहम फ़रमा और जो रोज़ी उन्हें दी है उस में बर्कत दे) (इब्ने अबू शैबा, नसई)

लेकिन वलीमा की वह दावत जिस में नाच-गाना, ढोल-ताशा और बेहूदा काम हों, ऐसी पार्टियों और भोज में कदापि न शामिल हो। इस प्रकार के कार्य करना वलिमा जैसे सुन्नत को बदनाम करना है।

बाब {संभोग के समय कौन सी दुआ़ पढ़े।}

828:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से कोई संभोग के समय यह दुआ़ पढ़े और (उस समय के संभोग से) अगर अल्लाह पाक ने बच्चा पैदा होना लिखा है तो उस बच्चे को शैतान कोई हानि नहीं पहुँचाएगा। दुआ़ यह हैः

बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्म जन्निब्‌–नश्शैता–न व–जन्निबिश्शैता–न मा र–ज़क्‌–नता

(मैं अल्लाह के नाम के साथ संभोग करने जा रहा हूँ। ऐ अल्लाह! हम को शैतान से सुरक्षित रख ले और उस बच्चे से भी शैतान को दूर रख ले जो तू हमें देगा)

फ़ाइदा:– बुख़ारी में भी ऊपर की दुआ़ है। बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत में पत्नी से मिलने के समय पत्नी के माथे पर हाथ रख कर दुआ़ पढ़ने का ज़िक्र है। इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ की रिवायत में है कि जब नई नवेली दुल्हन आये तो दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ो और पत्नी को अपने पीछे खड़ा कर के उसे भी नमाज़ पढ़ने को कहो (तबरानी, अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक) बुख़ारी में मुलाक़ात के समय की दुआ़ इस प्रकार हैः

अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌–अलु–क मिन्‌ ख़ैरिहा वख़ैरि मा ज–बल्‌–तहा अ़लैहि व–अऊज़ुबि–क मिन्‌ शर्रिहा व–शर्रि मा ज–बल्‌–तहा अ़लैहि।

बहर हाल दोनों दुआ़ओं में से जो भी याद हो पढ़ ले, या दोनों ही पढ़े ले। इन दुआ़ओं पर मुसलमानों को ध्यान देने की आवश्यकता है।

बाब {"तुम्हारी पत्नियाँ, तुम्हारी खेतियाँ हैं" इस का क्या अर्थ है?}

829:– इब्ने मुन्कदिर ने बयान किया कि मैं ने जाबिर रज़ि॰ को फ़रमाते सुनाः यहूदियों का कहना था कि अगर पुरुष, महिला के पीछे होकर उस की योनि में संभोग करेगा तो पैदा होने वाला शिशु भैंगा होगा, इसी मौक़े पर (उन के ख़याल के रद्द में) यह आयत नाज़िल हुयीः "तुम्हारी पत्नियाँ तुम्हारी खेती के समान हैं, इसलिये अपनी खेती में जिस ओर से चाहो आओ" (सूरः बक़र–223)

फ़ाइदा:– अर्थात चाहो तो खड़े होकर संभोग करो, अथवा बैठ कर, अथवा लेट कर, अथवा उल्टा कर के, अथवा चित कर के। लेकिन बहर हाल संभोग योनि ही में करना है, न कि शोच की राह में। उम्मे सलमा रज़ि॰ ने संभोग का एक तरीक़ा यह बताया कि महिला अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर, अथवा ज़मीन पर रखे हुये हो, अथवा मुँह के बल औंधी हो और पति संभोग करे (तिर्मिज़ी, अहमद) उमर रज़ि॰ ने एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहाः बड़ा बुरा हुआ, कल रात मैं ने अपनी सवारी का रुख़ फेर दिया (यानी पत्नी को मुँह के बल पट लिटा कर संभोग किया) आप

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई हरज नहीं, केवल शौच के रास्ते से और हैज़ की हालजत में बचो (बुख़ारी) मांसिक रुप से संतुष्ट होने के लिये इस्लाम ने खुली छूट दी है, किसी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं लगाई है और यहूदियों के ख़याल का रद्द किया हैं। हाँ, शौच की राह में और मांसिक धर्म की हालत में संभोग से मना फ़रमाया है।

बाब {वह महिला जो अपने पति के बिछौने पर आने से रुक्ती है (उस के बारे में क्या हुक्म है?}

830:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब भी पति अपनी पत्नी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वह न आये, इस पर पति गुस्से की हालत में रात बिता दे तो ऐसी महिला पर फ़रिश्ते सुब्ह तक लानत भेजते हैं।

फ़ाइदाः– हाँ, अगर हैज़ की हालत में है या कोई तक्लीफ़ है तो बता कर न आये तो इस में कोई हरज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पति जिस हालत में भी बुलाए वह तुरन्त आये अर्गचे वह चूल्हा-चौका पर बैठी हो (अब्ने अबू शैबा) एक दूसरी रिवायत में है कि वह चाहे ऊँट की पीठ पर ही क्यों न बैठी हो। यही कारण है कि बिना पति की अनुमति के पत्नी के लिये नफ़ली रोज़े रखना मना है, क्योंकि हो सकता है पति को दिन में संभोग की इच्छा हो जाये। एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो प्रकार की महिलाओं पर लानत भेजी है (1) वह महीला जिसे पति बुलाये, लेकिन वह "अभी आती हूँ" कह कर टाल-मटोल कर के पति की इच्छा को ठन्डा कर दे। (2) वह पत्नी जो झूठ-मूट का बहाना बना कर कह दे कि मैं माहवारी से हूँ (अबू याला) देखने में यह बातें तो अटपटी लगती हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में इन पर ध्यान न देने से घर बर्बाद हो जाता है।

बाब {महिला से संभोग करने के बाद उस के गुप्त भेदों को बयान करना हराम है।}

831:– अबू सईद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सब से अधिक बुरा व्यक्ति अल्लाह के निकट क़ियामत के दिन वह है जो पत्नी के पास जाये या पत्नी उस के पास आये (यानी संभोग करे) और फिर उस के गुप्त भेदों को बयान करता फ़िरे।

फ़ाइदाः– यह बड़ी बेहयाई की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐसा करने वाले का उदाहरण उस शैतान के समान है जो शैतान महिला से खुली राह में संभोग करे और लोग उस के कार्य को आँखों से देखें (अहमद) अगर पुरुष अपने मित्रों से संभोग की बातें बयान करता है तो गोया उन को भी अपनी पत्नी से संभोग की दावत देता है और उसे ज़िना पर आमादा करता है।

आजकल की परंपरा यह है कि दूल्हा के मित्र और दुल्हन की सखियाँ-सहेलियाँ

स्वँय उन से प्रश्न कर के बताने पर मजबूर करती हैं, जैसा कि कालिजों और विश्वविद्यालय आदि के छात्र और छात्राएँ करती हैं, यह भी बेहयाई और अभ्रद का कार्य है। इस से ज़िना, बलात्कार, कुर्कम, अपहरण और दुसरी बुराइयों केलिये दर्वाज़ा खुलता है।

बाब {एक व्यक्ति के बुरे कार्यों पर अल्लाह पर्दा डाल देता है, लेकिन वह स्वँय ही अपनी बुराइयों पर से पर्दा हटा देता है। (ऐसा व्यक्ति अभागा है)}

832:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना आप ने फ़रमाया:मेरी समस्त उम्मत माफ़ की हुयी है, सिवाए उस के जो स्वँय ही (अपनी बुराइयाँ) ज़ाहिर करता फ़िरे। बुराइयों को ज़ाहिर करने का अर्थ है कि (रात में बुराइयाँ करता है और) अल्लाह पाक सुब्ह को उस के बुरे कार्यों पर पर्दा डाल देता है लेकिन वह स्वँय ही कहता-फिरता है कि ऐ फ़लाने! आज रात मैं ने यह बुरा कार्य किया है। हालाँकि रात में उस के किये हुये बुरे कामों पर अल्लाह पाक ने पर्दा डाल दिया था, लेकिन यह है कि अल्लाह तो पर्दा डाल देता है और यह बयान करता फिरता है।

फ़ाइदा:– इस प्रकार अपनी बुराइयों को दूसरों से बयान करना महापाप है, क्योंकि इस से दूसरों को भी बुरे कार्यों को करने की शिक्षा मिलती है। और इस प्रकार एक-दूसरे की देखा-देखी, कहा-सुनी पूरा समाज ही बुराइयाँ करने लग जाता है। अन्ततः पूरा समाज चोरों-डाकुओं, लुटेरों, बलात्कारियों और कुर्कमियों का अड्डा बन जाता है। चुनान्चे अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि ऐसे उम्मत के अभागे व्यक्ति के गुनाहों को नहीं माफ़ किया जायेगा।

बाब {अपनी पत्नी या लौंडी से अ़ज़्ल करने का बयान।}

833:– अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने अ़ज़्ल करने की बात चली तो आप ने पूछाः तुम लोग क्यों करते हो? सहाबा ने उत्तर दियाः कभी ऐसा होता है कि किसी के पास एक ही पत्नी होती है और वह भी दूध पिलाने वाली (बच्चे वाली) इसलिये उस से संभोग करते डरता है कि कहीं गर्भवती न हो जाये। और इसलिये भी कि किसी के पास लौंडी होती है वह उस से संभोग तो करता है लेकिन यह नहीं चाहता कि वह गर्भवती हो (इन्हीं कारणों से अ़ज़्ल किया करता है) यह सुन कर आप ने फ़रमायाः इस प्रकार न करो, (इस से कोई फ़ाइदा नहीं) क्योंकि गर्भ ठहरना इस का संबन्ध तक़दीर से है। इब्ने औ़न ने बयान किया कि मैं ने इसी रिवायत को हसन के सामने बयान किया तो वह कहने लगेः अल्लाह की क़सम! इस हदीस के अन्त में तो अ़ज़्ल करने पर डाँट पिलाई गयी है।

834:–जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ ने बयान किया कि एक व्यक्ति नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर कहने लगा कि मेरे पास एक लौंडी है जिस के साथ में संभोग करता हूँ लेकिन मैं उेस गर्भवती नहीं होने देना चाहता। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम अ़ज़्ल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो अल्लाह पाक ने तक़्दीर में लिख दिया है उतना होकर रहेगा। फिर कुछ समय पश्चात् पुनः आ कर कहने लगाः वह तो गर्भवती हो गयी। आप ने फ़रमायाः मैं अल्लाह का बन्दा और उस का संदेष्टा हूँ।

फ़ाइदाः– 'अ़ज़्ल' का अर्थ है "अलग होना।" शरीअ़त की परिभाषा में पत्नी से संभोग करना और जब मनी (वीर्य) गिरने का समय आये तो पत्नी की योनि से लिंग को बाहर निकाल लेना ताकि मनी अन्दर न गिरे" और गर्भवती न हो। शरीअ़त ने इस की अनुमति भी दी है और नहीं भी दी है। अगर पत्नी इसे नहीं पसन्द करती है तो पति को ऐसा करने का हक़ नहीं है। अगर पत्नी इस बात से राज़ी है, या कोई मजबूरी हैः जैसे गर्भवती होजाने से दूध पीता बच्चा का स्वास्थ ख़राब हो जायेगा, या पत्नी का स्वास्थ बिगड़ जायेगा, या योनि में कोई बीमारी होने से अन्दर मनी जाने से योनि को हानि पहुँचेगा आदि, तो इन परिस्थितियों में बिला शुब्हा जाइज़ है। अ़ल्लामा शैकनी लिखते हैं कि इब्ने माजा की हदीस की रोशनी में बिना पत्नी की अनुमति के दुरुस्त नहीं, क्योंकि मनी बाहर गिरा देने से पत्नी को संपूर्ण रुप से संभोग का स्वाद नहीं मिल पाता और वह संतुष्ट नहीं हो पाती (नैलुल् औतार) दूसरे यह कि इस से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की उम्मत की संख्या क्रम होगी, जबकि आप ने फ़रमायाः अधिक से अधिक बच्चा जनने वाली महिला से निकाह करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ज़्ल को चुपके से बच्चे को मार डालना कहा है (मुस्लिम–1442, अबू दावूद–3882, इब्ने माजा–2011, नीचे की हदीस न॰ 835)

कुछ उलमा ने अज़्ल में गुंजाइश को सामने रख कर नसबन्दी करा लेने को जाइज़ कहा है, उन का फ़तवा बिल्कुल ही ग़लत है और क़िसी सूरत जाइज़ नहीं। हाँ, निरोध, कन्डोम आदि को अ़ज़्ल के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिये इस विषय पर दूसरी पुस्तकें "इस्लाम में हलाल और हराम" संपादकः अ़ल्लामा क़ज़ावी आदि पढ़ें।

बाब {दूध पिलाने वाली से संभोग करना जाइज़ है।}

835:– उकाशा की बहन जुदामा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुयी तो वहाँ और दूसरे लोग भी मौजूद थे। इसी बीच आप ने फ़रमायाः मेरा यह विचार था कि "ग़ीला" (यानी दूध पिलाने के दर्मियान पत्नियों से संभोग करने) से मना कर दूँ, लेकिन मालूम हुआ कि रुम और फ़ारस नगर के लोग ऐसा करते हैं और ऐसा करने से उन के (दूध पीते) बच्चों को कोई हानि नहीं पहुँचता। फिर आप से अ़ज़्ल (अर्थात संभोग करेन के दर्मियान पत्नी

की योनि में वीर्य न टपकने देने) के बारे में पूछा गया तो आप ने फरमायाः यह तो बच्चे को चुपके से जीवित ज़मीन में गाड़ देने के समान है।

फ़ाइदाः– मोद के बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला से संभोग करने से देखने में यह आया है कि उस का दूध कम हो जाता है, और अगर गर्भवती हो गयी तो दूध गाढ़ा हो जाता है और उस के पीने से बच्चा कमज़ोर हो जाता है, उस का स्वास्थ बिगड़ जाता है। लेकिन ऐसा सभी महिलाओं को नहीं होता, क्योंकि फ़ारस और रुम वाले करते थे लेकिन उन की औलाद का स्वास्थ नहीं बिगड़ता था। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी मना नहीं फ़रमाया। फिर मना कर देने से यह भी नुक़्सान था कि पति कब तक सब्र करेगा और संभोग नहीं करेगा। एक–दो दिन की बात हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो महीनों और सालों तक दूध पिलाने का मामला चलता है। यह हदीस अबू दावूद–3882, मुअत्ता–2/607, तिर्मिज़ी–2077, और इब्ने माजा–2011 में भी आ चुकी है।

'अज़्ल' केबारे में ऊपर के फ़ाइदे में बताया जा चुका है कि केवल पत्नी की अनुमति अथवा किसी मजबूरी और बीमारी की हालत में दुरुस्त है।

बाब {गर्भवंतनी लौंडियों से संभोग करना कैसा है?}

836:– अबू दर्दा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक ख़ेमा के दर्वाज़े के पास से गुज़रे तो क्या देखा कि एक महिला (खड़ी) है जो बहुत जल्द बच्चा जनने वाली है। आप ने फ़रमायाः संभवतः वह व्यक्ति (जिस की यह लौंडी है) इस से संभोग करेन का इरादा रखता है? लोगों ने कहाः जी हाँ। आप ने फ़रमायाः मैं ने चाहा कि उस को ऐसी लानत भेजूँ जो क़ब्र तक उस के साथ रहे, वह व्यक्ति किस प्रकार उस लौंडी के बच्चे का वारिस हो सकता है जबकि वह उस के लिये हलाल नहीं, और उस लौंडी के बच्चे को भी कैसे गुलाम बनाएगा हाँलाकि वह भी उस के लिये हलाल नहीं।

फ़ाइदाः– 'लौंडी' उस महिला को कहते हैं जो जन्ग में पकड़ी जायें और माले–ग़नीमत के तौर पर हिस्सा में आएँ। ऐसी लौंड़ियों से एक हैज़ आने तक उन से संभोग नहीं करना चाहिये। अगर बिना हैज़ आये उस से संभोग आरंभ कर दिया तो पैदा होने वाले बच्चे के बारे में शुब्हा बाक़ी रहेगा कि वह इस के वीर्य से है, या पहले वाले पति से। अगर लोंडी पहले वाले पति से गर्भवती है और इस ने उस बच्चे को अपने वीर्य का समझ कर वारिस और बेटा बना लिया तो इस का हसब–नसब गड़बड़ हो गया। इस ने ऐसे बच्चे को अपना वारिस बनाया जो इस के वीर्य का नहीं है। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लानत भेजने का इरादा किया, और यह हुक्म दिया कि जो लौंडी हिस्सा में आये उसे एक हैज़ आने तक इन्तिज़ार करो। अगर हैज़ आ गया तो उसे पाक समझो और न आये तो पहले पति से गर्भवती समझो और उस से पैदा होने वाले बच्चे को अपना न समझो और उसे अपना वारिस न बनाओ। इस का विस्तार से बयान नीचे की

हदीस में आ रहा है।

837:– अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुनैन की जन्ग के लिये लश्कर रवाना किया, उस लश्कर ने दुश्मनों से जन्ग कर के उन को पराजित कर दिया और उन की महिलाओं को बन्दी बना लिया। कुछ सहाबा ने उन बन्दी महिलाओं से (जो अब लौंडी हो चुकी थीं) संभोग करना बुरा जाना, क्योंकि वह मुश्रिकों के निकाह में थीं। इस मौक़े पर अल्लाह तआ़ला ने (सूरः निसा आयत 24 की) आयत नाज़िल फ़रमायीः "................"

बाब {पत्नियों के दर्मियान (रात बिताने के लिये) पारी मुक़र्रर करना अनिवार्य है।}

838:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के निकाह में (बयक समय) नौ पत्नियाँ थीं। आप ने उन के दर्मियान पारी बना ली थीः इसलिये पहली पत्नी के पास नवें दिन जाते। और (उस दौरान) आप की पत्नियों का नियम यह होता था कि जिस पत्नी के घर में आप की पारी होती थी, उस के घर में एकत्र हो जाती थीं। चुनान्चे एक मतबा आप आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ के घर में थे कि इसी बीच ज़ैनब रज़ि॰ भी आ गयीं तो आप ने (उन के स्वागत में) उन की तरफ़ हाथ बढ़ाया, तो आ़इशा रज़ि॰ ने कहा कि यह ज़ैनब हैं। यह सुन कर आप ने अपना हाथ खींच लिया। इसी बीच आ़इशा और ज़ैनब रज़ि॰ के दर्मियान (सौकन होने के नाते) परस्पर कहा सुनी होने लगी, यहाँ तक कि उन के स्वर ऊँचे हो गये। इसी बीच नमाज़ के लिये तक्बीर हुयी तो अबू बक्र रज़ि॰ वहाँ से गुज़रे और अनुरोध करने लगेः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! आप नमाज़ के लिये तशरीफ़ लायें और उन के मुँह में मिट्टी भर दें। चुनान्चे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने के लिये चले गये। आ़इशा रज़ि॰ कहने लगींः (मैंने दिल में सोचा कि) जब आप नमाज़ पढ़ लेंगे तो अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ (यानी मेरे पिता जी) आ कर मुझे ऐसी-वैसी डाँट पिलायेंगे। फिर जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो अबू बक्र ने आ कर मुझे बहुत सख़्त-सुस्त कहा और कहा कि तुम इस प्रकार की हर्कत करती हो (कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के आगे चीख़ती-चिल्लाती हो)

फ़ाइदाः– मालूम हुआ कि अगर एक से अधिक पत्नियाँ हैं तो उनके दर्मियान पारी मुक़र्रर करना और सब को बराबर समय देना और उन के साथ न्याय करना अनिवार्य है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस के पास दो पत्नियाँ हों और पति उन में से किसी एक को अधिक समय देता हो तो वह क़ियामत के दिन इस हालत में आयेगा कि उस का आधा धड़ लुंज और अपाहिज होगा (अबू दावूद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, नसई)यह न्याय खान-पान, पहनावा, आदि में तो संभव है, लेकिन प्यार-मुहब्बत और दुलार में कमी-बेशी पर कोई पकड़ नहीं होगी, क्योंकि वह अपने क़ाबू से बाहर की चीज़ है। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम न्याय से काम लेते हुये भी यह दुआ़

फ़रमाया करते थेः "ऐ अल्लाह! मैं जिस मामले में न्याय कर सकता हूँ उस में करता हूँ, लेकिन ऐसे मामले में जिस की डोरी तेरे हाथ में है (अगर उस में न्याय न कर सकूँ) तो मुझे मत मलामत करना" (अबू दावू, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर किसी के पास पहले से ही पत्नी हैं और वह कुँवारी से विवाह करे तो पहले इसे सात दिन दे, फिर पारी बनाए। और अगर किसी विधुवा से करेतो तीन दिन इस विधुवा को दे (बुख़ारी-5/214, मुस्लिम-1416) इमाम अबू हनीफ़ा का कहना है कि दोनों के ही लिये तीन दिन होना चाहिये, लेकिन बुख़ारी की रिवायत के सामने उन का फ़त्वा रद्द है। प्यार-मोहब्बत और दिली लगाव में कमी-बेशी प्राकृतिक चीज़ है, इसलिये अल्लाह पाक इस में पकड़ नहीं करेगा (सूरः निसा-129)

839:- मुसलमानों की माता जी उम्मे सलमा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब मुझ से निकाह किया तो आप तीन दिन मेरे पास रहे, फिर कहने लगे (देखो!) तुम अपने पति की नज़रों में ज़लील और हक़ीर नहीं हो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे पास एक सप्ताह तक रहूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास इतने दिनों तक रहा तो समस्त पत्नियों के पास भी एक सप्ताह तक रहूँगा (फिर इस के बाद तुम्हारे पास रहने की बारी आयेगी।)

840:- अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया) जब कोई कुँवारी से निकाह करे और पहले ही से उस के पास कोई सय्यिबा (विधुवा तलाक़ दी हुयी) हो, तो अपनी उस कुँवारी पत्नी के पास सात रातें बिताए (फिर बारी सुनिश्चित करे) और जब किसी सय्यिबा से निकाह करे तो पहले उस के पास तीन रातें बिताए। ख़ालिद हज़्ज़ा ने कहा कि अगर मैं यह कहूँ कि यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाई है (यानी यह हदीस मर्फ़ूअ़ है) तो भी सच है, क्योंकि अनस रज़ि॰ ने (इस हदीस को बयान कर के) यह भी कहा है कि यही सुन्नत (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का तरीक़ा) है।

फ़ाइदाः- कुँवारी के पास सात दिन रहने में यह हिक्मत है कि वह प्रथम बार पति का सामना करती है और संभोग की इच्छा भी अधिक होती है, तो सात दिन के भीतर उस की झिझक और डर आदि दूर हो जायेगा और उस की लालसा व इच्छा भी समाप्त हो जायेगी। यह हदीस बुख़ारी शरीफ़ में भी है (5214) इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि कुँवारी से निकाह कर के उसे घर लाये तो सात दिन कम से कम घर में रखे, फिर मेके भेजे। आजकल लोग एक रात के बाद वापस भेज देते हैं यह दुरुस्त नहीं है।

बाब {एक महिला अपनी बारी दूसरी महिला (सौतन) को दे सकती है।}

841:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने सौदा रज़ि॰ से बढ़ कर किसी महिला को ऐसा नहीं देखा कि जिस के शरीर (बदन) को देख कर उसी जैसा होने की इच्छा करती। उन के मिज़ाज (स्वभाव) में बड़ी तेज़ी थी। जब वह बूढ़ी हो गयीं तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये अपनी पारी आ़इशा को दे दी और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मैं अपने पास आप के रहने की पारी को आ़इशा को देती हूँ। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आ़इशा के पास दो दिन रहने लगे, एक तो आ़इशा की पारी के दिन और एक सौदा की पारी के दिन।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि अपनी पारी सौतन को देना जाइज़ है। इसी प्रकार यह भी जाइज़ है किअपनी पारी पति को दे दे और वह जिस को चाहे दे दे। उन के शरीर की तरह मेरा भी हो जाये, अर्थात उन के अन्दर जो विशेष्ताएँ हैं हमारे अन्दर भी पाई जायें। इस हदीस काअर्थ स्पष्ट है, इस पर कुछ अधिक प्रकाश डालने की आवश्यक्ता नहीं।

बाब {कुछ पत्नियों के दर्मियान पारी न मुक़र्रर करने का बयान।}

842:— इमाम अ़ता बिन रिबाह नेबयान किया कि हम लोग इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के साथ सरिफ़ के स्थान पर मैमूना रज़ि॰ के जनाज़ा पर पहुँचे तो इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहाः (जानते हो?) यह नबी क़रीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी हैं, इसलिये जब इन का जनाज़ा उठाना तो इधर-उधर हिलाना-डुलाना नहीं, अदब से लेकर होले-होले चलना। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास नौ पत्नियाँ थीं, उन में से आठ के लिये तो पारी थी, लेकिन एक के लिये कोई पारी नहीं थी। इमाम अ़ता कहते हैं (जिन के लिये कोई पारी नहीं थी) वह सफ़िय्या रज़ि॰ थीं।

फ़ाइदा:— वह सफ़िय्या नहीं, बल्कि सौदा रज़ि॰ थीं, जैसा कि ऊपर की रिवायत से स्पष्ट है। यहाँ इमाम अ़ता से भूल हुयी है। मालूम हुआ कि अगर कोई पत्नी बूढ़ी होने के नाते उस के लिये विशेष पारी न बनाई जाये तो इस की अनुमति शरीअ़त में है।

बाब {अगर किसी महिला पर नज़र पड़ जाये (और ख़याल बदल जाये) तो आदमी अपनी पत्नी के पास आ जाये (और संभोग कर ले) इस प्रकार उस की लालसा समाप्त हो जायेगी।}

843:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने किसी महिला को देखा तो आप अपनी पत्नी ज़ैनब रज़ि॰ के पास वापस आ गये। उस समय वह सामान रखने के लिये चमड़े को रगड़ रही थीं। आप ने (संभोग कर के) उन से अपनी इच्छा पूरी की फिर बाहर चले गये और फ़रमायाः महिला शैतान की सूरत में आती है और शैतान ही की सूरत में जाती भी है (यानी उसे देख कर बुरा ख़याल पैदा होता है) इसलिये जब तुम में से कोई किसी महिला

को देखे (और उस की इच्छा व लालसा भड़क उठे) तो तुरन्त अपनी पत्नी के पास आ जायें, क्योंकि उस के पास वह चीज़ है जो उस केबुरे ख़याल को समाप्त कर देती है।

फ़ाइदा:– किसी महिला को देख कर लालसा और इच्छा पैदा होना प्राकृतिक बात है, चाहे वह वली और बुज़ुर्ग ही क्यों न हो। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस हदीस में उस शैतानी प्रभाव से बचने का तरीक़ा बताया है। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि दिन-रात के किसी भी हिस्से में संभोग जाइज़ है। और यह कि पत्नी को हर समय इच्छा पूरी करने की अनुमति देनी चाहिये और कभी रुकावट न डालनी चाहिये।

बाब {महिलाओं के साथ नर्मी और भलाई व बेहतरी करने का बयान।}

844:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो व्यक्ति अल्लाह और उस के सन्देष्टा पर ईमान रखता है उस के लिये अनिवार्य है जब कोई मामला सामने आये तो केवल अच्छी ही बात कहे वर्ना चुप-चाप रहे। और आप ने फ़रमाया कि इन महिलाओं के साथ अच्छे तरीक़े से पेश आओ, क्योंकि यह पिसुली की हड्डी से बनी हैं और पिसुली की हड्डियों में सब से ऊपर वाली सब से अधिक टेढ़ी होती है, इसलिये अगर उन्हें सीधा करने में लगोगे तो तोड़ डालोगे, और अगर यूँ ही रहने दोगे तो वह तो टेढ़ी रहेगी ही। (इसलिये फिर कहता हूँ कि) महिलाओं के लिये दिल में नर्मी और भलाई व सहानुभूति का जज़बा (भावना) रखो।

फ़ाइदा:– महिला पिसुली से पैदा की गयी है का अर्थ यह है कि इन की प्रथम माता हव्वा, आदम अ़लै की बायीं पिसुली से पैदा की गयी हैं। इसलिये पिसुली वाला टेढ़ापन इन के सभी स्वभाव, आचरण और दीगर कामों में पाया जाना प्राकृतिक है, इसलिये इन को इन्ही की हालत पर छोड़ कर इन से अपना काम निकालना चाहिये। अगर सीधा करने की चेष्टा करोगे तो टूट जायेगी (तलाक़ की नौबत आ जायेगी) कुछ उलमा ने कहा है कि जिस प्रकार सब से ऊपर वाली पिसुली सब से अधिक टेढ़ी होती है इसी प्रकार महिलाओं के सब से ऊपरी हिस्सा अर्थात जीभ भी सब से टेढ़ी होती है और सब से अधिक उल्टी-सीधी चलती रहती है।

मुस्लिम ही की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वह कभी तुम्हारे साथ सीधी चाल नहीं चलेगी, इसलिये तुम उस से अपना काम चलाते रहो, वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अगर सीधा करोगे तो टूट जायेगी। और उस का टूटना तलाक़ है (रावी अबू हुरैरा)

बाब {कोई मोमिन, किसी मोमिन महिला से (अर्थात पति, अपनी पत्नी से) दुश्मनी न रखे।}

845:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

ने फ़रमायाः कोई मोमिन, महिला से दुश्मनी न रखे। क्योंकि अगर उस महिला के अन्दर एक बुरी आदत होगी तो दूसरी (कोई अच्छी) आदत भी होगी, या इसी प्रकार का कोई वाक्य आप ने फ़रमाया।

फ़ाइदाः– महिला हो या पुरुष, कमी तो सभी में होती है। लेकिन पिसुली से पैदा होने के नाते उस के अन्दर टेढ़ापन अधिक होता है। लेकिन यह भी याद रहे कि पिसुली टेढ़ी होकर दिल, कलेजा, फेफड़ा, गुर्दा आदि शरीर के अहम भागों की सुरक्षा करती हैं, इसी प्रकार पत्नी, पति के ईमान की, उसके घर की, उस के धन–माल की, उस के बच्चों की, अर्थात पुरुष के संसार की सुरक्षा करती है, इसलिये उसके अन्दर की कमाल की सहनशीलता को नज़रअंदाज़ कर के दुश्मनी और दुर्व्यवहार व दुराचार न किया जाये।

बाब {अगर हव्वा न होती तो कोई भी महिला अपने पति के साथ कभी ख़ियानत (विश्वास घात) न करती।}

846:– अबू हुरैरा रज़ि० से रिवातय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर बनी इस्राईल न होते तो खाना न सड़ता और न ही माँस सड़ता। इसी प्रकार हव्वा न होती तो कोई महिला आज अपने पति के साथ विश्वासघात (ख़ियानत) न करती। **फ़ाइदाः–** अल्लाह तआ़ला ने बनी इस्राईल पर "मन्न–सल्वा" उतारा तो उसे खाने के साथ दूसरे दिन के लिये जमा भी करने लगे। और यह विश्वास खो बैठे कि अल्लाह पाक कल भी देगा, इसलिये खाना सड़ने और बासी होने लगा। इस से एक बहुत अहम और बारीक मस्अला यह भी मालूम हुआ कि पेट भर कर खा कर कल के लिये बचा कर नही रखना चाहिये। जिस फल के खाने से अल्लाह पाक ने आदम को मना कर दिया था उसे हव्वा ने स्वैंय खाया भी और पति महोदय को भी खिलाया (सूरः बक़र:35) चुनान्चे माँ का प्रभाव आज भी महिलाओं के अन्दर पाया जाता है। कुरआन पाक ने फल खाने के बारे में दोनों का एक साथ ज़िक्र किया है "जब दोनों ने खा लिया" (सूरः आराफ़–22) और दोनों का एक साथ मुजरिम कहा है। लेकिन इस हदीस से स्पष्ट होता है कि पहले हव्वा ने खाया, फिर अपने पति को भी खिलाया।

बाब {यात्रा से वापस लौट कर घर में जल्दी से दाख़िल होने की चेष्टा न करे, बल्कि पत्नी को सजने–संवरने का अवसर दो।}

847:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोग एक जिहाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ शामिल थे, फिर जब वापस लौटे तो मैं ने (जल्दी घर पहुँचने के लिये) अपने ऊँट को तेज़ी के साथ चलाना चाहा लेकनि वह बड़ा ही ढीला था (इसलिये तेज़ नहीं चल रहा था) इतने में एक सवार पीछे से आया और मेरे ऊँट को अपनी छड़ी से कचोका लगाया, उस के ऐसा करने से मेरा ऊँट ऐसा चलने लगा जैसे तुम अच्छे ऊँट को चलते हुये देखते हो। फिर जब

मैं ने पीछे मुड़ कर देखा तो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम थे (जिन्होंने ऊँट को अपनी छड़ी से कचोके लगाए थे) फिर आप ने मुझ से प्रश्न कियाः ऐ जाबिर! आख़िर तुम्हें जल्दी क्या है? मैं ने उत्तर दियाः मेरी नई-नई शादी हुयी है। आप ने पूछाः कुँवारी से अथवा विधुवा से? मैं ने उत्तर दियाः विधुवा से। आप ने कहाः कुँवारी से करते ताकि तुम उस से खेलते और वह तुम से खेलती। फिर जब हम मदीना पहुँच गये और नगर में दाख़िल होने लगे तो आप ने फ़रमायाः थोड़ी देर ठहर जाओ ताकि अँधेरा हो जाये, यानी खाने-पीने का समय हो जाये और जिन महिलाओं के बाल बिखरे हुये हैं वह अपने सर में कंघी कर लें, और जिन के पति बाहर गये हुये थे वह बाल साफ़ कर ले। फिर आप ने फ़रमायाः इस केबाद जब तुम पहुँचो संभोग करो, संभोग।

फ़ाइदाः- यह हदीस बहुत लंबी है, लेकिन इमाम मुस्लिम ने संक्षिप्त में बयान किया है। इमाम बुख़ारी रह॰ ने इसी हदीस को दस स्थान पर लाकर 10 मस्अले बयान किये हैं। यहाँ इस हदीस से यह मस्अ़ला मालूम हुआ कि यात्रा से लौट कर तुरन्त ही घर में न जायें, बल्कि पत्नी को पूर्व तैयार होने का अवसर दें। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पहले मस्जिद-नबवी में दाख़िल होते, वहाँ ठहर कर लोगों से मुलाक़ातें करतें, फिर आराम कर लेने के बाद दाख़िल होते। चूँकि आजकल दूर संचार की व्यवस्था है, घर पहुँचने की पहले से सूचना दे दें और पत्नी पहले ही तैयारी कर ले तो फिर सीधे घर पहुँचने में कोई आपत्ति नहीं।

❀ ❀ ❀

किताबुत्ततलाकि
(तलाक़ का बयान)

नोटः– अल्लाह तआ़ला के निकट हलाल चीज़ों में सब से अप्रिय, दुःखद और नापसन्द वस्तु का नाम "तलाक़" है। इस हथियार की समाज में बहुत ही आवश्यक्ता है। कभी ऐसा भी समय आता है कि पत्नी को अलग न करने के कारण जीवन और घर–संसार तबाह हो जाता है। ऐसे ही समय इस के प्रयोग करने की अनुमति है। इसी कारण हाफ़िज़ इब्ने हजर रह॰ अपनी पुस्तक "फ़त्हुल बारी" में लिखते हैं कि "कभी तलाक़ देना वाजिब हो जाता है जब पति–पत्नी में मेल न खाये और दोनों के दर्मियान इख़्तिलाफ़ और दुश्मनी के नाते घर तबाह हो जाने का डर हो। लेकिन इस शब्द के प्रयोग करने कीअनुमति केवल उसी समय है जब पानी सर से ऊपर हो जाये और सुलह–समझौते की कोई राह न दिखाई दे। तलाक़ की मिसाल ऐसे ही है कि मनुष्य के शरीर के किसी अंग में घाव हो जाये तो उस को अच्छा करने का भरसक प्रयत्न किया जाता है, लेकिन जब वह विषैला हो जाये और उस का विष पूरे शरीर में फैल जाने की शंका हो तो जीवन को बचाने के लिये उस अंग को शरीर से काट दिया जाता है, बिल्कुल यही हाल तलाक़ का है, कि अन्तिम उपाय के तौर पर इसे प्रयोग कर के अपने संघ से पत्नी को अलग किया जाता है। तलाक़ किस प्रकार दी जाये? क्यों दी जाये? और किस समय दी जाये? इस से संबन्धित तफ़सील निम्न में आ रही है।

बाब {अगर पति, अपनी पत्नी को हैज़ की हालत में तलाक़ देता है (तो इस का क्या हुक्म है? क्या यह तलाक़ पड़ जायेगी?}

848:– इमाम नाफ़े से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि॰ ने अपनी पत्नी को हैज़ (मासिक धर्म) की हालत में तलाक़ दे दी। इस संबन्ध में जब (उन के पिता उमर) फ़ारुक़ रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा तो आप ने उन्हें रुजुअ़ कर लेने का आदेश दिया (कि अपने निकाह में रखें) यहाँ तक कि दूसरा हैज़ आ जाये, फिर इस के पश्चात् वह पवित्र हो जाये, फिर (इस पाकी की हालत में अगर चाहे तो) तलाक़ दे सकते हैं लेकिन इस पाकी की हालत में संभोग न किया हो। इसी पाकी की हालत में अल्लाह पाक ने तलाक़ देने का हुक्म दिया है। और जब इब्ने

उमर से हैज़ की हालत में तलाक़ के बारे में पूछा जाता तो वह फ़रमातेः अगर तू ने एक या दो तलाक़ दी है (तो रुजूअ़ कर सकता है) क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे रुजूअ़ करने का हुक्म दिया था। और अगर तीन तलाक़ दी है तो अल्लाह पाक ने जिस प्रकार तलाक़ देने का आदेश दिया है उस के ख़िलाफ़ किया और वह तुम से जुदा हो जायेगी।

849:– इब्ने सीरीन ने बयान किया कि 20 वर्ष के समय काल में एक ऐसे व्यक्ति ने जिस को मैं बड़ा ईमानदार जानता हूँ यह रिवायत किया कि इब्ने उमर रज़ि॰ ने अपनी पत्नी को हैज़ की हालत में तीन तलाक़ दे दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें आदेश दिया कि वह रुजूअ़ कर लें (और अपने निकाह में रखें) मैं रिवायत करने वाले को झूठा भी नहीं जानता और न ही रिवायत को समझ पाता था (कि सहीह अर्थ क्या है) इसी बीच मेरी मुलाक़ात अबू किलाब यूनुस बिन जुबैर बाहली से हो गयी। वह बड़े पक्के-सच्चे व्यक्ति थे, उन्होंने भी मुझ से बयान किया कि मैं ने इब्ने उमर रज़ि॰ से स्वँय पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैं ने हैज़ की हालत में एक तलाक़ दी थी, इस पर मुझे रुजुअ़ कर लेने का आदेश दिया। हदीस के रावी ने बयान किया कि फिर मैं ने इब्ने उमर रज़ि॰ से पूछा कि आप ने उसे तलाक़ में शुमार किया था? इस पर उन्होंने उत्तर दियाः क्यों नहीं, अगर मैं आजिज़ आ गया या मूर्ख हो गया (यानी अगर उसे तलाक़ न मानूँ तो बेवक़ूफ़ी है)

फ़ाइदाः– हैज़ की हालत में दी गयी तलाक़ मानी जायेगी अथवा नहीं? इस मस्अले में बड़ा लंबा-चौड़ा इख़्तिलाफ़ है। चारों इमामों का कहना है अगर्चे हैज़ की हालत में तलाक़ देना पाप है औरअल्लाह की अवज्ञा है, लेकिन तलाक़ पड़ जायेगी। लेकिन अहले हदीस उलमा, इमाम इब्ने तैमिया, इमाम इब्ने हज़्म, इमाम इब्ने क़य्यिम, इमाम शैकनी रह॰ के निकट तलाक़ नहीं मानी जायेगी। और इन के तर्क बहुत ठोस है, इसलिये इन्ही का फ़तवा दुरुस्त है। बुख़ारी शरीफ़ हदीस न॰ 5253 में तलाक़ देने वाले इब्ने उमर रज़ि॰ स्वँय कहते हैं कि तलाक़ मानी जायेगी। लेकिन यह केवल उन का अपना बयान है, उन्होंने यह नहीं कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लमने उसे शुमार करने का आदेश दिया। फिर उन्हीं का यह भी बयान है कि हैज़ की हालत में दी गयी तलाक़ नहीं मानी जायेगी, जैसाकि सओद बिन जुबैर ने अबू दावूद की रिवायत में बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि॰ ने कहाः हैज़ की हालत में दी गयी तलाक़ शुमार नहीं की जायेगी। इस प्रकार इमाम शोबी, इब्ने अ़ब्दुल बर्र, सओद बिन मंजूर आदि ने भी इसी रिवायत को इब्ने उमर से नक़ल किया है, इसलिये दुरुस्त और सत्य यही है कि हैज़ की हालत में दी गयी तलाक़ नहीं पड़ेगी और न ही उसे शुमार किया जायेगा। इस हदीस की भी सनद सहीह है। इब्ने उमर की पत्नी का नाम आमिना था जो गिफ़ार की पुत्री थीं। विस्तार से जानकारी के लिये शरह बुख़ारी (उर्दू एडिशन) मौलाना दावूद रज़ि॰ हदीस न॰ 5251 का हाशिया देखें।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के समय काल में (एक मज्लिस की) तीन तलाक़ का बयान।}

850:– अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, अबू बक्र और उमर रज़ि॰ के ख़िलाफ़त के प्रथम दो वर्ष में यह नियम था कि जब कोई एक ही बार में तीन तलाक़ दे देता था तो वह एक ही मानी जाती थी। फिर जब उमर रज़ि॰ ने देखा कि जिस बात में लोगों को गुंजाइश और ढील दी गयी है उस में जल्दबाज़ी से काम लेने लगे हैं, इसलिये हम भी अगर वही मान लें तो यह उचित है, इसलिये वही आदेश जारी कर दिया (कि जो यकबारगी तीन तलाक़ देगा वह तीन मानी जायेगी)

फ़ाइदा:– अगर कोई तीन तलाक़ देना चाहे तो सुन्नत के अनुसार महिला की पाकी की हालत में एक दे, फिर दूसरी पाकी में एक तलाक़ दे, फिर तीसरी पाकी में एक दे, अर्थात तीन तोहर (पाकी) में तीन दे। अब वह पति से अलग हो गयी। अगर उसे रखना भी चाहे तो नहीं रख सकता और न ही निकाह कर सकता है जब तक वहमहिला दूसरे पति से निकाह न कर ले और वह दूसरा पति उस के साथ संभोग न कर ले और फिर कभी अपनी इच्छा से तलाक़ न दे दे और वह अ़िद्दत न गुज़ार ले। लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले से किसी को तय्यार कर लेते हैं और वह निकाह कर के उस से एक बार संभोग कर के तलाक़ दे देता है। इस का नाम "हलाला" है और यह शरीअ़त में हराम है।

अब अगर किसी ने तीन पाकी में 3 तलाक़ देने के स्थान पर एक ही पाकी में तीन तलाक़ दे दी तो? ऊपर हदीस में स्पष्ट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे एक माना, अबू बक्र ने एक माना, उमर फ़ारुक़ ने 2 वर्ष तक एक माना। बाद में दन्ड के तौर पर तीन कर दिया। वह ख़लीफ़ा थे, शासक थे; उन के हाथ में इख़्तियार था, शूरा थी, और ऐसा कभी होता है कि समाज सुधार के लिये शूरा के राय मश्वरे से अस्थाई (आ़ज़ी) तौर पर नियम में बदलाव लाया जा सकता है, जिसे समय का हाकिम भली भाँति जानता–समझता है। इसलिये एक हद तक तो उन के लिये दुरुस्त था। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं, न पल्ले में शासन है, न कोई शूरा की कमेटी, न कोई किसी को मुफ़्ती और इमाम मानने को तय्यार। यहाँ तो कोई मुफ़्ती अपने फ़तवे तक पर अ़मल नहीं करा सकता। इन हालात में उमर की तब्दीली वाले आदेश पर अ़मल नहीं होगा बल्कि सुन्नत के अनुसार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का आदेश माना जायेगा। रिवातों में स्पष्ट है कि उमर रज़ि॰ ने भी बाद में अपना तीन का आदेश वापस ले लिया था, क्योंकि सुन्नत के अनुकूल नहीं था। यही कारण है कि इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम, अ़ल्लामा शौकानी और दूसरे अहले हदीस उलमा ने एक मज्लिस की तीन तलाक़ को एक ही माना है और यही हक़ है। उलमा के परस्पर इख़्तिलाफ़ और उन के तफ़सीली तर्कों को जानने

के लिये दूसरी पुस्तकें देखें। यहाँ तफ़्सील की गुंजाइश नहीं है।

बाब {पति ने पत्नी को तलाक़ दे दी, उस ने दूसरे से निकाह कर लिया, लेकिन उस ने संभोग नहीं किया, और तलाक़ दे दी, ऐसी हालत में (बिना संभोग के) पहले पति के लिये हलाल नहीं होगी।}

851:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि क़बीला कुर्ज़ के रहने वाले रिफ़ाआ ने अपनी पत्नी को तलाक़ बत्ता दे डाली। चुनान्चे उन की पत्नी ने जुबैर के पुत्र अ़ब्दुर्रहमान से निकाह कर लिया। कुछ दिन पश्चात उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर अनुरोध किया कि अल्लाह के संदेष्टा! मैं (पहले) रिफ़ाआ की पत्नी थी, लेकिन उन्होंने तीन तलाक़ों में से अन्तिम (तीसरी) तलाक़ भी दे दी, बाद में मैं ने अ़ब्दुर्रहमान बिन जुबैर से विवाह कर लिया, मगर उस के पास कपड़े के नर्म झालर की तरह है (अर्थात वह नामर्द, निपुंसक हैं) फिर उन्होंने अपने आँचल का कोना पकड़ कर बताया। यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। फिर फ़रमायाः संभवतः तुम पुनः रिफ़ाआ (यानी अपने पहले पति) के निकाह में जाना चाहती हो? लेकिन ऐसा उसी समय संभव है जब अ़ब्दुर्रहमान तुम्हारा स्वाद ले लें और तुम अ़ब्दुर्रहमान का।

फ़ाइदा:– पहले पति से पुनः विवाह करने के लिये शर्त है कि दूसरा पति उस से संभोग करे और एक-दूसरे का स्वाद चखें, अपनी इच्छा से फिर तलाक़ दे, फिर इ़द्दत के दिन बिता कर पहले पति से निकाह करे। इस मस्अले में किसी का इख़्तिलाफ़ नही। (देखें-बुख़ारी-2339, अबू दावूद-2309, तिर्मिज़ी-1118, इब्ने माजा-1932।) संभवतः हनफ़ी लोगों में यह है कि निकाह कर के पति को पत्नी के कमरे में भेज कर दूसरे दर्वाज़े से निकाल देते हैं फिर बिन संभोग उस से तलाक़ ले लेते हैं और पुनः उस महिला से निकाह कर लेते हैं। ऐसा करना सरासर हराम है। हदीस में स्पष्ट शब्द मौजूद हैं "जब तलक तुम उस का स्वाद न चख लोऔर वह तुम्हारा न चख ले।" सूरः बक़रः की आयत 229 में **"हत्ता तन् कि-ह ज़ौ-जन् गै-रहू"** में निकाह का अर्थ शादी के बाद संभोग करना है, केवल निकाह नहीं। इस आयत की तफ़सील नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ऊपर की हदीस है।

आजकल ऐसा भी हो रहा है कि तलाक़ देने वाला पति उस का निकाह किसी से इस शर्त पर करा देता है कि एक बार संभोग कर के तलाक़ दे दो। इसी का नाम हलाला है, और यह हराम है। इस प्रकार वह पत्नी पहले पति के लिये हलाल ही नहीं हो सकती। अल्लाह के सन्देष्टा ने हलाला करने और कराने वाले पर लानत भेजी है और उन का ठिकाना जहन्नम बताया है। इस तरीक़े में और "मुतआ़" में कोई अन्तर नहीं है।

बाब {किसी वस्तु को हराम कर लेने का बयान। और अल्लह तआ़ला के आदेशः "ऐ नबी तुम क्यों हराम कर लेते हो अपने ऊपर उस चीज़ को जिस अल्लाह ने तुम्हारे लिये हलाल

किया है (सूरः तहरीम, पारः 28) का बयान। और इस में इख़्तिलाफ़ का भी बयान।}

852:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि जब कोई अपनी पत्नी से कह दे: "तू मुझ पर हराम है" तो इस को क़सम माना जायेगा और इस के बदले में क़सम का कफ़्फ़ारा देना होगा। फिर उन्होंने यह आयत पढ़ीः "तुम्हारे लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बतलाये हुये तरीक़ों में नमूना (आर्दश) है।" (सूर–अहज़ाब 21, पारः21)

853:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ज़ैनब के पास ठहरते और उन के पास शहद पिया करते थे। आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि (जैनब के पास अधिक समय तक आप का बैठना मेरे लिये भारी पड़ा और) मैं ने और हफ़्सा ने इस पर ऐका किया कि हम दोनों में से जिस के पास भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जायें वह कहेगी कि आप के मुँह से मग़ाफ़ीर की गंध आ रही है, और आप ने मग़ाफ़ीर खाई है। चुनान्चे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हम दोनों में से एक के पास पहले आयेतो उस ने आप से वही कहा (जो तै हुआ था) आप ने फ़रमायाः मैं ने तो ज़ैनब के पास केवल शहद पी है और अब यह भी नहीं पियूँगा। इस पर आयत नाज़िल हुयीः "ऐ सन्देष्टा! तुम उस वस्तु को अपने ऊर क्यों हराम करते हो जिसे अल्लाह ने आप के लिये हलाल ठहराया है......" (पारः28, सूरः तह्रीम आयत 1)

854:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मीठा और शहद बहुत पसन्द था। जब आप अ़स्र की नमाज़ पढ़ लेते तो अपनी पत्नियों के घर जा कर उन के पास बैठते (और हाल–चाल पूछते) आप एक दिन हफ़्सा के पास (ख़ैरियत मालूम करने गये) तो वहाँ और दिनों की उपेक्षा कुछ अधिक समय तक ठहरे। मैं ने कारण मालूम किया तो पता चला कि उन के गोत्र की एक महिला ने उन के पास शहद भेजी थी, उन्होंने वह शहद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को पिलाई है। यह सुन कर मैं ने सोचा कि अल्लाह की क़सम! मैं (इस पर रोक लगाने के लिये) कोई हीला–बहाना करुँगी। फिर मैं ने सौदा से ज़िक्र किया और कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तुम्हारे पास आयें और तुम से क़रीब हों तो तुम कहनाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! (आप के मुँह से तो मग़ाफ़ीर की गन्ध आ रही है) क्या आप ने मग़ाफ़ीर खाई है? जब वह कहेंगे कि नहीं, तो तुम कहना कि फिर यह गन्ध कैसी आ रही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मुँह से गन्ध आये यह आप को हर्गिज़ बर्दाशत नहीं था। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तुम से कहेंगे कि मुझे हफ़्सा ने शहद पिलाया है। फिर तुम कह देना कि उस को शहद की मक्खियों ने अ़रफ़त नामक पेड़ के फूल के रस से जमा किया होगा (जभी तो आप के मुँह से उसी जैसी गन्ध आ रही है) आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया था कि मैं ने उन से

कहा था कि मैं भी यही बात कहूँगी। और ऐ सफ़िय्या सुनो! तुम भी इसी प्रकार कहना (जब वह तुम्हारे पास जायेंगे) फिर आप सौदा के पास गये तो उन्होंने बयान किया कि उस अल्लाह की क़सम जिस के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं, (ऐ आइशा) मैं बाहर निकल कर वही बात (प्रोग्राम के अनुसार) कहने ही वाली थी, क्योंकि मैं तुम से डर रही थी। (लेकिन बाहर निकल कर नहीं कह सकी) फिर जब आप मेरे पास आये तो मैंने पूछा: संभवतः आप ने मग़ाफ़ीर खाई है? आप ने उत्तर दिया: नहीं तो? मैं ने कहा: फिर यह मग़ाफ़ीर की गन्ध कैसी? इस पर आप ने फ़रमाया: अभी हफ़्सा ने मुझे थोड़ा सा शहद पिलाया है। इस पर मैं ने कहा: शहद की मक्खी ने "अ़रफ़त" पेड़ के फूल से रस जमा किया होगा।

आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि फिर जब आप मेरे पास आये तो मैं ने भी वही कहा (जो सौदा ने कहा) फिर जब आप सफ़िय्या के पास गये तो उन्होंने भी वही कहा। फिर जब आप पुनः हफ़्सा रज़ि॰ के पास गये तो वह कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल! आप के लिये शहद लाऊँ? आप ने फ़रमाया: मुझे कोई आवश्यकता नहीं। आइशा ने बयान किया कि इस पर सौदा ने कहा: सुब्हानल्लाह! हम ने आप को शहद पीने से रोक दिया। यह सुन कर आइशा ने कहा: चुपचाप बैठी रहो (पोल न खोलो)

फ़ाइदा:– 'अ़रफ़त' बबूल के पेड़ को कहते हैं। इस के फूलों में एक प्रकार की बुरी गन्ध आती है। अगर शहद की मक्खी उस फूल के रस जो जमा कर ले तो उस में भी वही गन्ध आ जाती है।

इस आयत के नाज़िल होने के संबन्ध में ऊपर दो हदीसें बयान हुयीं कि आप ने शहद को अपने ऊपर हराम कर लिया था। लेकिन नसई की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी लौंडी मारिया को अपने ऊपर हराम कर लिया था जब यह आयत नाज़िल हुयी। एक रिवायत में है कि ज़ैनब ने शहद पिलाया था और एक में हफ़्सा ने। तो हो सकता है यह दो अलग–अलग घटनाएँ हों। चाहे बीवी को हराम कर लिया हो अथवा किसी वस्तु को, मस्अला यह है कि इस का दन्ड क्या है? अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम इस का निचोड़ यह लिखते हैं कि किसी वस्तु को या पत्नी को हराम कर लेने से वह हराम नहीं होती और न तलाक़ मानी जाती है बल्कि इसे क़सम मान कर क़सम का कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा (ज़ादुल् मआ़द 5/302) यही बात बुख़ारी (5226) और मुस्लिम (1473) में बयान है। क़सम का कफ़्फ़ारा देने की दलील सूरः तहरीम की आयत न॰ 2 में है "अल्लाह ने तुम्हारे लिये तुम्हारी क़समों का खोल देना सुनिश्चित किया है।"

बाब {पति का अपनी पत्नी को इख़्तियार देना (कि चाहे तो तलाक़ ले ले)}

855:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर अन्दर आने की अनुमति माँगी तो उन्होंने देखा कि लोग आप के दर्वाज़े के निकट जमा हैं, लेकिन

किसी को भी अन्दर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। लेकिन अबू बक्र को अन्दर आने की अनुमति मिल गयी। फिर उमर फ़ारुक़ आ गये तो उन्हें भी अनुमति मिल गयी। इन लोगों ने अन्दर जा कर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बैठे हुये हैं और आप की पत्नियाँ भी ग़म में डूबी हुयी चुप-चाप बैठी हुयी हैं। इस पर उमर रज़ि॰ के दिल में ख़याल आया कि क्यों न ऐसे मौक़े पर कोई ऐसी बात कहूँ जिस से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हँसने लगें। चुनान्चे उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! ख़ारिजा की पुत्री (यानी मेरी पत्नी) ने मुझ से ख़र्चा माँगा तो मैं उस के पास जा कर उस का गला दबा दिया। यह सुन कर आप हँस पड़े और फ़रमाया: जैसा कि तुम देख ही रहे हो यह सब भी मुझे घेर कर मुझ से ख़र्चा का मुतालबा कर रही हैं। इतना सुनना था कि अबू बक्र खड़े होकर अपनी पुत्री आ़इशा का और उमर भी अपनी पुत्री हफ़सा का गला दबाने लगे और कहने लगे: तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऐसी वस्तु का मुतालबा करती हो जो आप के पास नहीं है (ख़बर्दार! जान से मार दूँगा) इस पर वह कहने लगीं: अल्लाह की क़सम! हम ऐसी वस्तु नहीं माँगेंगी जो आप के पास है ही नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी पत्नियों से एक महिना या 29 दिन तक अलग रहे। इसी मौक़ा पर यह आयत नाज़िल हुयी: "ऐ सन्देष्टा! तु अपनी पत्नियों से कह दो कि............ (सूर: अहज़ाब 28, 29, पार: 21)

फिर जब (महीना पूरा होने के बाद) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आ़इशा के पास गये और उन से कहा: मैं तुम से एक बात कहना चाहता हूँ, तुम सुन कर उस का उत्तर देने में मुझ पर जल्दी न करना, बल्कि अपने माता-पिता से भी राय मश्वरा ले लेना। उन्होंने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह क्या है? आप ने उन के सामने (ऊपर की) आयत पढ़ी तो वह बोलीं: इस बारें मेंमाता-पिता से मश्वरा लेने की क्या आवश्यक्ता है, मैं तो अल्लाह और उस के रसूल को और आख़िरत के घर को चुनती हूँ, और आप से यह भी अनुरोध करती हूँ कि आप मेरे उत्तर के बारे में किसी भी पत्नी को सूचित नहीं करेंगे। आप ने फ़रमाया: मुझ से जो भी पूछेगी में उसे सहीह-सहीह बता दूँगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे सख़्ती करने वाला नहीं, बल्कि सरलता सिखाने वाला बना कर भेजा है।

856:- मस्रूक़ ने बयान किया कि अगर मेरी पत्नी मुझे चाहती है तो मैं उसे एक बार, सौ बार और एक हज़ार बार इख़्तियार दूँ तो इस से कुछ फ़र्क़ नहीं पड़ता। मैं ने आ़इशा रज़ि॰ से पूछा था तो उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें इख़्तियार दिया तो था, तो क्या इख़्तियार देने से कहीं तलाक़ भी पड़ जाती है? (यानी नहीं पड़ती)

फ़ाइदा:- जब अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों को जिहाद में माले-ग़नीमत दिया तो मुहाजिरों के दिन भी लौट आये और उन की पत्नियाँ ठाट-बाट से रहने लगीं। उन्हें देख

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नियों की भी ठाट-बाट से रहने की इच्छा हुयी और सभी ने परस्पर राय मश्वरा कर के आप से मुतालबा किया। इस पर सूरःअहज़ाब की आयत 28 और 29 नाज़िल हुयी। फिर आप ने पत्नियों से कहा कि अगर मेरे निकाह में न रहना चाहो तो (मैं तलाक़ नहीं देता) तुम लोगों को इख़्तियार देता हूँ चाहो तो तुम मुझे से अलग हो जाओ। फिर एक माह के लिये आप ने उन के पास न जाने की क़सम खा ली।

इस हदीस से यह मालूम हुआ कि अगर पति अपनी पत्नी से कहे कि "मैं तुम्हें इख़्तियार देता हूँ, चाहो मेरे पास रहो और चाहो तो अलग हो जाओ" तो इस से तलाक़ नहीं पड़ती और न पत्नी अलग होती है। हाँ, अगर पत्नी अलग होना पसन्द करे तो तलाक़ पड़ जायेगी। जैसा कि ऊपर हदीस न॰ 856 में आइशा ने बयान किया। (देखें नैलुल औतार, तोहफ़तुल् अहवज़ी 4/391)

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक माह तक पत्नियों के पास न जाने की क़सम खाई थी, इस का नाम "ईला" है। इस का बयान सूरः बक़रः की आयत 226, 227 में हुआ है वहाँ विस्तार से देखें।

बाब {अगर दोनों पत्नियाँ पति के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा (साज़िश) पर उतर आयें (पारः28, सूरः तहरी-4) तो इस का क्या हुक्म है?}

857:- अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं एक वर्ष तक इरादा करता रहा कि उमर रज़ि॰ से इस घटना के बारे में पूछँ, लेकिन उन से डर के मारे न पूँछ सका। इत्तिफ़ाक़ से उमर रज़ि॰ हज्ज के लिये निकले तो मैं भी उन के साथ तैयार हो गया। हज्ज से लौट कर राह में वह पीलू के एक पेड़ की ओट लेकर शौच करने के लिये चले गये तो मैं भी वहीं ठहर गया। वह अपनी आवश्यक्ता पूरी कर के रवाना हुये तो मैं भी उन के साथ चल पड़ा। (इसी बीच मौक़ा को ग़नीमत जाना) और उन से पूछ बैठा कि ऐ मुसलमानों के ख़लीफ़ा! वह दोनो महिलाएँ कौन थीं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साज़िश रची थी? उन्होंने कहाः हफ़सा और आइशा। मैं ने कहाः अल्लाह की क़सम! मैं इस बारे में एक वर्ष से आप से पूछने की सोच रहा था लेकिन डर के मारे न पूछ सका था। इस पर उमर रज़ि॰ने कहाः तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिये था, अगर आप को पता है कि वह बात मुझे मालूम है तो पूछ लिया करो, अगर मुझे मालूम होगा तो बता दूँगा।

फिर उमर रज़ि॰ ने (घटना के बारे में जानकारी देते हुये) कहाः अल्लाह की क़सम! जब हम लोग जाहिल थे (कुफ़्र की हालत में थे) तो महिलाओं को कोई अहमियत नहीं देते थे (उन्हें पैर की जूती समझते थे) लेकिन अल्लाह पाक ने उन के हुक़ूक़ (अधिकार) को बयान फ़रमाया, जो भी बयान फ़रमाया (आप भी जानते हैं) उन की बारी सुनिश्चित की, जो भी की (आप भी जानते हैं) एक दिन ऐसा हुआ कि मैं किसी काम के बारे

में अपनी पत्नी से मशवरा लेने लगा तो वह कहने लगीः तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो, ऐसा करते तो ठीक होता। इस पर मैं ने कहाः मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम्हें उस में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यक्ता नहीं। इस पर उस ने कहाः ऐ इब्ने ख़त्ताब! बड़े आश्चार्य की बात है तुम चाहते हो कि कोई उत्तर भी न दे, हालाँकि तुम्हारी पुत्री हफ़सा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तक को उल्टा जवाब दे देती हैं, चुनान्चे इस कारण नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दिन भर नाराज़ रहते हैं।

उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि (यह सुन कर) मैं ने अपनी चादर उठाई और घर से चल पड़ा, सीधे हफ़सा के पास पहुँचा और उन से कहाः मेरी प्यारी बेटी! तू नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जवाब देती है जिस से आप दिन भर नाराज़ रहते हैं? हफ़सा ने कहाः अल्लाह की क़सम! मैं तो भाई जवाब दे देती हूँ। मैं ने कहाः सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह के अ़ज़ाब से डराता हूँ। और ऐ मेरी प्यारी बेटी और सुनो! तुम उस पत्नी के धोके में न रहना जिसे अपनी सुन्द्रता पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के उस से अधिक प्रेम करने पर उसे गर्व है। फिर मैं वहाँ से निकल कर उम्मे सलमा के पास गया, क्योंकि मुझे उन से बड़ी हमर्ददी थी। उन से भी मैं ने बात की तो कहने लगींः ऐ इब्ने ख़त्ताब! तुम पर बड़ा गुस्सा आता है, तुम हर काम में अपनी टाँग लड़ाते रहते हो, अब तुम्हारा इरादा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और उन की पत्नियों के दर्मियान भी हस्तेक्षेप करने का है। मुझे उन की बातों से बड़ा दुःख हुआ क्योंकि मैं उन्हें जो नसीहत करना चाहता था वह नहीं कर सका। चुनान्चे मैं उन के पास से उठ कर घर चला गया।

मेरे एक अन्सारी मित्र थे। जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास नहीं पहुँच पाता तो वह जाते और (उस दिन की पूरी हदीसें) आ कर मुझ से बयान कर देते, और जब वह नहीं जाते तो मैं जाता और आ कर उस को पूरी जानकारी दे देता। उन दिनों हम लोग क़बीला ग़स्सान के बादशाहों में से एक बादशाह से घबराए हुये थे, क्योंकि उस के आर्कमण की सूचना मिली थी। इसलिये हम लोगों का ध्यान हर समय उसी की तरफ़ रहता था। इसी बीच (रात को) मेरा वह अन्सारी मित्र आया और मेरे घर का किवाड़ पीटने लगा, और कहने लगाः खोलो, जल्दी खोलो। मैं ने पूछाः क्या ग़स्सनी बादशाह ने हल्ला बोल दिया? उस ने कहाः नहीं, इस से भी अधिक परेशानी वाली घटना घट गयी। वह यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी पत्नियों से अलग हो गये हैं। यह सुन कर में ने कहाः हफ़सा और आ़इशा का सत्यानास हो। मैं ने अपने कपड़े पहने और सीधा आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जा पहुँचा। उस समय आप एक बालाख़ाना में तशरीफ़ रखते थे जिस पर चढ़ने के लिये खजूर की एक जड़ रखी हुयी थी और उस के पास बैठ कर एक हब्शी चौकीदारी कर रहा था। मैं ने उस से कहाः मैं उमर हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मिलने आया हूँ, चुनान्चे अनुमति मिल गयी।

उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने आप के सामने पूरी कहानी बयान कर दी और जब उम्मे सलमा की बातें (जो उन की मुझ से हुयी थी) बयान करने लगा तो आप मुस्कुाने लगे। उस समय आप के सर के नीचे एक तकिया था जिस में खजूर की छाल भरी हुयी थी, और पैर के पास सलम नामक पेड़ के कुछ पत्ते रखे हुये थे (जिस से चमड़ा पकाया जाता है) आप के सर के ऊपर एक कच्चा चमड़ा लटक रहा था। जब मैं ने आप के बग़ल में चटाई का निशान देखा तो रोने लगा। यह देख कर आप ने फ़रमायाः क्यों रो रहे हो? मैं ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! (ईरान और रुम के शासक) क़ैसर और किसरा मौज कर रहे हैं और आप तो अल्लाह के सन्देष्टा हैं (और इस हाल में?) आप ने फ़रमायाः उन के लिये दुनिया है और तुम्हारे लिये आख़िरत है (इसलिये चिन्ता करने की कोई आवश्यक्ता नहीं)

फ़ाइदाः– सूरः तहरीम की आयत "उन दोनों ने षड़यंत्र रचा" से मुराद आ़इशा और हफ़सा हैं। आ़इशा अबू बक्र रज़ि॰ की बिटिया हैं और हफ़सा उमर रज़ि॰ की। षड़यंत्र वही कि आप के मुँह से ख़राब महक और बदबू आ रही है जैसा कि हदीस 854 में है। एक रिवायत के अनुसार आप घोड़े पर सवार होते हुये गिर गये थे जिस के कारण पैर में मोच आ गयी थी, इसलिये आप ने एक माह तक पत्नियों के पास न जाने की क़सम खाई थी। तो हो सकता है कि ईला की यह घटना दोबार घटी हो (1) जब उन्होंने अधिक ख़र्चा का मुतालबा और माँग की थी (2) मोच आ जाने के पश्चात्। ईला में क़सम का कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा। क़सम का कफ़्फ़ारा कितना है? देखें पारः 8, सूरः माइदा, आयत 89।

हज़रत उमर की इस हदीस में नसीहत है। महिलाएँ क्या कुछ गुल खिला सकती हैं चाहे वह नबी की पत्नी ही क्यों न हों। चुनान्चे ऊपर हदीस न॰ 846 में बयान हुआ "अगर हव्वा अपने पति के साथ ख़ियानत न करतीं तो उम्मत की कोई महिला न करती।" मालूम हुआ यह उन की आ़दत है, इसलिये भी कि वह पिसुली से बनी हैं, टेढ़ी रहेंगी, टेढ़ी बातें करेंगी, टेढ़े कार्य करेंगी, इसलिये उन की उसी स्थिति में उन से काम चलाओ, सीधा करोगे तो टूट जायेंगी (हदीस न॰ 844)

अल्हम्दु लिल्लाह आज 13 अगस्त 2005, शनिवार के दिन 9 बजे दिन में अहले हदीस मन्ज़िल, दिल्ली में इस बाब का अनुवाद संपन्न हुआ।

तलाक़ के बारे में कुछ अहम मस्अलों की जानकारी अनिवार्य है।★अगर कोई ज़बर्दस्ती, बाँध कर तलाक़ ले तो नहीं मानी जायेगी (अबू दावूद–1919, इरवाउल् ग़लील–2047)★हद दर्जा गुस्से में हो और उस की आँखों पर पर्दा पड़ गया हो, इस हालत की दी हुयी तलाक़ नहीं मानी जाये गी। (सहीह अबू दावूद–1919, अबू दावूद–2193)★नशा की हालत में दी गयी तलाक़ नहीं मानी जायेगी (बुख़ारी–2/793, बैहक़ी–359/7, इरवाउल् ग़लील–2045) ★हँसी-मज़ाक़ की तलाक़ मानी जायेगी (सहीह अबू दावूद–1020, तिर्मिज़ी–1184, इब्ने

माजा-2039, हाकिम-2/198) ★हमल (गर्भ) की हालत में दी गयी तलाक़ मानी जायेगी (मुस्लिम-1471, सहीह अबू दावूद-1910, तिर्मिज़ी-1176)★अगर कोई कहे: "जा अपने मैके चली जा" और इस इशारे से उस की निय्यत तलाक़ हो तो पड़ जायेगी (बुख़ारी-5254, इब्ने माजा-2050, नसई-6/150) ★पति अपनी पत्नी से कहे "तुम मुझ से चाहो तो तलाक़ ले लो और वह कहे कि मैं ने ले ली, तो पड़ जायेगी (सूरःअहज़ाब आयत 28 की तफ़सीर, ऊपर हदीस न॰ 555, 556) ★अगर किसी ने शर्त लगा दी कि "अगर तू ने चौखट पर पैर रखा तो तलाक़" और पत्नी ने रख दिया तो तलाक़ पड़ जायेगी। (मुग़नी 10/452, 472)

❀ ❀ ❀

बाबुल् अ़िद्दति
(अ़िद्दत के मसाइल का बयान)

नोटः– "अ़िद्दत" का अर्थ है "गिनना, शुमार करना।" शरीअ़त की परिभाषा में महिला के उन दिनों के गिनने को कहते हैं जो पति के तलाक़ दे देने, अथवा देहान्त कर जाने के पश्चात गुज़ारती है। इस के बहुत से लाभ हैं। तलाक़ के बाद तीन पाकी (या तीन महीना) जो अ़िद्दत गुज़रती है इसलिये कि हो सकता है पति उन महीनों के अन्दर रुजूअ़ कर ले। पति के देहान्त के पश्चात जो गुज़ारती है इसलिये कि इस से पति का अदब–एहतराम और आदर–सम्मान साबित हो। और इसलिये भी गुज़ारती है ताकि यह पता चल सके कि वह गर्भवती है अथवा नहीं। इन के अतिरिक्त और भी बहुत से लाभ हैं।

बाब {पति के देहान्त के बाद अगर पत्नी हमल से है तो बच्चा जनने तक का समय उस की अ़िद्दत है।}

858:– उबैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लह बिन उत्बा ने बयान किया कि मेरे पिता जी ने उमर बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अर्क़म ज़हरी को पत्र लिखा कि वह हारिस अस्लमी की पुत्री सुबैआ़ से जा कर मालूम करें कि उन्होंने जब अपनी अ़िद्दत के बारे में मस्अला पूछा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क्या आदेश दिया था? इस पर उबैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लह ने पत्र लिख कर बताया कि सुबैआ़ ने मुझ से बयान किया कि मैं सअ़द बिन ख़ौला के निकाह में थी, उन का संबध क़बीला बनी आ़मिर बनी लुई से था। बद्र की लड़ाई में भी शामिल थे। अन्तिम हज्ज के मौक़ा पर उन का देहान्त हुआ था। सुबैआ़ ने बताया कि उस समय में गर्भवती थी, चुनान्चे पति के देहान्त के चन्द ही दिन के बाद एक बच्चा जना। जब खून का आना (बच्चा पैदा होने के बाद) बन्द हो गया तो मैं दूसरा निकाह करने के लिये बनाव–सिंगार करने लगी।

इसी दर्मियान क़बीला अ़ब्दुद्दार के एक व्यक्ति अबू सनाबिल नामक आये और कहने लगेः मैं तुम्हें सजी–सजाई देख रहा हूँ इस का अर्थ है कि तुम दूसरा निकाह रचाना चाहती हो। लेकिन याद रखो! चार माह दस दिन से पहले तुम निकाह नहीं कर सकती। सुबैआ़ ने बयान किया कि उन्होंने जब इस प्रकार की बात कही तो मैं पहन–ओढ़ कर रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गयी और आप से पूछा तो आप

ने फ़रमायाः बच्चा जनने के बाद ही तुमहारी अ़िद्दत पूरी हो गयी, फिर आप ने मुझे निकाह भी कर लेने का हुक्म दिया।

इब्ने शिहाब ने कहा कि अगर कोई महिला बच्चा जनने के तुरन्त बाद ही निकाह कर ले तो मैं इस में कोई बुराई नहीं जानता, चाहे वह बच्चा जनने के बाद अभी निफ़ास के खून की हालत में हो। लेकिन इतनी बात ज़रुर है कि उस का दूसरा पति खून बन्द होने तक संभोग न करे।

फ़ाइदाः– जिस महिला का पति देहान्त कर जाये और वह हमल से न हो उस की अ़िद्दत चार माह दस दिन है। (सूरः बक़रः234) लेकिन अगर गर्भवती है तो उस की अ़िद्दत बच्चा जन देना है (सूरः तलाक़–4) बच्चा चाहे एक घन्टा के पश्चात पैदा हो, अथवा नौ माह के बाद। अगर ऐसी बूढ़ी महिला को तलाक़ दे दी गयी जिस का हैज़ का आना बन्द हो चुका है, तो उस की अ़िद्दत तीन माह है। इसी प्रकार वह लड़की जिसे अभी हैज़ आरंभ नहीं हुआ है उस की भी अ़िद्दत तीन माह है। (सूरः तलाक़–4) अगर केवल निकाह हुआ है और संभोग से पहले तलाक़ दे दी तो महिला पर कोई अ़िद्दत नहीं। (सूरःअहज़ाब–49) याद रहे कि अ़िद्दत में आज़ाद और लौंडी दोनों बराबर है। लौंडी भी उतने ही दिन अ़िद्दत बितयेगी जितनी आज़ाद महिला। इस के ख़िलाफ़ इब्ने उमर की हदीस ज़ओ़फ़ है। (देखें–इरवाउल् ग़लील–1939)

बाब {अ़िद्दत की हालत में महिला अपने पेड़ के खजूर तोड़ने बाहर जा सकती है।}

859:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया मेरी ख़ाला को तलाक़ हो गयी थी, तो वह अ़िद्दत की हालत में अपने पेड़ों से खजूर तोड़ना चाहती थीं, लेकिन किसी ने उन्हें बाहर निकलने से मना कर दिया। इस पर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर मस्अला पूछा तो आप ने फ़रमायाःकोई बात नहीं, तुम बाहर निकल कर खजूरें तोड़ सकती हो, इसलिये कि तोड़ने के बाद हो सकता है उस में से कुछ सदक़ा कर दोगी (तो ग़रीबों का भला होगा) या और कोई नेकी के काम करोगी (तो तुम्हारा भला होगा)

फ़ाइदाः– मालूम हुआ कि अ़िद्दत की हालत में महिला आवश्यक्ता पड़ने पर घर से बाहर निकल सकती हैं। जैसे उस का सहयोग करने वाला कोई नहीं है तो अपने बाग़ से फल तोड़ सकती है, डाक्टर के पास जा कर अपना उपचार करा सकती है, किसी बीमार का पुर्सा कर सकती है। लेकिन अकारण निकल कर घूमना बहुत बड़ा पाप है। कोई ऐसा कार्य जो उस की ज़रुरत में से हो और उसे पूरा करने वाला कोई न हो तो मजबूरी में जाना बहर हाल जाइज़ है। ऊपर की रिवायत, अहमद (3/321) अबू दावूद (2297) नसई (6/209) और इब्ने माजा (2034) में भी इसी प्रकार आ चुकी है।

बाब {जिस घर में अ़िद्दत गुज़ारनी है वहाँ कोई डर हो तो उस घर को छोड़ सकती है।}

860:– फ़ातिमा बिन्त क़ैस से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरे पति ने तीन तलाक़ दे दी है, (अगर पति के घर में अ़िद्दत गुज़ारूँ तो) मुझे डर है कि वह लोग मेरे साथ दुराचार, दुर्व्यवहार और सख़्ती करेंगे, तो आप ने उन्हें हुक्म दिया (कि पति के घर से चली जायें) चुनान्चे वह पति के घर से चली गयीं।

861:– अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि॰ के पुत्र अबू सलमा ने बयान किया कि क़ैस की पुत्री फ़ातिमा ने मुझ से बयान किया कि मैं अबू अ़म्र बिन हफ़्स के निकाह में थी, उन्होंने मुझे तीन तलाक़ में से तीसरी भी दे दी। उन्होंने बताया कि फिर मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पति के घर को छोड़ देने के बारे में पूछा (क्योंकि मुझे डर था) तो आप ने मुझे अ़ब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (नेत्रहीन) के घर चली जाने को कहा। लेकिन मर्वान बिन हकम ने फ़ातिमा की इस बात को मानने से इन्कार कर दिया कि तलाक़ दी हुयी महिला अपने पति के घर को ख़ाली कर दे (और वहाँ अ़िद्दत न गुज़ारे) उर्वा ने भी बयान किया कि आ़इशा रज़ि॰ ने भी फ़ातिमा की बात का इन्कार किया है।

फ़ाइदा:– केवल मुस्लिम ही में फ़ातिमा के संबन्ध में 14 रिवायतें हैं जिन का निचोड़ यह है कि इन् के पति अबू अ़म्र एक-एक कर के दो तलाक़ पहले ही दे चुके थे। तीसरी तलाक़, अ़ली रज़ि॰ के साथ यमन जाते हुये रास्ते में दे दी और दो सहाबी हारिस और अ़याश के हाथ थोड़ा सा जौ और सत्तू भेजवा दिया, उन के अ़िद्दत में खाने-पीने के लिये। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ललम से पूछा तो आप ने फ़रमायाः चूंकि यह अन्तिम तलाक़ है और रुजूअ़ का प्रश्न ही नहीं, इसलिये पति के ज़िम्मा खाना-पीना और रहन-सहन देना कुछ नहीं है। तुम उम्मे शुरैक के घर जा कर अ़िद्दत गुज़ारो। फिर कहा कि इन के घर भी उचित नहीं है, क्योंकि इन के पास मिलने वाले बहुत आते हैं इसलिये अ़ब्दुल्लह बिन उम्मे मक्तूम जो नाबीना (नेत्रहीन) हैं, के घर गुज़ारों। जब अ़िद्दत पूरी हो जाये तब मुझे बताना। चुनान्चे उन्होंने आप से बताया कि मुआ़विया (बिन अबू सुफ़यान) और अबू जोहम ने मेरे पास निकाह का सन्देश भेजा है। आप ने फ़रमायाः मुआ़विया तो ग़रीब आदमी हैं और अबू जोहम तो बहुत मारते-पीटते हैं, तुम उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो। चुनान्चे उन्होंने उन से निकाह कर लिया।

मर्वान बिन हकम, (मदीना के गर्वनर) और आ़इशा को फ़ातिमा की बात का एतबार न था। लेकिन उन्होंने समझाया कि अ़िद्दत पति के घर में बिताने का यह कारण है कि संभव है पति रुजूअ़ कर ले, और तीन तलाक़ के नाते यहाँ रूजूअ़ का प्रश्न नहीं उठता, इसलिये पति के ज़िम्मा ख़र्चा और रहना नहीं है। हाँ अगर वह महिला गर्भ से होतो पति को ख़र्चा और रहने के लिये घर देना होगा।

इस मस्अलें में बड़ा इख़्तिलाफ़ है। हम केवल अहले हदीस का मज़हब लिखते है।

वह यह कि जिस तलाक़ में रुजूअ़ की गुंजाइश है, या महिला गर्भवती हैं तो खाना और रहना पति के ज़िम्मा है। और जिस तलाक़ के बाद रुजूअ़ की गुंजाइश नहीं, और वह हमल से भी नहीं, तो पति के ज़िम्मा कुछ नहीं, महिला जहाँ चाहे जाये औरजहाँ से चाहे खाये। (देखें बुख़ारी, हदीस न॰ 5325 की तफ़सीर दावूद रज़ि॰) लेकिन अगर पति मर जाये तो महिला वहीं अिद्दत गुज़रेगी जहाँ पति के साथ थी, या जहाँ पति के मरने की सूचना मिली है। इमाम इब्ने क़य्यिम रह॰ फ़रीआ़ रज़ि॰ की हदीस की रोशनी में इसी को तर्जीह देते हैं। (ज़ादुल मआ़द) फ़रीआ़ की हदीस अबू दावूद (2300) और तिर्मिज़ी (1204) में भी है।

बाब {तलाक़ दी हुयी महिला अिद्दत बिता लेने के पश्चात निकाह कर सकती है।}

862:– क़ैस की पुत्री फ़ातिमा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब मेरे पति (अबू अ़म्र बिन हफ़स बिन मुग़ीरा मख़्ज़ूमी) ने तीन तलाक़ दे दी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे न तो खाना-खर्चा दिलवाया और न (अिद्दत गुज़ारने के लिये) घर-बार (इसलिये मैं ने अिद्दत अ़ब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम नाबीना के घर में गुज़ारी) फिर आप ने मुझ से कहाः जब तुम अिद्दत पूरी कर लेना तो मुझे सूचित करना। चुनान्चे मैं ने आप को सूचित किया कि मेरे पास मुआ़विया बिन अबू सुफ़यान और अबू जोहम ने निकाह का संदेश भेजा है। आप ने फ़रमायाः मुआ़विया (बिन अबू सुफ़यान) तो ग़रीब आदमी हैं, उन के पास माल-दौलत है नहीं, और रहे अबू जोहम, तो वह बहुत मार-पीट करने वाला व्यक्ति है। हाँ, उसामा बिन ज़ैद (से निकाह कर लो) फिर आप अपने हाथों से इशारा करने लगे उसामा, उसामा। (लेकिन मैं ने पसन्द नहीं किया तो) आप ने मुझ से फ़रमायाः अल्लाह और उस के सन्देष्टा की आज्ञा में तुम्हारे लिये भलाई है। चुनान्चे मैं ने उसामा ही से निकाह किया। बाद में महिलाएँ मुझ पर रश्क करने लगीं (कि काश उसामा उन के पति होते)

फ़ाइदाः– तीन तलाक़ दे देने के बाद महिला उस पति पर हराम हो जाती है, और रुजूअ़ (लौटाने) का प्रश्न नहीं उठता। हाँ, पुनः उस से निकाह इस शर्त पर कर सकती है कि वह दूसरे मर्द से निकाह करे, फिर वह उस से संभोग करे अपनी इच्छा से और तलाक़ दे दे। मुस्लिम की एक रिवायत में है कि उसामा बिन ज़ैद ने भी शादी का संदेश दिया था, लेकिन फ़ातिमा को इन से निकाह पसन्द नहीं था। यह स्पष्ट है कि कोई भी महिला अिद्दत की समय सीमा पूरी कर लेने के पश्चात स्वतन्त्र है, जहाँ चाहे शादी कर सकती है। इस मस्अले में किसी का कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। रहा अिद्दत के दौरान खाना-ख़र्चा और रहने का मस्अला, तो इस के लिय ऊपर हदीस न॰ 861 का फ़ाइदा देखें।

बाब {अिद्दत के दौरान सोग मनाने और सुर्मा आदि का प्रयोग न करने का बयान।}

863:– हमीद बिन नाफ़े, अबू सलमा की पुत्री ज़ैनब से रिवायत करते हैं कि ज़ैनब ने मुझ से तीन हदीसें बयान कीं। उन्होंने बयान किया कि ज़ैनब ने मुझे बताया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे हबीबा के पास उस समय गयी

जब उन के पिता अबू सुफ़यान रज़ि॰ का देहान्त हो गया था। इसी दर्मियान उन्होंने पीले रंग की ख़लूक़ (खुश्बू) या कोई खुश्बू मँगाई, फिर उसे एक बालिका को लगाया और अपने हाथों को अपने गालों पर भी मल लिया, फिर कहने लगीं: अल्लाह की क़सम! मुझे खुश्बू आदि लगाने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मिंबर पर यह फ़रमाते सुना है कि जो कोई अल्लाह और आख़िरत के दिन पर विश्वास रखता है उस के लिये जाइज़ नहीं कि किसी के मरने पर तीन दिन से अधिक सोग मनाए, अल्बत्ता महिला अपने पति के देहान्त पर चार माह दस दिन तक सोग मनाए।

ज़ैनब ने कहा कि इस के बाद मैं ज़ैनब बिन्त जहश रज़ि॰ के पास गयी जब कि उन के भाई का देहान्त हो गया था तो उन्होंने भी वही खुश्बू (ख़लूक़) मँगा कर लगाई और उन्होंने भी कहा: अल्लाह की क़सम! मुझे खुश्बू का इतना शौक नहीं है, लेकिन मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मिंबर पर फ़रमाते सुना है कि जो व्यक्ति अल्लाह और आख़िरत पर विश्वास रखता है उस के लिये जाइज़ नहीं कि किसी के मरने पर तीन दिन से अधिक सोग मनाए, लेकिन वह महिला जिस का पति देहान्त कर गया हो चार माह दस दिन सोग मनाए।

ज़ैनब रज़ि॰ ने आगे बयान किया कि मैं ने अपनी माता जी उम्मे सलमा रज़ि॰ को भी बयान करते हुये सुना कि एक महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित होकर कहने लगी: मेरी पुत्री के पति का देहान्त हो गया है (अब वह अ़िद्दत में है) इसी बीच उस की आँखें दुखने लगी हैं तो क्या उस की आँखों में सुर्मा लगा दूँ? आप ने उत्तर दिया: बिल्कुल नहीं। उस ने दो-तीन बार प्रश्न किया और आप ने हर बार यही उत्तर दिया कि नहीं। इस के बाद आप ने फ़रमाया: (इसे ग़नीमत जानो कि) अब तो अ़िद्दत के दिन चार माह दस दिन हैं, वर्ना कुफ़्र के समय में तो महिला को पूरे वर्ष (जानवरों की) मेंगनी फेंकनी पड़ती थी।

हदीस के रावी हुमैद ने बयान किया कि मैं ने ज़ैनब रज़ि॰ से पूछा: यह साल के अन्त में मेंगनी फेंकने का क्या अर्थ है? इस पर ज़ैनब रज़ि॰ ने बताया कि (जाहिलिय्यत के समय में) जब किसी महिला के पति का देहान्त हो जाता तो वह एक बिल में (यानी तन्ग और टूटे-फूट घर में) जा कर बैठ जाती, गन्दा से गन्दा वस्त्र पहनती, खुश्बू न लगाती, इसी प्रकार एक वर्ष बीत जाता। फिर एक पशु गधा या बकरी या कोई चिड़िया लाई जाती और उसे पकड़ कर अपनी अ़िद्दत को समाप्त करती। ऐसा बहुत कम होता कि वह चिड़िया अथवा जानवर उस महिला के छूने के बाद जीवित रहता। फिर वह महिला उस घर से बाहर निकलती तो उसे मेंगनी दी जाती जिसे फेंक कर अ़िद्दत से बाहर आ जाती, फिर जो चाहती खुश्बू आदि प्रयोग करती।

फ़ाइदा:- (बुख़ारी-53361) वह जानवर या चिड़िया क्यों मर जाती? इस का कोई स्पष्ट उत्तर पुस्तकों में नहीं मिला। किसी ने शैतानी प्रभाव लिखा है और किसी ने महिला का

शरीर विषैला हो जाना लिखा है। मालूम हुआ कि अ़िद्दत की हालत में महिला सुर्मा नहीं लगा सकती। अम्मे अ़तिय्या ने रिवायत किया कि रंगीन वस्त्र न पहने, सुर्मा न लगाए, खुश्बू का प्रयोग न करे। हाँ, हैज़ से पाक होने के बाद योनि के बदबू को दूर करने के लिये केवल मामूली खुश्बू (इसे महिलायें जानती हैं) लगा सकती हैं। (बुख़ारी) मेंहदी भी नहीं लगा सकती (अबू दावूद) कंघी भी न करे (नसई) एक रिवायत में है कि उम्मे सलमा रज़ि॰ ने किसी महिला को बताया कि मजबूरी में सुर्मा लगा लो, लेकिन दिन में आँखें धो डालो, लेकिन यह रिवायत ज़ईफ़ है (अबू दावूद-2305, नसई-230) अ़ल्लामा इब्ने हज़्म का कहना है कि चाहे आँख दर्द से फूट जाये लेकिन सुर्मा न लगाए। (मुहल्ला-10/276)

मालूम रहे कि यह मरे हुये की अ़िद्दत में हुक्म है। लेकिन अगर तलाक़ रजई में अ़िद्दत गुज़ार रही है तो उसे खूब बन-ठन कर रहना चाहिये ताकि पति को पसन्द आ जाये और वह रुजूअ़ कर ले। वह महिला जिसे तीन तलाक़ दी गयी है उस पर भी सोग नहीं है, केवल अ़िद्दत है। क्योंकि उसे लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बाब {अ़िद्दत बिताने वाली महिला खुश्बू और रंगीन वस्त्र का प्रयोग न करे।}

864:- उम्मे अ़तिया रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई महिला किसी के मरने पर तीन दिन से अधिक सोग न मनाए, अल्बत्ता पति के देहान्त पर चार माह दस दिन सोग मनाए। और (अ़िद्दत में) रंगा हुआ वस्त्र न पहने मगर "अ़स्ब" को (पहन सकती है) इसी प्रकार न सुर्मा लगाए और न ही खुश्बू को हाथ लगाए। लेकिन हैज़ से पाक होने के पश्चात् "कुस्त" या "अज़फ़ार" नामक खुश्बू का फाया बना कर प्रयोग में ला सकती है।

फ़ाइदा:- 'अ़स्ब' यमन नगर की बनी हुयी धारीदार रंगीन चादर को कहते हैं। उलामा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि किसी भी रंग में रँग कर पहनना जाइज़ नहीं। रंगीन पहनने की मनाही इस कारण है कि उस से शोक (सोग) नहीं प्रकट होता है। 'कुस्त' और 'अज़फ़ार' यह दोनों खुश्बू हैं। हैज़ से पाक होने के बाद योनि की बदबू दूर करने के लिये महिलायें इसे प्रयोग में लाती है (चूँकि यह अन्दरुनी मामला है) इसलिये जाइज़ है।कहने का अर्थ यह है कि उन वस्तुओं के प्रयोग करने से बचना चाहिये जिन्हें लोग खुशी के मौक़ा पर प्रयोग में लाते हैं, इस में आभूषण (ज़ेवर) चूड़ी आदि भी शामिल है।

नोट:- ऐसी महिला जिस का पति लापता हो जाये वह क्या करे? तो इस बारे में कोई सहीह हदीस न होने के कारण बहुत अधिक इख़्तिलाफ़ है। उन इख़्तिलाफ़ को ज़िक्र करने की कोई आवश्यक्ता नहीं। हज़रत उमर रज़ि॰ ने फ़रमायाः ऐसे पति की पत्नी चार वर्ष तक उस के वापस लौट आने का इन्तिज़ार करे, फिर उसे मरा हुआ मान कर देहान्त की अ़िद्दत चार माह दस दिन गुज़ारे, फिर इस के पश्चात् चाहेतो निकाह कर ले (सअ़ीद बिन मन्सूर, मुअत्ता, बैहक़ी-71445, अ़ब्दुरज़्ज़ाक़-7/88) अहले हदीस उलमा का भी इसी फ़तवे पर अ़मल है।

❀ ❀ ❀

बाबु ल्लिआ़न्
(लिआ़न के मसाइल का बयान)

नोटः— 'लिआ़न' का अर्थ है "पति–पत्नी का एक–दूसरे को लानत करना।" इस की शक्ल यह है कि पति अपनी पत्नी पर ज़िना कराने का आरोप लगाता है, जबकि उस के पास गवाह नहीं हैं, जबकि पत्नी इन्कार करती है। फिर पति हाकिम या अ़दालत के सामने चार बार अल्लाह की क़सम खा कर गवाही देता है कि वह अपने दावे में सच्चा है, और पाँचवी बार कहता है कि अगर मैं अपने दावे में झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो।

इस के उत्तर में पत्नी चार बार क़सम खा कर गवाही देती है कि मेरे पति झूठे हैं। और पाँचवी मर्तबा कहती है कि अगर पति सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह की नाराज़गी हो। इस पर वह दन्ड से बच जाती है और दोनों के दर्मियान सदा के लिये जुदाई डाल दी जाती है। इसी का नाम "लिआ़न" है। लिआ़न के बारे में मुकम्मल तफ़सील पारः 18, सूरः नूर की आयत न॰ 6 ता 10 में है, वहाँ अवश्य ही देखें।

बाब {वह पति, जो अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के पास पाये (तो क्या करे?)}

865:— सह्ल बिन सअ़द साअ़दी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मतर्बा उवैमर अ़जलानी, आ़सिम बिन अ़दी अन्सारी के पास आ कर कहने लगेः ऐ आ़सिम! अगर कोई पति अपनी पत्नी को किसी ग़ैर पुरूष के पास देखे तो क्या उस को क़त्ल कर डाले? (और अगर वह क़त्ल कर दे) तो क्या तुम लोग उस को उसके क़त्ल के बदले में भी क़त्ल कर दोगे? या फिर वह क्या करे? (मेरे भाई!) मेरे इस मस्अले को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से जा कर पूछो। चुनान्चे आ़सिम रज़ि॰ ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा तो आप ने इस प्रकार के प्रश्न पूछने को नापसन्द किया और इसे बुरा जाना। आ़सिम रज़ि॰ को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बातें सुन कर बड़ी तक्लीफ़ हुयी (कि हम ने अकारण ही आप से प्रश्न किया) जब वह वापस लौटे तो उवैमर अ़जलानी ने उन से पूछाः ऐ आ़सिम! नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? आसिम ने कहाः ऐ उमैमर! तुम मेरे पास कोई अच्छी ख़बर नहीं लाये, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को यह मस्अला पूछना बहुत बुरा मालूम हुआ। यह सुन कर उवैमर बोलेः अल्लाह की क़सम! जब तक इस के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछ न लूँ, मैं नहीं मानूँगा।

फिर एक दिन उवैमर अ़जलानी रज़ि॰ लोगों की मौजूदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! उस व्यक्ति को आप क्या निर्देश देते हैं जो अपनी पत्नी के पास किसी ग़ैर पुरुष को देखे? क्या वह उसे मार डाले? और अगर मार डाले तो क्या आप उसे भी बदले में मार डालेंगे? या वह इस स्थिति में क्या क़दम उठाये? यह सुन कर आप ने फ़रमायाः तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बारे में अल्लाह तआ़ला ने अपना आदेश नाज़िल कर दिया है, जा कर अपनी पत्नी को भी ले आओ।

सहल बिन सअ़द रज़ि॰ ने बयान किया कि फिर पति-पत्नी दोनों ने लिआ़न किया, उस समय मैं भी लोगों के साथ आप के पास उपस्थित था। जब लिआ़न कर चुके तो उवैमर बोलेः अब अगर मैं उसे अपने पास रखता हूँ तो झूठा कहलाऊँगा। फिर इस से पूर्व कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन्हें तलाक़ देने का आदेश देते, उवैमर ने स्वंय ही तीन तलाक़ दे दी। इब्ने शहाब ज़हरी ने कहा कि इस के बाद लिआ़न करने वालों के लिये यही (नियम) ठहराया गया।

फ़ाइदाः— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसलिये नापसन्द फ़रमाया था कि इस से पूर्व कोई इस प्रकार की घटना ही नहीं घटी थी। मालूम हुआ कि अगर कोई अपनी पत्नी को इस हालत में देखे तो क़त्ल करने की अनुमति नहीं है, बल्कि लिआ़न कर के अलग कर दे। इस के बारे में सूरः नूर की आयत न॰ 6 ता 9 में तफ़सील से जानकारी प्राप्त करें।

866:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि सअ़द बिन उबादा रज़ि॰ ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! अगर मैं अपनी पत्नी के साथ ग़ैर मर्द को देखूँ तो उसे कुछ न कहूँ जब तक चार गवाह न ले आऊँ? आप ने फ़रमायाः जी हाँ। इस पर सअ़द बोलेः ऐसा कैसे होगा (कि देखने के बाद गवाह ढूँढ़ने जाऊँ) अल्लाह की क़सम! जिस ने आप को हक़ के साथ भेजा है मैं तो उस की दवाई तल्वार से करूँगा। आप ने उन का यह उत्तर सुन कर फ़रमायाः तुमहारे सर्दार क्या (बेतुकी बातें) कहते हैं? यह बड़े ग़ैरत वाले हैं, और इन से बढ़ कर मैं ग़ैरत वाला हूँ, और अल्लाह पाक हम सब से बढ़ कर ग़ैरत वाला है (लेकिन उस ने क़त्ल करने का आदेश नहीं दिया है)

867:— सअ़ीद बिन जुबैर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मुस्अ़ब बिन जुबैर के ख़िलाफ़त के समयकाल में मुझ से लिआ़न करने वालों के बारे में मस्अला पूछा

गया तो मैं परेशान हो गया कि क्या उत्तर दूँ (क्योंकि मुझे नहीं मालूम था) चुनान्चे मैं मक्का में इब्ने उमर रज़ि॰ के घर गया और उन के गुलाम से कहा कि जा कर मेरे बारे में बता दो। उस ने कहा कि वह इस समय विश्राम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने (अन्दर से) मेरी आवाज़ पहचान ली तो बोलेः क्या जुबैर के पुत्र आये हैं? मैं ने कहाः जी हाँ। उन्होंने कहाः अन्दर आ जाओ, अल्लाह की क़सम! (मुझे मालूम है कि) तुम अवश्य ही किसी अहम कार्य से आये होंगे। चुनान्चे मैं अन्दर गया तो क्या देखा कि वह कंबल बिछाए बैठे हैं और खजूर की छाल भरे तकिए से टेक लगाये हुये हैं। मैं ने उन से कहाः ऐ अबू अब्दुर्रहमान! (यानी इब्ने उमर) क्या दोनों लिआन करने वालों को जुदा कर दिया जायेगा? उन्होंने कहाः सुब्हानल्लाह (यह भी कोई पूछने की बात है) बिल्कुल अलग कर दिया जायेगा। इस मस्अले में सर्वप्रथम फ़लाँ सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मस्अला मालूम किया था जो फ़लाँ सहाबी के पुत्र थे (यानी सहल बिन सअ़द साअ़दी) उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! आप का क्या आदेश है इस बारे में कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को बुरा कार्य कराते देखे तो उस का पति क्या करे? अगर वह कुछ कहेगा कि तो (उस मौके पर) बुरी ही बात निकलेगी। और अगर देख कर चुप्पी साध ले तो यह भी संभव नहीं कि चुप रहे। यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ख़ामोश रहे और उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। फिर (दूसरे दिन) वही सहाबी आ कर कहने लगेः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! जिस मस्अले के बारे में मैं ने आप से पूछा था स्वँय मेरे साथ वही मामला हो गया (यानी मैं ने अपनी पत्नी ही को दूसरे के साथ पकड़ा) इस पर अल्लाह पाक ने सूरः नूर की यह आयतें नाज़िल फ़रमायीः "जो पति अपनी महिलाओं पर ज़िना का आरोप लगाते हैं और स्वँय के अतिरिक्त उन के पास कोई गवाह नहीं है तो........ (सूरः नूर, आयत 6 ता9, पार:18) फिर आप ने यह आयतें उन्हें पढ़ कर सुनायीं और उन को समझाया कि (देखों!) दुनिया का अ़ज़ाब, आख़िरत के अ़ज़ाब से सरल है (यानी झूठा आरोप लगा रहे हो तो अब भी संभल जाओ) इस पर सहाबी बोलेः उस अल्लाह की क़सम! जिस ने आप को सच्चा सन्देष्टा बना कर भेजा है, मैं पत्नी पर कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूँ। चुनान्चे आप ने उन की पत्नी को बुलाया और उसे भी डराया-धमकाया कि दुनिया का दन्ड झेल लेना आख़िरत का दन्ड झेलने से कहीं सरल है (इसलिये झूठ ने बोलो और स्वीकार कर लो) यह सुन कर वह बोलीः क़सम है उस अल्लाह की जिस ने आप को सच्चा सन्देष्टा बना कर भेजा है मेरे पति झूठ बोल रहे हैं। इस के पश्चात् आप ने पति से आरंभ किया तो उस ने चार बार अल्लाह के नाम की क़सम खा कर कहा कि "मैं सच्चा हूँ," और पाँचवीं बार यह कहा कि "अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत पड़े।" फिर आप ने उन की पत्नी को बुलाया तो उस ने भी चार बार अल्लाह की क़सम खा कर कहा कि "मेरा पति झूठा है," और पाँचवीं बार यह कहा कि "अगर पति अपने आरोप में सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो।" इस के बाद आप

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन दोनों के दर्मियान जुदाई डाल दी।

फ़ाइदा:– इस हदीस से यह मालूम हुआ कि लिआ़न कराने के पश्चात् दोनों के दर्मियान हमेशा के लिये जुदाई डाल दी जायेगी। तीन तलाक़ में तो हलाला केबाद दोबारा पहले पति के पास आना चाहे तो निकाह कर के आ सकती है, लेकिन लिआ़न में अलग होने के बाद मरते दम तक दोनों एक नहीं हो सकते। यह भी मालूम हुआ कि लिआ़न मर्द से पहले कराया जायेगा (बुख़ारी–5307) एक मस्अला यह भी है कि क्या हाकिम के जुदा करने के बाद जुदाई हो गयी? तो इस का उत्तर यह है कि लिआ़न के बाद स्वैंय अलग हो जायेगी, हाकिम अलग करे या न करे। इसी प्रकार तलाक़ भी देने की ज़रुरत नहीं, उन्होंने तीन तलाक़ अपनी इच्छा से दी थी, जबकि इस की ज़रुरत ही नहीं थी। और अगर पति–पत्नी बाद में एक साथ रहना भी चाहें तो नहीं रह सकते। इसी प्रकार महर भी वापस नहीं ले सकता, जैसा कि नीचे हदीस आ रही है।

868:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लिआ़न करने वालों से फ़रमाया था कि तुम दोनों से हिसाब (क़ियामत के दिन) अल्लाह पाक लेगा, क्योंकि दोनों में से एक अवश्य झूठा है। आप ने पति से यह भी फ़रमाया: अब महिला पर तुम्हारा कोई इख़्तियार नहीं रह गया, क्योंकि वह अब हमेशा के लिये हाथ से निकल गयी। इस पर पति ने कहा: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मेरे उस माल का क्या होगा जो उसे महर में दिया है? आप ने फ़रमाया: माल तुझे वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तू सच्चा है तो उस माल के बदले उस की शर्मगाह तुझ पर हलाल हो गयी थी। और अगर तू झूठा है तब तो और बुरा हुआ (कि माल भी गया और झूठ का पाप अलग मिला)

869:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि एक पुरुष ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के समय में लिआ़न किया तो आप ने उन दोनों के दर्मियान (हमेशा के लिये) जुदाई डाल दी और पैदा होने वाले बच्चे का नसब माँ से लगा दिया।

870:– मुहम्मद बिन सीरीन से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने अनस बिन मालिक रज़ि॰ से मस्अला पूछा और मैं यह समझता था कि उन्हें जानकारी होगी। चुनान्चे उन्होंने बताया कि हिलाल बिन उमय्या ने जो कि बरा बिन मालिक के माँ जाए भाई थे, अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि उस ने शरीक बिन सहमा के साथ ज़िना कराया है। और हिलाल वह प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने लिआ़न किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: उस महिला पर नज़र रखना अगर वह सफ़ेद रंग का, सीधे बालों और लाल आँखों वाला बच्चा जने तो वह उमय्या का है। लेकिन अगर सुर्मई आँखों वाला, घुँघराले बालों और पतली पिंडली वाला पैदा हो तो वह बच्चा शुरेक का है। अनस रज़ि॰ ने बयान किया कि बाद में मुझे सूचना मिली कि उस महिला के हाँ सुर्मई आँखों वाला, घुँघराले वालों और पतली पिंडली वाला बच्चा पैदा हुआ।

फ़ाइदा:– इस हदीस से स्पष्ट होता है कि मुखाकार का ज्ञान अर्थात "क़ियाफ़ा का ज्ञान" जैसे हाथ की रेखायें या हाथ पैर की उँगलियों और रन्ग-रुप को देख कर बता देना और इस पर विश्वास करना जाइज़ है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पैदा होने वाले बच्चे के बारे में बता दिया था कि ऐसा होगा तो इस का होगा, और वैसा होगा तो उस का होगा। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के दिल में अल्लाह की ओर से बात डाली गयी होगी, इसलिये स्वीकार करना दुरुस्त है, लेकिन और दूसरे लोगों की इस प्रकार की बातों पर विश्वास करना और उस के अनुसार राय और हुक्म लगाना नाजाइज़ है।

बाब {अपना बच्चा होने से इन्कार करना और किसी रग के खींचने का बयान।}

871:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि (क़बीला बनी फ़ज़ारा का) एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ और कहने लगा: मेरी पत्नी ने काले रंग का बच्चा जना है (और मैं काला नहीं हूँ इसलिये वह मेरा नहीं मालूम होता) यह सुन कर आप ने फ़रमाया: तुम्हारे पास ऊँट हैं? उस ने कहा: हाँ हैं। आप ने पूछा: उन का रंग कैसा है? उस ने कहा: लाल। आप ने पूछा: उन में से कोई मटियाले रंग का भी है? उस ने उत्तर दिया: हाँ। आप ने फ़रमाया: फिर वह मटियाला रंग कहाँ से आया? उस ने कहा: अपनी नस्ल के किसी बहुत पहले के ऊँट पर यह पड़ा होगा। आप ने फ़रमाया: इसी प्रकार तुम्हारा यह बच्चा भी अपनी नस्ल के किसी दूर के रिश्तेदार पर पड़ा होगा।

फ़ाइदा:– मालूम हुआ कि शक्ल-सूरत और रंग आदि को देख कर शुब्हा की बुनियाद पर इन्कार करना दुरुस्त नहीं, और न ऐसे आरोप पर ज़िना का इलज़ाम साबित होगा, और न लिआन होगा, और न ही हद जारी होगा।

बाब {बच्चा उस का माना जायेगा जिस के बिस्तर पर पैदा हो}

872:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि सअ़द बिन अबू वक़्क़ास और अ़ब्द बिन ज़म्‌आ के दर्मियान एक बच्चे को लेकर झगड़ा हो गया। सअ़द ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! यह मेरे भाई का बच्चा है। मेरे भाई ने मुझ से कहा था कि वह मेरे नुतफ़े (वीर्य) का है और बच्चे का मुखड़ा भी देख लें (मेरे भाई से मिलता-जुलता है)और अ़ब्द बिन ज़म्‌आ ने कहा: यह बच्चा मेरा भाई है क्योंकि मेरे बाप की लौंडी ने मेरे बाप के बिस्तर पर जना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब बच्चे को देखा तो वह वास्तव में उत्बा के मुशाबह था। लेकिन आप ने फ़रमाया: ऐ अ़ब्द बिन ज़म्‌आ! बच्चा उसी का माना जायेगा जिस के बिस्तर पर पैदा होता है, और ज़िना करने वाले के लिये पत्थर है। और ऐ (मेरी पत्नी) सौदा बिन्त ज़मआ! देखो, तुम इस बच्चे से पर्दा करना (क्योंकि तुम्हारे बाप के मुशाबह बच्चा नहीं है।) फिर सौदा रज़ि॰

ने उसे कभी भी नहीं देखा।

फ़ाइदाः– घटना की तफ़सील यह है कि सअ़द बिन अबू वक़्क़ास के एक बड़े भाई थे जिन का नाम उत्बा बिन अबू वक़्क़ास था, यह ईमान नहीं लाये थे। इन्होंने ज़म्आ़ की लौंडी से ज़िना किया था जिस से वह गर्भवती हो गयी थी। उन्होंने मरते समय कहा था कि लौंडी के पेट में जो बच्चा है वह मेरा है, पैदा होने के बाद उसे ले लेना। अ़ब्द ने कहा कि मेरे पिता की लौंडी का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक इस्लामी सिद्वान्त बताया और बच्चा को अ़ब्द का भाई माना। लेकिन चूंकि मुखड़ा चुग़ली खा रहा था कि उत्बा का है इसलिये पत्नी सौदा से फ़रमाया (अब चूंकि वह बच्चा भी तुम्हारा सगा भाई हुआ क्योंकि सौदा भी ज़म्आ़ की पुत्री हैं) उस बच्चे से पर्दा करना बड़े हो जाने के बाद। प्रश्न यह है कि जब बच्चा के बारे में फ़ैसला हो गया कि ज़म्आ़ का है, और सौदा उस की सगी बहन हुयीं, फिर पर्दा का क्या अर्थ? इस का अर्थ यह है कि एहतियात, बड़ाई व बुजुर्गी और नबी की पत्नी होने के नाते पर्दे का हुक्म दिया था, वर्ना नियम के अनुसार वह उस बच्चे की बहन थी हीं, इस में कोई सन्देह नहीं।

बाब {मुखाकार (क़ियाफ़ा) का ज्ञान रखने वालों की बात किसी बच्चे के बारे में क़ुबूल की जायेगी।}

873:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास आये उस समय आप बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे और फ़रमाने लगे, ऐ आ़इशा! तुम्हें मालूम होना चाहिये कि मजज़्ज़िर मुद्दलिजी मेरे पास आये और उसामा और ज़ैद दोनों को देखा। यह दोनों उस समय एक ही चादर में थे और इस प्रकार ओढ़े हुये सो रहेथे कि दोनों का सर छुपा हुआ था केवल पैर दिख रहे थे। तो उन्होंने कहाः यह पैर एक–दूसरे के समान मालूम होते हैं (यानी दोनों बाप–बेटे हैं)।

फ़ाइदाः– इस की तफ़सील हदीस न॰ 870, 871 में आ चुकी है वहाँ का फ़ाइदा देखें। लोग उसामा को ज़ैद का बेटा मानने में शुब्हा करते थे। चूंकि ज़ैद गोरे थे और उन की माँ काली थी, और यह अपनी माँ पर गये थे। (अबू दावूद) यह वही ज़ैद हैं जिन का नाम सूरः अहज़ाब की आयत न॰ 37 में आया है। और किसी सहाबी का नाम क़ुरआन में नहीं आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की फूफी उमैमा की पुत्री ज़ैनब बिन्त जहश का निकाह इन्ही से हुआ था। फिर तलाक़ हो जाने के बाद आपने स्वँय उनसे निकाह कर लिया। बाद में ज़ैद ने फ़ातिमा बिन्त क़ैस से निकाह कर लिया (देखें ऊपर की हदीस न॰ 862)

★लिआ़न के बारे में यह जान लेना बहुत ज़रुरी है कि अगर अपनी पत्नी को अपनी आँखों से ज़िना करते हुये देखे तो स्वँय दन्ड नहीं दे सकता। इस का सिद्वान्त यह है कि अदालत में मुक़दमा करे और ज़िना का आरोप लगा कर चार गवाह पेश करे। अगर गवाह नहीं हैं तो चाहे तो लिआ़न कर ले। फिर उस से जो बच्चा पैदा हो और

पिता अपना होने से इन्कार करे तो उसे माँ के हवाले कर दिया जायेगा। (बुख़ारी 5315) ★लिआ़न के बाद पति के ऊपर महिला का कोई ख़र्चा औ़र घर देना नहीं है। ★लिआ़न मस्जिद में भी करा सकते हैं (बुख़ारी-5309) यह बात कि बच्चा के दूसरे रंग और मुखड़े का पैदा होने के नाते पत्नी पर ज़िना का आरोप लगाना नाजाइज़ है (बुख़ारी-5305) ★लिआ़न के बाद तलाक़ देने की आवश्यक्ता नहीं, उवैमर ने जो तीन तलाक़ दी थी (हदीस न॰ 865) अपनी मर्ज़ी से दे डाली थी, जबकि इस की ज़रुरत ही नहीं थी। ★ज़िना करने वाला लाख दावा करे कि बच्चा मेरा है, लेकिन उस का दावा ग़लत माना जायेगा। बच्चा उस पति का ही माना जायेगा जिस के घर में पैदा हुआ है।

❀ ❀ ❀

किताबुर्रज़ा-अ़ति
(दूध पिलाने के मसाइल का बयान)

नोटः- दूध पीने और पिलाने की शरीअ़त में बहुत ही अहमिय्यत है। माँ का दूध वैसे ही हराम कर देता है जैसे माँ का जनना। अर्थात दूध पिलाने वाली दूध पीने वाले की माँ बन जाती है। जिस प्रकार माँ की कोख से पैदा होने वाले की बच्चा माँ से निकाह नहीं कर सकता, इसी प्रकार दूध पीने वाला बच्चा दूध पिलाने वाली के लिये हराम है। दूधे पिलाने वाली के बेटे-बेटी इस दूध पीने वाले बच्चे के दूध शरीक भाई-बहन हुये, इसलिये यह बच्चा उन से निकाह नहीं कर सकता। हाँ कुछ मस्अले ऐसे हैं जो दूधे पीने और पिलाने से लागू नहीं होते। जैसे दूध पिलाने वाली, दूधे पीने वाले बच्चे की वारिस नहीं होगी और इसी प्रकार बच्चा भी माँ की जायदाद का वारिस नहीं होगा। मौलाना वहीदुज़्ज़मा रह॰ लिखते हैं कि दूध पीने से ऐसा संबन्ध हो जाता है कि दूध पिलाने वाली, उस का पति जिस का दूध पिलाया है, उस की पुत्री, माँ, बहन, पोती, नवासी फूफी, भतीजी, भान्जी, बाप, दादा, नाना, भाई, पोता, नवासा, चचा, भतीजा, भान्जा, यह सब दूध पीने वाले के महरम हो जाते हैं। लेकिन जिस बच्चे या बच्ची ने दूध पिया है उस के पिता, भाई, माँ, नानी, ख़ाला, मामूँ आदि दूध पिलाने वाली महिला और उस के पति पर हराम नहीं होते। तो इस प्रकार सिद्वान्त और नियम यह ठहरा कि दूध पिलाने वाली की तरफ़ से तो सब लोग दूध पीने वाले बच्चे के महरम हो जाते हैं, लेकिन दूध पीने वाले की तरफ़ से यह यानी पीने वाला, या उस की औलाद केवल महरम होती है। उस के बाप, भाई, चचा, मामूँ, ख़ाला, आदि यह महरम नहीं होते (वहीदी) इसी प्रकार के और दीगर मसाइल हैं जिन के संबन्ध में नीचे हदीसें आ रही हैं।

बाब {दूध पीने-पिलाने से वैसी ही हुर्मत साबित होती है, जैसे माँ के कोख से पैदा होने से।}

874:- आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास बैठे हुये थे कि मैं ने एक आवाज़ सुनी कि कोई व्यक्ति (उमर रज़ि॰ की बेटी और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी)

हफ़सा के घर में अन्दर आने के लिये अनुमति माँग रहा है। तो मैं ने आप से कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! कोई आप के घर में (यानी हफ़सा के घर में) आने के लिये अनुमति माँग रहा है। आप ने फ़रमायाः मेरे ख़याल से वह हफ़सा के रज़ाअ़ी चचा हैं। इस पर आ़इशा रज़ि॰ ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मेरे चचा भी जीवित होते तो क्या मेरे घर में दाख़िल हो सकते थे? आप ने फ़रमायाः क्यों नहीं, दूध पीने से भी आदमी उसी प्रकार हराम हो जाता है जिस प्रकार उस के कोख से पैदा होने से।

फ़ाइदाः– यानी हफ़सा ने बचपन में जिस महिला का दूध पिया था उस के पति हैं। तो जिस प्रकार महिला के दूध पिलाने से वह माँ बन जाती है, इसी प्रकार उस का पति भी उस दूध पीने वाले का पिता बन जाता है और उस का भाई रज़ाअ़ी, यानी दूध पीने के नाते चचा बन जाता है। इसलिये ऐसे व्यक्ति से पर्दा नहीं है। उन दोनों के बेटे-बेटियाँ इस दूध पीने वाले के भाई-बहन हो गये, और इन का एक-दूसरे से निकाह करना हराम हो गया। अब यह सब एक-दूसरे के माता-पिता और भाई-बहन होकर एक-दूसरे के साथ उठना-बैठना, आना-जाना, एक-दूसरे को देखना, बात-चीत करना सब जाइज़ है।

बाब {दूध की हुर्मत आदमी के पानी (वीर्य) से होती है।}

875:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मेरे रज़ाअ़ी चचा आये और अन्दर आने की अनुमति माँगी, तो मैं ने इन्कार कर दिया कि जब तक कि इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछ न लूँ। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आये तो मैं ने कहाः मेरे दूध शरीक चचा अन्दर आने की अनुमति माँग रहे थे, लेकिन मैं ने इन्कार कर दिया। यह सुन कर आपने फ़रमायाः अगर तुम्हारे चचा आ जायें तो? (उस समय क्या करोगी) आ़इशा रज़ि॰ ने कहाः मुझे तो महिला ने दूध पिलाया है (इसलिये वह माँ हुयी) किसी पुरुष ने थोड़े पिलाया है (इसलिये मर्द कैसे चचा बन जायेगा) आप ने फ़रमायाः वह तुम्हारे चचा हैं, इसलिये उन्हें अन्दर आने देना।

फ़ाइदाः– आ़इशा रज़ि॰ ने यह सोचा कि महिला ने पिलाया है इसलिये वह हमारी माँ हुयी और महिला के पति ने तो पिलाया नहीं इसलिये वह बाप कैसे होगा? हालाँकि वह बाप होगा, इसलिये कि बाप ही के पानी (वीर्य) से माँ गर्भवती होती है, फिर बच्चा जनती है और दूध पैदा होता है। अर्थात वह दूध जो आ़इशा ने पिया है उस के होने में पुरुष का ही हाथ है इसलिये वह चचा, या रज़ाअ़ी (दूध शरीक) बाप हुये। उन की कुन्नियत "अबुल् ज-अ़द" थी।

बाब {रज़ाअ़ी (दूध शरीक) भतीजी की हुर्मत का बयान।}

876:– अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अनुरोध कियाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! इस का क्या कारण है कि आप कुरैश खान्दान में दूसरों से तो प्रसन्नता से निकाह करते हैं, लेकिन हमें छोड़ देते हैं? आप ने फ़रमायाः तुम्हारे खान्दान में कोई रिश्ता है? मैं ने कहाः हाँ, हम्ज़ा रज़ि॰ की पुत्री। आप ने फ़रमायाः वह तो मेरे लिये हलाल ही नहीं हैं, (इसलिये कि मेरी भी भतीजी हुयी) क्योंकि वह मेरे दूध शरीक़ भाई (हमज़ा) की बेटी हैं।

फ़ाइदाः— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, हज़रत हमज़ा और अबू सलमा इन तीनों को अबू लहब की लौंडी सुवैबा ने दूध पिलाया था, (देखें नीचे हदीस न॰ 877) इसलिये यह तीनों परस्पर दूध शरीक भाई और इन की लड़कियाँ परस्पर दूध शरीक भतीजियाँ हुयीं। और जिस प्रकार अपनी भतीजी (सगे भाई की बेटी) से निकाह हराम है, इसी प्रकार दूध शरीक भाई की बेटी भी भतीजी हुयी, और वह भी हराम है। दूध शरीक भाई की बेटी और सगे भाई की बेटी में कोई अन्तर नहीं है।

हमज़ा रज़ि॰ की बेटी का नाम "उमामा" था। उन का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अबू सलमा के बेटे सलमा से किया। यह सलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा के पहले पति अबू सलमा (जो आप के दूध शरीक भाई भी थे) के बेटे हैं। पिता के देहान्त के बाद उम्मे सलमा से आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने निकाह कर लियाऔर इनकी पर्वरिश की थी।

अबू सलमा की बेटी का नाम ज़ैनब था। पिता के देहान्त के बाद माँ उम्मे सलमा से आप ने निकाह कर लिया। उस समय यह नन्ही-मुन्नी गुड़िया की तरह थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इन्हें बड़ी मुहब्बत से पाला था। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की दूध शरीक भतीजी हुयीं, इसलिये आप के ऊपर यह हराम थीं। इन का निकाह अ़ब्दुल्लाह बिन ज़म्अ़ा के साथ हुआ। (रहमतुल्लिल् आ़लमीन)

बाब {पत्नी के पहले शौहर की बेटी (जो मौजूदा शौहर की पर्वरिश में है) से, और पत्नी की बहन से निकाह हराम है।}

877:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी (और अबू सुफ़यान की बेटी) उम्मे हबीबा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास आये तो मैंने आप से कहाः क्या आप मेरी बहन (अबू सुफ़यान की बेटी) को पसन्द नहीं करते? आप ने फ़रमायाः फिर मैं क्या करुँ? मैं ने कहाः उन से निकाह कर लें। आप ने फ़रमायाः तुम्हें पसन्द हैं? कि (तुम्हारी सौतन तुम्हारी बहन ही बने) मैं ने कहाः मैं अकेली ही तो आप के निकाह में नहीं हूँ (तो जैसे और सौतनें हैं, एक और सही) और फिर यह कि अगर मेरी बहन मेरे साथ भलाई में शामिल होतो मेरे लिये यह बड़ी अच्छी बात है। (यब सब बातें सुन लेने के पश्चात्) आप ने फ़रमायाः वह मेरे लिये हराम है (क्योंकि दो बहनों को एक साथ रखना नाजाइज़ है)

फिर मैं ने कहाः मुझे सूचना मिली है कि आप ने अबू सलमा की बेटी (दुर्रा)

को निकाह का सन्देश भेजवाया है? आप ने (आश्चर्य प्रकट करते हुये) पूछाः अबू सलमा की बेटी से? मैं ने कहाः हाँ (हाँ अबू सलमा की बेटी से) आप ने फ़रमायाः अगर वह मेरी गोद में पर्वरिश न भी पाती तब भी वह मेरे लिये हलाल नहीं, क्योंकि वह मेरी दूध शरीक भतीजी है। मुझ को और उस के पिता (अबू सलमा) को सुवैबा ने दूध पिलाया है। तुम लोग अपनी बहनों और बेटियों के निकाह का सन्देश मुझे न भेजा करो।

फ़ाइदाः– दो बहनों को एक साथ निकाह में रखना हराम है, यहतो कुरआन मजीद से साबित है (पारः4, सूरःनिसा–24) लेकिन उम्मे हबीबा रज़ि॰ को इस मस्अले का ज्ञान नहीं था। इसी प्रकार इस मस्अले का भी ज्ञान नहीं था कि दूध शरीक भतीजी से निकाह हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमज़ा और अबू सलमा यह तीनों दूध शरीक भाई हैं, इन्हें अबू लहब की लौंडी सुवैबा रज़ि॰ ने दूध पिलाया था। इसलिये इन सब की बेटियाँ एक दूसरे की दूध शरीक भतीजियाँ हुयीं। जिस प्रकार अपने सगे भाई की बेटी (भतीजी) से निकाह हराम है, इसी प्रकार दूध शरीक भाई की बेटी से भी। दर्रा, यह अबू सलमा रज़ि॰ की सब से छोटी-मोटी पुत्री हैं। उम्मे सलमा से जब आप ने निकाह किया तो इन के चार बच्चों अम्र, सलमा, ज़ैनब और दर्रा की आप ने ही पर्वरिश की। चुनान्चे यह बच्चियाँ आप की रबीबा (पत्नी के पहले पति से) हुयीं और दूध शरीक भतीजी भी हुयीं।

बाब {एक–दो बार दूध पीने का क्या हुक्म है?}

878:– उम्मे फ़ज़्ल रज़ि॰ ने बयान किया कि एक दीहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भेंट करने आया, उस समय आप मेरे घर में तशरीफ़ रखते थे। उस ने कहाः ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! मेरे पास एक पत्नी है, अब मैं ने एक दूसरी महिला से भी निकाह कर लिया है। इस पर मेरी पहली पत्नी का कहना है कि मैं ने उस को एक या दो बार दूध चुसाया है। यह सुन कर आप ने फ़रमायाः एक बार या दो बार चुसाने से हुर्मत नहीं साबित होती।

बाब {पाँच मर्तबा दूध चूसने से क्या हुर्मत साबित होगी?}

879:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि कुरआन मजीद में यह आदेश नाज़िल हुआ था कि दस मर्तबा दूध चूसने से हुर्मत साबित हो जाती है, फिर यह आदेश मन्सूख़ हो गया और अब पाँच बार चूसने से हुर्मत साबित होगी। चुनान्चे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देहान्त हुआ उस समय तक (पाँच बार का) आदेश पढ़ा जाता था।

फ़ाइदाः– यह हदीस मुअत्ता (2/608) अबू दावूद (2062) तिर्मिज़ी (1150) और इब्ने हिब्बान (4207) में भी है। कितनी मतर्बा दूध चुसाने से निकाह हराम होगा? इस मस्अले में उलमा ने परस्पर इख़्तिलाफ़ किया है। एक गरोह का कहना है कि एक मर्तबा पिला

देने सेभी निकाह हराम हो जायेगा। दूसरे गरोह का कहना है कि तीन मर्तबा पिलाने से। तीसरे गरोह का कहना है पाँच मर्तबा पिलाने से। तर्क सभी के पास हैं, किसी के पास कमज़ोर और किसी के पास शक्तिशाली। इन झमेलों से बचते हुये केवल इतना जान लें कि पाँच मर्तबा दूध पिलाने से वह महिला हराम हो जायेगी, इस से कम में नहीं। इस के तर्क में एक तो ऊपर आ़इशा की हदीस है। दूसरे यह कि सहला रज़ि॰ ने हुज़ैफ़ा (अपने पति) के गुलाम को पाँच मर्तबा पिलाया फिर वह उन के बच्चे की तरह हो गया (सहीह अबू दावूद-1815) इब्ने तैमिय्या रह॰ भी इसी को मानते हैं (फ़तावन्निसा) एक मर्तबा, दो मर्तबा पिलाने से निकाह हराम नहीं होता (मुस्लिम-1450) अबू दावूद (2063) तिर्मिज़ी (1150) इब्ने माजा (1940) छाती को एक मर्तबा या दो मर्तबा मुँह में डालने से हुर्मत नहीं साबित होती (मुस्लिम 1451) इब्ने माजा (1940) नसई (6/100) आदि।

प्रश्न यह है कि एक मर्तबा, दो मर्तबा किसे कहेंगे? इस का उत्तर यह है कि बच्चा माँ की छाती को मुँह में लेकर दूध पिये और फिर अपनी इच्छा से पी कर छाती से मुँह हटा ले, इस का नाम "एक मर्तबा" हुआ। अगर शरीर खुजलाने या खाँसी आदि की वजह से पीना छोड़ दे, फिर तुरन्त पीना आरंभ कर दे तो इसे दोबारा नहीं बल्कि एक ही बार माना जायेगा।

फिर दूसरी बात यह कि महिला की छाती में दूध का होना भी शर्त है। अक्सर यह होता है कि बूढ़ी महिलायें बच्चे को चुप करने के लिये अपनी छाती उस के मुँह में डाल देती हैं और दूध नहीं होता है और बच्चा भी चुप हो जाता है, इस से हुर्मत नहीं साबित होती है।

संक्षिप्त में यह कि (1) अगर बच्चा दो वर्ष से कम आयु का है (सूरः बक़रः233) (2) महिला की छाती में दूध भी है (3) और पाँच मर्तबा उस ने पिया है तब इसे दूध पीना कहा जायेगा और फिर रिश्ते हराम होंगे जिन का बयान ऊपर बाब के आरंभ में नोट में किया गया है।- ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी, फ़लाही-17.08.05 अहले हदीस मन्ज़िल, दिल्ली।

बाब {जवान लड़के को दूध चुसाने से क्या हुर्मत साबित होगी?}

880:- आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ सेरिवायत है उन्होंने बयान किया कि अबू हुज़ैफ़ा रज़ि॰ के स्वतन्त्र किये हुये गुलाम सालिम भी हुज़ैफ़ा ही के साथ उन्हीं के घर में रहते थे। एक मर्तबा हुज़ैफ़ा की पत्नी (सहला बिन्त सुहैल) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर कहने लगीं: सालिम लड़का अब बालिग़ हो चला है, अब वह मर्दों की बातें समझने लगा है, वह मेरे घर ही में रहता है, और मेरे ख़याल से मेरे पति हुज़ैफ़ा को बुरा महसूस होता है (तो मैं क्या करुँ?) आप ने फ़रमायाः (कोई बात नहीं) तुम सालिम को दूध पिला दो, तुम उस पर हराम हो जाओगी (क्योंकि दूध शरीक माँ बन जाओगी) और इस प्रकार अबू हुज़ैफ़ा के दिल में (उस के घर में आने-जाने से) कराहत भी नहीं

महसूस होगी। फिर बाद में वह लौट कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयीं और कहने लगीं: मैं ने उसे दूध पिला दिया और अबू हुज़ैफ़ा (यानी मेरे पति) के दिल से कराहत भी जाती रही।

881:– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा रज़ि॰ की पुत्री (ज़ैनब जो पहले शौहर अबू सलमा से थीं) ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की समस्त पत्नियाँ इस बात को नापसन्द करती थीं कि कोई इस प्रकार (बड़ी उम्र में) दूध पी कर (दूध शरीक बेटा बन कर) हम लोगों के घरों में आये जाये। ज़ैनब ने कहा कि आ़इशा रज़ि॰ का तो यह ख़याल था कि यह आदेश सालिम लड़के के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ से विशेष रुख़्सत और अनुमति थी। क्योंकि आप इस प्रकार किसी बड़े को दूध पिलवा कर हमारे सामने नहीं लाये और न ही हम सब को उस के समाने किया।

फ़ाइदा:– दूध पीने की हुर्मत उसी समय साबित होगी जब बच्चा ने दूध पीनेकी आयु सीमा (2 वर्ष) के अन्दर पिया हो, क्योंकि केवल इसी आयु में ही उस दूध से बच्चे के अन्दर खून बनता, माँस बढ़ता और हड्डिया मज़बूत होती हैं, और वह दूध संपूर्ण रुप से आहार का कार्य करता है।

यही कारण है कि जमहूर ने इसे सालिम ही के लिये ख़ास किया है। इन के अतिरिक्त और किसी को जवानी में दूध पिला कर अपने ऊपर हराम करने की अनुमति नहीं है। इन के विपरीत शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया और अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम का कहना है कि आज के समय में भी अगर किसी जवान को महिला के पास रोज़ाना आना-जाना अनिवार्य हो और महिला के लिये उस से पर्दा करना भी कठिन हो (जैसा कि सालिम का अबू हुज़ैफ़ा की पत्नी के साथ मामला था) तो अगर उस महिला ने उस जवान लड़के को अपना दूध पिला दिया तो उस जवान को भी दूध प्रभावित करेगा और हुर्मत साबित हो जायेगी। (आलामुल् मौक़िईन-4/346 इब्ने क़य्यिम) नवाब सिद्दीक़ हसन खाँ रह॰ के निकट यह केवल सालिम के लिये ख़ास था, क्योंकि इसके अ़लावा और किसी के साथ यह घटना नहीं घटी (रौज़तुन्नदिय्या-2/180) मुझ अनुवादक के निकट इमाम इब्ने तैमिय्या रह॰ के दावे में दम है। आ़इशा रज़ि॰ के पास किसी ऐसे बच्चे का न आना और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का न लाना, हराम होने की दलील नहीं है, और न ही यह हुक्म सालिम के लिये ख़ास है। जब भी किसी मालकिन को अपने जवान नौकर को हराम करने के लिये दूध पिलाने की आवश्यकता हो, पिला कर उसे अपने ऊपर हराम कर सकती है।

दूध पिलाने की शक्ल क्या थीं? क़ाज़ी अ़याज़ रह॰ के निकट अपनी छाती का दूध बर्तन में निचोड़ कर पिलाया होगा। इमाम नौवी रह॰ भी इसी को बेहतर मानते हैं।

बाब {बच्चा अगर भूख के समय दूध पिये तो उसे दूध पीना कहेंगे (और उस से हुर्मत

साबित होगी)}।}

882:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आये, उस समय मेरे पास कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। चुनान्चे उस का मेरे पास बैठना आप को बुरा लगा और मैं ने आप के चेहरे पर गुस्सा का प्रभाव भी देखा तो मैं ने आप से कहा: (कोई बात नहीं) यह मेरे दूध शरीक भाई हैं। आप ने फ़रमाया: अपने दूध शरीक भाइयों के बारे में तहक़ीक़ कर लिया करो, क्योंकि दूध का पीना ऐसे समय का माना जाता है जो भूख के समय पिया जाये।

फ़ाइदा:– 'जो भूख के समय पिया जाये' यानी दो वर्ष की मुद्दत के अन्दर पिया जाये जो दूध पीने की मुद्दत है। कुछ लोगों ने यह भी अर्थ लिया है कि "बच्चा इतना दूध पिये कि भूख मिट जाये।" इस प्रकार के और भी शब्द आये है: "छाती को एक मर्तबा मुँह में डाल लेने या दो मर्तबा डाल लेने से वह महिला उस बच्चे पर हराम नहीं होगी" (मुस्लिम–1451, इब्ने माजा–1940) "एक मर्तबा या दो मर्तबा दूध चूसने से हुर्मत नहीं साबित होगी" (मुसिलम–1450, अबू दावूद–2063) "एक मर्तबा या दो मर्तबा दूध पी लेने से हुर्मत नहीं साबित होगी" (मुस्लिम, अबू दावूद)

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमाने का यह अर्थ था कि इस मामले में भली भाँति जाँच लिया करो। (1) बच्चा भूखा हो (2) दो वर्ष तक का हो (3) पिलाने वाली के दूध हो (4) बच्चा ने पिया है इस का सबूत हो (5) कम से कम पाँच मर्तबा पिया हो।

नोट:– इस बाब से संबन्धित कुछ और अहम मस्अले: ★दूध पिलाने वाली महिला अगर यह दावा करे कि मैं ने फ़लाँ को दूध पिलाया है तो उस की अकेली ही गवाही शहादत के लिये काफ़ी है, दो मर्द या चार महिलाओं को गवाह लाने की आवश्यक्ता नहीं। (बुख़ारी–2659, 2660, अबू दावूद–3604, तिर्मिज़ी–1151, नसई–6/109) ★अबू हुज़ैफ़ा की पत्नी सहला ने सालिम को पाँच मर्तबा पिलाया था (मुस्लिम–1453, इब्ने माजा–1943, बुख़ारी–5088) ★दो वर्ष तक दूध पिलाना जाइज़ तो है, कोई अनिवार्य नहीं है (सूर: बक़र 233 "जो पूरे दो वर्ष पिलवाना चाहे") ★सगी माँ के होते हुये चाहे तो दूसरी महिला से उजरत पर दूध पिलवा सकता है (सूर: बक़र:233) ★दूध पिलाने वाली को उजरत में एक गुलाम या लौंडी दी जाये, लेकिन यह हदीस ज़ईफ़ है (ज़ईफ़ अबू दावूद–445, ज़ईफ़ तिर्मिज़ी–196, ज़ईफ़ नसई–213)

❀ ❀ ❀

किताबुन्नफ़क़ति
(बीवी-बच्चों पर ख़र्च करने का बयान)

नोटः- बाल-बच्चों पर अपनी कमाई ख़र्च करने की बड़ी ताकीद आयीं है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया हैः "जिस के पास अच्छा-ख़ासा माल-दौलत है वह उसी प्रकार अच्छा-ख़ासा ख़र्च भी करे, लेकिन जिस पर उस की रोज़ी तंग हो तो जितना कुछ अल्लाह ने उसे दिया है उसी में से अपने हिसाब से ख़र्च करे। और अल्लाह तआ़ला किसी पर भी उस की ताक़त से अधिक बोझ नहीं डालता (सूरः तलाक़-7) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बीवी-बच्चों पर उतना ख़र्च करना अनिवार्य है, जितना आ़मतौर पर लोग उन्हें खिलाते-पिलाते, पहनाते-ओढ़ाते हैं। (मुस्लिम-1218) इस के लिये कोई सीमा तै नहीं की गयी है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि सब को एकसमान आवश्यक्ता हो। कोई कम खाता है और कोई अधिक खाता है। कोई बीमार रहता है किसी को बीमारी ही नहीं होती। इसलिये हर व्यक्ति को उस की आवश्यक्तानुसार दिया जाये ताकि उस की आवश्यक्ता पूरी हो जाये। और उतनी मात्रा में देना वाजिब है।

बाब {पहले अपने ऊपर ख़र्च करे, फिर बाल-बच्चों पर, फिर निकट संबन्धियों पर}

883:- जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक व्यक्ति ने गुलाम आज़ाद करते हुये कहा कि तू मेरे देहान्त कर जाने के पश्चात् स्वतन्त्र है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इस की सूचना मिली तो आप ने उस से पूछाः तुम्हारे पास इस गुलाम के अतिरिक्त और कुछ धन-माल है? उस ने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः इस गुलाम को मेरे हाथ से कौन खरीदेगा? तो अबू नुअ़ैम ने उसे आठ सौ दिर्हम में खरीद लिया और क़ीमत ला कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को दे दी। आप न उसे मालिक को देते हुये फ़रमायाः देखो! पहले अपने ऊपर ख़र्च करो, फिर अपने रिश्तेदारों पर (अगर उन पर भी ख़र्च करने के बाद कुछ बच रहे तो) फिर इधर-उधर ख़र्च करो, औरअपने दायें-बायें हाथ से इशारा किया (यानी यहाँ-वहाँ सदक़ा-ख़ैरात कर दो)

फ़ाइदाः- इस हदीस से मालूम हुआ कि प्रथम बीवी-बच्चों पर ख़र्च किया जाये, जब कुछ बचे तब सदक़ा-ख़ैरात किया जाये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने

फ़रमायाः "महिलाओं का तुम पर यह हक़ है कि तुम उन्हें खिलाओ-पिलाओ और पहनाओ-ओढ़ाओ, इस में तन्गी न करो (इब्ने माजा, अबू दावू) और अगर पति इस में कंजूसी से काम ले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पत्नी को अनुमति दी है कि बिना पति से अनुमति माँगे आवश्यक्तानुसार उस के माल में से ले ले (यह हदीस आगे आ रही है देखें 887) बहुत से अल्लाह वाले ऐसे भी होते हैं कि बाल-बच्चों पर रोज़ी-रोटी तंग है, लेकिन ख़ैरात करने में आगे होते हैं, ऐसे लोगों के लिये यह हदीस दिशा निर्देश है।

बाब {गुलामों पर ख़र्च करना अनिवार्य है, और उन का ख़र्च रोकना पाप है।}

884:– ख़ैसमा का बयान है कि हम लोग अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ के पास बैठे हुये थे कि इसी बीच उन का चौकीदार भी आ गया। उन्होंने उस सेपूछाः गुलामों को खाना-ख़र्चा दे दिया? उस ने कहाः नहीं। कहाः तुरन्त दे दो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है किसी व्यक्ति के गुनाहगार होने के लिये इतना ही काफ़ी है कि वह जिस को ख़र्च देता है उसे न दे।

फ़ाइदा:– गुलाम भी बीवी-बच्चों की तरह परिवार का एक फ़र्द (सदस्य) है, इसलिये उस का भी वही हक़ बनता है जो औरों का बनता है। चुनान्चे इब्ने उमर रज़ि॰ के बारे में बयान किया जाता है कि जिस रंग और क्वालिटी का वस्त्र स्वँ पहनते, अपने गुलाम को भी पहनाते। जिस प्रकार का खाना स्वयँ खाते वही गुलाम को भी खिलाते।

बाब {बीवी-बच्चों पर ख़र्च करने की फ़ज़ीलत का बयान।}

885:– सौबान रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सब से बेहतरीन माल वह माल है जिसे आदमी अपने बाल-बच्चों पर ख़र्च करता है। इसी प्रकार वह माल भी सब से बेहतरीन है जो अपने जानवरों पर (जिहाद की तय्यारी में) ख़र्च करता है। इसी प्रकार वह माल है जिसे अपने दोस्तों पर अल्लाह की राह में ख़र्च करता है। अबू क़िलाबा ने बयान किया कि (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पहले) बाल-बच्चों से आरंभ किया। फिर कहने लगेः उस से अधिक और किस को सवाब मिलेगा जो अपने छोटे बच्चों पर ख़र्च करता है। अल्लाह पाक इस ख़र्च के बदले में उसे नफ़ा देगा, या उस को (हर प्रकार की चिन्ताओं से) बेफ़िकर कर देगा।

886:– अबू मस्ऊद अल् बद्री रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक मुस्लिम बन्दा अपने घर वालों पर ख़र्च करेन के बाद उस पर सवाब की आशा रखता है तो उस का ख़र्च करना सदक़ा में लिखा जायेगा।

फ़ाइदा:– मालूम हुआ कि माता-पिता और बाल-बच्चों पर पहले ख़र्च किया जाये, फिर अगर बचे तो दूसरे निकट संबन्धियों, मजबूरों और दूसरे कार्यों में ख़र्च किया जाये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः देने वाला हाथ ऊपर होता है। और पहले

उन पर ख़र्च करो जो तुम्हारी देख-रेख में हैं। उन में तुम्हारे माता-पिता, तुम्हारी बहन, और तुम्हारे भाई हैं। इन सब पर ख़र्च करने के बाद रिश्ता और संबन्ध को लेकर जो अधिक निकट हैं उन पर ख़र्च करो। (अबू दावूद, तिर्मिज़ी) मालूम हुआ कि जिहाद की तैयारी पर ख़र्च करने के पहले माता-पिता और बीवी-बच्चों पर ख़र्च करना अनिवार्य है।

बाब {पत्नी का यह हक़ बनता है कि वह अपने पति के माल में से लेकर पति के बच्चों पर ख़र्च करे।}

887:- आइदशा सिद्दीक़ा रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि (अबू सुफ़यान की पत्नी) हिन्द नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयीं और कहने लगीं: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मैं अल्लाह की क़सम खा कर कहती हूँ कि (कुफ्र की हालत में) मैं यह पसन्द करती थी कि पूरी दुनियाँ में बसे हुये इन्सानों में केवल अल्लाह आप के घर वालों को ज़लील कर दे, और अब (ईमान ले आने के बाद) यह हाल है कि पूरी दुनियाँ में बसे हुये इन्सानों में मुझे आप का घराना सब से अधिक महबूब है। यह सुन कर आप ने फ़रमाया: क़सम है उस ज़ात की जिस के हाथ में मेरी जान है, हाँ। फिर हिन्द कहने लगीं: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मेरे पति अबू सुफ़यान कंजूस हैं, तो अगर मैं उन की अनुमति के बिना उन के माल में से थोड़ा-बहुत लेकर उन्हीं के बाल-बच्चों पर ख़र्च कर डालूँ तो मुझ पर कुछ गुनाह तो नहीं है? आप ने फ़रमाया: कोई गुनाह नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि जाइज़ तरीक़े के साथ (यानी फजूल ख़र्ची से बचते हुये) ख़र्च करो।

फ़ाइदा:- बुख़ारी शरीफ़ में इस प्रकार है: "आ़म तौर पर जितना लिया जाता है उतना ले लिया करो जो तुम्हारे और बच्चों के लिये काफ़ी हो जाये।" (बुख़ारी-2211) मालूम हुआ कि बीवी-बच्चों पर ख़र्च बाप के ज़िम्मा है, जिस का अदा व पूरा करना वाजिब है। और अगर कंजूसी से काम ले तो उन से वसलू करने के लिये जाइज़ तरीक़ा भी अपना सकती है। मगर यह बहुत ही अनिवार्य है कि निय्यत बाल-बच्चों पर ख़र्च करने की हो, उस का घर ख़राब और बर्बाद करने की न हो, वर्ना हर्गिज़-हर्गिज़ अनुमति नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लेने की कोई सीमा नहीं बताई है केवल "मारुफ़" का शब्द प्रयोग है। इस का अर्थ यह है कि पास-पड़ोस और ख़ान्दान के लोग जितना अपेन बाल-बच्चों पर ख़र्च करते हैं।

बाब {जिस महिला को तीन तलाक़ हो गयी है, उस के अ़िद्दत के दौरान का खाना-ख़र्चा तलाक़ देने वाले पति पर नहीं है।}

888:- क़ैस की पुत्री फ़ातिमा रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जिस महिला को तीन तलाक़ दी गयी है, के बारे में फ़रमाया: ऐसी महिला को खाना-पीना और अ़िद्दत बिताने का ठोर-ठिकाना नहीं मिलेगा।

889:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि क़ैस की पुत्री फ़ातिमा का यह कहना कि तीन तलाक़ दी हुयी महिला के खाना–ख़र्चा और ठहराने का जिम्मेदार कोई नहीं, उन का यह कहना दुरुस्त नहीं है (जिस ने तलाक़ दी है उसे देना चाहिये)

890:– अबू इस्हाक़ ने बयान किया कि एक मर्तबा मैं अस्वद बिन यज़ीद के साथ एक बड़ी मस्जिद में बैठा हुआ था, उस समय इमाम शोबी भी साथ ही में थे। इसी बीच इमाम शोबी ने क़ैस की पुत्री फ़ातिमा की हदीस बयान की कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न खर्च दिलवाया और न अ़िद्दत बिताने के लिये घर। यह सुन कर अस्वद बिन यज़ीद ने कहा कि तुम भी फ़ातिमा ही की तरह बयान करते हो। हालाँकि उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ का कहना है कि अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को एक महिला के कहने पर नहीं छोड़ सकते। क्या मालूम उस ने (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन कर) याद रखा, या भूल गयी हो। तीन तलाक़ दी गयी महिला को बहरहाल अ़िद्दत गुज़ारने के लिये घर भी चाहिये और खाना–ख़र्चा भी (जो तलाक़ देने वाले पति के ज़िम्मा है)

फ़ाइदा:– यह रिवायत अहमद (6/412) अबू दावूद (2284) नसई (6/75) तिर्मिज़ी (1135) इब्ने माजा (2035) इब्ने हिब्बान (4291) आदि में भी है। एक रिवायत में है कि आप ने फ़ातिमा से कहा: "अगर तू हमल से होती तो तुझे ख़र्चा मिलता" (मुस्लिम–1480, अबूदावूद–2290, अहमद–6/414) फ़ातिमा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फ़रमाया था: "ख़र्चा और रहने के लिये घर केवल उस महिला के लिये है जिस से पति रुजूअ़ कर सकता हो (और तीन तलाक़ के बाद रुजूअ़ ही नहीं है) (नसई–6/144, अहमद–6/373)

उमर फ़ारुक़, आइशा और उस्वद बिन यज़ीद के अतिरिक्त बहुत से इमाम भी महिला के तरफ़दार हैं। लेकिम उन लोगों का केवल ख़याल और तहक़ीक़ है, जो सहीह हदीस की मौजूदगी में रद्द मानी जायेगी। इस प्रकार फ़ातिमा पर महिला होने के नाते शुब्हा किया जाने लगे तो बहुत सी महिलाओं की हदीसें (चाहे वह आइशा रज़ि॰ ही क्यों न हों) रद्द मानी जायेगी। सच्ची बात यह है कि महिला के पति के घर में अ़िद्दत गुज़ारने का आदेश इसलिये हुआ है कि हो सकता है पति को महिला पुनः पसन्द आ जाये और रुजूअ़ कर ले। लेकिन यहाँ तो तीन तलाक़ के बाद रुजूअ़ का प्रश्न ही नहीं उठता इसलिये मैं कहता हूँ कि पति के घर में ऐसी महिला का अ़िद्दत न बिताना अनिवार्य है, क्योंकि एक दूसरे को देख कर कुढ़ेंगे और पसन्द आ जाने पर भी रुजूअ़ नहीं कर सकेंगे और दोनों ही मांसिक रुप सेतनाव में रहेंगे। (ख़ालिद)

हाँ, अगर गर्भवती है तो महिला पति के बच्चे को पेट में पाल रही है इसलिये खाना–खर्चा और ठौर ठिकाना देना अनिवार्य है। (सूरः तलाक़ 6) फिर बच्चा जनने के बाद अगर खाना–ख़र्चा और उजरत मिलेगी तो दूध पिलाने की पाबन्द है, वर्ना नहीं।

ज़र्बदस्ती उस से दूध नहीं पिलवा सकता (देखें सूरः बक़रः आयत 233, सूर तलाक़ 6 की तफ़सीर) फिर सूरः बक़रः 241, सूरः तलाक़ 6,7 सूरः निसा 5, आदि में खाना, खर्चा देने का ज़िक्र है वह ऐसी महिला के बारे में है जिस से रुजूअ़ की गुंजाइश है। हाँ, अगर अपनी तरफ़ से नेकी समझ कर पति कुछ दे दे तो यह नफ़ली काम हुआ, लेकिन अपने घर में अ़िद्दत न गुज़ारने दे (कारण ऊपर बयान हुआ)

गुनाहगार-ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी, 21.8.05, दिल्ली।

❀❀❀

किताबुल अित्कि
(गुलामों को स्वतन्त्र करने के मसाइल)

नोटः— हर व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वतन्त्र पैदा होता है। अगर वह किसी का गुलाम और दास है तो केवल अल्लाह का, जिस ने पैदा किया और उसे आजीविका देता है। इस्लाम के आने से पूर्व मनुष्य की हैसियत भेड़–बकरियों की सी थी। कमज़ोर वर्ग को पकड़ कर गुलाम बना लिया जाता था, उन से जानवरों की तरह काम लिया जाता था। वह उन की संपत्ति होते थे। जानवरों की तरह वहभी बाज़ार में बेचे जाते थे, जानवरों ही की तरह उन का भी मोल भाव होता था। लेकिन इस्लाम धर्म ने आ कर गुलामी को भी समाप्त करने की ठानी। चुनान्चे गुलाम आज़ाद करने पर जहन्नम से आज़ादी की शुभ सूचना दी, गुनाह का कफ़्फ़ारा, रोज़े की हालत में संभोग करने पर, क़सम खाने पर, पत्नी से ज़िहार करने पर, भूल–चूक से किसी की हत्या कर देने आदि पर गुलाम स्वतन्त्र करने का आदेश दिया। इस का परिणाम यह निकला कि आज दुनिया से गुलामी की लानत संपूर्ण रुप से समाप्त हो चुकी है और हर व्यक्ति अपने स्थान पर स्वतन्त्र है।

बाब {किसी गुलाम को स्वतन्त्र करने की फ़ज़ीलत का बयान।}

891:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना, आप ने फ़रमायाः अगर किसी ने मुसलमान गुलाम को स्वतन्त्र कर दिया तो अल्लाह पाक बदले में स्वतन्त्र करने वाले के हर भाग को गुलाम के हर भाग के बदले में जहन्नम से स्वतन्त्र कर देगा। यहाँ तक कि उस की शर्मगाह भी, गुलाम की शर्मगाह के बदले स्वतन्त्र कर देगा।

फ़ाइदाः— किसी मनुष्य को, मनुष्य की दासता से निकाल कर स्वतन्त्र करना और केवल अल्लाह पैदा करने वाले की गुलामी में देना यह बहत बड़ा नेकी का कार्य है, इसलिये इतना बड़ा सवाब भी रखा है। इन्सान की गुलामी से बढ़ कर कोई पाप नहीं और इसे स्वतन्त्र करने की नेकी से बढ़ कर कोई नेकी नहीं।

बाब {बेटे का बाप को स्वतन्त्र करना कैसा है?}

892:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

ने फ़रमायाः पुत्र अपने पिता का हक़ नहीं अदा कर सकता मगर एक सूरत में। वह सूरत यह है कि उस को किसी की गुलामी में देखे और मोल लेकर आज़ाद कर दे।

फ़ाइदाः– इस्लाम से पूर्व ऐसा होता था कि बेटे की मौजूदगी में ही अत्याचारी लोग बाप को ज़र्बदस्ती अपहरण कर लेते थे और बाज़ार में जानवरों की तरह बेच देते थे। मालदार लोग ख़रीद कर उसे गुलाम बना लेते थे।

बाब {एक गुलाम के दो मालिकों में से एक मालिक अलग अपना हिस्सा आज़ाद कर दे तो?}

893:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर किसी ने गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया और वह इतना मालदार है कि गुलाम के दूसरे हिस्से की क़ीमत देकर आज़ाद करा सकता है, तो गुलाम की उचित क़ीमत तै कर के दूसरे सीझीदारों के उन के हिस्से की क़ीमत अदा कर के गुलाम को पूरा आज़ाद करा दे। लेकिन अगर उस के पास उतना माल नहीं है तो फिर उस का अपना हिस्सा ही स्वतन्त्र होगा।

बाब {ऊपर के बाब ही से संबन्धित मस्अला और उस में चेष्टा करने का बयान।}

894:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स गुलाम में का अपना हिस्सा स्वतन्त्र कर दे, तो अगर मालदार हो तो उस के दूसरे हिस्सा को भी ख़रीद कर स्वतन्त्र कर दे। और अगर उस के पास उतना माल नहीं है तो गुलाम (अपने दूसरे हिस्सा की आज़ादी के लिये) मेहनत–मज़दूरी करे और उस पर सख्ती न की जाये। (उसे अपने को आज़ाद करने का अवसर दिया जाये)

फ़ाइदाः– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने गुलामी की लानत को दूर करने के हर प्रकार के जतन किय हैं। चुनान्चे आप ने फ़रमायाः अगर कोई अपना हिस्सा स्वतन्त्र करा देता है और वह मालदार है तो गुलाम के बाक़ी हिस्से को भी ख़रीद कर आज़ाद कर दे और इस प्रकार पूरे गुलाम को आज़ाद करने का सवाब ले ले। अगर ग़रीब है तो फिर कोई बात ही नहीं। लेकिन गुलाम के दूसरे साझीदार भी अपना हिस्सा आज़ाद कर दें, या फिर उसे इतना अवसर दें कि वह कमाई कर के क़ीमत अदा कर के स्वतन्त्र हो जाये।

बाब {गुलाम स्वतन्त्र करने में कुरा (गोटी) डालना।}

895:– अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि किसी व्यक्ति ने मरते समय अपने छः गुलामों को आज़ाद कर दिया और उस के पास और कोई रुपया–पैसा न था (उस की कुल जायदाद वही गुलाम ही थे) चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस के गुलामों को बुला कर उन्हें तीन टुकड़ियों में कर दिया (इस

प्रकार दो-दो गुलाम की तीन टुक्ड़ी बनी) फिर गोटी डाली, जिन दो गुलामों के नाम गोटी निकली वह तो आज़ाद हो गये और बाक़ी चार को गुलाम ही रहने दिया (यानी एक तिहाई आज़ाद कर दिया)। फिर आपने मय्यित के हक़ में बहुत कठोर शब्द प्रयोग किये।

फ़ाइदा:– छः का एक तिहाई 2 होता है। इस प्रकार आपने केवल एक तिाहई को स्वतन्त्र करने की अनुमति दी। शरीअ़त ने मरने से पूर्व एक तिहाई माल ख़ैरात करने की वसिय्यत की है। इस का उद्देश्य यह है कि वारिस लोग मुहताज न रहें कि उन्हें भीख माँगने की नौबत आ जाये। आप ने हज़रत सअ़द बिन वक़्क़ास रज़ि० से फ़रमाया था "अगर तुम अपने मरणउपरान्त अपने वारिसों को मालदार छोड़ों तो यह इस से कहीं बेहतर है कि उन्हें मुहताज छोड़ो (बुख़ारी-2742, 2744) अगर कोई एक तिहाई से अधिक वसिय्यत करेगा तो उस पर नहीं अ़मल होगा।

बाब {जिस को आज़ाद कराया है उस का तर्का आज़ाद करने वाले को मिलेगा।}

896:– आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि० ने बयान किया कि बरीरा रज़ि० ने मेरे पास आ कर कहा कि मेरे मालिकों ने मुझे नौ उक़िया चाँदी पर मुकातब बना दिया है, मुझे हर वर्ष एक ऊक़िया अदा करना है तो आप इस में मेरी सहायता करें। मैं ने उन से कहाः अगर तुम्हारे मालिक पसन्द करें तो मैं पूरी रक़म यकबांगी दे दूँ और तुम आज़ाद हो जाओ, लेकिन शर्त यह है कि (तुम्हारे मरने के बाद) तुम्हारे छोड़े हुये माल (तर्का) की मालिक मैं रहूँगी। बरीरा रज़ि० ने जब अपने मालिक लोगों से इस का ज़िक्र किया तो वह राज़ी न हुये और यह कहा कि वला (तर्का) हम ही लेंगे। फिर बरीरा ने वापस आ कर मुझ से बताया तो मैं ने उन्हें डाँटा, लेकिन वह नहीं मानीं, और कहने लगीं: अल्लाह की क़सम! यह संभव नहीं (कि तर्का आप लें)

आ़इशा रज़ि० ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब पता लगा तो आप ने मुझ से पूछा। मैं ने पूरी कहानी बयान कर दी तो आप ने फ़रमायाः तुम ख़रीद कर उन्हें आज़ाद कर दो और उन लोगों को वला की शर्त लगाने दो। वला का हक़ उसी को बनता है जो आज़ाद कराता है। चुनान्चे मैं ने वैसा ही किया जैसा आप ने आदेश दिया। फिर आप ने शाम को खुत्बा दिया और अल्लाह की प्रशंसा की फिर फ़रमायाः उन लोगों को क्या हो गया है कि वह ऐसी शर्तें लगातें हैं जिस का ज़िक्र अल्लाह की पुस्तक में नहीं। और जिस शर्त का ज़िक्र अल्लाह की पुस्तक में न हो वह शर्त बेबुनियाद है। इस प्रकार की शर्तें चाहे सौ बार लगाई जायें। अल्लाह की पुस्तक इस की हक़दार है (कि उस पर अ़मल किया जाये) और अल्लाह की शर्त ही सब से मज़बूत है। तुम में से कुछ लोगों का यह कहना है कि आज़ाद तो तुम करो और उस का तर्का हम लें, हालाँकि तर्का उसी को मिलेगा जिस ने आज़ाद किया है।

फ़ाइदा:– 'मुकातब' उस लौंडी या गुलाम को कहते हैं जिस को मालिक यह कह दे कि अगर तुम मुझे इतना रुपया कहीं से भी ला कर दे दो तो तुम आज़ाद हो। शर्त

क़िस्तों में भी हो सकती है और यकमुश्त में भी। एक रिवायत में पाँच ऊक़िया का ज़िक्र है। हदीस में 'वला' का शब्द आया है, इस का अर्थ है जिस को आज़ाद किया है उस के मरने के बाद उस की जायदाद का मालिक होना।

इस हदीस से बहुत से मस्ले मालूम हुये (1) क़ुरआन और हदीस के ख़िलाफ़ लगाई गयी शर्त बातिल मानी जायेगी और उस पर अ़मल नहीं होगा (2) लौंडी-गुलाम के तर्का का मालिक आज़ाद करने वाला ही होगा (3) बरीरा के पति मुग़ीस भी गुलाम थे। बरीरा को आज़ाद होने के बाद इख़्तियार दे दिया गया था कि अगर चाहो तो अपने पति के साथ रहो, चाहो तो आज़ाद हो जाने के बाद अलग हो जाओ। चुनान्चे वह अलग हो गयी थीं, जैसा कि नीचे हदीस आ रही है।

बाब {जो लौंडी आज़ाद हो जाये उसे अपने गुलाम पति के पास रहने या न रहने के बारे में इख़्तियार है।}

897:- आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि बरीरा के मामले से तीन सिद्धान्त (मस्अले) मालूम हुये। एक यह कि उन्हें अपने पति के बारे में जब वह आज़ाद हो गयीं तो इख़्तियार मिल गया (कि चाहें तो उन से अलग हो जायें और चाहें तो उन्हीं के निकाह में रहें) दूसरा मस्अला यह मालूम हुआ कि एक मर्तबा उन्हें कहीं से सदक़ा में माँस मिला तो हँड़िया में पक रहा था। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास आयेऔर खाना माँगा तो रोटी और घर का कच्चा सालन (यानी घी, सिंका, या तेल) आप को पेश किया गया तो आप ने फ़रमायाः माँस की हंडिया चूल्हें पर चढ़ी हुयी है (उसे लाओ) लोगों ने कहाः हाँ, चढ़ी तो है लेकिन वह माँस बरीरा को सदक़ा में भेजा गया है, इसलिये हम ने अच्छा नहीं जाना कि आप को सदक़ा का माँस खिलायें। आप ने यह सुन का फ़रमायाः जी हाँ, उस के लिये तो वह सदक़ा है लेकिन उस की तरफ़ से हमारे लिये हदिया है। तीसरा मस्अला यह मालूम हुआ कि बरीरा के मामले में आप ने फ़रमायाः तर्का उसी को मिलता है जो आज़ाद करे।

फ़ाइदाः- मालूम हुआ कि अगर फ़क़ीर सदक़ा पाये, फ़िर उसे किसी मालदार आदमी को हदिया और उपहार में दे दे तो मालदार के लिये उसे खाना-पीना जाइज़ है। क्योंकि फ़क़ीर के लिये बेशक सदक़ा था, अब इस के लिये हदिया, तोहफ़ा और उपहार हो गया। यह भी मालूम हुआ कि 'वला' अर्थात मरनेके बाद छोड़ी हुयी पूँजी का मालिक आज़ाद करने वाला होगा (अगर आज़ाद होने वाले गुलाम के कोई अ़स्बा, यानी लड़का आदि नहीं है तो) यह भी मालूम हुआ कि लौंडी स्वतन्त्र हो जाने के बाद चाहे तो अपने गुलाम पति के निकाह ही में रहे, या चाहे तो उस से निकाह समाप्त कर ले। चुनान्चे बरीरा ने अपना निकाह समाप्त कर लिया। इन के पति का नाम मुग़ीस था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बरीरा से कहा कि मुगीस के साथ ही रहो। उन्होंन पूछाः क्या आप का हुक्म हैं? आप ने फ़रमायाः नहीं, केवल अनुरोध करता हूँ। बरीरा ने कहाः फिर

तो उन के साथ नहीं रहूँगीं। मुग़ीस गली-कूचों में बरीरा के पीछे-पीछे रोते हुये चलते थे, लेकिन बरीरा ने उन के साथ रहना पसन्द न किया। एक रिवायत में है कि मुग़ीस आज़ाद थे, लेकिन इमाम क़स्तलानी ने गुलाम ही लिखा है और यही दुरुस्त है, वर्ना बरीरा को इख़्तियार न मिलता।

बाब {वला (तर्का) को बेचना या किसी को उपहार में देना दुरुस्त नहीं है।}

898:- इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने वला के बेचने और उसे उपहार देने से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:- किसी को आज़ाद करने की वजह से उस के साथ भाई-चारा, मेल-मिलाप और मित्रता का संबन्ध हो जाता है। गोया कि वह उस का भाई हो गया। इसी नाते अगर उस गुलाम का अ़स्बा और लड़का आदि अस्ल मालिक कोई नहीं है, तो उस का तर्का आज़ाद करने वाले को मिलता है। इसलिये उस जायदाद को बेचना गोया उस से संबन्ध तोड़ना हुआ। ज़ाहिर है जिस को आज़ाद किया अब वह तो मर चुका। अब केवल उस की यादें और तर्का ही बचा है, इसलिये तर्का को बेच कर, या किसी को दे कर उसे न भुलाओ और उस भाई-चारा और पवित्र संबन्ध को बाक़ी रखो। कुछ उलमा ने अहम आवश्यकता पड़ने पर बेच देने की गुंजाइश निकाली है, लेकिन बेहतर और अ़फ़ज़ल हदीस पर अ़मल करना ही है।

बाब {जो व्यक्ति अपना मालिक और वाली किसी दूसरे को बताए वह महापापी है।}

899:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो व्यक्ति अपने मालिकों की अनुमति के बिना दूसरे को अपना मौलाऔर मालिक बनाए, ऐसे व्यक्ति पर अल्लाह और उस के फ़रिश्तों की लानत पड़ती है और उस की न तो कोई फ़र्ज़ इबादत क़ुबूल होती है और न ही नफ़्ल।

फ़ाइदा:- 'वला' यानी गुलाम को आज़ाद करने के बाद उस से संबन्ध यह बिल्कुल नसब के समान है। जिस प्रकार कोई किसी के कोख से पैदा होने के बाद उस का इन्कार नहीं कर सकता, इसी प्रकार आज़ाद करने के बाद गुलाम अपने आज़ाद करने वाले मालिक (जिसे "मौला" कहा जाता है) के संबन्ध और भाई-चारा से इन्कार नहीं कर सकता। उस के माता-पिता का तो अता-पता नहीं, इसलिये यही मौला ही उस की बीमारी और दूसरे मामलों में काम आता है। इमाम नाफ़े गुलाम थें, इन्हें इब्ने उमर रज़ि॰ ने आज़ाद किया था। नाफ़े ने मरते दम तक उन से अपना सिलसिला जोड़े रखा। इसी प्रकार सालिम के मौला (यानी आज़ाद करने वाले) हुज़ैफ़ा रज़ि॰ थे। सालिम जीवन भर उन के साथ रहे, यहाँ तक कि हुज़ैफ़ा की पत्नी को 14 वर्ष के बालिग़ सालिम को दूध पिला कर अपना दूध शरीक़ बेटा बनाना पड़ा। इसी पुस्तक की हदीस न॰ 880, 881 का फ़ाइदा अवश्य देखें। यही कारण है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने आक़ा और मालिक

का इन्कार कर के दूसरे से संबन्ध जोड़ने वाले पर लानत फ़रमाई है।

बाब {मालिक जब अपने गुलाम को मारे तो (बदले में) उसे स्वतन्त्र ही कर दे।}

900:—अबू मस्ऊद अन्सारी रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं अपने गुलाम को मार रहा था कि इतने में पीछे से एक आवाज़ सुनी: "ऐ अबू मस्ऊद! याद रखो, अल्लाह पाक तुम्हारे ऊपर उस से कहीं अधिक पकड़ रखता है, जितना तुम इस गुलाम पर रखते हो। चुनान्चे मैं ने पीछे मुड़ कर देखा तो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैं ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! वह अल्लह की राह में स्वतन्त्र है। इस पर आप ने फ़रमाया: अगर तुम उसे स्वतन्त्र न करते तो जहन्नम की आग तुम्हें जला डालती, या तुम से चिमट जाती।

901:— ज़ाज़ान से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि॰ ने अपने गुलाम को बुला कर उस की पीठ पर चोट के निशान देखे तो बोले: मैं ने तुम्हें बहुत तक्लीफ़ दी। उस गुलाम ने कहा: नहीं, कोई बात नहीं। इब्ने उमर ने कहा: नहीं, तुम स्वतन्त्र हो। फिर भूमि से कोई वस्तु उठा कर कहने लगे: इस गुलाम के स्वतन्त्र करने पर मुझे इतना भी तो सवाब नहीं मिला, क्योंकि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि जो मालिक बिना किसी दोष के अपने गुलाम को तमाचा मार दे, या हद जारी कर दे तो उस का कफ़्फ़ारा यह है कि उसे आज़ाद कर दे।

902:— सुवैद बिन मुक़रिन रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मेरी लौंडी को किसी ने तमाचा मार दिया तो मैं ने कहा: तुम्हें मालूम नहीं कि मुँह पर मारना हराम है। देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हम लोग सात भाई थे और हमारे पास केवल एक ही नौकर था। भाइयों में से किसी ने उसे एक तमाचा मार दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमने उसे आज़ाद कर देने का आदेश दे दिया।

फ़ाइदा:— मनुष्य ही नहीं, जानवरों के भी चेहरे पर मारने से मना फ़रमाया है। मुस्लिम की एक रिवायत में है कि अल्लाह पाक ने मनुष्य को आदम की सूरत में पैदा किया है। चेहरा शरीर का ऐसा भाग है जिस में अल्लह पाक ने पूरे शरीर की सुन्द्रता भर दी है। चेहरा ही से आदमी पहचाना जाता है। अगर चेहरा बिगड़ जाये तो मनुष्य को पहचानना कठिन होजायेगा। गुलाम ने कोई पाप किया हो, अथवा मामूली जुर्म किया हो, चेहरे पर मारना हर हाल में मना है।

बाब {अगर कोई लौंडी अथवा गुलाम पर जिना का आरोप लगाए तो उस पर क़ियामत के दिन हद जारी होगा, मगर यह कि वह अपने आरोप में सच्चा हो।}

903:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अबुल् क़ासिम (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया: जो व्यक्ति अपने गुलाम या लौंडी पर ज़िना का झूठा आरोप लगायेगा, उस पर क़ियामत के दिन हद जारी किया जायेगा, हाँ मगर

यह कि वह अपने आरोप में सच्चा हो।

फ़ाइदाः– स्पष्ट है कि गुलाम होने के नाते वह बेचारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह पाक उस आरोप का बदला आख़िरत में देगा और झूठे आरोपी को दन्ड देगा। जैसा कि ऊपर हदीस न॰ 900 में बयान हुआ कि आज तुम गुलाम पर ताक़त रखते हो इसलिये मार रहे हो, लेकिन तुम से अधिक ताक़त रखने वाला अल्लाह तुम को भी क़ियामत के दिन दन्ड देगा।

बाब {गुलामों को जो खाओ वही खिलाओ, जो पहनो वही पहनाओ, और उन पर उतना ही भार डालो जितना वह सहन कर सकें।}

904:– मारुर बिन सुवैद ने बयान किया कि हम लोग 'रबज़ा' के स्थान पर अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ि॰ से मुलाक़ात करने के लिये गये तो क्या देखा कि वह चादर ओढ़े हुये हैं और उन का गुलाम भी वैसी ही चादर ओढ़े हुये है। यह देख कर मैं ने कहाः ऐ अबू ज़र! आप अगर दोनों चादरें ले लेते तो आप के लिये एक जोड़ा तय्यार हो जाता। यह सुन कर उन्होंने कहाः एक मर्तबा मुझ में और मेरे साथी के दर्मियान झगड़ा हो गया। उस की माँ अ़जमी थी, मैं ने उस को माँ की गाली दे दी। उस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से शिकायत कर दी। फिर जब मैं आप से मिला तो आप ने फ़रमायाः ऐ अबू ज़र! तुम्हारे अन्दर अभी भी जाहिलिय्यत का प्रभाव मौजूद है (कि दूसरे के माता-पिता को ज़लील समझते हो) मैं ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! अगर कोई किसी को गाली देगा तो वह भी तो उस को गाली देगा। आप ने फ़रमायाः अभी तुम्हारे अन्दर जाहिलिय्यत की बू बाक़ी है (उस ने बुरा-भला कहा तो उस को कहो, उस की माँ ने क्या बिगाड़ा है) देखो! वह भी तुम्हारे भाई ही हैं (फ़र्क़ इतना है कि) अल्लाह ने उस को तुम्हारे अधीन कर दिया है (यानी गुलाम बना दिया है) इसलिये जो तुम खाओ उसे भी वही खिलाओ, और जो पहनो उसे भी वही पहनाओ, और उस की क्षमता से अधिक उस पर भार न डालो, और इस प्रकार का कार्य उस से लेना ही पड़ जाये तो स्वँय भी उस की सहायता में लग जाओ।

905:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम्हारा नौकर गर्मी और धुवाँ आदि बर्दाशत कर के तुम्हारे लिये खाना पका कर लाये तो उस को भी अपने साथ ही बैठा कर खिलाओ, और अगर खाना थोड़ा हो तो लुक़्मा-दो लुक़्मा उस के हाथ ही पर रख दो।

फ़ाइदाः– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इन हदीसों में आदेश देकर जाहिलिय्यत और कुफ़्र व शिर्क के समय-काल के अभिमान और घमन्ड को चूर-चूर कर के रख दिया। इस्लाम में दाख़िल होने के बाद सब एक समान हैं, सब अल्लाह के दास हैं, इसलिये ऊँच-नीच और ज़ात-पात कोई वस्तु नहीं। अगर कोई चीज़ किसी को

ऊँचा-नीचा करती है तो वह केवल तक़्वा, प्रहेज़गारी है। हज़रत बिलाल रज़ि॰ गुलाम थे, हब्शी गोत्र से थे, काले कलूटे थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन की जूतियों की आवाज़ जन्नत में अपने आगे सुनी। यह इस्लाम ही है जिस ने गुलामों को इन्सानियत का दर्जा दिया और उन के साथ अच्छे बर्ताव करना उतना ही अनिवार्य बताया जितना अपने दूसरे निकट संबन्धियों के साथ। इस प्रकार संसार से दास्ता का समय काल समाप्त हो गया।

बाब {उस गुलाम के लिये बहुत बड़ा सवाब है जो अपने मालिक के लिये भलाई के कार्य करता है और अल्लाह की अच्छी तरह इबादत भी करता है।}

906:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक गुलाम जब अपने मालिक के साथ भलाई के कार्य करता है और अल्लाह की इबादत भी अच्छी तरह करता है तो उस को दोगुना सवाब मिलता है।

फ़ाइदाः– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नेक गुलाम को दोगुना सवाब मिलता है (अपने मालिक के साथ वफ़ादारी करने का और दूसरे अल्लाह की इबादत करने का) उस ज़ात की क़सम, जिस के हाथ में अबू हुरैरा की जान है, अगर अल्लाह की राह में जिहाद, हज्ज और माताजी की सेवा और ख़िदमत (की रोक) न होती तो मैं इस बात को पसन्द करता कि गुलामी की हालत में मरुँ (और दोगुना सवाब प्राप्त करुँ) अबू हुरैरा रज़ि॰ ने हज्ज नहीं किया था, बल्कि अपनी बूढ़ी माता जी के देहान्त तक उन की सेवा ही में लगे रहे (इसलिये हज्ज नहीं कर सके)

अबू हुरैरा रज़ि॰ के कहने का यह अर्थ है कि गुलाम पर जिहाद और हज्ज नही फ़र्ज़ है, क्योंकि बिना अपने मालिक की अनुमति के जिहाद और हज्ज केलिये नहीं जा सकता, और इसी प्रकार एक गुलाम अपनी माता की आज़ादी के साथ सेवा भी नहीं कर सकता। इसलिये अगर यह बातें न होतीं तो मैं आज़ाद जीवन बिताने के मुक़ाबला में किसी का गुलाम बनना अधिक पसंद करता, ताकि दोगुना सवाब पाता।

बाब {मालिक के मरने के बाद आज़ाद होने वाले गुलाम को बेचना दुरुस्त है, जबकि उस के पास और दूसरा माल न हो।}

907:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने मरते समय अपने गुलाम से कहा कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद है। जब इस की सूचना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मिली तो आप ने उस से पूछाः तुम्हारे पास इस गुलाम के अतिरिक्त भी कुछ माल है? उस ने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः इस गुलाम को कौन ख़रीदता है? चुनान्चे नुऐम नामक व्यक्ति ने उसे आठ सौ रूपये में ख़रीद लिया और रूपया नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लेकर गये। आप ने गुलाम के

मालिक को वह पैसे देते हुये फ़रमायाः पहले अपने ऊपर ख़र्च करो, फिर अगर बचे तो अपने घर वालों पर, फिर भी बचे तो अपने नाते दारों पर, फिर भी बच रहे तो इधर-उधर (नेक कामों में) ख़र्च करो, और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हाथ से दाँयें-बाँयें इशारा करके फ़रमाया।

फ़ाइदाः- 'मु-दब्बर' उस गुलाम को कहतें हैं जिस के बारे में मालिक कह दे कि मेरे मरने के बाद तू आज़ाद है। शरीअ़त ने गुलामों को आज़ाद करना बहुत बड़ा सवाब का कार्य बताया है, चाहे अपने जीवन में ही आज़ाद कर दे, या अपने मरनेके बाद आज़ाद होने की वसिय्यत कर जाये।

लेकिन इस प्रकार की अनुमति उसी समय है जब उस मरने वाले मालिक के पास और दूसरे प्रक़ार का धन-दौलत हो, जो उस के वारिसों को तर्का में मिल सके और वह उसे प्रयोग में ला कर अ़िज़्ज़त का जीवन बिता सकें। यही कारण है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अधिक से अधिक एक तिहाई माल ख़र्च करने की वसिय्यत की अनुमति दी है। अब उस मालिक के पास ले देकर केवल एक ही गुलाम था उसे भी आज़ाद होने की वसिय्यत कर दी। अब स्वँय क्या ख़र्च करे और निकट रिश्तेदारों पर क्या ख़र्च करे, और दूसरे नेक कार्यों में ख़र्च करने के लिये कहाँ से लायें? इसीलिये आप ने गुलाम के स्वतन्त्र होने से पूर्व ही बेच डाला और उस की वसिय्यत को ग़लत बताया। अधिक मालूमात के लिये हदीस न॰ 883 का फ़ाइदा देखें, यही हदीस वहाँ भी बयान हो चुकी है।

अल्लाह की कृपा से आज 23 अगस्त सन 2005, मंगलवार को 6 बजे सुब्ह इस बाब का तर्जुमा और संक्षिप्त तश्रीह संपन्न हुयी-ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी, अहले हदीस मन्ज़िल दिल्ली-6

❀ ❀ ❀

किताबुल बुयूअि़
(व्यापार के मसाइल का बयान)

नोटः– शरीअ़त ने मानव के समस्त वर्ग और क्षेत्र में मार्गदर्शन किया है; चुनान्चे उस ने व्यापार करने, मोल–तोल और लेन–देन करने का तरीक़ा भी बताया है। अल्लाह पाक ने इस कार्य में बड़ी बर्कत रखी है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ईमानदारी और सच्चाई के साथ व्यापार करने वाला व्यक्ति क़ियामत के दिन सन्देष्टाओं, सिद्दीक़ों और शहीदों के साथ होगा। (तिर्मिज़ी) इस का यह अर्थ निकला कि ईमानदारी के साथ व्यापार करना बड़ा कठिन कार्य है, तभी इतना ऊँचा पद देने का वादा किया गया है। आजकल व्यापारी लोग तुरन्त धनवान बनने के चक्कर में झूठी क़समें खाते, नाजाइज़ हथकंड़े प्रयोग में लाते और धोखाधड़ी से काम लेते हैं। ऐसे व्यापारी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिन की ओर अल्लाह पाक क़ियामत के दिन रहमत की नज़र नहीं डालेगा, उन में एक झूठी क़समें खा कर अपना सामान बेचने वाला है। (बुख़ारी)

बहुत से मुसलमान व्यापार का कार्य तो करते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं मालूम कि किस प्रकार के व्यापार को शरीअ़त ने हराम कहा है और किस को हलाल। व्यापार करने वाले ऐसे मुसलमान भाइयों के लिये इस बाब और विषय का पढ़ना अत्यन्त आवश्यक और अनिवार्य है। बहुत से लोग न जानने के नाते मामूली सी ग़लती कर के अपनी आजीविका हराम कर लेते हैं।

बाब {गेहूँ का सौदा गेहूँ के बदले में हो तो बराबर–बराबर वज़न से हो}

908:– मामर बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया कि मैं ने अपने गुलाम को एक साअ़ गेहूँ देकर भेजा कि इसे बेच कर जौ ले आओ। चुनान्चे वह गया और बदले में एक साअ़ से अधिक जौ ले आया। फिर उस ने मुझ से बताया तो मैं ने उस से कहाः तू ने अपनी इच्छा से क्यों कर डाला, जाओ इसे वापस कर के आओ (आइन्दा ख़याल रखना, इस प्रकार के सौदे में) जितना देना उतना ही लेना। क्योंकि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि अनाज को अनाज के बदले में बराबर–बराबर बेचो। उन

दिनों हमारा अनाज जौ था। इस पर लोगों ने पूछाः जौ और गेहूँ में कुछ अन्तर है? इस पर उन्होंने कहा कि मुझे शुब्हा लग रहा है कि कहीं दोनों एक ही हुक्म में न आते हों (तो मैं कम-ज़्यादा लेकर गुनाहगार बनूँ)

फ़ाइदाः— कहने का अर्थ यह हैकि एक जिन्स को उसी जिन्स से बदलना है तो बराबर बराबर बदलना होगा। अगर कमी-बेशी हुयी तो सूद हो जायेगा। इसे उदाहरण से यूँ समझें कि आप के पास गेहूँ है लेकिन घटिया क्वालिटी का है और आप उसे अच्छी क्वालिटि के गेहूँ से बदलना चाहते हैं, तो चूंकि दोनों का एक ही जिन्स हैं, इसलिये जितना घटिया दें उतना ही अच्छा भी लें। वर्ना अगर कम लिया तो यही सूद कहलाएगा। अगर बराबर में कोई नहीं ले रहा (और ज़ाहिर है कि अच्छा को बुरे के बदले में बराबरब कोई नहीं देगा) तो घटिया माल को रुपये से बेच कर फिर उस रुपये से जिस भाव चाहो अच्छी क्वालिटी का गेहूँ खरीदों, क्योंकि यहाँ हालत और जिन्स बदल गयी। एक तरफ़ अच्छा गेहूँ है तो दूसरी तरफ़ नक़द है। जिन्स बदलने से सब कुछ बदल गया। (बुख़ारी-2175) इसी पुस्तक की हदीस न॰ 913 मैं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "सोना, सोने के बदले में उस समय तक न बेचो जब तक (दोनों तरफ़ से) बराबर-बराबर का लेन-देन न हो। इसी प्रकार चाँदी, धान, गेहूँ, और जौ का भी मामला है। (देखें नीचे की हदीस न॰ 913)

हदीस के रावी मामर ने एहतियात के नाते वापस कर दिया था, वर्ना जौ और गेहूँ अलग-अलग जिन्स हैं, और इन का लेन-देन कमी-बेशी के साथ निःसंदेह जाइज़ है।

बाब {क़ब्ज़ा में लेने से पूर्व उस को बेचना मना है।}

909:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो व्यक्ति कोई ग़ल्ला ख़रीदे तो जब तक उस को अपने क़ब्ज़ा में न ले ले, उसे न बेचे। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहाः मैं हर वस्तु को इसी प्रकार समझता हूँ (कि जब तक क़ब्ज़ा में न आ जाये उस का बेचना मना है)

910:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने मर्वान बिन हकम (मदीना के गवर्नर) से कहाः तुम ने सूद के कारोबार को जाइज़ कर रखा है। इस पर मर्वान ने कहाः क्यों, मैं ने कैसे जाइज़ कर रखा है? मैं ने कहाः तुम ने चेक का लेन-देन जाइज़ कर रखा है, हालाँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस ख़रीदे हुये ग़ल्ला को बेचने से मना फ़रमाया है जब तक उस पर क़ब्ज़ा न हो जाये। यह सुन कर मर्वान ने लोगों को संबोधित कर के इस प्रकार लेन-देन करने से मना कर दिया।

हदीस के रावी सुलैमान ने बयान किया कि मैं ने देखा कि उस के कारिन्दे उन चेकों को लोगों से छीन रहे हैं।

फ़ाइदाः— "कब्ज़ा में करना" का अर्थ यह है कि मोल-भाव कर के क़ीमत चुका कर

उसे अपने घर उठा ले जाये, या जहाँ बेचने वाले ने बेचा है, ख़रीदने वाला नाप-तौल कर अपनी बोरियों में भरकर अपनी दूकान पर लेकर चला जाये। जहाँ ख़रीदा है वहीं माल पड़ा रहने दे तो इस से यह शुब्हा होगा कि माल जिस की दूकान पर रखा है उसी का है और यह दलाली कर रहा है। इस से बहुत सी बुराइयाँ फैलने की शंका है। चुनान्चे इब्ने उमर रज़ि॰ की दूसरी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में जो लोग माल ख़रीदते फिर उन को अपने घर उठा लेजाने से पहले ही उसी स्थान पर बेचने लगते, तो ऐसे लोगों पर मार पड़ती थी। बेहतर है कि वहाँ से हटा दे, अपने घर उठा ले जाये, अर्थात यह कि अपनी दुकान पर ले जाये, स्थान बदल देना अनिवार्य है।

पहले लोगों को एक दस्तावेज़ या पत्र सरकार की तरफ़ से मिलता था, जिस में लिखा रहता था कि फ़लाँ को पचास किलो गेहूँ सरकारी गोदाम से दिया जाये। अभी उस ने गोदाम से गेहूँ नहीं लिया है। केवल वही कागज़ दिखा कर लोगों से कहता है कि मेरे पास पचास किलो गेहूँ है उसे मुझ से ख़रीद लो। अब कोई पचास रूपये में उस चेक को ख़रीद लेता है और उस को ले जा कर गोदाम से ले आता है। ज़ाहिर है कि उस के क़ब्ज़े में कागज़ है न कि गेहूँ, इसलिये इस प्रकार का लेन-देन दुरुस्त नहीं।

हालाँकि आजकल चेक ही इधर-उधर बैंकों में दौड़ता है न कि अस्ल रुपया। लेकिन चूँकि वह चेक ही अस्ल रूपया के समान है इसलिये दुरुस्त माना गया है।

बाब {किसी ने अनाज का ढेर ख़रीदा, तो उसे बेचने के लिये उस स्थान से हटा देना अनिवार्य है।}

911:- इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो व्यक्ति अनाज ख़रीदे, तो जब तक उस को अपने क़ब्ज़ा में न ले ले उसे न बेचे। और हम लोग अनाज बेचने वाले ताजिरों (व्यापारियों) से उन के अनाज के ढेर ही को खरीद लेते थे। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस ढेर को बेचनेसे मना फ़रमा दिया कि जब तक हम उस ढेर को वहाँ से दूसरे स्थान पर उठा कर न लेजायें।

फ़ाइदा:- माल दो प्रकार का होता है (1) जो अपने स्थान से हटाया जा सके, जैसे धान, गेहूँ, हाथी, घोड़ा, ऊँट। (2) जो अपने स्थान से न हट सके, जैसे घर, पेड़-पौधे। तो जो अपने घर या दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके उस का ले जाना अनिवार्य है। उसी स्थान पर बेचने से बड़ी बुराइयाँ फैलने की शंका होती है। ख़रीदने वाला सोचेगा कि जिस दूकान के सामने माल है वह उस का है फिर यह क्यों बेच रहा है। यह बीच में दलाली कर रहा है जबकि इस का माल नहीं है। और फिर भी संभव है यह कि बेचने वाला ही झूठ बोल दे कि अभी मैं ने नहीं बेचा है। दीन इस्लाम ने मामूली से मामूली कमियों को दूर करने की चेष्टा की है।

बाब {मापे-तौले ग़ल्ले को बिना मापे-तौले ग़ल्ले के ढेर सेबेचना दुरुस्त नहीं (क्योंकि इस से हानि या लाभ की शंका है।)}

912:- अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने "मुज़ाबना" से मना फ़रमाया है। 'मुज़ाबना' यह है कि अपने बाग़ के खजूर के पेड़ों में लगे खजूर को (अनुमान लगा कर) घर में नाप-तौल कर रखे हुये सूखे खजूर के बदले में बेचना। इसी प्रकार पेड़ में लगे हुये अन्गूर के गुच्छों का अनुमान लगा कर घर में नाप-तौल कर रखे हुये सूखे अन्गूर के बदले में बेचना। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस प्रकार के लेन-देन से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:- उदाहरण से यूँ समझें कि आप ने अपने खजूर के पेड़ में अनुमान लगाया कि पचास किलो खजूर लगे हुये हैं, फिर किसी से कहा कि तुम अपने घर में रखे हुये पचास किलो खजूर तौल कर दे दो, और मेरे पेड़ में लगे हुये अनुमान से पचास किलो खजूर ले लो। इस में एक ओर अनुमान और अन्दाज़ा है और दूसरी ओर माप-तौल है। इस प्रकार पेड़ में लगे खजूर का अनुमान ग़लत हो सकता है, इसलिये इस सौदे में फ़रीक़ैन में से किसी को हानि और किसी को लाभ पहुँच सकता है और यह हराम है। आगे चल कर तू, तू, मैं मैं और लड़ाई-झगड़े का कारण बनेगा। फिर जिस का लाभ हुआ वह उस के लिये सूद हो गया। क्योंकि दोनोंतरफ़ जिन्स खजूर है, और दोनों को कम-बेश कर के बेचना सूद हुआ और यह हराम है। (देखें नीचे की हदीस न॰ 913)

इस की जाइज शक्ल यह है कि मुझे घर में रखे पचास किलो खजूर दे दो जब तोडेंगे तो तुम्हें तौल कर पचास किलो वापस कर देगें। अब उसे पचास किलो लौटाना है, कम पड़ेगा तो कहीं से भी ला कर देगा। आजकल पूरे राष्ट्र में लोग कूत और अनुमान से माल ख़रीदते और बेचते हैं, विशेष रुप सेभंगार का। चूंकि इस में हानि भी हो सकता है और लाभ भी, इसलिये इस प्रकार का सौदा शरीअ़त में मना है। तफ़सील नीचे की हदीस में आ रही है।

इसी प्रकार खजूर के पेड़ से ताज़ा खजूर तोड़ कर घर में रखे हुये सूखे खजूर से बराबर-बराबर बेचना जाइज़ नहीं, क्योंकि ताज़ा खजूर वज़न से अधिक होगा, वह कम चढ़ेगा, और सूखा खजूर अधिक चढ़ेगा। इस प्रकार सूखे खजूर वाले का घाटा होगा। इसलिये या तो दोनों के खजूर सूखे हों, या फिर ग़ीले।

बाब {अगर खजूर का सौदा खजूर से हो तो बराबर-बराबर हो।}

913:- अबू हुरैरा रज़ि॰ और अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़दी नामक एक सहाबी को ख़ैबर नगर (की ज़कात उसूली) का तहसीलदार बनाया। चुनान्चे वह ख़ैबर से "जनीब" (सब से उत्तम खजूर) लेकर आये तोनबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से पूछा: क्या ख़ैबर में इसी प्रकार की खजूरें पैदा होती हैं? उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! ऐ अल्लाह के सन्देष्टा, ऐसी बात

नहीं (बल्कि मामला यह है कि) इस प्रकार की एक साअ़ उत्तम खजूरों को दो साअ़ घटिया खजूरों के बदले में ख़रीद लेते हैं। इस पर आप ने फ़रमायाः ऐसा मत करो।, बराबर-बराबर का लेन-देन करो। या फिर एक को बेच डालो फिर उस पैसे से जिस भाव चाहो दूसरी खजूर ख़रीदो। और अगर तौल कर बेचना है तो बराबर-बराबर ही बेचना होगा।

फ़ाइदाः— इस हदीस में भी वही मस्अला बयान हुआ है कि अगर जिन्स एक ही होतो जितना बेचो उतना ही लो, कमी-बेशी जाइज़ नहीं, चाहे एक माल घटिया ही क्यों न हो। वर्ना एक माल पैसे से बेच दो फिर पैसे से जिस भाव चाहो और जितना चाहो लेन-देन करो। यहाँ जिन्स बदल गयी, एक तरफ़ माल है, और दूसरी तरफ़ नक़द। जिन्स बदलने की एक शक्ल यह भी है कि गेहूँ देकर चना ले लो, या जौ देकर चावल ले लो, और जितना चाहो ले लो आदि।

बाब {खजूर के ढेर को (अनुमान लगा कर) वज़न कर के मालूम किये खजूर के बदले बेचना दुरुस्त नहीं (क्योंकि अनुमान में कमी-बेशी की शंका है।)}

914:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खजूर के उस ढेर को जिस का वज़न मालूम न हो, उस खजूर से जिस का वज़न मालूम हो बेचने से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदाः— कारण यह है कि एक ओर का वज़न मालूम है और दूसरी आरे का नहीं, इसलिये अनुमान वाले में (जिस का वज़न मालूम नहीं) वज़न किये हुये खजूर के मुक़ाबला में कम या अधिक होने की संभावना है। और शरीअ़त का नियम और सिद्वान्त यह है कि एक जिन्स को अगर उसी जिन्स से बदला जाये तो बराबर-बराबर वज़न होना चाहिये, वर्ना जिस का अधिक हुआ वह सूद हो जायेगा, और सूद हराम है।

दूसरे यह कि अटकल और अनुमान से मापी-तौली जाने वाली चीज़ को बेचना दुरुस्त नहीं। केवल "अ़राया" में इस की अनुमति है जिस का बयान आगे हदीस 918 में आयेगा। हाँ, अगर इसी प्रकार बेचना चाहता है तो जिन्स बदल दे, अर्थात खजूर के बदले अंगूर कर दे, या गेहूँ-चावल आदि कर दे, इस प्रकार कमी-बेशी के साथ लेन-देन करना जाइज़ होगा।

बाब {पकने से पूर्व किसी माल को न बेचा जाये।}

915:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना किया, या हमें मना किया फलों को बेचने से जब तक वह अधपके न हो जायें।

916:— अबुल बख़्तरी रह॰ ने बयान किया कि मैं ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से खजूर के पेड़ों में लगे फलों के बेचने और ख़रीदने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खजूर के फल को पेड़ ही में बेचने से उस समय तक

मना फ़रमाया जब तक वह काट कर खाने या काट कर रख लेने योग्य न हो जायें।

फ़ाइदाः– बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में लोग पेड़ पर लगे कच्चे फ़लों का सौदा कर लेते, और जब फल तोड़ने का समय आता तो कहते कि फलों में बीमारी लग गयी, फल काले पड़ गये, गाभा ख़राब निकला, फल की बढ़ोतरी रुक गयी आदि। इस प्रकार की बातें कर के मालिक से भाव कम करवाते और परस्पर झगड़े की नौबत आ जाती, इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पकने से पहले बेचने सेमना कर दिया। (बुख़ारी शरीफ़ 2193) एक रिवायत में है कि जब तक पीला पन न आ जाये (2193) दूसरी रिवायत में है कि जब तक फल पर लाली न आ जाये (1488, 2197, 2198) इन सब का निचोड़ यह है कि पेड़ में लगे फ़लों को उस समय बेचा-ख़रीदा जाये जब फल बड़े हो जायें, उन में कुछ रस भर जाये, उन की डंठल में मज़बूती आ जाये, और यह आशा हो जाये कि अब इन में बीमारी नहीं लगेगी और आँधी-तूफ़ान में नहीं गिरेंगे। आज-कल देखा जा रहा है कि टिकोरा लगते ही ख़रीद लेते हैं, लेकिन बौर और टिकोरा में बीमारी लग जाती है, मामूली झक्कड़ में सब झड़ जाते हैं इस प्रकार ख़रीदने वालों का बड़ा भारी हानि होता है।

मुस्लिम की दूसरी रिवायतों में यह शब्द हैं "जब तक फल लाल या पीले न होजायें, या गेहूँ की बालें सफ़ेद न हो जायें, वह खाने योग्य न हो जायें, वह काट कर रखने योग्य न हो जायें, आँधी में गिरने-पड़ने से सुरक्षित न होजायें।" (मुस्लिम की हदीसें)

बाब {पेड़ में लगे फ़लों को उन के सुरक्षित हो जाने तक न बेचा जाये।}

917:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पेड़ में लगे फलों को उस समय तक बेचने से मना फ़रमाया जब तक वह लाल अथवा पीले न हो जायें। इसी प्रकार (गेहूँ और जौ की) बालियों को जब तक वह सफ़ेद न हो जायें और ख़राब होने से सुरक्षित न हो जायें, उन्हें बेचने से मना फ़रमाया है। बेचने वाले को बेचने से और ख़रीदने वाले को ख़रीदने से (दोनों को) मना फ़रमाया है।

फ़ाइदाः– ऊपर के फ़ाइदा में विस्तार से बयान हो चुका है, वहाँ पढ़ें।

बाब {'मुज़ाबना' की तिजारत मना है।}

918:– बनी हारिस क़बीला के स्वतन्त्र किये हुये गुलाम बशीर बिन यसार ने बयान किया कि मुझ से राफ़े बिन ख़दीज और सहल बिन अबू हस्मा ने रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने 'मुज़ाबना' से मना फ़रमाया है। 'मुज़ाबना' यह है कि पेड़ पर लगे खजूर को (घर में रखे) सूखे खजूर के बदले बेचना। लेकिन "अ़राया" वालों को इस की अनुमति दी है।

फ़ाइदाः– अ़रब में लेन-देन के बहुत से तरीक़े ईजाद और प्रचलित थे। (1) ख़रीदने

वाला अपनी आँख बन्द कर के जिस वस्तु पर हाथ रख देता उस का सौदा पक्का माना जाता, इसे "मुलामसा" कहते थे। (2) बेचने वाला आँख बन्द कर के जिस चीज़ को उठा कर ख़रीदने वाले की तरफ़ फेंक देता, उसे ख़रीदने वाले को हर हाल में लेना पड़ता, इसे "मुनाबज़ा" कहा जाता था। (3) एक शक्ल हदीस में "मुज़ाबना" बयान हुयी। (शक्ल न॰ 4, 5, 6) यह सब हदीस न॰ 925 में आगे आ रही हैं। इन सब में लेन-देन लाटरी के समान है। अधिक हानि-लाभ की शंका है और लड़ाई-झगड़े, धोखा-धड़ी की जड़ बुनियाद हैं, इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इन तरीक़ों पर सौदा करने से सख़्ती से मना फ़रमाया।

आप देखें अभी पेड़ पर खजूर लगी है, गीली है, उस के बदले में सूखी खजूर ले रहे हैं। गीली, वज़न होने से कम चढ़ेगी और सूखी अधिक। इस प्रकार सूखी वाले का हानि हुआ, इसलिये मना फ़रमाया। ऊपर हदीस न॰ 912 में तौल कर गीली के बदले सूखी खजूर लेने का ज़िक्र है और इस हदीस में केवल अनुमान से लेने का ज़िक्र है, यह दोनों ही सूरतें हराम हैं।

बाब {केवल अ़राया का लेन-देन अनुमान से जाइज़ है।}

919:– ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने केवल 'अ़राया' में (अनुमान से, और सूखी को गीली खजूर से लेन-देन करने की) अनुमति दी है। 'अ़राया' का यह अर्थ है कि (मालदार लोग ग़रीबों को खाने के लिये) घर में रखी हुयी सूखी खजूर खाने को (तौल कर का या अनुमान से) दे दी जाये, और बदले में (उन ग़रीबों के) पेड़ों पर लगी ग़ीली खजूर का सौदा कर लिया जाये।

फ़ाइदाः– एक ग़रीब व्यक्ति के पास दो-चार खजूर के पेड़ हैं, उन के फल पकने और तोड़ने में एक माह का समय लगेगा, और आज घर में खाने को नहीं है। तो शरीअ़त ने इन की ग़रीबी को सामने रख कर इस बात की अनुमति दे दी है कि तुम किसी मालदार से उस के घर रखी पहले की तोड़ी हुयी सूखी खजूर भूख मिटाने के लिये ले लो, फिर जब पेड़ के खजूर पक जायेंगे तो मालदार जिस ने इन्हें दिया है उन ताज़ा खजूरों को तोड़ कर ले लेगा। शरीअ़त ने केवल ऐसे ही ग़रीबों के लिये गुन्जाइश निकाली है और वह भी केवल पाँच वसक़, यानी तीन सौ साअ़, लगभग साढ़े सात कुन्टल तक के खजूर के बारे में। इस से अधिक के बारे में लेन-देन करना ग़रीबों (अ़राया) के लिये भी जाइज़ नहीं। (मुस्लिम-अबू हुरैरा रज़ि॰) यह हदीस नीचे आ रही है। इमाम मुस्लिम रह॰ ने इस बारे में यह बाब बाँधा है "पेड़ पर लगी गीली खजूर को (घर में रखी हुयी) सूखी खजूर के बदले बेचना हराम है, लेकिन अ़राया (ग़रीबों) के लिये रुख़्सत है।" ज़ाहिर है शरीअ़त इन के लिये गुन्जाइश न निकालती तो उपवास और फ़ाक़ा व भूख से मर जाते। इस से शरीअ़त ने मना क्यों किया? देखें हदीस न॰ 918 का "फ़ाइदा"।

बाब {ग़रीब लोग कितनी मात्रा में सूखी के बदले (पेड़ में लगी) गीली खजूर का

लेन–देन कर सकते हैं।}

920:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पाँच वसक़ से कम में, या पाँच वसक़ तक के खजूर में अ़राया (यानी ग़रीबों को सूखी के बदले ताज़ा और गीली खजूर का सौदा करने की अनुमति दी है। हदीस के रिवायत करने वाले दावूद को शक है कि पाँच वसक़ कहा, या इस से कम।

फ़ाइदा:– 'वसक़' साठ साअ़ा के बराबर होता है। और साअ़ा लगभग 2 1/2 किलो का होता है। अर्थात पाँच वसक़ 7 1/2 कुन्टल या 52 मन का हुआ। मालूम हुआ कि इतने वज़न तक सूखी खजूर को गीली खजूर के बदले बराबर–बराबर लेन–देन करने की अनुमति है। हालाँकि इसी का नाम 'मुज़ाबना' है जो नाजाइज़ है, क्योंकि गीली वज़न में कम चढ़ेगी और इस प्रकार एक फ़रीक़ का घाटा होगा, लेकिन ग़रीबों की मजबूरी के कारण जाइज़ कहा।

बाब {फल बेचने के बाद अगर (पेड़ में) तबाह हो जाये तो इस का क्या हुक्म है?}

921:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अगर तुम (अपने पेड़ के फल) अपने भाई के हाथ बेच दो, फिर पेड़ के फल (आँधी तूफ़ान से) तबाह होजायें, तो तुम्हें उस से (उन बर्बाद हुये फ़लों की) क़ीमत लेने का कोई हक़ नहीं। किस बुनियाद पर तुम उस से फलों की क़ीमत लेने का हक़ रखते हो?

फ़ाइदा:– एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फलों पर आपदा और आफ़त आने के नाते उस की क़ीमत कम करने का निर्देश दिया (अहमद, नसई, अबू दावूद–मुन्तक़ल अख़बार) मुसिलम की एक दूसरी रिवायत के शब्द यह हैं: "नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ीमत में कमी करने का हुक्म दिया" (मुस्लिम) किसी ने पेड़ में लगे फलों को ख़रीद लिया अ़ल्लाह की इच्छा, फलों में बीमारी लग गयी, आँधी तूफ़ान में झड़ गये तो इस्लामी तक़ाज़ा है कि मुसीबत में बेचने वाला भी ख़रीदने वाले की परेशानी और घाटा में शामिल हो, और उचित मूल्य अनुमान लगा कर कम कर दे। इस से अल्लाह पाक बेचने वाले के माल में बर्कत देगा और ख़रीदने वाले पर एहसान और नेकी होगी।

बाब {पेड़ में लगे फल झड़ जायें, या बीमारी लग जाने से हानि हो जाये, तो मौक़े पर जितना फल हो बेचने वाला (उन की क़ीमत) ले ले, और इस से अधिक कुछ नहीं मिलेगा।}

922:– अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में एक व्यक्ति ने पेड़ पर लगे हुये फल ख़रीदे, लेकिन (बीमारी लगने से, या आँधी में फलों के गिर जाने से ख़रीदने वाले को घाटा लग

गया और) उस पर बहुत अधिक क़र्ज़ चढ़ गया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लोगों से फ़रमायाः इस को सदक़ा-ख़ैरात दो। इस पर लोगों ने उसे सदक़ा-ख़ैरात भी दिया लेकिन फिर भी क़र्ज़ पूरा नहीं अदा हुआ। अन्ततः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़र्ज़ देने वालों से फ़रमायाः बस, अब जितना तुम्हें मिल गया उसे ले लो, इस से अधिक और कुछ नहीं मिलेगा।

फ़ाइदाः– ऊपर की हदीस न॰ 921 और यह 922 में फल और बाग़ के लेन-देन के बारे में एक सिद्वान्त सुनिश्चित कर दिया हैं। आजकल के मुसलमान इस की ओर तनिक भर भी तवज्जोह नहीं दे रहे। आवश्यक्ता है इस पर अ़मल करने की और लोगों को बताने की। दुनियाँ में केवल दीन इस्लाम ही एकमात्र धर्म है जो ऐसे मौक़े पर मानवता की शिक्षा देता है और एक-दूसरे के दुःख, दर्द को अपना दुःख, दर्द समझने की शिक्षा देता है।

बाब {किसी ने गाभा लगा पेड़ ख़रीदा (तो फ़ल किसे मिलेगा)}

923:– अ़ब्दुल्लह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः जो व्यक्ति गाभा लगा हुआ पेड़ ख़रीदे तो उस पेड़ का फल बेचने वाले को मिलेगा। हाँ अगर ख़रीदने वाला पेड़ के साथ फल को भी लेने की शर्त लगा दे (तो फल ख़रीदने वाले को मिलेगा) इसी प्रकार किसी नेगुलाम ख़रीदा और उस के पास कुछ माल-दौलत है तो उस माल का हक़दार बेचने वाला होगा, मगर यह कि ख़रीदने वाला गुलाम के साथ उस के माल की भी शर्त लगा दे (तो गुलाम का माल भी ख़रीदने वाले को मिलेगा)

फ़ाइदाः– 'गाभा लगाना' किसी पेड़ में अधिक फल लगे इसके लिये उस पेड़ के तने में छेद कर के किसी दूसरे फलदार पेड़ की डाली घुसा देते है। इस प्रकार करने से उस पेड़ में अधिक फल लगने लगते हैं। इस कार्य को उर्दू में "पैवन्दकारी" कहते हैं। और हिन्दी भाषा में "प्रतिरोपण"। चूँकि मालिक ने बेचने से पहले लगाया है इसलिये फल का मालिक वही होगा, मगर यह कि पेड़ ख़रीदने वाला पेड़ के साथ फल की शर्त लगा दे। इसी प्रकार गुलाम के माल का भी मस्अला है।

बाब {'मुख़ाबरा' और 'मुहाक़ला' की शक्ल में लेन-देन करने का बयान}

924:– अबू उनैसा के बेटे ज़ैद ने बयान किया कि मैं ने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सरी रज़ि॰ को अ़ता बिन रिबाह के पास बैठे हुये यह हदीस बयान करते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने "मुहाक़ला" "मुज़ाबना" और "मुख़ाबरा" की शक्ल में सौदा करने से मना किया है। इसी प्रकार खजूर के पेड़ में लगे फल को भी, ज़ब तलक वह लाल, पीले या खाने योग्य न हो जायें, इन्हें ख़रीदने और बेचने से मना किया है। 'मुहाक़ाला' का अर्थ यह है कि खेत में खड़ी फ़सल को (घर में रखे) अनाज के बदले

में (अनुमान लगा कर) बेच दिया जाये। और 'मुज़ाबना' का यह अर्थ है कि खजूर के पेड़ में लगे कच्चे और गीले फल को (घर में रखे हुये) सूखे फल के बदेल में बराबर-बराबर बेच दिया जाये। और 'मुख़ाबरा' यह है कि किसी को तिहाई, या चौथाई पैदावार स्वैंय ले लेने की शर्त पर अपनी ज़मीन उसे (खेती करने के लिये दे दी जाये।

अबू उनैसा के पुत्र ज़ैद (जो इस हदीस को रिवायत करते हैं) उन्होंने कहा कि मैं ने अ़ता बिन रिबाह से पूछाः क्या आप ने यह हदीस जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ से बयान करते हुये सुनी है कि वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं? उन्हेंने कहाः हाँ, मैं ने सुना है।

फ़ाइदा:– "मुज़ाबना" का बयान हदीस न॰ 912, 918 के फ़ाइदा में आ चुका है, वहाँ देखें। 'मुख़ाबरा' यानी तिहाई या चौथाई ग़ल्ले की शर्त पर अपनी ज़मीन को खेती के लिये देना, यह जाइज़ नहीं, क्योंकि पैदावार किसान और ज़मीन के मालिक के दर्मियान बराबर-बराबर होनी चाहिये। दोनों में से जो भी अधिक लेगा वह सूद कहलाएगा, और सूद हराम है। इसी प्रकार अभी खेत में फस्ल खड़ी है। पक कर तय्यार होने तक क्या हो अल्लाह जाने, फिर कितनी कुन्टल है अल्लाह जाने? इसलिये इस के लेन-देन में हानि-लाभ की शंका बनी रहती है, इसी नाते इस प्रकार का सौदा करना भी हराम है।

बाब {कई वर्षों के लिये यकबारगी सौदा करना दुरुस्त नहीं।}

925:– अबू ज़ुबैर और सअ़ीद बिन मीना से रिवायत है कि जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ ने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने 'मुहाक़ला' 'मुज़ाबना' 'मुआ़वमा' और 'मुख़ाबरा' से मना फ़रमाया है। और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस बिके हुये माल में से थोड़ा-बहुत अलग कर लेने से भी मना फ़रमाया । लेकिन आप ने 'अ़राया' की छूट बहर हाल दे दी।

फ़ाइदा:– 'मुहाक़ला' के लिये हदीस न॰ 924, 'मुज़ाबना' के लिये 918, 'मुख़ाबरा' के लिये 924 और 'अ़राया' के लिये हदीस न॰ 919, 920 का फ़ाइदा पढ़ें। इस हदीस में एक शब्द 'मुआ़वमा' आया है, इस का यह अर्थ है कि बाग़ का मालिक अपने बाग़ के फल को (उदाहरण के तौर पर) दस हजार रुपये वार्षिक (सालाना) पर पाँच वर्ष के लिये दे दे। यह शक्ल हराम है। क्या पता भविष्य में वह पेड़ ही सूख जायें, या फल ही न लगें, या आँधी-तूफ़ान से नष्ट हो जायें, तो इस प्रकार ख़रीदने वाले का दीवाला निकल जायेगा। भविष्य का क्या भरोसा। इसलिये हर वर्ष फल देख कर और उस के अधपके हो जाने के बाद नया सौदा करना अनिवार्य है।

बेचे हुये माल में से थोड़ा सा अलग कर लेने की शर्त जाइज़ नहीं। स्पष्ट रूप में शर्त लगाना आवश्यक है कि मैं चार किलो, या दस किलो अलग कर लूँगा। शब्द "थोड़ा" की शर्त लगाने से आगे चल कर बड़ा झगड़ा होगा। बेचने वाला कहेगा कि "थोड़ा"

से मेरी मुराद पचास किलो थी, और ख़रीदने वाला कहेगा कि नहीं, मेरी मुराद दस किलो थी। अगर अलग कर लेने का भार (वज़न) स्पष्ट कर दिया जाये तो यह शर्त जाइज़ है।

926:- जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कई वर्ष के लिये (यकबारगी, एक ही साथ) सौदा करने से मना फ़रमाया है। और इब्ने अबू शैबा की रिवायत में यह है कि कई वर्ष के लिये फलों का (यकबारगी) सौदा करने से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदाः- क्यों मना फ़रमाया? इस का उत्तर ऊपर के फ़ाइदा में आ चुका है।

बाब {दो गुलाम केबदले में एक गुलाम को बेचना जाइज़ है।}

927:- जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक गुलाम ने आ कर आप के हाथ पर हिजरत करने की बैअ़त की। आप को मालूम न था कि यह गुलाम है। फिर जब उस का मालिक उसे लेने आया (और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को पता चला कि वह गुलाम है) तो आप ने मालिक से फ़रमायाः इस गुलाम को मेरे हाथ बेच दो। फिर आप ने दो गुलामों को दे कर उस को ख़रीद लिया। इस घटना के बाद जब भी किसी से बैअ़त लेते तो अवश्य ही पूछ लेते कि वह गुलाम तो नहीं है।

फ़ाइदाः- ऊपर हदीस न॰ 908, 913 में आ चुका है कि एक जिन्स को कम और अधिक कर के लेना-देना नाजाइज़ है। और यहाँ भी तीनों गुलाम एक ही जिन्स "मानव" हैं, फिर आप ने दो देकर एक क्यों लिया? इस का उत्तर यह है कि जीवधारी को कमी-बेशी कर के बेचना जाइज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक ऊँट को चार ऊँट दे कर ख़रीदा। राफ़े बिन ख़दीज ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दो ऊँट देकर एक ऊँट ख़रीदा था। (बुख़ारी-हदीस न॰ 2228 का बाब) सफ़िय्या रज़ि॰ जो पहले लौंडी थीं आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इन्हें सात लौंडियाँ दे कर ख़रीदा था (मुस्लिम) लेकिन सब से महत्वपूर्ण बात यह शर्त है कि मुस्लिम गुलाम को मुस्लिम गुलाम के बदले में ख़रीदा बेचा जाये। यह भी बड़ी माकूल शर्त है।

बाब {किसी बकरी का दूध एक-आध दिन थन में रहने दिया ताकि दुधारी दिखे और मँहगी बिके, ऐसा करना नाजाइज़ है।}

928:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर कोई व्यक्ति ऐसी बकरी मोल ले ले जिस का दूध उस के थन में रोक दिया था, तो उस ख़रीदने वाले को तीन दिन तक इख़्तियार है, चाहे तो उसे रख ले, या फिर वापस कर दे (और अगर वापस करे) तो एक साअ़ा खजूर भी दे दे।

फ़ाइदाः- यही हुक्म हर दुधारु पशु के लिये है। एक साअ़ा (2 1/2 किलो) खजूर

लौटाने का आदेश इसलिये दिया कि उस ने उतने का (अनुमान से) दूध दूहा होगा, इसलिये उस दूध की क़ीमत समझें। स्पष्ट है कि जानवर को वापस कर के दी हुयी पूरी क़ीमत वापस ले रहा है तो उस का हक़ दूध पर अब नहीं रहा। और चूंकि वह अपने प्रयोग में ला चुका है इसलिये एक साआ़ खजूर दे। किसी-किसी रिवायत में खजूर के बदले ग़ल्ला देने का हुक्म है। इसी प्रकार अगर दूध भी रोक कर बेचा गया है तो इस को भी वापस करना चाहे तो तीन दिन के अन्दर कर सकता है और इस में भी एक साआ़ खजूर वापस करना होगा। जमहूर उलमा का यही फ़तवा है।

बाब {जिस चीज़ का खाना हराम है उस का व्यापार करना भी हराम है।}

929:- इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ को इस बात की सूचना मिली कि समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ ने शराब बेची है। यह सुन कर उन्होंने कहा: उस पर अल्लाह की मार पड़े, क्या उस को यह मालूम नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि अल्लाह पाक ने यहूदियों पर इस नाते लानत भेजी कि उन पर चर्बी का खाना हराम किया गया तो उन्होंने उसे पिघला कर बेचना आरंभ कर दिया।

फ़ाइदा:- घटना इस प्रकार है कि समुरा, उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ के शासन काल में टेक्स वसूली करते थे। एक ज़िम्मी शराब ले कर जा रहा था उस से शराब पर टेक्स (लगान) की वसूली कर ली। इस पर ख़लीफ़ा नाराज़ हुये। मालूम हुआ कि जिस वस्तु का खाना-पीना हराम, उस का व्यापार भी हराम। आजकल लोगों ने प्रतिशत (फ़ीसद) निकालना आरंभ किया है, कि हलाल वस्तु में दो-चार प्रतिशत हराम हो तो चलेगा, हालाँकि इस प्रकार के हीले जाइज़ नहीं। यह भी मालूम हुआ कि किसी हराम को हलाल बनाने के लिये हीले -बहाने करना, नाम बदल देना, शक्ल बदल देना, नौइयत बदल देना यह सब नाजाइज़ है।

कुछ उलमा का कहना है कि शरीर के ऊपर उपचार के तौर पर लेप करना जाइज़ है। जैसे हमारे हाँ शराब को जोड़ों के दर्द में मालिश करते हैं और इस से लाभ भी होता है। यह खाना-पीना तो नहीं है, लेकिन जब बेचना हराम है तो शरीर पर प्रयोग भी हराम है। हराम वस्तु से किसी भी प्रकार का लाभ उठाना भी हराम है। जिस प्रकार बेच कर लाभ उठाना हराम, इसी प्रकार शरीर के ऊपर मालिश कर के लाभ उठाना भी हराम। हाँ, जान बचाने के लिये इस के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपचार न हो तो मजबूरी में तो हर वस्तु हलाल है।

बाब {शराब का व्यापार हराम है।}

930:- अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया कि मैं ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से अन्गूर के निचोड़ (शीरा) के बारे में मस्अला पूछा तो वह कहने लगे: एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम के पास कोई एक मश्क भर कर शराब उपहार में लाया तो आप ने फ़रमायाः क्या तुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ने इसे हराम कर दिया है? उस ने कहाः नहीं। फिर वह जा कर किसी के कान में काना-फूसी करने लगा। आप ने देख लिया तो पूछाः तुम ने उस से क्या बात की है? उस ने कहाः मैं ने उसे बेचने का हुक्म दिया है। यहसुन कर आप ने फ़रमायाः जिस ने (यानी अल्लाह ने) उस का पीना हराम किया है, उस ने उस का बेचना भी हराम किया है। यह सुनते ही उस व्यक्ति ने अपने मश्क का मुँह खोल दिया और तमाम शराब बह गयी।

फ़ाइदाः- यहाँ केवल शराब का ज़िक्र है, लेकिन यह हदीस आ़म है। हर वह वस्तु जिस का खाना-पीना हराम है उस का व्यापार करना भी हराम है। उस के लेन-देन में किसी प्रकार की सहायता व सहयोग देना भी हराम। उसे बेचने के लिये किराया पर जगह उपलब्ध करना और साधन आदि देना सब कुछ हराम है।

बाब {मुर्दा जानवर, बुत और सुअर (आदि हराम वस्तुओं) का व्यापार भी हराम है।}

931:- जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जिस समय मक्का पराजित हुआ, उस समय मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि अल्लाह और उस के सन्देष्टा ने शराब, मुर्दा जानवर, सुअर और बुतों की तिजारत को हराम कर दिया है। इस पर लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मरे जानवर की चर्बी नौकाओं में लगाई जाती है (तारकूल की तरह, ताकि अन्दर पानी न आये) चमड़े में भी पोती जाती है, और कुछ लोग इसे जला कर रोशनी भी करते हैं। इस पर आप ने फ़रमायाः कुछ नहीं, सब कुछ हराम है। फिर तुरन्त ही आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक यहूदियों को बर्बाद करे, जब उस ने उन पर चर्बी को हराम किया तो उन्होंने गला का बेचना आरंभ कर दिया और उस की क़ीमत खाने लगे।

फ़ाइदाः- इस हदीस से एक बड़ी अहम बात मालूम हुयी। जिस प्रकार सुअर का माँस खाना हराम है, इसी प्रकार उस को बेच कर उस की क़ीमत खाना भी हराम है। मालूम हुआ कि माँस खाने और उस की क़ीमत खाने में कोई अन्तर नहीं। इसी प्रकार नाजाइज़ वस्तुओं का बनाना, उन का बेचना और उन की क़ीमत खाना भी हराम है। एक दूसरी हदीस में है कि "जिस प्रकार अल्लाह ने जिस चीज़ को हराम कर दिया है उसी प्रकार उस की क़ीमत को भी हराम कर दिया है।" तो जब बुत की पूजा को हराम ठहरा दिया तो उस की तिजारत भी हराम है।

बाब {कुत्ते की क़ीमत, रन्डी की कमाई और ज्योतिषियों की मिठाई भी हराम है।}

932:- अबू मस्ऊद अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुत्ते को खरीदने-बेचने से मना फ़रमाया। इसी प्रकार रन्डी की कमाई और नुजूमी (ज्योतिषि) लोगों की मिठाई (आदि) से भी मना फ़रमाया।

फ़ाइदाः– कुत्ते दो प्रकार के होते हैं (1) आम कुत्ते (2) शिकारी कुत्ते। शिकारी कुत्ते घर-द्वार, जानवरों और खेती आदि की रखवाली में सहायता करते हैं। इसलिये कुछ उलमा ने इन्हें ख़रीदने-बेचने और रखने को जाइज़ कहा है, क्योंकि यह एक आवश्यक्ता हैं । बुख़ारी-मुस्लिम की हदीसों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकारी कुत्तों को जिलाने और पालने की अनुमति दी है। तो ज़ाहिर है इन का ख़रीदना और बेचना भी जाइज़ है। लेकिन इन का घर के अन्दर आना-जाना सभी के निकट दुरुस्त नहीं। इसी प्रकार कुछ लोग हाथ की रेखाएँ देख कर अटकल पच्चू भविष्यवाणी करते हैं, नक्षत्रों को देख कर ग़ैब की बातें बताते हैं और उपहार वसूल करते हैं। इन्हें उपहार और मेहनताना देना, इसी प्रकार उस का खाना और यह व्यवसाय (पेशा) अपनाना सब कुछ हराम है। इसी प्रकार वेश्या कर्म अर्थात दूसरे से ज़िनाकरा कर उस आमदनी को खाना-पीना भी हराम है। कुछ उलमा इन से भी चन्दा लेते हैं और खुदा जाने कैसे जाइज़ समझते हैं।

बाब {बिल्ली की तिजारत करना और इस की क़ीमत लेना यह नाजाइज़ है।}

933:– अबू जुबैर ने बयान किया कि मैं ने जाबिर रज़ि० से कुत्ते और बिल्ली की क़ीमत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से सख़्ती के साथ मना फ़रमाया है।

फ़ाइदाः– बिल्ली एक बेकार जानवर है, इस से कोई लाभ नहीं, इसलिये ऐसी बेकार चीज़ों के बेचने से मना फ़रमाया। कुछ उलमा ने कहा कि इस हदीस में मना करने का हुक्म तहरीमी नहीं है इसलिये बिल्ली ख़रीदना-बेचना जाइज़ हैं। इमाम नौवी ने मुस्लिम की शर्ह में अपना मज़हब यही लिखा है। लेकिन इस हदीस की रोशनी में कुत्ते की तरह इस की भी तिजारत दुरुस्त नहीं।

बाब {पोछना लगाने वाले की कमाई बड़ी गन्दी है।}

934:– राफ़े बिन ख़दीज रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कुत्ते की क़ीमत गन्दी और नापाक है। इसी प्रकार रन्डी की कमाई भी नापाक है और पोछना लगाने वाले की कमाई का भी यही हाल है।

बाब {पोछना लगाने वाले की मज़दूरी हलाल है।}

935:– इब्ने अब्बास रज़ि० ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़बीला बनी बयाज़ा के एक गुलाम ने पोछना लगाया तो आप ने उसे मज़दूरी दी और उस के मालिक से अनुरोध किया कि उस से टेक्स की वसूली में कुछ कमी कर दे। अगर पोछना लगाने की मज़दूरी हराम होती तो आप हर्गिज़ उसे न देते।

936:– अनस बिन मालिक रज़ि० से पोछना लगाने वाले की मज़दूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तय्यिबा से पोछना

लगवाया फिर उसे दो साअ़ा ग़ल्ला देने का आदेश दिया और उस के मालिकों से टैक्स भी कम लेने को कहा। फिर आप ने फ़रमायाः जिन दवाओं से तुम उपचार करते हो उन में सब से बेहतर पोछना लगाना है।

फ़ाइदाः— ऊपर की हदीस न॰ 934 में पोछना की मज़दूरी को नाजाइज़ बताया है और नीचे की दो हदीसों में जाइज़। इस का अर्थ यह है कि नाजाइज़ का हुक्म पहले का है, नीचे की दोनों हदीसों में पहली हदीस का हुक्म मन्सूख़ हो गया। पोछना और सेंगी लगाना, लगवाना और इस की मज़दूरी सब जाइज़ है। मालिक लोग गुलाम पर माहाना आमदनी तै कर देते थे कि इतनी कमाई कर के देना है, कहीं से भी लाओ। तय्यिबा के ऊपर उस के मालिकों ने अधिक बोझ डाल दिया था उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कम करा दिया।

बाब {"हब्लुल् हब्ला" की समय सीमा तै कर के लेन–देन करना हराम है।}

937:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि कुफ़्र के समय में अ़रब वाले ऊँट का माँस हब्लुल् हब्ला तक समय निर्धारित कर के उधार बेचते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस से मना फ़रमा दिया। इस का अर्थ यह है कि फ़लाँ गाभिन ऊँटनी बच्चा जने, फिर वह बच्चा गाभिन हो कर बच्चा जने (तब उधार के पैसे वापस कर देना)

फ़ाइदाः— इस प्रकार के समझौते में बड़ी बुराइयाँ हैं। क्या मालूम गाभिन ऊँटनी मुर्दा बच्चा जने या जीवित? फिर अगर जीवित जने तो क्या मालूम नर जाने या मादा। अगर नर जने तो उस के गाभिन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार उधार का सौदा लंबा समय लेगा और परस्पर मार–पीट और लड़ाई–झगड़े की नौबत आयेगी। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस प्रकार के नाजाइज़, खुराफ़ाती और अनर्थ शर्तों पर लेन–देन करने से सख़्ती के साथ मना फ़रमाया है। यह केवल इस्लाम धर्म है जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ व्यापार और लेन–देन करने के गुर सिखाता है।

बाब {'मुलामसा' और 'मुनाबज़ा' का सौदा करना मना है।}

938:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें दो प्रकार का लेन–देन करने और दो प्रकार पहनने–ओढ़ने से मना फ़रमाया। 'मुलामसा' और 'मुनाबज़ा' से। 'मुलामसा' का यह अर्थ है कि कोई व्यक्ति रात अथवा दिन में (कपड़ा लेने जाये और) बिना उलट–पलट कर देखे–भाले केवल छू कर ही सौदा कर ले। और 'मुनाबज़ा' का यह अर्थ है कि एक व्यक्ति अपना कपड़ा दूसरे की ओर, और वह दूसरा अपना कपड़ा उस की ओर फेंक दे, इस प्रकार बिना देखे और पसन्द किये दोनों एक–दूसरे के कपड़े का सौदा कर लें।

फ़ाइदाः— इन दोनों प्रकार के सौदों में खोल कर न देखने और पसन्द न करने और अटकल से ही ले लेने में बड़े हानि की संभावना है। कपड़ा अन्दर ख़राब हो सकता है,

कटा-पिटा हो सकता है, अनुमान से कम भी हो सकता है। इसीलिये इस प्रकार के धोखे और अटकल के सौदे से मना फ़रमाया। लेन-देन का सहीह तरीक़ा यह है कि कपड़े को खोल कर अच्छी तरह देख-भाल कर पसन्द कर ले, फिर उस का भाव तै करे फिर जब हर प्रकार से इतमिनान हो जाये तब क़ीमत दे कर अपने क़ब्ज़े में करे। (बुख़ारी-2144, 2145, 2146, 2147) जिन दो प्रकार के कपड़ा पहनने से मना किया गया है, उन में से एक यह है कि ऊपर-नीचे पहनने के लिये केवल एक ही चादर है। उस चादर को ओढ़ ले और उस का दोनों सिरा गन्धों पर डाल कर गोट मार कर बैठे। इस प्रकार बैठने से शर्मगाह खुल जाती है। दूसरा ओढ़ने का तरीक़ा जिस से मना फ़रमाया यह है कि एक ही कपड़ा पूरे शरीर पर इस प्रकार लपेट ले कि हाथ वग़ैरह सब उसी के अन्दर रहे। इस प्रकार ओढ़ने से चलने-फिरने और हाथ बाहर निकालने में कठिनाई होती है। पूरा शरीर कपड़े से बँध जाता है। (बुख़ारी-2145)

बाब {कंकर-पत्थर फेंक कर और धोखा देकर सौदा करना हराम है।}

939:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कंकरी फेंक कर सौदा करने और धोखा देकर लेन-देन करने से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:- कंकरी फेंककर सौदा करने का यह अर्थ है कि बैठे-बैठे दूर के सामान की ओर कंकर फेंके और जिस सामान को वह कंकरी लग जाये उस का सौदा पक्का माना जायें। इस में बहुत बड़े हानि-लाभ की शंका है और एक प्रकार का जुआ खेलना हुआ। किसी सामान के ऐब को ऊपर-नीचे कर के छुपा कर या सामने अच्छा दिखा कर और अन्दर से घटिया मिला कर ला कर दे, यह धोखा-धड़ी का सौदा हुआ। धोखे का सौदा यह भी है कि चिड़िया हवा में उड़ रही है, मछली पानी में चल रही है, हिरन जन्गल में दौड़ रहा है, इन सब को पकड़ने और अपने क़ब्ज़ा में लेने से पूर्व ही केवल देख कर सौदा कर ले। इसी प्रकार जो गुलाम या लौंडी भाग गया हो, यह सब धोखे के व्यापार में शामिल है। धर्म इस्लाम ने किस प्रकार सौदा के लेन-देन में लड़ाई-झगड़े के एक-एक गिरह पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है-अल्लाहु अक्बर।

बाब {व्यापार में "नजश" नाजाइज़ है।}

940:- इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने "नजश" से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:- 'नजश' का अर्थ है "शिकार करने के लिये जानवर को बिदकाना।" लेन-देन की परिभाषा में इस का अर्थ यह है कि कुछ व्यापारी अपने पास दलाल रखते हैं, उन्हें कमीशन देते हैं। इन का कार्य यह होता है कि कोई पार्टी माल ख़रीदने के लिये आयी और भाव लगाने लगी, इतने में यह दलाल पीछे से आ कर उस से अधिक भाव लगा

देता है। पार्टी यह समझती है कि यह कोई पार्टी आ गयी है जो अभी माल ख़रीद लेगी, इसलिये पहली पार्टी दल्लाल के लगाए गये भाव पर ही जल्दी से सौदा कर लेती है। इस प्रकार दल्लाल पार्टी को धोखा देने में सफल हो जाता है। इसी का नाम शरीअ़त में "नजश" है और यह हर धर्म में हराम है।

बाब {अपने भाई के सौदे पर सौदा करना नाजाइज़ है।}

★अ़ब्दुर्रहमान बिन शमामा ने बयान किया कि मैं ने उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ को मिंबर पर ख़ुत्बा देते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक मोमिन दूसरे मोमिन का (दीनी) भाई है, इसलिये किसी मोमिन केलिये जाइज़ नहीं कि वह अपने किसी मोमिन भाई के लगाए गये भाव पर भाव लगाए। इसी प्रकार यह भी जाइज़ नहीं कि कोई मोमिन अपने मोमिन भाई के निकाह के संदेश पर अपने निकाह का संदेश भेजे, जब तक वह पहला भाई वहाँ निकाह करने का इरादा छोड़ न दे।

फ़ाइदाः— यह हदीस चूँकि निकाह के बाब में ऊपर हदीस न॰ 800 के संदर्भ में आ चुकी है इसलिये यहाँ कोई नंबर नहीं दिया गया। एक भाई कोई सामान ख़रीद रहा है तो तुम भी उसी को ख़रीदने की कोशिश न करो, इसी प्रकार उस ने किसी महिला को निकाह का संदेश दिया है तो तुम भी उस के साथ निकाह करने के लिये संदेश न भेजो। इस से दुश्मनी पैदा होगी। यह एक प्रकार से दूसरे के कार्य में रोड़ा डालना हुआ। इस का परिणाम यह होगा कि आगे चल कर दुश्मनी में एक-दूसरे के सौदे में इसी प्रकार भाव लगा कर रुकावट डालने का सिलसिला आरंभ हो जायेगा और मार-पीट, लड़ाई-झगड़े की नौबत आ जायेगी। अधिक जानकारी के लिये देखें ऊपर हदीस न॰ 800 का फ़ाइदा।

बाब {माल(मन्ड़ी में आने से पूर्व) रास्ते ही में जा कर ख़रीद लेना नाजाइज़ है।}

941:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मन्डी में माल की खेप पहुँचने से पूर्व ही (आगे बढ़ कर) रास्ता ही में जा कर न ख़रीदो। अगर कोई ऐसा करे (और माल का मालिक मन्डी में आ कर भाव मालूम करे। अगर उस का घाटा लग रहा है) तो उसे इख़्तियार है (कि चाहे तो सौदा को रद्द कर दे)

फ़ाइदाः— मन्डी में गेहूँ की बिकवाली 500 रुपये प्रति कुन्टल है। एक व्यापारी मन्डी में बेचने के लिये गेहूँ ला रहा है। ख़रीदार ने चार किलोमीटर पूर्व ही उस से मिल कर 400 रुपये प्रति कुन्टल के दर से उस का गेहूँ ख़रीद लिया। व्यापारी मन्डी में आया तो पता चला कि उस को 100 रुपये कुन्टल घाटा हुआ है क्योंकि मन्डी में 500 रुपये कुन्टल बिक रहा है। अब ख़रीदने वाला उसे 100 रुपये कुन्टल और दे, वर्ना उस व्यापारी का हक़ बनता है कि चाहे तो सौदा रद्द कर दे, अपना गेहूँ वापस ले ले और उस का पैसा वापस कर दे। इस प्रकार मन्डी में ग़ल्ला पहुँचने से पहले ही आगे जा कर ख़रीद लेने से यह होता है कि वही माल मन्डी में ला कर महँगे दाम बेचा जाता है और यह उस

व्यापारी के साथ धोखा और जनता पर अत्याचार है। कितना आगे जा कर मिल सकता है? हदीस ने इस की कोई सीमा नहीं बताई है। लेकिन इतना है कि मन्डी में उन के पहला क़दम रखते ही (यानी मन्डी के अन्तिम छोर पर) मिल सकते हैं।

बाब {शहर का रहने वाला बाहर से आने वाले का माल न बेचे।}

942:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मन्डी में माल लाने वाले व्यापारियों से (मन्डी में पहुँचने से पहले ही) आगे जा कर उस से मिलने (और उस का माल ख़रीदने) से मना फ़रमाया। इसी प्रकार शहर में रहने वाले को बाहर वाले का माल बेचने से मना फ़रमाया। इमाम ताऊस ने कहा कि मैं ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से पूछाः इस का क्या अर्थ है? इस पर उन्होंने बताया कि (इस का अर्थ यह है कि) बाहर से माल ला कर शहर में बेचने वाले के कार्य में शहर वाले को दल्लाली नहीं करनी चाहिये (बल्कि उसे स्वँय बेचने देना चाहिये)

फ़ाइदा:– चूँकि शहर वाले को मालूम है कि माल किस क्षेत्र में महँगा और किस क्षेत्र में सस्ता बिकता है, इस प्रकार दल्लाली कर के बीच में कमीशन खा कर उस का माल महँगे दामों में बेचवा देगा। हाँ, अगर कमीशन न हो, बल्कि उस की निय्यत भलाई की हो तो शहर वाले को बाहर से आने वाले दीहाती का माल बिकवा देने में कोई हरज नहीं। इमाम बुख़ारी रह॰ ने यही बाब बाँधा है। (देखें बुख़ारी–2157) इस हदीस में जिस बात की ओर इशारा है वह यह कि बाहर से आने वाला (दीहाती) जो कि शहर के हालात नहीं ज़ानता, इस से शहर का कोई नागरिक नाजाइज़ फ़ाइदा न उठाने पाए। एक दूसरी हदीस में है "कोई शहरी, किसी दीहाती का सामान न बेचे, अर्थात दलाली न करे।" (बुख़ारी–2158)

बाब {ग़ल्ला भन्डार कर के रख देना (ताकि मन्डी में माल की कमी हो जाये और भाव चढ़ जाये)नाजाइज़ है।}

943:– मामर बिन अ़ब्दुल्लाह से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो कोई (भाव बढ़ाने के लिये) गल्ला जमा कर के रखे वह पापी है। इस पर लोगों ने सओ़द बिन मुसय्यिब से कहाः आप भी तो जमा कर के रखते हैं। उन्होंने कहाः जिन्होंने यह हदीस बयान की है, यानी मामर बिन अ़ब्दुल्लाह भी ऐसा ही किया करते थे।

फ़ाइदा:– आ़म हालात में ग़ल्ला ख़रीद कर रख लेना दुरुस्त है जबकि मन्डी में माल की कमी न हो। लेकिन अगर सूखा से पैदावार कम हुयी, मन्डी में माल कम आ रहा है, ख़रीदने वालों की संख्या बढ़ रही है, और इसी बीच कोई मन्डी का माल ख़रीद कर जमा कर ले और निय्यत यह हो कि मन्डी का माल जब बिक जायेगा और किसी के

पास माल ही नहीं रहेगा, तब हम मनमानी महँगे भाव से बेचेंगे, यह बहुत बड़ा जुर्म है। उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि ऐसा करने वाले को अल्लाह पाक कन्गालन बना देता है (इब्ने माजा, हाकिम) एक दूसरी रिवायत में है कि जिस ने 40 दिन तक गल्ला रोक लिया, उस से अल्लाह का कोई नाता नहीं रहा। जो महँगा होने के इन्तिज़ार में ग़ल्ला रोक रखे वह महा पापी है।

शरीअ़त में तो यह जुर्म है ही, हुकूमत की नज़र में भी इस प्रकार करना अपराध है और इस पर सज़ा मुक़र्रर है।

बाब {सौदा का लेन–देन मन्सूख़ करने का इख़्तियार कब तलक है?}

944:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब दो आदमियों कें दर्मियान सौदा का लेन–देन पक्का हो जाये, तो जब तक पास ही खड़े रहें, एक–दूसरे से अलग न हो) उन में से हर एक को सौदा मन्सूख़ करने (न ख़रीदने, या न बेचने) का इख़्तियार बाक़ी रहता है। या फिर यह कि उन में का एक दूसरे को इख़्तियार दे दे (कि ख़रीद लेने के बाद कभी भी तुम्हें मन्सूख़ कर देने का इख़्तियार है) फिर अगर एक ने दूसरे को इख़्तियार दे दिया और दोनों ही बेचने और लेने पर राज़ी हो गये तो सौदा पक्का माना जायेगा। और अगर लेन–देन कर लेने के बाद दोनों अलग हो गये (और किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा) तो भी सौदा पक्का माना जायेगा (और अब मन्सूख़ करने का इख़्तियार बाक़ी नहीं रहेगा)

फ़ाइदाः– इस हदीस में सौदा मन्सूख़ करने की दो शक्लें बयान की गयीं है। (1) बेचने वाले ने बेच दिया और ख़रीदने वाले ने ख़रीद लिया, लेकिन दोनों अभी एक ही स्थान पर एक ही साथ हैं, तो दोनों में से हर एक को इख़्तियार है कि चाहे तो बेचने वाला न बेचे और ख़रीदने वाला न ख़रीदे (और माल और पैसा एक दूसरे को वापस कर दें) अगर दोनों एक साथ सैकड़ों मील चले जायें तो चूँकि अभी अलग नहीं हुये हैं इसलिये अब भी बेचने और ख़रीदने वाले दोनों में से हर एक को सौदा मन्सूख़ कर देने का हक़ है। सौदा पक्का होने और मन्सूख़ न होने और अब वापस न किये जाने के लिये यह शर्त है कि शारीरिक तौर पर अलग हो जाये। जैसे कोई उठ कर 50 मीटर दूर चला जाये, या उठ कर चाय पीने चला जाये। या दूसरी दुकान पर दूसरा सामान ख़रीदने चला जाये। (2) दूसरी शक्ल यह है कि सौदे का लेन–देन कर लेने के बाद दोनों एक–दूसरे को इख़्तियार दे दें कि अगर माल पसन्द न आये तो जब चाहो सौदा मन्सूख़ कर सकते हो। इस शक्ल में जितने दिन की सीमा तै हुयी है उतने दिन के अन्दर भी वापस किया जा सकता है। लेकिन दिन या घन्टा की समय सीमा मुक़र्रर कर देना अनिवार्य है।

बाब {लेन–देन के समय ईमानदारी से कार्य करना और माल के बारे में सच्ची बात बता देने में बर्कत है।}

945:– हकीम बिन हिज़ाम रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बेचने और ख़रीदने वाले में से हर एक को (सौदा मन्सूख़ कर देने का) इख़्तियार है जब तक एक-दूसरे से अलग न हों। और अगर दोनों सच बोलेंगे और सहीह बयान देंगे (कि इस माल में यह कमी है) तो उन के लेन-देन में बर्कत होगी। लेकिन अगर झूठ बोल कर (माल में कमी को) छुपाने की कोशिश करेंगे तो लेन-देन के अन्दर बर्कत समाप्त हो जायेगी और उन के व्यापार में भी लाभ न होगा।

फ़ाइदाः– आजकल यह बीमारी बहुत आ़म है। व्यापारी माल के अन्दर के ऐब को छुपा देते हैं, उसे अन्दर रख कर दबा देते हैं। इसी प्रकार भाव में भी झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि "फ़लाँ इतने में लेने को तय्यार था लेकिन मैं तुम्हें उस से भी कम में दे रहा हूँ।" इस प्रकार ऐब छुपाने और झूठ बोलने से व्यापार की बर्कत समाप्त हो जाती है। (बुख़ारी-2142, 2110) झूठ बोल कर मक्कारी और धोखा दे कर ज़ाहिर में चाहे जितना मालदार बन जाये, लेकिन इस का परिणाम देर-सवेर यह होगा कि उस की हराम कमाई छिन्न-बिन्न हो जायेगी और पहली हालत पर लौट आयेगा। हकीम बिन हिज़ाम रज़ि॰ ख़दीजा रज़ि॰ के भतीजे हैं। बड़े नेक सहाबी हैं। मुश्रिकों का "दारुन्नदवा" (षड़यन्त्र भवन) इन्हाने ही ने एक लाख दिर्हम में खरीद कर मुसलमानों को दे दिया था।

बाब {जो व्यक्ति सामान की ख़रीदारी में धोखा खा जाये, वह क्या करे?}

946:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से शिकायत की कि लोग मुझे सौदा की ख़रीद में धोखा दे देते हैं। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम सामान ख़रीदने लगो तो कह दिया करोः "मेरे साथ धोखा-धड़ी नहीं चलेगी।" चुनान्चे वह सहाबी जब भी सामान ख़रीदते तो यही वाक्य कहते थे।

फ़ाइदाः– यह सहाबी हिब्बान मुन्क़िज़ रज़ि॰ थे। उहुद की जन्ग में सर पर तल्वार लग गयी थी जिस के कारण दिमाग़ कमज़ोर हो गया था, सोचने-समझने की क्षमता भी कम हो गयी थी। ज़बान में लड़खड़ाहट भी थी। मालूम हुआ कि इस प्रकार का वाक्य कह देना शर्त हो गया। फिर अगर किसी ने धोखा दिया, या अधिक पैसा ले लिया तो उसे बाद में सौदा वापस कर देने का हक़ होगा। बैहक़ी की रिवायत में यह भी है कि आप ने उन सहाबी से कहा "तुम्हें तीन दिन तक इख़्तियार होगा" यानी अगर मालूम हुआ कि तुम्हें घटिया माल दिया गया है और अधिक मूल्य वसूल कर लिया है, तो तुम तीन दिन के अन्दर-अन्दर वापस कर सकते हो। लेकिन कितना अधिक ठग लेने पर उस हदीस पर अ़मल होगा? हदीस में स्पष्ट नहीं है, इसलिये उलमा इसे नहीं मानते हैं।

बाब {जिस ने धोखा-धड़ी की उस का मेरे से कोई संबन्ध नहीं।}

947:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम ने ग़ल्ला की एक ढेरी देखी तो उस के अन्दर अपना हाथ डाल दिया तो उंग्लियों में तरी (भीगा हुआ) महसूस किया। आप ने ग़ल्ला के मालिक से पूछाः यह क्या मामला है? उस ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! पानी में भीग गया था। आप ने फ़रमायाः भीगे हुये अनाज को ऊपर रखना चाहिये था ताकि उस कमी को लोग देखते (याद रखो!) जो व्यक्ति धोखा-धड़ी का कार्य करे उस का मेरे से कोई संबन्ध नहीं।

फ़ाइदाः– अर्थात वह दीन और मज़हब पर नहीं, वह मेरा आज्ञाकारी नहीं, वह मेरे दीन को मानने वाला नहीं। आप अनुमान लगायें कितनी सख़्त बात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कही है। दीन इस्लाम को तो जाने दें, किसी भी धर्म में इस प्रकार की हर्कत जाइज़ नहीं। और कोई समाज ऐसे पाजी को स्वीकार नहीं करेगा।

बाब {सोने को नक़्दी के बदले बेचना जाइज़ है।}

948:– मालिक बिन औस बिन हदसान से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं यह कहता हुआ आयाः "सोने के बदले रुपये को कौन बेचता है?" इसी दर्मियान तल्हा बिन उबैदुल्लाह जो उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ के पास बैठे हुये थे कहने लगेः अपना सोना मुझे दे दो, फिर थोड़ी देर के बाद आना (और क़ीमत ले लेना) क्योंकि जब हमारा नौकर (मुंशी) आ जायेगा तो आप को रुपये मिल जायेंगे। यह सुन कर उमर बिन ख़त्ताब ने कहाः हर्गिज़ नहीं, तुम इन्हें इन के रुपये इसी समय दो, या फिर उन का सोना लौटा दो। इसलिये कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि सोने को सोने के बदले बेचना सूद है, मगर यह कि लेन-देन हाथों हाथ हो (उधार न हो) इसी प्रकार गेहूँ को गेहूँ के बदले बेचना सूद है, मगर यह कि लेन-देन हाथों हाथ हो। और जौ को जौ के बदले बेचना सूद है मगर यह कि सौदा हाथों हाथ नक़द हो (उधार न हो) इसी प्रकार खजूर को भी खजूर के बदले बेचना सूद है, मगर यह कि सौदा दस्त बदस्त (हाथों हाथ, तुरन्त, नक़द) हो।

फ़ाइदाः– बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत में है कि मालिक बिन औस के पास सौ अशर्फ़ियाँ थीं जिन्हें वह बेचना चाहते थे। (बुख़ारी-2174) उमर रज़ि॰ ने जो मना किया वह इसलिये कि दोनों तरफ़ से नक्दा नक़द सौदा होना चाहिये (यानी एक हाथ से अर्शफ़ी दो, और दूसरे हाथ से उस की क़ीमत लो) और यहाँ उधार का सौदा था, मुंशी के आने का इन्तिज़ार था। याद रहे कि अर्शफ़ी भी सोने की होती है, इसलिये दोनों तरफ़ सोना था।

अस्ल में मामला यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः 6 वस्तुओं (सोना, चाँदी, गेहूँ, जौ, खजूर, नमक) में से अगर किसी को उसी की जिन्स से बदला जाये तो बराबर-बराबर होगा (यानी एक किलो गेहूँ देकर एक ही किलो गेहूँ लो) और अगर इन में से किसी को भी इन छः में से किसी के साथ बेचे (यानी जिन्स बदल कर, जैसे गेहूँ के बदले नमक) तो कमी-बेशी जाइज़ है, लेकिन नक़द होगा। उधार जाइज़ नहीं है। इन छः के अतिरिक्त किसी भी वस्तु को (चाहे एक ही जिन्स हो)

कमी-बेशी के साथ बदल सकते हैं और उधार भी लेन-देन कर सकते हैं।

कुछ उलमा का कहना है कि ऊपर की छः वस्तुओं के अतिरिक्त और दूसरी वस्तुओं में भी एक ही जिन्स को उसी जिन्स से बदलने में भी कमी-बेशी जाइज़ नहीं। लेकिन इन के तर्क में दम नहीं, क्योंकि अगर हदीस आ़म होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम छः ही वस्तुओं का नाम न लेते। यह बहुत अहम विषय है और यहाँ संक्षिप्त में बयान नहीं किया जा सकता। विस्तार से जानकारी के लिये देखें-मुस्लिम (1584, 1587) अहमद (3/49) तिर्मिज़ी (1240) अबू दावूद (3349) इब्ने माजा (2254) दार्मी (2/258) अल् मुहल्ला (8/467) सुबुलुस्सलाम (3/1119) अल् रौ-ज़तुन्नदिय्या (2/235) अस्सैलुल् जर्रार (3/64, 65)

सच्ची बात यही है कि छः वस्तुओं (सोना, चाँदी, खजूर, जौ, गेहूँ, नमक) को अगर उसी जिन्स से बदला जाये तो बराबर-बराबर का सौदा हो, और अगर बेचा जाये तो हाथों हाथ लेन-देन हो, उधार नहीं। इन छः के अतिरिक्त किसी भी वस्तु को एक ही जिन्स से कमी-बेशी के साथ बदलना और उधार लेन-देन करना जाइज़ है।इस मस्अले में मेरी अपनी यही तहक़ीक़ है।-ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी, 6.9.05

बाब {अगर सोने का सौदा सोने के साथ, इसी प्रकार चाँदी और गेहूँ का सौदा उसी जिन्स से हो तो बराबर-बराबर का होगा, और नक़द का होगा।}

949:- उबादा बिन सामित रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: सोने को सोने के बदले बेचो, चाँदी को चाँदी के बदले, गेहूँ को गेहूँ के बदले, जौ को जौ के बदले और नमक को नमक के बदले बेचो तो बराबर-बराबर बेचो और नक़द बेचो। अगर जिन्स बदल कर सौदा करो तो कमी-बेशी जाइज़ है, मगर नक़द लेन-देन होगा।

फ़ाइदा:- यह हदीस ऊपर के "फ़ाइदा" की दलील है। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने केवल छः वस्तुओं पर बराबरी और नक़द लेन-देन की शर्त लगाई है, इसलिये और वस्तुओं में यह दो शर्तें नहीं लागू होगी। अगर आ़म आदेश होता तो फिर छः को गिनाने की आवश्यक्ता ही नहीं थी। विस्तार से ऊपर का फ़ाइदा देखें।

बाब {सोने का लेन-देन (सौदा) चाँदी के साथ उधार करना मना है।}

950:- अबू मिन्हाल ने बयान किया कि एक मर्तबा मेरे एक साथी ने चाँदी बेची और हज्ज का महीना आने तक उधार की शर्त पर बेची। फिर वह मुझ से मस्अला पूछने आये तो मैं ने उत्तर दिया कि चाँदी को उधार की शर्त पर बेचना जाइज़ नहीं। उन्होंने कहा कि मैं ने बाज़ार में (खुल्लम खुल्ला) बेचा लेकिन किसी ने भी मना नहीं किया। अबू मिल्हाल ने बयान किया कि फिर मैं ने बरा बिन आ़ज़िब रज़ि० के पास जा कर पूछा तो उन्होंने कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मदीना शरीफ़ आने तक

हम लोग भी इसी प्रकार चाँदी को उधार बेचा करते थे, लेकिन आप ने फ़रमायाः अगर नक़द लेन-देन हो तो ठीक है और अगर उधार किया तो यह सूद हो गया। फिर बरा रज़ि॰ ने कहा कि आप ज़ैद बिन अर्क़म रज़ि॰ के पास भी जा कर जानकारी कर लें, इसलिये कि उन का कारोबार मुझ से अधिक है (वह भी इस मस्अला के बारे में जानते होंगे) चुनान्चे मैं ने उन से भी पूछा तो उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ ने दिया था।

फ़ाइदाः– चाँदी भी उन छः वस्तुओं में से है जिस को अगर सोने से बदला जाये तो बराबर-बराबर लेन-देन होगा। और अगर बेचा जाये तो तुरन्त और नक़द होगा, उधार नहीं।

बाब {एक दीनार को दो दीनार के बदले, और एक दिर्हम को दो दिर्हम के बदले बेचना जाइज़ नहीं।}

951:– उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि॰ (तीसरे ख़लीफ़ा) से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक दीनार को दो दीनार के बदले, इसी प्रकार एक दिर्हम को दो दिर्हम के बदले ने बेचो।

फ़ाइदाः– दिर्हम, चाँदी का और दीनार, सोने का सिक्का है, और सोना-चाँदी उन छः वस्तुओं में से हैं जिन्हें एक-दूसरे से बदलने की सूरत में बराबर-बराबर बदलना होगा।

बाब {अगर गले के सोने के हार में नगीना लगा हो तो उस सोने के हार को नगीना के साथ ही सोने के बदले बदलना जाइज़ नहीं (क्योंकि नगीना सोना नहीं है)}

952:– उबैद अन्सारी के पुत्र फ़ुज़ाला रज़ि॰ ने बयान किया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ख़ैबर के स्थान पर ठहरे हुये थे कि आप के पास एक हार लाया गया जो सोने का था लेकिन उस में नगीने (हीरे-मोती) जड़े हुये थे। वह ग़नीमत के माल में मिला था और बेचा जा रहा था। लेकिन आप के आदेश से नगीना को सोने से पहले अलग किया गया (केवल सोने को बेचा गया) फिर आप ने फ़रमायाः सोने को सोने के बदले तौल कर बेचो।

फ़ाइदाः– सोना उन वस्तुओं में से है जिसे अगर उसी जिन्स (यानी सोना) से बदला जाये तो बराबर दे कर बराबर लिया जायेगा (कमी-बेशी जाइज़ नहीं) नगीना चूँकि सोना नहीं है। उस का मूल्य अलग है और सोने का अलग। इसलिये ऐसे आभूषण की वस्तुओं को उखाड़ कर उन्हें अलग से बेचा जाये और सोना को अलग से।

बाब {नक़द लेन-देन के सौदे में भी सूद साबित होता है।}

953:– अ़ता बिन रिबाह ने बयान किया कि एक मर्तबा अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से मिले तो उन से पूछाः (ऐ इब्ने अ़ब्बास!) आप 'सर्फ़' के लेन-देन के बारे में जो मस्अला बयान करते हैं, क्या आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

से सुना है, या क़ुरआन पाक में उस का ज़िक्र है? इस पर इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ बोलेः ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मुझ से अधिक जानते हैं और अल्लाह की किताब का ज्ञान तो मुझे है ही नहीं (बेशक ज्ञानी यही कहता है) हाँ, यह हदीस मुझ से उसामा बिन ज़ैद रज़ि॰ ने बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उधार में भी सूद होता है।

फ़ाइदाः– ऊपर गिनाई गयी छः वस्तुओं में से किसी को जिन्स बदल कर बेचा जाये। जैसे सोने को चाँदी के बदले, या चाँदी को सोने के बदले, तो यह जाइज़ है लेकिन सौदा उधार न हो, हाथों हाथ नक़द हो, इसी का नाम "सर्फ़" है। और समस्त उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ एक जिन्स को उसी जिन्स से कम–बेश कर के बेचने को केवल मक्रुह कहते हैं (यानी जाइज़ है) हालाँकि यह इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ की भूल है। अभी ऊपर 951 न॰ की हदीस गुज़र चुकी है। अ़ल्लामा शैकानी ने हाज़मी के हवाले से नक़ल किया है कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बाद में अपने फ़तवे को वापस ले लिया था। संक्षिप्त में यह कि छः वस्तुओं में से किसी को उसी के जिन्स से (जैसे सोने को सोने से) कमी–बेशी के साथ बेचना हराम ठहराया है। इस पर समस्त उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। (बुख़ारी–2176, 2177, 2178, 2179)

954:– अबू नज़रा ने बयान किया कि मैं ने इब्ने उमर और इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से सर्फ़ के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे बुरा नहीं जाना (अर्गचे कमी बेशी हो, मगर यह कि हाथों हाथ हो) फिर मैं अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ के पास बैठा हुआ था कि उन से सर्फ़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः जो ज़्यादा हो वह सूद है। मैं ने इब्ने उमर और इब्ने अ़ब्बास के जाइज़; कहने की वजह से इस की बात का इन्कार किया तो कहने लगेः देखो! मैं तुम से वही बयान कर रहा हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मैंने फ़रमाते सुना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक व्यक्ति अच्छी खजूरें लाया तो पूछाः यह कहाँ से लाये हो? उस ने कहाः दो सअ़ा घटिया (रद्दी) खूजरों के बदले एक साअ़ा ख़रीदा है। क्योंकि बाज़ार में इस का यह भाव है और इस का यह भाव है। आप ने फ़रमायाः तुम्हारा बुरा हो, तुम ने उसे (एक साअ़ा) सूद दे दिया। जब इस प्रकार की नौबत आये तो रद्दी खजूर बेच डालो, फिर उस पैसे से जिस भाव चाहो अच्छी खजूर खरीदो। अबू सअ़ीद रज़ि॰ ने कहाः जब इस से सूद है तो चाँदी की कमी बेशी में क्यों सूद नहीं है (चाहे नक़द ख़रीदा जाये)

अबू नज़रा ने कहा कि बाद में जब मैं इब्ने उमर के पास गया तो उन्होंने भी नाजाइज़ कहा। मैं इब्ने अ़ब्बास के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मुझ से अबू सहबा ने बयान किया कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ भी इसे मक्रुह कहते थे।

बाब {सूद खाने और खिलाने वाले पर लानत पड़ती है।}

955:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम ने सूद खाने, खिलाने, लिखने और गवाही देने वाले सभी पर लानत फ़रमायी है, और फ़रमाया कि यह सब (पाप में) बराबर के शरीक हैं।

फ़ाइदा:– सूद खाने, खिलाने, इस में सहयोग करने वाले, लिखा-पढ़ी करने वाले, अर्थात यह कि बुरे कर्मों में जिस का जितना सहयोग होगा उतना पापी होगा। खाने-खिलाने, लेने और देने वाला सर्वप्रथम है। हदीस में है कि सूद खाने वाला कम से कम उतना बड़ा पापी है जितना अपनी सगी माँ से बलात्कार करने वाला पापी है (दार्मी)

बाब {जो वस्तु स्पष्ट रुप से हलाल हो उसे ले लेना चाहिये और जिस के हलाल होने में सन्देह हो उसे छोड़ देना चाहिये।}

956:– नोमान बिन बशीर रज़ि॰ से रिवायत है, उन्होंने अपनी उंगलियों से अपने दोनों कानों की ओर इशारा कहते हुये कहा कि इन कानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुये सुनाः हलाल बिल्कुल स्पष्ट है इसी प्रकार हराम भी। फिर भी कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं, जो हलाल और हराम दोनों से मेल खाती हैं, जिन में बहुत कम लोग ही फ़र्क़ कर पाते हैं। इसलिये जो इन शुब्हे वाली वस्तुओं से बचा वह अपनी अ़िज़्ज़त अ ा र धर्म को बचा ले गया। और जो शुब्हे में पड़ा वह हराम में पड़ गया। (इस का उदाहरण बिल्कुल ऐसे ही है कि) जैसे कोई चरवाहा ऐसी ज़मीन पर जानवर चराता है जिस के पास ही किसी की ज़ाती चंरागाह है जिस में चराना मना है, तो उस के जानवर लामहाला उस चरागाह में भी मुँह डाल देंगे। सुनो! हर बादशाह की अपनी एक चरागाह होती है और अल्लाह की चरागाह उस की हराम की हुयी वस्तुएँ हैं। याद रखो! शरीर के अन्दर माँस का एक टुकड़ा है अगर वह ठीक-ठाक रहेगा तो पूरा शरीर ठीक-ठाक रहेगा, और अगर वह बिगड़ गया तो पूरा शरीर बिगड़ जायेगा, और वह हृदय (दिल) है।

फ़ाइदा:– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बड़े अच्छे उदाहरण द्वारा हराम से बचने का तरीक़ा बताया। एक व्यक्ति की अपनी ज़ाती चरागाह है जिस में और दूसरे को चराने की अनुमति नहीं है। लेकिन उस चरागाह के बग़ल में कोई जानवर चराएगा तो उस व्यक्ति के ज़ाती चरागाह में जानवर का घुस जाना स्वभाविक है। इसी प्रकार अगर कोई हराम के निकट चक्कर काटेगा तो हराम में जा गिरेगा। उलमा ने जो मक्रुह, मक्रुह तन्ज़ीही, मक्रुहे तहरीमी का नाम दे रखा है, यह सब हराम से निकट करने के तरीक़े हैं।

इसलिये कि शरीअ़त में दो स्पष्ट चीज़ें है (1) हलाल (2) हराम। जो शुब्हे और बुराइयों के निकट ले जाने वाली शुब्हे की हैं (जिन्हें उलमा ने सुन्दर नाम मक्रुहे-तन्ज़ीही दे रखा है) उन्हें हराम के खाते में डाल कर उन से बचना अनिवार्य है। बुराइयों और हराम के निकट ले जाने में "मक्रुह" मक्रुहे-तन्ज़ीही" का बड़ा हाथ है। इसलिये इन से बचना अनिवार्य है, जिस प्रकार दूसरे के चरागाह में अपने जानवर को न जाने देने के

लिये, वहाँ जानवर ही न चराना आवश्यक है इसी प्रकार हराम से बचने के लिये इन मक्रुहात से बचना अनिवार्य है।

बाब {अगर क़र्ज़ वापस करो तो जो लिया था उस से बेहतर वापस करने की कोशिश करो।}

957:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को क़र्ज़ दिया था, चुनान्चे उस ने (वापसी का तक़ाज़ा करते हुये) सख़्त–सुस्त कहा तो सहाबा उसे मारने दौड़े। यह देख कर आप ने फ़रमायाः जिस का हक़ बनता है उसेनिःसंदेह कुछ कहने–सुनने का हक़ बनता है। फिर आप ने फ़रमायाः उसे एक ऊँट ख़रीद कर दे दो। लोगों ने कहाः उस के ऊँट से अच्छा मिल रहा है (लेकिन वैसा नहीं मिल रहा है) आप ने फ़रमायाः वही ख़रीद कर दे दो। और याद रखो! तुम में बेहतर वह है जो क़र्ज़ वापस करते समय अच्छी तरह अदा करे।

फ़ाइदाः– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जिस से ऊँट क़र्ज़ लिया था वह कोई यहूदी था। 'अच्छी तरह' और 'बेहतर तरीक़े' से मुराद यह है कि जितना देना है उस से कुछ अधिक ही दे दो। यह हदीस बुख़ारी शरीफ़ में भी आयी है, देखें–2390, 2392, 2393–अबू हुरैरा रज़ि॰।

बाब {सौदा की ख़रीद–फ़रोख़्त में क़सम खाना मना है।}

958:– अबू क़तादा अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः तुम ख़रीद–फ़रोख़्त में बहुत अधिक क़समों से बचो। क्योंकि इस से माल तो बिक जायेगा लेकिन बर्कत समाप्त कर देती है।

959:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिन से क़ियामत के दिन अल्लाह पाक न तो बात करेगा, न उन की ओर देखेगा, और न ही उन्हें गुनाह से पाक करेगा, बल्कि उन के लिये दुःखदाई दन्ड होगा। (1) पहला वह व्यक्ति है जो जन्गल में अपनी आवश्यकता से अधिक पानी रखता है, फिर भी यात्रियों को पीने से रोकता है। (2) दूसरा वह व्यक्ति जिस ने अ़स्र की नमाज़ के बाद सौदा बेचा और क़सम ख़ाई कि मैंने इतने–इतने का ख़रीदा था, हालाँकि उस ने उतने का नहीं ख़रीदा था। (3) तीसरा वह व्यक्ति है जिस ने इमाम के हाथ पर दुनियाँ की लालच के लिये बैअ़त की। फिर अगर इमाम ने उसे कुछ थमा दिया तो अपनी बैअ़त पर क़ाइम रहा, और अगर न दिया तो उस ने बैअ़त भी पूरी न की।

फ़ाइदाः– एक व्यक्ति पानी अधिक रखता है, अर्थात उस ने जन्गल में कुआँ खोद रखा है या पानी की बावली है, जिस में पानी भरा रहता है तो उस पानी को रोकना मना है। और पानी पिला कर उजरत भी लेना मना है। उलमा का फ़तवा है कि कुँआ खोदने वाला पानी का मालिक नहीं है, केवल उस पानी का मालिक है जो उस ने बर्तन

आदि में रख लिया है। हाँ, सींचाई के लिये चाहे तो न दे, क्योंकि इस में अधिक पानी का ख़र्चा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पानी, आग और घास को न रोका जाये (इब्नेमाजा 2473) मुसलमान तीन वस्तुओं में एक-दूसरे के शरीक हैं। पानी, घास, आग (अबू दावूद 3477) आवश्यक्ता से अधिक पानी न रोको (बुख़ारी 2354)

अ़स्र के बाद की जो क़ैद लगाई है इसलिये कि यह समय आपा-धापी और जल्दबाज़ी का होता है, लोग जल्दी घर जाने की तय्यारी में होते हैं, जल्दी-जल्दी सौदा ख़रीदते हैं, ऐसे समय सौदा की भली-भाँत जाँच-परख नहीं करते, पस क़सम खाने वाले के जाल में फंस जाते हैं, और यही वह नाजुक समय होता है जिस में व्यापारी बातों में उलझा कर, क़समें खा कर अपने फ़ेवर में ले लेते हैं। बहुत से इस प्रकार के होते हैं जो इमाम और पंच-प्रधान के निकट इसलिये आते हैं कि वह हमें माल दे देगा। या अगर किसी जमाअ़त का अमीर अथवा जनरल सिकरेट्री है तो मेरे लिये मस्जिद बनवा देगा, मेरे मदरसे के लिये तस्दीक़ नामा लिख देगा, फ़लाँ शैख़ से चन्दा के लिये सिफ़ारिश कर देगा। चूँकि उस की इमाम से निकटता और प्रेम मतलब परस्ती पर आधारित है इसलिये ऐसा व्यक्ति दन्ड का हक़दार है।

बाब {कोई ऊँट बेचे और उस पर सवार होकर घर पहुँचने की शर्त लगाये, तो यह जाइज़ है।}

960:- जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ तबूक की जन्ग लड़ी। वापसी में आप मेरे साथ हो गये। उस समय मैं अपने पानी ढोने वाले ऊँट पर सवार था जो इतना थक गया था कि चल नहीं पाता था। आप ने पूछाः तुम्हारे ऊँट को क्या हुआ? मैं ने उत्तर दियाः यह बीमार हो गया है। यह सुन कर आप ने ऊँट से पीछे हो कर उसे डाँट पिलाई और उस के लिये दुआ़ की, फिर वह समस्त ऊँटों से आगे-आगे चलने लगा। आप ने पूछाः अब तुम्हारा ऊँट कैसा है? मैं ने कहाः आप की दुआ़ओं से बिल्कुल ठीक-ठाक है। आप ने फ़रमायाः क्या इसे मेरे हाथ बेचोगे? चूँकि मेरे पास पानी ढोने के लिये और कोई ऊँट न था, और आप के हाथ बेचते हुये भी शर्म आती थी, लेकिन मैंने कह दिया कि आप के हाथ बेचता हूँ। फिर मैं ने अपने ऊँट को आप के हाथ इस शर्त पर बेच दिया कि मदीना तक उस पर सवारी करूँगा।

फिर मैं ने कहाः ऐ अल्लह के सन्देष्टा! मेरी अभी नई-नई शादी हुयी है इसलिये मुझे मदीना (और लोगों से पहले) पहुँचने की अनुमति दे दीजिये। आप ने अनुमति दे दी और मैं सब से पहले मदीना पहुँच गया। रास्ता में मेरे मामूँ मिल गये और ऊँट के बारे में पूछने लगे तो मैं ने पूरी बात बता दी। यह सुन कर वह बहुत नाराज़ हुये (कि तुम्हारे पास ले दे कर केवल यही एक ऊँट था उसे भी बेच दिया)

जाबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि जब मैं ने आप से मदीना जल्दी पहुँचने की

अनुमति माँगी तो आप ने मुझ से पूछाः कुँवारी से विवाह किया है या विधुवा से? मैं ने कहाः विधुवा से, क्योंकि मेरे पिता जी उहुद की जन्ग में मारे गये या, शहीद कर दिये गये थे, वह कई छोटी-छोटी बहनें छोड़ गये हैं, इसलिये मुझे बुरा मालूम हुआ कि अपनी बहनों के बराबर की लड़की बियाह कर लाऊँ जो उन्हें कुछ सिखा-पढ़ा तक न सके और न उन्हें कंट्रोल में रख सके।

जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ ने बयान किया कि फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाये तो मैं सुब्ह होते ही आप के पास ऊँट लेकर गया, तो आप ने उस ऊँट की क़ीमत भी दी और ऊँट को भी वापस लौटा दिया (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम)

फ़ाइदाः— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत करते थे। ऊँट को पाँच ऊक़िया सोने के बदले ख़रीदा था। इन के नौ बहनें थीं और सभी इन से छोटी थीं।

मालूम हुआ कि लेन-देन में ज़ाइज़ शर्त लगाना दुरुस्त है। जैसे माल ख़रीद कर घर पहुँचाने की शर्त, ख़राब निकलने पर वापसी की शर्त। लेकिन नाजाइज़ शर्त हर्गिज़ लागू नहीं होगी। जैसे बरीरा लौंडी के मालिकों ने शर्त लगाई थी कि वला मेरे लिये होगी (देखें-बुख़ारी 443, 2718, 2717)

बाब {क़र्ज़ में थोड़ा-बहुत माफ़ कर देना बेहतर है।}

961:— कअ़ब बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में मैं ने अबू हदरद के पुत्र से मस्जिदे नबवी में क़र्ज़ की वापसी का मुतालबा किया और दोनों के बीच स्वर बुलन्द हो गये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब आवाज़ सुनी तो अपने कमरे का पर्दा उठा कर बोलेः ओ कअ़ब! मैं ने कहाः हाज़िर हूँ मैं ऐ अल्लाह के संदेष्टा! आप ने इशारा से आधा कर्ज़ माफ़ कर देने को कहा तो मैं ने भी माफ़ कर दिया। इस पर आप ने हदरद के पुत्र से कहाः जाओ अब तो क़र्ज़ा अदा कर दो।

फ़ाइदाः— देखें हदीस न॰ 963, 964 का फ़ाइदा।

बाब {क़र्ज़ अदा करने की ताक़त रखने वाला अगर अदायगी में देरी करता है तो वह ज़ालिम है। और हवाला का बयान।}

962:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि अल्लाह के सन्देष्टा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो व्यक्ति धनवान हो गया हो (कि क़र्ज़ अदा करने की पोज़ीशन में हो) फिर भी वह अदायगी में आना-कानी करे तो वह अत्याचारी है। और अगर तुम में से किसी धनवान पर क़र्ज़ की अदायगी का ज़िम्मा डाल दिया जाये तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

फ़ाइदा:- अर्थात उस ग़रीब की ओर से क़र्ज़ अदा कर देना चाहिये, क्योंकि अल्लाह पाक ने आप को धनवान बनाया है, किसी का मुहताज नहीं बनाया है। इस प्रकार दूसरे का क़र्ज़ अदा कर देना गोया अल्लाह का शुक्र अदा करना हुआ।

दूसरा अर्थ यह हुआ कि किसी मालदार ने किसी का क़र्ज़ अपने ऊपर ले लिया तो उस की अदायगी में टालमटोल करना जुल्म होगा। उसे तुरन्त अदा कर देना चाहिये। और जिस का क़र्ज़ हवाला किया गया है उसे भी चाहिये कि उस स्वीकार करने वाले मालदार से वसूल कर ले, और इन्कार न करे कि जिस के ऊपर मेरा क़र्ज़ था मैं उसी ही से लूँगा, जिस के हवाला क़र्ज़ किया गया है उस से नहीं लूँगा। देखें बुख़ारी 2287, 2288। उसे क़र्ज़ वापस पाने से मतलब है चाहे जिस से मिले।

बाब {जो अभी क़र्ज़ वापस करने की पोज़ीशन में नहीं है उस को थोड़ा और अवसर प्रदान करना चाहिये, या अगर माफ़ कर दिया जाये (तो और अच्छी बात है)}

963:- हुज़ैफ़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: एक व्यक्ति देहान्त कर जाने के पश्चात् जन्नत में गया तो उस से पूछा गया: तुम (दुनियाँ में) क्या करते थे (जो आज जन्नत में हो) तो उस ने स्वँय सोचा या उसे बताया गया, फिर बोला: मैं व्यापार का काम करता था और ग़रीबों को मोहलत देता था (कि बाद में क़ीमत दे दें) और सिक्का अथवा नक़द पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं देता था (जो वह खरा-खोटा देते सब ले लेता था) इस कारण मेरी बख़्शिश हो गयी। अबू मस्ऊद रज़ि॰ ने कहा कि इस हदीस को मैं ने स्वँय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुनी है।

फ़ाइदा:- बुख़ारी शरीफ़ में यही हदीस इस प्रकार है: "हुज़ैफ़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना: किसी व्यक्ति का देहान्त हो गया तो उस से (क़ब्र में) पूछा गया: तुम्हारे पास कोई नेकी है? उस नेकहा: मैं व्यापारी था, चुनान्चे (जब किसी पर मेरा क़र्ज़ होता तो) मैं मालदारों को थोड़ा और मौक़ा देता था और अगर ग़रीब होता तो उस के क़र्ज़ को माफ़ कर दिया करता था। इस पर मेरी बख़्शिश हो गयी। अबू मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने स्वँय इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है।" (बुख़ारी 2391) फ़र्क़ केवल इतना है कि ऊपर की रिवायत में जन्नत में पूछे जाने का ज़िक्र है और बुख़ारी में क़ब्र के अन्दर। बात एक ही है।

964:- अ़ब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा ने बयान किया कि मेरे पिता जी अबू क़तादा रज़ि॰ अपने एक क़र्ज़दार को तलाश करेन लगे, लेकिन वह कहीं छुप गया। फिर जब वह मिला तो कहने लगा: मैं ग़रीब हूँ (क़र्ज़ नहीं अदा कर पाऊँगा) मेरे पिता जी ने कहा: अल्लाह की क़सम! उस ने कहा: अल्लाह की क़सम। इस पर अबू क़तादा कहने लगे

कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है: जो व्यक्ति यह चाहता है कि क़ियामत के दिन उसे सख़्ती न झेलनी पड़े तो वह क़र्ज़दार को कुछ मोहलत दे या हो सके तो माफ़ कर दे।

फ़ाइदा:– यही बात कुरआन पाक में भी है: "अगर उस का हाथ तंग है तो उसे मोहलत देना बेहतर है और उस पर सदक़ा ही कर दो तो यह और ही बेहतर है" (सूर: बक़र:280) यह केवल इस्लाम धर्म है जो क़र्ज़ देकर न लेने का उपदेश और शिक्षा देता है। यह विशेष्ता और किसी धर्म में नहीं है। किसी कवि ने क्या ही अच्छा कहा है:

करो मेहरबानी तुम अहले–ज़मीं पर
खुदा मेहरबाँ होगा अर्शे बरीं पर

बाब {अगर क़र्ज़ देने वाला मुफ़लिस (निर्धन, दीवालिया) के पास अपना वही माल पाये (जो उस ने क़र्ज़ दिया था, तो वही उस माल का अधिक हक़दार है)}

965:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब क़र्ज़ लेने वाला मुफ़लिस (निर्धन, दरिद्र) हो जाये और क़र्ज़ देने वाला उस के पास अपना माल पा जाये तो वही उस माल का अधिक हक़दार है।

फ़ाइदा:– किसी ने लोगों से अलग–अलग सामान क़र्ज़ लिया चुनान्चे एक व्यक्ति से ढाल क़र्ज़ लिया और दूसरे से तल्वार लेकिन वह निर्धन और दरिद्र हो गया, क़र्ज़ अदा करने की पोज़िशन में नहीं रहा। घर की तलाशी ली गयी तो ढाल मिल गयी। तो ढाल का हक़दार वही है जिस ने उसे क़र्ज़ दिया था। उस का प्रथम हक़ बनता है कि वह अपना माल वापस ले ले।

बाब {लेन–देन में रहन (गिरवी) रखने का बयान।}

966:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक यहूदी से विशेष समय तक के लिये ग़ल्ला ख़रीदा और बदले में अपनी लोहे की ज़िरह उस के पास गिरवी रख दी थी।

फ़ाइदा:– क़र्ज़ के बदले कोई वस्तु गिरवी इस लिये रखी जाती है कि अगर वादा के अनुसार क़र्ज़ न अदा करे तो क़र्ज़ देने वाला उस वस्तु से अपना क़र्ज़ वसूल कर ले। कोई वस्तु गिरवी रख कर सामान लेने की आवश्यक्ता अधिकांश रुप से यात्रा के दर्मियान पड़ती है, इसलिये सूर: बक़र: आयत 283 में यात्रा के संदर्भ में आया है। लेकिन ऊपर की हदीस से मालूम हुआ कि कभी भी, कहीं भी आवश्यक्ता पड़ने पर गिरवी रखना जाइज़ है। यहूदी का नाम अबू शहम था जो क़बीला ख़ज़रज की एक शाखा "बनू ज़फ़र" से संबन्ध रखता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यहूदी से क्यों मामला किया? इस के उत्तर के लिये यहाँ गुंजाइश नहीं है, कहीं दूसरे स्थान पर लिखूँगा–ख़ालिद।

अगर क़र्ज़ लेने वाला गिरवी में कोई जानवर रख दे तो स्पष्ट है कि उस को

खिलाना-पिलाना पड़ेगा, इसलिये रहन रखने वाला बदले में उस का दूध पी सकता है, उस पर सवारी कर सकता है (बुख़ारी 2512, अबू दावूद 3526) जो वस्तु चले फिरे नहीं उस को प्रयोग में नहीं ला सकता, जैसे सोने-चाँदी की अगूँठी और आभूषण आदि। बुख़ारी की रिवायत में है कि जब आप का देहान्त हुआ तो आप की ज़िरह एक यहूदी के पास दो साअ़ा जौ के बदले गिरवी रखी हुयी थी (2069, मुस्लिम-1603) गिरवी रखा हुआ जानवर अगर अकारण मर जाये तो मालिक ज़िम्मेदार न होगा, हाँ यह कि पीट-पीट कर मार डाला हो (अर्रौज़तुन्नदिय्या)

बाब {पेड़ के फलों में सलफ़ करने का बयान।}

967:- इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत कर के आये तो (क्या देखा कि यहाँ के लोग) फलों में एक वर्ष, दो वर्ष के लिये सलफ़ (पेशगी सौदा) कर लेते हैं। इस पर आप ने फ़रमाया: जो कोई खजूर में सलफ़ करे तो सुनिश्चित माप-तौल में और सुनिश्चित समय तक के लिये करे।

फ़ाइदा:- 'सलफ़' और 'सलम' दोनों का एक ही अर्थ है। शरीअ़त की परिभाषा में इस का यह अर्थ है कि एक व्यक्ति किसी को नक़द 100 रुपये दे और कहे कि चार माह के बाद 50 किलोग्राम खजूर दे देना। इस में सब से अहम और महत्वपूर्ण बात कब देना और कितना देना है, यह स्पष्ट होना चाहिये। अगर देने का समय और वज़न या माप तै नहीं है तो फिर जाइज़ नहीं है। क्योंकि आप ने 10 रुपये किलो की दर से उसे 100 रुपया दिया बाद में खजूर का भाव 20 रुपये किलो हो गया। अब जिस ने 100 रुपया लिया था कहने लगा कि मैं ने 15 दिन के भीतर देने की निय्यत की थी। अब हमारा आप का अनुबन्ध समाप्त। आप कहें कि मेरी निय्यत एक माह की थीं इसलिये अनुबन्ध अभी बाक़ी है। इस प्रकार मार-पीट और झगड़ा-फ़साद की नौबत आ जायेगी। इसलिये 'सलफ़' या 'सलम' का केवल वही सौदा दुरुस्त है जिस में पहले से क़ीमत तै हो, वज़न या माप तै हो और देने की समय सीमा तै हो।

बाब {शुफ़आ़ का बयान।}

968:- जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हर उस माल में जो बटा हुआ न हो, चाहे वह ज़मीन हो अथवा बाग़, शुफ़आ़ की अनुमति दी है। शुफ़आ़ में एक फ़रीक़ के लिये जाइज़ नहीं कि वह दूसरे साझेदार को सूचित किये बिना अपना हिस्सा बेच दे। साझीदार को सूचित करना अनिवार्य है। अब उस की इच्छा, चाहे वह ले या न ले। अगर साझीदार को सूचित किये बिना बेचा गया तो वही लेने का सब से अधिक हक़दार है।

फ़ाइदा:- 'शुफ़आ़ का अर्थ है "जोड़ा"। शरीअ़त की परिभाषा में यह है कि अपना

हिस्सा (अगर बेचना चाहे तो) पहले साझीदार या निकट पड़ोसी को दे देना। फिर अगर वह न लें तब दूसरे को देना।

क्योंकि जायदाद के सब से निकट यही दोनों हैं, इसलिये यही दोनों लेने के भी सब से अधिक हक़दार हैं। यह न लें तो फिर जिस के हाथ चाहे बेच दे। एक बाग़ में 100 पेड़ हैं जिस में दो साझीदार हैं। एक व्यक्ति उदाहरण के तौर पर आम के 100 पेड़ों में से अपने हिस्से के पचास पेड़ बेचना चाहता है तो वह पहले अपने साझीदार के हाथ बेचे, वह न ले तो फिर दूसरे के हाथ बेचने का इख़्तियार है। इसी प्रकार मकान का भी मस्अला है कि पहले पड़ोसी के हाथ बेचे। वह न ले तब जिस के हाथ चाहे बेचे।

अगर ऐसा न कर के चुपके से दूसरे के हाथ बेच दिया तो वह सौदा मन्सूख़ माना जायेगा। कुछ उलमा का कहना है कि यह नियम केवल न टलने वाली (न-मुन्तक़िल होने वाली) जायदाद में लागू होगा, जैसे बाग़, घर, मकान आदि। लेकिन यह ख़याल दुरुस्त नहीं। सहीह मस्अला यह है कि जायदद टलने वाली हो या न टलने वाली हो, शुफ़्आ का नियम दोनों पर लागू होगा।

शुफ़्आ का नियम कितना महत्वपूर्ण है इस का अनुमान बुख़ारी शरीफ़ की इस हदीस से लगा सकते है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद किये हुये गुलाम अबू राफ़े ने सअद बिन वक़्क़ास रज़ि॰ से कहाः तुम्हारे घर के पास मेरे जो घर हैं उसे ख़रीद लो। सअद ने कहाः अल्लाह की क़सम! मैं नहीं ख़रीदने का। राफ़े ने कहाः जी नहीं, तुम्हें ख़रीदना होगा। सअद ने कहाः अगर ऐसी बात है तो मैं चार हज़ार दिंहम से अधिक नहीं दे पाऊँगा और वह भी क़िस्तों में। अबू राफ़े ने कहाः अल्लाह की क़सम! मुझे तो उस के पाँच सौ दीनार (6000 दिंहम) मिल रहे हैं। अगर मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से यह न सुना होता कि पड़ोसी अपने पड़ोसी का सब से अधिक हक़दार है, तो मैं उन दोनों घरों को चार हज़ार में तुम्हारे हाथ हर्गिज़ नहीं बेचता, जबकि मुझे पाँच सौ दीनार (यानी छः हजार दिंहम) मिल रहे हैं-रज़ियल्लाहु अन्हु (बुख़ारी-2258)

बाब {पड़ोसी की दीवार में खूँटी-लक्ड़ी आदि गाड़ना जाइज़ है।}

969:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से कोई अपने पड़ोसी को अपनी दीवार में खूँटी गाड़ने से न रोके। अबू हुरैरा रज़ि॰ बयान किया करते थे कि मैं देखता हूँ कि तुम लोग इस हदीस पर अमल करने से दिल चुराते हो, लेकिन अल्लाह की क़सम! मैं तो यह हदीस बयान करता रहूँगा।

फ़ाइदाः- खूँटी गाड़ना, खाली पड़ी ज़मीन में सामान रखना, एक-दूसरे के सामान से लाभ उठाना, एक-दूसरे की खुशी-ग़मी में शरीक होना, यही पड़ोसी का हक़ है, लेकिन यह सब उसी समय तलक है जब तक पड़ोसी की निय्यत में बिगाड़ न हो। आज के माहौल में तो क़ब्ज़ा कर लेते हैं। अगर इस प्रकार का माहौल हो तो मुरव्वत और

सहानुभूति से दूर रह कर अपनी दीवार में कुछ न करने देना ही भला। न रहे बाँस न बजे बाँसुरी।

बाब {अगर किसी ने एक बीता भूमि किसी की हड़प ली तो क़ियामत के दिन सात पृथ्वी उस के गले में लटकेगी।}

970:– उर्वा बिन जुबैर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा उवैस की पुत्री अरवा ने सअ़ीद बिन ज़ैद पर आरोप लगाया कि उन्होंने मेरी ज़मीन हड़प ली है और मर्वान बिन हकम के दर्बार में मुक़दमा दायर कर दिया। इस के उत्तर में सअ़ीद ने कहाः भला मैं क्यों किसी की ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने लगा जबकि मैंने स्वँय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि जो व्यक्ति किसी की एक बीता ज़मीन भी नाहक़ ले लेगा, तो (क़ियामत के दिन) अल्लाह पाक उस के गले में सात ज़मीनें लटका देगा। मर्वान ने (इस हदीस के बायन कर देने के बाद) कहाः मैं आप से गवाह नहीं मागूँगा।

इस के बाद सअ़ीद ने कहाः ऐ अल्लाह! अगर अरवा झूठी है तो उसे अन्धा कर दे और उसी की ज़मीन में उस की जान ले। इस हदीस के रिवायत करने वाले ने बयान किया कि वह अंधी हो गयी थी, और एक मर्तबा वह अपनी ज़मीन में जा रही थी कि किसी गड्ढे में गिर कर मर गयी।

बाब {जब रास्ता के बारे में परस्पर झगड़ा हो जाये तो बीच में सात हाथ की चौड़ी गली छोड़ दो।}

971:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम्हारे दर्मियान रास्ता को ले कर इख़्तिलाफ़ हो जाये तो उस की चौड़ाई सात हाथ रख लो।

फ़ाइदा:– क्योंकि सात हाथ की गली और रास्ता आदमी और जानवरों के आने-जाने के लिये बहुत काफ़ी है। याद रहे कि यह इख़्तिलाफ़ की सूरत में है। और अगर दोनों फ़रीक़ राज़ी हों तो फिर परस्पर राय मश्वरा से जितना चाहें छोड़ें, इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

आज 13 सितंबर सन 2005, मंगवलार के दिन अहले हदीस मन्ज़िल, दिल्ली में दिन के 9 बजे, इस बाब के अनुवाद और संक्षिप्त तशरीह से फ़ारिग़ हुआ। जनरल सिक्रेटी मौला असग़र अली इमाम महदी साहब ने "अहले हदीस मसाजिद और अहले हदीस मदारिस के एहसा (गणना) का कार्य अस्थाई तौर पर मेरे जिम्मे डाला हुआ है। इस कार्य को भी साथ ही निमटा रहा हूँ। आगे "खेती बाड़ी" के मसाइल पर हदीसें आ रही हैं–ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी फ़लाही।

❀ ❀ ❀

किताबुज़्ज़िरा–अ़ति
(खेती–बाड़ी के मसाइल)

फ़ाइदाः– एक मनुष्य बिना खाए–पिए जीवित नहीं रह सकता, इसलिये खाने–पीने के लिये खेती–बाड़ी कर के अन्न पैदा करना अनिवार्य है। खेती–बाड़ी एक प्रकार की इबादत है अगर निय्यत दुरुस्त हो और यह हो कि खेती कर के ग़ल्ला पैदा करें गे, उसे खा कर अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, दीन इस्लाम का झन्डा ऊँचा करेंगे। एक हदीस में आया है कि यह ज़लील पेशा है। लेकिन उस समय, जब किसान इसी का होकर रह जाये और नमाज़ रोज़ा आदि दीनी कामों से ग़ाफ़िल हो जाये।

बाब {भूमि को किराया पर देना मना है।}

972:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस के पास भूमि (अधिक होने के नाते) ख़ाली पड़ी हो तो वह उस में स्वँय खेती करे, अगर स्वँय न कर सके तो दूसरे को दे दे।

फ़ाइदाः– अर्थात किराया न ले। यह कोई आदेश और निर्देश नहीं है, बल्कि अनुरोध के आधार पर है ताकि भूमिहीन किसानों की सहायता हो जाये और वह भी ज़मीन वाले हो जायें, उन की ग़रीबी दूर हो जाये। आप ने यह बात इस्लाम के आरंभ में कही थी, वह भी अनुरोध के तौर पर न कि हुक्म के तौर पर। वर्ना अगर चाहे तो अपनी ज़मीन पड़ी रहने दें और किसी को न भी दे।

बाब {अनाज के बदले खेती वाली भूमि किराया पर देना मना है।}

973:– राफ़े बिन ख़दीज रज़ि॰ ने बयान किया कि हम (ज़मीनदार) लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में भी भूमि को "मुहाक़ला" पर, यानी एक तिहाई, अथवा एक चौथाई या मुक़र्ररा माप–तौल के अनाज के बदले देते थे। इत्तिफ़ाक़ से मेरे चचाओं में से एक चचा आ कर कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें इस प्रकार भूमि देने से मना किया है जिस में (केवल) हमारा ही फ़ाइदा हो। लेकिन हमें तो अल्लाह और उस के संदेष्टा की आज्ञापालन में लाभ है। (चचा ने बताया कि) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भूमि को किराया पर देने या एक तिहाई या

एक चौथाई (ग़ल्ले की पैदावार) पर देने से मना फ़रमाया है। और आदेश दिया है कि भूमि का मालिक स्वँय खेती करे, या किसी को (मुफ़्त में) खेती करने के लिये दे दे। और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने किराया पर, या किसी और शर्त पर देने को बुरा जाना।

फ़ाइदा:– 'मुहाक़ला' के लिये देखें हदीस न॰ 924 का फ़ाइदा। यानी ज़मीनदार यह कहे कि तुम पहले ही एक कुन्टल गेहूँ दे दो और मेरी एक बीघा भूमि पर एक फ़सल की खेती करो और उस की बाक़ी कुल पैदावार तुम्हारी होगी। इस प्रकार का मुआ़हिदा इसलिये नाजाइज़ है कि अगर एक कुन्टल से कम पैदा हुआ तो किसान का घाटा होगा और ज़मीनदार का लाभ, और यह लाभ सूद हो जायेगा। इस प्रकार की अटकल पच्चू शर्तें जिस में हानि-लाभ की शंका हो नाजाइज़ है।

बाब {सोने-चाँदी के बदले खेती की भूमि किराया पर देना कैसा है?}

974:– हन्ज़ला बिन क़ैस अन्सारी रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने राफ़े बिन ख़दीज रज़ि॰ से ज़मीन को सोन-चाँदी केबदले किराया पर देने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: इस में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के समय में लोग पानी की नहरों और नालियों के निकट की पैदावार की शर्त पर किराया पर देते थे। इस में कभी ऐसा भी होता है कि नाली के निकट पैदावार अच्छी होती और दूसरे छोर की नष्ट हो जाती, और कभी इधर की नष्ट हो जाती और उधर की बच जाती। इस प्रकार ऐसा भी होता कि ज़मीन वाले का किराया भी नहीं निकल पाता था (मगर वही जो थोड़ा बहुत बच जाता, चूँकि यह धोखे की शर्त थी) इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस प्रकार की शर्त पर भूमि को किराया पर देने से मना फ़रमाया दिया। लेकिन अगर किराया के बदले कोई तै शुदा वस्तु (जैसे सोना-चाँदी ग़ल्ला आदि) जिस का ज़िम्मा लिया जा सके (जिसे आजकल लगान बोलते हैं) के बदले किराया पर दिया जाये तो इस में कोई बुराई नहीं है।

फ़ाइदा:– जोतने और बोने की कई शक्लें बनती हैं (1) नहर और नाली के निकट की भूमि उपजाऊ होती है। तो मालिक शर्त लगा दे कि नाली के निकट की पैदावार मैं लूगाँ और बाक़ी की तुम लेना। यह धोखे की शर्त है। ऐसा भी हो सकता है कि नाली का पानी खेते में भर जाये और नाली के किनारे की फ़स्ल चौपट हो जाये, तो ज़ीन के मालिक का हानि होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि नाली के निकट की पैदावार अच्छी हो और आस-पास की चौपट हो जाये, तो बटाई लेने वाले का हानि होगा, इसलिये इस प्रकार की शर्त पर ज़मीन बटाई लेना-देना हराम है। (2) दूसरी शक्ल यह है कि कुल पैदावार की तिहाई या चौथाई के लेने की शर्त पर शर्त लगाई जाये, तो यह जाइज़ है जैसे तुम खेती करो और जितना गल्ला पैदा होगा उस का एक तिहाई मुझ ज़मीनदार दे देना। (3) तीसरी शक्ल जो आजकल हमारे मुल्क में बहुत प्रचलित है वह है लगा॰

यानी हर वर्ष मुझे 1000 रुपये दिया करो। और जितना कुछ पैदा हो वह तुम्हारा है। उलमा ने इसे जाइज़ कहा है (देखें बुख़ारी तर्जुमा दावूद रज़ि॰ पृष्ठ 3/478) चूंकि इस में पैदा करना, यह सब किसान के जिम्मा है। चाहे एक हज़ार की पैदा करे, चाहे दस हज़ार की, वह जाने उस का काम। लेकिन मुझ अनुवादक के निकट इस के जाइज़ होने में संदेह है। (4) सोना-चाँदी के बदले। जैसे कि जमीनदार ने एक तोला सोना के बदले एक बीघा भूमि एक वर्ष के लिये दे दी। इस में और न॰ 3 में फ़र्क़ केवल इतना है कि वहाँ रुपया है और यहाँ सोना। ऊपर न॰ तीन की शक्ल जाइज़ है तो यह भी जाइज़ है। सच्ची बात वही है जिसे इमाम ताऊस और हसन बसरी रह॰ ने कहा है कि ज़मीन को किराया पर देना बिल्कुल जाइज़ नहीं, चाहे अनाज के बदले हो, या सोना-चाँदी के बदले हो, या तिहाई-चौथाई के हिस्से की शर्त पर हो। जाइज़ शक्ल बटाई की है। वह यह कि जो कुछ पैदा हो उस का आधा मालिक ले ले और आधा किसान। इस में अगर कम पैदा हुआ तो दोनों को कम मिलेगा और अगर अधक पैदा हुआ तो दोनों को अधिक मिलेगा। हानि-लाभ दोनों में बराबर के शरीक हैं। (देखें मुस्लिम-तर्जुमा वहीदुज़्ज़माँ पृष्ठ 3/172)

बाब {भूमि को ठेका पर देने का बयान।}

975:- अ़ब्दुल्लाह बिन साइब ने बयान किया कि एक मर्तबा हम लोगों ने अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल मुज़नी के पास जा कर बटाई की खेती के बारे में मस्अला पूछा तो उन्होंने कहाः साइब बिन यज़ीद ने रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस से मना किया है और किराया पर भूमि देने का हुक्म दिया है, फिर फ़रमाया कि इस में कोई ऐसी-वैसी बात नहीं है।

फ़ाइदाः- जैसा कि ऊपर के फ़ाइदा में विस्तार से बयान हुआ कि बटाई पर देना निःसंदेह जाइज़ है, और इस में किसी का इख़्तिलाफ़ भी नहीं हैं। आप ने जो यहाँ मना फ़रमाया है, वह हराम होने के नाते नहीं, बल्कि इसलिये कि लोग अधिक से अधिक नेकी की तरफ़ झुकें और मुफ़्त में या ख़ैरात के तौर पर, या उपहार में भूमि अपने गरीब किसान भाई को दें। उद्देश्य केवल यह है, वर्ना जाइज़ होने में शुब्हा नहीं।

जहाँ तक किराया पर देने का प्रश्न है तो सोने-चाँदी के बदले देना ऊपर की हदीस न॰ 974 से साबित है तो इसी प्रकार क़िराया पर भी देने का हुक्म है। और इस में कोई आपत्ति नहीं।

बाब {किसान को भूमि उपहार में दे देना (बहुत बेहतर है)}

976:- इमाम ताऊस अपनी भूमि को तिहाई-चौथाई बटाई पर दिया करते थे। चुनान्चे एक दिन अ़म्र बिन दीनार उन के पास गये और कहने लगेः ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! अगर तुम बटाई पर देना छोड़ दो तो यह बेहतर है, क्योंकि लोगों का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस से मना फ़रमाया है। यह सुन कर ताऊस बोलेः मुझे

सहाबा में सब से अधिक ज्ञान रखने वाले अर्थात इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बटाई पर देने से मना नहीं फ़रमाया है, बल्कि यूँ फ़रमाया है कि अगर अपने भाई को मुफ़्त में दे दो तो यह किराया लेने से बेहतर है।

फ़ाइदा:– भूमि तिहाई–चौथाई पैदावार के बदले ठेका पर देना, या बटाई पर देना जैसा कि आजकल हमारे मुल्क में प्रचलित है (खेत मालिक का और जोताई–बोवाई बीज, खाद, पानी, किसान का) यह जाइज़ है। आप ने जो मना फ़रमाया इस नाते नहीं कि हराम है, बल्कि इस नाते कि अगर ख़ैरात और सवाब की निय्यत से मुफ़्त में दे दे तो बेहतर है। यानी नेकी पर उभारने के लिये। अब अगर कोई अल्लाह की राह में मुफ़्त दे दे तो यह उपकार होगा, और अगर कोई न दे, बल्कि बटाई पर दे तो यह भी ग़लत नहीं है। फिलहाल उसे ग़ल्ले की आवश्यक्ता है। (देखें बुख़ारी 2342)

बाब {सींचाई और भूमि का मामला खेती और फल के बदले करना जाइज़ है।}

977:– इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर की भूमि (जो वहाँ के यहूदियों से खुमुस में मिली थी)उन्हीं यहूदी किसानों के हवाले इस शर्त पर कर दिया था कि जो भी फ़स्ल या ग़ल्ला पैदा करें उस में आधा हमारा और आधा उन का होगा। चुनान्चे उसी पैदावार में से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी पत्नियों को सालाना (खाने–पीने के लिये) सौ वसक़ ग़ल्ला देते थे, जिस में 80 वसक़ खजूर और बीस वसक़ जौ होता था। फिर उमर रज़ि॰ ने (अपने ख़िलाफ़त के समय में) उन्हें इख़्तियार दे दिया कि अगर आप लोग चाहें तो भूमि और पानी ले लें, या चाहें तो (जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में पाती थीं उतना वसक़) ग़ल्ला लेती रहें। चुनान्चे कुछ बीवियों ने भूमि और पानी ले लिया (और स्वंय खेती करवाया, या बटाई पर दे दिया) और कुछ ने वसक़ पैदावार ही लेना पसन्द किया। आ़इशा और हफ़सा ने भूमि और पानी लिया था।

फ़ाइदा:– इस हदीस से स्पष्ट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बटाई पर भूमि ख़ैबर वालों को दी है, इसलिये बटाई पर देना निःसंदेह जाइज़ है। और किराया पर देना (यानी यह तै कर लेना कि मुझे इतना रुपया दे दो और कुल पैदावार तुम्हारी होगी, या मुझे कुल पैदावार की तिहाई–चौथाई दे देना) यह भी जाइज़ है। इस का सबूत बुख़ारी की यह रिवायत है: "राफ़े बिन ख़दीज ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने किराया पर देने से मना किया है। यह सुन कर इब्ने उमर रज़ि॰ उन के पास गये और पूछा तो राफ़े रज़ि॰ ने वही बात दोहराई। इस पर इब्ने उमर ने कहा: आप को मालूम होना चाहिये कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में अपनी ज़मीन को नहर के निकट वाली भूमि की पैदावार के बदले, या थोड़ी–बहुत घास के बदले दे दिया करते थे। (बुख़ारी 2344) नक़द लेने का नाम किराया है और

तिहाई–चौथाई ग़ल्ला लेना भी एक प्रकार का किराया है, इसलिये दोनों को किराया ही कहा जायेगा। दीहात में हुन्डी और कूत बोलते हैं।

ऊपर हदीस में जिस भूमि का ज़िक्र है यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ज़ाती थी जिसे 'खुमुस' कहते हैं। इसी प्रकार एक आध खूजूर के बाग़ थे। 'खुमुस का यह अर्थ है कि माले ग़नीमत के पाँच हिस्से कर डालें। चार हिस्से मुजाहिदों में बाँट दें। पाँचवा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का है। ख़ैबर में इसी प्रकार आप को पाचवाँ हिस्सा मिला था। इस की पैदावार से घर के बीवी–बच्चों का ख़र्चा चलाते थे। इसी भूमि के बारे में उमर रज़ि० ने कहा था कि चाहें तो इस की पैदावार ले लें और चाहे तो ग़ल्ला लेतीं रहें। (देखें पारः10, सूरः अन्फ़ाल, आयत 41)

बाब {जिस ने पेड़–पौधे लगाए (उस के सवाब का बयान)}

978:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो कोई मुसलमान भाई कोई पेड़–पौधा लगाता है, और उस का फल कोई दूसरा खा लेता है तो उस लगाने वाले को सदक़ा का सवाब मिलता है। इसी प्रकार अगर चोरी हो जाये तो इस पर भी, अगर जानवर खा जायें तो इस पर भी, और अगर परिन्दे खा जायें तो इस पर भी उसे सदक़ा का सवाब मिलता है। अर्थात यह कि कोई भी उस के फलों में कमी करेगा तो बदले में उसे सदक़ा का सवाब मिलेगा।

फ़ाइदाः– इस हदीस से पेड़–पोधे लगाने की फ़ज़ीलत का बयान है। कुछ बाग़ के मालिक इतने कठोर होते हैं कि फल के मौसम में परिन्दों को पर तक नहीं मारने देते हैं, हर समय उन को खदेड़ने पर उतारु रहते हैं इन के लिये इस हदीस में पाठ है कि तनिक नर्मी से काम लें और सदक़ा का सवाब कमायें। बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत तें इतना और है "बाग़ लगाए या खेती करे" यानी अगर खेत से चिड़िया दाना चुग लेगी तो उस पर सवाब मिलेगा। (बुख़ारी–2320)

इस हदीस को पढ़ते ही एक घटना याद आयी। ख़लीफ़ा हारुन रशीद शिकार के लिये निकला तो क्या देखा कि एक बूढ़ा आम के पेड़ लगा रहा है। उस ने कहाः क़ब्र में पैर लटकाए हुये हो, इस का फल भी खा सकोगे? उस ने कहाः मैं ने भी तो किसी के लगाए हुये पौधों का फल खाया है, तो मेरे बाद की पीढ़ी भी मेरे पौधों का फल खाएगी। इस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने उसे एक हज़ार रुपये इनाम में दिये। उस बूढ़े ने इनाम ले कर कहाः बादशाह सलामत! लोग पेड़ लगाते हैं तो एक वर्ष के बाद फल मिलता है और मुझे तुरन्त ही फल मिल गया। यह सुन कर बादशाह और भी प्रसन्न हो उठा और पुनः एक हज़ार रुपये इनाम दिये। बूढ़े ने इनाम लेकर कहाः ऐ बादशाह सलामत! लोगों के पेड़–पौधे वर्ष में एक बार फल देते हैं, और मेरे लगाये पौधे ने दो बार फल दिये। यह उत्तर सुन कर बादशाह ने फिर इनाम दिया।

बाब {आवश्यक्ता से अधिक पानी को बेचना कैसा है?}

979:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस पानी के बेचने से मना फ़रमाया है जो ज़रुरत से अधिक हो।

फ़ाइदा:– विस्तार से जानकारी के लिये देखें हदीस न॰ 959 का फ़ाइदा।

बाब {आवश्यक्ता से अधिक पानी और घास रोकना (मना) है।}

980:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: फ़ाज़िल पानी इसलिये न रोका जोय कि इस की वजह से घास भी रोकी जाये।

फ़ाइदा:– उदाहरण के तौर पर किसी के पास पानी का कुआँ या तालाब व बावली है और उस के आस–पास घास है। पानी का मालिक जानवरों को पानी नहीं पीने देता है, ताकि जब पीने को पानी नहीं मिलेगा तो लोग जानवरों को भी वहाँ चराने नहीं लायेंगे। इस प्रकार घास और पानी दोनों बचेगा। यह निहायत कुरुरता और बेमुरव्वती की बात है, जो मानवता के बिल्कुल विपरीत है। दीन इस्लाम को तो जाने दें, कोई दूसरा धर्म भी इसे पसन्द नहीं करेगा। ऐसे दरिद्र सोच और ख़याल के लोग धन–माल के भी दरिद्र हो जाते हैं। और माँगे भीख और पीने को पानी नहीं पाते हैं।

❀ ❀ ❀

किताबुल वसिय्यति
(वसिय्यत और सदक़ा आदि का बयान)

फ़ाइदा:– 'वसिय्यत' नाम है इस बात का कि कोई व्यक्ति मरने से पूर्व यह कह जाये कि मेरे बाद ऐसा–ऐसा करना, फ़लाँ को यह–यह दे देना आदि। यह बहुत ही अनिवार्य है। चुनान्चे सूरः बक़रः 181 में लिख कर पास रख लेने का हुक्म है। इस पर अ़मल करना उस समय और भी ज़रुरी हो जाता है जब उस ने किसी से क़र्ज़ लिया हो और उसे वापस करना हो, क्योंकि हो सकता है मौत के समय कोई न हो और क़र्ज़ की अदायगी बाक़ी रह जाये। अगर किसी ने नाजाइज़ कार्य की वसिय्यत की तो ज़ाहिर है उस पर अ़मल नहीं किया जायेगा।

बाब {उस व्यक्ति को वसिय्यत करने की तरफ़ तवंज्जोह दिलाना चाहे जिस के पास वसिय्यत के लिये कोई वस्तु हो।}

981:– अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः किसी व्यक्ति के पास अगर वसिय्यत करने की कोई चीज़ है तो उस के लिये उचित नहीं कि तीन रातें बीत जायें और उस के पास वसिय्यत लिखी हुयी न रखी हो। इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि जब से मैं ने यह हदीस सुनी, मेरे ऊपर एक रात नहीं बीती कि वसिय्यत लिखी हुयी रखी न हो।

फ़ाइदा:– सूरः बक़रः की आयत 180 के नाज़िल होने के बाद वसिय्यत करना फ़र्ज़ था। लेकिन जब मीरास वाली आयतें नाज़िल हुयीं तो वारिस के लिये वसिय्यत करना मना हो गया। चुनान्चे अ़म्र बिन ख़ारिजा की रिवायत में है "अल्लाह पाक ने (मीरास की आयतें नाज़िल कर के) तमाम हक़दारों के हुक़ूक़ बयान कर दिये, इसलिये अब वारिस के लिये वसिय्यत करने की आवश्यकता नहीं रही। हाँ, वारिस के बारे में कुछ देने–लेने की वसिय्यत कर सकता है अगर किसी का क़र्ज़ हो, या अमानत हो, या कोई उस के ऊपर हक़ हो जिस की अदायगी उस के ज़िम्मा हो, तो इन के बारे में वसिय्यत अनिवार्य है। (अस्हाबे सुनन)

बाब {एक तिहाई माल से अधिक की वसिय्यत न की जाये।}

982:– सअ़द बिन वक़्क़ास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अन्तिम हज्ज के मौक़ा पर मेरी ख़ैरियत मालूम करने के लिये आये। उस समय मुझे इतनी तक्लीफ़ थी कि मैं मौत के निकट पहुँच चुका था। उस मौक़े पर मैं ने आप से कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मैं जिस स्थिति में हूँ आप देख ही रहे हैं। (कि मेरे बचने की आशा नहीं है) और मैं मालदार आदमी हूँ, मेरे माल का वारिस केवल मेरी एक पुत्री है, तो क्या मैं अपने दो तिहाई माल ख़ैरात कर दूँ? आप ने फ़रमायाः नहीं। मैं ने कहाः फिर आधा माल? आप ने फ़रमायाः इतना भी नहीं। हाँ, एक तिहाई कर सकते हो, और यह भी अधिक है। (सुनो!) अगर तुम अपने वारिसों को मालदार छोड़ जाओ तो यह इस बात से कहीं बेहतर है कि उन्हें मुहताज छोड़ जाओ और वह लोगों के सामने हाथ पसारते फिरें। और (याद रखो) जो कुछ भी अल्लाह को प्रसन्न करने के लिये ख़र्च करोगे तो उस का सवाब मिलेगा, यहाँतक कि उस लुक़्मे का भी सवाब मिलेगा जो तुम अपनी पत्नी के मुँह में डालोगे। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! क्या मैं अपने साथियों से पीछे रह जाऊँगा (और वापस मदीना नहीं जा पाऊँगा? और यहीं मारुगाँ?) आप ने फ़रमायाः तुम हर्गिज़ पीछे नहीं रहोगे (अभी जियोगे) और ऐसे नेक कार्य करोगे जिस ने तुम्हारा मतर्बा बुलन्द होगा। और अगर तुम जीवित रहे तो कुछ लोगों को (यानी मुसलमानों को) तुम से लाभ पहुँचेगा और काफ़िरों को हानि। ऐ अल्लाह! मेरे सहाबा की हिजरत को मुकम्मल कर दे और उन को उन की एड़ियों के बल मत फेर। हाँ, ग़रीब ख़ाला के पुत्र सअ़द पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बड़ा अफ़सोस किया क्योंकि उन का देहान्त मक्का ही में हो गया था।

फ़ाइदाः– जिन लोगों ने मक्का में अपना घर-बार अल्लाह की राह में छोड़ कर हिजरत की थी उस घर में अब रहना दुरुस्त नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने केवल तीन दिन तक उन में रहने की अनुमति दी थी, फिर वापस मदीना लौट जायें। सअ़द बिन वक़्क़ास भी अन्तिम हज्ज में शामिल थे, लेकिन ऐसे बीमार हुये कि जान के लाले पड़ गये। और इन्हें शंका होने लगी कि मैं यही मरुँगा और वापस मदीना न जा सकूँगा। लेकिन आप के कहने के अनुसार 50 वर्ष और जीवित रहे। मिस्र और इराक़ आदि को पराजित कर के मुसलमानों को फ़ाइदा पहुँचाया और काफ़िरों को हानि। बीमारी के समय एक पुत्री थी, लेकिन देहान्त के समय दस बेटे और बारह बेटियाँ थीं।

सअ़द बिन ख़ौला के बारे में आता है कि इन्होंने बद्र की लड़ाई में जिहाद किया था। हब्शा की तरफ़ हिजरत भी की थी, लेकिन फिर मक्का में जा कर रहने लगे और सन 10 या 7 हि॰ में देहान्त किया। और जिस वतन को अल्लाह की राह में छोड़ा था वहाँ जा कर स्वैंय मरना यह अच्छी बात नहीं।

983:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने कहा कि काश लोग एक तिहाई से

भी कम कर के चौथाई की वसिय्यत करें (तो अच्छा है) क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "एक तिहाई भी बहुत है"।

फ़ाइदा:— ऊपर की दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि ग़ैर वारिसों के लिये देने या सदक़ा, ख़ैरात करने के लिये तिहाई से अधिक वसिय्यत करना दुरुस्त नहीं। जो वारिस हैं उन का हक़ तो अल्लाह की किताब में बयान हो ही चुका है इसलिये उन्हें तो उतना मिलना ही है। यहाँ ग़ैर वारिसों के लिये, या ख़ैरात के लिये वसिय्यत की बात है।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की वसिय्यत यह थी कि अल्लाह की पुस्तक (कुरआन पाक) पर (संपूर्ण रुप से) अ़मल किया जाये।}

984:— तल्हा बिन मुसर्रिफ़ ने बयान किया कि मैं ने अबू औफ़ा के पुत्र अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से पूछाः क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (माल आदि के बारे में) कुछ वसिय्यत फ़रमायी है? उन्होंने कहाः नहीं। मैं ने पूछाः फिर मुसलमानों पर क्योंकर वसिय्यत फ़र्ज़ हुयी? उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अल्लाह की पुस्तक पर अ़मल करेन की वसिय्यत की थी।

985:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने न कोई दीनार, न दिंहम, न बक्री, न ऊँट और न कुछ छोड़ा, और न ही किसी माल के लिये कोई वसिय्यत फ़रमायी।

986:— अस्वद बिन यज़ीद ने बयान किया कि लोगों ने आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ के पास जाकर बयान किया कि अ़ली रज़ि॰ को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुछ वसिय्यत की थी। यह सुन कर उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें कब वसिय्यत की? मैं (देहान्त के समय) आप को सीने से लगाए बैठी हुयी थी, आप मेरी गोद में थे। फिर पानी का लगन मँगवाया ( ) फिर आप मेरी गोद में गिर पड़ें, फिर नहीं मालूम आप ने कब देहान्त किया। इस दर्मियान आप ने किस समय वसिय्यत की?

फ़ाइदा:— शीआ़ लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने देहान्त से पूर्व अ़ली रज़ि॰ को बुला कर उन के बारे में वसिय्यत की थी कि वह मेरे बाद प्रथम ख़लीफ़ा होंगे, लेकिन अबू बक्र और उमर आदि ने ज़र्बदस्ती ख़िलाफ़त पर क़ब्ज़ा कर लिया है।

आइशा रज़ि॰ ने कहा कि आरंभ से अन्त तक मैं आप के पास ही रही, लेकिन आप ने कोई वसिय्यत नहीं की। आप के पास न कोई माल था, न जायदाद, और न किसी की अमानत, और न ही कोई क़र्ज़, इसलिये आप ने किसी वस्तु के बारे में वसिय्यत ही नहीं फ़रमायी। हाँ, देहान्त के समय यह फ़रमाया थाः "नमाज़ की हिफ़ाज़त करना और अपने लौंडी-गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार करना।" देहान्त से पूर्व यह आप की अन्तिम

नसीहत थी। (बुख़ारी)

बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास कुछ जायदाद थी (1) फ़िदक की भूमि (2) बनी नज़ीर के खजूर के बाग़ (3) मुख़ारीक़ स्थान के सात बाग़ (4) अन्सार की दी हुयी कुछ भूमि (5) कुरा की वादी की भूमि। इन्ही जायदादों से आप अपने बीवी-बच्चों का साल भर ख़र्चा चलाते थे, ग़रीबों-मुहताजों और यतीमों को देते थे, फिर जो बचता उसे बेतुल माल में डाल देते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमा दिया थाः नबी का तर्का तक़्सीम नहीं होता, सब का सब सदक़ा होता है" (बुख़ारी 3093) देहान्त के पश्चात् अबू बक्र रज़ि॰ ने आप की जायदादों को बेतुल माल में दाख़िल कर लिया था और उसी में से आप पत्नियों को ख़र्चा-पानी देते रहे। (बुख़ारी-3094, 3093)

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह वसिय्यत की थी कि मुश्रिकों को अ़रब की भूमि से निकाल बाहर करना और दूतों के साथ अच्छा व्यवहार करना।}

987:- सअ़ीद बिन जुबैर ने बयान किया कि एक मर्तबा इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहाः जुमेरात का दिन, क्या है जुमेरात का दिन? यह कह कर रोने लगे, और इतना रोए कि उन के आसुँओं से कंकरियाँ भीग गयीं। इस पर मैं ने कहाः ऐ इब्ने अ़ब्बास! जुमेरात के दिन को याद करने का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बीमारी जब अधिक बढ़ गयी तो आप ने फ़रमायाः मेरे पास (क़लम, दवात, कागज़) लाओ, एक तहरीर लिख दूँ ताकि तुम लोग मेरे बाद गुमराह न होना। यह सुन कर लोग परस्पर बहस करने लगे। हालाँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास ऐसा कुछ नहीं होना चाहिये था। और कहने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की जो हालत है इस में नामुनासिब बातें भी लिखवा सकते हैं, इसलिये आप से पुनः मालूम कर लो। यह सुन कर आप ने फ़रमायाः मेरे पास से हट जाओ, इस समय मेरी जो स्थिति है वह तुम्हारी (झगड़े और इख़्तिलाफ़ वाली) हालत से बेहतर है। मैं तुम्हें तीन बातों की वसिय्यत करता हूँ (1) मुश्रिकों को अ़रब की ज़मीन से निकाल देना (2) और तुम्हारे पास जो दूत आये उन के साथ वेसे ही व्यवहार करना जैसा कि मैं करता रहा हूँ। और तीसरी बात आप ने नहीं बताई, या हदीस के रावी सअ़ीद ने कहा कि मैं भूल गया।

फ़ाइदाः- आज अ़रब के शासक दोनों ही वसिय्यतों पर अ़मल कर रहे हैं। मुश्रिक और यहूदी चोरी-छुपे नाम और लिबास बदल कर संभव है मक्का-मदीना जाते हों लेकिलन खुल्लम-खुल्ला कदापि नहीं जा सकते। एक मर्तबा मुल्क के प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरु ने मक्का मदीना के धर्म स्थलों की ज़ियारत के लिये अनुमति माँगी थी, लेकिन नहीं मिली। अ़रब की भूमि से क्या मुराद है? कुछ उलमा केवल मक्का-मदीना मुराद लेते हैं और कुछ हिजाज़ को, और कुछ ने इराक़ से लेकर शाम तक को शामिल किया है।

वह तीसरी वसिय्यत जो रावी भूल गये क्या थी? कुछ उलमा ने कहा कि "मेरी

क़ब्र को पूजा स्थल न बनाना" या उसामा के लश्कर के बारे में कोई बात थी कि उसे मेरे मरने के नाते न रोकना।

आप अगर ज़रुरी समझते तो अवश्य ही वसिय्यत लिखवाते, और लोगों के इख़्तिलाफ़ की पर्वा न करते। इसलिये कि दीन इस्लाम को मुकम्मल कर के आप को जाना था। लेकिन वह वसिय्यत चूँकि बहुत अहम नहीं थी, आप पहले ही बार-बार बयान कर चुके थे और सहाबा उस पर अ़मल भी कर रहे थे, केवल मज़ीद ताकीद करनी थी, इसलिये आप ने फिर दोबारा लिखवाना उचित नहीं जाना।

बाब {कोई वस्तु सदक़ा कर के वापस लेना मना है।}

988:- उमर फ़ारुक़ रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने एक बहुमूल्य घोड़ा अल्लाह की राह में किसी को दिया, लेकिन उस ने उस घोड़े को मरियल कर डाला। मैं ने सोचा कि वह इस हालत में घोड़े को सस्ते दामों में बेच देगा इसलिये मैं ने (उसे ख़रीद लेने के बारे में) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा तो आप ने फ़रमायाः (जिसे तुम ने सदक़ा कर दिया) उसे मत ख़रीदो और अपने सदक़ा को वापस न लो, इसलिये कि सदक़ा को लौटाने वाला उस कुत्ते के समान है जो अपने ही किये हुये क़ै को पुनः खा जाता है।

989:- इब्ने अ़ब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सदक़ा को लौटाने वाला उस कुत्ते के समान है जो क़ै कर के पुनः उसे खा जाता है।

फ़ाइदा:- उस घोड़े का नाम "वर्द" था। उसे तमीमदारी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को उपहार में दिया था और आप ने उमर को दे दिया था और उमर ने किसी सहाबी को दे दिया था। लेकिन उन्होंने दाना-चारा देने में कोताही की इसलिये मरियल हो गया। मालूम हुआ कि जिस वस्तु को ख़ैरात कर दिया उसे वापस लेने की बात तो अलग, ख़रीदा भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर बाप अपने बेटे को कुछ दे तो उसे वापस ले सकता है। नोमान बिन बशीर के पिता ने नोमान से वापस लिया है (बुख़ारी 2587) जैसा कि हदीस न० 990 और 991 में आगे आ रही है। अगर किसी ने फ़क़ीर को दिया तो आप उस फ़क़ीर से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि दूसरे ने उसे ख़ैरात किया था (बुख़ारी 2623, 2589, 2622)

बाब {जिस पिता ने अपने बच्चों में से किसी एक को कुछ उपहार दिया (उसे वह वापस ले ले, या अपने सब बच्चों को भी दे)}

990:- नोमान बिन बशीर रज़ि० ने बयान किया कि मेरे पिता बशीर ने मुझे कुछ माल दिया इस पर मेरी माता जी अ़म्रा ने कहा कि मैं इस को उस समय तक दुरुस्त न मानूँगी जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इस पर गवाह न बना

लें। चुनान्चे पिता जी बशीर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गये तो आप ने उन से पूछाः क्या तुम ने अपने सभी बेटों को इतना दिया है? उन्होंने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः अल्लाह से डरो और बेटों के साथ न्याय से काम लो। चुनान्चे पिता जी ने मुझ से वह माल वापस ले लिया।

991:– नोमान बिन बशीर रज़ि॰ ने बयान किया कि मेरे पिता जी मुझे उठा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास ले गये और कहने लगेः ऐ अल्लाह के संदेष्टा! मैं इस बात पर आप को गवाह बनाता हूँ कि मैं ने फ़लाँ माल अपने इस पुत्र को उपहार में दे दिया है। आप ने पूछाः क्या समस्त बेटों को भी उतना ही दिया है जितना नोमान को दिया है? पिता जी ने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः फिर तुम मुझे रहने दो और किसी दूसरे को गवाह बना लो। फिर आप ने फ़रमायाः क्या तुम्हें यह पसन्द नहीं कि तुम्हारे तमाम बेटे नेकी में तुम्हारे साथ बराबर हों। पिता जी ने कहाः हाँ (पसन्द है) आप नेफ़रमायाः फिर ऐसा अन्याय न करो (कि एक को दो और बाकी को कुछ न दो)

फ़ाइदाः– एक रिवायत में है कि बशीर ने नोमान को एक बाग़ या गुलाम दिया था। मालूम हुआ कि पिता अपने बेटों को दिया हुआ माल वापस ले सकता है, और बेटों के माल में आवश्यक्ता पड़ने पर खा भी सकता है। यह भी मालूम हुआ कि और दूसरे बेटे अगर किसी बेटे को अधिक देने पर राज़ी हों तो इस में कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार अगर पत्नी, पति को, या पति पत्नी को कोई उपहार दे तो उसे वापस नहीं ले सकता (बुख़ारी–2588–आ़इशा रज़ि॰)

बाब {किसी को उ़स के मरने तक के लिये कुछ देना जाइज़ है।}

992:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर किसी ने किसी को अपना घर दिया और यह कहा कि इसे मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िन्दगी तक के लिये देता हूँ और तुम्हारे वारिसों को भी जब तक उन में से कोई बाक़ी है, तो वह मकान उसी का हो जायेगा जिस को उम्र भर के लिये दिया था, क्योंकि उस ने ऐसा उपहार दिया है जिस में मीरास का नियम चलेगा।

993:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपना माल रोक लो (उम्रा पर न दो) और उसे न बिगाड़ो। क्योंकि जिस को उम्रा की शर्त पर दोगे वह उसी का हो जायेगा, चाहे वह जीवित हो या मर गया हो, फिर उस के वारिसों के क़ब्ज़े में चला जायेगा।

फ़ाइदाः– 'उम्रा' का अर्थ है कोई वस्तु किसी को उस के जीवन भर के लिये देना। इस की तीन शक्लें हैं (1) यह कहे कि मैंने तुझे दिया और तेरे मरने के बाद तेरे बाल–बच्चों को दिया। इस सूरत में मरने के बाद उस के बाल–बच्चों की मीरास हो जायेगा और देने वाले को वापस नहीं मिलेगा। (2) दूसरी शक्ल यह है कि यूँ कहेंः मैं ने केवल

तुम्हारी ज़िन्दगी भर के लिये दिया है, तुम्हारे मरने के बाद मैं वापस ले लूँगा। इस सूरत में मरने के बाद देने वाले को वह वस्तु वापस मिल जायेगी। (3) तीसरी सूरत यह है कि स्पष्ट तौर पर न कहे, बल्कि यूँ कहे: मैं ने नुम्हें उम्र भर के लिये दिया। तो उस के मरने के बाद किसे मिलेगा? इस में इख़्तिलाफ़ है, लेकिन हक़ यह है कि मरने के बाद उस के वारिसों को नहीं मिलेगा, बल्कि देने वाले को वापस मिलेगा।

एक दूसरा शब्द "रुक़बा" है। इस का अर्थ है "मरने का इन्तिज़ार करना" इस की शक्ल यह है कि मकान देने वाला इस शर्त पर दे कि अगर देने वाला पहले मर जाये तो लेने वाले के लिये वसिय्यत हो जायेगी। और अगर लेने वाला पहले मर जांये तो देने वाले को पुनः वापस मिल जायेगा।

शरीअ़त ने इस प्रकार की समस्त शक्लों में उम्मत की रहनुमाई की है।

❀ ❀ ❀

किताबुल विरा–सति
(विरासत के मसाइल का बयान)

बाब {मुसलमान काफ़िर का, और काफ़िर मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता।}

994:– उसामा बिन ज़ैद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: काफ़िर मुसलमान का, और मुसलमान काफ़िर का वारिस नहीं होता है।

बाब {वारिसों को उन का हिस्सा दो।}

995:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पे फ़रमाया: वारिसों को उन का पहले हिस्सा दे दोख फिर जो बचे वह उस का है तो मरने वाले के सब से निकट हो।

बाब {'कलाला (वह महिला, जिस के बाप हो न औलाद) के मीरास का बयान।}

996:– जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं बीमारी में बेहोश था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास आये। आप ने वुज़ू किया तो लोगों को आप के वुज़ू के पानी को मेरे ऊपर डाल दिया तो मैं होश में आ गया। मैं ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहा: ऐ अल्लह के रसूल! मेरे तर्का का क्या होगाद्य तर्का तो कलाला का होगा। इसी मौक़ा पर सूरः निसा की आयत न॰ 176 नाज़िल हुयी।

997:– मादान बिन अबू तल्हा से रिवायत है उन्होंने बयान किया उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने जुमा के दिन खुत्बा दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और अबू बक्र रज़ि॰ का ज़िक्र किया फिर कहा कि मैं अपने बाद केवल कलाला को ही सब से गंभी मस्अला छोड़ कर जाऊँगा। मैंने इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बार–बार पूछा और आप ने भी मुझ पर इतनी सख़्ती की कि और मैं इतनी नहीं की, यहाँ तक कि अपनी उगँली मेरे सोने में कोंची और फ़रमाया: ऐ उमर! क्या तुम्हारे लिये वह आयत काफ़ी नहीं है जो गर्मी के मौसम में सूरः निसा के अन्त में उतरी है। फिर

उमर ने कहाः अगर में ज़िन्दा रहा तो कलाला के बारे में ऐसा (साफ़-साफ़) आदेश दूँगा कि जो कुरआन पढ़ता है, या नहीं पढ़ता है सभी उसी के अनुसार फ़ैसला करेंगे।

बाब {कलाला वाली आयत सब से अन्त में नाज़िल हुयी।}

998:– बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है कि अन्तिम सूरत जो पूरी नाज़िल हुयी वह सूरः तौबा है और अन्तिम आयत जो उतरी वह बलाला है।

बाब {जिस ने कोई माल छोड़ा वह उस के वारिसों का है।}

999:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जनाज़ा आता और उस पर क़र्ज़ अदा हो जाये? लोग कहते हैं कि छोड़ा है तो आप नमाज़ जनाज़ा पढ़ते, नहीं तो लोगों से फ़रमा देते कि तुम अपने साथी की नमाज़ जनाज़ा पढ़ लो। फिर जब अल्लाह पाक ने आप पर माल का दर्वाज़ा खोल दिया तो फ़रमायाः अब जो कोई क़र्ज़ छोड़ का मरे तो क़र्ज़ का अदा करना मेरे ज़िम्मा है, और जो कोई माल छोड़ कर मरे तो वह उस के वारिसों का है।

❀ ❀ ❀

किताबुल् वक्फ़ि
(वक़्फ़ के मसाइल का बयान)

बाब {भूमि और पेड़ को अपनी मिलकिय्यत में रखना, पैदावार और फल को सदक़ा कर देना जाइज़ है।}

1000:– इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि मेरे पिता उमर रज़ि॰ को ख़ैबर में एक ज़मीन मिली तो उस के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मश्वरा करने गये और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मुझे ख़ैबर में इतनी उपजाऊ भूमि मिली है कि वैसी भूमि कभी नहीं मिली थी, तो आप उस के बारे में क्या निर्देश देते हैं? आप ने फ़रमायाः तुम अगर चाहो तो अस्ल जमीन को अपने क़ब्ज़े में रखो और पैदावार को सदक़ा कर दो।

फिर उन्होंने इस शर्त पर उस ज़मीन को सदक़ा कर दिया कि वह ज़मीन न बेची जायेगी, न ख़रीदी जायेगी, न किसी की मीरास होगी और न हिबा (आदि) की जायेगी। इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि फिर मेरे पिता जी ने उस की पैदावार को फ़क़ीरों और रिश्तेदारों, मुसाफ़िरों, कमज़ोर लोगों और गुलाम आज़ाद कराने में सदक़ा कर दिया (और यह भी कहा कि) जो उस की देख-भाल करेगा उस में से स्वँय खायेगा और अपने आने वाले मित्रों को भी परंपरानुसार (दस्तूर के अनुसार) खिलायेगा, लेकिन माल इकट्ठा कर के घर नहीं पहुँचाएगा।

फ़ाइदाः– इस मस्अले में किसी का भी दख़्तिलाफ़ नहीं है। वक़्फ़ की दो शक्लें हैं (1) ज़मीन और पैदावार सब कुछ अल्लाह की राह में सदक़ा (2) केवल पैदावार सदक़ा। मालिक अपनी ज़मीन को किसी भी जाइज़ कार्य में अपनी इच्छा से वक़्फ़ कर सकता है।

बाब {मरने के पश्चात भी इन चीज़ों का सवाब मरने वाले को मिलता रहता है।}

1001:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब आदमी मर जाता है तो उस का अ़मल भी

बन्द हो जाता है, मगर तीन चीज़ों का सवाब (जो उस ने दुनिया में किया था) मरने के बाद भी उसे मिलता रहता है (1) ऐसा नेक कार्य जिस का सिलसिला (उस के मरने के बाद भी जारी हो) (2) ऐसा ज्ञान जिस से लोग लाभर्पद हो रहे हों (3) नेक औलाद (जो उस के मरने के बाद) उस के लिये दुआएँ करें।

फ़ाइदाः– अच्छे-बुरे कार्य इस प्रकार के भी होते हैं जिन को करेन के बाद उन कामों का सिलसिला लंबे समय तक प्रचलित रहता है। उदाहरण के तौर पर किसी ने दीनी पाठशाला खोल दिया जिस में दीनी पढ़ाई का कार्य उस के मरने के पश्चात् भी जारी रहता है। बना दिया। तो ऐसा नेक कार्य जिस का सिलसिला उस के मरने के बाद भी जारी रहे, उस के मरने के बाद भी उस पर उसे नेकी मिलती रहेगी। किसी ने दीनी पुस्तक लिखी और मर गया तो जब तक उस पुस्तक से लोग लाभ उठाते रहेंगे, उस लिखने वालें को भी सवाब मिलता रहेगा। ऐसे कार्यों का नाम "सदक़ा-ए-जारिया" है। इसी प्रकार अगर किसी ने कोई बुरा कार्य ईजाद किया और उस के मरने के बाद भी उस कार्य को किया जाता रहा, तो अर्गचे वह मर चुका है, लेकिन उस का भी एक गुनाह मिलता रहेगा।

बाब {अगर किसी ने सदक़ा करेन की वसिय्यत नहीं कि और मर गया, फिर उस की ओर से सदक़ा किंया गया, तो उसे उस का सवाब मिलेगा।}

फ़ाइदाः– इस बारे में हदीस न॰ 532 पहले गुज़र चुकी है कि "एक व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी माता जी वसिय्यत करने से पूर्व ही देहान्त कर गयीं। अगर वह बोलतीं तो सदक़ा करने की वसिय्यत करतीं। तो अब उन के मरने के बाद उन के नाम पर अगर सदक़ा करूँ तो उस का सवाब उन्हें पहुँचेगा? आप ने फ़रमायाः हाँ। मालूम हुआ कि अगर कोई मर जाये और वसिय्यत न करे, फिर भी उस के संबन्धी उस के नाम से सदक़ा ख़ैरात करें तो उस को सवाब पहुँचेगा। विस्तार से जानकारी के लिये हदीस न॰ 532 का फ़ाइदा देखें।

❀ ❀ ❀

किताबुन्नज़्रि
(नज़्र के मसाइल का बयान)

नोटः– नज़र मानने के बारे में उलमा का क्या फ़तवा है? हम यहाँ पर सऊदी अ़रब के महान मुफ़्ती शैख़ स्वालेह उसैमीन के फ़तवे से कुछ अंश नक़ल कर रहे हैं। अल्लामा रह॰ लिखते हैं: "इन्सान को नज़र नहीं माननी चाहिये, क्योंकि नज़र मानना मक्रूह है, या हराम। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस से मना फ़रमाया है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नज़र मानने में कोई भलाई नहीं है, इस की वजह से बख़ील (की जेब) से कुछ निकाला जाता है। लोग जिस उद्देश्य को नज़र के ज़रीआ़ प्राप्त करना चाहते हैं वास्तव में उस का सबब नज़र नहीं होती। अधिकांश लोग ऐसे हैं कि बीमार होने पर किसी नेक कार्य के करने की नज़र मानते हैं। खोई हुयी वस्तु के पा जाने की सूरत में कुछ और करने को नज़र मानते हैं। अब अगर उसे तन्दुरुस्ती प्राप्त हो जाये, या खोई हुयी वस्तु मिल जाये तो इस का यह अर्थ नहीं कि यह सब कुछ नज़र मानने के कारण हुआ। इसलिये आप नज़र माने बिना ही स्वस्थ होने और खोई हुयी वस्तु के वापस मिल जाने की दुआ़ करें। नज़र मानने की कोई आवश्यक्ता नहीं........ (फ़तावा ख़वातीन, पृष्ठ 225, उर्दू एडिशन)

बाब {अगर किसी ऐसे कार्य के करने की नज़र मानी जाये जिससे अल्लाह की आज्ञा व फ़र्मार्बदारी होती हो, तो उसे पूरा करना चाहिये।}

1002:– अ़ब्दुल्लह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि (मेरे पिता जी) उमर रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से एक मस्अले के बारे में प्रश्न किया। उस समय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ताइफ़ से वापस होकर जिईराना के स्थान पर ठहरे हुये थे। उन्होंने पूछाः ऐ अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मैं ने कुफ़्र के ज़माना में यह नज़र मानी थी कि मस्जिदे-हराम में एक दिन के लिये एतिकाफ़ में बैठूँगा, तो इस बारे में आप क्या आदेश देते हैं? आप ने फ़रमायाः जा कर एतिकाफ़ कर लो।

उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खुमुस में से एक लौंडी मुझे दे दी। फिर आप ने समस्त बन्दियों को स्वतन्त्र कर दिया

तो उमर रज़ि॰ ने उन्हें कहते सुनाः हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने स्वतन्त्र कर दिया। इस पर उमर रज़ि॰ ने पूछा तो लोगों ने भी यही कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने समस्त बन्दियों को स्वतन्त्र कर दिया है। यह सुन कर उमर रज़ि॰ ने भी (अपने पुत्र अ़ब्दुल्लाह से) कहाः ऐ अ़ब्दुल्लाह! तुम भी जा कर उस लौंडी को स्वतन्त्र कर दो।

फ़ाइदाः– "नज़र" का अर्थ है "किसी ग़ैर वाजिब कार्य को अपने ऊपर अनिवार्य कर लेना। नज़र मानने के बारे में हुक्म यह है कि इस से बचा जाये। इसी लिये इमाम शाफ़अ़ी, मालिक और हंबल रह॰ ने नज़र मानना मक्रुह कहा है। और इस से संबन्धित बुख़ारी की एक हदीस भी है जिसे इब्ने उमर रज़ि॰ ने रिवायत किया है। "नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नज़र मानने से मना फ़रमाया है, क्योंकि यह कुछ लौटाती तो है नहीं, अल्बत्ता इस से बख़ील और कंजूस (की जेबों) से केवल माल निकलवाया जाता है" (बुख़ारी–6608) इस हदीस की रोशनी में यह कहा गया है कि माल के साथ नज़र मानना दुरुस्त नहीं, अल्बत्ता दूसरे नेकी के कार्य नमाज़, रोज़ा आदि कर नज़र मानना दुरुस्त है, बल्कि इन्हें पूरा करना सवाब का कार्य है। ऊपर हदीस में उमर रज़ि॰ ने माल की नहीं, बल्कि इबादत की नज़र मानी थी जो बिला शुब्हा दुरुस्त है। और अधिक जानकारी के लिये नीचे आ रही हदीस न॰ 1006 की तश्रीह पढ़े।

हदीस के दूसरे टुक्ड़े में "खुमुस" का ज़िक्र है। यह हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये ख़ास था। इसी हिस्से से आप अपने घर का ख़र्च चलाते थे। इसी अपने ख़ास हिस्से में से उमर रज़ि॰ को लोंडी दी थी।

बाब {नज़र को पूरी करना अनिवार्य है (अगर वह जाइज़ हो)}

1003:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा सअ़द बिन उबादा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मस्अला पूछा कि मेरी माता जी ने एक नज़र मानी थी, लेकिन वह उसे पूरी करने से पूर्व ही देहान्त कर गयीं। इस पर आप ने फ़रमायाः उन की ओर से तुम पूरी करो।

फ़ाइदाः– मालूम हुआ कि अगर नेकी के कार्य के तअ़ल्लुक़ से नज़र मानी गयी है तो मानने वाला पूरी करें, और अगर पूरी करने से पूर्व ही देहान्त कर जाये तो उस का वारिस उस की ओर से पूरी करे। अगर नहीं पूरी करेगा तो गुनहगार होगा।

बाब {जिस व्यक्ति ने काबा शरीफ़ तक पैदल चल कर पहुँचने की नज़र मानी (ऐसे व्यक्ति के नज़र के बारे में क्या हुक्म है?)}

1004:– उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ ने बयान किया कि मेरी बहन ने नज़र मानी कि बैतुल्लाह शरीफ़ तक नन्गे पाँव पैदल चल कर जाऊँगी। उन्होंने इस बाबत नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मस्अला मालूम करने को कहा। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम ने फ़रमायाः पैदल भी चले और सवार भी हो जाये।

1005:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने किसी बूढ़े को देखा कि वह अपने दो बेटों के सहारे से चल रहा है। आप ने पूछाः यह क्या मामला है? लोगों ने बताया कि उस ने पैदल चलने की नज़र मानी है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक इस प्रकार सवाब देने से बेनियाज़ (और बेर्पवाह) है। फिर आप ने उसे सवार हो जाने का आदेश दिया।

फ़ाइदा:– उस व्यक्ति के पैरों पर फ़ालिज का प्रभाव था इसलिये अपंग था, और बच्चों के सहारे पैदल चल कर हज्ज करने की नज़र भी मानी थी। इस प्रकार की नज़र पूरी करना दुरुस्त नहीं (देखें बुख़ारी–1865, 6701) इस प्रकार की नज़र को कदापि पूरी न करे।

बाब {नजर मानना ही मना है, क्योंकि (जो तक्दीर में लिखी जा चुकी है) वह उसे फेर नहीं सकती।}

1006:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नज़र मानने से मना फ़रमाया और फ़रमाया कि नज़र मानने से किसी प्रकार का कोई फ़ाइदा नहीं पहुँचता (अर्थात तक़दीर में लिखे को नहीं बदल सकती) अल्बत्ता इस के द्वारा केवल बख़ील (की जेब) से कुछ माल निकलवाया जा सकता है।

1007:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नज़र किसी ऐसी वस्तु को इन्सान को नहीं देती जिस को अल्लाह पाक ने उस की तक़दीर में नहीं लिखा है, बल्कि वह तक्दीर के अनुसार ही करेगी। हाँ, नज़र की वजह से बख़ील (की जेब) से वह माल निकलवाया जाता है जिसे वह (आ़म हालात में) निकालना पसन्द नहीं करता।

फ़ाइदा:– इस हदीस में नज़र मानने से मिनाही है। अल्लामा वहीदुज़्ज़माँ नसई की हदीस की शरह में लिखते हैं: "नज़र मानने से संभवतः इस लिये मना किया है कि मन्नत मानने वाला अल्लाह से गोया एक शर्त करता है और कहता है कि अगर अल्लाह मेरी बीमारी अच्छी कर देगा तो मैं इतना सदक़ा कर दूँगा, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो नहीं करूँगा। और ऐसा अ़क़ीदा कंजूस का भी हो सकता है। गोया नज़र बख़ील के लिये उस का माल ख़र्च कराने के लिये होती है और सदका ख़ैरात करने वाला सख़ी और दानी को नज़र मानने की क्या आवश्यक्ता है, वह तो बिना नज़र माने भी दान–पुन्न करता रहता है। नज़र मानना गोया अपने को बख़ील कहलाना है। एक दानी और सख़ी के लिये नज़र मानना मक्रुह है। और बख़ील के लिये अल्लाह की तरफ़ से जुर्माना और दन्ड के तौर पर है। मन्नत मानने वाले को चाहिये कि जिस वस्तु के दान करने से अल्लाह से इक़रार किया है उस को अपने ऊपर वाजिब जाने, उस का काम पूरा हो या न हो, ताकि कंजूस कहलाने से बचे, और सदक़ा–दान अल्लाह को खुश करने के लिये किया जाये।

कुछ उलमा का कहना है कि इस हदीस से नज़र मानने की मिनाही नहीं है, बल्कि उद्देश्य यह है कि लोग नज़र केवल अल्लाह के लिये मानें, न कि अपने फ़ाइदे और लाभ के लिये, जैसा कि बख़ील लोगों की आ़दत होती है। (नसई, उर्दू एडिशन, पृष्ठ 65, भाग 3)

नसई की रिवायत के शब्द यह हैं: "नज़र और मन्नत तक़दीर के लिखे में कुछ उलट-फेर नहीं कर सकती, और जो होने वाला मुक़द्दर है उस को नहीं रोक सकती। वह तो केवल इस लिये है कि कंजूस (की जेब से इसी बहाने) से कुछ ख़र्च करवा दिया जाये।" (नसई-3838, उर्दू एडिशन) यह कितनी बड़ी बात है कि बन्दा अल्लाह से शर्त लगाए कि अगर तू मेरी फ़लाँ आवश्यक्ता पूरी कर देगा तो मैं फ़लाँ वस्तु राह में ख़ैरात करूँगा। हालाँकि अल्लाह उसे पूरा करे या न करे बन्दे को हर माल में ख़ैरात और दान-पुन्न बिना शर्त के करते रहना चाहिये।

सौदागरी नहीं है इबादत ख़ुदा की है
ऐ बेख़बर, जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे

बाब {जो नज़र अल्लाह की अवज्ञा में हो और जिस नज़र का वह मालिक न हो, ऐसी नज़र पूरी नहीं की जायेगी।}

1008:- अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि क़बीला बनी सक़ीफ़ और क़बीला बनी अ़क़ील के दर्मियान परस्पर अनुबन्ध और मित्रता थी। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से दो को क़बीला बनी सक़ीफ़ के लोगों ने पकड़ लिया। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा ने भी क़बीला बनी अ़क़ील के एक व्यक्ति को पकड़ लिया और साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ऊँटनी "अ़ज़बा" नामक को भी पकड़ लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस के पास आये तो वह उस समय बँधा हुआ था। उस ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देख कर कहा: ऐ मुहम्मद, ऐ मुहम्मद! आप ने उस के पास जा कर पूछा: क्या कह रहे हो? उस ने कहा: आप ने मुझे किस जुर्म में पकड़ा है और हाजियों के सर्दार (अर्थात अ़ज़बा ऊँटनी)को किस कारण पकड़ा है?आप ने फ़रमाया: बहुत बड़ा दोष है। वह यह है कि मैं ने तुम्हें क़बीला सक़ीफ़ के मित्र के दोष के बदले में पकड़ा है। इतना कह कर आप आगे बढ़ गये तो उस ने फिर आवाज़ दी: ऐ मुहम्मद! ऐ मुहम्मद! आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बड़े रहम दिल और कृपाशील थे, इसलिये पुनः उस के पास लोट कर आये और पूछा: तुम क्या कहना चाहते हो? वह बोला कि मैं मुसलमान हूँ। आप ने फ़रमाया: यह बात अगर तुम पकड़े जाने से पहले बता देते तो पकड़े जाने से बच जाते। यह कह कर आप फिर आगे बढ़ गये, तो उस ने फिर तीसरी मर्तबा पुकारा: ऐ मुहम्मद, ऐ मुहम्मद! यह सुन कर आप फिर उस के पास आये और पूछा: क्या बात है? उस ने कहा: मुझे भूख लगी है, इसलिये खाना खिला

दीजिये, मुझे प्यास लगी है इसलिये पानी पिला दीजिये। आप ने फ़रमायाः (ठीक है) यह लो खाना-पानी। फिर उस को उन दो व्यक्तियों के बदले में छोड़ दिया गया जिन को बनी सक़ीफ़ के लोगों ने पकड़ रखा था।

हदीस के रावी अिम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ ने बयान किया कि क़बीला अन्सार की एक महिला भी बन्दी बना ली गयी और उस के साथ अ़ज़बा नामक ऊँटनी भी पकड़ ली गयी। इसी बीच जब काफ़िर लोग अपने-अपने घरों के सामने अपने ऊँटों को ठहरा कर उन्हें सुस्ताने और आराम करने का मौक़ा दिये हुये थे, वह महिला चुपके से उस के चंगुल से भाग निकली और आराम कर रहे ऊँटों के पास पहुँच गयी। वह जिस ऊँट के भी पास जाती वह उसे देख कर आवाज़ निकालता, चुनान्चे वह महिला उसे छोड़ देती। यहाँ तक कि अ़ज़बा नामक ऊँटनी के पास पहुँची लेकिन उस ने आवाज़ नहीं निकाली। वह ऊँटनी बड़ी सीधी-सादी थी। वह महिला उस की पीठ पर सवार होगयी और उसे डाँटा तो वह चल पड़ी। बाद में काफ़िरों को जब सूचना मिली तो उन्होंने अपनी सवारियों पर उसका पीछा किया लेकिन अ़ज़बा ऊँटनी ने उन को थका दिया (और कोई उसे पकड़ न सका)

(इस खुशी में) उस महिला ने यह नज़र मानी कि अगर अ़ज़बा ऊँटनी ने मुझे काफ़िरों से बचा लिया तो मैं उस की कुर्बानी करुँगी। फिर वह मदीना पहुँची और लोगों ने देखा तो कहने लगेः अरे, यह तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ऊँटनी अ़ज़बा है। उस महिला ने कहाः मैं ने नज़र मानी है कि अगर इस ऊँटनी ने मुझे दुश्मनों से बचा लिया तो अल्लाह की राह में इस की कुर्बानी करुँगी। यह सुन कर सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जा कर सारा हाल बयान किया तो आप ने फ़रमायाः सुब्हानल्लाह! इस महिला ने तो अ़ज़बा ऊँटनी को बड़ा बुरा बदला दिया (कि उस ने तो इस की जान बचाई और इस के बदले उस ने इस की जान लेने की ठानी) और नज़र मान ली कि उस की पीठ ने अगर उस की जान बचा ली तो वह उसे ही कुर्बान कर डालेगी। (याद रखो!) वह नज़र जो किसी गुनाह के लिये मानी जाये उसे पूरी नहीं की जायेगी, इसी प्रकार वह नज़र भी नहीं पूरी की जायेगी जिस का वह मालिक नहीं।

फ़ाइदाः- मालूम हुआ कि जो वस्तु उस की मिलकियत न हो उस के बारे में नज़र माननी दुरुस्त नहीं और न ही उसे पूरी करेगा। अ़ज़बा ऊँटनी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मिलकियत थी। इसे उदाहरण से यूँ समझें कि हामिद यह नज़र माने कि अगर अल्लाह ने मेरा यह काम पूरा करा दिया तो मैं महमूद की ज़मीन ख़ैरात कर दूँगा। हालाँकि महमूद की ज़मीन का हामिद मालिक ही नहीं है। या यूँ कहे कि अगर अल्लाह ने मुझे तन्दुरुस्त कर दिया तो मूर्ति की पूजा करुँगा, या फ़लाँ की हत्या कर दूँगा। चूँकि इस में गुनाह और अवज्ञा है, इसलिये इस नज़र को पूरा नहीं किय जायेगा।

बाब {जाइज़ नज़र मान कर उसे न पूरा करने का कफ़्फ़ारा है।}

1009:– उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नज़्र का कफ़्फ़ारा वही है जो क़सम का है।

फ़ाइदा:– क़सम के कफ़्फ़ारा का बयान सूरः माइदा में है। दस फ़क़ीरों को औसत दर्जे का खाना खिलाना, या एक गुलाम स्वतन्त्र करना, और अगर यह न हो सके तो तीन दिन के रोज़े रखना (सूरः माइदा 89, पारः7)

नोट:– नज़्र के तअ़ल्लुक़ से चन्द अहम मसाइल इस प्रकार हैं: ★कोई ऐसा कार्य करने की अगर नज़्र मान लें जिस के करने की ताक़त नहीं रखता, तो इस प्रकार की नज़्र पूरी करना वाजिब नहीं। और नज़्र तोड़ कर क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करें। (बुख़ारी–1865, 6701, अबू दावूद–3301) ★किसी ने शिर्क की हालत में किसी नेक कार्य करने की नज़्र मानी, फिर ईमान ले आया तो उस के लिये उस नज़्र को पूरी करना अनिवार्य है। (बुख़ारी 2032, मुस्लिम–1656) ★अगर किसी ने माल ख़र्च करने की नज़्र मानी तो केवल 1/3 (एक तिहाई) ही ख़र्च करने का हक़दार होगा। (बुख़ारी–6690, मुस्लिम–2769) ★ऐसे कार्य की नज़्र माननी जिस की अल्लाह ने अनुमति नहीं दी है तो यह जाइज़ नहीं, उस पर अ़मल न करे और कफ़्फ़ारा दे। चुनान्चे आ़इशा रज़ि॰ ने उस व्यक्ति के बारे में जिस ने अपनी पूरी जायदाद तक़सीम करने के स्थान पर काबा के लिये वक़्फ़ कर दिया था, यही हुक्म दिया था (मुअत्ता–2/481, बैहक़ी–10/65) ★क्या नज़्र की क़ज़ा उस के वारिसों पर वाजिब है? इस में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ के निकट अगर उस ने अदा करने की वसिय्यत की हो तो लाज़िम है, वर्ना नहीं। लेकिन सच्ची बात यह है कि हदीस की रोशनी में हर हाल में वारिस के लिये अदा करना वाजिब है (सुबुलस्सलाम 4/1905, फ़त्हुलबारी–11/593,594), जमहूर उलमा का कहना है कि बदनी इबादत (जैसे नमाज़, रोज़ा) की नज़्र की उस का वारिस क़ज़ा नहीं करेगा, और माली नज़्र की क़ज़ा मरने वाले के माल ही से की जायेगी। वारिस लोग अपने माल से उस के नज़्र की क़ज़ा नहीं अदा करेंगे। (देखें–दु–ररुल् बहिय्या का उर्दू एडिशन "फ़िक़्हुल् हदीस," भाग 2, पृष्ठ 392।

आज 20.11.05 को यहाँ तक का तर्जुमा और संक्षिप्त तफ़सीर संपन्न हुयी। वल्–हम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आ़–लमीन–आमीन

(ख़ालिद)

किताबुल् ऐमानि
(क़सम के मसाइल का बयान)

नोट :– 'ऐमान' यह 'यमीन' का बहुवचन है, जिसका अर्थ है "दायाँ हाथ" जिस प्रकार दायें हाथ में अधिक शक्ति होती है, इसी प्रकार क़सम खा लेने के बाद उस कार्य के करने, या किसी कार्य के छोड़ने की पूरी आशा हो जाती। यही कारण है कि जब एक व्यक्ति किसी के सामने क़सम खा कर किसी कार्य के करने का आश्वासन देता है तो सामने वाले को पूरा विश्वास हो जाता है। अल्लाह पाक ने स्वयं क़सम खाई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क़सम खाने का आदेश दिया है (देखें- सूरः यूनुस-53, सूरः सबा-3, सूरः तग़ाबुन 7)

बाब {अपने बाब–दादाओं की क़सम खाना मना है।}

1010:– उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ने तुम्हें बाब–दादाओं की क़सम खाने से मना फ़रमाया है। उमर रज़ि० ने बयान किया कि अल्लाह की क़सम! फिर मैं ने अपने बाब–दादाओं की क़सम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इस हदीस को सुनने के बाद कभी नहीं खाई। न ही अपनी तरफ़ से और न हीं दूसरे की तरफ़ से।

1011:– उमर रज़ि० के पुत्र से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो क़सम खाये वह अल्लाह पाक के अतिरिक्त और किसी की क़सम न खाये। मक्का के लोग अपने बाप–दादाओं की क़समें खाया करते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपने बाप–दादाओं के नाम की क़समें न खाया करो।

फ़ाइदा:– इन अहादीस से मालूम हुआ कि अल्लाह के अ़लावा के नाम के साथ क़सम खाना मना है। चुनान्चे एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिसने किसी और की क़सम खाई उस ने शिर्क किया। एक रिवायत में है कि उस ने कुफ़्र किया। (अबू दावूद-3251, तिर्मिज़ी-1535) बहरहाल अल्लाह के अ़लावा की क़सम खाना हराम है इस में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं।

बाब {बुतों और झूठे खुदाओं की क़सम खाना मना है।}

1012:— समुरा के बेटे अ़ब्दुर्रहमान से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बुतों की क़सम न खाओं और न ही अपने बाप-दादाओं की।

बाब {जो लात-उज़्ज़ा जैसे बुतों की कसम खाये, उसे तुरन्त (ईमान ताज़ा करने के लिये) लाइला-ह इल्लल्लाह पढ़ना चाहिये।}

1013:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स तुम में से लात और उज़्ज़ा की क़सम खाये तो (तुरन्त तौबा कर के) लाइला-ह इल्लल्लाह पढ़ें। और जो कोई किस से कहे कि लाओ जुवा खेलें वह (तौबा करे और) सदक़ा दे।

1014:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक मर्तबा अल्लाह के संदेष्टा सुलैमान बिन दावूद अ़लैहिस्सलाम ने कहाः मैं आज की रात अपनी सत्तर पत्नियों से संभोग करूँगा, फिर उन में से. हर एक, एक-एक बच्चा जनेगी जो (जवान होकर) अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। यह सुन कर उन के किसी साथी या फ़रिश्ते ने कहाः इनशाअल्लाह (यानी अल्लाह ने चाहा) भी कह लो। लेकिन उन्होंने नहीं कहा और संभवतः भूल गये। चुनान्चे उन सत्तर में से एक को छोड़ कर किसी ने बच्चा नहीं जना और जिस एक ने जना उस ने भी अधोरा जना। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर उन्होंने इनशाअल्लाह पढ़ लिया होता तो उन की इच्छा पूरी हो जाती और उन की इच्छा रद्द न होती।

फ़ाइदा:— अगर कोई इनशाअल्लाह कह कर क़सम खाये और वह काम न करे तो उसे कफ़्फ़ारा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने नहीं चाहा इसलिये नहीं हुआ, इस में उस का कोई दोष नहीं। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कहाः अल्लाह की क़सम! अल्लाह ने चाहा तो मैं क़ुरैश से अवश्य ही जन्ग करूँगा, फिर आप ने उन से जन्ग नहीं की (अबू दावूद-3285, बैहक़ी) और न हीं आप ने क़सम का कफ़्फ़ारा दिया।

एक दूसरी रिवायत में है कि सुलैमान अ़लै ने 90 पत्नियों से संभोग करने की क़सम खाई थी, और एक और रिवायत में 99 और 100 का भी ज़िक्र है। उन के समय काल में अधिक से अधिक चार से निकाह करने की पाबन्दी नहीं थी।

बाब {कसम का अर्थ कसम खिलाने वाले की नियत के अनुसार माना जायेगा।}

1015:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़सम का अर्थ क़सम खिलाने वाले की नियत के अनुसार माना जायेगा।

फ़ाइदा:— उदाहरण से यूँ समझें कि हामिद ने महमूद से क़सम खाने को कहा कि फ़लाँ

कार्य करेगा और महमूद ने क़सम खा ली, लेकिन क़सम खाते समय निय्यत उस काम के करने की नहीं की बल्कि दूसरे काम की की। तो ऐसे समय में क़सम हामिद के काम के बारे में मानी जायेगी, न कि महमूद की निय्यत वाले काम के बारे में। इस मस्अले को अच्छी तरह समझ लेने की आवश्यक्ता है। कल के दिन महमूद यह कह कर जान नहीं बचा सकता कि मैं ने क़सम खाते समय निय्यत दूसरी चीज़ के करने के बारे में की थी। हामिद का कार्य न करने पर उस का कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा।

बाब {जो व्यक्ति अपनी (झूठी) क़सम द्वारा किसी मुसलमान भाई का हक़ मारता है, उस पर जहन्नम वाजिब हो जाती है।}

1016:– अबू उमामा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो व्यक्ति झूठी क़समें खा कर अपने किसी मुसलमान भाई का हक़ मार लेता है तो अल्लाह पाक उस पर जहन्नम को वाजिब और जन्नत को हराम कर देता है। यह सुन कर किसी ने पूछाः ऐ अल्लाह के संदेष्टा! अगर वह वस्तु मामूली सी हो तब भी? आप ने फ़रमायाः (हाँ, हाँ) अगर्चे वह पीलू वृक्ष की एक डाल ही क्यों न हो।

1017:– वाइल बिन हुज्र रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हिज़रमूत और कन्दा के एक-एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये। उन में से हिज़रमूत के रहने वाले व्यक्ति नेकहाः ऐ अल्लाह के संदेष्टा! इस व्यक्ति ने मेरी भूमि दबा ली है, हालाँकि वह मेरे पिता जी की थी। इस पर कन्दा के रहने वाले व्यक्ति ने कहाः वह भूमि मेरी है और मेरे क़ब्ज़ा में है, मैं उस में खेती-बाड़ी करता हूँ, उस का कोई हक़ नहीं है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हिज़रमूत के रहने वाले (मुद्दई) से पूछाः तुम्हारे पास गवाह हैं? उस ने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः तो फिर मुद्दआ अ़लैह से क़सम खिलाओ। उस नेकहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! वह तो बड़ा कमीना है, उस को क़सम खाने में कोई हिचक नहीं होगी, वह क़सम खा लेगा। चुनान्चे वह क़सम खाने को तय्यार भी हो गया। फिर जब वह क़सम खा कर चला गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ज़रा उसे देखो तो सही किस प्रकार दूसरे का माल हड़पने के लिये झूठी क़सम खा ली है, यह व्यक्ति क़ियामत के दिन अल्लाह पाक से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह पाक उस की तरफ़ देखेगा भी नहीं।

फ़ाइदाः– अल्लाह तआ़ला ने सूरः नहल की आयत 94 में झूठी क़सम खाने वाले को कठोर दन्ड देने की धमकी दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में इसे महापाप (गुनाह कबीरा) बताया है (बुख़ारी-6675) अगर कोई झूठी क़सम खाने के बाद उसे तोड़ दे (यानी उस के मुताबिक़ अ़मल न करे) तो झूठी क़सम तोड़ने पर कोई कफ़्फ़ारा नहीं है। कफ़्फ़ारा तो जाइज़ कार्य करने की क़सम खा कर न करने

पर है।

बाब {एक व्यक्ति किसी कार्य के करने के लिये क़सम खाता है, फिर उसे कार्य के खिलाफ़ करने में भलाई नज़र आये, तो क़सम को तोड़ कर कफ़्फ़ारा अदा करे और जिस में भलाई नज़र आ रही है उस कार्य को करे।}

1018:– अबू मूसा अश्अरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं अपने क़बीला बनी अ़श्अर के चन्द लोगों के साथ आप के पास आप से जिहाद के लिये सवारी माँगने के लिये आया तो आप ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें नहीं दूँगा और न ही मेरे पास तुम्हारी सवारी के लिये कुछ है। लेकिन फिर भी हम लोग जितने दिन अल्लाह ने चाहा आप के पास ठहरे रहे। इस बीच आप के पास कहीं से कुछ ऊँट आ गये तो आप ने हमें सफ़ेद कोहान वाले तीन ऊँट देने का आदेश दिया। जब हम ऊँटों को लेकर रवाना हुये तो साथियों में से कुछ लोगों ने कहा: अल्लाह पाक हमारे लिये बर्कत नहीं देगा, क्योंकि जब हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सवारी माँगी थी तो आप ने क़सम खा कर फ़रमाया था कि तुम्हें सवारी नही दूँगा, फिर आप ने (क़सम तोड़ कर) हमें सवारी दे दी (और आप कफ़्फ़ारा अदा करना भूल गये) चुनान्चे हम लोग वापस लौट आये और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बताया तो आप ने फ़रमाया: हम ने तुम्हें सवारी नहीं दी, वह तो अल्लाह पाक ने दी है। मेरा हाल यह है किसी काम के करने के लिये क़सम खा लेता हूँ, फिर बाद में उस के ख़िलाफ़ कार्य में बेहतरी समझता हूँ तो क़सम का कफ़्फ़ारा देता हूँ और वह कार्य करता हूँ जिस में बेहतरी नज़र आती है।

1019:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक व्यक्ति को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बैठे-बैठे देरी हो गयी, फिर जब अपने घर लौटा तो क्या देखा कि उस के बच्चे सो चुके हैं। फिर पत्नी उस के लिये खाना लाई तो उस ने कहा: अल्लाह की क़सम! मैं बच्चों के सो जाने की वजह से न खाऊँगा। फिर कुछ देर बाद खाने का मूड बना और खा लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जा कर मस्अले को बयान किया तो आप ने फ़रमाया: जो व्यक्ति किसी बात की क़सम खाये फिर उस के ख़िलाफ़ में बेहतरी नज़र आये तो वह बेहतर पर अ़मल करे (क़सम तोड़ दे) और क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करे।

फ़ाइदा:– मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं, आज हालात कुछ हैं और कल कुछ हो जाते हैं। कल के वादे के ख़िलाफ़ आज दूसरे पर अ़मल करना पड़ता है। इसलिये हदीस में स्पष्ट कर दिया कि क़सम तोड़ कर उस का कफ़्फ़ारा अदा करे और उस के खिलाफ़ पर अ़मल करे। आज के समय में लोग पल-पल के अन्दर इरादा बदलते रहते हैं और क़सम का कफ़्फ़ारा नहीं देते हैं, ऐसे लोगों के लिये बहुत बड़ी

चेतावनी है।

बाब {क़सम के कफ़्फ़ारा की क्या हैसियत है?}

1020:– अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से जो अपने घर वालों के मामले में क़सम पर अड़ा रहता है वह इस से कहीं बड़ा गुनाह करता है कि वह अपने घर वाले के बारे में (क़सम तोड़ कर) उस का कफ़्फ़ारा अदा करे जिसे अल्लाह पाक ने मुक़र्रर किया हुआ है।

फ़ाइदा:– इस हदीस शरीफ़ में एक बहुत अहम परिवारिक और सामाजिक मुद्दे की ओर इशारा किया गया है कि एक ही घर में माँ-बाप, भाई-बहन, चचा-भतीजे, बीवी-बच्चे रहते हैं जिस के नतीजा में परस्पर ख़यालात में टकराव होता है और आदमी जल्दबाज़ी में करने या न करने की क़सम खा लेता है। इन हालात में पूरे परिवार वालों के लिये सर का दर्द बन जाता है। और बाद में मनाने और समझाने बुझाने के बाद क़सम तोड़ कर कफ़्फ़ारा देता है। आप ने फ़रमायाः छोड़ देना यह बहादुरी नहीं है, बहादुरी तो यह है कि परस्पर घुल-मिल कर रहो, जूझने की क्षमता पैदा करो और क़सम ही न खाओ।

नोटः– क़सम के मसाइल से संबन्धित हदीसें संपन्न हुयीं, फिर भी कुछ मस्अले बाक़ी हैं। ★अगर किसी को ज़बरदस्ती क़सम खाने पर मजबूर किया जाये तो क़सम खाने के नाते उस पर वह काम करना वाजिब नहीं होगा, और उस क़सम के तोड़ देने से वह गुनहगार भी नहीं होगा और न ही कफ़्फ़ारा आदि देना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "मेरी उम्मत से भूल चूक और जिस काम पर मजबूर किया गया हो, उस का गुनाह समाप्त कर दिया गया है।" (इब्ने माजा–2045, हाकिम–2/198) ★कुछ लोग वाहियात, रस्मी तौर पर या तकिया कलाम के तौर पर क़समें खा लेते हैं, यह "लग़व" कहलाती हैं, इस प्रकार की क़समें खा कर तोड़ देने पर कोई कफ़्फ़ारा नहीं है (सूरः माइदा 89) ★अगर किसी मजबूरी की वजह से क़सम खा कर उस के अनुसार अ़मल न कर सके तो उस पर कोई गुनाह नहीं। जैसे किसी ने क़सम खाई कि अल्लाह की क़सम! मैं मस्जिद के निर्माण कार्य में हाथ बटाऊँगा, लेकिन उस के पैर टूट गये और निर्माण कार्य में शामिल नहीं हो सकता। ★क़सम तोड़ने का कफ़्फ़ारा खाना खिलाना है, इसलिये बदले में रुपया-पैसा देना दुरुस्त नहीं, जमहूर उलमा का यही कहना है। (मोग़नी) ★क़सम का कफ़्फ़ारा, क़सम तोड़ने से पहले या बाद में (दोनों तरह से) अदा करना जाइज़ है। (बुख़ारी–6721)

❀ ❀ ❀

किताबुल् क़िसासि वद्दि-याति
(बदला लेने और हर्जाना के मसाइल)

बाब {खून, धन–माल और इज़्ज़त व प्रतिष्ठा के हराम होने का बयान।}

1021:– अबू बक्रा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ज़माना घूम फिर कर अपनी असली हालात पर आ गया है जैसा कि उस समय था जब अल्लाह पाक ने ज़मीन–आकाश को पैदा किया था। साल, बारह महीनों पर आधारित होता है, उन में चार महीने हराम के हैं (जिन में लड़ाई–झगड़ा करना हराम है) उन में तीन माह लगातार हैं (1) ज़ीक़ादा (2) ज़िल् हिज्जा (3) मुहर्रम और चौथा महीना "रजब" जो क़बीला मुज़र का महीना है और "जुमादिस्सानी" और "शाबान" के दर्मियान में हैं। इस के बाद आप ने पूछाः यह कौन सा महीना है? हम ने उत्तर दियाः अल्लाह और उस के सन्देष्टा ही बेहतर जानते हैं। यह सुन कर आप ख़ामोश हो गये, तो हम लोगों ने सोचा कि संभवतः आप इस महीने का कुछ और नाम बतायेंगे। फिर आप ने पूछाः क्या यह ज़िलहिज्जा का महीना नहीं है? हम ने कहाः जी हाँ, यह वही महीना है। फिर आप ने प्रश्न कियाः यह कौन सा नगर है? हम लोगों ने उत्तर दिया कि अल्लाह और उस के सन्देष्टा ही बेहतर जानते हैं। यह सुन कर हम लोगों ने उत्तर दिया कि अल्लाह और उस के सन्देष्टा ही बेहतर जानते हैं। यह सुन कर कर आप फिर खामोश हो गये तो हम लोगों ने अपने मन में सोंचा कि इस नगर का संभवतः आप कोई और नाम बतायेंगे। लेकिन आप ने फ़रमायाः क्या यह (मक्का) नगर नहीं हैं? हम ने उत्तर दियाः जी हाँ। आप ने फ़रमायाः आज कौन सा दिन है? हम ने उत्तर दिया कि अल्लाह और उस के सन्देष्टा ही बेहतर जानते हैं। यह सुन कर आप चुप रहे तो हम ने यह जाना कि आप आज के दिन का कोई और नाम बताएँगे। लेकिन आप ने फ़रमायाः क्या आज कुर्बानी का दिन नहीं है? हम ने उत्तर दियाः जी हाँ, आज कुर्बानी का दिन है। आप ने फ़रमायाः तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल और तुम्हारी अिज़्ज़त व प्रतिष्ठा तुम पर इसी प्रकार हराम हैं, जिस प्रकार आज का यह दिन, इस नगर और इस महीने में हराम है। और (यह भी सुन लो कि) तुम बहुत जल्द अपने रब से मिलोगे तो वह तुम्हारे आमाल के बारे में तुम से सवाल करेगा। तुम लोग मेरे (दुनिया से चले जाने के) बाद गुमराह न हो जाना

कि एक-दूसरे की गर्दनें मारने लग जाना। जो लोग (इस समय सभा में) उपस्थित है वह मेरा यह संदेश उन लोगों तक जो उपस्थित नहीं हैं पहुँचा दें, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो मौजूद नहीं होते हैं वह मौजूद के मुक़ाबले में अधिक बातें याद रखते हैं। फिर अन्त में आप ने फ़रमायाः देखों! मैं ने अल्लाह का आदेश आप लोगों तक पहुँचा दिया।

फ़ाइदाः- यह वह सुप्रसिद्व खुत्बा (संबोधन) है। जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्तिम हज्ज के मौक़ा पर अ़रफ़ात के मैदान में कम व बेश एक लाख बीस हज़ार सहाबा की उपस्थिति में दिया था। इस खुत्बे की गंभीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसे समस्त लोगों तक पहुँचाने का आदेश दिया था। आज पूरा संसार जहन्नम बना हुआ है, यह इस हदीस पर अ़मल न करने का परिणाम है।

1400 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी इस की आवश्यक्ता, सामयिकता, महत्वता और गंभीरता में तनिक भर कमी नही आयी है। वास्तव में यह खुत्बा एक CHARTER OF HUMAN RIGHTS है।

क़बीला मु-ज़र के लोग रजब महीने का औरों के मुक़ाबले में अधिक अदब एहतराम करते थे, इसलिये इस महीना को उन्ही की तरफ़ मन्सूब कर दिया गया। यह केवल उन के इस माह से मुहब्बत और अपनाइयत के नाते था, वर्ना यह महीना सब का है।

बाब {क़ियामत के दिन (हश्र के मैदान में) सर्वप्रथम हत्या के मामलात का निबटारा होगा।}

1022:- अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़ियामत के दिन सर्वप्रथम लोगों के दर्मियान खून-खराबे के मामलात का फ़ैसला होगा।

फ़ाइदाः- जान का पैदा करने वाला अल्लाह है इसलिये केवल उसी को जान लेने का अधिकार है। इसलिये अगर किसी ने अकारण किसी की हत्या कर दी तो उस के बारे में कुरआन ने फ़रमायाः "गोया उस ने समस्त लोगों की हत्या कर दी" (सूरः माइदा 32) उदाहरण के तौर पर जिस की हत्या कर दी अगर वह जीवित होता तो विवाह करता, उस के बच्चे होते, फिर उन के बच्चे होते, फिर उन के बच्चे होते। आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्या किये गये उस एक व्यक्ति से क़ियामत तक कितनी संतान दुनिया में फैल जाती। गोया उस एक की हत्या कर के सब को नष्ट कर दिया। यही कारण हैं कि ऐसे व्यक्ति की सज़ा हमेशा-हमेशा जहन्नम में जलना है।

एक दूसरी हदीस में है कि क़ियामत के दिन सर्वप्रथम नमाज़ के बारे में प्रश्न होगा। इस प्रकार हदीस में टकराव नहीं है। अल्लाह पाक के हक़ूक़ में नमाज़ के बारे में और बन्दों के हुक़ूक में अकारण खून (हत्या) के बारे में प्रश्न किया जायेगा।

बाब {कौन सी चीज़ मुसलमान के खून (बहाने) को हलाल करती है।}

1023:– अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो मुसलमान इस बात की गवाही दे कि "अल्लाह के अतिरिक्त और कोई माबूद नहीं (लाइला-ह इल्लल्लाह) और मैं अल्लाह का संदेष्टा हूँ (मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह) उस को क़त्ल करना जाइज़ नहीं, मगर तीन में से किसी एक अपराध करने पर (1) विवाहित होने की हालत में ज़िना किया हो (2) अकारण किसी की हत्या की हो (3) दीन इस्लाम से मुर्तद हो कर इस्लामी जमाअ़त से अलग हो गया हो।

फ़ाइदाः– विवाहित हो कर ज़िना करने की सज़ा 'रज्म' यानी पत्थरों से मार-मार कर हलाक करना यह मस्अला इतना प्रचलित है कि हर कोई जानता है। क़ाज़ी उचित समझे तो रज्म से पूर्व 100 कोड़े भी लगवा सकता है (मुस्लिम 1690) अ़ली रज़ि॰ ने एक महिला को जुमेरात के दिन कोड़े लगवाए और जुमा का रज्म करा दिया (नैलुल् औतार- 4/538, सुबुलुस्सलाम 4/1673) अकारण किसी की जान लेने की सज़ा उस की भी जान लेना है (सूरः माइदा 45) दीन इस्लाम से मुर्तद होकर दूसरा धर्म स्वीकार कर लेने की सज़ा भी क़त्ल है। इब्ने माजा की रिवायत में "मन् बद्द-ल दी-नहू फ़क़्तुलूहु (जो धर्म इस्लाम को बदल डाले उसे क़त्ल कर दो)। इस के अतिरिक्त जो मुल्क में फ़ित्ना-फ़साद फैला कर अमन-शान्ति को भंग करे उस की भी सज़ा सूली-फाँसी और क़त्ल है (सूरः माइदा 33) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को गाली-गुलूच करने वाले की भी सज़ा क़त्ल है। आपने अख़्तल के बारे में फ़रमाया था कि उसे क़त्ल कर दो अर्गचे काबा का पर्दा कपड़े हुये हो। यह स्वँय गालियाँ देता था अपनी लौंडियों से दिलवाता था, बड़ा आतंक मचा रखा था। लेकिन अगर कोई खुल कर बुरा न कहे तो? फिर क़त्ल नहीं किया जायेगा-देखें (बुख़ारी शरीफ़ 6926।)

बाब {जो व्यक्ति इस्लाम से फिर जाये और हत्या और लड़ाई करे उस की क्या सज़ा है?}

1024:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि क़बीला उक्ल के आठ व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर आप के हाथ पर इस्लाम लाये (और मदीना में ठहर गये) लेकिन मदीना के वातावरण ने उन्हें सूट नहीं किया और शारीरिक रूप से बीमार पड़ गये। चुनान्चे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से शिकायत की तो आप ने उन से फ़रमायाः ऐसा है कि तुम हमारे चरवाहे के साथ ऊँटों में चले जाओ और उन के दूध और मूत पियो। उन्होंने कहाः ठीक है (हम चले जाते हैं) चुनान्चे उन्होंने (माले ग़नीमत के) ऊँटों का दूध और मूत पिया और स्वस्थ हो गये, फिर चरवाहे की हत्या कर दी और ऊँटों को लेकर रफ़ूचक्कर हो गये। यह सूचना जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मिली तो आप ने (उन्हें पकड़ने के लिये)

एक दस्ता भेजा, फिर वह पकड़ कर लाये गये, फिर आप के आदेश के अनुसार उन के हाथ-पैर काट कर उन की आँखों में लोहे की गर्म सलाई फेर दी गयी। (जिस से वह अन्धे हो गये) और उन्हें उसी हालत में धूप में डाल दिया गया, यहाँ तक कि वह (तड़प-तड़प कर) जहन्नम रसीद हो गये।

फ़ाइदाः- नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इन लोगों के साथ एहसानात किये और उन्होंने यह बदला दिया कि (1) चोरी की (2) चरवाहे की हत्या की (3) मुर्तद हो गये (4) अल्लाह के रसूल से जन्ग की (बुख़ारी 6802, 6805) ऐसे लोगों की सज़ा सूरः मादइ 45 की रोशनी में और इस हदीस की रोशनी में सूली और फाँसी है। (मुस्लिम-1671, अबू दावूद-4367, तिर्मिज़ी-1845)

इन अत्याचारियों ने चरवाहे के भी हाथ-पैर काट डाले और आँखों में सलाई फेर दी थी, इसलिये सूरः माइदा 22 की रोशनी में बदले में उन के साथ भी वही बर्ताव किया गया। जैसी करनी वैसी भरनी। एक रिवायत के अनुसार क़बीला उक्ल के साथ क़बीला उरैना के लोग भी शामिल थे (बुख़ारी-6804, 6805) चरवाहे का नाम यसार था जो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का आज़ाद किया हुआ गुलाम था और आप के ऊँट चराया करता था।

बाब {जिस ने सर्वप्रथम हत्या की बुनियाद डाली उस के गुनाह का बयान।}

1025:- अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब भी कहीं हत्या होती है तो आदम के पहले बेटे (क़ाबील) को उसके गुनाह का एक हिस्सा मिलता है, उसी ही ने सब से पहले क़त्ल और हत्या की बुनियाद डाली थी।

फ़ाइदाः- जब क़ाबील ने सर्वप्रथम हत्या कर के नाहक़ हत्या का दूसरे लिये दुनिया में एक रास्ता खोल दिया, तो वह दुनिया में नाहक़ खून फैलाने वाला हुआ। और फिर वह कार्य दुनिया में फैल करजो भी नाहक़ हत्या करेगा, हर एक हत्या के समय एक गुनाह क़ाबील के कर्मपत्र में लिखा जायेगा। क्योंकि वही उस का उसका अविष्कार करने वाला है। इसी प्रकार किसी नेकी का कार्य ईजाद करने वाले का है।

मुस्लिम की रिवायत में है कि जो व्यक्ति किसी नेक कार्य को रिवाज देगा उस पर उस को नेकी मिलेगी। और जो नेक कार्य पर अ़मल करेगा, उस नेक कार्य पर अ़मल करने वाले व्यक्ति के बराबर उस नेक कार्य को फैलाने का भी सवाब मिलेगा। यही उदाहरण बुरा कार्य फैलाने का है (मुस्लिम), बाबु मन् सन्न ह-स-न-तन्)

यही उदाहरण "सदक़ा जारिया" का है। जैसे किसी ने कुआँ खोद दिया तो जब तक और जितने लोग पानी पियेंगे उस हर एक के पानी पीने वाले के बदले नेकी मिलती रहेगी। और इसी प्रकार बुरे काम का है।

बाब {जिस ने अपने आप को जिस वस्तु से हलाक किया (और आत्महत्या की) उस को उसी प्रकार जहन्नम में दन्ड दिया जायेगा।}

1026:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स अपने आप को लोहे के हथियार से मार ले तो वह हथियार उस के पास होगा और जहन्नम के अन्दर अपने पेट में उसे मारता रहेगा। इसी प्रकार जो ज़हर पी कर आत्महत्या करेगा वह भी (क़ियामत के दिन) जहन्नम के अन्दर उस ज़हर को पी कर आत्महत्या करने की चेष्टा करता रहेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने को पर्वत से गिरा कर आत्महत्या करेगा तो (क़ियामत के दिन) जहन्न्म में भी वह उसी प्रकार गिर कर आत्महत्या करता रहेगा, और इसी प्रकार हमेशा करता रहेगा।

1027:— सहल बिन स-अ़द साअ़दी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और मुश्रिकों के दर्मियान टक्राव हो गया तो दोनों तरफ़ के लोग भिड़ गये। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने लश्कर की तरफ़ पलटे तो वह लोग भी पलट गये। इसी दर्मियान आप ने देखा कि एक व्यक्ति इक्का-दुक्का काफ़िरों को कुछ न समझता था, बल्कि उन्हें खदेड़ कर अपनी तल्वार से ठन्डा कर देता था। यह देख कर सहाबा कहने लगेः आज उस व्यक्ति ने जितनी हिम्मत से काम किया और किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वह तो जहन्नमी है। यह सुन कर हम में से एक सहाबी ने कहाः मैं उस के साथ चिमटा रहूँगा। (ताकि उस के जहन्न्मी होने के कार्य देख सकूँ) चुनान्चे यह सहाबी उस के साथ लग गये। जहाँ वह रुकता तो यह भी रुक जाते, जहाँ वह दौड़ लगाता, यह भी दौड़ लगाते (ताकि उस का साथ न छूटने पाये) अन्ततः वह गंभीर रुप से घायल हो गया और (मारे पीड़ा के) जल्द से जल्द मर जाना पसन्द किया। चुनान्चे अपनी तल्वार के दस्ता को ज़मीन पर रख दिया (जिस से तल्वार की नोक ऊपर हो गयी) और अपने सीना को नोंक के ऊपर रख कर ज़ोर से दबा दिया (जिस से नोक उस की छाती में धँस गयी) और इस प्रकार उस ने प्राण त्याग दिया।

यह माजरा देख कर जब सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और कहने लगेः मैं गवाही देता हूँ कि आप वास्तव में अल्लाह के संदेष्टा हैं। आप ने पूछाः क्या हुआ? आप ने जिस व्यक्ति के जहन्नमी होने के बारे में फ़रमाया था तो इस पर लोगों ने आश्चर्य किया था, तो मैं ने कहा था कि इस बात की तहक़ीक़ करुँगा। फिर मैं पता लगाने के लिये निकला, तो देखा कि वह घायल हो गया है और (मारे पीड़ा के) जल्दी मरने के चक्कर में उस ने अपनी तल्वार का दस्ता ज़मीन पर रख कर उस की नोक पर अपनी छाती को रख कर दबा दिया और अपने प्राण त्याग दिये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह सुन कर फ़रमायाः एक व्यक्ति लोगों की नज़र में जन्नत वालों के कार्य करता है, हालाँकि वह जहन्न्मी है। इसी प्रकार एक व्यक्ति जहन्नमी लोगों

के कार्य करता है, हालाँकि (बाद में अपने नेक कार्य से) जन्नती होता है।

फ़ाइदाः– इस हदीस में आत्म हत्या (खुदखुशी) को बहुत बड़ा अपराध बताते हुये यह दन्ड बताया गया है कि जिस वस्तु से आत्म हत्या की है, उसी से जहन्नम में भी हमेशा करता रहेगा। और उस का ठिकाना हमेशा के लिये जहन्नम होगा। जान को पैदा करने वाला अल्लाह है, इसलिये केवल उसी को जान लेने का भी हक़ है।

बाब {जिस ने किसी की पत्थर मार कर हत्या की तो बदले में उस की भी हत्या पत्थर मार कर की जायेगी।}

1028:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि एक लौंडी इस हाल में मिली कि उस का सर दो पत्थरों के दर्मियान रख कर कुचल दिया गया था। जब उस से पूछा गया कि तेरा सर किस ने कुचला है? क्या फ़लाँ, फ़लाँ ने ऐसा किया है? यहाँ तक कि गिनाते-गिनाते एक यहूदी का नाम लिया गया तो उस ने सर के इशारा से बता दिया। चुनान्चे वह यहूदी पकड़ा गया (और उस से पूछ-ताछ की गयी) तो उस ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। चुनान्चे (बदले में) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस का सर पत्थर ही से कुचलने का हुक्म दिया।

फ़ाइदाः– मालूम हुआ कि जिस किसी ने जिस वस्तु से किसी की हत्या की है, बदले में उस की भी हत्या उसी वस्तु से की जाये। इसी का नाम "क़िसास" है। पारः6, सूरःमादइा, आयत 45 में अल्लाह तआला ने फ़रमाया "अगर किसी ने बिन किसी की जान लिये, उस की जान ले ली है, तो बदले में उस की भी जान ली जाये, और आँख के बदले आँख (फोड़ी जाये) नाक के बदले नाक (काटी जाये) कान के बदले कान (काटे जायें) दाँत केबदले दाँत (तोड़े जायें) और घाव पहुँचने के बदले (उसे भी बदले में घाव पहुँचाया जाये) कुरआन पाक आगे फ़रमाता हैः "तुम्हारे लिये बदला लेने में ज़िन्दगी है" अर्थात बदला लेने से दूसरों को अिब्रत होती है और वह भविष्य में ऐसा अपराध करने से बचेगा और लोगों का जीवन सुख-चैन और अमन व शान्ति से बीतेगा।

इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ का फ़त्वा है कि क़िसास हमेशा तल्वार से क़त्ल कर के लिया जायेगा। उन के इस फ़त्वे का रद्द कुरआन और इस हदीस दोनों ही से होता है। यह भी मालूम हुआ कि महिला के बदले में मर्द को भी क़त्ल किया जायेगा। लेकिन धर्म के आधार पर एक मुसलमान को काफ़िर के बदले क़त्ल नहीं किया जायेगा (बुख़ारी-111, 1870, 3047) इसी प्रकार पिता से बच्चे के बदले क़िसास (बदला) नहीं लिया जायेगा (तिर्मिज़ी-1400, इब्ने माजा-2/888)। इमाम बुख़ारी रह॰ ने इस हदीस को अपनी पुस्तक में दस स्थानों पर ला कर दस मस्अले बयान किये हैं। उन में से एक यह भी है कि अगर कोई बोल न सके और केवल सर ही हिला दे, तो वह भी बोलने ही के स्थान पर माना जायेगा। बच्ची क़बीला बनी अन्सार की थी, पाँव में चाँदी के पायल पहने हुये थी, उसी को छीनने के लालच में यहूदी ने उस की हत्या कर दी थी (बुख़ारी-6876,

2413, 6877, 6879)

बाब {एक व्यक्ति ने किसी के हाथ में दाँत से काटा और उस ने अपना हाथ खींच लिया, जिस से उस के दाँत उखड़ कर बाहर आ गिरे (तो इस का क्या हुक्म है?)}

1029:– अिम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक व्यक्ति ने दूसरे के हाथ में दाँत काट लिया तो उस ने अपना हाथ खींच लिया जिस से काटने वाले के दाँत निकल कर बाहर आ गिरे। अब जिस के दाँत टूट गये उस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से शिकायत की तो आप ने उस से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? यह चाहते हो कि मैं उस से कह दूँ कि वह तुम्हारे मुँह में अपना हाथ दिये रहे और तुम ऊँट की तरह उस का हाथ चबा डालो। (ठीक है) तुम भी (बदले में) अपना हाथ उस के मुँह में डाल कर खींच लो।

फ़ाइदा:– दूसरी रिवायतों में है कि आप ने फ़रमायाः "तुम्हारे लिये कोई दियत और हर्जाना नहीं" (बुख़ारी–6892) एक और रिवायत के शब्द यह हैं: "आप ने उस के मुकदमा को रद्द कर दिया और कोई हर्ज़ाना नहीं दिलवाया" (बुख़ारी–6893) और यह जो आप ने अन्त में फ़रमायाः "तू भी उस के मुँह में हाथ डाल कर खींच ले..." तो यह नाराज़गी में फ़रमाया था। मालूम हुआ ऐसे मामलात में हर किसी को अपना बचाव करने का हक़ है, चाहे उस के दाँत टूटें अथवा आँख फूटे।

हाँ, अगर कोई जान बूझ कर तोड़ैगा तो बदले में उस के भी तोड़े जायेंगे, या अगर हर्जाना (दियत) पर राज़ी हो जाये तो उसे दिलवाया जायेगा, जैसा कि नीचे हदीस न॰ 1030 आ रही है।

बाब {घाव का भी बदला है (कि उसे भी बदले में घायल किया जाये) मगर यह कि वादी हर्जाना पर राज़ी हो जाये।}

1030:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि रबीअ़ की बहन उम्मे हारिसा ने किसी व्यक्ति को घायल कर डाला (और उस के दाँत तोड़ दिये) और अपना मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास ले गये तो आप ने फ़रमायाः क़िसास, क़िसास (बदला लिया जायेगा, बदला लिया जायेगा) यह सुन कर उम्मे रबीअ़ बोलीं: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! क्या उम्मे हारिसा से भी बदला लिया जायेगा? अल्लाह की क़सम! उन से बदला नहीं लिया जायेगा। आप ने फ़रमायाः सुब्हानल्लाह! ऐ उम्मे रबीअ़! अल्लाह की पुस्तक तो बदला लेने ही का आदेश देती है। यह सुन कर उम्मे रबीअ़ ने कहाः नहीं, नहीं, अल्लाह की क़सम! उन से क़िसास (बदला) नहीं लिया जायेगा। उम्मे रबीअ़ बार-बार इसी वाक्य को दोहराती रहीं, यहाँ तक कि (अल्लाह की मर्ज़ी से) जिस का दाँत टूटा था उस के ख़ान्दान वाले हर्जाना (दियत) लेने पर राज़ी हो गये। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (प्रसन्न हो कर) फ़रमायाः अल्लाह के कुछ बन्दे ऐसे भी

हैं कि वह अगर अल्लाह की क़सम खा लेते हैं तो अल्लाह पाक भी उस की क़समों को पूरा कर देता है।

फ़ाइदा:— उम्मे हारिसा रज़ि॰, अनस बिन मालिक रज़ि॰ की फूफी हैं। इन्होंने किसी मामले में एक लड़की को तमाचा मार दिया जिस से उस के दाँत टूट गये थे (बुख़ारी–6894) हदीस का अर्थ स्पष्ट है कि मुद्दआ़ी हर्जाना पर राज़ी हो जाये तो ठीक, वर्ना बदले में उस के भी दाँत तोड़े जायेंगे। उम्मे हारिसा बड़ी नेक महिला थीं, इत्तिफ़ाक़ से उन से ग़लती हो गयी, अल्लाह ने उन के क़सम खाने के नाते वादी के दिल में हर्जाना लेने का ख़याल पैदा कर दिया।

बाब {किसी ने अपनी हत्या को स्वीकार कर लिया और बदले में क़त्ल होने के लिये वादी के हवाले हो गया, लेकिन उस ने माफ़ कर दिया (तो क़त्ल नहीं किया जायेगा)}

1031:— अ़ल्क़मा बिन वाइल रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मेर पिता जी वाइल ने मुझे बताया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि उस समय एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को रस्सी से जकड़ कर खींचता हुआ लाया और कहने लगा: इस ने मेरे भाई की हत्या कर दी है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस से पूछा: क्या तुम ने हत्या की है? वह कहने लगा: अगर इस ने अपना जुर्म स्वीकार नहीं किया तो में गवाह पेश करूँगा (कि इसी ने हत्या की है) यह सुन कर उस ने कहा: जी हाँ, मैं ही ने उस की हत्या की है। आप ने पूछा: किस प्रकार हत्या की है? उस ने बताया कि मैं और वह दोनों एक साथ पत्ते तोड़ रहे थे कि उस ने मुझे गाली दे दी। गाली सुन कर मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं ने अपनी कुल्हारी उस के सर में मार दी और वह मर गया। आप ने उस से पूछा: तुम्हारे पास कुछ धन–माल है जिसे अपी जान बचाने के लिये (हर्जाना के तौर पर) उसे दे दो? उस ने कहा: इस चादर और कुल्हाड़ी के अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप ने पूछा: क्या तेरे गोत्र के लोग तुझे छुड़ा सकते हैं? उस ने कहा: उन लोगों के निकट मारी इस माल के बराबर भी क़द्र नहीं है। यह सुन कर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रस्सी मक़्तूल के भाई की तरफ़ फेंक दी और कहा कि जो तुम्हारे जी में आये करो। चुनान्चे वह उस को क़त्ल करने के लिये लेकर चलता बना। जब वह जाने लगा तो आप ने फ़रमाया: अब अगर वह इसे (बदले में) क़त्ल करेगा तो इस हत्यारे के बराबर ही रहेगा। यह सुन कर वह पलट पड़ा और कहने लगा: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मुझे मालूम हुआ है कि आप ने मेरे बारे में कुछ फ़रमाया है? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: क्या तुम यह नहीं चाहते कि वह हत्यारा तुम्हारे और तुम्हारे भाई का पाप समेट ले? उस ने कहा: जी हाँ (मैं यही चाहता हूँ) आप ने फ़रमाया: तो फिर उसे छोड़ दे। यह सुन कर उस ने उस की रस्सी फेंक दी (जिस में बधाँ हुआ था) और उस को छोड़ दिया।

फ़ाइदा:— नसई की रिवायत में है कि आप ने मक़्तूल के वारिस भाई से पूछा था:

क्या तुम माफ़ कर दो गे? उस ने कहा: नहीं। फिर पूछा: क्या तुम हर्जाना लोगे? उस ने कहा: नहीं। आप ने पूछा: क्या तुम क़त्ल करोगे? उस ने कहा: हाँ। आप ने जो यह फ़रमाया कि वह भी क़ातिल के बराबर हो जायेगा, तो इस का अर्थ यह है कि अगर क़त्ल कर देगा तो सवाब नहीं मिलेगा। और जिस तरह क़ातिल, क़त्ल होने के बाद अपने क़त्ल करने की गुनाह से बरी हो गया, इसी प्रकार वह भी बदला लेकर बरी हो जायेगा और माफ़ कर देने के सवाब से वन्चित हो जायेगा। अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास क़िसास का कोई केस लाया जाता तो आप वादी से माफ़ करने का हमेशा अनुरोध करते थे, (अबू दावूद-4497, इब्ने माजा-2692) ताकि उसे माफ़ करने का सवाब मिल जाये। बहर हाल हदीस से मालूम हुआ कि अगर वारिस माफ़ कर दे तो उस की माफ़ी स्वीकार की जायेगी और हत्यारे को माफ़ी मिल जायेगी।

अगर मक़्तूल के कई वारिस हैं, उन में से एक ने माफ़ कर दिया और बाक़ी माफ़ करने को तैयार नहीं हैं, इस का क्या हुक्म है? इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "किसी एक के माफ़ कर देने से बाक़ी वारिस क़िसास लेने से रुक जायें, चाहे माफ़ करने वाली एक महिला ही हो" (अबू दावूद-4538, नसई-4788)

और बाक़ी जो वारिस माफ़ नहीं कर रहे हैं उन्हें हर्जाना दिलाया जायेगा। इमाम शाफ़ई और अबू हनीफ़ा रह॰ का यही फ़तवा है, और यही हक़ है (फ़िक़हुल् हदीस भाग 2, पृष्ठ 671-उर्दू एडिशन)

बाब {किसी गर्भवती महिला के पेट में किसी ने मार दिया जिस के कारण उस के पेट का बच्चा मर गया और वह भी मर गयी (इस का क्या हुक्म है?)}

1032:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि क़बीला हुज़ैल की दो महिलाएँ परस्पर उलझ गयीं। उन में से एक ने दूसरी को पत्थर मार दिया जिस से वह और उस के पेट का बच्चा दोनों मर गये। इस मुक़दमे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैसला सुनाया कि बच्चा के मारने की दियत (हर्जाना) एक गुलाम या लौंडी है, और महिला के मरने की दियत मारने वाली महिला के वारिस लोग दें। और मरने वाली महिला का वारिस उस का पुत्र होगा और जो वारिस उस के साथ होंगे (वह होंगे)

इस पर हमल बिन नाबिग़ा रज़ि॰ ने प्रश्न किया कि ऐ अल्लाह के संदेष्टा! उस बच्चा का हर्जाना क्यों दिया जाये जिस ने अभी न खाया-पिया, न बोला-चिल्लाया, न इधर आया-उधर गया। आप ने यह सुन कर फ़रमाया: यह व्यक्ति तो काहिनों (ग़ैब की बातें बताने वाले ज्योतिषियों) का भाई मालूम होता है जो इस प्रकार के जचे तुले वाक्य बोल रहा है।

फ़ाइदा:- एक दूसरी रिवायत में है कि खेमे के डंडे से मारा था। चूंकि हत्या की निय्यत से नहीं मारा था, अचानक पेट में लग जाने से मर गयी, इसलिये क़िसास (जान के बदले

जान) नहीं लिया जायेगा। अल्बत्ता दियैत और हर्जाना देना पड़ेगा। हर्जाना वह महिला और उस का पति नहीं देगा, बल्कि उस के खान्दान वाले देंगे (अबू दावूद-4575, इब्ने माजा-2248) हदीस के अल्फ़ाज़ इस प्रकार हैं: "हत्या करने वाली महिला की दियत उस के वारिसों पर डाल दी और उस को और उस के पति व उस की औलाद को बरी कर दिया।" वहरहाल इस में भी क़ोई हिक्मत है। 'दियत' (हर्जाना) में 100 ऊँट हैं, जिन में 40 गर्भवती ऊँटनियाँ होगीं (अबू दावूद-4547, इब्ने माजा-2628)

हमल बिन नाबिग़ा क़ातिल महिला के खान्दान से थे, इन्होंने नाहक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के आदेश पर एतराज़ किया और कवियों की तरह वाक्य बोलने लगे, इसलिये आप इन पर नाराज़ हुये।

बाब {वह घाव अथवा नुक़्सान जिन पर कोई दियत (हर्जाना) नहीं।}

1033:- अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अगर कोई कुँए में गिर कर घायल हो जाये तो (कुआँ खोदवाने और खोदने वाले पर) कोई हर्जाना नहीं, इसी प्रकार किसी जानवर के (सींग मारने पर) घाव (का दावा) वाहियात है। और ज़मीन में गड़ा ख़ज़ाना पर पाँचवाँ हिस्सा (ज़कात) निकालना है।

फ़ाइदा:- चूँकि इस प्रकार की घटनाए इत्तिफ़ाक़ होती है और इन से बचा नहीं जा सकता इसलिये कोई हर्जाना नहीं। इमाम बुख़ारी रह॰ ने अपनी पुस्तक में एक बाबा बाँधा है उस का तर्जुमा यह है: "इब्ने सीरीन रह॰ ने कहा: जानवर के लात मारने पर कोई तावान नहीं, लगाम मोड़ते समय अगर जानवर किसी को घायल कर दे तो सवार पर तावान है। अगर जानवर के भड़काने पर किसी को लात मार दे तो भड़काने वाले पर तावान है, गधे पर महिला सवार हो और मज़दूर हाँक रहा हो और महिला गधे पर से गिर जायेतो मज़दूर पर कोई हर्जाना नहीं"......... (दियत का बयान, बाब 29, हदीस 6913) जिस को किसी की शरारत की वजह से हानि पहुँचे उस पर हरहाल में हर्जाना है।

ख़ज़ाना का इस बाब से कोई संबन्ध नहीं है, लेकिन इस का मस्अला यह है कि मिलने के बाद उस के पाँच हिस्से कर के एक हिस्सा (पाचवाँ)बैतुल माल में जमाकर दिया जायेगा।

नोट:- दियत और क़िसास का बाब संपन्न हुआ। पाठकों के लाभ के लिये चन्द और मस्अलों की जानकारी देना अनिवार्य है जिन का ज़िक्र इस बाब में नहीं है। ★किसी मुसलमान को काफ़िर के बदले नहीं क़त्ल किया जायेगा (बुख़ारी-111, 1870, तिर्मिज़ी-1412) केवल दियत और हर्जाना दिलवाया जायेगा। ★पिता से बच्चे के जुर्म के बदले क़िसास नहीं लिया जायेगा (तिर्मिज़ी-1400, इब्ने माजा-2/888, अहमद-1/16) ★महिला को पुरुष के बदले, पुरुष को महिला के बदले, गुलाम को आज़ाद के बदले और काफ़िर को मुसलमान के बदले क़त्ल किया जायेगा (बुख़ारी-2413 पुरुष को महिला के बदले) हाँ, आज़ाद को गुलाम के बदले क़त्ल का सबूत नहीं है। ★एक व्यक्ति पकड़े और दूसरा क़त्ल करे, तो

हत्यारे को तो क़त्ल किया जायेगा और सहयोगी को क़ैद का दन्ड़ दिया जायेगा (दारुकुत्नी-3/140)

क़त्ल की तीन क़िस्में है (1) वह क़त्ल जो जानबूझ कर तल्वार अथवा हत्या करने वाले हथियार से किया जाये (2) उन वस्तु से मारे जिन से कोई नहीं मारता, जैसे छड़ी, तमाचा और कंकरी आदि और जान से मारने की निय्यत न हो। (3) मारना शिकार को चाहे, लेकिन ग़लती से आदमी को लग जाये। पहले में क़िसास है, दूसरे में दियत और हर्जाना है, और तीसरे में दियत और कफ़्फ़ारा है (देखें अरौ-ज़तुन्नदिय्या-नवाब सिद्दीक़ हसन खाँ, दु-ररुल् बहिय्या-इब्ने क़य्यिम)

अल्हम्द लिल्लाह! आज 25 नवबर 2005, जुमा के दिन 3 बजे अहले हदीस मन्ज़िल में तर्जुमा और संक्षिप्त तफ़सीर का काम संपन्न हुआ-ख़ालिद

❀ ❀ ❀

किताबुल क़सा-मति
(क़सम खिलाने के मसाइल का बयान)

नोटः- आ़म तौर पर ऐसा भी होतो है कि मृतक का शव मुर्दा हालत में इधर-उधर पड़ा मिलता है और यह जानना संभव ही नहीं होता कि उस का हत्यारा कौन है। हमारे मुल्क हिन्दुस्तान का प्रशासन कैसे पता लगाता है? हमें नही मालूम, लेकिन शरीअ़त ने पता लगाने और अस्ल अभियुक्त तक पहुँचने का तरीक़ा बताया है। वह यह कि जहाँ शव मिले सर्वप्रथम मक़्तूल के वारिसों से कहा जायेगा कि इस क्षेत्र के जिन लोगों के बारे में विश्वास हो उन के बारे में क़सम खाओ कि उन्होंने हत्या की है। अगर क़सम खा लेंगे तो दियत के हक़दार होंगे। अगर नही खायेंगे तो जिन पर शुब्हा हो, उन्हें क़सम खिलवाया जायेगा (उन की संख्या पचास होगी) अगर क़सम खा लिया तो बरी माने जायेंगे, अगर नहीं खाया तो दियत देनी पड़ेगी। अधिक व्याख्या निम्न में आ रही है।

बाब {पहले क़सम कौन खाये?}

1034:- सह्ल बिन अबू हस्मा ने अपनी क़ौम के बड़े-बूढ़ों से रिवायत किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन सह्ल और मुहय्यिस बिन मस्ऊद अपनी माली परेशानी की वजह से (रोज़ी-रोटी की तलाश में) ख़ैबर की तरफ़ निकले (फिर दोनों अलग-अलग हो गये) इसी बीच किसी ने आ कर मुहय्यिसा को सूचना दी कि अ़ब्दुल्लाह बिन सह्ल की हत्या कर दी गयी और उन का शव नाले अथवा कुएँ में डाल दिया गया है। यह सुन कर वह यहूदियों के पास आये और कहा कि अल्लाह की क़सम! तुम ही लोगों ने उन की हत्या की है। यहूदियों ने कहा कि अल्लाह की क़सम! हम लोगों ने उन की हत्या नहीं की है। उन्होंने वापस आ कर अपने ख़ान्दान वालों को इस की सूचना दी और स्वँय मुहय्यिसा, उन के बड़े भाई और अ़ब्दुर्रहमान बिन सह्ल (यानी मृतक के भाई) तीनों नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुये। मुहय्यिसा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बात करनी चाही (क्योंकि वही मृतक के साथ थे) लेकिन आप ने फ़रमायाः अपने से बड़ी आयु वाले को बात करने का मौक़ा दो। चुनान्चे बड़े भाई हुवय्यिसा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने बात रखी। उन की बातें सुन कर आप ने मुहय्यिसा से फ़रमायाः यहूदी लोग तुम्हें दियत (हर्जाना) देंगे, या फिर

जन्ग के लिये तैयार रहें। फिर आप ने उन्हें पत्र लिखा तो उन्होंने उत्तर दियाः अल्लाह की क़सम! हम लोगों ने उन की हत्या नहीं की है। इस पर आप ने हुवय्यिसा, मुहय्यिसा और (मृतक के भाई) अ़ब्दुर्रहमान से फ़रमायाः क्या तुम लोग क़सम खा कर अपने साथी के खून का हक़दार बनोगे? उन्होंने कहाः नहीं (हम क़सम नहीं खायेंगे) आप ने फ़रमायाः फिर यहूदी लोग तुम्हारे लिये क़सम खायेंगे (कि हम लोगों ने हत्या नहीं की है) यह सुन कर उन तीनों ने कहाः वह मुसलमान ही नहीं हैं (इसलिये क़सम खा लेंगे) फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन की दियत अपने पास से (यानी बैतुल माल से) देते हुये उन के पास 100 ऊँटनियाँ भेजवा दीं। सहल बिन सअ़द रज़ि॰ ने बयान किया कि जब मैं उन के पास गया तो उन में से एक लाल रंग की ऊँटनी ने मुझे लात मार दी थी।

फ़ाइदाः– इस हदीस से मालूम हुआ कि सर्वप्रथम वादी लोगों से क़सम खिलाया जायेगा। अगर क़सम खा लें तो प्रतिवादी को दियत (100 ऊँट) देने पड़ेंगे। अगर वादी क़सम न खायें तो प्रतिवादी से क़सम खिलाया जायेगा। न खायें तो दियत देंगे, और अगर खा लें तो बरी हो जायेंगे और बैतुल्लाह से दियत दी जायेगी। बैहक़ी (8/126) और एक दूसरी रिवायत में इस के ख़िलाफ़ नियम बताया गया है, लेकिन दोनों ही रिवायतें ज़ओ़फ़ हैं। इमामों ने क़सामत के अलग-अलग तरीक़े बताये हैं, लेकिन सब से दुरुस्त तरीक़ा वहीं है जो इस हदीस में बयान हुआ है। आप ने यहूदियों से क़सम नहीं लिया, क्योंकि जानते थे कि वह झूठे हैं और क़सम खा कर बरी हो जायेंगे।

1035:– नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसी प्रकार क़सामत को बाक़ी रखा जिस प्रकार (इस्लाम से पूर्व) जाहिलिय्यत के ज़माना में लिया जाता था।

फ़ाइदाः– जाहिलिय्यत के समय काल में क़सामत की क्या शक्ल थी इस को इमाम बुख़ारी रह॰ ने अपनी पुस्तक में हदीस न॰ 3845 के अन्तरगत बयान किया है, जिस का तर्जुमा हम निम्न में दे रहें हैं

इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि सर्वप्रथम क़सामा हमारे ही गोत्र बनी हाशिम में हुआ था। बनी हाशिम के एक व्यक्ति अ़म्र बिन अल्क़मा को क़ुरैश के किसी दूसरे गोत्र के एक व्यक्ति (ख़िदाश बिन अ़ब्दुल्लाह) ने सेवक के तौर पर अपने पास रखा। यह हाशिमी नौकर अपने मालिक के साथ उस के ऊँट को लेकर शाम गया। वहाँ इस नौकर को एक और हाशिम खान्दान का नौकर मिल गया। उस नौकर की बोरी का बन्धन किसी कारण टूट गया था। उस ने अपने नौकर भाई से कहा कि बोरी बाँधने के लिये तुम मुझे अपने ऊँट बाँधने की रस्सी दे दो, अगर तुम अपने उस ऊँट को नहीं बाँधोगे तो वह ऊँट भाग थोड़े जायेगा। चुनान्चे उस ने ऊँट की रस्सी दे दी और वह अपनी बोरी बाँध लेकर चला गया। आगे चल कर जब मालिक और नौकर

ने पड़ाव डाला तो समस्त ऊँट बाँध दिये गये लेकिन एक ऊँट खुला रहा। मालिक ने कारण पूछा और मारे गुस्सा के एक लक्ड़ी फेंक कर उसे दे मारी जिस से वह अधमरा हो गया।

इसी बीच उस के पास एक यमन का व्यक्ति आया तो उस नौकर ने उस से पूछाः क्या आप हर वर्ष हज्ज करने जाते हैं? अगर जाना तो मेरा एक सन्देश पहुँचा देना। वहाँ पहुँच कर कुरैश के लोगों को पुकारना, जब वह आ जायें तो उन में बनी हाशिम को पुकारना, जब वह आ जायें तो उन में अबू तालिब को पुकारना और उन से कह देना कि मेरे फ़लाँ मालिक ने मुझे एक रस्सी दूसरे को दे देने के जुर्म में मार डाला है। यह कह कर नौकर मर गया। इस के बाद वह मालिक मक्का आया और अबू तालिब से कहा कि आप के ख़ान्दान का नौकर बीमार हो कर मर गया। मैं ने बड़ी सेवा की लेकिन न बचा सका। अबू तालिब ने यह सुन कर उस का आभार प्रकट किया।

उधर वह यमनी व्यक्ति हज्ज के लिये आया तो मक्का पहुँच कर अबू तालिब से मिल कर पूरी कहानी सुनाई तो वह उस मालिक के पास गये और उस के सामने तीन शर्तें रखीं (1) 100 ऊँट दियत (हर्जाना) के तौर पर दो (2) या फिर तुम्हारी क़ौम के 50 व्यक्ति क़सम खायें कि तुम ने हत्या नहीं की है (3) या फिर तुम भी हत्या होने के लिये तय्यार हो जाओ। उस ने पचास व्यक्ति क़सम खाने के लिये तय्यार के लिये। इतने में एक महिला ने आ कर कहाः ऐ अबू तालिब उन में मेरा एक लड़का भी है, आप उस से क़सम न लें। फिर एक और व्यक्ति ने कहा कि मैं दो ऊँट देता हूँ आप मुझ से भी क़सम न लें। अबू तालिब ने उन दोनों को माफ़ कर दिया और बाक़ी 48 ने (काबा के पास) "रुक्न" और "मुक़ामे-इब्राहीम" के दर्मियान खड़े होकर (झूठी) क़सम खाई और ख़िदाश बिन अ़ब्दुल्लह (मालिक) को दियत देने से या क़त्ल होने से बचा लिया।

इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि (मैं ने अपने बड़े-बूढ़ों से बयान करते सुना) एक वर्ष के भीतर ही समस्त 48 मर गये। (सारांश, बुख़ारी-3845)

नोटः- क़सामत से मुतअ़ल्लिक़ चन्द और मस्अले जानना अनिवार्य हैं ★जाहिलिय्यत के क़सामत में क़त्ल का ज़िक्र है और इस्लामी क़सामत में केवल दियत है, चाहे जान-बूझ कर क़त्ल करने का इक़रार किया हो। इमाम शाफ़अ़ी और अबू हनीफ़ा रह॰ का यही फ़तवा है। ★क़सामत के लिये मुद्दअ़ी के पास कोई ठेस बुनियाद होनी चाहिये। ★क़सामत केवल आदमी के क़त्ल में है, जानवरों में नहीं। ★काफ़िर अगर क़सम खा ले तो उस क़सम का एतबार किया जायेगा। ★क़सामत के लिये वादी का मुक़दमा पेश करना शर्त है। यह समस्त मस्अले किताब व सुन्नत की रोशनी में हैं।

❀ ❀ ❀

किताबुल् हुदूदि
(हद जारी करने के मसाइल का बयान)

नोटः– इन्सान और शैतान का चोली–दामन का संबन्ध है। शैतान का काम मनुष्य को बुरे कामों के लिये उकसाना है। इन्सान, समाज में रहता है। शैतान के बहकावे में आ कर बुरे काम करता है। समाज के दूसरे लोग भी उस की देखा–देखी वही कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार पूरा समाज बुराइयों का अड्डा बन जाता है। अगर आरंभ ही में उस पहले व्यक्ति को दन्ड दे दिया जाये तो समाज के दूसरे लोग भी बुराइयाँ करने से रुक जायें। शरीअ़त ने समाज में सुधार करने और अम्न व शान्ति के लिये इन्हीं असमाजिक तत्वों को नकील देने के लिये दन्ड की कुछ धारायें बनाई हैं, जिन पर अ़मल करने से पूरा समाज पवित्र हो जायेगा और हत्या, लूट–मार, चोरी–डकैती, धोखा–धड़ी की घटनायें सदा के लिये समाप्त हो जायेंगी। हमारे राष्ट्र का प्रशासन इन नियमों का पालन करते हुये इन्हें लागू कर ले तो चट–पट में राष्ट्र बुराइयों से मुक्त हो जाये और समाज दूध के समान उजला हो जाये। ज़िना के दन्ड का संक्षिप्त आदेश और नियम पारः 19, सरूःनूर में बयान किया गया है, वहाँ अवश्य ही देखें।

बाब {शादी शुदा और कुँवारा अगर ज़िना करें तो इस की सज़ा का बयान।}

1036:– उबादा बिन सामि रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर वह्यि नाज़िल होती तो आप को बड़ा भारीपन महसूस होता और चेहरे का रंग बदल जाता। चुनान्चे एक मर्तबा आप पर वह्यि आनी आरंभ हुयी तो हमेशा की तरह सख़्ती महसूस हुयी। जब उस काआना बन्द हो गया तो आप ने फ़रमायाः मुझ से (दीन के मसाइल) सीख लो। अगर ज़िना करने वाला जोड़ा शादी शुदा (विवाहित) है तो दोनों को 100 कोड़े मारें, फिर पत्थरों से मार–मार कर हलाक कर दें। और अगर ग़ैर शादी शुदा हैं तो दोनों को 100–100 कोड़े लगाएँ, फिर एक वर्ष के लिये मुल्क से निकाल (निष्कासित) कर दिया जाये।

फ़ाइदाः– इस दन्ड का बयान बुख़ारी शरीफ़ में भी अबू हुरैरा और ख़ालिद जोहनी से रिवायत है (6842, 6843) अबू दावूद (4445) तिर्मिज़ी (1433) नसई (8/240) इब्ने माजा

(2549) अगर ज़िना करने वाला कुवाराँ है तो 100 कोड़े मारने के पश्चात उसे मुल्क बद्र किया जायेगा, इस पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ का फ़त्वा इस के ख़िलाफ़ है जो हदीस की रोशनी में रद्द है।

हदीस की रोशनी में कुँवारी महिला को भी मुल्क बदर किया जायेगा, क्योंकि हदीस के शब्द पुरुष के लिये ख़ास नहीं हैं (नैलुल् औतार सुबुलुस्सलाम) हाँ, लौंडी को देश बदर नहीं किया जायेगा।

शादी शुदा को रज्म करने से पहले कोड़े लगाए जायें? ऊपर की रिवायत में कोड़े मारने का ज़िक्र है। बुख़ारी की रिवायत में भी है (2143) लेकिन माअ़िज़ अस्लामी और ग़ामिदिय्या की महिला को केवल रज्म किया गया, कोड़े नहीं लगाए गये (बुख़ारी–6824, मुस्लिम–1693, 1695) इमाम शैकानी लिखते हैं कि इन दो के बारे में कोड़े का ज़िक्र न होने से हुक्म मन्सूख़ नहीं माना जायेगा। अ़ली रज़ि॰ ने एक महिला को जुमेरात को 100 कोड़े मारे और फिर जुमा को रज्म (पत्थरों से मार-मार कर हलाक) कर दिया और फ़रमायाः मैं ने अल्लाह की पुस्तक (सूरः नूर 1) की रोशनी में कोड़े लगाए और नबी की सुन्नत में रज्म किया (तोहफ़तुल् अह्वज़ी–4/809, नैलुल, औतार–4/538) लेकिन नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ लिखते हैं: "बेहतर है कि केवल रज्म करे" (रोज़तुन्नदिया–2578) मेरे ख़याल से इमाम और क़ाज़ी जैसा उचित समझें फ़तवा दें। अगर ज़िना कार पक्के बदनाम हैं तो कोड़े भी मारे जायें–ख़ालिद।

बाब {शादी शुदा ज़िना करने वाले को रज्म किया जायेगा।}

1037:– उबैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से सुना और उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ को मिंबर पर फ़रमाते सुना कि अल्लाह पाक ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेज कर उन पर किताब उतारी है, उसी किताब में रज्म की आयत भी नाज़िल हुयी थी (लेकिन अब उस का हुक्म केवल बाक़ी है और उस की तिलावत समाप्त कर दी गयी) हम ने उस आयत को पढ़ा है, उसे याद रखा है, ख़ूब समझा है और उसी के अनुसार रज्म भी किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी रज्म किया है और हम लोगों ने भी आप के बाद वैसा ही किया है। अब हमें इस बात की शंका लग रही है कि अधिक समय बीत जाने के बाद कोई यह न कहने लगे कि रज्म की आयत तो कुरआन में है ही नहीं, फिर वह इस फ़र्ज़ को जिसे अल्लाह ने नाज़िल किया है छोड़ कर गुमराह न हो जाये। यह बात कान खोल कर सुन लो कि रज्म का हुक्म दुरुस्त है और अल्लाह की किताब में है और यह आदेश उन पर लागू होगा जो महिला और पुरुष में शादी शुदा होकर ज़िना करें, या उन के ज़िना करने पर दो गवाह गवाही दें, या गर्भवती हो जाये, या स्वँय ज़िना का जुर्म स्वीकार कर ले।

फ़ाइदा:– सूरःनूर में रज्म वाली वह आयत जिस की तिलावत मन्सूख़ हो गयी, लेकिन उस का हुक्म बाक़ी है यह है: "अश्शैखु वश्शै-ख़तु इज़ा ज़-नया फ़र् जुमूहुमा" (बूढ़े और

बुढ़िया अगर ज़िना करें तो उन्हें रज्म कर दो) (हाकिम-4/359, तबरानी-24/350, मजमउज़्ज़वाइद-6/268) इमाम ज़हबी ने इसे सहीह कहा है और इस के रिवायत करने वाले ठीक-ठाक हैं।

इस आयत में मुझे दो शंकाए हैं (1) जब हुक्म बाक़ी है तो फिर उस की तिलावत मन्सूख़ कर देने से क्या लाभ है? (2) आयत में बूढ़े और बुढ़िया को रज्म करने का हुक्म है, लेकिन यह कोई ज़रुरी नहीं कि हर बूढ़ा और बूढ़िया शादीशुदा ही हो। इसलिये इस आयत से शादीशुदा के लिये रज्म का हुक्म साबित करना आश्चर्य की बात है। हाँ, अहादीस से निःसंदेह साबित है। हमारे उस्ताद मौलाना इनायातुल्लाह सुब्हानी साहब ने एक पुस्तक "हक़ीक़ते-रज्म" लिखी है जिस में यह साबित किया है कि ग़ैर शादीशुदा (कुवाँरा) को भी रज्म किया जा सकता है और शादीशुदा को रज्म नहीं भी किया जा सकता है। यह दन्ड उन के जुर्म की गंभीरता के ऊपर है। उन का कहना है कि अगर कुँवारा ज़िना कार है और बार-बार कर चुका है तो उसे रज्म कर के समाज को पवित्र कर दिया जाये। और कुरआन पाक में सूरः माइदा की आयत 33 से साबित करते हैं।

अन्त में यह कि रज्म के तअ़ल्लुक़ से आयत नाज़िल हुयी थी, लेकिन उस की तिलावत मन्सूख़ हो गयी, लेकिन हुक्म बाक़ी है। और शादी शुदा ज़िना करने वाले महिला व पुरुष अगर अपने जुर्म को स्वँय स्वीकार कर लें, या उन पर गवाही साबित हो जाये, या महिला का हमल ज़ाहिर हो जाये तो 100 कोड़े मार कर (मुस्लिम-1690) रज्म किया जायेगा।

बाब {जो व्यक्ति स्वँय ही ज़िना का इक़रार कर ले (उस के बारे में क्या आदेश हैं?)

1038:- जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक नाटे क़द और गठीले शरीर का व्यक्ति चादर पहने हुये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ। उस ने ज़िना किया था (उस ने ज़िना को स्वीकार किया) लेकिन दो बार आप ने उस की बात को टाल दिया (लेकिन जब वह पीछे पड़ गया) तो आप ने उसे रज्म करने का निर्देश दिया और उसे रज्म कर दिया गया।

इस के बाद आप ने फ़रमाया कि जब हम जिहाद के लिये निकलते हैं तो कोई न कोई (जिहाद से जी चुरा कर) पीछे रह जाता है और बकरों की तरह (गली-कूचों में) आवाज़ें निकालता फिरता है। किसी महिला को थोड़ा सा दूध दे कर बहका लेता है (और फिर ज़िना करता है) अगर अल्लाह पाक ने उस को मेरे हत्थे चढ़ा दिया तो मैं उसे इतना कठारे दन्ड दूँगा जो दूसरों के लिये नसीहत का काम करेगा।

हदीस के रावी ने बयान किया कि जब मैं ने इस हदीस को सअ़ीद बिन जुबैर के सामने बयान किया तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस की बात को चार मर्तबा टाला था (और पाँचवी मर्तबा रज्म का हुक्म दिया था)

फ़ाइदा:- मालूम हुआ कि अगर कोई स्वँय ही ज़िना का इक़रार कर ले तो फिर गवाही

की कोई आवश्यक्ता नहीं है, उस के कहने के अनुसार दन्ड दिया जायेगा। यह भी मालूम हुआ कि वह शादीशुदा था (जभी तो रज्म का हुक्म हुआ) यह भी मालूम हुआ कि उस का नाम माअ़िज़ बिन मालिक अस्लमी था, उस का संबन्ध क़बीला अस्लम से था, जैसा कि आगे आ रही हदीस न॰ 1039 से साबित है। इस के बारे में तफ़सील नीचे की हदीस में आ रही है। महिला के बारे में आता है कि वह ग़ामिद क़बीला की थी, एक रिवायत के अनुसार क़बीला जुहैना की थी। तो मालूम हो कि "जुहैना", "ग़ामिद" और "इज़्द" सब एक ही क़बीला की शाखें हैं और सब एक ही हैं।

बाब {अगर कोई चार बार ज़िना का इक़रार स्वँय ही करे तो उसे रज्म किया जायेगा) और रज्म करते समय गड्ढा खोद कर उस में (क़मर तक) गाड़ दिया जायेगा। अगर जिना करने वाली महिला गर्भवती हो गयी है तो बच्चा पैदा होने तक उस की सज़ा को टाल दिया जायेगा। और उन पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी जायेगी।}

1039:– बुरैदा अस्लमी रज़ि॰ से रिवायत है कि माअ़िज़ अस्लमी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये–और कहने लगेः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! में ने अपनी जान पर अत्याचार कर डाला और ज़िना कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पाक रक दें। लेकिन आप ने उन की ओर से अपना मुँह फेर लिया (और कोई तवज्जोह न दी) दूसरे दिन वह व्यक्ति पुनः आ कर कहने लगाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! में ने ज़िना किया है (आप मुझे पाक कर दीजिये) लेकिन आप ने फिर उस को लौटा दिया। और उन्ही के ख़ान्दान के किसी व्यक्ति को भेज कर जाँच कराई कि कहीं वह मांसिक रुप से कमज़ोर तो नहीं हैं, या और कोई ऐसी–वैसी बात तो नहीं हैं। उस व्यक्ति ने आ कर बताया कि मेरी जाँच में तो उन की बुद्धि में कोई कमी नहीं है और इस प्रकार की कोई बात नहीं है। फिर तीसरी बार वह आये तो आप ने फिर उन्हें उन की क़ौम वालों के पास वापस भेज दिया और उन से जाँच कराई तो उन्होंने फिर यही उत्तर दिया कि उन की बुद्धि में कोई कमी नहीं है और न ही किसी प्रकार की कोई बात है। फिर जब वह चौथी मर्तबा आये (और कहा कि मुझे पाक कर दीजिये) तो उनके लिये गड्ढ़ा खोदवाया (उस में वह गाड़ दिये गये) फिर रज्म कर दिये गये।

इस के बाद क़बीला ग़ामिद की एक महिला आयी और कहने लगीः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मैं ने ज़िना किया है इसलिये मुझे पाक कर दीजिये। आप ने उसे वापस लौटा दिया। दूसरे दिन फिर आयी और कहने लगीः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! आप मुझे क्यों लौटाते हैं, शायद उसी प्रकार लौटाना चाहते हैं जिस प्रकार माअ़िज़ अस्लमी को लौटाया था। अल्लाह की क़सम! मैं तो गर्भवती हूँ (तो अब ज़िना में क्या शक है) आप ने फ़रमायाः ठीक है तुम वापस जाना नहीं पसन्द करती (और सज़ा चाहती हो) तो बच्चा पैदा होने के बाद आना। चुनान्चे बच्चा पैदा होने के बाद उसे एक कपड़े में लपेट कर लाई तो आप ने फ़रमायाः (ठीक है) इसे तू ने जना है तो इसे दूध भी पिला, और जब

दूध छोड़ने का समय आ जाये तो फिर आना। चुनान्चे जब बच्चे का दूध छूट गया तो फिर बच्चे को लेकर आयी, उस समय बच्चे के हाथ में रोटी का टुक्ड़ा भी था, और कहने लगीः ऐ अल्लाह के नबी! मैं ने इस को दूध छोड़ा दिया है और यह देखिये रोटी खा रहा है। आप ने उस बच्चे को किसी मुसलमान की पर्वरिश में दे दिया और एक गड्ढा खोदने का आदेश दिया। चुनान्चे उस के सीने की ऊँचाई तक गड्ढा खोदा गया (फिर उस में उसे खड़ा कर के) फिर रज्म कर दिया गया।

ख़ालिद बिन वलीद ने (रज्म करते समय) एक पत्थर उस के सर पर दे मारा तो उस के खून के छीटें उन के मुँह पर जा पड़ें, इस पर उन्होंने उस महिला क. बुरा-भला कह दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब इस की सूचना मिली तो फ़रमायाः उस अल्लाह की क़सम! जिस के क़ब्ज़े में मेरी जान है उस ने ऐसी तौबा की है कि अगर (नाजाइज़ तौर पर) लगान और टेक्स वसूली करने वाला भी इस प्रकार की तौबा करे तो उस के भी गुनाह माफ़ होजायें (हालाँकि इस के गुनाह हुकूकुल् इबाद में से है) फिर आप ने हुक्म से उस पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी गयी और उसे दफ़न कर दिया गया।

फ़ाइदाः– रिवायतों से साबित है कि दोनों ही शादीशदा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने माअ़िज़ रज़ि॰ से और भी प्रश्न किया था "तुमने केवल चूमा-चाटी की होगी, या हाथ पकड़ लिया होगा" (बुख़ारी-6824, अबू दावूद-4427) उन्होंने कहाः "जैसे सुर्मादानी में सलाई और कुँए में रस्सी डाली जाती है, उसी प्रकार संभेग किया है" (अबू दावूद-4428)

इस हदीस से और बाब से भी मालूम होता है कि चार बार इक़रार करे तब रज्म का हुक्म साबित होगा, लेकिन यह ख़याल ग़लत है। अ़ल्लामा शौकानी रह॰ लिखते हैं कि माअ़िज़ को चार-बार लौटा देना, घुमा-फिरा कर प्रश्न करने का उद्वेश्य अच्छी तरह इत्मिनान क़र लेना था, इसीलिये आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने महिला के एक मर्तबा ही स्वीकार कर लेने पर रज्म का हुक्म दे दिया (नैलुल् औतार-4/545) यह भी मालूम हुआ कि आवश्यक्ता हो तो गड़ढा खोद कर उस में खड़ा कर दिया जाये। मुस्लिम की इस ऊपर की रिवायत में माअ़िज़ के लिये गड्ढा खोदने का ज़िक्र नहीं है, लेकिन मुस्लिम ही की दूसरी रिवायत में इस का ज़िक्र है। अ़ल्लामा शैकानी रह॰ लिखते हैं कि गड्ढा खोद कर उस में खड़े कर दिये गये थे, लेकिन चोट पड़ने पर किसी तरह भाग निकले और हर्रा के स्थान पर रज्म किये गये। (नैलुल औतार-4/560) गर्भवती को बच्चा जनने तक मोहलत दी जायेगी। उस पर जनाज़ा की नमाज़ भी पढ़ी जायेगी।

उमर रज़ि॰ नेकहाः आप ऐसी महिला की जनाज़ा की नमाज़ पढ़ते हैं? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर उस की तौबा मदीना के 70 (पापी) लोगों में बाँट दी जाये तो सभी की माफ़ी हो जायेगी (मुस्लिम)

बाब {यहूदी जो ज़िम्मी हैं उन को भी रज्म किया जायेगा।}

1040:– अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक यहूदी पुरुष और एक यहूदी महिला पकड़ कर लाये गए, इन्होंने ज़िना किया था। इस मस्अले में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यहूदियों से जा कर पूछा कि तुम्हारी पुस्तक तौरात में ज़िनाकार के लिये क्या हुक्म है? उन लोगों ने कहा कि हम दोनों का मुँह काला कर के गधे पर उल्टा मूँह कर के बैठा देते हैं और उन्हें (गली–कूचों में) घुमाते हैं (ताकि लोग देख कर नसीहत पकड़ें) आप ने फ़रमायाः अच्छा, अगर सच कह रहे हो तो तौरात ला कर दिखाओ, चुनान्चे उन्होंने तौरात ला कर पढ़ना आरंभ किया। जब इस की आयत आयी तो उसने अपना हाथ उस रज्म वाली आयत पर रख कर आगे–पीछे की आयत को पढ़ने लगा। अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि॰ (जो यहूदियों के सब से बड़े ज्ञानी थे और ईमान ले आये थे) वह उस समय आप के साथ थे, उन्होंने कहाः आप उस पढ़ने वाले से कहें कि अपना हाथ उठा ले। चुनान्चे जब उस ने अपना हाथ उठाया तो रज्म वाली आयत उस के हाथ के नीचे निकली। चुनान्चे आप ने दोनों को रज्म करने का निर्देश दिया और वह दोनों रज्म कर दियें गये।

अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं भी उन्हें रज्म करने वालों में से थो। मैं ने देखा कि वह व्यक्ति महिला पर पड़ने वाले पत्थरों को अपने ऊपर ले लेता था (मारे प्यार के) उसे बचाने की (नाकाम) कोशिश करता था।

फ़ाइदाः– मालूम हुआ कि अगर कोई मुसलमान के पास मुक़दमा लाये तो इस्लाम की रोशनी में फ़ैसला सुनाना चाहिये। आप ने जो तौरात मँगाई थी तो उन्हें झूठा साबित करने के लिये। और यह भी मालूम हुआ कि जो ज़िम्मी हैं (मुसलमान की सुरक्षा में हैं और बदले में टेक्स देते हैं) उन पर भी इस्लाम का नियम लागू होगा। और शरीअ़त के आदेशनुसार दन्ड दिया जायेगा।

बाब {लौंडी अगर ज़िना करे तो उसे कोड़े मारे जायेंगे।}

1041:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से उस लौंडी के बारे में पूछा गया, जो विवाहिता (शादीशुदा) नहीं है और ज़िना कर डाले, तो उस की क्या सज़ा होगी? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस को कोड़े मारो। फिर दोबारा ज़िना करे तो दोबारा कोड़े मारो, तीसरी बार ज़िना करे तो तीसरी बार भी कोड़े लगाओ और उस को बेच डालो, चाहे एक रस्सी की (मामूली) क़ीमत के बराबर बेचो।

इब्ने शिहाब ज़हरी ने कहा कि मुझे इस बात में शक है कि तीसरी बार ज़िना के बाद बेचने का हुक्म दिया था, या चौथी बार के बाद।

फ़ाइदाः– आज़ाद महिला के मुक़ाबले में लौंडी की सज़ा आधी है सूरः निसा में है "लौंडियों पर आज़ाद महिलाओं की आधी सज़ा है" (सूरः निसा–25) इसलिये लौंडी की सज़ा

50 कोड़े हुये। अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे एक लौंडी को जिस ने ज़िना किया था कोड़ा लगाने के लिये भेजा। चुनान्चे जब मैं गया तो क्या देखा कि अभी-अभी उस के बच्चा हुआ है (इसलिये कमज़ोर है) आप ने फ़रमायाः जब उस के निफ़ास (यानी बच्चा पैदा होने के बाद आने वाला ख़ून) बन्द हो जाये तब 50 कोड़े लगा देना (मुस्लिम-1705, अहमद-1/156) उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ ने भी 50 कोड़े लगवाये (मुअत्ता-2/827) मालूम हुआ कि लौंडी चाहे मुसलमान हो या काफ़िर, शादीशुदा हो या कुवाँरी, उसे 50 कोड़े मारे जायेंगे। फिर भी ज़िना करे तो औने-पौने, चाहे जिस भाव उसे बेच कर अपना घर उस से पाक कर लो (बुख़ारी-2234, मुस्लिम 1703, अबू दावूद-4469)

बाब {मालिक अपने गुलाम पर हद जारी करे।}

1042:- अबू अ़ब्दुर्रहमान से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अ़ली रज़ि॰ ने एक मर्तबा ख़ुत्बा देते हुयें फ़रमायाः ऐ लोगों! अपनी लौंडी और गुलामों पर हद लगाओ, चाहे वह शादी शुदा हों या कुवाँरे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की एक लौंडी ने ज़िना किया तो आप ने मुझे उसे कोड़े लगाने के लिये भेजा। मैं ने देखा कि उस ने अभी-अभी बच्चा जना है (इसलिये निफ़ास की हालत में है और कमज़ोर है) इसलिये मुझे डर लगा कि उस को मारने से वह मर जायेगी। मैं ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बताया तो आप ने फ़रमायाः तुम ने बड़ा अच्छा किया (जो उसे कोड़े नहीं मारे।

एक दूसरी रिवायत में है कि आप ने फ़रमायाः उसे निफ़ास के ख़ून से पाक हो जाने तक छोड़ दो।

फ़ाइदाः- ऊपर की हदीस न॰ 1041 में लौंडी का बयान था और इस हदीस में गुलाम का बयान है। दोनों ही को आधी सज़ा (50 कोड़े) लगाए जायेंगे। जिस प्रकार लौंडी की सज़ा आधी है, इसी प्रकार गुलाम की भी। मुस्लिम की एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ली से फ़रमायाः "जब वह बच्चा होने के बाद आने वाले ख़ून से पाक हो जाये तो उसे 50 कोड़े मारना" (मुस्लिम-1705) यह दन्ड मालिक स्वँय दे, चाहे क़ाज़ी और ख़लीफ़ा उपस्थित हो या न हो। (नैलुल् औतार-4/574)

नोटः- हद का बाब समाप्त हुआ, लेकिन कुछ मस्अले ऐसे गंभीर हैं जिन का बयान करना अति गंभीर है। ★अगर पुरुष परस्पर कुकर्म करें तो दोनों ही को क़त्ल किया जायेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "कुकर्म करने और कराने वाले चाहे शादी शुदा हों, या कुँवारे, दोनों की गर्दन मार दो" (इब्ने माजा-2076-अबू हुरैरा) (इब्ने माजा-2562) (हाकिम-4/355) इन्हें किस प्रकार क़त्ल किया जाये? ऐसी सज़ा दी जाये जिस से लोग नसीहत पकड़ें। ऐसी सज़ा जो लूत अ़लै॰ की क़ौम से मिलती जुलती हो (नैलुल् औतार-4/568) ★अगर कोई जानवर से कुकर्म करे तो उसे मारा-पीटा जाये। दोनों

को क़त्ल कर देने वाली हदीस ज़ओफ़ है। ऐसे व्यक्ति पर हद नहीं जारी होगा (अबू दावूद-4465-इब्ने अ़ब्बास) नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ ने लिखा है कि क़त्ल वाली हदीस सहीह नहीं है, इसलिये केवल मारा-पीटा और डाँट-फटकार लगाई जायेगी। यही ख़याल इब्ने क़य्यिम का है (तोहफ़तुल् अहवज़ी-4/845) ★पागल को ज़िना का जुर्म में सज़ा नहीं दी जायेगी (बुख़ारी-6815) ★अगर कोई इतना कमज़ोर हो कि 100 कोड़े मारने से मर जायेगा तो उस के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "खजूर की ऐसी डाल ले लो जिस में 100 शाखें हों, उस से एक बार उसे मार दो" (इब्ने माजा-2574, अहमद-5/222, बैहक़ी-8/230) ★सज़ा में कमी कराने के लिये सिफ़ारिश करना हराम है। (अबू दावूद-3597, हाकिम-4383) ★अगर कोई स्वँय ही ज़िना को स्वीकार करे फिर बाद में मुकर जाये तो दन्ड नहीं दिया जायेगा (नैलुल् औतार) ★जिस का लिंग कटा हो उसे ज़िना के जुर्म में पकड़ा जाये तो उस पर ज़िना की सज़ा नहीं है, क्योंकि कोशिश के बावजूद उस सें ज़िना संभव नहीं (मुस्लिम-2771) ★गर्भवती महिला के बच्चा पैदा होने के बाद अगर उस के बच्चे को दूध पिलाने की कोई ज़िम्मेदारी ले ले तो पैदा होने के बाद ही महिला को रज्म कर दिया जायेगा (मुस्लिम-1695) वर्ना बच्चा के दूध छोड़ने तक उसे मोहलत दी जोयगी (मुस्लिम-1695, अबू दावूद-4442)

नोटः इन्सान अपनी सहवास, ख़ाहिश और लालसा व इच्छा को पूरी करने के लिये बहुत से नाजाइज़ और हराम तरीक़े अपनाता है।

1. औरत से ज़िना करना, 2. मर्द का मर्द से कुकर्म करके अपनी ख़ाहिश और सहवास को बुझाना, 3. जानवरों के साथ कुकर्म करके, 4. इन्सान के अपने हाथों बनाये हुये मस्नूअ़ी रबड़ वग़ैरह की चीज़ों को इस्तेमाल करना, 5. हस्तमैथुन करके जिसे "मुश्तज़नी" और "इस्तिमना बिल्यदि" कहा जाता है।

शरीअ़त ने इन तमाम चीज़ों को हराम ठहराया है। पहली, दूसरी और तीसरी शक्लें तो बिला शुब्हा हराम और नाजाइज़ हैं और शरीअ़त में इन की सज़ा तै है। इस्लामी हुकूमत इन्हें दन्ड देगी। अन्तिम दो शक्लों के बारे में शरीअ़त का क्या हुक्म है? यह दोनों ही शक्लें एक समान और यक्साँ हैं। इसलिए दोनों का हुक्म भी यक्साँ है।

सऊदी अ़रब के सबसे बड़े मुफ़्ती शैख़ अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन बाज़ रह. से फ़तवा पूछा गया कि इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम इब्ने हज़्म रह. ने अन्तिम यानी ऊपर की पाँचवी शक्ल को जाइज़ क़रार दिया है, जैसा कि अ़ल्लामा क़रज़ावी ने अपनी किताब में लिखा है, तो मामला क्या है?

इसके उत्तर में शैख़ साहब ने फ़रमायाः मुश्तज़नी जमहूर उलमा के नज़दीक हराम है। इस की दलील कुरआन पाक में सूरः मोमिनून की आयत न. 5, 6, 7 और सूरः मआ़रिज की आयत नम्बर 30, 31 है, जिसमें अल्लाह पाक ने फ़रमाया है कि "जो अपनी बीवियों

और लौंडियों के अ़लावा किसी और तरीक़े से अपनी ख़्वाहिश पूरी करेंगे वह अल्लाह पाक की मुक़र्रर की हुई सीमा को पार करने वाले होंगे। (और पापी व गुनहगार होंगे।)

इस आयत के उमूम में मुश्तज़नी के अ़लावा वह तमाम तौर-तरीक़े और हथकन्डे भी शामिल हैं जिन्हें योरोप और पश्चिमी देशों की फ़ेक्टरियाँ बनाती और हमारे मुल्क में भेजती हैं और यहां के मर्द और महिला धड़ल्ले से उन्हें प्रयोग में लोते हैं। इमाम अहमद रह. के इस बारे में दो फ़तवे हैं: 1. जिसने ऐसा किया उसको सज़ा दी जायेगी, 2. यह काम हराम तो नहीं, अलबत्ता मक्रूह है। लेकिन इमाम साहब ने क़ियास के ज़रिये इस लानती और हराम व नाजाइज़ काम को जाइज़ ठहराया है तो यह सहीह नहीं है। अबुल् फ़ज़्ल अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन सिद्दीक़ हसनी इदरीसी रह. अपनी पुस्तक "तहरीमुल् इस्तिमना. .." में लिखते हैं:

> "इमाम मालिक, इमाम शाफ़अ़ी, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद और जमहूर उलमा के नज़दीक हस्तमैथुन (मुश्तज़नी) हराम है, और यही मज़हब सहीह है, इस मज़हब के ख़िलाफ़ और कोई बात कहना जाइज़ नहीं जैसा कि नीचे की दलील और सबूत से स्पष्ट है.....।"
>
> (मक़ालात व फ़तावा इब्ने बाज़ से ख़ुलासा)

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को इन तमाम नाजाइज़ और हराम तरीक़ों के इस्तेमाल से बचाने के लिये रास्ते बताये हैं, जिन्हें अपना कर हम इन हराम और नाजाइज़ कामों से बच सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "इन से बचने का तरीक़ा यह है कि शादी करने में देरी न करो। अगर इस की ताक़त न हो तो रोज़े रखो, क्योंकि रोज़ा जिनसी शहवत, लालसा और सहवास को कुचल देता है।"

इसके अ़लावा इस हराम काम से बचने की और भी बहुत सी शक्लें हैं, जैसे वह तन्हाई और अकेले में न रहे, ज़ेहन को पाक-साफ़ रखे, बुरे और गन्दे ख़्याल को मन में न लाये, नमाज़-रोज़े की पाबन्दी करे। कुरआन पाक की तिलावत करे, अल्लाह पाक से तौबा करे, दीनी किताबों को पढ़े, हमेशा पाक-साफ़ रहे, नेक लोगों के साथ उठे-बैठे, रेडियो, टी.वी, सिनेमा बीनी, गाने-बजाने, इंटरनेट पर फ़हश साइटों, से परहेज़ करे वग़ैरह। अल्लाह पाक हमें इन सब गन्दी आ़दतों और हराम कामों से महफ़ूज़ रखे।

"किताबुल हुदूद" का बाब समाप्त हुआ, आगे दूसरा भाग शुरू हो रहा है।

(ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी)